October to December 2020
E-Journal
Volume I, Issue XXXII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Impact Factor - 5.610 (2018)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)

नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma

Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, **NEEMUCH** (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, **Email** : nssresearchjournal@gmail.com, **Website** www.nssresearchjournal.com

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका 02

02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board 06/07

03. Referee Board 08

04. Floristic Analysis of Weed Apecies in Crops Fields of Tribal District Dhar, M.P. India (SL Muwel, SC Mehta) 12

05. Trends in Indian Food Processing Industry: Issues, Challenges and Ways Forward (Dr. Kiran Kumar P) 19

06. Synthesis and Biological Evaluation of some new Acid Hydrazones derived from 5 -Aldehydo Salicylic Acid (Malti Dubey (Rawat)) 26

07. Uncertain Historiography of Ajivakas (Dr. Ashish Kumar Chachondia) 29

08. Significance of SAARC (Dr. Shrikant Dubey) 32

09. Analysis of Women Empowerment in India (Dr. Indresh Pachauri) 34

10. Awareness and Attitude on Effects of Substance Abuse Among Adolescents (Dr. Usharani B.) 37

11. Zinc Oxie Nanoparticles in Cosmetic Products (Renuka Thakur, Dr. S.K. Udaipure) 40

12. Effects of COVID 19 on Indian Agriculture (Dr. Savita Gupta) 44

13. Linear, Instantaneous and Compound Growth Rates of Major Food-Grain Crops in India (Suresh Kumar,Sanjeev Kumar) 47

14. Dalchini and Its Benefits (Dr. Rajesh Masatkar) 51

15. Fixed Point Theorems for Quasi- Ontraction with Applications (Dhansingh Bamniya, Basanti Muzalda) 53

16. Study of Zooplankton density and physico-chemical parameters in Man dam district Dhar (M.P.) India (Dr. D. S. Waskel, Dr. K.S. Alawa) 55

17. चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात - एक तुलनात्मक विश्लेषण (पूनम वासनिक) 59

18. महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन (कोरोना वायरस के विशेष संदर्भ में) (डॉ. फरहत मंसूरी) 61

19. वर्तमान समय में हिन्दी नाटक (एन.आर. साव, डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग) 64

20. आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन में गुणवत्ता : अवधारणा, उपादेयता एवं महत्व (ओमप्रकाश चौरे) 69

21. शिक्षित जनजाति राजनीतिक चेतना का आकलन (डॉ. भूरेसिंग सोलंकी) 71

22. पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियां (धार जिले के कुक्षी तहसील के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. रेशम बघेल) 73

23. मध्यस्थम् एवम् सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत विवाद समाधान (रतन सिंह तोमर) 76

24. भारत में तृतीय लिंग की प्रस्थिती (डॉ.पूजा तिवारी) 78

25. कोरोना काल में मानव मुक्ति के मसीहा - गांधी जी (डॉ. वसुधा अग्रवाल) 80

26. मानव विकास के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक आवश्यकता (रामकृष्ण अहिरवार, गोविन्द चौधरी) 82

27. 'इतिकथा अथकथा' में ग्रामीण यथार्थ बोध (डॉ. कमलेश सिंह नेगी) 85

28. मध्यप्रदेश में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एक नवाचार) (अमिता जायसवाल, डॉ. सतीश कुमार गर्ग) 88

28. भारतीय जीवन मूल्य और आत्मकथाएँ (रेणुका) 91

30. मध्ययुग में ग्वालियर की सुर यात्रा (डॉ. शुक्ला ओझा) 93

31. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध (दक्षिण- पूर्वी एशियाई देशों के विशेष सन्दर्भ में)(डॉ. सीताराम गोले) 95
32. तेजेन्द्र शर्मा के कथा साहित्य मे नारी पात्र (कमला नरवरिया) 99
33. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उज्जैन जिले की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव 102
(डॉ. बी. एस. मक्कड़, उदयसिंह चौहान)
34. उज्जैन जिले में महिला स्वयं सहायता समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन (चाँदनी जायसवाल) 104
35. मध्यप्रदेश मे राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओ का 106
विश्लेषणात्मक अध्ययन (प्रीति विश्वकर्मा, डॉ. सतीश कुमार गर्ग)
36. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली-गरीबों की जीवन आधार (डॉ. ए.के. पाण्डेय, हर्षिता श्रीवास्तव) 108
37. सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव 109
(डॉ.के.एल. टाण्डेकर, श्री भरत राम सिवारे, श्री नितेश कुमार तिरपुडे)
38. कार्यसरलीकरण के प्रति महिलाओं को प्रेरित करना (श्रीमती संगीता बामने) 113
39. मेहरून्निसा परवेज़ की विभिन्न विषयगत सम्पादकीयों में नैतिक मूल्य (डॉ. रोशनलाल अहिरवार)................. 116
40. जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव (डॉ. राजेश शामकुंवर) 118
41. मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति: एक अध्ययन (डॉ. अनुराग यादव) 120
42. नेहरू और कृषि (डॉ. जोगेन्द्र सिंह) 124
43. दूषित पेयजल (फ्लोराइड) के कारण क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के 126
नीमच जिले के नीमच विकासखंड के विशेष संदर्भ में)(डॉ. एस.एस.मौर्य, विनोद कुमार तिवारी)
44. कोविड - 19 महामारी और औषधीय महत्व के पौधे (डॉ. राजेश बकोरिया)... 129
45. बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति (डॉ. मनु गौरहा, दीपक कारपेन्टर)......................... 131
46. मंदसौर एवं नीमच जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रबंध (निधि चौहान)...................................... 134
47. अज्ञेय के काव्य में प्रेमगत संवेदना (डॉ. सुनीता यादव) 136
48. आत्मनिर्भर भारत और उसकी चुनौतियाँ (डॉ. प्रवीण ओझा) 139
49. दल-बदल कानून की समीक्षा: वर्तमान की आवश्यकता (डॉ. सुनीता सोलंकी) 142
50. भारतीय जीवन दर्शन एवं पर्यावरण संरक्षण (डॉ. सुधा लाहोटी) 143
51. इन्दौर शहर में ग्राहको की आर्थिक सेवा में 'इन्टरनेट बैंकिंग की भूमिका' 145
(विनोद कुमार यादव, श्रीमति मनीषा पाटीदार) ....
52. राजस्थान के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों का योगदान (चित्तौड़गढ़ जिले का एक विश्लेषण) 147
(डॉ. वंदना वर्मा, प्रियंका जैन)
53. Effect of Oxidant and Inorganic Salts on Photocatalytic Degradation of Azure B Dye 150
(Dr. David Swami)
54. Role of MUDRA Scheme in Promotion of Self -Employment in India 154
(Naresh Kumar, Pawan Kumar)
55. Antibacterial Activity of Medicinal Plant Nyctanthes Arbortristis 156
(Supriya Chouhan, Dr. Anil Kumar Gharia, Dr. Dhananjay Dwivedi)
56. Role of Learning Process in Motivating Learners (Dhankumar Mahilang, Dr. R. N. Malviya) 158
57. भारत मे महिलाओं का शिक्षा का स्तर एवं मातृ मृत्यु दर के बीच सम्बन्ध-एक अध्ययन (निशा)................... 162
58. Covid – 19 impact on MSMEs – A three Sector comparative study in India: An Appraisal 167
(Dr. Ruchi Rathore)
59. संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी का अध्ययन (सागर शहर के संदर्भ में) (डॉ. आराधना श्रीवास).......... 169

60. डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा संसाधनों के बढ़ते उपयोग एवं प्रभाव 171
(श्रीमति भुलेश्वरी साहू, डॉ. रामानंद मालवीय, धनकुमार महिलांग)

61. बदलती भारतीय तस्वीर और डिजिटल इंडिया (डॉ. शैलप्रभा कोष्टा) 174

62. The Image of India as Portaryed in R.K. Narayan's Writings (Dr. Seema Sharma) 176

63. कोरोना वायरस और कोविड-19 वैश्विक महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एक समीक्षा 178
(डॉ. सविता वशिष्ठ)

64. प्राचीन भारतीय अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका एवं आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता 180
(डॉ. जे. के. संत)

65. उषा प्रियवंदा की कहानियों में अविवाहित और विवाहित स्त्री की स्थिती (डॉ.झेलम झेंडे) 182

66. घरेलु हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम 2005 (प्रो.ममता कनेश) 184

67. ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकने हेतु कुटीर उद्योगों का सहयोग एवं भूमिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन 186
(डॉ. विभा निगम)

68. कला में सौन्दर्य चेतना का उदय (डॉ. ज्योति रानी) 188

69. राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका (डॉ. सुनीला एक्का) 191

70. इन्दूर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड इन्दौर के उपभोक्ताओं की समस्याएँ और समाधान का अध्ययन 193
(निलेश सैनी, डॉ. एल.के. त्रिपाठी)

71. Law Related to Domestic violence, enforcement and limits: special reference to 197
Baghelkhand Region (Lok Narayan Mishra)

72. शिवानी के उपन्यासों में स्त्री चेतना व विमर्श : कालिंदी के विशेष संदर्भ में (नवीता मीना) 200

73. Isolation Of Rhazimol From The Leaves Of Catharanthus Roseus (Dr.Sushama Singh Majhi) ... 203

74. पंचायत राज में लोगों की बढ़ती सहभागिता (शिवराज सिंह राठौड़) 206

75. Perception of SME Regarding the Financial, Technical, Infrastructure and Marketing Problem .. 209
in Indore District (Dr. Rekha Lakhotia)

76. 1857 की क्रांति में गुमनाम क्रांतिकारी व उनका योगदान (सचिन जेतली) 213

77. Antidumping And Competition Policy: Total Strangers Or Soul Mates? (Aprajita Bhargava) 215

78. साल 2020: शिक्षा की परिवर्तित विचारधारा (हिमांशी पंजाबी) 219

79. The Dynamics of Indian Federalism under the special perspective of the second term 221
of Modi Government in India (Dr. Vikash Kumar Dixit, Prof. Rashmi Tandon (Mishra))

80. कोविड-19 के प्रभावस्वरूप संगीत शिक्षण का तकनीकियों के माध्यम से विकास (डॉ. शिल्पी श्रीवास्तव)....... 225

81. अकहानी आन्दोलन : एक विवेचन (डॉ. राजाराम परते) 227

82. Mulk Raj Anand : A Voice Of Downtrodden And Poor (With special reference of 230
Untouchable and Coolie) (Dr. Pallavi Parte)

83. A Study of Impact and Challenges of GST on Various Constituents of Indian Economy 232
(Antim Banthiya)

84. Groundwater Occurrences in Malwa Plateau, Madhya Pradesh 236
(R.S. Raghuwanshi , Manisha Singh)

85. संस्कृत साहित्य में स्त्री-विमर्श की अवधारणा (मनुस्मृति के विशेष सन्दर्भ में) (डॉ. पी. एस. बघेल) 238

86. Effect of Covid-19 Imposed Lockdown on Indians and Their Lifestyles (Dr. Vrushali Sohani) 240

87. भारत के पड़ोसी देशों से संबंध (दक्षिण- पूर्वी एशियाई देशों के विशेष सन्दर्भ में)(डॉ. सीताराम गोले) 244

88. वित्तीय नियोजन : विकास का आधार (डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी) 248

89. म.प्र. के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की प्रजातियाँ एवं घटकों के निर्दिष्ट स्वास्थ्य कार्य का विश्लेषण (मनीषा चौहान) 250

90. भारत के जनजातीय वर्ग पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन-एक सैद्धांतिक अध्ययन (डॉ. जयराम बघेल) ... 252

91. कोरोना काल और ऑनलाईन कार्य (डॉ. ज्योति सिंह).. 254

92. ई-शिक्षा और रोजगार (डॉ. मंजू गुप्ता) 256

93. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति (डॉ. सुनीता गुप्ता) 259

94. नि:शक्तजनों के विकास में शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार (डॉ. गायत्री मिश्रा, सरदार कुमार चौधरी).............. 262

95. शाजापुर महाविद्यालय के विद्यार्थी- लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान की शौर्य गाथा (डॉ. पी.एस.परमार) ... 265

96. The Role of E - Commerce and Business - A study on benefits and challenges in an emerging economy (Dr. Samta Mehta) 268

97. A Study on Comparative Financial Performance Analysis of Prominent IT Services and Consulting Sector Companies in India (Dr. Rahul Kaushal) 271

98. E-commerce and Consumer Psychology in Current Economic Scenario (Dr. Nilesh Mahajan) 276

99. Impact of E-commerce on Indian Economy (A Study with Reference to Pre-COVID 19) (Dr. Sunil Advani) 280

100. हमारे पर्यावरण में समुद्री प्रदूषण और रोकथाम के उपायों का विवेचनात्मक अध्ययन (श्रीमती सुशीला देवी परमार) 282

101. ऑनलाईन शिक्षा की जरूरत एवं चुनौतियाँ (डॉ.वी.पी. मीणा)... 284

102. Theme of Sex and Lesbianism in the Novels of Shobhaa De (Pratibha Sharma) 286

103. धर्म और नैतिकता (के. के. सिंह) 289

104. जैन परंपरा में नारी की स्थिति एवं जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में उनकी भूमिका (यामिनी जैन) 292

105. Mental Fitness Certificate for Admission in Higher Education is Present Need of the Era (Dr. Anuradha Tiwari) 294

106. गोरखनाथ और नाथ सम्प्रदाय : एक अध्ययन (जनमेजय मिश्र, डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय) 296

107. मानवाधिकार के विकास में नैसर्गिक विधि की भूमिका - समीक्षात्मक विश्लेषण (भोला प्रसाद साहू) 299

108. पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका - एक अध्ययन (योगेंद्र कुमार तिवारी)................................ 302

109. New Regulatory Initiatives By IRDA In Health Insurance Industry (Dr. Priya Jain, Dr. Rameshwar Gupta) 305

110. महिला उद्यमिता के विकास में महिला सहकारी बैंकों की भूमिका (तरूणा सुथार) 308

111. बर्ड फ्लु : कारण एवं बचाव (म.प्र.तथा भारत के सन्दर्भ में) (अंचल रामटेके) 312

112. केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' के साहित्य में अभिव्यक्त मानवतावाद (डॉ. प्रभा शर्मा) 313

113. Role and challenges of the Service sector in economic development of India (Dr. C.M.Tembhurnekar) 316

114. The Indigenous Uses of forest resourcesfor the development of tribal District – Alirajpur (M.P.) (Dr. Rajendra Singh Waghela) 323

115. Women Rights (Mom Banerjee, Dr. B.K. Yadav) 326

116. नरसिंहपुर जिले में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (प्रीति जैन) 328

117. सन्त कालूजी का जीवनवृत्त और उनके प्रमुख दोहों का अध्ययन (डॉ. मधुसूदन चौबे) 330

118. उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों के साथ संबन्ध का अध्ययन (डॉ. ऋतु बाला, एंजिल स्वामी, डॉ. सतपाल स्वामी) 333

119. समकालीन शिक्षा के संदर्भ में गुरु ग्रन्थ साहिब के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन (डॉ. ऋतु बाला, डॉ. सतपाल स्वामी, परमजीत कौर) 336
120. Swachh Bharat Abhiyan: A Comparative Study towards Cleanliness with Special Reference to Indore and Ujjain (Dr. Sanjay Prasad, Prof. Kuldeep Agnihotri) 339
121. Religion and Fiction (Dr. Rajkumari Sudhir) 342
122. जीएसटी की पृष्ठभूमि एवं क्रियान्वयन (डॉ. पी. डी. ज्ञानानी) 344
123. संगीत एवं विविध ललित कलाओं का संगीत से अंतर्सबंध एवं महामारी में संगीत का महत्व (शाश्वती श्रीवास्तव) ... 347
124. कौशल विकास की कृषि क्षेत्र में महत्ता (डॉ. आर.एस. मण्डलोई) 349
125. Consumer Innovativeness: A Study of Openness of Consumer Towards New Products With Special Reference to Toiletries and Household Consumables Segment of FMCG Sector and Gender in Indore City (Sonam Kulkarni Jaiswal, Pooja Chouksey) 351
126. Comparative Study of Algorithm For Resource Allocation in Cloud Computing (Neelema Rai (Choukse), Anju Dave) 355
127. निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन (नीमच जिलें के संदर्भ में) (मनीष राठौर, डॉ. रविन्द्र कुमार) .. 357
128. विद्यार्थी हित में जिला उपभोक्ता फोरम की भूमिका (डॉ. केशव मणि शर्मा) 359
129. प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण एवं संवर्धन (डॉ. मोहन निमोले, डॉ. प्रमीला बघेल) 362
130. विपश्यना द्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य एवं मनोचिकित्सा (डॉ. कपिलबाला पांचाल) 365
131. A Study on Cyber Crimes and Cyber Laws of India : A Critical View (Dr. Sarita Dehariya Mehra) .. 367
132. शिवमूर्ति के त्रिशूल उपन्यास में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता (निवेदिता लखेरा, डॉ. सरोज गोस्वामी) ... 371
133. 'माटी की मूरतें' रेखाचित्र विधा की सिरमौर रचना (डॉ. डी.पी. चन्द्रवंशी) 373
134. उन्नीसवी सदी में आदिवासी अँचल का बिरसा मुण्डा विद्रोह :एक अध्ययन (डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी) 376
135. 'गोदान' की सामाजिक कुरूपता (डॉ. तृष्णा शुक्ला) 378
136. On the Cylic Group Related to the F –Stricture Equation $\sum_{k=1}^{P} F^k=0$ (Lakhan Singh) 381
137. रहीम दास के काव्य में सामाजिक सौहार्द (डॉ. श्याम पाल मौर्य) 383
138. मानव दुर्व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय संविधान के संदर्भ में-एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (डॉ. प्रमोद कुमार) 385
139. टूटती, बिखरती लोक संस्कृति को बचाने की गहरी छटपटाहट (डॉ. गोरखनाथ) 388
139. Studies on Nutritional Status of Elderly Living in Rural Area of Hathras District (Pushpa Devi, Sanjay Kumar, S. K. Rawat, Kamal kant) 391
140. Threats and Challenges in Biodiversity Conservation in the Perspective of 21st Century (Dr. Jolly Garg, Anant Kumar Garg) 396
141. Building High Immunity Society Through Scientific Blend of Traditions and Environment (Dr. Shubha Goel) 401
142. Environmental Problems and Their Remedies (Dr. Shobha Gupta, Dr. Jolly Garg) 405
143. राजस्थान के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका (भूमिका मेघवाल, डॉ. वन्दना वर्मा) 409
144. अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (डॉ. नीलम कांत) 412
145. Examining the Role of Social and Family Customs in Shaping Food Preferences: A Comparative Study among College Girls in Udaipur City (Rashmi Manoj, Vinita Sharma) 415
146. दलित अवधारणाओं का नया दौर (अर्निका यादव) 418

147. विवाह व परिवार के बदलते प्रतिमान : आधुनिक परिप्रेक्ष्य मे (अनिता टॉक) 422
148. लोकतंत्र का सुदृढ़ आधार-संसदीय प्रणाली (डॉ. मंजु मीणा) 425
149. जायसी कृत पद्मावत : एक सूक्ष्म अवलोकन (डॉ. सुनीता कुमारी) 428
150. Gender Roles and Expectations: Analyzing the Impact of Traditional Gender Norms on Indian Society (Dr. Anjali Jaipal) 431
151. Media Representations and Stereotypes: Critically Assessing Media Portrayals of Various Social Groups in India (Dr. Sandhya Jaipal) 434
152. A Study of Self-Help Groups in Raipur District of Chhattisgarh (Dr. (Smt.) Shobha Agrawal) 437
153. Social Protection for Food in South Asian Countries (Mr. Dharmendra Kumar) 443
154. Healing the Body: Physiological Effects of Meditation (Dr. Mamta) 445

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employbility Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharastra) India
18. Prof. Dr.Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof.,Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anooppur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1.	Prof. Dr. Narendra Shrivastav	-	Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2.	Prof. Dr. Aditya Lunawat	-	Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3.	Prof. Dr. Sanjay Jain	-	O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4.	Prof. Dr S.K. Joshi	-	Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5.	Prof. Dr. J.P.N. Pandey	-	Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6.	Prof. Dr. Sumitra Waskel	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7.	Prof. Dr. P.R. Chandelkar	-	Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8.	Prof. Dr. Mangal Mishra	-	Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9.	Prof. Dr. R.K. Bhatt	-	Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10.	Prof. Dr. Ashok Verma	-	Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11.	Prof. Dr. Rakesh Dhand	-	HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12.	Prof. Dr. Anil Shivani	-	HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13.	Prof. Dr. PadamSingh Patel	-	HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14.	Prof. Dr. Manju Dubey	-	HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15.	Prof. Dr. A.K. Choudhary	-	Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16.	Prof. Dr. T. M. Khan	-	Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17.	Prof. Dr. Pradeep Singh Rao	-	Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18.	Prof. Dr. K.K. Shrivastava	-	Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19.	Prof. Dr. Kanta Alawa	-	Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20.	Prof. Dr. S.C. Jain	-	Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21.	Prof. Dr. Kishan Yadav	-	Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22.	Prof. Dr. B.R. Nalwaya	-	Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23.	Prof. Dr. Purshottam Gautam	-	Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24.	Prof. Dr. Natwarlal Gupta	-	HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25.	Prof. Dr. S.C. Mehta	-	Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26.	Prof. Dr. A. K. Pandey	-	HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Referee Board

Maths - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)

Physics - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)

Computer Science - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)

Chemistry - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College,Ujjain (M.P.)

Botany - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)

Life Science - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
- (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)

Statitics - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)

Military Science - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)

Biology - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)

Geology - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)

Medical Science - (1) Dr.H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)

Microbiology Sci. - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)

***** Commerce *****

Commerece - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor,Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)

***** Management *****

Management - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)

Human Resources - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)

Business Administration - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)

***** Law *****

Law - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
(3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.)

***** Arts *****

Economics - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

Political Science - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)

Philosophy - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)

Sociology - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

Hindi - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)

English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)

Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)

History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)

Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)

Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)

Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)

Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak),Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)

***** Home Science *****

Diet/Nutrition Science - (1) Prof.Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)

Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)

Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)

***** Education *****

Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific EducationCollege, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education,Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)

***** Architecture *****

Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal,School of Architecture,IPS Academy, Indore (M.P.)

***** Physical Education *****

Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)

***** Library Science *****

Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Floristic Analysis of Weed Apecies in Crops Fields of Tribal District Dhar, M.P. India

SL Muwel* SC Mehta**

Abstract - The present work deals with the crop weeds of tribal district Dhar, M.P. India. A field investigation was conducted from 2018-2019 for different crop weeds and was put on records through periodic interviews with farmers and farm laborers. Present study revealed that, the total 136 weed species belonging to 111 genera and 35 families are found in the study area in which dicotyledons have 32 families 103 genera and 101 species are noted respectively where as in monocotyledons have 3 families 8 genera and 35 species are observed. Five dominant family of the area Cyperaceae have 9 species, Leguminosae have 13, Malvaceae have 16, Compositae have 17, and Poaceae have 24 species are recorded. Poaceae is the largest family. 128 herbs and 8 species of climbers are found in the study area.
Key words - Dhar, Malwa plateau, Narmada River, weed, flora.

Introduction - Weeds are obnoxious plants growing in any places where they are not wanted especially in crop fields. Weeds are no strangers to man and judged it to be not used and undesirable at a place and time. They create the problems from the beginning of crop cultivation and become negative value. They are troublesome due to interference with the agricultural practices (Mujawar 2013).Weed reduces crop productivity. Farmers have invested a lot of funds and time to control it so it is necessary to document the obnoxious weed .this type of study is helpful to farmers. Weeds are one of the main production constraints in all crop ecosystems. The common agronomic factors contributing to weed problems in different crops are inadequate land preparation, seed contamination with weed seeds, use of poor quality seeds, broadcast seeding in lowlands, use of overage rice seedlings for transplanting, inadequate water management, inadequate fertilizer management, mono-cropping, labour shortages for weeding operations, delayed herbicide applications and other interventions (Deka and Barua 2015). It is needed of hours that to control obnoxious weed. Weeds are reducing the production of crop, growth rate, quality and yields as well as nutrients and moisture and also produce difficulties to harvest the crop (Sainkhediya & Pachaya 2015).

Study area - Dhar district of Madhya Pradesh, India is located between the latitude of 22º 00 to 23º 10' North and longitude of 74º 28' to 75º 42' East and altitude of 588 m. above sea level. The total area of district is 8153 sq. km. of which forest encompasses 1370 sq. km. covering 15.79 percent of its geographical area. The temperature exhibits a great variation. Summer season temperature ranges 41ºC to 45ºC. Average minimum temperature varies from 22ºC to 32ºC. Most of the area is drained by Narmada, Chambal, Man, Mahi, Karam, Bag, Hathani rivers. Besides these, small seasonal rivers like Khadi, Khuj, Bagedi, Balwanti, Gangi, Chidi, Nalganga flow only during rainy season. Archaean system, Bijawar group, Vindhyan system and Deccan traps of rocks have been found in Dhar. Major part of the district is covered by the Deccan trap locally called Malwa trap. Granite, Mg rocks existing on either side of Narmada area of Archaean age. Dhar District is divided into 13 Tehsils, 472 Panchayats and 1429 Villages. Dhar district Total population is 2184672 according to census 2011.

Methodology - Intensive and extensive plant survey was carried out to find out the weeds flora in Dhar district. Present surveys made in different seasons from 2018-2019. During the study period authors selected 5 important agricultural blocks in Dhar districts i.e. Dhar, Dharampuri, Kukshi, Manawar and Sardarpur. The plant exploration work was carried in different seasons. Two sites were selected in each block for survey of weed flora and Periodic field trips were made twice a month in each site for collection of weed species. All habitats of the study area surveyed carefully and noted their flowering and fruiting time. Plant collection and herbarium preparation was carried out by standard method (Jain and Rao, 1977). Plant specimens were preserved by dipping the whole specimens in saturated solution of Mercuric chloride and alcohol. Dry and preserved plants mounted on herbarium sheets by adhesive glue and fevicols. Identification of plants done with the help of flora (Verma et.al., 1993; Mudgal et al,.1997; Khanna et al., 2001;Shah, 1978; Duthi, 1960; Hains,1921-1924; Cook, 1903; Hooker, 1872-1897) and other taxonomic literature.

*Department of Botany, Govt. PG Bhagatsingh College, Jaora (M.P.) INDIA
** Department of Botany, Govt. PG Bhagatsingh College, Jaora (M.P.) INDIA

The entire plant specimen was deposited in herbarium of Arts & Science College Ratlam (M.P.), India.

Result & discussion - The present work deals with the crop weeds of tribal district Dhar, M.P. India. A field investigation was conducted from 2018-2019 for different crop weeds and was put on records through periodic interviews with farmers. Present study revealed that, the total 136 weed species belonging to 111 genera and 35 families are found in the study area (**Table-1& fig.1**) in which dicotyledons have 32 families 103 genera and 101 species are noted respectively where as in monocotyledons have 3 families 8 genera and 35 species are observed. Five dominant family of the area Cyperaceae have 9 species, Leguminosae have 13, Malvaceae have 16, Compositae have 17, and Poaceae have 24 species are recorded (**Table-2 & fig.2**). Poaceae is the largest family. Number wise distributions of families in the Dhar district of Madhya Pradesh are shown in **Table-3& fig.3.**128 herbs and 8 species of climbers are found in the study area (**Table-4 & fig.4)**.

Conclusion - In conclusions, 136 weed species were recorded in crops fields in tribal district Dhar, M.P. India. Weeds are troublesome due to interference with the agricultural practices. A weed is a plant which interferes with human activity or welfare. Weeds are Harmful to humans, animal and crops. Weeds are affected growth factors. The growth factor competed for include water, nutrients, light, space and air/gasses (oxygen, carbon dioxide).our study provides knowledge to farmers about weed and their Management. Weed Management refers to how weeds are manipulated so that does not interfere with the growth, development and economic yield of crops and animals. It encompasses all aspects of weed control, prevention and modification in the crop habitat that interfere with weed ability to adapt to its environment.

Acknowledgement - Authors are very much thankful to Dr. Sanjay Wate Principal, Arts & Science College Ratlam (M.P.), India for providing research and library facilities. The help and co-operation during plant survey rendered by informants, guide, and local people of Dhar region is highly acknowledged.

References :-

1. Cook T, 1903.Flora of the presidency of Bombay.BSI Publications Calcutta, India.1-3
2. Deka J and Barua IC, 2015. Problem weeds and their management in the North-East Himalayas. Indian Journal of Weed Science 47:3: 296–305,
3. Duthi JF, 1960.Flora of the upper Gangetic plains.BSI Publications Calcutta, India.2
4. Hains HH, 1921-1924.The Botany of Bihar and Orissa.BSI Reprint, Calcutta, India.1-3
5. Hooker JD, 1892-1897.Flora of British India.BSI Publication, Calcutta, India.1-7.
6. Jain SK and Rao RR, 1976. A Handbook of Herbarium method. Today and tomorrow publ. New Dehli.
7. Khanna KK, Kumar A, Dixit RD and Singh NP, 2001. Supplementary flora of Madhya Pradesh. BSI Publications, Calcutta, India.
8. Mudgal V,Khanna KK and Hajara P K, 1997. Flora of Madh-aya Pradesh.2.
9. Mujawar,I. 2013. Ethnobotanical bioresources of crop weeds from Walwa in Sangli district (M.S.), India. Journal of Research in Plant Sciences. 2:1: 160-166
10. Sainkhediya J. & Pachaya J. 2015. A preliminary survey of weed flora in maize (zea mays L.) Fields of Alirajpur district, Madhya Pradesh, India. Research journal of multiple disciplines 1: 3. 9-18.
11. Shah GL, 1978.Flora of Gujarat state. University press, S. P. University, Vallabh Vidhyanagar, Gujarat, India.1-2.
12. Verma DM, Balakrishnan, NP and Dixit RD, 1993. Flora of Madhya Pradesh. BSI Publication, Calcutta, India1.

Table-1: Floristic analysis of weed species in tribal district Dhar, M.P. India

PLANT GROUP	FAMILY	GENERA	SPECIES
Dicotyledons	32	103	101
Monocotyledons	03	8	35
Total	35	111	136

Table-2: Five dominant family of the area

S.	Family	No. of species
1.	Cyperaceae	9
2.	Leguminosae	13
3.	Malvaceae	16
4.	Compositae	17
5.	Poaceae	24

Table-3: Number wise distribution of families in the Dhar district of Madhya Pradesh

	Dicotyledons					Monocotyledons		
S.	**Families**	**No. of species**	**S.**	**Families**	**No. of species**	**S.**	**Families**	**No. of species**
1	Menispermaceae	1	**17**	Convolvulaceae	5	**1**	Commelinaceae	2
2	Papaveraceae	1	**18**	Solanaceae	2	**2**	Cyperaceae	9
3	Cleomaceae	2	**19**	Plantaginaceae	1	**3**	Poaceae	24
4	Polygalaceae	1	**20**	Orobanchaceae	1			
5	Portulacaceae	2	**21**	Scrophulariaceae	1			
6	Malvaceae	16	**22**	Lentibulariaceae	1			
7	Linaceae	1	**23**	Gesneriaceae	1			
8	Zygophyllaceae	1	**24**	Martyniaceae	1			
9	Oxalidaceae	3	**25**	Acanthaceae	4			
10	Leguminosae	14	**26**	Verbenaceae	1			
11	Onagraceae	1	**27**	Lamiaceae	3			
12	Cucurbitaceae	3	**28**	Nyctaginaceae	1			
13	Apiaceae	1	**29**	Amaranthaceae	5			
14	Compositae	17	**30**	Polygonaceae	1			
15	Primulaceae	1	**31**	Euphorbiaceae	4			
16	Gentianaceae	3	**32**	Phyllanthaceae	1			
	Total-	**68**		**Total-**	**33**	**Total- 35**		
	Grand total	**101 +35 =136**						

Fig.1: Floristic analysis of weed species

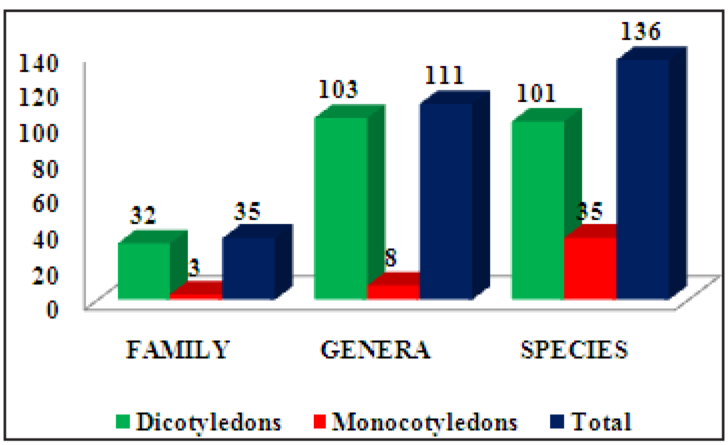

Fig.-2: Five dominant family of the area

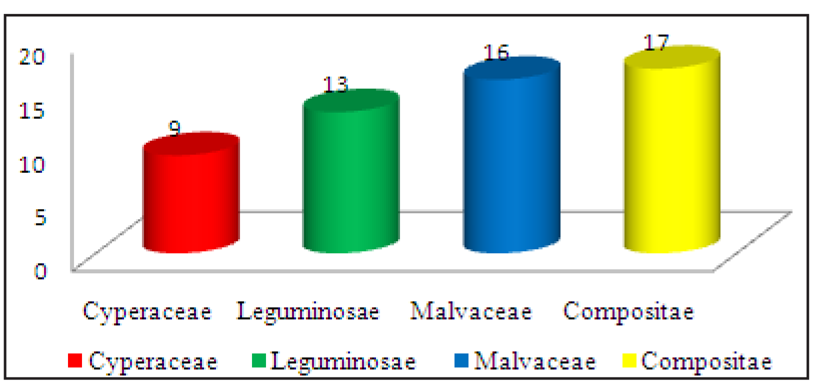

Fig.-3: families wise distribution of species in the Dhar district

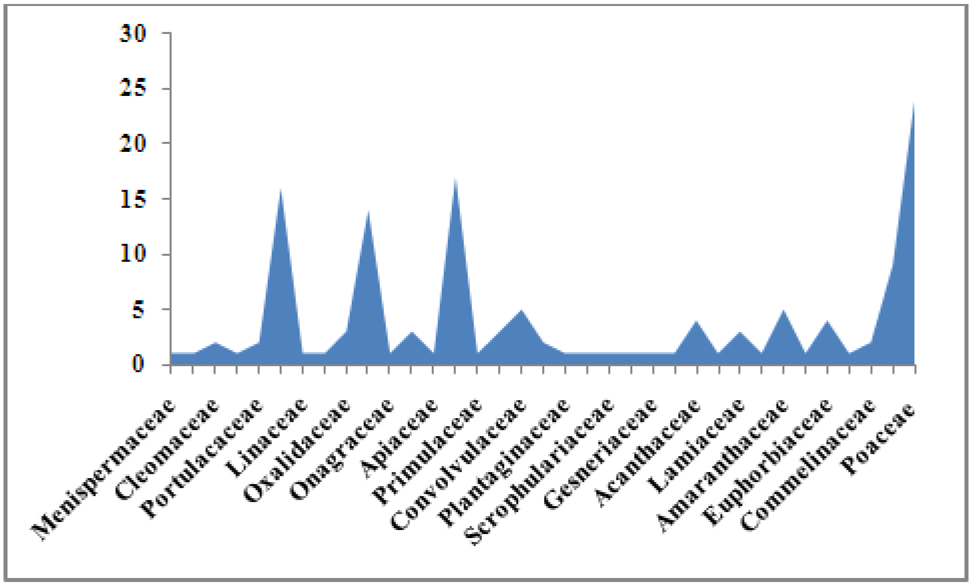

Fig.-4: weed species ratio in the Dhar district

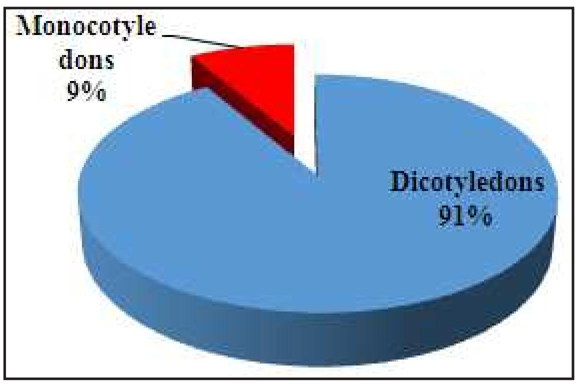

Table-4: List of weed flora in crops in Dhar region of M.P., India

S.	Families	Genera	Species	Habit
1.	Menispermaceae	Cocculus	Cocculus hirsutus (L.) Theob.	C
2.	Papaveraceae	Argemone	Argemone Mexicana L.	H
3.	Cleomaceae	Cleome	Cleome gynandra L.	H
4.			Cleome viscosa L.	H
5.	Polygalaceae	Polygala	Polygala arvensis Willd.	H
6.	Portulacaceae	Portulaca	Portulaca oleraceae L.	H
7.			Portulaca quadrifida L.	H
8.	Malvaceae	Abelmoschus	Abelmoschus ficulneus (L.) Wight & Arn.	H
9.		Abutilon	Abutilon indicum (L.) Sweet	H
10.		Corchorus	Corchorus fascicularis Lam.	H
11.			Corchorus trilocularis L.	H
12.		Hibiscus	Hibiscus caesius Garcke	H
13.			Hibiscus lobatus (Murray) Kuntze	H
14.		Malachra.	Malachra capitata (L.) L.	H
15.		Malvastrum	Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke	H
16.		Melochia	Melochia corchorifolia L.	H
17.		Sida	Sida acuta Burm. F.	H
18.			Sida cordata (Burm.f.) Borss.Waalk.	H
19.			Sida cordifolia L.	H
20.			Sida rhombifolia L	H

21.		Triumfetta	Triumfetta malebarica J.Koenig ex Rottb.	H
22.		Urena	Urena lobata L.	H
23.		Waltheria	Waltheria indica L.	H
24.	Linaceae	Linum	Linum mysorense B.Heyne ex Wall.	H
25.	Zygophyllaceae	Tribulus	Tribulus terrestris L.	H
26.	Oxalidaceae	Biophytum	Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch.	H
27.			Biophytum sensitivum (L.) DC.	H
28.		Oxalis	Oxalis corniculata L.	H
29.	Leguminosae	Alysicarpus	Alysicarpus monilifer (L.) DC	H
30.			Alysicarpus pubescens J.S.Law	H
31.		Cajanus	Cajanus platycarpus (Benth.) Maesen	H
32.		Clitoria	Clitoria annua Graham	H
33.			Clitoria ternatea L.	C
34.		Crotalaria	Crotalaria prostrata Willd.	H
35.			Crotalaria pusilla DC.	H
36.		Desmodium	Desmodium dichotomum (Willd.) DC.	H
37.			Desmodium triflorum (L.) DC.	H
38.		Galactia	Galactia longifolia (Jacq.) Benth	H
39.		Rhynchosia	Rhynchosia bracteata Baker	H
40.			Rhynchosia minima (L.) DC.	C
41.		Senna	Senna tora (L.) Roxb.	H
42.		Tephrosia	Tephrosia pumila (Lam.) Pers.	H
43.	Onagraceae	Ludwigia	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven	H
44.	Cucurbitaceae	Citrullus	Citrullus colocynthis (L.) Schrad.	H
45.		Diplocyclos	Diplocyclos palmatus (L.) C.Jeffrey	C
46.		Luffa	Luffa tuberosa Roxb.	C
47.	Apiaceae	Centella.	Centella asiatica (L.) Urb.	H
48.	Compositae	Acanthospermum	Acanthospermum hispidum DC.	H
49.		Ageratum	Ageratum conyzoides (L.) L.	H
50.		Bidens	Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff	H
51.		Blumea	Blumea lacera (Burm.f.) DC	H
52.			Blumea oxyodonta DC.	H
53.		Caesulia	Caesulia axillaris Roxb.	H
54.		Conyza	Conyza japonica (Thunb.) Less. ex Less.	H
55.		Eclipta	Eclipta prostrata (L.) L.	H
56.		Elephantopus	Elephantopus scaber L.	H
57.		Emilia	Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC.	H
58.		Lagascea	Lagascea mollis Cav.	H
59.		Parthenium	Parthenium hysterophorus L.	H
60.		Pulicaria.	Pulicaria angustifolia DC.	H
61.		Pulicaria	Pulicaria crispa Sch.Bip.	H
62.		Sonchus	Sonchus asper (L.) Hill	H
63.		Tridax.	Tridax procumbens (L.) L.	H
64.		Xanthium	Xanthium strumarium L.	H
65.	Primulaceae	Anagallis	Anagallis arvensis L.	H
66.	Gentianaceae	Canscora	Canscora diffusa (Vahl) R.Br. ex Roem.	H
67.		Enicostema	Enicostema axillare (Poir. ex Lam.) Ray.	H
68.		Exacum	Exacum pedunculatum L.	H
69.	Convolvulaceae	Convolvulus	Convolvulus prostratus Forssk.	H
70.		Evolvulus	Evolvulus alsinoides (L.) L.	H
71.		Ipomoea	Ipomoea hederifolia L.	C
72.			Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl.	C
73.			Ipomoea pes-tigridis L.	C
74.	Solanaceae	Physalis	Physalis minima L.	H
75.		Solanum	Solanum americanum Mill.	H
76.	Plantaginaceae	Stemodia	Stemodia viscosa Roxb.	H

77.	Orobanchaceae	Striga	Striga gesnerioides (Willd.) Vatke	H
78.	Scrophulariaceae	Verbascum	Verbascum chinense (L.) Santapau	H
79.	Lentibulariaceae	Utricularia	Utricularia aurea Lour.	H
80.	Gesneriaceae	Didymocarpus	Didymocarpus pygmaeus C.B.Clarke	H
81.	Martyniaceae	Martynia	Martynia annua L.	H
82.	Acanthaceae	Andrographis	Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees	H
83.		Hemigraphis	Hemigraphis hirta (Vahl.) Anderson	H
84.		Lepidagathis	Lepidagathis cristata Willd.	H
85.		Rungia	Rungia repens (L.) Nees	H
86.	Verbenaceae	Phyla	Phyla nodiflora (L.) Greene	H
87.	Lamiaceae	Hyptis	Hyptis suaveolens (L.) Poit.	H
88.		Leucas	Leucas aspera (Willd.) Link	H
89.		Ocimum	Ocimum basilicum L.	H
90.	Nyctaginaceae	Boerhavia	Boerhavia diffusa L.	H
91.	Amaranthaceae	Achyranthes	Achyranthes aspera L.	H
92.		Amaranthus	Amaranthus tricolor L.	H
93.			Amaranthus viridis L.	H
94.		Celosia	Celosia argentea L.	H
95.		Chenopodium	Chenopodium murale L.	H
96.	Polygonaceae	Persicaria	Persicaria barbata (L.) H.Hara	H
97.	Euphorbiaceae	Acalypha	Acalypha indica L.	H
98.		Euphorbia	Euphorbia chamaesyce L.	H
99.			Euphorbia hirta L.	H
100.			Euphorbia thymifolia L.	H
101.	Phyllanthaceae	Phyllanthus	Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn.	H
102.	Commelinaceae	Commelina	Commelina benghalensis L.	H
103.			Commelina forsskalii Vahl	H
104.	Cyperaceae	Cyperus	Cyperus alulatus Kern	H
105.			Cyperus dubius Rottb.	H
106.			Cyperus esculentus L.	H
107.			Cyperus exaltatus Retz.	H
108.			Cyperus haspan L.	H
109.			Cyperus iria L	H
110.			Cyperus laevigatus L.	H
111.		Eleocharis	Eleocharis dulcis (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	H
112.		Pycreus	Pycreus pumilus (L.) Nees.	H
113.	Poaceae	Apluda	Apluda mutica L.	H
114.		Aristida	Aristida adscensionis L.	H
115.		*Avena*	*Avena sterilis L.*	H
116.		Brachiaria	Brachiaria reptans (L.) Gardner & Hubb.	H
117.		Cymbopogon	Cymbopogon martini (Roxb.) W.Watson	H
118.		Cynodon .	Cynodon barberi Rang. & Tadul.	H
119.			Cynodon dactylon (L.) Pers.	H
120.		Dactyloctenium	Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.	H
121.		Digitaria	Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler	H
122.		Echinochloa	Echinochloa colona (L.) Link	H
123.		Eragrostis	Eragrostis ciliaris (L.) R.Br.	H
124.		Heteropogon	Heteropogon contortus (L.) Beauv. ex Roem. & Schult.	H
125.		Isachne	Isachne globosa (Thunb.) Kuntze	H
126.		Ischaemum	Ischaemum rugosum Salisb.	H
127.		Lophopogon	Lophopogon tridentatus (Roxb.) Hack.	H
128.		Oplismenus	Oplismenus burmanni (Retz.) Beauv	H
129.		Panicum	Panicum humile Steud.	H
130.		Paspalidium	Paspalidium geminatum (Forssk.) Stapf	H
131.		Phalaris	Phalaris minor Retz.	H
132.		Setaria	Setaria intermedia Roem. & Schult.	H

133.		Sporobolus	Sporobolus capillaris Miq.	H
134.		Thelepogon	Thelepogon elegans Roth	H
135.		Themeda	Themeda laxa (Andersson) A.Camus	H
136.		Tripogon	Tripogon jacquemontii Stapf	H

****

Trends in Indian Food Processing Industry: Issues, Challenges and Ways Forward

Dr. Kiran Kumar P*

Abstract - Food processing industry will need to play a central role in driving improvements in the country's nutrition situation because it is the first organized linkage between the farm and shelf. The significance of food industries lies in the fact that they create employment opportunities, mobilize investible resources from rural sector, promote agricultural production, make use of local resources, add value to the farm products, improve quality achieve efficient marketing, combat rural-urban migration and promote industrialization in an agricultural economy. The paper attempts to bring out development of India in food processing sector. The main objective is to analyze the contribution of food processing sector to the country's gross domestic product and the flow of foreign direct investments in the food processing industry. In the end, the paper suggests some policy measures to enhance the global competiveness of Indian food industry, to facilitate exports and to increase the inflows of FDI to develop India as a food processing hub and link it to the global production network.

Keywords - Economic Development, FDI, Food Processing Industry.

Introduction - After independence, India witnessed rapid growth in food processing sector specifically during 1980s. It followed the first phase of the Green Revolution that had resulted in increased agricultural production and the need for its post-harvest management. Today, Food processing industry is widely recognized as a "Sunrise Industry" in India having huge potential for uplifting agricultural economy, cultivation of large scale processed food manufacturing and food chain facilities, and the resultant generation of employment and export earnings. Food Processing Industry is of enormous significance for India's development because of the vital linkages and synergies that it promotes between the two pillars of the economy, namely Industry and agriculture. Agricultural farm produce is the contributor to this sector while processing for value addition is enabled by the technology applied in a typical manufacturing setup. Few traditions have carried it forward and passed it on to generations spurning growth in small scale enterprises. With the advent of industrialization there emerged important implications for food processing technologies. The increasing demand of processed food in urban as well as rural areas encouraged the establishment of processing plants. Food processing is where business meets agriculture. Agro processing being a crucial linkage between the large unorganized agriculture on the one hand and the formal industrial sector on the other hand can be seen as a way to integrate farming with processing to enhance farm incomes (Ghosh.et.al, 2013). A strong and dynamic food processing sector plays an important role in diversification of agricultural activities, improving value addition opportunities and creating surplus for export of agro-food products (Merchant, 2008). Among various agro industries, food processing industries are more material incentive, and thus, possess a greater potential to revitalize agricultural growth by strengthening forward and backward linkages with farmers, and speed up the process of commercialization and diversification of agricultural production (Sarkar and Karan, 2005). Demand growth for processed food has been rising with growing disposable income, urbanization, a young population and rise in the number of nuclear families. Domestic food spending is expected to increase from US$ 181 billion in 2009 to US$ 318 billion in 2020 (http://www.ibef.org). The packaged food segment is expected to grow 9 per cent annually to become a Rs 6 lakh crore (US$ 100.19 billion) industry by 2030, dominated by milk, sweet and savoury snacks and processed poultry, among other products, according to the report "India as an agriculture and high value food powerhouse by 2030" by CII-McKinsey. The food processing industries in India attracted foreign direct investments (FDI) worth US$ 1,811.06 million during April 2000 to March 2013, according to the latest data published by Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP). This growth of the Food Processing Industry will bring immense benefits to the economy, raising agricultural yields, meeting productivity, creating employment and raising the standard of very large number of people throughout the country, specially, in the rural areas.

Objectives Of The Study And Data Base - On the basis of the reviews, it has become imperative to analyze the

***Assistant Professor (Economics) Rani Channamma University, N.H-04, Belagavi (Karnataka) INDIA**

condition of food processing industries towards the developmental path. The present study has been undertaken in the context of these following objectives;

1. To study the various major segments involved in food processing industries;
2. To examine the contribution of food processing sector to the country's gross domestic product;
3. To study the foreign direct investment inflow in food processing sector;
4. To examine the growth drivers in the food processing sector and also to study the share of various states in employment generation;
5. To analyze the skilling opportunities in the sector and to recommend the policy measures to strengthen this sector

This paper is mainly based on the secondary data available on food processing sector. The other data sources are from National Sample Survey of Industries (NSSO), Annual Survey of Industries (ASI) reports, Ministry of Food Processing Industry (MOFPI) strategic plan and others. The data regarding the Foreign Direct Investment (FDI) in food processing sector has been taken from Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce. The data of exports of processed and food items have been taken from DGIC&S, Kolkata, Ministry of Commerce and Industry.

Box 1 (see in last page)

Contribution of Food Processing Industries in the growth of GDP - The Indian food processing industry is of great economic significance for the development of Indian economy because it creates vital linkages between the agriculture and the industry. Domestically, the spending on food and food products amounts to nearly 21% of the Gross Domestic Product (GDP) of the country and constitutes the largest portion of the Indian consumer spending more than a 31% share of wallet. The Agriculture sector has 26% contribution towards the GDP of our country. Adding value to the farm products and other material ingredients is the way in which the food processing industries contribute to state and national economies. Following table clearly shows the contribution of food processing industry to the GDP of India.

Table 1 (see in last page)

From table 1 clearly shows the increasing growth of food processing sector and its contribution to the GDP of India. The GDP at factor cost of agriculture, manufacturing and Food Processing Industries consistently increased in all years from 2004-05 to 2011-12. However, the growth of FPI in GDP varied from 9.4 percent in 2006-07 to -2.7 percent in 2009-10 but then again rose to 14.9 per cent and 15.7 percent in year 2010-11 and 2011-12 respectively. Table 2 indicates the food industries related to agricultural produce have added great value to the national wealth. In India, the level of processing is the highest in the Dairy sector (35 %) i.e. 13% in the organized and 22% in the unorganized sector, followed by meat processing sector (21%), Marine Fisheries (10.7%) and Poultry (6%).

Table 2 (see in last page)

Growth of FDI in Food Processing Industry in India - The government has considerably relaxed restrictions on the flow of investment and technology coming from within and outside the country in an endeavour to increase the incomes of farmers, create employment opportunities and promote faster rural industrialization. The Indian food processing industry is becoming an attractive FDI destination and there has also been a growth in the inflow of foreign direct investments flowing into the food processing industry (Rastogi and Sawhney, 2013). But only the few sectors of India could attract more investment while the many other sectors were lagging behind for attracting foreign investment. However, the food processing sector is one, which has attracted the FDI. The initiation of economic reforms in mid-1991, aimed at improving the economic situation of the country, have resulted in progressive reduction in barriers to capital flows and increase in international trade, spread of market based economies in key sectors specially in food processing sector and the exciting possibilities of beneficial change brought by transformative technologies, which have opened up many opportunities to entrepreneurs and accelerated the process of wealth creation (Desai, 2003).

Table 3 (see in last page)

The impact of FDI on food processing industry is very important for a country like India. Table 3 indicates the inflow of Foreign Direct Investment in food processing sector. The inflow of FDI has significantly increased from 198.13 (Rs. Crore) in 2000-2001 to 25, 106, 78 (Rs. Crore) in 2013-2014. However, the share of FPI in total FDI varies in certain years i.e. 0.88 percent in 2010-2011 to 0.48 per cent in 2011-2012 to 1.79 per cent in 2012-2013. This share has increased to 16.39 per cent in the recent 2013-2014 year period. This surely indicates that the government is trying to develop the country as a food processing hub, which is likely to boost the Indian food processing sector because FDI is the major instrument which serves as a link between investment and saving and ensures the catalyst for the development of the economy particularly a country like India.

Growth Drivers In The Food Processing Sector

Growth in Organized Retail - Food retail is expected to grow well due to low penetration of organised retail and the potential market thereof. With the rising competition between private retail players, strict quality norms and operating standards are implemented by the retailers to attract consumers. There is a considerable focus of retailers on processed food rather than fresh food. This may help the sector, which is currently a fresh produce/primary processing dominated sector, to evolve into a value-added secondary processing dominated sector.

Changing Consumer Preferences - India has one of the largest consumer bases in the world with a young population, increasing income and more time-starved consumers. Additionally, growing consciousness on health and nutrition among domestic consumers has led to strict control over ingredients and the manufacturing process.

There are growing global concerns over issues, such as food quality and sustainability, are leading to increased efforts in areas, such as operations and traceability.

Favourable Government Policies - Direct support in the form of financial assistance for technology upgrade and setting up/modernisation/expansion of food processing industries is being encouraged. Increased alignment with international quality standards, especially for export-related units (in sub-sectors such as meat and marine products, and grain and oilseed) is being encouraged. 100 percent FDI under the automatic route (except for alcohol, beer, and sectors reserved for small scale industries) is now permitted and this has spurred investment in India.

Supply of Raw Materials - India ranks number one in the production of milk, bananas, guavas, mangoes, buffalo meat and cashew nuts. It ranks second in the world in the production of rice, wheat, groundnuts, onions, peas, and sugarcane. We have a climate that is suitable for year-round supply of agricultural products. Low labour costs are also a key factor to consider while establishing production base in the country. India's comparatively cheaper workforce can be effectively utilised to set up large low-cost production bases for domestic and export markets.

Export of Processed Food from India - The demand of the Indian processed food products are increasing in the international market. Indian exporters are interested to increase their export share in the developed country market. India can become one of the leading exporters of the processed food products among developing countries and thus can increase its export share in the international trade (Kachru, 2010). The Government has identified processed foods including fruits, fresh juices and vegetables as one of the thrust sectors for special export efforts.

Table 4 (see in last page)

Table 4 indicates the total exports from FPI sector from the period 2006-07 to 2012-13. The exports of principal commodities such as marine products, sugar has shown a significant rise in the last decade. But, the overall exports by FPI has risen from Rs.10,832 (US $ Million) in year 2006-07 to Rs.36, 057 (US $ Million) in year 2012-13. Also the percentage share of FPI sector has also increased from 9.6 percent in 2006-07 to 12.0 per cent in year 2012-13.Thus, Indian food market provides a big market for their products which shows that this sector has a large potential for exportable commodities. The value of the exports in the sector has been showing an increasing trend. Major markets for Indian processed food products have been USA, UK, Germany, Japan, Belgium, and the Gulf countries, Egypt, China, Indonesia and Sri Lanka.

Empoyment Generation Capacity - As stated earlier, food processing industry employs 13 million people directly and 35 million people indirectly, and the kind of growth industry is having it is expected that it will create job opportunities for large part of workforce. The food processing sector is highly unorganized, 82 per cent of the workforce employed in food processing industry is in unorganized sector. As for unorganized sector, the maximum working population is in DME (Directory Manufacturing Establishment). The higher proportion in DME can be attributed to the fact that they are large industries and hire more people. The another striking feature which comes out is that in rural areas OAME (Own account manufacturing enterprises) sector is much bigger than the NDME (Non-directory manufacturing establishment) sector in employment generation, i.e. more people go for their own enterprises in rural areas, and in urban areas the OAME sector is almost negligible. In division of employment state-wise it came out that Andhra Pradesh has the biggest share of persons employed in food processing industry, as Andhra Pradesh is the biggest center of food processing sector in India (Table 5).

Table 5: Share of Various States in Employment Generation from FPI

Name of the State	Share of Employment (in Per cent)
Andhra Pradesh	14.1
Assam	4.7
Gujrat	5.9
Haryana	3.3
Karnataka	6
Kerala	11.9
Madhya Pradesh	2.3
Maharashtra	7.8
Punjab	7.7
Tamil Nadu	11.2
Uttar Prsdesh	12.0
West Bengal	4.8
Others	8.3

Skilling Opportunities In The Sector :

1. By 2022, the food processing industry is expected to generate about 44.34 lakh new jobs. Several skill gaps exist in various stages of the food processing value chain that need to be addressed. This includes the food processing sector as well as ancillary industries, such as bottling and packaging.
2. The growing quality consciousness by the consumers requires the workforce to be skilled in basic hygiene and sanitary practices. Processing units are also adopting mechanisation and technology. There is a growing need to impart technical skills to more specialist personnel who are capable of working on imported machines in specific sub-segments.
3. Focus also needs to be on the front-end staff for developing customer relationship management skills, which are integral to maintaining healthy relationship with institutional players, such as hotels, restaurants and retailers.
4. Farm procurement is an important area for processing units and need to streamline their raw materials' supply for the rising demand. At a farm level, the growers are poorly equipped and lack awareness of implementing the best practices for growing. This is where the need for procurement staff to be proactively engaged in crop/ production advisory is missing.
5. The employment growth rate in registered units has slowed down after FY07 due to substantial economic

slowdown.

6. It is the seventh largest country, with extensive administrative structure independent judiciary, a sound financial and infrastructural network and above all a stable and thriving democracy.

7. Due to its diverse agro-climatic conditions, it has a wide-ranging and large raw material base suitable of food processing industries. Presently a very small percentage of these are processed into value added products.

8. Rapid urbanization, increased literacy and rising per capita income, have all caused rapid growth and changes in demand patterns, leading to tremendous new opportunities for exploiting the large latent market. An average Indian spends about 50 per cent of household expenditure on food items. India's comparatively cheaper workforce can be effectively utilized to setup large low cost production bases for domestic and export markets.

Concerns and Challenges - The inadequate support infrastructure, which is the biggest bottleneck in expanding the food processing sector, in terms of both investment and exports includes long and fragmented supply chain, inadequate cold storage and warehousing facilities, road, rail and port infrastructure. Also, the lack of modern logistics infrastructure, such as logistics parks, integrated cold-chain solutions, last mile connectivity, technology adoption are some of the lacunae that exist in supply chain and logistics sector in India. Commercial R&D activities in the food industry have remained confined to only a few areas. Awareness and mechanism to relay information to farmers is very low in the country. Effective use of farm input, such as high yielding seeds, efficient use of fertilizers and pesticides and crop advisory are some areas that can enable more produce. The problem of low productivity is compounded by poor quality of food produce, lack of grading and sorting, limited marketing infrastructure and research and development facilities. New technologies, innovative business models, government incentives, contract farming initiatives and collaborative efforts by public and private players is expected to help in addressing these challenges and stir the growth of this sector. Lack of technical skills was the most frequent skill deficit found with the employers. Food Safety Laws & Inconsistency in State and Central policies. The food sector in India is governed by a number of different statutes rather than a single comprehensive enactment. This incremental approach has lead to incoherence and inconsistency in the food sector regulatory scenario.

Conclusion and Policy Implications - The growing industrial sector is crucial to greater economic development and particularly in an emerging country like India, where growth with equity is a primary policy thrust; the optimum development of food processing sector will contribute significantly in tackling several developmental concerns by serving as a bridge between agriculture and industry. This sector has synergized the development process and promoted the growth of the nation to a great extent. By a favorable policy environment and demand push impact of a young consuming class with growing disposable incomes, India offers significant investment opportunities in the food business sector and thus has become an attractive destination for investments by the foreign investors. The challenges for the food processing sector are diverse and demanding, and need to be addressed on several fronts to derive maximum market benefits. This sector also has a large potential for exportable commodities. The Indian food industry presents a very large opportunity to every stakeholder. This is primarily driven by a robust consumer demand, the changing nature of the Indian consumer, who is more informed and willing to try new products; and the strong production base of the country. Needless to add, the several gaps in the current production and delivery systems actually present a huge opportunity for the growth of companies willing to bet long term in this sector. However, the growth of food processing companies has been sub-optimal because of high cost, low level of productivity, high wastage and lack of competitiveness of Indian food products in the global market. Therefore, to fully leverage the growth potential of the sector, current challenges that are being faced by the industry need to be properly addressed and steps need to be taken to remove the bottlenecks hampering the pectoral growth.

References :-

1. Asha (2013), "Emerging sectors of Indian Economy", *Global Journal of Management and Business Studies*, Vol. 3, No: 5, pp. 491-196.
2. Baisya, R. K. (2004), "Changing Face of Processed Food Industry in India Recent Acquisitions in Indian Food Industry", *Processed Food Industry, February*.
3. Behera, S.R. (2009), "FDI and Export competitiveness: An Analysis of Food Processing Industry of India", *AIUB Journal of Business and Economics (AJBE)*, Vol. 8, No. 2, pp.: 1-22.
4. Desai, Vasant (2003), "Small scale Industry and Entrepreneurship", Himalaya Publishing House, New Delhi.
5. FICCI (2007), "A report on Processed Food and Agribusiness: Opportunities for investment in India", Mumbai, India.
6. Ghosh, N., Bhandari, B.S. and Sharma, S. (2013), "The extent of Agricultural Products: Towards Creating a Statistical database in India", *The Journal of Industrial Statistics*, Vol. 2, No. I, pp.: 24-36.
7. Gola. K. L., Dharwal. M., Agarwal. A. (2013), "Role of Foreign Direct Investment in the development of Indian economy", GYAN PRATHA-ACCMAN *Journal of Management,* Vol. 5, Issue 1.
8. Gopinath, M. (2000), "Foreign Direct Investment in Food and Agricultural Sectors, (available at http://oregonstate.edu/dept/IIFET/2000/pap ers/ gopinath .pdf).
9. Government of India, Ministry of Food Processing Industries (2011), "Strategic Plans for Food Processing Industry in India".
10. Kachru, R.P. (2006), "Agro-processing Industries in India Growth, Status and prospects", Indian Council of

Agriculture Research, New Delhi.
11. Kalia, M. (2003), "WTO – A Bane or Boom for India", Processed *Food Industry*.
12. Merchant A (2008), "India-Food Processing Industry", OSEC Business Network, New Delhi, India.
13. Ministry of Food Processing Industries (2012), "Data Bank on Economic Parameters of the Food Processing Sector", New Delhi. http://mofpi.nic.in/images/File/Databank_SectoralDatabas eFPIs_140212.pdf.
14. Puri, R. and Tajinder (1987), "Nutritive value and consumption pattern of some processed foods", *Indian Food Packer*, Vol. 43, No. 5, pp. 49-53.
15. Rastogi. R and Sawhney. A (2013), "What attracts FDI in Indian Manufacturing Industries?" Discussion Paper 13-02, July, Centre for International Trade and Development, School of International Studies, JNU, India.
16. Ravi, C and D Roy (2006), "Consumption pattern and food demand projections: A regional analysis", Paper presented at the workshop 'From Plate to Plough: Agricultural diversification and its implications for smallholders, International Food Policy Research Institute, Washington DC and Institute of Economic Growth New Delhi, September 20-21.
17. Saravan, S. and Mohansundaram, V. (2013), "An Analysis of FDI in Indian Food Processing Industry", *Indian Journal of Applied Research*, Vol. 3, Issue 3, March, pp. 80-81.
18. Sarkar, S. and A. K. Karan (2005), "Status and Potentials of village agro-processing units/industries", Occasional paper 37, National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.
19. Murthy K.S. and D. Himachalam. (May 2011) "Problems of Fruit Processing Industry in Andhra
20. Pradesh – A Case Study of Select Units in Chittoor District". International Journal of Research in Commerce & Management, Volume 2, Issue No. 5.
21. Bhuyan, A (2010) "India's Food industry on the Path of High Growth" Indo-Asian News Service.
22. IBEF (September 2011). "Food Industry" http://www.ibef.org/industry/foodindustry.aspx. Ministry of Food Processing Industries (MoFPI), Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, Media reports, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Union Budget 2013-14, Press Information Bureau (PIB)

Box 1: The Major Segments Included in the Food Processing Sector

Sub-sector	Description	Outlook
Fruits and vegetables	This includes fresh fruits and vegetables, dry fruits, processed and preserved fruits and vegetables (jams, jelly, pickle, sauce, food, paste, juice, concentrates, potato flour, canned fruit and vegetables).	Largely dominated by un-organized players, the industry has, over the years, witnessed rapid growth in ready-to eat foods, frozen vegetables and processed mushrooms. The key challenge is the unavailability of infrastructure to store the produce.
Milk and milk products	This includes pasteurised milk, milk powder, ice cream powder, condensed milk, infant foods, cream, butter, cheese, ghee, ice cream and other dairy products.	Growth in value-added dairy products is likely to increase rapidly. There has been a marked shift towards packaged milk particularly in urban areas. Packaged milk segment in India is projected to grow from INR 46560 crores to INR197400 crores by 2030, registering an annual growth of 8 percent.
Meat and marine products	Meat products include slaughtered, processed, preserved and canned mutton, beef, pork, poultry and others. Marine products segment includes sundried, artificially dehydrated, radiation preserved, processed, preserved and canned fish.	Dietary habits of people across the globe are changing fast and India with 25 percent of cattle population is gearing up to cater to the market. Indian seafood processing units are being encouraged to pursue value addition and export by the establishment of new units, capacity expansion and diversification of current activities.
Grain and oilseed	This includes milling of flour, rice, pulses, grain and other grains. It also includes processing and manufacturing of cereals, flour mixes and dough and other readymade powders (idli, dosa and gulab jamun).	India will continue to be one of the largest producer of cereals with more than 200 million tonnes of production annually.
Packaged foods	This includes spices, snacks and savouries, ready-to-eat and ready-to-cook meals, beverages, chocolate and non-chocolate-based confectionery, biscuits and bakery items.	Packaged foods market is largely organized and has been witnessing strong growth across categories. Potato chips and potato-based products constitute about 85 percent share of the Indian snack market.
Beverages	This includes distilled alcoholic beverages, wines, beer, soft drinks, mineral water and other non-alcoholic beverages.	Consumption of non-alcoholic beverages in India is expected to increase by 16.5–19 percent over the next three years. Sales of alcoholic drinks are forecast to increase by CAGR of 8 percent by volume in 2012–17 period.

Source: DGIC&S, Kolkata, Ministry of Commerce and Industry.

Table 1: Contribution of FPI to GDP at 2004-05 prices (Rs in Crores)

GDP(Overall, Agri, Manf, FPI)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
GDP at factor cost	32,53,073	35,64,364	38,96,636	41,58,676	45,16,071	49,37,006	52,43,582
GDP Agriculture	5,31,745	5,54,395	5,89,383	5,88,757	5,92,110	6,43,111	6,67,446
GDP manufacturing	4,99,021	5,70,458	6,29,073	6,56,302	7,30,435	8,01,477	8,23,023
GDP-FPI	47,689	52,161	57,320	60,378	58,752	67,508	78,094
GDP Industry	9,53,872	11,40,197	13,30,270	15,00,254	16,95,796	20,03,304	22,33,183
Growth (%)							
GDP at factor cost	9.5	9.6	9.3	6.7	8.6	9.3	6.2
GDP Agriculture	5.5	4.3	6.3	-0.1	0.6	8.6	3.8
GDP manufacturing	10.1	14.3	10.3	4.3	11.3	9.7	2.7
GDP-FPI	7.5	9.4	9.9	5.3	-2.7	14.9	15.7

Source: National Accounts Statistics, 2013

Table 2: Food Processing in Organised and Un-organised Sector (Percent)

Category	Processing in Organised sector	Processing in Un-organised sector	Total Processing
Fruits and vegetables	1.20	0.50	1.70
Dairy Products	13	22	35
Meat	21	—	21
Poultry	6	—	6
Marine Products	1.7	9	10.7
Shrimps	0.4	1	1.4

Source: Report of the Task Force on Department on Cold Chain in India, Dept of Agriculture and Co-operation

Table 3: Flow of FDI in the Food Processing Industries

Year	FDI in FPI		Total FDI		Share of FPI in Total
	FDI(Crores)	FDI(US $ Millions)	FDI(Crores)	FDI(US $ Millions)	FDI(US $ Million)
2000-01	198.13	45.75	10,733	2,463	1.86
2001-02	1,036.12	219.39	18,654	4,065	5.40
2002-03	176.53	36.88	12,871	2,705	1.36
2003-04	502.39	109.22	10,064	2,188	4.99
2004-05	201.32	43.98	14,653	3,219	1.37
2005-06	182.93	41.74	24,584	5,500	0.75
2006-07	457.28	102.00	56,390	12,492	0.82
2007-08	279.01	70.17	98,642	24,575	0.29
2008-09	455.59	102.71	1,42,829	31,396	0.33
2009-10	1,314.23	278.89	1,23,120	25,834	1.08
2010-11	858.03	188.67	97,320	21,383	0.88
2011-12	826.16	170.21	1,65,146	35,121	0.48
2012-13	2,193.65	401.46	1,21,907	22,423	1.79
2013-14	25,106.78	3,982.88	1,47,518	24,299	16.39

Source: DIPP, Ministry of Commerce

Table 4: Contribution of FPI to the Export Sector (Commodity wise from 2006 to 2012-13)

Commodity	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(US $ Million)	2013-14 (Growth)
Marine Products	1,767.42	1,722.77	1,534.46	2,095.28	2,622.72	3,443.66	3,462.28	0.5
Meat & meat products	733.40	932.46	1,173.34	1,332.53	1,971.08	2,921.42	3,291.92	12.7
Spices	699.26	1,044.75	1,391.62	1,301.60	1,768.08	2,750.09	2,814.42	2.3
Wheat	7.74	0.06	0.30	0.01	0.15	202.07	1,934.17	857.2
Sugar	690.19	1,344.99	1,038.20	23.20	1,198.92	1,838.55	1,574.67	-14.4
Fresh Fruits	313.63	359.06	424.28	479.63	478.63	528.60	607.32	14.9
Beverages	60.04	85.94	120.24	129.05	186.46	308.56	360.07	16.7
Dairy products	110.48	241.28	255.90	117.44	187.14	128.55	325.72	153.4
Processed Vegetables	143.61	149.03	154.47	158.68	167.88	222.02	205.80	-7.3
Export by FPI(in US $ Million)	10,832	15,686	16,312	14,787	20,427	31,762	36,057	13.5
Total Exports (in US $ Million)		1,63,132	1,85,295	1,78,751	2,51,136	3,05,964	3,00,274	
% share of FPI		9.6	8.8	8.3	8.1	10.4	12.0	
Growth rate of FPI (%)		44.8	4.0	-9.3	38.1	55.5	13.5	
Growth of total exports			13.59	-3.53	40.49	21.83	-1.86	

Source: DGCIS, Kolkata, P: Provisional Results.

****

Synthesis and Biological Evaluation of some new Acid Hydrazones derived from 5 -Aldehydo Salicylic Acid

Malti Dubey (Rawat)*

Abstract - Hydrazones derivatives have been found to possess the Tuberculostatic activity. P- ethylmolonanilic acid hydrazones were synthesized by the condensation of malonanilic acid hydrazide and 5-aledehydosalicylic-acid. Synthesised compounds have been tested for their tuberculostatic activity.
Key words - Acid hydrazide, Acid hydrazones, Synthesis, Biological activity, 5-aldehydo- salicylic acid.

Introduction - Acid hydrazides and their derivatives are well known for their antituberculostatic activity[1]. Several derivatives are also known to possess antimicrobial[2,3] and antifungal activity. Looking to the medicinal nature of compounds and their applications. I have prepared new derivative which may have utility in different fields. The number of 5-aldehydo salicylic acid have been condensed with a malonanilic acid hydrazides. Acid hydrazones of the Type (I) were obtained.

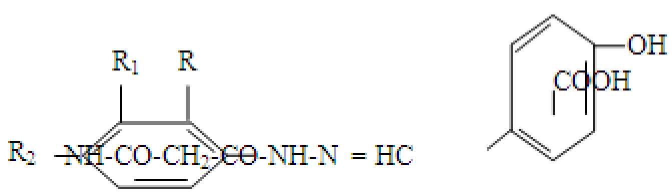

Type (V)

p-Ethylmalonanilic acid hydrazide and their substituted hydrazones were synthesised by the following sequence of the reaction.

P- Ethyl aniline (I) was refluxed with diethyl malonate (II) to get malon – p- ethyl dianilide and ester (II) compound (III) was treated with hydrazine hydrate. The malon-p-ehylamilic acid hydrazide (IV) was obtained 5-aldehydosalicylic acid has been condensed with a number of malonanilic acid hydrazides Type (V) were obtained.

SCHEME :

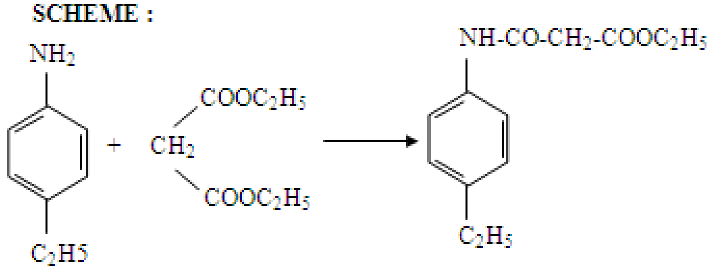

(I) (II) (III)

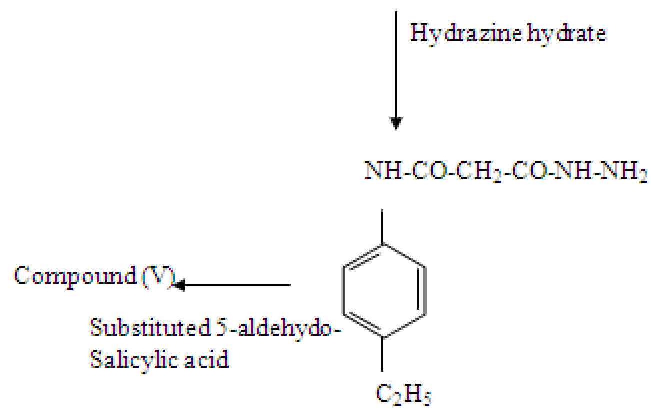

Table (A) (see in next page)

Table (B) Infrared absorption frequencies of p-ethy1-malonilic acid-hydrazide.

S.	Band of group	Absorption band (Cm-1)	Band intensity
1.	-CONH	1650	Strong and sharp
2.	$-C-CH_2-C-$	1775	Strong
3.	$NH - NH_2$	1640	Sharp
4.	$-CH_2-$	1485	Medium
5.	Phenyl substituted (1:4)	820	Sharp and medium
		1080	Medium

EXPERIMENTAL : All chemicals used were of A.R. grade (Either of B.D.H. Extra pure quality).

(a) Preparation of p-ethyl malonanilic acid hydrazide - P-Ethyl aniline (1 part) was refluxed with diethyl malonate(2 part) for forty minutes. After collingehanal was added and the contents were left overnight when malon -p-ethyl dianilide (II) separated. The filtrate containing the ester (III) was concentrated and treated with hydrazide – hydrate when the hydrazide (IV) was obtained in 73.3% yield.

(b) Preparation of substituted aryl hydrazone from p-

*Department of Chemistry Govt. Girls P.G. Auto. College of Excellence, Sagar (M.P.) INDIA

ethyl-malonanilic acid hydrazide - Hydrazide (1 mole) in alcohol was added to 5-aldehydosalicylic Acid (1 mole) in alcohol inpresence of one drop Conc H_2SO_4. The Contents were warmed when the title compounds were obtained as crystalline soliid and recrystallized from alcohol acid hydrazones of the (TypeV) have been obtained in 1.3 to 88.85 Yield.

The structure of the above compounds are confirmed by IR (Table A,B) supported by correct elemental analysis and Biological evaluation (table – C).

Biological Evaluation

Tuberculostaticactivity : Some new compounds have been tested for antitubercular activity in vitro using Mycobacterium tuberculosis. The compound (2, 3, 4 table -C) inhibited the growth of Mycobacterium tuberculosis at 100 mg/ml concentration other compound were found to be inactive. (Table -C)

Antifungal activity – Newly synthesized compound have been tested for their antifungal activity against candida albicans, Aspergillas Niger and AlternariaAlternata at concentration of 30mg/ml using sabouraceddextrose agar media. All the other compounds did not show significant activity against the fungi at the concentration used.

Tuberculostatic Activity (Table – C)

S.	Compound	Growth at Concentration [mg/ml]	
		10	100
1.		+	0
2.		+	+
3.		+	0
4.		+	+
5.		+	+

+ and 0 indicate presence and inhibition of growth respectively.

Conclusion - New acid hydrazones have been synthesized by the reaction of malon-p-ethyl acid hydrazide with various carbonyl compounds, in 1.3 to 74 % yield. Most of the hydrazones are coloured, solids having high melting points the structure of all compounds are confirmed by IR and supported by correct elemental analysis newly synthesized compounds (2, 3, 4) have been tested for their tuberculostatic activity other compound were found to be inactive.

Acknowledgment – Thanks are due to Dr. H.S. Gour Central University, Sagar (M.P.) for providing biological evaluation.

References :-

1. H.H fox and J.T Gibas : J. Org chem. 1952, 17, 1653 – 1660.
2. K.F. Modi, N. Krishna Kumar : 26th Session Indian Pharmacuticalcongren, Dec 28-30, 1974, Madras.
3. S. Bahadur, A.K. Goel and R.S. Verma : J Ind. Chem. Soc, 15 526 (1974)
4. Rollas S; Kucukguzel, S.G. Moloecules 12, 1910-1939 (2007)
5. Kalsi, R. Shrimali, M, Bhalla, T.N. Barthwal J.P. Indian J. Pharm, Sci 41, 353-359 (2006)
6. Nayyar, A.Jian, R. Med chem. 12, 1873-1886 (2005).
7. Bhat, K.K., Bhamaria, R.P. Patel, M.r. Bellare, R.A and Duwalia, C.V. Indian J. chem. 10, 694 (1972)
8. Kucukguzd, S.G., Mazi, Asahin, F. Ozturk, S. Stables, J.P. Eur. J. Med Chem. 38, 1005-1009 (2003).
9. Sriram, D. Yogeesari, P. Madhu, K.bioorg, Med. Chem. Lett 15, 45024502 (2005).
10. Terzioglu N. GursoyA.Eur.J.Med. chem 38, 781-786 (2003) 26, 5235 (1970).
11. I.Mir, Mt Siddqui, A Come Terahedron, 26, 5235 (1970)
12. E. Degner, H. Scheinplug, H.G. schemezer Brit Patent, 1035, 474 (1967).
13. R. Cavier, r. rips, J.Med. Chem. 8, 706-709 (1965)
14. A. Aylward, M ssawistowska Chem. And Indus, 54, 404 (1961).
15. Janin, Y. Antituberculosis drugs, boarg. Med chem. 2007, 15, 2479-2513.
16. Nayyar, A. Jain r. Recent advances in new structural classed of antituberculosis agent. Curr. Med chem. 2005, 12, 1873-1886.

Table (A) ACID HYDRAZONES DERIVED FROM 5- ALDEHYDOSALICYLIC ACID

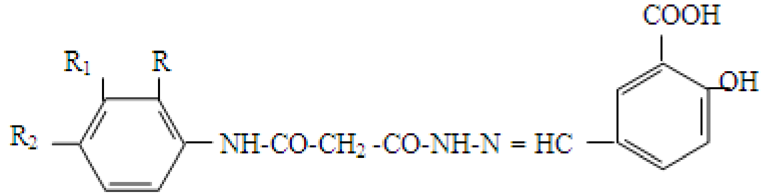

S.	Acid hydrazide	Acid hydrazone			Colour	M.P.C^0.	Yield %	Formula	Nitrogen %	
		R	R_1	R_2					Found	Reqd.
1	Malonanilic acid	H	H	H	Yellow	250	12.5	$C_{17}H_{15}N_3O_5$	12.26	12.05
2	Malon-o-toludic acid	CH_3	H	H	White	180	13.7	$C_{18}H_{17}N_3O_5$	12.03	11.63
3	Malon-m-toludic acid	H	CH_3	H	White	195	11.7	$C_{18}H_{17}N_3O_5$	11.49	11.63
4	Malon-p-toludic acid	H	H	CH_3	Brown	210	15.7	$C_{18}H_{17}N_3O_5$	11.88	11.63
5	Malon-o-chloro-anilic acid	C1	H	H	White	215	10.2	$C_{17}H_{14}N_3O_5C1$	11.66	11.02
6	Malone-m-chloro-anilic acid	H	C1	H	Gray	345	7.27	$C_{17}H_{14}N_3O_5C1$	10.79	11.02
7	Malon-p-chloro-anilic acid	H	H	H	Gray	235	18.1	$C_{17}H_{14}N_3O_5C1$	11.37	11.02
8	Malon-o-anicidic acid	OCB_3	H	H	White	135	11.1	$C_{18}H_{17}N_3O_5$	10.83	11.14
9	Malon-p-anicidic acid	H	H	OCH_3	Gray	239	13.0	$C_{18}H_{17}N_3O_5$	10.35	11.14

****

Uncertain Historiography of Ajivakas

Dr. Ashish Kumar Chachondia*

Introduction - Circumstances created in course of time have always inspired human beings for cosmic and supernatural thinking, due to which different religions, cults have emerged from time to time and they have become extinct or changed under different circumstances.

The time of the sixth century BC in the history of India has been full of such activities. It is known from Buddhist literature that at this time the number of ascetics in the whole country had increased greatly, who were not satisfied with the prevailing Vedic religious activities and favoured spiritual progress through the path of *Hatha Yoga* and rigorous penance. Apart from these two sects (Buddhist and Jainism), there were about 63 *Shramana* sects (श्रमण सम्प्रदाय) in existence and they had a substantial influence on the society then if the evidence of Buddhist and Jain literature is taken into account.

The biggest problem of the historiography of religious sects of this time is that apart from Buddhist and Jain literature, no other sect has availability of its literature at this time. Therefore, if we want to reconstruct their history, then we have to depend only on the evidence or articles of Jain and Buddhist literature. This whole literature is not beyond doubt and con not be considered as absolute fact. Among the various religious ideologies of ancient India before the sixth century BC, there was an Ajivaka sect that spread over a wider area than other faiths and lived longer. Ajivakas either did not compose their literature or their entire literature disappeared in a long time. It may also be that they have been following the *Shruti tradition* (*a tradition in which the knowledge of a particular religious group is handed over to the next generation through oral* means) and through the *Guru Shishya* tradition*(in which a masters deliver his sermons to his disciples, and this system continues for generations)*, they further transfer knowledge. Therefore, the history of the Ajivaka sect is also based on the references of its heretical literature, which mainly consists of Buddhist and Jain texts, which were theoretically opposed to the Ajivakas and criticized the principles of Goshal the Ajivakas' master. Therefore, whatever information we get about Ajivakas' history cannot be considered completely absolute and free from prejudices. Nevertheless, scholars like Basham have tried to write an Ajivaka history based on meagre means.[1]

According to Jain scripture Bhagwati Sutra, the Ajivaka sect was founded by the *Mkkhali Putt Goshal*. It is not clear here whether the name is real or simply a status indicator. According to one interpretation, Goshal was the son of *Makkhali* or *Maskari* (name of his father) and *Bhadda* (name his mother) and was born in *Gaushala* (cowshed). It is worth noting that due to the dispute between the Jain texts Goshal and Mahavira, they try to show Goshal to be of low caste in particular.

According to the *Bhagwati Sutra*, *Goshal* stayed with *Mahavira* (the fourteenth *Tirthankara* of Jain Tradition) for 6 years and practiced austerity, but after this, the differences between the two started increasing and at the height of the disputes, Goshal renounced the Jain *Sangha*. It is also mentioned that before leaving the Jain *Sangh* there was a serious debate between *Mahavira* and *Goshal* and *Goshal* even attempted to kill *Mahavira* with his supernatural powers, but *Mahavira* had no influence of Goshal's divine or magical powers.[2] The incident may also be very common but it is only mentioned in Jain texts that an attempt has been made to show Mahavira as superior and Goshal as inferior. But there is no doubt that there was a dispute between the two and as a result of this conflict Goshal had to renounce the Jain *Sangh*.

A.L. Basham says that Goshal founded the Ajivaka sect after he left Mahavira,[3] but some scholars believe that the Ajivaka sect was an already existing sect and Goshal only subscribed to it and later on, he became a leader or master of this sect. It has become important here that it is important that by any means, no authentic mention of the name of Ajivaka master is found before Goshal. However, Goshal gave prominence to his principles and it is only through him that there is mention of the coming into existence of the Ajivaka sect.

In *Shravasti* (an important city of that time) Goshal established the centre of his sect and a conference was also scheduled for regular talks and events to establish his Sangha, thus similar to the then major religions, a certain form of Ajivaka religion was set and its principles were fixed. The number of believers was also increasing, probably the work of propagating the religion was done in the same way

***Assistant Professor, Department of Ancient Indian History, Culture & Archaeology, B.K.S.N. Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA**

as other religions were doing, which resulted in this sect taking patronage of the king in the court of Bindusara in the Mauryan period.

Principles of Ajivaka Sect - It is mentioned in the Jain text Bhagwati Sutra that Goshal left Mahavira due to doctrinal differences. Mahavira's principles differed from Goshal's principles. Jain texts do not describe these differences in absolute terms and at the same time Jain texts were also composed after many years of this event, hence their objectivity cannot be considered devoid of a suspicion.

Goshal had differences with Mahavira mainly due to general enjoyment and rules related to consuming food etc. Goshal used to give importance to austerity but he did not accept the extreme austerity of Mahavira. Buddha counted the Ajivakas among the sects that do not give importance to *Brahmacharya* (celibacy).[4] Similarly, Mahavira and Goshal's views on non-violence differed. Mahavira believed in the role of non-violence, while Goshal's views for this principal was not so rigid as of Mahavira. In the Bhagwati Sutra, the Ajivakas have been condemned for non-vegetarianism and non-observance of *Brahmacharya* (celibacy).[5]

The most controversial and major theory of Goshal was the theory of determinism or fatalism (*Niyativad*) according to which destiny governs all the human activities and all the natural phenomena and beyond which man is completely incompetent and helpless.[6] The general principle of karma according to which "the present of every human being is determined by the past deeds done by him and the future is determined by the deeds of the present" This was completely rejected by the Ajivakas. Goshal believed that it is completely impossible to get out of the cycle of destiny. "Whatever creature breathes, which is born, which has life, it does not have any kind of power or qualities, rather they all develop by destiny and experience happiness and sorrow. Every living being should Whether it is wise or ignorant, one has to get rid of their sufferings according to destiny by going through the great Kalpas (epoch)."[7]

While describing fatalism in the above quotation, it is clarified that human Karma (deeds) has no value and consequence before destiny, whereas it has also been pointed out that the Ajivaka monks used to practice a particular type of austerity and penance. Both these facts are contradictory because if destiny is the absolute controlling and decisive, then what is the need to do meditation or penance or live a harsh life of a monk. If destiny is the basis of whole nature then Ajivaka people should have lived a normal materialistic life. Jain texts say that Goshal had also considered rigorous practices to be subject to destiny. The interpretation of determinism (*Niyativad*) which is described in the *Bhagavati Sutra* cannot be considered purely Goshal's interpretation. Some parts of it have certainly been omitted which would indicate a logical relationship between destiny and tax especially austerity. Apart from determinism, there must have been some theories of Ajivakas that could not be refuted by the Jains or the Buddhists or which would suit them, so they are not even mentioned.

Mutual conflict situation - The kind of details found in Jain Buddhist texts against Ajivakas indicates that Goshal's doctrines challenged other sects intellectually. Whatever the situation may have been during the time of Mahavira and Buddha, but in the Mauryan era, evidence of mutual disputes between these sects is found. It is also an important fact that the writing of Jain and Buddhist texts started from around this time and it is also likely that the intellectual differences with the creatures in the form of writers have been given historical stories of the time of Mahavira.

The early three emperors of the Maurya dynasty, Chandragupta, Bindusaar, and Ashoka gave their patronage to Jain, Ajivakas and Buddhism respectively. Here one can see the possibility that each of these sects had been struggling to get state patronage. Ashoka, in his seventh pillar inscription, directed the *Dhamm-Mahamatras* (officers appointed for general management of subjects' morality) to create harmony in various religious sects, as well as Brahmins, Jains and Ajivakas are also mentioned in this inscription.[8] In the twelfth inscription, Emperor Ashoka directed the subjects to avoid mutual condemnation as it only harms their religion.[9] This archival evidence indicates that even in the Mauryan period, debates between different sects in general. This was happening and they resorted to harsh condemnation words towards each other, so Ashoka had to issue such instructions because there is no literature of Ajivakas available at present, so his side cannot be known authentically.

Goshal's death - The Bhagwati Sutra narrates a wonderful story of Goshal's end, according to which Goshal, when he realized his end, gave instructions to his disciples about his last rites, shortly afterward he repented of the evil he had done and Accepted that he is not an enlightened being (*Jin*) and told his disciples that he was an ungrateful and deceitful person with his guru. He further states that now he has identified *Mahavira* or *Jin* and he revokes the previous teachings and instructions given by him.[10]

Thus, this quote is also going to establish the superiority of Jainism over Ajivakas. As a result of this, all the Ajivakas should have merged into Jainism, but this did not happen and the existence of the Ajivakas continued till the 14th century. After the state patronage given by the Maurya emperor Bindusara, caves dedicated to Ajivakas were built by the Mauryan ruler. After the first century, the spread of Ajivakas slowed down and their form also began to change in Karnataka and Tamil Nadu in South India, they became like Mahayana Buddhists and were given the appearance of a deity for Goshal. But at this time there is no such evidence that this religion had any special popularity in Indian society. In the Middle Ages, when almost the whole of North India was being invaded by the Turkish Muslims, at the same time, Buddhists as well as Ajivakas have

vanished from India. But what has been written so far is likely to be reconsidered.

References :–

1. Basham, A.L. “History and Doctrines of the Ajivkas, A Vanished Indian Religion” Motilal Banarsidass Delhi 2002
2. Singh, Upinder “A History of Ancient and Early Medieval India” Pearson Delhi 2013, P-302
3. Basham, A.L. “The Wonder that was India” PICADOR London 2004, P-297
4. Vidyalankar, Satyaketu “*Bhartiya Sanskriti Ka Vikas*” Shri Saraswati Sadan New Delhi 2018, P-130
5. Singh, Upinder “A History of Ancient and Early Medieval India” Pearson Delhi 2013, P-302
6. Basham, A.L. “History and Doctrines of the Ajivkas, A Vanished Indian Religion” Motilal Banarsidass Delhi 2002, P-3
7. Basham, A.L. “The Wonder that was India” PICADOR London 2004, P-298
8. Gupt, Parmeshwari Lal “*Prachin Bharat Ke Pramukh Abhilekh*” Part-1, Vishwavidyalay Prakashan Varanasi 2014, P-68
9. Vajpai, Krishnadatt “*Etihasik Bhartiy Abhilekh*” Publication Scheme Jaipur 2018, P-73
10. Basham, A.L. “History and Doctrines of the Ajivkas, A Vanished Indian Religion” Motilal Banarsidass Delhi 2002, P-64

****

Significance of SAARC

Dr. Shrikant Dubey*

Abstract - The South Asian association for regional cooperation (SAARC) is an intergovernmental organization that promotes development of economic and regional integration. This is established in 1985.SAARC is important for maintains permanent diplomatic relations with the United Nations as an observe, and has also developed links with multilateral entities including the European union.SAARC also faced political issue as maintaining peace and prosperity in the Indian sub continent was difficult for SAARC because of the various ongoing conflicts in the region. The SAARC secks to promote the welfare of the people of South Asia, strengthen collective self mutual reliance ,promote active collaboration and matual assistants in the various fields, and co-operate with international and regional organizations.

Introduction - The SAARC was established when its charter was adopted on December 8 1985 ,by the head of States or government of Bangladesh ,Bhutan, India ,Maldives ,Nepal Pakistan and Sri Lanka at the first summit in Dhaka .After 22 years in 2007 Afghanistan was admitted as the eighth member of the SAARC .The idea of regional cooperation in South Asia was first raised in 1980 ,After consultations the Foreign Secretaries of the seven founding countries met for the first time in Colombo in 1981. This was followed a few months later by a meeting of the whole, which identified five broad areas for regional cooperation. The Foreign Ministers at their first meeting in New Delhi in 1983, adopted the declaration on South Asian Association for Regional cooperation and formally launched the integrated program of action in the five agreed areas of cooperation, agriculture, rural development, telecommuni -cation, meteorology, health and population activities .Later transport, postal services,scientific and technological cooperation, sports and cultural were added to the IPA.

Objectives of SAARC :

1. First objective of SAARC is promote the welfare of the peoples of South Asia and to empower their quality of life.
2. Increasing collective self- reliance among the countries of South Asia.
3. Creation of mutual trust, understanding and appreciation with in others problems.
4. To exceed economic growth, social progress and cultural development in the region and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials.
5. To increase active collaboration and mutual assistance in the economic ,social, cultural, technical and scientific fields.
6. To increase cooperation among themselves in international forums on matters of common interests.
7. To create relations with other developing countries.

Principal Organs- Meeting of Heads of state or Government-The Heads of states or Government during the SAARC summit agreed that a process of informal political consultation and would prove useful in promotion peace, stability, anity and accelerated socio- economic cooperation in the region.

Meeting off Council of Ministers-The Council comprising the Foreign Ministers of members States generally meet twice a year. The Council may also meet in extra ordinary circumstances by agreement of member states.

Standing Committee of Foreign Secretaries-The committee provides overall maniloroing and coordination determines priorities, mobilizes resources and approve subjects and financing.IT may meet is often as demand necessary but in practice normally meet twice a year and submit its report to the Council of Ministers.

Secretariat-The role of Secretariat is important for coordinate and monitor the implementation of SAARC activities, services, the meeting of the association in the server as the channel of communication between SAARC and other international organizations.

Important Facts of SAARC :

1. SAARC comprises 3% of the worlds area, 21%of the world's population and 3.8 % of the global economy.
2. It is world's most densely populated reason and one of the most fertile areas. Members countries have common tradition, dress, food, culture and political aspects thereby synergizing their actions.
3. All the SAARC member countries have common problems and issue like poverty,illiteracy malnutrition natural disasters internal conflicts industrial and technological backwardness low GDP poor socio economic condition and uplift their living standards thereby creating common areas are development and progress having common solutions.

***Professor (Political science) Govt. Home science PG College, Hoshangabad (M.P.) INDIA**

Main Achievements of SAARC :

1. **Availabilities of free trade area-**SAARC is comparatively a new organization in the global erea. The member countries have established a free trade area which will increase their internal trade and lesson the trade gap of some States considerably.
2. **Trading agreement-**SAARC members countries done trading agreement for promoting trade within SAARC area.
3. **A free trade agreement-**Confined to goods but excluding all services like information technology. Agreement was signed to reduce customs duties of all trade goods to zero.
4. **Agreement on trade in service-**Member countries made agreement for trade in service liberalization.
5. **SAARC University-**Established SRK university in India, a food bank and also an energy reserve in Pakistan.

Importance of SAARC for India-

1. **Good relations with neighborhoods States-**Primacy to the countries immediate neighbours.
2. **Geostrategic importance-Can** counter China initiative through engaging Nepal, Bhutan ,The Maldives and Sri Lanka in development process and economic cooperation.
3. **Stability in region-**SAARC can help in creation of mutual trust and peace within the region.
4. **Global leadership role-**It offers India a platform to showcase its leadership in the region by taking up extra responsibilities.
5. **Significance for indias East policy-**By linking South Asian countries with South East Asian will bring further economic integration and prosperity to India mainly in the service sector.

Problems of SAARC-SAARC countries facing many problems like ie-

1. **Role of Pakistan-**Pakistan is opposition to regional integration and its Reliance on multi literal fora to raise bilateral disputes are the most visible obstacles to the proper functioning of SAARC.
2. **Regional factors-**A closer look however suggests that a consinetion of historical, geographical ,ethno- religious and political factors some of which are Independent of Pakistan and beyond India's control has gridlocked the regional organisation.
3. **Feeling of insecurity-**The sense of insecurity vis-a-vise India coupled with the fact that the majority community in most of India's neighbors is a minority in India has made those countries domestically susceptible to anti India mobilization and internationally desirous of external intervention in bilateral conflicts.

Suggestions for betterment of SAARC

Political area-The feasibility of sub Regional cooperation within the SAARC region should be explored the North-east sub region comprising Nepal, Bhutan, Bangladesh and India,the southern sub region comprising Maldives, Shri Lanka and India and the Western sub region comprising Pakistan and India.

Economic area-SAARC countries should fulfill their commitment made the last submit are eradicate the worst forms of poverty, they should vigorously implement the recommendations of the Independent South Asian commission for the alleviation of poverty and considered the establishment of National commission for the purpose.

Conclusion-SAARC is a landmark step taken by the leaders of the region the man rational behind its establishment is to develop a conductive environment where all nations may interact peacefully with each other ,cultivate sustainable peace and promote natural economic well-being by utilizing available resources in the region through the peaceful process of economic corporation nevertheless after more than three decades of its establishment neither South Asian Nations have been able to push the process of integration into full swing nor the organization's itself has become viable enough to promote harmony and establishment of its important organizations is the proof that the regional neighbors want to achieve process and impact, Gender the IPL ,the member countries have been cooperating in various social in security fields. In present scenario need to re-invent the wheel of South Asia identity through increased citizen activism which will load to a better environment of confidence, building among the formal elites of South Asia and turn lead to a better South Asia.

References :-

1. Sandhu,Rohan and Sidhu, waheguru pal, Invigorating SAARC: India's opportunities and challenges, brookings India, November 2014
2. Priya Anu ,SAARC: Problems and Prospects ,observer States countries member countries.
3. SAARC:An evaluation of its Achievements, failures and Compultion of Cooperation,Global Political Review, 2017 (II-I) 04.
4. Financial express, India, March 28 2006.
5. Dash K.C.,The Political Economy of Regional cooperation in South Asia Pacific Affairs,volume 67, No-2 , 186- 189.
6. Anuradha M.S.& Muni S.D.,Regional Cooperation in South Asia ,New Delhi, National publishing house, 1984.
7. Das, D.K.(n.d) SAARC: Regional Coopration and development Dept. & Publications, New Delhi.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

Analysis of Women Empowerment in India

Dr. Indresh Pachauri*

Introduction - The position of women in India society is full of contradictions, While on the one hand , women have been considered as a form of power by tradition , while in normal life she is called next. From the scriptures, religious text, and medieval devout poets , here too, there are antagonistic tips about women: even today, in our society and literature, there is more or less the same antagonistic attitude towards women.

In the west , where women have rights like general education , employment and equality, the law is the same , in developing countries like India ,all women do not have the same basic rights.

Gender equality is a fundamental human rights and is a preeuiste for sustainable development. Goal number 5 "women empowerment " aims to achieve gender equality by ending all forms of Discrimination, violence and harmful practices, including trafficking and sexual exploitation against women and girls.

It calls for valuing women's unpaid care and domestic work. In addition, it calls for full and effective participation and equal opportunities for leadership all levels of decision making in political, economic and public life for women.
India's goal for 2030 is to empower all women to live dignified lives, contributing as equal partners is the growth and development of the country.

Objectives of the study:

1. Analyzing the SDG Goal Number 5 for "Women Empowerment" based on defined goals.
2. Reviewing the steps taken by the Government for women empowerment.

Data collection - The research paper presented uses the data released by the NITI Aayog SDG india index report, ministry of women and child development. Apart from this use of other related Websites.

SDG GLOBAL TARGET 2030:

1. End all forms of discrimination against all women and girls everywhere.
2. Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including Trafficking and sexual and other types of exploitation
3. Eliminare all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation.
4. Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services and the promotion of shares responsibility within the household and the family as nationally appropriate.
5. Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, Economic and public life.
6. Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the programme of action of the International conference on population and development and the Beijing platform for action and the outcome documents of their review conferences.-

(a) Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources ,in accordance with National laws.
(b) Enhance the use of enabling technology, in particular information and communication technology, to promote the empowerment of women.
(c) Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and gir

SDG INDIA INDEX TARGET - To measure Indias performance towards gender equality, six National level indicators have been identified by NITI Aayog

INDIACATOR SELECT FOR SDG INDIA INDEX	NATIONAL TARGET VALUE FOR 2030
1.Sex ratio at Birth Female Per 1000 Male	954
2.Average female to male ratio of average wage /salaries wage /received per day by regular salaried employees of age 15-59 years for rural and urban	0
3.Percentage of ever married women aged 15-49 years who have ever exSperienced spousal violence.	0
4.Percentage of seats won by women in the general election to state legislative assembly.	50

*Asst Professor, Baba Farid Institute of Technology, Dehradun (U.K.) INDIA

5.Ratio of female labour force participation rate to male labour force participation rate.	1
6. Percentage of women in the age of 15-49 years using modern methods of family planning	100

The SDG targets set based on NITI Aayog report 2018 can be analyzed as follows:

1. Sex – Ratio at Birth (Female per 1000 Male): From the point of view of sex ratio at birth ,based on the SDG India Index 2018 report, it is clear that the sex ratio at birth is at 898 in all India as against 954 per 1000 male , which is far away from the target , if the situation of the states is analyzed ,then Kerala, Chhattisgarh appears to be achieving the target while West Bengal and Karnataka, Odessa are close to Tamil Nadu, Madhya Pradesh While the other states have poor condition. From this perspective, the situation in the worst situation Haryana 832, Rajasthan 857, Delhi 857and Punjab 893 remains very worrying.

2. Average female to male ratio of average wages/ salaries received per day by regular wage/ salaried employees of age 15-59 for rural and urban: Based on the target Number 2 of SDG India Index, India score has been 0.70, which is 0.30 less than the target. If a state wise view is given then no can achieve the SDG India Index that it has not been successful in achieving the target. No any state has not been able to achieve the target of SDG India Index, only UT Andaman and Nicobar Island has been successful and the nearest UT of the state is Delhi if the situation of other states is analyzed, Manipur ,Uttrakhand and Danan & Diu 0.93 looks better with score status . While the position of other states seems weak from this point of view.

3. Percentage of ever Married women aged 15-49 who have ever experienced spousal violence: Based on the SDG India Index target number 3, it is clear thaty the score of India is 33.30 against 0 ,which is far behind the target , if we talk about the situation of the states , then Sikkim 3.50 and Himachal 7.00 appear to be far better . at the same time , the situation in Telangana, Mnipur , Bihar looks very bad.

4. Percentage of seats won by women in the general election to state legislative assembly: Analyzing the SDG India Index target number 4, it shows that the target of the SDG India Index is 50 percent political participation, which, when it comes to the whole of India , the political participation of women is far beyond 8.70. if we talk about the states, Rajasthan is at the first place with a score 14.00, West Bengal is at second place with 13.95 score. But the situation in other states seems far behind from this point of view.

5. Ratio of Female labour force participation rate to male labour force participation : From the point of view of SDG India Index target number 5, the target is kept at 1.00 whereas the score of the entire India is just 0.32 which is far from the target. If you look at the state wise situation is seem in Nagaland which is the best with 0.76 score while Mizoram 0.73 in second place and Chhatisgarh in third place is 0.67 and the position of other states .this approach does not look good.

6. Percentage of women in the age group of 15-49 years using modern method of family planning: The target of SDG India Index has been targeted 100 for 6, if seem in terms of this target ,Indias score is 53.50 . if we look at the state of the states ,Punjab is the best position with 75.00 but it is still far from the target . the situation in other states also seems far away from the target.

If we talk overall in this context, only 36 of the score could be receive by India out of 100. The SDG India Index target released by NITI Aayog has been divided in to four categories:

1. **Achiever (100)**
2. **Front runner (65-99)**
3. **Performer (50-64)**
4. **Aspirant.**

From this point of view , no any state is yet in the category of Achiever, into nor is any state in the category of Front runner .while talking about the pioneer states, only four states , Kerala, Sikkim, Andaman & Nicobar Iceland and Chandigarh are visible while all other states are placed in the category of aspirant.

The status of women empowerment in India also needs to be seen globally on the basis of the World Economic Forum report "GENDER GAP REPORT"2020

Gender GAP REPORT 2020: If we talk on the basis of the GGR 2020 released by the WEF India Rank 112out of 153 countries . which is four points lower based on the 2018 report , India Ranked 108 in 2018.

Based on the gender gap report , if India compared with neighboring countries Bangladesh 50, Shri Lanka is far better with 102 and china 106 Rank . in the report wher Iceland is first and Norway is Ranked second . if seen on the basis of the report , India Rank on Economic participation and Opportunity Indicator is 149 among 153 Countries. THE same will Ranked 112 on the basis of education arrangement and 150 on the basis of Health and survival , which do not reflect India situation very well, if we look at the Rank of India on the basis of political empowerment , while India Rank was 20 in 2006 , it improved to 18 in2020.

Steps taken by the Government of India for womens empowerment:

Several Schemes are being run by the Government of India for the empowerment of women , in which we can see the major Seemes:

1. Beti Bachao , Beti Padhao: The Scheme was launched on 22 January 2015 with the aim of removing discrimination of declining child sex ratio. And addressing issues related to womens empowerment throughout the life cycle purpose o0f this scheme –

1. Approval of gender selection based on bias.
2. Ensuring the survival and protection of the girl child.

3. To ensure Education and participation of girl child.

2. She- Box: The plan is about sexual harassment of women . an online complaint management system called SHE- BOX has been developed for online registration of complaints related to sexual harassment at the work place.

3. National Women s Fund: The main objective of" Rashtriya Mahila kosh " is to provide small loans to poor women for various livelihood support and concession rates for livelihood activities, so that socio- economic development of such women can be done.

4. Panic Button: To provide immediate assistance to women under this scheme , a provision has been made to install panic buttons in all mobile phones , a notification **Related to this was released on 1st January 2018.**

Conclusions : It can be said that the analysis of SDG Goal for women empowerment based on SDG Index and gender gap report 2020. The current state of womens on all aspects of socio- Economic and political.

India needs to implement women empowerment more quickly , only then we will be able to empower half of the Country's population by 2030, women must be empowered for rapid economic development of the Country.

Suggestion - The following suggestions can be made to achieve the goals of women empowerment –

1. In order to improve the sex ratio at birth , the government should take more stringent action on cases like feticide and efforts should be intensified to bring awareness among the people .
2. The government should set a standard for women salary and wages and a 33 % reservation should be made in public and private sector.
3. In order to reduce spousal Violence ,it is necessary for women to be aware of their rights especially in rural areas ,by breaking away from the old ideologies like " Pati parmeshwar" in order to help them achieve their rights.
4. In order to empower women in the field of political participation and to give them proper place , it is necessary to arrang 50 % reservation in the state assembly and Lok Sabha.
5. There is a need to make both women and men aware to adopt the modern method of family planning ,although a lot of efforts are being made in this direction , but there is still a lot of hesitation is using these in rural areas and urban areas, NGO should be helped in this regard, if the NGO is from the are then it will make it easier for women to overcome their hesitation and will be encouraged to adopt the modern method .
6. Howerer, a lot of efforts are being made by the government to stop violence and atrocities against women . for this , the provision of death penalty has been made for crimes are not reduced, for this , the mentally deformed criminals and proper treatment should be made in order to further reduce such crimes.

References :-

1. SDG India Index report ,2018
2. Women Child Ministry Of India , handbook 2018
3. www.economicsdiscussion.com
4. Gender gap report ,world economic forum report , 2020

****

Awareness and Attitude on Effects of Substance Abuse Among Adolescents

Dr. Usharani B.*

Introduction - Adolescents is derived from Latin word ''Adolescare'' it means ''to grow up''. WHO defines adolescence as the period in human growth and development that occurs after childhood and before adulthood from age 10-24 represents one of the critical transition in the lifespan and is characterized by a tremendous space in growth and change that is second only to that of infancy, biological process drive may aspects of this growth and development with the onset of puberty making the passenger from childhood to adolescence. Adolescents are the positive force a nation and responsible for its future productivity. The biological determents of adolescence are fairly universal however the duration and defining characteristics of this period may vary across time culture socio-economic situation.

Adolescents are in search of a sense of identity and it is the period of exploration and exploitation. In both developed and developing countries adolescents face over willing problems. Among which early pregnancy, substance abuse and violence are making them more vulnerable to life threatening disease condition. The study population comprised of adolescents in the age group of 15-19 years studying in selected undergraduate college in Dakshina kannada district, Karnataka .

Substance abuse is a social evil. It destroys not only vitals of society, but also adversely affects the economic growth of the country. Use of substances knows no bounds or limitations. It spreads all over the country from nation to nation: to the entire globe, infecting every civilized society irrespective of caste, creed, culture and the geographical location. Globally substance abuse is a serious public health and social issue with changes into the lifestyle , globalization in substance marketing the erosion of power of censure that have existed in traditional societies and an increased acceptance of such substance, it is clear that their use is growing in low and middle income countries, particularly among children, adolescents and youth .

Review of Literature:

Drug Abuse among students

Dr. Anu Singh Lather (1993) The article provides a global analysis of drug problem in contemporary society. It is based on empirical analysis offering a whole perception of how the drug abusers perceive the attitude of their parents. It also profiles on a sound basis, the personality of the drug abuser at the time of initiation, or continuation of drug abuse. The author came up with few interesting findings: namely, a) it's not the quantity but the quality of time spent with children which is crucial in preventing drug abuse; b) the vulnerable age group is 17-22 years; c) Drug abusing or alcohol abusing grandparents and brothers seemed to have a positive influence on the young minds; d) A dominating father had a negative influence on the drug abusing son, while a democratic father went on to play a positive role as regards a non-abusing son; e) Socioeconomically no real differences were found between drug abusers and nonabusers; f) Lower SES group was found to be more experimental with drugs than those staying with parents, again for interesting reasons given by Dr. Lather. Once thing, the author very emphatically established is that treatment for drug abuse is not by out-door treatment but by a multi-dimensional approach, with a strong input for socio-psychological counseling both at the individual and the family level.

Drug abuse and drug prevention

A. S. Kohli (1997) In this article, the writer discusses that Drugs have been answerable for the degradation of young age group all over the world and at the same time a brisk profession for the drug traffickers. Not only the young boys and girls fall victim to drugs but elderly people also could not escape from the terrible strangleholds of drugs. The present book is the result of the survey sponsored by Ministry of Welfare. The book comprises various chapters which cover few important features of the problem. The book is devoted to the drugs – its abuse in young students in schools, colleges & cities. The survey studies drug abuse in all educational institutions, all leading cities in India & make assessment of drug users and prevention services in the major cities. It also illustrates the rehabilitation services provided to the drug addicts in the cities. Not only has it dealt the problems at social plank but reviews legal, administrative procedural aspects by the government. The theme has been systematically dealt with in forty one chapters. The contributors of the chapters are from reputed institutes of different major cities as Mumbai, Delhi,

*Guest faculty, Department of PG Studies & Research in Social Work, Mangalore University, Mangalagangothri, Konaje, Dakshina Kannada (Karnataka) INDIA

Hyderabad, Jaipur, Chennai, Ahmadabad, Varanasi, Amritsar, the towns of Puri, Bhubaneswar & Jabalpur any many more. Hence, one can say that this book presents a clear & vivid picture of drugs and related aspects which made this book very informative, useful and interesting.

Ms Debajani Nayak (2016) conducted a non experimental descriptive study to assess the knowledge and practice of substance abuse among adolescence. Socio- demographic variables shows that majority of the participants were Hindus (71%), 81% were males. In knowledge regarding prevention and treatment of substance abuse shows that 5.39% agree with the prevention and treatment of substance abuse. As regards to physical and psychological aspects of substance abuse shows that 7% feel happy after consuming alcohol, 9% have physical comfort, 9% have good sleep and relax well, 10% avoids negative motions. Practice of substance abuse resulting that 56% of students taken alcohol and drugs, 5% of the students were started taking drugs and alcohol by watching their parents. In final statistical analysis it was found that association of knowledge score with socio demographic variables like age, stream of adolescence and occupation of their parents were significantly associated 13.1, 4.03 and 6.35 respectively at a level p value 0.001. R R Jha et.al (2015) conducted a pre experimental study on lifetime use of alcohol in high school students of Bhubaneswar. Data was analyzed for 863 students aged 12-17 years with participants of 58.8% boys and 41.2% girls. Among all 8.2% had taken alcohol at least once in their lifetime. 43.6% were current drug users. Friends and family members had major influences in decision on taking alcohol. Knowledge about harmful effect of alcohol was adequate. Need of crucial intervention at middle and high school level to prevent the alcohol related disorders among adults.

Objectives:

1. To study the psycho social behaviour of youth and perceived reasons for usingv substance.
2. To find the relationship between knowledge and attitude of adolescence.
3. To study or identify the respondents reactions towards the causes and consequences of substance abuse.
4. To make aware among respondents about issues of substance abuse.

The study was conducted on adolescent students of selected colleges at Dakshina Kannada District. Students are studying at different departments. This research will select 60 respondents from the colleges. Primary data was collected personally by distributing the semi-structured questionnaire to the respondents and collecting it from them. Secondary data: Research articles, previous studies, Reports, journals, library and website etc.

The transition from adolescents and the young adulthood is a crucial period in which experimentation with illicit drugs begins in many cases. India too is caught in this vicious circle of drug abuse, and the numbers of drug addicts are increasing day by day. According to other recent data, among those involved in drug and substance abuse in India13.1% are below 20 years. A survey reveals that of the students who came for treatment to various NGOs, 63.6% were introduced to drugs at a young age below 15 years. Overall 0.4% and 4.6% of total seekers in various states were children. 20 million children are estimated to be getting addicted to smoking every year, and nearly 55,000 children are becoming smokers every day in comparison to 3,000 in the US. Recent available data points out that among the alcohol, cannabis and opium users about 21%, 3% and 0.1% respectively were below 18 years. However according to nationwide survey spreads over 13 states by the NGO Prayas in association with the Ministry of Women and Child Development and other organization, 32.1% children, below the age of 18, have tested alcohol, bhang, ganja, heroin or other form of narcotics. It reveals that 70.3% of those kids have been first exposed to one or the other from of drugs by theirs and relatives, 11.7% by their parents.

Analysis and interpretation process is very much essential to bring finding measure suggestions about the research work. In this chapter clearly mentioned what are the response got on the practical question and interpreted.

Findings - A study is not complete unless data and information collected are discussed briefly. In this chapter an attempt is made to mention the major finding very briefly and a summary of the study is mentioned. The researcher interviewed sixty respondents at selected colleges at Dakshina Kannada district to study on awareness and attitude on effects of substance abuse among adolescent students. According to study the following are the major findings.

1. Majority 44 (73%) respondents are not known that drugs are easily available in their community.
2. Majority 39 (65%) respondents are read and heard about addiction and addictive substances.
3. Majority 26(43%) respondents are known about the substance abuse through media.
4. Majority 41(68%) respondents are attended any awareness program about the substance abuse. Majority 57(95%) respondents are not using drugs ever.
5. Majority 2(67%) respondents are consuming alcohol.
6. Majority 41(68%) respondents are, they think that that the use of substances is affects the family.
7. Majority 43(72%) respondents are, they think that the use of substances can damage the organ in the body.
8. Majority 44(73%) respondents are aware that substance abuse can affect their mental and physical health.
9. Majority 30(50%) respondents are agreed that use of substances is a disease.
10. Majority 44(73%) respondents are known about addiction and addictivev substances through mass media.
11. Majority 40(67%) respondents are agreed that addiction is a social evil not a disease.

12. Majority 48(80%) respondents are agreeing that the using addictive substances is harmful to body.

Suggestions - On the basis of the analysis, interpretation and findings, the researcher would like to suggest the following suggestion: Providing proper guidance to the students about the substances.1) Conducting awareness programs that regarding to the effects of substances abuses. 2) Providing counseling to those students who are using substances. 3) Every college should give more prior to the academic performances of the students and set clear substance abuse consequences of violations. 4) Educate faculty, staff, students, parents about substance abuse and involve them in prevention activities Engage students in service learning courses and community services. 5) Offer substance free recreational opportunities. 6) Include in the academic curricula information about substance abuse and addiction. 7) Set good examples for children and adolescents by not abusing alcohol or prescription drugs, using other drugs or smoking. Talk with students about substance use from an early age and continue these conversations through college. Have a discussion about substance abuse- its risks, effects, and how it can damage organs of the body, etc. For students, they should take responsibilities for their own health and respect the rights of others by not drinking, smoking or using other drugs. 8) Students should learn the signs and symptoms of substance abuse, and they should give more attention to their health, career and their future goals.

Conclusions - Drug addiction is a serious problem all over the country, and the number of addicts is becoming larger. The students in this study were aware of the negative aspects of using drugs among young people and individuals who use drugs. The overall findings of the study revealed that the adolescents have average knowledge regarding effects of substance abuse. There was no significant association among the knowledge scores with any of the demographic variables of the adolescents. So the study concluded that there is a need of awareness and motivational classes for adolescents in order to prevent use of substance among them and to build up a healthy and moral generation through which the society and the country can reach its heights. Helping the children's through adolescence and in to childhood although job, one that many parents, school, colleges, religious groups other individuals and organization work hard at more often than not with success.

References:-

1. Ahmed SM, R.A. (2005). Substance and Drug Abuse: Knowledge, Attitude and Perception of School going Adolescents in Bangladesh. (Regional Health Forum)
2. Gincy. (2008). A study to assess knowledge and attitude of adolescence towards alcoholism in a selected colleges in DK District. Indian journal of community medicine.
3. Sharan p. prevention of substance abuse among adolescents in low and middle income countries, J Indian association of child adolescences mental health (2006).
4. Medrela-kunderE. Evaluation of level of student's knowledge about psychoactive drug (2007).
5. International journal of Health Science & Research (2018).
6. World health organization, on substance abuse (2010) resources for the prevention and treatment of substance use disorders. Geneva.2010.
7. Sharma RR. Knowledge of psychoactive substance use: disorders among college students 2001.
8. Chithra SA. The level of awareness and attitude on ill effects of substance abuse among adolescent students on selected high school at Belgaum, 2018.

****

Zinc Oxie Nanoparticles in Cosmetic Products

Renuka Thakur* Dr. S.K. Udaipure**

Abstract - This study is focused on the evaluation of zinc oxide properties and behavior at commercially available cosmetic ingredients by in vitro methods of dermal absorption of zinc oxide and its subsequent chemical determinations. Two methods for determination of of ZnO were used and the results were compared. The spectrophotometric methods (SPM) was selected for its sensitivity and atomic absorption spectroscopy (AAS) was selected as a reference methods. the study was also aimed at monitoring the sample during storage and evaluation of changes in ZnO properties by photon correlation spectroscopy (PCS). Both methods for determination of zinc oxide content in model samples were in good agreement. In the samples obtained by the dermal absorption higher values were always acquired by SPM methods. This difference will be the subject of further investigation. It was also found that the zinc oxide undergo agglomeration in sosmetic product.

Introduction - Zinc oxide has a widespread use in cosmetic products. besides its authorized use as a cosmetic colorant with the color index no CI77947 (Concil Directive 76/768/ EHS) in Annex IV) zinc oxide is applied as bulking agent and skin protecting UV absorber. In sunscreens zinc oxide is used at concetrations up to 25%.

Since there is a very rapid development of nanotechnology, it is not surprising that nanopartices it is not surprising that nanoparticles found application also in the cosmetics industry. These nanoparticles (NPs) with dimensions less than 100nm allow tailored product formulations to meet the specific demand of the consumer. Using nanosized particles in cosmetics generates products with improved texture, more vibrant color, and greater skin penetration.

Zn2+ is generally considered a non-toxic metal. this view is based on the knowledge that Zn2+ is an essential nutrient present in virtually every cell. To must be consumed in the diet and absorbed to maintain human health and it does not appear to accumulate with age, etc.

However, there are many issues to be discussed regarding the use of NPs. The development of new type of NPs is faster than the evaluation of their safety. In spite of the interest of research teams, thare are still insufficent information regarding the identification of potential health risks. These risks may be associated with the unknown effect of nanoparticles in long term exposure. Problems may alo arise from insufficient characterization of prepared NPs. Although zinc oxide is considered to be non-toxic substance as it is preactically insoluble in water, there are incomplete data on its purity and physico-chemical specifications of zinc oxide. there is a lack of reliable data on the percutanceous absorption of micronised zinc oxide. Moreover Harma proved in his study that zinc oxide NPs cause statistically significant DNA damage at concentrations of 5 and 0.8ug/ml in human epidermal cells.

In early 2009, the Therapeutic Goods Administration (TGA) conducted an updated review of the scientific literature in relation to the use of nanoparticulate zinc oxide and titanium dioxide in sunscreens. The potential for zinc oxide NPs in sunscreens to caue advaerse effects depends primarily upon the ability of the NPs to reach viable skin cells. The current weight of evidence suggests that zinc oxide NPs do not reach viable skin cells. It is necessary to continue monitoring the emerging scientific literature to ensure appropriate action in case unacceptable risks are identified. It is therefore very important to pay attention to this issue. We should try to understand the behavior of NPs in biological systems and ensure the security of these systems.

However, the questions of nanoparticle toxicity is not as simple as examining individual particles only. Due to their high diffusiivity, NPs should exist as individual particles for only a short time and will agglomerate rapidly. Therefore, it is essential to understand the fate of these agglomerates upon to ascertain whether subsequent toxicological effects are attributable to the nanoparticle physical properties or are a function of their chemical composition. There are studies on the degree of nanoparticle agglomeration examining nanoparticle powders in solution and in the aerosol state.

It is necesssary to focus on making products with a controlled particle size and minimal agglomeration. Then we will be able to understand how particle size affects the properties of the product, leading to the successful using of ZnO NPs. Dodd is already able to produce zinc oxide

*Govt. Narmada College, Hoshangabad (M.P.) INDIA
** Govt. Narmada College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

NPs with an average size of 33nm using a three stage mechanical grinding.

In this study we wanted to contribute to the awareness of the properties and behavior of oil based dispersion withe the contents of zinc oxide.

Experimental - Samples for Zno determination.

Comparison of AAS and spectrophotometric determination was carried out.

a. on solutions of accurately known concentration of zinc oxide,
b. model samples
c. and samples that were obtained by the in vitro method of dermal **absorption of model samples. The technique is described more below in chapter 2.3**

As a model sample two types of samples containing zinc oxide (55%), which are commercially available as cosmetics ingredients, were used. Both samples were zinc oxide based oil dispersion. The samples differ in the composition of the oil base.

The model sample no 1 consisted of zinc oxide, C12-15 alky1 benzoate and polyhydroxystearic acid. The model samples no 2 was composed of zinc oxide, C12-15 alky1 benzoate and polyhydroxystearic acid and isostearic acid. Chemical determination - At first, we carried out a chemical determination of zinc by AAS and verified correlation of AAS results with spectrophotometric determination. For the determination of zinc by AAS spectrophotometer GBC scientific Equipment PTY LTD was used (flame type : air-acetylene, fuel lean).

The spectroscopic determination of zinc was carried out according to the methodology described by Benamor and co-workers. The mothod is based on the color reaction between Zn2+ and the xylenol orange in constant pH. Permanent environment (pH 5.5) was provided by acetate buffer and the stability of the reusulting colored complex was provided by addition of the cationic surfactant cetylpyridinium chloride. Readings were taken every 30 minutes with instrument HACH DR/2000. Such time interval is necessary to stabilize the complex formed and to enhance the accuracy of measurement.

The spectrophotometric method was chosen for its sensitivity, which enables determined 40 to 800 ug Zn2+/1. Before the determination, samples had to be mineralized by 6M hydrochloric acid and boiling.

Dermal Absorption - The test was performed according to Regulation SCCS/1358/10 (The scientific committee on consumer safety) and in compliance with commission Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods according to the European Parliament and council Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals (REACH) and according to OECD methodology, 428(2004) Skin absorption in vitro method.

Dermal absorption studies were performed using static Franz diffusion cells. The experiments were carried out with two types of above characterized model sample containing zinc oxide. Each of the samples was tested on the pig skin (standard dermal substrates suitable for the method). Determination was performed by application of 20 ul of the sample on skin surface and the pig skin was inserted between the upper (donor) and lower (acceptor) of the cells. The experiments were performed with six cells for each of the samples. Throughout experiment, which lasted 24 hours, the temperature was maintained at 32 C by using a thermostar. After exposure, each skin sample was divided into 13 fractions. The list of individual fractions is summarized Table.

Table 1: Fractions obtained y dermal absorption in vitro.

Number fraction	Description
1	Rinsing of the cap
2	Swabbing of excessive product of the skin surface
3	Stratum corneum (e.g.adhesive tape strips)Strips 1-2
4	Strips 3-4
5	Strips 5-6
6	Strips 7-8
7	Strips 9-10
8	Strips 11-12
9	Strips 13-14
10	Strips 15-16
11	Epidermis without stratum corneum
12	Dermis
13	Receptor fluid

Results - At first , it was important to find the correspondence between the method AAS and the selected SPM. solutions of accurately known concentration of zinc respectively zinc oxide have been used. The results are shown in Table 2. Results are expressed as the zinc content in the sample. Both methods of zinc determination showed good agreement, therefore a determination in the model samples could be carried out. Since an adhesive tape was used for stripping, model samples were applied also on tape surface in order to examine the possible affection of results by the presence of tape.

In table 3, the results of a determination of the samples with/without the adhesive tape are presented. Each measurment was performed 10 time . As an example, only the results recorded for the sample no. 1 is presented in the table.

Table 2 : Evaluation of variation in measurements by AAS and SPM using by solution of zinc .

Expected the mass concent ration of Zn [up/1]	Determination of the mass concent ration of Zn by AAS [ug/1]	Difference in determination [%]
174,2	167,7	-3,7
261,3	259,7	-0,6

Expected the mass concent ration of Zn [up/1]	Determination of the mass concent ration of Zn by SPM* [ug/1]	Difference in determination [%]
174,2	171,7	-1,4
261,3	262,1	-0,3

Table 3: Determination of mass of zinc by AAS and SPM in model samples of zinc.

Expected the mass concent ration of Zn [up/1]	Determination of the mass concent ration of Zn by AAS [ug/1]	Difference in determination [%]
Model samples of zinc with the adhesive tape		
353,5	306,0	-13
378,2	363,1	-4,0
Model samples of zinc without the adhesive tape		
415,4	386,9	-6,8
321,7	309,1	-3,7
Expected the mass concent ration of Zn [up/1]	Determination of the mass concent ration of Zn by SPM [ug/1]	Difference in determination [%]
Model samples of zinc with the adhesive tape		
353,5	348,3	-1,5
378,2	359,8	-4,9
Model samples of zinc without the adhesive tape		
415,4	394,1	-5
321,7	271,4	-15

In model samples, varying measurement results were obtained and determined zinc content reached lower values than those declared by the manufacture. Due to this fact, microwave digestion of samples with nitric acid and hydrogen peroxide was performed. Each measurement was performed 6 times. tHe results are shown in table 4.

Table 4: Mineralization of sample and determination by AAS

Expected the mass concent ration of Zn by AAS[up/1]	Determination of the mass concent ration of Zn by AAS [mg/1]	Amount of ZnO [%]
The model sample of zinc No. 1		
2524	1153,0	56,9
2012	790,5	48,9
The model samples of zinc No.2		
1688	699,0	51,5
1952	589,0	37,6

The model samples were not homogeneous, as it is evident from results. This result led us to examine the properties of samples during the measurement. Particle size was measured by PCS and their distribution was evaluated by the apparatus of ZETA Nano SZ. The results are presented in only one sample for illustration. During the study it was discovered, that the average size of the particles of zinc oxide was 139 nm and low distribution curve in the range from 50 to 140 nm was acquired. Figure 2 shows the distribution curve by the same sample after 9 months. The sample was also subjected to ultrasound. The average particle size was 672 nm. There were particle sizes, detected around 100nm as well as 1000nm. This is a very wide range, which indicates a large agglomeration of particles and instablility of the sample.

Fig. 1 & Fig. 2 (see in next page)

In the samples obtained by dermal absorption, the spectrophotometric determination usually provided higher values of zinc content when compared to AAS. The reason for this difference has not been explored yet. (Fig.3)

Fig . 3 (see in next page)

Conclusion - Determination of zinc content by spectrophotometric method and AAS method achieved good agreement in model samples. We can therefore conclude that the spectrophotometric method is suitable for the determination of zinc in real cosmetic products.

Considerable instability of commercially available ingredients with the tendency to agglomeration was observed throughout the study. Agglomeration can be considered a big problem. The problem arises when testing annotated products and the reproducibility of results can be insufficient, Agglomeration of particles in important factor that affects the efficacy of a cosmetic product containing nano-particles.

Another problem is the preparation of these products in which should be guaranteed their immutable characteristics.

A higher percentage of zinc was observed in the spectrophotometic determination in comparison with the AAS method for samples obtained by dermal absorption. This difference may be due to the presence of organic impurities from the skin, which causes problems in the determination. It is therefore important to undergo a total mineralization of individual fractions before chemical analysis.

Dermal penetration of zinc was not demonstrated by any method that was used.

Reference :-

1. Personal Research.

Fig. 1: Distribution curve of the sample No. 1 with the contents of zinc oxide.

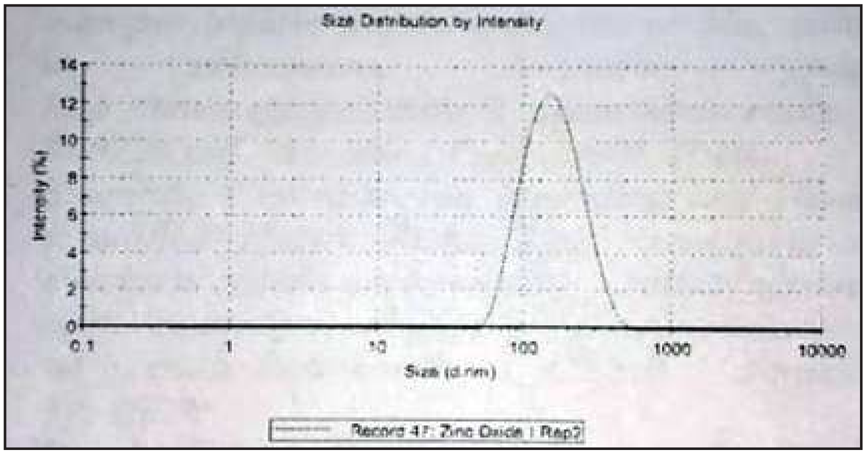

Fig. 2: Distribution curve of the sample No. 1 with the contents of ZnO after 9 months.

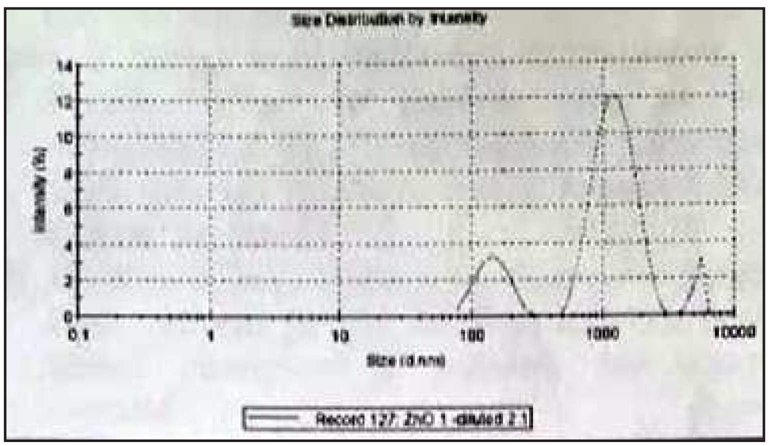

Fig . 3 The content by zinc in the individual fractions of the sample No. 1

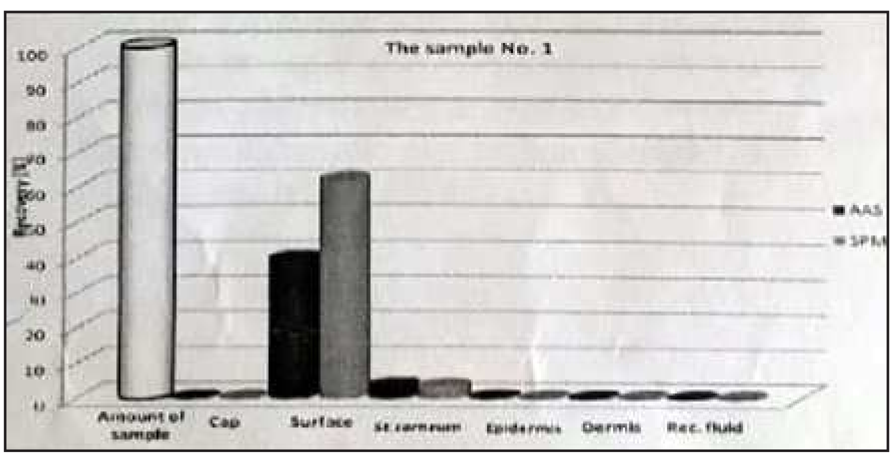

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Effects of COVID 19 on Indian Agriculture

Dr. Savita Gupta*

Introduction - The agricultural value chain in India has been adversely affected by the Covid-19 crisis and the resultant lockdown. Agriculture remains a central pillar of the Indian economy. The sector serves the food consumption needs of the whole country, while also placing among the top exporters of agricultural produce in the world. The industry has been facing its share of challenges in recent years, but few have been as severe as the domestic and international travel restrictions during Covid-19.

The challenges can be broken down into two distinct categories: Labour scarcity and exports. Northern Indian states of Punjab and Haryana are among India's agricultural powerhouses, although farming work in these states is mostly carried out by migrant labour from East India. Only time will reveal the severity of the impacts on agriculture from the novel coronavirus. But, it has laid out its effect on the Agriculture sector. The Agriculture sector is hit by the COVID 19 wave. Here are some highlights of the same:

Markets and farm prices: As we see growing levels of concern, recommendations for social distancing, reduced travel, avoiding crowds, closures, and other protective practices to slow the spread of COVID-19, consumers will be making tough choices about food, eating away from home, and overall spending. Dairy is prominently featured in out-of-home eating, and there may be some disruptions in foodservice sales. This will likely have an impact on markets and prices.

Supply chains slowdowns and shortages: As logistics are disrupted, and efforts proceed to slow the spread of the virus, multiple connected industry sectors are already being impacted. With some products, "panic buying" is creating additional concern. Suppose the virus were to spread more broadly in an agricultural state like Punjab. In that case, we could see issues with farm product delivery and pickup as workers - milk truck drivers, for example - stay home due to illness or caring for family members or school-age children. These same concerns would affect processors. Slowdowns could also impact fertiliser, fuel and other input movement and availability as we head toward spring.

The farm workforce: Even if the general population infection rate remains relatively low, we will likely see some workers who end up sick. Perhaps more importantly, even if the infection rate stays low (single digits), it is highly likely that workers will need to be out of work mainly with school closures and workers who need to stay home to care for sick or elderly family members. The fear of this event and lack of information may also lead to higher levels of absenteeism.

Worker safety and Personal Protective Equipment (PPE): There are shortages of PPE and other protective equipment vita safely l for operating a farm and keeping workers and animals healthy. As a result of the healthcare industry's current demands, N-95 respirator supplies are minimal (likely to be needed this spring for handling dusty grain due to last fall's sub-optimal harvest conditions). There are also reported concerns about the availability of protective gloves that have become commonplace in dairy operations as a protective means to improve milk quality and protect animals and people's health.

Farmers' health: Throughout UP, farmers are a relatively older population, as compared to the general worker population. Data suggest that COVID-19 has a much higher severity level for those in their 60s and older, meaning that preventive and protective recommendations from the Health Ministry and public health experts are critical for our farming population.

Other disruptions: Sparse populations and less frequent travel may provide a natural social distancing for rural communities, but rural residents may face some challenges. Many gathering places, such as schools, are being closed and told to halt everyday routines and events. As a substitute, classes and services are being taught online in some areas and for high school and college students. This may be difficult for some rural residents as high-speed internet service is not available in some state areas, including some of our communities with a strong agricultural base.

Lockdown Effect: When India's nationwide lockdown was announced in March, the knee-jerk reaction was a mass exodus of migrant labour back to rural hometowns, as workers moved to wait out the lockdown while at home. The harvesting process, which usually starts in mid-April, was entirely thrown off balance, resulting in significant liquidity issues. The June crop is among those that has been particularly hard hit.

*Professor (Economics) Govt. Narmada College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

The labour scarcity has also affected the supporting infrastructure around India's agriculture sector. For instance, storage units and milk processing plants are understaffed. Shackled operations in the manufacturing industry have influenced the development of irrigation equipment in India, with irrigation-relation manufacturing currently operating at 30% of its potential capacity.

Then there is the transportation sector. Movement across state borders has been heavily restricted, blocking crop e-auction and, consequently, their sale. Add to this a lack of machine repairs mechanics and other such support staff, and one gets the picture of a sector in trouble.

To mitigate labour scarcity issues, the available labour should be put to use. Workers should be given unemployment allowances, while district authorities should deploy the available labour to the most critical areas, given how crucial the current harvesting season is.

In the medium to long term, the government set up a specialised committee that will look to the mechanisation of farming in India, to reduce reliance on manual labour. Using machinery for critical sowing and harvesting operations can minimise similar risks in the future.

Outside of these domestic woes, a range of export challenges are unfolding. Lockdowns in major economies across the globe have caused delays and backlogs in supply chains. Currently, around half a million tonnes of Indian rice is locked up in the supply chains. At the same time, perishable crops are not being transported at all for fear of deterioration in delayed transit.

Global exports are facing transport and logistics problems, more stringent customs restrictions, and a shortage of containers and shipping vessels. India's agricultural exports of nearly $40 billion are severely affected in this scenario.

For the near term, emergency measures such as opening up lines of credit for exports, a cut in air freight charges, and a focus on essential goods. In the long term, the government should develop a more robust export infrastructure, change policies to allow for a more significant focus on processed foods, and reduce government buffer volumes.

Recent weeks have seen restrictions across the globe being lifted gradually. Economic activity in India is also up and running, while travel restrictions are being imposed in real-time to contain the virus strategically. These new conditions might help the agriculture sector get back to its feet, although the industry has lost crucial sowing and harvesting weeks to the lockdown.

During these challenging times, how does Indian Agriculture respond to the crisis and how do government measures affect 140 million farm households across the country and impact the economy of an essential country in the developing world? We assess the immediate challenges that COVID19 has posed to the farm sector and suggest mitigation measures to ensure a sustainable food system in the post-crisis period.

After the nation-wide lockdown was announced immediately, the Indian Finance Minister declared an INR 1.7 trillion package, mostly to protect the vulnerable sections (including farmers) from any adverse impacts of the Corona pandemic. Among a slew of benefits, the announcement contained an advance release of INR 2000 to bank accounts of farmers as income support under PM-KISAN scheme. The Government also raised the wage rate for workers engaged under the NREGS, world's largest wage guarantee scheme. Under the special scheme to take care of the vulnerable population, Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (Prime Minister's strategy for welfare of the poor), has been announced. Additional grain allotments to registered beneficiaries were also announced for the next three months. Cash and food assistance to persons engaged in the informal sector, mostly migrant labourers, have also been notified. A separate PM-CARES (Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations) fund has been created.

The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has issued state-wise guidelines for farmers to be followed during the lockdown period. The advisory mentions specific practices during harvest and threshing of various rabi (winter-sown) crops and post-harvest, storage and marketing of the farm produce.

The Reserve Bank of India (RBI) has also announced specific measures that address the "burden of debt servicing" due to COVID19 pandemic. Banking institutions have granted agricultural term and crop loans a moratorium of three months (till May 31) with 3 per cent concession on the interest rate of crop loans up to INR 300,000 for borrowers with good repayment behaviour.

Mitigation Measures: The poor sections of society are always the hardest hit in any disaster or pandemic situation. With about 85 per cent of Indian farm households being small and marginal farmers, and a significant part of the population being landless farm labourers, welfare measures to contain any damage from COVID will help them with sincere implementation. The focus of the Government, therefore, has to be to protect the lives of every citizen. However, people living on agriculture and allied activities, mostly those losing their income from informal employment at this lockdown period, have to be provided with alternative avenues (cash transfers) till the economy bounces back (when this health crisis is successfully overcome).

To sustain the demand for agricultural commodities, investments in critical logistics must be enhanced. Moreover, e-commerce and delivery companies and start-ups need to be encouraged with suitable policies and incentives.

The small and medium enterprises, running with raw materials from the agriculture and allied sector or otherwise, also need special attention so that the rural economy doesn't collapse.

To obviate the immediate concerns of the scarcity of farm labour, policies must facilitate easy machinery availability

through state entities, Farmer Producer Organizations (FPOs) or custom hiring centres (CHCs) with appropriate incentives. It is also suggested to explore leveraging NREGS funds to pay part of the farm labour (with farmers paying the balance wage amount) to lessen the farmer's monetary burden while ensuring wage employment to the land labourers workers.

To answer queries relating to the government's announced measurement and address farmers' grievances, besides providing advisories on-farm operations; the Government must establish availability of agri-inputs, dedicated toll-free helplines/call centres (in local/vernacular languages).

Agriculture in India is a State subject, and as has been observed in past years, policies and programs vary from one State to the other. However, agricultural activities interconnected in neighbouring regions, agri-sops, or benefits must not distort the market scenario. Waiver of farm loans, evidence suggests, have not fully benefited most small and marginal farmers. Instead, it affects the borrower's future credit behaviour and negatively impacts the agricultural credit culture altogether. As the Kharif (rainy/ wet) season is fast approaching, institutional lending of crop loans should be expanded and facilitated for smooth (and sufficient) flow of credit to borrowing farmers. Agri-inputs – seeds, fertilisers, agro-chemicals, etc. – have to be pre-positioned for easy availability. The private sector must play a significant role in necessary policy support.

Relaxation of the norms by Agricultural Produce Market Committees (APMCs), allowing farmers to sell their products beyond the designated mandis will undoubtedly ease the burdens of farmers. State Governments must gear up their machinery for smooth procurement operations of farmers' marketable surpluses at MSP (minimum support price) or price support schemes.

Under the COVID19 pandemic, being a health crisis of unprecedented proportions, the significant share of future Budget allocations obviously (and logically so) would be apportioned for the health sector. However, investments should not be crowded out of the primary industry to prevent irreversible damage to the farm economy. Manufacturing and services sectors may be severely hit in the short run until the economy bounces back. It will be thus very appropriate to focus attention on the agriculture sector as a growth engine and also to bring resilience in food (and nutrition) security. At this critical stage, where climate change is already adversely impacting the agriculture sector, productive investments, including research and innovation, would be very purposeful.

Structural reforms such as land leasing, contract farming and private agricultural markets, etc. have long been advocated to bring enhanced investments into the agriculture sector and push its growth. However, state Governments have not ensured the uniform implementation of these legislations, so the industry's full potential is unrealised. These reforms need significant political will. Concerns of a slowdown in the zeal of States, post-COVID scenario, could be tackled with suitable incentive mechanisms by the Federal Government.

With a burgeoning population, there is a corresponding rise in food demand in India. However, the Green Revolution's negative externalities, particularly the environmental trade-offs and staple cereals fundamentalism, have since been realised. Thus it is desirable to switch over to a suitable model with a far stronger nutrition focus where diets are more diverse. A post-COVID situation offers that unique opportunity to repurpose the existing food and agriculture policies for a healthier population.

There have been global concerns, rather speculations, on the restriction of exports of agricultural commodities by a few international players. India, being trade-surplus on commodities like rice, meat, milk products, tea, honey, horticultural products, etc. may seize the opportunities by exporting such products with a stable agri-exports policy. India's agricultural exports are valued at 38 billion US Dollars in 2018-19 and can rise further with conducive policies. Development of export-supportive infrastructure and logistics would need investments and support of the private sector, that will be in the long term interests of farmers in boosting their income.

Many climate models predict a favourable monsoon in the 2020 season (the India Meteorological Department has also since officially announced) as the El-Nino weather phenomenon, that disrupts rainfall in India, is not evident. This is indeed good news in the COVID scenario, assuming agriculture can practice mostly unscathed.

Good news is that the Government of India has now increased its focus on nutrition (besides food)- security and raising farmers' income (rather than enhancing farm productivity). Changing consumer behaviour with suitable programs and incentives is already on the agenda. For all these to happen, the existing landscape of policy incentives that favour the two big staples of wheat and rice has to change. Designing agricultural policies, post-COVID19 scenario, must include these imperatives for a food systems transformation in India.

References :-

1. https://www.icrisat.org/containing-covid19-impacts-on-indian-agriculture/
2. https://nextbillion.net/covid-19-impact-india-agriculture/
3. https://www.researchgate.net/publication/341977760_Impact_of_COVID-19_on_Indian_ Agriculture
4. https://farms.extension.wisc.edu/covid-19-impacts-on-farming/
5. https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2018/February/Oliver-Wyman-Agriculture-4.0.pdf
6. https://www.consultancy.asia/news/3364/covid-19s-impact-on-indias-agricultural-sector
7. Agriculture Newspaper and Magazines

Linear, Instantaneous and Compound Growth Rates of Major Food-Grain Crops in India

Suresh Kumar* Sanjeev Kumar**

Abstract - The objectives of this research paper are to examine the growth rates in respect of area, production and yield of major food-grain crops of India under sub periods as well as overall periods based on the secondary data for the period 1950-51 to 2013-14 given by Ministry of Agriculture, Government of India. Linear, Instantaneous and Compound growth rates of area, production and yield were estimated by fitting Linear and Log-Linear (Semi-Log) models. In general, the agricultural compound growth rates in respect of production and productivity (yield/ha) has been found between 3 percent to nearly 11 percent (all significant) for each crop under study whereas, it has been found as high as 10.7 percent for wheat production and 3 percent for sugarcane yield under overall period (1950-51 to 2013-14). The study has also identified the major bottlenecks of agricultural growth and has suggested some policy measures for increasing the agricultural productivity in the country.
Key words - Linear Growth, Instantaneous Growth and Compound Growth Rate.

Introduction - Agriculture and allied activities has an important role to play to enhance gainful employment opportunities in rural areas as well as well being of the farm families. Undoubtedly, agricultural growth is not only a crucial component but also a pre-condition for growth in the rest of economy. The trend of agricultural production in the past and the estimation of its growth rates can provide a basis for future projections of agricultural output also. The present study also makes an attempt to analyze the agriculture growth with the following specific objectives:

1. to find out the average area, production and yield of selected crops under chosen period;
2. to estimates the linear, instantaneous and compound growth rates of areas, production and yield of selected crops in India i.e. paddy, wheat, maize, sugarcane and all food-grain crops and
3. to find out major bottlenecks of agricultural growth & development and to suggest remedies to alleviate them.

Data Source and Methods - The study is based on secondary data compiled from various publications, data related to area, production and yield of paddy, wheat, maize, sugarcane and all food-grain crops have been collected for the period 1950-51 to 2013-14 given by Ministry of Agriculture, Government of India (Agricultural Statistics at a Glance; 2014). The study period has been divided into three periods viz., pre-green revolution period (1950-51 to 1966-67), green revolution period (1967-68 to 1990-91), post-green revolution period (1991-92 to 2013-14) and overall period (1950-51 to 2013-14) to meet out the objective of growth analysis. Linear as well as Log-Linear models have been used to work out the growth rates.

In order to find out linear, instantaneous as well as compound growth rates, we have applied the following Model.

Linear Growth Model

$Y_t = b_0 + b_1 t$

And linear growth rate = $\frac{b1}{\bar{y}} * 100$

Where $\bar{Y}$ = Average of respective heads under each crop

Semi- Log Model or Compound Growth model

$y_t = y_0 (1+r)t$ ....(1)

$\log y_t = \log y_0 + \log (1+r)t$...............(2)

Now letting,

$b_0 = \log y_0$ and $b_1 = \log (1+r)$

$\log y_t = b_0 + b_1 t$...............(3)

Adding the disturbance term to (3), we have,

$\log y_t = b_0 + b_1 t + u_t$...............(4)

Model like equation (4) is called semi-log model because only one variable (regressed) appears in the logarithmic form or log-linear model. Where Y is treated as area, Production as well as yield and 't' is time trend in each of the crop under given period. In this model,

$b_1 = \frac{\text{Relative change in Regressand}}{\text{Absloute change in Regressor}}$.........(5)

If we multiply b_1 by 100 then it gives the instantaneous growth (at a point of time) rates in percentage terms but not the compound growth rates (over a period of time).

*PGT Economics, Vivekafoundations Senior Secondary School, Mansimbal, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) INDIA

**Teacher Govt. Primary School Balh, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H.P.)) INDIA

However, if we take the anti-log of and subtracting 1 from it and multiplying by 100, we get compound rate of growth in percentage terms.

Prominent Research Work in the Field - The study conducted by **Singh and Kaur (1992)** analyzed the growth in agricultural productivity in Punjab. It has been increasing at a growth rate of little above 4 per cent during the seventies and eighties. **Bhatnagar and Nandal (1994)** reached at the conclusion that the growth rates of wheat in Haryana for a period of 25 years (1966-67 to 1990-91) were found highly significant. **Paltasingh and Goyari (2013)** analyzed the performance of agriculture in terms of growth and instability of area, production and yield of major crops in Odisha. The present study is also an attempt to analyze growth rate in agriculture by using the appropriate method.

Results and Discussion

Average Area, production and Yield Rates - Table 1 depicts the changes in area, production and yield of principal crops grown in the country over the years for the period 1950-51 to 2013-14. All the parameters such as area, production and yield rates under each crop differ significantly between period I to II and period II to III under study as indicated by 't' values for difference at 1 percent significance level. In respect of all food grain crops, the mean area has increased by 12.68 percent under period 1950-51 to 1966-67 and it has decreased by 2.16 percent under period 1967-68 to 1990-91 whereas the average production has increased by 77.42 percent and 65.81 percent under period 1950-51 to 1966-67 and period 1967-68 to 1990-91. Likewise, average yield rate has increased by 57.77 percent and 69.79 percent respectively in period 1950-51 to 1966-67 and period 1967-68 to 1990-91. By taking the whole period under study, the average area, production and yield rate has worked out to be approximately 120.67 ha, 142.22 Mt. and 1164.5 kg/ha respectively. By considering individual crops, it can be seen that area under each crop has increased marginally. Similarly, production and yield rate has considerably increased in the second period as indicated by the t values at 1 percent significance level.

Table 1 (see in last page)

All the values pertaining to kurtosis are below 3 (except the area under maize in 2nd period and all food-grain crops in 3rd period) thereby indicating towards platykurtic nature of respective frequency curves and showing sustained efforts in this front. The frequency curve for area under maize in 2nd period & all food-grain crops in 3rd period showing leptokurtic nature of the frequency curve. Further, most of the skewness values are positive thereby indicating towards decreasing trends of respective parameters overtime whereas negative values indicating towards increasing trends of respective parameter overtime.

Analysis of Growth Rates - Table 2 (a) and 2 (b) represents the linear and log-linear growth rates of area, production and yield of major crops in the country. It can be seen from the table that all the three growth rates stated above have a declining trend in respect of area over the period 1950-51 to 1966-67, 1967-68 to 1990-91 and 1991-92 to 2013 -14 under each crop covered in our study though all the fits are not statistically significant. Coming towards the overall linear, instantaneous and compound growth rates for the whole period in respect of area under all crops in India, these growth rates are found to the tune of 0.15 percent, 0.15 percent and 0.34 percent respectively. Linear growth rate states that area has declined in each year by 0.15 percent and instantaneous growth rate indicates that instant reduction in respect of area for an additional year of crop cultivation is 0.15 percent as well as 0.34 percent due to compounding effect for the whole period though all the fits are not statistically significant.

In respect of production scenario, the growth rates of wheat and all crops has an increasing trend whereas there is a declining trend in case of paddy, maize and sugarcane crops during the period 1950-51 to 1966-67 and 1967-68 to 1990-91 where as there is a declining trend in case of paddy, wheat, sugarcane and all food-grain crops except maize crop during the period 1967-68 to 1990-91 and 1991-92 to 2013-14. By taking the whole period into consideration, all the three growth rates are found positive and statistically significant at 1 percent level for e. g. the compound growth rate for all crops is 5.70 percent.

Table 2 (a) : Growth Rates of Area, Production and Yield of Major Crops in India

(Percentage)

Crops	1950-51 to 1967-68			1967-68 to 1990-91		
	A	P	Y	A	P	Y
Paddy@	1.26	2.97*	1.76***	0.57	2.81**	2.23**
Wheat@	1.92***	3.33*	1.49	1.74***	4.63*	3.06*
Maize@	2.53**	5.30*	2.95*	0.17	1.62	1.57
Sugarcane@	2.99*	5.45*	2.52**	1.53	2.88**	1.47
All @	1.06	2.39**	1.40	0.19	2.64*	2.47**
Paddy#	1.27	3.11*	1.84***	0.57	2.75**	2.17**
Wheat#	2.03***	3.52*	1.49	1.82***	4.88*	3.05*
Maize#	2.58**	5.69*	3.11*	0.17	1.54	1.49
Sugarcane#	3.02*	5.56*	2.53**	1.55	2.90*	1.48
All #	1.44	2.53**	1.44	0.19	2.62**	2.43**
Paddy$	2.96*	7.42*	4.32*	1.32	6.53*	5.12*
Wheat$	4.78*	8.44*	3.49*	4.27*	11.89*	7.27*
Maize$	6.12*	13.99*	7.42*	0.39	3.60*	3.49*
Sugarcane$	7.20*	13.65*	5.99*	3.63*	6.90*	3.46*
All$	3.37*	5.99*	3.37*	0.43	6.21*	5.75*

Note: *A=Area, P= Production and Y= Yield. @, # and $ denotes Linear, instantaneous and compound growth rates respectively. *, ** and *** denotes significance level at 1%, 5% and 10% respectively.*

In respect of yield scenario, the growth rates of paddy, wheat and all food-grain crops has an increasing trend except maize and sugarcane crops during the period 1950-51 to 1966-67 and 1967-68 to 1990-91 where as there is a declining trend in case of paddy, wheat, sugarcane and all food-grain crops except maize crop during the period 1967-68 to 1990-91 and 1991-92 to 2013-14.

Table 2 (b) : Growth Rates of Area, Production and Yield

of Major Crops in India

(Percentage)

Crops	1991-92 to 2013-14			1950-51 to 2013-14		
	A	P	Y	A	P	Y
Paddy@	0.06	1.45	1.39	0.56	2.28**	1.82***
Wheat@	0.92	2.07**	1.13	1.56	3.47*	2.42*
Maize@	2.19**	4.74*	2.48**	1.18	3.05*	2.02**
Sugarcane@	1.36	1.48	0.12	1.60	2.58*	1.19
All @	0.03	1.71***	1.66	0.15	2.24*	2.12**
Paddy#	0.06	1.44	1.37	0.58	2.46*	1.88***
Wheat#	0.92	2.05***	1.13	1.72**	4.43*	2.71*
Maize#	2.17**	4.69*	2.45**	1.22	3.16*	2.30**
Sugarcane#	1.36	1.46	0.12	1.66**	2.94*	1.28**
All #	0.03	1.68	1.64	0.15	2.41*	2.20**
Paddy$	0.13	3.37*	3.20*	1.34	5.82*	4.42*
Wheat$	2.14**	4.83*	2.63**	4.03*	10.73*	6.43*
Maize$	5.12*	11.40*	5.80*	2.84*	7.54*	5.43*
Sugarcane$	3.18*	3.41*	0.27	3.89*	7.00*	2.99*
All$	0.06	3.94*	3.84*	0.34	5.70*	5.19*

Note: *A=Area, P= Production and Y= Yield. @, # and $ denotes Linear, instantaneous and compound growth rates respectively. *, ** and *** denotes significance level at 1%, 5% and 10% respectively.*

The compound growth rates for yield are more on wheat (6.43%) followed by maize (5.43%), paddy (4.42%) and sugarcane (2.99%). Our result shows that trend compound rate of growth for yield is computed to be 5.19%,while the area showed the growth rate of 0.34% and the production 5.70% which are significant at 1 percent level except area during the whole period under study.

Conclusion and the way forward - From the above mentioned findings of the study, it can be concluded that agriculture in India has recorded modest significant compound growth rate for all food-grain crops viz. 0.34 percent, 5.70 percent and 5.19 percent for area, production and yield respectively for the whole period (1950-51 to 2013-14). However, there are many hurdles in the country to upgrade the farm productivity from the present level like irrigation constraints, poor soil fertility due to soil erosion, sharp increase in fragmented; scattered & marginal land holdings, farmers' ignorance towards institutional credit, indiscriminate use of chemical fertilizer, high cost of inputs, problems of stray & wild animals etc. In order to reduce the degree of these impediments, a multidimensional approach comprising of consolidation of holdings, feasible and affordable rain water harvesting techniques, implementation of woman oriented schemes in agriculture, increasing adoption of HYV & hybrid seeds, efforts to revive traditional organic farming, laying more emphasis on fruit & vegetable production, more emphasis on quality of input and also on the irrigation facilities as well as on dry farming where means of permanent irrigation cannot be installed. However, our government should carry out a suitable efforts in order to provide relief to the farmers in India

References:-

1. Adhikari, Anup.& Sekhon, M.K. (2014). An economic analysis of land use dynamics in Punjab. *International Journal of Advanced Research,* 2(5), 551-560.
2. Anonymous. 2014. Agricultural Statistics at a Glance 2014. Department of Agriculture & Cooperation. Ministry of Agriculture, Government of India.
3. Bhatnagar, Sharad.& Nandal, D.S. (1994). Growth of wheat in Haryana. *Agricultural Situation of India.* 49 (8): 575-578.
4. Kannan, Emalia.& Sundaram, Sujata. (2011). Analysis of trends in India's agriculture growth. *The Institute for Social and Economic change.* Banglore, 1-18.
5. Lokesh. (2014). Agriculture development and sources of growth of output in Himachal Pradesh. *International Journal of Development Research*, 4, 852-857.
6. Paltasingh, Ranjan Kirtti., & Goyari, Phanindra. (2013). Analyzing growth and instability in subsistence agriculture of Odisha: Evidence from major crops. *Agricultural Economics Research Review,* 26, 67-78.
7. Sihmar, Rakesh. (2014). Growth and instability in agricultural production in Haryana: A district level analysis. *International Journal of Scientific and Research Publication,* 4, 1-12.
8. Singh, Gyanendra.& Chandra, Hukum. (2000). Growth trends in area and productivity affecting total food-grains production in Madhya Pradesh. *Agricultural Situation in India*, 57(8), 597-602.
9. Singh, Karam.& Kaur, Kulwinder. (1992). Growth in agricultural productivity and nature of technological changes in Punjab agriculture. *Agricultural Situation of India,* 47(4), 355-358.
10. Sinha, D.K., & Thakur, Jawahar. (1993).An economic analysis of growth performance of major food crops in Bihar. *Agricultural Situation of India,* 48(7), 543-548.
11. Swain, H. (2007). Growth and variability of oil seeds production in Rajasthan. *Agricultural Situation in India,* 64(8), 367-375.

Table 1: Average Area, Production and Yield Rates under Major Crops during 1950-51 to 2013-14

Crops	1950-51 to 1966-67 Period (I)	1967-68 to 1990-91 Period (II)	1991-92 to 2013-14 Period (III)	1950-51 to 2013-14 (All)	skewness (Sk) & Kurtosis (K) for period I, II, III & All respectively. 't' values for difference between period I & II and II & III respectively
Paddy Area(ha) Production(000' tons) Yield (kg)	33.13 (2.20) 29.62 (5.41) 888.65 (114.15)	39.44 (1.83) 51.56 (11.27) 1298.2 (226.33)	43.35 (1.16) 88.33 (10.16) 2035.7 (213.05)	39.17 (4.38) 58.94 (25.65) 1454.5 (506.86)	-0.03, 0.02, 0.12, -0.57 (Sk) -1.39, -1.20, -0.81, -0.75 (K) -10.01* and -8.72* (t) -0.03, 0.61, 0.20, 0.25 (Sk) -0.82, -0.71, -0.81, -1.27 (K) -7.40* and -11.69* (t) -0.20, 0.62, 0.46, 0.29 (Sk) -0.65, -0.72, -0.65, -1.20 (K) -6.83* and -11.45* (t)
Wheat Area(ha) Production(000' tons) Yield(Kg)	12.17 (1.45) 9.49 (1.82) 774.65 (80.76)	21.07 (2.81) 34.82 (11.66) 1612 (361.11)	26.97 (1.91) 73.45 (11.34) 2708.8 (232.69)	20.83 (6.22) 41.97 (27.59) 1783.8 (816.44)	-0.76, -0.69, 0.34, -0.35 (Sk) -0.87, -0.69, -0.30, -1.19 (K) -11.97* and -8.34* (t) -0.28, 0.14, 0.54, 0.26 (Sk) -0.84, -1.20, -0.42, -1.23 (K) -8.82* and -11.45* (t) 0.16, 0.37, 0.36, 0.07 (Sk) -1.03, -1.10, -0.55, -1.44 (K) -9.32* and -12.27* (t)
Maize Area(ha) Production(000' tons) Yield(Kg)	4.14 (0.54) 3.58 (0.99) 849.59 (139.28)	5.99 (0.65) 6.78 (1.18) 1163.3 (193.40)	7.18 (1.10) 14.39 (4.87) 1960.1 (358.89)	5.93 (1.44) 8.66 (5.42) 1348.9 (555.13)	-0.18, 4.01, 0.44, 0.33 (Sk) -0.96, 15.52, -1.16, -0.12 (K) -5.82* and -4.54* (t) -0.25, 0.77, 0.63, 1.21 (Sk) -1.10, -0.22, -0.86, 0.81 (K) -9.13* and -7.42* (t) -0.60, 0.82, 0.51, 0.50 (Sk) -0.55, -0.12, -0.90, -0.18 (K) -5.70* and -9.50* (t)
Sugarcane Area(ha) Production(000' tons) Yield(Kg)	2.09 (0.37) 80.80 (25.12) 37853 (5643.8)	2.91 (0.38) 160.58 (35.92) 54348 (6162.5)	4.30 (0.51) 292.25 (41.09) 67771 (3071.3)	3.19 (0.99) 186.71 (92.60) 54791 (12816)	0.12, -0.09, 0.22, 0.29 (Sk) -0.51, -0.25, -0.98, -0.88 (K) -7.15* and -11.04* (t) 0.35, 0.38, 0.16, 0.26 (Sk) -1.14, -0.39, -0.88, -1.12 (K) -7.84* and -11.66* (t) 0.26, -0.007, -0.87, -0.38 (Sk) -1.27, -0.51, 0.48, -1.10 (K) -8.69* and -9.33* (t)
All Area(ha) Production(000' tons) Yield(Kg)	111.27 (6.84) 71.53 (10.69) 639.82 (61.73)	125.39 (3.24) 126.91 (25.27) 1009.5 (186.22)	122.68 (2.55) 210.43 (27.44) 1714.1 (208.57)	120.67 (7.19) 142.22 (60.50) 1164.5 (471.73)	-1.02, -0.42, -1.64, -1.46 (Sk) -0.11, -0.79, 4.38, 2.19 (K) -8.82* and 3.69* (t) -0.46, 0.43, 0.51, 0.28 (Sk) -0.46, -0.88, -0.63, -1.11 (K) -8.47* and -10.80* (t) -0.192, 0.53, 0.54, 0.39 (Sk) -0.38, -0.82, -0.55, -1.14 (K) -7.84* and -12.17* (t)

Note: *Figures in the parentheses are standard Deviations.* denotes significance level at 1 per cent.*

****

Dalchini and Its Benefits

Dr. Rajesh Masatkar*

Abstract - Cinnamon (Dalchini) is a dried bark of a small tree (Cinnamomum *zeylanicum*) growing mainly in western/ southern parts of India. It is one of the oldest and important spices available in Indian kitchens as part of 'Garam Masala'. It is characterized by special flavor and aroma due to its essential oils. It is available in market in dried and rolled sticks. Its leaves are commonly called as 'Tejpatra'. Dalchini has been described as 'Tvak' in Ayurveda and used in various ailments like flu, indigestion, strengthens heart muscles, reduces breathless, edema and cough etc.
Keywords – Probiotic, Detoxify, Cinnamaldehyde, Bacteria.

Introduction - Dalchini is a small evergreen tree which is native to India, Sri Lanka, Ceylon, Indonesia and Burma. Dalchini's aroma derives from its cinnamonaldehyde oil which is abundant in its bark. Due to its instant aroma and flavor it can enhance the taste and smell of any dish and is a very popular spice choice since olden days. The spice has numerous health benefits and is used in both Ayurvedic and Chinese folk medicine. The spice tastes pungent, bitter and sweet at the same time and is known for its dry, hot potency, piercing, strong and sharp qualities. It is also easy to digest and balance kapha and vata doshas. Dalchini is very useful in treating diabetes, high cholesterol and improves digestion strength. The cinnamon oil also helps in curing premature ejaculation and insect bites when applied externally.

1. To clean and detoxify individuals body naturally.
2. To save the individuals from digestive dysfunction.
3. To make the people of the country healthy, strong and provide natural look on their body.
4. To make the people of the country useful in the development of our nation.
5. To increases the economical status of the people.
6. To minimizes the intake of medicines.
7. To reduces the cost of treatment at zero level.
8. To saves the time of people from unnecessary treatments.
9. To improve the immunity of the individuals.

Methodology – To test the Cinnamon benefits, I used my mother as a volunteer patient. She has been diabetic and heart patient for 7 years.

Cinnamon Nutritional Facts – Nutritional value of 100 gm of Cinnamon

Total Calories: 247, **Total Fat:** 1.2 gm, **Sodium:** 10 mg, **Potassium:** 431 mg, **Carbohydrates:** 81 gm, **Dietary Fiber:** 53 gm, **Sugar:** 2.2 gm, **Vitamin B6:** 10 %, **Calcium:** 100 %, **Iron:** 46 %, **Magnesium:** 15 %,

Benefit of Cinnamon – Here are some most important and trialed benefit of cinnamon are present before you.

Powerful Antioxidant – Antioxidants protect your body from oxidative damage caused by free radicals. Cinnamon is loaded with powerful antioxidants such as polyphenols. It is so powerful that cinnamon can be used as a natural food preservative. It is super foods.

Powerful Anti-Inflammatory – It helps your body fight infections and repair tissue damage. However, inflammation can become a problem when it's chronic and directed against your body's own tissues. Studies show that this spice and its antioxidants have potent anti-inflammatory properties.

Cinnamon May Reduce the Risk of Heart Disease – it reduces levels of total cholesterol, "bad" LDL cholesterol and triglycerides, while "good" HDL cholesterol remains stable. More recently, a big review study concluded that a cinnamon dose of just 120 mg/day can have these effects. In this study, cinnamon also increased "good" HDL cholesterol level.

Cinnamon Can Improve Sensitivity to the Hormone Insulin – Insulin is one of the key hormones that regulate metabolism and energy use. It is also essential for transporting blood sugar from your bloodstream to your cells. The problem is that many people are resistant to the effects of insulin. This is known as insulin resistance, a hallmark of serious conditions like metabolic syndrome and type 2diabetes. The good news is that cinnamon can dramatically reduce insulin resistance, helping this important hormone do its job.

Powerful Anti-Diabetic Effect – Cinnamon is well known for its blood-sugar-lowering properties. Apart from the beneficial effects on insulin resistance, cinnamon can lower blood sugar by several other mechanisms. First, cinnamon has been shown to decrease the amount of glucose that enters yours blood stream after a meal. It does this by interfering with numerous digestive enzymes, which slows the breakdown of carbohydrates in your digestive tract.

*Asst. Professor (Botany) Govt. Degree College, Nainpur, Dist. Mandla (M.P.) INDIA

Second, a compound in cinnamon can act on cells by mimicking insulin. This greatly improves glucose uptake by your cells, though it acts much slower than insulin itself. Numerous human studies have confirmed the anti-diabetic effects of cinnamon, showing that it can lower fasting blood sugar level by 10-29%. Cinnamon has been shown to reduce fasting blood sugar levels, having a potent anti-diabetic effect at 1-6 grams or 0.5-2 teaspoons per day.

Prevent Cancer – It has been found that the cinnamon extract works as a powerful agent against lymphomas and leukaemia. It acts by blocking the route of certain elements that are important for the restoration of the cell and it slowly reduces the further multiplication of cancerous cells. The cinnamon extract stops the growth of affected cells by keeping the sugar levels under control. This is one of the best Cinnamon medicinal uses.

Cinnamon has been widely studied for its potential use in cancer prevention and treatment. Overall, the evidence is limited to test-tube and animal studies, which suggest that cinnamon extracts may protect against cancer. It acts by reducing the growth of cancer cells and the formation of blood vessels in tumors and appears to be toxic to cancer cells, causing cell death. A study in mice with colon cancer revealed that cinnamon is a potent activator of detoxifying enzymes in the colon, protecting against further cancer growth. These findings were supported by test-tube experiments, which showed that cinnamon activates protective antioxidant responses in human colon cells.

Fight Against Bacterial and Fungal Infections - Cinnamaldehyde one of the main active components of cinnamon, may help fight various kinds of infection. Cinnamon oil has been shown to effectively treat respiratory tract infections caused by fungi. It can inhibit the growth of certain bacteria, including Listeria and Salmonella. The antimicrobial effects of cinnamon may also help prevent tooth decay and reduce bad breath.

Menstrual Aid – Cinnamon has been used by women for centuries to reduce the pain. Whether it is due to heavy menstrual bleeding, uterine fibroids, adenomyosis, and endometriosis or due to childbirth or miscarriage, it gives relief from every pain. It also helps in regulating your period cycle, along with preventing the symptoms of PMS.

Discussion – Although Cinnamon is a healthy spice, one must pay heed to the serving limit. Expert recommends a safe Cinnamon dosage of up to 2gms of Cassia Cinnamon and 5gms of Ceylon Cinnamon per day. Taking in large amounts of Cinnamon can lead to many health complications. My mother is a diabetic patient. I used this Cinnamon dosage on my mother for 3 months. As I mentioned in the above column, my mother got naturally benefit from it. Cinnamon works for diabetic patients.

Findings -

1. Cinnamon lower sugar level.
2. Cinnamon is a powerful antioxidant.
3. Cinnamon controls heart disease.
4. Cinnamon toxic to cancer cells.
5. Cinnamon acts as an anti-carcinogenic agent.

Suggestion :

1. Make powder of Cinnamon and eat with honey.
2. Mix Cinnamon powder and honey well and eat it empty stomach at morning.
3. Take this mixture in less quality in summer because it is acidic.
4. Cinnamon is not suitable for people with heavy periods and nasal bleeding.

Conclusion – It is old says that "Health is Wealth". If health is well then all things is in our hand. But being author of this paper I want to expose multi-benefits of Cinnamon in front of you. Eat one thing instead of many things for getting several benefits. In near future my intention is that I want to expose such multi-benefit things before you. So, an individual get more health benefit by eating such super food and doing less exercise.

References :–

1. https://www.stylesatlife.com/articles/cinnamon-benefits/
2. https://www.athayurdhanah.com/about-ayurveda/dalchini
3. https://cashkaro.com/blog/benefits-of-dalchini-uses-dosage-side-effects/24161
4. https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-benefits-of-cinnamon#secion10
5. https://mishay.com/benefits-of-cinnamon-12-healthy-benefits-of-cinnamon-dalchini

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

Fixed Point Theorems for Quasi- Ontraction with Applications

Dhansingh Bamniya* **Basanti Muzalda****

Abstract - The purpose of this topic is to establish fixed point theorems
For quasi-contraction and theorems on contraction mapping. After this
Result will be use multivalued contraction mappings. Introduced the concept of fixed point theorems for uqasi-contraction and established some results.
A mappings T : M —› M of a matric space M into itself is said to be a quasi-contraction iff there exists a number q,≤ q < 1 ,such that

$d(tx,ty) \leq q.\max\{d(x,y);d(x,tx);d(y,ty);d(x,ty);d(y,tx)\}$

holds for every x,y $\in$ M.

Keywords – fixed point, Unique fixed point, Quasi-contraction,Banach contraction principle.

Introduction - Fixed point theory is an important area in fast growing fields of non-linear analysis and non-linear opretors. A fixed point (also known as an invariant point) of a function is a point that is mapped to itself by the function. That is ,x is a fixed point of the functionfixed point theory is an important area in fast growing fields of non-linear analysis and non-linear opretors. A fixed point (also known as an invariant point) of a function is a point that is mapped to itself by the function. That is ,x is a fixed point of the function f if and only if $f(x) = x$.

Example if f is defined on the real number by $f(x) = 2x - 2$, then 2 is a fixed point of f, because $f(2) = 2$. In graphical terms a fixed point means the point $(x, f(x))$ is on the line Y = x or in other words the graph of f has a point in common with that line.

A fixed point theorem is a result saying that a function f will have at least one fixed point , under some conditions on f that can be stated in general term. Result of this kind are amongst the most generally useful in mathematics. Fixed point theorm concerning the existenct and nature of fixed points used to give solutions to equations.

Every continuous function f from a closed disk to itself has at least one fixed point.

Fixed point property . A topological space x is said to have the fixed point property if for every continuous mapping T form X into itself, there exist a point x in X such that x = Tx.

Clearly a contraction mapping is continuous but the converse meed not be true.

The Banach contraction principle state that a contraction mapping if a complete metric space into itself has a Unique fixed points.

2. Quasi-contractions – Let T be a mapping of metric space M into itself for A C M let

δ(A) = sup {d(a,b):a,b $\in$ A}

and for each x $\in$ M,

let

$$0(x,n) = \{x,tx\ldots\ldots,t^n x\},\ n = 1,2\ldots..,$$

$$0(x,\infty) = \{x,tx,\ldots\ldots\ldots\}.$$

A space M is said to be T orbitally complete if every cauchy sequence which is contained in $0(x,\infty)$ for some x $\in$ M converges in M.

Defination – A mappings T : M — M of a matric space M into itself is said to be a quasi-contraction iff there exists a number q,$0 \leq q < 1$,such that

$d(Tx,ty) \leq q.\max\{d(x,y);d(x,tx);d(y,ty);d(x,ty);d(y,tx)\}$

Holds for every x,y $\in$ M.

Before stating the fixed –point theorem for quasi-contractions we will prove two lemmas on these mapping. First lemma is fundamental.

Lemma 1.- let T be a quasi-contraction on M and lets be any positive integer. Then for each x $\in$ M and all positive integers i and j,i,j $\in$ {1,2……,n} implies $d(T^i x,T^j x) \leq q.\delta[0(x,n)]$.

Proof. Let x $\in$ M be arbitrary,let s by any positive integers and let i and j satisfy the condition of lemma 1 . then $T^{i-1}x,T^i x,T^{j-1}x,T^j x \in 0(x,n)$(where it is understood that $T^0x=x$) and since T is a quasi contraction, we have

$d(t^i x,T^j x)= d(TT^{i-1}x,TT^{j-1}x)$

$\leq q.\max\{d(T^{i-1}x,T^{j-1}x);d(T^{i-1}x,T^j x);d(T^{j-1}x,T^j x);d(T^{i-1}x,T^j x);d(T^i x,T^{j-1}x)\}$

$\leq q.\delta[0(x,n)]$.

*Department of Mathematics, Govt. P.G. College, Khargone (M.P.) INDIA
** Department of Mathematics, Govt. P.G. College, Khargone (M.P.) INDIA

Which proves the lemma.

Lemma 2. - If T is a quasicontraction on M, then

$\delta[0(x,\infty)] \leq (1/(1-q))\ d(x,tx)$

holds for all $x \in M$.

Proof. Let $x \in M$ be arbitrary. Since $\delta[o(x,1)] \leq \delta[0(x,2)] \leq \ldots\ldots$, we see that $\delta[0(x,\infty)]=\sup\{\delta[0(x,n)] : n \in N\}$. The lemma will follow if we show that $\delta[0(x,n)] \leq (1/1-q)\ d(x,Tx)$ for all $n \in N$.

Let η be any positive integer. From the remark to the previous lemma, there exists $T^k x \in 0(x,n)$ $(1 \leq k \leq n)$ such that $d(x,T^k x) = \delta[0(x,n)]$.

Applying a triangle inequality and lemma 1, we get

$$d(x,T^k x) \leq d(x,tx) + d(Tx,T^k x)$$
$$\leq d(x,tx) + q.\delta[0(x,n)]$$
$$= d(x,tx) + q.d(x,Tx).$$

Thererfore, $\delta[0(x,n)] = d(x,T^k x) \leq (\ 1/(1-q)\ d(x,Tx)$.

Since η was arbitrary, the proof is completed.

Main result

Theorem. Let T be a quasi-contraction on a metric space M and let M be T –orbitally complete. Then

(1) T has a unique fixed point u in M,

(2) $\mathrm{Lim}_n T^n x = u$, and

(3) $d(T^n x,u) \leq (\ q^n/(1-q)\ d(x,tx)$ for every $x \in M$.

$$d(T^n x,T^m x) = d(TT^{n-1}x,\ T^{m-n+1}T^{n-1}x)$$
$$\leq q.\delta[0(T^{n-1}x,m-n+1)].$$

According to the remark to lemma 1, there exists an integer k_1, $1 \leq k \leq m-n+1$, such that

$$\delta[0(T^{n-1}x,\ m-n+1)] = d(T^{n-1}x,\ T^{k1}T^{n-1}x).$$

Again, by lemma 1, we have

$$d(T^{n-1}x,T^{k1}T^{n-1}x) = d(TT^{n-2}x,T^{k1}+{}^{1}T^{n-2}x)$$
$$d(T^{n-1}x,T^{k1}T^{n-1}x) \leq q.\delta[0(T^{n-2}x,k_1+1)$$
$$d(T^{n-1}x,T^{k1}T^{n-1}x) \leq q.\delta[0(T^{n-2}x,m-n+2)].$$

Therefore, we have the following system of inequalities.

$$d(T^n x,T^m x) \leq q.\delta[0(T^{n-1}x,m-n+1)]$$
$$d(T^n x,T^m x) \leq q^2.\delta[0(T^{n-2}x,\ m-n+2)].$$

Proceeding in this manner ,we obtain

$$d(T^n x,T^m x) \leq q.\delta[0(T^{n-1}x,m-n+1)] \leq \ldots \leq q^n.\delta[o(x,m)].$$

Then it follows from lemma 2 that

$$d(T^n x,T^m x) \leq (q^n/1-q)\ d(x,Tx).$$

Since $\lim_n q^n = 0$, $\{T^n x\}$ is a cauchy sequence.

Again, M being T – orbitally complete, $\{T^n x\}$ has a limit u in M. To prove that Tu=u, let us conside r the following inequalities.

$$d(u,Tu) \leq d(u,T^{n+1}x)+d(TT^n x,Tu)$$
$$\leq d(u,T^{n+1}x)+q.\max\{d(T^n x,u);d(T^n x,T^{n+1}x);d(u,tu);d(T^n x,Tu);d(T^{n+1}x,u)\}$$
$$\leq d(u,t^{n+1}x)+q.[d(T^n x,T^{n+1}x)+d(T^n x,u)+d(u,tu)+d(T^{n+1}x.u)].$$

Hence

$$d(u,Tu) \leq 1/1—q[(1+q)d(u,T^{n+1}x)+q.d(u,T^n x,T^{n+1}x)].$$

Since $\lim_n q^n = 0$, $\{T^n x\}$ is a cauchy sequence.

Again, M being T – orbitally complete, $\{T^n x\}$ has a limit u in M. To prove that Tu=u, let us conside r the following inequalities.

$$d(u,Tu) \leq d(u,T^{n+1}x)+d(TT^n x,Tu)$$
$$\leq d(u,T^{n+1}x)+q.\max\{d(T^n x,u);d(T^n x,T^{n+1}x);d(u,tu);d(T^n x,Tu);d(T^{n+1}x,u)\}$$
$$\leq d(u,t^{n+1}x)+q.[d(T^n x,T^{n+1}x)+d(T^n x,u)+d(u,tu)+d(T^{n+1}x.u)].$$

Hence

$$d(u,Tu) \leq 1—q[(1+q)d(u,T^{n+1}x)+q.d(u,T^n x,T^{n+1}x)].$$

Since $\lim_n T^n x = u$, this shows that $d(u,tu) = 0$. The uniqueness follows from the quasi-contractivity of T.So we have (1) and (2) as x was arbitrary. Letting m tend to infinity so we obtain the inequality(3).

The proof is completed.

3.Application.-The application of fixed point theorem enocompass diverse disciplines of mathematics ,statics ,engineering and economics in dealing with problems arising in approximation theory, potential theory, game theory, mathematical economics ,theory of differential equations etc.

To use the Banach contraction principle for Banach theorem.

Theorem [Banach]

let T be a contraction on a complete metric space X. Then T has a unique fixed point $x \in X$.

References :-

1. Lj.B.ciric, A generalization of Banach contraction principle ,Amer math soc.45(2)1974,267-273.
2. S.kumar and M.imdad, Fixed point theorem for a pair of non-self mappings, 46(2003)919-927.
3. Richard S.palais, A simple proof of the Banach contraction principle, app2(2007),221-223

****

Study of Zooplankton density and physico-chemical parameters in Man dam district Dhar (M.P.) India

Dr. D. S. Waskel* Dr. K.S. Alawa**

Abstract - The study of zooplankton density in Man dam district Dhar was carried out for a two years seasonally from 2018-2019.Plankton density and physico-chemical parameters are an important role for evaluation of suitability drinking water and irrigation. The physico-chemical parameters are very important factors of environments, which fluctuates population dynamic of the Man dam. The plankton plays a very important role for maintaining the productivity of the water body. A total of 16 species were recorded: 8 Rotifers, 4 cladocerans, 3 popepods and 1 protozoans. Zooplanktons were identified comparising of four major plank tonic groups viz. Rotifera, cladocera,copepod and protozoa.These groups are represented in order of dominance as Rotifera>Cladocera> Copepoda>Protozoa. The water samples were analyzed for pH, specific conductivity, Alkalinity, Nitrates, phosphate, total hardness, dissolved oxygen and biological oxygen demand.

Key words - Man dam, Physico-chemical parameters, Zooplanktons.

Introduction - The zooplanktons constitute an important link between primary producers and consumers of higher order in the aquatic food chain and food Web. They play a major role in energy transfer at secondary level and their composition upon different environmental factors. Plankton is an almost importance in the fresh water ecosystem as these are the main source of energy and having a very high nutritive value (Mishra and Joshi 2003).

The aim of the present study was to investigate the species composition, distribution of diversified zooplankton in Man dam Dhar. The fluctuation of the zooplankton assemblages in Man dam was studied in year 2018-2019.

The zooplankton place an integral role and serves bioindicators and it is a well suited tool for understanding water pollution status (Ahmed, 1996, Contreras et al. 2009). The zooplankton density was identified up to genus level and seasonal variations of total zooplankton in the Man dam district Dhar. The group accounted for a contribution of Rotifers 20.2%, Cladocera 12.41%, Copepods 11.34% and protozoan's 6.6% respectively.

Material and methods: The present study was carried out in the Man dam district Dhar (M.P.). Water sample were collected from six stations of Man dam in glass bottles seasonally during 2018 to 2019. The plankton samples were collected following Welch (1953) and Lind (1979) by filtering 40 lit. of water through small plankton net made up of bottling silking 25(64 ì mesh size). The concentration was preserved in 5% formalin and Lugol's solution for plankton study respectively. The zooplanktons were identified with the help of keys provided by Edmondson, 1959 and Adoni 1985, APHA, 1985.

Counting of the individual zooplankton was done by Sedgwick Rafter cell (1985), Method using formula Zooplankton/lit=n (V/v) 1/c×10^3

Where:

n= Total no. of individual in observed transacts.

v= volume of the samples in counting cell in mm^3

v= volume of observed transacts in mm^3

C = Concentration factor

= <u>Original volume of sample(ml)</u>
Volume of sample concentration (ml)

Standard deviation (SD):

$$SD = \frac{\sqrt{\Sigma(x-\bar{x})^2}}{n-1}$$

Density = mean + SD x 10^2

Where;

X = Individual reading of parameter

X-= mean of x "x

n = Number of samples.

Study area: The Man dam is being constracted at village Jeerabad of Tahsil Gandhwani district Dhar (M.P.) India. The dam being built on the Man river drained by the Narmada river is one of the 30 major dams being built in the Narmada Valley a part of the controversal Narmada Valley development project (NVDP).

The man dam reservoir planed to benefit mainly the drought prone fisheries tribal areas of Dhar district. The maximum hight of the dam is 49.40 meters above depest foundation level. A two canal system one on either bank to

*Head of Department Zoology, Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA
** Department of Botany, Maharaja Bhoj Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA

irrigale the project command in 49.09 m and of the earth dam will be 33.9m a lavel of 300.4m for all 3 dams. The right bank canal lakes of the Saddle dam No.1 at R.D.1620m while the left bank canal lakes off the dam R.D.240m.

Results and Discussion: In the present study the zooplankton population was found to be comparising of four major groups viz. Rotifers, cladocerans, copepods and protozoans. In all 16 species of zooplankton were identified : 8 Rotifers, 4 cladocreans, 3 copepods and 1 Protozones. In the present study the density the of total zooplanktons 2460 no/lit and 2390 no/lit duting 2018 and 2019 respectively. In the Man dam. The succession of zooplankton is noticed as Rotifera > cladocera > copepoda > Protozoa.

(I) Rotifera : In the present study rotifers recorded as a first dominant group of the total zooplanktons. The rotifers density in the contributed 10.12 to 20.01 %. The maximum density of rotifer was recorded during the summer season and minimum in the rainy season. Rotifers are most sensitive bioindicators of water quality and their presence may be used as a reference to the physico–chemical characteristics of water (Hafsa and Gupta 2009).

(II) Cladocera: The group cladocera comprising of water fleas, commonly occurred in almost all the fresh water bodies. Cladocera forms second dominating group of zooplankton in the present study. The cladocera density in contributed 6.38% to 12.41% of total zooplanktons. The maximum density of cladocera was recorded in the summer season and minimum in rainy season.

(III) Copepods: The copepods are major links in the aquatic ecosystem. The copepods density in this pond contributed 2.97% to 11.34% of total zooplanktons. The maximum density of copepods was observed in the summer season and minimum in the winter season.

(IV) Protozoa: Protozoa are also important members in food chain an aquatic ecosystem. In the present study protozoan density in contributed 1.13% to 6.66% of total zooplanktons. The maximum density of protozoans was recorded in the summer season and minimum in the rainy season. Rao (1987), Choubey (1990) and Sharma (1993), reported high density of protozoa in summer season.

Conclusion: In the present study it was concluded that there was a continues declining in the number of species due to various anthropogenic activities. Species recorded in the rainy season were fews numbers due to low food availability. As the zooplankton serve as an important link in the food chain and they are the main source of food and other organisms, thus efforts should be done for their biodiversity conservation.

Acknowledgement: The authors are grateful to Dr. H. L. Fulware, Principal and Dr. D.S. Waskel, Head of Department Zoology, Maharaja Bhoj Govt.P.G. College, Dhar for providing research facilities. We are also thankful to PHE Officer Dhar for help during study of Man dam. Special thanks are due to all acknowledgeable for the important information giving regarding the study area.

References :-

1. **APHA (1975**): standard methods for the examination of water, sewage and industrial wastes.14thedn. APHAInc. New York. P. 1193.
2. **Hasfa S. L. and Gupta S (2009)** : Phytoplankton diversity and dynamics of chatla flood plain lake. Barak Valley,Assam North East India – A seasonal study Journal of Environmental Biology , 30(6) 1007-1012.
3. **Kar,s and Kar D. (2013):** studies on zooplankton diversity of an oxbow lake of south Assam, India. Int. jour. Of current research,5(12):3652-3655.
4. **Kiran , B.R. , E.T. Puttaiah and D Kamath (2007):** Diversity and seasonal fluctuation of Zooplankton in fish pond of Bhadra fish farm, Karnataka, Zoos Print J. 22,2935-2936
5. **Krishnamoorthy , S. Rajalakshmi and D. Sakthivel (2007):** Diversity of Zooplankton in mangrove areas ofPuducherry, India j. Aqua. Bio. Vol. 22(1) PP45-48.
6. **Kurbatova, S.A. (2005)** : Response of microcosm zooplankton to acitification ; Lzv. Akad. Nauk. Ser Biol.,1 , 100-108
7. **Methivanan , V.P. Vijayan , S. Sabhanakayam and O.Jeyachitra (2007):** An assessment of plankton population of Cauvery river with reference to population.J. Environ. Biol. 28, 523-526.
8. **Mishra S. and Joshi B.D.(2003)** : Assessment of water quality with few selected parameters of river Ganga at Haridwar. Him. J. Env. Zo ol.17(2) : 113-122.
9. **Pawar, S.M.(2014):** zooplankton diversity and density in same fresh water bodies around Satara (M.S.) India. Jour. Of environments,1(2):64-67.
10. **Park, S.K. and H.W. shin. (2007):** Studies on phyto-and-zooplankton composition and its relation to fish productivity in a west coast fish pond ecosystem. J.Environ. Biol., 28, 415-422.
11. **Sharma, K.N. and P.C.Mankodi (2011):** Study on plankton diversity of Narmada river, Gujarat. Jour. Of current sci., 16(1), 111-116.
12. **Smitha, P.G.,K. Byrappa and SN Ramaswamy (2007):**Physico – chemical characteristics of water samplesof bantwal Taluk, South-eastern Karnataka, India J.Environ Biol., 28, 591-595.
13. **Waskel, D.S. (2015):** Zooplankton density and Phyco-Chemical characteristic in Sitapat Pond at Dhar town (M.P.) India. Jour. Of NSS, 2(2):20-24.
14. **Waskel,D.S. and K.S. Alawa (2020):** A study on ground water quality in Dhar town, district, Dhar (M.P.). Jour. Of NSS, 1(1):321-324.

Table-1 : Seasonal variation in Zooplankton density in Man dam reservoir (no/lit.) during 2018

No	Name of the group & Genera	Seasons																		Annual Total	Status
		Rainy						Winter						Summer							
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
	ROTIFERA																				
1	Branchionus caudatus	0	0	5	8	0	0	0	2	15	17	0	0	2	8	17	8	5	2	89	C
2	Branchionus forficula	0	0	10	5	9	2	0	5	10	15	2	5	15	10	18	12	5	8	131	A
3	Branchionus falcatus	8	2	11	12	3	0	7	6	7	8	2	0	5	8	18	12	11	7	127	A
4	Keratella sp.	10	12	15	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0	18	20	5	8	5	120	A
5	Mnostyla sp.	10	11	17	12	12	2	0	0	0	0	3	2	10	12	15	25	2	4	137	A
6	Lepadella rhombiodes	12	8	0	2	4	0	4	0	0	0	12	2	15	8	4	0	0	8	79	C
7	Hexarthra mira	0	2	2	0	0	3	10	12	15	4	2	3	7	8	15	17	17	13	130	A
8	Notholca sp.	0	0	0	0	0	0	10	18	11	12	12	15	0	0	0	0	0	0	78	C
	Total species	**40**	**35**	**60**	**39**	**28**	**19**	**46**	**43**	**58**	**56**	**33**	**27**	**54**	**72**	**107**	**79**	**48**	**47**	**891**	
	CLADOCERA																				
1	Bosmina sp.	8	10	2	11	0	0	4	8	12	13	17	11	18	13	15	17	4	6	169	A
2	Daphnia sp.	0	0	0	0	6	8	8	10	13	10	8	12	15	10	20	17	12	5	154	A
3	Monia sp.	10	8	8	12	10	0	12	11	13	12	13	16	19	20	21	18	13	11	227	A
4	Leydigia sp.	8	7	6	9	15	20	0	0	0	0	2	5	3	2	5	8	9	12	111	A
	Total species	**26**	**25**	**16**	**32**	**31**	**28**	**24**	**29**	**38**	**35**	**40**	**44**	**55**	**45**	**61**	**60**	**38**	**34**	**661**	
	COPEPODA																				
1	Cyclops sp.	0	11	12	10	15	18	10	6	8	6	4	3	10	25	21	18	15	6	198	A
2	Mesocyclops sp.	8	11	13	12	10	12	0	0	0	3	5	1	8	18	20	22	16	15	174	A
3	Phyllogiaptolus blani	0	10	0	4	3	0	0	4	6	8	3	5	15	28	30	8	32	15	171	A
	Total species	**8**	**32**	**25**	**26**	**28**	**30**	**10**	**10**	**14**	**17**	**12**	**9**	**33**	**71**	**71**	**48**	**63**	**36**	**543**	
	PROTOZOA																				
1	Arcella sp.	0	0	0	0	0	8	3	2	5	9	5	8	10	11	22	31	9	10	133	A
	Total species	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**3**	**2**	**5**	**9**	**5**	**8**	**10**	**11**	**22**	**31**	**9**	**10**	**133**	

Abundence, C=Common

Table-3 : Yearly variation of zooplanktons density in Man dam reservoir (Mean + SD + 10^2)

S.	Name of Genera	Year 2007	Year 2008
1	Rotifera	61.13+3.104	61.77 +2.589
2	Cladocera	18.77+ 2.345	19.45 +2.369
3	Copepoda	14.34 +2.43	14.01 +1.834
4	Protozoa	5.60 + 1.416	4.74 +0.570
	Total	**99.84 + 9.295**	**99.97 + 7.362**

Table-2 : Seasonal variation in Zooplankton density in Man dam reservoir (no/lit.) during 2019

No	Name of the group & Genera	Seasons																		Annual Total	Status
		Rainy						Winter						Summer							
		I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI		
	ROTIFERA																				
1	Branchionus caudatus	0	7	15	8	0	0	0	2	12	17	8	2	11	8	15	18	7	5	135	A
2	Branchionus forficula	0	5	10	2	9	4	5	15	10	12	2	3	13	12	17	19	4	8	150	A
3	Branchionus falcatus	9	12	10	2	9	4	5	15	10	12	2	3	13	12	17	19	4	8	192	A
4	Keratella sp.	9	10	15	0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	18	27	11	12	4	121	A
5	Mnostyla sp.	11	12	17	12	8	6	0	0	0	0	9	3	12	13	15	28	11	3	160	A
6	Lepadella rhombiodes	10	8	2	3	2	0	2	1	0	0	12	2	15	8	0	0	0	6	71	A
7	Hexarthra mira	0	2	5	0	0	3	11	21	15	3	10	8	16	18	20	14	12	11	169	A
8	Notholca sp.	0	0	0	0	0	0	0	9	11	8	12	13	14	0	0	0	0	0	67	C
	Total species	39	56	74	37	35	18	31	61	64	58	58	39	96	85	111	102	59	42	1065	
	CLADOCERA																				
1	Bosmina sp.	7	11	2	9	0	0	4	7	13	14	7	11	15	17	19	16	5	2	159	A
2	Daphnia sp.	0	0	0	0	5	8	8	12	13	10	11	12	15	10	18	17	15	7	161	A
3	Monia sp.	8	7	7	11	9	1	12	11	13	15	18	16	12	19	25	21	12	13	230	A
4	Leydigia sp.	6	7	6	9	15	17	0	0	0	0	3	7	3	2	5	8	9	11	108	A
	Total species	21	25	15	29	29	26	24	30	39	39	49	46	45	48	67	62	41	33	658	
	COPEPODA																				
1	Cyclops sp.	0	10	11	9	14	15	11	5	7	5	5	4	11	16	15	13	10	6	167	A
2	Mesocyclops sp.	7	10	12	11	9	11	0	0	0	3	4	1	9	15	11	11	14	12	140	A
3	Phyllogiaptolus blani	0	5	4	3	2	0	0	4	5	7	3	5	11	10	15	9	13	15	111	A
	Total species	7	25	27	23	25	26	11	9	12	15	12	10	31	41	41	33	37	33	418	
	PROTOZOA																				
1	Arcella sp.	0	0	0	0	0	5	4	3	6	8	2	2	5	10	12	15	9	4	85	C
	Total species	0	0	0	0	0	5	4	3	6	8	2	2	5	10	12	15	9	4	85	

Abundence, C=Common

****

चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात - एक तुलनात्मक विश्लेषण

पूनम वासनिक*

शोध सारांश - चम्बल संभाग में निरंतर गिरता हुआ बाल लिंगानुपात इस क्षेत्र की सामाजिक-जनांकिकी विकास के लिए खतरे की घण्टी है। पूर्व जनगणना-2001के अनुसार चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात 850 था,जो -4 अंक की गिरावट के साथजनगणना-2011 में 846 रह गया,-4अंकों की यह गिरावट बालिकाओं के भविष्य सहित महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। जनगणना 2001 से 2011 के मध्य चम्बल संभाग के विभिन्न जिलों में ऋणात्मक परिवर्तन का अध्ययन मेरे शोधपत्र का विषय है। शोधपत्र अध्ययन हेतु द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात - एक तुलनात्मक विश्लेषण - मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित चम्बल संभाग वर्षो से दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है, परंतु वर्तमान में सर्वाधिक कम बाल लिंगानुपात के कारण पुन: ये क्षेत्र चर्चा का विषय रहा है। बाल लिंगानुपात से तात्पर्य जन्म से 6 वर्ष तक की आयु में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या से है। भारत का बाल लिंगानुपात 919 प्रति हजार है वही मध्यप्रदेश का 918 प्रति हजार है। मध्यप्रदेश के विभिन्न संभागों में बाल लिंगानुपात पर दृष्टिपात किया जाए तो शहड़ोल (946), जबलपुर (947), नर्मदापुरम् (938), इन्दौर (932), उज्जैन (927), भोपाल (922), सागर (912), रीवा (905), ग्वालियर (882) तथा चम्बल (846) है। चम्बल संभाग का बाल लिंगानुपात 846 लड़किया प्रति हजार लड़कों पर है जो अत्यंत चिंतनीय प्रश्न है। यह संभाग मध्यप्रदेश का सबसे न्यून बाल लिंगानुपात वाला संभाग है। वर्ष 2001 की जनगणनानुसार चंबल संभाग का बाल लिंगानुपात 850 था जो 2011 में घटकर 846 रह गया है। यह एक खतरे की घण्टी है, जिससे हम सभी को सावधान हो जाना चाहिए अन्यथा अनेक जनांकिकी, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

चम्बल संभाग के अंतर्गत तीन जिलों- भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर को सम्मिलित किया जाता है। भिण्ड जिलें का बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में 832 था जो 2011 में बढ़कर 843 हो गया। जबकि मुरैना जिलें का बाल लिंगानुपात 2001 में 837 था जो 2011 में 8 अंक गिरकर 829 रह गया जबकि सर्वाधिक गिरावट श्योपुर में अंकित की गई है जहां जनगणना 2001 अनुसार बाल लिंगानुपात 929 था जो 32 गिरकर जनगणना 2011 में 897 रह गया। श्योपुर आदिवासी बाहुल्य जिला है। जनगणना 2001 में श्योपुरमें आसपास के दोनों जिलों भिण्ड एवं मुरैना से अधिक बाल लिंगानुपात था 32 अंकों की यह गिरावट अत्यंत चिंतनीय है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में बाल लिंगानुपात सामान्यत: प्रकृति के अनुकूल रहता है।

जैविक रूप से लड़कियों का जन्म लड़कों से अधिक होता है तथा उनकी जीवन प्रत्याशा भी पुरूषों से अधिक होती है। तो चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात में यह गिरावट प्राकृतिक न होकर मानवीय कृत्रिम प्रतीत होती है। कन्या भ्रुण हत्या, नवजात कन्या हत्या, बालिकाओं की सुरक्षा, दहेज प्रथा, पुत्र प्राप्ति की लालसा आदि बाल लिंगानुपात गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण है। इस असंतुलन के कारण भविष्य में इस क्षेत्र को विभिन्न समस्याओं जैसे अविवाहित लड़कों की बढ़ती संख्या, बालिका सुरक्षा की समस्या, बालिकाओं के अपहरण में वृद्धि, कम आयु में बालिकाओं का विवाह, बालिकाओं के प्रति यौन अपराध में वृद्धि आदि समस्या समाज की प्रमुख समस्या का रूप धारण कर लेगी।

चम्बल संभाग में बाल लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए न केवल सरकार बल्कि विभिन्न गैर-सरकारी संगठन, शोधार्थी भी कार्यरत है, परंतु फिर भी यह असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके समाधान हेतु विभिन्न बुद्धिजीवियों, सामाजिक संस्थाओं, शोधार्थियों ने निम्न सुझाव दिये है :-

1. पितृसतात्मक समाज में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से बालिकाओं के महत्व को समझाना।
2. बालिका भ्रुण हत्या तथा नवजात कन्या हत्या जैसे कुकृत्यों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान व क्रियान्वयन।
3. आँगनवाड़ी, ए.एन.एम. आशा दीदी, स्कूल-महाविद्यालयों में एन.एस.एस., एन.सी.सी. के माध्यम से बालिका के महत्व को समझाना।
4. दहेज विरोधी कानूनों को सख्ती से क्रियान्वयन तथा दहेज बिना शादी को पुरूस्कृत करना।
5. बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना।
6. बेटियों की सुरक्षा हेतु न केवल पुलिस, सरकारी संस्थाएँ बल्कि समाज को भी जागरूक बनाने का प्रयास करना।
7. स्कूलों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा बाल लिंगानुपात असंतुलन के प्रभावों का नुक्कड़ नाटक द्वारा जागरूकता अभियान चलाना।
8. PCPNDT एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, चेतन, 2009 क्या अपराध है नारी होना? ग्रन्थ विकास, वर्कखाना, राजा पार्क, जयपुर
2. "Gender Issues and Women Empowerment" Discovery, Publishing House, New Delhi, 2007
3. दीक्षित रंजना, 2010 'चम्बल घाटी में न्यून स्त्री अनुपात' (जिला

* शोधार्थी (भूगोल) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

मुरैना पर एक विशिष्ट भौगोलिक अध्ययन), लघु शोध परियोजना

4. दीक्षित रंजना, 'मध्यप्रदेश में बालिकाओं का घटता अनुपात' (0-6) आयु वर्ग की जनसंख्या में लिंग अनुपात पर विश्लेषणात्मक अध्ययन, शोध पत्र
5. Bajpai Mamta, Decreasing Child Sex Ratio in Madhya Pradesh : Its social reason & prevention.
6. भारत की जनगणना साँख्यिकी - 2001
7. भारत की जनगणना साँख्यिकी - 2011
8. राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार-पत्र पत्रिकाएँ- दैनिक भास्कर, नई दुनिया आदि

****

महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन (कोरोना वायरस के विशेष संदर्भ में)

डॉ. फरहत मंसूरी*

शब्द कुंजी – अधिकारी, कर्मचारी, मनोवैज्ञानिक स्थिति, कोरोना वायरस, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव।

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध पत्र में महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का अध्ययन, कोरोना वायरस के विशेष संदर्भ में किया गया है। कोविड-19 ने वर्तमान समय में पूरे विश्व में महामारी का रूप धरा हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्धारा पूरे विश्व के लिए समय-समय पर गाइडलाइन जारी की गई। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के साथ-साथ भारत में भी अपनी जड़े मजबूत कर ली हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस केरल में सामने आया और इस बिमारी ने धींरे-धींरे पूरे भारत में भी संक्रमण फैला दिया। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। केवल सावधानी ही बचाव है। इसी वजह से आम जनता में कोविड-19 को लेकर भय की स्थिति है। कोरोना वायरस ने महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है।

प्रस्तुत शोध पत्र में सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में बताना चाहूंगी। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार (observation behavior) का अध्ययन करता है तथा मानव के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव, वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। शोधपत्र में महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक स्थिति के बारे में बताया गया है।

शोध अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने के लिए छिंदवाड़ा जिले के 06 महाविद्यालयों में से 60 अधिकारी, कर्मचारियों का चयन दैव निदर्षन पद्धति का उपयोग करते हुए किया गया। तथ्यों के संकलन के लिए फोन के माध्यम से संपर्क कर साक्षात्कार लिया गया।

शोध की उपकल्पना – कोरानाा वायरस ने महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है।

शोध के उद्देश्य :

1. कोरोना वायरस के चलते महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की कार्यशैली की जानकारी प्राप्त करना।
2. कोरोना वायरस के चलते महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना।
3. कोविड-19 से सुरक्षा के लिए महाविद्यालय में किए गए उपायों की जानकारी प्राप्त करना।
4. कोविड-19 के कारण महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों में तनाव की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।

कोरोना वायरस के चलते महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों की कार्यशैली की जानकारी प्राप्त करना

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	योग
1	क्या रोज महाविद्यालय आने से आपको संक्रमित होने का डर है?	85%	15%	100%
2	क्या आपको छात्र-छात्राओं के संपर्क में आने से संक्रमित होने का डर है?	90%	10%	100%
3	क्या आप महाविद्यालय का कार्य कोविड-19 के चलते सहजता से कर पा रहे हैं?	20%	80%	100%

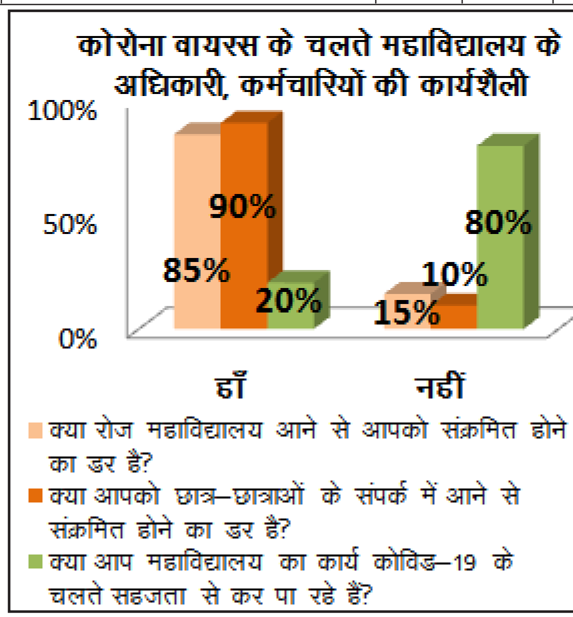

अध्ययन के दौरान फोन के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया तथा साक्षात्कार में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 85 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारियों का यह मानना है कि हम रोज महाविद्यालय आते हैं तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है, उनका मानना है कि रोटेशन में आने से संक्रमण में आने का खतरा काफी कम हो जाएगा तथा साथ ही 90 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारियों का मानना है कि छात्र-छात्राओं के संपर्क में आने से संक्रमित होने की अधिक संभावना है क्योंकि छात्र-छात्राओं में कोरोना वायरस को लेकर गंभीरता की कमी है। वह सही तरह से सावधानी नहीं बरतते हैं। 80 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारियों का मानना है कि वह महाविद्यालय का कोविड-19 के चलते सहजता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कार्य के

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) भारत

दौरान संक्रमित होने का भय है।

कोरोना वायरस के चलते महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	योग
1	क्या आप महाविद्यालय में पूरे समय मास्क का उपयोग करते हैं?	95%	05%	100%
2	क्या आप महाविद्यालय में कार्य के दौरान हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करते हैं?	90%	10%	100%
3	यदि आपको महाविद्यालय में कोविड-19 के चलते कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो आपको बुरा लगता है?	20%	80%	100%

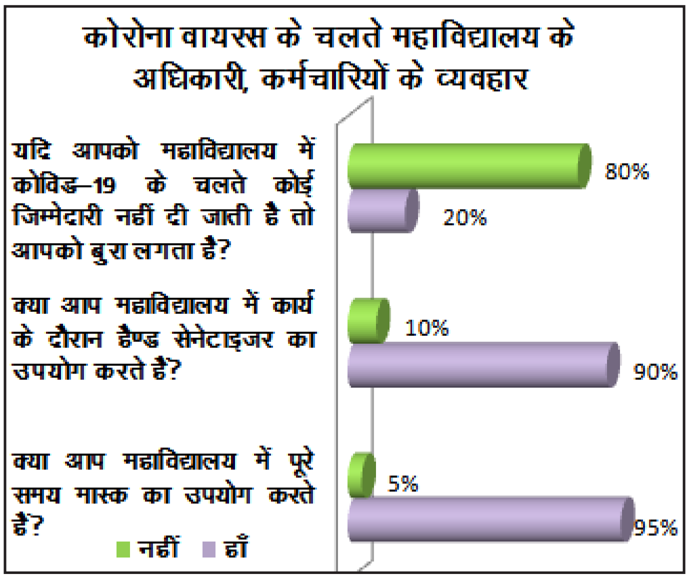

अध्ययन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई है कि 95 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारी महाविद्यालय में पूरे समय मास्क का उपयोग करते हैं और अधिकारी, कर्मचारियों का मानना है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। 90 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारी कार्य के दौरान हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करते हैं। 80 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारियों को कोविड-19 के चलते यदि कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो उन्हें बुरा नहीं लगता है क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह से जिम्मेदारी ना मिलने से वह संक्रमित होने से बच जाऐंगे।

कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय के लिए महाविद्यालय में किए गए उपायों की जानकारी प्राप्त करना -

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	योग
1	क्या आपके महाविद्यालय में आपका व्यक्तिगत रिकॉर्ड प्रतिदिन कोविड-19 के संदर्भ में बनाया जा रहा है?	60%	40%	100%
2	क्या आपके महाविद्यालय में कोविड -19 से बचने के लिए सभी उपकरणों का उपयोग हो रहा है?	70%	30%	100%

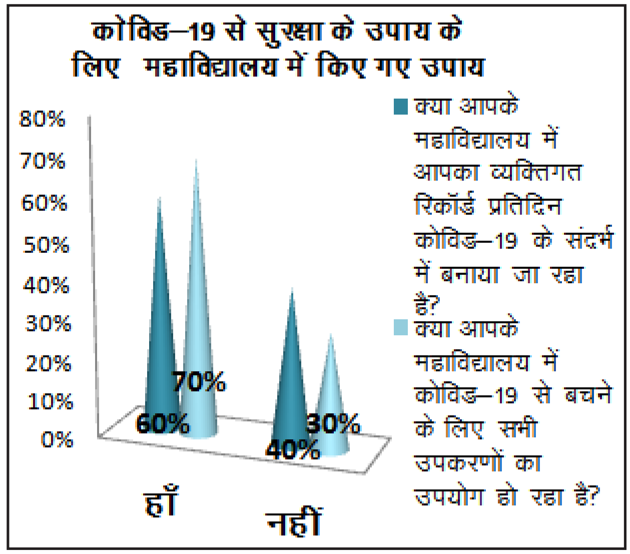

अध्ययन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई है कि 60 प्रतिशत महाविद्यालयों में अधिकारी, कर्मचारियों का व्यक्तिगत रिकॉर्ड कोविड-19 के संदर्भ में बनाया जा रहा है तथा 70 प्रतिशत महाविद्यालयों में कोविड-19 से बचने के लिए समस्त उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।

कोविड-19 के कारण महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों में तनाव की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना -

क्र.	विवरण	हाँ	नहीं	योग
1	क्या आप महाविद्यालय में दिनभर कार्य करने के बाद मानसिक तनाव महसूस करते हैं?	85%	15%	100%
2	क्या आप महाविद्यालय से घर जाने के पश्चात् सावधानियां बरतते हैं?	80%	20%	100%

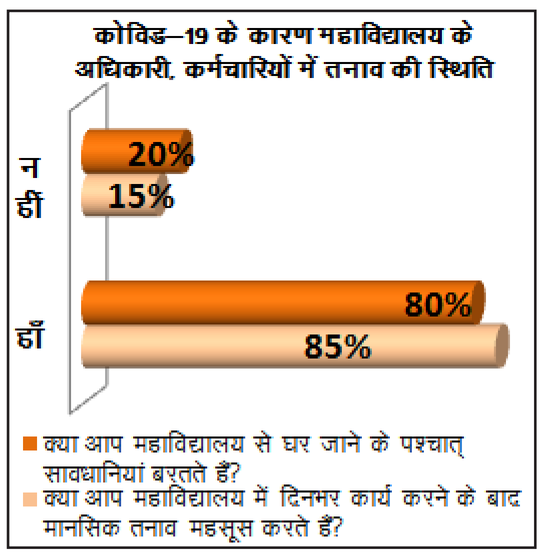

शोध के दौरान जानकारी प्राप्त हुई है कि 85 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारियों को महाविद्यालय में दिनभर कार्य करने के बाद मानसिक तनाव महसूस होता है, उन्हें हमेषा भय रहता है कि कार्य के दौरान संक्रमित वस्तु या व्यक्ति

के संपर्क में तो नहीं आ गए। महाविद्यालय से घर जाने के पश्चात् 80 प्रतिशत अधिकारी, कर्मचारी अपने जूते, चप्पल बाहर रखते हैं तथा जाते से ही स्नान करते हैं एवं अपने कपड़े धोने में रख देते हैं तथा इन कार्यों को करने के बाद ही वे परिवार के सदस्यों के संपर्क में आते हैं।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि भारत मे कोरोना महामारी की वजह से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं। कोरोना महामारी ने महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है। अधिकारी, कर्मचारियों के कार्य करने एवं सोच में परिवर्तन आया है। अधिकांष अधिकारी एवं कर्मचारी घर से ही काम करना चाहते हैं। महाविद्यालय में दिनभर कार्य करने के बाद मानसिक तनाव महसूस करते हैं, जिसके कारण अधिकारी एवं कर्मचारी दी गई जिम्मेदारी को सहजता से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। इस मानसिक तनाव की स्थिति से बाहर निकलना बहुत आवष्यक है अन्यथा तनाव अवहीन हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहुजा, राम, 'सामाजिक अनुसंधान', रावत पब्लिकेशन, जयपुर
2. अग्रवाल, पदमा, 'व्यवहारिक मनोविज्ञान', ई–बुक
3. गुप्ता, अल्का, गुप्ता, एस.पी., 'उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान', शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद
4. गुप्ता, शर्मा, 'सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां', साहित्य भवन पब्लिकेशन, भोपाल
5. educationchildpsychology.blogspot.com

****

वर्तमान समय में हिन्दी नाटक

एन.आर. साव* डॉ. (श्रीमती) बसंत नाग**

नाटक का महत्व – 'काव्येषु नाटकं रम्यम नाटकान्त कवित्वरम्' संस्कृत के इस वाक्य के अनुसार–नाटक काव्य–कला का सर्वश्रेष्ठ अंग माना गया है। इसका कारण यह है कि नाटक की प्रभावोत्पादक शक्ति वांगमय के अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक स्थायी, गहरी, रोचक और व्यापक होती है, क्योंकि उसमें हम वास्तविकता का, जीवन के यथार्थ को अनुभव करते हैं। नाटक हमारे यथार्थ जीवन से बड़े गहरे रूप से सम्बद्ध रहता हैं।

शास्त्रों और कलाओं की दृष्टि से भी नाटक का महत्व समस्त काव्यांगों से अधिक है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका प्रदर्शन नाटक में न हो सके। नाट्यशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि :–

'न स योगो न तत्कर्म नाट्येस्मिन् यन्न दृश्यते।
सर्व शास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च।।'

अर्थात्–'योग, कर्म, सम्पूर्ण साहित्य, सारे शिल्प और संसार के विविध कार्यों में कोई ऐसा नहीं जो नाटक में न दिखाया जा सके।' साथ ही इसमें वास्तविकता का अनुकरण जीते–जागते साधनों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लोकहित तथा लोकरंजन के उद्देश्य को लिए हुए, शिक्षित–अशिक्षित सबका समान रूप से मनोरंजन करने वाला तथा विविध कलाओं से संयुक्त होने के कारण नाटक–साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है।

उत्पत्ति – भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में मुख्यत: दो मत माने जाते हैं –

1. भारत में नाटकों का उदय धार्मिक कृत्यों से होना और
2. भारत में नाटक का उदय लौकिक और सामाजिक कृत्यों से होना।

इन दोनों मतों में से पहले मत को मानने वालों की संख्या अधिक हैं, क्योंकि भारत में धर्म व्यावहारिक मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। इसलिए जीवन में आनंद के जितने भी साधन है उनका मूल धर्म में ही है। नाटक की रचना के मूल में भी धर्म, अर्थ और कार्य की सिद्धि ही प्रधान उद्देश्य माना गया है।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारतीय नाटकों का उदय वैदिक कर्मकाण्ड तथा धार्मिक तथा सामाजिक उत्सवों पर होने वाले अभिनयात्मक नृत्य, संवाद आदि से हुआ।

मूल प्रवृत्तियाँ – विद्वानों ने नाटक के मूल में अनुकरण की प्रकृत्ति को मुख्य माना हैं। अनुकरण की प्रवृत्ति मानव की स्वभावगत प्रवृत्ति हैं। हम बचपन से दूसरों का, अपने बड़ों और सम वयस्कों का, अनुकरण करना आरम्भ कर देते हैं। बच्चों के गुड्डे–गुड़ियों के, राजा–रानी के खेल, मदारियों द्वारा बन्दर–भालुओं के नाच आदि में इसी प्रवृत्ति का प्रकाशन होता हैं। नाटक में भी हम अपने पूर्व पुरूषों, देवी–देवताओं तथा समकालीन व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं।

इस प्रकार नाटक के मूल में मानव की चार मनोवृत्तियाँ काम करती रहती हैं –

1. अनुकरण,
2. पारस्परिक–परिचय द्वारा आत्मा का विस्तार
3. जाति की रक्षा
4. आत्माभिव्यक्ति

उद्देश्य – कथा–साहित्य की भांति नाटक का मूल उद्देश्य भी मनोरंजन ही हैं। प्रकारान्त में चाहे यह उपदेश दे या किसी समस्या को सुलझाये, यह दूसरी बात हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने नाटक की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई, इस बात का विवेचन करते हुए लिखा हैं कि–'एक बार वैवस्वत मनु के दूसरे युग में लोग बहुत दु:खी हुए। इस पर इन्द्र तथा अन्य देवताओं ने जाकर ब्रम्हाजी से प्रार्थना की कि आप मनोविनोद का कोई ऐसा साधन उत्पन्न कीजिए जिससे सबका रंजन हो सके। इस प्रकार ब्रम्हाजी ने चारों वेदों को बुलाया और उनकी सहायता से 'पंचम् वेद' नाटक की रचना की। इसके लिए उन्होंने ऋग्वेद के संवाद, सामवेद के गान, यजुर्वेद से नाट्क और अथर्ववेद से रस लिया।'

तत्व – भारतीय प्राचीन आचार्यो ने नाटक के तीन प्रमुख तत्व माने हैं – वस्तु, नायक और रस। यूरोपीय विद्वानों ने इन तत्वों की संख्या छह मानी है–

(1) कथावस्तु, (2) पात्र, (3) कथोपकथक,
(4) देश–काल, (5) उद्देश्य (6) शैली।

इसके बावजूद भारतीय आचार्यो ने रस को ही नाटक का प्राण माना है। इसका कारण यह है कि रसानुभूति से हमारी आत्मा का परिष्कार और उदात्तीकरण होता है।

हिन्दी नाटक साहित्य का विकास क्रम – वस्तुत: हिन्दी नाटकों की स्वस्थ और समृद्ध परंपरा का आरंभ भारतेन्दु से हुआ। परन्तु इसका क्षीणकाय सीमा को खींचने वालों ने काफी पीछे तक खींचा है। स्वयं भारतेन्दु जी ने यह स्वीकार किया है कि हिन्दी का पहला नाटक उनके पिता बाबू गिरधर दास का बनाया हुआ नहुष है। दूसरे लोगों ने 17 वीं शती में उतरार्द्ध में महाराज विश्वनाथ सिंह का लिखा हुआ आनंद रघुनंदन को हिन्दी का प्रथम नाटक मानते हैं। इसके अलावा डॉ. ग्रियर्सन, डॉ. कीथ, डॉ. रसाल एवं मिश्र बन्धुओं ने विद्यापति को हिन्दी का आदि नाटकार माना है। वहीं डॉ. ओझा ने इस सीमा को और पीछे ले जाकर जयसुकुमालरास को हिन्दी का प्रथम नाटक माना है। इन सब मत–मतान्तर के बावजूद हिन्दी नाटक साहित्य के विकास क्रम को निम्नांकित भागों में विभक्त किया जा सकता है –

* सहा. प्राध्यापक (हिन्दी) भा.प्र.देव. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत
** सहा. प्राध्यापक (समाज शास्त्र) भा.प्र.देव. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.) भारत

(1) प्राग् भारतेंदू युग (2) भारतेंदु युग (3) प्रसाद युग (4) प्रसादोत्तर युग (5) स्वातंत्र्योत्तर युग (6) वर्तमान युग

भारतेंदु युग से लेकर प्रसादोत्तर युग तक उनके प्रतिभाशाली नाटककारों ने हिन्दी नाट्य साहित्य को समृद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान दिये। भारत को आजाद करने में जहां भारतेंदु हरिश्चंद का साथ लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट ने दिया वहीं जयशंकर प्रसाद की ऐतिहासिक गरिमा से सराबोर नाटकों ने हिन्दी साहित्य में अपना अमूल्य योगदान दिया।

इसके अलावा मैथिलीशरण गुप्त, मथुरादास, दुर्गादत्त पाण्डेय, बैचेन शर्मा उग्र, गोविन्द दास, वियोगी हरि आदि ने भी हिन्दी नाटक साहित्य को समृद्ध किया। तत्पश्चात चतुरसेन शास्त्री, उदयशंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविन्द वल्लभ पंत, वृंदावनलाल वर्मा, डॉ. लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेन्द्रनाथ अश्क आदि नाटककारों ने हिन्दी नाटक साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने में अपना अमूल्य योगदान दिया।

स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटक को नई दिशा और आधुनिकता से मंडित करने का श्रेय तीन नाटककारों- डॉ. धर्मवीर भारती (अंधा युग) जगदीशचन्द्र माथुर (कोणार्क) एवं डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल (मादा कैक्टस) को दिया जाता है। इन तीनों नाटककारों ने वर्तमान हिन्दी नाटक के बीज बोने का गुरूत्तर कार्य किये हैं।

वर्तमान हिन्दी नाटक साहित्य – स्वाधीनता के बाद भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों ने संस्कृति तथा नाट्याभिव्यक्ति के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन द्दष्टव्य होते हैं। ये परिवर्तन न केवल अनेक सवालों को जन्म देते हैं बल्कि सामाजिक परिवेश एवं संस्कृति को बदलते हुए भारतीय सामाजिक संरचना तथा उसके अन्दर चल रही अन्त: क्रियाओं, तनावों तथा द्वंद्वों को समाज के सतह पर लाकर उस पर चिंतन-मनन के लिए बाध्य करते हैं। ऐसे ही विकट जटिल सांस्कृतिक परिद्दश्य, बाजारवाद, विश्व संकृति, आयातित अपसंस्कृति, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बढ़ता हुआ प्रभाव, टी.वी. एवं सिनेमा का आक्रमण, ह्रासोन्मुख नैतिकता, विघटित होते सामाजिक मूल्यों के बीच वर्तमान नाटक साहित्य का सूत्रपात होता है।

यहां उन पृष्ठभूमि की चर्चा करना असंगत् नहीं होगा जिनके चलते वर्तमान नाटक साहित्य का विकास हुआ, जो निम्नांकित हैं –

1. सामाजिक संरचना में परिवर्तन
2. संस्कृतिकरण
3. आरक्षण की व्यवस्था
4. दलितों की स्थिति में सुधार
5. भूमि-सुधार आन्दोलन
6. ग्रामीणों का पलायन
7. सत्ता की होड़
8. शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण
9. अपराध का राजनीतिकरण
10. नव धनाढ्य वर्ग और उपभोक्तावादी संस्कृति
11. सर्वव्यापी भ्रष्टाचार
12. जातीय और धार्मिक गतिशीलता में वृद्धि।

(1) सामाजिक संरचना में परिवर्तन –स्वाधीनता पश्चात भारत में सामाजिक स्तर पर अनेक परिवर्तन उपस्थित हुए। इसका दुष्प्रभाव समाज में जातिवाद को बढ़ावा देने के रूप में द्दष्टव्य होता है। लोकतंत्र में चुनावों के जरिये सत्ता प्राप्ति के साधन ने ग्रामीण समाज में व्याप्त जातिवाद रूपी विष वृक्ष को बढ़ावा देने का ही कार्य किया। स्वाधीनता के बाद भू स्वामी और पिछड़ी जातियों ने अपनी संख्या के बल पर समाज के उच्च वर्गों को चुनाती देकर सत्ता प्राप्त की। इस तरह निहित स्वार्थ, जाति, धर्म, धन-बल का प्रयोग कर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में नये-नये राजतंत्र विकसित हो गये।

(2) संस्कृतिकरण – अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से मुक्त होने के साथ कथित पिछड़ी जातियों ने सत्ता प्राप्त होते ही ऊंची जातियों के कर्मकाण्डों एवं रीति-रिवाजों को अपना कर अपने आपको सुसंस्कृत और श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए झूठी दिखावा करने लगे। फलत: वे अपने समाज एवं संस्कृति से धीरे-धीरे दूर होते गये।

(3) आरक्षण व्यवस्था – सत्ताधारी वर्ग पिछड़ी जातियों के वोट बैंक से ही चुन कर सिंहासन तक पहुंचा था। इसलिए उसने इन जातियों के व्यक्तियों को आरक्षण का झुनझुना पकड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहा। आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को इस व्यवस्था का समुचित लाभ नहीं मिल पाने की एहसास से इन्हें अंदर तक झकझोर डाला। लेकिन जनप्रतिनिधियों के स्वार्थ लिप्सा ने इन्हीं झूठी दिलासा मिलता रहा।

स्वाधीनता पश्चात् ग्रामीण भारतीय समाज के दलितों की स्थिति में कुछ परिवर्तन जरूर आया, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि इससे सामाजिक संरचना में बदलाव आये। सत्ताधारी वर्ग ने इस वर्ग का निरंतर शोषण ही किया है। यह वर्ग एक तो अपनी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के कारण, दूसरा सत्ताधारी वर्ग के आतंक के कारण लोकतंत्र के लाभों से वंचित ही रहा है।

(5) भूमि-सुधार आन्दोलन – आजादी पश्चात् गांवों में आयी कृषि संबंधी नई तकनीक का फायदा कुछ मुट्ठी भर जमीदारों ने उठाया है। सत्ताधारी वर्ग के सदस्यों ने (चाहे वे ऊंची जातियों के हों अथवा पिछड़ी जातियों के) अपनी सत्ता, धन और डंडे के बल पर छोटे किसानों की जमीनें हड़पे हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की निरंतर घोषणाओं के बावजूद न तो सरकारी पड़ती जमीनों का भूमिहीनों में वितरित किया गया और न ही जमींदारों की अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन परिवारों में बांटा जा सका। इस प्रकार हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमि सुधार आंदोलन का कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो सका।

(6) ग्रामीणों का पलायन –स्वाधीन भारत में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर से पलायन करते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण सिंचाई सुविधाओं की कमी, खेती में साल भर मजदूरी का न मिलना आदि रहा है। साथ ही साथ कृषि तकनीक के विकास में भी कई क्षेत्रों में मानव श्रम को कम कर दिया है। परिणामत: ग्रामीण दस्तकार एवं खेतीहार मजदूर बेरोजगारी एवं दरिद्रता से मुक्ति पाने हेतु शहर की ओर पलायन करते जा रहे हैं।

(7) सत्ता की होड़ – स्वतंत्र भारत में सत्ताभोगी वर्ग एवं सत्ता से वंचित किन्तु धन बल से सम्पन्न जातियों में सत्ता के लिए होड़ चलती रहती है। परिणाम पारस्परिक संघर्ष भी हुए हैं। ग्रामीण भारत में सत्ता स्पर्धा के कारण परंपरा से चली आ रही पारस्परिक निर्भरता भी समाप्त हो गई। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैसूर नरसंहार है। हालाकि इस प्रकार के संघर्ष निरंतर तथा व्यापक स्तर पर नहीं हुए हैं।

(8) शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण – स्वाधीनता पश्चात् भारत के बड़े औद्योगिक नगरों में और तेजी से औद्योगिकीकरण होने लगा। कई छोटे नगरों और कस्बों में भी औद्योगिकीकरण के कारण आमूलचूल परिवर्तन होने लगे और धीरे-धीरे महानगरों में बदलने लगे। फलत: जनसंख्या वृद्धि,

अपराधों में वृद्धि हुए। इसके साथ ही साथ समाज में ऐसे वर्गों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती गई जो अपनी भूमि, संस्कृति एवं समाज से कटते गये। ऐसे लोगों की मानसिकता को वर्तमान हिन्दी नाटक में प्रमुखता से चित्रित किया गया है।

(9) अपराध का राजनीतिकरण – गरीबी तथा बेरोजगारी के कारण शहरों में नये-नये अपराधी पैदा हो रहे हैं। अवैध शराब का निर्माण, तस्करी तथा लूटमार में लगे इन अपराधी तत्वों को सरकारी अधिकारियों, नेताओं तथा पुलिस का संरक्षण प्राप्त होता है। राजनीतिक दलों का क्षत्रछाया में फलने-फूलने वाले इन अपराधी तत्वों का धीरे-धीरे राजनीतिकरण होने लगा। भारतीय लोकतंत्र को इस तथ्य ने बहुत दूर तक प्रभावित किया। पहले जहां अपराधी तत्वों की चुनाव में सहायता ली जाती थी, अब उन्हें खुद चुनाव में खड़ा किये जाने लगा।

(10) नव धनाढ्य वर्ग और उपभोक्तावादी संस्कृति – भारत के नगरों में स्वाधीनता पश्चात् औधोगिकीकरण तथा व्यापार में वृद्धि के साथ ही मध्यम वर्ग तथा उच्च मध्यम वर्ग के अन्दर से ही एक धनाढ्य वर्ग का जन्म हुआ। इस वर्ग में भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, कालाबाजारी और भ्रष्टचारी व्यापारी, तस्कर, बिल्डर्स लॉबी के सदस्य, अपराधियों के सरगना और शहरों में होने वाले नव जमीनदार शामिल हैं।

इस वर्ग ने उपभोक्तावादी संस्कृति को जन्म दिया, जिसमें मध्य वर्ग को भी ललचाया है। इस वर्ग की मूल्यहीनता तथा दिशाहीनता ने मध्यम वर्ग को बुरी तरह प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप नव धनाढ्य वर्ग की तरह मध्यम वर्ग ने भी बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा एवं सुख-सुविधाओं के मृगमरीचिका के पीछे भागने लगा।

(11) सर्वव्यापी भ्रष्टाचार – स्वाधीनता पश्चात् भारत की राजनीति, शासन-प्रशासन, व्यापार, उद्योग तथा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार एक मूल्य के रूप में स्थापित होने लगा। लाखों रूपये फूंकने तथा माफिया गैंगों की मदद लेने वाले ही चुनाव जीतने लगे। चुनाव में धन-बल के साथ ही जाति और धर्म संबंधी उन्माद भी निर्णायक शक्तियां बन कर उभरने लगे। इस प्रकार सम्पूर्ण देश में भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त होने लगा।

(12) जातीय और धार्मिक गतिशीलता में वृद्धि –स्वतंत्र भारत में जातीय और धार्मिक गतिशीलता में वर्गीय गतिशीलता में वर्गीय गतिशीलता में बाधा उत्पन्न की। परिणाम स्वरूप भूमि सुधार आंदोलन तथा कृषि क्षेत्र में विकास की समस्याओं का निदान सफल नही हो पाया, क्योंकि निम्न जाति के वे लोग जिनके पास सम्पत्ति अधिक थी, ने अपने ही जाति के निम्न तबके के लोगों को अपना दुश्मन समझने लगे।

वर्तमान हिन्दी नाटक की विशेषताएँ – उपर्युक्त पृष्ठभूमि में हिन्दी साहित्य के केनवास में वर्तमान हिन्दी नाटक साहित्य का जन्म हुआ। प्राचीन हिन्दी नाटक के मूल्य, उसकी विशेषताएँ अप्रासंगिकता बोध कराने लगी और हिन्दी नाटक साहित्य में नये विचार, नई उर्जा एवं नवीन कथ्य के साथ अपनी नई-नई विशेषताओं के साथ वर्तमान समय के नाटककार अपने नाटकों के साथ उपस्थित हुए। जिन्होनें न केवल समाज को प्रभावित किये वरन् अपनी ओर सबका ध्यान आकृष्ट करने में सफल हुए। इन नाटकों की विशेषताओं को निम्नांकित बिन्दुओं में देखा जा सकता है-

1. आजादी और मूल्यों का विघटन
2. राजनीति का विदूषक चरित्र
3. मूल्यहीनता और विसंगतियाँ
4. यांत्रिक और महानगरीय सभ्यता
5. अर्थतंत्र की विघटन शीलता
6. कासम्बन्ध एवं यौनचार: बदलते जीवन यर्थाथ
7. जनसंख्या का दबाव।

(1) आजादी और मूल्यों का विघटन – यह सही है कि आजादी के बाद टूटते मूल्यों को बनाये रखने, देश में व्याप्त विभिन्न समस्याओं का तत्काल समाधान करने और नई व्यवस्था को मजबूती के साथ स्थापित करने के अनेक प्रयास हुए। इसके बावजूद देश का चरित्र भ्रष्ट हुआ और सेवा की जगह स्वार्थ और अवसरवादिता पनपी। भोजन, वस्त्र, आवास की समस्या का समाधान नही हो पाया। न्याय व्यवस्था शिथिल हुई और राजनीतिक चूहों ने संविधान को कुतरना शुरू कर दिया।

परिणाम स्वरूप चारों ओर कुंठा, क्षोभ, आक्रोश, हताशा एवं दिशाहीनता फैल गया। इन बातों का वर्तमान हिन्दी नाटक में स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

(2) राजनीति का विदूषक चरित्र – आजादी के पश्चात् नेता समृद्ध होते गये और जनता निरंतर गरीब होती गई। प्रजातंत्र और गणतंत्र केवल संज्ञाएँ बनकर रह गयी। साम्राज्य लिप्सा, राजनीतिक कुचक्रों, झूठे वादों, कोरे आश्वासनों और सत्ता के प्रति मोह ने जनता को सदैव उत्पीड़ित किया है। जाति वर्ग, वर्ण, धर्म आदि के विद्वेष भड़काकर राजनीतिक दॉव पेंच के माध्यम से भ्रष्ट राजनेता अपने आपको सत्ता में बिठाते रहे हैं।

गॉधीजी के बाद देश मे ऐसा कोई लोक नायक नही रह गया जो आदर्श, चरित्र और नैतिकता की दृष्टि से प्रेरणा दे सके। इस तरह समकालीन राजनीति के विदूषक चरित्र को उभारने में अनेक नाटक कारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

(3) मूल्यहीनता और विसंगतियाँ – द्वितीय विश्वयुद्ध के ठीक बाद मिलने वाली आजादी ने देश में जिस मूल्यहीनता के वातावरण की सृष्टि की, उसका पूरा प्रभाव देश पर पड़ा। विश्वयुद्ध ने विवेक ओर संतुलन के प्रति विश्वास तोड़ दिये, जीवन की अनिश्चितता के साथ क्षणभंगुरता का एहसास कराकर भोग की वृत्ति की प्रवृत्ति जगाई, आत्म विश्वास खो गये, सारी मान्यताएँ, विश्वास अर्थहीन हो गई, नाते-रिश्ते केवल शब्द मात्र रह गये। परिवेश की इन विसंगतियों के बोध से स्वातंत्र्योत्तर नाटककार भी अछूते नही रह गये। फलत: उनके नाटकों में इन आंतरिक विसंगतियों का मुखरता से चित्रण मिलता है।

(4) यांत्रिक और महानगरीय सभ्यता – स्वाधीनता पश्चात् भारत में नगरों और महानगरों की संख्या और उनकी जनसंख्या दिनों-दिन बढ़ती गई। इसके साथ औद्योगिकीकरण, गंदगी, भीड़, आपाधापी, भाग-दौड़ बढ़ती गई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति मशीनों पर निर्भर होकर भौतिक सुखों का दास हो गया।

इस प्रकार स्वतंत्र भारत में प्राचीन एवं पारंपरिक सभ्यता संस्कृति के बोध में मौलिक परिवर्तन आये। इन परिवर्तनों को सांस्कृतिक मूल्यों एवं मानवता की हासोन्मुखता के रूप में चिन्हित किया गया। जिसका वर्तमान हिन्दी नाटकों में बड़ी सिद्दत के साथ जांच-पड़ताल किया गया है।

(5) अर्थतंत्र की विघटन शीलता –स्वतंत्र भारत की सम्पूर्ण व्यवस्था अर्थ केन्द्रित हो गया। व्यक्तिगत आय में वृद्धि हुई लेकिन वास्तविक आय घटती चली गई। अन्न का उत्पादन राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम साबित नही हुई। बड़े पूंजीपतियों ओर व्यापारी वर्ग के पास पूंजी का केन्द्रीयकरण हुआ। इन सब बातों ने व्यक्तिगत्, पारिवारिक जीवन और पूरी समाज व्यवस्था को प्रभावित किया।

परिणाम स्वरूप स्त्रियों को भी रोजी-रोटी के सिलसिले में घर के चहारदीवारी से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार स्त्रियों का घर से बाहर निकलना व्यक्ति और परिवार के संबंधों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। जिसका यथार्थ अंकन वर्तमान नाटकों में बहुत देखने को मिलता है।

(6) काम सम्बन्ध एवं यौनाचार : बदलते जीवन यथार्थ – आजादी के फलस्वरूप देश विदेश के उन्मुक्त सम्पर्क, पश्चिमी साहित्य, नई औद्योगिक सभ्यता, नये पनपने वाले सम्पन्न वर्ग ने नई पीढ़ी के समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये कि यौन आचरण की प्राचीन बद्धमूल धारणाएॅ तार-तार होकर बिखरने लगे। अपनी रोजी-रोटी अर्जित करने के लिए विवश और स्वतंत्र हो गई नई पीढ़ी की युवतियों के समक्ष एकदम नया संसार था।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता पश्चात् देश की अनेक सांस्कृतिक परंपराएॅ टूटी, फलत: पूरे समाज का यौनाचार के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगा। इससे प्रभावित नाटककारों ने नर-नारी संबंधों और दाम्पत्य जीवन की विसंगतियों पर एक नई परिस्थिति में परंपरा से भिन्न नई दृष्टिकोण से विचार किया।

(7) जनसंख्या का दबाव – आजादी के बाद बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि ने भोजन, वस्त्र और आवास से इतर नई-नई समस्याओं को जन्म दिया जो आजादी के पूर्व नही थी। जनसंख्या के बढ़ते दबाव ने न केवल पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया वरन् बचपन में ही लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा एवं स्वार्थ की भावना पनपने लगे। शहरों की आवारागर्दी अब गांवों में भी पैदा हो गई।

आज का आदमी अपनी अस्तित्व रक्षा के प्रयास में जानवर बन गया। इस प्रकार जीवन के समस्त प्राचीन मूल्य एक ही बार मे ध्वस्त हो गये। इन सभी सामाजिक एवं मानसिक परिवर्तनो का वर्तमान हिन्दी नाटकों में बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया है।

प्रतिनिधि नाटककार एवं उनके नाटक :-

1.	जगदीश चन्द्र माथुर	–	कोणार्क, शारदीया, पहला राजा
2.	धर्मवीर भारती	–	अंधायुग
3.	मोहन राकेश	–	आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहॅस, आधे अधूरे
4.	लक्ष्मीनारायण लाल	–	मादा कैक्टस
5.	ज्ञानदेव अग्निहोत्री	–	शुतुरमुर्ग, अनुष्ठान
6.	रमेश बक्षी	–	देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, कसे हुए तार
7.	बृजमोहन शाह	–	त्रिशंकु, शह ये मात, युद्धमन
8.	हमीदुल्ला	–	उलझी आकृतियॉ, दरिन्दे, उत्तर उर्वशी, ख्याल भारमली
9.	लक्ष्मीकांत वर्मा	–	रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी
10.	सर्वेश्वरदयाल सक्सेना	–	बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ
11.	सुशील कुमार सिंह	–	सिंहासन खाली है, नागपाश, चारों यारों की यार, आज नही तो कल, गुड बाई स्वामी
12.	सुरेन्द्र वर्मा	–	द्रोपदी, नायक-खलनायक-विदूषक, सेतु बंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, छोटे सैय्यद बड़े सैय्यद
13.	मणि मधुकर	–	रस गंधर्व, दुलारीबाई, बुलबुल सराय, खेला पोलमपुर, इकतारे की आंख
14.	मुद्राराक्षस	–	मरजीवा, योअर्स फेथफुली, तिलचट्टा, तेंदुआ, गुफाएॅ, आला अफसर, संतोला
15.	गिरिराज किशोर	–	नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे-चेहरे किसके चेहरे, घास और घोड़ा
16.	आस्तानंद सदासिंह	–	आवाज, थूक दिया भविष्य पर
17.	शरद जोशी	–	एक था गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी
18.	जी.जे. सिम्हा रेड्डी	–	सम्भवामि युगे-युगे, महाराज नंदकुमार, उत्तर मृच्छकटिकम्
19.	सुरेशचन्द्र शुक्ल	–	भूमि की ओर, आकाश झुक गया, कुत्ते, भस्मसूर अभी जिंदा है, समवेत, अक्षयवट
20.	भीष्म सहानी	–	हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी
21.	सुश्री कुसुम कुमार	–	ओम् क्रांति-क्रांति, सुनो सेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, संस्कार को नमस्कार, रावणलीला
22.	किरनचन्द्र शर्मा	–	मंदिर की चारपाई, सावधान पूरूरवा
23.	विभु कुमार	–	तालों में बंद प्रजातंत्र, अपरिभाषित, कहे ईसा सुने मूसा, हवाओं का विद्रोह, मुन्नी बाई
24.	मृणाल पाण्डे	–	मौजूदा हालात को देखते हुए, जो राम रूचि रखा, काजर की कोठरी
25.	रामेश्वर प्रेम	–	कैम्प, चारपाई, अजातघर
26.	असगर वजाहत	–	वीरगति, इन्ना की आवाज
27.	विपिन कुमार अग्रवाल	–	तीन अपाहिज, लोटन, खोये हुए आदमी की खोज
28.	सत्यव्रत सिन्हा	–	अमृतपुत्र
29.	नरेन्द्र कोहली	–	शम्बूक की हत्या
30.	रेवती शरण शर्मा	–	राजा बलि की नई कथा
31.	प्रभात कुमार भट्टाचार्य	–	काठमहल
32.	सरजू प्रसाद मिश्र	–	नारद मोह
33.	मृदुला गर्ग	–	एक और अजनबी
34.	बलराज पंडित	–	पांचवा सवार
35.	राजेन्द्र अवस्थी	–	बूची टैरेंस
36.	शांति मेहरोत्रा	–	ठहरा हुआ पानी
37.	स्वयं प्रकाश	–	फीनिक्स
38.	राजेश जैन	–	चिन्दी मास्टर
39.	राजेन्द्र पाण्डे	–	अग्नि पुत्र
40.	बिश्वेश्वर	–	बहिष्कार
41.	मंजूर-ए-हतेशाम/ सत्येन कुमार	–	एक था बादशाह
42.	राजेश जोशी	–	जादू जंगल
43.	रमाशंकर निशेश	–	कुक्कू डॉर्लिंग
44.	काशीनाथ सिंह	–	धोआस
45.	अशोक मिश्र	–	बजे ढिंढोरा ऊर्फ खून का रंग
46.	सुधीन्द्र कुमार	–	सपनों के फूल

47. डॉ. शंकर शेष – फंदी, एक और द्रोणाचार्य, पोस्टर
48. हबीब तनवीर – चरनदास चोर, देख रहे है नैन
49. श्याम व्यास – आग यहां भी है
50. सुदर्शन मजीठिया – चौराहा, देश के लिए

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया, दैनिक जीवन में मीडिया का प्रभाव, ह्रासोन्मुख नैतिकता एवं भारतीय संस्कृति, दिनों–दिन बिखरते संयुक्त परिवार, उपभोक्तावादी संस्कृति की अंधी दौड़, सेवा एवं सहयोग की संकरी मानसिकता, भोग–विलास की मृग–मरीचिका आदि जैसे मानवता को पंगु करने वाले तत्वों ने वर्तमान हिन्दी नाटक को मंच से उतार कर पुस्तक के पन्नों तक सीमित कर दिया है। आज न तो पहले जैसे खचाखच भरे प्रेक्षागृह की दिखाई देते है और न ही नाटकों के उमंग में सराबोर दर्शक।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. हिन्दी साहित्य का इतिहास – डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, मानकचंद बुक डिपो, सती दरवाजा, उज्जैन (म.प्र)
2. हिन्दी साहित्य : कालयजी साहित्य – डॉ. अर्जुन चव्हाण, राधाकृष्ण प्रकाशन, जगतपुरी, दिल्ली
3. नया नाटक : उद्‌भव और विकास – डॉ. नरनारायण राय, वाणी प्रकाशन, दिल्ली
4. समकालीन हिन्दी नाटक और रंगमंच – डॉ. सनत कुमार व्यास, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्या नगर (आणंद)
5. मुन्नीबाई – डॉ. विभु कुमार, 'हस्ताक्षर' देवेन्द्र नगर रायपुर
6. साहित्यिक निबंध – डॉ. राजनाथ शर्मा, लोकभारती प्रकाशन, लखनऊ

****

आधुनिक पुस्तकालय प्रबंधन में गुणवत्ता : अवधारणा, उपादेयता एवं महत्व

ओमप्रकाश चौरे *

शोध सारांश – पुस्तकालय में जहा पाठकों को सेवा से सीधे संस्थान के पुस्तकालय की सफलता जुडी होती है वहा पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिए चूकि संस्थान के पुस्तकालय में दी जाने वाली सेवा से पाठको की संतुष्टिपूर्ण सेवा जैसी बातें समाई गई है इसलिये यहॉ योग्य एवं दक्ष मानव संसाधन का सुनियोजित प्रबंधन एवं नियोजन महत्वपूर्ण है उत्कृष्ट मानव संसाधन के कारण पुस्तकालय उन्नति,प्रगति,एवं ख्याति का चलता फिरता विज्ञापन होता है आज के समय में एक नई अवधारणा का जन्म ले रही है जो सतुष्ट मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है।

शब्द कुंजी – पुस्तकालय, प्रबंधन,गुणवत्ता।

प्रस्तावना – किसी भी संस्थान के पुस्तकालय में अन्य संसाधानों की तरह ही मानव संसाधन की भी अवश्यकता होती है देखने में आता है कि मानव संसाधन मशीनरी में आनलाईन का काम करती है बिना मानव संसधान के एक पुस्तकालय का परिचालन नही किया जा सकता है इस लिये पुस्तकालय कर्मचारीयों के साथ गुणवत्ता की आवश्यकता को समझा है।

गुणवत्ता दायरे के अर्न्तगत कर्मचारी का केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त नही है बल्कि उनका गुणवत्ता का होना भी आवश्यक है।

कार्य के निष्पादन की क्षमता में निम्नानुसार तत्वों का होना आवश्यक है–

शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुभव, प्रेरणा – पुस्तकालय में जहा पाठकों को सेवा से सीधे संस्थान के पुस्तकालय की सफलता जुडी होती है वहा पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिए चूकि संस्थान के पुस्तकालय में दी जाने वाली सेवा से पाठको की संतुष्टिपूर्ण सेवा जैसी बातें समाई गई है इसलिये यहॉ योग्य एवं दक्ष मानव संसाधन का सुनियोजित प्रबंधन एवं नियोजन महत्वपूर्ण है उत्कृष्ट मानव संसाधन के कारण पुस्तकालय उन्नति,प्रगति,एवं ख्याति का चलता फिरता विज्ञापन होता है आज के समय में एक नई अवधारणा का जन्म ले रही है जो सतुष्ट मानव संसाधन के रूप में जानी जाती है।

मानव संसाधन की अवधारणा को प्रतिपादित करते हूए कहा है कि भविष्य की आवयकताओं के अनुरूप संस्थान के पुस्तकालय में मानव संसाधन का नियोजन एक कडी चुनौती है इसमें प्रशिक्षण एवं शिक्षण को भी ष्षामिल करना होगा।

चूकि बदलते हूए परिदृष्य में पुस्तकालय में हो रहे आमूलचूल परिवर्तन आ रहे है ऐसे मे पुस्तकालय को भी नवीन तकनीक पर आधारित हो कर नवीन सूचना तकनीक से परिपूर्ण होना होगा इस लिये यहॉ भविष्य में होने वाली चुनौतियो का सामना करने के लिये मानव संसाधन मुख्य कारक बन गया है।

वैश्वीकरण में बदलते सूचना के युग में बढती सूचना,संचार प्रौधोगिकी एवं नवीन तकनीक के विकास में पुस्तकालय मे मानव संसाधन की चुनौतियो को बढा दिया है इसलिये मानव संसाधन के परिप्रक्ष्य में पुस्तकालयो में भविष्य की चुनौतियों को निम्नलिखित रूप में दिखाई देना चाहिए।

कार्य के निष्पादन संबंधि चुनौतियाँ:

1. पुस्तकालय की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुसार दक्ष मानव संसाधन का चयन करना।
2. पुस्तकालय की भावी योजनाओं को मुर्त रूप देने के लिये व्यवहारिक ज्ञान, तकनीक योग्यता साथ कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता।
3. पुस्तकालय की अपेक्षा के अनुरूप मानव संसाधन व योग्य कर्मचारी की नियुक्ति करना।

प्रशिक्षण संबंधि कार्यक्रम में चुनौतियॉ :

1. पुस्तकालय की कार्यप्रणाली के अनुरूप समय–समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था।
2. पुस्तकालय के लिए एक कार्यक्रम की तरह सदैव कल्पनाशीलता में संलग्न रहते हूए विचारशीलता की चुनौती स्वीकार करना।
3. सहज,सरल एवं आसानी से समझ आने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की चुनौती।

प्रबंधकीय कार्य में चुनौतियाँ :

1. नेतृत्व की चुनौती
2. जोखिम संबंधि चुनौती
3. अप्रिय स्थितियों से निपटने की चुनौती
4. विवके एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय की चुनौती

गुणवत्ता दायरे (क्वालिटी सर्कल)की अवधारणा – संस्थान के पुस्तकालय की चुनौतियों से निपटने के लिए हाल ही में क्वालिटी सर्कल की अवधारणा विकसित हूई है इसमें पुस्तकालय के कार्य के विशेषीकरण के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति करना शामिल है इससे कार्य एवं गुणवत्ता का स्तर को निर्धारित पैमाने तक बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा पाठको को संतुष्ट एवं नवीनसूचनाओं की गुणवत्ता बरकरार रखने की चुनौती का सामना करने के लिये आसान होता है क्वालिटी सर्कल के अन्तर्गत पुस्तकालयो की समस्याओं और नवीन सूचनाओ में होने वाली वृद्धि में गुणवत्ता सुधार कर पाठको को संतुष्टि में सुधार पुस्तकालय कर्मचारीयों की

* प्रभारी पुस्तकालय, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का विस्तार परिसर, कर्मवीर विद्यापीठ,खण्डवा (म.प्र.) भारत

भागीदारी को भी सुनिष्चित की जानी चाहिए।

क्वालिटी सर्कल का प्रादुर्भाव जापान से माना जाता है जो आगे चल कर पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है वास्तव में क्वालिटी सर्कल में कार्य के प्रति समर्पण त्याग इमानदारी मेहनत एवं लगन की भावना को मुख्य रूप से रहती है जो एक देष,समाज, संस्थान व पुस्तकालय के अत्यन्त आवश्यक है।

गुणवत्ता दायरे के उद्देश्य– क्वालिटी सर्कल के उद्देश्य सकारात्माक पहलुओं पर आधारित है जिनमें निम्नलिखित बातें भी शामिल है।

1. पुस्तकालय के कर्मचारीयों को अपनी रचनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करने के अवसर प्रदान करना ।
2. टीम भावना का विकास करना ।
3. कार्यप्रणाली में सुधार करना।
4. संस्थान के सेवाओं के प्रति जिम्मेदार निर्धारण की अवधारणा विकासित करना।
5. कार्मिकों में स्व मुल्यांकन की भावना जाग्रत करना।
6. प्रबंधन एवं कार्मिकों के बीच सकारात्मक सोच विकसित करना व तालमेल बनाए रखना ।

गुणवत्ता दायरे के लाभ – क्वालिटी सर्कल से सभी पक्षों को लाभ है जरूरत है आपसी विश्वास पैदा करने की विशेषकर के आज के दौर एवं चुनौतियौ में एक उत्साह एवं नवीन सूचनापूर्ण माहौल की जरूरत है इससे संबंधित पक्षो को लाभ होते है।

1. **पुस्तकालय प्रबंधन के क्षेत्र में –** कार्मिकों को तनावरहित वातावरण बनाकर नवीन सूचनाओ को संग्रह में वृद्धि करने में प्रबंधन का सहयोग करना।
2. **कार्मिको के क्षेत्र में –** तनावरहित वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त करना व नवीनतम सूचनाओं का संग्रह कर पाठको की त्वरित प्रदान करना।
3. **पाठको के क्षेत्र में –** पाठकों को संतुष्टिपूर्ण सेवाएँ प्राप्त कर संस्थान के प्रति पाठकों का सकारात्मक दृष्टिकोण जागरूक करना जिसमे विवाद व शिकायत का नही होना।
4. **सूचना के क्षेत्र में –** पूर्ण क्षमता के साथ नवीनतम सूचना संग्रह व स्तरीय सेवाओं को प्रदाय व प्रदत्त कर सेवा का पूर्ण मूल्य मिलना।

गुणवत्ता दायरे विशेषीकृत कार्मिकों का नियोजन – विगत कुछ वर्षो से पुस्तकालय संस्थान में सूचना प्रौधोगिकी आधारित स्टाफ की नियुक्ति की बहुतायत से की जा रही है क्योकि यहाँ नवीनतम साफ्टवेयर प्रोग्राम्स पर कार्य प्रगति पर है यह प्रोगाम संस्थान के अग्रिम एवं द्वितीय पंक्ति के साथ–साथ सूचना उत्पादन ,आन्तरिक कार्य,अग्रिम बजट,अग्रिम अंकेक्षण आदी के लिये भी है इस दृप्टि से भविष्य में होने वाली चुनौतियों के समाधान के लिये विशेषीकृत कार्मिक का नियोजन आवश्यक है।

इसी के साथ प्रतिस्पर्धा के समय में संस्थान अन्य संस्थानों के साथ टाइ–अप करके सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके और अपनी सूचना संग्रह की क्षमता को बढा सके। इस लिये पुस्तकालयों मे बहुद्देश्यी कार्मिकों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष– इस लिये हम पाते है कि प्रतिस्पर्धात्मक,सुचनासंग्रहण,व निजीकरण के भूमण्डलीकरण के युग में क्वालिटी सर्कल एवं मानव संसाधन विशेषीकरण का कार्य चुनौतिपूर्ण है इन चुनौतियों से निपटने के लिये पुस्तकालयों को अपने यहॉ उचित नियोजन के लिए स्वयं को पहले सक्षम बनना होगा जो एक अच्छी पहल होगी ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सक्सेना, एल.एस. 1997 पुस्तकालय संगठन तथा व्यवस्थापन म.प्र. हिंदी ग्रंथ,भोपाल
2. सुन्दरेश्वरन् एस.के. एस.के पब्लिकेशन्स नई दिल्ली
3. शर्मा एस.के पांडेय पुस्तकालय और समाज ग्रंथ अकादमी नई दिल्ली
4. कालभोर गोपीनाथ2001 पुस्तकालय और समाज म.प्र. हिंदी ग्रंथ,भोपाल
5. सिह, आर.सी. युनिवर्सिटी पब्लिकेशन नईदिल्ली
6. प्रतियोगिता दर्पण 13

****

शिक्षित जनजाति राजनीतिक चेतना का आकलन

डॉ. भूरेसिंग सोलंकी*

प्रस्तावना – मध्य प्रदेश शासन ने जनजाति के विकास की अनेक योजनाएँ क्रियान्वित की हैं, इसके अलावा कृषि विकास की योजनाएँ भी लागू की हैं। शिक्षित होने से विकासगामी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया।

इन प्रयासों से शिक्षित जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रंणी रहे। आज शासकीय विभिन्न सेवाओं में शिक्षित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला उद्योग केन्द्र, नायब तहसीलदार, प्रोफ्रेसर, शिक्षक, पुलिस सेवाओं में थाना प्रभारी, पुलिस उप अधीक्षक इत्यादि पदों पर नियुक्त हैं।

विभिन्न कारणों से एक ही समाज के गुटों में विकास की दृष्टि से असंतुलन पैदा हो जाता है। जिससे समग्र समाज का यथास्थिति में सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, एक ही समाज का गुट, जो विकास की दृष्टि से अग्रणी रहा है, उसके मूल्यांकन में स्पष्ट कहा जायेगा कि समाज ने विकास के अधिकांश पैमाने हासिल कर लिये है। लेकिन यह मूल्यांकन समग्र समाज पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उसी समाज के अन्य गुट विकास में काफी पिछड़ गये है

प्राय: किसी वर्ग की चेतना उसके रहन सहन, शिक्षा तथा समग्र परिवेश में श्रेष्ठम समझा जाता है। बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा जिलों में जनजाति वर्ग का राजनीतिक चेतना रही है। जनजाति क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी मध्यप्रदेश का संपूर्ण जनजाती क्षेत्र में सांसद, विधाक, पंच, सरपंच जनप्रतिनिधियों पर देखा जाता है। जनजाती वर्ग में प्राय: यह देखा गया है कि वह अधिकारों के लिए या अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए निरन्तर संघर्षरत रहकर अंतत: उस गरिमा को प्राप्त कर ही लेता है जिसका वह हकदार है।

शिक्षित जनजाती वर्ग की राजनीतिक चेतना का आंकलन उनकी क्षमताएँ उनकी अपनी हटवादिता तथा उनका अपना व्यक्तित्व है और इसी कारण वह न केवल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है अपितु सरपंच और पंच जैसे पदों पर भी उसका वर्चस्व स्थापित है।

अध्ययन से स्पष्ट होता है जनजाति वर्ग अधोलिखित कारणों से भी अपनी चेतना को बनो रखने में सक्षम हो पाया है।

जाति पंचायत के प्रशासनिक कर्ा, जाति पंचायत के धार्मिक कर्ा अर्न्तजातीय संबंधों का निम्न, पंचात की बैठक करना इनका कर्ा होता है।

इन जनजातियों में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, विघटनकारी प्रवृत्ति, अलगाववादी घटनाएँ एवं पिछड़ापन जैसे ज्वलन्त समस्याओं को परे करने का यह शोध एक प्रबल विकल्प हमारे सामने है, जिसके माध्यम से हम इन जनजार्तीयों एक नई सोच एवं दिशा दे सकते हैं जिसके माध्यम से वे अपना स्तर सुधारने में कामयाब हो।

आज समाज में फैली स्वार्थपरक मानसिकता, दिशाहीन राजनीति, उदारवाद की आँधी एवं यमीडिया के निरन्तर बढ़ते प्रभाव से हमारे चरित्र एवं व्यवहार में जो खुलापन आया है उसके परिणाम स्वरूप लोगों के नैतिक मूल्यों का अवमूलन हुआ है, उसके ज्ञान, नैतिकता, शिक्षा पद्धति को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

कमजोर नींव पर खड़ा कोई भी राष्ट्र अपने लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का ढाँचा तैयार नहीं कर सकता हैं। शिक्षा शोध खोजों को मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेश याना है। नैतिकता का गिरता स्तर एवं सी ढंग से नीतियों का कार्यान्वन न हो पाने की वजह से उच्च शिक्षा कही न कही व्यक्तिव के नैतिक यमूल्यो का ह्रास कर रही है।

सरकार द्वारा शैक्षणिक योजनाओं की कई इकाइयों में उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करने हेतु संचालित भी की जा रही है। शिक्षा के प्रसार और वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप ग्रामों आर्थिक, सामाजक तथा राजनैतिक पक्ष प्रभावित हुए हैं। वहीं सांस्कृतिक पक्ष भी आधुनिकता के प्रभाव से अछूता नहीं हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में जातियों के वर्ग में शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक है। अपने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रास करते हैं। शिक्षित जनजाति वर्ग हर संभव यह प्रयास करते है कि वह शिक्षा से वंचित न रह पाये। इसलिए शिक्षित वर्ग अपने परिवार के हर सदस्य को उच्च शिक्षित करने के लिए लगा रहता है। अन्य वर्गों की अपेक्षा वर्ग अधिक शिक्षित और उच्च पदों पर आसीन है। शिक्षित जनजाति वर्ग की सोच यह रही है, कि पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ जा कि इनसे कोई अन्य वर्ग आगे न निकल जा। इसलिए यह वर्ग अब महाविद्यालों में सरकारी कार्यालयों, बैंकों में देखने को मिलते हैं।

शिक्षा के उच्च शिक्षित होने के कारण शिक्षित जनजाति वर्ग की आर्थिक स्थिति अन्य जनजाति वर्ग से अच्छी है। आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण इनके रहन–सहन, खानपान और वेशभूषा में भी काफी बदलाव आा है। यह वर्ग शराब जैसे व्यसनों से दूर रहता है।

सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हर संभव प्रास करते हैं। आपस में हिलमिलकर रहते हैं। एक दूसरे के सुख–दुख:में मिलकर मदद करते हैं। शिक्षित जनजाति वर्ग की चेतना के कारण सबसे भिन्न है। शिक्षित जनजाति ने अपनी परम्परा की कट्टरता में काफी कमी की है और समय को पहचान कर सामाजिक रीति रिवाजों में भी शिथिलता बरती।

शिक्षित जनजाति वर्ग की सांस्कृतिक स्थिति सौहार्दपूर्ण रही है। समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों में एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाकर अपनी सांस्कृतिक एकता का परिचय देते हैं। इनमें एक

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्याल, भैसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना रहती हैं। इसलिए इनकी सांस्कृतिक स्थिति अन्य जनजातियों से अच्छी है।

उच्च शिक्षित होने, आर्थिक स्थिति व सामाजिक स्थिति मजबूत होने से शिक्षित जनजाति वर्ग की राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत है। अपनी राजनीतिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हर संभव प्रास करते हैं। ये ईमानदारी, मेहनत व परिश्रम के द्धारा अन्य वर्ग से आगे निकल गये हैं। इन्हें सांसद, विधायक, पंच, सरपंच जैसे पदों पर देखा जा सकता है। शिक्षित जनजाति वर्ग का उक्त कारणों से राजनीति पर वर्चस्व रहा। संसदीय निर्वाचन से लेकिन पंचायतों के निर्वाचन में शिक्षित जनजाति की राजनीतिक चेतना रही। इससे उन्हें राजनीतिक शक्ति का भी सहयोग मिला। इसी कारण इनका राजनीतिक चेतना का हुई है। राजनीति के क्षेत्र मे शिक्षित जनजाति वर्ग सबसे आगे है। अपनी स्थिति को काफी हद तक मजबूत किया है, जिससे शिक्षित जनजाति वर्ग की आर्थिक और शैक्षणिक विकास की और अधिक ध्यान दिया, जबकि अन्य वर्ग ने आर्थिक और शैक्षणिक विकास को उपेक्षित किया।

अतः यह कहा जा सकता है, कि शिक्षित जनजाति समाज की आर्थिक, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति व राजनीतिक स्थिति अच्छी होने के कारण ये वर्ग की राजनीति चेतना बहुत अधिक प्रभावी रही है। प्रायः ही उसकी आधारशिला है और इसी कारण से वह दूसरों को सहज ही अपनी और आकर्षित कर लेता है।

अतः हमें यह कहना होगा कि उसमें– प्रभावित करने की क्षमता अधिक है, वाक्पटुता होने के कारण, ईमानदार होने के कारण, चारित्रिक विशेषताएँ होने के कारण, वाणी में मधूरता होने के कारण, शिक्षा के प्रति उसका लगाव होने के कारण व मिलनसारिता होने के कारण व अन्य उपजातियों से उनका वर्चस्व अधिक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वंय के शोध–प्रबंध से

****

पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियां (धार जिले के कुक्षी तहसील के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. रेशम बघेल*

शोध सारांश – प्रस्तुत अध्ययन पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं उनके सामने आने वाली मुख्य बाधाओं एवं चुनौतियों पर आधारित है। अध्ययन में धार जिले की कुक्षी तहसील की संपूर्ण जनपद पंचायतों 973 में से प्रत्येक जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत में 5-5 महिला पंचों का अध्ययन के समग्र के रूप में चुना गया है। अध्ययन के प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने मात्र से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता हैं। जब तक कि उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं व चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाये। अधिकांश महिला जनप्रतिनिधि अशिक्षा बैरोजगारी, गरीबी, एवं परम्परागत समाज व्यवस्था की रूढ़िगत व परम्परागत मान्यताओं पुरूष की प्रधानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन जैसी बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है। इन सभी समस्याओं को दूर किये बिना महिलाओं का सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हो सकती हैं।

प्रस्तावना – भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। भारत में पुरातन काल से ग्राम पंचायतों के देश के रूप में जाना जाता है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही जब मनुष्य ने समूह में रहना सीखा, इसी तरह पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धान्त उनकी चेतना में विकसित होते आये है। उस व्यवस्था को विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। कभी वे गणराज्य तो कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी **'स्थानीय'** इत्यादि नामों से इन प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की पहचान हुई है।[1]

भारत में स्थानीय स्वशासन पंचायती राज – व्यवस्था की सफलता प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अमूल्य देन है। यद्यपि वर्तमान में पंचायती राज संस्थाएँ, अपने त्रि-स्तरीय स्वरूप में प्रत्येक राज्य, जिला, तहसीलों, एवं ग्रामों में विद्यमान है। जो ग्रामीण भारत को एक संस्थागत तंत्र प्रदान कर रहा है। पंचायती राज संस्थाऐं एक ऐसा तंत्र है जो ग्रामीण विकास एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की दशा को सुधारने तथा राष्ट्रिय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 2 अक्टुबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी। एवं पंचायतीराज व्यवस्था को मजबुत बनाने के उद्देश्य से 1956 में बलवंत राय में मेहता समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में पी.के.राव समिति, 1986 में एल.एम.सिंघवी समिति तथा 1989 में पी.के. थुंगन समिति बनाई गयी। ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कमियों को दूर करने एवं उसे और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इसी उद्देश्य से बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत रिपोर्ट एवं सिफारिशों के आधार पर ही 2 अक्टुबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतीराज व्यवस्था का सुभारंभ किया।[2] जो प्राचीन भारतीय स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को मूर्तरूप देने का अद्धितीय व अविस्मरणीय पल था।

भारतीय समाज में प्रारम्भ से ही यह विड़म्बना रही है कि कभी भी महिलाओं को पुरूषों के समान अवसर नहीं दिया गया। पुरूष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं से वंचित रखना, पुरूषों द्धारा महिलाओं का अधिपत्य बहाल करना व उन्हें दोयम दर्जा प्रदान करने की जीवंत परंपरा भारतीय समाज में प्रचलित रही है।

आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किए ताकि महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान किए ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया जिसमें मुख्यत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (ध) 4 में महिलाओं के लिए एक – तिहाई आरक्षण को विनिर्दिष्ट किया गया है।[4] कालान्तर में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखण्ड जैसे – राज्यों में एक-तिहाई आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप आज महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी से भी अधिक स्थानों पर निर्वाचित हुई है। किन्तु आज भी उनके सम्मुख अनेक समस्याएँ एवं चुनौतियां विद्यमान है।

मध्यप्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रारम्भ और विकास – 15 अगस्त, 1947 के बाद देश के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में गांवो को केन्द्र में रखा गया है। चूँकि हमारे नीति-निर्माताओं का मानना था कि गांव के विकास के बिना देश के विकास की आकांक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है वस्तुत: 1 नवम्बर सन् 1956 को म.प्र. राज्य अस्तित्व आया। म.प्र. में प्रारंभिक पंचायते उसी तरह से अस्थिर थी, जैसे देश के अन्य भागों में था। प्रदेश में जनजातियों की पंचायतें, बहुत ही सशक्त, पारंपरिक पंचायते थी। सर्वप्रथम 1962 में म.प्र. पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। 1981

* सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाभरा), जिला आलीराजपुर (म.प्र.) भारत

में प्रदेश सरकार द्वारा म.प्र. पंचायती राज अधिनियम के रूप में स्वीकृत हुआ। इसके अंतर्गत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को जारी रखने की बात स्वीकार की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप पुन: 29 दिसम्बर, 1993 को पारित कर दिया गया। 19 जनवरी 1994 को म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी जाए। इस प्रकार म.प्र. देश में नहीं संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला देश में प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त किया।

73वां संविधान संशोधन और महिला आरक्षण – आजादी के बाद देश, अपना शासन तथा अपना कानून की मत एकता की भावना से सरोकार होकर भारतीयों ने एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संधीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित किए। भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और साथ ही जाति, धर्म, वर्ग, जन्मस्थान शैक्षणिक या सम्पत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना सभी भारतीय नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 'घ' (4) में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित स्थान विर्निदिष्ट किया गया। परन्तु आज म.प्र. त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में संविधान द्वारा प्रदत्त एक-तिहाई आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप सत्र 2014-15 में सम्पन्न हुए।

अध्ययन के उद्देश्य – पंचायतीराज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के सम्मुख आने वाली मुख्य बाधाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन ही इस शोध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध प्रविधि एवं तकनीक :

1. **शोध का अध्ययन क्षेत्र –** अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के धार जिले की कुक्षी तहसील को चुना गया है।

2. **शोध अध्ययन का समग्र –** धार जिले के कुक्षी तहसील की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों में निर्वाचित समस्त महिला जन प्रतिनिधियों को अध्ययन का समग्र माना गया है।

3. **अध्ययन की ईकाई –** ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को अध्ययन की इकाई के रूप में र्निदिष्ट किया गया।

4. **निदर्शन का आकार –** धार जिले की कुक्षी तहसील के 973 ग्राम पंचायतों में से दैव निदर्शन विधि से प्रत्येक ग्राम पंचायतों से 5-5 महिला पंचों को चुना गया था। तथा चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायतों से, कुक्षी तहसील से 37 ग्राम पंचायत, बाग विकासखण्ड से 48 तथा निसरपुर विकासखण्ड से 34 ग्राम पंचायत हैं। तथा पंचायत से, 5-5 महिला पंचों को अध्ययन के लिया गया था। इस प्रकार कुल 300 महिला जनप्रतिनिधियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

5. **निदर्शन पद्धति –** अध्ययन हेतु सूचनादाताओं का चयन दैव निदर्शन स्तरीय याद्दच्छिक प्रतिनिधित्व निदर्शन प्रणाली द्वारा किया गया है। तथा समंको की सूची उपलब्ध होने के कारण अध्ययन में दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है।

निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण – भारतीय समाज का स्वरूप पुरातन काल से ही पुरूष प्रधान समाज रहा है। पुरूष प्रधान समाज होने के कारण भारत में महिलाओं को नीति-निर्माण, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया एवं गतिविधियों से वंचित रखा गया। परिणामस्वरूप परम्परागत सामाजिक मान्यताओं एवं बाध्यताओं के कारण महिलाएं पुरूषों की तुलना में पिछड़ गई। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान भी किये तथा स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई परन्तु वर्तमान समय में भी उनके सम्मुख अनेक समस्याएं एवं चुनौतियाँ विद्यमान है जिन्हें दूर किए बिना महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। निम्नांकित तथ्यों एवं सारणियों के द्वारा उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों को समझा जा सकता हैं :-

तालिका - 01 : महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन का स्तर दर्शाने वाली तालिका

क्रं	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	निरक्षर	201	67.0
2.	साक्षर	21	7.0
3.	प्राथमिक	42	14.0
4.	माध्यमिक	36	12.0
	योग	**300**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 67% महिला पंच प्रतिनिधि का अध्ययन का स्तर निरक्षर है, 14.0% महिला पंचों का अध्ययन स्तर प्राथमिक पाया गया है। जबकि 12% सूचनादाताओं का अध्ययन स्तर माध्यमिक पाया गया है तथा 7.5% महिला पंच प्रतिनिधि का अध्ययन स्तर साक्षर के रूप में पाया गया है।

अत: सारणी से स्पष्ट होता हैं कि सर्वाधिक रूप से महिला पंचों का अध्ययन स्तर निरक्षर के रूप में सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में परम्परागत विचार धाराओं में आज भी महिला अशिक्षित हैं, किन्तु वर्तमान में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई हैं। परिणाम स्वरूप साक्षर, प्राथमिक, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षित महिलाएं पंच जनप्रतिनिध के रूप में पद प्राप्त किया हैं।

तालिका - 02 : महिला जनप्रतिनिधियों की परिवार के स्वरूप के आधार को दर्शाने वाली तालिका

क्रं.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	एकाकी परिवार	46	15.3
2.	संयुक्त परिवार	254	84.7
	योग	**300**	**100**

उपरोक्त सारणी का विश्लेषण करने पर यह तथ्य बताते है कि सर्वाधिक 84.7% महिला जन-प्रतिनिधि का कहना है कि उनके परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार है, जबकि 15.3% महिला पंचो का एकाकी परिवार है।

अत: अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि महिला पंच के परिवार में संयुक्त परिवार की बहुलता है। किन्तु वर्तमान समय में औद्योगिकता एवं नगरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप परिवार का संयुक्त स्वरूप का विघटन होकर एकल परिवार की ओर उनमुख हुए है।

तालिका - 3 : उत्तरदाताओं की ग्राम पंचायत में निर्वाचित होने के अवसर का विवरण (पहली बार भाग लेने वाली जनप्रतिनिधि)

क्रं.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	194	64.7
2.	नहीं	106	35.3
	योग	**300**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 64.7% उत्तरदाता महिला पंचों ने पंचायत चुनाव में पहली बार भाग लिया है। 35.3% महिला पंचो ने स्वीकार किया है कि वह पंचायत चुनाव में पहले भी भाग ले चुकी है। इस प्रकार राजनैतिक दल प्रारंभिक रूप से महिलाओं को राजनैतिक कार्य में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित एवं सशक्त करते है।

अत: महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए उत्तरदाता महिलाओं से जानकारी प्राप्त की गई। पंचायत चुनाव में भाग लेने व चुनाव करवाने में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

तालिका - 4

क्रं.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	समन्वय	34	11.3
2.	पुरूषवादी समाज	15	5.0
3.	रूढ़िवादी समाज	43	14.3
4.	जागरूकता की कमी	122	40.7
5.	महिलाओं के कमजोर आंकने की प्रवृत्ति	86	28.7
	योग	**300**	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40.7% महिला पंच सूचनादाताओं को जागरूकता की कमी होने पर कार्य में बाधाएं आती है। 28.7% सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों में समाज में महिलाओं को कमजोर आंकने की प्रवृत्ति है। जबकि 14.3% पंच उत्तरदाताओं का मानना है कि रूढ़िवादी समाज के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। 11.3% महिला पंच सूचनादाताओं से प्राप्त उत्तरों से ज्ञात हुआ है कि यहां पुरूषवादी समाज है। अत: स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधि अपने कार्य को खुलकर नहीं कर पाती है, उन्हें पर्दा-प्रथा और वयोवृद्ध के सामने उठने-बैठने, बोलने में आज भी हिचक होती है। साथ ही अनेक पंचायतों में रूढ़िवादी समाज और पुरूषवादी समाज एवं महिलाओं की कमजोर आंकने की प्रवृत्ति आज भी दिखाई देती है। यदि महिला को विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाये तो केवल न केवल एक महिला का ही विकास नहीं होगा, बल्कि गांव, नगर, राज्य और देश की सम्पूर्ण महिलाओं का विकास होगा लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

निष्कर्ष - पंचायती राज संस्थाओं में महिला-महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक कारगर कदम रहा है। जिसके परिणामस्वरूप ही स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकी है। वस्तुत: पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज जीवन में महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया परिणामस्वरूप वह सार्वजनिक जीवन में पुरूषों की तुलना में पिछड़ गयी। इसी पिछडेपन को दूर करने के लिये आजादी के बाद नीति-निर्माताओं ने अतिरिक्त से वैधानिक प्रावधान किये ताकि महिलायें संपूर्ण दृष्टि से सशक्त हो सके। स्थानीय स्वशासन में की इकाईयों में एक-तिहाई आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। वह आज 50 प्रतिशत से भी अधिक स्थानों पर निर्वाचित हो रही है।

अत: जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वह अब गृहकार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, पति एवं अशिक्षा, गरीबी, बैरोजगारी परम्परागत रूढ़िवादी मान्यताएँ, जागरूकता में कमी एवं महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी के कारण लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता एवं महिलाओं का सशक्तिकरण बाधित एवं प्रभावित हो रहा है। उक्त व्यक्त समस्याओं के समाधान के बिना महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं हो सकता है।

सुझाव - प्रस्तुत अध्ययन जो कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियों पर आधारित है। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे है; जो इस प्रकार है :-

1. वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं में शिक्षा की कमी एवं जागरूकता का अभाव है। उनकी अशिक्षा को दूर करने हेतु वैज्ञानिकता पर आधारित गुणात्मक शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु निरंतर जनजागृति अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाना आवश्यक है।
2. ज्यादातर महिला जनप्रतिनिधि गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण कृषि व मजदूरी कार्य में लिप्त रहती है। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सरकार को उनकी मासिक मानदेय की राशि में बढोतरी करना चाहिए, जिससे वह कृषि व मजदूरी के कार्यो में न उलझकर अपने कर्तव्य अधिकार एवं उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निर्वहन कर सके।
3. समाज को भी मानवीय मूल्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को दबाव देने के बजाय उनका सहयोग करना चाहिए ताकि वह पुरूषों की भांति सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. यतीन्द्रसिंह सिसौदिया, (2003), म.प्र. की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व पूर्व देवा सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका उज्जैन, अंक 33-34 पृ. - 201।
2. एस. असलम, (2010), भारत में पंचायतीराज, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया नई दिल्ली, पृ. 20-21।
3. रूपेश कुमार सिंह, (2003), महिला सशक्तिकरण एवं पंचायतीराज, पूर्व देवा सामा.वि. शोध पत्रिका उज्जैन, अंक - 33-34, पृ. 40।
4. भारत का संविधान, 9 नवम्बर, 2015 को यथा विद्यमान भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषाखण्ड, नई दिल्ली, पृ.-147-148।
5. आलोक सक्सेना, (2015), म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर (म.प्र.) पृ.-22
6. गोपा जोशी, (2015), भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निर्देशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, पृ. - 37
7. तनवीर एजाज, (2006), महिलाओं के लिए आरक्षण, साधर्ना आर्य, निवेदिता मेनन, लोकनीता, निजी (संपा.) नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यविन्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. - 342-441।

****

मध्यस्थम् एवम् सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत विवाद समाधान

रतन सिंह तोमर*

प्रस्तावना – वर्तमान भारत में हुई औद्योगिक एवम् वाणिज्यक प्रगति तथा आर्थिक विश्वीकरण के परिपेक्ष्य में विवादों के सुगम एवम् शीघ्रता से निपटारे के लिए माध्यस्थम् विधि की महत्वपूर्ण भूमिका है।

वर्तमान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के पूर्व भारत में माध्यस्थम् अधिनियम 1940 लागू था जिसमें माध्यस्थम्– प्रक्रिया में न्यायालयों का हस्तक्षेप अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण विवाद समाधान की प्रक्रिया लम्बी तथा जटिल हो गयी थी। अत: प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाने तथा वाणिज्यक विवादों के निपटारे में विलंब को यथासंभव कम करने के उद्देश्य से माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के स्थान पर मध्यस्थ एवम् सुलह अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया जो दिनांक 25 जनवरी 1996 से प्रवृत्त हुआ। इस नए अधिनियम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें सुलह तंत्र को भी विवादों के निपटारे के एक सशक्त माध्यम के रूप में विधिक मान्यता प्रदान की गई है।

भारत में माध्यस्थम् विधि के उद्गम स्त्रोत के रूप में प्राचीन समय से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का उल्लेख किया जाना उचित होगा। प्राचीन भारतीय समाज में पंचों द्वारा पंचायत के माध्यम से किए गऐ निर्णयों को मान्यता प्राप्त थी क्योंकि लोगों का ऐसा विश्वास था कि पंचों में परमेश्वर का वास होता है अत: उनके द्वारा दिए गये निर्णयों को निर्विवाद रूप से शिरोधार्य किया जाना चाहिए समय के साथ सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों एवं सभ्यता के विकास के परिणामस्वरूप मानव ज्ञान में संवृद्धि हुई तथा 'पंच–परमेश्वर' की संकल्पना शनै:शनै: क्षीण होती गई। तथापि भारत में न्यायिक व्यवस्था सुस्थापित होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों का महत्व बना रहा। उल्लेखनीय है कि आदिवासी अंचलों में आज भी लोगों के मन में न्यायालयों की बजाय ग्राम पंचायतों में अधिक विश्वास है और वे इसी प्रकार के विवाद पंचों द्वारा निपटाए जाने को ही प्राथमिकता देते हैं।

वर्तमान युग के वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के साथ वाणिज्यक संव्यवहारों में जटिलताएं उत्पन्न हो गई है। आवागमन तथा दूरसंचार के साधनों में संवृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार का स्वरूप घरेलु मात्र सीमित न रहकर विश्वस्तरीय हो चुका है बदली हुई परिस्थितियों में क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यक विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु एक प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव हुई ताकि वाणिज्यक व्यापार निर्वाध रूप से संचालित हो सके इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु माध्यस्थम्, सुलह आदि संबंधी कानूनों का प्रादुर्भाव हुआ जो विवादों को त्वरित एवं कम व्ययमें निपटाने में संतोषप्रद रूप से उपयोगी सिद्ध हुए है। मध्यस्थम् एवं सुलह कार्यवाही द्वारा विवाद निपटाए जाने का एक लाभ यह भी हुआ है कि अब पक्षकारों को लम्बी एवं जटिल न्यायलयीन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है जिसके कारण उनका बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट होता था।

माध्यस्थम् संबंधी विधि मुख्यत: इस सिद्धांत पर आधारित है कि विवादों को यथासंभव सामान्य न्यायालयों के वजाय घरेलू अधिकरणों के माध्यम से निपटाया जाए जिसमें पक्षकारों द्वारा स्वयं चुने गऐ व्यक्ति ही मध्यस्थ की भूमिका निभाते हों। इसीलिए रसेल ने 'मध्यस्थ' को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये माध्यस्थम् अधिकरण में निर्णायक का कार्य करते हुए अपना फैसला सुनाते है जिसे पंचाट या अवार्ड कहा जाता है। इन निर्णायकों को मध्यस्थ या मीडियेटर कहा जाता है। किसी मामले में पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर वे उसे स्वयं की सहमति से नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों को सोंप देते हैं, जो माध्यस्थम् कार्यवाही के अंतर्गत दोनों पक्षकारों की दलीले सुनने के पश्चात् मामले में अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं जिसे पंचाट निर्णय कहा जाता है। इस प्रकार माध्यस्थम् अधिकरण का कार्य पूर्णत: न्यायिक स्वरूप का न होकर अर्ध–न्यायिक स्वरूप का होता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने बाकी मोहम्मद बनाम हबीब उल्ला के प्रकरण में आर्वीट्रिटर्स और मध्यस्थ में विभेद स्पष्ट करते हुए यह अभिमत प्रकट किया है कि मध्यस्थता करने वाला वयक्ति विवादी पक्षकारों के मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक अच्छे मित्र के नाते उनके विवादों को हल करने का प्रयास करता है जबकि माध्यस्थम् अधिकरण के आर्वीट्रिटर पक्षकरों द्वारा स्वयं चुने गए व्यक्ति होते है जिन्हें पक्षकार अपना विवाद निपटाने हेतु सोंपते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि – माध्यस्थम् एवं सुलह संबंधी विधि इंग्लिश माध्यस्थम् विधि पर आधारित है। इंग्लैंड में माध्यस्थम् अधिनियम 1967 पारित होने के पूर्व अंग्रेज वणिक् एवं व्यापारी अपने वाणिज्यक तथा व्यापारिक विवादों के निपटारे हेतु मध्यस्थों की सहायता लेते थे जो इस प्रयोजन के लिये विशिष्टत: नियुक्त किऐ जाते थे। इंग्लैंड में माध्यस्थम् को सांविधिक मान्यता सर्वप्रथम माध्यस्थम् अधिनियम, 1697 द्वारा प्राप्त हुई जिसके अंतर्गत व्यापारियों के अचल सम्पत्ति संबंधी विवाद तथा स्थावर सम्पत्ति या वैयक्तिक अपवादों के मामले मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाते थे। मध्यस्थों द्वारा दिए गऐ पंचाटों को विवादित पक्षकारों के मध्य बंधनकारी बनाने तथा उनका न्यायिक प्रवर्तन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इंग्लैंड के कांमन लॉ प्रोसीजर एक्ट 1854 में भी कुछ प्रावधान थे। कालांतर में इन संविधियों को आर्वीट्रेशन एक्ट, 1889 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप माध्यस्थ संबंधी सभी पूर्ववर्ती विधियों का निरसन हो गया।

भारत में माध्यस्थम् संबंधी विधि सर्वप्रथम सन् 1899 में पारित हुई

* शोधार्थी, एल. एन. सी. टी. विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

जो मूलतः इंग्लिश माध्यस्थम् अधिनियम् 1889 पर आधारित थी इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व बंगाल विनियम, 1772 में यह प्रख्यात था कि लेखा संबंधी विवादों के पक्षकार अपने मामले मध्यस्थता द्वारा निपटा सकते थे तथा मध्यस्थ द्वारा दिऐ गये पंचाट को न्यायालयीन डिक्री की मान्यता प्राप्त थी। इस विनियम के माध्यस्थम् संबंधी प्रावधानों में सन् 1781 तथा 1782 के विनियमों द्वारा कुछ परिवर्तन किए गऐ जिनमें यह उपबंधित था कि मध्यस्थता की कार्यवाही में यदि दो विश्वस्तरीय व्यक्तियों द्वारा शपथ पर भ्रष्टाचार या पक्षपात का आरोप लगाया जाता है और वह सिद्ध हो जाता है, तो उस दशा में माध्यस्थम् द्वारा दिया गया पंचाट अपास्त माना जाएगा। मध्यस्थों की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा स्वयं की जाती थी तथा माध्यस्थम् का निर्णय अंतिम एवं वंधनकारी प्रभाव रखता था। तत्पश्चात् सन् 1787 के विनिश्चय द्वारा न्यायालयों को यह प्राधिकार दिया गया कि वे पक्षकारों की सहमति से उनके विवाद को माध्यस्थम् द्वारा विनिश्चित करा सकते थे।

माध्यस्थम् विधि को अधिक प्रभावी ढंग से प्रवर्तित कराने के उद्देश्य से सन् 1793 के बंगाल विनियम में यह उपबंधित किया गया कि लेखा, साझेदारी ऋण अथवा संविदा के अपालन आदि से संबंधित ऐसे विवादों को जिनका मूल्य दो सौ सिक्कों से अधिक न हो, न्यायालय माध्यस्थम् द्वारा निपटाए जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा। इस विनियम में माध्यस्थम् हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी विस्तृत उल्लेख था। बंगाल विनिमय 1793 के ये प्रावधान सन् 1795 के विनिमय द्वारा बनारस भू-क्षेत्र के लिए भी लागू किए गए जिन्हें कालांतर में सन् 1803 के विनिमय द्वारा अवध क्षेत्र में भी लागू किया गया।

मद्रास और बंबई की सरकारों ने भी अपने-अपने भू-क्षेत्रों में पंचायतों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे कतिपय विवादों का निपटारा माध्यस्थम् द्वारा कर सकते हैं। उन्हें यह शक्ति क्रमशः मद्रास विनियम 1816 तथा बंबई विनियम 1827 द्वारा प्रदान की गई थी।

सन् 1840 में मध्यस्थता संबंधी विभिन्न प्रावधानों को समेकित करके बिट्रिश भारत में एक विशिष्ट अधिनियम माध्यस्थम् अधिनियम 1940 लागू किया गया। यह अधिनियम मूलतः इंग्लैंड के मध्यस्थम् अधिनियम 1840 पर आधारित था। इंग्लैंड के माध्यस्थम् अधिनियम को सन् 1950 तथा सन् 1979 में संशोधित किया गया लेकिन भारत का माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 सन् 1996 तक प्रवर्तनीय रहा इसे सन् 1996 में निरस्त करके इसके स्थान पर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 लागू किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष्य - संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक आदर्श माध्यस्थम् विधि का प्रारूप तैयार किए जाने की दिशा में प्रयास लम्बे समय से किए जा रहे थे जिसे समस्त सदस्य देशों द्वारा अपी देशीय आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करते हुऐ समान रूप से लागू किया जा सके। इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यक माध्यस्थम् पर एक आदर्श विधि का प्रारूप तैयार किया गया जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग ने अपने अठारहवें वार्षिक सत्र में 21 जून 1985 को अंगीकृत कर लिया। संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने 18 दिसंबर 1985 के अपने प्रस्ताव में यह अनुशंसा की कि सभी सदस्य देश उक्त आदर्श माध्यस्थम् विधि को अपनाऐं। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यक विवादों के निवारण हेतु एक सी आदर्श विधि को अपनाने के उद्देश्य से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 अधिनियमित एवम् प्रवृत्त किया गया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यक विवादों के निपटारे हेतु एक सी प्रक्रिया लागू हो सके।

भारत में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के पारित होने के परिणामस्वरूप माध्यस्थम् (प्रोटोकोल एवं कन्वेन्सन) अधिनियम 1937, विदेशी पंचार (अनुसंशा एवं प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 तथा माध्स्थम् अधिनियम, 1940, निरसित हो गऐ है। भारत द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996, के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आदर्श माध्यस्थम् विधि अपनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि भारतीय आर्थिक व्यवस्था के उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के फलस्वरूप हाल के कुछ वर्षो में अधिकाधिक भारतीय प्रवासी एवं विदेशी विनियोग संस्थाओं ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया है जिससे वाणिज्यक विवादों के सुगमता से निवारण हेतु एक नए तंत्र को अपनऐ जाने की आवश्यकता अनुभव हुई जिसके लिए माध्यस्थम् अधिनियम 1940 को नए सिरे से प्रस्थापित करना समयोचित माना गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

भारत में तृतीय लिंग की प्रस्थिती

डॉ. पूजा तिवारी *

शोध सारांश – भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय का पौराणिक गाथा काल से एक लंबा इतिहास रहा है। महाभारत में भी शिखंडी एवं अर्जुन के बृहनलल्ला रूप का वर्णन मिलता है। ट्रांसजेंडर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी एक लैंगिक पहचान या अभिव्यक्ति उस लिंग से अलग होती है ,जो उन्हें उनके जन्म के समय दी गई होती है । भारतीय संस्कृति और न्यायपालिका तीसरे लिंग को मान्यता देती है । इन्हें 'हिजड़ा' कहा जाता है । भारत में 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरे लिंग को मान्यता दी ,जो न पुरूष है और न ही स्त्री,यह कहते हुए कि 'तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स की मान्यता एक सामाजिक या चिकित्सा मुद्दा नहीं है ,बल्कि यह एक मानवाधिकार मुद्दा हैं।'

शब्द कुंजी – किन्नर ,सामाजिक , मानवाधिकार ,लिंग प्रस्थिति।

प्रस्तावना – ' किन्नर' शब्द का अर्थ क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर अलग – अलग विद्धानों के द्धारा अलग–अलग तरह से दिए गए है। रिसर्च टी.पी.शर्मा के अनुसार शरीर एवं मन का तालमेल न होना ही किन्नर है। अर्थत यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्त्री का है किंतु मन 'पुरूष' का है ,तो उम्र बढ़ने के साथ –साथ उसमें मानसिक द्धंद प्रारंभ हो जाता है ,और वह 'किन्नर' बन जाता है ।

Transgender शब्द दो शब्दों से बना है –Trans + gender शब्द Trans का अर्थ के (उस) पार ,के परे ,दूसरी अवस्था में होता है है एवं gender का अर्थ 'लिंग' होता है । अर्थात् 'दूसरी अवस्था में लिंग'। यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्त्रीलिंग माना गया है किंतु वह स्वयं को 'पुरूषों' के रूप में देखता है तो ऐसे व्यक्ति को ट्रांसमैन कहते है ,इसके विपरीत अवस्था में उसे ट्रांसवुमन कहते है ।

अप्रैल 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कानून में ट्रांसजेंडर को 'तीसरा लिंग' अर्थात् Third gender घोषित किया। न्यायमूर्ति के.एस.राधाकृष्णन ने अपने फैसले में कहा कि 'शायद ही कभी ,हमारे समाज को उस आपात,पीड़ा और दर्द का एहसास होता है ,जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य गुजरते हैं ,और न ही लोग ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को जन्मजात भावनाओं की सराहना करते है ,विशेष रूप से जिनके मन और शरीर ने उनके जैविक लिंग को अपनाने से इंकार कर दिया है ।'

भारत में किन्नरों की स्थिति – भारत में किन्नरों को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत ही कर दिया जाता है । उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि समाज में लैंगिक आधार पर विभाजन की पुरातन व्यवस्था चली आ रही है ,जिसके अनुसार केवल स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग अर्थात् स्त्री एवं पुरूष समाज के अभिन्न अंग हो सकते है। किन्नरों को कई प्रकार के द्धंद से जूझना पड़ता है यथा मानसिक द्दंद सामाजिक द्धन्द ,परिवार के लोगों से द्धन्द ,पड़ोसियों से उपेक्षा,स्कूल –कॉलेज में उपहास आदि । द्धितीयक स्त्रोतो से ज्ञात होता है कि भारत में 95 प्रतिशत किन्नर बाल्यकाल में यौनशोषण का शिकार होते है जिसमें उनके पारिवारिक सदस्य चचेरे भाई, अंकल, पड़ोसी आदि शामिल होते है ,लगभग 80 प्रतिशत किन्नर अपने जीवनकाल में आत्महत्या का प्रयास भी करते है । किन्नर स्कूल के उपेक्षापूर्ण वातावरण के कारण स्कूल का त्याग कर देते हैं ,ट्रांसजेंडर मितवा संकल्प समिति की विद्या राजपूत मैडम के अनुसार किन्नरों में से केवल 2 प्रतिशत किन्नर ही समाज द्धारा स्वीकार किये जाते है ,40 प्रतिशत किन्नर हाईस्कूल से ड्राप आऊट हो जाते है ,मात्र 1 प्रतिशत ही विवाह कर पाते है तथा शत प्रतिशत मौखिक शोषण का शिकार बनते है । इनका परिवार नहीं होता है। लगभग 1000 बच्चों में से एक बच्चा जन्मजात किन्नर होता है, सुप्रीम कोर्ट द्धारा किन्नर को मान्यता देने वाला भारत सातवाँ देश बन गया है ।

किन्नर के प्रकार – किन्नरों के मुख्य प्रकारों में 'सखी संप्रदाय' एवं 'शिवशक्ति संप्रदाय' होते है । जो क्रमश : मंदिर में किन्नर तथा शिव के उपासक किन्नर होते है । विद्या राजपूत जी के अनुसार जन्म से बच्चा एक लिंग में रहता है किंतु धीरे –धीरे शरीर एवं मन में अलगाव होता है ,और वह किन्नर बन जाता है।

किन्नरों की समस्या – भारत में लगभग पांच लाख किन्नर बसते है ,जिन्हें सबसे बड़ी यातना यह झेलना पड़ता है कि समाज उन्हें स्वीकार्य नहीं करता है । वर्तमान समय में कोरोना संकट के कारण रेलगाड़ी बंद होने,कार्यक्रम न के बराबर ,उत्सव न होने के कारण किन्नर समुदाय गरीबी से जूझ रहा है । किन्नरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन्नर परिवार के साथ नहीं रह सकते है । इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच समाज द्धारा प्रतिबंधित है । इन्हें समाज की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नही किया गया है । इन्हें यौन शोषण ,गंभीर बीमारियाँ उपहास, अशिक्षा, जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है । सबसे मुख्य बात इनकी समाज में कोई प्रस्थिति नहीं होती है, और विवाह नहीं होता है, समाज में विवाह को मान्यता देकर ही प्रस्थिति का आंकलन किया जाता है, मनुष्य अपनी प्रस्थिति बनाने के लिए समाज के सभी नियमों का पालन करता है और प्रस्थिति बनाने कुछ भी कर सकता है।

प्रोफेसर दिवाकर शर्मा के अनुसार किन्नर पैदा नहीं होते, मानसिकता के कारण किन्नर बन जाते है । विवाह न होने के कारण समाज ताने देता है लोग किन्नरों से दूर रहना चाहते है । परिवार जब इन्हें घर से निकाल देते है तब ये 'गुरू' के पास रहने जाते है, जहाँ पर ये लोग अपने ही जैसे लोगों के

* सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविघालय, बिछुआ, जिला – छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

साथ आजीवन रहते है। म.प्र.की शबनम मौसी किन्नर के पिता पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे किंतु उन्होंने समाज के डर से अपनी इस संतान का त्याग कर दिया था । यह घटना किन्नरों की दशा का कड़वा सच को उजागर करने के लिए पर्याप्त हैं।

किन्नर से मुख्य धारा तक आने के लिए कुछ किन्नरों ने कड़ी मेहनत, समर्पण और दढ़ता दिखाई है और अपनी सफलता की कहानियां लिखी है।

कलकी सुब्रमण्यम – सहोदरी फाउंडेशन की संस्थापक, दो स्नातकोत्तार की डिग्री ,सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार है ।

पधिनी प्रकाश – भारत की मिस ट्रांसजेंडर, प्रशिक्षित कथक नर्तकी, गायक कलाकार, पत्रकार, टी.वी. धारावाहिक में भी कार्य किया है ।

मधुबाई किन्नर – छत्तीसगढ़ की लोकनृत्य कलाकार तथा रायगढ़ की प्रथम नागरिक बनी।

भारती – थियोलॉजी में स्नातक डिग्री ,ईसाई धर्म का नामांकरण इंजीलवादी चर्च में पादरी तथा शादियों का आयोजन भी करवाती है ।

मानवी बन्धोपाध्याय – एंडलेस बॉल्डेज उपन्यास की लेखिका ,बंगाली महाविद्यालय में प्रोफेसर।

शबनम मौसी – भारत की प्रथम किन्नर विधायक म.प्र. से बनी तथा 12 भाषाओं की ज्ञाता ।

विधा राजपूत – मितवा संकल्प समिति की संस्थापक एवं सामाजिक कार्यकर्ता।

लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी – भारत का सर्वाधिक चर्चित चेहरा भरतनाट्यम नर्तकी ,सामाजिक कार्यकर्ता ।

कमला (जान) बुआ – देश की प्रथम किन्नर महापौर सागर में सन् 2009 में बनी।

लीला मनिमें कलाई – स्वतंत्र फिल्म निर्माता ,कवि ,अभिनेता ।

पृथिका यशिनि – भारत की प्रथम किन्नर पुलिस सब इंस्पेक्टर ।

जोइता मंडल – देश की प्रथम किन्नर न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त किया।

गौरी सांवत – मुंबई में साक्षी चार चौघी की निदेशक तथा ट्रांसजेडर कार्यकर्ता जो ट्रांसजेडर लोगों तथा एच.आई.वी/एडस रोग से ग्रसित लोगों की मदद करती हैं।

किन्नरों के संवैधानिक अधिकार – भारत में पहली बार सन् 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्धारा किन्नर को तृतीय लिंग/थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तथा 17 दिसम्बर को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) 2018 विधेयक पारित हो गया। यह बिल ट्रांसजेंडरों के अधिकार के संरक्षण हेतू बनाया गया है किंतु इस बिल का विरोध देशभर में किन्नर समाज द्धारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 'नालसा' नेशनल लीगल सर्विस अथॉटी में फैसले के अन्तर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को पुरूष एवं स्त्री के बाद 'थर्ड जेंडर' के रूप में मान्यता मिली। इस नये बिल के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ट्रांस अधिकारों के लिए मेडीकल सर्टिफिकेट की जरूरत पडेग़ी । इसी बात से किन्नर समाज स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा है ।

ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण अधिनियम – ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण बिल 2019 के अनुसार ट्रांसजेंडर को पढ़ाई करने शैक्षणिक संस्थाओं में जाने का अधिकार है। कोई सरकारी या प्राइवेट संस्था नौकरी देने –प्रमोशन देने में भेदभाव नहीं कर सकता है । ट्रांसजेंडर को समस्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने का अधिकार है। ट्रांसजेंडर को अपने घर में परिवार के साथ रहने का अधिकार है। कोई भी मकान मालिक उसे किराए से घर देने से मना नहीं कर सकता है। उसे प्रापर्टी खरीदने का हक है । ट्रांसजेंडर को पब्लिक एवं प्राइवेट आफिस खोलने का भी अधिकार है। इस बिल एवं कानून के मुताबिक किसी ट्रांसजेंडर को जबरन बंधुआ मजदूर बनाना ,सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल करने से रोकना ,घर या गांव से निकालना ,शारीरिक हिंसा कर, आर्थिक तौर पर परेशान करना,अपशब्द कहना उपहास करना, मानसिक यातना देना ,अपराध की श्रेणी में आता है ।

दंड का प्रावधान – ट्रांसजेंडर के खिलाफ उपरोक्त सारे अपराध करने वाले को छ: माह से दो साल तक की सजा हो सकती है एवं जुर्माना लग सकता है।

समिति का गठन – इस बिल में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कांऊसिल नेशनल काउंसिल फार ट्रांसजेंडर पर्सन बनाने की बात कही गई है जो केन्द्र सरकार को सलाह देना। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष, सोशल जस्टिस राज्य मंत्री वाइस चेयर पर्सन तथा सोशल जस्टिस मंत्रालय के सचिव, हेल्थ ,होम अफेयर्स, ह्यमन रिर्सोस डेवल्पमेंट मंत्रालयों से एक – एक प्रतिनिधि शामिल होंगे । नीति मनोयोग तथा नेशनल ह्यूमन राइटस कमीशन के भी सदस्य इस काउंसिल में शामिल होंगे। साथ ही ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी से पांच सदस्य और अलग–अलग एन.जी.ओ. से पांच विशेषज्ञ होंगे।

निष्कर्ष – भारत में किन्नरों को कई प्रकार से संवैधानिक कानून का संरक्षण प्राप्त है किंतु हकीकत में आज भी किन्नरों का जीवन अभिशप्त ही है, किन्नरों को सभ्य समाज के लोग समझना नहीं चाहते, आवश्यकता इस बात की है कि जिस प्रकार माँ बाप अपनी अपंग संतानों को भी लाड़ दुलार से पालन पोषण करते है, उसी प्रकार से किन्नर संतान का पालन पोषण सामान्य तरीके से करे,समाज के भय से, या लोग क्या कहेंगे, इस बात से डर कर अपनी संतान का त्याग न करें। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किन्नरों को तृतीय लिंग अर्थात् थर्डजेंडर के रूप से मान्यता दे दिया है तो सामयिक रूप से भी उन्हें मान्यता देना ही किन्नर की सामाजिक प्रस्थिति को सुद्दढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. त्रिपाठी लक्ष्मी नारायण – मैं हिजरा मैं लक्ष्मी।
2. सक्सेना आकांक्षा ब्लागर – किन्नर दिवस – एक अश्रु कथा
3. सिंग विजेन्द्र प्रताप – Katha aur kinner (story collection)
4. इंटरनेट पर उपलब्ध – विभिन्न ब्लॉग
5. भीष्म महेन्द्र – किन्नर कथा

****

कोरोना काल में मानव मुक्ति के मसीहा - गांधी जी

डॉ. वसुधा अग्रवाल*

प्रस्तावना – दुनिया भर में कोरोना ने जो पकड़ बनाई वह सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। चीन से यह संक्रमण 200 से अधिक देशों में फैल चुका है और दुनिया के करोड़ो लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। इसके कारण लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक पाँव पसारती इस समस्या ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस महामारी से लोग बचकर न निकले हों करीब दस लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण के चंगुल से खुद को बचा सके हैं। दुनिया में इसके हालातों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी का दर्जा दिया है। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जहाँ कोरोना वायरस अपने पैर न पसार चुका हो और ऐसा लगता है जैसे- यह महाकाल सब कुछ मिटाने पर उतारू है। दुनिया के हालात इतने गंभीर है कि इससे जूझने के लिए कई जगह सेना को आना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर जगहों पर लॉकडाउन हुआ है शहरों से कस्बों, गांवों तक की सारी आवाजाही रूक गई तो वहाँ पूरी तरह से आपातकालीन स्थितियाँ बन गई जिससे निबटने को फिलहाल कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यह आपदा विश्व में पिछले एक शताब्दी के बाद सबसे बड़ी आपदाओं का हिस्सा बन चुकी है साथ ही आर्थिक संकट भी उत्पन्न कर दिया है। जहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हुए वहीं भुखमरी भी पैर पसारने लगी। हमारा देश भी इसकी चपेट में है अत: देश को समय रहते ही सरकार की सूझबूझ के कारण समय रहते देश में लॉकडाउन कर दिया गया। रेलगाड़ियों के पहिये थम गये, विकास की गति रूक गई, आर्थिक क्रियायें के पग थम से गये और चारों ओर लोग घर से बाहर निकलने में घबराने लगे। इन कठिनाईयों का सामना करते हुए जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो इसका उत्तर खोजने के लिए हमें कोई राह तो ढूँढ़नी ही होगी तो हमें महात्मा गांधी जी के विचारों में हर समस्या का हल खोजा जा सकता है यह तो उन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वह सदैव दूसरों को उपदेश देने के बजाए सबसे पहले वे स्वयं उसका आचरण करते थे। वे कोई भी कार्य स्थानीय स्तर पर करते थे। दुनिया बदलने के लिए वे दुनिया के पीछे नहीं भागते थे। मिट्टी के एक कण में पृथ्वी देखने वाली दृष्टि थी उनके पास में जहाँ हूँ वहीं मेरा स्वदेश है।

गांधी जी को मानव मुक्ति के मसीहा के रूप में याद किया जाता है उनके जाने के बाद भी जीवन की बहुत सी समस्याओं के लिए आज भी हमारी नजर गांधी जी की तरफ उठ खड़ी होती है। वे हमारे सामने जलती हुई मशाल के रूप में है। मानव इतिहास में हमारे लिए रचनात्मक ऊर्जा के एक अक्षय स्त्रोत के रूप में प्रगट होते हैं। विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के बहाने उन्होंने भारत की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर तीर्थ स्थलों से लेकर गांव-गांव एवं शहर- शहर की गलियों में फैली शारीरिक एवं मानसिक गंदगी उनके लिए एक तरफ भयानक अनुभव साबित हुआ तो दूसरी और महामारियों से गाँवों का नाश न होने पर आश्चर्य भी हुआ। वह यह स्वीकार करते हैं स्वराज ही हमारे जीवन का आदर्श है। कोरोना महामारी में भी गांधी जी यदि याद होते तो उनके विचारों के साथ हम कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त कर सकते थे। उनके कुछ बिन्दुओं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर समाज को निर्भय बनो का संदेश देते तथा समाज को आत्मनिर्भर बनने को भी प्रयास करते।

आज की विकट घड़ी में भी और जीवन की तमाम विपरीत नजर आने वाली परिस्थितियों में भी साहस रखें। अगर कोरोना काल की बात करें तो घर से बाहर न निकलना भी एक साहस की बात है। शारीरिक दूरी बनाकर रखने का साहस करें। ऐसे में कुछ बड़े साहस भी रखने हैं जैसे -अकेले रहने का साहस रखना। यह भी बहुत मदद करेगा। वर्तमान संकट के समय उपजे दु:ख से भयभीत होने के बजाय उसके निराकरण का प्रयास करना चाहिये। गांधी जी सदैव समस्या का निराकरण करने पर भरोसा करते थे।

गांधी जी ने सत्य को महाव्रत बताया है। सत्य का नियम नहीं व्रत होना चाहिये। नियम ऊपर से लादे जाते हैं जबकि व्रत अंदर से प्रकट होता है। कोरोना काल में सत्य के व्रत पर चलकर ही हम विकट से विकट परिस्थितियों से संघर्ष कर जीत सकते हैं। कोई भी बात करने से पहले यह जांच लें कि वह सत्य हो, उसका अच्छा प्रभाव हो और वह उपयोगी भी हो।

भय मुक्त समाज :- आज विषाणु की अपेक्षा विषाणु का भय अधिक पैमाने पर फैला हुआ है। यदि वर्तमान में महात्मा गांधी जी होते तो वे समाज से कहते कि आप सब लोग पहले तो 'निर्भय बनो'। एक तो डर से मनुष्य शक्तिहीन महसूस करने लगता है और दूसरे विषाणु की वजह से होने वाली मृत्यु की आशंका हमारे देश में बेहद कम है। हम सभी को एक होकर इस संक्रमण से लड़ने की आवश्यकता है डरने की नहीं।

मरीजों की सेवा :- गांधी जी की मरीजों की सेवा करना सहज प्रवृत्ति थी। प्रथम विश्व युद्ध, भारत में महामारी के दौरान कुष्ठ रोग के शिकार विकलांग परचुरे शास्त्री को अपनी कुटिया में रखकर स्वयं उनकी सेवा सुश्रुषा इसी के उदाहरण है। गांधी जी स्वयं कोरोना ग्रस्त रोगियों की देखभाल वे स्वयं करते, निरोगी जीवन शैली का गांधी जी का आग्रह अपना स्वास्थ्य स्वयं संभालने की क्षमता और यथासंभव अपने ग्राम समूह में ही उपचार की सुविधा ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को हम 'आरोग्य- स्वराज्य' कह सकते हैं। कोविड-19 महामारी का उत्कृष्ट उत्तर है 'आरोग्य-स्वराज्य'!

गल्तियों को स्वीकारें :- कोरोना महामारी का सामना करते हुए हमने अनेक गल्तियाँ की। जनवरी-फरवरी में 40 लाख प्रवासियों को हवाई मार्ग से भारत में आने दिया, इस वजह से कोरोना भारत में आया। इन 40 लाख लोगों के सुव्यवस्थित विलगीकरण की बजाय 134 करोड़ लोगों को

* विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

तालाबंदी की सजा दी गई हमारी पद्धति असफल हुई, यह बात गांधी जी स्वीकार करते।

स्थानीय स्वराज्य :- बुहान में एक विषाणु के पैदा होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फिर से संकट आ गया। गांधी जी यदि होते तो याद दिलाते कि स्थानीय उत्पादन, स्थानीय उपयोग तथा परस्पर संबद्ध स्थानीय लघु समूह अधिक स्थायी एवं मानवीय प्रारूप है इसे वे ग्राम स्वराज्य कहते थे यथासंभव स्वयं पूर्ण अर्थव्यवस्था सुझाते प्रशासनिक सत्ता में भी विकेन्द्रीकरण हो जाता।

धार्मिक व सामाजिक एकता :- गांधी जी के जीवन का यह अंतिम किन्तु अधूरा रह गया कार्य है भारत के विभिन्न समाजों के बीच द्वेष व हिंसा की वजह से उन्हें मर्मांतक पीड़ा हुई। जब कोरोना विषाणु हमारे भारत में प्रवेश कर चुका था तब सांप्रदायिकता की आग भी फैली हुई थी।

मेरा पडौसी मेरी जिम्मेदारी :- कोरोना ने आज सभी को अकेला कर दिया है गांधी जी मौजूदा शासकीय और मानसिक पाबंदियों को सर्वथा नकार देते, रोग प्रसार को रोकते, पडौसियों की देखभाल करते।

आदर्श समाज कृषि प्रधान :- गांधी जी के अनुसार जो समाज शारीरिक श्रम के आदर्शों पर स्थापित किया जाएगा वह कृषि प्रधान होगा। किन्तु कोरोनों ने हमारे सभी श्रमिकों को लॉकडाउन होने के कारण अपने-अपने घर जाने के लिए मजबूर कर दिया। गांधी जी उन सभी श्रमिकों को समझाते कि यहाँ रहते हुए तथा अपना कार्य करते रहोगे तो आप सभी को घर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और कृषि उत्पादन में कमी भी नहीं आएगी तथा कृषि उत्पादों से आपका जीवन यापन होता रहेगा। कृषि उत्पादन द्वारा ग्रामीण उद्योग धन्धों का विकास होगा घरेलू उद्योग धन्धों से कृषि के साथ-साथ नैतिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ भी होगा।

कुटीर एवं लघु उद्योग :- गांधी जी ने कुटीर एवं लघु उद्योगों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया था उनकी नीहित मूल भावना यह थी कि लोग अपने देश की बनी वस्तुओं का उपयोग करके अपने देश के श्रमिकों तथा शिल्पियों की सेवा करें। इससे वे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। किन्तु कोरोना महामारी फैलने के कारण गांवों में पुष्पित एवं पल्लवित होने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों की मूल भावना ही बदल गई क्योंकि शिल्पी, श्रमिकों ने पलायन करना प्रारंभ कर दिया। और इन उद्योगों की उत्पादन क्षमता गिर गई परन्तु गांधी जी कुटीर लघु उद्योगों में लगे शिल्पियों और श्रमिकों को रोककर उनकी सेवा करके उत्पादन के गिरते स्तर को अवश्य रोक लेते।

राष्ट्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण :- गांधी जी ने आर्थिक विचारों को नैतिक आधार शिला प्रदान की। गांधी जी ने मनुष्य के सामाजिक एवं पारस्परिक संबंधों का आधार धर्म को नहीं वरन् प्रेम को बनाया और कहा कि मालिक अपने नौकर से जितना काम प्रेमपूर्ण व्यवहार से ले सकता है उतना आर्थिक प्रलोभन या दबाब से नहीं। इस कोरोना महामारी में भी वे राष्ट्र के प्रति नैतिक दृष्टिकोण रखते हुए सभी से प्रेम पूर्ण व्यवहार द्वारा भौतिक लाभ की आशा से ही कर्म करने को प्रेरित करते।

ग्राम समाज की स्थापना के समर्थक :- ऐसे ग्राम्य समाजों की स्थापना का गांधी जी समर्थन करते थे जो कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों तथा जिनमें प्रत्येक व्यक्ति सामुदायिक भावना से श्रम करें। किन्तु कोरोना महामारी ने ग्रामीण जनता की अन्य आवश्यकताओं की जैसे शिक्षा, चिकित्सा जो कि इस समय बहुत ही आवश्यक थी बाधा उत्पन्न की। गांधी जी इस हेतु चिकित्सा संबंधी सुविधाऐं ग्रामों को उपलब्ध कराते एवं विवाह आदि उत्सवों के लिए ऋण लेने पर भी पाबंदी लगाते।

आर्थिक संकट के दौर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना :- कोरोना काल में आर्थिक संकट का सामना करने के लिए महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए चरखा उनके हाथ के लिए दिया है जिससे सूत कातकर वे स्वावलम्बी बनकर अपने परिवार एवं जीवन को और बेहतर बना पाएंगी।

संकट में संबल बना कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर :- कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था डांबाडोल हुई पर भारत के कृषि क्षेत्र ने विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत बेहतर कार्य किया। भारतीय जीवन शैली के द्वारा गांधी जी ने कहा कि हम संकटकाल को भी अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं कृषि हमारे संस्कारों का आधार है अर्थव्यवस्था का केन्द्र बिन्दु है हमें सदैव यह स्वीकारना होगा कि भारत के उदय की कल्पना कृषि एवं इस पर आधारित उद्योगों के माध्यम से ही की जा सकती है आत्मनिर्भरता के संकल्प के मूल में भी कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। गांधी जी ने कृषि के माध्यम से संकट काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया था।

दुनिया के तमाम देश गांधी जी के इस भारत देश से यही सीखना चाहते हैं कि वह वर्तमान में दुनिया के सामने उपस्थित विषमताओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं अगर वर्तमान सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए ईमानदारी से इस दिशा में कदम उठाएगी तो दुनिया इससे प्रेरणा ले सकेगी। तकनीकी का हाथ थामकर उसके उपयोग से हमारे देश की कोरोना जैसी विकट एवं विराट समस्याओं का हल निकालना होगा। समस्यायें हल होंगी तो देशवासी स्वत: ही अपनी ऊर्जा को देश को आगे बढ़ाने में लगाऐंगे।

इमें इस विकट समय में अपने हुनर हमें जो भी आता है उसे और बेहतर ढंग से करना शुरू करना होगा। व्यापार, निर्माण, सेवा से लेकर जिस क्षेत्र में हम है, उससे सर्वोत्तम क्या हो सकता है, वह करने का प्रयत्न करें। जब करोडो-करोडो भारतीय मिलकर काम करेंगे तभी भारत विश्व के सामने ताकतवर बनेगा। कोरोना काल में गांधी जी ने मानव जाति के विकास के लिए नई दिशा प्रदान की। फलत: उनका प्रभाव आज केवल भारत तक ही सीमित नहीं है अपितु विश्वव्यापी है। उन्होंने व्यक्ति के महत्व तथा शक्तियों में हमारे विश्वास को पुन: जागृत किया है। उन्होंने शताब्दियों से सोई हुई भारतीय जनता को मुक्ति संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेरे सपनों का भारत - महात्मा गांधी
2. यंग इंडिया - महात्मा गांधी
3. गांधी धर्म और समाज - शंभू रत्न त्रिपाठी
4. गांधीवाद की रूपरेखा - रामनाथ सुमन
5. गांधी और गांधीवाद - हिन्दी रूपान्तर : वेदराज वेदालंकार

****

मानव विकास के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक आवश्यकता

रामकृष्ण अहिरवार* गोविन्द चौधरी**

शोध सारांश – मनुष्य के जीवन में स्वच्छता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वच्छता केवल नगरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अति आवश्यक है। स्वच्छता के इस महत्व को समझते हुए भारत सरकार के द्वारा भी इस स्वच्छता अभियान सम्पूर्ण भारत में जन-जन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया और पूर्ण स्वच्छता 1 अप्रैल 2012 को भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के द्वारा निर्मल भारत अभियान प्रारम्भ किया गया, जिसके द्वारा ग्राम सरपंचों को अपने ग्राम में स्वच्छता का स्तर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया जिन ग्रामों का स्वच्छता स्तर श्रेष्ठ होगा उन्हें पुरूस्कृत करने का प्रावधान भी किया गया। 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान प्रारम्भ किया गया। इस अभियान में यह भी लक्ष्य रखा गया कि भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना है। महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 तक लगभग 1.96 लाख करोड़ रूपये की लागत से 1.2 करोड़ शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

इस अभियान में स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति आई क्योंकि इसका लाभ उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी प्राप्त हुआ जिन्हें खुले में शौच करने पर अनेक समस्याओं को झेलना पड़ता था। भारत सरकार के अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी इस स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जिसमें खिलाड़ी, फिल्म अभिनेता, लेखक, संगीतकार, उद्योगपति शामिल थे। जैसे – सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, बाबा रामदेव, प्रियंका चौपड़ा, विराट कोहली, अनिल अंबानी आदि। भारत सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2016 से सफाई रेकिंग जारी की जिसका परिणाम यह हुआ कि अधिक से अधिक शहरों ने स्वच्छता बढ़ाना प्रारम्भ किया ताकि वे शहर इस सफाई रेकिंग में अपना स्थान प्राप्त कर सके। भारत के 10 स्वच्छ शहरों की सूची जारी की गई जिसमें इंदौर लगातार 3 बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़, नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, सूरत, राजकोट, गंगटोक आदि। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 25 सितम्बर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 के मध्य केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के लिए जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया गया जिससे कि इन विद्यालयों में इस प्रकार की गतिविधियां शामिल की गई जिससे की स्वच्छता की प्रेरणा छात्र जीवन से ही प्राप्त की जा सके।

इस अभियान को स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय नाम दिया गया। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रवन्धन और स्वच्छता की सुविधाओं को स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

प्रस्तावना – भारत की आजादी के प्रमुख सूत्रधार मोहन दास करमचंद गाँधीजी ने जब देखा कि लोग अभाओं के साथ-साथ गंदगी के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके अन्तर्मन की चेतना में स्वच्छता के बीच पल्लवन हेतु उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया। गाँधी जी स्वच्छता के संदर्भ में कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय या सामाजिक सफाई को न तो जरूरी गुण माना न ही उसका विकास किया। हमारी इस कमजोरी को मैं एक बड़ा दुर्गुण मानता हूँ। इस दुर्गण का ही नतीजा है कि हम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जिससे लोगों में इसके प्रति काफी जागरूकता देखने को मिली है। फिर भी इसकी व्यापकता अपेक्षित रूप अख्तियार नहीं कर पाई। उसके बाद बहुत से बुद्धिजीवियों ने इस बात को काफी गंभीरता से लेते हुए इसका प्रचार प्रसार किया। कुछ सफलता भी परिलक्षित हुई पर उतनी न हो पाई जितनी इसकी जरूरत थी। फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने भी 'निर्मल ग्राम' नाम से योजना की शुरूआत की किन्तु अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी।

देश की आजादी के 68 साल बाद भी स्वच्छ भारत का सपना सपना ही रहा है। धरातल पर तो इसने रेंगना भी नहीं सीखा। इधर-उधर गंदगी का अंबार आसानी से दिखाई पड़ जाता है अधिकतर बीमारियों को यही गंदगियाँ आमंत्रण देने का कार्य भी करती है। गाँवों में अभी भी शौचालयों की समुचित व्यवस्था न होने से लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। अपशिष्ट पदार्थ का सही निस्तारण न होने से गाँवों में बीमारियों और महामारियों का प्रकोप सिर पर तलवार की भाँति लटक रहा है।

भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने महात्मा गाँधी के 145 वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को पुन: भारत को स्वच्छ करने का लक्ष्य बापू के 150 वें जन्मदिन को रखा गया है। इस अभियान का नाम स्वच्छ भारत अभियान है।[1] स्वच्छ भारत अभियान को प्रधानमंत्री ने शुरू करने के साथ ही कुछ नया करने और बड़ी हस्तियों को शामिल करने के उद्देश्य से उन्होंने कला खेल, साहित्य आदि क्षेत्रों के कलाकारों से इसमें शामिल होने की अपील की और आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति की इस अभियान से जोड़ेगा जिससे एक मानव श्रृंखला का निर्माण होगा और देश का प्रत्येक नागरिक इस अभियान से जुड़ जायेगा।

इस अभियान की शुरूआत प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती में झाडू लगाकर की और लोगों से कहा कि वो भी सफाई करते हुए अपना वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करे जिससे उन्हें देखकर और भी लोग इस अभियान से जुड़ें जिससे इसकी सफलता सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में देश की बड़ी हस्तियों जैसे-मुकेश अंबानी, सचिन तेंदुलकर,

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

अभिताप बच्चन, आमिर खान, प्रियंका चौपड़ा आदि ने सफाई करते हुए अपनी वीडियो कुछ समय तक डाली फिर ये सिलसिला आगे बढ़ने लगा।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के गाँवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे सभी परिवारों को स्वास्थ्य प्रद शौचालय प्रदान करना, बेकार पड़े शौचालय की मरम्मत कराकर स्वास्थ्य प्रद शौचालयों में बदलना हैण्डपंप उपलब्ध कराना, सुलभ व सुरक्षित स्ननागार की व्यवस्था, निकास नालियों को ढांकना और नई नालियों का निर्माण, ठोस और द्रव कचड़े के निस्तारण की उचित व्यवस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता घरेलू और पर्यावरण सम्बंधी सफाई व्यवस्था इत्यादि मुद्दों को शामिल करना है।

अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति तक भारत में इस अभियान की कार्यवाही निरंतर चलती रहनी चाहिए और आगे भी जब तक भारत पूर्ण रूप से स्वच्छ न हो जाये। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक कल्याण के लिए लोगों में इसका एहसास बेहद आवश्यक है। ये सही मायनों में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए है। जो हर तरफ स्वच्छता लाने से शुरू किया जा सकता है। ये बेहद जरूरी है कि भारत के हर घर में शौचालय हों, साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को भी खत्म करने की आवश्यकता है। मल ढोने की प्रथा का अंत होना चाहिए। नगर निगम के कचड़े का पुनर्चक्रण और दुबारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबन्धन को लागू करना अतिआवश्यक है। स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना और खासकर साफ-सफाई की प्रक्रिया के विषय में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। पूरे भारत में साफ-सफाई की सुविधा को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी बल दिया जाना चाहिए। भारत के हर गाँव और शहर में पेड़ों की कटाई पर दंड को और कड़ा किये जाने और अधिकाधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है।

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य हर नगर में ठोस कचरा प्रवन्धन सहित लगभग सभी 1.04 करोड़ घरों को 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय उपलब्ध कराना है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण की योजना रिहायशी इलाकों में की गई है जहाँ पर व्यक्तिगत घरेलू शौचालय की उपलब्धता मुश्किल है इसी तरह सार्वजनिक शौचालय की प्राधिकृत स्थानों पर जैसे बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, बाजार आदि जगहों पर। इसमें ठोस कचड़ा प्रवन्धन की लागत लगभग 7366 करोड़ रूपये है, 1828 करोड़ जन सामान्य को जागरूक करने के लिए है, 655 करोड़ रूपये सामुदायिक शौचालयों के, 4165 करोड़ निजी घरेलू शौचालयों के लिए है।[2]

ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए 1999 में भारत सरकार द्वारा इससे पहले निर्मल भारत अभियान की स्थापना की गई थी। लेकिन अब इसका पुनर्गठन स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के रूप में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को खुले में शौच करने की मजबूरी को रोकना है, इसके लिए सरकार ने 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों के लिए 1 लाख 34 हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च करने की योजना बनाई है। शौचालयों से निकले कचड़े को जैविक खाद और इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा में परिवर्तित करने की योजना भी प्रस्तावित की है। इसमें ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समीतियों को शामिल कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना बनाई है।[3]

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी इस अभियान से जोड़ा गया। इस अभियान के तहत 25 सितम्बर 2014 से 31 अक्टूबर तक केन्द्रीय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में अनेक प्रकार के स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गये तथा विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं द्वारा चर्चा, इससे सम्बन्धित महात्मा गाँधी की शिक्षा स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान के विषय पर चर्चा स्वच्छता क्रियाकलाप स्कूल के क्षेत्र में सफाई, महान व्यक्तियों के योगदान पर भाषण निबन्ध लेखन प्रतियोगिता आदि। इसके अलावा सप्ताह में दोबार साफ सफाई अभियान चलाया जाना जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी एवं कर्मचारी सभी लोग हिस्सा लेंगे। साल में देश का प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम 100 घण्टा इस अभियान के लिए दे। इन योजनाओं और गाँधीजी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया जिसकी वास्तव में जरूरत जान पड़ती है।[4]

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण सामुदायिक शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर ध्यान दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर पारस्परिक संवाद, कार्यान्वयन और वितरण तंत्र को मजबूती के साथ-साथ लोगों में व्यावहारिक बदलाव पर जोर दिया गया है और राज्यों को यह छूट दी गई है कि वे वितरण प्रणाली को इस तरह से डिजाईन करे कि उसमें स्थानीय, संस्कृतियों, प्रथाओं उनके भावों एवं माँगों का ध्यान रखा जाये। शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है ग्राम पंचायतों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए भी राशि आवंटित की गई है।[5]

स्वच्छ भारत अभियान का असर – स्वच्छता अभियान के इस तर्ज पर लोकप्रिय होने पर अब आम लोग भी अपने घर एवं आस पड़ोस में सफाई रखते हैं और यदि कहीं कचड़ा होता है तो उसे कर्मचारी से शिकायत करने लगे हैं जिससे देश कुछ हद तक स्वच्छ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार देश की आम जनता को इस अभियान में जुड़ने को कहा है और अपने द्वारा की गई सफाई को फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल प्लेटफार्म पर डालने के लिए कहा है ताकि और लोग भी इस तरह प्रेरित होकर अपना योगदान दे सके।

स्वच्छ भारत अभियान के फायदे – भारत देश यदि पूर्णतया स्वच्छ बन जाता है तो इससे कई फायदे होंगे। इसमें सबसे ज्यादा निजी निवेशक हमारे देश में निवेश करेंगे जिससे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इसके अलावा यहाँ पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा, रोजगार बढ़ेगा आदि फायदे होंगे। इसके तहत् नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक नागरिक को साल में 100 घण्टे स्वच्छता को सुपुर्द करने को कहते हैं ताकि देश को साफ एवं सुन्दर बनाया जा सके।

इसके साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 0.5% स्वच्छता सेस लगाया गया है ताकि देश की स्वच्छता में सभी नागरिक योगदान दे सके और इसमें अधिक खर्च हो सके और 2019 तक भारत पूर्णतया स्वच्छ देश बन सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना एक बड़ा योगदान देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में गुटका, पान, तम्बाकू आदि बन्द कर दिया है।

शोध के उद्देश्य :

1. स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से सरकार गाँधी के विचारों को अपने हितार्थ उपयोग कर रही है का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
2. स्वच्छ भारत अभियान से जानी मानी हस्तियों के जुड़ने से सामाजिक जागरूकता के प्रभाव का अध्ययन।

3. शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाना।
4. स्वच्छ भारत अभियान और अंत संबन्धों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना :

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से गाँधीजी के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।
2. स्वच्छता अभियान के माध्यम से आम आदमी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बड़ी है।
3. स्वच्छ भारत अभियान के कारण गंदगी से होने वाली बीमारियों में कमी आई है।
4. घर में शौचालय होने से समय की बचत होगी।

निष्कर्ष – जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें। ....

(महात्मा गाँधी) महात्मा गाँधी द्वारा कहे गये यह कथन जोकि स्वच्छता पर ही आधारित है। उनके अनुसार स्वच्छता की जागरूकता की मशाल सभी में पैदा होनी चाहिए। इसके तहत् विद्यालयों में भी स्वच्छ भारत अभियान के कार्य होने लगे हैं। स्वच्छता ने ना केवल हमारा तन साफ किया है बल्कि हमारा मन भी साफ रहता है।

हमारे भारत में जहाँ स्वच्छता होती है, वहाँ पर ईश्वर का निवास होता है। इस प्रथा को माना जाता है, इसलिए हमें भी स्वच्छता को अपनाना चाहिए। इसकी शुरूआत हमें और आपको मिलकर करनी होगी। जिससे की हमारा पूरा देश साफ सुथरा हो जाए। स्वच्छ भारत अभियान भारत को स्वच्छ करने के लिए एक कड़ी का काम कर रहा है। लोग इसके उद्देश्य से उत्साहित होकर स्वच्छता के प्रति सचेत हो रहे हैं। यह भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है।

स्वच्छ भारत अभियान में आप भी भागीदार बनें। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाएँ। इसी को मध्ये नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी भवनों की सफाई और स्वच्छता को ध्यान में रखकर तम्बाकू, गुटखा, पान आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में आवश्यक है। जिससे हम भी स्वच्छ रहें भारत भी स्वच्छ रहे।

स्वच्छ भारत अभियान से हमारा आने वाला कल बहुत ही सुन्दर अकल्पनीय होगा। अगर आप और हम मिलकर स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को पूरा करने में लग जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा देश विदेशी की तरह पूरी तरह से साफ सुथरा दिखाई देगा। एक स्वस्थ्य देश और स्वस्थ्य समाज की जरूरत है कि उसके नागरिक स्वस्थ्य रहे तथ हर व्यवसाय में स्वच्छ हो। और इस नेक काम के लिए हम सब को मिलकर आगे बढ़ना होगा और इस मिशन को पूरा करना होगा।

शोध की उपयोगिता एवं भविष्य में शोध – शोध अध्ययन स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वर्तमान समय में स्वच्छ भारत अभियान की स्थिति और भविष्य को दर्शाता है। शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान समय में स्वच्छता अभियान से समाज में किस–किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं ? क्या स्वच्छता अभियान से देश स्वच्छ हो रहा है ? या इसका उपयोग राजनीतिक हित के लिए किया जा रहा है। इन सभी विन्दुओं को शोध के माध्यम से रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

आज स्वच्छता अभियान की लोकप्रियता कुछ हद तक बढ़ी है। शोध की उपयोगिता को देखें तो यह शोध स्वच्छता अभियान के विस्तार के साथ–साथ लोगों में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। स्वच्छता अभियान में देश की बड़ी हस्तियों के जुड़ने में इसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ी है। भविष्य में यह शोध स्वच्छता अभियान के दृष्टिकोण को समझने और सरकार की रणनीति के साथ–साथ लोगों में स्वच्छता के प्रति बढ़ रही जागरूकता को समझने में मददगार साबित होगा।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

वेबसाइट सन्दर्भ :

1. http://www.hindikiduniya.com/essay/social.issues.owareness/swachh.bharat abhiyan/
2. http://india.gov.in/hi/spotlight
3. http://www.hindikiduniya.com/essay/social.issues-awarenss/swachh-bharat-abhiyan/
4. http://india/gov/in/hi/spatlight
5. http://pmindia.gov.in/hi/governmenttrrec/.14/01/2016

पत्रिका सन्दर्भ :

6. Media Mimansa, Publisher, MCNMC University Bhopal, Madhya Pradesh
7. Communication Today, Publisher.Proof Sanjeev Bhanawat, Jaipur, Rajashthan.
8. Journal of publisher Effects and control, OMICS Publishing Group, Westlak, LOS Angeles.

****

'इतिकथा अथकथा' में ग्रामीण यथार्थ बोध

डॉ. कमलेश सिंह नेगी*

शोध सारांश – प्रेमचन्द के बाद ग्रामीण जीवन को रचनात्मक हिस्सा बनाने वाले ऐसे अनेक साहित्यकार सामने आये, जिन्होंने अपनी ग्राम दृष्टि को वैचारिक आचार संहिता के रूप में इस्तेमाल किया। देखते ही देखते प्रेमचन्द की कहानियों जैसी फोटो प्रतियाँ तैयार करने लगे। महेश कटारे ने प्रेमचन्द की इस परंपरा से जुड़ने के बाद ग्रामीण जन जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर समाज की मौजूदा वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त किया गया है। प्रेमचन्द के बाद महेश कटारे ने गाँवों के परिवेश गत बदलाव को रेखांकित करते हुए उनकी वैचारिक दृष्टि को आगे बढ़ाया है। प्रस्तुत शोधपत्र में महेश कटारे के कहानी संग्रह इतिकथा अथकथा में ग्रामीण यथार्थ बोध की गहन जाँच-पड़ताल की है।

शब्द कुंजी– ग्रामीण, किसान, कहानी, लेखक, पात्र, इतिकथा, अथकथा, चरित्र, गाँव।

प्रस्तावना – 'इतिकथा अथकथा' महेश कटारे का एक चर्चित कहानी संग्रह है, जो सन् 1989 में साहित्यवाणी प्रकाशन, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। 'इतिकथा अथकथा' इस संग्रह की पहली कहानी है। इस कहानी में गंगाराम पटेल जिस किस्से को सुनाता है वह किस्से की शक्ल में हमारी सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों के प्रतीकात्मक चित्र हैं। कहानी का शिल्प इतना विशिष्ट है कि महेश कटारे किस्से को किस्से के रूप में ही बयान कर जाते हैं। वे पाठक को चौकाने की कोशिश नहीं करते बल्कि किस्से के नाम पर किसी रहस्य का उद्घाटन करना चाहते हैं एवं किसी अजूबे से परिचित कराने जा रहे हैं। वे पाठक को विश्वास में लेते हैं और यकीन दिलाते हैं कि यह कहानी के रूप में कोई किस्सा नहीं बल्कि किस्से के रूप में कहानी है। जनजीवन से जुड़ी हुई एक अंतरंग कहानी है। कहानी में जनजीवन के इसी रंग को गहरा करते हुए लिखा है – 'एक कोने में कबूतरों की गुटुरगूं सुनाई पड़ती तो दूसरी ओर गेंगे आसमान सिर पर उठाये रहते। गलगलियों ने चिकने से कोमल पत्तों वाले झुरमुट में अपने डेरे जमाये थे, पास ही बया के घोंसले लटके थे। मोर ने अपने लिये पूरी डाल सुरक्षित कर ली थी, तो सारस भी उससे पीछे नहीं थे। पड़कुला आँख पटक्का करते तो धौरौं अपनी मादाओं को पत्तों की ओर धाकेल मैदान में उतर आते। सबके अपने-अपने रंग थे, ढंग थे, पर रहते सब संग थे।'[1]

कहानी में किस्से का प्रभाव साफ-साफ दिखलाई पड़ता है। कहीं-कहीं इस प्रभाव ने नाटकीयता भी अख्तियार कर ली है। कथा तत्व की अपेक्षा नाट्य तत्व की अधिकता है या यह भी कहा जा सकता है कि किस्से के नाते कहानी के 'कहन' में आई कमी को लेखक ने नाट्य-तत्वों से संतुलित किया है।

'खपरैल पर बैठी गौरैया अपने शिशु की चोंच में दाना दे रही थी।'[2] 'भौजी' कहानी का यही अन्त है और पूरी कहानी अभिमत भी। सत्तर वर्षीय दद्दू की सातवीं पत्नी जिसे गाँव में सब लोग भौजी कहते हैं। दद्दू की मृत्यु के बाद गाँव से गायब हो जाती है और काफी दिन बाद लौटती है तो उसके साथ छ: सात बरस का एक लड़का रहता है। कहानी में ग्रामीण दिनचर्या के सामान्य से चित्र हैं। और किन्हीं अर्थो में यथास्थितिवादी भी। इस दिनचर्या को कहानी में रखते हुए महेश कटारे किसी नजरिये का बोध नहीं कराते। फलत: कहानी जनजीवन के विशिष्ट सूत्र और विसंगतियों के दबाव से मुक्त हो जाती है।

'उसकी प्यास' कहानी को भौजी से इन्हीं मायनों में अलग कहा जा सकता है कि यहां महेश कटारे ने गाँव का जो दृश्य चित्र तैयार किया है, उसमें आम भारतीय ग्रामों की समस्याएँ नहीं हैं लेकिन जो कुछ कहना चाहा है वह आम भारतीय ग्रामों की जरूरत है। 'उसकी प्यास' कहानी को इसलिये भी अच्छी कहानी कहा जा सकता है कि गंवई जनजीवन की लिखी लिखाई और पढ़ी-पढ़ाई चीजों को कहानी का विषय वस्तु बनाने की बजाय लेखक भारतीय ग्रामों के बहुआयामी जनजीवन के ऐसे अन्तर्विरोधा को छूता है जो विशिष्ट होते हुये भी 'आम' है और 'आम' होते हुये भी 'खास' है। 'भौजी' और 'उसकी प्यास' कहानी की पृष्ठभूमि लगभग एक सी है, लेकिन 'उसकी प्यास' कहानी वैचारिक ढंग से प्रक्षेपित हुई तो इसलिये कि 'फूला' की भावनाएँ जितनी निजी हैं उतनी ही सामाजिक भी।

महेश कटारे की कहानियों में ग्रामीण जनजीवन का यथार्थ चित्रण है। कहानियों में ग्रामीण जनजीवन को रचते हुये वे सिर्फ लोकभाषा, बोलचाल या उनकी जीवनशैली का ही चित्रण नहीं करते, बल्कि छोटे-छोटे सुख-दु:ख को भी देखते हैं। रोजमर्रा की जिन्दगी की सच्चाइयों को खोलते हैं। वे उस जनजीवन को किसी विशिष्ट मुहावरे, भाषा या संस्कृति के नजरिये से विशिष्ट नहीं बनाते बल्कि इसलिये विशिष्ट बनाते हैं कि उनके चेहरों पर दुखों और यातनाओं की जो लकीरें हैं वह समूचे ग्रामीण जीवन की सच्चाई है।

'प्रजा के लिए' कहानी की बादामी और लक्ष्मी और 'पराजित गंधार्व' का गोपीदास किसी एक गाँव के पात्र हो सकते हैं, लेकिन जिन्दगी की कड़वी परिस्थितियों से वे गुजर रहे हैं। वे बहुत 'आम' हैं। इतनी आम कि उन्हें भारतीय ग्राम्य जीवन के वृहद परिदृश्य का हिस्सा तो कहा ही जा सकता है। 'प्रजा के लिए' एक प्रगतिशील ग्राम केन्द्रित कहानी है। यहाँ लेखक यथास्थितिवादी अवधारणाओं से मुक्त होकर चीजों को देखता है। आजादी के बाद गाँवों के जनजीवन और उनकी शोषण पद्धति में जो तब्दीली आई है, उन पर एक चौकस नजर रखता है। कहानी का शोषक पात्र राजा भैया अपने पुराने किस्म के पाखाने की सफाई का लगभग चौगुना मेहनताना

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) चन्द्रशेखर आज़ाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

अदा करता है। उसके लड़के जब नये किस्म के पाखाना बनवाने के लिये कहते हैं तो उसका जवाब काबिलेगौर है – 'सुनो, जिस दिन डलिया सर से उतरी मेहतरानी कुछ और हो जायेगी। उनके मन में मैला ढोने वाले का एहसास बनाये रखना जरूरी है। यह और भी जरूरी है कि बस्ती उन्हें हमारा मैला ढोते देखे मन की मार शरीर की मार से ज्यादा कारगर और उम्र वाली होती है।'[3]

यह है शोषणवादी ताकतों की सामन्ती सोच को उजागर करने का यथार्थवादी नजरिया, जहाँ राजा भैया के पुत्र और थानेदार के द्वारा बलात्कारित लक्ष्मी जब दरवाजा बन्द करने के लिये हाथ बढ़ाती है तो बादामी कहती है – 'खुले रहने दे क्या धारा है खोने को?' यही है शोषितों की मुक्ति का भी चेतना की पक्षधारता का यही रूप कुछ कुछ 'पराजित गन्धार्व' में भी है।

'अनुबंधित' एक अलग ढंग की कहानी है। अलग इन अर्थों में कि यहाँ महेश कटारे के अनुभव संसार का जो चेहरा हमारे सामने खुलता है, वह उनकी दूसरी कहानियों से अलग है। दो पात्रों के बीच होने वाले संवादों के सहारे जो कहानी बढ़ती है, वह अपने प्रभाव में बहुत खुरदरी और अपारदर्शी हो जाती है। कहानी का उद्देश्य सीमित है। इस सीमित उद्देश्य को कहानी में कहने के लिये लेखक मदन की वैयक्तिक संवेदनाओं की सतह पर उतर जाता है। यहां कहानी का परिवेश कुछ–कुछ नया और अलग दिखता है, लेकिन कहानी के संदर्भ में परिवेश से अधिाक महत्वपूर्ण वह उत्पत्ति है जो कहानी के बाद पैदा होती है।

'बबूल' की नायिका सन्तो के माधयम से महेश कटारे ने गाँव के जिस दृश्य चित्र से पाठक का साक्षात्कार कराया है, वह सही, सटीक और घटनाओं के स्तर पर विश्वसनीय हो सकता है, लेकिन सवाल यदि कहानी की विश्वसनीयता का हो तो कहा जा सकता है कि वह सिर्फ घटनाओं की कौंधा में ही जिन्दा नहीं रहती। घटनाओं को घटते हुये, देखते हुये, देखते रहने की क्रिया यदि जरूरी है तो उसे कहानी में विकसित करते हुये नजरिया का बोधा पैदा करना और भी जरूरी है, 'बबूल' की नायिका सन्तो का चरित्र 'प्रजा के लिए' के स्त्री पात्र बादामी की अपेक्षा महत्वपूर्ण नहीं हो सका तो उसका एक कारण सन्तो के चरित्र का दोहरापन है। 'कौन–सा सुख धारा है घर चलाने में' यह सन्तो की सोच है और यह भी सन्तो की ही सोच है कि 'मन होता है, कोई हो ...... जिससे बोले, बतियाये, सुख न सही दुख ही बांटे।'[4] सन्तो की सोच में स्थितियों के प्रति अन्तर्द्वन्द का जो भाव है, वह तब सार्थक होता है जब उसके चरित्र में स्थितियों से उबरने की छटपटाहट का अंश रहता, लेकिन यहाँ सन्तो उन्हीं स्थितियों में से एक का चुनाव करती है जो उसके सामने उपलब्ध है। कहानी में नाटकीय गति तो है लेकिन वैचारिक तीव्रता का अभाव है। सन्तो पोखर का पानी नहीं कि कोई भी चुल्लू दो चुल्लू पानी पीकर राह लगे। या गरीब को रोने की फुर्सत नहीं होती पुजारी जी। रही चोंचलों की बात तो वे लोग कर पाते हैं जिनके बखार में अनाज भरा होता है।'[5] जैसी बात सोचने वाली सन्तो अपनी इस सोच को कहीं भी अपने व्यवहार में नहीं ला पाती। सहज शिल्प और भाषा के स्तर पर संवेदनात्मक तनाव की धाुन पैदा करने के बावजूद 'बबूल' कहानी का दायरा सीमित है।

'पहियों पर चढ़े सुख' की सरवती एक पात्र के रूप में विश्वसनीय भी है और प्रभावशाली भी। वह कहीं भी कहानी की सोच के बाहर नहीं जाती। जिन्दगी की पीड़ाओं, दुखों और विसंगतियों से गुजरती हुई सरवती स्थितियों के जिस चक्र–व्यूह से गुजर रही है, वहां ऐसा लग सकता है कि सरवती स्थितियों के खिलाफ 'रिएक्ट' नहीं करती। यह एक सच्चाई है और इससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि स्थितियों के खिलाफ 'रिएक्ट' ही प्रगतिशीलता का मापदण्ड नहीं है। दरअसल सरवती जिंदगी की जिन अंधेरी सुरंगों से गुजर रही है, वहाँ जिंदगी के प्रति आस्था का भाव, संबंधों के प्रति मानवीय सरोकार का भाव यदि बचा रह जाता है तो यही इस कहानी का प्रगतिशील चरित्र है। इस मायने में बार–बार बेची जाने वाली सरवती सुखदेव से सवाल करती है, अच्छा बता, तेरी कोऊ बहनि है? तू बाको मेरी नाई बेचि ले भगौ?'[6] यह एक सवाल भर नहीं है। सवाल के रूप में सरवती की वह मानसिकता है जो खुद तो विकने जा रही है या 'दुख' को स्वीकार कर रही है चुपचाप, लेकिन रिश्तों की जीवंतता और जीवन के प्रति लगाव और उमंग का भाव भी उसकी पूरी शख्सियत में मौजूद है।

'अग्निमुखी' कहानी में खेरावाली और गणेशराम जिस माहौल में जी रहे हैं, उसकी हर घटना पर वे नजर रखते हैं और उनमें तटस्थता का भाव भी नहीं रहता, फिर भी पात्रों की अधिकता और अलग–अलग घटनाओं में एक ही किस्म की कहानी के दुहराव ने कहानी के प्रेम को तोड़ा है।[7] महेश कटारे कहानी की पक्षधरता के प्रति तो सजग हैं लेकिन यह पक्षधरता चरित्रों के स्तर पर उतनी व्यग्र और जीवन्त नहीं है जितनी भाषा और घटना के स्तर पर।

संग्रह की पूर्ववर्ती कहानियों की तरह 'काठ की कोख' में भी केन्द्रीय चरित्र स्त्री ही है। गोमती उस घर, परिवार और समाज में पल रही है जो घोर पुरुष प्रधान है। यहाँ तक कि जहाँ पैदा होते ही लड़कियों को मार दिये जाने की परंपरा है। गोमती इन परंपराओं के प्रति कोई निषेधात्मक रवैया नहीं अपनाती, लेकिन रूढ़ियों के इस सन्नाटे को सृष्टि और सृजन के अनुभव से तोड़ती है। ऐसे में वह न पत्नी रहती है न बहन, बहू न बेटी रह जाती है।[7] गोमती और पेट के भीतर कुलबुलाती कोई सृष्टि, पति, परिवार सब पृष्ठभूमि में चला जाता है। गोमती की यही समझ उसे सरयू के नजदीक ले जाती है जो इस परंपरा के खिलाफ अपने घर में एक वैयक्तिक चुनौती का कारण बनी रहती है। गोमती अपने अन्दर इतना साहस पैदा करने में समर्थ होती है कि सवाल कर पाती है, बेटी का जन्म क्या असगुन होता है?[8] महेश कटारे चीजों को निर्णायक क्षण तक नहीं खींचते बल्कि उस स्थान तक ले जाकर छोड़ देते हैं जहाँ पाठक के मन में उद्वेलन पैदा होता है और कहानी के बाद भी कहानी बची रह जाती है।

'बाकी सब ठीक है' से यह बात पुख्ता होती है कि महेश कटारे गाँव के जनजीवन वहाँ की स्थितियों, उनके उत्पीड़न दमन को ही कहानी में नहीं कहते, बल्कि उनके सीधो, सरल, स्वभाव और जीवन के प्रति उनके साफ–सुथरे नजरिये को भी कहानी में उसी तरह स्थान देते हैं। गाँव के जनजीवन को जहाँ वे एक प्रक्रिया की तरह रखते हैं वहाँ वे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण लगते हैं, लेकिन जहाँ–जहाँ उन्होंने इस प्रक्रिया का अतिक्रमण भी किया है, वहाँ–वहाँ उनकी कहानियों में कुछ गढ़ा हुआ नजर आने लगता है।'[9]

'बाकी सब ठीक है' कहानी में सामन्ती शोषण के दाँव–पेंच की चुनौती तब अधिाक रचनात्मक होती जब कहानी में 'मास्टर' के चरित्र को एक स्वनिर्मित पात्र के रूप में न पेश किया जाता और अन्त में कहानी की रफ्तार भी इतनी अधिक हो गई है कि वहां रुककर, ठहरकर और सोच–समझकर चीजों को देखने का वक्त ही नहीं रहता।

निष्कर्ष –'इतिकथा अथकथा' संग्रह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह महेश कटारे की प्रतिनिधिा कहानियों का संकलन है, उनकी रचनात्मकता को जानने, समझने और उनका मूल्यांकन करने के सूत्र तो मौजूद है हीं। एक बात बहुत साफतौर पर कही जा सकती है कि महेश कटारे ग्राम केन्द्रित कहानियों के कथाकार हैं। ग्राम केन्द्रित कहानियों की जो आंचलिकता

फणीश्वरनाथ रेणु में है, उसकी चेतना का जो अंश मार्कण्डेय, काशीनाथ सिंह में है, वही ग्रामीण यथार्थबोध महेश कटारे के कहानी संग्रह इतिकथा अथकथा में मौजूद है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, साहित्य वाणी प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1986 पृ. 14
2. साक्षात्कार पत्रिका अक्टूबर 1991, पृ. 117
3. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, साहित्य वाणी प्रकाशन इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1986 पृ. 31
4. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, पृ. 34
5. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, पृ. 39
6. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, पृ. 45
7. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, पृ. 51
8. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, पृ. 61
9. कटारे महेश – इतिकथा अथकथा, पृ. 79

****

मध्यप्रदेश में नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान क्रेडिट कार्ड योजना (एक नवाचार)

अमिता जायसवाल* डॉ. सतीश कुमार गर्ग **

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार, भारत के किसानो के कंधो पर है, इस सन्दर्भ में कविवर सुमित्रानंदन पंत की यह कविता सहज ही याद आ जाती हैं –

है अपना हिन्दुस्तान कहाँ ?
यह बसा हमारे गाँवो में।

सत्य ही है, हमारा भारत हमारे गाँवो में ही तो बसता हैं। हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या की आय अर्जन क्षमता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति व मौसमी वातावरण विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। परन्तु उपयुक्तता के साथ ही भारतीय उपज भूमि को प्राय: प्राकृतिक व कृत्रिम आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कृषि आय सामान्यत: अतिवृष्टि, ओले, बाढ़, सूखा, भूकम्प, आगजनी, कीटनाशकों व नकली बीजो के प्रयोग तथा मानव निर्मित कृत्रिम आपदाओं आदि से ग्रसित होती है। जिनके कारण कृषि आय की सवेंदनशीलता बढ़ रही है। तथा देश में किसानो को वित्तीय जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, यहां पर किसानो के पास कृषि कार्य हेतु पर्याप्त रूप मे पूंजी उपलब्ध नहीं है। कृषि की संवेदनशीलता और असामान्य मौसमी लाभ के फलस्वरूप किसानो को अपने और अपने परिवार के भरण–पोषण हेतु कृषि कार्य छोड़कर शहरी क्षेत्रो में मजदूरी और अन्य कार्यो के लिए पलायन करना पड़ता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण कृषि के क्षेत्र मे विकास हेतु अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई, इन सभी नीतियो एवं योजनाओं ने ग्रामीण भारत के कृषि आर्थिक परिदृश्य मे काफी परिवर्तन किए है। फिर भी समान्य ग्रामीण जीवन मे इस विकास का पर्याप्त प्रभाव देखने को नहीं मिला। नवीन कृषि अविष्कार एवं आधुनिक तकनीक के उपयोग द्वारा कृषि करने के प्रश्न पर संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है। वित्तीय संसाधनो की कमी ग्रामीण विकास में मुख्य बाधा है, यह अनुभव किया गया की नवीन तकनीक एवं संसाधनो से सुसज्जित किसान इन विकास योजनाओं का उपयोग करके कृषि कार्य करने के इच्छुक तो है, परन्तु वित्तीय कमी के कारण वे इस लाभ से वंचित रह जाते है। इसी बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने साख सुविधा का निर्माण किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा बहुत सी ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन किया गया। 1945 मे गड्गिल समिति ने कृषि साख समस्याओ के पूरक के रूप मे कृषि साख निगम की स्थापना का सुझाव दिया। इसके बाद 1 जुलाई 1963 को कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास क्रम मे 1979 में तात्कालिक योजना आयोग के सदस्य श्री बी. शिवरामन की अध्यक्षता मे तथा भारत सरकार के आग्रह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण–व्यवस्था की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया। समिति द्वारा ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी बिन्दुओ पर ध्यान–केन्द्रित करते हुए आवश्यक संगठनात्मक उपकरण की अवश्यकता को रेखांकित किया गया तथा एक सांविधिक निकाय के रूप मे 12 जुलाई 1982 को संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। इसका विधिवत उद्घाटन 5 नवम्बर 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा एक विशेष समारोह मे किया गया। भारत मे नाबार्ड ग्रामीण साख के क्षेत्र मे एक शीर्ष संस्था के रूप मे कृषि विकास का कार्य करती है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे कार्यरत वित्तीय संस्थानो जैसे – राज्य भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि, को पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक व अन्य एजेन्सीज से धनराशि प्राप्त कर एवं केन्द्र सरकार की गारंटी प्राप्त बॉन्ड तथा ऋणपत्र जारी करके अपने वित्तीय संसाधनो की व्यवस्था करता है। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण कृषि ऋण व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्र बिन्दु के रूप मे कार्य करना आरंभ किया गया। ग्रामीण समृद्धि हेतु अपनी भूमिका के निर्वाह हेतु नाबार्ड को निम्नलिखित कार्यो का दायित्व सौपां गया है –

1. ग्रामीण क्षेत्रो मे ऋणदाता संस्थाओ को पुनर्वित्ता उपलब्ध कराना।
2. संस्थागत विकास करना एवं उसे बढ़ावा देना।
3. ग्रामीण क्षेत्रो मे विभिन्न विकासात्मक गतिविधियो को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान निवेश और उत्पादन ऋण उपलब्ध कराते है, उनके वित्तपोषण की एक शीर्ष संस्था के रूप मे यह कार्य करता है।
4. ऋण वितरण प्रणाली की अवशोषण क्षमता के लिए संस्थान के निर्माण की दिशा मे उपाय करता है, जिसमे निगरानी, पुर्नवास योजनाओं के संचालन, ऋण संस्थाओ के पुर्नगठन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण मे सुधार आदि शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संचालित इन योजनाओं की सहायता से किसान वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया

* शोधार्थी (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविधालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविधालय, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) भारत

जा सकता है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित किसानो की वित्तीय सहायता हेतु प्रभावी कृषि ऋण योजनाओं के प्रकार –

1. राष्ट्रीय किसान विकास कार्यक्रम।
2. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।
3. किसान शक्ति योजना।
4. भूमि खरीद योजना।
5. कृषि व्यवसाय प्रमुख योजना।
6. किसान क्रेडिट कार्ड योजना।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा संचालित विभिन्न सार्थक योजनाओं मे से कृषि क्षेत्र मे निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण एवं प्रभावी योजना हैं – किसान क्रेडिट कार्ड योजना। जिसके अंर्तगत किसानो को कृषि कार्य हेतु उनकी आवश्यकतानुसार ऋण प्रदान किया जाता है।

नाबार्ड द्वारा संचालित किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानो के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। सन 1998 में तात्कालिक वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा द्वारा बजट सत्र में इस योजना की घोषणा की गई। इस योजना की घोषणा करते समय श्री यशवंत सिन्हा ने अपने भाषण में कहा था, 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंको द्वारा किसानो को एक तरह से गोद लिया जाएगा', जिससे खेती के लिए उर्वरक, बीज, खाद और कीटनाशक खरीदे जा सकें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानो को पर्याप्त मात्रा में व आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाता है। जिसका प्रयोग करके हितग्राही कृषि से सम्बंधित उपकरण जैसे – खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि की खरीद कर सकते है। भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सयुंक्त प्रयासों के फलस्वरूप यह चलन में आया, इस योजना के आरम्भ के एक वर्ष के अंदर ही लगभग 40 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गए, कार्यक्रम शुरू होने के कुछ वर्षो में ही इस योजना के हितग्राहियो की भागीदारी कृषि ऋणों में लगभग 71 प्रतिशत हो गई और लगभग 5000 करोड़ रु. का ऋण वितरण किया गया , (भारतीय योजना आयोग, 2002)।

आरम्भ में 'किसान क्रेडिट कार्ड' बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा मात्र था। जिसमे किसानो को नकद रुपए निकालने हेतु किसी बैंक की शाखा में जाना पड़ता था। अत: यह क्रेडिट कार्ड एक हद तक अपने नाम को चरितार्थ नहीं करता था, हाल के वर्षो में यह पूर्ण रूप से क्रेडिट कार्ड में बदल गया है। जिसमे एटीएम से निकासी और किसी विक्रय बिंदु (पॉज) पर स्वाइप करने की क्षमता भी जुड़ गई है। जिसके पीछे यह विचार था, की किसानो को पात्रता सम्बन्धी सरल मानकों और मॉनिटरिंग संबंधी अपेक्षाकृत लचीले मापदंडो के जरिये पूरे देश में इस कार्ड का उपयोग करके कम ब्याज में आसानी से ऋण प्राप्त हो सकें। स्पष्ट है, नीती का लक्ष्य गरीब किसानो के लिए ऋण सम्बन्धी अवरोधों को दूर करना है। और पहले से अवरोधित ऋण सम्बन्धी विकल्पों का विस्तार करना है।

किसान क्रेडिट कार्ड 'राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक' (नाबार्ड) के सहायक संस्थाओ, सहकारी बैंक, सार्वजानिक क्षेत्र के बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जाते है। नाबार्ड द्वारा सुनियोजित एवं भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में दिए गए प्रावधान के अनुसार 'किसान क्रेडिट कार्ड योजना' का क्रियान्वन समूचे भारत के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के कृषक वर्ग के हितग्राहियो के विकास के लिए भी किया गया है।

इस योजना के अंर्तगत भाग लेने वाले संस्थानों में सभी वाणिज्यिक बैंक, सरकारी व निजी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक शामिल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी वाणिज्यिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को आदेश दिया, की वे प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्र के लिए कुल ऋण मे से 18 प्रतिशत कृषि ऋण के लिए दें। इस योजना के अंर्तगत मौसमी फसलों के उत्पादन हेतु आवश्यक ऋणों के लिए अल्पकालीन सीमा निर्धारित की गयी है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंर्तगत ऋण धारको को मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए 50000 रुपये तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और अन्य जोखिम के लिए हितग्राही को 25000 रुपये तक की सुरक्षा निधि प्रदान की जाती है। यह प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाता है, जिसकी वैधता अवधी 5 वर्ष है तथा इसमें तीन और वर्षो का विस्तार करने के विकल्प की सुविधा भी है। किसान क्रेडिट कार्ड दो प्रकार से किसानो को ऋण की पेशकश करता है – कैश क्रेडिट एवं सावधि ऋण (पंप सेट, भूमि विकास, वृक्षारोपण, ड्रिप सिंचाई जैसी सम्बंधित गतिविधियों के लिए)।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ करने के मुख्य उद्देश्य :

1. कृषि और संबन्धित गतिविधियों (भूमि विकास, पम्प सेट, वृक्षारोपण, सिंचाई आदि) में निवेश के लिए वित्तीय ऋण देना।
2. किसानो को सस्ती ब्याज दरो पर संस्थागत ऋण प्रदान करना।
3. फसल काटने के उपरांत होने वाले व्ययों के लिए ऋण प्रदान करना।
4. आकस्मिक खर्चो के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबन्धित खर्चो के लिए ऋण पूर्ति करना।
5. किसानो को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना ताकि उनके आर्थिक स्तर में वृद्धि हो सकें।

किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज –

1. विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. पहचान प्रमाण – मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि।
3. स्थायी पता प्रमाण पत्र।
4. संबन्धित क्षेत्र के बैंको से लिया गया अदयता प्रमाण पत्र ताकि इस बात का पता लगाया जा सके हितग्राही पूर्व से ही तो कर्जदार नही है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने क्षेत्र मे स्थित बैंक मे जा कर आवेदन कर सकते है आवेदन स्वीकार होने के उपरान्त किसानो को पासबुक दी जाती है। इस पासबुक आवेदनकर्ता नाम, पता, भूमि जोत का विवरण, ऋण सीमा और वैधता अवधि, एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत खाता परिचालन करते समय हितग्राही को पासबुक देना होता है।

निष्कर्ष – किसान क्रेडिट कार्ड योजना छोटे किसान, सीमांत किसान, फसल सांझीदार, पट्टेदार, किरायेदार किसान और स्वयं सहायता समूहो को आसान दरो पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के आरंभ होने से पहले बड़ी संख्या मे किसान, सूदखोरों और ग्रामीण ऋण दाताओं से ऊंची दर पर उधार लेने को मजबूर होते थे लेकिन अब उन्हे उर्वरक, बीज, कीटनाशको और अन्य खेती के उपकरणो को खरीदने के लिए इन लोगो के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता हैं। कृषि हेतु आवश्यक वित्त समय पर उपलब्ध होने के कारण कृषि आय में भी वृद्धि हुई एवं उचित मुनाफे के बाद किसान बैंक का ऋण समय रहते चुका देते है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में दी गई सुविधाओ के कारण कृषि से संबन्धित अधिकांश समस्याओ का निराकरण हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुखोंन, गुंजन, (म.प्र.) के बैतूल जिले में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के चुकौती व्यवहार पर एक अध्ययन, आर. वी. एस.के.के.वी. प्रकाशक ग्वालियर (म.प्र)।
2. सोनी, खगेन्द्र कुमार, 2.17, ग्रामीण वित्त व्यवस्था में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का योगदान (बिलासपुर जिले के विशेष संदर्भ में)।
3. सिंह, डी.के, मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के पनागर ब्लॉक के किसान क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के चुकौती व्यवहार पर एक अध्ययन, प्रकाशक जे .एन. के. वि.वि.।
4. जी. के. टुडे करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज , पेपर-जून 2017।
5. अंतराष्ट्रीय अनुसन्धान पत्रिका, मानव प्रबंध शास्त्र, पृष्ठ संख्या 267।
6. इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर।

****

भारतीय जीवन मूल्य और आत्मकथाएँ

रेणुका *

प्रस्तावना – भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अत: भारत में नैतिक शास्त्रों का विशाल भंड़ार विद्यमान है, जिसने युगों से हमारी सभ्यता का मार्गदर्शन किया है। भारत में नैतिकता व धर्म के मध्य अंतरंग संबंध है। नैतिक नियम मानव के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के तरीकों का एक संकेतक होता है। मानव जीवन का सच्चा सार सांसारिक सुखों और दुखों के मध्य जीना है। नैतिकता दो प्रकार से समझी जा सकती है, व्यक्तिगत और सामाजिक।

व्यक्तिगत नैतिकता से तात्पर्य स्वयं की भलाई एवं खुशी के लिए आवश्यक है, तथा सामाजिक नैतिकता उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है जो सामाजिक व्यवस्था और सद्‌भाव के लिए जरूरी है। यद्यपि हर काम में नैतिकता और आचरण पर अलग-अलग मत रहे है। अधिकांश साहित्यकारों ने सर्वसम्मति व्यक्त की है कि नैतिक शास्त्र मूल्यों और मानकों पर केन्द्रित है। हमारे आत्मकथाकारों की आत्मकथाओं का अध्ययन कर यही आंकलन किया जा सकता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों में समय के साथ किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है।

जीवन मूल्य को दो प्रकार से देखा जा सकता है जिसमे कुछ शाश्वत मूल्य है और कुछ परिवर्तनशील मूल्य है। शाश्वत मूल्य वह मूल्य होते है जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है जैसे- त्याग, अहिंसा, न्याय, सेवा आदि होते हैं, वही परिवर्तनशील या बदलते मूल्य समय एवं परिस्थिति के अनुसार अपने में बदलाव लाते रहते है।

जैसे- आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक मूल्य आदि होते है।

जीवन मूल्य किसी भी संस्कृति का आधारभूत तत्व होता है। मूल्य समाज को यह बताते है कि क्या उचित है तथा क्या अनुचित है। आत्मकथा विद्या अन्य विद्याओं की तुलना में लेखक के जीवन से निकट का संबंध रखती है। नगेन्द्र के अनुसार 'आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता। केई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता वरन् अपने गत जीवन की खट्टी-मीठी, उनके अंधेरे, प्रसन्न, विशाल, साधारण-असाधारण संचयन पर मुड़कर एक दृष्टि ड़ालता है। अतीत को पुन: कुछ क्षण के लिए भी स्मृति में जी लेना है और अपने वर्तमान तथा अतीत को मध्य संबंधों का अन्वेषण करता है।'

अत: कह सकते है कि यह विद्या जीवन मूल्य से अधिक सामिप्य रखती है। आत्मकथ विद्या हिंदी साहित्य में नवीन जीवन दृष्टि के साथ ही नवीन जीवन मूल्य को लेकर उपस्थित हुई हैं।

सामाजिक मूल्य से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व और आदर्शो का निर्माण होता है। शीलता, नैतिकता, पावनता आदि सामाजिक मूल्यों की ही देन है। हर युग समाज में सामाजिक मूल्यों का निर्धारण करने हेतु कुछ मानवीय मूल्य होते है जो प्रत्येक युग में परिस्थितिनुसार बदलते रहते है। समाज मूल रूप से मानवीय मूल्यों पर ही टिका है। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया कहीं सामाजिक नियमों को स्वीकार करती हुई दिखाई पड़ती है तो कही सामाजिक मूल्यों के विरूद्ध खड़ी दिखाई देती है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी आत्मकथा में नवीन जीवन-मूल्य जैसे- स्त्री की स्वतंत्रता, इच्छा, अस्मिता आदि भी स्थापना भी की है। मैत्रेयी पुष्पा जी समाज के समक्ष ऐसा विमर्श खड़ा करती है जो कि समाज की सच्चाई से रूबरू करता है। मैत्रेयी पुष्पा का मानना है कि यदि कोई या स्वयं उसका पति सामाजिक मूल्यें का हनन करता है तो वह उसे सीख देने के लिए सामाजिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलकर नवीन संभावनाओं की तलाश करती है।

'गुड़िया भीतर गुड़िया सभ्यता में निहित सभ्यताओं का एक ऐस दर्दनाक दस्तावेज हैं जिसकी पन्ने सदाचार के खून से लाल है लेकिन जिसकी लाली (मैत्री का नाम है) एक नेय सूर्य देव की अरूणिमा की ओर इशारा करती है।'

आधुनिक समय में सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन परिलक्षित होता है। यह परिवर्तन समाज में स्त्री को उसकी अस्मिता की तलाश की ओर प्रेरित करता है। लेखिका सामाजिक मूल्यों और आदर्शो की आड़ में दम तोड़ती स्त्री नहीं बनना चाहती बल्कि वह परिवर्तन चाहती है। इस संदर्भ में आत्मकथा में लिखा है कि 'मुझे जीवन की वह छवि पेश नहीं करनी है, जो मर्यादा, शील, सुचिता और इज्जत के नाम पर स्त्री की नकली तस्वीर, दमन और दबाव के कारण आंखे झुका मैं उनमें से एक सेवा, श्रम और सेक्स के लिए समर्पित बदलाव चाहती हूँ', भारतीय समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव जन्म से ही कर दिया जाता है।

रमणिका गुप्ता की आत्मकथा एक व्यक्तिगत या पारिवारिक कथा ना होकर सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाती हुई स्त्री की आत्मकथ है। समाज में व्याप्त स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना चाहती है। इसकी शुरूआत वह परिवार से ही करती है। उनकी माँ जब उन्हें सिर ढ़कने के लिए कहती है तो वह पर्दा प्रथा का विरोध करते हुए कहती है 'माँ ने सिर ढ़ककर रखने का अथवा उससे दूर रहकर चलने का आदेश दिया तो उन्होंने सिर ढकने को अमान्य करके अलग होकर आगे चलने का निर्णय लिया और तब से ही घर में उन्हें विद्रोही लड़की मान लिया गया।'

लेखिका की सामाजिक परिवर्तन चाह बचपन से ही दिखाई देती है। छठी कक्षा में ही मूर्ति पूजा का खंड़न कर दिया था।

इसी कड़ी में आगे प्रभा खेतान ने भी अपनी आत्मकथा अन्या से

* शोधार्थी (हिन्दी) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

अनन्या में सामाजिक मान्यताओं, अंधविश्वासों के नाम पर स्त्री के अस्तित्व को बंधनों और आंसुओं में सीमित करना अस्वीकार है वह अपनी माँ, चाची दीदी जैसी जिन्दगी जीना नहीं चाहती है इस संदर्भ में वह लिखती है कि 'मुझे अम्मा की तरह नहीं होना। कभी नहीं, भाभी की घुटन भी घुटन भरी जिंदगी की नियती में कदापि स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपने जीवन को आंसुओं में नहीं निभा सकती। क्या एक बूंद, आंसू स्त्री का सारा ब्रह्मांड समा जाएगा? क्यों ? किसलिए रोना और केवल रोना, आंसुओं का समंदर, आँखों का दरिया और देखते रहो तुम' प्रभा खेतान समाज में अपनी पहचान बनाना चाहती है। वह स्त्री के प्रति जो समाज में बोझिल अर्थात् घुटन भरे मूल्य है उनमेंपरिवर्तन लाना चाहती है।

अतः कह सकते है कि आत्मकथा विद्या में प्रमाणिकता, चित्रत्मकता, तटस्थता, कथात्मकता आदि साहित्यिक मूल्य की कसौटी है। आधुनिक समय में ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ ही जीवन मूल्य के निर्धारण की आवश्यकता हैं। मूल्य हर काल के साहित्य में विद्यमान होते है परन्तु आत्मकथाओं मूल्यों की जैसी सहज और सरल अभिव्यक्ति होती है उतनी साहित्य की अन्य विद्या में नहीं हो पाती है।

आधुनिक युग सांस्कृतिक संक्रमण का काल है। पुराने, रूढ़, पारंपरिक, मूल्यों का स्थान युग अनुकूल नवीन जीवन मूल्यों ने ले लिया है। अतः नयी सदी की आत्मकथाओं में कहीं पर वर्तमान युग के बदलते जीवन मूल्यों के प्रति चिंता व्यक्त की है तो कहीं पर नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना की है।

अतः आत्मकथाओं में व्यक्त है कि मानव जीवन का आधार केवल भौतिक प्रगति, आधुनिक रहन-सहन, वेशभूषा ही नहीं है बल्कि मानवीय संवेदना जीवन मूल्य भी है जो कि वास्तविक रूप से मनुष्यता के परिचायक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नगेन्द्र : आस्था के चरण, पृ. 202
2. विजय बहादूर सिंह : मैत्रेयी पुष्पा स्त्री होने की कथा, पृ. 293?
3. मैत्रेयी पुष्पा : गुड़िया भीतर गुड़िया, पृ. 338
4. रमणिका गुप्ता : हादसे, पृ. 18
5. प्रभा खेतान : अन्या से अनन्या, पृ. 45

****

मध्ययुग में ग्वालियर की सुर यात्रा

डॉ. शुक्ला ओझा*

प्रस्तावना – सुर ही संगीत की प्रस्तुति का प्रमुख आधार होते हैं। संगीत कला का विशुद्धतम रूप संगीत है जो सौन्दर्य को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। यह विश्व के सौन्दर्य की वाणी है जो हृदय के तारों को छूकर झंकृत कर देती है। संगीत मुखर होता है सुर अथवा स्वर के रूप में। सुर और गायक अभिन्न होते हैं जिनका साहचर्य आजीवन बना रहता है। गायक के जीवन की तपस्या, साधना एवं आनंद सुरों में प्रस्तुत होता है। धर्म और कला भारतीय संस्कृति का दर्पण हैं, ऐसा सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉ0 वासुदेव शरण अग्रवाल का मानना है।[1] भारतीय संस्कृति के उन्नयन एवं उसके अक्षुण्ण रूप के सतत रूप से प्रस्तुतिकरण में सुरों की नगरी ग्वालियर का विशिष्ट स्थान रहा है। यहाँ ग्वालियर से आशय ग्वालियर नगर से नहीं अपितु विभिन्न कालखण्डों में इसकी सीमाओं में अनेक कला मर्मज्ञों ने संगीत सरोवर की उपमा दी है। उनके मतानुसार यहाँ चारों ओर की संगीत धाराएँ एकत्रित होकर एक विशाल संगीत सरोवर के रूप में उसे अलौकिक गौरव प्रदान करती रही है। ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर अपने भीतर सदियों से सुरों का प्रवाह समाहित किये हुए है। यही वो जगह है जिसके बारे में पीढ़ियों से यह कहा जाता रहा है कि 'यहाँ बच्चे भी सुर में रोते हैं, यहाँ पत्थर तक एक ताल में लुढ़कते हैं।'[2]

कला का वह रूप जो ध्वनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है, संगीत कहलाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार गायन, नृत्य एवं वादन को ही संगीत कहा जाता है। भारत में संगीत कला के प्राचीनतम प्रभाव सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त होते हैं। जिनमें मोहनजोदड़ो की कांस्य निर्मित नृत्य, मुद्रा में नारी प्रतिमा अनमोल है।[3] सैंधव मुहर पर नृत्यांगना एवं वादकों के चित्र अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। इसी परम्परा की मूर्ति ग्वालियर क्षेत्र के पद्मावती (पवाया) से भी प्राप्त होती है। भवभूति के मालती माधव में पद्मावती (पवाया) का सुन्दर चित्रण मिलता है।[4]

प्राचीन काल में ग्वालियर क्षेत्र में संगीत के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पद्मावती से प्राप्त वाद्ययुक्त चित्र एवं मूर्तियाँ यहाँ संगीत के विकास को प्रदर्शित करती हैं।[5] इन मूर्तियों के माध्यम से नृत्य करती एवं वाद्य बजाती स्त्रियों की संगीत मण्डली का चित्रण किया गया है। कश्मीर के मंत्री दामोदर गुप्त ने (800 ई0) स्त्रियों के ऐसे संगीत समूहों का उल्लेख किया है जिन्होंने सम्राट हर्षवर्धन रचित 'रत्नावली' नृत्य नाटिका को प्रस्तुत किया था। इसी परम्परा की पुष्टि पवाया से होती है। जनश्रुतियों में ग्वालियर क्षेत्र के नरवर की ऐसी नर्तकियों के उल्लेख मिलते हैं जो सूत के धागे पर नृत्य करती थीं। इन उल्लेखों से एक ओर तो ग्वालियर क्षेत्र में संगीत की समृद्ध परम्परा के संकेत मिलते हैं तो दूसरी ओर संगीत एवं उसके अभिन्न अंग नृत्य एवं वादन से आम जन के जुड़े होने की भी पुष्टि होती है। पवाया में भारत का सर्वाधिक प्राचीन रंगमंच स्थित है जहाँ पर कभी महान नाटक रचयिता भवभूति के संस्कृत नाटक 'मालती माधव' एवं 'उत्तर रामचरित' का मंथन किया जाता रहा होगा।[6]

मध्यकाल में भी जबकि ग्वालियर तथा सम्पूर्ण भारत ही संकटकालीन दौर से गुजर रहा था उस समय भी ग्वालियर संगीत की सुर धारा अजस्त्र रूप से प्रवाहित होती रही। यहाँ के तोमर शासकों द्वारा दिये गये संरक्षण, प्रोत्साहन एवं स्वयं संगीत में रूचि लेने के कारण यहाँ संगीत के विकास की जो आधारभूत संरचना स्थापित की गयी, उसका यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। राजा वीरसिंह देव के समय देवेन्द्र भट्ट ने संगीत 'मुक्ताकला' एवं कवि दामोदर ने 'संगीत दर्पण' नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें प्रस्तुत राग-रागनियों का मूर्तरूप आगे चलकर रागमाला के चित्रों का आधार बना।

तोमर युग में ग्वालियरी संगीत को समृद्ध बनाने की परम्परा का विकास राजा डूंगरेन्द्र सिंह तोमर के काल में हुआ। जिन्होंने कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन को दो या तीन संगीत के ग्रंथ उपहार स्वरूप भेजे थे। जिसकी जानकारी 'तबकातें-अकबरी' में मिलती है। श्रीवर पण्डित के ग्रंथ 'जैन-राजतरंगिणी' में भी संगीत चूड़ामणि एवं संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथों को भेजे जाने का उल्लेख है।[7] इनमें संगीत चूड़ामणि की रचना स्वयं डूंगरेन्द्र सिंह ने की थी। इससे भी बढ़कर संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान यह रहा है कि उन्होंने संगीत को लोकप्रिय एवं भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाने का सफल प्रयास किया। विदेशी मुस्लिम शासन के अनंत उत्पन्न भाषा विवाद में संगीत की भाषा संस्कृत एवं प्राकृत बनाये रखने से यह एक वर्ग तक ही सीमित होकर रह जाता तथा जन सामान्य की पहुँच से दूर हो जाता। ऐसे में राजा डूंगरेन्द्र सिंह ने हिन्दी में विष्णु पदों की रचना की एवं उन्हें संगीत की राग-रागिनियों से मिलाया। उनकी प्रवर्तित विष्णुपद गायन की परम्परा राजा मानसिंह के समय तक चलती रही। ग्वालियर ने देश को एक नवीन संगीत दिया जिसकी भाषा साधारण के द्वारा समझी जाने वाली हिन्दी बनी। अगले शासक कीर्तिसिंह के समय भी यही परम्परा बनी रही।

ग्वालियर तोमर काल में संगीत के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल राजा मानसिंह (1486-1516ई0) रहा है। वह स्वयं कुशल संगीतकार एवं गायक था। महान संगीतज्ञ तानसेन उनके दरबार को सुशोभित कर रहे थे उन्होंने भी मानसिंह के लिये कुछ पद लिखे हैं।[8]

छत्रपति राजा मान, चिरंजीव रहो जौलों ध्रुव-मेरू-तारौ यह मानसिंह की दूरदर्शिता थी कि उसके शास्त्रीय संगीत का विवेचन हिन्दी में कराया एवं उसके ग्रंथ 'मान कौतुहल' की रचना हिन्दी में हुयी जिसमें रागों की संख्या तथा प्रसार को विस्तृत रूप में व्याख्या सहित लिपिबद्ध किया गया। इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फकीरूल्ला ने किया था। मानसिंह ने विष्णुपद की कठिन गायकी को ध्रुपद के माध्यम से कोमल एवं सख्त बनाया। उसने एक विशाल संगीत सम्मेलन आयोजित किया तथा ग्वालियर में संगीत

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) डॉ0 भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

विद्यालय की भी स्थापना हुयी। उसने असख्ंय ध्रुवपदों की रचना करवाकर इसे लोकप्रिय बनाया।[9]

फकीरूल्ला सैफ खां लिखता है कि मानसिंह के नायकों बैजू, बख्शू, महमूद हलोहंग और कर्ण ने ऐसा ध्रुपद गाया कि पुराने गीत फीके पड़ गये। मानसिंह ने सावंती, लीलावती, पाढव एवं मानशाही कल्याण रागों के गीत लिखे। बैजू और बख्शू ने भी असंख्य गीतों की रचना की। मानसिंह की संगीत साधना में उसकी गूजरी रानी मृगनयनी का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मृगनयनी के नाम पर भी गूजरी तोड़ी, माल गूजरी एवं मंगल गूजरी जैसे राग बनाये गये। ये राग आज भी प्रचलित है।[10] राजा मानसिंह के उत्तराधिकारी राजा विक्रमादित्य को राय में प्राप्त रंगशाला को ग्वालियर में पूर्व से स्थापित कलाकार सुप्रसिद्ध करते गये। विक्रमादित्य ने अनेक उपाधियों से भी कलाकारों को सुशोभित किया। इस समय तक तानसेन का ज्येष्ठ पुत्र तानतरंग की राजसभा में प्रतिष्ठित हो चुका था। ग्वालियर में ही बख्शू की मल्हार, घोन्डिया की मल्हार एवं चरजू की मल्हार नामक मल्हारों का सृजन किया गया।

तोमर युगीन संगीतकारों में तानसेन, बैजू एवं बख्शू का नाम सर्वोपरि है। तानसेन को हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का आधार स्तंभ कहा गया है।[12] ऐसा माना जाता है कि तानसेन ने तीन रागों का आविष्कार किया था– मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी एवं मियाँ की मल्हार[13] इन रागों में निषाद के सुखदायी प्रयोग तानसेन की देन है।[14] उन्होंने राग मल्हार में गांधार एवं निषाद के दोनों रूपों का प्रयोग किया। कालान्तर में तानसेन ने रीवा के राजा रामचन्द्र एवं मुगल सम्राट अकबर की राजसभा को भी सुशोभित करते हुये भारतीय संगीत को समृद्ध बनाया। बैजू ने ध्रुपद को सरलीकृत करते हुए धमारे या होरी को लोकप्रिय बनाया। बैजू के बारे में कहा जाता है कि वे राग भीमपलासा एवं राग मालकौंस गाकर पत्थरों को पिघला देते थे।[15] राग मेघ, मेघ मल्हार गाकर वर्षा करवा देते थे, राग बहार गाकर फूल खिला देते थे। बख्शू के ध्रुपद गीतों का संग्रह कालान्तर में शाहजहाँ ने करवाया।

ग्वालियर के संगीत साधकों का प्रभाव मुगल दरबार में भी छाया रहा। ग्वालियरी संगीत के नायाब नक्षत्र तानसेन अकबर के दरबार में सन् 1562 से निरन्तर सत्तइस वर्षो तक रहे जहाँ उन्हें संगीत विभाग का प्रधान बना दिया गया तथा वहाँ उनके प्रथम पद के गायन पर सम्राट अकबर ने दो करोड़ दाम (जिनका मूल्य दो लाख रूपये के बराबर था) उपहार में दिये।[16] साथ ही उन्हें दरबार के नवरत्नों में भी सम्मिलित किया गया। डॉ0 हरिहर निवास द्विवेदी के अनुसार नवरत्न मणिमाला में नवम् अर्थात् सुमेरू संगीत सम्राट तानसेन थे।[17] अकबर ने उन्हें 'कण्ठाभरण वाणी विलास' की उपाधि प्रदान की थी, यह भी ग्वालियर की संगीत यात्रा की गौरवमय उपलब्धि थी। सुप्रंसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने आइने अकबरी में दरबार के छत्तीस प्रमुख संगीतज्ञों का विवरण दिया है।[18] द्विवेदी के अनुसार जिसमें तानसेन के अतिरिक्त 14 गायक और हैं जो ग्वालियर के राजा मानसिंह की संगीत टकसाल के हैं। इन सभी के आगे 'ग्वालियर निवासी' लिखा गया है। आगरा का एकमात्र गायक रंगसेन भी ग्वालियर टकसाल का ही सिक्का है। अबुल फजल के अनुसार इनके नाम थे– मियां तानसेन, ग्वालियर निवासी जिनके समान अन्य कोई गायक पिछले एक हजार वर्ष से नहीं हुआ है, बाबा रामदास, सुमान खां, श्रीज्ञान खां, मियाँ चांद, विचित्र खां, वीरमण्डल खां (सुरमण्डल वादक), शिहाब खां (तानसेन का पुत्र), नामक चर्चू, प्रवीण खां (वीणा वादक), सूरदास, चांद खां और आगरा निवासी रंगसेन। इसी प्रकार मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां के समय में भी ग्वालियर पूरे उत्तर भारत का श्रेष्ठ सांस्कृतिक केन्द्र बना रहा। कश्मीर के मुगल सूबेदार फकीरूल्ला खां ने अपने संगीत ग्रंथ रागदर्पण में ग्वालियर को हिन्दुस्तान का शीराज कहा है। सम्राट जहांगीर ने तानसेन के कवि रूप की अत्यधिक प्रशंसा की है। शाहजहाँ ने बख्शू के कई हजार ध्रुपद गीतों का संग्रह कराया। उनमें से एक हजार सर्वोत्कृष्ट पदों को संकलित कर उन्हें चार राग एवं चालीस रागनियों में विभाजित कर प्रकाशित कराया गया जिन्हें 'राग हिन्दी' 'सहस्त्ररस' रागमाला इत्यादि नाम दिये इस ग्रंथ की पांडुलिपियां ब्रिटेन के इण्डिया आफिस एवं बोडलिएन पुस्तकालय में सुरक्षित हैं।

मध्यकाल में ग्वालियर के संगीत के विकास ने सांस्कृतिक समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तानसेन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर गहन शोध साधना करने वाले डॉ. हरिहरनिवास द्विवेदी के शब्दों में कहा जाये तो 'तोमर वीणा की स्वर लहरी हिन्दु, मुसलमान, सूफी संत, पातुर, कनौज' सब के मर्म को स्पर्श करती रही। संगीत के क्षेत्र में न कोई काफिर रहा और न कोई क्लेच्छ– सब घुल मिलकर भारतीय संगीत के पोषक बन गये। ध्रुपद गायकी उत्तर से दक्षिण तक सभी हिन्दू–मुस्लिम दरबारों में फैल गयी। संगीत और भाषा के क्षेत्र में हिन्दू, मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का काम बर्सख हुआ। बैजू, बख्शू, हरिदास एवं महमूद की सरस्वती सबकी पूजनीय बन गयी। यही मध्यकाल में संगीत की नगरीय ग्वालियर का विराट भारतीय संस्कृति के लिये विराट योगदान रहा। यह परम्परा आधुनिक काल में ग्वालियर के सिंधिया शासकों ने भी बनाये रखी जिनके प्रोत्साहन एवं संरक्षण से ग्वालियर घराने ने जो प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया, वह आज भी बना हुआ है। यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला तानसेन समारोह भी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीत जगत का प्रतिष्ठित समारोह है, जो ग्वालियर को सुरों की नगरी कहलाने का गौरव प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अग्रवाल, वासुदेवशरण – भारतीय कला– भूमिका , पृष्ठ–04
2. पाठक, दिनेश – धरामेरू सब डोलिहैं – आलेख –अहा जिंदगी, दिसम्बर 2012, पृष्ठ 114
3. पिगट, स्टुअर्ट – दि हिस्टोरिक इण्डिया, पृष्ठ–13
4. भवभूति – मालती माधव, नवम अंक
5. शर्मा, मोहनलाल – पद्मावती, पृष्ठ–13
6. माहेश्वरी, एच.बी.– ग्वालियर इतिहास, संस्कृति एवं पर्यटन पृष्ठ–69
7. विद्रोही, राम – नागर गाथा, पृष्ठ 247
8. व्यास, कृष्णानंद देव –भाग–2, पृष्ठ 321
9. राधेश्याम– हिन्दी, भाषा एवं साहित्य में ग्वालियर का योगदान, पृष्ठ–25
10. कुरैशी, नईम – ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर, पृष्ठ 26
11. द्विवेदी, हरिहर निवास– ग्वालियर के तोमर, पृष्ठ–130
12. वर्मा, चौबसिंह – दि ग्लोरी ऑफ ग्वालियर, पृष्ठ 55
13. द्विवेदी, हरिहर निवास– तानसेन, पृष्ठ 223
14. यजुर्वेदी सुलोचना एवं आचार्य वृहस्पति – खुसरो, तानसेन एवं अन्य कलाकार, पृष्ठ 134
15. पाण्डे प्रणव, ओझा एम.एस. एवं राय ए.के. – भारतीय कला एवं संस्कृति, पृष्ठ 83
16. इकबालनामा जहांगीरी– बेवरिज कृत अनुवाद, पृष्ठ–280
17. द्विवेदी, हरिहर निवास– तानसेन, पृष्ठ–53
18. अबुल फजल, आइने अकबरी – ब्लीचमैन का अनुवाद, पृष्ठ–680

भारत के पड़ोसी देशों से संबंध (दक्षिण- पूर्वी एशियाई देशों के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. सीताराम गोले *

प्रस्तावना - भारत एशिया महाद्वीप में उभरती महाशक्ति वाला राष्ट्र है। भारत वर्तमान समय में विष्व के राष्ट्रों के साथ-साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी सौहार्दपूर्ण एवं मधुर संबंध बनाए हुए है। भारत अपनी भौगोलिक संरचना, आकार तथा वसुदैव कुटुम्बकम की छवी के कारण एशिया महाद्वीप के देशो में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत के अपने पड़ोसी देशो से राजनीतिक, व्यापारिक, व्यवसायिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी अच्छे संबंध रहे है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत का मध्य एशियाई देशो से व यूरोपिय देशो से राजनयिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व रक्षा से संबंधित संबंध कायम करने में ज्यादा परेशानी नही हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ा प्रष्न यह था कि भारत की विश्व देशो के साथ क्या नीति रहेगी, यह एक ऐसा अमूर्त प्रश्न था, जिसको व्यवहारिक व मूर्त रूप भारत ने स्वतंत्रता के बाद विश्व महाशक्तियों से मित्रता के लिये, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व रंगभेद नीति के प्रति विरोध जताकर तथा अपने पड़ोसी महाशक्तिशाली चीन के साथ पंचशील की भाईचारे की नीति अपनाकर दिया। समय-समय पर भारत के शासनाध्क्षो एव राष्ट्राध्यक्षो ने भारत को एक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाने में अपनी अहम् भूमिका अदा की।

भारत ने स्वतंत्रता से आज तक अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध बेहतर बनाने के लिये अपनी नीतियों में कई बार बदलाव व परिवर्तन किये, जिसके कारण भारत की, एशियाई क्षेत्र में आज मजबूत स्थिति मानी में जाती है। भारत विश्व में अपनी विदेश- राजनीति को ओर अधिक मजबूती बनाने के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा क्षेत्रिय संगठनों का सदस्य व परिवेक्षक बना है। एशिया में चीन का प्रतिस्पर्धी भारत ने क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिये **'पूर्व की ओर देखो नीति'** अपनाई। इसके कारण भारत पूर्वी एशियाई देशो के करीब आया और उन राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों से आत्मविष्वास बढ़ाया। भारत के द्वारा वर्तमान **'पहले पड़ोसी नीति'** से अपने पड़ोसी देशो से संबंधो में ओर अधिक मजबूत करने का काम किया। वही सार्क का संस्थापक सदस्य होने व अंशदान में अधिक भागीदार होने के कारण, साथ ही क्षेत्र में फैली अशांति व अस्थिर संबंधो को सूझबूझ के साथ हल करने के कारण हर सदस्य राष्ट्र भारत को आदर व सम्मान प्रदान करता है। आज भारत आसियान का पूर्णकालिक परिवेक्षक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र होने के कारण भारत ने आसियान देशों को भी अपने पक्ष में किया है।

भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ-साथ पूर्वी एशिया के अधिकांश राष्ट्रों में अपनी पैठ बनाई है। भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, नेपाल, फिलीपिंस, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिणी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य पूर्व में स्थिति राष्ट्रों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, रक्षा, खेलकूद, प्रौद्योगिकीय, कृषि आर्थिक व अन्य क्षैत्रों में भारत ने आत्मीयता और आत्मविश्वास के साथ द्विपक्षीय संबंध कायम किये है। जिसका स्पष्ट प्रभाव यह देखा जा रहा है, कि पूर्वी एशिया में दिनों-दिन भारत की ताकत का विस्तार हो रहा है। पूर्व में चीन की बढ़ती तानाशाही व हस्तक्षेप के कारण से भी क्षेत्रिय राष्ट्र यह चाहते है, कि चीन का प्रतिद्विन्दी उनका मित्र हो ताकि चीन की बढ़ती अराजकता को नियंत्रित व संतुलित किया जा सके।

भारत एवं दक्षिण कोरिया - भारत- दक्षिण कोरिया संबंध 2000 वर्षो से मजबूत रहे है। दोनों राष्ट्रों के बीच 1973 में राजनीतिक संबंधो की औपचारिक स्थापना के बाद 1974 में Agreement on trade promotion on and Economic and technological Co-operhon on, 1976 में Agreement on Co-operation in science and technology, 1985 में Convetion on double taxation avoidance, 1996 में Bilateral investment promotion/protection agreement आदि समझौते किये ताकि दोनों देश मिलकर अपना बहुमुखी विकास कर सके। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि भारत की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी व कोरिया गणराज्य की न्यू साउथर्न स्ट्रेट्जी में स्वभाविक एकरूपता है। इसी तरह दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता Comprehensive economic partnership agreement-CEPA को भी नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया । भारत-कोरिया संबंधों को ओर ज्यादा मजबूत बनाने के लिये 'कोरिया-इंडिया फयूचर स्ट्रेट्जी ग्रुप तथा इंडिया कोरिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन्नोवेशन (IKCRF) कॉर्पोरेशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है।'

दक्षिण-कोरिया के राष्ट्रपति मून-जे इन ने 8 जुलाई 2018 को भारत की यात्रा की। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद मून-ने इन की यह भारत की पहली यात्रा थी। दक्षिण-कोरिया की ओर से 'भारत-कोरिया' बिजनेस फोरम की बैठक के बाद नोएडा में 5000 करोड़ की लागत का सेमसंग मोबाईल प्लांट का उद्घाटन किया गया। दोनो देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के साथ क्षेत्रिय व वैमिं वक मुद्दों पर भी विचार साझा किये।

इस यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी को अधिक मजबूत करने के लिये 'A Vision for people, prosperity, peace and future' को

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

जारी किया।

भारत दक्षिण-कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011 में 20.5 अरब डॉलर था जो 2017-18 में 20.82 अरब डॉलर रहा, जिसे 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुचाने का लक्ष्य रखा गया है। [1]

परमाणु शिखर सम्मेलन के लिये प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने नवम्बर 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभ पाटील ने 2011 में यात्रा कोरिया की। इस यात्रा के दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ। मार्च 2012 में डॉ. मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। इस यात्रा में दोनो देशों में वीजा सरलीकरण पर समझौता किया। कोरिया में लगभग 8000 से अधिक प्रवासी भारतीय है। जिसमें अधिकतर व्यवसायी, आईटी पेशेवर, वैज्ञानिक, अनुसंधान अध्येता व छात्र है।

दक्षिण कोरिया से भारत के संबंध इसलिए जरूरी है कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान दोनो ही चीन के साथ घनिष्ठ संबंध रखते है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत अपनी मजबूत स्थिति रख सके इसलिए भारत दक्षिण कोरिया से हमेशा मित्रवत व्यवहार रखने की हर संभाव कोशिश व प्रयास करेगा। दक्षिण कोरिया के लिये सहयोग का मौका इसलिए है क्योंकि भारत-पाक और चीन संबंधों में तनाव की स्थिति है। जिससे भारत परेशान है, तो वही उत्तर कोरिया में परमाणु कार्यक्रमों से दक्षिण कोरिया परेशान है, हालांकि उत्तर कोरिया पर दबाव डालने के लिये अमेरीका व जापान अहम भूमिका निभा रहे है ताकि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करें, अमेरीका जापान भी यही चाहेंगें की भारत- दक्षिण कोरिया के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत हो ताकि पूर्वी ऐशिया व प्रशांत क्षेत्र में उत्तरी कोरिया व चीन को नियंत्रित किया जा सके। भारत दक्षिण कोरिया रक्षा समझौते से भारत की पहुच दक्षिण चीन सागर तक होगी तो दक्षिण कोरिया चीन सागर में चीन की बढ़ती तानाशाही से राहत की सांस लेगो। दोनो देशों के बीच कुछ विषम को लेकर असमंजस जरूर है जिसमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो रहे। हालांकि भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है इसलिए दोनो राष्ट्र असमंजस को छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ेंगें।

भारत- इंडोनेशिया - भारत-इंडोनेशिया के सबंध में सदिम पुराने माने जाते है, दोनों देशों पर सांस्कृतिक एकरूपता की छाप भी नजर आती है। ऐसी भी मान्यता है कि भारत-इंडोनेशिया के संबंध रामायण काल से भी प्राचीन बताए जाते है। जावा का उल्लेख रामायण महाकाव्य में भी मिलता है। भारतीयों ने जहां प्राचीन काल में ही इंडोनेशिया की यात्रा की थी तो कई इंडोनेशियन ने भी भारत की यात्रा उस समय की थी। प्राचीन समय में भारत के इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक संबंध रहे।

स्वतंत्रता के बाद भारत और इंडोनेशिया के राजनीतिक संबंध की शुरूआत 1951 से हुई थी। भारत-इंडोनेशिया के संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते है कि जिस समय संपूर्ण विश्व द्वि-ध्रुवीयकरण की राजनीति की चपेट में था उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ मिलकर गुटनिरेपक्ष आंदोलन की शुरूआत की थी। भारत-इंडोनेशिया के मध्य संबंध हमेशा शांतिपूर्ण रहे है। राजनीतिक व रणनीतिक रूप से दोनो देशों के संबंध मधुर ही रहे। केवल 1965 से भारत-पाक युद्ध के दौरान इंडोनेशिया, अंडमान, निकोबार द्वीप पर अपना कब्जा करना चाहता था इसलिए भारत-पाक युद्ध के दौरान पाक को मदद करने के लिये इंडोनेशिया तैयार था।

इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह में सबसे बड़ा देश है और आसियान समूह में अच्छी खासी पकड़ रखता है। भारत- इंडोनेशिया से अच्छे रिश्ते इसलिए रखना चाहता है कि वह इंडोनेशिया के माध्यम से आसियान देशो में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते के द्वारा इंडोनेशिया द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। 2025 तक इसे बढ़ाकर 50 बिलियन अमेरीकी डॉलर करना है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच Regional Comprehensive Economic Corporation- RCEP को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

1991 के बाद दोनो राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अधिक प्रगति हुई है। इस प्रगति में और अधिक गतिशीलता उस समय आ गई जब जनवरी 2011 में इंडो राष्ट्रपति सुशीलो बंबाग युधोयोनी ने भारत की यात्रा की। अक्टुम्बर 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने इंडो की यात्रा की। नवम्बर 2015 में भारतीय उपराष्ट्रपति ने तो, दिसम्बर 2016 में इंडो राष्ट्रपति ने एक दूसरे देशों की यात्राए की । 12 व 13 दिसम्बर 2016 को इंडो राष्ट्रपति जोको विडोडो भारत की यात्रा पर आए इस समय मोदी सरकार से उनके युवा तथा खेल क्षेत्र में सहयोग, मानवीकरण के क्षेत्र में सहयोग व समुद्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर रोक आदि समझौता किए थे। इसके अलावा दोनो देशो ने कारोबारी, सांस्कृतिक संबंधो, रक्षा, सुरक्षा राजनीतिक, हथियार, मादक पदार्थो की तस्करी व आतंकवाद पर अंकुश लगाने तथा क्षैत्र में सामाजिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर दोनों देशों में आपसी सहमति जताई। इंडो-भारत के साथ अपने मधुर संबंध इसलिए भी बनाए रखना चाहेगा क्योंकि नातूना समुद्र को लेकर चीन-इंडोनेशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वही चीन की स्ट्रिंग ऑफ फल्स नीति व सिल्क दर भारत के लिये परेशानी खड़ी कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत-इंडो के हित सम्मान हो सकते है। पर दिक्कत यह है कि One belt one road चीन की योजना का इंडोनेशिया समर्थन करता है। बावजूद इसके 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण व इंडोनेशिया रक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक यह तय करता है कि भारत-इंडो सदीयों पुराने संबंधो को आगे भी मधुरता के साथ निभाते रहेंगें।

भारत-उत्तर कोरिया - भारत की पूर्व के देशों के संबंध में भारत उत्तर कोरिया संबंधों में व्यापारिक व राजनयिक संबंध लगातार बढ़ते रहे। वर्तमान समय जहॉ उत्तर कोरिया के परमाणविक परीक्षण कार्यक्रम से समुच्च एशिया गमगीन व चिंताग्रस्त है। वही भारत की काफी चिंतित है। उत्तर कोरिया का पाकिस्तान को समर्थन देने व परमाणु कार्यक्रम का भारत ने लगातार विरोध किया। उत्तर कोरिया की हठधर्मिता की नीति और तानाशाही रवैये का प्रभाव भारत-कोरियाई संबंधो पर भी देखने को मिलता है। उत्तरी कोरिया लगातार अपने परमाणु परीक्षण कर रहा है। इस तरह के परीक्षण को सफल बनाने के लिये उसके मित्र राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से योगदान प्रदान कर रह हैं चीन जो कि उत्तरी कोरिया को कई क्षैत्रों में सहयोग करता है। कोरिया के लगातार परमाणु हथियार और बेलेस्टिक मिसाइल के निर्माण के कारण पश्चिमी जगत की नींद उड़ी हुई है। वहीं सिंगापुर में किम जोंग व ट्रम्प के बीच हुई मुलाकात भी एक समय बाद बैकार साबित हुई। जिसने समुचे विश्व को डरा दिया है। ऐसी स्थिति में भारत उत्तर कोरिया व पश्चिमी जगत के मध्य मध्यस्थता कर क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है।

भारत-मलेशिया - भारत और मलेशिया के मध्य मैत्री पूर्ण संबंध रहे है। इसकी वजह मलेशिया में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या मानी जाती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महामिर मोहम्मद के दादा भी भारतीय मूल के थे।

2017 में मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब तुल अब्दुल रजाक ने भारत-मलेशिया के राजनयिक संबंधो की 60वीं वर्षगांठ पर भारत की यात्रा की दोनो देशों के मध्य आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर अपनी सहमति प्रकट की। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने मलेशिया यात्रा के दौरान लोकतंत्र बहुलवाद व बहुसंस्कृतिवाद के प्रति प्रतिबद्धता जताई। भारत मलेशिया के बीच मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड, एमपीओबी और रासायनिक प्रोद्योगिकी संस्थान, भारत के बीच एमओयू, एमपीओसी और सॉल्वेंट एक्स ट्रेक्टर्स एसोसिएषन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन एमपीओसी और मुम्बई डाबावाला एसोसिएशन समझौता आदि महत्वपूर्ण समझौते है जो भारत मलेशिया को व्यापारिक और आर्थिक संबंधो को उंचाईयों पर ले जाएगा।

परन्तु पाकिस्तान मलेशिया के बीच 2007 में इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री मासिर ने पाकिस्तान को ऊर्जा, सुरक्षा को मदद करीने की प्रतिबद्धता जताई थी। वहीं 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 अनुच्छेद की धारा व विशेष अधिकार समाप्ति पर विश्व के कई देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला माना वही मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत को चौंका दिया। कश्मीर मुद्दे पर भी मलेशिया ने सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने की कोशिश की और पाकिस्तान का समर्थन किया। वह भारत में लागू नागरिकता कानून का भी विरोध करता है। मलेशिया के इस रूख के पिछे कई कारण है। 1957 में पाक-मलेशिया को सम्प्रभु देशों के रूप में मान्यता देने वालो में शामिल रहा। चीन मलेशिया संबंध हमेशा अच्छे रहे है। वही पाक-चीन के बीच संबंध होने से भारत के प्रति संबंध अच्छे होने की तो कल्पना नही की जा सकती है। वही भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। जिसकी पूर्ति मलेशिया से होती है। वही भारत की मलेशिया को निर्यात करता है। पाम तेल की खरीदी बंद करने से मलेशिया की कई पाम तेल इंडस्ट्री प्रभावीत हो रही है। ऐसे और भी अन्य कारण है जिनकी वजह से मलेशिया भारत के प्रति उपेक्षा की नीति अपना रहा है। पर भारत की नीति पहले अपने पड़ोसी की नीति के आधार पर यही चाहेगा की भारत मलेशिया के संबंधो में उतार चढ़ाव न आए, संबंधो में मुधरता और स्थिरता बनी रहे।

भारत-वियतनाम - भारत-वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध अत्यन्त मधूर रहे है। वियतनाम भारत के बीच सांस्कतिक, आर्थिक संबंध तो दूसरी श+ताब्दी से भी पूराने रहे है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरीका की भूमि का की भारत ने निंदा की थी। साथ ही भारत उन गैर साम्यवादी देशों में से एक रहा है जिसने कम्बोडिया-वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम की मदद की थी। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के कारण ही 1992 में भारत-वियतनाम के बीच विस्तृत आर्थिक संबंध स्थापित हुए थे। आज भी दोनो देशों के बीच सैन्य सामग्री का विक्रय नौसैनिक, अभ्यास सूचनाओं का आदान-प्रदान, आतंक के विरूद्ध प्रशिक्षण आदि क्षैत्रों में दोनों की भूमिका अहम् मानी जाती है।

भारत वियतनाम के आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंधी संबंध भी काफी अच्छे है। 2010 में भारत आसियान नि:शुल्क व्यापार समझौते के परिणाम स्वरूप वियतनाम भारत व्यापार 3.9 बिलियन तक पहुंचा। 2015 में यह 7 बिलियन डॉलर रहा । 2020 तक इस 20 बिलियन डॉलर पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत वियतनाम दोनो देशों ने सामाजिक भागीदारी के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास ,नशीले पदार्थो की तस्करी रोकने व क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आंतकी गुटो के खिलाफ लड़ाई आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत द्वारा लगातार यह कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है उसे शांतिपूर्वक हल करना चाहिए जिसका वियतनाम ने स्वागत किया तो चीन ने अपनी तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सितम्बर 2016 में मोदी ने वियतनाम की यात्रा की जिसमें भारत की ओर से वियतनाम को रक्षा उत्पाद खरीद की क्रेडिट लाईन 500 मिलियन डॉलर की, जो पूर्व में 100 मिलियन डॉलर थी। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुमेन जुआन फुक ने भारत-आसियान स्मारक सम्मेलन में भाग लेने 2018 जनवरी में भारत आए। वहीं मार्च 2018 में राष्ट्रपति Train Dai Kang भारत यात्रा पर रहे तो नवम्बर 2018 में भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वियतनाम की यात्रा की।[2]

भारत वियतनाम के राष्ट्रध्यक्षों व प्रधानमंत्रीयों की इस तरह की यात्राओं से चीन चिंतित हो रहा हैं चीन भी पड़ोसी देशों में अंदर तक अपनी पहुंच बनाने में लगा हुआ है। जिसमें वियतनाम का चिंतित होने भी लाजमी है। चीन ने भारत के ONGC लिमिटेड पर भी आपनी ली है। जो कि वियतनाम के तटीय इलाको में तेल खोज रहा है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे देश चीन की परियोजना में शामिल होने से भी भारत वियतनाम दोनों आपस में चिंतित है। वियतनाम भारत के साथ अपने संबंधों को और उंचाईयॉ प्रदान करेगा ताकि वह भारत के साथ मिलकर चीन की आक्रामकता को रोक सके और यही सोच दोनो राष्ट्रों के भविष्य के रिश्तों के लिये लाभदायक होगी।

भारत-फिलिपींस - भारत और फिलिपिंस के संबंधों का इतिहास आजादी के जमाने से है। भारत-फिलिपिंस की औपचारिक संबंध 1947 में हुए। भारत की पूर्व की ओर देखो व फिलिपिंस आसियान के संस्थापक सदस्य होने से दोनो राष्ट्रों में संबंध मधुर रहे है।, परन्तु अपने संबंधो को उंचाईयों पर ले जाने की आवश्यकता है। 2007 में डॉ. मनमोहनसिंह ने आसियान भारत शिखर वार्ता व पूर्वी एशिया शिखर बैठक के लिये फिलिपिंस यात्रा की। 2017 में नरेद्र मोदी ने फिलिपिंस की यात्रा की जहां उन्होनें 15 वे आसियान व 12 वे पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लियें। व्यापार व सम्पर्क बढ़ाना इनकी पहली प्राथमिकता में से है। भारतीय प्रधानमंत्री की रामनाथ कोविंद ने अक्टूबर 2019 को फिलिपींस के राष्ट्रपति टॉड्रिग्गे दुतेर्ते के साथ मिलकर उन्होनें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दो पर चर्चा की व दोनो देशों ने माना कि दोनों राष्ट्रो में आर्थिक विकास व सहयोग की प्रबल संभावना है।[3]

आतंकवादी गतिविधि को मिलकर खत्म करने पर व अन्य समझौतो ज्ञापनों पर हस्ताक्षर दोनो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किये गए। भारत के लिय फिलिपिंस से संबंध आवश्यक व महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलिपींस आसियान समूह में हमेशा भारत का समर्थन करने वाला राष्ट्र रहा है।

भारत-जापान - भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे है। भारत एवं जापान दोनों राष्ट्रों के मध्य हमेशा मधूर संबंध रहे है। जापान और भारत के बीच व्यवसायिक संबंध हमेशा नई उंचाईयों को छूते रहे है। जापान की नई नामी उत्पाद कंपनीयों ने अपनी शाखाएं भारत में खोलकर भारत की आर्थिक विकास में योगदान अदा किया। जापानी भारत के साथ 'आर्क ऑफ फ्रीडम सिद्धांत' के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये भारत के साथ मधुर संबंध रखता है। जिस तरह से भारत चीन के लिये अपने उत्पादित माल के लिये एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है उसी परिप्रेक्ष्य में जापान भी अपने उत्पादित माल की खपत के लिये कार्य कर रहे है। भारत जैसे बाजार को छोड़ना नही चाहेगा।

2006 में भारत जापान के बीच सामूहिक एवं वैश्विक पार्टनरशिप समझौता भारत-जापान संबंधो की मधुरता दर्शाता है। इसी तरह से 2007 में रक्षा के क्षेत्र दोनो देशों में लगातार रिश्ते मजबूत रहे है। वर्ष 2008 में जापान ने एक समझौते के आधार पर भारत को कम स्थान पर 450 अरब अमेरिकन डॉलर दिल्ली-मुम्बई हाई स्पीड रोड़ गलियारो में विकास के लिये

दिये है। भारत-जापान श्रीलंका के पूर्वी भाग में त्रिकोमाली में तापीय विद्युत संयंत्र निर्माण में भागीदारी करने वाले है। भारत-जापान को द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 अरब डॉलर है जिसे 25 अरब डॉलर तक पहुंचने के लक्ष्य रखा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27-29 जून 2019 को जापान की यात्रा जी-20 शिखर मे भागीदारी के लिये की थी। 21-22 अक्टूम्बर को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जापान की यात्रा वहां के सम्राट नामहितों के राज्य अभिषेक के लिये की थी।4

नवम्बर 2016 में भारत-जापान के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये जिस पर चीन ने सकारात्मक समर्थन किया। 2014 में जापान यात्रा के दौरान अहमदाबाद-मुम्बई मेट्रो, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि महत्वकांक्षी योजनाओं में जापान अपना योगदान अदा कर रहा है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया - सितम्बर में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री टोनी एबोट भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा का मुख्य लाभ भारत को मिला, टोनी एबॉट की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री एवं दोनों शासनाध्यक्षों के बीच असैन्य नाभिकीय ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर भारत, आस्ट्रेलिया से अपनी असैन्य नाभिकीय शक्ति की पूर्ति के लिये आस्ट्रेलिया से यूरेनियम प्राप्त कर सकेगा। इस समझौते का असर स्वभाविक रूप से भारत के पड़ोसी राज्यों पर पड़ सकता है। इससे भारत अपने आद्यौगिक क्षैत्रों में खपत होने वाली ऊर्जा व शक्ति को आसानी से प्रदान करेगा। जिसमें भारत के आद्यौगिक व अन्य क्षैत्रो का स्वभाविक रूप से विकास होगा। आस्ट्रेलिया जहॉ भारत से व्यापारिक संबंधों को बड़ाना चाहेगा वही आस्ट्रेलिया चीन को जो कि प्रशांत में उसका सब में बड़ा व्यापारीक सहयोगी है। 2016 में आस्ट्रेलिया ने चीन से 62 अरब डालर का आयात व 95 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो उसकी विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु रहेगा। साथ ही आस्ट्रेलिया इंडो-पैसिफीक में अपना व्यापार फैलाए इसके लिये वह भारत, इंडोनेशिया व अन्य आसियान देशों के साथ मिलकर नए समीकरण बनाने की कोशिश करेगा। आस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, जो अमेरीका व चीन दोनो से व्यापारिक डोर से बंधा है। ऐसी स्थिति में भारत आस्ट्रेलिया से अपने संबंध और अधिक मजबूत बनाना चाहेगा।

भारत-बांग्लादेश - बांग्लादेश के निर्माण से आज तक कुछ राजनीतिक नेताओ द्वारा अच्छे संबंध नही निभाये जाने के बावजूद बांग्लादेश अपने अस्तित्व के लिये भारत का ऋणी रहेगा। भारत-बांग्लादेश के बीच चाहे कोई भी विवाद फरक्का बैराज मामला, नदी जल विवाद, चकमा शरणार्थी समस्या या फिर रोहिंग्या समस्याओं के कारण दोनों देशो के बीच संबंध कटु हो जाने के बाद भी अच्छी समझ और कुशल कुटनीति के सहारे कई समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास किये गए जिसमें क्षेत्र में शांति अमन चैन बना रहे।

भारत-बर्मा - बर्मा 1937 तक भारत का का अंग रहा। बौद्ध धर्म की अधिकता से भारत-म्यांमार में सांस्कृति संबंध भी बनता है। भारत-बर्मा के साथ बहुमुखी संबंधो को बढ़ावा देना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पीछड़ेपन को दूर करने के लिये आवश्यक है, तो इस क्षैत्र में चीन की बढ़ती तत्परता भी चिंता का कारण है, अलगाववाद व घुसपैठ के कारण भी भारत को म्यांमार से अच्छे संबंध कायम कर उनको बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत कभी भी म्यांमार से संबंध बिगाड़ने के पक्ष में नही रहा है। इसका कारण भारत का पूर्वी राज्यों की सीमाएं तथा म्यांमार का पूरा तटीय भाग बंगाल की खाड़ी से लगा होना है।

म्यांमार क्षैत्रीय संगठनों का सदस्य भी है, तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये अर्थ द्वारा भी है। 1951 की मैत्री संधी के आधार पर 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद फौजी सरकार के सूचना मंत्री ने असम उल्फा, मणिपुर के पीएलए व नागालैंड के एनएमसीएन पर कार्यवाही का भरोसा दिया है। 12-15 अक्टुबर 2011 को राष्ट्रपति यू पिन सेन ने भारत आकर डॉ. मनमोहनसिंह सरकार के साथ मिलकर लगभग एक दर्जन से अधिक करार किये इस समय भारत की ओर से म्यांमार को 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर के लिये नई लाईन ऑफ केडिट की। मोदी सरकार की 'पड़ोसी पहले' की नीति के आधार पर विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज ने 11 अगस्त 2014 को अपनी पहली म्यांमार यात्रा की।

आर्थिक संबंधो की भी भारत म्यांमार में काफी संभावना है और दोनों ही देश इसके लिये प्रतिबंद्ध भी दिखाई देते है। 1980 के पूर्व तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मात्र 12 मिलियन अमेरीकी डॉलर था, वह आज 2 बिलियन अमेरीकी डॉलर है।

भारत की कई कंपनी आबीएल, जुविकांट आयल गैस, सेंचुरी प्लाई, आटा मोटर्स, एस्सरार एनर्जी राईट्स, एस्कार्ट, रेन्बेक्सी, केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, डॉ. रेड्डी लेब सिपला एवं अपोलो जैसे नाम शामिल है। म्यांमार भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये व चीन जैसे विशाल पड़ोसी राष्ट्र से अपनी रक्षा के लिये एक मजबूत दोस्त के लिये भारत से अच्छे संबंध बनाए हुए है। क्योंकि म्यांमार यह जानता है कि चीनी रणनीतिकार, म्यांमार यह भी जानता है कि चीनी रणनीतिकरण म्यांमार को बंगाल की खाड़ी और आगे के समुद्री मार्ग के लिये बर्मा एक पुल के रूप में प्रयोग कर सकता है। म्यांमार यह भी जानता है कि चीन जैसे राष्ट्र पर अगर कोई लगाम रख सकता है। तो वह केवल भारत है। अब देखना यह होगा कि दोनो देश अपने आपसी संबंधो का निर्वहन किस प्रकार करते है। यह आने वाला समय ही बताएगा पर दोनो राष्ट्र यही चाहेगे कि आपसी संबंधो को मधुर बनाए रखे और विकास के पथ पर दोनो राष्ट्र अपना-अपना विकास करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर-2018, पेज-24, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
2. प्रतियोगिता दर्पण जुलाई-2019, पेज-28, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
3. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर-2019, पेज-16, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
4. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर-2019, पेज-17, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
5. विदेश नीतियॉ सिद्धांत एवं व्यवहार, डॉ. प्रभुदंत शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
6. भारतीय विदेश नीति के नये आयाम, डॉ. रविकांत दुबे, कुणाल प्रकाशन, दिल्ली।
7. प्रमुख देशों की विदेश नीतियॉ, डॉ. मथुरालाल शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
8. भारतीय विदेश नीति, बी.एन. खन्ना, एस.बी.पी.डी., पब्लिशिंग हाउस आगरा।
9. भारतीय विदेश नीति, जे.एन. दीक्षित, प्रभांत प्रकाशन दिल्ली।
10. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, बी.एल.फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेंशन आगरा।

तेजेन्द्र शर्मा के कथा साहित्य मे नारी पात्र

कमला नरवरिया*

प्रस्तावना – किसी भी सभ्य समाज के निर्माण में स्त्री-पुरूष दोनो की ही सहभागिता की आवश्यकता होती है। फिर भी सदियों से स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की रही है। उसे आज भी समान अधिकारो के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है वो तो भला हो साहित्यकारो का जिन्होंने स्त्रियों की पीड़ा व संघर्ष को समझा और उनकी वेदना को अपने साहित्य के माध्यम से उसे जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया। ऐसे ही साहित्यकारो में नाम आता है, तेजेन्द्र शर्मा जी का। जिन्होने भारत ही नही बल्कि विदेशो में भी रह रही नारी के मनोभावो की बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कहानियो में व्यक्त किया है। 'नारी पात्र लेखक की कहानियो में विशेष स्थान रखते है। नारी पात्र लेखक की कहानियो की वह विशेषता है, जो लेखक को कुशल शिल्पी सिद्ध करती है। उन्होने नारी के उस स्वरूप को पाठक के समक्ष चित्रित किया है। जिसे अनदेखा नही किया जा सकता।'[1]

तेजेन्द्र जी की कहानी 'छूता फिसलता जीवन' एक किशोरवय लड़की मैंडी उर्फ मंदीप बरार की कहानी है। मैंडी एक हंसमुख जिन्दादिल लड़की है। किशोरवय बच्चों के तरह वह भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होती है। विशेषकर अपने भाई के दोस्त जेम्स के प्रति। लेकिन एक दिन जेम्स उसके मन में पलने वाली कोमल भावनाओं को कुचलकर बलात्कार कर देता है। जीवन का यह क्रूर अनुभव उसे संवेदनहीन, जड़ व ठूठे पेड़ की तरह पत्थर दिल बना देता है। उसके मन में अपने बच्चे के प्रति भी कोई कोमल भावना नही है। उसके रोने का भी उस पर कोई असर नही होता है। एक दिन उस पत्थर दिल मैंडी में ममता की कोपलें फूटती है, और वह अपने बच्चे को गले लगा लेती है। तेजेन्द्र जी ने 'छूता फिसलता जीवन' की मैंडी के अल्हड़ किशोरी से जो जीवन के क्रूर अनुभव से पत्थर दिल हो गई है, उसमें एक जिम्मेदार माँ के रूप में रूपांतरित होने की प्रक्रिया का स्वाभाविक वर्णन किया है।

स्त्री की विवश्रता, स्वार्थपरता व उसकी अर्थ लोलुपता को दर्शाती हुई कहानी है, 'देह की कीमत' इस कहानी में दो स्त्री पात्र है। एक पम्मी जो अपनी इच्छाओं व भावनाओं का गला दबाकर अपने माता-पिता की इच्छा को ही सर्वोपरि मानकर हरदीप से विवाह कर लेती है। और पति की मृत्यु का दुरूख भी चुपचाप सहन करती है। तो दूसरी ओर उसकी सास है, जिसे बेटे की मृत्यु के दुरूख से ज्यादा इस बात की चिंता है, कि हाथ आया रूपया न निकल जाये। तेजेन्द्र जी ने बड़ी सादगी से समाज के उस नंगे सच को दिखाया है। कि आज मनुष्य में अर्थ - लोलुपता इस हद तक बढ़ गई है, कि उसके आगे मानवीय रिश्ते दम तोड़ते नजर आते है। साथ में स्त्री के उस रूप को भी दिखाया है, जिसे माँ कहते है। मगर आज के समय में उस माँ को बेटे की मृत्यु से ज्यादा चिंता इस बात की है। कि कही कल की आई बहू सारा पैसा लेकर न चली जाए।इसीलिए उसके ऊपर मैली चादर डाल दी जाए। खोखले होते रिश्ते और अर्थ लोलुपता के हावी होने की कहानी है, 'देह की कीमत'

तेजेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में स्त्री के नाना रूपों को दर्शाया है। कही वो ममतामयी माँ है, तो कही आदर्श पत्नी, कहीं पति से उपेक्षित पीडिता है, कहीं मर्यादाओं की तोड़ती हुई स्त्री की भूमिका में दिखाई देती है। तेजेन्द्र जी की यह विशेषता है, कि वे नारी मन के मनोविज्ञान, उसकी भावनाओं को भली भाँति समझते है। इस संबंध में कथाकार धीरेन्द्र आस्थना के शब्दो में- 'परकाया प्रवेश में तेजेन्द्र को दक्षता हासिल है।यानि स्त्रियों की यातना, दुरूख और हर्ष को तेजेन्द्र ने ठीक उसी तरह जिया है। जैसे कोई स्त्री ही जी सकती है।'[2]

कैंसर कहानी में कैंसर की भयावहता तथा उससे भी ज्यादा अपनों को खो देने को खौंफ तथा यह खौफ आगे जाकर मनुष्य को टोने-टोटके व धार्मिक अंधविश्वास के चक्कर में फँसा कर दम लेता है। जो कैंसर से ज्यादा भयानक है। तेजेन्द्र जी ने अपनी कहानी कैंसर में इसी विषय को उठाया है। साथ ही में एक आदर्श भारतीय नारी का अपने पति के प्रति प्रेम व चिन्ता को बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया है। कैंसर कहानी की नायिका पूनम कैंसर से पीडित महिला है। मगर जब वह देखती है,कि उसका पति उसके कैंसर की वजह से धार्मिक अंधविश्वास के दलदल में फंसता जा रहा है। तो वह तड़प उठती है। 'पूनम की आँखों में बस एक ही सवाल दिखाई दे रहा है... मेरा पति मेरे कैंसर का इलाज तो दवा से करवाने की कोशिश कर सकता है... मगर जिस कैंसर ने उसे चारो- ओर से जकड़ रखा है... क्या उस कैंसर का भी कही कोई इलाज है।'[3] तेजेन्द्र जी ने कैंसर विषय पर कुछ और भी कहानिया लिखी है। जिनमें 'अपराध बोध का प्रेत', 'रेत का घरौंदा' एवं 'मौत एक मध्यांतर' इत्यादि है। 'अपराध बोध का प्रेत' कहानी की नायिका सुरभि एक ममतामयी माँ और प्रेममयी पत्नी है।इस बात को हम कहानी की दो घटनाओं से समझ सकते है। पहली जब सुरभि ने अपने मार्गदर्शक दलजीत सिंह के कहने पर भी लेक्चरार की नौकरी नही की, क्योकि वह अपनी बच्ची को क्रेच में नही छोड़ना चाहती बल्कि वह उसकी परवरिश खुद करना चाहती है। उसे अपने ममता के आँचल तले बढ़ते देखना चाहती है। और दूसरी घटना जिसमें मृत्युशैय्या पर लेटी हुई सुरभि को इस बात की चिन्ता है, कि उसके मृत्यु के बाद उसके पति को उसकी वजह से किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसीलिए वह कार के कागज पति के नाम ट्रांसफर करने के लिए साइन करवाने के लिए कहती है।

इसी तरह 'ईटो के जंगल' कहानी की नायिका रोहिणी एक सुघढ़ व कुशल गृहणी है। अपना खुद का घर खरीद सके इसके लिए वह अपने

* सहायक प्राध्यापक,शासकीय एम जे एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिण्ड (म.प्र.) भारत

गहने पति को बेच देने के लिए कहती है। तेजेन्द्र जी ने एक ओर जहाँ स्त्री के त्याग, समर्पण व प्रेम के गुणो को बताया है। तो दूसरी ओर उन्होने आधुनिकता की दौड़ में मानवीय मूल्यों से भटकती हुई स्त्रियों को भी अपनी कहानी का विषय बनाया है। तेजेन्द्र जी की यह विशेषता हैं, कि वे सच कहने से नही हिचकते। इसकी झलक हमें उनकी कहानियो में भी देखने को मिलती है।

'कोख का किराया' कहानी की नायिका मनदीप और उर्फ मैनी एक उनमुक्त एवं स्वतंत्र विचारो वाली स्त्री है। शादीशुदा व दो बच्चों की माँ होने के बावजूद वह अपने प्रिय फुटबाल खिलाड़ी बीफी डेविड की ओर आकर्षित है। और उसे स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार है। अपने पति के मना करने के बावजूद भी वह अपनी कोख को अपने प्रिय फुटबाल खिलाड़ी के बच्चे को जन्म देने को किराये पर दे देती है। इससे नाराज होकर उसका पति बच्चों को साथ लेकर उसे छोड़कर चला जाता है। और मैनी एकदम अकेली रह जाती है। इस तरह वह स्वयं के कृत्यो द्वारा अपना हँसता खेलता परिवार उजाड़ लेती है। तेजेन्द्र शर्मा के कहानियो में विषय वैविध्य है। 'यतेजेन्द्र जी के नारी पात्र प्रतिकूल परिस्थियों में भी दयनीय नही बनते, वे उलझते है, टूटते हैं, पर अपने रास्ते खुद तलाशते है। वे नारी विमर्श की दलीलो व दलालो से मुक्त है।'[4]

'उड़ान' कहानी का विषय आज की निम्न मध्यमवर्गीय युवती के सपनो को बनने और बिगड़ने की कहानी है। 'उड़ान' कहानी की नायिका बीनू हमेशा से एयर होसटेस बनने के सपने बुनती है। और अपने सपनो का साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत भी करती है। और जब सपना पूरा होने का समय आता है, तो वह अचानक से टूट जाता है। इससे बीनू की हालत आसमान में कटी पतंग की तरह हो जाती है। कहानीकार ने बीनू के मन में उमड़ते- घुमड़ते विचारो के झंझावतो के द्वंद को खूबसूरती से दर्शाया है।

'रेत के शिखर' कहानी की नायिका मंजूला घर व बाहर दोनो जगह संघर्ष करती है। मंजूला की तरह आज भी स्त्रियो को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। उसे सबसे पहले घर पर ही घरवालो की पुरातन पंथी सोच से सामना करना पड़ता है। जैसे- ज्यादा पढ़- लिखकर क्या कर लोगी, करना तो चूल्हा चौका और बच्चे पैदा करना है। बेटियो को तो पराये घर जाना है, इत्यादि तानो से दो-चार होना पड़ता है। और फिर यहाँ से निकलकर जब स्त्री आगे बढती है, तो आगे समाज के उन ठेकेदारो से भी सामना करना पड़ता है। जो गिद्ध जैसी दृष्टि जमाए खडे है, खा जाने के लिए। तेजेन्द्र जी ने अपनी कहानी 'रेत के शिखर' में नायिका मंजूला द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं को बड़ी ही बारीकी से चित्रण किया है। मंजूला दो स्तर पर संघर्ष करती है। पहला घर में और दूसरा बाहर। साथ में कहानीकार द्वारा रिसर्च के नाम पर शिक्षण संस्थानो में अध्यापको द्वारा छात्र-छात्राओ के साथ होने वाले शारीरिक व मानसिक शोषण की ओर इशारा किया है। मंजूला भी इसी शोषण का शिकार होती है। जब डॉ. नवीन मंजूला से कहते है- 'तुम हमें गुरू दक्षिणा दो तो हम भी तुम्हारा काम जल्दी निपटा दें। और उन्होने मंजूला के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मंजूला उठ खड़ी हुई और उसने जलती हुई दृष्टि से डॉ. नवीन को देखा वे अब भी टेड़ी मुस्कान लिए उसकी ओर देख रहे थे। काम वासना उनकी आँखो में स्पष्ट झलक रही थी।'[5]

उड़ान की बीनू हो या रेत के शिखर की नायिका मंजूला दोनो ही स्त्री पात्र अपने-अपने स्वाभिमान की रक्षा करते दिखाई पड़ते है। वे किसी के सामने गिड़गिड़ाते नही है। उनके सपने भले ही टूट गये हो, मगर वे जीना नही छोड़ते है। यही तो तेजेन्द्र के स्त्री पात्रो की विशेषता है। 'इनके नारी पात्रो की सबसे बड़ी विशेषता है, कि वे बाजार में खड़ी होकर नारेबाजी नही करती। वे किसी स्त्री विमर्श संस्था, महिला संस्था या राजनैतिक संस्था का न तो आसरा लेती है अैर न ही आसरा तकती है। बल्कि अपने वजूद के लिए खुद संघर्ष करती है। और अपने निर्णय स्वयं लेती है।'[6]

तेजेन्द्र जी ने अपनी कई कहानियो में स्त्री के विविध रूपो को चित्रित किया है। उन्होने अपनी कई कहानियो में स्त्री के ममत्व तथा अपने संतानो के लिए अपनी खुशी का त्याग करना आदि उदारवादी गुणो को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा है। ऐसी ही एक कहानी 'टैलीफोन लाइन' है। इस कहानी की नायिका सोफिया अपने कॉलेज की एक दबंग लड़की है। वह अवतार सिंह से प्रेम करती है। और उससे अपने प्यार का इजहार भी करती है, डंके की चोटपर। मगर दोनो की शादी न हो सकी। अवतार सिंह लंदन में अकेला रहता है। कहानी में मोड तब आता है। जब सोफिया टेलीफोन पर अवतार सिंह से पुराने दिनो की याद दिलाकर अपनी विधवा बेटी के लिए उसका हाथ माँगती है। सोफिया एक व्यवहारिक बुद्धिवाली स्त्री है। साथ ही एक अच्छी माँ भी है। वह अपनी बेटी के घर बस जाने को लेकर चिन्तित है। वह अपनी खुशियो के बारे में न सोचकर बेटी की खुशी के बारे में सोचती है। वह चाहती तो स्वयं अवतार सिंह के साथ घर बसाने की सोच सकती थी। मगर उसने ऐसा न कर बेटी के बारे में सोचा और उसने अवतार सिंह को ही चुना क्योकि वह जानती थी, कि वह एक अच्छा इंसान है और उसकी बेटी को खुश रखेगा। यहाँ हमे सोफिया में एक ममतामयी माँ के रूप में दर्शन होते है।

'तेजेन्द्र जी युवा वर्ग की सोच में आ रहे परिवर्तन से भी अनभिज्ञ नही है। और आधुनिक युग की युवा सोच वे 'कोष्ठक' कहानी की नायिका कामिनी के जरिए दिखाते है।कामिनी उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है,जो अपनी मनोवांछित वस्तु को पाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। और उन्हे अपने किए पर न तो रंज है और न पछतावा।'[7]

'कोष्ठक' कहानी की नायिका कामिनी नरेन को पसंद करती है, और उसे पाना चाहती है। और इस पाने में सामाजिक मर्यादा को भी तोड़ देती है। तेजेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में मुस्लिम स्त्रियो का चित्रण बड़ी बारिकी से किया है। फिर चाहे वह 'एक बार फिर होली' की नजमा हो या 'तरकीब' की समीना या फिर 'कब्र का मुनाफा' की नादिरा और आबिदा। सभी की स्थिति एक जैसी है। तेजेन्द्र जी ने इन मुस्लिम स्त्री पात्रो के माध्यम से मुस्लिम समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियो को उजागर किया है। तेजेन्द्र जी की इन कहानियो की विषयवस्तु अलग-अलग है। मगर इन सब में एक मूल बात समान है, कि इन स्त्रियों की वेदना। इनके सिर पर हमेशा तीन तलाक की तलवार लटकती रहती है। और वे इस डर के साये में जीती है, कि कही उनके पति तीन तलाक कहकर घर से बेदखल न कर दे। इस कारण वह अपने पति के गलत कामो का भी खुलकर विरोध नही कर पाती है। तेजेन्द्र जी ने स्त्रियों की देह स्वतंत्रता व यौन आकांक्षाओ जैसे संवेदनशील विषयो पर भी कहानिया लिखी है। जिनमें से 'कल फिर आना' व 'इंतजाम' प्रमुख कहानिया है। दोनो ही कहानियो की नायिकाए अपने पति से उपेक्षित व पीडित महिलाए है 'इंतजाम' कहानी की नायिका जिल पति से प्रेस न मिलने पर उस प्रेम को बाहर खोजती है। और अपने जीवन में पर- पुरूष जेम्स को आने देती है। ऐसा करके वह एक तरह से अपने साथ पति द्वारा हो रहे अन्याय का विरोध करती है। तो दूसरी ओर 'कल फिर आना' की नायिका भी अपने बलात्कारी को कल फिर आना का निमंत्रण देकर अपने

साथ हो रही उपेक्षा व दुर्व्यवहार का प्रतिकार करती है। तेजेन्द्र जी के ये स्त्री पात्र भले ही बड़े-बड़े क्रांतिकारी कदम नही उठाते हो। मगर उनके छोटे-छोटे कदम दूर मंजिल तक पहुंचने की कुव्वत रखते है। आपके स्त्री पात्र खुलकर भले ही विद्रोह न करे, मगर चुपचाप अपने लिए इंतजाम जरूर कर लेते है।

तेजेन्द्र जी ने अपनी कहानियों में पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण करके पतन के गर्त में गिरती भारतीय स्त्री के रूप को भी दर्शाया है। 'ये क्या हो गया' कहानी की अनुष्का लेडी डायना को अपना आदर्श मानती है। और उसका अंधानुसरण करती है, वह अपने जीवन में वह सब कर बैठती है जो लेडी डायना के जीवन में घटित हुआ। इसके परिणामस्वरूप वह स्वयं को ठगा सा महसूस करती है, और वह स्वयं से प्रशन पूछती दिखाई देती है। 'यइसमें उसको दोषी कैसे ठहरा सकती हूं? किन्तु मेरी वर्तमान स्थिति के लिये वही तो जिम्मेदार है... यदि मैनें उसे अपने जीवन का आदर्श न बना लिया होता तो क्या मेरे हालात इस कदर दयनीय बन गये होते?'[8]

तेजेन्द्र जी ने प्रवासी भारतीय समाज में पति-पत्नी के दाम्पत्य रिश्तों में आये बदलावों को 'जमीन भुरभुरी क्यो है?', 'गंदगी का बक्सा' तथा 'ओवरफ्लो पार्किग' कहानी में दर्शाया है। 'जमीन भुरभुरी क्यों है?' कहानी जहाँ एक ओर दाम्पत्य संबंधो में आते बिखराव पर चिंतन करती है। वही आधुनिक युग में स्त्री के भीतर जाग्रत होती स्वत्व चेतना को भी उजागर करती है। इस कहानी की नायिका कोकिला बेन पति द्वारा की गई बेवफाई तथा पति द्वारा पैसे के आरोप में जेल जाने पर टूट सी जाती है। और अपने आँखों के आंसू स्वयं पोछ लेती है। कोकिला ठान लेती है कि उस अब रोना नही बल्कि उसे 'यराजन की बेवफाई से लडना है, कैथलीन से निपटना है। उसने आँखे पोछी और राजन का सामना करने के लिए कमरे में दाखिल हो गई।'[9]

'गंदगी का बक्सा' कहानी में जया के कलहपूर्ण शादीशुदा जीवन को दर्शाया है। इस क्लेश से उभरने के लिए जया परपुरूष के सामीप्य में खुशी तलाशती है 'जया द्वारा यौन वर्जना का उल्लंघन करके राज के साथ सहवास भी एक तरह का प्रतिवाद ही है'।[10] वही 'ओवरफ्लों पार्किग' कहानी में लेखक शमशान में पार्किग के रूप में ऐसा रूपक गढ़ते है जो पति-पत्नी संबंधो में आई (दरार) खटास को व्यक्त करते है। जहाँ पति पत्नी के मध्य एक दूसरे के प्रति विश्वास के लिए कतई गुंजाईश नही है।

इन कहानियों के स्त्री पात्र विदेश में रहते हुए भी अपने वैवाहिक संबंधो से संतुष्ट नही है। इसीलिए ये सामाजिक वर्जनाओं को चुनौती देती दिखाई देती है। अतरू 'तेजेन्द्र जी का रचना संसार विपुल है। उनकी कहानियों में स्त्री का पूर्ण संसार समाया है। बल्कि इसे एक नयी स्त्री का संसार कह सकते है। जो बर्दाशत की मजबूरियों की हद के बाहर लेकिन साथ ही पुरूष के प्रति भी और स्वयं अपने प्रति भी इस अर्थ में तटस्थ और निरपेक्ष हो चुकी है। निशिचत रूप से इन कहानियों में लेखक ने न्याय बुद्धि का परिचय देते हुए स्त्री अस्मिता की नई परिभाषा गढी गई है।' तेजेन्द्र जी की ये कहानियां हमें स्त्री के विविध रूपों से परिचित करवाती है।

तेजेन्द्र जी की यह खासियत है कि उन की कहानिया स्त्री सराकारो से संबंधित है।उन्होने स्त्री मुद्दो को बडी मासूमियत से अपनी कहानियो मे उठाया है। और आशा है कि वे आगे भी उठाते रहेगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पॉल नीना, हिंदी की वैश्विक कहानिया प्र.स. 150
2. वही प्र.स. 94
3. शर्मा तेजेन्द्र, देह की कीमत प्र.स. 42
4. पॉल नीना,हिंदी की वैश्विक कहानिया प्र.स. 92
5. शर्मा तेजेन्द्र, स्मुतियो के घेरे प्र.स. 256
6. पॉल नीना, हिंदी की वैश्विक कहानिया प्र.स. 93
7. वही प्र.स. 95
8. शर्मा तेजेन्द्र, बेघर आँखे प्र.स. 82
9. शर्मा तेजेन्द्र, सपने मरते नही प्र.स. 36
10. पॉल नीना, हिंदी की वैश्विक कहानिया प्र.स. 107
11. डॉ. कमलेश कुमारी प्रवासी कथाकार तेजेन्द्र शर्मा मुद्दे और चुनौतिया प्र.स. 40

****

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उज्जैन जिले की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव

डॉ. बी. एस. मक्कड़* उदयसिंह चौहान**

प्रस्तावना – उज्जैन जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा में पहुँच बढ़ाने और इसमें सुधार करने में कामयाब हुई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से सभी शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए निर्धारित मानकों का निर्धारण करके, महिला-पुरूष, सामाजिक-आर्थिक भेदभाव और नि:शक्तता की बांधा को हटाने में सफलता हासिल की है। वर्ष 2017 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में उन्नति प्रदान करने और माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करके कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए नामांकन बढ़ाने की परिकल्पना की गई थी वह अब सिद्ध हो रही है। उज्जैन जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् विद्यालयों में आई.सी.टी., बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर नि:शक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत समावेश कर दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इन योजनाओं के प्रावधानों का प्रशासनिक, सुव्यवस्थिकरण और महत्वपूर्ण वित्तीय बचत हुई है। एक तरफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त फण्ड की उपलिब्ध भी बढ़ी और दूसरी तरफ इन योजनाओं के तहत किए गए हस्तक्षेप, सहायता प्राप्त स्कूलों तक पहुँचे जिसमें उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को भी शामिल किया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक क्षेत्र के समावेश से इस योजना का कार्यान्वयन भी सफलतापूर्वक हुआ है।

उज्जैन जिले में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी विषयों के लिए एक दिवसीय, दो दिवसीय, तीन दिवसीय या पाँच दिवसीय सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। इन विषयों में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, कम्प्यूटर्स आदि प्रमुख है। प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षा स्तर के गुणवत्ता को सुधार कर छात्र/छात्राओं को नवीन शिक्षा पद्धति से अवगत कराना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के इस सफलता के कारण ही उज्जैन जिले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई जो कि निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट की गई है-

उज्जैन जिले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या

(वर्ष 2009-10 से 2014-15की स्थिति में)

वर्ष	प्राथमिक शालाएँ	माध्यमिक शालाएँ	हाई स्कूल	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	शासकीय महा विद्यालय	अन्य व्यवसा-यिक शैक्षणिक संस्थाएँ
2009-10	1,602	968	151	124	15	25
2010-11	1,611	968	157	152	15	25
2011-12	1,620	1,110	162	162	15	26
2012-13	1,689	1,267	164	171	15	26
2013-14	1,788	1,642	172	184	15	27
2014-15	1,827	1,687	197	187	15	27

स्त्रोत :- जिला सांख्यिकी कार्यालय, उज्जैन

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009-10 में उज्जैन जिले में प्राथमिक शालाओं की संख्या 1,602 थी जो वर्ष 2010-11 में इनकी संख्या अधिक होकर 1,611हो गई। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में वृद्धि होकर प्राथमिक शालाओं की संख्या 1,620 हो गई। वर्ष 2012-13 में इन शालाओं की संख्या अधिक होकर 1,689हो गई और वर्ष 2013-14 में प्राथमिक शालाओं की संख्या बढ़कर 1,788 हो गई। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में प्राथमिक शालाओं की संख्या बढ़कर 1,827 हो गई है। प्राथमिक शालाओं में अधिकता का कारण मध्यप्रदेश में शासकीय विभिन्न योजनाएँ लागू होना है जैसे शिक्षा ग्यारन्टी योजना, पढ़ना-बढ़ना योजना, शंखनाद योजना, सर्व शिक्षा योजना, ब्रिज कोर्स तथा स्कूल चले हम अभियान आदि प्रमुख है।उज्जैन जिले में माध्यमिक शालाओं की संख्या वर्ष 2009-10 में 968 थी। यह संख्या बढ़कर वर्ष 2014-15 में 1,687 हो गई। इसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होना है। इस वृद्धि का एक मुख्य कारण यह भी है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लागू होना है। उज्जैन जिले में माध्यमिक

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग, शासकीय महाविद्यालय, सांवेर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शालाओं की संख्या में वृद्धि होना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की सफलता दर्शाता है।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दिए जाने वाले लाभ, वर्तमान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रावधानों के मुख्य घटकों के निषेध और अन्य योजनाओं के तहत वर्तमान हस्तक्षेपों तक सीमित हुए है। उज्जैन जिले स्तर पर अभिशरण से एकीकृत और समावेशी (सहायता प्राप्त स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों) योजना बनायी गई है तथा उन योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. विवेकानन्द झा – भारत में शिक्षा व्यवस्था
2. सरोज कुमार वर्मा – शिक्षा में संशोधन नहीं परिवर्तन चाहिए
3. सर्वशिक्षा अभियान
4. योजना पत्रिका
5. म.प्र. का शैक्षणिक विकास स्तर
6. www.rmsa.com

****

उज्जैन जिले में महिला स्वयं सहायता समूह का विश्लेषणात्मक अध्ययन

चाँदनी जायसवाल*

शोध सारांश – महिला स्वसहायता समूह समान स्तर की 10 से 20 महिलाओं का समूह है जिसके सदस्य स्वेच्छा से इसकी सदस्यता प्राप्त कर पारस्परिक सहयोग व एकता जैसे सिद्धान्तों के आधार पर बचत करके आर्थिक क्रियाएँ कर सकते है। अत: प्रस्तुत शोध पत्र महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली का अध्ययन है जो कि साक्षात्कार तथा अवलोकन पर आधारित होगा।

शब्द कुंजी – स्वयं सहायता समूह, एस.एच.जी.।

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था, मूलत: ग्रामीण व कृषि प्रधान है। देश के सर्वांगीण आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में 'ग्रामीण विकास' का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत भाग, करीब 5.5 लाख गाँवों में निवास करता है और लगभग 70 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है।

वर्तमान में देश में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है तथा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है। आज अधिकाधिक महिलाएँ विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत होती जा रही है एवं उनके उपयुक्त नियोजन अवसरों में भी वृद्धि हो रही है।

महिलाओं के दोहरे कर्तव्य – कुछ समय पहले यह माना जाता था कि भारतीय नारी का स्थान घर में है। अब भी हमारे देश में अधिकांश महिलाओं की आजीविका केवल विवाह है जिससे घर और बच्चों की देखभाल ही उनका पूर्णकालिका व्यवसाय होता है। भारतीय नारी अपने घर से बाहर तभी कोई काम करती है जब उसे ऐसा करने के लिए परिस्थितियाँ मजबूर कर देती है। जीवननिर्वाह के बढ़ते हुए मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक जीवन के नए परिवेश, जीवन की आवश्यकताओं के निरन्तर बढ़ते क्षेत्र के परिणामस्वरूप अधिक महिलाएँ, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, रोजगार ढूँढने के लिए मजबूर हो जाती है। लड़कियों की विवाह योग्य अवस्था के बढ़ जाने से, परिवार नियोजन के प्रचार से, परिवार छोटे हो जाने से और जीवन डोर लम्बी हो जाने से अधिक से अधिक महिलाओं के सामने अपना खाली समय लाभदायक तरीके से उपयोग में लाने की जरूरत पड़ती है। विशेषकर जब बच्चे बड़े हो जाए और घर पर उनकी देखभाल की अधिक आवश्यकता न हो। महिलाओं ने कार्य के प्रति लगाव और जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से भी कार्य करना आरम्भ कर दिया है। यह उचित भी है कि वे न केवल अपनी शैक्षिक योग्यता का पूरा लाभ उठाएं बल्कि जो उन्होंने सीखा है उसका श्रेष्ठ प्रतिदान समाज को दे। पुरूषों के साथ-साथ प्रत्येक महिला को भी अपनी अभिरूचि और अभिलाषा के अनुसार अपना व्यवसाय पाने का अवसर मिलना चाहिए।

उज्जैन जिले का परिचय – उज्जैन जिला राजस्व संभाव का मुख्यालय है। प्रशासनिक दृष्टि से उज्जैन जिले को सात तहसीलों में बांटा गया है जो है – उज्जैन, घटिया, तराना, महिदपुर, बड़नगर, खाचरौद एवं नागदा। जिले में कुल 1101 ग्राम है जिसमें 1088 ग्राम आबाद है। जिले में महिला स्वसहायता समूह सरकारी, गैर-सरकारी संगठन, बैंक के द्वारा गठित किए जाते है। जिले में वर्तमान में विभिन्न स्वसहायता समूह कोरोना से लड़ने में अपनी भूमिका निभा रहे है।

इन समूहों से जुड़ी महिलाएँ घर के कामकाज के साथ कोरोना वॉरियर्स तथा आमजन के लिए मास्क व पीपीई कीट बना रही है। इससे जहाँ मास्क और पीपीई किट की पर्याप्त संख्या में आपूर्ति हो रही है, वही दूसरी ओर समूह की महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। उज्जैन जिले में विभिन्न स्वसहायता समूहों द्वारा अब तक 1,74,765 मास्क और 6334 पीपीई किट निर्मित किए जा चुके है।

उज्जैन जिले में ग्रामीण क्षेत्र के एन.आर.एल.एम. योजना के महिला स्व सहायता समूह की संख्या अब तक 2656 तथा उनके सदस्यों की संख्या 29381 है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला स्व सहायता समूह –

क्रमांक	विकासखण्ड	समूह संख्या	कुल सदस्य
1.	बड़नगर	411	4460
2.	घटिया	395	4331
3.	खाचरौद	427	5113
4.	महिदपुर	351	3969
5.	तराना	596	6376
6.	उज्जैन	476	5132
	कुल	**2656**	**29381**

महिला स्व सहायता समूह के लाभ – समूह बनाने से समूह के सदस्य के साथ-साथ, समूह बनाने वाली संस्था तथा समूह का गठन करने वाले बैंक को भी लाभ होता है।

सदस्यों को लाभ :

1. आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का निराकरण
2. जीवन स्तर में सुधार
3. प्रति सदस्य आय में वृद्धि

* शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

4. आय सर्जक गतिविधियों का विकास
5. विभिन्न विकास कार्यक्रमों का लाभ
6. सशक्तिकरण

संस्था को लाभ :

1. बैंकों द्वारा निर्धनों के बीच सेतु के रूप में उभरना
2. विकासात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन
3. क्रेडिट प्लस दृष्टिकोण द्वारा निर्धनों तक पहुँच चढ़ाना
4. सामाजिक, आर्थिक परिवर्तनों के लिए साधन के रूप में मान्यता।

बैंकों को लाभ :

1. प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति।
2. लेनदेन लागत की कमी।
3. औपचारिक कागजी कार्यवाही में कमी।

कमियाँ – आज बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिससे भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व जुड़ा रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत सहित विश्व के सभी देशों में बेरोजगारी की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। जिसके कारण समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है जिसमें स्वरोजगार योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

देश के युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही है। इन योजनाओं से जहाँ एक ओर शिक्षित बेरोजगारी का निराकरण होगा वहीं दूसरी ओर देश का औद्योगिक व संतुलित आर्थिक विकास भी संभव होगा। पिछले छ: दशकों में पंचवर्षीय योजनाओं, समग्र विकास आधारित नीतियों, कार्यक्रमों के द्वारा आमजन को रोजगार, आय अर्जन क्षमता में वृद्धि करने व सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिसके सुखद परिणाम आते दिख रहे है। लेकिन फिर भी शासन के यह प्रयास कितने सार्थक सिद्ध हो रहे है? योजनाओं का लाभ संबंधित लोगों को मिल रहा है या नहीं यह जानना अत्यावश्यक है।

उज्जैन जिले में संचालित महिला स्व सहायता समूह की आर्थिक सामाजिक स्थिति, कार्यप्रणाली एवं प्रभावशीलता का अध्ययन करने के उद्देश्य से ही शोध कार्य शोधार्थी द्वारा किया गया है। योजनान्तर्गत लाभांवित हितग्राहियों व योजना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से भरवाई गयी प्रश्नावलियों एवं अनुसूचियों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर इस योजना में जो कमियाँ पाई गई है वे इस प्रकार है –

1. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को ऋण वितरित हो जाने के पश्चात् उसके द्वारा स्थापित इकाईयों के संचालन पर किसी भी शासकीय विभाग या संबंधित एजेंसी के माध्यम से निगरानी उचित तरीके से नहीं की जाती है। जो शासन द्वारा संचालित इस योजना के सफल संचालन के प्रति संबंधित विभाग या एजेंसी की उदासीनता को प्रदर्शित करता है जिसका प्रतिकूल प्रभाव हितग्राहियों की मानसिकता पर पड़ता है, इससे उनकी कार्यक्षमता दृढ़ निश्चय और कार्य के प्रति समर्पण की भावना प्रभावित होती है।
2. सर्वेक्षित हितग्राहियों के अनुसार योजनान्तर्गत ऋण वितरण की प्रक्रिया बहुत लम्बी है जिसमें न्यूनतम 6 माह से 18 माह तक का समय लगता है, जिसके कारण हितग्राही मानसिक रूप से टूट जाता है। साथ ही ऋण वितरण में लगने वाला इतना अधिक समय उसके रोजगार पाने के उत्साह को भी काम कर देता है।
3. योजनान्तर्गत लाभान्वित ऐसे हितग्राही जो अपने ऋणों का पुनर्भुगतान कर चुके है उन्हें पुन: इस योजना में ऋण प्रदाय नहीं किया जाता है।
4. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को प्रदाय किये गए ऋणों पर ब्याज दरें कृषि कार्य हेतु प्रदाय किये जाने वाले ऋणों की अपेक्षा अधिक है।
5. योजनान्तर्गत ब्याज दर अधिक होने से हितग्राही अपनी आय का एक बड़ा भाग ब्याज के रूप में बैंकों को देता रहता है, जो उसके आर्थिक विकास में बहुत ही बड़ी बाधा है।

निष्कर्ष – महिलाएँ किसी भी मानवीय संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्थिक विकास की समूची अवधारणा तब तक अपूर्ण है जब तक महिलाओं की भागीदारी का मूल्यांकन नहीं किया जाता, महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से समाज की गुणवत्ता तथा विकासदर में वृद्धि की जा सकती है। ग्रामीण महिलाएँ स्वीकार करती है कि योजना के तहत महिला होने के कारण उन्हें कार्य मिलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वजह से महिला एस.एच.जी. की सदस्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इस योजना की वजह से महिलाएँ कुछ सीमा तक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई है जिससे उनकी आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। महिलाओं का एस.एच.सी. में जुड़ने से सम्मान भी बड़ा है और वे आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। महिलाएँ अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी तो उनका समग्र विकास होगा, उनमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। वे जीवन के गुणवत्ता संबंधी तत्वों पर ध्यान देकर आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, ऐसे में एन.आर.एल.एम. योजना महिलाओं के लिए सफल जरिया साबित हो रही है। इस योजना के द्वारा महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। वह परिवार के निर्णयों में भागीदारी करने लगी है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं के निदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिला स्व सहायता समूह, ग्रामीण व शहरी महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में भी अहम् भूमिका निभा रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्रा सरस्वती, भारतीय स्त्रियों की परिस्थिति, शारदा पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, वर्ष : 1996
2. जिलापंचायत, उज्जैन (2009) 'स्वसहायता समूह (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना)' मार्गदर्शिका
3. श्रीवास्तव रजना (2010) : महिलाओं की स्थिति एवं विकास, योजना, जुलाई, पृ.क्र. 6
4. विष्णुदत्ता शर्मा , महिलाओं के लिए व्यवसाय अध्ययन केन्द्र, केन्द्रीय नियोजन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, पूसा नई दिल्ली
5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 'आजीविका कौशल' दिशा निर्देश सितम्बर 2013

****

मध्यप्रदेश मे राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओ का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रीति विश्वकर्मा* डॉ. सतीश कुमार गर्ग **

प्रस्तावना – भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ सभी धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग एवं जाति के लोग निवास करते हैं। सैद्धांतिक रूप में सभी वर्गो को समानता का अधिकार प्राप्त है किन्तु वास्तविकता यह है कि भारतीय समाज में आज भी कुछ निम्न वर्ग की जातियाँ हजारों वर्षो से अपने अधिकारों से वंचित रहीं और समाज में भी उन्हें वो समानता प्राप्त नहीं हुई। इन्हीं विभिन्न कारणों से इन जातियों को समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है और ये समाज में पिछड़ती ही चली गई। ब्रिटिशकाल में इन जातियों को पहचान कर,इनकी एक सूची तैयार कर और इनके विकास एवं समानता के लिये कुछ अधिकार प्रदान किये गये। 'शेड्यूल्ड कास्ट' शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1935 के दौरान हुआ। अनुसूचित जाति अध्यादेश 1950 के अनुसार अनुसूचित जाति सूची में जातियों की संख्या 1108 थी। हमारे समाज में अनुसूचित जातियों को प्राय: अछूत एवं अस्पृश्य माना जाता था और इसमें मलमूत्र सफाई, मरे हुये जानवरों का चमड़ा निकालने का काम आदि निम्न एवं घृणित कार्य करवाए जाते थे, इसी कारण इन वर्गो की समाज में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय थी। स्वतंत्रता के उपरांत केन्द्र सरकार द्वारा देश के विकास एवं उन्नति के लिये कई आर्थिक नीतियाँ अनुसूचित जातियों की स्थितियों को सुधारने हेतु विभिन्न विकास के कार्यक्रम बनाए गये। अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने एवं इन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु 28 मार्च 1979 में म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का गठन हुआ था। इसका पंजीयन म.प्र. सहकारी अधिनिमय 1960 के अंतर्गत किया गया। यह निगम अनुसूचित जाति के लिये स्वरोजगार योजनाएँ संचालित कर रहा है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा जिला स्तर पर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अनुसूचित जाति के लिये संचालित इन कल्याणकारी एवं स्वरोजगार उन्मुखी योजनाओं का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया गया। जिससे इनके विकास के लिये ही इस वर्ग का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हो और देश के सम्पूर्ण विकास में इनकी भी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – अनुसूचित जाति वास्तव में जातियों की एक ऐसी संवैधानिक सूची हैं। जिनमें उन जातियों को शामिल किया गया है जो एक समय अतिशूद्र, बहिस्कृत समाज, अछूत, हरिजन एवं दलित कहे जाते हैं। इन जातियों को अनुसूचित करने का उद्देश्य समाज में इनका सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास करना है। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति को अनुच्छेद 366(24) में परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति का अर्थ ऐसी जातियों, जनजातियों से है जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार म.प्र. में अनुसूचित जाति की संख्या कुल जनसंख्या की 15.6 प्रतिशत है। वर्तमान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत 48 जातियाँ आती हैं। इस शोध का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के द्वारा लाभान्वित लाभार्थियों के आर्थिक स्थिति एवं जीवन की मौलिक समस्याओं का अध्ययन करना है। अनुसूचित जाति के लिये म.प्र. सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत म प्र. शासन अनुसूचित जाति कल्याण 'राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम' भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक विकास हेतु योजनाएँ प्रायोजित की गई हैं, जिनका जिला स्तर पर 'जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सतना म.प्र.' के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित संस्था का गठन सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत (पंजीयन क्रमांक 624) दिनांक 13 मई 1982 को किया गया।

इस समिति के गठन का उद्देश्य जिले के अनुसूचित जाति के कमजोर वर्गो के लिये रोजगार मूलक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है, जिससे उन्हें बेहतर आजीविका अर्जित करने में सहायता प्राप्त हो सके एवं स्वरोजगार के द्वारा ये वर्ग भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। समिति द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण एवं अनुदान आदि की सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएँ निम्न है :-

- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
- सावित्रीबाई फूले स्वसहायता समूह
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना – 'म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम' द्वारा संचालित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना 1 अगस्त को शुरु की गई। इस योजना का उद्देश्य हैं, कि हितग्राहियो को कम समय मे उपकरण एवम कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जाएगी , योजना का लाभ नवीन उद्योगों/व्यवसाय आदि की स्थापना हेतु देय होगा एवम

* शोधार्थी (वाणिज्य) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविधालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविधालय, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) भारत

अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं को चिन्हित कर समाधान किया जा सकेगा।

वित्तीय सहायता के प्रावधान एवं योजना की आहर्ता :

- परियोजना लागत – अधिकतम 50000 रू. ।
- आयु – 18 से 55 वर्ष।
- आय श्रेणी – बी. पी. एल. ।
- वित्तीय सहायता – मार्जिन मनी – परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपए 15000/–।

योजना की कार्यप्रणाली – मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित भोपाल है तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से योजना का संचालन किया जाता है। योजना के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट मे किया जाता है, तथा तदनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यो का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जाता है

पात्रता – योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा अर्थात योजना का लाभ म.प्र. की सीमा के अंतर्गत स्थापित उधमों को देय होगा।

आवेदनकर्ता :

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलग्न करना आवश्यक है।
- आवेदन दिनांक को 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता अथवा अशोधी नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उधमी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो वह इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।
- योजना का लाभ उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगा।

आवेदन प्रक्रिया –आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मे आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किए जायेंगे। आवेदन पत्र नि:शुल्क उपलब्ध होंगे। सभी प्राप्त आवेदन पंजीबद्ध किए जायेंगे।

निष्कर्ष– मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा एवं निर्धारित आय सीमा के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास करना , रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना हैं और इनके विकास के लिए ही निगम के अंतर्गत इन विभिन्न योजनाओ का सफल संचालन प्रदेश मे किया जा रहा है। निगम की योजनाओ के द्वारा आज हितग्राहियो को उनके व्यवसाय के लिए उचित एवं आवश्यकता के अनुसार कम ब्याज मे ऋण और वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है, जिसके कारण इन वर्गो के जीवन स्तर मे सुधार हो रहा है और साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति भी सुद्रढ हो रही है। अत: निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है की अनुसूचित जातियो के विकास के लिए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, सतना मध्यप्रदेश।
2. त्रिपाठी एस.एल, म.प्र. की आदिम तथा अनुसूचित प्रजातियाँ।
3. जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, सतना (म.प्र.)।
4. जिला विकास पुस्तिका, जिला सतना (म.प्र.)।
5. समाचार एवं पत्र पत्रिकाएं।

****

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली–गरीबों की जीवन आधार

डॉ. ए.के. पाण्डेय* हर्षिता श्रीवास्तव**

प्रस्तावना – वर्तमान में संपूर्ण विश्व के अधिकांश देशों के सामने मांग की तुलना में खाद्यानों की पूर्ति पर्याप्त नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल खाद्यान्न की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है अपितु जनमानस को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की समस्या आ रही है। आज विश्व के अधिकांश देशों में लोक कल्याणकारी सरकारे है जिसकी वजह से उन्हें जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाऍं बनानी पड़ती है इन योजनाओं में खाद्यान्न से जुड़ी योजनाओं का बड़ा महत्व है क्योंकि मनुष्य की तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से रोटी का महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली – खाद्य समस्या एवं बढ़ती हुई कीमतों की रोकथाम के लिए भारत में खाद्य नीति एवं खाद्य व्यवस्था में सरकार की सक्रिय भागीदार की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली सन् 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें 15 लाख लोग भूंख से तड़प–तड़प कर मर गये, तब भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसका उद्देश्य गरीबों को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुऍं उपलब्ध कराना है। ताकि उन्हें इनकी बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव से बचाया जा सके।

समस्या – जहां एक तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक उपयुक्त पाई गई है। वहीं दूसरी तरफ इस प्रणाली में बहुत सी समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या यह उत्पन्न हो रही है। इसका लाभ जो गरीब परिवार है उनके तक न पहुंचकर अन्य लोगों के पास जो कि परिपूर्ण रूप से सक्षम है और वे लोग इस सार्वजनिक वितरण का लाभ प्राप्त करके और जिन्हे इसका लाभ प्राप्त हो वे इस सार्वजनिक वितरण से प्रणाली से वंचित रहते हैं।

समाधान – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समाधान के लिए सरकार के द्धारा कड़े कदम उठाने चाहिए– जैसे कि कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वस्तुओं की कीमतों में उछाल का प्रमुख कारण है, क्योंकि सरकार के द्धारा खाद्यान्न की बड़ी खरीद खुले बाजार में इसकी उपलब्धता को कम कर देती है इस प्रणाली के लाभो का वितरण देश मे समरूप नही इसमें क्षेत्रीय विषमताऍं विधमान है।

निष्कर्ष – प्रस्तावित अध्ययन के द्धारा इस निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व के अधिकांश देशों के सामने मांग की तुलना में खाद्यानों की पूर्ति पर्याप्त नही है जिसके परिणामस्वरुप न केवल खाद्यान्न की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। अपितु जनमानस को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने की समस्या आ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर आवश्यक उपभोग वस्तुऍं उपलब्ध कराना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. गुप्ता शिवभूषण, कृषि अर्थशास्त्र एस बी.पी.डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा (उत्तार प्रदेश) 2010
2. राय एल.एल., भारतीय अर्थशास्त्र ज्ञानदा प्रकाशन, पटना, बिहार 1995
3. डॉ. सुदामा भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याऍं एवं नीतियॉं राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1994
4. सेन अमर्त्य, आर्थिक विकास और स्वतंत्र, राजपाल एंड संस, दिल्ली 2014
5. भारत संदर्भ ग्रंथ भारत सरकार 2018

* शोध निर्देशक, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

सिंगल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ.के.एल. टाण्डेकर* श्री भरत राम सिवारे** श्री नितेश कुमार तिरपुडे ***

प्रस्तावना – प्लासटिक उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्तवपूर्ण उद्योग है क्योंकि प्लासटिक का उपयोग न सिर्फ घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुऍ बनाने में किया जाता है, बल्कि गाडियॉ, हवाई जहाज, कृषि उपकरण, जल प्रबंधन की मशीनो एवं उपकरण दूरसंचार के उपकरणो इत्यादि में भी प्लासटिक का उपयोग किया जाता है हालाकि वर्तमान में भारतीय उद्योग जो सबसे बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे है वह यह है कि प्लासटिक का पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है लेकिन इस समस्या के निदान हेतु प्लासटिक को दुबारा उपयोग में लाने हेतु तैयार किया जा रहा है।

प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए जो तथ्य दिए गये थे उसमें कहा जाता था कि प्लास्टिक सस्ती चीज है यह वजन में हल्की होती है मुडने तोड़ने में आसान है वाटर प्रुफ है साथ ही यह सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है इस कारण रसायन शास्त्रियो ने इसके भारी मात्रा में बनाने के तरीके खोज निकालते है। कॉच, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, जुट, कागज एवं कपडे आदि से निर्मित वस्तुओ के मुकाबले प्लास्टिक में चमक दमक होना, टिकाउपन रखरखाव आसान होना आदि के कारण इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है।

सिंथेटिक फाईबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमार है, जब रायायनिक पदार्थो के छोटे–छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते है तो वह पॉलीमार कहलाता है। इससे कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते है और जो ज्यादातर ओलेपिन जैसे पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते है। ये पॉलीमर प्राकृतिक भी होते है जैसे कोंटन, सिल्क आदि, ये कृत्रिम भी होते है जैसे सिंथेटिक, फाइबर यानी नाईलॉन पालिस्टर, रेयान, एक्रेलिक आदि थर्मोप्लास्टिक गर्म होने पर भी अपना आकार नही बदलते इसके अलावा उन्हे वायोडिग्रेडेबल इंजीनियर और इलास्टोलमेट प्लास्टिक के रूप मे भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

सिंगल यूज प्लास्टिक आशय/उत्पादन, उपयोग, वर्गीकरण – सिंगल यूज प्लास्टिक वह है जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जाए इसमें प्लास्टिक की थैलिया, प्लेट , गलास, चम्मच बोतले, स्ट्रा, खाद्य पैकिंग आइटम और थर्माकोल शामिल है इनका एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है चालीस (माइक्रोमीटर) या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते है इस प्लास्टिक में पाए जाने वाले केमिकल पर्यावरण के साथ ही लोगो के लिए घातक है। ये दोबारा इसतेमाल करने के लायक नही होते है इसलिए एक बार उपयोग के बाद इन्हे फेंक दिया जाता है। आधी से ज्यादा प्लास्टिक प्रेट्रोलियम आधारित होती है जिनके उत्पादन पर कम लागत आती है इसी वजह से रोजाना व्यापार एवं कारोबार में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। उत्पादन पर खर्च भले ही कम हो किंतु फेके गए प्लास्टिक के कचरे उनकी सफाई उपचार पर अधिक खर्च करना होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर हम सोचते है कि इस कूडे से हमारा पीछा छूट गया लेकिन यह गलत धारणा है प्लास्टिक हमारा पीछा नही छोडता। ये प्लास्टिक के टुकडे जमीन के अंदर दबाकर नष्ट करने की कोषिष की जाती है तो यह नष्ट होने के बजाए छोटे–छोटे टुकडो में बट जाता है और विषैला रसायन पैदा कर भूमि की उर्वरक क्षमता को भी नुकसान पहुँचाता है।

पालीथीन (प्लास्टिक) को आज हम जिस रूप में देखते है इसकी खोज 27 मार्च 1933 को हुई थी इसे बनाने वाले एरिक फासेट और रेजिनाल्ड गिब्सन थे जो तब यह नही जानते थे कि उनकी यह खोज मानवता का कल्याण करने की बजाऍ पर्यावरण के लिए बडी चुनौती बन जाएगी, धीरि–धीरि इसका प्रचलन सफलतापूर्वक पूरे विश्व बाजार में बढ गया जिनसे अपनी एक जगह बना ली है। आधुनिक हल्के वजन के शापिंग बैग का अविष्कार स्वीडीस इंजिनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन को माना जाता है। 1960 के दषक की शुरूआत में उन्होने प्लास्टिक के प्लेट ट्यूब को फोल्ड बेल्ड और हाइटेक के जरिए एक पीस का बैग बनाया गया था।

प्लास्टिक का उपयोग अनेक उद्योगो में उपकरणो, कंस्ट्रक्शन, फर्निचर, आटोमोबाईल, घरेलु वस्तुऍ, कृषि बागवानी, सिंचाई पैकेजिंग, चिकित्सकीय उपकरण, बिजली उपकरणो को बनाने में किया जाता है विश्व में लगभग सभी मनुष्यो द्वारा किसी न किसी रूप में प्लासटिक का उपयोग किया जाता है यह उद्योग प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है भारत में प्रति व्यक्ति द्वारा लगभग 9.7 किलो प्लासटिक का उपयोग किया जाता है जबकि विकसित देश अमेरिका में 109 येरोप में 65 चीन में 45 और ब्राजील में 32 किलो प्लासटिक का उपयोग किया जाता है अनियोजित प्लासटिक कचरा में वैश्विक हिस्सेदारी इस प्रकार है – चीन 25.8 प्रतिशत, इण्डोनेशिया 10.7 प्रतिशत, फिलिपींस 7.4 प्रतिशत, वियतनाम 6.0 प्रतिशत और भारत 4.8 प्रतिशत।

केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 56 लाख टन प्लासटिक कचरा निकलता है 9205 टन प्लासटिक रिसाईकिल किया जाता है और 6137 टन प्लासटिक हर साल फेंक दिया जाता है मेट्रो शहरो में हर रोज फेकी जाने वाली पालीथीन इस प्रकार है दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में

* प्राचार्य, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) भारत
** सहायक प्राध्यापक, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़ (छ.ग.) भारत
*** ग्रंथपाल, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोगरगढ़ (छ.ग.) भारत

429 टन, कोलकाता में 426 टन, मुम्बई में 408 टन। एक अनुमान के अनुसार आने वाले 2050 में प्लासटिक का वैश्विक उत्पादन दुगना हो जाएगा। यह दर्शाता है कि हमारे देश में प्लासटिक उद्योग के क्षेत्र में व्यवसायिक संभावना बहुत अधिक है।

भारत मे हर दिन 25940 टन कि.ग्राम प्लास्टिक का उत्पदान होता है जिसमें से एक दिन में 10300 टन एकत्र नही किया जाता है मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई,और कोलकाता जैसे बडे शहरो में प्लास्टिक कचरे के सबसे बडे उत्पादक है प्लास्टिक कचरा एक वैश्विक समस्या है 6.3 बिलियन टन प्लास्टिक कचरा विश्व स्तर पर जमा हुआ है जिसमे से 79 प्रतिशत प्लास्टिक लैंडफिल और प्राकृतिक वातावरण मे जमा होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत सबसे अधिक है यानी 109 कि.ग्राम. दूसरा नंबर चीन का है जहाँ प्रति व्यक्ति 38 कि.ग्राम प्लास्टिक उपयोग होता है तीसरे स्थान पर भारत का है जहॉ 11 कि.ग्राम प्लास्टिक का उपयोग प्रति व्यक्ति करता है। भारत में सिक्किम राज्य अवशिष्ट प्रबधन में अग्रणी है यहॉ सबसे कम प्लास्टिक का उपयोग होता है कई राज्यो को सिक्किम का अनुसरण करना चाहिए प्लास्टिक उच्च धनत्व वाले पॉलीथीन के पॉलीमार से बनाया जाता है जिसमे (एच.डी.पी.ई.) कम धनत्व वाली पालीथीन (एल.डी.पी.ई.) पॉलीइथीलीन टरेफथरलेट (पी.ई.टी) पाली सटीरीन (पी.एस.) पालीप्रोपाइली (पीपी) या विस्तारित पाली स्टाइनिन (ईपीएस) एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण करता है। यूरोपीय संघ के अनुसार एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का वर्गीकरण निम्नतालिका द्वारा दर्षाया गया है।

प्लास्टिक का प्रकार	**में उपयोग प्रतिशत**	**सामान्य उपयोग**
पी.एस. और ई.पी. एस	6.7	पी.एस. चेश्मा फ्रेम , प्लास्टिक कप, अंडा ट्रे पी.एस.ई. – पैकेजिंग और विविडंम इंसुलेशन
पालतु पशु	7.4	पनी, शीतल पेयजल और क्लीनर के लिए बोतले
पालीयुरेथन	7.5	भवन के इन्सुलेशन तकिए गद्दे, फिस के लिए इन्सुलेटफोम
पॉलीविनाइल क्लोराईड	10	खिडकी के फ्रेम, फोफाईल फर्श, और दीवार को कवर, पाइप, केबल इन्सुलेटर, उद्यान, हाउसेसे, और इंम्फलेटेबल पुल
एच.डी.पी.ई.	12.3	खिलौने ,दूध की बोतले, शैम्पू की बोतले, पाईप और घ के बर्तन
एल.डी.पी.ई. रैखिक	17.5	एल.डी.पी.ई. पुन: प्रयोज्य बैग ट्रे, और कंटेनर, और कृषिएल.डी.पी.ई. फूड पैकेजिंग
एल.डी.पी. ई.पी.पी.	19.3	फूड पैकेजिंग , स्वीटस, और स्नेक रैचर, हिंगेडढ कैप, माइक्रोवेव, प्रुफ केटेनर, पाइप आयमोटिव पाइप और बैंक नोट
अन्य	19.3	हब कैप आपिटकल फाइबर, चेश्मा लैंस, छत शीट, टच स्क्रीन, दूरसंचार, चिकित्सा, प्रत्यारोपण, और सर्जिकल उपकरणो, केबल कोटिंग

स्त्रोत – प्लास्टिक यूरोप मार्केट रिसर्च ग्रुप और अपांतरण मार्केट GMBH

एकल उपयोग प्लास्टिक सुपर, सस्ते, सुविधा जनक और आसानी से उपलब्ध है स्वास्थ्य सेवा जैसे कुछ क्षेत्रों में ये अपूरणीय है लेकिन डणझ वस्तुओ पर निर्भरता की सुविधा के कारण पर्यावरण समाज, अर्थशास्त्र, भोजन और स्वास्थ्य पर इसके कई गुना परिणाम हुए है विश्व के लोग नलो से आ रहे पानी के साथ प्लास्टिक के सूक्ष्म कण (प्लास्टिक फाईबर) पी रहे है। पॉच महाद्वीपो के 12 से ज्यादा देशो के पानी क नमूनो में से 83 प्रतिशत में प्लास्टिक के कण मिले है सिंथेटिकद पदार्थो के जलने की प्रक्रिया काफी धीमे होती है ओर ये आसानी से पूरी तरह जलते भी नही है प्लास्टिक से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है इससे नदियो के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है टाक्सिक लिंक में 2 से अधिक नदियो का आकलन किया था उनके अनुसार विश्व की प्रमुख नदिया कुल 1404200 टन प्लास्टिक कचरे का बोझ सहन कर रही है। भारत की गंगा दूसरे नंबर पर है, चीन की सांग्त्ये नदी, 25 टन मिलियन कचरा से युक्त है समुद्री कचरा यांग्त्ये, गंगा, सिंधु, येलो, पर्ल,एमर, मिकांक नाइल नाइजर जैसी नदिया प्रभावित है इकोनामिक फोरम की रिपोर्ट अनुसार प्रतिवर्ष 80 किलो टन कचरा समुद्रो से मिल रहा है समुद्रं में करीब 60 प्रतिशत प्लास्टिक विश्व के पॉच देशो चीन,इंडोनेशिया, फिलिपिंस, थाईलैण्ड ओर वियतनाम गिराते है। इन कचरो से 11 लाख से अधिक जीव जंतु दम तोड रहे है नाली एवं सीवर जाम होने से बडे–'बडे शहरो में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ का विकराल रूप देखा जा सकता है। प्लास्टिक के कारण वायुमण्डल में भी चक्रीय प्रक्रिया के कारण उच्च ताप पर गर्म तरलीय गैस पदार्थ का उत्सर्जन हो रहा है विशाक्त जहरील पदार्थो से भूतिगत जल भी जहरीला हो रहा है प्लास्टिक में पाए जाने वाले टाक्सिक केमिकल हमारे पीने योग्य पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहे है।'

एकल यूज प्लास्टिक का स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रभाव – सिंगल सूज प्लास्टिक मनुष्य, जानवर और समुद्री जीवो के लिए बहुत हानिकारक है जल निकायो या समुद्रो में रहने वाले जीवजंतु भोजन के लिए इनका एवं इनको कणो का उपयोग करते है प्लास्टिक को पचाया नही जा सकता यह जीव जंतुओ के आंतो में फसकर गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या को उत्पन्न करता है प्लास्टिक की थैलियो के उत्पदान के समय इसमे से विशाक्त पदार्थ निकलता है जो इनके उत्पादन में लगे लोगो को गंभीर बीमारी के चपेट में ले सकता है। बढते प्रदूषणो के मुख्य कारणो में प्लास्टिक भी एक कारण है यह मानव में हई गंभीर रोगो का उत्पन्न करता है इन प्लास्टिको अंदर जो रसायन होते है उनका पर्यारण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पडता है। इसके अंदर का केमिकल बारिस के पानी के साथ जलाशयो में जाता है। आज दुनिया भर में हर मिनट करीब 10 लाख प्लास्टिक की बोतले खरीदते है जिनका 90 प्रतिशत रिसायकल नही होता है।

विश्व मे लगभग 40 हजार करोड प्लास्टिक थैलियो का इस्तेमाल होने का अनुमान है, इसमे से मात्र 1 फीसदी थैलिया ही रिसायकलिंग होती है 5 लाख स्ट्रा, 500 अरब प्लास्टिक के प्याले हर दिन उपयोग किए जाते है। वर्ष 11 लाख समुद्री पक्षियो जानवरो की प्लास्टिक के कारण मौत होती है इसके अलावा 90 प्रतिशत पक्षियो और मछलियो के पेट में प्लास्टिक पाई गई। एक शोध के मुताबिक करीब 700 समुद्री जीव जंतु प्लास्टिक प्रदुषण से लुप्त होने की कगार पर है।

इससे सिर्फ जानवर ही प्रभावित हो रहे है ये सोचना गलत है यदि गलती से इसका सेवन करने से एक मनुष्य हर साल 70 हजार माइक्रो

प्लास्टिक का सेवन कर मर जाता है। यह प्लास्टिक कार्स्नोजिक होता है जिसमें कैंसर कारक रसायन होते है।

एकल उपयोग प्लास्टिक से जुडी समस्याओ की जॉच दो प्रकार से की जा सकती है :

1. पर्यावरण और सामाजिक
2. आर्थिक

अधिकांश प्लास्टिक बायो डिग्रेड नही करते इसके बजाय वे धीरे-धीरे माइक्रो प्लास्टिक के रूप में जाने वाले टुकडो में टुट जाते है अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्लास्टिक के बैग और केटेनर विस्तारित पॉली स्टार्यन फोम से बने होते है प्लास्टिक को मिट्टी और परनी को दूषित करने सडने में कई वर्ष लग जाते है। यह कचरा पर्यावरण में मिलकर समस्या का कारण बना जाता है जो प्रदुषण पैदा करते है शहरी बाढ को भी मुख्य कारण मे से एक माना जाता है। कैरी बैग, पाउच, गुटखा पैकेट जैसे कई प्लास्टिक आइटम जलमार्ग को रोककर प्राकृतिक आपदाओ को बढाते है। सीवरो को बंद करके मच्छरो कीटो के लिए प्रजनन को बढावा देते है। जिससे मलेरिया हैजा डेंगू अन्य फ्लू जनित बीमारियो में बढोतरी होती है। एकल प्लास्टिक का उपयोग मूबा कम होने के कारण किया जाता है। वास्तव में इन सामग्रियो को वापस इकट्ठा कर रीसायकल करने से बहुत कम आर्थिक नुकसान होगा।

वर्गीकरण	भारत में पैकेजिंग का क्षेत्रवार उपयोग	भारत में पैकेजिंग सामग्री
1 प्रसस्कुत खाना पैकेजिंग	48 प्रतिशत	1 प्लास्टिक 37 प्रतिशत
2 निजी देखभाल पैकेजिंग	27 प्रतिशत	2 कागज और बोर्ड 34 प्रतिशत
3 दवाईया	6 प्रतिशत	3 धातुओ 15 प्रतिशत
4 अन्य	19 प्रतिशत	4 अन्य 3 प्रतिशत

पालिथीन से जमीन की उर्वराशक्ति भी नष्ट हो रही है। विशेषज्ञो का मानना है कि प्लास्टिक के अपघटित होने में 1000 वर्ष से अधिक समय लग सकता हैं। मिट्टी में दबी प्लास्टिक से मिट्टी भी बहुत घातक रसायन छोडती है इस प्रदुषित मिट्टी के संपर्क में आई कोई भी वस्तु शरीर के अंदर पहुचने पर तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या पैदा कर सकती है। कई शहरी, महानगरो में अवारा पशु की भी मरने की घटनाएॅ बढ रही है इसका कारण प्लास्टिक पालिथीन का सेवन करना रहा है जानवरो के पेट से प्लास्टिक थैलिया टुटे-फटे खिलौने के टुकडे पाए गए।

सिंगल यूज प्लास्टिक समस्या-समाधान के प्रयास - हमे सिंगल सुज प्लास्टिक से होने वाली समस्याओ को समझना होगा एवं इन समस्याओ से निजात पाने के लिए इसके उपयोग को रोकना होगा यही उचित होगा की हम इसका उपयोग ही ना करे इससे हम स्वयं समाज, मानव की रखा कर सकेगें। भारत सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त करने के लिए देश भर में इसके उपयोग को रोकने के लिए मल्टी मिनिस्ट्रेरियल योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है। प्लास्टिक, कप ,प्लेट पानी को बोतल स्ट्रा आदि पर देश व्यापी प्रतिबंध पहले से ही लागू कर दिया है, हमारी महत्ति एवं नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पकृति को ग्रह सभी जीव जंतुओ प्राणियो मनुष्यो को खुश स्वस्थ्य एवं समृद्ध बनाने के लिए इसका उपयोग करे।

पालिथीन नष्ट नही होती है अगर इसे मिट्टी में गाडा जाए तो भूमि की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है पेड पौधो को भी नुकसान होता है और यदि जलाया जाए तो यह पूरे वातावरण को नुकसान पहुचाती है, इसके अलावा मानव जीवन में पालीथीन प्रयोग के कई दुष्परिणाम है शहर हो या चाहे गांव सभी जगह पालीथीन का उपयोग बेरोकटोक हो रहा है मानव अपनी थोडी सुविधा के लालच में आकर अपनो सेहत से खिलवाड कर रहा है इसका उपयोग पर्यावरण को भी प्रदुषित कर रहा है लाखो करोडो की संख्या मे पालीबैग का उपयोग क्षणिक समय के लिए होता हैकिंतु बाद में इसे फेंक देने से यह नालियो में जाकर जाम हो जाते है। यदि जानवर इसे खा ले तो वह भी मर जाते है यदि गर्म पदार्थ को पालीथीन बैग में रखा जाए या उपयोग किया जाए तो यह भी प्रदुषित हो जाता है जो मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है अर्थात इसक उपयोग से मानव हो या जानवर जीवजंतु सभी के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है चाय या गर्म पेय पदार्थ को पालीथीन के पैक में उपयोग करने से गंभर रोग भी हो सकते है पृथ्वी तल पर जमा पालिथीन जमीन का जल सोखने की क्षमता को भी खत्म कर देता है इससे भूजल का स्तर भी गिर रहा है।

भारत के 18 राज्यो में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्लास्टिक थैलियो पर प्रतिबंध है इनमे दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, बंगाल केरल, कर्नाटक प्रमुख है प्लास्टिक मेनुफेक्चर सेल एण्ड यूसेज रूल्स 1999 मे पहला कानून बना था। इसमे संसोधन करते हुए 2003 में रिसायकिल प्लास्टिक मेन्युफेक्चर एण्ड यूसेज (अमेंडउेट) नियम बनाया गया दिल्ली सरकार ने 22 नवम्बर 2012 से पालिथीन के उत्पादन, भण्डारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है। 2016 में प्लास्टिक बेस्ट मेनेजमेंट रूल्स कानून बनाया गया इसमे कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 से बठाकर 50 माईक्रोस किया गया सिक्किम राज्य में 1998 में प्लास्टिक पर रोक लगाई पश्चिम बंगाल मे वर्ष 2001, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2004, कर्नाटक में 2016 पंजाब मे 2016 हरियाणा में 2016 तथा केरल मे भी 2016 से बैग प्रतिबंधित है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसमे मार्च 2018 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को क्रियान्वित किया है। जून 2018 से तेलंगाना दूसरा राज्य बना तमिलनाडु में जनवरी 2019 ओडिसा में 2 अक्टूबर 2019 उत्तर प्रदेश 15 जुलाई 2018 से प्लास्टिक के उत्पादन एवं खरीद बिक्री पर बैन लगाया गया है।

भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश को दशको पुरानी समस्या सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा दिलाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई एवं इससे निजात दिलाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी के देशव्यापी 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान का शंभारभ करते हुए इसके इस्तेमाल को खत्म करने की अपील की थी तथा 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध का आव्हान किया उनका कहना है कि वर्ष 2022 तक इसके प्रयोग को चलन से बाहर कर दिया जाएगा इस काम में हमे तभी सफलता मिलेगी जब हम सामूहिक प्रयास करेगें जून 2018 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अव्हान करते हुए कहा है कि जब भी बाहर जाए थैला या बैग जरूर ले जाए तथा कोई भी सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की जगह मिट्टी और धातु के बर्तन का इस्तेमाल होना चाहिए।

भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान को जन जागरूकता तक सीमित रखा है और प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक नही लगाने का फैसला लिया है इस संदर्भ में ट्विटर हैडल 'स्वच्छ भारत' पर सरकार ने कहा है कि 11 सितम्बर 2019 को पीएम मोदी द्वारा लॉच किए गए स्वच्छता ही सेवा मिशन का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना नही है बल्कि सरकार का मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता

फैलाना है।

अगर सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी लगा देती है तो ये उद्योग के लिए ठीक नही होगा क्योकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है और इससे कई लोगो की नौकरी खतरे में आ सकती है इसलिए प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक से स्थित और बिगड सकती है प्लास्टिक बैग्स, कप प्लेट छोट बोतल और कुछ प्रकार के पाउच को बैन करने के लिए अभी कोई कदम नही उठाया जाएगा लेकिन प्रयास होगा कि इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए वही पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पाद विशेषकर पालिथीन बैग्स, स्टोरोफार्म के स्टोरेज से कहा जाएगा कि माजूदा कानून लागू किया जाए।

सुझाव – कोई भी समाधान खोजने की कोशिश करने से पहले हमे यह स्वीकार करना होगा कि समस्या है तभी हम उसका समाधान ढूंढ सकते है सबसे पहले हमे यह स्वीकार करना होगा कि हमारा भारत स्वच्छ नही है बल्कि हम यह कह सकते है कि हम सबसे गंदगी वाले देशो मे से एक है हमे अपने राष्ट्रवाद पूर्व भावनाओ को अलग अलग रखना होगा और इस तथ्य का सामना करना होगा तभी हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते है। पालीथिन के दुष्परिणाम को रोकने के सरकार के तमाम प्रयासो के बावजूद भी इसके उपयोग पर अंकुश नही लगा पा रहा है। अतः इसके प्रति जनमानस में जागरूकता का होना आवश्यक है पालीथिन के बढते उपयोग को रोकने के लिए यह उपाय कारगर सिद्ध हो सकते है हो सकते है कि जब भी घर से बाजार निकले साथ मे जूट कपडे का बैग अवश्य ले जाऐ, स्वयं व दूसरो को भी पालीथिन से होने वाले दुष्परिणामो के प्रति जागरूकता बढाना होगा, दुकानदार व्यापारी, थोक फुटकर व्यापारी को इसके उपयोग हेतु सर्तकता लाने सलाह देनी चाहिए जगह–जगह स्लोगन स्टीगर बैनर पोस्टर आदि लगाकर लोगो का ध्यान आकर्षित करने तथा सरकार के कडे नियम की जानकारी से भी अवगत कराना जरूरी होगा, प्लास्टिक की जगह पेपर के बने स्ट्रा, पानी के बोतलो के स्थान पर कॉपर, शीशा या धातु की बोतलो का प्रयोग एवं प्लास्टिक कप के स्थान पर पेपर से बनी प्याली आदि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लकडी के चम्मच प्लेट, डिब्बे, आदि का प्रयोग बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि इनका उपयोग बढेगा तो कीमत भी कम होगी। जूट प्लासिटक को बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योकि जूट वायोडिग्रेडिबल (सडनशील) पदार्थ है, जो पर्यावरण के लिए अनुकुल है, जूट के रेशे से बोरा, झोला तथा पैकिंग का भी सामान बडी मात्रा में बनाया जाता है।

निष्कर्ष – निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत होना एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। अब यह प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत् एकल उपयोग प्लास्टिक के बढते उपयोग पर प्रतिबंध को बढावा दिया जा रहा है, सभी भारतीय को देश के स्वच्छ भारत अभियान के प्रति जागरूकता बढाने जरूरी अनुशासन तथा दृढ इच्छा शक्ति ही इसके समाधान में कारगर सिद्ध हो सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2020 सूचना भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली
2. सिंगल यूज प्लास्टिक – शोध आलेख अमर उजाला
3. प्लास्टिक तथ्य पत्रक – साईंस एंड एनवायरमेंट 41 तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली
4. सेंटर फार मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेव्लेपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
5. अनुपालन रिपोर्ट का गैप विश्लेषण सी.पी.सी.बी. 2019

****

कार्य सरलीकरण के प्रति महिलाओं को प्रेरित करना

श्रीमती संगीता बामने*

प्रस्तावना – समय और शक्ति ढोनो ही बहुत महत्वपुर्ण साधन है। प्रत्येक कार्य करने के लिए समय एवं शक्ति का उपयोग होता है। काम करने के तरीके पर समय एवं शक्ति कि मात्रा निर्भर करती है।

निरन्तर प्रयास के माध्यम से गृहणी इन ढोनो साधनो का सन्तुलित उपयोग करने कि आदत का विकास कर सकती है।

ग्रॉस एव ंकेण्डल के अनुसार – निश्चित समय एवं शक्ति के उपयोग ढ्वारा अधिक से अधिक कार्य करना अथवा निश्चित कार्य को पूरा करने में समय एवं शक्ति ढोनो की मात्रा में कमी लाना ही कार्य सरलीकरण है।

गृहिणी अपने कार्यो को अपनी सुझबुझ से सरल ढंग से बचे हुए समय और शक्ति को अन्य कार्यो में लगा सकती है। कार्य सरल होने के साथ ही वह समय पर पूरा भी हो जाता है। जो एक गृहिणी के लिए लाभढायक भी होता है। क्योकि आज के समय में स्त्रिया केवल घर का काम ही नही करती अपितू धनोपार्जन हेतू वह घर के बाहर काम करने भी जाती है।

अत: कार्य सरलीकरण के उपकरणो का उपयोग कर गृहिणी अपने समय एवं शक्ति ढोनो की बचत कर सकती हैं क्योकि यंत्रो के माध्यम से कार्य आसान हो जाता एवं कुछ ही समय में पूर्ण हो जाते है। अत: हम कह सकते हैं कि कम से कम समय में एवं शक्ति का उपयोग कर अधिकतम कार्य को सम्पन्न करना ही कार्य सरलीकरण है।

इस प्रकार यंत्रो के माध्यम से कार्य सम्पन्न करके गृहिणी अपने बचे हुए समय एवं शक्ति का उपयोग अपने ढूसरे कार्य में कर सकती है।

कार्य को सरल आसान एवं षीघ्रता से करना गृहिणी के सुझबुझ के उपर निर्भर करता है।

गृहिणी को घर में अनेक कार्य करने पडते है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि जिन्हे गृहिणीयॉ परम्परागत रीति से करती है। पुरानी पद्धति होने के कारण समय और शक्ति का भी अधिक व्यय होता है। और उन्हे शीघ्र ही थकान महसुस होने लगती है।

कुछ कार्य ऐसे भी होते है। जिनकी आवश्यकता नही होने पर भी किये जाते है। जैसे,घर गंदा नही होने पर भी ढोनो समय कमरे में झाडु लगाना पडता हैं, अनुभवी गृहिणीयो में कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि जागृत करना एक कठिन कार्य होता है।जब तक की वह अपने प्रतिदिन के कार्य से निबट नही लेती और पूर्णत: थक नही जाती तब तक वह कार्य सरलीकरण के बारे में नही सोचती और नही अपनी आदत को बदल सकती है। कार्य करने कि नई विधियो के बारे में बालिकाओ में रुचि जाग्रत कि जा सकती है। कार्य करने का सही तरीका बालिकाओं को बताने पर वे शीघ्र ही अपना लेती है। और एक अच्छी गृहिणी के रुप में जीवन पर्यन्त उसका पालन करती है। कार्यसरलीकरण के माध्यम से कार्य करने में समय कम लगता है, और शारीरिक गति में भी कमी आ जाती है। प्राचीन पद्धति से कार्य करने में समय एवं शक्ति तो अधिक लगती ही है।साथ ही कार्य में उबाऊपन भी आ जाता है। जिसे कार्य सरलीकरण के माध्यम से ढूर किया जा सकता है। गृहिणीयो को कार्य सरलीकरण की विधियो को समझाने में समय अवश्य लगेगा लेकिन धींरे-धींरे आदत बन जाने पर और रुचि लेने पर कार्य का फल संतोषजनक होने लगता है इसलिए यह आवश्यक है कि विभिन्न तरीको से गृहिणीयो का ध्यान कार्य कि ओर आकर्षित किया जाना चाहिए एवं गृहिणीयो को इसकी उपयोगिता के बारे में भी समझाइशे ढी जानी चाहिए। कार्य सरलीकरण के प्रति गृहिणीयो को रोचक तथा प्रभावशाली ढंग से समझाया जाए तो निश्चित ही वे इसे अपनाने हेतू प्रेरित होगी।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहॉ कि अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण समुदायों में निवास करती है। जहा के अधिकतर घरो में आज भी यांत्रिक उपकरण उपलब्ध नही है। तथा ग्रामीण समुदायो में परिवार के सदस्यो की संख्या भी अधिक होती है। इस स्थिति में गृहिणी पर कार्य भार अधिक हो जाता है। अत: ऐसी परिस्थितियो में कार्य सरलीकरण के प्रति रुची जाग्रत करना अति आवश्यक हो जाता है।

कार्य सरलीकरण के प्रति रुची जाग्रत करने के लिए गृहिणीयो को प्रचलित पत्र-पत्रिकाओ में कार्य सरलीकरण के विषय में लेख लिखकर रुची जाग्रत कि जा सकती है। फिल्मो के माध्यम से भी कार्य सरलीकरण के विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते है क्योकि, फिल्म प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। फिल्म एक दृष्य-श्रृव्य साधन हैं जिसके माध्यम से अषिक्षित महिलाओ को भी समझाने में आसानी होती है क्योकि, कार्य सरलीकरण की विधियो को वास्तव में देखकर ही समझ सकती है। चूॅकि फिल्में बडे शहरो तथा कस्बो तक ही सीमित रहती है इसलिए, फिल्मो के माध्यम से जानकारी देना ग्रामिण समुदायो में थोडा मुश्किल हो जाता है। अत: रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से प्रत्येक परिवार तक यह जानकारी पहुॅच सकती है। जिसे समझना आसान होता हैं एवं प्रेरणा भी प्राप्त होती है। कुछ पत्र-पत्रिकाए जो सिर्फ गृहिणीयो के लिए ही छपती है। इन पत्रिकाओ में उनके रुची के लेख लिखकर एवं पेम्पलेट्स छाप कर गृहिणीयो को जानकारी दे सकते है। साथ ही इसे पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जा सकता है, तो छात्राओ को गृहिणी बनने से पूर्व कार्य सरलीकरण की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कर उनकी रुची कार्य सरलीकरण में उत्पन्न की जा सकती है। कार्य सरलीकरण के क्षेत्र में नए शोध के माध्यम से ही परिवर्तन लाए जा सकते है।

आज के समय में प्रत्येक गृहिणीयों के ऊपर कार्य का बोझ अधिक है। एवं महंगाई इतनी बढ चूकी है कि, परिवार के सफल संचालन के लिए उसे आर्थिक मदद भी करना होता है। अत: गृहिणी घर के कार्य के अतिरिक्त

* सहायक प्राध्यापक(गृह विज्ञान) शासकीय महाविघालय, भैंसदेही, जिला बैतूल (म.प्र.) भारत

बाहर भी काम पर जाती है।अत: उन्हे कार्य सरलीकरण की पद्धति के सिद्धांत एवं विधि से अवगत होना बहुत जरुरी है। उन्हे कार्य सरलीकरण की विधियो का पालन करना चाहिए ताकि समय एवं शक्ति कि बचत कर सके। कार्य करने कि विधियो में परिर्वन एवं सुधार लाकर कार्य को सरल एवं सुगम बनाया जा सकता है। कोई भी कार्य को करने की अनेक विधियाँ होती है परन्तु, उनमें से कौन सी विधि अपनाई जाए यह व्यक्ति विशेष की योग्यता,कुशलता एवं कार्य करने के ढंग एवं अन्य साधनो की उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है।

परिवर्तन के वर्ग – कोई भी कार्य को परिवर्तन के द्वारा सरलीकरण किया जा सकता है।गृहिणी अपने कार्य करने के तरीको एवं विधियो का स्वयं अध्ययन करके उसको सरल बनाने का प्रयास कर सकती है। किसी कार्य को करते समय कब ,क्यो और कैसे करना है। यह विचार उसको सरल बनाने में सफल सिद्ध होगा। साथ ही उपकरणो एवं यंत्रो को पुन: व्यवस्थित करके कार्य को और सरल बनाया जा सकता है। परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम मण्डेल ने सन् 1940में प्रारम्भ किया था उन्होने सरलीकरण के सिद्धान्तों को पॉच वर्गो में विभाजित किया था जो कुछ वर्षो तक प्रचलन में रहा। बाद में ग्रॉस और क्रेण्डल ने उन पॉच वर्गो को तीन वर्गो में विभाजित किया जो निम्न प्रकार है।

1. हाथ और शरीर कि गतियो में परिवर्तन,
2. कार्य,संग्रहीकरण, स्थान एवं उपकरण में परिवर्तन।
3. उत्पादन में परिवर्तन।

अत: गृहिणी को कार्य सरलीकरण के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर घर में काम करना चाहिए यदि वह कार्य सरलीकरण के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर कार्य करती है तो, निश्चित ही समय,शक्ति एवं धन कि बचत करने में वह सफल सिद्ध होगी।

घर में काम करने के मार्ग में परिवर्तन कर कई कदमो कि चाल की बचत की जा सकती है। दुरी कम होने के कारण से कदम की चाल मे भी कमी आती है। काम करने के क्रम में परिवर्तन करने से कई कामो को एक साथ करने से एवं कई फेरो को कम करने से गति में कमी होती हैं काम करने के मार्ग एवं क्रम में परिवर्तन करने से अनावश्यक उपकरणो से काम नही करना पडता है। और इस प्रकार समय की बचत होती है। गृहिणी को सबसे अधिक रसोई के कामो में चलना पडता है। रसोई घर में कई काम एक साथ सामूहिक रुप से करके एवं अनावश्यक कामो को छोड दे तो गति कि बचत होती है।

इस प्रकार अगर गृहिणीयां एक साथ कई काम करने की कला से अवगत हैं तो, वह कम समय एवं कम शक्ति का उपयोग कर कुशलतापुर्वक कार्य को सम्पन्न कर सकती है। गृहिणी समय एवं शक्ति की बचत कर कार्य की निपुणता में विकास कर सकती है। वस्तुओ का संग्रहण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहा पर वस्तुओ को सरलता से देखा जा सके विशिष्ट प्रकार की प्रक्रिया में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री तथा उपकरण एक ही स्थान पर रखे जाने चाहिए। बार–बार उपकरण एवं सामग्री को कार्य स्थल पर उठाकर लाने एवं पुन: उन्हे यथावत उस स्थान पर रखने में समय एवं शक्ति का अपव्यय होता है। आज के वैज्ञानिक युग में बाजार में अनेक नये–नये सामान आ गये है जिन्हे, प्रयुक्त करने से कार्य के सरलीकरण में सहायता मिलती है। ऐसे सामानो को प्रयुक्त करने से समय, शक्ति एवं गति में बचत की जा सकती है।

अत: प्रत्येक गृहिणी को अपने साधनो एवं आवश्यकताओ के अनुसार कार्य सरलीकरण की विधिया अपनानी चाहिए।

महिलाओं के लिए कार्य सरलीकरण का महत्व – कार्य सरलीकरण का महत्व प्राचीन समय में केवल उघोगो में उत्पादन की दृष्टि से किया जाता था लेकिन अब विशेष रुप से नोकरी–पेशा महिलाए इससे बहुत लाभ प्राप्त कर रही है।

1. **समय एवं शक्ति की बचत –** कार्य सरलीकरण की विधियॉ समय एवं शक्ति कि बचत कराती है। कार्य सरलीकरण की विधियों के द्वारा कार्य करके महिलाएं कम समय में अधिक कार्य करके समय को बचाकर घर से बाहर कार्य करने जा रही है। जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो रही है क्योकि, कम समय में सारे काम हो जाते है और, वही समय बचाकर वह पैसे भी कमा रही है साथ ही, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने से शक्ति कि भी बचत हो जाती है एवं थकान भी कम लगती है। और कार्य भी अधिक हो जाता है।

2. **प्रबंध के लिये प्रेरणा –** महिलाओं को एक बार जब कार्य सरलीकरण के महत्व स्पष्ट हो जाये तो वह स्वयं इन विधियो को अपनाने के लिऐ प्रेरित हो जाती है और, फिर वह इस विधि के द्वारा अपने कार्य को करने के लिए स्वयं प्रेरित हो जाती है। कार्य सरलीकरण की प्रक्रिया को अनपाकर गृहणी स्वयं कार्यो का निर्धारण करना सिख जाती है कि, कौन से कार्य अतिआवश्यक है और, कौन से आवश्यक एवं कौन से अनावश्यक है।इस प्रकार महिलाएं अपने कार्यो की सूची का क्रम निर्धारित कर अनावश्यक कार्य को सूची से हटा सकती है और, इस प्रकार अपने कार्यो का प्रबंध कर कुषल गृहिणी बनने की दिशा की ओर अग्रसर होती है।

3. **नीरसता में कमी –** ज्यादातर गृहकार्य नीरस एवं उबाऊ होते है क्योकि, जब किसी कार्य को करने में जब समय एवं शक्ति अधिक लगती है तो नीरस लगने लगते है। कार्य सरलीकरण की विधियो का प्रयोग करके महिलाएं कार्य करने के तरीको में परिवर्तन करके उन्हे अधिक रुचीप्रद बना सकती है।

4. **अधिक अवकाश –** जब महिलाओ की दैनिक गतिविधि से नीरस कार्यो की संख्या एवं उनके लिए दिया गया समय कम हो जाता है तो, उसे अधिक अवकाश प्राप्त हो जाते है। इस बचे हुए समय का उपयोग वह स्वयं के विकास व अन्य अपनी रुची के कार्यो में लगा सकती है इससे , उसे खुशी भी प्राप्त होगी।

प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक डिजरायली नें कहा है, अधिक साधन व अधिक अवकाश ही व्यक्ति को अधिक सुसंस्क्रत बनाते है।

दुर्लभ तथा विकलांग महिलाओ के लिए इसका महत्व ओर अधिक बढ़ जाता है।

कार्य सरलीकरण के सिद्धान्त के मुख्य बिन्दु है ,समय की बचत शारीरीक उर्जा की बचत और धन की बचत करना है।

आज के वैज्ञानिक युग में बाजार में अनेक नये–नये सामान आ गये है। जिन्हे प्रयुक्त करने से कार्य के सरलीकरण में सहायता मिलती है। ऐसे सामानो को प्रयुक्त करने से समय शक्ति एवं गति में बचत की जा सकती है। अत: प्रत्येक गृहिणी को अपने साधनो एवं आवश्यकताओ के अनुसार कार्य सरलीकरण की विधियॉ अपनानी चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. शर्मा, डॉ. करुणा एवं पाटनी , डॉ. मंजू आवास एवं गृह सज्जा, शिवा

प्रकाशन, इन्दौर, 2010.

2. पाटनी, डॉ.मंजू , गृह सज्जा तथा घरेलू उपकरण, शिवा प्रकाशन, इन्दौर, 2005.
3. प्रसाद, डॉ. ज्योति , साधन प्रबधन , परिचय अरुण प्रकाशन , ग्वालियर, 2010.
4. शर्मा ,डॉ. करुणा एवं पाटनी , डॉ. मंजू, गृह प्रबंध एवं गृह सज्जा, शिवा प्रकाशन, इन्दौर, 2004.
5. जैन, कामिनी, संसाधन प्रबंध का परिचय मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
6. भार्गव, डॉ(श्रीमति) बेला , गृह प्रबंध साधन व्यवस्था एवं आन्तरिक सज्जा, यूनिवर्सिटी बुक हाऊस प्रा.लि. जबलपुर।
7. शर्मा, करुणा गृह प्रबंध ,कमल प्रकाशन, इन्दौर.।

****

मेहरून्निसा परवेज़ की विभिन्न विषयगत सम्पादकीयों में नैतिक मूल्य

डॉ. रोशनलाल अहिरवार*

प्रस्तावना - मेहरून्निसा परवेज का नाम हिन्दी साहित्य में महिला साहित्यकार के रूप में माना जाता है। उपन्यास, सम्पादकीय साहित्य आदि साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य आपने अपनी लेखनी से किया है। सम्पादकीय लेखन में अत्यधिक रूचिपूर्ण तरीके से साहित्यिक पत्रिका 'समरलोक' लोक-उत्थान के लिए समर्पित सामाजिक सरोकारों की पत्रिका में आपने जीवन के नैतिक मूल्यों से संबंधित पक्षों को अपनी सम्पादकीय की कथावस्तु में स्थान दिया है। 'समरलोक' पत्रिका का प्रकाशन सन् 1999 से भोपाल शहर से निरन्तर प्रकाशित की जा रही है। इस पत्रिका में सम्पादकीय को 'आत्मदृष्टि' शीर्षक से प्रकाशित किया जाता है।

मेहरून्निसा परवेज़ ने 'समरलोक' पत्रिका का विभिन्न शीर्षकों या विशेषांकों से प्रकाशित करते हुए, नये-नये आयाम देने का कार्य किया है तथा विभिन्न विशेषांकों की विषय सामग्री विशेषांक के अनुरूप चयनित करने का प्रयास किया है। सम्पादकीय, पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण अंग होती है। जिस प्रकार दीपक प्रकाश या ज्ञान का प्रतीक है, उसी प्रकार पत्रिकाओं में सम्पादकीय प्रकाशपुंज की तरह, पत्रिकाओं में विषयवस्तु का ज्ञान कराती है।

समरलोक पत्रिका निरन्तर विभिन्न विशेषांकों से प्रकाशित हो रही है जैसे- कहानी विशेषांक, नाटक विशेषांक, रेखाचित्र विशेषांक, लोकसाहित्य विशेषांक आदि। सभी विशेषांकों की विषयवस्तु विशेषांकों के अनुरूप हैं; साथ ही सम्पादकीय भी। साहित्य में कहा जाता है कि 'साहित्य समाज का दर्पण है' इसी पक्ष को लेते हुए मेहरून्निसा परवेज़ ने अपनी विभिन्न सम्पादकीयों में जीवन के नैतिक मूल्यों संबंधी विवेचन को सम्पादकीयों की कथावस्तु में शामिल किया है।

मनुष्य की अभिवृत्ति से ही नैतिकता का संबंध जोड़ा जाता है, जो व्यक्ति के स्वयं के विकास और कल्याण में योगदान दे साथ ही दूसरे व्यक्तियों के विकास और कल्याण में किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करे सच्चे अर्थो में नैतिकता को चित्रित करती है। नैतिक मूल्य नितांत वैयक्तिक होते है नैतिक गुणों का प्रभाव व्यक्ति के समस्त क्रियाकलापों पर होता होता है और उसका आचरण ही जीवन में उसको नैतिक गुणों से पूर्ण करता है।

नैतिक मूल्यों के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन अच्छे गुणों, अच्छे विचारों के साथ अच्छे आचरण के संयोग का मिश्रण होना चाहिए उसमें अवगुणों को स्थान नहीं मिलना चाहिए। मेहरून्निसा परवेज़ ने अपनी सम्पादकीयों में नैतिक मूल्यों के विभिन्न पक्षों को लेकर जीवन में नैतिकता संबंधी विचारों के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण स्थापित किया है। सामाजिक स्थिति प्राचीन काल में वर्तमान परिप्रेक्ष्य से भिन्न थी, धार्मिक विरोधावास समाज में व्याप्त नहीं था बल्कि सभी समाज में एक दूसरे के सुख-दु:ख के साथी थे। 'मंदिर और मस्ज़िद में फासले नहीं थे, त्यौहार सबके होते थे। कोई भी किसी के घर फेरी लगाना भूलता नहीं था, ईद की नमाज़ के लिए हिन्दू दरियों और कालीन अपने मोहल्लों में विछा देते थे। शिवरात्रि के मेले में मुसलमान बताशा, चिरौंजी, नारियल, फूल, अगरबत्ती की दुकान लगाते थे। दरगाहों पर हिन्दू और मुसलमान समान रूप से जाते थे। मन्नतें मांगते, चादर चढ़ाते, एक ही मन्नत में सब शामिल होते थे।'[1] परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज की अनेक विषयगत बुराईयों को मिटाने के लिए व्यक्ति को प्रयास करना होगा, यह उसका कर्तव्य भी है और नैतिकता भी। सामाजिक समन्वय को ध्यान देकर मिलकर चलोय को सूत्र अपनाना होगा तभी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

जीवन एक संघर्ष है व्यक्ति जीवनपर्यन्त संघर्ष करता रहता है, कभी खुशी तो कभी निराशा उसको हाथ लगती है। 'जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। जीवन एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हम सीमा की ओर बढ़ते है; तो धरती और गगन की मिलन की यह सीमा आगे बढ़ जाती है। सफलता की मंजिल एक गगनचुम्बी हिमालय जैसी नजर आती है। वहाँ पहुंचकर फतह की सांस लेते है।'[2] व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है लेकिन जब वह पथ से भटक जाता है तो गलत मार्ग या अवगुणों के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देता है। मेहरून्निसा परवेज़ का मानना है कि सतत् मेहनत करना आवश्यक है यदि लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब भी उससे ज्यादा मेहनत के साथ लक्ष्य को पाया जा सकता है। व्यक्ति को अवगुणों के मार्ग से बचाने के लिए जीवन के प्रत्येक चरण जहाँ से वह शिक्षा प्राप्त करता है जैसे- माता, परिवार, गुरू, समाज, परिवेश आदि से उसमें नैतिक गुणों का समावेश करना शिक्षा देने वाले लोगों को अपना दायित्व समझकर नैतिकता का प्रचार-प्रसार संबंधी कार्यो को करना चाहिए।

समाज में बड़ों के प्रति, परिवार के प्रति नैतिक मूल्यों का ह्रास समाज में देखने मिलता है। 'माँ का आंचल कितना याद आता है, आंसू हमारे होते थे, पर आंचल माँ का होता था। जीवन तो रहस्यों से भरा होता है, जब कभी किसी वेदना, दु:ख में आँख रोने पर आतुर होती, तब हमारे मन की मनोदशा को तुरन्त भांपकर अम्मा की आँखे पहले भीग उठती थी।'[3] आज बूढ़ी माँ या बाप का सहारा बच्चों की जगह आश्रमों, मंदिरों या भीख मांगकर रहने वाले स्थानों ने ले लिया है। यह समाज में व्याप्त बुराईयाँ नैतिकता के अभाव का कारण है, जो माँ अपने बच्चों के भरण-पोषण में अपना जीवन निकाल देती है, उसके अंतिम क्षणों में वह किस मजबूरी के साथ अपना जीवन लीला की समाप्ति की प्रतीक्षा में जीती है। यह दुखद दृश्य सभी को अपने आसपास उदाहरण के रूप में देखने मिलते है। इस अनैतिकता को नैतिकता में बदलने का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा।

व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, अच्छे व्यक्तियों में बैठता-उठता होगा तथा

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़, सागर (म.प्र.)भारत

साहित्य को पढ़ता होग तो उसकी बौद्धिक क्षमता अलग होगी क्योंकि 'साहित्य मनुष्य को अपने जीवित रहने का बोध कराता है। साहित्य मनुष्य की वाणी है। उसके गूंगे दु:खों, व्यथा, वेदना की अभिव्यक्ति है। मनुष्य के भीतर उसके तल घर की सुरंग का पता हमें साहित्य से ही मिलता है। संसार में यदि साहित्य नहीं होता तो मनुष्य अपने दु:ख और सुख की वही की नस्ती को बगल में दबाये एक दिन चुपचाप इस दुनिया से कूच कर जाता और किसी को उसके जीवित रहने की आहट तक नहीं लग पाती।'[4] शिक्षा नैतिक गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो व्यक्ति साहित्य से जुड़ा होगा उसकी संवेदनायें नैतिक गुणों से परिपूर्ण होगी तथा जीवन में उसका सामाजिक व्यक्तित्व ठीक होगा इसीलिए अच्छे साहित्य को अपने जीवन में स्थान देना अति आवश्यक है।

'भारतीय संस्कृति सहज-सद्भाव एवं अनेकता में एकता के आधार पर ही निर्मित है। यहां कई धर्म, जातियाँ, भाषाएँ तथा रहन-सहन के रूप में विकसित हुये हैं तथा बाह से आकर जुड़े है। रंगों की विविधता भारतीय संस्कृति को एक अनूठा सौन्दर्य प्रदान कराती है। संकीर्ण दृष्टि के कारण आज इन्हीं रंगों की विविधता को ही वैमनस्य का आधार बनाया जा रहा है।'[5] ऐसा देखने मिलता है कि जीवन में नैतिक मूल्यों में बदलाव का कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है जिसके कारण अनैतिकता का साम्राज्य समाज में फैला हुआ है। विरोधाभाष का विषय होने पर भी भारतीय संस्कृति को अपनाते हुए 'वासुधैव कुटुम्बकम' को अपनाकर चलना होगा और अनैकता में एकता लाकर नैतिक मूल्यों को पुन: स्थापित करना होगा।

नैतिक मूल्यों के अंतर्गत नारी जीवन की रक्षा का धैर्य वाक्य समाज को अपने नैतिक गुणों में शामिल करना होगा। नारी पर अत्याचारों की कहानी समाज में प्राचीन काल से आज तक अखबारों में घटनाक्रम में देखने को मिलती है कि किस प्रकार समाज में नारी की दयनीय स्थिति है।'नारी शोषण पर ही समाज का सारा ढांचा टिका हुआ है। आस्था और अनास्था के इस मकड़जाल में उलझी नारी अब सारे बंधनों से मुक्त होना चाहती है। तिरस्कृत यंत्रणा भरे जीवन से वह तंग आ गई है। कितने तरह के छल-कपट और आदर्शों ने उसका मुख सिल रखा है।'[6] समाज का नैतिक कर्तव्य है कि नारी के विकास में उच्च कदम उठाये और उनको समाज में सम्मान प्राप्त हो जब नारी को सम्मान मिलेगा तभी समाज में नैतिकता आयेगी क्योंकि माँ या नारी ही पहली गुरू मानी जाती है। यदि नारी रूपी गुरू आदर्शों से पूर्ण होती तो समाज भी नैतिकता से पूर्ण होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आत्मदृष्टि : समरलोक- तंत्र-मंत्र-टोना-टोटका विशेषांक, अप्रैल-जून, 2010 पृ.3
2. आत्मदृष्टि : समरलोक- जीवन के इन्द्रधनुष विशेषांक, अक्टूबर-दिस. 2001, पृ.3
3. आत्मदृष्टि : समरलोक- यात्रा विशेषांक, जुलाई-सित. 2014, पृ.3
4. आत्मदृष्टि : समरलोक- वर्ष 1, अंक 1, पृ.3
5. आत्मदृष्टि : समरलोक- सामाजिक सद्भाव विशेषांक, जुलाई-सित. 2003, पृ.3
6. आत्मदृष्टि : समरलोक- नारी विमर्श विशेषांक, अक्टूबर-दिस. 2010, पृ.3

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव

डॉ. राजेश शामकुंवर*

प्रस्तावना – अन्य जीवों को समान ही मानव भी पर्यावरण का ही एक अंग है। परन्तु एक विभिन्नता जो सहज ही परिलक्षित होती है वह यह है कि अन्य जीवों की तुलनात्मक स्वरूप में मानव अपने पर्यावरण को प्रभावित करता तथा कुछ अर्थो में ही उसे नियंत्रित कर पाने की क्षमता भी रखता है।

पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व लगभग दस लाख वर्ष का है। जनसंख्या में अधिकाधिक वृद्धि 20 वीं शताब्दी में ही पाई गई।

इतिहास के विभिन्न काल में विश्व की जनसंख्या

1650	54.5 करोड़
1750	79.0 करोड़
1800	97.80 करोड़
1850	126.20 करोड़
1900	165.00 करोड़
1950	261.50 करोड़
1980	441.50 करोड़
2000	620.00 करोड़

बढ़ती जनसंख्या की विकारलता का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकृति पर सीधा पड़ता है जो जनसंख्या से अपना सतुंलन बैठाती है लेकिन असुंतलन होने पर पृकति का क्रुरतम तांड़व जिससे हमारा समस्त जनमंण्डल प्रभावित हो रहाहै। इसकी चेतावनी आज से सैकड़ो वर्ष पूर्व प्रसिध्द्ध अर्थशास्त्री मथ्यूस ने लिखा है कि 'यदि आत्मसंयम और नहीं किया गया तो प्रकृति अपने क्रूर हाथों से इसे नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।'

जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ वायुमंण्डल में भी ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ इसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होती है आवास हेतु शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है वनों की बेतहाशा कटाई हो रही है परिवहन के साधनों का विकास हो रहा है। जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं।

संसाधन की रिक्तता – संसाधनों का कई वर्षो तक उपयोग नहीं हुआ, इसी शताब्दी से भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में सम्पदा एवं प्राकृतिक साधनों का दोहन हो रहा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ संसाधन के दोहन की मात्रा में भी वृद्धि होने लगी। भूमि, सूर्याताप, जल, कोयला, खनिज, पवन, वन एवं वन्य प्राणी मानव जीवन की उत्पत्ति से पूर्व ही पृथ्वी पर विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी विकास तथा मानव की आवश्यकता के साथ वृद्धि होती गई। जिम्मरमैन (1951) नें अपनी पुस्तक "An Introduction of World Resources" में लिखा है- 'संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है।' आगे उन्होने स्पष्ट किया कि- 'संसाधन होते नहीं वे मानव के सहयोग से बन जाते हैं।' वस्तुत: संसाधन प्रकृति के किये गये अमूल्य उपहार हैं। मानवीय वृद्धि ने इसकी उपयोगिता को कई गुना बढ़ा दिया है। द्वितीय विश्वयुध्द्ध के उपरान्त 'आर्थिक विकास' का युग रहा। प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक विकास की दौड़ में आगे निकलनें हेतु औद्योगिकीकरण का प्रादुर्भाव हुआ। विकास की दौड़ हेतु प्राकृतिक सम्पदा केअसंतुलिक दोहन का युग आया और यह निरन्तर चलता ही जा रहा है। औद्योगिकीकरण का प्रसार अनियंत्रित होने से पर्यावरणीय समस्या आज भी एक चुनौती है।

वनों की कटाई – वृक्ष हम सबके जिन्दा रहने के लिये आवश्यक हैं। अन्य जीवधारियों की तरह मनुष्य को भी श्वसन के लिये आक्सीजन की आवश्यकता होती है। अमुमन एक साधारण मनुष्य प्रतिदिन औसतन 22,000 बार श्वास लेता है इस क्रिया द्वारा वह तकरीबन 16 किलो वायुग्रहण करता है। मूल रूप से वृक्ष ही हमारी खाद्य सामग्री की पूर्ति करते हैं। पीपल, तुलसी जैसे पेड़ प्रचुर मात्रा में प्राणवायु प्रदान करते हैं।

मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में अंधा होकर अपने वर्तमान को संवारनें हेतु वनों को निरन्तर काटनें में लगा है भले ही उसका भविष्य बिगड़ जाये फलस्वरूप विशाल क्षेत्र वृक्ष रहित होते जा रहे है। वनों की निर्दयतापूर्ण कटाई के परिणामरूवरूप भूमि की पानी को सोखनें और उपजाउपन बनाने की क्षमता द्रुतगति से कम होती चली जा रही है।

प्रदूषण – आर्थिक रूप से उन्नति एवं विकास करने की आकांक्षा की ओर औद्योगिकीकरण के माध्यम से देश को उन्नत एवं आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समर्थन प्राप्त हुआ हो परन्तु पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं औद्योगिकीकरण ने षहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के माध्यम से प्रदूषण को बहुत हद तक प्रभावित किया है।प्रदूषण से मानव का स्वास्थ्य, जल, वायु, अनाज उत्पादन पर इसका असर स्पष्ट दिखाई देने लगा। जनसंख्या वृद्धि के साथ जहां जल की आवश्यक मात्रा में वुध्द्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर उद्योग, घरो तथा अन्य स्रोतों द्वारा अपशिष्ट को जलमार्गो में विसर्जित करने की परम्परा तथा सतही जल स्रोतों के दुरूपयोग एवं कुप्रबन्धन के कारण उपयुक्त जल की मात्रा घटी है।

जलवायु में परिवर्तन – जलवायु परिवर्तन मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य को निष्चित रूप से प्रभावित किये बिना नहीं छोड़ता, अन्वेशकों की दृष्टि में शताब्दी के आरम्भ से अंत तक वायुमण्डल में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पृथ्वी का वायुमण्डल कार्बन डाई आक्साइड की अतिभारिता को झेल रहा है वैज्ञानिकों नें भविष्यवाणी की है कि यदि पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप से बढ़ जाएगा तो ध्रुवों के विशाल हिमखण्ड़ पिघल जायेगें।

*सह-प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

सुझाव – ज्ञान व तकनीकी विकास में वृद्धि हो इस समस्या का कई हल संभव है, तकनीकी उपलब्धता और नई वस्तुओं के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है उसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि उद्योग एवं कृषि के क्षेत्र में इसके उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय असंतुलन को कम किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वर्मा धनंजय –पर्यावरण चेतना, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंन्थ अकादमी, भोपाल
2. श्रीवास्तव लोकेश – पर्यावरण अध्ययन एवं प्रबन्धन, शारदा पुस्तक भवन, यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद
3. व्यास हरिश्चन्द्र – असंतुलित पर्यावरण और विश्व आदर्श प्रकाशन मंदिर,बीकानेर
4. शर्मा योगेश कुमार – पर्यावरण, मावन संसाधन और विकास, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर
5. रघुवंशी अरूण – पर्यावरण तथा प्रदूषण, म. प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल

****

मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति: एक अध्ययन

डॉ. अनुराग यादव*

शोध सारांश – स्त्री का किसी भी देश की प्रगति में प्रमुखस्थान होता है। स्त्री का स्वास्थ्य, साक्षर व अग्रसर होना किसी भी सभ्य समाज के लिए परमावश्यक है। स्त्री का शिक्षित होना समाज के हर अंग को प्रभावित करता है। चाहे वह विकास हो या विनाश। प्रस्तुत शोध **'मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति: एक अध्ययन'** में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति, प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन व बालिका शिक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रहीं योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन तथाबालिका शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र अध्ययन में मुरदाबाद मण्डल के पांच जिलों मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा तथा संभल जनपदों के प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा से सम्बन्धित द्वितीय आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तावना –शिक्षा को अपने आप में साध्य तथा अन्य वांछनीय लक्ष्यों की पूर्ति का साधन समझा जाता है। शिक्षा के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है और समाज में गतिशीलता आती है। वैसे तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के लिए शिक्षा आवश्यक है लेकिन स्त्रियों के लिए शिक्षा का महत्व अत्याधिक है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो नए सामज का सृजन करने के लिए स्त्रियों को सक्षम बनाती है। मनु ने मनुस्मृति में कहा है **'यत्र नार्मस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तब देवता:'** अर्थात देवगण ऐसे स्थान पर वास करते हैं जां स्त्रियों का सम्मान होता है।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के अनुसार 'एक पुरूष को शिक्षित करना एक व्यक्ति को शिक्षित करना है लेकिन एक महिला को शिक्षित करना एक परिवार को शिक्षित करना है।' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 'लड़कियों को केवल इस वजह से शिक्षित करना महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके बल्कि वे समाज में बदलाव को गति प्रदान कर सके।'

किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक विकास में स्त्रियों के विकास को नजर-अंदाज नहीं किया जा सकता है। स्त्री और पुरूष समाज के दो पहिये है जो समाज को प्रगति की ओर अग्रसर करते है। दोनों को समाज में समान भूमिका को देखते हुए ये आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा तथा अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान किये जायें। क्योंकि यदि कोई भी एक पक्ष कमजोर होता है तो सामाजिक व आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। भारत ने सभी को शिक्षा प्रदान के के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। बावजूद इसके भारत में महिला साक्षरता की दर काफी कम है। जनगणना 2011 के अनुसार 65.46 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर है। यदि भारत में जनसंख्या परिदृश्य पर एक नजर डालें तो ज्ञात होता है कि वर्ष 1951 में स्त्री साक्षरता 8.86 थी तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार महिलासाक्षरता दर 65.46 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई है। महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। परन्तु पुरूष साक्षरता दर की तुलना में 16.68 प्रतिशत कम है।

संख्या- 1

भारत में साक्षरता दर (प्रतिशत में) (1951-2011)

वर्ष	पुरूष	महिला	कुल	अन्तर
1951	27.16	8.86	18.33	18.30
1961	40.4	15.35	28.3	25.05
1971	45.96	21.97	34.45	23.98
1981	56.38	29.76	43.57	26.62
1991	64.13	39.29	52.21	24.62
2001	75.26	53.67	6483	21.59
2011	82.14	65.46	74.04	16.68

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, जम्मू कशमीर, अरूणाचंल प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे बड़े एवं महत्वपूर्ण राज्य तथा दादर तथानागर हवेली संघीय प्रदेश काफी पिछड़े हुए है। इसनिम्न स्तरीय साक्षरता का नकारात्मक प्रभाव सिर्फ महिलाओं के जीवन स्तर पर नहीं बल्कि उनके परविार एवं देश के आर्थिक विकास पर भी पड़ता है। महिला की निरक्षरकता का प्रभाव उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जो कि देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते है। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा और अधिक महत्वपूर्ण होती है और वह उसके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में प्राथमिक शिक्षा महत्वपूर्ण है। क्योकि वह भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण करती है। प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा पर ध्यान देकर हम शिक्षित समाज और आदर्श राष्ट्र की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर सकते हैं। इस स्तर पर जीवन के विकास की आधारशिला रखी जाती है। प्राथमिक शिक्षा देश की भावी पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने तथा उसके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है।

यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की संख्या भारत में विश्व में सबसे अधिक है। विश्व में 12 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते है। जिनमें से अधिकांशत: केवल बालिकाएं है। भारत में 6 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चें की संख्या 37.5 करोड़ है जिसमें से 3 करोड़ बच्चे अभी स्कूल नहीं नहीं जा पाते हैं।

* असि. प्रोफेसर (बी0एड0 विभाग) अब्दुल रज्जाक डिग्री कालेज, जोया अमरोहा (उ.प्र.) भारत

उद्देश्य :

1. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा से सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।
3. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध समस्या का सीमांकन–प्रस्तुत शोध पत्र मे मुरादाबाद मण्डल के 5 जनपदो से सीमित है प्रस्तुत शोधपत्र में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा से सम्बन्धित द्वितीय आंकडों का विश्लेषण एवं विवेचना की गई है।

विश्लेषण एवं विवेचना – प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा से सम्बन्धित सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।

- **सर्वशिक्षा अभियान –** यह कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था यह भारत की सबसे बडी परियोजना में से एक है। यह पूरे देश में समान रूप से लागू किया गया है और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में काम करता है। इसमें सभी सामाजिक वर्गो के 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के निम्न उद्देश्य है।

1. जो बालिकाएं किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ रही हैं उन्हें नजदीकी विद्यालय में प्रवेश दिलाना।
2. बलिका के नामांकन, उपस्थिति तथा शैक्षिणक उपलब्धियों का सतत रूप मूल्यांकन करना।
3. नियमित रूप से विद्यालय न आने वाली बालिकाओं को चिन्हित करना तथा उन्हें विद्यालय आने व उनके अभिभावकों को अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना।सर्वशिक्षा अभियान से बालिका शिक्षा के विकास में वृद्धि हुई है। सर्वशिक्षा अभियान में नामांकन और प्रवेश प्रक्रिया में सुधार के साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है।

- **बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम–** इस कार्यक्रम को जुलाई 2003 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का प्रारम्भ उन बालिकाओं के लिए किया गया जिनका नामांकन किसी भी विद्यालय में नहीं हुआ है। यह कार्यक्रम एसएसए का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह कार्यक्रम बालिकाओं की शिक्षा में सुधार के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है और यह सुनिश्चित् करता है कि बालिकाओं को प्राथमिक स्तर पर एक अच्छी शिक्षा मिले।

- **मध्यान्ह भोजन योजना –** इस योजना को 1995 में प्राथमिक स्तर में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक मध्यान्ह भोजन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चें की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि करना था तथा सभी जातियों और धर्मो के बच्चों के मध्य परस्पर सम्बन्ध तथा सद्भाव में सुधार करना भी है। यह योजना प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं में नामांकन में वृद्धि तथा उनके पोषण में सुधार के साथ उन्हें भावानात्मक और सामाजिक रूप से विकसित करने में सहायता प्रदान करती है।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम –** शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इस अधिनियम से 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14वर्ष तक के बच्चों को न स्कूल फीस देनी होगी, न ही यूनिफार्म, बुक, ट्रांसपोरेशन या आदि पर खर्च करना होगा तथा इसके अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

- **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ –** यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गयी।इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और बालिकाओं की सुरक्षा कर उनकी सहायता प्रदान करना था। यह योजना बालिकाओं की सुरक्षा और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित् करती है और यह तय करती है कि बालिकाएं बालकों के साथ सभी शैक्षिक गतिविधियों में भाग लें और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो।

- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय –** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गयी। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की बालिकाओं को 25 प्रतिशत और एस.सी./एस.टी., ओ.बी.सी. और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना द्वारा समाज में वंचित समुहों की बालिकायें भी गुणवत्तायुक्त शिक्ष प्राप्त कर सकती हैं।

2. प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति

सारिणी संख्या–2 : भारत में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की स्थिति

	2005–06	2009–10	2013–14
प्राथमिक स्तर	47.8	48.5	48.7
उच्च प्राथमिक स्तर	45.8	48.1	48.7

प्राथमिक स्तर पर भारत में वर्ष 2005–06 में बालिकाओं के नमाांकन का प्रतिशत 47.8 था जो कि वर्ष 2013 में यह प्रतिशत बढ़कर 48.7 हो गया। वर्ष 2005–06 में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नमाांकन का प्रतिशत 45.8 था जो कि वर्ष 2013–14 में बढ़कर 48.7 हो गया। वर्ष 2013–14 में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन बराबर है।

अध्ययन क्षेत्र मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन को सारिणी संख्या–3 में प्रदर्शित किया गया है–

सारिणी संख्या–3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारिणी 3 पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि मुरादाबाद मण्डल में प्राथमिक स्तर पर जनपदवार बालिकाओं के नमाांकन में भिन्नता लिए हुए है। अध्ययनक्षेत्र में वर्ष 2011–12 में सर्वाधिक बालिकाएं 47.89 प्रतिशत बिजनौर जनपद में जबकि सबसे कम बालिकाएं 42.2 प्रतिशत अमरोहा जनपद में है। वर्ष 2014–15 में अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक बालिकाएं 49.18 प्रतिशत रामपुर जनपद में जबकि सबसे कम बालिकाएं 42.45 प्रतिशत अमरोहा जनपद में है। मुरादाबाद मण्डल में वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो पांचों जनपदों में बालिकाओं के नामांकन में किंचित वृद्धि देखने को मिलती है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन की स्थिति को अग्रसारिणी में दर्शाया गया है–

सारिणी संख्या–4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

सारिणी संख्या 4 पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक प्राथमिक स्तर पर जनपद मुरादाबाद व रामपुर में बालिकाओं के नमाांकन में वृद्धि देखने को मिलती है। जबकि बिजनौर, अमरोहा तथा सम्भल जनपदों में बालिकाओं के नामांकन में कमी देखने को मिलती है।

4. प्राथमिक स्तर बालिका शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव:

1. शैक्षिक अवसरों की समानता स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किये जायें बालक और बालिकाओं का शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायें तथा उनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव न किया जाये।
2. बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समाज में उचित दृष्टिकोण विकसित किया जाये इसके लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिक्षा आंदोलन, प्रौढ शिक्षा का प्रसार व जन संचार के साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. बालिकाओं की संख्या के आधार पर बालिका विद्यालयों की स्थापना कीजाये। जिससे वह अभिभावक जो सहशिक्षा पसन्द नहीं करते वह भी अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेज सकें।
4. सह शिक्षा वाले विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। जिससे बालिकाओं में अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न होती हो और अभिभावक बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हों।
5. सह शिक्षा विद्यालयों में लड़कियों की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इसके लिए बुनियादी संरचना का विकास किया जाना चाहिए।
6. पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सुधार किया जाना चाहिए। इसमें खेलकूद, गर्ल्स गाइडिंग, अभिनय समाज सेवा आदि की व्यवस्था हो ताकि बालिकायें भी बालकों के समान पाठ्य सहग्रामी क्रिया कलाओं में भाग ले सके।
7. सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। जिसे केवल बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय किया जाये।
8. विद्यालयों में माता-पिता, अध्यापक संगठन स्थापित किये जाने चाहिए। इससे समाज और स्कूल का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा।यह बालिका शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

निष्कर्ष – साक्षरता एवं नामांकन से सम्बन्धित विभिन्न आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक स्तर पर लिंग के आधारित भेदभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है तथा बालिका शिक्षा में वृद्धि हो रही है। लेकिन बालिका शिक्षा में हुई यह वृद्धि उत्साहजनक नही है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से बालिका शिक्षा अभी भी कम है। भारत के कुछ राज्यों में बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति में है। बालिका शिक्षा के लिए समाज तथा सरकार के स्तर पर और अधिक प्रयास करने होंगे। जिससे बालिका शिक्षा में वृद्धि हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनगणना 2011
2. सांख्यिकीय पत्रिका मण्डल मुरादाबाद।
3. नॉमस पी0 (1964) युगों से भारतीय महिलायें एशिया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई।
4. प्राथमिक शिक्षक, शैक्षिक संवाद की पब्लिकेशन्स सर्व शिक्षा अभियान और बालिका शिक्षा: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली।
5. त्रिपाठी, मधुसूदन (2006) बालिका शिक्षा, विद्यावती प्रकाशन नई दिल्ली।

सारिणी संख्या-3 : मुरादाबाद मण्डल: जनपदवार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1-5 बालिकाओं के नामांकन की स्थिति (2011-12 से 2014-2015)

जनपद	2011-12			2012-13			2014-15		
	कुल विद्यार्थी	बालिकाएं	बलिकाओं का प्रतिशत	कुल विद्यार्थी	बालिकाएं	बलिकाओं का प्रतिशत	कुल विद्यार्थी	बालिकाएं	बलिकाओं का प्रतिशत
बिजनौर	427530	204755	47.89	422978	207003	48.93	381247	184334	48.35
मुरादाबाद	443944	209400	47.16	451777	215259	47.64	717027	343640	47.92
रामपुर	274048	129949	47.41	236013	102582	43.46	401751	197598	49.18
अमरोहा	330416	138873	42.02	330676	139075	42.05	337227	143173	42.45
सम्भल	346187	158081	45.66	349143	159396	45.65	198494	93488	47.09

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका मण्डल मुरादाबाद वर्ष 2013 व वर्ष 2015 तालिका 40 से संकलित

सारिणी संख्या-4 : मुरादाबाद मण्डल: जनपदवाद उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6-8 बालिकाओं के नामांकन की स्थिति (2011-12 से 2014-2015)

जनपद	2011-12			2012-13			2014-15		
	कुल विद्यार्थी	बालिकाएं	बलिकाओं का प्रतिशत	कुल विद्यार्थी	बालिकाएं	बलिकाओं का प्रतिशत	कुल विद्यार्थी	बालिकाएं	बलिकाओं का प्रतिशत
बिजनौर	220851	104973	47.53	232466	110276	47.43	226274	101028	44.64
मुरादाबाद	156218	76268	48.80	166130	81833	49.25	2017.78	148569	49.23
रामपुर	86518	42419	49.02	142988	73913	51.69	113100	57357	50.71
अमरोहा	110968	50392	45.41	111366	50749	45.50	115566	51130	42.24
सम्भल	103532	47114	45.50	101645	47458	46.68	65524	29798	45.47

स्रोत: सांख्यिकीय पत्रिका मण्डल मुरादाबाद वर्ष 2013 व वर्ष 2015 तालिका 40 से संकलित

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

नेहरू और कृषि

डॉ. जोगेन्द्र सिंह*

शोध सारांश – पंडित जवाहरलाल नेहरू उन महान व्यक्तियों में हैं जिनका आधुनिक भारत के निर्माण में अद्धितीय योगदान रहा। नेहरू की आर्थिक विचारधारा और नीतियां भारतवर्ष की परिस्थितियों यथा गरीबी, निरक्षरता आदि के परिप्रेक्ष्य में हुई थी। इसलिए पंडित नेहरू ने इन समस्याओं का निराकरण वैज्ञानिक एवं समाजवादी ढंग से किया। नेहरू जी ने एक आर्थिक दर्शन दिया। भारतवर्ष को नियोजित विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए देश-विदेश की अर्थव्यवस्थाओं के सूक्ष्म अध्ययन, भारतीय जनता के मनोविज्ञान, संस्कार, विश्वास को ध्यान में रखकर एक खाका अपने मन में बनाया। जवाहर लाल नेहरू मूलत: अर्थशास्त्री नहीं थे फिर भी भारत की आर्थिक प्रगति एवं विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। वह जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए कृषि की उन्नति के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता।

प्रस्तावना – किसी भी देश की प्रगति विकास एवं समृद्धि के पीछे श्रम और कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार श्रम द्वारा देश को मजबूत बनाया जाता है उसी प्रकार कृषि देश की जड़ों को मजबूत करती है। जिन देशों में श्रम एवं कृषि की पूजा हुई है वे देश विकास के मार्ग पर तेजी से चलते चले गए। कृषि के क्षेत्र में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जो कार्यकुशलता दिखाई उसके परिणाम आज भारत में चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति ने भारत को संसार के महान देशों में लाकर खड़ा कर दिया है।

'भारत एक कृषि प्रधान देश है भारत के जिन नायकों ने कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए थे उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सर्वोपरि है।'[1] उन्होंने भारत का भविष्य कृषि की मजबूत स्थिति के बीच देखा था। जवाहरलाल नेहरू कृषि के विकास के लिए उतने ही सजग थे जितना उन्हें भारी उद्योगों के लिए माना जाता है। उनका कहना था कि यदि हमने कृषि के विकास को पीछे छोड़ दिया तो देश पिछड़ जाएगा। भारत के लिए चिंता का कारण यह था कि भारत कृषि प्रधान देश कहलाता है लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपनी आबादी के लिए पर्याप्त अन्न पैदा नहीं कर पा रहा था।

'कृषि विकास में जवाहरलाल नेहरू के विचार प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लेविस के 'प्रेरणा द्वारा नियोजन' लेख से मेल खाते हैं। उनका विचार था कि भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश में सरकार का पहला कदम भूमि सम्बन्धी सुधारों का है। यह कदम जमीदारी उन्मूलन के लिए है। दूसरा कदम कृषि में मशीनीकरण को महत्व देना है। कृषि से अधिक उत्पादन के लिए और कृषि को व्यवसाय बनाने के लिए कृषि उपकरणों का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर बल दिया।'[2] उन्होंने वैज्ञानिकों को दिशा निर्देश दिए कि वे नए कृषि यन्त्र, उन्नत किस्म के बीज तथा उर्वरक बनाने पर ध्यान केन्द्रित करें जिससे उत्पादन बढ़ सके। भारत में अधिकतर ग्रामीण जनता के विकास और उन्नति के लिए उन्होंने बहुउद्देशीय सरकारी समितियां खोलने का सुझाव दिया। जवाहर लाल नेहरू के सहकारिता सिद्धान्त की जबर्दस्त आलोचना हुई लेकिन कृषि के विकास के लिए उन्हें बहुत सफलता मिली।

'सन 1920 के पहले जवाहर लाल नेहरू किसानों के सम्पर्क में नहीं आए थे। सर्वप्रथम चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह के समय उनका ध्यान किसानों की ओर आकर्षित हुआ जिसके कारण वे किसानों के आर्थिक सुधार कार्यक्रम और कृषि के विकास के संदर्भ में दिलचस्पी लेने लगे।'[3] किसानों के निकट आना उनकी समस्याओं का समाधान करना तथा भारत में कृषि की ठोस नीव रखना नेहरू के लिए संयोग की बात नहीं थी, उन्होंने स्वयं मेरी कहानी में **'मेरा निर्वासन और किसानों में भ्रमण'** नामक अध्याय में वर्णन किया है। नेहरू का किसानों के प्रति कितना लगावा था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वे किसानों के आग्रह करने पर तुरन्त उनके साथ जाने को तैयार रहते थे।'[4] गाँव-गाँव घूमकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसानों की समस्याएं देखी, उनकी झोपड़ियों में ठहरे तथा घंटो बातें की।

'नेहरू ने किसानों और कृषि के लिए जो सुधारात्मक कार्य किए उनमें मुख्य रूप से जमीदारी प्रथा का अन्त था। जमीदार प्रजा एवं किसानों का शोषण करते थे उनसे बेगार वसूलते थे और उनके कठोर परिश्रम का हिस्सा हड़प लेते थे। उन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर जमीन का वास्तविक हक किसानों को दिलवाया एवं किसानों को ऐसे संसाधनों का उपयोग करने को कहा जिससे अधिकाधिक उत्पादन हो।'[5]

नेहरू ने भारत में कृषि को आधुनिक बनाने और उसके द्वारा अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खादों के प्रयोग पर बल दिया। 'संविधान लागू होते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में योजना आयोग का गठन किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए नेहरू ने सामुदायिक योजनाओं के प्रारंभ करने पर जोर दिया।'[6] प्रथम पंचवर्षीय योजना में उनका ध्यान गांव, किसानों और कृषि की तरफ आकृर्षित हुआ। उनका कहना था कि भारत का भविष्य भी कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करेगा। किसान देश की आत्मा है और आत्मा के बिना शरीर मृत समान है। कृषि प्रधान होने के कारण यहां औसत आय तभी बढ़ेगी जब खेती का उत्पादन बढ़ेगा।

'नेहरू ने किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों के प्रयोग करने पर बल दिया। उन्होंने किसानों से कहा था कि हर युग का अपना अलग धर्म होता है यदि आप उस युग के धर्म का पालन नहीं करते हैं तो आप कमजोर हो जायेगें और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। कृषि हमारी प्रत्येक समस्याओं का समाधान कर सकती है भले ही समस्या भूख, गरीबी, या अंधविश्वास से ही क्यों न सम्बन्धित हो। उन्होंने अपने कार्यकाल में श्रेष्ठ

* असिस्टेट प्रोफेसर (इतिहास विभाग) अब्दुल रज्जाक (पी0जी0) कॉलिज, जोया अमरोहा (उ.प्र.) भारत

किसानों को सम्मानित करने के लिए **'कृषि पंडित'** जैसी उपाधियां देने की परम्परा शुरू की। राज्यों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए **'विजय कलश'** दिए जाने लगे।'[7]

पंडित नेहरू के द्वारा कृषि की ठोस नींव रखने के कारण आज भारत का नाम कृषि क्रान्ति करने वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है। उन्होंने कृषि के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को माध्यम बनाया और कृषि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में उन सभी प्रभावशाली तरीकों को अपनाया।

'वास्तव में आजादी से पहले ही नेहरू के मन में एक सपना चल रहा था कि भारत का कोई भी निवासी भूखा ना रहे। प्रत्येक मेंहनत मजदूरी करने वाले को 2400-2800 कैलोरी वाला भोजन मिले, प्रत्येक आदमी को हर साल 30 गज कपड़ा एवं एक परिवार को कम से कम 100 वर्ग फुट प्रति व्यक्ति की दर से घर बनाने के लिए जमीन मिले, स्वास्थ्य के लिए भी 1000 की आबादी के लिए कम से कम एक डॉक्टर एवं डिस्पेन्सरी अवश्य हो। 18 जनवरी 1948 को आकाशवाणी से प्रसारित संदेश में उन्होंने अन्न उपजाओ कार्यक्रम की घोषणा करते हुए कहा था: दर असल एक भूखे इंसान के लिए या एक गरीब मुल्क के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक उसके पास बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन न हो इसलिए हमें भारत के लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि पर ध्यान देकर अनाज उत्पादन को अधिक बढ़ाना चाहिए।'[8]

आज हमारे देश में लगभग 26 कृषि विश्वविद्यालय हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड के नैनीताल जिले के पंतनगर में खोला गया था। 'उन्होंने विश्वविद्यालय के बारे में कहा कि यह किसानों के घर जैसा होना चाहिए।'[9] खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की नींव रखी तथा दूसरी ओर रासायनिक खाद के कारखाने खोलने को भी वरीयता दी। भाखड़ा नांगल बांध, गांधी सागर, गंडक, कोसी, नागार्जुन सागर, हीराकुण्ड, तुंगभद्रा, घटप्रभा बांध जैसी विशाल सिंचाई परियोजनाओं ने 'हर खेती को पानी हो' के सपने को पूरा किया उसी के कारण आज हम इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत कर सके।

नेहरू ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि की कभी उपेक्षा नहीं की। उनका कहना था कि कृषि औद्योगिकी का आधार है और इस पर उद्योगों का भविष्य निर्भर करता है। अच्छी कृषि के लिए आज बिजली, मशीन, रासायनिक खाद तथा आधुनिक कृषि यंत्रों की आवश्यकता है। इसलिए कृषि व उद्योग में चोली दामन का साथ है। सिंदरी में रसायनिक खाद का पहला कारखाना पंडित नेहरू के प्रयासों से ही खुला था। किसानों को नई जानकारी देने के लिए उन्होंने आकाशवाणी पर कृषि कार्यक्रमों को प्रसारित करने की नींव रखी तथा कृषि मेलों का आयोजन कराया।

'कृषि में सहकारी आन्दोलन भी नेहरू की देन मानी जाती है। नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि 'बाकी सब रूक सकता है मगर खेती नहीं।' सब कुछ इंतजार कर सकता है मगर कृषि नहीं। इसलिए नेहरू ने कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान खोलने को वरीयता दी।'[10] अधिक उत्पादन के लिए नेहरू जानते थे कि खेती भी वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी यह नेहरू की ही देन थी कि आज भारत नाईट्रोजन व फास्फोरस से बनी रसायनिक खादों के उत्पादन में आत्म निर्भरता के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। नेहरू ने सत्तारूढ़ होते ही भारत के माथे से इस कलंक को धो दिया कि वह एक भिखारी व गरीब लोगों का देश है जो हर देश से खाद्यान्न मंगाता है। नेहरू द्वारा देश को अनेक परिसम्पत्तियां मिली-

1. खाद्यान्न का भंडार, आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर देश।
2. रासायनिक खादों के उत्पादन में आत्मनिर्भर।
3. निरंतर विस्तृत हो रही सिंचाई व्यवस्था।
4. सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज की संरचना।

नेहरू जी ने कृषि अर्थव्यवस्था क ऐसा आधार बनाया था कि वह अपने आप विकसित हो सके और प्रगति कर सकें। उनके प्रयासों से ही भारत कृषि से उत्पन्न होने वाले माल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा में उनका महत्वूपर्ण कदम सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना था उनका विचार था छोटे-छोटे खेत अन-आर्थिक हैं तथा इन पर कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।'[11] उनका कहना था कि भारत की भूमि समस्या का सहकारी खेती से सुंदर हाल हो ही नहीं सकता। खेती पर कार्य करने वाला व्यक्ति ग्राम में सबसे बड़ी मशीन है। यदि भारत में खेती में मशीन का प्रयोग किया जाए तो श्रम शक्ति का क्या होगा? इसलिए जब तक उद्योग में पूर्ण उपयोग के लिए हम उपयुक्त औद्योगिक ढांचा तैयार नहीं कर ले तब तक कृषि का मशीनीकरण लाभप्रद नहीं होगा। सहकारी खेती ही भारत की तमाम आर्थिक समस्याओं का हल हो सकती है इससे उत्पदन और अधिक बढ़ सकता है। पंडित नेहरू ने सदैव किसानों के हित की बात कही थी। उन्होंने भारत में जो हरित क्रांति का सपना देखा था वह आज पूरा होने के कगार पर है उन्होंने भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि के विकास पर बल दिया। आज भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर है और देशों की खाद्य जरूरतें भी पूरी कर रहा है इसका श्रेय पंडित नेहरू जी को ही जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. शरद चंद्र जैन, नेहरू ही क्यों, किताब महल प्राईवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, 1963।
2. भारत (वार्षिक संदर्भ ग्रंथ) पब्लिक डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बॉडकास्टिंग, भारत सरकार नई दिल्ली, 1954।
3. शुकदेव प्रसाद, नेहरू और विज्ञान, पराग प्रकाशन दिल्ली, 1989।
4. रामबदन बरवां, आधुनिक कृषि के स्वप्न द्दष्टा, पराग प्रकाशन, शाहदरा दिल्ली 1989।
5. सुभाष कश्यप, जवाहरलाल नेहरू, जीवन कृति एवं कृतित्व, एस चंद कंपनी, रामनगर नई दिल्ली-1987।
6. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, मई 2005।
7. विज्ञान प्रगति, सिफर से शिखर तक, भारतीय विज्ञान के 60 वर्ष 2007।
8. रमेश दत्त शर्मा, नेहरू का स्वप्न हरित क्रान्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहु आयामी व्यक्तित्व से उद्धृत 1962।
9. रतन लाल जोशी, नेहरू योजनाबद्ध आर्थिक विकास के जन्मदाता, कांग्रस वर्णिका, अकबर रोड नई दिल्ली, 1988।
10. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र 1962।
11. नीलरत्न धर, भूमि का सुधार नेहरू अभिनंदन ग्रंथ, आर्यव्रत प्रकाश ग्रह कोलकाता 1972।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

दूषित पेयजल (फ्लोराइड) के कारण क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन (म.प्र. के नीमच जिले के नीमच विकासखंड के विशेष संदर्भ में)

डॉ. एस.एस.मौर्य * विनोद कुमार तिवारी **

प्रस्तावना – जल मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है कहते है कि जल है तो कल है जल ही जीवन है। मनुष्यों को पेयजल विभिन्न स्त्रोतो से प्राप्त होता है जैसे झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के स्त्रोत जैसे नलकुप, कुएं, तालाब आदि। जब पेयजल में अवांछनीय तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है जो वह प्रदूषीत हो जाता है। यह प्रदूषित तत्व मानव जीवन पर घातक प्रभाव डालते है। यह जल प्रदूषण संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी होता है

जल प्रदूषण का एक कारण जल में पाये जाने वाले तत्वों की मात्रा की अधिकता भी है वैसे जल में कई लवण आवश्यक होते है जैसे लोह, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरिन–फ्लोरिन आदि। यही कुछ तत्वों की अधिकता भी मानव शरीर में बीमारिया उत्पन्न करती है जैसे फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस मर्करी की अधिकता से मिनिमाता रोग आर्सेनिक की अधिकता से त्वचा रोग नाइट्रेड की अधिकता से ब्लुबेबी सिंड्रोम आदि। फ्लोरोसिस मनुष्य को तब होता है जब वह मानक सीमा से अधिक घुलनशील फ्लोराइड युक्त पेयजल को लगातार पीने के लिए व्यवहार में लाता है। फ्लोरोसिस सर्वप्रथम वर्ष 1930 के आसपास दक्षिण भारत में आंध्रप्रदेश में देखा गया लेकिन आज के समय में विभिन्न राज्यों में यह बीमारी पैर पसार चुकी है। और दिन प्रतिदिन क्षैत्र विशेष में विक्राल रूप लेती जा रही है। अधिकत्तर यह देखा गया है कि यह बीमारी अशिक्षित, गरीब व कुपोषित ग्रामीणों में फ्लोरोसिस की बीमारी बहुत जल्दी पनप जाती है। फ्लोरोसिस की चपेट में आकर मनुष्य असमय ही वृद्ध होने लगता है उसकी कमर झुकने लगती है और वह चलने फिरने से लाचार हो जाता है। फ्लोराइड एक प्रकार की दो धार वाली तलवार है अर्थात् शरीर में फ्लोराइड का कम मात्रा में होना उतना ही हानिकारक है जितना की अधिक मात्रा में होना मनुष्य के शरीर हेतु फ्लोरिन अति आवश्यक तत्व है क्योकि फ्लोरिन की सहायता से अस्थियों का सामान्य लवणीकरण होता है एवं दांतो के इनामेल का निर्माण होता है। शरीर में उपस्थित कुल फ्लोराइड का 96 प्रतिशत फ्लोराइड अस्थियों एवं दांतों में पाया जाता है। पेयजल प्रदूषण मनुष्यों में कई सामाजिक आर्थिक प्रभाव के साथ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाता है कभी–कभी तो मनुष्य गुंगेपन का भी शिकार हो जाता है। ये सभी सामाजिक समस्याए है जिनके आज के संदर्भ में विवेचना करना आवश्यक हो गया है यह समस्या ग्रामीण क्षैत्रों में अधिक परंतु शहरी क्षैत्र भी अछुते नहीं है। विकलांग व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद होता है। यह किसी से छिपा नहीं है। शारीरिक विकलांगता का वह अभिशाप है केवल वह व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसका पुरा परिवार भी प्रभावित होता है।

फ्लोराइड की मात्रा और उसका शरीर पर प्रभाव

फ्लोराइड की मात्रा मि.ग्रा./लीटर	मनुष्य के शरीर पर प्रभाव
0.5 से कम	दंत क्षरण
0.5 से 1.0	दंत क्षरण से बचाव, दांतों एवं हव्यिों की सुरक्षा
1.5 से 3.0	दंत फ्लोरोसिस
3.0 से 10	अस्थि फ्लोरोसिस
1 0 से अधिक	पंगु अस्थि फ्लोरोसिस एवं अस्थि जड़ता

लक्षण फ्लोरोसिस प्रारंभिक अवस्था, मध्यम अवस्था एवं गंभीर अवस्था

1. प्रारंभिक अवस्था सफेद दांत पीले होने लगते है और दांतो की चमक खत्म हो जाती है।
2. मध्यम अवस्था दांतों का यह पीला रंग चकते के रूप में या रेखा के आकार में स्पष्ट उभरने लगते है तथा धीरे–धीरे समतल रेखा बढ़ती जाती है। जो क्रमश: पीले, भूरे व काले रंग के हो जाते है।
3. अंतिम अवस्था सभी दांत काले हो जाते है इसके बाद दांतों में गड्ढे या छेद हो जाते है। कम उम्र में दांतों का टूटना उन इलाकों में होता है जहाँ फ्लोरोसिस महामारी की तरह फैला होता है।

उपाय – अत्यधिक फ्लोराइड को मानव शरीर में जाने से रोकना।

1. वैकल्पिक पेयजल स्त्रोत को अपनाना चाहिए जिसमें वर्षा जल का संरक्षित उपयोग कम फ्लोराइड (मानक सीमा के भीतर) या फ्लोराइड मुक्त भू–जल स्त्रोत तथा नदी, तालाबों, झीलों इत्यादि के जल को शुद्ध करके पीने में उपयोग में लाना चाहिए।
2. ऐसी भोजन व्यवस्था अपनानी चाहिए जिसके अवयवों में कैल्शियम की मात्रा प्रचुरता से उपलब्ध हो सकें क्योंकि यह देखा गया कि इस तरह दंत फ्लोरोसिस के आक्रमण को कम किया जा सकता है। विटामिन–सी की मात्रा भी फ्लोरोसिस से लडने में सहायक सिद्ध हुई है।
3. पेयजल में घुलनशील फ्लोराइड को हटाने के लिए विभिन्न तकनिकों को अपनाना चाहिए। इनमें सबसे आसान प्रभावी और प्रचलन में नालगोंडो तकनीक है। इसमें फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर और चुने को उपयोग में लाकर फ्लोराइड को हटाया जा सकता है।
4. फ्लोरोसिस संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाना जन साधारण को

* प्राध्यापक, शासकिय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, समाजशास्त्र अध्ययन शाला, उज्जैन (म.प्र.) भारत

जागरूक करना।

5. फ्लोरोसिस की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि सामूहिक रूप से प्रयास किए जाए और समाज के सभी वर्गो को इस कार्य में सम्मिलित किया जावें। जिनमें रोगी लोकस्वास्थ्य इंजिनियर, जल वैज्ञानिक, नितिनिर्धारक, जनसामान्य, राज्यसरकारें, दंतचिकित्सक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, चिकित्सक, एनजीओ इत्यादि शामिल है।

शोध का उद्देश्य :

1. पेयजल प्रदूषण का स्तर ज्ञात कर क्षैत्र के लोगों में कौन-कौन सी सामाजिक समस्याए व्याप्त है उनका अध्ययन करना।
2. पेयजल प्रदूषण विशेष कर फ्लोराइड का क्षैत्र के लोगों पर सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षैत्र का अध्ययन एवं विश्लेषण।
3. पेयजल स्त्रोतों में फ्लोराइड के स्तर का आकलन करना एवं उसका विश्लेषण करना व अन्य क्षैत्रों से तुलना करना।
4. फ्लोराइड के कारण समाज के हर वर्ग का चाहे पूँजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन।
5. पेयजल प्रदूषण को कम करने हेतु शासकिय व अशासकिय प्रयासों का अध्ययन। पेयजल प्रदूषण विशेषकर फ्लोराइड की समस्या के समाधान हेतु शासन की योजनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
6. फ्लोराइड पेयजल प्रदूषण का बच्चों किशोर-किशोरियों व्यस्कों एवं बुजुर्गों पर प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

समस्या का परिचय :

जिले का परिचय - म.प्र. में नीमच जिला स्थित है जिसका क्षैत्रफल 3875 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसंख्या 7,25,457 है यहां की भाषा हिन्दी व अंग्रेजी है, जिसमें गांवों की संख्या 800 हैं। जिसकी तहसीलें नीमच, जीरन, जावद, मनासा,सिंगोली हैं। जनसंख्याघनत्व 210 प्रतिवर्ग कि.मी. है। साक्षरता 71.81 प्रतिशत है। लिंगानुपान 959 महिलाए प्रति 1000 पुरूष है।

इसमें नीमच विकासखण्ड का क्षैत्रफल 855.1 वर्ग कि.मी. है। गांवों की संख्या 187 तथा शहरों की संख्या 2 है।

नीमच विकासखण्ड के जिन गांवों में फ्लोराइड का असर है उसे दो भागों में बांटा जा सकता है। मानव शरीर की अस्थियों के अलावा अन्य अंगो पर भी देखा गया है। इसका शरीर के कोमल उत्तकों पर प्रभाव पड़ता है। सामान्य समस्याए इस प्रकार है - आँतों की समस्या, भूख कम लगना, पैरों में दर्द, कब्जियत, मांसपैशियों में अत्याधिक कमजोरी महसूस होना, अत्याधिक प्यास लगना, पैशाब बार-बार आना, कॉलेस्ट्राल बढ़ने के कारण हृदयघात की स्थिती देखी गई है। इन समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक सांस्कृतिक समस्याए भी उभर कर सामने आई है। जिसमें अविवाह असमय वृद्धावस्था, युवास्था में बाल सफेद होना आदि। इन समस्याओं से ज्यादा महिलाऐ प्रभावित देखी गई है। जिनका गांव से बाहर आना जाना कम रहता है। वही पुरूष वर्ग जो नौकरी पैशा या मजदूरी हेतु जिनका अधिकतम समय घर से बाहर रहते है। उन पर प्रदूषण का प्रभाव कम रहता है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि इस विषैले फ्लोराइड युक्त धुऐ से पर्यावरण में स्थित जैव-विविधता व वन्यजीव भी प्रभावित होते है।

नीमच जिले के संदर्भ में देखा जाए तो नीमच विकासखण्ड के 11 गांव ऐसे है, जहां जल में विशेष तत्व फ्लोराइड की अधिक मात्रा पाई जाती है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट में पाया गया की मध्यप्रदेश में मण्डला, डिंडोरी, जबलपुर (नगरी क्षैत्र), अलीराजपुर, झाबुआ, सिवनी, शिवपुरी, धार, छिंदवाड़ा, नीमच, रतलाम के 29 विकासखण्डों की 127 बसाहटों में फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक पाई गई है। नीमच जिले के नीमच विकासखण्ड के गांव जावी, चड़ौली, बड़ौली, थड़ौली, चारण पिपलिया क्षैत्र में 2.5 पी.पी.एम. से 4.5 पी.पी.एम. तक फ्लोराइड की मात्रा पाई गई है।

अस्थि फ्लोरोसिस ने व्यक्ति न सिर्फ शारीरिक स्तर पर विकलांग/अपाहिज बनाया है, अपितु सामाजिक व आर्थिक रूप से भी उसे पिछड़ेपन की श्रैणी में सम्मिलित कर दिया है। फ्लोरोसिस व्यक्ति की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। फ्लोरोइड गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि यह आवनाल (प्लेसेंटा) द्वारा गर्भस्थ शिशु तक पहुँच सकता है एवं माँ के दूध द्वारा स्तनपान करने वाले बच्चों को भी प्रभावित करता है। दंत फ्लोरोसिस सामाजिक एवं शारीरिक खुबसूरती से संबंधित समस्या उत्पन्न करता है। पीले व रंगविहीन दांत वाले लोगों में हिन भावना घर कर जाती है। कांतिहीन दांत लड़कियों के वैवाहिक संबंधों हेतु बाधक सिद्ध होते है। समस्या के फैलाव का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। जिससे पेयजल स्त्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पेयजल की गुणवता को नजर अंदाज करते हुए नलकुपों की अंतहीन खुदाई पानी में फ्लोराइड की मात्रा को बढ़ा रहा है। साधारण पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर मानव शरीर में फ्लोराइड अस्थिओं से हाइड्राआक्साइड को हटाकर खुद जमा हो जाता है और अस्थि फ्लोरोसिस को जन्म देता है। मानव शरीर में फ्लोराइड पेयजल के अतिरिक्त मुख्यत: भोजन, वायु, दवाईयों तथा प्रसाधनों के द्वारा भी प्रवेश करता हैं, लेकिन लगभग 60 प्रतिशत पेयजल द्वारा शरीर में प्रविष्ट होता है। हमारे देश में यह पाया गया है कि फ्लोराइड, चाय, फ्लोराइड युक्त दंत मंजन और अत्याधिक घुलनशील युक्त पेयजल के द्वारा मानव शरीर में प्रविष्ट होता है। शीतल पेयों द्वारा भी फ्लोराइड हमारे शरीर में पहुँचता है।

दैनिक भास्कर की जानकारी के अनुसार ग्राम जावी में 80 प्रतिशत आबादी फ्लोराइड वाला जल पीने को है मजबूर गांव में किसी के दांत पीले पड़ गए तो किसी की हड्डियां कमजोर हो गई है तो किसी के घुटने पूरी तरह जवाब दे गए है तो किसी के हाथ के तकलीफ है। यह हाल है गांव जावी के लोगों का गांव के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और लोगों को बीमार कर रही हैं। पी.एच.ई. विभाग ने फ्लोराइड रिमुवल वाटर प्लांट भी लगाया उससे केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही पानी मिल रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित है, जहाँ ग्राम जावी की आबादी 5,000, मकान 1,000 और वार्ड 20 हैं। गांव में पीने के पानी हेतु 14 हेंडपम्प तथा 4 कुएं हैं, लेकिन सभी के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। पी.एच.ई. विभाग ने गांव के हेंडपम्पों पर लाल रंग के निशान लगा दिए है, और पानी उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। गांव के लोग अन्य दूर खेतों से पानी लाते है या कभी पी.एच.ई. आर.ओ. प्लांट से।

उपसंहार - फ्लोराइड युक्त पानी पीने से मात्र 7 वर्ष की आयु के बच्चों के दांत पीले पड़ गए है। 30 से 35 वर्ष की आयु के युवा वृद्ध दिखने लगे है। पायरिया से लोगों के दांत टूटने लगे है तथा असमय बाल सफेद हो रहे है।

फ्लोरोसिस से बचाव के लिए भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय पेयजल की कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण बसाहटों में जल प्रदाय योजना क्रियांवित की जा रही है।

बसाहटों में जलप्रदाय व्यवस्था के मापदंड :-

1. ऐसी बसाहटों जिनमें प्रत्येक परिवार जिनको 55 लीटर/व्यक्ति

प्रतिदिन के मान से 500 मीटर के दायरें में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।

2. पहाड़ी क्षैत्रों में प्रत्येक परिवार को उसके निवास स्थान से अधिकतम 30 मी. की ऊंचाई या नीचे पेयजल स्त्रोत उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रदूषण के निवारण हेतु भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1974, जल(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)उपकर अधिनियम 1977

भारत में केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है, तथा केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 2019 जल जीवन मिशन की शुरूआत की गई है। वही नीमच, मंदसौर व रतलाम जिले में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी शुद्ध एवं स्थायी पेयजल हेतु कार्य कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा राम 'सामाजिक समस्याए' द्वितीय संस्करण पुर्णत: संशोधित एवं परिवर्तित।
2. मदन जी.आर.(2000) 'भारतीय सामाजिक समस्याएं' विवके प्रकाशन (आगरा)
3. सिंह जे.पी. (2010) 'आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन' पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड(नई दिल्ली)

****

कोविड - 19 महामारी और औषधीय महत्व के पौधे

डॉ. राजेश बकोरिया *

प्रस्तावना - कोविड-19 या नोवल कोरोना वायरस जिसे सार्स कोव-2 के नाम से भी जाना जाता है दिसबंर 2019 को चीन के बुहान शहर में अधिकारिक रूप से इसके पहले मरीज को रिपोर्ट किया गया। सार्स कोव-2 सामान्यत: चमगादड़ में पाया जाता है यह वायरस जानवरों में ही उत्पन्न हुआ है ऐसे कोई विशेष प्रमाण नही मिले है कि सार्स कोव-2 प्रयोगशाला में बनाया गया है। यह वायरस बिल्ली, ऊँट एवं मानवों में भी पाया जाता है। भारत में कोविड-19 का पहला मरीज 30 जनवरी 2020 को केरल में रिपोर्ट किया गया।

21 दिसम्बर 2020 को भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,03,639 है और स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए मरीजों की संख्या 9,606111 है तथा 145810 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। म.प्र. में 231284 एक्टिव केस एवं 216485 मरीज ठीक हो चुके है जबकि 3481 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह इस कोविड-19 ने एक महामारी का रूप धारण कर लिया और लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। 22 मार्च 2020 को भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आवहान पर 14 घंटों का ऐच्छिक लॉकडाऊन किया गया। फिर 24 मार्च 2020 को 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाऊन किया गया, जिसे 14 अप्रेल को 3 मई 2020 तक के लिए पुन: बढ़ाया गया। 1 जून 2020 से पूरे देश में अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई।

कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण तेज बुखार है जिससे शरीर का तापमान 100^{0} डिग्री फेरेनहाइट या इससे ऊपर पहुँचता है। WHO के अनुसार 88% लोगो को बुखार, 68% लोगो को खांसी और कफ, 38% लोगों को थकान तथा 18% लोगो को सांस लेने में परेशानी, 14% लोगों को सरदर्द एवं बदन दर्द की शिकायत जबकि 11% को ठंड लगना एवं 4% लोगों में डायरिया के लक्षण नजर आते है। साथ ही यदि हमें खाने की चीजों में स्वाद नही आ रहा हो या हम आसपास की चीजों में गंध महसूस नही कर पा रहें हो तो हमें सावधान हो जाना चाहिए एवं कोरोना की जाँच कराना चाहिए। अन्य शब्दों में कोरोना वायरस के लक्षण फ्लू से मिलते जुलते है जिसमें संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में परेशानी तथा गले में खराश जैसी समस्याऐं उत्पन्न होती है। यह एक संक्रामक रोग है जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फैलता है अत: बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, अस्थमा, डायबिटीज एवं हार्ट की बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिय यह जानलेवा साबित होता है।

इस बीमारी से बचाव हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कुछ विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए है जिनके अनुसार हमें अपने हाथों को 20 सेकंड तक बार-बार साबुन से धोना चाहिए, एल्कोहल युक्त हैंड सेनीटाइजर का उपयोग करना चाहिए, खांसते या छींकते समय मुँह को रूमाल या टिश्यू पेपर से ढंक लेना चाहिए व उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। मुँह पर मास्क लगाकर रखा जावे एवं सामाजिक दूरी हेतु आपस में 2 गज की दूरी रखी जावें। सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें एवं सर्दी होने पर गर्म पानी की भाप लें। इस तरह कुछ सावधानियां रख कर हम इस महामारी से बचाव हेतु प्रयास कर सकते है। कोरोना वायरस के संक्रमण और महामारी को रोकने हेतु आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक औषधियों और पौधों का महत्व बताया एवं आयुष काढ़े का निर्माण एवं वितरण कर लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद की है।

इस लेख के माध्यम से कोविड-19 जैसी महामारी के काम में आने वाले औषधियों पौधों के बारे में बताने का प्रयास किया गया है जिनका सेवन करके हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते है एवं इस रोग को फैलने से रोकने हेतु एक सकारात्मक कदम उठा सकते है। आयुर्वेदिक पौधों का उपयोग कर हम अपनी रोग प्रतिरोधकता बढ़ा सकते है। यहाँ हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो कोविड-19 में हमारी इम्युनिटी बढ़ाकर हमें बैक्टीरिया वायरस एवं अन्य सूक्ष्म जीवों से लड़कर हमारे शरीर की रक्षा कर सकते है। वे पौधे निम्नानुसार है -

1. सहजन:- इसे मोरिगां, सुरजना या मूंगना के नाम से भी जाना जाता है यह कोविड-19 महामारी में भी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले बूस्टर्स पाए जाते है इसमें संतरे से सात गुणा अधिक विटामिन 'C' पाया जाता है। विटामिन 'C' शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है साथ ही सहजन में अनेक ऐसे पोषक तत्व भी पाए जाते है जो हमारी कोशिकाओं, मांसपेशियों और शरीर को स्वस्थ करता है इसमें उच्च मात्रा में पाटेशियम, आयरन, केल्शियम एवं अमीनों अम्ल पाया जाता है जो इस महामारी से बचाव हेतु हमारी मदद कर सकता है अत: इसका सेवन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

2. नीम:- नीम का पौधा भी एक अच्छा इम्यून बूस्टर माना जाता है जो हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं, विषाणुओं एवं हानिकारक रोगजनकों से हमारी रक्षा करता है। अर्थात नीम में एंटी-वायरस, एंटी-बैक्टिरियल एवं एंटी-फंगल गुण पाए जाते है। नीम हमारे शरीर की सफाई भी करता है यह हमारे रक्त को शुद्ध करके हमारे शरीर से विशैले पदार्थो को बाहर निकाल कर हमारी रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है अत: हमें नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए।

3. तुलसी:- तुलसी एक चमत्कारी औषधी है इसकी पत्तियों में कोविड-19 के विरूद्ध लड़ने की क्षमता पायी जाती है इसके फायटोकेमीकल,

* सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

एंटीऑक्सीडेंट एवं कृमीनाशक गुणों के कारण यह जर्म, वायरस, बैक्टीरिया को नष्ट करने की अद्धितीय क्षमता रखता है अत: तुलसी पत्तियों को चबाना एवं पानी में उबालकर काढ़े के रूप में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

4. अश्वगंधा:- अश्वगंधा हमारे तनाव को कम करने और रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने तथा वायरस संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में बहुत सहायक है। अत: हम अश्वगंधा का सेवन करके कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम कर सकते है।

5. त्रिफलाचूर्ण:- त्रिफला में हर्रा, बहेड़ा एवं आंवला को शामिल किया जाता है त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है। साथ ही इसमें विटामिन 'C' तथा विटामिन I भी पाया जाता है जो हमारी रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है अत: हमें इस महामारी के दौर में त्रिफला चूर्ण को अवश्य लेना चाहिए जिससे हम कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बच सके।

6. अदरक:- अदरक सदियों से सर्दी-जुकाम का रामबाण इलाज है इसमें भी कोविड-19 के प्रति प्रभावकारी गुण पाए जाते है इसमें जिंजेरॉल नामक ऐंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो वायरस को मारता है साथ ही हमारी रोगप्रतिरोधकता को भी बढ़ाता है यह हमारे श्वसन मार्ग के लिए भी अच्छा माना जाता है अत: हमें हमारे भोजन एवं चाय में इसे जरूर शामिल करना चाहिए।

7. लहसन:- लहसन भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कोरोना वायरस से हमारी रक्षा करती है इसमें एलीसिन पाया जाता है जो कृमिनाशक और वायरस नाशक होता है अत: मसालों के साथ-साथ कच्चे लहसन की कली को चबाकर खाना भी लाभप्रद है।

8. हल्दी:- हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है जो एक फाइटोकेमीकल है जो हमारे शरीर से विशैले पदार्थो को बाहर निकालकर हमारी रोगप्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और बैक्टीरिया एवं वायरस को मारने की क्षमता रखता है। हल्दी का सेवन मसाले के अलावा दूध में उबालकर भी पीना चाहिए तो हम कोविड-19 से अपना बचाव कर सकते है।

9. कालीमिर्च:- काली मिर्च भी बैक्टीरिया एवं वायरस को नष्ट करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते है। काली मिर्च के बीज एवं तेल में एंटीऑक्सीडेंटस पाया जाता है जो हमारी इम्युनिटी को कमजोर करने वाले मुक्त मूलकों को बाहर निकालने का काम करते है। अत: खड़े-मसाले के रूप में 4-5 काली मिर्च का प्रयोग अवश्य करें।

10. गिलोय:- गिलाय एक इम्युनिटी बूस्टर है जिसमें रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है यह अमृता या टीनोस्पोरा के नाम से भी जानी जाती है। इसमें रोगजनको से लड़ने की क्षमता पायी जाती है इसे पावडर के रूप में, सूप या जूस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसमें अधिक मात्रा में ऐंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो वायरस एवं सामान्य संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी रोगप्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंटीपायरेटिक होने के कारण यह डेंगु, मलेरिया, एवं स्वाइन फ्लू आदि में भी असरदार होता है।

इस तरह हम इस महामारी के दौर में इन औषधीय पौधों का उपयोग करके कोविड -19 से अपनी सुरक्षा कर सकते है। अत: प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस खजाने का प्रयोग कर अपना जीवन सुरक्षित रखें। आज कोरोना वायरस की वैक्सीन आ चुकी है परंतु वैक्सीन को लगने में काफी समय लगेगा। तब तक हमारे अमूल्य जीवन को बचाने में इन औषधीय पौधों का विशेष महत्व है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति

डॉ. मनु गौरहा* दीपक कारपेन्टर**

प्रस्तावना – भारत सदियों से विभिन्न सामाजिक-साँस्कृतिक विभिन्नताओं से ओतप्रोत रहा है। किसी एक समुदाय के अंतर्गत भी अनेक सामाजिक विभिन्नताएँ पायी जाती है। आजादी से पूर्व हर समाज व समुदाय अपनी सामाजिक परम्पराओं की रक्षा व मूल्यों का आदर करता हुआ आ रहा है। हर समाज व समुदाय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में आजादी से पूर्व व पष्चात में बहुत परिवर्तन हुआ है। हर समाज व समुदाय में महिलाओं की आजादी, सम्मान, सुरक्षा, जीवन-स्तर, रहन-सहन, आदि स्तर पर बहुत परिवर्तन हुआ है। इससे बाँछड़ा समुदाय भी अछूता नहीं है। बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन सरकार की विभिन्न योजनाओं, सूचना-सन्चार, आवागमन-सुगमता, वैचारिक-स्वतन्त्रता, संविधान द्वारा प्रदत्ता शक्तियों, मोबाइल क्रान्ति, आदि के कारण सम्भव हुआ है।

वैदिक-काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बड़ी उन्नत थी। महाभारत काल तक आते-आते स्त्री वस्तु बन गयी। जिसे दाव पर भी लगाया गया। देवताओं ने भी ऋषि-मुनियों की तपस्या भंग करने ने हेतु अप्सराओं का उपयोग कर स्त्री जाति का अपमान ही किया है। मध्यकाल तक आते-आते स्त्रियों पर पाबन्दियाँ और बड़ी। उसे पर्दा प्रथा का सामना करना पड़ा। उसको चार दीवारी में कैद कर दिया गया। सती प्रथा के विकृत रूप सामने आये। अंग्रेजों के आगमन ने तो स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में भूचाल ही ला दिया। स्त्रियों का जितना शोषण अंग्रेजों ने किया उससे मानवता कलंकित और इतिहास शर्मसार हुआ है। अंग्रेजों ने महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया। स्त्रियों ने उसी समय आजादी की लड़ाई में भाग लिया। गाँधी जी के साथ महिलाओं ने भी भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आजादी के बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति उनमें भी प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति केलिए अग्रदूत बन कर आये। चूँकि बाँछड़ा समुदाय अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। अत: अनुसूचित जाति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हेतू बाबा साहब अम्बेडकर एक अग्रदूत बन कर आये। जिन्होने अनुसूचित जाति के उत्थान लिए अपना पूरा जीवन होम कर दिया। अनुसूचित जाति केजीवन-स्तर सुधार, सामाजिक-प्रतिष्ठा, आदि के लिए अथक परिश्रम किया।

वैदिक-काल में अनुसूचित जाति को चान्डाल कहा जाता था। कौमारने वाल्वने ने अपनी रचना के नाम में ही **'चांडाला'** शब्द का प्रयोग किया है। गाँधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इतने प्रगतिशील थे कि, जब गाँधी जी ने कहा कि भारत गाँवों में रहता है तो डॉ0 अम्बेडकर ने पूछा था-पर क्या उसे हमेशा वहीं रहना चाहिए? अर्थात-डॉ0 अम्बेडकर हर जगह का विकास चाहते थे।

अनुसूचित जातियों को भारत के कमजोर और पिछड़े वर्गो के अन्तर्गत गिना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 16.6 करोड़ थी। 2001 के आंकड़ों के अनुसार देश की आबादी के 16.2 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति से सम्बद्ध हैं। 2011 की जनणगना के अनुसार देशभर में दलितों की कुल आबादी 25करोड़ 9लाख 61हजार 94 है। 2011 की जनणगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 24.4 प्रतिशत हिस्सेदारी दलितों की है।

उत्तरप्रदेश, पश्चिम-बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में देश के करीब आधे दलित रहते हैं। देश के 148 जिलों में इनकी आबादी 49.9 फीसदी तक है, वहीं 271 जिलों में इनकी तादाद 19.9 प्रतिशत है।

शोध-प्रविधि-उपर्युक्त शोध द्वितीयक समंको पर आधारित है। प्रस्तुत शोध वर्णात्मक-शोध पर आधारित है। अत: शोध-पत्र की प्रचना वर्णात्मक है। अन्तर्वस्तु विश्लेषण की परिभाषाएँ विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित रूप से दी है-

कैप्लान-'अन्तर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि एक दी गई वार्ता के अर्थो की एक क्रमबद्ध एवं गणानात्मक व्याख्या करने का प्रयास करती है।'

बेरलसन-'अन्तर्वस्तु विश्लेषण संचार की अभिव्यक्त अन्तर्वस्तु के वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध तथा गणनात्मक विवरण हेतु प्रयोग की जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है।'

बेरलसन की इस परिभाषा को अधितर विद्वानों ने अपनी सहमति दी है।

भारत में प्रमुख अनुसूचित जातियां:

अनुसूचित जाति का अर्थ-सामान्यत: अनुसूचित जातियों को अस्पृष्य जातियाँ भी कहा जाता है। साधारणत: अनुसूचित जाति का अर्थ उन जातियों से लगाया जाता है जिन्हें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुविधाएँ दिलाने के लिए जिनका उल्लेख संविधान की अनुसूची में किया गया है। इन्हें अछूत जातियां, दलित वर्ग, बाहरी जातियाँ, और हरिजन आदि नामों से भी पुकारा जाता हैं। अनुसूचित जातियों को ऐसी जातियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी आजीविका अर्जित करती है।

बाँछड़ा अनुसूचित जाति-मध्यप्रदेश का एक हिस्सा ऐसा भी है, जहाँ एक समुदाय विशेष की बेटियाँ जिस्म-फरोशी के लिए मजबूर हैं। यहाँ बेटियों को खुद माता-पिता देहव्यापार के धंधे में धकेल देते हैं।

दरअसल, राजस्थान से सटे सीमावर्ती जिलों में स्थित बाँछड़ा समुदाय

* प्राध्यापक, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

के डेरों पर वेश्यावृत्ति का खुला खेल चलता है। नीमच, मंदसौर और रतलाम जिले के 65 गाँवों में देहव्यापार के ऐसे 250 डेरे है। देश का यह इलाका देहव्यापार लिए बदनाम है।

यहाँ माँ और पिता के सामने बेटी अलग-अलग पुरूषों के साथ रिष्ते बनाती है। कई बार तो स्वयँ माता-पिता अपनी बेटी के लिए ग्राहक खोजते हैं।

भारतीय समाज में आज भी बेटी को बोझ समझा जाता है, लेकिन बाँछड़ा समुदाय में बेटी पैदा होने पर उत्सव मनाया जाता है।

बाँछड़ा अनुसूचित जाति का सामाजिक जीवन- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ दलित स्टडीज के शोधकर्ताओं ने पाया कि उच्च जाति और दलित महिलाओं की साफ-सफाई और पीने के पानी जैसी दशाएँ एक जैसी भी हैं, तब भी सवर्ण महिलाओं की तुलना में दलित महिलाओं के जीवन-प्रत्याषा में लगभग 11 साल का फर्क दिखाई देता है।

यूएन द्वारा अपनाये गए सतत्-विकास के एर्जेडे में लीव नो वन बिहाइंड का नारा दिया गया है, जिसकी प्राथमिकता समाज के सर्वाधिक वंचितों की समस्याओं को उठाना है।

जहाँ तक बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों का सवाल है, समाज की बेटियों से ही वेश्यावृत्ति कराई जाती है। यह उनके कमाई का मुख्य जरिया है जो कि उनका पुश्तैनी पेशा भी है। माता-पिता बेटी के इसप्रकार वेश्यावृत्ति के कार्य को कोई बुराई नहीं मानते। बाँछड़ा समुदाय में बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाता हैं। बाँछड़ा समुदाय में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक होती है। बेटी की शादी पर बेटी के माता-पिता को दहेज के रूप में काफी धन दिया जाता है। कभी-कभी यह दहेज 20 से 25 लाख से भी अधिक होती है।

बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियाँ कई स्वयंसेवी संगठनों से मिलकर अपने समुदाय के उद्धार का कार्य बड़ी कुशलता से कर रहीं हैं। कई स्वयंसेवी संगठनों ने इस समुदाय के लिए कई रचनात्मक कार्य किए हैं।

बाँछड़ा समुदाय के प्रमुख देवी-देवताओं में तेजाजी, भेरूजी, माताजी आदि है।

सामाजिक समस्याएँ-इन लोगों को मन्दिर प्रवेश, पवित्र नदी-घाटों के प्रयोग, पवित्र स्थानों पर जानें तथा अपने ही घरों पर देवी-देवताओं की पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन लोगों को जन्म से ही अपवित्र माना गया है और इसी कारण इनके शुद्धिकरण के लिए संस्कारों की व्यवस्था नहीं की गयी है।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखे)

आर्थिक समस्याएँ-आर्थिक समस्याओं के कारण अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि इन्हें विवष होकर, सवर्णो के झूठे भोजन, फटे-पुराने वस्त्रों एवं त्याज्य वस्तुओं से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पडी। अनुसूचित जातियों के लोगों मल-मूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पषुओं को उठाने और उनके चमडे से बनी वस्तुओं का ही कार्य सौंपा गया। इन्हें खेती करने, व्यापार या शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करने का अधिकार नहीं दिया गया। इन्हें भूमि-अधिकार तथा धन-संग्रह की आज्ञा नहीं दी गयी। इन लोगों को दासों के रूप में अपने स्वामियों की सेवा करनी पड़ती थी।

अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में संवैधानिक व्यवस्थाएँ- संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था की गयी है जो इस प्रकार है:

संवैधानिक प्रावधान-संविधान में अनुच्छेद 15(1) के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई किसी को नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 15(14) में आरक्षण तथा अनुच्छेद 16(4) में आर्थिक विकास को गारण्टी दी गई है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृष्यता का अन्त कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निशिद्ध कर दिया है। अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृष्यों की व्याावसायिक निर्योग्यता को समाप्त किया जा चुका है और उन्हें किसी भी व्यवसाय के अपनाने की आजादी प्रदान की गयी है। अनुच्छेद 25 में हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थानों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गयी अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी। सन् 1944-45 से अस्पृष्य जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ देने की योजना प्रारंभ की गयी। इनके लिए मुफ्त पुस्तकों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन-वस्त्र आदि का प्रबन्ध भी किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय, अन्य केन्द्रीय सेवाओं एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं।

इसके साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए विधान-मण्डल एवं पंचायतों में प्रतिनिधित्व, उनके कल्याण हेतु कल्याण एवं सलाहकार संगठन, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व एवं आर्थिक उन्नाति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

उपसंहार- बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों की सामाजिक-साँस्कृतिक स्थिति स्वयं के समाज में सम्मानीय भी इसलिए है क्योंकि वे ही पूरे परिवार के संचालन का आधार हैं। बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियाँ का जो व्यवसाय है उसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। यही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। परन्तु बाँछड़ा समुदाय के बाहर अभी भी उनकी स्थिति सम्मानजनक नहीं है। अभी भी मुख्यधारा के समाज में कार्य करने पर बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियों को हेय या गलत दृष्टि से देखा जाता है और उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है। अधितर बाँछड़ा समुदाय की स्त्रियाँ नर्सिंग या अन्य स्वास्थ्य-सेवाओं के अन्तर्गत सेवाएँ दे रहीं है। अन्य क्षेत्रों में भी इनकी स्वीकार्यता अब बढ़ रही है। शासन भी जाबाली इत्यादि योजनाओं के माध्यम से हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि इन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। बाँछड़ा समुदाय के अधिकतर पुरूष कुछ कार्य नहीं करते और अपने घर की बेटियों से वेश्यावृत्ति करवाते हैं। परन्तु बाँछड़ा समुदाय के जिन परिवारों में सामाजिक चेतना आयी है वे विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ, पुलिस-शिविर आदि से जुड़ कर बाँछड़ा समुदाय की महिलाओं को वेष्याावृत्ति से बाहर लाने का भरपुर प्रयास कर रहीं है।

बाँछड़ा समुदाय के डेरों की कई लड़कियाँ हैं जो देह व्यापार के इस दल-दल से बाहर आना चाहती हैं लेकिन दहशत के कारण घुट-घुट कर जीने को मजबूर है।

कँजर और बाँछड़ा समुदाय के युवा अपराध से दूर रहे इसलिए, उन्हें काम से जोड़ने हेतु शासन रोजगारपरक शिक्षा व ट्रैनिंग दे रहा है।सरकारों ने सदियों से वेश्यावृत्ति से जुडे ब़ाँछड़ा समुदाय को इस दल-दल से बाहर लाने के लिए योजनाएं तो कई बनाई, लेकिन परिणाम नगण्य ही रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

Books :

1. Altekar, A.S.; 1962 ; “The Position of Women in Hindu Civilization”; Varanasi; 3rd Edition Motilal Banarsidas

2. अनामिका, 2012; 'स्त्रीविमर्श का लोकपक्ष'; नई दिल्ली; वाणी प्रकाशन
3. दोशी, शम्भूलाल, और त्रिवेदी ,मधुसुदन; 2006;'उच्चतर समाजशास्त्रीय सिद्धांत'; जयपुर;रावत प्रकाशन्स
4. कुमार, अमर;2005;'योगेन्द्र सिंह का समाजशास्त्र'; जयपुर; रावत; पब्लिकेशन्स
5. मदन, जी.आर.;2000; 'भारतीय सामाजिक समस्याएं'; विवेक प्रकाशन
6. मीना, आर. पी., 1996; 'राजगढ़ (ब्यावरा) जिले की कंजर जनजाति में अपराध एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'; विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन म. प्र.
7. मेहता; चेतन;1996; 'महिला एवं कानून'; नई दिल्ली; आशीष पब्लिकेशन हाउस
8. सिंह जे.पी.;2010; 'आधुनिक भारतीय में सामाजिक परिवर्तन'; नई दिल्ली; पी.एच.आई.लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड
9. सिंह, मीनाक्षी, निशांत;2010; 'आधुनिकता और महिला उत्पीड़न'; दिल्ली ; ओमेगा पब्लिकेशन्स
10. तिवारी, श्रीमती स्वाति;1999; 'महिलों पर पारिवारिक अत्याचार एवं परामर्श केन्द्रों की भूमिका '; बानीस; पीएच.डी शोध प्रबन्ध
11. वर्मा,डॉ.निकुंज एवं पंवार, मीनाक्षी; 1994; 'नारी उत्पीड़न और कानून' ;बड़वानी; निकुंज प्रकाशन
12. वर्मा, सवलिया बिहारी (सं); 'ग्रामीण महिलाओं की स्थिति'; नई दिल्ली; यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स

Journals :

1. Bansibihari, P., and More, L; 2006; "The Effect of Emotional Maturity on
2. Teacher Effectiveness"; Indian Psychological review; 67; 243-246
3. Chauhan, V.L., and Bhatnagar, T.; 2003; "Assessing Emotional Maturity,
4. Emotional Expression and Emotional Quotient of Adolescent Male and
5. Female Students"; Journal of Community Guidance & Research 22 (2); 157-
6. 167
7. Nanda, P.K., Chawala, Asha; 2003; "Impact of Age and Family Type on
8. Emotional Maturity of Urban Adolescent Girls"; www.aiair.net/journal; Vol.19/07/6
9. www.google.com.in

तालिका 1 :पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं महिलाओं की भागीदारी

ग्राम पंचायत		पंचायत समिति(मध्यवर्ती)		जिला पंचायत	
वर्ष 2001	अजा-371868	वर्ष 2001	अजा-18517	वर्ष 2001	अजा-1830
वर्ष 2008	अजा-485825	वर्ष 2008	अजा-32968	वर्ष 2008	अजा-2729
वर्ष 2001	महिलाएँ-371868	वर्ष 2001	महिलाएँ-23516	वर्ष 2001	महिलाएँ-3460
वर्ष 2008	महिलाएँ-375057	वर्ष 2008	महिलाएँ-58191	वर्ष 2008	महिलाएँ-5810

****

मंदसौर एवं नीमच जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रबंध

निधि चौहान*

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ कृषि एवं कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की देश के सर्वांगीण विकास में अहम् भूमिका रहती है। आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि आधारित उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह उद्योग कृषि एवं ग्रामीण अंचलों में रोजगारसृजन करने, गरीबी, बेरोजगारी निवारण तथा अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में महत्तवपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुत: वर्तमान में यह क्षैत्र कृषि का एक अभिन्न अंग बनगया है।

जुलाई 1998 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई तथा समस्त राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीतियों और योजनाओं को लागू किया गया भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना और खाद्य कृषि क्षैत्र में सबसे ज्यादा क्षमता रखने वाला देश रहा है। भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन, विकास, खपत और निर्यात के मामले में भारत में सबसे बड़े क्षैत्रों में से एक है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षैत्र में फल और सब्जियों को शामिल किया गया है। मसाले, दूधऔर दूध उत्पादकों, मादक पेय, मत्स्य पालन, अनाज प्रसंस्करण और कन्फेशनरी, चॉकलेट और कोको उत्पादों, सोया आधारित उत्पादों को भी खाद्य प्रसंस्करण में सम्मिलित किया गया है।

भारत दुनिया के खाद्य उत्पादकों में से एक है। भारत खाद्य प्रसंस्करण कम्पनियों के लिए उपयुक्त एक बड़े और विविध कच्चे माल का आधार है। भारत विशाल वैज्ञानिक और अनुसंधान के मध्य प्रतिभा का पुल है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण बढ़ती साक्षरता, बदलती जीवन शैली, प्रतिव्यक्ति बढ़ती आय से, खाद्य प्रसंस्करण का क्षैत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। भारतीयों द्वारा घरेलू खर्च का 50 प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण से निर्मित वस्तुओं पर किया जाने लगा है। खाद्य प्रसंस्करण की कला प्राचीन काल से प्रचलित है। सबसे पहले मानव ने अपने अनुभव के आधार पर इसे सीखा और अपनाया। संस्कृति और सभ्यता के क्रमिक विकास और वैज्ञानिक खोज के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण का रूप अलग-अलग तरह से विकसित होता है। वर्तमान समय में खाद्य प्रसंस्करण व्यावसायिक और घरेलू स्तर पर विज्ञान और कला के मिश्रण के रूप में विद्यमान है इसलिए खाद्य प्रसंस्करण क्या है? क्यों किया जाता है? और कैसे किया जाता है? इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है?

खाद्य प्रसंस्करण ढ़ाँचे की विकास की रणनीति के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश के विभिन्न भागों में खाद्य पार्कों की स्थापना के कार्य में सक्रिय तौर पर कार्यवाई कर रहा है। खाद्य पार्कों की स्थापना के कार्य में सक्रिय तौर पर कार्यवाई कर रहा है। खाद्य पार्कों की स्थापना के पीछे विचार यह है कि लघु और मध्यम उद्यमकर्ता, शीतागार, भण्डारग्रह, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोग शालाओं, शोधन संयंत्र आदि जैसे पूँजी बहुल गतिविधियों में निवेश करने में कठिनाई महसूस कर रहे है। ऐसी सुविधाओं के विकास को सहायता प्रदान करने से खाद्य पार्कों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ न केवल अपेक्षाकृत लागत प्रतिस्पर्धा बन जाएगी बल्कि वे अत्यन्त बाजारोन्मुखी भी होगी।

मंदसौर एवं नीमच जिले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि – किसी भी क्षैत्र के आर्थिक विकास के लिए उस क्षैत्र की भौगोलिक स्थिति एवं आर्थिक संसाधन आधारशिला होती है। लम्बे-चौड़े समतल मैदान प्रवाहमयी नदियाँ व उपजाऊ मिट्टी, कृषि विकास की अनिवार्य शर्त है। जबकि खनिज सम्पदा एवं वन, कृषि उपजें, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करते है। वही परिवहन, डाकतार, विद्युत, वित्त, विपणन तथा भण्डारण की समुचित सुविधायें आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। उक्त संदर्भ में मंदसौर एवं नीमच जिले के आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ की भौगोलिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का विहगावलोकन उपयुक्त प्रतीत होता है।

मंदसौर जिले की भौगोलिक स्थिति – मंदसौरजिला भारत के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है मंदसौर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर पश्चिम की तरफ स्थित एक जिला है इसकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है की इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमाएँ राजस्थान से मिलती है। मंदसौर 24.03^{0} उत्तर, 75.08^{0} पूर्व के बीच स्थित है। मंदसौर की समुद्रतल से ऊँचाई 468 मीटर है।

मंदसौर के पश्चिम, उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व में राजस्थान के जिले है जो कि प्रतापगढ़ जिला है। चित्तोरगढ़ जिला है, कोटा जिला है, झालावाड़ जिला है, जबकि दक्षिण में रतलाम जिला है और पश्चिमोत्तर में नीमच जिला है।

नीमच जिले की भौगोलिक स्थिति – नीमच जिला मध्यप्रदेश के जिलों में एक जिला है, नीमच जिला, उज्जैन मण्डल के अन्तर्गत आता है और इसका मुख्यालय नीमच में है जिले में कुछ उपमण्डल है, कुछ ब्लॉक है तथा 5 तहसील और 3 विधानसभा है जो कि मंदसौर संसदीय क्षैत्र के अन्तर्गत आती है। नीमच जिले के अन्तर्गत कुछ ग्राम पंचायते भी है।

नीमच जिला अपनी अद्भुत भौगोलिक स्थिति के कारण मध्यप्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में है और इसके दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक का भाग राजस्थान की सीमाओं से लगा हुआ है। नीमच $24^{0}47'$, उत्तर $74^{0}87'$ पूर्व के बीच स्थित है। नीमच की समुद्रतल से ऊँचाई 452 मीटर है।

नीमच एवं मंदसौर जिलों का क्षैत्र 6 जुलाई 1998 तक एक ही अविभाजित 'मंदसौर जिला' के नाम से जाना जाता था वर्तमान नीमच जिला अविभाजित मंदसौर जिले की तीन तहसीलों से गठित किया गया है। पूर्व में

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

अविभाजित मंदसौर जिले की तीन तहसीलों से गठित किया गया है। पूर्व में अविभाजित मंदसौर जिले में 8 तहसीले थी इनमें से 5तहसीलों को मंदसौर जिले में रखा गया जिसमें भानपुरा, गरोठ, मल्हारगढ़, सीतामऊ और मंदसौर तहसील सम्मिलित है। जबकि तीन तहसीलों नीमच, मनासा एवं जावद को नीमच जिले में रखा गया है। अविभाजित मंदसौर जिले का भौगोलिक क्षैत्रफल 9464 वर्ग कि.मी. था। एक 1991 में इसकी आबादी 15.55 लाख थी। नीमच के नया जिला बनने से 3942 वर्ग कि.मी. क्षैत्रफल एवं 5.98 लाख आबादी नीमच जिले में रही और मंदसौर जिले का क्षैत्रफल घटकर 5522 वर्ग कि.मी. रह गया और जनगणना के अनुसार आबादी 9.37 लाख रह गयी।

मंदसौर एवं नीमच जिले के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थिति - किसी क्षैत्र या जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की सफलता हेतु साधनों की पर्याप्त उपलब्धि होना आवश्यक होता है। साथ ही, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावनाओं को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के साथ ही सरकारी नीति सहयोगात्मक होना ही चाहिए। ऐसा होने पर ही हम इस दिशा में उठाये गये कदमों की आवश्यकता एवं उपयुक्तता को समझ सकते है और उनके विकास हेतु यथार्थ के धरातल पर कोई ठोस एवं उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते है और इसी प्रकार खाद्य प्रसंस्करण की विकास संभावनाओं और लाभदायकता को बढ़ाया जा सकता है। चूंकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आज काफी प्रासंगिक हो गया है। इसके विकास की मध्यप्रदेश में काफी संभावनाएँ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस का तेजी से प्रचार-प्रसार होना चाहिए। यद्यपि भारत सरकार इस मामले में काफी अभिरूचि ले रही है मध्यप्रदेश के साथ-साथ मंदसौर व नीमच जिले में इसके उन्नयन हेतु जरूरी है कि सभी राज्य सरकारे एक सुस्पष्ट एवं सुविचारित नीति निर्माण करे, इसे बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास करें।

मंदसौर एवं नीमच जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभावनाएँ, सुविधा एवं रियायते - आर्थिक विकास की उच्च एवं सतत् दर प्राप्त करने के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है। मध्यप्रदेश की ही तरह मंदसौर एवं नीमच जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कृषि के साथ ही अब तीव्र औद्योगीकरण अनिवार्य हो गया है। अन्य क्षैत्रों में विकास की सीमाओं को देखते हुए औद्योगिक विकास ही आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि का रामबाण उपाय प्रतीत होता है। इतिहास बताता है कि घरेलू उद्योग धन्धे एवं कृषि पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक विकास का आधार रहे है।

मंदसौर एवं नीमच जिले वर्तमान में औद्योगिक दृष्टि से बहुत पीछे है और यह जिले सर्वाधिक पिछड़े जिलों में सम्मिलित है यद्यपि इस जिले के औद्योगिक भविष्य आशावादी लग रहे है। जिलें में लघु, मध्यम, एवं वृहत् उद्योगों क स्थिति अच्छी न होने के कारण वे बंद ही गए किन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की पर्याप्त संभावनाएं है। कई बड़े उद्योग आज यहाँ स्थापित होने के बाद भी इनकी तुलनात्मक कमी है। ऐसी स्थिति में कृषि से सम्बन्धित कच्चे माल के बाहुल्य तथा कृषि की विविध आवश्यकताओं को दृष्टिगत करते हुए मुख्यत: निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास एवं विस्तार की यहाँ प्रचुर संभावनाएँ विद्यमान है।

निष्कर्ष - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को यदि आगे बढ़ाया गया तो कोई कारण नहीं कि अर्थव्यवस्था को नई दिशा न दी जा सके। देश के विकास में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का बहुत महत्तव है क्योंकि यह उद्योग अर्थव्यवस्था के दो स्तम्भों यानी उद्योग एवं कृषि के बीच सहक्रियाओं और अनिवार्य सम्पर्कों को बढ़ावा देता है। यह उद्योग खाद्य उत्पादन के क्षैत्र में विश्व में प्रथम स्थान दिलाने की क्षमता रखता है। इस क्षैत्र में विकास की व्यापक सम्भावनाएँ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से अर्थव्यवस्था को भारी लाभ पहुँचेगा, कृषि की पैदावर बढेग़ी, उत्पादकता में सुधार आयेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश में खासकर ग्रामीण क्षैत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. निगम, आर.एस. - भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था (नवयुग साहित्य सदन,आगरा, 1990)
2. डॉ. सक्सेना एम.सी. - भारत में उद्योग (साहित्य भवन, आगरा, 1990)
3. डॉ. जैन जी.एल. - मंदसौर जिले का औद्योगिक विकास 1980 (विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)
4. डॉ. बुनकर बी.एल. - लघु उद्योगों के विकास में मध्यप्रदेश वित्त निगम का योगदान एक आर्थिक विश्लेषण (1992)

****

अज्ञेय के काव्य में प्रेमगत संवेदना

डॉ. सुनीता यादव*

शोध सारांश – अज्ञेय की काव्य संवेदना का फलक व्यापक है। प्रस्तुत शोध पत्र में अज्ञेय काव्य की 'प्रेमगत' संवेदना को लेकर अभिव्यक्ति की गई है। 'प्रेमगत' संवेदना के अर्न्तगत व्यक्ति का समाज के प्रति प्रेम, नारी का पुरूष के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम, एवं तज्जन्य संस्कारो, मान्यताओं, स्थितियों, प्रेरणाओं और परम्पराओं के प्रति प्रेम को लिया गया है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार 'रागात्मक सम्बन्ध ही व्यापक तौर पर प्रेम अथवा प्रेमानुभूति का जनक है। व्यक्ति के रागात्मक सम्बन्ध का विस्तार सम्पूर्ण देश-काल और समस्त रूपाकार तक व्याप्त है इसलिए व्यापक अर्थ में प्रेमानुभूति का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है।'[1]

प्रस्तावना – संवेदना शब्द की उत्पत्ति वेद से हुई है, जिसका अर्थ बोध, अनुभव अथवा ज्ञान होता है। इस प्रकार संवेदना विद्, वेद, संवेद, संवेदन, संवेदना, क्रमश: विकसित रूप है सामान्य रूप में संवेदना का अर्थ बोध प्राप्ति,ज्ञान प्राप्ति अनुभव प्राप्ति होता है। संवेदना की अभिव्यक्ति ही भावों से मुक्ति है जो कि लेखक अथवा कवि रचना के माध्यम से पाठक तक पहुँचाता है, अज्ञेय मानते है कि 'कविता किसी की निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति नही, वह अनुभूति से मुक्ति है: व्यक्तित्व का प्रकाषन नहीं, व्यक्तित्व से छुटकारा है।'[2]

संवेदना अनुभूति अथवा बोध प्राप्ति की वह प्रक्रिया है, जब लेखक अथवा कवि, वस्तु, जाति अथवा जीवन के अचानक प्राप्त किसी सूझ अथवा आइड़िया को ग्रहण करता है, एवं अपनी कल्पना एवं ऊर्जा से उसे रचना के रूप में प्रकट करता है। अज्ञेय ने जीव जगत से अनेक संवदेनाएँ ग्रहण की है, उनकी कविताओं में नगर बोध, ग्रामीण जीवन के प्रति सहानुभूति संवेदन शीलता है, पीडित, पद दलित मानव के प्रति सहानुभूति है, यान्त्रिकता के प्रति विक्षोभ है, सामाजिक दायित्वों के प्रति सजगता है, समाज देश और विश्व के लिए व्यक्ति के उत्सर्ग की कामना है। अज्ञेय की काव्य संवेदना की परिधि अत्यन्त व्यापक है। डॉ. नवीन चन्द लोहनी के अनुसार 'अज्ञेय की काव्य संवेदना विस्तृत फलक के और छोर नापती चलती है। वहॉ सागर का गुरू गंभीर गर्जन है, मरू की तपाती हुई 'लहरीले सौ रूप' लिखती हवा है। हिमालय और नन्दा की ऊँची-ऊँची चोटिया है, जंगल है चारो ओर खुलापन है जो स्वतन्त्र व्यक्तित्वों में अपना अस्तित्व वर्तमान में रखता है, समाज है, जहॉ व्यक्ति की निष्ठा सामाजिक होने को तत्पर है और व्यक्ति जो स्वयं में पूर्ण है, क्षण जो काल का वाहक है और एक सम्पूर्ण इयन्ता का प्रतीक प्रकृति है, 'जिसे हम देख, सुन, छू सकते हैं और जिसका आस्वादन कर सकते है।'[3]

प्रेम मानव मन की कोमलतम अनुभूति है। एक रागात्मक अनुभूति है। प्रेम शब्द में पत्नी-पति, प्रेमी-प्रेमिका, माता-पिता, भाई-बहन पिता-माता, पुत्र-पुत्री, समाज-व्यक्ति, देश-व्यक्ति, भक्त-भगवान, सभी प्रेम शब्द के विस्तृत अर्थ में रागात्मक अनुभावों से अनुस्पूल सम्बन्धों को सामने रखते हैं। इनमें निकटता से उत्पन्न लगाव व रागात्मक अनुभूति को प्रेम माना गया है वस्तुत इस कोलतम भावना का स्वरूप अत्यन्त भावात्मक है।

अज्ञेय ने कविता के अलावा अपने आत्म परक लेखों, निबन्धों, उपन्यासों में प्रेम के अनेको आयाम दिखाये है डॉ. नवीन चन्द्र लोहनी के अनुसार कही वे विस्तृत और रपटीले भागों से निकल कर प्रेम को सूक्ष्म रूप में रख देते हैं तो कही वह एक कोने में, दुबके बैठे प्रेमी-प्रेमिका के आपसी गोपनतम वार्तालापों का साक्षी 'हरी घास' को बताकर उसके विस्तृत के साथ-साथ अप्रस्तुत को भी अपना साथी बना देते हैं। यह सूक्ष्मता एवं विराट तत्व की भावना उनके काव्य उन्मेष में कही चौडे सागर के किनारों को चुनती है तो कही नन्दा की चोटियों को। कही वह शोषित श्रमरत और दुर्जेय मानव का विषय बनती है। तो कही समष्टि के सागर में निवार्चित व्यष्टि दीप को जो गर्व भरा और मदमाता है। अज्ञेय का प्रेम दो स्वतन्त्र और पूर्ण व्यक्तित्वों का समर्पण है।'[4]

प्रेम क्या है? इस विषय में अज्ञेय ने बहुत कुछ लिखा है। 'प्यार क्या है।' का उत्तर पुनराविषकार कविता में खोजा गया है :-

कुछ नहीं, यहॉ भी अन्धकार ही है,
काम-रूपिणी वासना का विकार ही है।
यह गुंथीला व्योमग्रासी धुआ जैसा
आततायी दुस्त-दुईम प्यार ही है।'[5]

अज्ञेय का पति-पत्नी के प्रेमतक सीमित नहीं उनका प्रेम सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ अज्ञेय के काव्य में प्रेम अनेकों रूपो में व्यक्त हुआ है। वस्तुत: अज्ञेय काव्य में यही प्रेम एक विस्तृत परिपेक्ष्य को लेकर चला है। प्रेम व्यक्तित्व और भावना की रागात्मक निष्पति का साधन है। अज्ञेय का नैसर्गिक प्रेम सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है। -

पर मैं अखिल विश्व में प्रेम खोजता फिरता हूँ
क्योंकि मैं उसके असंख्य हृदयों का गाथाकार हूँ।[6]

अज्ञेय का प्रेम पवित्रता व उच्चता का प्रतीक है-

प्यार/एक यज्ञ का चरण/जिममें मैं मध्य हूँ/ प्यार एक अचूक वरण/कि किस के द्वारा/मैं मर्ग में वेध्य हूँ।

नारी प्रेम – अज्ञेय नारी और पुरूष के चिरन्तन प्रेम को माना है अज्ञेय मानते है कि 'पुरूष और स्त्री का सम्बन्ध पति और पत्नी का नही चिरंतन पुरूष और चिरन्तन स्त्री का सम्बन्ध अनिवार्यत: एक गतिशील सम्बन्ध है।' 'चिन्ता के एकायन एवं विश्वप्रिया दोनों खण्ड स्त्री पुरूष के प्रेमी प्रेमिका के

* सहा. प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर (म.प्र.) भारत

रूप का चित्रण है।

तेरी ऑखो मे क्या मद है जिसको पीने आता हूँ।
जिसको पीकर प्रणय-पारा में तेरे मैं बंध जाता हूँ।।[7]

प्रणय की अभिव्यक्ति यह भाव और अन्य कविता में भी हम पाते है।

गये दिनों में औरो से भी मैने प्रण्य किया है,
मीठा,कोमल, स्निग्ध और चिर-अस्थिर प्रेम दिया है।
आज किन्तु प्रियतम जागी प्राणों में अभिनव पीड़ा,
यह रस किसने इस जीवन में दो-दो बार पीया।।[8]

कितने सहज भाव से कवि ने अपनी प्रणय की बात को प्रिय के सामने स्वीकारा है। धीरे-धीरे उनका प्रेम सूक्ष्मता ग्रहण करता गया है। अज्ञेय अपनी कविता में सिर्फ प्रेम के प्रेमत्व को कविता में व्यक्त करते है, बडे ही तटस्थ भाव के साथ

आओ, इस अजस्र निर्झर के तटपर,
प्रिय, क्षण भर हम नीरव।
रहकर इसके स्वर में लय कर डाले,
अपने प्राणों का यह अविरल रौ-रौ।।[9]

वियोग की अज्ञेय की यह कविता एकात्म बोध को अभिव्यक्त करती है।
प्रिय, तुझ को न भूल कर, एकान्त, अन्त:पूत क्योंकि एक प्राण तेरे साथ।

देश प्रेम – अज्ञेय का देश-प्रेम भावनात्मक स्तर का ही नहीं है, वे स्वयं भी देश रक्षा हेतु फौज में शामिल हुए और केप्टान पद को सुशोभित किया। स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ता रह कर उन्होने उच्च आदर्शो को प्रस्तुत किया।

उनके उपन्यास का 'शेखर एक जीवनी' का नायक तो देश-प्रेम की भावना से इतना ओत-प्रोत है कि वह स्वतन्त्रता संग्राम में बन्दी बनाया जाकर भी जेल में दूसरी पंक्ति में स्वयं रहना स्वीकार करता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से वह उसे 'भारत' की स्थिति का सा लगता है। अज्ञेय का काव्य भी देश-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत है। रण प्रांगण में जाने को तैयार सैनिक की इच्छा है कि वह मॉ (मातृ भूमि) की वास्तविक पूजा हेतु रण प्रांगण में जायें, पर कहता है।

हाथों में है खड़ग हमारे, लौह मुकुट है सिर पर
पूजा को ठहरे या समर क्षेत्र को जायें?
मन्दिर तेरे में मॉ ....
....
आरती को ठहरें या रण-प्रांगण में जाये?[10]

दिल्ली जेल में लिखी गयी अज्ञेय की एक कविता है 'क्रान्ति-पथेय इसमें कवि ने करूणा, कोमलता का त्याग कर वीरोचित ललकार भरते हुए उन्माद भरने वाली गगन भेदी हुँकार से आह्वान किया है।'

तोड़ो वद्य छोड़ दो गायन, तज दो सकरूण हाहाकार,
आगे है अब युद्ध-क्षेत्र फिर उस के आगे-कारागार।[11]

देश की रक्षा के लिए रण-क्षेत्र में प्रस्थान कर रहे सैनिक को कवि ने अपनी कमजोरियों को रण-क्षेत्र में न ले जाने का संकेत किया है, और यह भी सचेत किया है कि वहॉ तुम्हें यादे बटोरने का समय नहीं मिलेगा, वहॉ तो गिरते हुए भी रास्ता साफ छोड़ना होगा कि अन्य साथी आगे बढ सके।

वहॉ/वहॉ पर केवल तुमको लड़-लड़ मरना होगा,
गिरते भी औरो के पथ से हट कर पड़ना होगा।।[12]

'बंदी ग्रह की खिड़की' कविता विदेश शासन को सचेत करते हुए उसके डॉवाडोल आसन की ओर संकेत किया है और कहा है चिनगारी दिख रही यह बंदी अंगारा है।

शोषित के प्रति सहानुभूति – अज्ञेय के काव्य में शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति आक्रोश का भाव उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। मजदूरों की मेहनत से उत्पन्न अन्न एवं उन पर महाजनों के द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों का सम्यक आकलन निम्न पंक्तियों में द्दष्व्य है:-

वह चुकी बहकी हवाये चैत की,
कर गई, पूले हमारे खेत की।
कोठरी में लौ बढ़ाकर दीप की,
गिन रहा महाजन सेत की।।[13]

शोषक के प्रति आक्रोश का भाव नयी कविता में दिखाई देता है, प्रगतिवादी काव्य के नारे की भॉति इसमें शोषित शोषक को मार डालने की धमकी नहीं देता, पर निरीह शोषित होते भी नहीं रहना चाहता, उसकी आत्मा की आवाज है, शोषित की आह एक दिन लील जायेगी शोषक को:-

डरो मत, शोषक भैया, पीलो।
मेरा रक्त ताजा है, मीठा है, शुद्ध है।
....
....
मेरा रक्त मीठा है ....
....................शोषक भैया
....
कि किनारे को लील नहीं लेगी।।[14]

'सॉप' कविता सामज को डसने वाले आततायियों से पूछती है:-

सॉप। तुम सभ्य तो हुए नही ....।
बसना भी तुम्हें आया नहीं।
एक बात पूछू............ उत्तर दोगे?
तब कैसे सीखा डॅसना-विश कहॉ से आया?[15]

'मैं वहॉ हूँ' कविता में अज्ञेय 'कमकर, श्रमकर','शिल्पी, सृष्टा' की कथा बनकर समने आते है मानव के प्रति आस्था का प्रतीक रूप है उनकी यह कविता

दूर-दूर दूर........ में वहॉ हूँ।
यह जो मिट्टी गोड़ता है, कोदई खाता है
और गेहू खिलाता है
उसकी मैं साधना हूँ।[16]

शोषित के प्रति सहानुभूति अज्ञेय की अनेक कविताओं मे व्यक्त हुई। अज्ञेय की सम्वेदना धरणी पर स्थिति हर रूपाकार से झंकरित हुआ है।

यथार्थ युग बोध– मानव और मानव के बीच की दूरी तथा आपसी मतभेद, वैमनस्य और घृणा भाव बहुत अधिक बढ़ गया है, यथार्थ परक कविता 'शारणार्थी' मानव की ऑख इस भावना को स्पष्ट करती है:-

मानव से मानव की मिलती है ऑख पर,
कोटरों से गिल-गिली घृणा झॉक देती है।।[17]

मनुष्य ने आपनी अगली पीढ़ के लिए ऐसे बीज बो दिये है जिनसे आपसी वैमनस्य बढ़ रहा है। सन् 1947 अक्टूबर मे लिखी हुई यह कविता भारत और पाकिस्तान विभाजन और उस समय हुई हत्याओं, साम्प्रादायिक दंगों को निम्न कविता देखने को मिलता है।

वैर की परनालियों से हॅस-हॅस के
हम ने सींची जो राजनीति की रेती
....

फसल काटने को अगली सदियाँ है।[18]

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम पाते है कि अज्ञेय की कविताएॅ मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत है। उसमें त्याग और बलिदान की भावना है। समाज प्रेम की उनकी कविताएॅ यथार्थ युग-बोध लेकर आयी है उसमें समाज के प्रति किसी भी प्रकार का अनिष्ठ चाहने वाले को कोई महत्व नहीं दिया गया है।

अज्ञेय की कविताओं में प्रेम इस प्रकार नर-नारी और प्रेमी-प्रेमिका की संकुचित परिभूमि से उठकर वहॉ आ जाता है डॉ. नवीन चन्द्र लोहानी के अनुसार जहा भाई-भाई पिता-पुत्र/पुत्री माता-पुत्र/पुत्री ही नहीं समाज का प्रत्येक सदस्य देश का प्रत्येक नागरिक अर्थात् मानव जाति को प्रति निधत्व देने वाला प्राण धारी भी आ जाते है।[19]

अज्ञेय की प्रेम यह अवधारणा प्राचीन भारत के ऋषि-मुनियों के क्रम में आती है। यहॉ व्यक्ति और वात्सल्य भी प्रेम के अर्न्तगत आ जाते है। इस प्रकार प्रेम एक विस्तृत भाव है। जो व्यक्ति, देश समाज, मानव जाति, नर-नारी, प्रेम को ही अभिव्यक्त नहीं करता अपितु उसमे प्रेम का सहज सौन्द्रर्य भी समाहित हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. त्रिशंकु अज्ञेय पृ0 39
2. अज्ञेय की काव्य चेतना के आचार्य डॉ. नवीन चन्द्र लोहानी पृ0 94
3. वही
4. वही पृ0 97
5. सदानीर-प्रथम भाग अज्ञेय पृ0 232
6. वही पृ0 136
7. सदानीर दूसरा भाग अज्ञेय पृ0 213
8. सदानीर प्रथम भाग अज्ञेय पृ0 18
9. वही पृ0 21
10. वही पृ0 121
11. वही पृ0 129
12. वही पृ0 133
13. वही पृ0 252
14. वही पृ0 256
15. वही द्धितीय भाग पृ0 213
16. वही पृ0 223
17. वही पृ0 241
18. वही द्धितीय भाग पृ0 28
19. अज्ञेय की काव्य चेतना के आचार्य डॉ. नवीन चन्द्र लोहानी पृ0 113

****

आत्मनिर्भर भारत और उसकी चुनौतियाँ

डॉ. प्रवीण ओझा*

प्रस्तावना – 12 मई 2020 को कोरोना संकट के इस दौर में एक महत्वाकांक्षी परियोजना का प्रारंभ 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया जिसका उद्देश्य कोविड–19 के दुष्प्रभावों के होते हुये भी भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण करना है। कोरोना से प्रभावित इस संकट काल में 20 लाख करोड़ रूपये के राहत पैकेज की घोषणा की गयी जो देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को पुष्ट एवं सफल बनायेगा। इस राहत पैकेज से लोगों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी तथा यह प्रयास किया जायेगा कि आगामी कुछ वर्षो में भारतीय अपनी आवश्यकता की वस्तुओं के लिये स्वयं पर आत्मनिर्भर हो जायें। भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने एवं आयात पर निर्भरता कम कर सशक्त भारत के निर्माण के उद्देश्य से प्रारंभ यह महत्वाकांक्षी योजना भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। इसके माध्यम से कोरोना संकट की इस विश्व व्यापी आपदा के समय में भी भारतीय उद्योग जगत एक नवीन इतिहास रचेगा, ऐसी उम्मीद पर यह आधारित है। इसका उद्देश्य 130 करोड़ भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे इस संकट की घड़ी में भी देश का प्रत्येक नागरिक कदम से कदम मिला कर चल सके। इससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दक्षता एवं गुणवत्ता का विकास भी अहम प्राथमिकता होगी। जिस बीस लाख करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गयी है, वह भारत की जीडीपी का 10 प्रतिशत के लगभग है। इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री ने 'अब एक नई प्राणशक्ति, नई संकल्प शक्ति' के साथ आगे बढ़ने का आव्हान किया है।

कोरोना वायरस जनित इस विश्वव्यापी संकट का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्र पर हुआ है। इसी कारण इस आत्मनिर्भर अभियान पैकेज में तीन करोड़ कृषकों को 4.22 लाख करोड़ का कृषि लोन देने की व्यवस्था की गयी है। कृषकों एवं ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मार्च अप्रैल 2020 के मध्य कृषि क्षेत्र में 86,600 करोड़ रूपये के 63 लाख लोन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक की री–फायनेंसिंग के लिये नाबार्ड द्वारा 29,500 करोड़ की सहायता राशि एवं भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिये राज्यों को 4200 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत करना नि:संदेह एक अग्रगामी कदम है। प्रवासी मजदूरों एवं शहरी गरीबों की सहायतार्थ केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को 11,000 करोड़ रूपये दिये गये हैं तथा राज्यों को स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड की रकम के उपयोग की अनुमति भी प्रदान कर आत्मनिर्भरता अभियान को सशक्त बनाया गया है। मनरेगा के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को घर पर ही कार्य उपलब्ध करवाने हेतु 10,000 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं तथा अभी तक 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ श्रमिकों के कार्य हेतु आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नवीन लेबर कोर्ट की घोषणा से अखिल भारतीय स्तर पर समान न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था भी की गयी है। पथ विक्रेताओं अर्थात् रेहड़ी या फुटपाथ के व्यवसायी जैसे नाई, पान की दुकान, फुटकर सामान विक्रेताओं को दिनांक 13 जुलाई 2020 को मध्यप्रदेश में लोन की प्रथम किश्त दस हजार चयनित हितग्राहियों को प्रदान की गयी। इसी प्रकार इस राहत पैकेज में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को तीन लाख करोड़ का कर्ज देने की घोषणा की गयी थी जिनमें से 37 दिनों में ही 1 लाख करोड़ रूपये के लोन मंजूर किये जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इनके 30 लाख से अधिक चङ्चए इकाईयों तथा अन्य को अपना व्यवसाय पुन: स्थापित करने में सहयोग मिल सकेगा। स्वदेशी की ओर बढ़ते यह कदम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे, ऐसी आशा की गयी है। इस हेतु यह नारा 'वोकल फोर लोकल' भी प्रभावी सिद्ध हो रहा है। पी.एम. स्वनिधि योजना भी इसका अभिन्न अंग है जिसमें वर्तमान संकटग्रस्त छोटे उद्यमियों नाई, धोबी, मोची, ठेले वालो जैसे सड़क विक्रेताओं को 10,000/– रूपये का लोन उपलब्ध करवाकर उन्हें अपना व्यवसाय पुन: प्रारंभ करने हेतु सक्षम बनाया जा रहा है। इससे इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की नवीन ऊँचाईयों को प्राप्त कर सकेगी।

इस अभियान को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 04 जुलाई 2020 को ट्वीट करते हुए (a) Meity और (b) AIMtoInnovate आत्मनिर्भर एवं इनोवेशन चैलेंज को स्टार्ट अप और टेक कम्यूनिटी की मदद से लांच करने की सूचना दी। जिसके माध्यम को युवाओं को प्रेरित कर निर्माताओं और नवोन्मेशकों को प्रोत्साहित किया जायेगा। आत्मनिर्भर भारत रूप दो ट्रेक पर कार्य करेगा– ट्रेक–1 मिशन गोड में यह उत्तम क्वालिटी के रूप की पहचान करेगा एवं ट्रेक–2 के द्वारा नये रूप निर्माण हेतु प्रारंभिक परियोजना (प्लानिंग) से लेकर बाजार में स्थापित होने तक की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी जिसका क्षेत्र ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गैमिंग, बिजनेस, एन्टरटेनमेंट, आफिस यूटिलिटीज एवं सोशल नेटवर्किंग तक व्यापक होगा। सरकार के सहयोग से एवं आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करेंगे।

चहुँमुखी परियोजना एवं प्लानिंग पर आधारित यह अभियान अत्यंत महत्वाकांक्षी अभियान है जो स्वदेशी एवं आत्मनिर्भरता के दो मूल आधारों पर आधारित है जिसकी सफलता में सरकारी प्रयासों के साथ ही जन प्रयासों के भी उसी स्तर तक सक्रिय होने की आवश्यकता है। इस अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं जिन्हें अनदेखा करने के स्थान पर उनका आकलन

* प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) बी.एल.पी. शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महू (म.प्र.) भारत

कर सार्थक कदम उठाकर ही इसे व्यवहारिक एवं सफल रूप प्रदान किया जा सकता है। इस अभियान की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं –

1. आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता की प्रथम चुनौती व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना है। राष्ट्रवाद जबरन किसी पर थोपा नहीं जा सकता है। यह तभी फलीभूत होता है जबकि जनता स्वयं स्वेच्छा से इसे अपनाती है, वह स्वयं विदेशी सामान खरीदने का लालच त्यागे, ऐसे वातावरण का सृजन करना होगा। यह आत्मबल एवं आत्मविश्वास से ही संभव है। देश को आर्थिक राष्ट्रवाद की आवश्यकता है, उग्र राष्ट्रवाद की नहीं। इन दोनों के बीच की महीन सी विभाजक रेखा पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

2. भारत को आत्मनिर्भर मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने से पहले ठोस बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। विश्वस्तरीय ढांचे के निर्माण हेतु भूमि, पानी, बिजली, सरकारी तंत्र इत्यादि क्षेत्रों में सुधारों की परम आवश्यकता है, जिनके अभाव में विदेशी कम्पनियां भारत में निवेश करने से पीछे हट जाती हैं। इस दिशा में त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि अभियान की सफलता में समय सीमा का विशेष महत्व होता है।

3. उद्यमियों की समस्याओं के समाधान एवं पारदर्शिता का विकास भी दो प्रमुख चुनौतियाँ हैं। भ्रष्टाचार के बादल, राजनैतिक हस्तक्षेप, ट्रेड यूनियन के नेताओं की नेतागिरि उद्यमियों के उत्साह एवं सफलता के मार्ग के अवरोधक हैं। इस दिशा में ठोस चिन्तन आवश्यक है। सरकारी हस्तक्षेप, लाइसेंस राज, कोटा परमिट प्रणाली पर भी नियन्त्रण आवश्यक है।

4. स्वदेशी पर आधारित इस अभियान में इस अवधारणा पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपेक्षित है। भारत में इसे एक विचार के रूप में अपनाया जाता रहा है। देश की आजादी के संघर्ष में इसे मुक्ति का मार्ग माना गया तो आज यह देश के आर्थिक विकास का मूल बन गया है। स्वतंत्रता के उपरान्त भारत ने स्वदेशी मॉडल पर आधारित नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण कर 2.5 से 3 प्रतिशत विकास दर को बढ़ाया किन्तु 1991 में उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियोंवश आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से विदेशी कम्पनियों के लिये अपने द्वार खोले। आज फिर स्वदेशी के मार्ग पर चलने का प्रण है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि बाहरी संसार से सम्पर्क तोड़ना स्वदेशी नहीं है। प्रधानमंत्री के अनुसार –'आत्मनिर्भरता न तो बहिष्करण है और न ही अलगाववादी रवैया। जोर इस बात पर है कि दक्षता में सुधार किया जाये। दुनिया से प्रतिस्पर्धा करते हुये दुनिया की मदद करना इसका आधार है।'

5. स्वदेशी की पुरानी अवधारणा विदेशी निवेश की विरोधी रही है किन्तु आज देश में उपलब्ध नवीनतम तकनीक पर आधारित उत्तम क्वालिटी का सस्ता माल बनाने वाली इकाईयाँ स्थापित करनी होगी।

6. देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गीय गृह उद्योग चड्चए लगभग बारह हजार करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। इसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना गया है। कृषि के बाद अर्थव्यवस्था का यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अभी इस पर तीन लाख करोड व्यय का प्रावधान है जिसमें और अधिक विस्तार एवं व्यय राशि के सदुपयोग पर निगरानी भी अपेक्षित है। वर्तमान में माँग की कमी को दूर कर नवीन शुरूआत हेतु इन्हें और अधिक सरकारी सहयोग की आवश्यकता होगी। आत्मनिर्भरता प्राप्ति हेतु ये विशिष्ट संबल सिद्ध होंगे।

7. आत्मनिर्भरता हेतु डिजिटल एवं तकनीकी विकास करना चुनौतीपूर्ण होगा। देश में डिजिटल तकनीक के प्रयोग का जो वातावरण बनाया गया है वह अभी अपर्याप्त है। इसके मार्ग में शिक्षा एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रमुख बाधा है। आज अपने भारतीय ऐप बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में यद्यपि सार्थक पहल प्रारंभ हो चुकी है आत्मनिर्भर भारत ऐप के रूप में, किन्तु अभी ऐसे अनेक प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही अपनी तकनीक को सतत रूप से अपग्रेड करते रहना भी उतना ही आवश्यक होगा। इस पर किया गया व्यय ऐसा निवेश होगा जिससे उत्पादकता एवं आय वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता को पाया जा सकता है।

8. इस अभियान के दो स्लोगन– 'लोकल के लिय वोकल' और 'थिंक लोकल एवं एक्ट ग्लोबल' का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है, आम भारतीय जन को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाना होगा, उन्हें सस्ते के लालच, चलता है वाले दृष्टिकोण को त्यागना होगा। स्वदेशी की जीवन शैली बनानी होगी। लोकल सामग्री का प्रयोग कर सस्ता एवं टिकाऊ सामान बनाने को प्राथमिकता देनी होगी तभी 'थिंक लोकल एण्ड एक्ट लोकल' की नीति क्रियान्वित हो सकेगी। ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को मजबूत कर अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी बढ़ानी होगी। गांव के पास ही लोकल एग्रो प्रोडक्ट के क्लस्टर्स के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इसे और अधिक विस्तार देना होगा।

9. कोरोना संकट से पीड़ित श्रमिकों की समस्याओं का निवारण भी चुनौती होगी। श्रमिकों को उत्पादन में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना होगा। सरकार प्रवासी मजदूरों की भरपूर मदद कर रही है तथापि मनरेगा के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के कार्य को और व्यापक रूप देना होगा। गरीबी निवारण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आर्थिक विषमता निवारण आदि पर ध्यान देना होगा। उनमें कार्य के प्रति जिम्मेदारी एवं पंक्चुअलिटी की भावना को भी बढ़ाना होगा।

10. प्रतिभा पलायन को रोकना भी अपेक्षित है। आज भी ट्विटर, फेसबुक, विदेशी कम्पनियों में अधिकांश भारतीय ही काम कर रहे हैं। भारत के कुशल श्रमिकों की बड़ी संख्या अमेरिका, यूरोप चली जाती है। उनकी प्रतिभा का भारत को आत्मनिर्भर बनाने में करना होगा। जो विदेशी संस्थाएं एवं उद्यमी लोकतंत्र, मानवाधिकार, बाल शोषण उन्मूलन में विश्वास करते हैं उन्हें भारत में उद्यम लगाने हेतु सुविधाऐं देकर भारत को ग्लोबल बनाया जा सकता है, जिससे प्रतिभा पलायन को भी रोका जा सकेगा।

11. आर्थिक मंदी के इस दौर में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना जटिल है। 25 जून 2020 को आई.एम.एफ. की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने वाशिंगटन में विश्व आर्थिक आउटलुक अपडेट जारी करते हुए कहा कि साल 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था 4.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करेगी। अप्रैल के अपडेट में तो आई.एम.एफ. ने भारत की विकास दर शून्य प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था जो कोरोना संकट लम्बे लॉकडाउन का परिणाम था। 2.7 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था 2 प्रतिशत से भी कम दर पर बढ़ रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन की कमजोरी एवं वेल्यू चेन की स्थिति भी चिंता का कारण है।

12. वैश्वीकरण के युग में आर्थिक गतिविधियाँ परस्पर एक दूसरे की गतिविधियों से जुड़ी रहती है। अत: आत्मनिर्भरता को अपनाना जटिल है क्योंकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट की प्रत्येक हलचल भारत जैसे देशों के बाजारों पर सीधा असर डालती है। स्थानीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु उद्यमियों को कुछ सुरक्षा राशि देनी होगी जिसका विरोध विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश करेंगे। फिर दूसरे देश भी तो आर्थिक राष्ट्रवाद को अपना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' की नीति जगजाहिर है। ट्रम्प भारत की सीमा शुल्क दरों पर भी विरोध प्रदर्शित कर

चुके हैं, फिर अन्य देशों की ओर से भी विरोध हो सकता है। अतएव आगे की राह कठिन है।

यद्यपि आत्मनिर्भरता की राह में अनेक चुनौतियाँ हैं तथापि इस अभियान के साथ दृढ़ निश्चय, जन समर्थन, बड़ा आर्थिक पैकेज, गहन शोध, मानवता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, आर्थिक सुधार एवं समर्पण का भाव इनका समाधान कर इसकी सफलता का मार्ग निर्मित कर रहा है। अभियान के प्रारंभ से ही इस दिशा में उठाये गये अग्रगामी कदम सुखद भविष्य की ओर संकेत करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, रमेश – इण्डियन इकोनोमी
2. पाल, पार्थप्रतिम– इंटरनेशनल ट्रेड एण्ड इण्डिया
3. कपिला, उमा – इण्डियन इकोनोमी सिन्स इन्डीपेन्डेंस
4. सरकार, सुमित – स्वदेशी मूवमेंट
5. गांधी, मोहनदास करमचंद – सत्य के प्रयोग
6. https://m.economictimes.com>news
7. https://pmmodiyojana.in>aatm-nirb
8. https://www.bbc.com>hindi>india

****

दल-बदल कानून की समीक्षा: वर्तमान की आवश्यकता

डॉ. सुनीता सोलंकी *

प्रस्तावना - भारत में प्रथम आम चुनाव के बाद से ही राजनीतिक दलों के सदस्यों में पद लोलुपता व क्षुद्र स्वार्थो के लिए दल बलद की प्रवृत्ति देखी गई। राजनीति में नैतिक मूल्यों व राजनीतिक मर्यादाओं को बनाये रखने के लिए दल-बदल अंकुश लगाने की प्रवृत्ति पर 1967 में वाई. वी चव्हान की अध्यक्षता मे गठित समीति के रूप देखी जाती है।

दल-बदल कानून बनाने के प्रयास

1. प्रथम प्रयत्न 1973
2. द्वितीय प्रयत्न 1978
3. तृतीय प्रयत्न 1985

वर्ष - 1985 में 52 वे संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कानून संसद मे पारित किया गया। जिसके तहत 10 वीं अनुसूची संविधान मे जोडी गई और अनुच्छेद 102 एवं 191 मे संशोधन कर प्रावधान किया गया कि 10 वीं अनुसूची के अधीन घोषिति व्यक्ति की संसद तथा विधानमंडल की सदस्यता रद्द हो जाएगी।

दल-बदल कानून मे अयोग्यता
संबंधी प्रावधान:

1. एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड देता है।
2. कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल मे शामिल हो जाता है।
3. किसी निर्वाचित सदस्य द्वारा सदन मे पार्टी के व्हीप विपरित वोट किया जाता है।
4. कोई निर्वाचित सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है।
5. 6 माहा की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

दल-बदल कानून के अपवाद - दल- बदल कानून भारतीय राजनीति में एक नवाचारी सुधार था किंतु अपवादों ने इस कानून को सीमित कर दिया, जो दल-बदल पहले एकल होता था, अब सामूहिक तौर पर होने लगा परिणामस्वरूप वर्ष 2003 मे 91 वॉ सविधान संशोधन पारित कर सामूहिक दल-बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया।

91 वॉ संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2003 - इस संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिमंडल का आधार 15% सीमित कर दिया गया हालांकि किसी भी कैबिनेट के सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी।इस संशोधन के द्वारा 10 वी अनुसूची की धारा 3 समाप्त कर दिया गया जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल-बदल कर सकते थे।

वर्तमान परिदृष्य में कानून समीक्षा की उत्तापन्न परिस्थितियों कर्नाटक का राजनीतिक संकट - वर्ष-2019 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 225 सदस्यीय विधानसभा में 105 सीटे जीत कर भारतीय जनता पार्टी सबसे बडी पार्टी बनकर उभरी, परिणामस्वरूप राज्यपाल ने सरकार बनाने को आमंत्रित किया।

भारतीय जनता पार्टी के बी. एस येदुरपा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी मंत्री को नियुक्त नही कर सकते न ही विधानसभा में बहुमत साबित करने से पूर्व कोई निर्णय ले सकते है। परिणामत: येदुरपा ने त्यागपत्र दे दिया। चुनाव पश्चात जे.डी. (एस) के कुमार स्वामी के नेतृत्व मे कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार बनी परन्तु गठबंधन में खींचतानी व खरीद-फरोख्त के कारण सरकार अल्पमत मे आ गई और स्वामी ने त्यागपत्र दे दिया।

मध्यप्रदेश का राजनीतिक संकट - मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया साथ ही सिंधिया खेमे के समर्थन मे 22 विधायको ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया परिणामस्वरूप कमलनाथ सरकार अल्पमत मे आ गयी और सरकार का पतन हो गया।

सिंधिया व 22 समर्थक विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए परिणामत: भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन से हुआ। इस सम्पूर्ण धटना क्रम से स्पष्ट हुआ कि राजनीतिक दलों के नेता अपने निहित राजनीतिक स्वार्थो के कारण कानून की समीक्षा की आवश्यकता बलवती होती जा रही है।

राजस्थान का राजनीतिक संकट - जुलाई 2020 में राजस्थान विधानसभा में प्रदेश कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच विवाद उभर कर सामने आया जिससे तत्कालिन गहलोत सरकार के समक्ष राजनीतिक संकट खडा हो गया। मुख्यमंत्री ने सचिन पायलट सहित 3 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त किया। अयोग्यता नोटिस की चुनौती पायलट ने राजस्थान उच्च न्यायाल्य मे दी। इस प्रकार प्रदेश में राजनीतिक झंझखात देखने को मिला।

निष्कर्ष - उपरोक्त प्रदेशो को राजनीतिक घमासान से स्पष्ट है कि राजनीतिक दलो के नेता अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति और पद लोलुपता के कारण अवसवादी राजनीतिक को बढ़ावा दे रहे है जिससे दल-बदल का अवैधानिक कुकृत्य जारी है। जिसमें सभापति, राज्यपाल विधायक,विपक्षी दल, सत्तारूढ़ दल सभी की भूमिका इस कानून की भावना को बनाए रखने में संदिग्ध है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की राजव्यवस्था - McGraw Hill Education (India) Pvt. Limited, New Dehli
2. द हिन्दू - अक्टूबर 2020
3. प्रतियोगिता दर्पण - नवम्बर 2020

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर, जिला-सीहोर (म.प्र.) भारत

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

भारतीय जीवन दर्शन एवं पर्यावरण संरक्षण

डॉ. सुधा लाहोटी *

प्रस्तावना – ***'या देवी सर्व भूतेषू प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:'***

पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ का प्राकृतिक आवरण। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण है जिसमें हम निवास करते हैं। सम्पूर्ण सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही एक मात्र ग्रह हैं जिस पर जीवन पाया जाता हैं। जीव जगत का निर्माण पंचतत्वों से मिलकर बना हुआ हैं। ये तत्व है – पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि।

पर्यावरण एक आवास है, जिसमें विश्व के सभी जीव जंतु निवास करते हैं। भारतीय वाङगमय तो सम्पूर्ण सृष्टि का स्त्रोत आदि शक्ति को मानता है जो प्रकृति स्वरूपा हैं, उसी प्रकृति और चेतन तत्व के संयोग से संपूर्ण सृष्टि का उद्‌भव एवं विकास संभव हुआ है।

श्री रामचरित मानस में भी **– क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह मनुज शरीरा।** के माध्यम से मानो पूरी प्रकृति एवं पर्यावरण को दर्शित किया गया हैं।

प्रकृति से जीवन स्पंदित है। मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं – भोजन, आवास इत्यादि के लिए प्रकृति पर पूर्णत: निर्भर है। आर्थिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने प्रकृति में मौजूद अमूल्य अवयवों को पहचाना और आवश्यकतानुसार इनका उपयोग सीखा। जल, वायु, मृदा, वन, खनिज, प्रकाश इत्यादि प्राकृतिक उपहारों को अपने विकास के लिए मनुष्य ने उपयोगी एवं मूल्यवान अवयवों के रूप में उपयोग करने की कला सीख ली तो ये उपहार प्राकृतिक संसाधन बनकर सामने आए।

पर्यावरण और सृष्टि अभिन्न हैं। मानव जीवन का आधार स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण है किंतु हमने अपने अस्तित्व के नाम पर वैभवशाली बनने के लिए सभ्यता के विकास के साथ साथ प्रकृति का बर्बरता से दोहन किया है। विकास के नाम पर कांक्रीट के जंगल फैलाए हैं, कल कारखानों से निकली विशैली गैसों ने वायु प्रदूषित की है। इनसे निकले विशाक्त पदार्थ जल व मृदा को प्रदूषित कर रहे है। पाश्चात्य और उपभोक्तावादी संस्कृति ने मानव को इतना स्वार्थी और विलासी बना दिया है कि आज प्रकृति के सारे तत्व वायु, जल, भूमि, पानी प्रदूषित हो गए हैं और समस्त जीवों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। आज पर्यावरणीय प्रदूषण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता एवं चिंतन का विषय है।

सादा जीवन उच्च विचार वाली भारतीय संस्कृति विश्वबंधुत्व की भावना का प्रतिपादन करते हुए कण–कण के प्रति आत्मीयता की अनुभूति कराती है। भारतीय दृष्टि में प्रकृति हमारे लिए, हम प्रकृति के लिए हैं।

हमारी सभी सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराओं और प्रथाओं के मूल में पर्यावरण संरक्षण का महत्व है। सूर्योपासना, ग्रहों की अभ्यर्थना, अग्निपूजा, वृक्षपूजा इत्यादि सभी में पर्यावरण संरक्षण का संदेश है। जैव विविधता का संरक्षण भी भारतीय संस्कृति में उल्लेखित है। जीव जन्तुओं को हानि पहुँचाने तथा उनका भक्षण करने की अनुमति नही है। आदिवासी क्षेत्रों में पशुओं, वृक्षों, वनस्पतियों इत्यादि को पवित्र मानकर टोटमवाद के रूप में प्रकृति पूजा ही की जाती है।

भारतीय दर्शन की बुनियाद भारत के तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों ने रखी। भारतीय संस्कृति ऋषि, कृषि संस्कृति कही जाती है। इसका विकास प्रकृति की गोद में हुआ है। मानव जीवन प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति एक विराट शरीर की तरह है। जीव, जतुं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ उसके अंग प्रत्यंग हैं। इनके परस्पर सहयोग से यह वृहद्‌ शरीर स्वस्थ और संतुलित हैं।

संस्कृति जीवन की एक शैली है। मनुष्य समस्त जीवों में श्रेष्ठ है उसको अपने ढंग से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। प्राकृतिक कारणों से संस्कृति प्रभावित होती है। पर्यावरण संस्कृति को पोषित करता है। भारतीय दर्शन में पेड़, पौधे, नदी, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र, अग्नि, वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को माँ स्वरूप माना गया है। ग्रह, नक्षत्र, वायु, पर्वत देव रूप माने गए है। ऋग्वेद से लेकर वृहदारण्यक, उपनिषद, पद्मपुराण, मनुस्मृति सभी में मनुष्य के समान पेड़ों में चेतना होती है, का उल्लेख मिलता है।

वेदों में वर्णित ब्रहमचर्य आश्रम में बालक प्रकृति के सानिध्य में पलता बढ़ता और विद्याध्ययन करता है। गृहस्थाश्रम में भी भूमि, जल, वायु, अग्नि, वृक्ष–वनस्पतियों का पूजन अर्चन लोकोपचार एवं लोककल्याण की भावना से किया जाता है। वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम तो पूरी तरह से प्रकृति के साथ ही व्यतीत होते थे। सन्यासी विभिन्न प्रकार की साधना, यज्ञ, हवन प्रकृति के सान्निध्य में ही करते हैं। यज्ञ न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि पर्यावरण के लिए भी विशेष रूप से महत्व रखते हैं। यज्ञ के सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक पहलू भी हैं। हवन करने से पर्यावरण में उपस्थित अनेक तरह के बैक्टीरिया खत्म होते हैं। और वायु मण्डल स्वच्छ होता है।

दोहन के साथ पोषण में विश्वास हमारी संस्कृति का आधार है। भूमि माँ तो पर्वत पिता समान है। जो विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटीयों से युक्त होते हैं। ये मानव को स्वस्थ जीवन एवं प्राणवायु देते हैं। आयुर्वेद के अधिष्ठाता धनवंतरि ने प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों को समस्त असाध्य रोगों के निदान के लिए रामबाण औषधि माना था। इसका प्रमाण रामायण में आने वाले युद्ध प्रसंग में लक्ष्मण को दी जाने वाली संजीवनी बूटी से पुन:जीवित होने के रूप में प्राप्त होता है।

वृक्ष स्वयं कार्बनडाईऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। और बदले में हमें फल फूल और ऑक्सीजन देते हैं। इस सजीव जगत के जीवन में वृक्ष रीढ़

* प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

की तरह हैं धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी का पौधा हर घर में लगाया जाता है। प्रात:काल स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाकर सूर्य को अर्ध्य दिया जाता है। सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है। पीपल, वट, आंवला, इत्यादी वृक्षों की पूजा की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी सबसे अधिक प्राणवायु ऑक्सीजन देती है साथ ही अनेक औषधीय गुण से परिपूर्ण होती है। वटपूर्णिमा, आंवला नवमी जैसे पर्वो को मनाने के लिए हमें इन पौधों का संरक्षण करना ही होगा। धन संपदा की देवी लक्ष्मी को कमल, गणेश को दूर्वा, शंकर को धतूरा बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है। आम के पेड़ों की पत्तियां प्रत्येक पवित्र कार्य, त्यौहार में तोरण हेतु प्रयोग में लाई जाती हैं, कलश में लगाई जाती हैं। केले के पेड़ की पत्तियों से मण्डप बनता है। चन्दन का पेड़ भगवान और भक्त के तिलक लगाने में प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन पूजा में उपयोग आने वाला सिंदूर भी हमें वृक्ष से ही प्राप्त होता है।

हिंदू धर्म में पेड़ पौधे ही नही वरन् पशु पक्षी और मानव जाति भी एक दूसरे के पूरक है। गाय, कुत्ता, हाथी, शेर, चूहा, विशधर नागराज भी पूजनीय है। प्रत्येक हिन्दू परिवार में पहली रोटी गाय की और और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। चींटियों को आटा डाला जाता है। चिड़िया, कौओं के लिए घर की मुंडेर पर दाना पानी रखा जाता है। इन सभी परंम्पराओं के पीछे जीव संरक्षण का संदेश है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव के कल्याण का भाव है। जितने भी त्यौहार हैं वे भी प्रकृति के अनुरूप हैं – मकर संक्राति, होली, नवरात्र, वटपूर्णिमा, आंवलानवमी, दीपावली, अन्नकूट इत्यादि सभी पर्वो में प्रकृति संरक्षण का पुण्य स्मरण है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा की शुरूआत का लौकिक पक्ष भी यही है कि जन सामान्य मिट्टी, पर्वत, वृक्ष, एवं वनस्पति का आदर करना सीखें।

प्राचीन भारतीय परम्पराएं एवं रीति रिवाज पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किंतु आज भौतिकवाद की चकाचौंध में ये कमजोर पड़ रही हैं। जिस श्रद्धा और आस्था से प्रकृति की पूजा की जाती थी उसमें आज कमी आई है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि हमें पर्यावरण को संतुलित कर संरक्षित करना है तो प्राचीन परम्पराओं और मान्यताओं को बढ़ावा देना होगा। इन प्रथाओं को सामाजिक स्तर पर स्वीकारना होगा। पर्यावरण संरक्षण का जो रास्ता हमें पूर्वजों ने दिखाया है, उस पर मजबूत कदम बढ़ाने होंगे।

भारतीय दर्शन जीयो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। सह अस्तित्व का यह सिद्धांत ही मानव को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।

सुझाव :

1. प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवने में अनिवार्यत: वृक्षारोपण करे तथा उसकी सुरक्षा भी करे।
2. प्राथमिक शिक्षा में भारतीय संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए।
3. भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण हेतु युवा पीढ़ी को जागृत किया जाए।
4. जनजागृति द्वारा पर्यावरण सहेजने हेतु लोगो की मनोवृत्ति बनाना।
5. उपभोग की संस्कृति का त्याग कर वस्तुओं का उपभोग संयमित तरीके से किया जायजिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम हो

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. पर्यावरणीय अध्ययन – प्रोफेसर त्रिभुवननाथ शुक्ल, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी–2016
2. शोध पत्रिका – नवीन शोध संसार, राष्ट्रीय सेमीनार – 2019

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

इन्दौर शहर में ग्राहको की आर्थिक सेवा में 'इन्टरनेट बैंकिंग की भूमिका'

विनोद कुमार यादव * श्रीमति मनीषा पाटीदार**

प्रस्तावना – बैंकिंग एक सेवा उद्योग है, जिसका प्राथमिक कार्य ग्राहकों को वित्तीय-सेवाएँ प्रदान करना रहा है। बैंकों से अपेक्षा भी की जाती है कि वे अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उन्हें प्रभावी सेवा प्रदान करें। ग्राहकों की बढ़ती जा रही अपेक्षाओं के साथ यह समस्या और भी विकट हो गयी है। किसी बैंक की सफलता य विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी ग्राहक सेवा कैसी है और कितनी है। जब पहली बार ग्राहक, बैंक काउंटर या बैंक स्टाफ के सम्पर्क में आता है तो उस समय उसके साथ किए गये व्यवहार से वह बैंक के प्रति अपनी धारणा बनाता है तथा वही छवि वह अपने मानस में रखता है।

आजादी मिलने के बाद देश ने कल्याणकारी राज्य के रूप में काम करना शुरू किया और देश के सर्वांगीण विकास के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया गया। विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई और 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों और 1980 में 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद 1991 में भारत सरकार द्वारा अनेक सुधारवादी उपाय किये गए। इन सुधारवादी उपायों से निजी क्षेत्र को बैंकिंग क्षेत्र में प्रवेश मिला और बैंकिंग सेवा क्षेत्र अधिक प्रतियोगितात्मक एवं स्पर्धात्मक हुआ। 1992 के बाद बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हुई।

बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 – बैंकों की वेबसाइट पर व अपनी सभी शाखाओं में इस आशय की सूचना प्रदर्शित की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर योजना की प्रमुख विशेषताएँ प्रदर्शित होती है। ग्राहक के अनुरोध पर योजना की एक प्रति ग्राहक को सामान्य प्रभार लेने के बाद उपलब्ध कराई जाती है।

ग्राहक सेवा विभाग की स्थापना ने भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं केन्द्रीय विभागों में ग्राहक सेवा मानदण्डों को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। केन्द्रीयकृत कार्यालय विभाग द्वारा जारी किए जाने के कारण ग्राहक सेवा सम्बंधी नीतियों एवं नियमों में पारदर्शिता आई है जिससे ग्राहक सेवा मामलों में उत्तारदायित्व सुनिश्चित हुआ है।

बैंकिंग व्यवस्था में अनेक सुधार हुए हैं ग्राहकों की निरंतर बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। व्यवस्था विश्व स्तर पर इतनी तेजी से बदल रही है, जिसके कारण कई विदेशी बैंक भी गहरे संकट में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर, कम्प्यूटरीकरण को ही लें। प्रौद्योगिकी का उन्नयन तो किया, पर उससे सुरक्षा के उपायों में हमें सफलता नहीं मिल पाई है, अर्थात् कम्प्यूटर सुरक्षा में काफी पीछे है। इसी प्रकार नकदी उत्पाद सेवा और त्वरित सेवा जैसी विशिष्ट सेवाएँ गिने-चुने बैंक ही दे रहे हैं। बैंकों की विशिष्ट सेवाएँ केवल महानगरीय या नगरीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक व सीमित सुविधाएँ मात्र उपलब्ध है।

नई बैंकिंग व्यवस्था में समय की माँग के अनुकूल कर्मचारियों की दक्षता एवं उनकी कार्य-संस्कृति में तालमेल बिठाने की नितांत आवश्यकता है जिससे बैंकों में मानव संसाधन को सही दिशा मिलती है। बैंकिंग तंत्र में आज भी एक असंगति यह पायी जाती है कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके कार्य का तालमेल नहीं होता। विदेशी विनिमय का प्रशिक्षण लेकर महानगरीय शाखा में तैनात किए जाते हैं व ग्रामीण बैंकिंग का प्रशिक्षण लेकर महानगरीय शाखा में तैनात कर दिए जाते हैं।

भविष्य की चिंता और उसके लिए उपाय करने की उस युग में आवश्यकता नहीं थी। इस प्राकृत अवस्था में न तो व्यक्तिगत सम्पत्ति थी और न व्यक्तिगत सम्पत्ति धारणा करने की भावना थी। धीरे-धीरे व्यक्ति में समूह भावना विकसित होने लगी। मानव सामूहिक प्रयासों से अर्जित खाद्य सामग्री का मिल-जुलकर उपयोग करने लगे। धीरे-धीरे परिवार संस्था का अंकुरण हुआ और आरण्यिक संस्कृति ग्रामवासिनी हुई। यायावरीय जीवन का परित्याग कर मानव स्वामी ग्राम्य जीवन को अपनाने लगे। कृषि कर्म और आर्थिक दृष्टि से पशुपालन एवं कृषिकर्म पर आधारित अर्थव्यवस्था का मानवजीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा।

उद्देश्य – किसी वर्ग के ग्राहको द्वारा इन्टरनेट बैंकिंग का प्रयोग किया जाता है, का अध्ययन।

परिकल्पना – सभी आयु वर्ग के ग्राहक इन्टरनेट बैंकिंग का अधिक प्रयोग करते है।

विधि – प्रस्तुत शोध पत्र के समको का परिक्षण के लिये कई वर्ग का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिये वित्तीय लेन-देन महत्वपूर्ण व सार्वजनिक जीवन पर पड़ता है। जिसके सक्रिय भागीदारी रही है। वर्तमान परिस्थितियों के दौर मे व्यक्ति की आयु महत्वपूर्ण होती है। जिससे उसकी सामाजिक पहचान तथा समाज में आर्थिक भूमिका के रुप में जो योगदान होता है। वह सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। वह चूँकि व्यक्ति की आयु परिवर्तन साथ-साथ परिपक्वता तथा अनुभव परिलक्षित होता है। जिससे समाज के अन्य वर्ग योगदानों का लाभ होते है। इस प्रकार उत्तरदाताओ की आयु की स्थिति की विवेचना कि गई है।

आयु की स्थिति

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
20 वर्ष तक	45	13.85
20-40	105	32.31
40-60	122	37.54
60से अधिक	53	16.30
कुल	**325**	**100**

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंकिग ग्राहको की आयु की दृष्टि से 13.85 प्रतिशत ग्राहको की आयु 20 वर्ष तक, 32.31 प्रतिशत ग्राहको की आयु 20 से 40 वर्ष, 37.54 प्रतिशत ग्राहको की आयु 40 से 60 वर्ष तथा 16.30 प्रतिशत ग्राहको की आयु 60 वर्ष से अधिक पाई गई। अध्ययन में पाया गया है, कि बैंकिग ग्राहको मे सर्वाधिक आयु 40 से 60 वर्ष के ग्राहक अधिक होते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रमेश चन्द्र कालड़ा ,'व्यक्तिगत बैंकिग', चिकमंगलूर
2. डॉ. सुरेश कांत,'प्राचीन भारत मे बैंकिग शब्दावली का स्वरुप', अभिरुचि प्रकाशन दिल्ली।

पत्र पत्रिकाए:

1. दैनिक नई दुनिया,इन्दौर
2. दैनिक भास्कर,इन्दौर
3. दैनिक फ्री प्रेस इन्दौर

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

राजस्थान के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों का योगदान (चित्तौड़गढ़ जिले का एक विश्लेषण)

डॉ. वंदना वर्मा* प्रियंका जैन**

शोध सारांश – राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, उत्पादकता में सुधार, राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ–साथ उद्योगों की वित्तीय सहायता पर निर्भर है। राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के द्रुत गति से विकास करने, इन्हें मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने हेतु उद्योग विभाग कार्यरत हैं। तीव्र औद्योगिकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महती आवश्यकता है। लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता है। लघु उद्योग आय के समान वितरण में सहायक है। चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान में एक चुना पत्थर जिले के रूप में जाना जाता है। जिले का मुख्यालय होने की वजह से रोजगार की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र है। यह जिला चूना पत्थर, रेत पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल से संपन्न है जो फर्श प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ संपूर्ण जिले का व्यवसायिक केंद्र है। विगत वर्षो से चित्तौड़गढ़ जिले में लघु उद्योगों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रस्तावना – स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नीति निर्माता के रूप में सरकार को दूर–दूर तक फैली गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के साथ–साथ तीव्र गति से प्रगति करने के दो विचारों को क्रमिक और तालमेल पूर्ण रूप देना था ताकि लाखों भारतीयों को अच्छा जीवन स्तर देने की आशय से उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके, जैसा कि एक कल्याणकारी राज्य में इच्छा रखी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आ रही गरीबी और बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के विकास को अनिवार्य समझा गया क्योंकि इससे श्रम से परिपूर्ण परंतु पूंजी के अभाव से ग्रस्त देश में कम निवेश के साथ भारी पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। श्रम से जुड़े होने के कारण लघु उद्योगों में स्थानीय संसाधनों और कुशलता ओं के अधिकतम उपयोग, विकेंद्रीकरण, उद्यमियों के संवर्धन में योगदान देने के लिए इक्विटी, लोचनीयता, क्षमता की सकारात्मक संभावनाएं है।

लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की सुरक्षा और विकास को सरल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने अपनी नीति के अनुसरण में समय–समय पर विभिन्न सहायक उपाय आरंभ किए जिनमें आरक्षण की नीति, निवेश सीमा में संशोधन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन सहायता, वित्तीय प्रोत्साहन आदि शामिल है। उदारीकरण और प्रतियोगी आर्थिक क्रियाकलापों की बदली हुई परिस्थितियों में बनते हुए आर्थिक परिदृश्य ने अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए नीतिगत ढांचे में संरचनात्मक और आधारभूत परिवर्तनों को स्थान देना आवश्यक बना दिया है। सुधार के लिए व इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें आरक्षण हटाना, निवेश सीमा में परिवर्तन, विदेशी सहयोग को आसान बनाना, संवृद्धि केंद्रों की स्थापना, निर्यात संवर्धन, विपणन सहायता और गुणवत्ता सुधार के लिए प्रोत्साहन शामिल है। लघु उद्योग क्षेत्र ने देश की बदली हुई उदारीकृत आर्थिक परिस्थितियों में भी अपनी क्षमता सिद्ध की है। अपनी क्षमता को खोलने के लिए अपेक्षित कार्रवाई ने इस क्षेत्र के कामकाज को प्रभावित किया है और साथ ही नए अवसर और चुनौतियां भी दी हैं।

शोध का महत्व – भारत देश में जहां पूंजी का अभाव है तथा जनशक्ति की अधिकता है, लघु उद्योगों के विकास के बिना आर्थिक समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन रोजगार एवं निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। लघु उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों में पारंपरिक वस्तुओं से लेकर उच्च तकनीक से तैयार होने वाली वस्तुएं शामिल है। भारत में केवल बेकारी की समस्या ही नहीं है बल्कि अर्ध्दबेरोजगारी की समस्या उसे भी विकट है। अर्ध बेरोजगार लोगों की संख्या बहुत अधिक है बड़े पैमाने के उद्योग देश में फैले हुए इतने अधिक बेरोजगारों को काम नहीं दे सकते इतनी विशाल जनसंख्या को भरपूर काम देने के लिए अनिवार्य हो जाता है कि देश में लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास किया जाए। इस शोध से संबंधित जानकारी आर्थिक विकास में सहायक होगी व शोध के माध्यम से लघु उद्योगों के विकास को नई दिशा मिलेगी।।

अनुसंधान अंतराल – शोध से संबंधित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा से यह पता चलता है कि लघु उद्योग देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा लघु उद्योग देश के औद्योगिक उत्पादन रोजगार एवं निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अत: प्रस्तुत शोध में उपलब्ध साहित्य पुनरावलोकन में लिए गए उपकरणों से प्रभावित उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा जो नवीन जानकारी देने में सहायक होगा।

शोध के उद्देश्य :

1. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में लघु उद्योगों के विकास पर अध्ययन करना।

* व्याख्याता (अर्थशास्त्र विभाग) राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर(राज.) भारत
** शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

2. चित्तौड़गढ़ जिले में लघु उद्योगों की उपयोगिता और रोजगार स्तर के बारे में अध्ययन करना।

शोध विधि – प्रस्तुत शोध में द्वितीयक आंकड़ों की सहायता ली गई है।द्वितीयक आंकड़े एकत्रित करने में शोध ग्रंथ,पुस्तके,केंद्र सरकार,राज्य सरकार एवं विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पूर्व में संकलित एवं प्रकाशित इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को सम्मिलित कर आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आने वाली सभी तहसीलों को अध्ययन हेतु चुना गया है।

लघु उद्योगों की उपयोगिता – लघु उद्योगों में कम पूंजी विनियोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और साथ ही अधिकाधिक संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। यही नहीं लघु उद्योग आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को कम करके आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करने में सहायक है तथा आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण को कम करने में सहायक है। लघु उद्योग आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के द्वारा प्रादेशिक असंतुलनो को भी कम करते हैं। यह ग्रामीण उपभोक्ताओं को अपने माल का लाभ प्रदान करके अपनी रूचि के अनुसार अपने विकल्प का उपयोग करने में सहयोग देते हैं। लघु उद्योगों की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए आज यह अत्यंत आवश्यक है कि उत्पादन की तकनीकी का आधुनिकीकरण किया जाए।

लघु उद्योगों को देश में समय-समय पर परिभाषित किया जाता रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की अधिसूचना के आधार पर लघु उद्योगों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है - (1) विनिर्माण उद्यम (2) सेवा उद्यम

विनिर्माण उद्यम :

1. **सूक्ष्म उद्यम–** प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।

2. **लघु उद्योग–** प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपए से कम होता है।

3. **मध्यम उद्यम–** प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 5 करोड रुपए से अधिक लेकिन10 करोड रुपए से कम होता है।

सेवा उद्यम :

1. **सूक्ष्म उद्यम –** जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है।

2. **लघु उद्यम –** जहां उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम होता है।

3. **मध्यम उद्यम–** जहां उपकरणों में निवेश 2 करोड रुपए से अधिक लेकिन 5 करोड रुपए से कम होता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को विश्व भर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। दुनिया के कई देशों ने इस क्षेत्र के विकास के संबंध और सभी सरकारी कार्यों में समन्वय की देखरेख के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में एसएमई विकास एजेंसी की स्थापना की हैं। भारत में भी मध्यम उद्योग की स्थापना को एक अलग (एमएसएमई) विकास अधिनियम, 2006 जो 2 अक्टूबर 2016 से लागू हो गया है। विकास आयुक्त का कार्यालय सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी (एमएसएमई) के रूप में कार्य करता है।

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम(एमएसएमई) देश की जीडीपी का लगभग 8 फीसदी, विनिर्माण उत्पादन का 45फीसदी और निर्यात में 40 फीसदीयोगदान देते हैं। यह उद्यमशीलता और नवीनता के लिए एक नर्सरी हैं। यह उद्योग देशभर में व्यापक रूप से फैले स्थानीय बाजारों की जरूरत पूरा करते हैं। यह राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मूल्य की श्रंखला को पूरा करने के लिए उत्पाद एवं सेवाओं की एक विविध रेंज का उत्पादन करते हैं।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों में विकास का नया दौर – देश में भारत सरकार ने सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों की वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने के लिए कई पहल की है। विनिर्माण क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एमएसएमई क्षेत्र प्रमुख भूमिका निभा रहा है। देश में कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। एमएसएमई के सफल उद्यमियों की उपलब्धता को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने उद्यमिता में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस घोषित किया है, जिससे क्षेत्र के महत्व का पता चलता है। भारत सरकार ने एमएसएमई खादी एवं ग्रामोद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में वृद्धि एवं विकास किया है।

2016-17 के दौरान 490 करोड रुपए के परिव्यय से आरंभ की गई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब(एन एस एस एच) योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने के प्रयास के पीछे समग्र विकास के लिए सरकार की मुहिम रही है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय- एमएसएमई विकास संस्थान और टूल रूम पूरे भारत में अपनी सेवाओं से उद्यमियों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय ने क्षेत्र के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी)एक ऐसी ही पहल है। पीएमईजीपी के आधार को विस्तार देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने पीएमईजीपी के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। सूक्ष्म उद्योग की व्यापक कवरेज को सक्षम बनाने तथा सकल वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पीएमईजीपी के लिए प्रति जिला 75 योजनाओं का लक्ष्य तय किया गया है। पीएमईजीपी इकाइयों के लिए केवीआइसी द्वारा एक विशिष्ट वेब पोर्टल विकसित किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एन एम सी पी) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत में एमएसएमई देश के कोने कोने में फैलें उद्यमों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है , जिसमें कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक भी शामिल है। भारत को एक मैन्युफैक्चर हब बनाने और जीडीपी वृद्धि दर को 2 अंकों में पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी का विजन देश के एमएसएमई के विकास से ही संभव है। एमएसएमई क्षेत्र मेक इन इंडिया के संदर्भ में जो प्रमुख भूमिका निभाता है इसकी कल्पना जीडीपी मैं इसके योगदान, विनिर्मित उत्पादों, निर्यात और रोजगार सर्जन में लगाया जा सकता है।

चित्तौडगढ़ जिले में लघु उद्योग – चित्तौड़गढ़ जिले को चुना पत्थर जिले के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह जिला सीमेंट ग्रेड चुने पत्थर के बड़े भंडार के साथ-साथ चमचमाते चुने पत्थर, रेत पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल से संपन्न है फर्श प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है। जिले का मुख्यालय होने की वजह से रोजगार की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र है। जिले में प्रतिवर्ष लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 से 2019 तक जिले में बढ़ती हुई लघु उद्योगों की संख्या को तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 1 : जिले में पंजीकृत सूक्ष्म,लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या और रोजगार सृजन(2011 से 2019)

वर्ष	इकाइयों की संख्या	रोजगार (प्रति व्यक्ति)	निवेश (लाख में)
2011	7998	29045	16365.76
2012	8299	30358	18873.17
2013	8610	31850	22994.17
2014	8958	33332	27269.17
2015	9299	34417	32093.17
2016	9652	37257	44630.17
2017	10924	45558	74454.17
2018	12253	52123	94076.17
2019	13856	60549	111008.17

(औद्योगिक सर्वे रिपोर्ट 2018-19, जिला उद्योग केंद्र, चित्तौड़गढ़)

उपरोक्त तालिका में वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयों की बढ़ती हुई वर्ष वार प्रगति को दर्शाया गया है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रतिवर्ष नई लघु औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण एवं रोजगार में वृद्धि होती गई है।

जिले में संचालित मध्यम उद्योगों की संख्या – चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित मध्यम उद्यमों की संख्या को तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

तालिका 2 (निचे देखे)

तालिका 2 से स्पष्ट है कि चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित मध्यम उद्योगों की संख्या 334 एवं रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 3701 है।

निष्कर्ष :

1. चित्तौड़गढ़ जिले में लघु उद्योगों के विकास से यह जिला निरंतर विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
2. चित्तौड़गढ़ जिले में लघु उद्योग आर्थिक शक्ति का सामान वितरण करने में सहायक है।
3. चित्तौड़गढ़ जिले में लघु उद्योगों से रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है एवं बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी समस्या कम हुई है।
4. पिछले वर्षों में चित्तौड़गढ़ का तीव्र औद्योगिकरण हुआ है एवं जिले में प्रतिवर्ष लघु उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई।
5. चित्तौड़गढ़ जिले को राजस्थान में चूना पत्थर जिले के रूप में जाना जाता है तथा यह जिला सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के बड़े भंडार के साथ-साथ चूना पत्थर, रेट पत्थर, ग्रेनाइट, मार्बल से संपन्न है।
6. क्षेत्र में उपलब्ध खनिज संसाधनों का क्षेत्र में ही उपयोग करने की नीति अपनाने की वजह से इस नगर में विकास की प्रक्रिया त्वरित हो गई है।
7. चित्तौड़गढ़ जिले की औद्योगिक संरचना में अनेक लघु उद्योग जैसे- फर्नीचर उद्योग, मसाला उद्योग, रिपेयर वर्कशॉप, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती उद्योग, माचिस उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट, मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग आदि संचालित है।

सुझाव– इस शोध विषय से संबंधित कुछ सुझाव दृष्टिगत किए गए है जो इस प्रकार है –

1. जिले में सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए तथा इन उद्योगों के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं से जनता को अवगत कराना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक व्यक्ति लघु उद्योग से रोजगार प्राप्त कर सके।
2. जिले में लघु उद्योगों के विकास के लिए लघु उद्योग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की नितांत आवश्यकता है।
3. जिले में विभिन्न स्वरोजगार परियोजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराने की आवश्यकता है।
4. जिले में और अधिक लघु उद्योगों की स्थापना करके शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।
5. जिले के ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारों को निरंतर और सतत रोजगार उपलब्ध कराना ताकि बेरोजगारों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ जाने से रोका जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Industrial Potential Survey(2018&19) Government of Rajasthan] Department of Industries] District& Chittorgarh
2. Shubhamay Banik(2018)& Small Scale Industries in India: Opportunities and Challenges International Journal of Creative Research Thoughts(IJRCT)Vol-&6, Issue:1, pp-337&341
3. http://laghu& udyog-gov-in
4. https://www-dcmsme-gov-in>chittorgarh
5. Rajasthan News in Hindi& chittorgarh News,5/Jun/2019
6. लघु उद्योग भारत की प्रगति के आधार स्तंभ, लघु उद्योग मंत्रालय, मुद्रक धृति प्रिंटर्स,204-205, फेस-1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110020

तालिका 2 – जिले में संचालित मध्यम उद्योग(दिसंबर 2019 तक)

क्र.	इकाईयां	इकाइयों की संख्या	रोजगार (प्रतिव्यक्ति)	निवेश (करोड़ में) प्रति इकाई	संचालन का क्षेत्र
1	खेतान केमिकल – फर्टिलाइजर	1	67	10.735	निम्बाहेड़ा
2	स्वास्तिक पॉलिटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	1	189	10.05	गंगरार
3	नेरडा टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड	1	45	8.50	निम्बाहेड़ा
4	गोविंदम टेक्सफैब प्राइवेट लिमिटेड	1	50	10.00	सोनियाणा (जिला- चित्तौड़गढ़)
5	ग्रेनाईट इंडस्ट्री	10	100	10.00	ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट
6	मार्बल – ग्रेनाईट इंडस्ट्री	300	3000	10.00	रीको औद्योगिक क्षेत्र(जिला-चित्तौड़गढ़)
7	होटल 5 डींरी	10	150	5.00	ऑल ओवरडिस्ट्रिक्ट
8	अनाज ग्रेडिंग	10	100	2.50	निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, बड़ीसादड़ी
	कुल	334	3701	30136.285	

(औद्योगिक सर्वे रिपोर्ट 2018-19, जिला उद्योग केंद्र, चित्तौड़गढ़)

Effect of Oxidant and Inorganic Salts on Photocatalytic Degradation of Azure B Dye

Dr. David Swami*

Abstract - Photocatalytic degradation of Azure B dye, a widely used industrial dye has been studied utilizing visible light and TiO_2 as photocatalyst. This manuscript discusses the optimizing condition for efficient photoicatalytic degradation of Azure B dye. Such as the effect of H_2O_2, $K_2S_2O_8$, NaCl, Na_2CO_3 and $FeCl_3$. The result indicated that TiO_2 in the presence of visible light can effectively degrade Azure B dye.
Keywords - Photocatalytic Degradation, Azure B, Visible Light, Effect.

Introduction - The textile industry is one of the most water demanding sectors. Most of the dyes used in the textile industry are highly stable, soluble in water.(1) Photocatalysis through semiconductors solid system become rapidly area of research.(2) It can be used to decompose organic compounds into inorganic substances for the purpose of purifying textile dye wastewater from industries.(3) TiO_2 is one of the suitable semiconductors for photocatalysis. Azure B dye is extensively used for dying cotton, silk and leather. Photocatalysis can be utilized for the removal and degradation of dye. A study of the effect of oxidant and inorganic salt were studied.

Experimental - Azure B was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution ($3.8x10^{-5}$ mol dm^{-3}) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30 ± 0.3^oc. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Results and Discussion - An aliquot was taken from the reaction mixture at regular time interval and the absorbance was measured spectra photo metrically at max value of 630 nm. The absorbance of the solution was found to decrease with increasing time. Which indicates that the concentration of Azure B dye decreased with increasing time of exposure.

Effect of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ - It was observed that addition of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ was beneficial for the photoxidation of the dyes. The reactive radical intermediates such as $^{\bullet}OH$ and $SO_4^{\bullet-}$ are formed from these oxidants by reactions with the photo generated electrons can exert a dual function: as strong oxidant themselves and as electron scavengers, thus inhibiting the electron-hole recombination at the TiO_2 surface (4). In the present studies with increase in H_2O_2 concentration from 2×10^{-6} mol dm^{-3} to 10×10^{-6} mol dm^{-3} and it reached the optimum at 9×10^{-6} mol dm^{-3} consequently it decreased as the concentration of the H_2O_2 increased beyond the optimum. H_2O_2 accepts a photo generated electron from the conduction band and thus promotes the charge separation and it also from $^{\bullet}OH$ radicals (5, 6). However, H_2O_2 can also become a scavenger of $^{\bullet}OH$ when present at high concentration when H_2O_2 level gets too high it can be adsorbed onto TiO_2 particles to modify their surfaces and subsequently decrease its catalytic activity (7). The presence of $S_2O_8^{2-}$ positively influences the mineralization rate because $SO_4^{\bullet-}$The textile industry is one of the most water demanding sectors. Most of the dyes used in the textile industry are highly stable, soluble in water.(1) Photocatalysis through semiconductors solid system become rapidly area of research.(2) It can be used to decompose organic compounds into inorganic

*Department of Chemistry, S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.) INDIA

substances for the purpose of purifying textile dye wastewater from industries.(3) TiO_2 is one of the suitable semiconductors for photocatalysis. Azure B dye is extensively used for dying cotton, silk and leather. Photocatalysis can be utilized for the removal and degradation of dye. A study of the effect of oxidant and inorganic salt were studied.

Experimental - Azure B was obtained from Loba Chemie. Photo catalyst TiO_2 was obtained from the S.D. Fine Company. All Solutions were prepared in doubly distilled water. Photo catalytic experiments were carried out with 50 ml of dye solution (3.8×10^{-5} mol dm^{-3}) using 300mg of TiO_2 photo catalytic under exposure to visible irradiation in specially designed double-walled slurry type batch reactor vessel made up of Pyrex glass (7.5 cm height, 6 cm diameter) surrounded by thermostatic water circulation arrangement to keep the temperature in the range of 30 ± 0.3^0c. Irradiation was carried out using 500 w halogen lamp surrounded by aluminum reflector to avoid irradiation loss. During photo catalytic experiments after stirring for 10 min slurry composed of dye solution and catalyst was placed in dark for ½ h in order to establish equilibrium between adsorption and desorption phenomenon of dye molecule on photo catalyst surface. Then slurry containing aqueous dye solution and TiO_2 was stirred magnetically to ensure complete suspension of catalyst particle while exposing to visible light. At specific time intervals aliquot (3ml) was withdrawn and centrifuges for 2 min at 3500 rpm to remove TiO_2 particle from aliquot to assess extent of decolourisation photo metrically. Changes in absorption spectra were recorded at 480 nm on double beam UV-Vis, spectrophotometer (Systronic Model No. 166) Intensity of visible radiation was measured by a digital luxmeter (Lutron LX 101). pH of solution was measured using a digital pH meter.

Results and Discussion - An aliquot was taken from the reaction mixture at regular time interval and the absorbance was measured spectra photo metrically at max value of 630 nm. The absorbance of the solution was found to decrease with increasing time. Which indicates that the concentration of Azure B dye decreased with increasing time of exposure.

Effect of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ - It was observed that addition of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ was beneficial for the photoxidation of the dyes. The reactive radical intermediates such as $^{\bullet}OH$ and $SO_4^{\cdot-}$ are formed from these oxidants by reactions with the photo generated electrons can exert a dual function: as strong oxidant themselves and as electron scavengers, thus inhibiting the electron-hole recombination at the TiO_2 surface (4). In the present studies with increase in H_2O_2 concentration from 2×10^{-6} mol dm^{-3} to 10×10^{-6} mol dm^{-3} and it reached the optimum at 9×10^{-6} mol dm^{-3} consequently it decreased as the concentration of the H_2O_2 increased beyond the optimum. H_2O_2 accepts a photo generated electron from the conduction band and thus promotes the charge separation and it also from $^{\bullet}OH$ radicals (5, 6). However, H_2O_2 can also become a scavenger of $^{\bullet}OH$ when present at high concentration when H_2O_2 level gets too high it can be adsorbed onto TiO_2 particles to modify their surfaces and subsequently decrease its catalytic activity (7). The presence of $S_2O_8^{2-}$ positively influences the mineralization rate because $SO_4^{\cdot-}$ is formed by the reaction with the semiconductor photo generated electrons (e^-_{cb}) (8). The rate constant increased from 4.64×10^{-4} s^{-1} to 6.52×10^{-4} s^{-1} with the increase in concentration of $K_2S_2O_8$ from 2.0×10^{-6} mol dm^{-3} to 10.0×10^{-6} mol dm^3. At optimal concentration of $K_2S_2O_8$ rate constant has been found to be 6.52×10^{-4} s^{-1} consequently degradation rate decreases as the concentration of the $K_2S_2O_8$ increases beyond the optimum(9). This behavior is due to the light absorption from dye molecule that led to the photosensitization of the molecule, which is accompanied by the excitation of an electron from the lower to upper energy level. The excited dye molecule injected electrons to the $S_2O_8^{2-}$.The resulting $SO_4^{\cdot-}$ radicals, consequently attacked the chromophore group in dye leading to decolorization of the solution. The decrease in rate constant above optimum concentration might be due to excess concentration of SO_4^{2-} ions which got adsorbed on the TiO_2 surface and reduced the photocatalyst activity.

$$H_2O_2 + TiO_2(e^-_{CB}) \text{ —— } {}^{\bullet}OH + OH^-$$

$$H_2O_2 + hv \text{ —— } 2{}^{\bullet}OH$$

$$H_2O_2 + 2h^+_{VB} \text{ —— } O_2 + 2H^+$$

$$H_2O_2 + {}^{\cdot}OH \text{ —— } HO_2^{\cdot-} + {}^{\cdot-}OH$$

$$HO_2^{\cdot-} + {}^{\cdot-}OH \text{ —— } H_2O + O_2$$

$$S_2O_8^{2-} + e^-_{aq} \text{ —— } SO_4^{\cdot-} + SO_4^{2-}$$

$$S_2O_8^{2-} + e^-_{cb} \text{ —— } SO_4^{\cdot-} + SO_4^{2-}$$

$$SO_4^{\cdot-} + e^-_{cb} \text{ —— } SO_4^{2-}$$

$$SO_4^{\cdot-} + H_2O \text{ —— } {}^{\cdot-}OH + SO_4^{2-} + H^+$$

Table 1: Effect of H_2O_2 and $K_2S_2O_8$: [AB] = 3.0×10^{-5} mol dm^{-3}, pH = 9.0

TiO_2 = 200 mg/100 mL, Light intensity = 25×10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

[Oxidant] ×	H_2O_2		$K_2S_2O_8$	
10^6 $mol^{-1}dm^3$	$k \times 10^{-4}$ s^{-1}	$t_{1/2} \times 10^3$ s^{-1}	$k \times 10^{-4}$ s^{-1}	$t_{1/2} \times 10^3$ s^{-1}
0.0	4.10	1.69	4.10	1.69
2.0	5.37	1.29	4.64	1.49
4.0	5.87	1.18	4.75	1.45
6.0	6.10	1.13	5.22	1.32
8.0	6.17	1.12	5.48	1.26
10.0	6.37	1.08	6.52	1.06
12.0	2.34	2.96	3.64	1.90
14.0	2.07	3.34	2.91	2.38

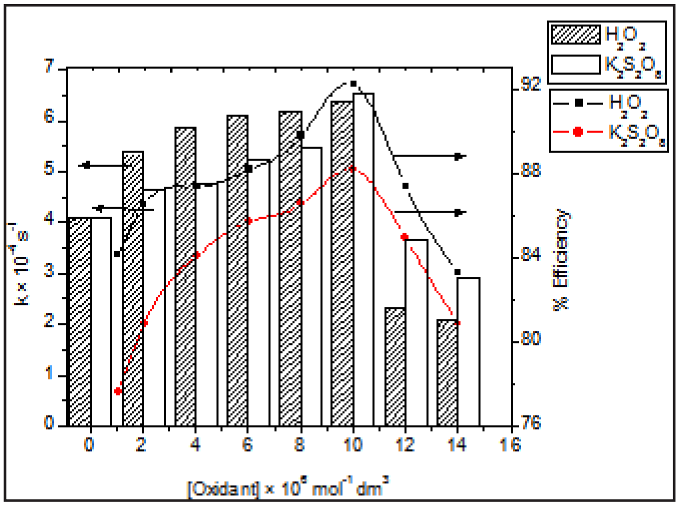

Fig.1: Effect of oxidant: H_2O_2 and $K_2S_2O_8$

Effect of NaCl and Na_2CO_3 - The textile wastewater from dyeing process normally contains considerable amount of CO_3^{2-} and Cl^- ions. These chemicals are often used in textile processing operations for adjusting the pH of the dye bath(10). As can be seen from Table 3.5 and Fig. 3.7, an increase in concentration of Cl^- from 2.0×10^{-6} mol dm^{-3} to 14.0×10^{-6} mol dm^{-3}, resulted in reduction of rate constant from 3.91×10^{-4} s^{-1} to 1.84×10^{-4} s^{-1}, which with same CO_3^{2-} ion concentration variation, the rate constant decreased from 3.64×10^{-4} s^{-1} to 2.87×10^{-4} s^{-1}. The cause of inhibition was due to the ability of these ions to act as hydroxyl radical ($^{\bullet}OH$) scavengers. These ions might also block the active sites on the TiO_2 surface thus deactivating the TiO_2 towards the dye and intermediate molecules (11).

$TiO_2 \longrightarrow TiO_2\,(h^+_{VB},\ e^-_{cb})$

$Cl^- + {}^{\bullet}OH \longrightarrow Cl^{\bullet} + OH^-$

$Cl^- + h^+_{VB} \longrightarrow Cl^{\bullet}$

$Cl^{\bullet} + Cl^- \longrightarrow Cl_2^{-\bullet}$

${}^{\bullet}OH + CO_3^{2-} \longrightarrow OH^- + CO_3^{\bullet-}$

${}^{\bullet}OH + HCO_3^- \longrightarrow H_2O + CO_3^{\bullet-}$

Table 2: Effect of NaCl and Na_2CO_3: [AB] = 3.0×10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 = 200 mg/100 mL,
pH = 9.0, Light intensity = 25×10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

[Salt] × 10⁶ mol⁻¹ dm³	NaCl		Na_2CO_3	
	k ×10⁻⁴ s⁻¹	$t_{1/2}$ × 10³ s⁻¹	k ×10⁻⁴ s⁻¹	$t_{1/2}$ × 10³ s⁻¹
0.0	4.10	1.69	4.10	1.69
2.0	3.91	1.77	3.64	1.90
4.0	3.33	2.08	3.53	1.96
6.0	3.21	2.15	3.49	1.98
8.0	2.91	2.38	3.41	2.03
10.0	2.80	2.47	3.22	2.15
12.0	2.61	2.65	3.00	2.31
14.0	1.84	3.76	2.87	2.41

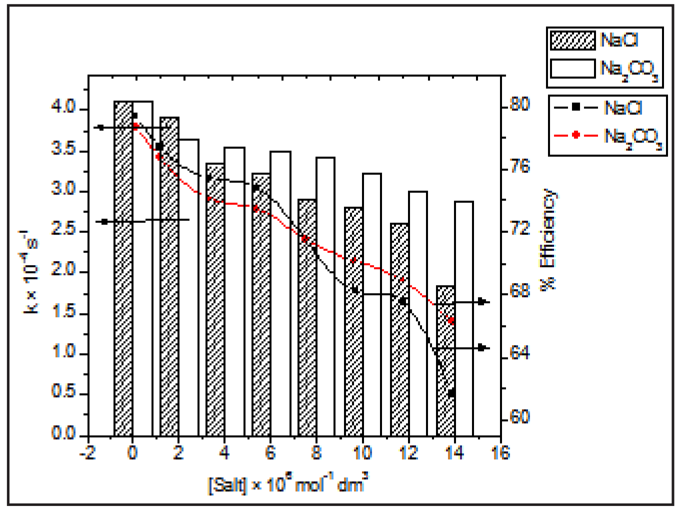

Fig. 2: Effect of Salt NaCl and Na_2CO_3

Effect of $FeCl_3$ - The addition of $FeCl_3$ had an important influence on the processes of the photocatalytic decoloration of the dye. Catalytic influence of Fe^{3+} ions on the decoloration of dye depend on the concentration of $FeCl_3$, the applied amount of TiO_2 and on the initial concentration of the dye in the solutions. We have studied the effect of $FeCl_3$ on the photodegradation of Azure B by varying the concentration from 2.0×10^{-6} mol dm^{-3} to 14.0×10^{-6} mol dm^{-3}. In TiO_2 / $FeCl_3$ / Vis addition of $FeCl_3$ caused an increase in rate constant (5.64×10^{-4} s^{-1}), up to concentration 8×10^{-5} mol dm^{-3}. Fe^{3+} behaves as an electron scavenger thus preventing the recombination of electron-hole pairs. The above two reactions led to increase the amount of $^{\bullet}OH$ and H_2O_2 thus improving the efficiency of the photocatalytic process. When Fe^{3+} concentration is in excess of 10×10^{-5} mol dm^{-3}, the photodegradation efficiency decreased gradually due to the deposition of Fe^{3+} ions on the semiconductor particles. Active sites of the catalyst are covered with Fe^{3+} ion and hence the photon absorption by the catalyst decreased (12).

$Fe^{3+} + h\nu \longrightarrow Fe^{2+} + {}^{\bullet}OH$

$Fe(OH)_2 + h\nu \longrightarrow Fe^{2+} + {}^{\bullet}OH$

$Fe^{2+} + H_2O_2 + H^+ \longrightarrow Fe^{3+} + {}^{\bullet}OH + H_2O$

$Fe^{2+} + HO_2^{\bullet} + H^+ \longrightarrow Fe^{3+} + H_2O_2$

Photoactivation of surface adsorbed complex ion ($Fe^{3+}OH^-$) resulted into $Fe^{2+}\,{}^{\bullet}OH$ species, which consequently injected electrons to conduction band of TiO_2. Increased rate of degradation in case of $FeCl_3$ is due to rapid scavenging of conduction band electrons by molecular oxygen leading to formation of superoxide and hydro peroxide radicals. Higher concentration of $FeCl_3$ eliminated adsorption of cationic dye on TiO_2 surface and also inhibited reaction rate by reducing production of hydroxyl radicals(13).

$AB + h\nu_{visible} \longrightarrow {}_1AB^*$ or ${}_3AB^*$

${}_1AB^*$ or ${}_3AB^* + TiO_2\,(Fe^{3+}OH^-) \xrightarrow{h\nu} TiO_2\,(Fe^{2+}\,{}^{\bullet}OH) + AB^{+\bullet}$

$TiO_2\,(Fe^{2+}\,{}^{\bullet}OH) + H_2O_2 \xrightarrow{H^+} TiO_2\,(e^-_{CB}) + TiO_2\,(Fe^{3+}\,{}^{\bullet}OH)$

$TiO_2\,(e^-_{CB}) + O_2 \longrightarrow O_2^{\bullet-} \longrightarrow HO_2^{\bullet}$

$AB / AB^{+\cdot} + {}^{\cdot}OH / O^{\cdot-}_2 / HO^{\cdot}_2$ ——— Degradation products

Table 3: Effect of $FeCl_3$: [AB] = 3.0 × 10^{-5} mol dm^{-3}, TiO_2 = 200 mg/100 mL

pH = 9.0, Light intensity = 25 × 10^3 lux, Temperature = 30 ± 0.3 ºC.

$FeCl_3$ × 10^5 mol^{-1} dm^3	**k × 10^{-4} s^{-1}**	**$t_{1/2}$ × 10^3 s**
0.0	4.10	1.69
2.0	4.30	1.61
4.0	4.60	*1.50*
6.0	4.99	1.38
8.0	5.64	1.22
10.0	4.50	1.54
12.0	2.95	2.34
14.0	2.30	3.01

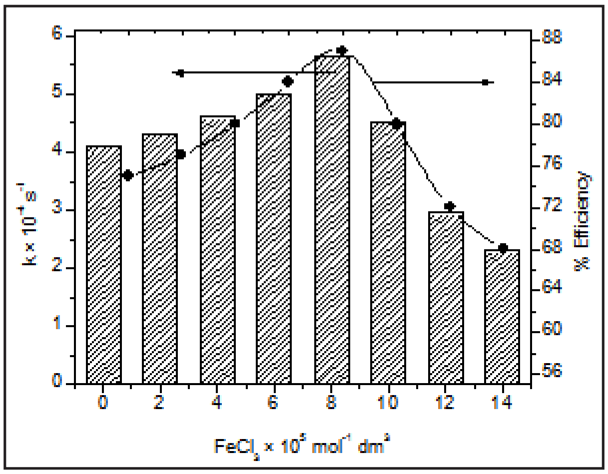

Fig.3: Effect of $FeCl_3$

Conclusion - Photocatalytic mineralization of Azure B can be effectively carried out utilizing TiO_2 with visible light. Addition of oxidants such as H_2O_2 and $K_2S_2O_8$ increased the photocatalytic activity significantly. The presence of NaCl and Na_2CO_3 led to inhibition of the photo degradation process. Decolaration of dye depend on the concentration of $FeCl_3$.

Acknowledgement - Author acknowledgment the support and Laboratory facilities provided by Chemistry Department S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani (M.P.)

References:-

1. Chacon J.M., Sanchez M. and Bandala E.R., *Dyes and Pigment,* 69 **(2006)** 144.
2. Fujishima J. and Honda K., *Nature,* 238 **(1972)** 37-38.
3. Hasnat M.A., Siddiquey I.A. and Nuruddin A., *Dyes and Pigment,* 66 **(2005)** 185-196.
4. Haarstrick A., Kut O. M. and Heinzle E., *Environ. Sci. Technol.,* 30 **(1996)** 817.
5. Tariq M. A., Faisal M., Saquib M. and Muneer M., *Dyes and Pigments*, 76 **(2008)** 358.
6. Pare B., Singh P. and Jonnalgadda, *Indian J. Chem. A,* 47 **(2008)** 830.
7. Peterson M. W., Tuner J. A. and Nozik A. J., *J. Phys. Chem.,* 95 **(1991)** 221.
8. Augugliaro V., Baiocchi C., Bianco Pervot A., Loddo V., Malato S. and Pazzi M., *Chemosphere,* 49 **(2002)** 1223.
9. Evgendiou. E., Fytianos K.and Poulios I., *Appl. Catal. B: Environ.,* 59 **(2005)** 81.
10. Mohammoodi N.M., Arami M., Limall N. and Tabrizi N.S., *J. Chem. Eng.,* 112 **(2002)** 191.
11. Sokmen M. and Ozkan K., *J. Photochem. Photobiol., A: Chem.,* 147 **(2002)** 77.
12. Sakthivel S., Neppolian B., Arabindoo B., Palanichamy M. and Murugesan V., *Indian J. Eng. and Mater. Sci.,* 7 **(2000)** 87.
13. Benajady M. A., Modirshala N. and Hamzavi R., *J. Hazard. Mater.,* 133 **(2006)** 226.

****

Role of MUDRA Scheme in Promotion of Self - Employment in India

Naresh Kumar* Pawan Kumar**

Introduction - MUDRA means Micro Units Development and Refinance agency. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) is one of the important centre sponsored scheme introduced by the Hon'ble Prime Minister on April 8, 2015 for providing loans up to Rs.10 lakh to the non-corporate, non-farm especially for existing/new small/micro enterprises. These loans are classified as MUDRA loans under PMMY. These loans are provided by all Nationalized Banks, RRBs, State co-operative banks etc.

Three categories of MUDRA Scheme - There are three categories in MUDRA scheme in which the fund may be borrowed for self employment

1. Shishu – Provide Loan up to a limit of Rs. 50,000 with interest being 1 per cent/month or 12 per cent/annum for a maximum period of five years.

2. Kishore – Provide Loan from Rs.50000 up to Rs. 5, 00,000. The interest rate would depend as per the guidelines of the schemes and credit history of the applicant. Repayment period of loan is dependent on the discretion of the bank

3. Tarun – Loan from Rs.5, 00,000 up to Rs. 10, 00,000. The interest rate would depend as per the guidelines of the schemes and credit history of the applicant.

Objectives of the Scheme - The Central Govt. has adopted the policy of providing self employment opportunity on large scale to the unemployed people of the economy , keeping in view that objective the central govt. has taken all those major steps which are necessary to promote the opportunity of self employment. MUDRA scheme is one of the major initiatives taken by the govt. to enhance the level of self employment especially through the development of small scale industry by providing them soft financial assistance.

Objective of the study - The scheme was implemented in 2015 and has to complete its five years which is sufficient time to evaluate the effectiveness of any scheme. The objective of present study is to analysis how and in what way this scheme has enhance the sources of employment as well as self employment.

Research Methodology - Research Methodology is a process used to collect the information and data for the purpose of making effective and relevant research paper. Keeping in view the time constraint the secondary data has been used to draw inferences taken from Govt. of India reports, newspapers, Magazines and from RTI.

Benefits of the Scheme :

1. Loan is available for MSMEs in urban as well as in Rural areas.
2. The term of loan is five years that may be extended to seven years
3. More beneficial to women due to lesser interest rates
4. Use of loan for the development and extension of business up to Rs.10 lakh.
5. No collateral is needed for the loan

Table 1 and graph 1 (see in next page)

1. The average amount of loan in 2015-16 was Rs.38117 and increased to Rs.54218/in 2019-20.
2. The average of loan per beneficiaries in last five year was Rs. 48859/, still very low which indicate the largest number of loans are sanctioned in "Kishore" category but they receive value wise less proportion.
3. Number of women beneficiaries under MUDRA scheme are more than 67% as stated by Finance Minister Piyush Goyal in the parliament during the budget session in 2019 or as per MUDRA report 2019-20.

Main Points of Report - There are 28% rise in job that are created due to the establishments who availed the loan. The number of employee in these establishment has increased from 39.3 million to 50.5 million.

1. There are 11.2 million(1 Crore 12 Lakh) increase in new jobs out of which 5.1 million are new entrepreneurs.
2. Only 20% beneficiaries utilized the MUDRA loan in new establishment and rest of 80% utilized their loan to expand their existing business.

NPAs in MUDRA :

1. The Non Performing assets of loans under MUDRA was RS.7277.31 crore in March 2018 which increased to Rs.16481.45 crore in March 2019. It saw a jump of 126% in just one year. Loan of Rs. 3.11 lakh crore was granted in that same time period which means NPA percentage in total value of loan was 2.89%

*Assistant Professor in Commerce, Sidharth Govt. College, Nadaun, Hamirpur (Himachal Pradesh(INDIA
** Assistant Professor in Economics, NSCBM Government College, Hamirpur (Himachal Pradesh) INDIA

2. RTI Report

Suggestions for better Implementations/Conclusion :

1. Effectively implements some training programmes that can helps the creditor to increase their productivity necessary for better utilization of fund.
2. It is personally identified by me that in some cases the loan has been disbursed for unproductive activities, so the RBI should strictly supervise the activities of commercial bank so that the NPA under this scheme may not be become a challenges to the concerned banks and for our economy
3. The Avg. amount of loan under this scheme is too meager .Today no self -employment business can be run in this amount so the loan limit in all categories should be enhanced.

References :-

1. Govt of India Report, MURDRA Report,
2. MUDRA Yojana Survey 2018 by Labour Bureau Ministry of Labour and unemployment.RTI, Business standard.com

Table 1

Year	No. of Loan Sanctioned	Amount.Sanctioned (crores)	Amount Disbursed (crores)	Avg. Amount of loan per beneficiary
2015-16	34880924	137449.27	132954.73	Rs. 38117/-
2016-17	39701047	180528.54	175312.13	Rs. 44158/-
2017-18	48130593	253677.10	246437.40	Rs. 51202/-
2018-19	59870318	321722.79	311811.38	Rs. 52081/-
2019-20	62247606	337496.00	329715.36	Rs. 54218/-
Total	244830488			Rs. 48859/-

Source: MUDRA REPORT. 2019-20

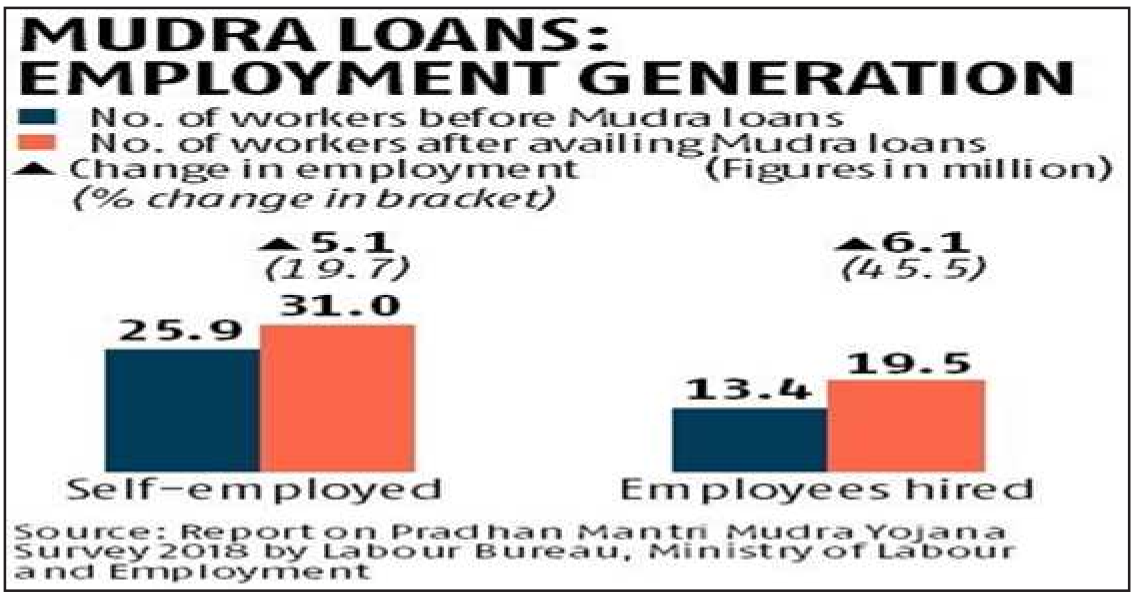

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

Antibacterial Activity of Medicinal Plant Nyctanthes Arbortristis

Supriya Chouhan* Dr. Anil Kumar Gharia Dr. Dhananjay Dwivedi*****

Abstract - *Neyctanthes arbor-tristis* a night flowering sad tree of family Oleaceae (Nyctaginaceae) is well known in India and it is usually a shrub or a small tree having brilliant, highly,fragrant, flowers.Which bloom at night and fall off before sunrise. *Nyctanthes arbor-tristis* is used in traditional medicine as stomachic, caramintive, intestinal astringent, expectorant , inbiliousness, piles and various skin diseases and as hair tonic. It has also possessed hepatoprotective, antileishmanial, antibacterial, antiviral, antifungal activities and ulcerogenic activities.
Keywords - Neyctanthes arbor-tristis, antibacterial, antibacterial, antiviral, antifungal.

Introduction - Nyctanthes Arbortristis Commonly known medicinal plant Nyctanthes arbor -tristis is also known as parijata , Harsingar and night jasmine it belongs to family oleaceae . It is cultivated in gardens in many parts of India (1). it's leaves are also used for treatment of various diseases like chronic fever , Sciatica , it is also used as a laxative diaphoretic and diuretic(2). Anti inflammatory properties are known in leaf extract of this plant (3) .From it leaves extract different chemicals like lupeol, Oleanonic acid . Nyctanthic acid and friedelin were isolated (4).Fresh juice of leave is antimalarial. Antifungal activity of leaves was also establish .Principle named nyctanthin formthe leaves. Iridoid glucosides were isolated from the plant and have antileishmanial activity. Hepatoprotective, antileishmanial, antiviral, antioxidant anti-arthritic and antimicrobial activites(5,6) .

Antibacterial activity of medicinal plants - Nyctanthes Arbortristis is commonly known as parijatham ,Harsinghar and Jasmine. The seeds, leaves, flowers and bark of this plant are used as folkloric medicines in India. It's 50% ethanolic extract of the seeds leaves has been pro ed to have anti amoebic and antiallergic properties.

Materials and methods - The antimicrobial study was performed in the Lab. of Department of Microbiology, SBN Govt. P.G. College Barwani. Leaves of Nyctanthes arbortristis L. were collected from the P..G.college Barwani, campus.

(i) Preparation of plant extract - The leaves of Nyctanthes arbor tistris were dried in shade 20 days and made to coarse powder using grinder. This powder is then passed through Whatman filter paper No.40 to achieve uniform particle size and then used for extraction process. extraction from ethanol using soxhlet apparatus. With 99% Ethanol solvent.The extract was dried using rotatory vaccum evaporator and they Molten extract and store at 4^0c.

(ii) Media & Chemicals - The organic solvent ,were obtained from MNCC. India. Nutrient agar and test bacteria were obtained from Hi- media Mumbai, India.

(iii) Bacteria tested - The bacteria strains used to determine the antibacterial activity of *Nyctanthes arbortristis Linn.* are *E.coil , Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus* subtilis.All the bacterial strains were obtained from Himedia , India.

Role against bacteria - AS shown antimicrobial activity of *Nyctanthes Arbortristis L*. extract against pathogenic microbes like *E coil, P.aeruginosa, S. aureous, B.* subtilis is illustrated in tab.l, this graph is consracted between two parameters one is zone of inhabitation and another is concentration of bacterial extract.

Table 1 : Antibacterial activity of Nyctanthes arbortristis leaf extract

Conc.extract	Zone of inhibition (mm) Table 1			
(mg/ml)	Ec	Pa	Sa	Bs
25%	12	16	13	14
50%	11	13	10	12
75%	14	21	17	0
100%	18	12	13	15

Ec = E.coli ,Pa = Pseudomonas aeruginosa ,Sa = Staphylococcus auries , Bs Bacillus subtilis.

*Asst. Prof. (Chemistry) SBN Govt. PG College, Barwani (M.P.) INDIA
** Deptt. of Chemistry, P.M.B. Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA
*** Deptt. of Chemistry, P.M.B. Gujrati Science College, Indore (M.P.) INDIA

Harsingar E.coli Harsingar Pseudomonas

Hrsingar S. aureus Harsingar bacillus

Result and Discussion - The result of antibacterial activity of Nyctanthes arbortristis leaf extract. Shows the presence of broad spectrum antimicrobial compound. The susceptibility of gram -positive and gram -negative bacteria towards different plant extracts was also reported **(7-8)**. As zone of inhibition is reported in table 1 . On increasing the concentration of plant zone of inhibition (ZOI) is zone at 100% in case of P.aeruginosa. whereas remarkably notable if is highest at 50% in case of E. coli and S.aureous.B. subtilis shows maximum zone of inhibition at 25% except B. subtilis increases with the increase in concentration upto 50% from 25% whereas again increases except S.auries with the increase in concentration from 75% to 100% .

The antibacterial activity of ethanolic solvent extract of Nyctanthes arbortristis shows significant variation. The study exhibited the antibacterial effect of ethanol and aqueous extracts of Nyctanthes arbortristis against some of the pathogenic bacteria . It is observed that these extracts can confidently inhibit the growth of these micro-organism there by presenting from infections . These extract may have worth to discover bioactive chemicals from natural products that may serve as basic source for the development of new antimicorbials.(3)*

The antimicrobial activity of the phytochemicals from Nyctanthes arbortristis Linn. found that the tested and inhibite the activation of gram positive bacteria .

References :-

1. Chitravanshi VC , singh AP, uhoshals, Prasad K, srivastava V, Tandon JS (1992) . Therapeutic action of Nyctanthes arbor-tristis against caecal amoebiasis of rat . Int J pharmacogi; 30,71-75.
2. Gupta PP, Srimal RC, Srivastava M,Singh KL, Tandon AS (1995) . Antiallergic Nyctanthes arbor-tristis. Int J pharmacogi 33,70-72.
3. Ashish Kant Jain and K.P. Singh .Evaluation antibacterial studies in Harsingar. Int. Rse. J. Pham. 2013 ;4 (7) : 151-153.
4. 1 ButeaMonosperma Nadkarni KM, Indian material medica, Vol-I 2002 ; 223-225.
5. Murhemugan M. Mohan V. R and Thamodharan V.Phytochemical screening and antibacterial activity of Gymnema sylvestre (Retz) R. BR ex. Schltes and Morinda pubescens J.E. Smith var. pubescens. Journalof Applied Pharmaceutical Science,(2012) 02: 73-76
6. Lavhale MS, Mishra SH, Evaluation of free radical scavenging activity of Butea Monosperma Linn. Ind J. of exper Biol. 2007; 45: 376-384.
7. Sinha, S.n.& Biswas,M(2010). Antimicrobial activity of Spianthus acmell Murr root Extract.Journal of Interacademicia,14(3).
8. Vlietinck, A.J.,Vanttoof,I.,Totte,J.,Laure,A.,Vanden Berghe,D.,Rwangobo,P.C. & MVukiyuniwami,j. (1995).Screening of hundred Rwandse medicinal plants for Antimicrobial and antiviral properties. J. Ethnophomaco:2,46:31_47.

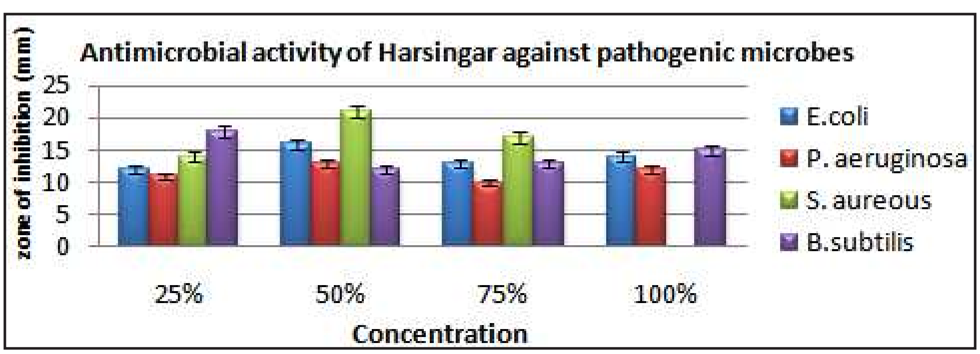

****

Role of Learning Process in Motivating Learners

Dhankumar Mahilang* Dr. R. N. Malviya**

Abstract - Learning process represents the basics materials many different learning types and elements of any learning events. To learn efficiently it is important to more than to win. Learning is a process which take you forward not backward. Study habits to your own needs and interest this often mean that work of technique that ideas them from time to time determine. If need to determine something new and creative things. In same way library is also part of learning process which give you lots of information what you need its depends upon you how can you learn from library.
Keyword - Learning process, Learning Cycle, motivating learners, Economic Resources, Learning behavior of Adults.

Introduction - To learn is to gain knowledge of something. Learning may involve a change of behavior in human. Children learn to identify the things at early age, teenagers may learn to improve study habits and adults can learn solve the problem. Every person learn to gain some knowledge so that he can reach the goal of life. Learning it is like a growing organism in our body as we grow in the same way these learning organism grow and we keep learning which is permanent for the future. It is continuous process it will never stops till the end of life.

Meaning: Learning is like living things. All the living things learn as they grow with time. In same way humans also learn more than any other creature. If a new baby comes in this world he also starts learning slowly-slowly to gain attention towards to start crying, to eat, to walk etc. Later they grown up into children. Our body becomes more functional when we learn an unlimited range of skill and information knowledge.

In same way library play important role in learning process. In libraries were to keep huge range of collections of books prints materials to promote reading. Learning teach children how to find things in libraries which is important part of learning process. It in any form verbal, non- verbal, symbolic, digits, diagrams etc. in many others forms. What kind of information you get it depends upon you. Library is source of information and knowledge center for every readers.

Learning process in humans it can show kind of new behavior in that persons.

Definitions of learning process: *According to Gates and others:* "Learning is modification of behaviors thoughts experience and training".

According to Charles E. Skinner: "Learning *process of progressing behavior adoption".*

According to Cro and Cro: "Learning is acquiring of habit knowledge and attitudes".

Historical Development of theories of learning: Learning is never ending processes. From historical view learning theories are development from last one century. **E.L THORNDYKE** formulate the law of learning. He suggested three law of learning:-

1. Law of effects
2. Law of readiness
3. Law of use.

Along with Thorndike also written his book "Education" in 1913. It is entitled a beginner book and the learning process led to the theory. In same way Russian scholar **L.P. PAVLOW l**ed to the conditional response theory on the base of Thorndike and L.P. Pavlov theory a new reinforcement theory to be led or formed or explain. **C. L. HULL** he was American psychologist and learning theorist in behaviorism. He sought to explain learning and motivation on his book "Principle of behavior".

In sight theory of learning led to be kohler, Koffka, Wertheimer, and Gestalt etc. psychologist has done. This theory also called the gestalt theory. **B.F. SKINNER** also led to the learning process. In 1954 he review his novel "the science of learning and the art of teaching" And "teaching machines" in 1958. Very long experimental session on theories. Some other theories are:-

1. "contiguity theory" Edwin r. Guthrie (1886-1959)
2. "quantitative theories" Clark l. hull's (1884-1952)
3. "Stimulus sampling theory" William k. Estes (1919).

The learning cycle - In many attempts we have been made

*Reserch Scholar (Library & Information Sc.)Ramchandra Chandravanshi University, Bisharampur Palamu (Jharkhand) INDIA
** HOD (Library & Information Sc.) Ramchandra Chandravanshi University, Bisharampur Palamu (Jharkhand) INDIA

by diagram and academic other or with the help of other things to explain the learning process. It is recognized that learning take place in repetitive cycle and continuous series of process.

Let me explain you with the help of diagram the generic learning cycle and uses of the pact. It relevant to all type of learning.

The pact learning cycle level are:-

Procure: - Its required ability and skill along with new knowledge**.**

Apply: - In this along with new knowledge practice of skill also required sometime.

Consider: - The result of practice are form with new ideas.

Transform: - The ability is to change according to original knowledge.

The pact cycle help you to understand that learning is a relative process. Our learning evolves as we develop and we utilize early knowledge for later knowledge. In each stage are build a knowledge and experience which we have acquired gaining further knowledge, experience or technique repeating the leaning cycle.

Information as an economic resource:

Information: - It is facts provided or learned about something or someone. In other words it is the answer to a question of some kind. It is related to data and knowledge. As data represent the value and knowledge represent understanding the real things.

Economic resource: -They are the inputs that used to create things. In other words factors used to produced goods and provide service.

Development of country depends upon how much information is given by citizen of country to his government. Information has no substitute when it come to the national development because it has been identified as the economic growth.

Relevance of information economic to library and information studies:-

It is very important to understand the difference between information to economic. To understand the importance of both first we have to understand they are two different sides of single coins. For **example –** information economics see the information another way it is important for library and information relevance to understand library and information relevance get profit in information economic.

1. Today big-big competitors in information market.
2. In field of information economic and study area and new different area are open for research in which we can work.
3. A new type of job market is coming up now, which is given lot of opportunities to businessmen in the field.
4. To move with new trade business it is important to get efficient in his profession.

Economic of information in library and information science - Information of economic or economic of information is well known or familiar in 1960 in the field of economic. But in the field of library and information science its line position came into force in 1980. In reality this information channel line are related to analyses studies in this field 2 side are there one side information products and service expenses are efficient another side information product and service related with value. It was totally related with profit of market and subscription based information service based. Information of economic in library and for information provision there are three major plans for central area (Casper, 1983; van house, 1984) are:-

- **Information supply-** information supply of economic and information production value.
- **Information demand-** Acquisition of information uses.
- **Special problems of information as product or resources**

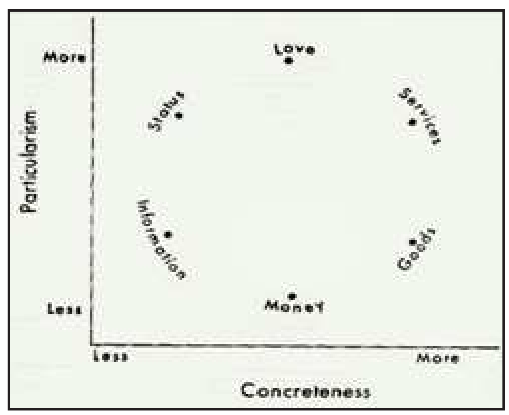

Year wise learning process:-

As we know that it is continues process from historical time it was process. Man never stop learning. With the diagram we can explain you how it is improved till present day.

Learning theory 19th – 20th century.

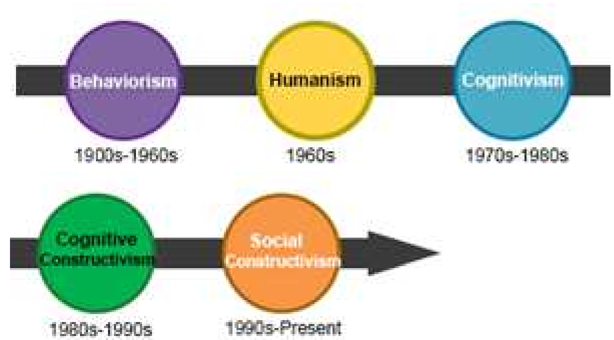

Learning library and motivation - Library and learning is core of security it other words both are learning centers of society. These two are not in today's or modern era but also in older periods or ancient even in mediaeval periods in different way of learning. Today world /society life is totally depend upon learning and information. So there will no doubt learning is important process.

In learning the thing which is most friendly is motivation. In other words according to motivation if a person is very eager towards learning. If librarian he work as agent for books materials and according to library science of 3rd law says that "every book its reader". Here books indicate the important knowledge and information get to the user.

In learning process motivation is very important. After experiment and research testing done in animals and humans. It define as the study of the mind of perception thought emotion learning and behavior and such human volunteers would have seen the natural choice of research and observations.

Nevertheless on of the strongest and most disturbing use of animals in psychological and behavior research. In human if we motivate they get succeed or reach their goal or aim.

Effective library and information skill instruction programs not only help student acquire the skill they will need to solve their information problems, but also stimulate intellectual curiosity and encourage continued information seeking and exploitation. This articles describe the theories of motivation and how they relate to library and information skill instruction and some relevant area for future research on motivation in this context are suggested.

1. Library media specialist teach curriculum integrated library and information skill.
2. Information skills to students at all grade levels.
3. Standard for library media programs and services command that the role of the library media specialist is to help students become effective user of ideas and information.
4. To achieve this task, efficiently library and information skills instructional programs must not help students/ user acquire the skill they will need to solve their information problems, but they also encourage intellectual curiosity continued information seeking exploitation.
5. It means library play important role in motivation to library users.

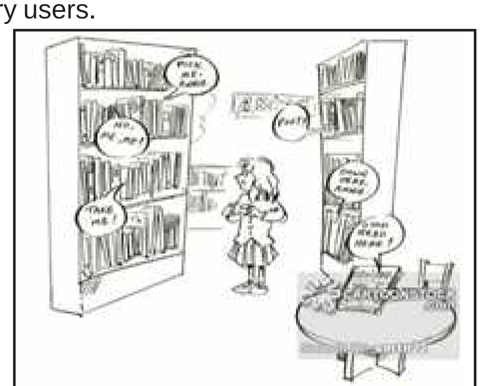

FIRST LIBRARY CARD.

Learning behavior of adults - It is important to understand learning behavior of adult. Learning is change of state from the present state. We are comfortable with our ideas feeling and behavior to a desire state with new ideas etc. the change of state from present stage to desire it require management.

Many factors which the influence student move to desire state:-

1. The time the learner have been away from the learning process.
2. The motivation.

But an adult should be aware of the former and be inspired latter.

According to Cyril houles survey: -

What motivate learners? Which inspire adult. It can be divided into 3 parts –

1. Education learners must be goal oriented.
2. Learners can be social oriented.
3. Learners must be knowledge oriented.

Some models suggest that adults learns –

1. Increase in self-opinion.
2. Sense of inspiring others.
3. Sense of achieving pleasure and satisfaction

These change of state of models show the emotional, excitement, anger, and fear of adults. But adults require some necessary skill to manage learning through the various state of mind and emotional research suggested that: -

1. Adults have less time for learning.
2. Pleasure of day to day.
3. Adults not see themselves as learners.
4. Adults not willingness to learn.
5. Adults often work in static situation.

To maximize adult learners it is important to understand the principle of adults learning and motivation. Few principles for them are: -

- To create pleasant "environment" with which the learning process will take place. The first impression is very important for relationship. Use games to achieve this.

1. Keep them active. First began with new ideas and build with new experience.
2. Get feedback ad act it quickly.
3. Use example to stress them what they are learning as they relates to their lives. People learn by doing.

Role of librarian in learning process - Library and information center is ideal role model for learning core. Library and information center provide ideal atmosphere for users who come to gain knowledge and information. Here librarian and information officers play important role. They have to carefully handle the responsibility what they given. For this it is important to keep following things in mind –

1. It is important to understand the mentality of user. Every user respond in different way.
2. Concern behavior keeping with user.
3. Environment of library in such a way that knowledge

of eagerness will be work on increase.

4. Service should be provided to the user according to their needs.
5. Use of audio, visual and specialized tools by the user.
6. Digital libraries lead to integrated resources and type of learning.

Conclusion - Although the process of learning is generally complicated it is not entirely unstable and its actual importance to human culture and advance technology make life study of suitable subject. The study of learning has appear a great many theories effort to explain how learning occur. Learning theory that might help to close this gap.

References :-

1. Sharma (BK), Singh (DV), Thakur (VM) and Singh (PK) : Information Sources users System Service and Technology (2015) Y. K. Publisher Agra
2. Tripathi (SM) and Lal (C) : Library and Society Ed. (1994) ESS ESS Publication New Delhi
3. Sharma (AK) : Information Communication and Information Society, ESS ESS Publication New Delhi
4. Bhargav (GD) : Library Classification, Madhya Pradesh Hindi Book Academic, Bhopal.
5. Sharma (BK), Singh (UM), Tripathi (M) and Shavkin (NS) : Foundation of Information Science and Information Management (2015 Y. K. Publisher Agra.
6. WWW.123 RF.com
7. Cartoon Stock.Com Search IDShnt
8. WWW.Skill yourneed.com Learning html
9. WWW.le.ac.UK/../how adult Learn html

****

भारत मे महिलाओं का शिक्षा का स्तर एवं मातृ मृत्यु दर के बीच सम्बन्ध-एक अध्ययन

निशा*

शोध सारांश – महिला शिक्षा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। महिला शिक्षा महिलाओं के मनोबल को द्वंढ बनाती है जिससे महिलायें अपने जीवनकाल में होने वाली अनेको समस्याओं का सामना आसानी से कर पाती हैं। महिलाओं की मुख्य समस्या मातृत्व /प्रसव के समय में मृत्यु की है ।

मातृ मृत्यु से आशय उस स्थिति से है जिसके अन्तर्गत किसी 15 वर्ष से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु गर्भावस्था के दौरान व प्रसव पश्चात 42 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है। भारत की मातृ मृत्यु दर 2015-17 में 122 थी जो 2016-18 के बीच घटकर 113 पर आ गई यानी इसमें 7.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

प्रस्तुत शोध पत्र भारत मे महिलाओं का शिक्षा का स्तर एवं मातृ मृत्यु दर के बीच सम्बन्ध का सरल विश्लेषण करता है। अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय समाज मे महिलाओं की स्थिति दयनीय है। महिला शिक्षा तथा मातृ मृत्यु दर में विपरीत सम्बन्ध है। महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुविधाओं मे सुधार और शिक्षा के स्तर को बढाने के लिये सरकार द्धारा किए गये उपायो के पश्चात भी मातृ मृत्यु का स्तर उच्च है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों मे मातृ मृत्यु दर का उच्च स्तर बना हुआ है।

शब्द कुंजी –महिला शिक्षा, मातृ मृत्यु दर, सरकारी योजना ।

प्रस्तावना – किसी देश के विकास के लिए उस देश की जनसंख्या का शिक्षित होना अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा के अभाव में किसी देश के सामाजिक ,आर्थिक विकास की कल्पना भी नही की जा सकती। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की आबादी 1 अरब 21 करोड है जिसमें आधी आबादी महिलाओं और बच्चों की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश की साक्षरता दर 74.04 फीसदी है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत है एवं महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। महिलाओं का शैक्षिक स्तर बहुत निम्न है।

जुलाई 2017 से जून 2018 तक भारत में 75वे नेशनल सैंपल सर्वे का आयोजन किया गया ।इस सर्वे के अनुसार, देश की कुल साक्षरता दर 77.7 फीसदी है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 84.7 फीसदी ,जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 70.3 फीसदी है।

महिलाओं की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 'आप किसी राष्ट में महिलाओं की स्थिति देख कर उस राष्ट्र की हालत बता सकते है।' महिला अशिक्षा के कारण भारतीय समाज अनेकों गंभीर समस्याओं से ग्रसित है जिनमें मातृ मृत्यु की समस्या सबसे घातक है। भारत के रजिस्टार जनरल के नवीनतम आंकडों के अनुसार वर्ष 2016-18 में मातृ मृत्यु 113 प्रति एक लाख दर्ज की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों का अभाव ,महिला चिकित्सको की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीण माहिलाओं की मातृ मृत्यु दर अधिक है।

सतत् विकास लक्ष्यों के अर्न्तगत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु का अनुपात प्रति 100,000 शिशुओं के जीवित जन्म पर 70 से कम करना रखा गया है।

शिक्षा महिलाओं के सर्वागीण विकास के लिए महत्वपूर्ण आयाम है। यह तथ्य पूर्णतया सत्य है कि यदि एक महिला को शिक्षित किया जाये तो वह संम्पूर्ण परिवार को शिक्षित बनाती है। किसी भी राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये महिलाओं की शिक्षा की भूमिका को अनदेखा नही किया जा सकता।

शोध उद्देश्य – प्रस्तुत लघु शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य :

- भारतीय समाज मे महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति के स्तर का अध्ययन।
- महिला शिक्षा और मातृ मृत्यु दर मे संबंध का अध्ययन।
- भारत मे महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये किये गये सरकारी प्रयत्न का अध्ययन करना है।

साहित्य समीक्षा–अनेक शोध पत्रो मे महिला शिक्षा एवं सम्बन्धित विषय जैसे कि महिला सशक्तिकरण, महिला स्वास्थ्य, लिंग असमानता पर ध्यान केंद्रित किया है –

- वंदना भार्गव (2016) के अनुसार शिक्षा एक ऐसा आभूषण है जो इंसान और जानवर मे फर्क निश्चित करता है। शिक्षा के बिना इंसान जानवर के समान है। शिक्षा मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। भारतीय समाज मे पुरूष शिक्षा पर तो प्रारम्भ से बल दिया जाता है परन्तु स्त्री शिक्षा पर कोई ठोस विचार नही किया गया । आज उच्च वर्ग की महिलायें तो शिक्षित हैं लेकिन आज भी अनेक महिलायें अशिक्षित हैं।
- योगेन्द्र शर्मा (2018) ने अपने लेख मे यह स्पष्ट किया है कि निर्धन परिवारों मे लडकियों का विवाह बहुत कम उम्र मे कर दिया जाता है ताकि उन्हे प्रजनन के लिये अधिक समय मिल सके। गर्भवती होने की स्थिति मे पौष्टिक आहार न मिलने से महिलाओं को न केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी

* शोधार्थी, व्यावहारिक एवं क्षेत्रीय अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.) भारत

समस्यायें होती हैं ब्लकि प्रसव सम्बन्धी समस्यायें भी उत्पन्न होती हैं इस प्रकार जन्म दर ,मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर मे वृध्दि होती है।

- डा.ॅ_पुनीत विसारिया (2012) के अनुसार देश मे अनेक लडकियां ऐसी हैं जो अपने पुरे जीवन काल मे स्कूल नही जा पाती हैं और जो लडकियां स्कूल मे दाखिला ले भी लेती हैं तो वह आगे की पढाई जारी नही रख पाती हैं।इस लेख में लेखक ने महिला शिक्षा तथा मातृ मृत्यु दर के सम्बन्ध को दर्शाया है तथा मातृ मृत्यु दर को घटाने के लिये सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नो का विश्लेषण किया है।
- प्रीति सूदन (2018) ने अपने लेख में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं पर प्रकाश डाला है। लेखिका ने बताया है कि गर्भ दौरान महिलाओं को उचित देखभाल की जरुरत होती है। मातृ स्वास्थ्य के लिये स्थायी विकास लक्ष्य 2030 की समय सीमा से काफी पहले हासिल कर लिए जाएंगें। इससे भारत की महिलाओं के स्वास्थ्य,सशक्तिकरण और उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रश्स्त होगा।

शोध विधि- प्रस्तुत लघु शोध पत्र द्वितीयक आंकडो जैसे कि पत्र-पत्रिकायें,समाचार पत्र एवं इंटरनेट की सहायता से अन्वेषित किया गया है।

भारत मे महिला शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य - अरस्तु ने कहा है कि स्त्री की उन्नति अवनति पर ही देश की उन्नति निर्भर हैं। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपागम शिक्षा ही होती है। वर्ष 2020-21 के केन्द्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिये 99,300 करोड रुपये महिलाओं के लिये केंद्रीय योजनाओं पर 28,600 करोड रुपये आवंटित किये गये।

महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति को निम्न तालिका की सहायता से दर्शया जा सकता हैं-

तालिका संख्या - 01 :भारत में महिला साक्षरता दर

जनगणना वर्ष	कुल साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता दर	महिला दर दर	साक्षरता प्रतिशत अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.83	75.26	53.67	21.59
2011	74.04	82.14	64.46	16.68
2018	77.7	84.7	70.3	12.4

स्त्रोत- नेशनल सैंपल सर्वे 2018

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकडो के अनुसार 2017 -18 में राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोडने वाली लडकियों की संख्या 62.1 मिलियन है यूनिसेफ की वार्षिक रिर्पोट द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन 2016 ने जारी किये हैं। रिर्पोट के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में भी 38 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो प्राथमिक शिक्षा मे स्कूल छोड देते हैं। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर पर स्कूल शिक्षा को बढावा देने वाली मुख्य योजना, समागम शिक्षा अभियान का केन्द्रीय बजट 2020-21 में महज 6.7 प्रतिशत बढकर 38,750.5 करोड रुपये हो गया।

भारत में महिला शिक्षा की आवश्यकता - भारतीय समाज के पुरुष-प्रधान समाज के द्वारा उठाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि महिला शिक्षा की आवश्यता क्या है? शिक्षा वह आभूषण है जो मनुष्य को संस्कारवान एवं सुशील बनाता है। महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे-दहेज प्रथा,कन्या भ्रूण हत्या एवं कार्य स्थल पर होने वाले उत्पीडन को समाप्त करने मे सहायक सिद्ध होगा। महिला शिक्षा निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास मे सहायक होंगी क्योकि शिक्षित महिलायें रोजगार एवं उत्पादन सम्बन्धी क्षेत्रो में पुरुषो की बराबरी का सहयोग देंगी तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरुक भी होंगी और परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ उठा पाएगीं।

भारत में महिला मातृ मृत्यु दर के वर्तमान परिदृश्य - विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मातृ मृत्यु दर को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि गर्भावास्था के दौरान या समाप्ति के 42 दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु, चाहें वह गर्भावास्था या उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी कारण से हो,लेकिन आकस्मिक कारणों से नही। मातृ मृत्यु दर को किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य की स्थिति या जीवन गुणवत्ता का प्राथमिक और महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है।

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2018 के आंकडों के अनुसार सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु वाले राज्यों में असम में 215 मातृ मृत्यु दर के साथ प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 197 मातृ मृत्यु दर के साथ द्वितीय स्थान एवं मध्य प्रदेश 173 मातृ मृत्यु दर के साथ तृतीय स्थान है।

A. भारत में मातृ मृत्यु की स्थिति और इसमें होने वाले परिवर्तन- भारत में मातृ मृत्यु दर से सम्बन्धित पहली रिर्पोट वर्ष 2006में जारी की गई थी। यह रिर्पोट 1997 से 2003 तक के आंकडों के आधार पर बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किये गये आंकडों के अनुसार वर्ष 2010 में तकरीबन 57000 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य प्रतिवेदन 2012 के अनुसार भारत में हर 10 मिनट में एक मातृ मृत्यु होती है।

मातृ मृत्यु की वर्तमान स्थिति को निम्न तालिका की सहायता से दर्शया जा सकता है प्रस्तुत तालिका मे सन् 2001 से सन् 2018 तक की मातृ मृत्यु दर को दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-02-भारत मे मातृ मृत्यु दर

वर्ष	मातृ मृत्यु दर
2001-03	301
2004-06	254
2007-09	212
2010-12	178
2011-13	167
2014-16	130
2015-17	122
2018-20	113

स्त्रोत-एनुअल रिर्पोट 2019-20, डिपार्टमेन्ट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मातृ मृत्यु दर की स्थिति - भारत देश की जनसंख्या का एक बडा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता हैं इन क्षेत्रों में अशिक्षा, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, जानकारी की कमी , कुपोषण, बाल विवाह, बिना तैयारी के गर्भधारण, लिंग-भेदभाव जैसी समस्यायें कायम हैं जिनके कारण गर्भावस्था ग्रामीण महिलाओं के लिये घातक सिद्ध होती है। जागरुकता की कमी के कारण परिवार जच्चा बच्चा

का समुचित ध्यान नही रख पाते जो मातृ एवं शिशु मृत्यु को बढावा मिलता है।

हेल्थकेयर एक्सेस 2015-17 की बात करें तो ग्रामीण शहरी विभाजन काफी है। केरल,महाराष्ट्र और तमिलनाडू जैसे निष्पक्ष रुप से विकसित राज्यो ने अपने मातृ मृत्यू दर को कम किया है

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वेक्षण -4 के अनुसार ,ग्रामीण भारत में केवल 16.7 प्रतिशत महिलायों को पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त हुयी है, जबकि शहरी क्षेत्रो में 31.1 प्रतिशत महिलायें शामिल हैं।

उच्च मातृ मृत्यु दर के कारण-

1. भारत में उच्च मातृ मृत्यू दर के कई कारण है -
2. प्रसव पश्चात अधिक रक्तस्त्राव होना
3. गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप
4. असुरक्षित गर्भपात
5. ग्रामीण क्षेत्रो में परिवहन का उचित प्रबन्ध ना होना
6. गर्भवती महिला को किसी प्रकार का कोई संक्रमण होना एवं उचित इलाज प्राप्त न होना
7. हेपेटाइसिस एवं एनीमिया जैसी बिमारियां का होना
8. जगरुकता की कमी

शिक्षा एवं मातृ मृत्यु दर - शिक्षा का अर्थ -शिक्षा जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरन्तर चली रहती है। शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता विकास करतें हैं। प्लेटो का कथन है कि 'अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है।' वेदव्यास जी का कथन है कि 'ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नही करता बल्कि वह व्यक्ति को बोलना, चलना,व्यवहार करना भी सिखाता है।'

भारत में मातृ स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग में सबसे बडी बाधा निम्न शैक्षणिक स्तर और खराब आर्थिक स्थिति है ,उदहरण के लिये -केरल में मातृ स्वास्थ्य देखभाल का स्तर उच्च है।

प्रस्तुत तालिका मे सन् 2020 मे राज्यों के मध्य साक्षरता दर मातृ मृत्यु दर को दर्शाया गया है-

तालिका संख्या-03 -भारत मे राज्यों में साक्षरता दर एवं मातृ मृत्यु दर का तुलनात्मक अध्ययन

राज्य	साक्षरता दर प्रतिशत में	मातृ मृत्यू दर
केरल	96.2	46
उडीसा	73.3	150
कर्नाटक	77.2	92
उत्तरप्रदेश	73	197
असम	85.9	215
बिहार	70.9	149
राजस्थान	69.7	164
छत्तीसगढ	77.3	159
उत्तराखण्ड	87.8	99
तेलंगाना	72.8	63
पंजाब	83.7	129
पं बंगाल	80.5	98
आन्द्रप्रदेश	66.4	64

स्त्रोत-एनुअल रिर्पोट 2019-20,डिपार्टमेन्ट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर

केरल की साक्षरता दर वर्ष 2020 में 96.2 प्रतिशत है देश के सभी राज्यो में केरल की साक्षरता दर सबसे उच्च होने के साथ ही केरल की मातृ मृत्यू दर 46 पर सबसे कम है।

महिला शिक्षा एवं मातृ मृत्यु दर में सम्बन्ध :

1. शिक्षा का स्तर बढने के साथ-साथ महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरुक हो रही हैं। महिला शिक्षा महिलाओं के वैवाहिक जीवन एवं प्रजननता को गहराई से प्रभावित करती है।
2. उच्च शिक्षा के कारण विवाह तथा प्रसव देर से हो पाते हैं।
3. शिक्षित महिलायें गर्भ के दौरान हो वाली सभी समस्याओं के समाधान के लिये अच्छे चिकित्सक से परामर्श करती हैं तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मातृत्व योजनाओं का लाभ उठा पाती हैं। इस प्रकार महिला शिक्षा मातृ मृत्यू दर को रोकने मे सहायक है।

महिला शिक्षा एवं मातृ मृत्यू दर में विपरीत सम्बन्ध है महिला शिक्षा की उपस्थिति में मातृ मृत्यु के उपस्थित होने की प्रतिशतता घट जाती है।

महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं मातृ मृत्यु दर को घटाने हेतु भारत सरकार की योजनायें - संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार एवं गम्भीर बीमारियों के नियन्त्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया।मातृ स्वास्थ्य में सुधार,आठ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यो में पांचवा है। सरकार ने मां बनने की उम्र, मातृ मृत्यू दर कम करने और पोषण के स्तर सुधार करने हेतु कुछ योजनायें इस प्रकार से हैं-

- **आंगनबाडी -**भारत सरकार द्वारा आंगनबाडी की स्थापना वर्ष 1975 में की गई।इसका लक्ष्य ग्रामीण माता और बच्चों में कुपोषण जैसी गंभीर समस्या का निवारण करना रखा गया। आंगनबाडी केन्द्र द्वारा पोषण और स्वास्थ्य के विषय में जानकारी, रोग निवारण, स्वास्थ्य परीक्षण की सेवायें प्रदन कराई जाती है।आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करने के साथ ही प्रसव पश्चात गर्भवती महिला को 6400 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।इस धनराशि का 5000 रुपये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा शेष 1400 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत दिया जायेगा।
- **स्वाधार ग्रह -** वर्ष 2002 में शुरु की गई इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की आवास,भोजन ,कपडे, चिकित्सा उपचार और देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में अपनी भावनात्मक शक्ति को पुन; प्राप्त करने मे उन्हें सक्षम बनाना इत्यादि।
- **जननी सुरक्षा योजना -** 12 अप्रैल 2005 मे शुरु की गई।इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद करना है।इसके अर्न्तगत ग्रामीण महिलाओं को सरकारी संस्थान में प्रसव कराने पर 1400 रुपये एवं शहरी महिलाओं को 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया।इस योजना के उद्देश्य बच्चों के जन्म के समय माता एवं नवजात मृत्यु को कम करना है। सरकार हर गर्भवती महिला को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है।
- **आशा योजना -** वर्ष 2005 में प्रारम्भ की गई आशा योजना का लक्ष्य गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना है।आशा ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें उपलब्ध कराती हैं। आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र में उन गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनको पोषण युक्त भोजन के संबंध में परामर्श, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, सही

समय पर टीकाकरण, गर्भपात, सुरक्षित, गर्भनिरोधक उपायों की जानकारी उपलब्ध करवाती है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना–** 22 जनवरी 2015 को शुरु की गई इस योजना का मुख्य लक्ष्य लडकियों के जीवन स्तर को सुधारना,बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाना और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढाना और भ्रूण हत्या को रोकना ,लडकियों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करना है।

इस योजना के अर्न्तगत बेटी के माता पिता को बेटी का बैंक अकांउट किसी राष्ट्रीय बैंक या नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खुलवा के उस अकांउट के खुलने से 14 वर्ष तक धनराशि जमा करनी होगी ।जो बेटी की शादी के समय निकाली जा सकती है।

- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान–**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्धारा वर्ष 2016 में शुरु की गई इस योजना के अर्न्तगत हर माह की नौ तारीख को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रो पर गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क जांच की जायेगी और आवश्यक चिकित्सा प्रदान की जायेगी। इस योजना का लाभ ग्रामीण एवं शहरी दोनो क्षेत्रों की महिलायें उठा पायेंगी।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान–** जून 2016 को प्रारम्भ इस योजना के अर्न्तगत पूरे देश मे प्रत्येक माह की नौ तारीख को सभी स्वास्थ्य केंन्द्रो मे गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। ।नि:शुल्क डिलीवरी के बाद बच्चे का सभी तरह् का टीकाकरण,उसका चेकअप भी नि:शुल्क होगा पंजीकरण के बाद महिला डॉक्टर महिला की एनीमिया, गर्भावधि, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, संक्रमण, खून–पेशाब,शुगर की जॉच कर रिर्पोट बनाकर उसी के आधार पर नि:शुल्क दवायें दी जायेंगी।
- **महिला शक्ति केन्द्र योजना–** वर्ष 2017 मे शुरु की गई इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का है।इस योजना के तहत् दूरदराज के इलाको में महिला शक्ति केन्द्र खोले गये है ।इस योजना के बारे मे जागरूकता फेलाने के लिये स्वयंसेवी को जोडा गया
- **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना –**10 अक्टूबर 2019 को इस पहल का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अर्न्तगत आयरन , फोलिक एसिड सप्लिमेंटेशन करवाना होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी अस्पताल की होगी इसके साथ महिलाओं को टिटनेस, डिप्थीरिया का टीका लगाया जायेगा जिससे गर्भवती महिलाओं को कोई बीमारी न हो।

इन योजना के माध्यम से सरकार ने महिला शिक्षा को बढाने का प्रयास किया लेकिन सभी योजनायें पूर्ण रुप से सफल नही हो पाई।

मातृ मृत्यु दर को घटाने में चुनौतियां – वर्तमान में समाज के कल्याण के लिये महिला शिक्षा अत्यंत आवश्यक है।शिक्षित महिला ही समाज के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकती है। विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लडकियों की सुरक्षा को ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी असुरक्षा के कारण ही लडकियों को स्कूल जाने से रोक दिया जाता है जो महिला शिक्षा की कुछ प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं–

1. भारतीय समाज में व्याप्त रुढिवादी मानसिकता कि लडकियों को शिक्षा का अधिकार नही।
2. अत्यधिक गरीबी
3. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में लडकियों के लिये शौचालयों की सुविधा न होना।
4. ग्रामीण क्षेत्रो में यातायात की सुविधा न होना
5. जातिगत भेदभाव
6. ग्रामीण क्षेत्रो में लडकियों का कम उम्र में विवाह होना
7. लिंग भेदभाव

महिला शिक्षा को बढाने और मातृ मृत्यु दर को घटाने के सुझाव – सरकार ने लडकियों के विवाह की आयु सीमा को बढाया है उसी प्रकार सरकार को लडकियों का शैक्षिक स्तर भी निर्धारित करना चाहिए जिससे न केवल सामाजिक उन्नति होगी साथ ही मातृ मृत्यु दर एवं जनसंख्या पर भी रोक लगेगी। यदि महिला शिक्षित होंगी तो वह देश मे व्याप्त मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंग असमानता, महिला शिक्षा , जनसंख्या वृद्धि जैसे गंभीर समस्याओं को सुधारने मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं।

उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये सरकार द्धारा गरीब छात्राओं के लिये नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क शिक्षा के साथ स्कूल ,कॉलेज जाने के लिये यातायात का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।जिन क्षेत्रों मे कन्या विद्यालय नही हैं वहां पर कन्या विद्यालय खोले जाये तथा लडकियों के लिये शौचालय उचित व्यावस्था होनी चाहिए। सरकार द्धारा ऐसी व्यावस्था की जाये जिससे सरकारी योजनाओं की जानकारी जन विशेष तक आसानी से पहुंच सकें। मातृ मृत्यु दर को रोकने के लिए प्रसव के दौरान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधायें उपलबध कराई जायें।

निष्कर्ष– कहा जा सकता है कि भारत में महिला अशिक्षा के कई दुष्प्रभाव सामने आयें हैं जैसे कि निम्न गुणवत्ता वाला जीवन, प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु, उच्च शिशु मृत्यु दर, निम्न गुणवता वाली अर्थव्यावस्था, कम उम्र में विवाह, महिलाओं का निम्न जीवन स्तर इत्यादि। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. अरोडा,प्रीत.2012.नारी समाज की उन्नति के सोपान शिक्षा एवं आत्म निर्भरता: http://www.himalini.com
2. खातुन,रफिया.2019 एपलकों से गिरे सपने. http://www.notionpress.com/author/rafiya_khatun
3. Deparment of health and family welfare,annual report, page no.28,2019-20
4. चौधरी,नेहा, देह के विरुद्ध हिंसा, सेज प्रकाशन
5. The state of the world's children report 2016,page 46http://www.unicef.org
6. National family health survey -4, 2017
7. वर्मा,दीपक,2020,नवभारत टाइम्स navbharattimes.indiatimes.com
8. विसारिया,पुनीत,2012, स्त्री शिक्षा का वर्तमान परिद्रश्य. www.jagranjunction.com
9. भार्गव,वंदना,2016, स्त्री शिक्षा का महत्व:आर्टिकल, www.swadesh.news
10. http://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr-03-033.pdf
11. भारत पत्रिका ,2020 , प्रकाशन विभाग– सूचना एवं प्रसारण विभाग भारत सरकार, पेज नम्बर 247,138, 64वां संस्करण
12. मिश्रा, एम.ए कुपोषण की रोकथाम:महिला स्वास्थ्य की भूमिका.आर पाठक, योजना, फरवरी 2016

13. शर्मा, योगेन्द्र, महिला सशक्तिकरण दशा और दिश, 2018, लोकभारती प्रकाशन,
14. सूदन, प्रीति सत्त देखभाल के जरिए महिला सशक्तिकरण.योजना, अक्टूबर 2018
15. लीहारिया, चंद्रकान्त, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और पोषण: कुरुक्षेत्र पेज 13, जनवरी 2020 अंक 3
16. Maternal Health Situation in India: A Case Study, Kranti S. Vora, Dileep V. Mavalankar, K.V. Ramani, Mudita Upadhyaya, Bharati Sharma, Sharad Iyengar, Vikram Gupta, Kirti Iyengar, Journal of Health Population and Nutrition, 2009 Apr; 27(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761784/

websites :

1. Maternal-Health 2016, april 30,retrieved from nrhm.gov.in/nrhm-component/rmnch.a/ maternal-health/backgraund-html.p.
2. Censes of india.com /litracy-rate-in-india-1951-2011/
3. hhttps://hindivaani.com
4. hhttps://m.livehindustan.com/tags/india
5. https://www.jatinverma.org/issue-of-mmr-in-india.
6. https://www.prabhatkhavar.com/vishesh-aalekh/1228149
7. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detai/maternity-mortality
8. Barman, Bikash & Saha, Jay & Chouhan, Pradip, 2020. "**Impact of education on the utilization of maternal health care services: An investigation from National Family Health Survey (2015–16) in India**," Children and Youth Services Review, Elsevier, vol. 108(C).
9. Newsnationtv.com
10. Theindianexpress.com/article/explained/explained-maternal-mortality-rate-in-the-state-assam-229-kerala-42-6110729/lite/
11. www.prabhasakshi.com

****

Covid - 19 impact on MSMEs - A three Sector comparative study in India: An Appraisal

Dr. Ruchi Rathore*

Abstract - Industrialization station is essential for economic development of a nation and for industrialization the role of small scale industries are more important than that of large scale industries in under developed countries like India. The role of MSMEs is crucial in reducing the problem of high unemployment prevallent in our country. Now the condition is totally changed. The covid-19 pandemic has left its impact on all sectors of the economy but no where it is hurt as much as the medium, small and micro enterprises.

In this Critical Situation we will examine how much will they be able to give their contribution in gross domestic product.

Introduction - Due to Corona virus environment is unstable for poor people. This had spread our entire world and called as a pandemic by world health Organization. It may produce recession in many part of the world. In every sector of India we are watching the negative impact of covid-19 there is no doubt that the Indian economy which is already sputtering, is growing at one the lowest rates in the last six year. And now a new set of economic challenge unleashed by the virus is leaving many sectors in latters. Griven the clampdown on economic activities in the past few months, it is unquestionable that vast number of these units will be cahoked these are an estimated 6.33 carore unincorpoated MSMEs engegaged in non – agricultural economic activites MSMEs contribute nearly 30 parsent of India's gross domestic product.

The Covid-19 is creating destructing for the MSMEs Due to Coronavirus induced lockdown is weakening the country's GDP growth since it is having major disturbance. The resulting reduction in human working hours will help us mainaing better health and better work. This forces us to adapt to new trends, such as working from home familiar with technology increased confidence in thechnology, online payment sectors, be vocal about local and online payment sectors, a causing a change in consumer behaviors, away from traditional methods.

Objectives of the Study – The following are the objectives are undertaken.

1. To Study the demand and supply sides of MSEMs
2. To Study the short term and long term impact on MSEMs.
3. To study the short term and long term recommendation.
4. To Study the impact of covid-19 on export and import.
5. To Study the GDP of India due to covid-19.

Research Methodology- For this research, researcher used mostly secondary date, the secondary data are collected from different sources such as in internet , books articles & Publication visitations.

Export blocks: on India's trade amid the pandemic – India's exports, however, were already in a free fall. The government's economic stimulus package is totality offered several reform commitments, improvement in the ease of doing business along with some forbearance and a few sops for micro, small and medium enterprises. However there was no explicit respite offered for exporters. The reserve bank of India, on may 22 did unveil a few measures, including a special 15,000 Crore liquidity facility for the exim bank of India For exporters, the maximum permissible credit period from banks was extended from 12 months to 15 months, for disbursements made up to July 31 2020.

Restricting Imports - PM Modi said that people across the country are taking the reins of the leadership of the Atmanirbhar Bharat' in there own hands. Many have mentioned that they have made lists of product being manufactured in their vicinity. These people are now buying only these local products promoting " vocal for local" in order to encourage " make in India". and self reliant India, The five pillars of Atmarnirbhar Bharat are stated as economy, imfrastructure technology- driven systems, vibrant demography and demand.

Relief Package to Small and Micro Industries – The government is preparing an economic package for some sectors to deal with the widespread adverse impact on the Countrye's, economy due to the lockdown. Among them is the micro and small scale industry sector, with which more than 200 million people of the country are connected. Preparations are also being made for the fields of agriculture education, rural development etc. According to sources, the Center believes that lockdown has proud to be major

*Asst. Prof. (Economics) Govt. PG College, Rehli, Sagar (M.P.) INDIA

weapon for effective prevention of corona though it has shattered the poor and homeless. According to sources the government is trying to make the construction area more open. The Lockdown has had a major impact on cottage and small industry. Small entrepreneurs are upset with this. Micro and Small Scale industries employ the most workers, their number is about 11 crore. A plan called sapurti is also being prepared for starting a village based micro industry business.

Findings – The present depression is a total change the form of recessions that we had faced in 2008 this has many consequences such as changed the mind set of people challenge for the industry, shakeup the world economic order. Everyone is trying to measure this pandemic. It is certain that we are gradually adapting the changes towards our life in a permanent manner.

Most Small and cottage industries have increased resilience to work remotely and allowing their employees to work from home. The clarion call given by the hon'ble PM to use these trying times to become Atmanirbhar has been very well received to enable the resurgence of the Indian economy. Unlock 1 guidelines have been issued to enable resumptions of economic activities while maintaining abundant caution thus allowing graded easing of restrictions The five pillars of Atmanirbhar Bharat focus on:

1. Economy
2. Infrastructure
3. System
4. Vibrant Demograpy
5. Demand.

The five phase of Atmanirbhar Bharat are

I Business including MSMEs
II Poor, including migrants and farmers.
III Agriculture
IV New Horizons of growth
V Government Reforms and enablers.

Conclusion – New we can say that MSMEs going to be new normal very soon. Risks to supply chains are significant and will have long term impact. Hence it is important that we improve the capabilities in order to counter the consequences of unforeseen events.

References :-

1. www.financialexpress.com
2. Journals Saqepub.com
3. Ministry of small, scale industries, Government of India (2016). Guidelines of the small industries cluster Development Programme. New Delhi , accessed on 27.11.2016.
4. m.economictimes.com
5. www.thehindu.com
6. W.H.O Corona Virus disease Covid-2019 on the Indian economy.
7. Credit Conditions Asia- Pacific: Covid-19 Flatter Growth, Tougher Recovery, April 22.2020.

****

संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी का अध्ययन (सागर शहर के संदर्भ में)

डॉ. आराधना श्रीवास*

शोध सारांश – पोषण मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। हम जो आहार लेते है उसका शरीर में पाचन किया जाता है। पाचन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले तत्व शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के काम आते हैं। भोजन के कार्य करने के लिये शक्ति ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिये आवश्यक उपयुक्त आहार का चुनाव अनेकानेक लगातार परिक्षणों के बाद ही किया जा सका है। बच्चों के लिये विभिन्न स्तनधारी प्राणियों के दूध का उपयोग आरम्भिक काल से ही किया जा रहा है। आहार की आवश्यकता और विभिन्न पदार्थों की पोषण शक्ति के बारे में अब पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। प्रस्तुत अध्ययन 300 बालक-बालिकाओं पर किया गया है। जिसमें बालक-बालिकाओं के परिवार को संतुलित भोजन से संबंधित कितनी जानकारी है इसका अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना – प्रत्येक व्यक्ति की कार्यशैली एवं कार्य भिन्न-भिन्न होते हैं एवं भिन्न-भिन्न कार्यो के अनुसार उसके भोजन की आवश्यकता भी भिन्न-भिन्न होती है। अत: प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा भोजन करना चाहिये, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हों। आयु, ऋतु, लिंग , जलवायु के अनुसार भी भोजन की आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है। विशेष परिस्थिति, जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था में स्त्रियों की भोजन की आवश्यकता सामान्य महिला से अधिक होती है। संतुलित आहार सभी प्राणियों की प्रमुख आवश्यकता है, जिसे स्वस्थ रहने के लिये पूरा करना आवश्यक है , अत: संतुलित भोजन में समस्त तत्वों की उचित मात्रा का होना आवश्यक है। ग्रीष्म प्रधान देशों की अपेक्षा शीत प्रधान देशों में ऊष्मा का अधिक उपयोग होता है। अत: ठण्डे प्रदेश के लोगों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। बढ़ती उम्र के बच्चों को अधिक प्रोटीन एवं वसा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में इनकी आवश्यकता कम होती है। शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को मानसिक श्रम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा एवं ऊष्णता की आवश्यकता होती है। स्त्रियों की तुलना में पुरूषों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन वह भोजन हैं जो मनुष्य की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुसार** 'संतुलित आहार वह आहार है, जो शरीर की वृद्धि, उचित विकास, कार्य तथा स्वास्थ्य संरक्षण के लिये आवश्यक पोषक तत्वों का सम्मिश्रण करता है, जो कि भोजन में मात्रा व गुणात्मक रूप से सन्तुलित रूप में पाये जाते हैं।' सरल शब्दों में हम कह सकते है कि 'सन्तुलित भोजन, वह भोजन है जिसमें शरीर के लिये आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज तत्व व विटामिन तथा जल आदि उचित मात्रा में उपस्थित हों।' सन्तुलित भोजन से तात्पर्य महँगी वस्तुओं से नहीं है अपितु सस्ती से सस्ती खाद्यसामग्री को संतुलित भोजन की श्रेणी में रखा जा सकता है, यदि उसमें पौष्टिक तत्व गुण और परिमाण में समान हों। अत: पोषण विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। **कोचर जी. के. एवं अग्रवाल 2007** ने सोलन हिमाचल प्रदेश की 13 से 19 वर्ष की किशोर बालिकाओं में पोषण सम्बन्धी अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला की पोषण शिक्षा के माध्यम से बालिकाओं का पोषण स्तर सुधारा जा सकता है। **फ्रेन्च एवं उनके सहयोगियों के अनुसार 2001**बालक-बालिकाओं पर किये गये अध्ययन में यह बताया गया है कि वे बालक-बालिकायें जो फास्ट-फूड रेस्टोरेन्ट का उपयोग करते है उनमें ऊर्जा की अधिक मात्रा के साथ फल, सब्जियाँ दूध की मात्रा नकारात्मक पायी गयी। इन्होंने अपने अध्ययन में बताया कि बालक-बालिकाएँ इसी सोच के कारण अपने आहार को संतुलित मात्रा में नहीं लेते है। **मिलीगेन एवं उनके सहयोगियों 1997** ने बताया कि कैसे तरूणावस्था के बालक-बालिकाओं के भोजन में पोषक तत्वों की कमी से हृदय रोग सम्बन्धी खतरा बढ़ जाता है तथा उनकी जीवन शैली अस्वस्थकर हो जाती है। **डॉ. कोठारीनंदिनी व सिंह प्रगति इन्दौर 2004** के अनुसार बालक-बालिकाएँ अपनी अवधारणा के आधार पर भोजन ग्रहण करते है व पोषण प्राप्त करते है परन्तु इन अवधारणा को कई कारक प्रभावित करतें हैं जिसके कारणवश वे कुपोषण का भी शिकार हो जाते है एक निम्न स्तरीय पोषण स्तर के कारण बालक-बालिकाएँ कई रोगों से ग्रसित हो जाते है जैसे - एनीमिया, मोटापा आदि। मुज्जफ्फर नगर में किये गये अध्ययन से ये निष्कर्ष पाया गया कि बाल्यावस्था में बालक-बालिकाएँ अपने भोजन में प्रचलित आधुनिक खाद्य पदार्थो फास्ट-फूड का अधिक मात्रा में प्रयोग करते है जिसके कारणवश इनका पोषण स्तर प्रभावित होता है जिससे उनमें कुपोषण के साथ अन्य रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

अध्ययन के उद्देश्य –प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओं के परिवारों से संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन की उपकल्पना-बालक-बालिकाओं के परिवार को संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी पायी जाती है।

अध्ययन की विधि-समंकों के संकलन व अध्ययन हेतु म. प्र. के सागर जिले का चयन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन सागर शहर की चार शालाओं के बालक-बालिकाओं के परिवारों में किया गया। बालक-बालिकाओं की आयु 8 से 13 वर्ष थी।शोध के उद्देश्य तथा समंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक

* सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) शासकीय कमला नेहरु महिला महाविद्यालय, दमोह (म.प्र.) भारत

तथ्यों के समंकों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार का प्रयोग किया एवं द्वितीयक समंकों के संकलन हेतु विभिन्न अभिलेखों, पत्रों एवं शोध प्रबंध आदि अन्य संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया। शोध के उद्देश्य तथा संमंकों की प्रकृति को ध्यान में रखकर आवश्यक सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया।

व्याख्या एवं विश्लेषण–प्रस्तुत अध्ययन 300 बालक–बालिकाओं पर किया गया। जिसमें 150 बालक व 150 बालिकाओं के परिवारों द्वारा प्रश्नावली को भरवाया गया। जिसको निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

तालिका क्र.1 : संतुलित भोजन के बारे में जानकारी

क्र.	संतुलित भोजन के बारे में जानकारी	बालक		बालिकाएँ	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	70	46.66	62	41.33
2.	नहीं	34	22.66	35	23.33
3.	थोड़ा–थोड़ा	46	30.66	53	35.33
	कुल	**150**	**100**	**150**	**100**

उत्तरदाताओं की संतुलित भोजन के बारे में जानकारी को तालिका क्र. 1 में दर्शाया गया है समग्र रूप से 150 उत्तरदाताओं में 70(46.66 प्रतिशत) बालकों के परिवार संतुलित भोजन के सम्बन्ध में जानकारी रखते पाए गए, 34(22.66 प्रतिशत) बालकों के परिवार ऐसे पाए गए जो संतुलित भोजन के सम्बन्ध में जानकारी नहीं रखते हैं तथा 46(30.66 प्रतिशत) बालकों के परिवार थोड़ी–थोड़ी जानकारी रखते हैं। समग्र रूप से 150 उत्तरदाताओं में 62(41.33 प्रतिशत) बालिकाओं के परिवार संतुलित भोजन के बारे में जानकारी रखते हैं। 35(23.33 प्रतिशत) बालिकाओं के परिवार संतुलित भोजन के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं व 53(35.33 प्रतिशत) बालिकाओं के परिवार संतुलित भोजन के बारे में थोड़ी–थोड़ी जानकारी रखते पाए गए।

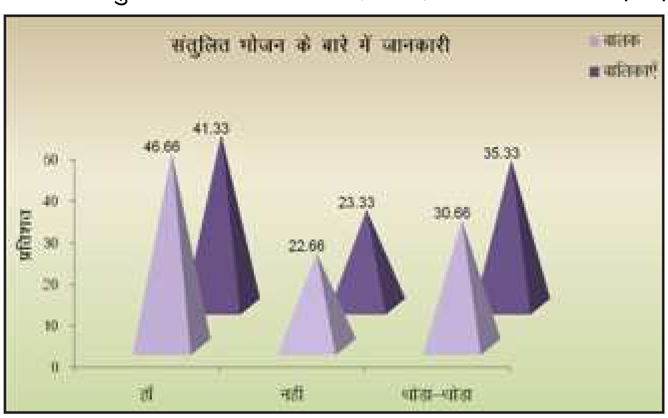

निष्कर्ष–प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि अधिकांश परिवारों को संतुलित भोजन से संबंधित जानकारी नहीं या थोड़ी–थोड़ी है। जिससे स्पष्ट होता है कि बालक–बालिकाओं के परिवार अपने बच्चों को संतुलित भोजन नहीं खिलाते तथा उनके टिफिन में फास्ट–फूड रखते पाये गये।

सुझाव :

1. बालक–बालिकाओं में शारीरिक एवं मानसिक विकास सही हो, इसलिये संतुलित आहार को अवश्य लेना चाहिये।
2. भोज्य पदार्थो में फलों व सब्जियों को अधिक मात्रा में लेना चाहिये।
3. शिक्षक एवं अभिभावकों को बालक–बालिकाओं को संतुलित आहार लेने के लिये प्रेरित करें।
4. स्कूल व घर का वातावरण अच्छा बनना भी आवश्यक हैं, इससे उनका भावात्मक विकास अच्छा होगा।
5. भोजन ताजा, गर्म, सुपाच्य, कम तेल, मिर्ची मसाले का होना चाहिये।
6. माँ को घर एवं बाजार के आहार में तुलना करके उसकी उपयोगिता एवं पौष्टिकता के बारे में बताना चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. शैलजा त्रिवेदी व डॉ. ओमनारायण तिवारी 'किशोरियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने के लिये संतुलित आहार एवं सामान्य आहार का तुलनात्मक अध्ययन' 2020।
2. श्रीमती कल्पना भार्गव, श्रीमती मीनाक्षी वझलवार, श्रीमती इन्दुबाला ठाकुर 'गृह विज्ञान' , नवबोध प्रकाशन 7, समता कॉलोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ 2016।
3. सुकून स्मारिका, 2009, 'आहार एवं फिटनेस आहार विशषेज्ञ इन्दौर'।
4. डॉ. पल्टा अरूणा (2003), 'आहार एवं पोषण', शिवा प्रकाशन, इन्दौर।
5. प्रेमचन्द स्वर्णकार 'संतुलित भोजन' रालकमल प्रकाशन ।
6 वॉलडिन एस. ए., एन्जुमन फ्रेस्का एस., डेजन्ग एच. सी. ब्रेकफास्ट कन्स्युपशन एन्ड एडीपोसिटी एमंग चिल्ड्रन एण्ड एडोलेसेन्स : एन अपडेटेड रिव्यू ऑफ द्दी लिटरेचर: पेडिआट्रिक ओवेसिटी, 2016 ओक्टूबर, 11(5):333–348. डी. ओ. आई., 10.1111/आई. जे. पी. ओ. 12082।

****

डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा संसाधनों के बढ़ते उपयोग एवं प्रभाव

श्रीमति भुलेश्वरी साहू* डॉ. रामानंद मालवीय धनकुमार महिलांग*****

शोध सारांश – प्रस्तुत लेख में करोना संकट के दौर को ध्यान में रखते हुए '21वीं शताब्दी के डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के बढ़ते उपयोग एवं चुनौतियॉ' पर प्रकाश डाला गया है, जो कि 19 के दौर को प्रभावित करता है।

शब्द कुंजी – डिजिटल युग, ई-शिक्षा, कोविड-19 का प्रभाव, ई-शिक्षा के प्रकार एवं स्वरूप, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना – 21वीं शताब्दी के इस दौर में करोना काल में या संकट की इस घड़ी में चीजें पल-पल में बदल रही है। पिछले तीन दशकों को देखें तो सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का उपयोग तीव्र गति से बढ़ते दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट की इस घड़ी में पुस्तकालय हो या ई-शिक्षा ऑनलाइन सेवाएँ व कार्य प्रदान किये जा रहे हैं। 21 वीं शताब्दी के इस दूसरे दशक में चाहे वह निम्न शिक्षा हो या उच्च शिक्षा दोनों का पठन-पाठन का समूचा परिदृश्य बहुत बदल चुका है। आज शिक्षा का स्तर नवीन युगीन साधनों तथा युक्तियों से सुसज्जित होती जा रही है। वर्तमान समय के इस डिजिटल युग में शिक्षा के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, साधारण ब्लैक बोर्ड की जगह पर स्मार्ट बोर्ड क्लास ने ले ली है और विभिन्न प्रकार के मार्कर पेन ने चॉक का स्थान ले लिया है। वही देखें तो आज क्लास के स्थान पर ई-क्लास जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुचारू रूप से संचालित होने वाली एप जैसे जूम एप (Zoomapp), यूट्यूब (Youtube), गूगल मीट (Google Meet), वेब एक्सएस (web xs) आदि के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे ई-क्लास, ई-शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एप का कोरोना संकट में स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा, शोधार्थी या अन्य शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय के पाठक अपनी आवश्यकतानुसार ई-शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जो ई-पुस्तकालय से अपने उपयोग के आधार पर ऑनलाइन सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं, के स्थान पर लेजर पाइंटर ने ले ली है। इसी तरह से स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एल.सी.डी. प्रोजेक्टर अब हर क्लास की अनिवार्य रूप से उपयोग होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से डिजिटल युग में अब शिक्षा का माध्यम ई-शिक्षा की दिशा में अग्रसर हो रही है।

डिजिटल युग – आज के वर्तमान समय को डिजिटल युग कहा जाता है। क्योंकि देश में अस्सी के दशक के मध्य से शुरू हुए कम्प्यूटरीकरण ने सूचना तथा सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी को पंख लगा दिए। विगत कुछ वर्षो के दौरान डिजिटल माध्यम एक सशक्त तथा प्रभावी विद्या के रूप में उभरा है। शिक्षा के क्षेत्र में पठन-पाठन के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा सामाग्री जो वर्तमान में कोरोना संकट की दौर में बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है तथा इन दिनों में इसके विकास पर तीव्र गति से काफी जोर दिया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा क्या है ?

इलेक्ट्राँनिक शिक्षा वह होता है जो अपने स्थान पर ही अर्थात् चाहे घर पर भी बैठकर एप यूट्यूब, वेबेक्स, इंटरनेट व अन्य संचार व सोशल मीडिया उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा कहते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के प्रकार – इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के प्रकारों को मुख्यत: दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न लिखित इस प्रकार से है :-

1. सिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था – वह होता है जहाँ एक ही समय में विद्यार्थी एवं शिक्षक अलग-अलग जगह से एक-दूसरे से संवाद करते हैं, जिससे विद्यार्थियों की समस्याओं, प्रश्नों के उत्तर, पाठ्य-समाग्री, ऑनलाइन सिस्टम (माध्यम) जैसे गूगल क्लास रूम, आडियो एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग, चेट आदि सम्मिलित है।

2. असिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था – ये वे होते हैं, जहाँ विद्यार्थी एवं शिक्षक के बीच वास्तविक संवाद में शैक्षणिक संवाद करने का कोई विकल्प ही नहीं होता है। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम से संबंधित सूचना पहले से उपलब्ध होती है, जैसे :- वेब आधारित अध्ययन, ऑनलाइन कोर्स, ब्लाग वेबसाइट, वीडियो ई-बुक्स, आदि की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी ज्यादातर सिंक्रोनस शैक्षणिक व्यवस्था के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना पसंद करता है।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के स्वरूप – इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं :-

1. कम्प्यूटर, लैपटॉप आधारित लर्निंग।
2. मोबाइल आधारित लर्निंग।
3. वेब आधारित लर्निंग।
4. वर्चुअल क्लास रूम।
5. यूट्यूब (Youtube) लर्निंग आधारित आदि।

आज से कुछ वर्ष पहले इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की अवधारणा आई थी तो देश इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परन्तु देश में मार्च 2019 से जब से कोरोना संकट पैदा हुआ है, संकट की इस घड़ी में सार्वभौमिक (सभी) क्षेत्रों में परिवर्तन की लहर दिखाई प्रतीत हो रही है। अब समय के साथ ही इस

*शोधार्थी (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय विश्रामपुर, पलामू (झारखंड) भारत
** प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय विश्रामपुर, पलामू (झारखंड) भारत
*** शोधार्थी (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान) रामचन्द्र चन्द्रवंशी विश्वविद्यालय विश्रामपुर, पलामू (झारखंड) भारत

डिजिटल युग के साथ ही ई-शिक्षा ने संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था में अपना स्थान बना चुका है।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के महत्व – इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का महत्व दिन-प्रतिदिन तीव्र गति से बढता ही जा रहा है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कोविड-19 के इस युग में ई-शिक्षा कौशल एवं ज्ञान का कम्प्यूटर एवं नेटवर्क आधारित अंतरण है, जो ई-शिक्षा की राह में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के महत्व, अनुप्रयोगों तथा सीखने की प्रक्रिया के उपयोग में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा, मोबाइल आधारित शिक्षा, वेब आधारित शिक्षा, डिजिटल युक्तियों एवं आभासी कक्षाएँ शामिल हैं।

इसमें मुख्य रूप से इंटरनेट, इंट्रानेट, आडियो टेप, वीडियो टेप, टी.वी. एवं सी.डी.रोम के माध्यम से पाठ्य समाग्रियों का वितरण कार्य किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के बढ़ते उपयोग – कोविड-19 के दौर में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का उपयोग पाठक अपने घर पर सेफ रहकर बीमारी के डर से प्राप्त करना चाहते हैं और उपयोग कर भी रहे हैं, केन्द्र शासन हो या राज्य शासन ई-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भूपेश बघेल द्वारा भी ई-शिक्षा की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा में 'पढ़ई तुहर द्वार' के द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में उपयोग किया जा रहा है, जो स्कूली विद्यार्थी पूरा सहयोग के साथ ई-शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं। इसी प्रकार से ई-शिक्षा के बढ़ते उपयोग के निम्न कारण है:-

1. समय की बचत।
2. बीमारी के खतरे से दूर।
3. पढई तुहर द्वारा का भरपूर उपयोग।
4. देश के प्रति आने वाले समस्याओं का सामना करना।
5. ई-शिक्षा व इलेक्ट्रॉनिक संसाधन से लाभ प्राप्त करना।

सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किये गये प्रयास – इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार सभी अपने-अपने स्तर पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों का समर्थन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसे बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से उपकरण और तकनीकी विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। हमारे भारत देश में एक विशाल बाजार ई-शिक्षा के क्षेत्र में तैयार होने की उम्मीद है। अधिक संख्या में नए पाठक इंटरनेट व अन्य सम्प्रेषण उपकरणों के माध्यम से ई-शिक्षा तक पहुँच रहे हैं, जैसे :-

1. पढ़ई तुहर द्वार।
2. (swayam) स्वयं।
3. मूक (mooc)।
4. स्वयं प्रथा (swayam pratha)।
5. राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (NDL)
6. डेलनेट (DELNET)
7. एन.पी.टी.ई.एल. (NPTEL) (कानून छात्रों के लिए)
8. जे.गेट (J.Gate) सामाजिक विज्ञान के लिए
9. जे.गेट (J.Gate) इंजीनियरिंग के लिए
10. आई.एन.एस.पी.ई.सी. (INSPEC) वेब ऑफ साइंस (छात्रों के लिए)
11. वर्चुअल लैब (INSPEC)
12. ई-यंत्र (INSPEC)
13. ई-पाठशाला (INSPEC)
14. एन.सी.ई.आर.टी. (INSPEC) द्वारा ई-संसाधन

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के लाभ – इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा से होने वाले लाभ निम्नलिखित है :-

1. ई-शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी समय कहीं पर भी शैक्षणिक कार्य कर सकते हैं।
2. ई-शिक्षा के लिए छात्र वेब आधारित पाठ्य सामग्री के अलावा भी अन्य पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार, मैग्जीन आदि अनिश्चित समय तक एक्सेस, डाउनलोडिंग करके इसे अनेकों बार देखकर, पढ़कर, कठिन शब्दों को समझ सकते हैं।
3. ई-शिक्षा के संवाद भी विद्यार्थी आपस में कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ही प्रश्न एवं उत्तर भी शिक्षकों से पूछ सकते हैं।
4. ई-शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी ज्ञान का विकास करने के साथ ही विद्यार्थियों को अपने कैरियर के क्षेत्र मेंआगे बढ़ने सहायता करता है।
5. इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी कौशल पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।
6. इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा में विद्यार्थियों को समय की बचत, कम लागत में अधिक पाठ्य सामग्री पर रूपये खर्च करना नहीं पड़ता है।

इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा का कोविड-19 में प्रभाव – इस कोरोना संकट ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों को प्रभावित किया है। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा भी इसके अपवाद नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में दृश्य, श्रव्य प्रणाली का प्रचलन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा अच्छा प्रस्तुतिकरण के लिए टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय एवं कोचिंग संस्थाओं में भी प्रयोग किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर-तरीकों में भी तीव्र गति से बदलाव अर्थात् परिवर्तन दिखाई दे रहा है।

कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यालय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है। इसी के परिणाम स्वरूप देखा जाएतो शिक्षा अब तीव्र गति से इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है।

कोविड-19 के दौर में इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा की रास्ते में विभिन्न चुनौतियॉ – निम्नलिखित इस प्रकार से है :-

1. विद्यार्थी बिना किसी सहपाठियों एवं शिक्षक के स्वयं करता रहता हैं।
2. सर्वर की समस्या उत्पन्न होता है।
3. मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते समय नेटवर्क का बार-बार कटने से शिक्षा प्राप्ति में बाधा या अवरोध उत्पन्न होता है।
4. ऑनलाइन क्लास में प्रायोगिक एवं लैब का कार्य करना कठिन होता है।
5. कोरोना संकट में ई-शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों एवं सुदुर अंचल के विद्यार्थियों के लिए चुनौती भरा है।
6. छत्तीसगढ़ में इंटरनेट की धीमी गति से ई-शिक्षा की रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती है।
7. छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत व्यवस्था का अभाव एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव जो ई-शिक्षा में रूकावट बन सकती है।
8. पुराने कम्प्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामाग्री को निराशाजनक साबित हो सकते हैं।

9. ई-शिक्षा ग्रहण ने विद्यार्थी अनुशासन एवं संगठनात्मक कौशल के अभाव में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं।

निष्कर्ष – इस प्रस्तुत लेख में कोविड-19 के दौर में डिजिटल पुस्तकालय के इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के उपयोग एवं विद्यार्थियों में ई-शिक्षा एक वरदान के रूप में उभरकर सामने आया है, जिसका सबसे अधिक प्रभाव मानव जीवन के साथ ही साथ पुस्तकालय और शिक्षा दिखाई दे रहा है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि आज के वर्तमान समय डिजिटल पुस्तकालय एवं ई-शिक्षा के साथ ही साथ ई-संसाधनों के उपयोग में चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अर्थात् यह कोविड-19 का समय चुनौती भरा है। इन्हीं कारणों से ई-संसाधन, ई-शिक्षा, ई-लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी और सूचना पुन: प्राप्ति में इंटरनेट की भूमिका महत्वपूर्ण है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डेली अपडेट्स : द हिन्दू भारतीय एक्सप्रेस व्यापार इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा विशेषतायें और चुनौतियाँ (2020).
2. मिश्र, कृष्णा कुमार : इक्कीसवीं सदी में ई-शिक्षा की बढ़ती भूमिका- इलेक्ट्रॉनिक हिन्दी साहित्य पत्रिका होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र मानखुद मुम्बई (2012).
3. ए. बेट्स : प्रौद्योगिकी ई-शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा, लन्दन-रूटलेज (2005).
4. पाठक, पी.डी. : आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, लॉयल बुक (1979).
5. भटनागर, सुरेश : भारत में शिक्षा का इतिहास मध्यप्रदेश ग्रंथ अकादमी, भोपाल (1982).

****

बदलती भारतीय तस्वीर और डिजिटल इंडिया

डॉ. शैलप्रभा कोष्टा*

प्रस्तावना – आज विश्व को युवा क्रान्ति की आवश्यकता है जो वर्तमान एवं भविष्य में बदलाव की बयार लाएगी। निश्चय ही इस क्रान्ति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है नेट अर्थात प्रत्येक क्रान्तिकारी के पास समान अवसर, यह विचार सुन्दर पिचई गूगल के सी.ई.ओ. के हैं। इनके इन्हीं विचारों को दुनिया भर में व्यापक स्वीकृति मिली है।

भारत एक सम्प्रभुत्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत में दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी आबादी निवास करती है। डिजिटल इंडिया में नेट विस्तार के तहत भारतीयों का अधिकांश हिस्सा इंटरनेट सेवाओं को अपने मोबाइल उपकरण में हासिल कर सकेगा। इसी कारण 1 जुलाई 2015 को भारतीय प्रधनमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा कार्यक्रम आरम्भ किया गया, जिसका मूल उद्देश्य हर नागरिक, हर गांव तथा शहर को इंटरनेट से जोड़ना है।

डिजिटल इंडिया के उद्देश्य – डिजिटल इंडिया का उद्देश्य हर नागरिक को सरकारी महकमों से जोड़ना है, इससे लोग कागजी काम आश्रित रहने की बजाय अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर सकेंगे, इस योजना में करीब साढ़े चार लाख करोड़ रूपये का निवेश होना है। इसमें से 1 लाख 13 हजार करोड़ रूपये सरकार अपनी तरफ से लगाएगी और 25 लाख करोड़ का निवेश रिलायंस इन्डस्ट्री करेगी। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1. **ई–बैग –** पूरी दुनिया अब आपके हाथ में होगी। आपके हाथ में ई–बैग होगा। अपनी किताबों को कहीं न कहीं से भी डाउनलोड कर सकेंगे, उन्हें किताबों का बोझ नहीं होता होगा।
2. **डिजीटल तिजोरी –** अब आपको अपने दस्तावेज के चोरी होने का डर नहीं रहेगा, अपना पेनकार्ड, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन रख सकेंगे।
3. **ई–अस्पताल –** इसके तहत लोगों को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जायेगी। मरीज देश के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शहर के लोगों को अब अस्पतालों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
4. **वाई–फाई –** गांवों तक इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर से प्रयास करेगी, साथ ही कई शहरों में वाई–फाई का इंतजाम होने से गांवों में बैठा व्यक्ति भी अपने घर से ई–मेल कर सकेगा।
5. **ई–प्रशासन –** अगर डिजिटल इंडिया पूरी तरह सफल रहा तो सभी दफ्तरों को काम पूरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा। अपने आवेदन डिजिटल दस्तखत के साथ ऑनलाइन जमा हो जाने से समय एवं पैसे की बचत होगी।
6. **स्वच्छ भारत मिशन –** इस मिशन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जाएगी। इससे आप सीधे मोबाइल के जरिए जुड़ सकेंगे।
7. **नेशनल स्कॉलरशिप मिशन –** अब छात्रों के स्कॉलरशिप की व्यवस्था ऑनलाइन होगी, कोई भी छात्र ऑनलाइन आवेदन कर अपने खाते में सीधे राशि हासिल कर सकेगा।
8. **रोजगार के नये अवसर –** डिजिटल इंडिया योजना से लगभग 18 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, इससे युवकों को नये रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा।
9. **हॉट स्पॉट की सुविधा –** पूरे देश में वाई–फाई हॉट स्पॉट बनेंगे। इससे लैपटॉप और स्मार्ट फोन आसानी से इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। प्रमुख स्थानों पर आप फ्री वाई–फाई का इस्तेमाल कर सकेंगे।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग – भारत, विश्व का ऐसा देश बन गया है, जिसने डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग सेवाएँ प्रदान करने, सरकार से मिलने वाले लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुँचाने के लिए सफलता हासिल की है। आधार संख्या सृजित करके प्रत्येक नागरिक को एक व्यक्तिगत पहचान दी। इससे जटिल सधना समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में आधार सम्बद्ध डिजिटल इंडिया की सुविधाएँ इस प्रकार हैं –

1. आधार सम्बद्ध बैंकिंग सुविधाएँ
2. आधार सम्बद्ध राशन कार्ड
3. आधार सम्बद्ध त्वरित पासपोर्ट निर्गम
4. व्यक्ति पहचान हेतु बेनीफिट कार्ड
5. आधार से जन–धन योजना खाता खोलना
6. पेंशन भुगतान
7. डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट
8. मतदाता पहचान पत्र
9. स्टॉक मार्केट में निवेश
10. भविष्य निधि भुगतान

विश्व में डिजिटल की स्थिति – अप्रैल 2018 तक विश्व स्तर पर डिजिटल के प्रयोग की स्थिति इस प्रकार है –

1. 20 प्रतिशत ई–मेल सम्प्रेषण
2. 8.8 अरब यू–ट्यूब वीडियो देखने वाले
3. 4.2 अरब गूगल पर खर्च करने वाले
4. 2.3 अरब जी.बी. वेब यातायात
5. 803 मिलीयन ट्विट्स
6. 186 मिलियन इन्स्टाग्राम पर फोटो
7. 36 मिलीयन एमेजोन पर क्रय करने वाले

मोबाइलों के प्रयोग की स्थिति – वर्तमान में मोबाइल के प्रयोग ने

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

व्यवसायों एवं कार्यों में सुगमता ला दी है। भारत जैसे विकासशील देशों में समाज के निचले तबकों को भी मोबाइल की सुविधाएँ प्राप्त हैं। आर्थिक दृष्टि से डिजिटल क्रान्ति ने निवेश को बढ़ाकर आर्थिक विकास की दर तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। मोबाइल धारकों की स्थिति इस प्रकार है –

विकसित देश	–	80 प्रतिशत
उच्च आय वाले देश	–	98 प्रतिशत
विकासशील देश	–	30 प्रतिशत

इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में –

प्रथम स्थान पर	–	चीन
द्वितीय स्थान पर	–	संयुक्त राज्य अमेरिका
तृतीय स्थान पर	–	भारत
चतुर्थ स्थान पर	–	जापान
पंचम स्थान पर	–	ब्राजील

सरकारी स्तर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी – डिजिटल प्रौद्योगिकी में ऐसे सभी संसाधनों एवं संघटकों को शामिल किया जाता है जो विभिन्न प्रकार की सधनाओं को डिजिटल रूप में संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण एवं विभिन्न लोगों के बीच साझा करने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टेबलेट्स आदि भारत जैसे विकासशील देशों में समाज के निचले तबकों में भी बिजली, शुद्ध पेयजल, शैचालय भले ही उपलब्धा न हो लेकिन उनके पास मोबाइल अवश्य ही होगा।

शहरी क्षेत्रों विशेषकर, मेट्रो शहरों में घरों में काम करने वाली बाइयों, घरेलू नौकर, मिस्त्री, फेरी वाला, सब्जी, पान, सामान ढोने वाले रिक्शा चालकों आदि सभी के पास मोबाइल है जो संचार क्रान्ति का द्योतक है।

विश्व में इंटरनेट उद्योग करने वालों की संख्या सन् 2005 में 1 अरब से तिगुने से भी अधिक बढ़कर 2015 के अंत तक 3.2 अरब हो गई है। भारत में जून 2016 के अंत तक ब्रॉडबेन्ड इंटरनेट प्रयोग करने वालों की संख्या 159.76 मिलियन हो गई जिसमें से 17.32 मिलियन लैन्डलाइन फोन से तथा 141.94 मोबाइल फोन से 0.55 मिलियन वाई–फाई का इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब व्यवसायिक लोग शासन, प्रशासन पहले की अपेक्षा एक–दूसरे से अधिाक सघनता से जुड़े हैं।

डिजिटल चुनौतियाँ – देश के आखिरी घर तक ब्राडबैन्ड के जरिये इंटरनेट पहुँचाने का वादा तो कर दिया गया है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम की है। यह काम तीन–चार साले पीछे चल रहा है। 2011 में सरकार ने 215 लाख गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की घोषणा की थी, इसमें अभी तक सिर्फ 40 प्रतिशत ही काम हुआ है। सबके पास फोन तब होगा, जब लोगों के पास फोन खरीदने की न्यूनतम क्षमता और आवश्यकता हो।

आज कितने ऐसे गरीब हैं, जिनकों दोनों समय भोजन नहीं मिल पाता, ऐसे लोग डिजिटल इंडिया का क्या अर्थ समझ सकेंगे और इससे उनको क्या फायदा होगा। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले गरीबी को दूर करें, जब लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा तभी उनको काम करने में भी मन लगेगा। अभी हाल ही में प्रकाशित आर्थिक जनगणना के अनुसार 75 प्रतिशत ग्रामीणों की मासिक आय 5000 से भी कम है। देश के 24.39 करोड़ परिवारों में से 17.91 करोड़ गांवों में रहते हैं। इनमें 10 करोड़ परिवार वंचित श्रेणी के हैं। 23.52 प्रतिशत परिवारों में 25 साल से अधिक उम्र के शिक्षित लोग ही नहीं है। फिक्स लाइन कनेक्टिविटी में भारत दुनिया में 125वें पायदान और वायरलेस कनेक्टिविटी में 113वें पायदान पर है। एक अमेरिकी शोध के मुताबिक 80 प्रतिशत भारतीय इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते।

भारत में डिजिटल का सपना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। जिस देश में अभी भी एक बड़ी आबादी संचार क्रान्ति से अछूती हो, वहाँ यह सपना अभी दूर की कौड़ी ही लगती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यह कदम अपने आप में क्रान्तिकारी है लेकिन इसके लिए समुचित तैयारी करनी होगी। सरकार को ऐसे में कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. करिश्मा शाह – डिजिटल भारत के लिए नेट। प्रतियोगिता दर्पण, जून 2016, 173
2. डिजिटल इंडिया लेख – दैनिक समाचार पत्र 20 अक्टूबर 2015
3. गिरीश चन्द्र पाण्डे – ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की राह में डिजिटल इंडिया लेख। दैनिक समाचार मई 2016
4. डॉ. श्यामसुन्दर सिंह चौहान – डिजिटल लाभांश। प्रतियोगिता दर्पण 2016, पृष्ठ–76
5. नेट – www.digitalindia.com

****

The Image of India as Portaryed in R.K. Narayan's Writings

Dr. Seema Sharma*

Introduction - Indian writing in English has given us many talented international writers. These writers include Rabindranath Tagore, Sarojini Naidu, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, MulkRaj Anand, R.K Narayan, Raja Rao, Bhabhani Bhattacharya, Kamala Markandeya, Arundhati Roy, Anita desai, Amitav Ghosh, Khushwant Singh etc. The writings by British writers in India is known as Anglo Indian literature and So the writings by Indian prominent writes in English is known as Indo Anglican literature.

"English is the Suez Canal for intellectual intercourse between the west and the east between England and India especially and the traffic is by no mean altogether one sided not only India thought from vedic to modern times has found its way to the west but eminent Indian thinkers of yesterday and today from Rammohan Roy to Vivekananada, Tagore Sri Aurbindo, Gandhi and Radhakrishnan have made themselves heard in the West. [1]

Thus these writers presented the picture of India before the world. The East and the West have different approach towards the techniques used to present the image of India, Since the Britishers looked at India because of curiosity and sence were prejudiced also but the Indian writers and not prejudiced they present the actual picture. Among these the most simple writer is R.K Narayan.

R.K Narayan wrote short stories, words and essays. Among the famous writings are "Swami and friends", The Bachelor of Arts, the English teacher the financial expert, The guide (adopted for film) (wining a flimfare award for best film"[2].

The best known look by R.K Narayan is Swami and fies friends." Swami is the most fascinating character created by R.K Narayan. Nearly all the stories by R.K Narayan more around a town which is Malgudi, a small town can be compared with the inner parts of Mysore.

"Malgudi is a real place with which as Graham greene says, "We have been a familiar as with our own birth place. We know like the streets of childhood, A particularly rewarding aspect of the Malgudi Saga is the way characters keep reappearing in the various stories sometimes in life size roles".[3]

If we want to see India from a foreigners eye the first quality that attracts us is the simplicity in life.In small towns in India simplicity and small incidents in life make a story and this is seen in R.K Narayan's stories as well as his style.

1) Simplicity - Swami is an innocent and timid character who in search of six pies goes here and there. His simple demand is not fulfilled easily.

He goes to everyone in his family. The first one in his grandmother. In India we have joint family and grandmother and grandfather are an important part of the family. We can see how simply his grandmother's inner feelings are expressed in a simple way by R.K Narayan : -

"He first tried granny. She almost shed tears that she had no money, and held her wooden box upside down to prove how hard up she was".[4]

2) The art of story telling - As it has been in old tradition of India's small towns where entertainment was in the form of story telling. R.K Narayan is a good story teller and he expresses this art which is replaced by the films nowadays. R.K Narayan's art of characterztien is also very special, describing the small things attached with a character. As he describes the story teller which is known as the Pandit who is well qualified in Sanskrit and has a great knowledge of ancient stories related with the god, The Pandit is well acquainted with Puranas and Vedas which are full of moral teachings. This is a common fact present in all small towns. This is the specialty of Indian culture that our day today life is woven with ancient stories and sacred teachings of great ancient books.

"The pandit (as he is called) is a very ancient man, continuing in his habits and department the traditions of a thousands years, never dressing himself in more than two pieces of cotton drapery. Every detail of his life is set for him by what the shastras say that is the reason why he fined it impossible to live in a modern town to leave his home.[5]

Even his family life is based on the authority of the Vedas.

Even the characters in the epic are correlated with day today life. Whether it be Ramayan or the Mahabharat.

"The characters in the epics are prototypes and moulds in which humanity is cast and remain valid for all time. Every story has implicit in it a philosophical or moral significance.[6]

*Prof. (Eng) Govt. Sanskrit College, Ujjain (M.P.) INDIA

Thus R.K Narayan reflects the soul of India in his literature.

As a novelist R.K Narayan express his experiences, his environment, his gods, and his deep sense of comdedy to enlighten the literature. Malgudi life has become a part and parcel of our lives. We know every character, whether it be Swami, Somu Mani, Samuel or Rajan.

3) Marriages in India - In the novel, Bacheler of Arts the hero becomes a Sadhu. In this novel another quality of India's social life is presented where love marriages are not common. However Sadhu returns home and finds her wife as a beautiful girl.

The hero, Krishna's settled life and after that his wife Susila's death is described in a simple way.

Krishna is new the English teacher, after the death of Susila marries Savitri who is different from Susila. Thus the social life is described where an Indian woman has not to owe more in the family than only her children.

4) Universal Approach - R.K Narayan's Malgudi is not limited to India as a small town but has become a part of the humanity. R.K Narayan can be compared to Jane Austan and Hardy's Wessex, they are content with the limited area.

"Malgudi is Narayan's Casterbridge' but the inhabitants of Malgudi – although they may have the recognizable local trappings are essentially human and hence have their kinship with all humanity. In this sense, Malgudi is everywhere".[7]

In 'Swami and friends' we find the innocent character of Swami his family, his town streets, and their problems all are identical with any small town. We have a picture of middle class Indian family which can be compared with any middle class family. Malgudi has a railway station like any other town described so simply – Krishna is waiting his wife on its railway station – I was pacing the little Malgudi railway station in great azitation. I had never known such suspense before." [8]

Thus we see that R.K Narayan described India in its original face with simplicity and a gentle approach. This makes him one of the most interesting Indian writer in English.

References :-

1 Indian writing in English K.R Srinivasa Iyengar sterling publishers private limited 1996. P.No.15
2 Google Wikipedia.
3 Malgudi Landscapes. "The Best of R.K Narayan. Penguin books 1992. P.No.XIII "Malgudi landscapes".
4 I.bid p.no. 18 "Swami and friends".
5 Ibid. "The world of the story teller, P.No.5
6 Ibid. p.no.5
7 Indian writing in English KR Srinivasa Iyengar sterling publishers private limited 1996, p.no.360.
8 Malgudi Landsacpes penguin books 1992, P.No.52 (The English Teacher).

****

कोरोना वायरस और कोविड-19 वैश्विक महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव एक समीक्षा

डॉ. सविता वशिष्ठ*

कोविड-19 का समाज और आजीविका पर प्रभाव - पिछली सदी की शुरूआत में जिस वक्त पहला विश्व युद्ध खत्म हो रहा था, तो एक वायरस ने दुनिया पर हमला बोला था, जिसने दुनिया की एक चौथाई आबादी को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, इस महामारी को आज हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते है, पूरी दुनिया में इस महामारी से पांच से दस करोड लोगों की जान चली गई थी।

कोविड- 19 भी स्पेनिश फ्लू के वायरस जैसा नही है वैज्ञानिकों के लिए भी ये वायरस रिसर्च का विषय है फिलहाल इस पर काबू पाने का एकमात्र उपाय है-सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके माध्यम से ही कोविड-19 की इन्फेक्शन चेन तोडी जा सकती है।

अगर लोग एक दूसरे के करीब आते रहेगें तो वायरस का प्रकोप फैलता जाएगा।

आज हम तकनीक के सुनहरे दौर में है, जहा तकनीक के जरिए हम एक ही वक्त में सारी दुनिया से जुड सकते है, अगर कोरोना को हराना है तो लंबे समय के लिए समाजिक दूरी बनाना आवश्यक है और उसी से हम शरीर को स्वास्थ्य बनाए रख सकते है क्योकि यदि शरीर स्वस्थ्य है तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते है। महाकवि कालिदास ने कुमार सम्भवम महाकाव्य में लिखा भी है कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्' अर्थात शरीर ही सभी धर्मो (कर्तव्यो) को पूरा करने का प्रथम साधन है।

कोरोना वायरस का विश्वव्यापी प्रसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और वर्तमान स्थिति के अनुसार वैश्विक आबादी का लगभग एक तिहाई अब लॉकडाउन के किसी न किसी रूप में है। इसके 'आर्थिक रक्तपात' का खतरा पैदा हो गया है, जहा व्यावहारिक रूप से दुनिया भर में सभी आर्थिक गतिविधिया बंद हो रही है।

स्थिति की विडंबना यह है कि जहां सामाजिक भेद-भाव व आत्म-अलगाव ओर मानव जीवन की भलाई और कल्याण की आवश्यकता की स्वीकार्यता है, वही आर्थिक और सामाजिक प्रभाव की गंभीरता पर चिंता बढ़ रही है।

विकास के इंजन के रूप में शहर एक पीस पडाव पर आ गए है। इसका कारण यह है कि 'सिटी-मेकर्स' जैसे दिहाडी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, ऑटो या रिक्शा चालक, व निर्माण कार्य से जुडे लोगो को कोई काम नही होने और सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की कमी के बीच जीवित रहना पड रहा है। इसी तरह छोटे व्यवसायों के साथ-साथ और टमटम अर्थव्यवस्था में काम करने वालों की दुर्दशा है, जिन्होने राष्ट्रीय तालाबंदी का खामियाजा उठाना शुरू कर दिया है।

भारत में लगभग 90 प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करते हैं - अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो रोजगार के थोडे से प्रावधानों के साथ दैनिक कार्य और दैनिक नकदी पर अपना जीवन यापन कर रहा है। विमुद्रिकरण की तरह, वर्तमान लॉकडाउन ने लाखो श्रमिकों और उनके परिवारों को भुखमरी, भूख,मृत्यु और बहुत ही कमजोर संभावनाओं से अवगत कराया है।

कोरोना वायरस महामारी भारत में श्रम बाजार के लिए बहुत बड़ा झटका है, रोजगार के परिद्ष्य में सेंध लगाने और लाखो श्रमिकों और उनके परिवारों के अस्तित्व को खतरा है।

कोविड - 19 महामारी संकट एवं त्रासदी को लेकर इस समय पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। जहाँ एक तरफ दुनिया के सामने लोगो की जिन्दगी बचाने की चिंता है वही दूसरी ओर कारोबार, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे एवं अर्थ व्यवस्थाओं को बचाने की चिंता भी कम नहीं है लोगो की जान बचाने ओर कोरोना वायरस के सक्रमण से फैलाव को रोकने के लिए भारत सहित दुनिया भर में सैकडों विकसित ओर विकासशील देशों ने अपने - अपने अनुसार लोकडाऊन किया है। इससे वासरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति की पहचान काफी मुश्किल है इस बिमारी में सक्रमण के स्त्रोत का पता नही चल पाता है कार्य स्थल पर या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सक्रमण फैल सकता है। ओर ऐसे लोगो से भी संक्रमण फैलता है। जिन्हे सम्भवत: पता नही होता कि वे संक्रमित है।

हम सब जानते है कि आज कोरोना वायरस के कारण अपने अस्तित्व को बचाने में पूरी दुनिया दहशत में है वही परिवार संस्था भी इसकी चुनौती से अछूती नही रही। इस महामारी के प्रकोप के कारण सभी को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गयी। लॉकडाउन के कारण ज्यादातर समय घर पर व्यतीत होने के कारण पति-पत्नी में विवाद के मामले बढने लगे है भारत में इस तरह की घटनाएं सामने आई। महिलाएं घर के काम में थक रही है और उनमें डिप्रेशन बढ़ रहा है मन में नकारात्मक विचार आने लगते है जो विद्यार्थी होस्टल से घर लौटते है वे घर के वातावरण में एडजस्ट नही हो पा रहे है इससे घर में बहस और झगडे बढ रहें है।

कोविड 19 एक नया वायरस है इसका अवतक कोई टीका नही बना है लेकिन बुनियादी स्वच्छता और रोकथाम के उपाय करना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत में केरल की काफी प्रशंसा हुई है कि उसने कोविड-19 के मामलों को कैसे सभाला है। किन्तु हर भारतीय राज्य केरल नहीं हो सकता है। जिसके पास साक्षर आबादी और स्वास्थ्य की उत्तम प्रणाली है। यदि इस वायरस का

* असि0प्रो0 (एच0ओ0डी0) संस्कृत विभाग जे0के0पी0 पी0जी कॉलेज मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

सक्रमण सामान्य आवादी में फैलता है तो रोकथाम के उपाय भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाले है क्योकि अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य प्रणाली उतनी मजबूत नही है। तेज शहरी करण ने कमजोर शहरी स्वास्थ्य प्रणालियों पर जिस तरह से बनाया है उससे महामारी की कैसे रोकना है जिसे यह जानना पर्याप्त नही है लगातार सतर्कता और क्रियान्वन ही सब कुछ है।

संकट एक अवसर भी बन सकता है वर्ष 1994 में सूरत में प्लेग का प्रसार किस तरह स्थानीय प्रशासन में सुधार की वजह बना था, इसे लोग जानते है 1990 के दशक के मध्य और उत्तारार्ध में सूरत के दो नगर आयुक्तों एस.आर.ए. राव और एस. जगदीशंन के प्रयासों से कचरा संग्रह और सडकों की सफाई में परिवर्तन आया, खाद्यय प्रतिठानों में स्वच्छता मानक को लागू किया गया और मलिन बस्तियों में सडकों और शौचालयों की व्यवस्था की गई

'कोरोना का इस कदर बरपा कहर
अर्थव्यवस्था देश की गई ठहर
हॉटस्पॉट बन गए व्यापारी शहर'

इस समय सम्पूर्ण भारत में लॉकडाउन है सभी लोग अपने घरों में कैद है, वजह है कोरोना। कोरोना वायरस ने एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है। कोरोना वायरस कैसे आया, कहा से आया यह नहीं कह सकते। किन्तु समाचार की पुष्टि से यह ज्ञात होता है कि चीन के वुहान शहर से फैला है। कोविड–19 अत्यन्त सूक्ष्म वायरस है। किन्तु यह अति प्रभावी और जानलेवा वायरस है यह वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना होता है, फिर भी इसने पूरे विश्व में हाहकार मचा रखा है।

कोविड 19 के कारण हुए लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ी है। जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है, लाकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन ओर तैयार उत्पादों के वितरण की श्रंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुन: प्रारम्भ करने में समय लग सकता है उदाहरण के लिए उत्पादन सीमित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है, ऐसे में कंपनियों के लिए पुन: कुशल मजदूरो की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन करना एक बडी चुनौती होगी, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी गति के रूप में देखा जा सकता है।

खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्रों में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है, जो सेक्टर इस बुरे दौर से सबसे अधिक प्रभावित हुए वही पर नौकरियों को भी सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। एविएशन सेक्टर में 50 प्रतिशत वेतन कम करने की बात तो पहले ही हो चुकी है। रेस्टोरेंट्स बंद है, लोग घूमने नही निकल रहे, नया सामान नहीं खरीद रहे किन्तु कंपनियों को किराया, वेतन और अन्य खर्चे का भुगतान तो कंरना ही है, ये नुकसान झेल रही है।

कंपनिया अधिक लम्बे समय तक भार सहन नही कर पाएंगी और इसका सीधा असर नौकरियों पर पडेगा। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टियर ने कहा कि भारत का परिदष्य अच्छा नही है, टियर ने कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन अधिक समय तक जारी रहता है तो यहॉ आर्थिक परिणाम विश्व बैंक के अनुमान से अधिक बुरे हो सकते है।

हमारे देश के छोटे कारखाने और लधु उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या है, उन्हे नगदी की समस्या हो जाएगी क्योकि उनकी कमाई नहीं होगी, ये लोग बैंक के पास भी नही जा पाते है इसलिए ऊँचे व्याज पर कर्ज ले लेते है और फिर कर्जजाल मे फंस जाते है।

अनौपचारिक क्षेत्रों में फेरी वाले, विक्रेता, कलाकार, लधु उद्योग और सीमापार व्यापार शमिल हैं इस वर्ग से सरकार के पास टैक्स नहीं आता लाकडाउन और कोरोना वायरस के इस पूरे दौर में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट नही रहा बल्कि ये एक बड़ा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट भी बन गया है जो लोगों को बडे पैमाने पर प्रभावित करेंगा।

चीन और अमेरीका जैसे बडे देश और मजबूत अर्थव्यवस्थाऐं भी इसके सामने लाचार हो गए है इससे भारत में विदेशी निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने की कोशिश को भी धक्का पहुॅचेगा विदेशी कम्पनियों के पास भी पैसा नहीं होगा तो वह निवेश में रूचि नहीं दिखाएगी जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था पर इन स्थितियों का कितना व्यापक प्रभाव पडेगा ये दो बातो पर निर्भर करेगा, एक तो ये कि आने वाले वक्त मे कोरोना वायरस की समस्या भारत में कितनी गम्भीर होती है और दूसरा कि कब तक इस पर काबू पाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

प्राचीन भारतीय अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका एवं आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता

डॉ. जे. के. संत *

प्रस्तावना - दूत के विशेषाधिकार अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुये प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने उसकी कार्य पद्धति के अनुरूप कुछ विशेषाधिकारों की व्यवस्था की थी, क्योंकि दूत के द्वारा जिन संदेशों का आदान- प्रदान अथवा जो कार्य सम्पन्न करवाया जाता था, वे प्रिय और अप्रिय दोनों ही प्रकार के हो सकते थे। अप्रिय संदेशों को सुनकर किसी भी राजा अथवा राजकीय अधिकारी के आवेषित तथा क्रुद्ध होने का भय सदा सम्भावित होता था। ऐसी परिस्थिति में दूत की सुरक्षा के लिये अनेक विशेषाधिकारों की व्यवस्था की गयी, जिससे निश्चिन्त होकर वह अपना अभीष्ट कार्य सम्पन्न कर सके। अवध्यता दूत का महत्वपूर्ण विशेषाधिकार माना जाता था। अवध्यता से तात्पर्य्य है कि दूत की हत्या नहीं की जा सकती थी। ऋग्यवेद जैसे प्राचीनतम ग्रथ में भी यदा-कदा दूत (अग्नि) को अवध्य बतालाया गया है। एक मंत्र में अग्नि (दूत) से प्रार्थना की गई है कि 'इस यज्ञ में आओ और देवों को बुलाकर बैठो, तुम हमारे नेता बनो, क्योंकि कोई तुम्हारी हिंसा नहीं कर सकता।'[1] इससे निष्कर्ष निकलता है कि दूतों की अवध्यता की मान्यता प्रचलित हो चुकी थी। एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि 'हे अग्नि तू सारी सेना का विजेता और शत्रुओं द्वारा अवध्य है।'[2] तुम शत्रु सेना को पराभूत करो, विध्न कर्ताओं को दूर करों, तुम्हे कोई जीत नहीं सकता।[3] इन कथनों से व्यक्त होता है कि दूत अत्यन्त बलशाली और अवध्य माना गया था। एक अन्य मन्त्र में अग्नि को अहिंसनीय माना गया है। एक मन्त्र में अग्नि को किसी के द्वारा भी अहिंसनीय बतलाया गया है।[4] उसे 'आमरणशील' भी कहा गया है। उपर्युक्त विवरणों से परिलक्षित है कि प्राचीनतम काल में जब अग्नि को दूत रूप में स्वीकार किया गया था, उस समय भी उसकी अवध्यता जैसे विशेष अधिकार के नियम का विकास प्रारम्भ हो चुका था।

वैदिक काल में विकसित अवध्यता के सिद्धान्त का अनुसरण रामायण में भी प्राप्त होता है। इसमें दूतों के अवध्यता से सम्बन्धित विशेषाधिकार का प्रमाण मिलता है। दूतों की हत्या निशिद्ध थी, क्योंकि वे तो अपने स्वामी के संदेशवाहक होते थे। संदेशवाहकों को किसी प्रकार के दण्ड अथवा वद्य की आज्ञा देना नियमों के विरूद्ध समझा जाता था। रामायण के प्रसंग में उल्लिखित है कि रावण ने हनुमान की बातों को सुनकर क्रोध और आवेष में अपने रक्षकों द्वारा हनुमान के वद्य की आज्ञा दी थी।[5] परन्तु विभीषण ने हनुमान के लिये वद्य आदेश का विरोध किया और रावण को परामर्श दिया कि क्रोध त्याग कर नुिमान द्वारा कहे गये वाक्यों को सुनकर प्रसन्न हो। इस धरती पर श्रेष्ठ राजा लोग दूतों का वद्य नहीं करते। आप जैसे वीर के लिये यह कदापि उचित नहीं है कि हनुमान का वद्य करें क्योंकि यह कार्य धर्म के विरूद्ध तथा लोकाचार की दिष्टि से अतिनिन्दनीय माना जाता है।[6] उन्होंने पुन: बतलाया कि सत्पुरूषों के कथन के अनुसार दूत कहीं और किसी भी समय वद्य के योग्य नहीं होते।[7] दूत भला हो या बुरा, शत्रु के पास भेजा जाता है और वह अपने स्वामी के स्वार्थ की वार्ता करता है। चूँकि दूत सदा पराधीन होता है, इसलिये वद्य के योग्य नहीं माना जाता।[8] आपको दूत के वद्य के आदेश नहीं देना चाहिये।[9] एक अन्य प्रसंग से यह ज्ञात होता है कि रावण ने शुक्र को दूत बनाकर राम सेना में भेजा था।[10] वानरों द्वारा पीड़ित होने पर शुक्र ने राम से अनुरोध किया कि राजा दूत का वद्य नहीं करते, आप इन वानरों से को ऐसा करने से रोकिये। जो अपने स्वामी के मत को छोड़कर अपना मत प्रकट करने लगता है, वह दूत कही हुई बातों को न कहने का अपराधी होता है और वहीं वद्य के योग्य माना जाता है।[11] यदि आज रात मेरी मृत्यु होती है तो जिस रात्रि को मैं उत्पन्न हुआ था और जिस रात्रि को मैं मरूँगा उस काल के मध्य किये गये सभी अशुभ कार्यो का पाप आप ही को लगेगा।[12] श्रीराम ने शुक्र का कथन सुनकर उसका वद्य नहीं होने दिया। उन्होंने वानरों को निर्देश दिया कि शुक्र दूत के रूप में हमारे यहॉ आया है, अत: यह वद्य योग्य नही है।[13] पुन: उन्होंने शुक्र से कहा कि यद्यपि तुम बन्दी बनाये गये हो फिर भी तुम्हें अपने जीवन का कोई नहीं होना चाहिये क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकडे गये दूत वद्य के योग्य नहीं होते हैं।[14] सुन्दर काण्ड में हनुमान के प्रति रावण के और शुक्र के प्रति श्रीराम द्वारा किये गये व्यवहार से यह परिलक्षित होता है कि किसी भी अवस्था अथवा परिस्थिति में वद्य के योग्य नहीं होते थे। सुन्दर काण्ड के साक्ष्य से प्रत्यक्षत: विदित होता है कि यदि किसी दूत का वद्य किया जाता है, तो धर्म और लोकाचार की दृष्टि से दूत- वद्य का आदेश देने वाला राजा निन्दा का पात्र होता है, क्योंकि दूत सदैव अपने स्वामी के आदेशानुसार कार्य करने को बाध्य होता है। शुक्र ने तो यहॉं तक कह किया है कि यदि उसकी मृत्यु होती है तो उसके जीवन समस्त पाप का दोष श्रीराम को लगेगा। यह उक्ति दूत-वद्य का आदेश जारी करने वाले राजा के लिये पारलौकिक दण्ड की ओर संकेत करती है। साथ ही यदि दूत शस्त्रहीन अवस्था में है, तो उसे नहीं मारा जाना चाहिये, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में दूत का आना यह इंगित करता है कि दूत के आगमन की धारणा अथवा उद्देश्य हिंसा अथवा युद्ध का सहारा लेना नहीं है। वह तो केवल अपने स्वामी के निर्देशानुसार कार्य करता है। इन्हीं कारणों से हनुमान और शुक्र दोनों वद्य के पात्र नहीं हुये। रामायण के उक्त प्रमाणों से निष्कर्ष निकलता है कि दूत प्रतिकूल अवस्था में या शत्रु देश में पकड़े जाने पर भी वद्य का पात्र नहीं होता था। महाभारत में भी दूत की अवध्यता का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूत-वध का स्पष्ट विरोध किया गया है। शान्ति पर्व[15] के प्रसंग के

* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय तुलसी महाविद्यालय, अनुपपुर (म.प्र.) भारत

अनुसार किसी भी आपत्ति में दूत की हत्या नहीं करनी चाहिये क्योंके दूत वध की आज्ञा देने वाले राजा, यदि यथोक्तवादी दूत की हत्या करता है, तो उसके (राजा) पितरों का भ्रूण हत्या के पाप का फल भोगना पड़ता है। अनुषासन पर्व[16] में स्पष्ट निर्देश है कि ब्राह्मण, गाय, दूत, माता-पिता, और गुरू तथा जिन्होंने पहले कभी उपकार किया है वे सभी अवध्य होते हैं। महाभारत के उपर्युक्त विवरणों से निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी परिस्थिति में जब कि दूत अपने स्वामी के निर्देशानुसार दूत-कर्म का निर्वाह कर रहा हो तो वह अवध्य होता था। यहॉ दूत- वध का आदेश देने वाले राजा को धार्मिक और पारलौकिक दण्ड का भय दिखाया गया है, जिससे वह दूत का वध न कर सके। फिर भी महाभारत में ऐसा दृष्टान्त प्राप्त होता है कि जहॉ यह निर्दिष्ट है कि यदि दूत स्वामी के कथनानुसार कार्य न करे तो उसका वध किया जा सकता है। उद्योग पर्व से विदित होता है [17] कि संजय धृतराष्ट्र का अभिन्न स्वरूप होकर आया था। धृतराष्ट्र ने संजय को पांचाल राजा द्रुपद की छावना में युधिष्ठिर के पास वार्तालाप के लिये भेजा था।[18] उसने सम्पूर्ण विवरणों में उन्ही के मनोभावों को व्यक्त किया था और कही गयी बात को ज्यों का त्यों कह दिया था, क्योकि यदि वह इसके विपरीत कुछ कहता, तो वध के योग्य माना जाता। यहॉ पर ज्ञातव्य है कि दूत को वधनिषेध का अधिकार केवल इसलिये प्रदान किया गया है, जिससे वह निर्भय होकर अपने स्वामी के संदेश को दूसरे दरबार में कह सके। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दूत को मात्र यथोक्तवादी पर ही अवध्यता का विशेषाधिकार प्राप्त था।

कौटिल्य ने भी दूतों के अवध्यता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उसका विचार है कि दूत ही राजा के मुख होते हैं।[19] राजा दूत के द्वारा अपनी सभी बातों को कहते हैं। इसीलिये इनकी हत्या के लिये शस्त्र उठाये जाने पर भी वे स्वामी के बातों को ठीक- ठीक कहते हैं, यहॉ तक की यदि कोई चाण्डाल भी दूत- कर्म में रत है तो वह भी अवध्य है फिर ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है ही अर्थात ब्राह्मण तो विशेष रूप से अवध्य है। दूत जो भी कहते हैं, वह उसका नहीं अपितु दूसरे अर्थात उसके स्वामी का वाक्य होता है। यहॉ पर कौटिल्य ने स्पष्टतः दूत के लिये वध निषेध के सिद्धान्त पर उल्लेख किया है, जिसके आधार पर शत्रु दरबार में वह निर्भय होकर अपने स्वामी की कार्य सिद्धि के लिये प्रयास करता है।

सोमदेव सूरि ने भी कौटिल्य की अवध्यता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। उनका विचार है कि बहुत बड़ा अपकार करने पर दूत का वध नहीं करना चाहिये।[20] यहॉ तक कि यदि दूत नीच जाति का हो तो भी वह अवध्य होता है, फिर ब्राह्मण विशेष रूप से अवध्य है।[21]

आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता - वर्तमान समय में किसी भी देश की विदेश नीति का बड़ा महत्व है। क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज सारा विष्व एक दूसरे से जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र को है। किसी को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिये समर्थन की आवश्यकता है, तो किसी को आर्थिक संकट से उबरने हेतु विभिन्न प्रकार के सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अधिकारिक मित्र देशों की उपयोगिता सहज स्पष्ट है। प्राचीन भारतीय चिन्तन में इस धारणा के मूल बिन्दू विद्यमान हैं। प्राचीन भारतीय राजशास्त्र प्रणेताओं ने परराज्य संबंध के अन्तर्गत जिस मण्डल सिद्धान्त की अवधारणा विकसित की है, उसमें किसी भी देश के लिये विदेश नीति संचालन की पूरी प्रक्रिया वर्णित है। शत्रु राज्य का मित्र अपना शत्रु हो सकता है। मित्र राज्य का मित्र अपना मित्र हो सकता है। तटस्थ राष्ट्र को उदासीन राज्य कहा गया है। किसी राष्ट्र को मित्र बनाने के लिये साम, दान, भेद एवं दण्ड उपायों का विषद वर्णन किया गया है। संधि, विग्रह, यान, आसन आदि मंत्रों का सम्यक् निरूपण पाया जाता है। जिनका आश्रय लेकर आज भी कोई देश अपनी विदेश नीति को सफल बना सकता है। राजदूत की जिन योग्यताओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में मिलता है, वह आज के संदर्भ में भी परराष्ट्र मंत्रालय से समबद्ध सभी अधिकारियों के लिये नितान्त उपयोगी है। राजदूतों में आकार, इंगित, चेष्टा, इत्यादि मनोभावों को समझने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिये। उन्हे बहु भाषाविद भी होना चाहिये। एतदर्थ प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का अध्ययन सभी राजनीतिज्ञों के लिये परम आवश्यक सिद्ध होता है। दूत सर्वदा अवध्य होता है। उल्लेखनीय है कि इस प्राचीन परम्परा को आज भी पुर्ववत मान्यता प्राप्त है।

निष्कर्ष- उपर्युक्त सन्दर्भो से स्पष्ट है कि अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध और व्यवहार में दूतों के लिये उक्त विशेषाधिकार उसे आतिथेय राज्य में पूर्व सुरक्षा प्रदान करने के साथ, नैतिक और मानसिक बल प्रदान करते थे। व्यावहारिक रूप में राजदूतों के विशेषाधिकारों का सदैव ध्यान रखा जाता था। राज्यों अथवा देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने के लिये दूतों के विशेषाधिकार को मान्यता प्राप्त थी। इन विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले शासकों को धार्मिक और पारलौकिक दण्ड का भय दिखलाकर सचेत कर दिया गया है। इस प्रकार इन विशेषाधिकारों की उपयोगिता न केवल दूत के लिये, अपितु राज्यों के लिये भी थी, क्योंकि दूत दो राज्यों के बीच माध्यम का कार्य करता था। इस विशेषाधिकार के कारण ही वह आतिथेय राज्य में निर्भीक होकर अपने महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित कर अभीष्ट की प्राप्ति का प्रयास करता था। वर्तमान समय में किसी भी देश की विदेश नीति का बड़ा महत्व है। क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण आज सारा विश्व एक दूसरे से जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र को है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूंची :-

1. ऋग्वेद, 1/76/2
2. ऋग्वेद, 3/11/6
3. ऋग्वेद, 3/24/1
4. ऋग्वेद, 4/9/2
5. रामायण, सुन्दर काण्ड,52/13
6. रामायण, सुन्दर काण्ड,52/5-6
7. रामायण, सुन्दर काण्ड,52/13
8. रामायण, सुन्दर काण्ड,52/21
9. रामायण, सुन्दर काण्ड,52/23
10. रामायण, युद्ध काण्ड,20/8
11. रामायण, युद्ध काण्ड,20/18
12. रामायण, युद्ध काण्ड,20/33
13. रामायण, युद्ध काण्ड,20/34
14. रामायण, युद्ध काण्ड,25/20
15. महाभारत, शान्ति0, 85/26-27
16. महाभारत, अनुषासन0, 145
17. महाभारत, उद्योग0, 72/7
18. महाभारत, उद्योग0, 22/36
19. अर्थ0, 1/16, वार्ता 12
20. नीतिवाक्यामृत, दूत0, 17/19
21. नीतिवाक्यामृत, दूत0, 19

उषा प्रियवंदा की कहानियों में अविवाहित और विवाहित स्त्री की स्थिती

डॉ.झेलम झेंडे*

प्रस्तावना – प्राचीन काल में स्त्री को तेज, क्षमा, शीतल माना जाता है। लेकिन समय के बदलाव से स्त्री के रूप में बदलाव आ गया। स्त्री शिक्षीत होकर अपने पैरों पे खडी हो सकी। आर्थिक रूप से स्वतंत्र स्त्री परिवार में पति का साथ देती दिखाई देती दिख रही है। उषा जी के कथा साहित्य में पाश्चात्य संस्कृती का प्रभाव अधिक दिखााई देता है। उनका साहित्य आधुनिकता से ओतूप्रोत है। उनकी रचनाओं में चित्रीत स्त्री स्वतंत्र रूप से अपनी सार्थकता की तलाश करती दिखााई देती है। उनकी कहानियों की स्त्री 'मैं इस पुरूष के लिए क्या हूँ' के बदले 'मैं क्या हूँ' यह दिखाई देती है।

आधुनिक युग में मानवीय मूल्यों के विघटन से जीवन में हर एक क्षेत्र में तेजी से बदलाव आ गया है। शिक्षा के फलस्वरूप व्यक्ति सत्ता को प्रतिष्ठित करने की कामना आज आधुनिक स्त्री में पनप रही है। हर हाल में वह अपने अस्तित्व को कायम रखने का प्रयास करती है। लेकिन पुरूष सत्तात्मक विचारधारा के कारण उसका पति उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को मिटाकर उसे घर की चार दिवारी में बंदी बनाने का प्रयास करता है। फलता स्त्री स्व' की रक्षा हेतु छटपटाती दिखाई देती है।

उषा प्रियवंदा हिंदी साहित्य की बहुचर्चित महिला कहानीकार है। उनकी कहानियों में अनुबव की प्रामाणिकता है। यर्थाथ को व्यक्तित्ववादी दृष्टि से देखने का परिणाम यह हुआ कि बदली हुई परिस्थितियों मे हमारे पारिवारिक संबंध तथा रिश्ते, रहनसहन जिस रूप में बदला है उसका चित्रण उनकी कहानियों में दिखाई देता है। संबंधों का यह बदलाव परिवार में माँ, बाप, बेटा, भाई, पति और पत्नी आदि विविध स्तरों पर देखा जा सकता है। सैद्धान्तिक संबंधों का टूटना, स्त्री पुरुष संबंधों के चित्रण में अधिक दिखाई देता है। स्त्री पुरुष दोनों स्वंतंत्र व्यक्तित्व चाहते है।

उषा प्रियवंदा की कहानियों में विवाहित स्त्री की स्थिती – जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संकलन में पॉरबुलेटर कहानी में एक गरीब बाप को अपनी बेटी के इलाज के लिए पॉरबुलेटर बेचनी पडती है। 'मोह बंध' कहानी में नीलू कई पुरूषों के संपर्क में घुलती रही है। इसके विपरीत अंचला एक व्यक्ति से जुडती है और उसके टूटने पर अपने में टूटती ही चली जाती है। 'जाले' कहानी में कौमुदी और राजेश्वर विवाह से पूर्व अपने अपने एकांत में संतुष्ट और सुखी थे। विवाह के बाद वह दोनों एक दुसरे को स्वतंत्रता देते हुए भी एक दुसरे के उपर नियंत्रण रखना चाहते है। 'कच्चे धागे' कहानी की कुंतल के चारों तरफ अभाव ही अभाव था। 'छुट्टी का दिन' अकेलेपन के बोध को उजागर करती है। 'दो अंधेरे' की कौशल्य अपने पति के साथ परम सुखी थी। 'पूर्ति' की तारा अकेलेपन से ग्रस्त थी। उसके जीवन में नलिन के आने से उसका जीवन शून्य से भर देता है। 'चाँद चलता रहा' कहानी में रोहिणी शर्मा अरविंद से प्यार करती है। विवाहपूर्व अरविंद उससे शारिरीक सुख पाना चाहता है लेकिन वह मना करती है। कुछ दिन बाद अरविंद दुर्घटनाग्रस्त होता है। रोहिणी इस बात से बार बार छीलती तराशती है। 'कटीली छाँह' एक ऐसे मास्टर साहब की कहानी है जो बयालीस साल की उम्र में अडतीस साल की इंद्र से शादी करते है। 'वापसी' कहानी उषा जी की श्रेष्ठ कहानी है। आधुनिक काल में बुढों की स्थिती कितनी दयनीय होती है इसका चित्रण किया है। 'जिंदगी और गुलाब के फूल' कहानी में एक बेरोजगार युवक और कामकाजी नारी का चित्रन किया है। कहानी में बेरोजगार युवक के प्रति होने वाली उपेक्षा और कामकाजी स्त्री का घर में बढता सन्मान दिखायी देता है।

कितना बडा झूठ – 'कितना बडा झूठ' कहानी संग्रह की 'संबंध' कहानी की श्यामला बंधे बंधाये जीवन से मुक्त होकर अपनी मर्जी से रहना चाहती है। 'नींद' कहानी की नायिका अपने पहले व्यक्ति से अलग होकर अन्य व्यक्ति से संबंध बनाती है। 'ट्रिप' कहानी में पती पत्नी के मधुर क्षणों की समाप्ती हो जाती है। 'कितना बडा झूठ' की किरण विश्वेश्वर के साथ रहते हुए भी मैक्स के साथ संबंध रखती है। मैक्स के साथ होने से उसे कोई पश्चाताप या ग्लानी नही है। 'सुरंग' एक ऐसी कहानी है जिसमें बेटे के मौत की ट्रेजेडी ने माँ को डस लिया है। 'स्वीकृती' की जया का सत्य से निकाह नियोजित हुआ है। जब सत्य जया को अपने महत्वकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनाने लगता है तब जया तीसरे व्यक्ती के साथ प्यार करने लगती है।

उषा प्रियवंदा की कहानियों में अविवाहित स्त्री का चित्रण

पचपन खंभे लाल दिवारें – उषा प्रियवंदा जी का 'पचपन खंभे लाल दिवारें' पहला उपन्यास है। इसमें सुषमा नामक स्त्री का सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया है। छात्रावास में आर्थिक समस्या का सामना करने में असफल होने से उसे घुटन का तीखा अहसास होता है। ऐसे स्थिती में जीना उसकी नियती है। आधुनिक जीवन की यह एक बडी विडंबना है जो कि हम नहीं चाहते वही करने के लिए विवश हो जाते है। इस परिस्थिती कों लेखिका ने बडे कलात्मक ढंग से चित्रीत किया है। लेखिका ने स्त्री शोषण के नये आयाम को यहाँ प्रस्तुत किया है।

निवृत्त अपाहीज पिता के परिवार में यदि लडकी बडी है तो परिवार का पुरा पालन पोषण लडकी नौकरी करके करती है। कमाने वाली लडकी की शादी की चिंता परिवार वाले छोड देते है। सुषमा हॉस्टेल वार्डन का काम करती है। अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। परिवार को संभालने की पुरी जिम्मेदारी सुषमा के खंदों पर हे। सुषमा नील से प्यार करती है। परिवार के बारे में सोचते हुए वह अपने निजी सुख को त्याग देती है। आधुनिक अध्यापिका होने के अतिरिक्त उसके चारों ओर दिवारे है। वह आर्थिक रूप से

* असिस्टंट प्रोफेसर (हिंदी) वीर वाजेकर ए.एस.सी.कॉलेज, फुंडे ता.उरण, जि.रायगड नवी मुंबई (महाराष्ट्र) भारत

स्वतंत्र है लेकिन नायिका के उपर भारतीय संस्कारों का प्रभाव दिखायी देता है। नायिका अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को त्याग परिवार के दायित्व का स्विकार करती है। डॉ.उषा यादव के अनुसार –'कहानी की नायिका सुषमा आज के परिवर्तित परिवेश में पारिवारिक उत्तरदायित्व का वहन करती और संघर्षो से पल पल झुझती तथा बदली सामाजिक मान्यताओं के तहत एक नई प्रेमवृत्ति को पोषण करती दिखाई देती है।'[1] सुषमा पुरे परिवार के पालन का एकमात्र साधन है। परिवार के पालन पोषण में उसके यौवन के वर्ष बीतते चले जाते है तथा उसके सारे सपने टूटते जाते है। कभी वह अपने मॉ बाप को तो कभी परिस्थितीयों को दोष देती है। नील सुषमा से बहुत प्यार करता है। नील सुषमा और उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी को उठाने का आश्वासन के साथ उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हे। किंतु सुषमा उसका प्रस्ताव ठुकराते उससे अलग होना चाहती है। अंत तक उसके भीतर का तुफान उसे लाल दिवारों वाले हॉस्टेल में टिके रहने को बाध्य करता है। वह अपने मन को समझाती है कि 'जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम है सिर्फ विवाह ही तो नहीं।'[2]

रूकोगी नहीं राधिका – इस कहानी में एक ऐसी युवती मतलब राधिका की कहानी है जो खुद में उलझ गई है। भारत में उसने अपने घर में जो एकाकीपन झेला है अमेरिका जाने पर उसका भय और बढ जाता है। विदेश में प्रवास का अनुभव उसे ऐसा लगता है कि जैसे अंधा आदमी सुरंग से यात्रा कर रहा हो। जिसे न काई लक्ष्य दिखता है न कोई अंत। राधिका अपने जीवन में काई दिशा तय नहीं कर पा रही है। वह अपने व्यक्ति अधिकारों के लिए लड रही है। राधिका की माँ बचपन में ही गुजर जाती है जिससे उसे अकेलापन क्या होता है वह मालूम है। वह अपने पिता से इतनी जुड जाती है कि उन्हें ही अपने जीवन की धुरी मानने लगती है। जब उसके पिताजी विदया से शादी कर लेते है तो वह अपने आप को निराधार और निर्वासित समझने लगती है। इसी कारण वह विदेशी पत्रकार डैन के साथ भारत छोडकर अमेरिका चली जाती है। एक साल तक वह उसके साथ रहती है। बाद में कुछ कारणों की वजह से उनके संबंधों में तनाव आ जाता है ओर वह अलग हो जाती है।

भारतीय उसकी नस नस में भरी हुई है। इसलिए वह सोचती है कि कैसा देश है जहाँ लोग आसानी से साथी बदल देते है। डॉ.नरेंद्र मोहन इस बारे में लिखते है कि– 'राधिका दो संस्कृतियों में बारे में सोच अकेलेपन से झूछती है। वह स्वदेशी और विदेशी में मिसफिट होकर रह जाती है।'[3] वह हर किसी में अपने पिता का प्रतिबिंब ढूँढती है। वह कहती है मुझे युवा पुरूष अपरिपक्व लगते है। डॉ.स्वर्णलता के अनुसार 'शिक्षा से उसने शिष्ट जीवन की परंपरा पायी है जिसे अपने जीवन में उतार लिया है। राधिका को भारतीय संस्कृती के प्रति मोह है। इसलिए वह अपने अतीत को भूलना चाहती है। वह पाश्चात्य संस्कृती से प्रभावित है लेकिन यह प्रभाव कहीं भी उसके व्यक्तित्व पर थोपा हुआ सा प्रतीत नहीं होता। वह बस वहीं तक उसका व्यक्तित्व उसे ग्रहण कर सका है। इसलिए उसके विचारों में गांभीर्य है।'[4] यह कहानी प्रवासी भारतीयों की मानसिकता पर प्रकाश डालता दिखाई देता है। कहानी की राधिका स्वतंत्र चेतना स्त्री है जो स्वदेस छोडकर विदेश जाती है। यह घटना उसके चरित्र की संघर्ष यात्रा का कारण बनती है। मानसिक दबाव और अकेलापन के कारण वह विदेश जाती है। वह स्वतंत्र स्त्री है लेकिन उसको अपना जीवन आधारहीन और लक्ष्यहीन लगने लगता है। राधिका एकाकीपन की शून्यता से घिरी है। कुछ पलत क उसके जीवन में डैन, अक्षय और मनीष आ जाते है। भारतीय तथा पाश्चात्य सभ्यता का दर्शन इस उपन्यास में दिखाई देता है। आधुनिक नारी के बदलते दृष्टिकोन एवं मान्यताओं का प्रकाश इसमें हुआ है। कहानी में राधिका आधुनिक नारी का प्रातिनिधित्व करती है।

निष्कर्ष – उषाजी की कहानियों का मूल विषय स्त्री जागृती होती है। उषाजी की प्रत्येक कहानी किसी न किसी स्त्री पात्र को कुछ न कुछ संदेश दे जाता है। उषा प्रियवंदा ने स्त्री के कई रूपों का चित्रण करके समाज को कोई न कोई संदेश देना चाहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ.उषा यादव, हिंदी की महिला उपन्यासकारों की मानवीय संवेदना, पृ.77
2. उषा प्रियवंदा, पचपन खंभे लाल दिवारें, पृ.10
3. डॉ.नरेंद्र मोहन, आधुनिक हिंदी उपन्यास, पृ.47
4. उषा प्रियवंदा, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यास साहित्य की समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमी, पृ.58

****

घरेलु हिंसा एवं महिला संरक्षण अधिनियम 2005

प्रो.ममता कनेश*

प्रस्तावना – फ्रांसीसी अस्तित्ववादी लेखिका सिमोनडी बोउआर ने अपनी प्रसिध्द पुस्तक 'दी सेकण्ड सेक्स' में लिखा था, स्त्री पैदा नही होती बना दी जाती है। भारत देश परंपराओं एवं संस्कृति का देश है। जहॉ नारी को देवी का रूप मानकर उनका सम्मान किया जाता है। उसे लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज की आधुनिक समाज में नारी को भी पुरूष के समक्ष माना गया है, फिर भी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला समाज के प्रति हिंसा एक बहु – आयामी मुद्या है। आज भी ऐसा लगता है कि नारी पुरी तरह सुरक्षित नही है जो आज के विकासित भारत की समस्या के रूप में बन गई है। भारत के बदलते युवा के साथ –साथ नारी को लेकर सोच भी काफी हद तक बदल गई है,आज की नारी हर क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम कर रही है। शिक्षित होकर अपने जीवन में नई उंचाईयों को पा रही है, फिर भी वह अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। नारी सुरक्षा के कानुन और संवैधानिक अधिकार होते हुए भी उस पर घरेलु हिंसा जैसा अपराध होता आ रहा है।

यद्यपि घरेलु हिंसा परिवार में किसी भी सदस्य के प्रति हो सकती है। परन्तु पारिवारिक हिंसा का संबंध मुख्यत: महिलाओं के प्रति हिंसा के रूप में है। ये उत्पीडन कभी –कभी इतने सुक्ष्म अप्रत्यक्ष होते है कि पीडित को बाहय रूप से प्रभावित करते प्रतीत नही होते है, लेकिन उनके लिये घाव कही अधिक गंभीर होते है। सामान्यत: घरेलु महिलाएं ही इन उत्पीडन की ज्यादा शिकार हो रही है।

संवेदनाओं और सोच के धरातल पर आज भी महिलाओ के प्रति शोषण और उत्पीडन की घटनाएं बढ रही है। देश में 2019 के ऑकडो पर गौर किया जाये तो महिलाओं को अपने घरों में कई प्रकार की हिंसा का सामना करना पडता है। नेशनल क्राइम ब्यूरों [NCRB] के द्वारा 2019 के दोरान महिलाओं खिलाफ4.05 लाख अपराध दर्ज किए गए। इनमे से 1.26 लाख (30%) घरेलु हिंसा के मामले थे। सबसे अधिक केस राजस्थान (18,432) से दर्ज किए गए जबकि उत्तरप्रदेश से (18,304) केस सामने आए 2015-16 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण [NFHS4] में इस बात उल्लेख किया गया है कि भारत में 15-49 आयु वर्ग की 30 फीसदी महिलाओं को 15 साल की आयु वर्ग से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पडा है। कुल मिलाकर NFHS4 में कहा गया है कि उसी आयु वर्ग की 6 फीसदी महिलाओं को उनके जीवनकाल में कम-से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पडा है।

घरेलु हिंसा से आशय – घरेलु हिंसा का सीधा सा अर्थ होता है, घर के भीतर महिलाओं के खिलाफ होने वाली वह हिंसा है जो उसके पति के द्वारा की जाती है इस कारण इसे वैवाहिक हिंसा भी कहा जाता है।

भारत में घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्तर्गत किसी महिला को शारीरिक पीडा देना मारपीट एवं अन्य तरह से उसके साथ किया ऐसा पीडादायक कृत्य सम्मिलित है जो उसके शरीर को आघात पहुँचाता है। घरेलु हिंसा शब्द ही स्वयं में कितना विभत्स और हिंसक है। यह एक व्यापक शब्द है जिसे पारिवारिक हिंसा भी कह सकते है। इसमें सास,ससुर ,देवर आदि द्वारा स्त्रियों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार, तिरस्कार, दमन, उत्पीडन, अपमान ,शोषण ,यातना और मारना पीटना आदि भी शामिल है जिससे स्त्री के शरीर के साथ –साथ आत्मा को भी ठेस पहुँचाई जाती है।

राज्य महिला आयोग के अनुसार, कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताडना से त्रस्त है। तो वह घरेलु हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलु हिंसा के महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत उसे घरेलु हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्राप्त है।

घरेलु हिंसा के कारण – भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरूष अपनी श्रेष्ठता शक्ति एवं पुरूषत्व को स्थापित करने एवं साबित करने के लिए महिला पर अत्याचार करता है। समाज में यह मानसिकता बनी हुई है कि पुरूषों की तुलना में महिलाएं शारीरीक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होती है। इसलिए उन्हें कई प्रकार से आहत किया जाता है। समतावादी शिक्षा व्यवस्था के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नही होने के कारण वह अत्यचार सहने के लिए मजबूर होती है।महिला के चरित्र पर संदेह ,षराब या नशे की लत इलेक्ट्रॉनिक मीडया का दुष्प्रभाव महिला को स्वावलंबी बनने से रोकना भी घरेलु हिंसा को बढावा देते है। पारिवारिक स्तर पर यदि गौर किया जाए तो प्राप्त दहेज से असंतुष्टि, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ किसी कारणवश यौनसंबंध स्थापित करने से इनकार करना, अनजाने में बच्चों की परवरिश में कमी रह जाना आदि घरेलु हिंसा के प्रमुख कारण है। कुछ मामलो में जैसे बांझपन एवं पुत्र को जन्म न देना, संबंधियों द्वारा उकसाना भी महिलाओं के लिए घरेलु हिंसा का कारण माना जाता है।

घरेलु हिंसा के दुष्परिणाम – घरेलु हिंसा के विभिन्न कारणो को जान लेने के बाद इसके दुष्परिणामो पर भी गौर किया जाना चाहिए। महिलाओं तथा बच्चों पर घरेलु हिंसा के दुष्प्रभाव स्पष्टत: दिखाई देते है। निरन्तर घरेलु हिंसा का शिकार होने से महिलाओं तथा बच्चों पर शारीरिक मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव गहरा असर डालता है। महिलाओं के काम करने तथा निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती जाती है। परिवार में आपसी रिश्तों और आस पडोस के साथ संबंधो पर भी सीधा प्रभाव पडता है। घरेलु हिंसा की

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

शिकार महिलाएं स्वयं को अकेला महसुस करने लगती हे एवं जागरूकता के अभाव तथा निर्णयन क्षमता कमजोर होने के कारण आत्महत्या जैसे कदम की ओर भी अग्रसर हो जाती हे।

घरेलु हिंसा अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रवधान – महिलाओं के विरूद्ध लगातार बढ रही घरेलु हिंसा की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा 2005 के अंत में घरेलु हिंसा निषेध कानुन 2005 को लागू करने संबंधी अधिसुचना जारी की गई जिससे यह महत्वपूर्ण कानून पुरे देश में 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया। इस अधिनियम में कूल 5 अध्याय तथा 37 धाराएँ है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य घरेलु हिंसा से पीडित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना है एवं कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है प्रारंभ में इस कानून के तहत महिलाओं को पति व बिना विवाह किए साथ रह रहे पुरूष और उसके रिश्तेदारों के द्वारा की गई हिंसा से संरक्षण की बात कही गई थी लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा इसमें पति की माँ, बहन तथा अन्य महिला रिश्तेदारों को भी इसके दायरे में लाया गाया।इस अधिनियम के तहत पीडित महिला सेवा प्रदाता से सहायता लेकर मदद की मांग कर सकती है।इसमे नि:शुल्क कानूनी सहायता के प्रावधान है। घरेलु हिंसा निवारण अधिनियम एक महत्वपुर्ण अधिनियम है और इसके द्वारा घरेलु हिंसा को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख किया गया –

- इस अधिनियम की धारा –3 में घरेलु हिंसा प्रत्यर्थी का ऐसा कार्य या लोप अथवा आचरण जो व्यथित महिला के स्वास्थ्य, जीवन, शरीर, मन को क्षतिग्रस्त करता है। इस प्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत पाँच प्रकार के दुर्व्यवहारों का उल्लेख किया गया हे–

1. शारीरिक दुर्व्यवहार
2. यौन दुर्व्यवहार
3. मौखिक दुर्व्यवहार
4. भावनात्मक दुर्व्यवहार
5. आर्थिक दुर्व्यवहार

- धारा –4 के अनुसार राज्य सरकार अपने राज्य में संरक्षण अधिकरी नियुक्त करती है।
- धारा –5 के अनुसार यदि घरेलु हिंसा की कोई सुचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या दण्डाधिकारी को दी गई है तो उनके द्वारा पीडिता को जानकारी देनी होगी।
- धारा – 10 के अनुसार सेवा प्रदाता भी मजिस्ट्रेट या संरक्षण अधिकारी को घरेलु हिंसा की सुचना दे सकता है।
- धारा – 12 के अनुसार यह प्रवधान किया गया है कि पीडिता या संरक्षण अधिकारी अथवा अन्य कोई घरेलु हिंसा के बारे में मुआवजा के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है।
- धारा –14 के अनुसार दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) पीडिता को सेवा प्रदाता से परामर्ष लेने का निर्देश दे सकता है।
- दण्डाधिकारी को यदि प्रथम दृष्टि में मामला घरेलु हिंसा का लगता है तो वह धारा – 18 से 23 के अन्तर्गत संरक्षण आदेश निवास आदेश मौद्रिक आदेश संतानो की अभिरक्षा का आदेश प्रतिकर आदेश एवं अन्तरिम एवं एक पक्षीय आदेश प्रदान कर सकता है।

घरेलु हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण आदेश के उलघंन पर एक वर्ष तक के कारावास या 20,000 रूपये तक जुर्माना या दोनो ही सजा का प्रवधान किया गया है। इससे संबंधित अधिनियम अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है। इस अधिनियम में एक सिविल विधि के साथ–साथ अपराधिक विधि तक विस्तार किया गया है जिससे पीडिता को तत्काल लाभ मिल सकें इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना देने वाले की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं,मजिस्ट्रेट,संरक्षण अधिकरियों के कर्तव्य तथा चिकित्सा सुविधा आश्रय गृह और सरकार के कर्तव्यों का समावेश किया गया है। घरेलू हिंसा से पीडित, पीडिता घर पर रहकर भी सहायता प्राप्त कर सकती है इसके लिए टोल फ्री न. 911पर तथा राष्ट्रीय घरेलू हिंसा डॉट लाइन न. 1800–799–7233 पर संपर्क करके भी सहायता ले सकती है।

सुझाव – घरेलू हिंसा के विभिन्न कारणों एवं अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डालने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए निम्न सुझाव पर गौर किया जाना चाहिए –

1. महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति जागरूक करना होगा।
2. सामाजिक रीति –रिवाज, परंपराएं तथा कुप्रथाओं को दुर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
3. सामाजिक एवं आर्थिक पिछडेपन को दुर करने हेतु अथक प्रयास किया जाना चाहिए।
4. महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा व न्याय दिलाने हेतु सरकार को प्रतिबद्ध होना आवश्यक है।
5. घरेलू हिंसा से संबंधित सिविल कानूनों को कठोर बनाने की आवश्यकता है।
6. घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में मनोचिकित्सक काउंसलर्स की व्यवास्था की जानी चाहिए
7. महिलाओं को शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए जिससे वो सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके

निष्कर्ष – भारत जैसे सभ्य और विकासशील राष्ट्र में महिलाओं की अस्मिता की रक्षा उनकी समुचित भगीदारी हेतु अनेक नियम व कानुन बने है इसके बावजूद सरकार घरेलू हिंसा रोकने में नाकाम रही है। विभिन्न संवैधानिक प्रावधान तथा सामाजिक न्याय के द्वारा काठोर कानून को मूर्त रूप देने का असफल प्रयास जारी है। इन संवैधानिक प्रवधानों के अंतर्गत घरेलू हिंसा रोकने हेतु इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिमोनडि बोउआर द सेकण्ड सेक्स।
2. नभारत टाइम्स 6 अक्टूबर 2020।
3. ध्रुव कुमर दिक्षित, समाजशास्त्र शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी।
4. प्रो.एम.एल.गुप्ता समाजशास्त्र साहित्य भवन पब्लिकेशन।
5. डॉ. एल.एस.गजपाल, डॉ.ए.पी.श्रीवास्तव, समाजशास्त्र, राम प्रसाद एण्ड संस।

****

ग्रामीण क्षेत्र से पलायन रोकने हेतु कुटीर उद्योगों का सहयोग एवं भूमिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. विभा निगम*

प्रस्तावना – भारत की पहचान गाँव से है। गाँव कृषि के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का किसान गाँव में रहता है। किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कृषक है। वह केवल खेती का कार्य करता है। यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कृषक ही नहीं बल्कि कृषक के साथ सहायक उद्योगों का उत्पादक व कुटीर उद्योग का जनक भी है। इस प्रकार गाँव के व्यक्ति को केवल किसान के रूप में ही नहीं बल्कि उत्पादक एवं साहसी के रूप में भी पहचाना जाना चाहिए। इस प्रकार कृषक एक नहीं बल्कि तीन प्रकार की भूमिका का निर्वाह करता है, केवल उसे पहचानना है और उसे प्रोत्साहित करना है।

आज के अध्ययन में कृषक साहसी के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, इस बात पर प्रकाश डालते हैं। किसान जब खाद्यान्न का उत्पादन करता है तो मण्डी जा कर नहीं बेचता है बल्कि उस उत्पादन का सहायक उद्योग स्थापित कर अंतिम वस्तु उत्पादन करता है, जैसे – गन्ने से (शुगर) चीनी निर्माण, कपास से धागा निर्माण, तिलहन से तेल (मिल द्वारा), धान से चावल व पोहा उत्पादन, दाल मिल स्थापित कर दलहन से दाल आदि का अंतिम वस्तु के रूप में उत्पादन करता है। साथ ही कुछ खाद्यान्न उत्पादन को कुटीर उद्योग के माध्यम से अंतिम वस्तु का उत्पादन करता है। उदाहरण के रूप में बेर, आँवला, आम, बेल आदि से अचार एवं मुरब्बा बनाना, पटसन से रस्सी निर्माण, पलाश के पौधो की पत्ती से दोना एवं पत्तल बनाना, फूलों की खेती आदि का उत्पादन करता है। इस प्रकार गाँव में कृषि करने वाले व्यक्ति को केवल कृषक मान लेना उचित नहीं है। यदि इस पर अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि किसान एक ही नहीं बल्कि तीन व्यक्ति के गुण रखता है। किसान के तीसरे गुण अपने अध्ययन में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि गाँव से शहर की ओर हो रहे पलायन को रोकना है तो कुटीर उद्योगा को प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि न केवल कृषक द्वारा उत्पादित वस्तु से ही कुटीर उद्योग का विकास किया जा सकता है बल्कि स्थानीय आधार पर उपलब्ध कच्चे माल से भी कुटीर उद्योग की स्थापना कर रोजगार एवं आय का अर्जन किया जा सकता है। आज केवल हुनर को पहचानना है। इस हुनर के आधार पर एक कुटीर उद्योग की स्थापना कर 4 से 7 लोगों को रोजगार दे सकते हैं बल्कि अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकता है। कुटीर उद्योग के विकास का अध्ययन करने से पूर्व कुटीर उद्योग का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं।

आशय – सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों में कुशल कारीगरों द्वारा कम पूँजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में परिवार के सदस्यों के सहयोग से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात देश में कुटीर उद्योग तेजी से नष्ट हुए एवं परम्परागत कारीगरों ने अन्य व्यवसाय अपना लिया किन्तु स्वदेशी आन्दोलन के प्रभाव से पुन: कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। वर्तमान में कुटीर उद्योग आधुनिक तकनीकी के समान्तर भूमिका निभा रहे हैं। आज इनमें कुशलता एवं परिश्रम के अतिरिक्त छोटे पैमाने पर मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है।

कुटीर उद्योग घर बैठे कम पूँजी में मशीनरी का कम से कम उपयोग करते हुए अपने परिवार के साथ शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के उद्योग में 10,000 से 1,50,000 रूपये तक का निवेश हो सकता है। परिश्रम पर आधारित कुटीर उद्योगों से 500 से 1000 रूपये तक घर बैठे कमा सकते हैं।

ऐसे उद्योग इस प्रकार हैं – (i) टिफिन बनाना, (ii) अगरबत्ती बनाना, (iii) नमकीन बनाना, (iv) बर्तन बनाना, (v) मसाला बनाना, (vi) फर्नीचर बनाना, (vii) पापड़ बनाना, (viii) साबुन बनाना, (ix) कपड़ों की छपाई, (x) चूड़ी बनाने का कार्य, (xi) सिलाई, (xii) मेंहदी लगाना, (xiii) ब्यूटी पार्लर, (xiv) दोना-पत्तल बनाना, (xv) गाय, भेड़ व बकरी पालना, (xvi) आइसक्रीम बनाना, (xvii) अचार, बरी, व पापड़ बनाना, (xviii) मुर्गी पालन, (xix) कृषि सहायक कुटीर उद्योग – (a) टोकरी बनाना, (b) सूत काटना, (c) बीड़ी बनाना, (d) चारपाई बनाना, (e) सुनार का कार्य आदि।

इन उद्योगों की श्रेणी में और भी उद्योग शामिल हो सकते हैं जो या तो परम्परागत होते हैं या अपने हुनर के दम पर स्थापित कर सकते हैं।

कुटीर उद्योगों का रजिस्ट्रेशन – उद्यमी अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन एस.एस.ए.आई. (SSAI) में करा सकते हैं। कुटीर उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संरक्षण भी दिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करा लेने के पश्चात बड़ा लोन मिल सकता है जिसके पश्चात अपने उद्योग व व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। ग्राहकों को बिल दे सकते हैं।

कुटीर उद्योग के लिए लोन सुविधा – सरकार द्वारा कुटीर उद्योग शुरू करने एवं संचालन करने के लिए कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाता है। यह लोन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के जरिये बिना किसी दस्तावेज के मिल जाता है। बैंक द्वारा दी गई जानकारी को पूरी तरह से समझकर लाभ उठा सकते हैं। ऐसे उद्यमी जो कलात्मक शैली के द्वारा और नई पद्धति के द्वारा कुटीर उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें CGFT के तहत लोन मिल

* प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शासकीय महाकोशल कला एवं वणिज्य स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

जायेगा, जिससे वह अपने व्यवसाय में बिना किसी रूकावट के निरन्तर प्रगति कर सकते हैं। सरकार ने छोटे-छोटे व्यवसाय को संरक्षित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा है। यह सब्सिडी लोन की किश्त नियमित रूप से भरने पर अंतिम अवधि में दी जाती है। सरकार ने ऐसी कई विकास योजना लागू की है जिसका छोटे उद्यमी लाभ ले सकते हैं। ये योजनाएं इस प्रकार हैं - (i) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, (ii) प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम, (iii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना, (iv) राष्ट्रीय उद्योग निगम आदि। इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी बैंक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं।

महत्व - कुटीर उद्योग वह है जो मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण समय या आंशिक समय में व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। कुटीर उद्योग कई प्रकार के हैं -

1. प्रथम श्रेणी में वे उद्योग रखे जाते हैं जो काश्तकार को पूरक व्यवसाय प्रदान करते हैं, जैसे - हथकरघा, कपड़ा बुनना, दलिया बनाना, रस्सा बनाना आदि।
2. द्वितीय श्रेणी में ऐसे ग्रामीण क्राफ्ट्स आते हैं, जैसे - लुहारगिरी, बढ़ईगिरी, धनियों के द्वारा तेल निकालना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जुल्हों द्वारा करघे से कपड़ा बुनना, जूता बनाना, गलीचा बुनना आदि।
3. तृतीय श्रेणी में वे उद्योग रखे जा सकते हैं जो शहरी क्षेत्रों में उनमें लगे श्रमिकों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान करते हैं, जैसे - लकड़ी और आयवरी द्वारा कशीदाकारी, खिलौना बनाना, चाँदी के तार बनाना, पीतल के बर्तन और अन्य प्रकार की सामग्री का निर्माण करना।

आधुनिक तकनीकी युग में बहुत से कुटीर उद्योग पुराने पड़ गये हैं और आर्थिक सार्थकता खो चुके हैं। उनके स्थान पर नये उद्योग विकसित हुए हैं जो चलाने वालों को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुटीर उद्योग की धारणा में ही क्रांति ला दी है। बहुत से कार्य कम्प्यूटर से ही किये जाने लगे हैं। बाजार में बहुत सी छोटी-छोटी दुकानें और केन्द्र खुल गये हैं। उदाहरण के रूप में इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग, प्रिटिंग, फोटोकॉपी आदि अच्छा व्यापार कर रहे हैं। इन छोटे-छोटे व्यवसायों में रोजगार अवसर प्रदान करने की क्षमता है।

समस्या :

1. कृषि भूमि के घटते आकार और अन्य विभिन्न कारणों से इन उद्योगों को कच्चे माल की कमी से जूझना पड़ता है।
2. अधिकांश कुटीर उद्योग ग्रामीण एवं छोटे इलाकों में संचालित हैं जिससे संस्थागत ऋण की कमी एक प्रमुख समस्या है।
3. कुटीर उद्योग श्रमिक निरक्षरता एवं अज्ञानता के कारण एवं पुराने तौर तरीकों के प्रयोग से कम कुशल हैं।
4. भारत के लोग बहुत गरीब हैं और उनको सस्ती पूँजी की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं।
5. संगठित विपणन की समस्या के अभाव में असहाय कारीगरों को अपने समान को बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
6. कुटीर उद्योग को अभी तक बड़े उद्योग से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का निर्माण करने में सफलता नहीं मिली है।
7. समय पर कच्चा माल नहीं मिल पाता है।

सुझाव - भारत के और औद्योगिक संरचना में कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि वर्तमान कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाये जायें -

1. कारीगरों को उत्पादन के नये और किफायती तौर-तरीकों की जानकारी कराई जानी चाहिए। भाड़ा क्रय प्रणाली के आधार पर आधुनिक उपकरण प्रचारित किये जाने चाहिए।
2. उचित समय में गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. आसान शर्तों पर साख की आपूर्ति उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
4. कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित माल की बिक्री के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
5. कुटीर उद्योगों का बड़े उद्योगों के साथ समन्वय किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
6. क्षेत्रों को आरक्षित कर कुटीर उद्योगों को उपर्युक्त मात्रा में संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन - शोध पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि यदि कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों को समय के साथ प्रोत्साहन दिया जाए तो ये भविष्य में अवश्य ही भारत के विकास में सहायक सिद्ध होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ. रूद्रदत्त सुन्दरम्।
2. औद्योगिक अर्थशास्त्र - डॉ. व्ही. सी. सिन्हा।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

कला में सौन्दर्य चेतना का उदय

डॉ. ज्योति रानी *

शोध सारांश – भारतीय कला सौन्दर्य की विवेचना 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' पर आधारित है। सुन्दरता वह है जो ईश्वर के मंगलमय स्वरूप में निहित है। सुन्दरता को जानने के लिए हमें सत्य एवं परमेश्वर के मंगलमय स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। सत्य की पहचान ईश्वर के अखण्ड स्वरूप में निहित है। सौन्दर्य का शाब्दिक अर्थ है **सुन्दर होने का भाव।** मानव ने कला और सौन्दर्य शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप में किया है। कला और सौन्दर्य में मानवता के गुण विश्लेषण का लक्षण पाया जाता है। आदिम काल से लेकर आधुनिक युग तक मनुष्य सौन्दर्य की तलाश में इधर–उधर भटकता रहा है। अनुशासन नियम और विधान के अनेक बन्धनों में बंधा हुआ हमारा आज का जीवन इस अनुभव से लगभग अपरिचित सा है। मानव मन सौन्दर्य–प्रेमी है तथा सौन्दर्य के प्रति उसके प्रत्येक आग्रह में एक शाश्वत्ता है। स्थितियों से समझौता करते–करते उसकी सौन्दर्य के प्रति सतत् जिज्ञासा कभी समाप्त नही होती। समाज के निम्न वर्ग में रहने वाला व्यक्ति भी, घर की साज–सज्जा और कपड़ों का चयन, अपनी आर्थिक सीमा में रहकर अपनी सौन्दर्य अभिरूचि द्वारा ही करता है।

शब्द कुंजी – सौन्दर्य, जिज्ञासा, दार्शनिकता, श्री, दिव्य।

प्रस्तावना – जिस प्रकार विज्ञान के मूल में जिज्ञासा की भावना कार्य करती है, उसी प्रकार कला के मूल में सौन्दर्यनुभूति की मौलिक पिपासा उसे गतिमान बनाकर तन्मयता की भावना को बल प्रदान करती है।[1] प्रारम्भ में सौन्दर्यपूर्ण देवी–देवताओं तथा शक्ति के स्वरूप की स्थापना मूर्ति कला तथा चित्रकला के द्वारा सम्भव थी। इस प्रकार विभिन्न धार्मिक अवसरों, उत्सवों और संस्कारों के लिये कला ने धर्म को ईश्वरीय रूप मूल रूपों में प्रदान किया, जैसा कि लोक चित्रण में पाया जाता है। दूसरी ओर धार्मिक आस्था से सम्बन्धित विषयों को स्थायित्व प्रदान करने में भी कला ने बहुत बड़ा योगदान दिया।

सौन्दर्य के बारे में विलियम नाईट ने कहा– 'Beauty reveals itself to us in a series of step but at last it remains a mystery and without mystery there would be no beauty'[2]

जीवन में सौन्दर्य चेतना का उदय किस समय हुआ। सम्भवत: जीवन के साथ ही जीवन में आनन्द की भावना भी जागृत हुई अथवा आनन्द की भावना से ही जीवन का अविर्भाव हुआ। हम जड़ और चेतन के सन्धिकाल और जीवदृष्टि के धूमिल प्रभाव का ठीक अनुमान नहीं कर सकते। बिना आनन्द और आशा के जीवन की कल्पना असम्भव है।[3]

Beauty consist of a certain composition of colour and figure causing delight in the beholder.
Webster's new International Dictionary

हमारे व्यक्तिगत जीवन में सौन्दर्य चेतना का विकास होता है। शिशु की आँखों से देखे गये जगत का सौन्दर्य प्रौढ़ होते–होते बदल जाता है। शिशु का अनुभव सरल और शुद्ध होता है। उसमें युवावस्था की वासना, किशोर स्वप्न और वृद्ध की दार्शनिकता का मिश्रण नहीं होता। हमारी सरल और साक्षात अनुभूति का या शिशु आनन्द, सौन्दर्य चेतना के विकास की प्रथम सीढ़ी है। सौन्दर्य का आधार रूप भी नही हैं, क्योंकि कालीदास के कथनानुसार जिस रूप का व्यवहार उमा ने किया था, वह मात्र रूप का व्यवहार था। रूप के गर्व का व्यवहार था, इसलिए शंकर को रिझाने में असफल रही।

'कुमार सम्भव' के पांचवे सर्ग में रूप की अवहेलना करते हुए पार्वती ने कहा है–

'निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्य कला हि चारूता।'[4]

आदिम काल से लेकर अब तक मनुष्य की कला कृतियां, इधर–उधर बिखरी हुई मूर्तियों और भवनों के अवशेष साहित्य और संगीत, इस चेतना के विकास की क्रमबद्ध कहानी है।

मनुष्य ने अपनी आदिम अवस्था में किस सौन्दर्य का अनुभव किया। इस प्रश्न का उत्तर हमारे इतिहास का प्रथम पृष्ठ है। यह हमारे इतिहास का शैशवकाल और चेतना का प्रथम स्फुरण था। आदिम मनुष्य का दूसरा अनुभव 'स्वच्छन्दता' का रहा होगा। अनुशासन नियम और विधान के अनेक बन्धनों में बंधा हुआ हमारा आज का जीवन, इस अनुभव से लगभग अपरिचित सा है। आदिम मानव के ये भाव हिन्दी के कवि के विचारों से वास्तविकता को व्यक्त करते हैं–

मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में।
तू खोजता मुझे था तब दीन में वतन में।।[5]

सौन्दर्य शास्त्र का अनुमान है कि इस काल में **'शिव चेतना'** का अविर्भाव हुआ जो मोहनजोदडो और आर्यो के काल तक व्यापक और पुष्ट होकर हमारी तत्कालीन सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक भावना का अंग बन चुकी थी। ये **'शिव'** क्या है? वस्तुत: यह शिव तत्व हमारी आदिम–चेतना का जीवित प्रतीक है। मोहनजोदड़ो की आकृतियां प्राय: 16'' की हैं और सबसे बड़े सिर के आधार पर 2 फुट की दीर्घतम प्रतिमा का चित्रण है। एक दाढ़ी वाले पुरूष की आवक्ष प्रतिमा मिली है। उसके बाल बंधे हैं और माथे पर एक गोल आभूषण है। छोटी–छोटी मूछें है और बायें कन्धे पर शॉल ओढ़े है।[6]

हड़प्पा संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ की मोहरे हैं, जिनका

* शिक्षक नगर, देवबंद, सहारनपुर (उ.प्र.) भारत

सौन्दर्य पशु आकृतियों के द्वारा दो गुना हो गया है। सर्वाधिक अंकित पशुओं में युनिकार्न अश्व, चीता, हाथी, ककूदवाला वृषभ, भैंसा, गैंडा तथा पर्वतीय बकरा है। सुअर अश्व, श्वान तथा भेड़ के भी सौन्दर्यपूर्ण अंकन है।

सौन्दर्य की पल-पल परिवर्तनशीलता को बिहारी का यह दोहा कितना सटीक व्यंजित करता है।

लिखन बैठि जाकी सबिहि, गहि गहि गरब गरूर।
भए न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।।

विद्वानों का अनुमान है कि ईसा से लगभग पांच सहस्त्र वर्ष पूर्व वैदिक सभ्यता का आरम्भ हुआ था।[7] ऋग्वेद काल के देवता, अग्नि, इन्द्र, वरूण, सविता, उषा आदि एक ओर तो प्रकृति के दिव्य पदार्थ है, किन्तु दूसरी ओर ये आर्य जीवन की ज्वलन्त अनुभूतियाँ है। ये उस काल की सौन्दर्य-चेतना के स्फुलिंग है। यह सभ्यता आर्यो के आगमन से आरम्भ हुई मानी जाती है। यहाँ कला, साहित्य और जीवन के समस्त मूल विचार, मिलते है जिनसे भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई। लौरिया नन्दनगढ़ के वैदिक शमशान में स्वर्णपत्र पर अंकित नग्न नारी मूर्ति प्राप्त हुई है। जिसे श्री अथवा लक्ष्मी माना जाता है।

प्रोफेसर जीमर के विचार से- 'इसे भारतीय नारी आकृति का प्रथम आदर्श माना जा सकता है जिसका अनुकरण परवर्ती युगो में होता रहा। पूर्ण वर्तुल और परस्पर सटे हुए उरोज, क्षीण कटि और पृथु नितम्ब इसकी विशेषताएं हैं। आभूषणों में वलय तथा मेखला प्रधान हैं। इसका रचनाकाल मौर्य अथवा शुँग शासन से सम्बन्धित किया जाता है। अत: इसे प्राचीन वैदिक आर्य कला की आदर्श कृति नही माना जा सकता।'[8]

श्री और सौन्दर्य उस युग के विशेष कला भाव हैं, जिनके अनेक पर्यायों का प्रयोग हुआ है। रमणीय दर्शन वाली रम्या, रोचमना, सुरूपा, सुप्रतीक, सुभाषा, सुभगा, सुरूचा, सुवसना, सुशिल्पा, क्षीर चन्द्रवर्णा, चित्र, वाम, शुभ, ललाम आदि सैकड़ो शब्द वैदिक सौन्दर्य शास्त्र के साक्षी है।[9]

वैदिक काल से लेकर रामायण काल तक सौन्दर्य: सामुहिक जीवन का केन्द्र प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप से हटकर जीवन की राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएँ बन गया था। यदि हम आदिम मनुष्य की अनुभूति को **'प्राकृतिक सौन्दर्य'** वैदिक युग की अनुभूति को **'दिव्य सौन्दर्य'** कहें तो हम रामायण-काल की अनुभूति को **'मानव सौन्दर्य'** कह सकते हैं।

रामायण का 'मनुष्य' प्रकृति का स्वच्छन्द भोगी तो नही है, न उसमें वेदकाल की गम्भीर आध्यात्मिक दृष्टि है परन्तु वह अपने पूर्व के इतिहास से प्रभावित है। **'राम'** उस काल की मानवता की समष्टि है।

रामायण के 'मानव सौन्दर्य' का सार 'शोक' है। वाल्मिकी ने रामायण में चित्रशालाओं, महलों रथो, पालकियों आदि के सौन्दर्य का अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। राम तथा केकैयी के भवन अनेक चित्रों से सुशोभित थे। अयोध्या में सब प्रकार के शिल्पी रहते थे। लंका में रावण तथा अन्य राक्षसों के भवनों में भी स्वर्ण-खचित चित्रकारी हो रही थी एवं अनेक भक्ति-चित्र (आलेखन) अंकित थे। रामायण के नायक नायिकाओं के रूप में राम और सीता जी के साथ-साथ लक्ष्मण व हनुमान जी के चित्र आज भी निरन्तर चित्रित हो रहे है।

महाभारत काल की सौन्दर्य भावना में कई धाराएँ बहती है। महाभारत में उषा तथा चित्रलेखा का प्रसंग आया है। उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरूद्ध कुमार को देखा था। चित्रलेखा ने उषा के समक्ष देश के अनेक राजकुमारों के चित्र योगमाया की शक्ति से अंकित कर दिये जिनमें से उषा ने अनिरूद्ध का चित्र पहचान लिया। संस्कृत कवि भास ने अपने तीन नाटकों 'स्वप्नवासवद्तम्, 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' तथा 'दूतवाक्य' में चित्रों का प्रयोग दिखाया है। 'दूतवाक्य' में श्रीकृष्ण के आने पर दुर्योधन द्रौपदी चीरहरण का चित्र मंगाकर देखने लगता है और चित्रकार की कला की प्रशंसा करता है। चित्र में अर्जुन को रोकते हुए युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, गांधारराज, आचार्य तथा पितामह विभिन्न मुख मुद्राओं में अंकित है। दुर्योधन चित्र की वर्णादियत भावोपन्नता, युक्तलेखता एवं सुव्यक्तता की प्रशंसा करता है और उसे दर्शनीय बताता है। वासुदेव भी चित्र की प्रशंसा करते है।[10]

पंतजलि ने श्रीकृष्ण लीला के चित्रों की प्रदर्शनी का उल्लेख किया है। महाभारत कालीन प्रसंगो का आज भी बड़ी संख्या में कलाकार चित्रण कर रहे हैं।

बौद्ध धर्म ने जिस नवीन चेतना को जन्म दिया वह हमारे सामुहिक जीवन की पुरातन और गम्भीर धारा में घुलमिल गई। इसका तिरोभाव अथवा पतन नही हुआ किन्तु रूपान्तरण अथवा संश्लेषण हुआ। इसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म की शून्यता में निराकार ब्रहमा की स्थापना की गयी। निर्वाण का स्थान मोक्ष ने ले लिया वैराग्य और सन्यास का स्थान वैसा ही रहा। महात्मा बुद्ध के समय में चित्रकला का इतना प्रचार था कि स्वयं बुद्ध ने अपने शिष्यों को चित्रकला में अधिक अशक्त न होने को कहा था। उन्होनें कुछ सीमाएं निश्चित कर दी थी। जिनका अतिक्रमण भिक्षुगण नही कर सकते थे।

अजन्ता के जगत प्रसिद्ध चित्रों के निर्माण का अधिकांश श्रेय भी गुप्त युग को ही है। गुप्तकालीन कला के भव्य नमूने एलोरा बाघ और यहां तक की मध्य एशिया के भित्ति चित्रों में भी देखने को मिलते है।[11] तत्कालीन सोने के सिक्को, मूर्तियों और देवताओं की कलापूर्ण आकृतियों पर भी गुप्तकाल के उत्कृष्ट प्रमाण अंकित है।[12] जिस प्रकार गुप्त काल में अलंकरण सज्जा, मांसल सौन्दर्य चरमावस्था को पहुँचा, उसी प्रकार गुप्तकाल में अलंकार सज्जा, मुद्राओं के शास्त्रीय ढंग से चित्रण, आत्मा के आहलादपूर्ण सौन्दर्य एवं शान्तिस्थ प्रकृति के हर्ष-अमर्ष आदि की अभिव्यक्ति में भारतीय चित्रकला अपनी परिपक्व अवस्था में पहुँची।[13] गुप्त सम्राटों ने अपने स्तूपों, स्तम्भों एवं विशाल देव मन्दिरों पर चित्रकला के भव्य नमूने अंकित करवाये।[14]

भारत में मध्य युग का प्रथम प्रहर आरम्भ हुआ। यह आतंक, निराशा, पराजय और संघर्ष का समय था। राजपूत राजाओं की विलासप्रियता में पड़कर सौन्दर्य चेतना और उससे उत्पन्न होने वाली कला में विलासिता आ गयी। विजेता और विजित के संघर्ष के सौन्दर्य के स्थान पर शौर्य, कोमलता के स्थान पर दृढ़ता का आदर हुआ। हिन्दु और मुस्लिम संस्कृतियां अपने-अपने अस्तित्व को बिल्कुल भुलाकर एक न हो सकी, तथापि साथ रहने की आवश्यकता ने दोनों में रूपान्तर अवश्य कर दिया। इस समय हम अपने सामुहिक जीवन में तीन स्पष्ट धाराओं को देख सकते है। जो इस प्रकार से है-

क) इसे हम जीवन की 'राजसी धारा' कहेंगे। दिल्ली के सम्राट विशेषत: मुगल सम्राट और उनको आदर्श मानने वाले राजा और नवाब, वैभव और विलासिता, शक्ति और ऐश्वर्य, आतंक और अनुभव के मानों जीवित प्रतीक थे। इस युग के भवनों, चित्रों और दुर्गो में जाने से इनका **'राजसी प्रभाव'** हमें आतंकित-सा करता प्रतीत होता है। अजन्ता के चित्रों अथवा एलोरा आदि के चित्रों का विशाल अनुभव होता है। यह **'राजसी भावना'** जिससे ताजमहल का जन्म हुआ, हमारे देश में अंग्रेजी युग के प्रारम्भ तक, क्षीण सी दशा में सही, जीवित रहा।

ख) राजसी स्तर के नीचे जीवन की एक और धारा बहती थी, जिसके प्रतिनिधि यहाँ के राजा और रईस थे। मनोरंजन और ठाठ-बाट से जीवन बिताना इसका उद्देश्य था। काव्य और कला अपनी पूरी शक्ति से इस उद्देश्य की सिद्धि में लग गये। बिहारी और देव इस युग चेतना के प्रतिनिधि हैं। चित्रकला में अजन्ता की आध्यात्मिक भावना नही है। उसमें केवल चित्र प्रधान है। जिसमें राधा और कृष्ण के विलासों, राज प्रासाद की क्रीडाओं, ऋतुओं तथा उद्यान विहारों का अंकन हुआ है। मुगल दरबार में भी चित्रकला का विकास अकबर व जहांगीर के काल में सौन्दर्य से पूर्ण रहा। इस काल के सुन्दरतम् चित्र **'रागमाला'** नाम से प्रसिद्ध है।

जीवन की तीसरी धारा वह है जिसका सम्बन्ध न सम्राटों के आतंक और अनुभव से था, न राजाओं के मनोरंजन से इसका सम्बन्ध जनजीवन से था, लोकाराधना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था।

भारतीय इतिहास के इन निष्कर्षो को ध्यान में रखकर हम अपनी सौन्दर्य-चेतना को समझ सकते हैं। अपने कला जीवन को हृदयंगम कर सकते हैं और हम कर सकते हैं अपने अनागत का निर्माण। मानव जीवन का उद्देश्य क्रियाशीलता अथवा निर्माण में निहित है, इससे रहित जीवन शून्य से अधिक और कुछ नही होता। इस रूप में सृजन की प्रक्रिया को कला की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह सृजन यदि मौलिक न होकर किसी वस्तु की प्रतिलिपि अथवा प्रतिरूप है तो कला नही कहा जा सकता। मानव निर्मित सभी कलाएँ देवी निर्माण की प्रतिलिपि स्वरूप ही हैं, फिर भी कला में मानव के नवीनतम् अन्वेषण के रूप में किये गये प्रयत्नों और अनुभवों से प्राप्त उत्कृष्ट तत्वों का समावेश होता है। स्पष्टत: कला हृदयानुभूति का परिणाम है। तथ्य का आदर्शवादी स्वरूप नही।

डॉ. आनन्द कुमार स्वामी के मतानुसार- 'कलाकार किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति नही होता, बल्कि इसके स्थान पर, प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कलाकार अवश्य होती है।'

सौन्दर्य मानव स्वभाव का अपेक्षित तत्व है। इसका भाव प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिक्षण विद्यमान रहता है। प्रकृति के कण-कण में सौन्दर्य बिखरा पडा है।म प्रकृति के सम्पर्क मे आकर मानव इस सौन्दर्य का आस्वादन कर, अनजाने ही आत्मपिपासा को शान्त करता रहता है किन्तु जैसे ही वह स्वयं इस सौन्दर्य के प्रति सचेत होता है तथा इसके निर्माण की बात सोचता है, वैसे ही कला को जन्म मिलता है।

कवि, कलाकार और साहित्यकार सौन्दर्य के प्रति आकर्षित होने पर उसे अगणित स्वरूप प्रदान करते हैं। व्यापक अर्थ में यह कहा जा सकता है कि कला उस सौन्दर्य का प्रस्तुतिकरण है जो मानव के स्वतन्त्र भाव-जगत में निवास करता है। सौन्दर्य आत्मा का चेतनामय गुण तत्व है तथा विभिन्न रूपों में इसका साक्षात्कार होने पर अतुलित आनन्द प्रदान करता है।म सौन्दर्य का विचार प्राय: दो प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में रहता है, एक जो धर्मानुयायी होते है तथा दूसरे वे जो कला संरक्षक होते है।

सत्यम् शिवम् सुन्दरम् एक आदर्श सिद्धान्त है। कला का प्रधान लक्ष्य सौन्दर्य की अनुभूति है। किसी भी कलाकृति का सौन्दर्य उसके रूप के द्वारा प्रकट होता है। प्रत्येक कलाकृति में सत्य का कुछ अंश अवश्य रहता है। सत्य के इसी अंश को कलाकार अपनी कल्पना के द्वारा आकर्षक और सुन्दर रूप में प्रस्तुत करता है। सांसारिक सत्य के अनेक पक्ष है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ कल्याणकारी और कुछ अकल्याणकारी। समाज और व्यक्ति की भलाई वाले चित्र ही समाज में आदर प्राप्त करते हैं और लोग उन्हे पसन्द करते हैं।

कला का एक स्वरूप असुन्दर भी हो सकता है। पूर्ण काल्पनिक विषयों को भी कला में चित्रित किया जा सकता है। कलाकार ऐसे विषयों को भी अपनी कला में प्रस्तुत करता है जिनका अनुकरण समाज के लिए अकल्याणकारी होता है। इन्ही सब पक्षों को ध्यान में रखते हुए कला में सत्यम्, शिवम् तथा सुन्दरम् के आदर्शो को अपनाया गया है।

This is the ultimate object of our existence that we must ever know that beauty is truth beauty. -Rabindra Nath Tagore

इस मानसिक उन्नति के साथ कला के स्तर में गहन परिवर्तन हुए और उन समस्त परिवर्तनों में यद्यपि कला के मूल तत्व शुद्ध रूप में विद्यमान रहें, तथापि उसके रूप और गति में अलौकिक परिवर्तन हो गये। रूचि में परिवर्तन आ गया और अभिरूचि परिष्कृत एवं उद्दात बन गयी। समय की गति के साथ यदि सत्य के स्वरूप पर यदा-कदा कही आवरण पड़ा हो तो उसका (धोना) प्रक्षालन कर कला शुद्ध सत्य की प्रतिष्ठा करने में तल्लीन हो गयी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. विधु कौशिक : कला चिन्तन- सौन्दर्यात्मक विवेचन
2. शुकदेव क्षेत्रिय : कला विचार
3. डॉ. हरद्वारी लाल शर्मा : सौन्दर्य शास्त्र
4. वाचस्पति गैराला : भारतीय चित्रकला
5. डॉ. गिर्राज किशोर अग्रवाल : कला और कलम
6. M.R. Anand : The Hindu view of Art
7. डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल : कला और संस्कृति
8. H. Zimmer : The Art of India Vol I
9. डॉ. लारेंस बिनयन : एशियाटिक आर्ट्स, स्कल्पचर एण्ड पेन्टिंग
10. एच0डी0 संकाल्या : प्रीहिस्टारिक आर्ट इन इण्डिया
11. मारगेट मैरिकडेनेक : इण्डियन आर्ट
12. प्रो0 रमेश शंकर गुप्ता एण्ड बी0डी0 महाजन : अजन्ता, एलोरा एण्ड औरंगाबाद केव्ज
13. डॉ. एस0बी0एल0 सक्सैनाडॉ. आनन्द लखटकिया :भारतीय चित्रकला का अर्न्तद्वन्द्व परम्परा और आधुनिकता
14. प्रो0 रणवीर सक्सैना : कला सौन्दर्य और समाज

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका

डॉ. सुनीला एक्का*

प्रस्तावना - यह सर्वविदित है कि महिलाएं परिवार, समाज व देश की प्रगति की नींव है। नीचे को सशक्त और मजबूत बनाए जाने पर ही सुदृढ़, विशाल एवं भव्य इमारत की कल्पना को साकार किया जा सकता।

किसी सभ्यता की आत्मा को समझने तथा उसकी उपलब्धियों एवं श्रेष्ठता का मूल्यांकन करने का सर्वोत्तम आधार उसमें स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना है। स्त्रियों की दशा किसी देश की संस्कृति का मानदण्ड मानी जाती है। समुदाय का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोंण अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक आधार रखता है। किसी भी देश के समग्र विकास के लिए महिला व पुरूष दोनों का समान गति एवं निर्बाध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है।

राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका :

1. महिलाएं समाज का अभिन्न अंग है। अत: सामाजिक व आर्थिक विकास की संकल्पना महिलाओं के विकास के बिना अधूरी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुये कहा था - **'यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: ही हो जायेगा।'**

2. भारतवर्ष की परम्परा तो नारी को शक्ति मानने की रही है। त्रेता युग में जगत नियंता शिव भी नारी के अभाव में जड़ बने रहते हैं। राम की रावण पर विजय भी शक्तिपूजा से ही संभव हो पाई थी। नारियों के प्रति उच्च सम्मान एवं श्रद्धा भावना के कारण ही भारतवासी सभ्य, सुसंसकृत, उदात्तमान-मूल्यों एवं मानवीय उच्चादशों से विभूषित थे और उनका चरित्र महान था। **'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता:'** की अवधारणा प्राचीन काल में विद्यमान थी और वास्तविकता में यहाँ देवत्व का निवास था और भारत विश्वगुरू कहलाता था।

3. मध्यकाल में भी अनेक महिलाओं ने समाज एवं राजनीति में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करायी। रजिया सुल्तान ने एक रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था के बीच शासन के शीर्ष पद को सुशोभित किया। उसने सुल्तान का पद धारण कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आगे चलकर रानी कर्णवती, रानी जोधाबाई, रानी दुर्गावती, रानी रूपमती, चांदबीबी, नूरजहां और उसकी माँ अस्मत बेगम, मुमताज महल, जहांआरा, रोशनआरा, जेबुन्निसा, शिवाजी की माँ जीजाबाई आदि ऐसी स्त्रियां थी, जिन्होंने अपने समय की राजनीति और समाज को प्रभावित किया। नूरजहां की माँ अस्मत ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। नूरजहां एवं मुमताज महल ने अनेक श्रृंगार प्रसाधनों एवं जेवरो में रूचिपूर्ण परिवर्तन किये थे। श्रृंगार प्रसाधनों, वेश-भूषा, युद्ध कौशल और राजनीति में समय-समय पर उनका सहयोग महत्वपूर्ण रहा। यह कहा जाता है कि मुगल बादशाहों की राजनीति पर बेगमों का प्रभाव बहुत अधिक था।

4. स्वतंत्रता से पूर्व, देश की अधिकांश महिलाएं विशेष तौर पर ग्रामीण गरीब महिलाएं निरक्षर, रूढ़िवादी एवं परम्परागत बंधनों में जकड़ी हुई थी। घर की चहारदीवारी तक सीमित महिलाएं अनेक प्रकार की कुरीतियों व कुप्रथाओं यथा-बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा व दहेज प्रथा का दंश झेल रही थी। समाज में विद्यमान महिला पुरूष, भेदभाव के कारण गरीब महिलाओं को विविध प्रकार के अत्याचार, अनाचार, तिरस्कार व उपेक्षा आदि का सामना करना पड़ता था। तमाम बाधाओं के बावजूद जब देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, उस समय महिलाएं भी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तन्मयता एवं दृढ़ता के साथ स्वतंत्रता नेनानियों की मदद कर रही थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला।

5. स्वतंत्रता संघर्ष के समय महिलाओं के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सरोजनी नायडू, मीरा बेन, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, अरूणा आसफ अली आदि ने आजादी की प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि की सक्रियता के पीछे उनकी पत्नियों की भूमिका कम नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह है कि मानवता की विकास यात्रा में नारी शक्ति का योगदान सर्वप्रमुख है।

6. स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्रियों में क्रांतिकारी बदलाव आया। आजादी के बाद राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि जब तक महिलाओं का विकास एवं उत्थान नहीं किया जाता और जब तक उनको पुरूषों के समान अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती, तब तक भारत का पूर्णरूपेण विकास संभव नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जाति अथवा लिंग के आधार पर राज्य नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। परिणामस्वरूप स्त्रियों ने उन समस्त राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की जो कि पहले केवल पुरूषों को प्राप्त थे। अब महिलाएं न केवल मतदान करती हैं बल्कि निर्वाचित होने का भी अधिकार रखती हैं। गांव की पंचायत से लेकर केन्द्र में संसद और राज्य में विधानसभा एवं विधान परिषद में उनका प्रतिनिधित्व बएता जा रहा है। आजकल राजनैतिक दलों में भी स्त्रियों की पर्याप्त भागीदारी हो रही है।

7. वर्तमान् समय में स्त्रियों की दशा में तीव्रता से परिवर्तन आ रहे हैं। वे पहले की तरह परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे सक्रियता से भाग ले रही हैं। उनमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता तथा राजनीतिक चेतना का पर्याप्त विकास हो रहा है। सरकार द्वारा निर्मित अनेक

* सहायक प्राध्यापक (राजनीतिशास्त्र) शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) भारत

कानूनों ने उनकी स्थिति को और सुदृढ़ बना दिया है। अब वे पूरी तरह पुरूषों पर निर्भर नहीं हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों, महिला संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर करने, उनके सम्मान व अधिकारों की रक्षा के लिए सराहनीय कार्य किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप महिलाएं अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर कार्य करने लगी हैं।

8. विश्वस्तर पर महिलाओं की 33 प्रतिशत संसदीय भागीदारी की अवधारणा 1995 में संयुक्त राष्ट्र की बीजिंग में हुई। चौथी विश्व महिला कांफ्रेंस में आयी। इसमें कहा गया कि प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कम से कम 33 प्रतिशत महिला भागीदारी होनी चाहिए। वर्तमान् में भारतीय संसद में लगभग 10 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है, जो उनके राजनीतिक सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। राजनीति के क्षेत्र में मायावती, जयललिता, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, वसुंधरा राजे आदि महिलाएं अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रियों और राजदूतों के रूप में अनेक महिलाओं ने अपार ख्याति और यश अर्जित की है। साथ ही देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं।

9. आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाएं अपनी सफलता का परचम लहरा रही है। देश के शीर्ष आर्थिक संस्थानों के शीर्ष पदों पर महिलाएं कार्यरत् हैं तथा देश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। वर्तमान् में देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरूंधति भट्टाचार्य हैं। इनके अलावा चंद्रा कोचर, नैनालाल किदवई, शिखा शर्मा, सावित्री जिंदल आदि अलग-अलग संस्थानों को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।

10. अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्र निर्माण में महिलाओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी है, जिसमें सिरिमाओ भण्डारनायके, मारग्रेट थैचर, एंजेला मार्केल, मिशेल बैचलेट आदि उल्लेखनीय हैं। खेल के क्षेत्रों में अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा, ली ना भारतीयों में साइना नेहवाल, अंजली भागवत, सानिया मिर्जा, रानी रामपाल, राही सरनोबत, मिताली राज, तिरूष कामिनी, हिना संधू, एम.सी. मैरीकाम, डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी आदि ने इस क्षेत्र में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दिया है।

11. किसी भी देश के विकास संबंधी सूचकांक को निर्धारित करने के लिए उद्योग, व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता, शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ-साथ उस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन् किया जाता है। नारी की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की द्योतक है। नि:संदेह महिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती है। इनकी उपेक्षा संभव नहीं है। आने वाले कल को स्वर्णिम बनाने के लिए आज की महिला को आगे बढ़-चढ़कर अपने हुनर का प्रदर्शन करना होगा।

वस्तुत: मलिलाएं समाज की रचनात्मक शक्ति होती है और यदि उनकी स्थिति समाज में उपेक्षित व कमजोर हो तो समाज यथेष्ट प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए महिलाओं के प्रति सामाजिक सोच में तेजी से सकारात्मक बदलाव लाये जाने की जरूरत है। नि:संदेह हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन यह प्रगति भी असंतुलित व एकांगी प्रतीत हो रही है। कारण, गांवों-शहरों एवं अमीरी-गरीबी के खांचों में बंटे भारतीय समाज में विकास के पैमाने खुद-ब-खुद अलग हो जाते हैं। इसलिए समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए तमाम सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर तेजी से काम करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. युगबोध राजनीति विज्ञान/एस.बी. कुमार, के.सी. सक्सेना/युगबोध प्रकाशन, रायपुर (छ.ग.) पृष्ठ 14, 15, 21, 28
2. राजनैतिक विज्ञान/जे. श्याम सुन्दरम्, सी.पी. शर्मा/राम प्रसाद संस/ पृष्ठ 9, 17
3. आधुनिक भारताचा इतिहास/डॉ. शान्ता कौठेकर/साँईनाथ प्रकाशन, नागपुर
4. दैनिक समाचार पत्र-पत्रिका दिनांक 10.03.2015

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

इन्दूर परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड इन्दौर के उपभोक्ताओं की समस्याएँ और समाधान का अध्ययन

निलेश सैनी * डॉ. एल.के. त्रिपाठी **

प्रस्तावना – बैंक चाहे राष्ट्रीयकृत सहकारी या जिला सहकारी बैंक हो उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक की योजनायो एवं कार्यप्रणाली की कमियों एवं कठिनाईयों को कितनी शीघ्रता से पहचान कर उन्हें दुर करने हेतु कितने उचित प्रयास किये जा रहे है। किसी भी बैंक के संचालन मे कई प्रकार की कमियाँ कठिनाईयाँ तथा समस्या कई प्रकार की हो सकती है। खासतौर पर सहकारी बैंको मे या जो बैंक स्वशासी हो उन्हें शीघ्र समस्याओं का पता लगाकर उसका निदान कर लेना चाहिये अन्यथा सहकारी समिति बैंक धीरे-धीरे डुबने की कगार पर जा कर खड़ी हो जाती हैं। या डुबने की कगार पर जा सकती है। कई सहकारी बैंक उचित क्रियान्वयन के अभाव में डुब तक जाती है। और आखिरकार उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाता हैं।

अत: शोध करने पर पता चला है इन्दूर परस्पर बैंक का इतिहास 111 वर्ष पुराना हैं पर फिर भी यहा कुछ समस्यायें जन्म ले रही है। जिनका निदान समय रहते करते जाना चाहियें हमारा उद्देश्य किसी बैंक या संस्था की कमी गिनाना नही हैं बल्कि बैंक कार्य प्रणाली मे जो समस्याये जन्म ले रही है या ले सकती है। उसके बारे मे बेहद विनम्रता पूर्ण बैंक को जानकारी प्रस्तुत करना है ताकि इन्दूर परस्पर बैंक इन समस्याओं को ध्यान मे लाते हुये ठोस कदम उठाये और अपनी आर्थिक स्थिति को आने वाले कई वर्षो -वर्ष अपनी शहर जिला समाज के सेवा के कार्य मे निरन्तर अपनी उपस्थिति दर्शाती रहे।

समस्याएं :

1. **शहरी क्षेत्र तक सिमित –** इन्दूर परस्पर बैंक का इतिहास 111 वर्ष पूराना हो इसकी प्राचीनता को देखते हुये बैंक के अपना कार्य आस-पास के जिले मे भी बढ़ाना चाहिये था जबकि बैंक इन्दौर जिले भी शहरी क्षैत्र तक ही सिमित होकर रह गई तथा पिछले 25 वर्षो से बैंक ने आपनी नई शाखा का शूभारम्भ नही किया है और बैंक इन्दौर शहर के पूर्वी क्षेत्र जिसे नवीन इन्दौर के नाम से जाना जाता है वहा भी अपना कार्य क्षेत्र नही पहुंचा पाया है जबकि व्यावसायिक द्रष्टि से एवं शहर की आधुनिकता की द्रष्टि एवं शहर का बड़े स्वरूप में परिवर्तन होने के बावजुद बैंक ने अपना दृष्टिकोण एवं दायरा सिमित कर रखा है जबकि इन्दौर कैसे आधुनिक एवं आत्मनिर्भर शहर मे बैंक को ओर ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने चाहिये।

2. **बैंक की कार्य प्रणाली में तकनिकी गुणवत्ता की जरूरत –** बैंक को अपनी कार्य प्रणाली कों आधुनिकता से जोडते हुए अधिक से अधिक तकनिकी सुविधा एवं गुणवत्ता ग्राहकों उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि वर्तमान समय आधुनिक हैं प्रत्येक व्यक्ति ई बैंकिग और मोबाईल बैंकिग का लाभ उठाना चाहता हैं अत: उसे बैंकिग लेन देन में घण्टों लाइन में खड़े रहना अब समय की बर्बादी करनें के समान लगता हैं वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वह तकनिकी साधनों का उपयोग करना चाहता हैं और तकनिकी सुविधाओं का भरपुर फायदा लेना चाहता हैं। यदि बैंक अपने कार्य प्रणाली में नवीनतम सुधार एवं गुणवत्ता सुधार में कमी रखती हैं तो यह ग्राहक अन्य राष्ट्रियकृत या निजी बैंक जों वर्तमान में सर्वसुविधा युक्त है उनकी और आकर्षित हो सकता हैं।

3. **अत्यधिक खानापूर्ति –** बैंक दवारा ग्रहकों से खाता खोलने या ऋण प्रदान करने में अत्यधिक खानापूर्ति करवाई जाती है। सामान्य क्रिया में पूर्व करने मे भी अधिक समय लगाया जाती है। और बार-बार कागजी कार्यवाही को पूर्व करने के लिये परेशान किया जाता है। अत्यधिक कागजी कार्यविधि से परेशान होकर बैंक ग्राहक बैक से अपना जुड़ाव नही कर पाता और अन्य बैक की ओर उनकी सुविधाओ को देखकर शीघ्र आकर्षित हो जाता हैं।

4. **मध्यम व निम्न वर्ग को ऋण सुविधाओं का उचित लाभ न मिल पाना –** इंदुर परस्पर सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धान्त पर आधारित हैं जिसका प्रमुख लक्ष्य मध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों कि सहायता कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकें यहि सहकारिता का प्रमुख धैय्य हैं परन्तु यह देखने को मिलता हैं कि बैंक अत्यधिक लाभ की चेष्टा में लक्ष्य भुलकर निजीकृत बैंक की तरह कार्य प्रणाली को अपना लेती हैं जबकी बैंक कों सिमित लाभ के साथ मध्यम व निम्न वर्गीय परिवारों के हितों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए।

5. **दृष्टिकोण की सिमितता –** बैंक ने अपना व्यावसायिक द्रष्टिकोण सिमित कर रखा है जबकि बैकिंग प्रणाली मे बैक द्धारा अपना कार्य व्यवहार आर्थिक रूप से जितना अधिक बढ़ाया जायेगा उतना अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता मे वृध्दि होगी और बैंक को भी आर्थिक रूप से उन्नत होने मे व अपनी स्थिति को सुद्दढ बनाये रखने मे मदद मिलेगी इसके लिये जरूरी है कि बैंक अपना दृष्टिकोण व्यापक स्तर पर बढ़ाये ताकि भविष्य में भी तटस्थ्ता के साथ बैंक अपने वित्तीय व्यवहारों का संचालन सफलता पुर्वक कर सके।

6. **जौखिम लेने मे या सार्थक निर्णय की कमी –** कभी-कभी बैंक को अपना क्षैत्र प्यापक करने के लिये जोखिम उठाना पड़ता है। आर्थिक जोखिम उठाना भी बैंकिग व्यवस्था का एक हिस्सा होता हैं ऋण प्रदान करने एवं मे व बैंक को अपनी सम्पति व धन का विनियोग व्यापक स्तर का नही किया जाता हो इससे लाभांश कम प्रतिशत पर प्राप्त हो सके एवं समझतें।

7. **साहसिक निर्णय न ले पाना –** बैंक के पास की पूजी होने के

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोध निर्देशक (अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

बावजुद नवीन योजनाओं के क्रियान्वन, नवीन तकनीकों का प्रयोग एवं नये युवाओं की भर्ती प्रक्रिया जैसे कार्यो हेतु संचालन मण्डल व अधिकारियों मे साहसिक निर्णय लेने की क्षमता की कमी दिखाई देती है बैक केवल खाता धारको एवं ग्राहको की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखती है जबकि खाताधारको एवं ग्राहको से प्राप्त पूँजी एवं ब्याज को पून: नवीन फन्ड मे विनियोजित कर आत्यधिक लाभ प्राप्त करने मे असमर्थता प्रकट करती है।

8. पुस्तकालय की जानकारी का अभाव – बैंक का स्वयं का 50000 हजार पुस्तकों का ग्रथांलय सभासदों के बच्चों खाताधारकों के बच्चों के लिए खोला गया था। परन्तु सदस्यों से जानकारी के आधार पर यह ज्ञात हुआ हैं की उन्हें बैंक कि पुस्तकालय की जानकारी नहीं हैं अत: वह अपने बच्चों को इस ग्रथांलय का लाभ नहीं दिला पायें हैं अत: उन्हें मेरे शोध के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हुई की बैंक का स्वयं का शैक्षणिक पुस्तकों का विधार्थियों के लिए पुस्तकालय भी हैं।

9. शिकायतो व समस्याओ को नजरअंदाज करना – बैंक के ग्राहको को कई बार अपनी छोटी–छोटी समस्याओं के निदान के लिये भी कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड जाते है। जिस समस्या का समाधान तुंरत या तत्काल किया जा सकता है उन समस्याओं के निदान के लिये भी कई दिनो तक चक्कर लगाने पड़ जाते है कई बार तो शिकायतो पर ध्यान ही नही दिया जाता है। शिकायतो व समस्याओ को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

10. बैंक कर्मियों का बैंकिग कार्य मे अत्यधिक समय लेना – बैंक कर्मियों द्वारा बैंकिंग लेन–देन के व्यवहारों मे ग्राहको का काफी समय लिया जाता है। उन्हें काफी समय तक लाईन मे खड़े रहकर अपनी बारी की प्रतिक्षा करना पड़ती है। नगद चेक भुगतान प्रक्रिया को लम्बा कर रखा हैं चेक भुगतान सीधे न करते हुए अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर हेतु प्रक्रिया को बिना वजह बढा रखा हैं जबकी 50 हजार तक के चेक भुगतान सिधे तौर पर ही कर दिया जाना चाहिए। जिसे कि ग्राहकों को असुविधा ना हों।

11. ऋण प्राप्ति मे खानापूर्ति के बावजुद महीनो इन्तजार। ऋण सम्बधित प्रकिया हेतु कागजी कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर आवेदन कर्ता के प्रकरण को आगामी माह की संचालनमण्डल की मिटिंग मे प्रकरण प्रस्तुत किया जाता हो और फिर उस प्रकरण पर विचार किया जाता है यदि संचालक मण्डल द्वारा उस पर आपत्ति ली जाती हैं और संसोधन कर प्रकरण को पुन: अगले माह की मिटिंग में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं अगली मिटिंग मे भी यदि कोई कमी या त्रुटि रह जाती है तो प्रकरण को पून: आगामी मिंटिग तक के लिया बढ़ा दिया जाता है।

12. पुंजी सदस्यों का नियंत्रण – बैंक के प्रमुख स्तम्भों में से एक स्तम्भ उसका पुँजी सदस्य होता है यह बैंक के मुलभुत आधारों में से एक है यह बैंक का पुंजी सदस्य होता है जो अपनी पुंजी बैंक के अंश खरीदने में उपयोग करता हें और वह उसका अंश धारक कहलाता हैं और इसी तरह के अंश धारकों द्वारा बैंक का निर्माण होता हैं और इनकी पुंजी के द्वारा भी बैंक को अपने आर्थिक एवं वित्तीय लेन देन के कार्य को संचालित करते रहने में मदद मिलती हैं अंशधारकों से भी बैक का अस्तित्व होता है परन्तु अंशधारकों द्वारा दिये गये सुझावों का एवं दिशा निदेर्शो का पालन नहीं किया जाता हैं कभी कभी तो वार्षिक साधारण सभा की जानकारी भी उन्हें नहीं मालुम होती हैं। और ना ही उन्हें बैंक की साधारण सभा में आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण दिया जाता हैं।

13. कर्मचारियों के व्यवहार मे लोचशीलता की कमी – कर्मचारियों दवारा खाताधारक एवं ग्राहकों के साथ व्यवहार में कठोरता दिखाई दे जाती है। कभी–कभी स्वंय धारक के वह उपस्थित होने पर भी हस्ताक्षर त्रुटि को या दिनांक त्रुटि को अमान्य कर दिया जाता है बल्कि व्यक्ति स्वयं यदि वह उपस्थित होने पर भी हस्ताक्षर और अपनी पहचान प्रस्तुत कर देने पर भी उसके साथ व्यवहार में कठोरता दिखाई जाती हैं एवं व्यवहार में उचित लोचशीलता न दिखाते हुये कार्य को पूर्ण नही किया जाता है।

14. अन्य बैंको के चेक ट्रासफर मे समय लगाना – बैंक कर्मचारियो द्वारा अन्य बैंकों के खातों से चेंक के द्वारा रकम ट्रासफर मे दो–तीन दिन का समय लगाया जाता है। जबकि अन्य बैंकों की तरह चेक ट्रांसफर 24 घंटे के अन्दर नही होते है जबकी चेंकों ड्राप बॉक्स से सही समय पर नही निकाला जाता है। इस असुविधा के कारण खाताधारकों को कभी कभी पैनल्टी का भुगतान भी करना पडता हैं जबकि ट्रांसर्फेवल आटोंमशीन द्ववारा अपनी बैक में ही कर्मचारी द्ववारा ट्रांसफर चाहे तो शीघ्र 24 घंटे के अन्दर किया जा सकता है।

समास्याओं के समाधान हेंतु सुझाव – जहाँ समस्याओं का जन्म होता है वह उसके समाधान हेतु भी कई अवसर भी जन्म लेते है। बैंक संचालन में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का समय–समय पर सामना करते हुये इन्हें परास्त करते रहना चाहिये ताकि समस्याएं अपना स्थान ना बना सके और समस्याओं को यदि जगह मिल जाती है तो यह दीमक की तरह धींरे–धींरे व्यवस्थाओं पर प्रहार करना शुरू कर देती है। बैंकिग व्यवस्था मे भी यदि समस्या रूपी दीमक का जन्म होता है तो इसे शीघ्र खत्म किया जाना चाहिये अन्यथा धींरे–धींरे यह आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। और लापरवाही या गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया बैंक के वर्चस्व पर खतरा पैदा कर सकता है। ग्राहको की शिकायत एंव समाधान की बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये उन्हे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये हो सकता है उससे बैंक को फायदा हो।

शहर के नवीनतम क्षेत्रों में नवीनतम शाखाओं का शुभारंभ – सहकारिता के क्षेत्र में शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर अपनी अलग पहचान बना चुकी इन्दूर परस्पर सहकारी बैंक के संचालक मण्डल, अधिकारियों, एवं सभासदों को यह विचार करना चाहिए कि प्रगति की ओर बढ़ते हुए इन्दौर का चौतरफा विकास इस शहर की पहचान बन चुका है। आज इन्दौर शहर का पूर्वी क्षेत्र जिसे माल, होटल व्यवसाय, मल्टीफ्लेक्सों के कारण नये इन्दौर के नाम से पहचाना जाने लगा शहर के उस क्षैत्र को सुपर कॉरिडोर, मेट्रो ट्रेन, के कारण नये शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसे में बैंक को अपनी नवीन शाखा का शुभारंभ उस क्षेत्र में शीघ्र करना चाहिए। अन्य सहकारी एवं ग्रमीण बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं का वहाँ शुभांरभ कर दिया हैं। जबकी राष्ट्रियकृत एवं निजी बैंकों की इतनी शाखाए वहाँ मौजुद हैं कि उस क्षैत्र को एजुकेशन हब के साथ बैंकिग हब भी कहा जाता हैं।

नए रोजगार अवसर प्रदान करना/नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो – बैंक का 111 वर्ष का इतिहास है में लेकिन सन् 1992 के बाद नवीन भर्ती प्रक्रिया नही हो पायी हैं पिछले कई वर्षो से नई भर्ती के अभाव के कारण कर्मचारियों की कमी बैंक की श्शाखाओं में दिखाई देती हैं बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों सेवानिवृत्त (रिटायरमेंट) हो गये परन्तु उनके स्थान पर नये कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया ही नही हुई। पिछले 27 वर्षो से यह नियुक्ति प्रक्रिया नई भर्ती के लिए नहीं की गई है जबकि बैंक के पास अपनी आंतरिक व्यवस्था के संचालन हेतु पर्याप्त पुँजी हैं। जो कि बैंक के संचालन मण्डल एवं अधिकारियों की सोच व विचार क्षमता पर प्रश्न खड़ा करती है।जबकि बैंक द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया का आंरभ किया जाना चाहिए।

नई भर्ती करके वर्तमान समय के शिक्षित युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि ये वर्तमान समय के तकनिकी ज्ञान से ज्यादा परिचित हैं। जिससे की बैंक की कार्यशैली में शीघ्रता के साथ साथ बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेगे तथा बैंक की कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी और बैंक की ख्याति को लाभ मिलेगा।

बैंक कर्मियों का व्यवहार – बैंककर्मियों का व्यवहार सभी ग्राहकों एवं खाताधारकों के साथ मृदुभाषी एवं सरलतापूर्ण होना चाहिए। सामाजिक दृष्टि के आधार पर किसी को अत्यधिक महत्व देना व किसी की बात को सुनकर अनसुना कर देना यह नहीं होना चाहिए क्योंकि बैंक का ग्राहक ही बैंक का मुल आधार होता हैं। अत: इनकी सेवा, मदद, एवं समस्या के निदान के लिए ही बैंक ने कर्मचारियों को नियुक्त किया है। ग्राहकों की बातों को अनदेखा करना या अनसुना करना कर्मचारी व अधिकारी के दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता हैं हमारी बैंक की आर्थिक स्थिति को 111 वर्षो से जो मजबूती प्रदान हुई है वह इन ग्राहकों का बैंक के प्रति विश्वास की ही देन है। इसलिए कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए।

सदैव सेवा का भाव रखना – सहकारिता का धर्म ही सहकार्य करना है अर्थात् एक-दूसरे की मदद करना, इसी बात को आधार मानकर सरकार एवं समाजिक संस्थाओं द्धारा सहकारी तंत्र का निर्माण किया जाता है। बैंककर्मी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह ग्राहकों या खाताधारकों पर कोई अहसान कर रहे है उन्हें सदैव मन में सेवा का भाव रखना चाहिए और ग्राहकों के कार्यो को शीघ्र निपटाना चाहिए क्योंकि ग्राहको से ही बैंक का अस्तित्व है। ग्राहकों की सेवा ही बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, केन्द्रीय बैंक हो, जिला बैंक हो, को-आपरेटिव बैंक हो या सहकारी बैंक हो सभी का लक्ष्य व उद्देश्य मात्र केवल ग्राहकों की सेवा कर उनको संतुष्ट प्रदान करना होता है।

संप्रेक्षण क्षमता – बैंक कर्मचारियों एवं ग्राहकों के मध्य उचित संवाद का प्रवाह होना चाहिए। संवाद ऐसा होना चाहिए जो कि निहित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक कर्मचारियों को बैंक के ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली समस्त सूचनाओं की पूर्ण जानकारी हो। एवं उन्हें ठीक से सम्प्रेषण करने की (पहुंचाने की क्षमता हो) अर्थात वहां ग्राहकों को किसी ऋण सुविधा जमा योजना या अन्य कोई बात हो जो उन्हे बेहतर ढंग एवं उचित तरीके से समझा सके। जरूरत पड़ने पर ग्राहक अधिकारी व संचालन मण्डल से यदि अपनी बात करना चाहे या बात रखना चाहे तो उनकी मुलाकात करवाना चाहिए या उचित माध्यम से उनकी बात उच्च पदस्थ अधिकारियों एवं संचालक मण्डल तक पहुचाई जाये।

समय बद्धता – आज के युग में सबसे कीमती बहुमूल्य कोई चीज है तो वह है समय। अकसर बैंक कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं होते है तथा अपने ग्राहकों को काउन्टर पर इंतजार करवाते है और वह वर्किंग समय (कार्यालयीन समय) पर इधर-उधर अन्य कर्मियों से गप्पे लगाते रहते है तथा स्वयं का समय बर्बाद करने के साथ साथ अपने दूसरे सहकर्मियों एवं बैंक ग्राहकों का समय भी बर्बाद करते है। कई बार जीवन की आपाधापी में किसी कार्य को आवश्यकता होने पर जल्दी भी रहती है

जबकि आम नागरिक के जीवन में ऋण किश्त, बैंक ड्राफ्ट, चेंक भुगतान, जैसे कार्यो को पुरा करने हेतु को कभी-कभी अन्तिम तिथि के दिन ही भी अपनी व्यवस्था कर पाता है। अत: आवश्यक समय पर बैंक कर्मचारियों द्धारा शीघ्र ही उनका कार्य कर देना चाहिए। जिससे यह पैनल्टी या अन्य समस्या से बच सके। जबकि ये ध्यान रखना चाहिए कि जिन्हें हम प्रतीक्षा करवा रहे है इन्हीं की सेवा के लिए हमें यह नियुक्ति दी गई है और इनकी सेवा के मूल्य के रूप में जो मासिक वेतन हमें प्राप्त होता है उससे हमारा परिवार और हमारा जीवन यापन होता है।

ग्राहकों की समस्याओं का अति शीघ्र निदान हो – बैंक के ग्राहक यदि कोई समस्या या सूचना प्राप्त करने हेतु संबंधित विषय की जानकारी के लिए आए तो उनसे सीधे संवाद करके उसकी समस्या का तुरंत निदान किया जाना चाहिए। यह नहीं कि उसे यह कह कर टाल दिया जाए कि यह मेरे से संबंधित जानकारी नहीं है, जो जानकारी देंगे वह छुट्टी पर है कल आएंगे या वह जब आए तब आकर बात करना। यदि जानकारी किसी से भी संबंधित हो उसे तुरंत समयावधि में पुरा किया जाना चाहिए यह नहीं कि उसकी बातों को ध्यान से सुना ही नही जाये। क्योंकि टालमटोल हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनता जा रहा है और इस रवैया को बैंकिंग प्रणाली मै ना लागू होने दिया जाए क्योंकि बैंक ही एक ऐसी संस्था है जिसमें समाज के देश के हर जाति, धर्म, व वर्ग के नागरिको का जुडाव सदा बना रहता हैं।

नई तकनीकी का प्रयोग – बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्धारा नई-नई तकनीक एवं योजनाओं से परिचित होना चाहिए बैंक के कार्यो में भी नवीन तकनिकि प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। नए-नए वेब डिजाइन, नोटिस बोर्ड, स्क्रीन, कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था का उचित प्रयोग शुरू किया जाना चाहिए तथा वर्तमान में स्टेटमेंट या पासबुक की इंट्री भी बैंक के अंदर कंप्यूटराइज्ड मशीन के द्धारा ही जाना चाहिए जिससे कि ग्राहक का लाइन में खडे रहने की असुविधा से बच सके एवं कर्मचारी कें भी समय का सद्उपयोग अन्य कार्यो में किया जा सके।

मार्केटिंग बैंक की नवीन योजना – राष्ट्रीय कृत बैंकों के प्रचलन के आगे सहकारी बैंकों एवं जिला बैंकों का प्रभाव कम नजर आता है जबकि इनका कार्य संचालन एवं व्यवस्था आरबीआई के नियमों के मुताबिक सहकारिता अधिनियम 1960 के अंतर्गत ही किया जाता है लेकिन ये बैंक के अपनी प्रचार-प्रसार की कमजोर योजनाएं एवं व्यवस्थाओं के कारण अत्यधिक प्रभावपूर्ण तरिके से आम नागरिकों तक अपनी पहुँच नहीं बना पाते हैं तथा आम नागरिकों इनके कार्य संचालन की जानकारी नहीं होती है जबकि सहकारिता, जिला, एवं केंद्रीय सहकारी बैंके भी प्रदेश व देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह ही अपना संचालन कर रही है। तथा सहकारी बैंकों को ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु मार्केटिंग के नये अवसरों को खोजना चाहिए जिससे की राष्ट्रियकृत बैंकों के तरह ही अपनी पहचान बना सके।

जवाबदारी व जिम्मेदारी का अहसास – इंदूर परस्पर बैंक को नये औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ाव कर बैंक को अपने कार्य का प्रसार करना चाहिए और इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र के अलावा इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में अपनी शाखा खोलना चाहिए व उद्योग एवं उद्योगपतियों को अपनी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना चाहिए जिससे बैंक के आर्थिक लाभ के साथ बैंक की आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ाया जा सके। आर्थिक लाभ बढ़ने से समाज के अन्य लोगों को ऋण एवं वित्तीय संसाधनों के अवसरों में बढोत्तरी होगी एवं बैंक के कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी बैंक के लिए नवीनतम क्षैत्रो से लाभ प्राप्त करने का मार्ग खुल जाएगा इसलिए भविष्य में अपनी वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु बैंक का औद्योगिक एवं प्रगतिशील क्षेत्र से जुड़ाव अति आवश्यक है।

आवश्यक सूचनाओं की जानकारी – बैंक से संबंधित आम जानकारी, साधारण सभा की जानकारी, कर्मचारियों की जानकारी, सभासदों की जानकारी, वित्तीय जानकारी, आरबीआई की नियम शर्तो की जानकारी

बैंक ब्याज दर बैंक की जमा पुँजी ब्याजदर सभी आवश्यक जानकारी सुचना पटल पर मिलती रहे ताकि ग्राहकों को इधर-उधर भटकना ना पड़े इसके साथ साथ बैंक की वेबसाईट को भी समय समय पर अपडेट्स करते रहना चाहिए या वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक बोर्डो का उपयोग बैंक में जानकारी देने हेतु किया जाना चाहिए ।

निष्पक्षता – बैंक अधिकारियों एवं संचालन मंड़ल द्धारा प्राप्त आवेदन में पूर्ण निष्पक्षता के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए किसी के साथ पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए ना ही परिवारवाद रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए और जो योग्य व्यक्ति है उन्हें सुविधा से वंचित न रखा जाए और ना ही किसी दबाव में आकर अयोग्य व्यक्ति को सुविधा का लाभ दिया जाए कभी भी गलत कार्यो और नियमों को प्रोत्साहित नही किया जाए। बैंक की निष्पक्षता पर किसी भी तरह के सवाल खड़े हो ऐसा कोई भी कार्य केवल किसी के व्यक्तिगत हित में नहीं करना चाहिए बैंक एवं ग्राहकों दोनों के हितों का ध्यान रखते हुए निष्पक्ष भाव से कार्य करना चाहिए।

नेटवर्किंग व्यवस्था का शुभारंभ – खाता धारको के लिए को नेटवर्किंग बैंक व्यवस्था का शुभारंभ किया जाना चाहिए जिससे खाता धारको को जरूरत पड़ने पर घर बैठे ही अपने मोबाइल पर अपना पैसों का लेनदेन करने की सहूलियत हो और उनका बैंक तक आने-जाने के समय की बचत हो एवं शीघ्रता से किसी भी समय किसी भी जगह शहर के बाहर या प्रदेश के बाहर रहने पर भी अपना लेन-देन का कार्य मिनटों में कर सके एवं अत्यधिक राशि को अपने पास बिना रखे ही केवल नेटवर्किंग व्यवस्था से लाखों का लेन देन और बिलों का भुगतान श्शीघ्रता से किया जा सके।

ऋण पर्याप्तता – खाताधारकों एवं ग्राहकों कि पुँजी और बचत को बैंक अपने पास जमा करती है फिर उसी बचत और पूंजी को बैंक निश्चित ब्याज दर पर ऋण के रूप मे अन्य लोगों को पर प्रदान करती है इस ऋण से प्राप्त ब्याज बैंक की इनकम का सबसे प्रमुख स्त्रोत होता है क्योंकि उस से प्राप्त होने वाले ब्याज से बैंक को आय प्राप्त होती है और इस प्रकार से पुन: ऋण की व्यवस्था की जाती है। अत: पूंजी से पूंजी या कहें ब्याज से पूंजी ब्याज का निर्माण किया जाता है इसी पूंजी से बैंक अपना कार्य संचालन करती है और अपनी मुख्य शाखा एवं पांच और शाखाओं का संचालन करती है तथा वहां कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एवं उसे सुविधाएं प्रदान करती है ताकि वह अपने पारिवारिक मूल्यों का निर्वहन कर सके।

सहकारिता एवं कार्यों में योगदान – बैंक को में प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि सामाजिक कार्यों, पुण्य कार्यो, गरीब स्तर के बच्चों को शिक्षित करने, गरीब कन्या विवाह, जैसे कार्यों मे सहयोग राशि के रूप में देना चाहिए क्योंकि 111 वर्ष पुर्व गरीब कन्या के विवाह हेतु ही सर्वप्रथम इस बैंक कों शुरू करने का विचार रूपी बीज उत्पन हुआ ।जिसके कारण इस बैंक की नींव रखी गई है में इस प्रकार के सेवा पुण्य कार्यो से वर्षो वर्ष तक बैंक का नाम एवं ख्याति पिछले 111 वर्षो की तरह लगातार बढ़ती रहें जिससे कि अन्य सामाजिक एवं सहकारी संस्थाऐं भी ऐसे पुण्य एवं परोपकार के कार्य करने हेतु प्रेरित हो सके।

निष्कर्ष – यदि नीयत ठीक है और कार्य-संस्कृति में विश्वास है तो विकास और प्रगति के लिए सहकारिता से बेहतर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आर्थिक ही नहीं, सामाजिक बदलाव का पथ भी इससे प्रशस्त होता है। इधार सहकारी साख संस्थाओं पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध आवाजें उठरही हैं। कहा जा रहा है कि सहकारी संस्थाओं में शासकीय हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। लेकिन संस्थाओं और समाज में हर तरह के लोगहै। कुछ सहकारी संस्थाओं और पंचायतों में अनियमितता के मामले सामने आते रहते हैं। उनके मद्देनजर एक सीमा तक नियंत्रण आवश्यक प्रतीत होता है। बेलगाम हो जाने पर गैरजिम्मेदार लोगों के लिए मनमानी के अवसर बढ़ सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Law Related to Domestic violence, enforcement and limits: special reference to Baghelkhand Region

Lok Narayan Mishra *

Introduction - Atrocities committed by relatives and relatives of women within the boundary wall are classified as domestic violence which includes economic violence, social violence, physical violence etc. The Prevention of Domestic Violence Act 2005 aims to provide "more effective protection of the rights guaranteed under the Constitution to women victims of any form of violence within the family". The Act came into force on 26 October 2006 for the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Such crime is committed by persons under kinship. "Domestic kinship" means kinship between two persons who live together or have lived together in a shared household, at a time when they are together, by marriage, or Marriages are related by any kinship to the nature of adoption or are members of a clan living together as an undivided family.

According to the above the definition of domestic violence is detailed and usually any such incident occurs which is included in the above paribhasa, for this reason, this study is proposed to study the legal provisions related to detection and prevention of domestic violence situation against women in Baghelkhand region.

Statement of the Research Problem - The social and cultural environment of Baghelkhand region has been patriarchal, where women have very limited rights over men. Here even today, women are financially and socially dependent on men. As a result, women face a variety of problems. And it has been seen in abundance that the information regarding protection of women from domestic violence in the general public is either nominal, or not available at all. Most women, despite being victims of domestic violence, do not complain to the competent authority and continue to be victims of violence. No significant research on this subject has been done so far in the Baghelkhand region, on which there is a significant need for study.

Hypothesis :

1. Large-scale crime of domestic violence against women occurs in Baghelkhand region
2. The main cause of domestic violence against women in Baghelkhand region is lack of knowledge of the relevant law and apathy of enforcement agencies.

Defination of domestic violence -

Domestic Violence under Section 3 of the Act as defined in the Act -

Section 3. Definition of domestic violence - For the purposes of this Act, any act, omission or doing or conduct of the respondent shall constitute domestic violence if it, -

(A) abducts, or causes harm to, or endangers the health, safety, life, limb of the aggrieved person or whether his mental or physical well-being or he has a tendency to do so and that includes physical abuse, Sexual abuse, verbal and emotional abuse, and economic abuse also have to be done; or

(B) Harasses or abducts or harms the aggrieved person with a view to harassing him or any other person related to him for meeting any lawful demand for any dowry or other property or valuable security. Or endangers; or

(C) has effect of intimidation on the aggrieved person or any person related to him by any conduct described in clause (a) or clause (b); or

(D) otherwise harms or harasses the aggrieved person, whether physical or mental.

Explanation 1 - For the purposes of this section, -

(i) "Physical abuse" means any act or conduct which is of such nature as to cause physical distress, abduction or threat to life, limb or health of the aggrieved person or it would cause his health or development to deteriorate. And includes assault, criminal intimidation and criminal force;

(ii) "sexual abuse" means any conduct of a sexual nature that abuses, insults, scorns or otherwise encroaches on the dignity of the woman;

(iii) "oral and emotional abuse" includes, -

(A) insult, ridicule, reproach, and especially insult or ridicule in relation to the absence of a child or male child; And

(B) Continuing threats to cause physical pain to a person in whom the aggrieved person is interested;

(iv) The following are under economic misuse, -

(A) All or any of the economic or financial resources to which the aggrieved person is entitled, under any law or custom, whether payable or otherwise payable under any order of any court or whose aggrieved person for any need under which the aggrieved There are also domestic requirements for the individual and his or her children, if any, including

*Assistant Professor, Govt. Law College, Rewa (M.P.) INDIA

but not limited to, property, property jointly or severally owned by the aggrieved person, payment of rent related to the common household and its maintenance. To deprive;

(B) Disposal of household goods, assets whether movable or immovable, any other contamination of valuables, shares, securities, bonds and the like or other property in which the aggrieved person has an interest or on the basis of domestic kinship Is entitled to their use or as reasonably expected by the aggrieved person or his children, or any other property held jointly or severally by his wife or aggrieved person; And

(C) Prohibition or restriction for continued access to resources or facilities to which an aggrieved person is entitled to use or consume on the basis of domestic kinship, including access to a shared household.

Explanation 2 - For the purpose of determining whether any act, omission or doing or conduct of the respondent constitutes "domestic violence" under this section, the entire facts and circumstances of the case will be considered.

According to the above the definition of domestic violence is detailed and usually any such incident occurs which is included in the above paribhasa. For this reason, this study is proposed to study the legal provisions related to detection and prevention of domestic violence situation against women in Baghelkhand region**.**

Important Case Related to Domestic violence

Sr Batra v. Smt. Taruna Batra - In this case, the Hon'ble Supreme Court defined the term Shared Householder. According to the Court, Shared Household means a house which is a husband's enjoyment property or is rented from husband's money to some extent a joint property Holding by a joint family can also be included in the definition of a shared household but where the property is wholly the mother's or any other relative, it cannot be included in the definition of a shared householder in Section 2S of the Act. Shared householder can be interpreted accordingly.

D. Veluswamy v. D. Muddy - The Hon'ble Supreme Court has given a broad interpretation under the definition of aggrieved person in view of the present situation, which may include such persons who are living in a live in relationship. On the basis of which it can be decided whether it comes under the definition of a victim under the Act.

1. Both parties should behave as husband and wife and are identified as husband and wife in front of society
2. They should be of legal legal age of marriage
3. They should be eligible to enter into marriage. Neither partner should have a spouse at the time of entering into the relationship.
4. Answer: They should have voluntarily cohabitated for a significant period of time
5. They must have been together in a shared house

The court found that in cities, women and men reside in your behavior as husband and wife and society also sees them in the same way, so domestic violence is sufficient for the formation and protection of crime.

Lalitha Toppo v. State of Jharkhand and Ar. - The definition of the victim was elaborated by the Hon'ble Supreme Court and the partner was told that under the Prevention of Domestic Violence Act or Criminal Procedure Code, the victim seeking maintenance is entitled to take shelter of the court for the management of her rights Even if he is not lawfully married, living together and behaving like a husband and wife only proves that the relationship between them attracts the Act.

Social survey in relation to domestic violence - A social survey was conducted by the researcher to ascertain the status of domestic violence and change in achievements against women in the Baghelkhand region, which included 4 classes of women, first working woman, second – house wife , third woman residing in remote area , fourth -Girls studying.

The questionnaire was created by the researcher for the survey and according to the ratio, the survey was conducted through questionnaires and schedules among women of all four categories. During the survey, the following questions were asked

First - Did domestic violence crime Has happened with you?

Second- Do you know the law made against domestic violence?

Third- Have you ever complained about domestic violence?

Fourth - In case of complaint of domestic violence, were you provided appropriate assistance

After analyzing the data received from women of each category, the conclusion of each question is as follows-

First question- In relation to this question, about 70% of the women admitted that they are treated with domestic violence as described in the Act. The maximum number of these women are from tribal women located in remote areas and the least number of working women. Even the female students feel that the crime of domestic violence is not committed in domestic relations with them, even if it is mentally.

Second question- In this regard, whether women are aware of the provisions of the Prevention of Domestic Violence Act, there are amazing results on this subject, here about 80% of the women believe that why the information related to the law in addition to the same ethical practices is almost absent The highest number of remotely located women and duodenal women are also.

Third question - whether the women have complained about domestic violence by the competent authorities, the answer was very disappointing and about 95% of the women believe that they never complained and the remaining 5% of the women who are working women related it. Complaint is made before police station or competent jurisdiction

Fourth Question - In response to this question, only 1% of the women believe that cognizance of their complaint has been taken legally and the result has been relatively.

Conclusion - From the observation of the above study legal provisions and as a result of social survey, it comes

out that even though the methods for the protection of women have been created in the present time, the situation remains the same today. Most of the women have no knowledge about domestic violence, they consider the injustice done to them as a normal process and consider the rights of the family members whom they neither complain before the competent jurisdiction nor any such action. Governance is conducted by the administration so that such victimized women can get justice. Today, while we are preparing to celebrate the 75th year of our freedom, poets have to find us behind this pathetic condition of women and try for concrete measures. We have to do that only then we will be able to provide justice to half the population.

Suggestion - According to the above the researcher presents the following suggestions based on the research paper

First- the methods related to women protection should be widely publicized.

Second- In the academic curriculum, lessons should be included regarding the rights of women and atrocities against them.

Thirdly- such arrangement should be made at the administrative level that immediate action should be ensured on the information about atrocities in relation to women.

Fourth- make the officials aware of the laws related to women, administrative officers and employees engaged in security system

V - Public awareness campaign should be conducted through various means of publicity.

References:-

1. Domestic Violence Prevention Act 2005
2. Various decisions of Honorable Supreme Court
3. Sr Batra v. Smt. Taruna Batra Appeal (civil) 5837 of 2006
4. D. Veluswamy v. D. Muddy CRIMINAL APPEAL NOS. 2028-2029__OF 2010
5. Lalitha Toppo v. State of Jharkhand and Ar.

****

शिवानी के उपन्यासों में स्त्री चेतना व विमर्श : कालिंदी के विशेष संदर्भ में

नवीता मीना *

प्रस्तावना – भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में नारी की भूमिका का भी विशेष महत्व रहा है। आदिकाल से लेकर आज तक स्त्री द्वारा किए गए सहभागिता, त्याग और बलिदान को समय-समय पर देखा जा सकता है। प्राचीन काल में नारी के प्रति सदैव ही सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाया जाता था परंतु धीरे-धीरे उनकी स्थिति हाशिए पर चली गई एवं वे पितृसत्तात्मक सत्ता के दोषों का शिकार होती चली गई। समय के साथ धीरे-धीरे नारी के साथ दासी जैसा व्यवहार किया जाने लगा। कभी वह पुरुषों की प्रेरणा संगिनी बनी तो कभी उसका मूल्य खिलौनों से अधिक नहीं माना गया। वर्तमान समय में नारी चेतना एवं विमर्श के साथ ही स्त्रियों ने पुरुष की भूमिका व छवियों को निरंतर चुनौती दी है। नारी जीवन के परिवर्तनों ने साहित्यकारों को भी प्रभावित किया। स्त्री की पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक भूमिका को लेकर विभिन्न साहित्यकारों ने रोचक एवं जीवंत पात्रों के माध्यम से स्त्री विमर्श और चेतना को मुखर करने का प्रयास किया है।

'स्त्री विमर्श एवं चेतना रूढ़ हो चुकी मान्यताओं के प्रति असंतोष एवं उनसे मुक्ति का स्वर है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नेतृत्व मापदंडों के आधार पर निर्मित है जहां पुरुषों को सदैव ही स्त्रियों से अधिक महत्व दिया जाता है। स्त्री विमर्श इस दोहरे मापदंड के साथ ही मूल्यों एवं अंतर्विरोध को समझने एवं पहचानने की गहरी अंतर्दृष्टि है।' आज संपूर्ण साहित्य के केंद्र में नारी जीवन है। साहित्य व नारी जीवन का अन्योन्याश्रित संबंध है। आधुनिक उपन्यास साहित्य में नारी चेतना व विमर्श विशद् रूप से परिलक्षित हो रहा है। 'आज का हिंदी उपन्यास संघर्षोन्मुख हो उठा है। वर्तमान मध्यम वर्ग के संघर्ष की स्पष्ट छाया उसमें प्रतिबिंबित हुई है। इधर अनेक स्त्री लेखिकाएं भी उपन्यास लेखन की ओर प्रवृत हुई है। पहले खेमें की उपन्यास लेखिकाओं में शिवरानी प्रेमचंद, तेजवानी दीक्षित, कुटुंबप्यारी देवी और उषा देवी मित्रा का नाम लिया जा सकता है। वही नवीन लेखिकाओं में मृदुला गर्ग, शशी प्रभा शास्त्री, मालवीय जोशी, शिवानी, मन्नू भंडारी आदि के नाम आते हैं।'

भारतीय संस्कृति के अनुसार नारी चेतना से तात्पर्य नारी के सदगुणों का विकास करना साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक मूल्यों में भी परिवर्तन करते हुए वैचारिक ऊंचाई के आधार प्रदान करना है। हिंदी के विभिन्न साहित्यकारों एवं लेखकों ने नारी की यातनाओं को मिटाने के लिए नारी चेतना की जागृति पर विशेष बल दिया है एवं अपनी रचनाओं के माध्यम से स्त्री-पुरुष के समान महत्व को उजागर करते हुए समृद्ध एवं सुसंस्कृत समाज की रचना में अपना विशेष योगदान दिया है। इन रचनाकारों में शिवानी का नाम भी उल्लेखनीय है।

शिवानी ने अपने साहित्य में नारी चेतना व विमर्श को यथार्थ रूप से अभिव्यक्त कर अपनी अप्रीतम सृजन शक्ति का परिचय दिया है। नारी की आंतरिक व बाह्य जगत का चित्रण उनके साहित्य में देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी जीवन की संवेदना, नारी की विद्रोही भावना, नारी के स्वाभिमानी व्यक्तित्व, नारी का रूढ़ियों के प्रति विद्रोह आदि को स्वर दिया है। शिवानी के प्राय: सभी उपन्यासों जैसे- कालिंदी, कृष्णकली, चौदह फेरे, पूतोंवाली, विषकन्या, रतिविलाप आदि में नारी जीवन केंद्र में रहा है। नारी जीवन के आंतरिक व बाह्य पक्ष को उन्होंने अपने उपन्यासों में उभारा है। सुधा श्रीवास्तव में लिखा है 'शिवानी का कथा साहित्य नारी चित्रण पर ही आधारित है। नारी के रूप, गुण, स्वभाव के विविध चित्रों को तो उन्होंने रेखांकित किया ही है। उनका मानसिक उहापोह, द्वंद, आकांक्षाएं तथा अनुभूतियां भी उनकी कथाओं में अपना स्पंदन सुनाती है। नारी को गहराइयों से समझने तथा उसके रूपों को शब्दबद्ध करने में शिवानी अत्यंत सफल हुई है।'

शिवानी का मानना है कि भारतीय नारी संस्कार और परंपराओं में पली बढ़ी हुई है। वह इनका दुरुपयोग नहीं कर सकती 'भारतीय नारी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने पर भी उनके मन में अनजाने ही परंपरागत पतिव्रत संस्कार इतनी प्रबल है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करती।' शिवानी के उपन्यासों में जहां एक और शिक्षित, आधुनिक, स्वाभिमानी, दृढ़ निश्चय नारी का चित्रण किया है तो वहीं दूसरी ओर गांव की अनपढ़, अंधविश्वासी, परंपराओं से चिपकी हुई नारी का वर्णन भी किया है। उनके उपन्यासों में प्राचीनता व आधुनिकता का अनोखा संगम देखा जा सकता है।

कालिंदी उपन्यास की प्रमुख पात्र डॉक्टर कालिंदी है जो कि एक स्वाभिमानी व आत्मनिर्भर नारी है। आर्थिक रूप से सशक्त होने के बावजूद भी कई बंदिश उस पर लगाये जाती है जिनका वह डटकर सामना करती है। कालिंदी पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए स्वतंत्रता को खोजती हुई नारी की कहानी है। कालिंदी अदम्य सहनशक्ति व जिजीविषा रखती है। उपन्यास में कालिंदी की मां अन्नपूर्णा है जो कि अपने पिता के दृढ़ निश्चय के कारण ससुराल नहीं जाती है। पीहर में ही कालिंदी को जन्म देती है। अन्नपूर्णा का विवाह कमलबल्लभ से होता है। अन्नपूर्णा विवाह के बाद कई यातनाएं झेलती है और पीहर आ जाती है। सब उसे समझाते हैं कि ससुराल वापस चली जाए 'क्यों? बेटी, तुम्हारी मां नहीं है। पिता वृद्ध हो चले हैं, तीन भाई हैं, पर उनका अपना परिवार होगा। जीवन भर तुम्हारा भार कौन लेगा।'

* शोधार्थी (हिंदी) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

अन्नपूर्णा अपनी पीठ पर लकड़ी से दागे गए निशान बताकर कहती है 'देख लिया आपने, अब किस मुंह से बिरादरी कहती है कि मैं वहां जाऊं?' अन्नपूर्णा के पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यहां तक कि ससुराल वाले उसे छोटी-छोटी बातों पर ही पीट देते थे। मात्र 15 साल की अन्नपूर्णा यह सब कुछ झेलती है। समाज तो स्त्रियों पर पाबंदी ही लगाता रहा है। इतना कुछ देखने के बाद भी सब लोग उसे ससुराल जाने के लिए ही कहते हैं। अन्नपूर्णा का भाई इसका विरोध करता है साथ ही अन्नपूर्णा के बाबूजी दृढ़ निश्चय होकर समाज की परवाह नहीं करते। इस जुल्म का विरोध करते हुए कहते हैं कि 'नहीं बेटी, तू यही रहेगी! हमेशा मेरे पास, मैं तुझे पढ़ा-लिखाकर इस योग्य बनाऊंगा अन्ना तू स्वयं ही अपना सहारा बन सके।' ससुराल नही भेजने का एक कारण यह भी होता है कि विवाह होने के पश्चात इनके पिता अन्नपूर्णा की कुंडली दिखाते हैं जिसमें परित्यकता होगी ऐसा लिखा होने के कारण उसे ससुराल नहीं भेजते। अन्नपूर्णा भी अपने पिता की बात मानती है 'पंद्रह वर्ष की अन्नपूर्णा ने पिता के पास आकर गर्वोन्नत मस्तक तनिक भी नहीं झुकने दिया। मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगी।'

अन्नपूर्णा के पिता उन्हें पढ़ा-लिखा कर बड़ा बनाना चाहते थे। समाज और उनके परिवार में ही उनकी दादी भी उनका विरोध करती है लेकिन वह एक नहीं सुनते और अन्नपूर्णा की आगे की पढ़ाई करवाते हैं। अन्नपूर्णा मात्र तीन महीने अपने ससुराल में रही थी। इस बीच वह गर्भवती भी हो जाती है परंतु फिर भी वह ससुराल नहीं जाती। अन्नपूर्णा अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने छोटे भाइयों की परवरिश करती है। 'कैसी गुणी थी अन्ना! और भाग्य ने कैसा क्रूर खिलवाड़ किया उसके साथ। कैसा त्याग करके अपने उन तीनों भाइयों को पढ़ा लिखाकर योग्य बनाया।' अन्नपूर्णा एक ऐसी नारी है जो ससुराल न जाकर अपने पिता की जिम्मेदारियों को उठाती है तथा अपने छोटे भाइयों को शिक्षित कर उच्च पदाधिकारी बनाती है।

उपन्यास में सरोज एक ऐसी पात्र है जो कि परंपराओं व रूढ़ियों का शिकार है। सरोज से विवाह करने के पश्चात उसके पति दूसरे दिन ही उसे छोड़कर विदेश चले जाते हैं तथा उसके कुछ दिन बाद ससुर को दिल का दौरा पड़ता है। जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सरोज की सांस अपने पति की मृत्यु का कारण सरोज को ही मानती है 'सरोज की सास ने फिर मृत पति की निष्प्राण देह पर पछाड़े खाकर कसम खाई थी कि वह अब इस कुलक्षणी बहू का मुंह नहीं देखेगी। अभी तो उसने घर में पैर रखते ही ससुर को लील लिया था। कहीं उसके इकलौते बेटे को भी न निगल ले।' इस कारण सरोज को ससुराल में नहीं रहने देती और मायके भेज देती है।

कालिंदी अपने मामा देवेंद्र की परवरिश के कारण डॉक्टर बनती है और सामाजिक परंपराओं का विद्रोह करती हुई नजर आती है। देवेंद्र शिक्षा प्रदान कर डॉक्टर कालिंदी का रिश्ता कनाडा में बसे भारतीय परिवार के एक लड़के से तय करते हैं। कालिंदी भी इसे स्वीकार कर लेती है परंतु उसे पता नहीं होता कि इस रिश्ते में दहेज भी दिया जा रहा है। देवेंद्र वर पक्ष को दहेज के रूप में अस्सी हजार देने का वादा करते हैं जो कि तीस हजार तो विवाह के पहले और पचास हजार विवाह के बाद देना तय होता है परंतु कालिंदी की ससुर शेष रकम की मांग विवाह से पूर्व ही करने लग जाते हैं। इन सबका पता कालिंदी को चलता है तो विवाह के दिन दहेज प्रथा का विरोध कर अपने ससुर को बारात वापस ले जाने के लिए विवश कर देती है।

देवेंद्र कालिंदी को लड़के के संबंध में कहते हैं कि 'वह पढ़ा-लिखा व्यक्ति ऐसी बात कर बैठेगा। वह भी आत्मीय स्वजनों के सामने, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, पर उससे भी आश्चर्य मुझे तब हुआ जब वर्षों से विदेश में पला बढ़ा उनका पुत्र एक शब्द भी नहीं बोला। जरा-सा भी धैर्य नहीं रहा उसे। सुना लाखों का व्यापार है दुबई में। लक्ष्मी चरणों की दासी है। एक बेटा कनाडा में है दामाद चीफ सेक्रेटरी है फिर भी ऐसा लोभ?' कालिंदी धैर्य रखकर मामा को दहेज न देने के लिए कहती है तथा लड़कों वालों से कहती है कि 'आपका बेटा हमें नहीं खरीदना है। जाइए इसी क्षण अपनी बारात लौटा ले जाइए और वह जहां अपने पुत्र का मुंह मांगा दाम मिले, वहीं बेच आइए।'

कालिंदी के इस निर्णय की हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों में प्रशंसा होती है 'पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी श्री देवेंद्र भट्ट के द्वारे पर आई बारात दहेज के कारण लौटी, डॉक्टरनी वधू का अपूर्व साहस दहेज की ऊंची रकम अदा करने का तीव्र विरोध बाद में टिप्पणी में कालिंदी के साहस की भूरी-भूरी प्रशंसा करने में क्या हिंदी और क्या अंग्रेजी दोनों समाचार पत्रों ने कहीं भी कृपणता नहीं दिखाई थी। हमारे समाज में ऐसी दो-चार साहसी लड़कियां हो तो दहेज की मारक व्याधि स्वयं ही लुप्त हो जाएगी।' इस तरह कालिंदी अपना अस्तित्व मिटने नहीं देती है। वह एक पढ़ी-लिखी शिक्षित व साहसी नारी है। ऐसा कर वह दहेज जैसी कुप्रथा का विरोध करती है और आजीवन विवाह नहीं करती।

इसी प्रकार अखिलेश के पिता अखिलेश का विवाह माधवी के साथ करवाते हैं। माधवी देखने में काली होती है तो अखिलेश की मां यह रिश्ते के लिए मना करती है। यहां समाज की धान लोलुभ मानसिकता का पता चलता है। लड़की की काबिलियत से ज्यादा धान को देखा जाता है। अखिलेश के पिता अपनी पत्नी को कहते हैं 'देखो मीना, यह युग सुंदरी बहू पसंद करने का नहीं है, अब बाप के बैंक का सौंदर्य देख लड़की पसंद करते हैं।' उपन्यास में शीला पात्र आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करता है। शीला कालिंदी की मामी है जिसने कालिंदी की परवरिश में कोई भी कमी नहीं रखी। देवेंद्र और शीला के कोई संतान नहीं होती तो वह कालिंदी कोई अपनी संतान मानकर उसकी सारी देखभाल करते हैं यहां तक की शादी के लिए लड़का भी देखकर उसका विवाह करना चाहते हैं। शीला अपने दीदी को समझाते हुए कहती है कि 'देखो दीदी, दादी कहती थी ना, पानी पी कुल पूछना नहीं भली है बात। अब कहां के पंत हैं और कहां के पांडे। उनके इष्ट कौन है, यह सब पूछना इस युग में मूर्खता ही कही जाएगी।'

कालिंदी उपन्यास में बसंत की पत्नी के बीमार हो जाने पर भी उसके बेटे-बहु विदेश से नहीं आते वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते है। उनकी ऐसा ही दर्दभरी दशा के बारे में लिखा है कि 'पत्नी को दो वर्ष पहले, पक्षाघात के जबरदस्त धाक्के ने पंगु बना दिया था। ना वह उठ बैठ सकती थी, ना बोल ही पाती थी, घर में देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इसी से वसंत घर की ही परिधि में बंध रहता था। एक ही पुत्र था वह स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका गया तो वही बस गया। विदेशी बहू ने उसे एक ही बार स्वदेश आने की अनुमति दी थी। यहां तक कि वह वृद्ध जनक जननि से मिलाने अपने दो पुत्रों को भी नहीं लाया।'

कालिंदी की मां अन्नपूर्णा कालिंदी की मायके में रहकर परवरिश करती है तथा उसकी भाई देवेंद्र उसका साथ देते हैं। जब कालिंदी का विवाह उसके मामा कर रहे होते हैं। तब एकाएक उनका पिता कमलावल्लभ शराब पीकर आ जाते हैं। वह ना तो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को निभा पाए और ना ही अपनी बेटी की परवरिश की। कालिंदी की शादी के वक्त वह अपना हक जताने आ जाते हैं। पुरुष प्रधान समाज की यही मानसिकता लेखिका ने उपन्यास में प्रकट की है। कमलवल्लभ कहते हैं कि 'अब पहचान हम कौन हैं?

बिना कन्या के पिता के ही कन्यादान करने का इरादा था क्या ब्रदर? अच्छा अब यह बताओ हमारी वैफ कहां है वैफ।' कालिंदी उपन्यास में चित्रित नारी चरित्रों में व्यक्तिक रुचि, अस्तित्व और अस्मिता की पहचान, स्वाभिमान, स्वतंत्र चेतना से कहीं अधिक दु:खों एवं संघर्षों से परिपूर्ण नारी जीवन है। शिवानी ने कालिंदी उपन्यास में विभिन्न नारी चरित्रों कालिंदी, माधवी, शीला, अन्नपूर्णा, सरोज, सरोज की सास आदि के संघर्षपूर्ण जीवन का चित्रण कर नारी चेतना व विमर्श की आवश्यकता को प्रकट किया है।

निष्कर्ष – शिवानी मूलत: नारीवादी लेखिका है एवं उनकी नारी मन के प्रति गहरी पकड़ है। वे इसे सजग दृष्टि से परिवेश व यथार्थ के धरातल पर अपनी लेखनी से अंकित करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। नारी जीवन की विसंगतियों, बदलते संदर्भ एवं नवीन परिस्थितियों के फलस्वरुप उत्पन्न नारी के संघर्षपूर्ण जीवन की परिस्थितियों का चित्रण लेखिका ने अपने उपन्यासों में सहज एवं सरल रूप से किया है। लेखिका ने नारी जीवन के विभिन्न समस्याओं एवं विडंबना को वास्तविकता के साथ समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है जिससे महिला वर्ग सदैव ही उनके साथ सहसंबंध स्थापित कर पाता है। उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से नारी विमर्श एवं चेतना को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। नारी के प्रति सशक्त चिंतन एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति ने उनके उपन्यासों को सदैव ही विशिष्ट रूप प्रदान किया है।

शिवानी ने अपने उपन्यास कालिंदी में अन्नपूर्णा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि नारी समाज का अभिन्न अंग है और उसका स्वयं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी भी आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं होती है। लेखिका ने उपन्यास के माध्यम से नारी मुक्ति, स्वतंत्रता, चेतना की कल्पना और विचारधारा को नए आयाम प्रदान की है। वास्तव में नारियां अब सामाजिक बंधनों, कुप्रथाओं, कुरीतियों, पुराने रीति-रिवाजों से मुक्त हो जाना चाहती है एवं अपने जीवन को अपनी तरह जागरूकता के साथ जीना चाहती है। वर्तमान समय में स्त्री के पास अपने स्वयं के विचार, व्यक्तित्व, अनुभूति एवं प्रश्न है। समस्याओं के समाधान के लिए वह स्वयं जुझना चाहती है एवं अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से जीवंतता और चेतना के साथ प्रत्येक समस्या के समाधान की ओर अग्रसर होना चाहती है। नारी जीवन के चित्रण और नारी चेतना के इन्हीं पक्षों को लेखिका ने अपने उपन्यास में विभिन्न नारी पात्रों के माध्यम से उकेरा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉक्टर रस्तोगी : हिंदी उपन्यास में नारी, पृ. 332
2. सिद्धाम खोटी (उद्धरण) : शिवानी के उपन्यासों में समाज, पृ. 116
3. डॉ. मकरंद भट्ट : स्त्री विमर्श की लेखिका शिवानी गुर्जर राष्ट्रवादी नवंबर 2004, पृ. 16
4. शिवानी : कालिंदी, पृ. 8
5. वही, पृ. 9
6. वही, पृ. 9
7. वही, पृ. 8
8. वही, पृ. 53
9. वही, पृ. 137
10. वही, पृ. 33
11. वही, पृ. 26
12. वही, पृ. 29
13. वही, पृ. 75
14. वही, पृ. 15
15. वही, पृ. 63
16. वही, पृ. 23

****

Isolation Of Rhazimol From The Leaves Of Catharanthus Roseus

Dr. Sushama Singh Majhi*

Introduction - A large amount of work has been carried out on the alkaloid contents of the leaves of *Catharanthus roseus* (L) G.Don. In continuation of the earlier of our group, a number of constituents have been isolated from the leaves of the plant While a large amount of work has been carried out on the alkaloid contents of the leaves of *C. roeasu* (L) G. Don, little work has been done on the flowers of this Plant. As a result of isolation and structural studies on the chemical constituents of its flowers, we have isolated ten alkaloids: coronaridine, 11-methoxytabersonine, tetrahydroalstonine, ajmalicine, vindorosine, catharanthine, mitraphylline, vindoline and vinblastine.

Keyword - alkaloid Catharanthus Roseus, therapies, pharmaceutical, living organism.

The crude alkaloids from, the alcoholic extract of the air dried leaves of the plant were dissolved in $CHCl_3$ Land extracted with pH-3 phosphate buffer. The $CHC1_3$ layer was dried (anhydrous Na_2SO_4 concentrated to 1/4 of its original volume and petroleum ether added to the $CHCl_3$ solution which caused some of the alkaloids to precipitate out. The precipitates were percolated and the filtrates were concentrated to a gum.

The gummy material was dissolved in EtOAc and extracted with pH-2 phosphate buffer. The aqueous layer was separated washed with $CHCl_3$ basified with ammonia to pH-10 and again extracted with $CHCl_3$ to afford a major fraction (F_1). This fraction was chromatographed over neutral Al_2O_3 (activity 1). Elution with petroleum ether gave no product EtOAc, EtOAc, EtUOAc-MeOH and finally duct but with with MeOH several different fractions of alkaloidal mixtures were obtained. The EtOAc fraction was concentrated and was re-chromatographed column of T. L. C. grade silica. The column wad eluted with increasing polarities of Petroleum ether (h.p. 60-69^0). CHCl3 EtOAc and MeOH. The 100% MeOH eluates were concentrated and were subjected to preparative T.L.C. in SOS petroleum ether -20% Me_2CO to give a major alkaloid. The UV spectrum in MeOH showed λ_{max} at 215 and 265 nm and λ_{min} at 240 nm characteristic of an indolenine chromophore. The IR spectrum (CHCl3) exhibited strong absorptions at 1730 cm^{-1} (ester C=O) and 3.100 cm^{-1} (OH). High resolution mass measurements on the molecularion afforded the exact mass to be, m/z 352.1783 .1783 (calcd . for $C_{21}H_{24}N_2O_3$). Other major or peak were present at 321 (10%) 293 (15%), 261 (10%), 232 (12%), 167 (12%) and 121 (15%). The 1H-NMR of rhazimol in CDCL3 showed a three proton doublet at δ 1.65 (J=5.71 Hz) assigned to the methyl protons α-to the olefinic 18]19 carbon atoms. While a note one proton quartet at δ 5.5 was assigned to the C-19 olefinic proton (J=3.00 Hz). A three proton singlet at δ 3.85 was ascribed to the methyl protons of the carbomethoxy group. A two proton doublet at δ 4.6 (J=1.04 Hz) was assigned to the hydroxymethylene protons á-to carbon-16. The four aromatic protons resonated as multiplets between in the region δ 7.0-7.8. Comparison of these spectral data with those reported in the literature for rahzimol as well as direct chromatographic comparison with an authentic sample of rhazimol isolated in the group from leaves unambiguously established the identity of the material as rhazimol (80)206. This alkaloid has not previously been reported from *Catharanthus roseus* (L.)G. Don.

While a large amount of work has been carried out on the alkaloidal contents of the leaves of *C. roeasu* (L) G. Don, little work has been done on the flowers of this Plant. As a result of isolation and structural studies on the chemical constituents of its flowers, we have isolated ten alkaloids: coronaridine, 11-methoxytabersonine, tetrahydroalstonine, ajmalicine, vindorosine, catharanthine, mitraphylline, vindoline and vinblastine.

Leaves and other plant tissues were carefully removed from the flowers of *C.roseus* - The flowers were extracted with EtOH and the extracts concentrated to a dark brown gum. The gum was dissolved in $CHC1_3$ and extracted with 5% AcOH. The acidic layer was washed with $CHCl_3$. The aqueous layer was then basified with NH_4OH solution (33%) and extracted into $CHCl_3$ to afford the crude alkaloids. These were redissolved in 5% HC1 and extracted into $CHC1_3$ at different pH-values (pH-2, pH-4, pH-7 and pH-10). The fraction at pH-4 contained the majority of the alkaloids. These were loaded on a flash charomotgraphy (Al_2O_3 neutral) column and eluted with increasing poalrities of petroleum ether (60-69^o), petroleum ether-C_6H_6 (1:1, F_1), C_6H_6 (F_2), C_6H_6-$CHCl_3$. (1:1 F_3), $CHCl_3$ (F_4) , $CHCl_3$- EtOAc (F_6) and finally with MeOH (F7) . Air dried leaves of

*Assistant Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Catharanthus roseus (L.) G.Don were powdered and extracted with $CHC1_3$. The powdered material was percolated and washed thoroughly with $CHC1_3$. The $CHC1_3$ filtrates were combined and evaporated under vacuum to a gum. The gummy material was acidified with 2% tartaric acid to pH-3 and extracted with $CHC1_3$. The pH of the aqueous layer was then adjusted to pH-5 and the solution was again extracted with $CHCl_3$ .The $CHC1_3$ extracts were dried (anhydrous Na_2SO_4) and concentrated to afford the crude alkaloids. These were subjected to column chromatography over neutral Al_2O_3 (activity 1). Elution was carried out with increasing polarities of petroleum ether (60-69^0), petroleum ether-Me_2CO, Me_2CO-Me_2COMeOH and finally MeOH. The eluates obtained from petroleum ether -Me_2CO (4:1) and petroleum ether -Me_2CO (3:1) afforded an alkaloidal mixture, which was concentrated and chromatographed on a silica gel column (70-230 mesh). Elution with increasing polarities of petroleum ether and Me_2CO afforded a number of alkaloidal fractions. The cathovaline containing fractions were eluted with 85%, Me_2CO-15% Petroleum ether. They were concentrated and subjected to preparative TLC (silica) in Me_2CO to afford cathovaline, $|\square|_D$=-70^0 ($CHC1_3$). The identity of cathovaline was confirmed by comparison of -its spectral data. (UV, IR, mass and ^{1}H-NMR) with those reported in the literature. The compound exhibited □ UV characteristic of dihydroindoles showing max 208 nm 256 nm and 307 nm and min 239 nm and 278 nm. The IR spectrum showed bands at 1740 cm^{-1}, 1600 cm^{-1}, 1170 cm^{-1} which were tentatively assigned to ester C=O, acetate C=O and ether linkage. The mass spectrum at forded the molecular ion at m/z = 426, 2146 consistent with the formula $C_{24}H_{3O}N_2O_5$(calcd. 426, 2148) ('a' Table No. VI) indicating the presence of 11 double bond equivalents. The mass spectrum showed intense peaks at m/z 158.0968 (100%) and 267.1861(90%) due to the fragments('e' Table No. VI) and ('d' Table No. VI) often encountered in *Aspidesperma* type alkaloids bearing a dihydroindole skeletal system). Linked scan measurement of the metastable ion transition showed the transformation of various ions, as listed in Scheme XVIII. High resolution mass measurements (Table VI) of these ions are in agreement with the proposed fragmentation.

Fraction (F_3) was loaded on a silica column and eluted first with petroleum-ether and then with mixtures of increasing polarities of petroleum ether-$CHCl_3$. The eluates obtained with 80% $CHC1_3$- 20% petroleum ether (60-69^0) were concentrated and subjected to preparative TLC on silica plates (80% petroleum ether-20% Me_2CO) to afford a compound which showed the molecular ion at m/z 338.1972 (calcd. $C_{21}H_{26}N_2O_2$ 338.1994) and other major peaks at m/z = 323 (23%), 309 (5%), 279 (8%),253(12%),214(26%),154 (37 %), 136 (100%) , 130 (22%), 122 (47%). The UV spectrum in MeOH was characteristic of' the indol chromophore, giving absorptions at 225.284 and 294 nm . The IR spectrum in chloroform showed a prominent absorption at 1720 cm_{-1} which indicated the presence of an ester carbonyl group.

The ^{1}H-NMR spectrum ($CDC1_3$) of the alkaloid showed the presence of a triplet at δ 0.88 (J= 7Hz) which was assigned to the methyl protons (3H) of the ethyl side chain. The methylene of the C-ethyl group were found to resonate as a multiplet generated at δ1.39 (CH_2-CH_3). The carbomethoxy protons, resonated at δ 3 .84 as a singlet. A one proton singlet at δ 8.10 was assigned to the NH proton. The four aromatic protons resonated as multiplets in the region δ 7.1-7.45. Comparison of these spectral data with those reported in literature established the identity of the compound as coronaridine .

Further elution of the same column with 50%($CHC1_3$-50% EtOAc afforded a fraction which was purified by preparative TLC (silica) in 25%. Me_2CO-75% petroleum ether (60-69^0). A pure substance was thus obtained which was identified as 11- methoxytabersonine (82), [223] from its spectral data on comparison with those cited in the literature. The substance showed the molecular ion peak at m/z 366 .1939 (called. $C_{22}H_{26}N_2O_3$: 336.1943) and other major peaks at m/z 351 (4%), 338 (12%), 259 (34%), 135 (100%), 124 (4%) and 107 (50%). The UV absorptions in MeOH appeared at 212, 227, 249 and 328 m, typical of an analinoacrylate system. The IR spectrum possessed an absorption at 1710 cm^{-1} (conjugated ester C=O). The ^{1}H – NMR spectrum ($CDC1_3$) of the alkaloid showed the presence □ 3H triplet at δ 0.62=6.80 Hz) which was assigned to the methyl protons of the ethyl side chain (CH_2-CH_3). A three-proton singlet at δ 3.80 -was attributed to theca rbomethoxy protons (CO_2CH_3). The C-15 olefin proton appeared as a doublet ($J_{15,14}$=5.53) at δ 5.7 while the other C-14 ilofinie proton resomated as a double doublet centered at δ 6.50 ($J_{14,15}$=10.51 Hz, $J_{14,3}$=3.41 Hz) while a three proton singlet at δ 3.75 were assigned to the OCH_3 group attached to the aromatic ring. A singletat δ 9.00 was assigned to the NH proton. The four aromatic proton afforded complex multiplets in the region between δ 6 .7 - 7 .3 ppm .

References :-

1. Wenkert, *J.Amer.Chem. Soc .* , 84 98 (1962)
2. A.R.Battersby, B.Gregory, H.Spencer, J.C.Turner, M.M. Janot, P.Potier, P.Francois and J.Lenisalles, *Chem, commun.* 219 (1967) .
3. A.R.Battersby and B.J.T.Harper, *J.Chem.Soc.,* 1748 (1958).
4. A.R.Battersby, *Pure Appl. Chem*., 14, 117 (1967).
5. P.Loew and D.Arigoni, *Chem.Comm.,* 137 (1968).
6. A.R.Battersby, R.T.Brown, R.S.Kapil, J.A.Martin and A.O.Pounkett, *Chem. Comm*., 890 (1966).
7. A.R. Battersby, R.S.Kapil, J.A.Martin and L.Mo, *Chem.Comm.* 133 (1968).
8. A.R.Baltersby, A.R.Burnett, E.S.Hall and P.G.Parsons *Chem. Comm,*1582 (1968).
9. H.Inoye, S.Veda, Y.Aoki and Y.Tokeda, *Tetrahedron Lett.,* 2351 (1969) .
10. A.R.Battersby, A.R.Burnett and P.G.Parsons,

Chem.Comm. 826 (1970).

11. A.R.Battersby, *Natural substances Formed Biologically from Mevalonic Acid,* et. T.W.Goodwin, Academic Press, London, p. 157 (1975).
12. A.R.Battersby, R.T.Brown, R.S.Kapil, J.A.Knight, J.A. Martin and A.O.Plunkett, *Chem.Comm.* 888 (1966) .
13. S.Escher, P.Loew and D.Arigoni, *Chem.Comm.,* 823 (1970).
14. A.R.Battersby, S.H.Brown and T.G.Payne, *Chem. Comm.*, 827 (1970).
15. A.R.Battersby, J.C. Byrne, R.S.Kapil, J.A.Martin, T.G. Byrne, D.Arigoni and P.Loew, *Chem.Com.*, 951 (1968).

****

पंचायत राज में लोगों की बढ़ती सहभागिता

शिवराज सिंह राठौड़ *

शोध सारांश – भारत कई वर्षो तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। इस कारण यहाँ अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि बुराई अपनी चरम सीमा तक पहुँची। सन् 1947 में जब देश ने आजादी की सांस ली। लोगों को एक नई उम्मीद जगी कि अब हमारे देश की कई बुराइयों से भी आजादी मिल जायेगी। सन् 1952 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज की नींव रखी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निम्न तबके के लोगों की पहुँच सत्ता तक हो सके। परन्तु यह प्रयास पर्याप्त सार्थक नही हो सका। सन् 1992 में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक बार फिर लोगों को सत्ता में भागीदारी का सार्थक प्रयास किया गया। यह प्रयास सफल रहा है। इस अधिनियम के द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस कानून के बनने के पश्चात् लोगों की भागीदारी सत्ता में धीरे-धीरे बढ़ती गई। यह लोगों की भागीदारी धीरे-धीरे सहभागिता में बदल गई है।

आज समाज के हर वर्ग चाहे वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाएँ इन सभी की सहभागिता लगातार बढ़ती जा रही है जो प्रस्तुत शोध पत्र में प्रस्तुत है।

शब्द कुंजी – पंचायत राज, सहभागिता, सत्ता, विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना – प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन, शासन पद्धति में प्रमुखता से अपनाई जाती थी। इसका प्रमाण हमें प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वैदिक काल में ऐसी संस्थाएँ विद्यमान थी। उस समय ये संस्थाएँ प्रशासनिक तथा न्याय संबंधी कार्य करती थी। मनुस्मृति में कहा गया है कि राज्य को सत्ता विकेन्द्रीकरण करना चाहिए, जिससे प्रजा में स्वशासन की प्रवृत्ति का विकास हो सके। कोटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के पर्याप्त प्रमाण मिलते है। मध्यकाल में इन स्थानीय संस्थाओं का प्रचलन रहा है। इस समय शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना जाता था। अंग्रेजों के शासनकाल में इन स्थानीय संस्थाओं का ह्रास हुआ, परन्तु यह पूर्णत: समाप्त नहीं हुई। अंग्रेजी हुकुमत को जब ज्ञात हुआ कि स्थानीय संस्थाओं से हमारे शासन की जड़े हिल सकते है। अंग्रेज शासन ने इन स्थानीय संस्थाओं पर महत्व देना प्रारम्भ किया तथा इनके विकासक्रम को गति प्रदान की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थानीय स्वशासन के कई प्रयास किये गये। भारतीय संविधान सभा में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई। इसके परिणामस्वरूप भारतीय संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में इन्हें अनुच्छेद 40 के तहत् सम्मिलित किया गया। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे। इस कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में स्थान दिया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना 02 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर से प्रारम्भ की गई। जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की गई थी। इस प्रकार से त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। तत्पश्चात् भारत के कई राज्यों ने अपने यहाँ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नही थी। स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सफल बनाने हेतु सन् 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी सिफारिशें शासन को सौंप दी। जिसमें सबसे प्रमुख सिफारिश द्वि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना की थी। केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस समिति की सिफारिशों को मूर्तरूप नही दिया गया। जी.वी.के. राव समिति (1985), एल.एम. सिंघवी समिति (1986), पी. के. थुंगन समिति इत्यादि समितियों का गठन इन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। इन सभी समितियों ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पंचायत राज की स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की जाये, सबसे प्रमुख थी।

16 दिसम्बर 1991 को पी. वी. नरसिम्हाराव सरकार द्वारा 72वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा गया था। जुलाई 1992 में इस विधेयक का क्रमांक 72 से 73वां संविधान संशोधन कर दिया गया। इस प्रकार यह 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा, 23 दिसम्बर 1992 को राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इस विधेयक का अनुमोदन होने के पश्चात् इस विधेयक पर 20 अप्रैल 1993 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये गये। इस प्रकार 25 अप्रैल 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। (चन्द्रशेखर 2000 : 07)। साथ ही राज्यों को निर्देशित किया गया कि राज्य विधानमण्डल अपने यहाँ इस अधिनियम के दायरे में कानून बनाकर एक वर्ष के समय में अपने राज्य में नयी पंचायत राज-व्यवस्था को लागू करें। मध्यप्रदेश देश का प्रथम ऐसा राज्य बना जिसने सर्वप्रथम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत् अपने विधानमण्डल द्वारा नया कानून बनाकर नई पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई। जिसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सन् 1994 में प्रथम निर्वाचन का आयोजन किया गया तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई तब से लेकर वर्तमान समय तक पाँच बार पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न हो चुके है। इन चुनावों में लोगों

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

की भागीदारी में लगातार वृद्धि देखी गई है। आज न सिर्फ सहभागिता में बढ़ोत्री हुई है बल्कि अब आम लोगों की अभिरूचि पैदा हुई है, जिससे ये संस्थाएँ सार्थकता की ओर अग्रसर हो रही है।

पंचायत राज संस्थाओं की संरचना – भारत में 73वाँ संविधान संशोधन के पश्चात् त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाएँ कार्यरत है। जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायत/पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य करती है।

वर्तमान समय में देश में पंचायतों की स्थिति –

क्र.	पंचायत/सदस्य	कुल संख्या
1.	जिला पंचायतें	629
2.	मध्यस्तरीय पंचायत समितियाँ	6613
3.	ग्राम पंचायतें	267033
4.	कुल पंचायत राज संस्थाएँ	274275
5.	निर्वाचित सदस्य	31 लाख
6.	निर्वाचित महिला सदस्य	13.75 लाख

स्त्रोत – एनुअल रिपोर्ट 2018-19, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज गवर्मेंट ऑफ इंडिया

ये तीनों स्तर की संस्थाएँ आपस में मिलकर कार्य करती है तथा ये संस्थाएँ अपने-अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णत: स्वायत है। तीनों स्तर की संस्थाओं को निर्धारित क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। अर्थात् प्रत्येक स्तर की पंचायतों के निर्धारित कार्य क्षेत्रों को कानून शक्ति प्रदान करता है, जिससे ये अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार कार्यो का क्रियान्वयन करती है।

जिला पंचायतों को वार्डो में विभक्त किया जाता है तथा प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित होकर जिला पंचायत का सदस्य बनेगा। जिला पंचायत में कम से कम 10 वार्डो में विभाजित किया जाता है। जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक सदस्य को अध्यक्ष पद हेतु चयन किया जाता है। जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है। जबकि अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है। इसी प्रकार की संरचना मध्य स्तर की पंचायतों की होती है। जनपद पंचायतों को वार्डो में विभाजित किया जाता है तथा इनका गठन जिला पंचायतों की भांति होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को वार्डो में विभक्त किया जाता है। वार्डो की संख्या, जनसंख्या के अनुपात में होता है। परन्तु कम से कम 10 वार्ड होना आवश्यक है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है। अध्यक्ष/सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में देश में त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाएँ कार्य कर रही है।

पंचायत राज में लोगों की बढ़ती सहभागिता – हमारा देश कई वर्षों तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहा। हम लोगों ने गुलामी के उस दौर में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से प्रमुख रूप से अशिक्षा का बोलबाला रहा। यहाँ के निवासियों को शिक्षा से वंचित रखा गया। जब देश ने इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा तो हमारे सामने शासन-प्रशासन संचालन की जिम्मेदारी थी कि लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरा जाये। इसी कड़ी में पंचायत राज की स्थापना की गई। लोगों की सहभागिता के बिना इन संस्थाओं की सफलता संभव नहीं थी। इन संस्थाओं को सफल बनाने के भरसक प्रयास किये गये, परन्तु सारे प्रयास व्यर्थ साबित होते गये। सन् 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत् इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता के साथ मजबूती प्रदान की गई। जिससे इन संस्थाओं की स्वायत्तता में वृद्धि तथा लालफीताशाही में कमी आई। जिससे इन संस्थाओं के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी। लोगों की भागीदारिता में वृद्धि हुई।

मध्यप्रदेश पंचायत चुनावों में मत प्रतिशत का विवरण :पंचायत चुनाव

वर्ष	1994	1999 -2000	2004 -05	2009 -10	2014 -15
मत प्रतिशत	68.48%	68.03%	76.61%	80.45%	83.39%

उदाहरण के तौर पर हम मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचनों को देख सकते है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के पश्चात् पंचायतों के आम चुनाव सन् 1994 में सम्पन्न हुए थे तथा अंतिम पंचायतों के आम चुनाव सन् 2014-15 में सम्पन्न हुए है। इन चुनावों के आंकड़ों पर नजर डाली जाये तो ज्ञात होगा कि किस प्रकार से इन पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचनों में लोगों ने अपनी सहभागिता बढ़ाई है। सन् 1994 में पंचायतों के चुनावों में मात्र 68.48 प्रतिशत मतदान किया था। जबकि 2014-15 में मतदान का प्रतिशत 83.39 हो गया। इससे स्पष्ट है कि लोगों की भागीदारी इन संस्थाओं में बढ़ी है। सहभागिता के साथ-साथ लोगों की रूचि इन संस्थाओं के प्रति वृद्धि हुई है जिसकी गवाही हमारी अगली तालिका देती है।

पंचायत चुनाव वर्ष	1994	1999 -2000	2004 -05	2009 -10	2014 -15
निर्विरोध	283832	240074	207509	205548	229986
जिला पंचायत सदस्य	71	26	05	01	05
जनपद पंचायत सदस्य	1238	323	133	137	99
सरपंच	2591	1284	814	601	632
पंच	279932	238441	206557	204809	229250

स्त्रोत – मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल

73वाँ संविधान संशोधन के पश्चात् जब पंचायतों के निर्वाचन कराये गये तो लोग इन संस्थाओं के सदस्य बनना नही चाहते थे जिस कारण अभिजन वर्ग के लोग निर्विरोध इन संस्थाओं में पहुँच जाते थे। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश निर्वाचन के आंकड़े जो तालिका में दर्शाये गये है। इन आंकड़ों को देखने पर ज्ञात होता है कि जिला पंचायत सदसयों के आकड़ों पर नजर डाले तो ज्ञात होता है कि सन् 1994 में 71 सदस्य निर्विरोध जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। इतनी महत्वपूर्ण संस्था में लोगों को रुचि नहीं थी। अब लोगों की भागीदारी के साथ-साथ रूचि में भी बढ़ोत्री हुई है। जिसके परिणामस्वरूप जहाँ सन् 1994 के चुनाव में 71 जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वही सन् 2009-10 के निर्वाचन के दौरान मात्र एक जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। इसी प्रकार जनपद पंचायत सदस्य सन् 1994 में 12.38 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे तो सन् 2014-15 के निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचित जनपद पंचायत सदस्यों की संख्या मात्र 99 रह गई। यह लोगों की पंचायत राज संस्थाओं के प्रति लोगों की रूचि में बढ़ोत्री का परिणाम है।

निष्कर्ष – पंचायतों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ये संस्थाएँ भारत की

मौलिक संस्थाएँ है। इन स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का जन्म भारत में हुआ है। कुछ समय के लिए इन संस्थाओं का ह्रास हुआ था जिसके कई कारण थे। स्वतंत्रता के पश्चात् इन संस्थाओं की शक्तियों में लगातार वृद्धि एवं प्रगति हुई है। इस प्रगति में लोगों की बढ़ती आकांक्षा, अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता की है। जिसके फलस्वरूप लोगों की इन संस्थाओं के प्रति रूचि जाग्रत हुई है। जिससे उनकी सहभागिता में भी वृद्धि हुई। आज समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व इन संस्थाओं में है। इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। ये संस्थाएँ लोगों की पहुँच में होती है तथा नौकरशाही से मुक्त होती है। साथ ही साथ इन संस्थाओं में आम लोगों में से ही उनका साथी इन संस्थाओं में बैठता है। जिसके कारण भी लोगों की सहभागिता एवं रूचि में बढ़ोत्री हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वसु, दुर्गादास (1997) : भारत का संविधान : एक परिचय, प्रिन्टिस हाल ऑफ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
2. चन्द्रशेखर, बी. के. (2000) : पंचायती राज इन इण्डिया, राजीव गांधी फाउंडेशन, नई दिल्ली.
3. सिसोदिया, यतीन्द्रसिंह (2006) : पंचायती राज व्यवस्था – मध्यप्रदेश संदर्भ, कुरूक्षेत्र, अगस्त, अंक 10, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली.
4. शुक्ल, आशुतोष (2007) : पंचायती राज की बदलती तस्वीर, कुरूक्षेत्र अगस्त प्रकाशन विभाग भारत सरकार, नई दिल्ली.
5. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993.
6. एनुअल रिपोर्ट (2018–19) : मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली.
7. मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल.

****

Perception of SME Regarding the Financial, Technical, Infrastructure and Marketing Problem in Indore District

Dr. Rekha Lakhotia*

Abstract - SMEs face undue Competition from MNCs and large scale units to get differentiation in raw material purchase, lack of proper technology with MSMEs is restricting them from winning procurement orders under Public Procurement Policy and also MSMEs policies does not encounter the marketing problems for storage, packing, designing, customized & tailor-made services branding issues, and product display etc. Marketing is one of the weakest areas wherein MSMEs face major problems in the present competitive age and finds problems in exploiting new markets. Reservation of items does not help the SMEs to increase the marketing activities and women-owned SMEs also face higher barriers in marketing their products in the local, national and international market. SMEs suffer from lack of awareness and access to inter-state and international markets. The respondents are not sure of the prevailing competitive marketing environment does not improve the export capabilities of SMEs in the Indore District of the Madhya Pradesh.

Keywords - Perception, SME, Financial, Technical, Infrastructure, Marketing Problem.

Introduction - For SMEs, corporate governance is about the respective roles of the shareholders as owners and the managers. It is about establishing rules and procedures to manage and run the enterprise it has been empirically tested that good governance practices of a company gives a positive signal to investors. With the globalization of markets, international capital flows have become extremely valuable source of external financing. SMEs always represented the model of socio-economic policies of Government of India which emphasized judicious use of foreign exchange for import of capital goods and inputs; labour intensive mode of production; employment generation; non-concentration of diffusion of economic power in the hands of few (as in the case of big houses); discouraging monopolistic practices of production and marketing; and finally effective contribution to foreign exchange earning of the nation with low import-intensive operations. It was also coupled with the policy of de-concentration of industrial activities in few geographical centers.

Literature Review:

Alikayeva, Gvarliani & Ksanaeva (2017) in their study revealed that small and medium enterprises (SMEs) are one of the essential elements in terms of reindustrialization of the national economy that enables to achieve sustainable economic growth, promotes the development of innovative technologies and reduce innovation gaps, provides the formation of tax revenues. It is known that the success of any transformation, including economic one, depends on the effectiveness of the institutional structure and changes in the institutional architecture of the sector of small and medium enterprises and the economy as a whole. The practical significance of the results of the study is that it focused on the solution of an important problem and represents a search of approaches to creating conditions and selection of tools that will improve the efficiency and effectiveness of the functioning of SMEs and its role in sustainable economic growth and reindustrialization of the national economy through the impact of institutional factors.

Larimo (2015) in his empirical work comments that he analyzes the impact of the selected firm, manager and the export strategy – related variables on the export performance. In this study the data was collected on the basis of survey method. The total target group consists of 2,856 companies. Cross- sectional OLS regression Techniques used in the study. The export performance is influenced by the firm, management and export strategy-related variables. The results are at least partly dependent on the measures of export performance. There are some similarities, but also some differences in the variables influencing export performance among traditional exporters and born internationals and the differences depend on the operational of the born international company.

Xiang & Worthington, (2015) the paper aims to discuss this issue Model finance-seeking behavior and outcomes of SMEs using firm-level three-year panel data for more than 2,000 SMEs from the business database was accumulated, both estimates separate models for the

***Associate Professor, Department of Commerce, IPS Academy, Indore (M.P.) INDIA**

seeking of finance (debt and/or equity) and the outcomes of finance seeking (successful or unsuccessful). The study found business objectives together with a large number of firm-level characteristics, including firm age, size, industry and sales, profits, growth and exports; significantly affect both finance seeking behavior and outcomes. The authors find evidence that the pecking-order and agency cost theories of capital structure at least partly explain the financial behavior of Australian SMEs.

Problem Statement - For SMEs, corporate governance is about the respective roles of the shareholders as owners and the managers. It is about establishing rules and procedures to manage and run the enterprise it has been empirically tested that good governance practices of a company gives a positive signal to investors. With the globalization of markets, international capital flows have become extremely valuable source of external financing.

Objectives of the Study:

1. To study the level of awareness regarding the SME financial, marketing, technological, infrastructural policy in Indore District.
2. To study the perception of SME regarding the financial, technical, infrastructure and marketing problem.
3. To study the problem facing by SMEs enterprises in Indore District.
4. To recommend some specific significant suggestion for development of SMEs in Indore District.

Hypothesis of the Study:

H (o1) There is no significant difference in the perceptions of the SMEs regarding various problems and awareness level District.

Methodology - This research is designed to combine appropriate strategies that contained both surveys through questionnaire and telephonic interviews. Primary research is conducted directly from the entrepreneurs/owners/ managers by means of a self-administered questionnaire and telephonic interviews. A survey questionnaire was devised and conveyed to entrepreneurs/managers of SMEs for the collection of primary data, at the same time study of various literary sources constituted the secondary data source for this research paper. The secondary data accumulated from various annual reports published on MSMEs, economic journals, Reserve Bank of India (RBI) and other books form a basis of this study. Simple Random Sampling Technique was used in the present study. Add up to focused populace was 500 (reaction sheets got 442 and chose 400 on judgment premise), as 42 of them were observed deficient or certainties seemed, by all accounts, to be topped off calmly with superfluous data, thus not considered. Area of study is Indore District.

Statistical Techniques: Frequency Distribution, Simple Mean, Paired T-test.

Sample Units: The sample unit refers to SMEs in Indore District. The study covers all the major areas and industrial estates and non industrial areas of Indore District. The SMEs constitute the total registered population of the present research work. The sample size is arrived with the following formula:

$$n = \frac{N}{1+N (e) 2}$$

Where, N=13010

e= 0.05 (at 5%significance level) n= 388 (round to 400) =400 (Where, n is Sample Size, N is Population and e is Precision)

Result of Hypothesis:

Table 1 (see in last page)

The Sig. (2-Tailed) value in our study is 0.000. This value is less than .05. Because of this, we can conclude that there is a statistically significant difference between the mean problems related to various MSME scheme and awareness of that scheme.

Growth of SMEs in Indore District

S.	Variables	t	DF	Sig.(2-tailed)	Accept/ Reject
1	Registered Enterprises	13.668	9	0.000	Reject
2	Employment	7.029	9	0.000	Reject
3	Investment	2.421	9	0.039	Reject

The Sig. (2-Tailed) value in our study is 0.000. This value is less than .05. Therefore, it can be concluded that the population means are statistically significantly different. If p > .05, the difference between the sample-estimated population mean and the comparison population mean would not be statistically significantly different. It shows that the growth of SMEs in Indore District have negative growth rate.

Findings:

1. The scheme is enlarged so as to include reimbursement of expenses for acquiring ISO 14001 certification. But in Indore District the respondents are not very aware of this good scheme and not getting benefit of this scheme. Almost all the respondents are not aware of Marketing Assistance Schemes and this shows the failure of this scheme in Indore District of the Madhya Pradesh. Marketing Assistance to MSME Bar Code under NMCP is somewhat know to every respondents in the Indore District.

2. Only 22.3 percent of the respondents are aware of Lean Manufacturing Competitiveness Programme scheme and 77.7 percent of the respondents are not aware of this scheme in the Indore district of the Madhya Pradesh. Most of the respondents are not aware of the International Trade fair, although they are aware of the local trade fair. For the growth of the country's economy and entrepreneurs in India it is very important to participate in international. In the present study most of the respondents are not aware of this Marketing Assistance and Technology Up gradation Scheme for SMEs the reason behind is seems to be very simple as almost all the small enterprises are producing for fulfilling the demand of the local market.

3. Almost 60 percent of the respondents are aware of Market Development Assistance Scheme although most

of the SMEs are not benefited by this scheme because of their structure and size. Most of the SMEs in Indore are working for the local market only. Eighty six point two percent of the respondents in the Indore District are not aware of the Quality and Technology Up gradation scheme but also SMEs are not seems to be benefited from this. In Indore District almost 68.3 percent of the respondents are not aware of Building awareness on Intellectual Property Rights IPR scheme.

4. Almost 86 percent of the respondents are aware of Credit linked Capital subsidy scheme, which is good for the SMEs but on ground level how much have benefitted from this scheme can't be say as the small units studied in the present study is not seem to be very upgraded in terms of technology. Entrepreneurial and Managerial Development of MSMEs through Incubators scheme is known to almost 54.5 percent of the respondents.

5. In this study most the respondents are not aware of Design Clinic Scheme for design expertise to Manufacturing sector Design scheme. Only thirty six point five percent of the respondents are aware of Setting up Mini Tool Room & Training Centre scheme.

6. The awareness level regarding the ISO 9000/14000 scheme is also very poor amongst the SMEs of the study district. The unawareness regarding the ISO 9000/14000 means that the SMEs are creating and implementing environmental policies for continuous improvement, compliance, and pollution prevention in the Indore District.

Conclusion & Suggestions - It is also prominent from the recommendations of EXIM Bank and PM'S Task Force; and schemes of MSME Ministry that there is more focus on Micro and Small Enterprises than the Medium Enterprises. Reserve Bank of India advises banks to lend 60% of the MSE Advances to Micro Enterprises and ensure 10% growth in credit to micro enterprises. The inclination towards micro enterprises is also fair to an extent because they are the ones with least knowledge and resources. But Small and Medium enterprises play a very important in development of the economy as is shown by the theory of The Missing Middle and the positive correlation between the economic growth of a country and the size of its SME sector. Therefore there needs to be more focus on Small and Medium enterprises in government policies and schemes. Technology up gradation has also become imperative as it is synonymous in reducing cost of production and improved quality of product. Government should promote and subsidies the technical know-how to Micro and small enterprises. Increase SMEs' Access to Finance. A Marketing Development Fund, which could provide financial assistance in setting up distribution and marketing infrastructure / outlets.

References :-

1. 'Performance of Small Scale Industries in India' published in the journal of Southern Economics on July, 2011.
2. Alikayeva, M., Gvarliani, T. & Ksanaeva, M (2017). Analysis of stages and laws of small and medium enterprises development: institutional approach. Insights and Potential Sources of New Entrepreneurial Growth. Proceeding of the International Roundtable of Entrepreneurship. First Edition pp.11-25 April 2017.
3. Andrew Atherton, David Small bone, (2010). "State promotion of SME development at the local level in China: An examination of two cases", Journal of Chinese Entrepreneurship, Vol. 2 Issue: 3, pp.225-241,
4. Boter, H., & Lundstrom, A. (2006). SME Perspectives on Business Support Services. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(2), 244-258.
5. Chakraborty, Deb & Bhattacharya (2011). Internal Obstacles to Quality for Small Scale Enterprises, ¯I International Journal of Exclusive Management Research, June, Vol-1, Issue-1. pp. 01 – 09.
6. Chandraiah, M, Vani, R. (2014). "The Prospects and Problems of MSMEs Sector in India: An analytical study." International Journal of Business and Management Invention, 3(8): pp 27-40.
7. Darush Yazdanfar, Peter Öhman, (2014) "Life cycle and performance among SMEs: Swedish empirical evidence", The Journal of Risk Finance, Vol. 15 Issue: 5, pp.555-57.
8. De Giorgi, Giacomo & Rahman, Aminur, 2013. "SME's registration: Evidence from an RCT in Bangladesh," Economics Letters, Elsevier, vol. 120(3), pages 573-578.
9. Dong Xiang, Andrew Worthington, (2015) "Finance-seeking behaviour and outcomes for small- and medium-sized enterprises", International Journal of Managerial Finance, Vol. 11 Issue: 4, pp.513-530.
10. Dun & Bradstreet (2012).MSMEs in India [online].
11. Fung, H.D., Kummer, D. and Shen, J.J. (2006a), "China's privatization reforms: progress and challenges", Chinese Economy, Vol. 392, pp. 5-25.
12. Fung, H.G., Pei, P.H. and Zhang, K. (Eds) (2006b), China and the Challenge of Economic Globalization, M.E. Sharpe, New York, NY.
13. Gade, S. (2018) "MSMEs' Role in Economic Growth – a Study on India's Perspective", International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 118 Issue 18 pp. 1727 – 1740.
14. Grimsholm & Poblete, 2010. Internal and External factors hampering SME growth.
15. Lahiri, R. (2014). "An Appraisal of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in West Bengal." ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, Vol.4 (6), JUNE (2014), pp. 47-6.
16. Mulimani, Belgaum & Morakar (2012), Problems and Prospects of small scale Industries of Goa: A Geographical Study, ¯Indian Streams Research Journal, Vol.1, Issue.XII/Jan; 12. pp.01 - 04.

Table 1 : Perceptions of the SMEs Regarding Various Problems and Awareness of MSME Policies

S.	Variables	t	DF	Sig.(2-tailed)	Accept/Reject
1	Financing related problem and awareness level of finance related schemes	-28.446	399	0.000	Reject
2	Marketing related problem and awareness level of marketing related schemes	-38.775	399	0.000	Reject
3	Infrastructure related problem and awareness level of infrastructure related schemes	41.566	399	0.000	Reject
4	Technology related problem and awareness level of technology related schemes	26.437	399	0.000	Reject

****

1857 की क्रांति में गुमनाम क्रांतिकारी व उनका योगदान

सचिन जेतली*

प्रस्तावना – विदेशी साम्राज्य के विरोध में भारतीय उपमहाद्वीप में घटित 1857 की क्रांति अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव रखती है। यह महासंघर्ष भारतीय राष्ट्रवाद की आधारशिला, भारतीय इतिहास का परिवर्तन बिन्दु तथा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शताब्दी (1757-1857) के अपमानजनक विरोध की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। आधुनिक भारत में घटित 1857 की क्रांति जिसने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को बल्कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि महाद्वीपों को प्रभावित किया जो अत्यन्त: महत्वपूर्ण रही। क्रांति के इतिहास लेखन में बहादुर शाह जफर, मंगल पाण्डे, नाना साहेब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई को अग्रणी क्रांतिकारियों में उचित स्थान मिला, परन्तु राजपूताना सहित बिहार, गुजरात, हरियाणा, असम, अवध बंगाल सहित दक्षिण भारत में क्रांति के अनेक जननायकों को भूला दिया गया।

1857 की क्रांति में अजीमुल्ला खां, ईश्वरी पाण्डेय, जगदीशपुर के बाबू कुवंर सिंह व अमर सिंह, मेरठ के धनसिंह गुर्जर, बंसुरिया बाबा, दक्षिण भारत के भास्कर राव बाबा साहब नरगुंदकर विजय राजघावगढ के युवा क्रांतिकारी सरजू प्रसाद सिंह, हांसी के लाला हुकुमचंद जैन व फकीर चंद जैन, गुजरात के झवर भाई पटेल, 29 मिनिगांव के साधारण कृषक जौधारा सिंह, वृन्दावन तिवारी, ब्रिटिश अधिकारी रिचर्ड विलियम्स व विचारक अर्नेस्ट जोंस, गुजरात के चारण कवि श्री कानदास मेहडू जैसे कई गुमनाम क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होने न केवल क्रांति में तन-मन-धन से पूर्ण समर्थन किया बल्कि जनमानस में भी क्रांति की महत्ता के बारे में चेतना का संचार किया।

शोध का उद्देश्य – 1857 की क्रांति यद्यपि सैनिक विद्रोह के रूप परिणित हुयी थी, परन्तु यह कृषक, छोटे व्यापारी, छोटे जागीरदारों, सामंत, कवि, श्रमजीवी, महिलाओं सहित आमजन की क्रांति थी। पूरे भारत में इस क्रांति का प्रसार हुआ। वीर सावरकर सहित राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक इतिहासकारों व विचारकों ने इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। सैकडो जननानायकों ने क्रांति की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ऐसे भूले बिसरे वीर और वीरागंनाओं की शौर्य गाथा को तथ्यात्मक तरीके से लेखन अति महत्वपूर्ण है। साम्राज्यवादी विचारधारा के लेखकों ने 1857 की क्रांति को सैनिक या सामन्ती विद्रोह मान इतिहास लेखन किया जो कदापि न्याय संगत नही था। गुमनाम क्रांति पर शोध से पता चलता है इसमें अजीमुल्लाखां जैसे राजनैतिक, जौधारा सिंह जैसे साधारण कृषक, शाहमल व कानदास मेहडू जैसे कवि, कुशाल सिंह चम्पावत जैसे ठाकुर, लाला हरदयाल व जयदयाल जैसे जननायकों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। 1857 की क्रांति में आमजन की सहभागिता यह तथ्य को स्पष्ट करती है यह क्रांति एक जन आंदोलन के रूप में परिणित हो गया था।

शोध के सोपान – 10 मई 1857 की मेरठ की क्रांति से इस क्रांति की शुरूआत हुई तो इसका स्वरूप जन क्रांति का हो गया था। कम्पनी सैनिक मंगल पाण्डेय व ईश्वरी पाण्डेय ने विद्रोह प्रारम्भ किया तो कोतवाल धन सिंह गुर्जार के आवाहन पर मेरठ के आसपास पांचाली, गगोल, घाट, नंगलाग्राम के हजारों गुमनाम क्रांतिकारी एकत्र हो गये। जिन्होने मेरठ जेल पर हमला कर 836 कैदियों को छुडाकर इसे जन क्रांति का स्वरूप दे दिया। संघर्ष भारत के लगभग सभी प्रांतों उत्तारप्रदेश, पंजाब, उडीसा, असम, राजपूताना, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, त्रिपुरा, गुन्टूर, चिगलपुर, बैंग्लोर, कालीकट, कोचीन विशाखापतनम तक फैला। बराल में मेहताब सिंह ने 20,000 अधिक लोगों का नेतृत्व कर क्रांति में सहभागिता की थी। भदौला में कैन्हयालाल गुर्जर व फूल सिंह गुर्जर, धौलाना में अग्रवाल बनिये लाला झनूकमल, बाधू निरोजपुर में दादू अचलू, हापुड से चौधरी उल्फत खां, मुकीमपुर गढी से गुलाम सिंह विलखुवां से नागबाबा युवा सन्यासी एवं धनाढय व्यापारी तुलाराम छीपांड व धूमा चमार, सिकरी खुई से मुकद्दम सिब्बा असोडा से चौधरी नैनसिंह लाला मटोल चन्द्र व चौधरी हरदयाल सिंह त्यागी, असम में मनीराम दीवान अनेक भूले बिसरे गुमनाम क्रांतिकारी थे जिन्होने आम जनता की आवाज बन क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

दक्षिण भारत में फकीर कारकुल शाह, शेख वीरशाह कृष्णामाचारी, गन्जम में राधाकृष्ण इण्डसेन, जोगी डारासेयली, गंगाधर उर्फ पोलाब वेरा डोलये हैदराबाद से रंगाराव रत्नाकार पोगे पटवारी सफ्दर उददौला, दीपसिंह, सोना जी पण्डित, राव रम्मा निम्बालकर, आनन्द राव दाजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। केरल से बाना जी कुदरत कुजीमाया व कुनी मोई, गोवा से दीपू जी राणे, रामषेणवी वरचुलो, रावजी दुभाषी, नारायण दुभाषी, गोविन्द नीलकंठ शेणवी, भण्डारी गोपाल, अनामन गोमकर, कोन्टु गुकाव, रामनाथ संत पालकर गुमनाम जननायक थे। राजपूताना में कोटा से जयदयाल, मेहराव खान, हरदयाल व करीम खान महान जननायकों के रूप में उभरे। बीकानेर निवासी दानवीर सेठ अमरचंद बांठिया भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी व प्रथम शहीद थे। उन्होने रानी लक्ष्मीबाई व तांत्याटोपे को संघर्ष करने आर्थिक मदद की थी। आऊवा में जननायक चम्पावत ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजी सत्ता का प्रबल विरोध किया। असोपा के ठाकुर बिशन सिंह तथा आलयनिवास के ठाकुर अजीत सिंह, गूलर के ठाकुर बिशन सिंह ने साधारण जमीदारों, सैनिकों व स्वतंत्रता प्रेमी जनता से मिलकर विशाल सैना तैयार की थी। राजस्थान के इतिहास में 8 सितम्बर बिथोडा का युद्ध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसमें 1857 की

* शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

क्रांति में आमजन की भूमि का को स्पष्ट रूप से प्रकट हुयी थी। न केवल पुरूषों बल्कि नारियों ने भी 1857 के विद्रोह में बढ चढ कर हिस्सा लिया। पूरे भारत में ऐसी वीरागंनाओं के बलिदान की गााथाऐं शोध में सामने आयी। चाहे वो साधारण नर्तकी कानपूर की अजीजन बेगम, माता तपस्विनी, बालिका मौना, सिकन्दरबाग की वीरागंना ऊदा देवी, झलकारी देवी, पराक्रमी मुन्दर, रानी हिंडारिया, धार की द्रोपदी बाई, रामगढ़ की अंवतिका बाई लोधी दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य के किन्तूर की चेन्नमा हो।

शोध का निष्कर्ष – 1857 की क्रांति पर शोधपरक दृष्टिकोण व तथ्यात्मक वैचारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यह क्रांति आमजन की क्रांति थी, यह क्रांति जननायक की क्रांति थी। मेरठ में क्रांति के सूत्रपात में मगंल पाण्डेय को इतिहास लेखन में उचित स्थान प्राप्त हुआ परन्तु ईश्वरी पाण्डेय व कोतवाल धन सिंह गुर्जर गुमनाम क्रांतिकारी रही। कानपुर से तांत्या टोपे व नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खां, झांसी से लक्ष्मी बाई, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला का सर्व प्रचलित क्रांतिकारियों में था। परन्तु अजीमुल्ला खां जिन्होने क्रांति की गुप्त योजना बनाई उन्हे भी आवश्यक सम्मान देना जरूरी है। बरौत तहसील का जमींदार, मथुरा जिले का खुदकाश्त किसान देवी सिंह, छोटा नागपुर का आदिवासी नेता गोनू, मोलवी अब्दुल्लाशाह का भी महत्वपूर्ण योगदान इतिहास में दर्ज होना आवश्यक है। 1857 की क्रांति जन-जन की क्रांति थी जिसमें हजारों गुमनाम नायकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारतीय उप महाद्वीप में ईस्ट इण्डिया कम्पनी व ब्रितानियों के शोषण व अत्याचार के विरूद्ध प्रत्युत्तार दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मिश्र भारत : '1857 की क्रांति और प्रमुख क्रांतिकारी' राधा पब्लिकेशन दिल्ली 2008
2. ख्वाजा हसन निजामी '1857 की क्रांति' नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया 1966
3. मिश्रा, जगन्नाथ प्रसाद - आधुनिक भारत का इतिहास प्रतिमान प्रशासक, इलाहाबाद 2003
4. सिंह अयोध्या 'भारत का मुक्ति संग्राम' दिल्ली 1999
5. नागौरी एस एल प्रणवदेव '1857 की क्रांतिकारी' 2006
6. बोहरा आशारानी 'महिलाऐं व स्वराज' 1995

****

Antidumping And Competition Policy: Total Strangers Or Soul Mates?

Aprajita Bhargava*

Abstract - This paper examines the use of anti-dumping and competition laws in promoting and maintaining competition in the market. The recent increase in the use of anti-dumping mechanism to restrict competition and debate on anti-dumping versus competition is highlighted. The paper discusses mechanism whereby antidumping provisions are not abused by domestic importers and the market is left open for effective competition.
Keywords - Competition, anti dumping, activism etc.

Introduction - 'The trade certified by GATT is like the fox put in charge of the hen house. The fox is clever enough not only to eat the hens, but also to convince the farmer that it is the way things ought to be. Anti-dumping is ordinary protection with grand public relations program.'

- J. Michael Finger

Both anti-dumping and competition policies have been in place and evolving for more than a century. Theoretically, anti-dumping laws and competitions laws aim at remedying "transnational price predation" and public interest. The trade (including foreign investment) and competition policies, support, complement and reinforce each other, facilitating market discipline and competitive behavior by both domestic and foreign companies.

The anti-dumping rules were introduced in order to prevent foreign manufacturers and exporters from restricting competition on domestic markets and therefore anti-dumping rules were a necessary addendum to national competition laws, which could not be enforced extraterritorially.

Also, antidumping rules allow practices such as price undertakings and quantitative trade restrictions that are forbidden under competition law. On the contrary anti-dumping rules penalise certain types of price differentiation that may be justifiable under the competition laws.

With change in times, the two policies have evolved with different objectives in sight, which (in some cases) have led to conflicting situations. The competition policy and law of a country is reflective of its Government's intention to prevent individual and collective competition restraints on trade within national borders. The aim of competition policy is to promote consumer welfare and productive efficiency, which in part depend upon market contestability, wherein import competition often plays a key role.

India's decision to impose anti-dumping duty on imports of polypropylene from Saudi Arabia and Oman is being alleged to be a protectionist measure that will artificially reduce competition in the Indian Market. This is in a way contradicting the competition law in India.

On the other hand, the anti-dumping law is a trade remedy that addresses issues of industries injured due to import competition/ trading across national borders.

In practice, the enforcement procedures of these policies also differ significantly. Anti-dumping procedures are defined under the assumption that a domestic competitive industry is facing a foreign monopolist or an international cartel, but this assumption is not supposed to be tested during the investigation. Thus, in each case, the data to be collected are limited to import figures, price comparisons and performance indicators of the domestic industry. There is no room for any query about industry configurations, entry barriers, market power and other conditions of competition at home or abroad. In contrast, the starting point of every anti-competitive inquiry is the identification of the relevant market and its effect on competition.

There is an attempt to highlight the degeneration and counter productiveness of anti-dumping rules; finally mutating into legal claim on governmental protection from foreign competition in the hands of monopolistic domestic industry. It will assess the conflict and role of competition laws vis-a-vis anti-dumping laws.

Use and Abuse Of Anti-Dumping Laws - Interface between competition policy and anti-dumping rules in India began with application of domestic competition laws to cases of alleged under-valued or dumped imports under the realm of the erstwhile Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 ("MRTP Act") days at the hands of the Monopolies Restrictive Trade Practice Commission. The Indian MRTP Commission was approached by several affected producers seeking action against cheap imports, which was later emulated by many others. The basis of

*Research Scholar, DAVV, Indore (M.P.) INDIA

intervention in all these cases seems to be the ground of public interest.

Since then the overlap between the competition policy and anti-dumping has come a long way in India. Recently, India's decision to impose anti-dumping duty on imports of polypropylene from Saudi Arabia and Oman is being alleged to be a protectionist measure that will artificially reduce competition in Indian polypropylene market and strengthen monopolistic positions.

While the application of anti-dumping duty on polypropylene by the Indian government is intended to protect Indian petro-chemical companies from global competition there are many sources and factors that suggest that the support provided to these large industries will be at the expense of Indian downstream industries, importers and average consumers. Such an increase in the dominant position of the Indian polypropylene producers will unilaterally disadvantage wide range of crucial Indian downstream industries that use polypropylene in production and will make these industries less competitive both in domestic and global markets. Higher costs incurred by the downstream industries will also lead to higher prices for average Indian consumers.

Exporting countries have also cautioned that the economies of India and the Gulf are inextricably linked through networks of trade. Hence, putting up protectionist fences and impeding the flows of goods and services will unnecessarily increase frictions and reduce economic growth in these regions in the long term.

Similarly, India's decision to impose antidumping duty on phosphoric acid from countries across the globe (including China, Korea, Israel, Taiwan etc) are means adopted by the monopoly holding Indian industries to systematically eradicate any kind of competition within the domestic Industry; in order to sustain their market power and continuously increase prices of their product. The provisions of anti-dumping laws have been blatantly abused, which if examined under the principles of competition law may not be found to be justifiable and sustainable at all.

In the recent times, the trend of approaching anti-dumping authorities for creating trade barriers and restricting competition (from foreign exporters) is on increase. Anti-dumping statistics clearly establish that Indian companies have been among the top users of antidumping laws and have been abusing the provisions to maintain/ sustain their dominant positions in their respective markets/ industries. In 2008, India led the chart by initiating 54 anti-dumping investigations, followed by Brazil with 23 anti-dumping investigations. Since 1995-2005, India had initiated 564 antidumping investigations.

It may not be entirely wrong to say that anti-dumping rules have undergone sequential change since their initiation and have also begun to deviate substantially from the commonly accepted norms and standards of competition policy and law. It is now widely believed that "anti-dumping is a trouble making diplomacy, stupid economics and unprincipled law."

Competition V Anti-Dumping - In order to first investigate and then attempt at harmonising the competition policy with the anti-dumping rules, it may be important to bear in mind that under anti-dumping trials there is neither any need to prove that the foreign competitor accused of dumping enjoys a dominant position in the relevant market; nor is there a need to prove that the domestic industry alleging dumping holds a dominant position themselves. The result of an investigation undertaking the above queries may lead to an interesting question: how many anti-dumping cases would lead to imposition of sanctions/ duty if competition laws were applied instead?

According to an important study by Messerlin, who performed the test with respect to dominant position of the foreign exporter on all anti-dumping investigations conducted by the European Commission during 1980's, the market share of the foreign companies was less than 5 per cent in 56 per cent of the cases, and less than 25 per cent in more than 90 per cent of the cases. A similar study by Niels and Ten Kate, which analyzed anti-dumping cases of OECD-member states between 1979 and 1989 and which is not publicly accessible, confirms this result.

Both Competition And Anti-Dumping Laws Apply Different Tests - In light of the above, it may be said that if the procedural rules of competition policy would also be taken into consideration in anti-dumping cases; and no duty would be imposed in most of the cases as they may be summarily rejected.

Besides the above, it may also be important to state that the European legislation ensures primacy of competition law over anti-dumping rules.

Having said the above, in most other jurisdictions antidumping is the price to be paid for the maintenance of an open trading system among nations wherein some industries are not prepared to face import competition. It is a safety valve - perhaps a cynical one - that ensures political support to trade liberalising initiatives.

As K W Dam has argued: "The case for antidumping duties is thus not so much sound economic policy but rather statecraft that channels protectionism to narrowly defined products and renders it less harmful to the economy as a whole. Therefore, the downside of antidumping policies is that they do not satisfactorily address the concerns relating to abuse of dominant position and market power; thereby often inducing more distortions in the market than they resolve. In light of all the above, the effort to reconcile a serious enforcement of competition law with an active use of anti-dumping measures implies difficult challenge for any government, as the experiences of European Union and United States well illustrate.

The case of abuse of dominant position by soda ash producers in Europe, as well as the ferrosilicon cartel in the United States, prove the unquestionable supremacy of competition policy whenever the authorities detect illicit practices fostered by antidumping measures.

Can Activism Practiced By Competition Authorities Do Away The Evils Of Fundamentally Flawed Anti-Dumping Rules?

As said by Michael Finger "antidumping, as practiced today, is a witches' brew of the worst of policy making: power politics, bad economics, and shameful public administration".

It is clear from the above that both competition and anti-dumping laws apply different tests. Under competition law, a conduct is deemed prohibited only if it lessens competition or leads to a loss of consumer welfare. Whereas, under antidumping law, dumping is prohibited only if it injures domestic producers.

We understand that the problem in having different standards for competition and anti-dumping law becomes apparent when one realises an overlap in the two laws in terms of "price discrimination" which necessitates a higher price can be charged to customers who are willing and able to pay the higher price, and a lower price to customers who are either unable or unwilling. Price discrimination, so long as it is not anti-competitive is recognized as a legal measure under competition law whereas, the same is unlawful in terms of the anti-dumping rules.

Based on the above, we have the untenable position in competition policy whereby price discrimination within the domestic suppliers is regulated differently from price discrimination amongst foreign suppliers.

The above hypothesis, pilot to a need to harmonise competition and antidumping law, at least to the extent that it relates to scrutinising price discrimination. In this regard, there are alternative ways to harmonise the two legislations or evolve jurisprudence on the subject as elimination of antidumping could make countries targets of predatory behavior which as such a strategy seems very difficult to pursue at an international level.

Considering that every pricing behavior of a foreign supplier which technically meets the dumping definition is per se questionable if analyzed from a competition policy perspective. Therefore, so far as amending antidumping law to conform with competition law is concerned, it may be pertinent for the policy makers to bear in mind that government policy should serve the interests of the governed. Thereby implying that, harmonisation of antidumping law to conform with competition law ought to promote the welfare of the many consumers, rather than the welfare of the few domestic producers (who may be dominant players in the market) in order to be more consistent with serving the interests of the public.

Least be said, such harmonization will involve a redefinition of a two-tier approach as proposed by some authors which necessitates an anti-dumping case to be first judged using competition law criteria and, only if it passes them, would it be allowed to proceed as an antidumping case. Thus anti-dumping actions would only be justified if there were a concern about abuse of market power, reducing the competitiveness of the market. Linking anti-dumping and competition laws in this way would allow competition law to play a central role in shaping anti-dumping.This would help return anti-dumping to the perspective of the early 19th century when it was first introduced.

Conclusion - In order to harmonise anti-dumping law with the principles of competition law, it is necessary to update the methods used by anti-dumping law to filter conduct which is potentially harmful from that which is unlikely to be harmful. The competition law can be used as a mechanism of analysis to expose the fundamental flaw in the conceptual framework on which anti-dumping law is predicated.

Further, the determination of customers which are likely to be more sensitive to price increases, can be done by comparing the characteristics of customers in the home market with the characteristics of customers in the export market. It may be said that, importers are likely to be more sensitive to price increases, than domestic customers. And therefore, it may not be unreasonable to expect that the price in the export market will be less than the price in the home market. This is the first of two important arguments used to support the convergence of competition and antidumping law: dumping is necessary, in most cases, to stimulate demand in the export market and consequently facilitates competition in the domestic market.

To harmonise dumping with the principles under competition law, one would have to make three fundamental revisions:

I. redefine the domestic market to include all current suppliers or potential suppliers of the product-regardless of whether the product is imported or domestically produced;
II. revise the circumstances under which the conduct is challenged; and
III. revise the evidence required to establish a breach.

Some integration initiatives such as EU-Australia-New Zealand trade agreement, have solved their internal disputes arising from anti-dumping by simply abolishing the use of this instrument among other member countries. Although addressing trade disputes by means of an FTA/RTA may be a measure in the interregnum until the evolution of a detailed harmonised competition and anti-dumping policy/law; but in today's global economy a move towards harmonisation seems inevitable.

References :-

1. J. Michael Finger, Editor, Anti-Dumping: How it Works and Who gets Hurt; Part I Chapter 2 (The Origin and Evolution of Anti-Dumping Regulation) The University of Michigan Press (1993)
2. Jose, Tavares de Araujo Jr., Legal and Economic Interfaces Between Antidumping and Competition Policy
3. Anti-dumping Statistics at http://www.antidumping publishing.com/info/free-resources/ anti-dumping-statistics.aspx viewed on April 11, 2012

4. Antidumping rules v Competition rules Andreas Knorr Alfons Lemper, Axel Sell, Karl Wohlmuth (Hrsg.): Materialien des Wissenschaftsschwerpunktes “Globalisierung der Weltwirtschaft”, Bd. 31, Juni 2004, ISSN 0948-3837
5. K. W. Dam (2001), The Rules of the Global Game, University of Chicago Press, pg 156
6. Ian Wooton and Maurizio Zanardi, Trade and Competition Policy: Anti-dumping v. Antitrust, June 2002.
7. Kevin Harriott, Anti-dumping and Competition Law in Confict, June 2010 prepared by FTC, Jamaica

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

साल 2020: शिक्षा की परिवर्तित विचारधारा

हिमांशी पंजाबी*

शोध सारांश – साल 2020 में सभी क्षेत्रो में परिवर्तन देखा गयाों शिक्षा भी उनमे से महत्वर्पूण विषय है। जिस पर देश का भविष्य निर्भर है। महामारी से प्रभावित शिक्षा ने आनलाइन शिक्षा का रुप धारण कर लिया है। यह डिजिटल भारत की दृष्टि से सुसंगत है। परन्तु क्या यह सिस्टम देश के गांव-गांव तक शिक्षा की पहुंच सुनिशचित करा पायेगा। शोध के माध्यम से डिजिटल शिक्षा की पहुंच प्रत्येक गांव-गांव तक है या नहीं व इसमें कौन-कौन सी बाधाएं है। यह बताने का प्रयत्न किया गया है।

शब्द कुंजी – आनलाइन शिक्षा, सामाजिक संबंध, शिक्षा का अधिकार।

प्रस्तावना – मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान को ही अपने अन्दर समाहित नहीं करना है वरन् वह सम्पूर्ण ज्ञान जो नैतिक मूल्यो का हनन नहीं करता हो को सीखना है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है 'एकाग्रता'। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी अधिक होगी। कोरोना महामारी के दौर में जंहा डिजिटल शिक्षा को प्रोतसाहन मिला वहीं शिक्षा की एकाग्रता में गिरावट दर्ज की गई। शिक्षा किसी भी मनुष्य के चहुमुंखी विकास में महत्वर्पूण भूमिका निभाती है। शिक्षा का अस्तित्व हर काल में रहा है।

शोध का उद्देश्य :

1. आनलाइन शिक्षा के तहत शिक्षा में आयी गिरावट का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की उपल्बधता का अध्ययन करना।

शिक्षा का इतिहास

प्राचीनकाल	मध्यकाल	आधुनिककाल	वर्तमानकाल
गुरूकुल में शिक्षा देने की परम्परा।	मदरसो की स्थापना तथा भाषा का विकास।	विभिन्न विद्यालयो व महाविद्यालयो की स्थापना।	डिजिटल आनलाइन शिक्षा का प्रचलन।

सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए किये गये प्रयास:

1. कोठारी आयोग- 10+2 सिस्टम का प्रावधान।
2. 1968 की शिक्षा नीति।
3. 1986 की शिक्षा नीति।
4. 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 6-14 वर्ष तक के आयु के बच्चो को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
5. 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-5+3+3+4 शिक्षा पद्धति पर आधरित।

सरकार द्वारा आनलाइन शिक्षा को बढावा देने हेतु किये गये उपाय:

1. विभिन्न मोबाइल एप व दुरदर्शन के द्वारा कार्यक्रमो का प्रसारण।
2. लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कुलो जिनके पास सूचना व संचार तकनीके सुविधा नहीं है, उनके लिए केन्द्र सरकार 55,840 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित करेगी।
3. MHRD आगामी पाँच वर्षो में डिजिटल पाठ्यक्रम सामाग्री और संसाधनो के विकास एंव अनुवाद पर 2306 करोड रूपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
4. वर्ष 2026 तक विभिन्न विश्वविद्यालयो में पढने वाले लगभग 4.06 करोड छात्रो को लेपटाप और टेबलेट प्रदान करने की भी योजना बनाई है।

सरकार द्वारा इन सब प्रयासो के बावजुद भारत देश जंहा पर ग्रामीण जनसखंया की आबादी अधिक है वंहा पूर्णत: डिजिटल शिक्षा का प्रावधान हो पायेगा।

शोध की अध्ययन पद्धति– इस शोध में मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के गाँवो में कुछ प्रायमरी सरकारी स्कुलो के शिक्षक,पालको व छात्र-छात्राओ से डिजिटल शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।

डिजिटल शिक्षा पर किया गया सर्वे- यह सर्वे प्रश्नावली रूप में किया गया है।

1. शिक्षको की राय :

(क)प्रश्न- आपके कक्षा में कितने बच्चे आपसे व्हाट्सअप से जुडे है?

उत्तर- 30 बच्चो वाली कक्षा में केवल 15 बच्चे व्हाट्सअप से जुडे हुए है।

(ख)प्रश्न- क्या सभी 15 बच्चो तक आपके द्वारा भेजी गई शिक्षण सामाग्री पहुंचती है?

उत्तर- सभी बच्चो को व्हाट्सअप के ग्रुप में कन्टेन्ट डाल दिया जाता है।परन्तु बच्चो का उम्र में छोटा होने के कारण व पालको में मोबाइल जागरूकता ना होने के कारण उन्हे समझने में दिक्कतो के सामना करना पडता है।

(ग)प्रश्न- क्या पालको की तरफ से किसी और विषय को लेकर शिकायत आती है?

उत्तर- हाँ, उनके द्वारा मोबाइल डाटा बार-बार रिचार्ज करवाने व नेटवर्क से संबंधित समस्या आती है।

2. पालको की राय :

(क)प्रश्न- क्या आपको बच्चो को आनलाइन पढाना लाभकारी लगता है?

उत्तर- 15 में से 13 पालको का जवाब नहीं था।

* शोधार्थी, महिदपुर रोड, उज्जैन (म.प्र.) भारत

(ख)प्रश्न- आनलाइन पढाने में आपको क्या दिक्कत है?

उत्तर- 15 में से 7 घरो में केवल एक ही मोबाइल है जो कि दिन में घर पर उपल्ब्ध नहीं होता है। इसके अलावा परिवार में पालक इतने शिक्षित नहीं कि वे मोबाइल पर बच्चो को पढा पाये।

3. बच्चो की राय:

(क)प्रश्न- आपको स्कुल जाना अच्छा लगता है या आनलाइन पढना?

उत्तर- सभी बच्चो का जवाब था हमें स्कुल जाकर पढना अच्छा लगता है।

(ख)प्रश्न- आपको स्कुल जाकर पढना क्यो अच्छा लगता है?

उत्तर- हमें वहां हमारे दोस्तो के साथ खेलना व पढना अच्छा लगता है।

(ग)प्रश्न- मोबाइल पर क्यो नहीं पढना चाहते?

उत्तर- उस पर हम गेम खेलते है।

कुछ रिपोट्स के मुताबिक

IAMAI(इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन आफ इंडिया की रिर्पोट)-

1. ग्रामीण भारत में रहने वाले केवल 7% लोग ही शैक्षिक उद्देश्यो के लिए इंटरनेट का उपयोग करते है।
2. शहरी भारत में इंटरनेट की पहुंच लगभग 64.85% है। वही ग्रमीण क्षेत्रो में सिर्फ 20.26% है।
3. 70% ग्रामीण आबादी सक्रिय रूप से इंटरनेट का उपयोग नहीं करता है।

पांइट आफ इंटरनेट एक्सेस-

डाटा सोर्स-IAMAI 2019-

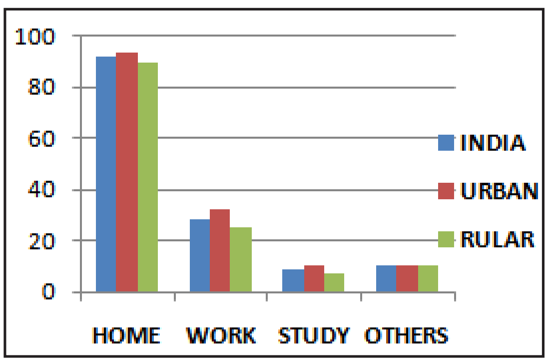

2011 की जनगणना के अनुसार 91.8 करोड की अनुमानित आबादी में से ग्रामीण भारत में केवल 18.6 करोड इंटरनेट उपयोगकर्ता है।

2019 में गाँव कनेक्शन द्धारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार साक्षात्कार में आए 18267 लोगो में से 80% लोग ऐसे थे जो विभिन्न माध्यमो से इंटरनेट का उपयोग करते है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले 15549 लोगो में से 6883 लोगो ने कहा कि वे इसका उपयोग फेसबुक,व्हाट्सअप जैसी सोशल मीडिया साइटो के लिए करते है। 5440 लोगो ने कहा कि खुद को अपडेट करने के लिए करते है। 2403 विडियो देखने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते है।

भारत के 60.53% कॉलेज ग्रामीण अंचलो और दुर दराज के क्षेत्रो में स्थित है,जँहा पर इनफार्मेशन तकनीक की ढांचागत कमियां पहले से ही विद्यमान है जैसे-इंटरनेट,ब्राडबैंड आदि।

आनलाइन शिक्षा के समक्ष चुनौतियाँ :

1. समाजिक संबंधो में दुरी।
2. आर्थिक समस्या।
3. सीमित बातचित।
4. मोबाइल नेटवर्क समस्या।
5. ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन।
6. बच्चा में अकाकीपन।
7. खुद पर नियंत्रण।
8. मेबाइल जानकारी की अभाव।

निष्कर्ष- शिक्षा ऐसा वृक्ष है। जिसे जीवन में एक बार अच्छे से सींच दिया तो इसका लाभ जीवनपर्यंत प्राप्त होगा। हांलाकि वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। घरो में ही रहकर डिजिटल रूप में शिक्षा का प्रचलन शुरू हो गया। भारत जैसे ग्रामीण जनसख्या आधिक्य वाले देश में डिजिटल शिक्षा शायद इतनी सफलता हासिल ना कर सके जितने की प्रयास किए जा रहे है। भारत में डिजिटल शिक्षा को पूर्ण रूप से जमीनी स्तर पर लागू करना एक चुनौतिपूर्ण कार्य है।जिसमे अधिक पूंजी, अधिक समय की आवश्यकता है।

सुझाव :

1. प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक स्वास्थ्य टीम गठित करने का प्रस्ताव रखा जाए ताकि वह उसके अन्तर्गत आने वाले स्कुलो के बच्चो व शिक्षको की स्वास्थ्य की जाँच समय-समय पर कर सके।
2. जिस स्कुल में कक्षाएं कम हो वहाँ एक दिन में एक कक्षा तथा जहाँ कक्षाओं की सख्या अधिक हो वहाँ एक दिन में दो कक्षाएं लगाई जाए। जब तक कि वैक्सीन सभी जनता तक ना पहुंच जाए।
3. विश्वविद्यालयी व उच्च स्तरीय शिक्षा को आनलाइन किया जा सकता है क्योकि विद्यार्थी किसी पर डिपेंड नहीं होते उनमे समझ विकसित हो जाती है,परन्तु प्रायमरी व माध्यमिक स्कुलो में डिजिटल शिक्षा बच्चो को संकुचित दायरे में सीमित कर सकती है।
4. प्रायमरी तथा माध्यमिक स्कुलो में मध्यान्ह भोजन वितरण के साथ-साथ मास्क,सेनेटाइजर का भी वितरण किया जाए ताकि बच्चो में जागरूकता बढे।
5. स्कुल मैनेजमेंट को स्कुल लगने के पहले तथा बाद में सेनेटाइज करने का कार्य सौंपा जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शिक्षा - स्वामी विवेकानंद (1956)।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009।
3. hi.quora.com.
4. www.livehindustan.com.
5. hi.m.wikipedia.org.
6. gaonconnection.com.
7. IAMAI की रिर्पोट।
8. सविंधान का 11वाँ मूल कर्तव्य।

****

The Dynamics of Indian Federalism under the special perspective of the second term of Modi Government in India

Dr. Vikash Kumar Dixit* Prof. Rashmi Tandon (Mishra)**

Abstract - The Federalism in Indian Political system is indeed one of most significant and complicated aspects of Indian Constitutionalism.India did not exist as a country with commitment to Federalism as founding principle and even did not have the term federalism incorporated in the preamble of the Constitution.However in about 73rd years of Independence, there has been a continuous evolution in constitutional theory and practices in regard to functioning of Indian Federal mechanism.As federalism,India has shown extraordinary capability to balance to the aspirations of the States for larger autonomy in governance.Undoubtedly the Federalism is a functioning device of Political system to maintaining the heterogeneity existed in various States on various spheres and capable to unite within one political dominance with their regional identities.The functioning of any Federalism depends Provincial relationship with Union. Narendra Modi started his second inning as Prime Minister with huge victory, his party won 303 out of 425 seats of Loksabha.The second term of Modi Government is witnessed for more complicated decisions regarding criminalizing to triple talaq,decline of Art370,affecting the fiscal federalism,imposing NRC,amending to Citizenship Act, and imposing of lockdown without prior consultation with the State Governments and enacting the laws concerning the agriculture produce etc persuaded a debate that these steps of the Centre government led to competitive to combative Indian Unionism.

Keywords- Federalism, Centre-State relationship,Parliamentary system,Modi Government.

Introduction - The general election of 2019 was remarkable in Indian democratic history as in this election as there was no anti incumbency against the centre government.The election was contested by the BJP only on the basis of Development as well as Hindu-Nationalism.However the threat of trans-border terrorism facilitated to polarization the votes in favor of BJP and the Opposition could not present alternate option of the government.PM Modi started his second inning with brute majority on 30th May 2019 as 16th as Prime Minister of India.Now it was well anticipated that in his second term Modi would implement the agenda of RSS as **Prof Ashwani kumar**, Political Scientist at Tata Institute of Social Sciences pronounced him(Mr Modi) as "child destiny" and a product of nearly 100 years of RSS existence. PM Modi is regarded as the most presidential of Prime Ministers of India as he has a combined leadership on legislative and executive potentialities of his political party.Behind his second victory the major fact was the idea of Hindutva's well as orthodox Nationalism.Here it is also notable that in the Modi-2 government Amit shah is also part of the Cabinet as the Minister of the Union Home Affairs. These factors are facilitating to push the agenda of Sangh Parivar far more than his predecessor, who was encumbered by the coalition constraints and his own Nehruvian course of action on doing things.**Mr Rahul Verma** concerned with Centre for Policy Research added that the continued electoral ascendancy PM Modi and unprecedented expansion of BJP under his stewardship is also a solid rationale of going away from policies concerned with Vajpayee's tenure.The functioning of the Centre government seems to dismantle so many institutional and regulatory composition of the Constitution through its decisions.Modi started his second tenure with typical decisions, which were still avoided by the Political Parties as revocation of Art 370,Criminalizing of Farming triple talaq,amendment in Citizen laws,enforcement of NPR and enactment Farming legislation etc.

Aims of the Study- The aim of the research is to being attention on the new trends emerging in Indian Federalism from the starting of the Modi-2 Government.This paper mainly analyzes the impact of some decisions of modi-2 Government on the Centre-State relationship to understand the dynamics of Federalism in India scenario.

Methodology-The research technique used to content analysis method and mainly focused on analysis of the secondary sources as the Government reports, Newspapers,Magazines etc to conclude the critical appraisal of the fluctuation on Federalism in India after the Modi-2 Government came into power.

Revocation of special status of Jammu&Kashmir -The

*Asst. Professor (Pol. Sc.) DR Ram Prakash Smarak Maha Vidyalaya, Paraskanpur Nagar (U.P) INDIA
** Professor (Political Science) Govt. Mahakaushal Art & Commerce College (AUTO.) Jabalpur (M.P.) INDIA

decision regarding to scrap the special status to Jammu & Kashmir guaranteed under the art 370 of Indian Constitution that transformed a state into two Union Territories was criticized as the threat the Federalism in India.Under the Modi leadership the Parliament of India has also passed The Jammu and Kashmir reorganization Bill which seeks to divide the State into two Union Territories, first- union territory of Jammu&Kashmir with a legislative assembly and (second)union territory of Ladakh with out Legislative Assembly.Here the some natural questions arise as- Does scrapping of Art 370 poses a threat to asymmetrical federalism in our country? or the art 370 was part of accession of J&K with Union of India?,whether such provision was temporary or permanent and whether the revocation of art 370 by the Parliament breached the limitation of the Federalism?etc.The opponents called this as it was the jackboot,the blood soaked end of democracy,a rape of the Constitution etc,they called it as totalitarianism step of the government though the government claimed the decision was rationale.In fact the Federalism of India is unlike with the federalism of the World as USA, Canada, Australia etc.The inclusion of Art 370 was neither part of the letter of Accession nor incorporated by the Constituent Assembly and it was a temporary provision collaborated in the Constitution on current political crisis at that time.However the issue is challenged and pending before the Apex Court still now.

The Watering down of Fiscal Federalism- The wake ofCovid-19 in India is watering down the Federalism of the Country in following way as

The Restraining on the Borrowing Capability of the States-Before the covid-19 pandemic period the States could borrow 3.5% of the Gross State Domestic product from the Central Government after covid-19 package(announced by the Union),the borrowing limit was enlarged it to5% with an additional 1.5% expansion, conditional to specific reforms. These reforms include steps to ensure the universalizing of ration cards as it by connecting with the Aadhaar number,ameliorating ease of doing business,preferring in measures to make state owned power distribution firms more profitable and supporting urban local body revenues. If the States meets these prescribed conditions they can borrow additional0.25% each for every measure.The remaining0.5% borrowing will be subject to them meeting three of the four conditions.The States such as Kerala,Tamil Nadu,West Bengal and Telangana have expressed their opposition to such a move,pointing out that the Central Government seems to curbing the State Policy through the imposing these condition on the borrowing power on the states.These issues are the biggest attack attack on fiscal federalism according to Kerala's Finance minister Thomas Issac as " The Centre is imposing limitations of fiscal budget on states curbing our borrowing power.Kerala's borrowing power has been reduced by 6000 crore.Now,it wasnt it to reduce the borrowing power to 2% of the GDP".

Union's ultimate claim on CSR- Undoubtedly the Governments at both level **i.e** Union and States require huge funds to face the miseries of people in Corona period.In these consequencesthe Union Government instantaneously created an emergency fund name as PM-CARES(Prime Minister's Citizens Assistance&Relief in emergency situations) on 28th march2020.This fund has its intents in building capacities for quick emergency reaction and efficacious community resilience where use of new technology and advanced fact finding mechanism become an inseparable element of such concerted action required in confrontation with the circumstances emerged in this pandemic period.Though the PM-CARES was criticized on the grounds of the justification of its establishment where the P.M.National Relief Fund is already in existence as well as the absence of procedural transparency.

Unilateral Postponement of MP LADS Fund- The Centre Government unilaterally passed an ordinance suspended all Members of Parliament Local Area Development Scheme Funds until 2022.According to Prakash Javedkar, through this fund the Government will save around 7,900 crore and use in purchasing equipment for medical facilities,testing and screening of covid-19 affected patients as well as development of medical infrastructure.This decision also tackled the criticism of Opposition leaders and they called it as an attempt for Centralization.Tranmool Congress leader Sungeeta roy called it 'whimsical" and "undemocratic",Tamil Nadu MP Manickam Tagore took it as "punish my constituents",in the words of the Congress leader Manish tiwari lead to erosion of fiscal federalBILLS-There are some bills passed by the Parliament of India having policy of centralizing and undermining the Federal structure ism during the period of the pandemic duration in India.

Certain Bills and Act of the Parliament- There are certain bills asperiod.of the Unlawful Activities(Prevention) Amendment Bill,2019,Dam safety Bill2019,Consumer bill2019,Wage Code Bill2019.CAA,NRC AND NPR- The passing of the Citizenship Amendment Act 1955 and proposed National Register of Citizens(NRC along with the National Population Register(NPR) passed by Indian Parliament are seeming as an assault on Indian Federalism of the Country as-

NIA Amendment Bill2019- Bill, The bill to amend the NIA Act 2008 has been passed by the Parliament of India. It tackled the attention of the critics as it widened the NIA investigation jurisdiction violates the boundaries of State authority.Now NIAcan probe of offence irrespective of the place of the occurrence of the offence.It is very notable point that National Investigation Agency is effectively under the control of the Union government and the Constitution mandates to the States, to maintain the Law and order and establish the Police force for this purpose. The amendment in the NIA Act 2008 provides the Agency authority to investigate crimes committed by the person against the citizens of India or " affecting the interest of India". The use

of this terminology is totally undefined by the bill.According to the critics of this amendment bill, it may misuse by the governments which may conflate critical voices and dissent with adversely affecting India's interests.Besides it the NIA have investigating authority on the basis as "affecting the interest of India" never mentioned in any Law as offence. Hence the Bill **prima faci** seems to undermining the Federalism of India.

The implementation of NPR- .The Second term of Prime Minister Narendra Modi is also alleged for the implementation of NPR.The NPR as National Population Register seeks to documents the "usual residents" of the country.The NPR is prepared at the multiple levels as village/ sub town, sub district,State and Nation.The Union Cabinet approved NPR on December 2019,now it will be update along with house listing phase of census 2021 and the government also approved a fund of Rs 8400 crore.A critic of this bill,Mr N.Ram,chairman,THG publishing pvt ltd, speaking at the discussion on "Protecting Constitutional Rights challenges and responses" organised by The Constitution Protection Forum said it is the previous step of NRC and assault on state rights as well as the minority rights guaranteed by the Constitution.Though the scheme could not be implement due to wake upCovid-19 pandemic.

Citizenship Amendment Act 2019- The 2019 Act of amendment in the Citizenship Act 1955 seeks to make illegal migrants who are Hindus, Sikhs, Buddhists,J ains,Parsis and Christians arrived in India before the end of December 2014 from Afghanistan,Bangladesh and Pakistan eligible for the Citizenship of India. The Act does not provides this eligibility to Muslims from those the Nations.It exempts certain areas in north east from this provision. The Act is aimed to grant the relief to the people suffered religious persecution or fear of religious persecution on the basis .This Act invoked a lot of protest on the roads in India. The States were being ruled by the opposite political party as Kerala, Rajasthan,Punjab and West Bengal passed resolutions against the CAA,NRC and NPR.Now the question arises that How the States may pass contradictory bill with the Parliament mandate.This is open contravention of India Federalism, the Constitution of India mandates under Art 256 to implement any passed by the Indian Parliament.The State of Kerala is moved to Supreme Court by invoking Art 131 of the Constitution, though the case is pending before the apex court. The previous judgement of the apex court as the State of M.P vs Union of India,2011 the apex court was observed that any Central law may not challenge under the exclusive original jurisdiction of the Supreme Court under Art 131.Thereafter on 2014, in case of state of Jharkhand vs State of Bihar, two judges bench of the SC, comprising justice SA Bobde and Justice Chelmeshwar was disagreed with the previous judgment of 2011 and held that there was no bar on Art 131 being invoked to hear such matters, the bench handed over to the larger bench to hear and this issue which has not been constituted till now.Farming legislation and State Rights- The Indian Parliament passed three Acts on september2020 invited again huge protests of the farmers as above mentioned Acts NPR and CAA. These are following farmer legislation of the Union proved as bone of contention between the Union and the States-

(1) Farmers Produce Trades and Commerce (Promotion and Facilitation) Act 2020: The Act expands the trade areas of farmers produce from select to "any place of production,collection and aggregation". the new Law also electronic trading and e -commerce of scedule farmers.The Act also prohibits to State mechanism from levying any market fee, cess or levy on farmers,traders and electronic trading platform for a trade of farmers produce conducted in an "outside trade area".

(2) Farmers(Empowerment and Protection) Agreement on price assurance and Farm service Act 2020- the Act prescribes a framework for contract farming through an agreement between a farmer and a buyer before the production or rearing of any farm produces.It grants for a three tiers dispute settlement mechanism as the conciliation board,Sub divisional Magistrate and Appellate Authority.

(3) Essential Commodity(Amendment) Act 2020-It contains the provision for the center to regulate certain foods items in course of extraordinary situations like war or famine.Requires that imposition of any stock limit on agricultural be based on price rise.Acquisitions against the aforesaid Legislation- first-it confines the State rights concerning the Farm marketing .The new Legislation prevent the State government from collecting market fee or levy for trade outside Agriculture Produce Committee market; it has led the farmers to believe the laws will gradually decline the mandi system and leave the farmers at the mercy of trading companies.Besides this the protesting farmer unions believe dismantling the APMC will encourage the abolishing the purchase of their crops at minimum support price. Thus the protesting farmers unions demanding that price should be guaranteed by the government**.**

Conclusion and Suggestion- For being a Federal Country it is necessary to the Union and States to comply the Constitutional mandate and respect the dignity for each other.However it is notable that the Country saw huge protests on roads against the certain decisions of the Union Government.These decisions seem to cross the borderline of the Union authority as absence of proper consultation with the State elected leadership i.e the people of J&K before and after the decline of the special status of the state.Here we can not neglect the Union's authority as the Art 370 and section 35A were result of only Presidential order hence there was not claim of State to maintaining federal procedure for revocation of said provisions.Perhaps it may be justified on the ground of peculiar nature of Indian Federalism.The Country can never ignore the voice of the unsatisfied sections as it happened in the matter of CAA,NRC and NPA. The imposition of first lockdown due to Covid-19 urgency over the Country by the Prime Minister

without prior information to States,though on imposing subsequent lockdown the Modi government modified this fault.The current Farming legislation invoked new type of power tussle between the union with states and huge protests against these legislation by the farmers.This issue tackled the attention of National and International media and the apex court has to intervene and suspended the implementation until further orders of the court of these laws.In spite of this the Apex court formed a three members committee for sort out the conflicts between the farmers with the government.After the S.R.Bomai(1994) verdict the federalism of India is integral part of the Constitution both sections of the governments are not permitted to go beyond the lines delineated by the Constitution.The Federalism of the country necessitates as the proper consultation with composing Units as well as minimum government on maximum government for healthy dynamics.The present modi government shoud follow it for to develop better understanding between the Union and State.

References :-

1. Hamid Hussain " Indian Federalism:Emerging Trends" Manak Publication Pvt.Ltd.New Delhi 2010
2. Y.V.Reddy&G.R.Reddy "Indian Fiscal Federalism" Oxford University Press 2018.
3. Naseer Ahmed Khan (ed.)" Challenges and Issues in Indian Fiscal Federalism" Springer Nature Singapore 2017.
4. Amresh Bagchi " Fifty years of Fiscal Federalism in India an appraisal" National Institute of Public Finance and Policy New Delhi(2003)
5. M.A.Laskar "Dynamics of Indian Federalism:A Comprehensive Historical Review" Notion Press 2015
6. D.N.Banerjee "Some Aspects of Indian Constitution" The world press Calcutta 1961.

****

कोविड-19 के प्रभावस्वरूप संगीत शिक्षण का तकनीकियों के माध्यम से विकास

डॉ. शिल्पी श्रीवास्तव *

प्रस्तावना - वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दुष्प्रभाव से जन-जीवन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त हो चुका है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक जीवन का प्रत्येक स्तर प्रभावित हो गया है। इस महामारी के प्रभाव से विद्यार्थियों की शिक्षा का सबसे अधिक ह्रास हुआ है। संगीत शिक्षा विशेष रूप से आमने-सामने बैठकर ग्रहण की जाने वाली शिक्षा है। परन्तु वर्तमान विकट परिस्थिति में इस शिक्षण की क्षति हुयी है। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी रखना आवश्यक हो गया है। अत: परिस्थिति को देखते हुए हमें वैज्ञानिक तकनीकियों की सहायता प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय संगीत को एक नयी दिशा प्रदान की। इन आविष्कारों के माध्यम से उच्चकोटि के कलाकारों के संगीत को सुरक्षित किया जा सकता है। निम्न विवरण इस संबंध में उल्लेखनीय हैं -

'इलेक्ट्रानिकी के आविष्कार से मानव जीवन के साथ संगीत के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न हुयी। जिसकी गायकी या वाद्य को सुनने के लिए पहले के घरानेदार कलाकारों को राजी करना एक दुष्कर कार्य था। उसी गायकी या साज को इस माध्यम ने सहज बना दिया।'[1]

वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा संगीत शिक्षण प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो चुका है। परिणामस्वरूप कंठ एवं हाथ से सिखायी जाने वाली शिक्षा प्रणाली अब वृहद् रूप धारण कर चुकी है। अतएव संगीत कुछ लोगों तक सीमित न रहने से समाज के वृहद रूप में एक हिस्सा बन चुका है। 20वीं शता0 में तीव्र परिवर्तन के फलस्वरूप नये-नये आविष्कारों का प्रादुर्भाव हुआ। मुख्यत: तकनीकि के विभिन्न रूप ग्रामोफोन, माइक्रोफोन, रेडियो, टी.वी., सी.डी. प्लेयर, कम्प्यूटर इत्यादि के द्वारा संगीत के क्षेत्र में क्रांति आ गयी। वर्तमान समय की दुर्लभ परिस्थिति को देखते हुए उपरोक्त वैज्ञानिक आविष्कार वरदान सिद्ध हो रहे हैं।

वैज्ञानिक तकनीकियों का शास्त्रीय संगीत पर विकासात्मक प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा आज का संगीत युग प्रगतिशील माना जाता है। तकनीकि उपकरणों के माध्यम से विभिन्न विषयों के साथ-साथ संगीत विषय में भी ज्ञान का संवर्धन हो रहा है जो कि उत्तारोत्तार विकास का सूचक है।

वर्तमान काल में कोविड-19 के दुष्प्रभाव से विद्यार्थी का संस्था पहुँचकर शिक्षा प्राप्त करना कठिन हो गया है। अत: सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक हो गया है। आज शिक्षक एवं विद्यार्थी को ऑनलाइन शिक्षा द्वारा जोड़ना आवश्यक हो गया है। वैज्ञानिक तकनीकियों में इलेक्ट्रानिक उपकरण का प्रयोग आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वर्तमान समय विद्यार्थियों के शिक्षण हेतु दूरस्थ शिक्षा का लाभ उठाना प्रासंगिक है। वैज्ञानिक उपकरणों का दूरस्थ शिक्षा के रूप में प्रयोग करना आज समय की माँग है।

दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस शिक्षा के द्वारा डाक, दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट आदि के द्वारा पाठ्यक्रम की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त कैसेट, वीडियो सी.डी., वेब कार्यशालायें स्लाइड आदि हैं।

दूरस्थ शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न विवरण उल्लेखनीय हैं - **'प्रौद्योगिकी के विकास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। दूरस्थक्षेत्र विगत दो-तीन दशकों से विकसित हो रही है जिसमें मीडिया व प्रौद्योगिकी के विकास का बहुत बड़ा हाथ है।'**[2]

वर्तमान समय की परिस्थिति में संगीत विषय में भी शिक्षा हेतु दूरस्थ शिक्षा आवश्यक हो गयी है। संगीत की दूरस्थ शिक्षा परम्परागत शिक्षा से भिन्न होती है, इसमें शिक्षण विधियों के स्थान पर संप्रेषण माध्यमों की प्रधानता होती है। जैसे - रेडियो, टी.वी., पत्र-पत्रिकायें इण्टरनेट, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि। दूरस्थ शिक्षा के मुख्य घटक हैं -

1. पत्राचार सामग्री
2. रेडियो और टेलीवीजन प्रसारण
3. प्रसारण माध्यम स्लाइड कैसेट, इश्तेहार
4. सामूहिक प्रशिक्षण कार्यशाला
5. इण्टरनेट
6. कैसेट
7. संगोष्ठी आदि

दूरस्थ शिक्षा के घटकों में से मुख्यत: एक घटक है 'इण्टरनेट'। वर्तमान समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में इण्टरनेट की भूमिका महत्वपूर्ण है। इण्टरनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों, पुस्तकों, जनरलों, पत्र-पत्रिकाओं, लेखों, शोध-लेखों इत्यादि का ज्ञान कागजों में प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान युग में इण्टरनेट द्वारा संगीत के सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पदों को विश्व के किसी भी स्थान पर सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में निम्न विवरण दृष्टव्य हैं -

'संगीत की संस्थायें, पाठ्यक्रम, कलाकारों से सम्बन्धित जानकारी वीडियो, ऑडियो सी.डी. पुस्तकों की सूची, संगीत सम्बन्धी सामाजिक संस्थायें प्रमुख संगीत सम्मेलन, वाद्य विक्रेता सूची,

* अतिथि प्रवक्ता (संगीत गायन) सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

रिकार्डिग सूची इत्यादि इण्टरनेट पर उपलब्ध है। संगीत शिक्षण को विश्वव्यापी बनाने हेतु इण्टरनेट की प्रमुख सेवाओं ई–मेल, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग, एजुसैट एवं व्यवसाय हेतु ई–कामर्स का प्रयोग किया जा सकता है।'[3]

अत: इण्टरनेट सम्पूर्ण विश्व को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके द्वारा हम घर पर बैठे ही किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इण्टरनेट का सीधा–साधा अर्थ है कम्प्यूटरों का एक ऐसा जाल जिसमें विश्वस्तर पर सभी कम्प्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो। संगीत की जानकारी में भी इसका विशेष महत्व है। सर्चइंजन की सहायता से संगीत से सम्बन्धित वेबसाइट को ढूंढकर विषय सामग्री प्राप्त की जा सकती है।

इण्टरनेट से मिलने वाली सुविधायें :

ई–मेल : यह एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से विश्वभर में किसी के भी पास संदेश मिनटों में भेजा जा सकता है। ई–मेल आधुनिक संदेश प्रेषण का सस्ता एवं सरल माध्यम है। वर्तमान समय में किसी से बिना शारीरिक सम्पर्क के इस माध्यम का प्रयोग एक सुरक्षित विकल्प है।

टेलीटेक्स्ट : इस प्रणाली द्वारा संगीत से सम्बन्धित सामग्री, समाचार कार्यक्रमों की सूची, शास्त्रीय गायन वादन या नृत्य से सम्बन्धित कार्यक्रम की समीक्षा प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कलाकारों का जीवन परिचय, उनकी गायन या वादन शैली एवं घराने सम्बन्धित तथ्य भी दिये जा सकते हैं।

वीडियोटेक्स्ट : इस प्रणाली के उपयोग द्वारा शास्त्रीय संगीत से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है जैसे – किसी सभागार में कौन सा कार्यक्रम चल रहा है। शास्त्रीय संगीत के कौन से वाद्य बाजार में उपलब्ध हैं, आदि सभी सूचनाएँ कम्प्यूटर के डाटाबेस में संचित रहती है।

टेलीकांफ्रेंस : टेलीकांफ्रेंस का अर्थ है – दो या दो से अधिक स्थानों पर तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों का आपस में दूरसंचार साधनों द्वारा विमर्श करना। टेलीकांफ्रेंस तीन प्रकार की होती है – (1) ऑडियो कांफ्रेंस (2) वीडियो कांफ्रेंस (3) कम्प्यूटर कांफ्रेंस। इस प्रकार की सुविधाओं का प्रयोग संगीत की गोष्ठियों हेतु किया जा सकता है। वर्तमान समय की परिस्थिति में सांगीतिक वेबिनार का आयोजन इसी सुविधा द्वारा सम्भव हो सका है। प्रचलित Zoom App की सहायता से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगीत वेबिनार का आयोजन सम्भव हो सका है।

साइबर शिक्षा : साइबर शिक्षा के अन्तर्गत विद्यालय और विश्वविद्यालय की शिक्षा घर बैठे ही इण्टरनेट के माध्यम से सम्भव है। आजकल इसे 'ऑनलाइन एजुकेशन' भी कहा जाता है। हमारे देश में इस दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है। बंगलौर की सॉफ्टवेयर कम्पनियों ने साइबर शिक्षा हेतु साफ्टवेयर तैयार किया है। संगीत विषय में भी इस तकनीकि को अपनाकर घर बैठे लोगों को संस्थाओं से जोड़ना सरल हो सकता है।

ई–यूनिवर्सिटी : 'सूचना प्रौद्योगिकी भी इस सुविधा द्वारा यूनिवर्सिटी के विभिन्न संकायों में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान कहीं दूर सर्वर उपलब्ध होने पर इंटरनेट द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।'[4]

भारत में वर्तमान समय में ऐसी वेबसाइट आ गयी है जिसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के साथ–साथ मरीज का इलाज भी सम्भव हो गया है।

इलेक्ट्रानिक पुस्तकें : इण्टरनेट और वेबसाइट के प्रचार द्वारा अब साहित्य विज्ञान, समाजशास्त्र, संस्कृति एवं कला आदि अनेकों विषयों की पुस्तकों की इलेक्ट्रानिक प्रिंटिंग की जा सकती है। इलेक्ट्रानिक प्रकाशन होने पर पुस्तकें प्राप्त करना सरल हो जायेगा। इसके द्वारा कोई भी मनुष्य सम्बन्धित वेबसाइट पर जाकर कोई भी पुस्तक डाउनलोड कर सकता है।

स्पष्ट है कि आज वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से संगीत विषय का शिक्षण भी सुलभ हो गया है।

कोविड–19 के दुष्प्रभाव के कारण शिक्षकों से सम्पर्क करना कठिन होता हा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इन इलेक्ट्रॉनिक दूर संचार के माध्यमों का लाभ उठाना आवश्यक हो गया है।

'यह यांत्रिक युग है जिसकी गति स्पूतनिक के समान है अत: हमको भी उसी गति के साथ चलने की चेष्टा करनी चाहिए। यदि प्राचीन और नवीन अर्थात् दोनों युगों के श्रेष्ठ तत्व उपलब्ध कर समन्वित किये जाये ंतो व्यावहारिक दृष्टि से यह हमारी परम्परा को समृद्ध करेंगें।'[5]

अत: वर्तमान युग में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग संगीत के प्रचार–प्रसार में हो रहा है। वर्तमान काल मं इस वैश्विक महामारी के कारण तकनीकों के माध्यम से शिक्षण को अपनाना एक श्रेष्ठ एवं सुरक्षित विकल्प है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. शिक्षा एवं तकनीकि – डॉ0 शर्मा आर. ए. – आर. लाल बुक डिपो
2. संगीत सुधा – डॉ0 'सिंह' लावण्य 'काव्या' – कनिष्क पब्लिशर्स
3. संगीत मासिक पत्रिका दिसम्बर 2006
4. भारतीय संगीत में मीडिया और संस्थानों का योगदान – डॉ0 'सिंह' राधिका
5. सौन्दर्य रस एवं संगीत – प्रो0 'शर्मा' स्वतंत्र, टी. एन. भार्गव एण्ड सन्स, द्वितीय संस्करण 1995

****

अकहानी आन्दोलन : एक विवेचन

डॉ. राजाराम परते *

शोध सारांश – अकहानी आंदोलन में दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, गंगाप्रसाद विमल, महेन्द्र भल्ला, रवीन्द्र कालिया,काशीनाथ सिंह,सुधा अरोडा, विजय मोहन सिंह,ममता कालिया,रमेश बक्षी, श्रीकांत वर्मा, योगेश गुप्त, राजकमल चौधरी, आदि कहानीकार बहुचर्चित रहे। इनकी कहानियॉ पुरातन कथा-रूढियों को तोड़ने वाली तथा प्रयोगशील कहानियॉ हैं। फिर भी वैचारिक भूमि के अभाव में यह आंदोलन बहुचर्चित होकर भी ठोस धरातल पर पांव जमा नहीं पाया। इस प्रकार 'अकहानी आंदोलन मूल्य निरपेक्ष और समाज से असंपृक्त, बगैर किसी मंजिल के कुछ पड़ावों-मुकामों तक चली और एक दिन यह कथा यात्रा क्षीण हो गई। सामाजिकता से कोसो दूर रहने के कारण अकहानी ने दम तोड दिया। निष्कर्ष रूप में अकहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती है। भावबोध के धरातल पर यह कहानी-आंदोलन संत्रास,ऊब,आत्मपीडन,अकेलापन एवं विसंगति का चित्रण करता है।

प्रस्तावना – बीसवीं शताब्दी के आरंभ के साथ ही हिन्दी कहानी अस्तित्व में आती है। 120 वर्षो की विकास यात्रा में कहानी विभिन्न नवमूल्यों के दौर से गुजरी है। कहानी के आधार स्तम्भ प्रेमचंद का युग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का युग था साथ ही भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की रक्षा का दायित्व भी था। तत्कालीन कहानियों में भारतीय जीवन का विराट चित्र स्पष्टता के साथ उभरकर प्रस्तुत हो रहा था। दूसरी ओर इस युग के प्रमुख कहानीकार प्रसाद की कहानियों में बाहय जगत उतना नहीं जितना मानव मन की आंतरिक भावनाओं का सूक्ष्म द्वंद चित्रित हो रहा था। ऐतिहासिक सन्दर्भो के साथ प्रेम, कर्त्तव्य, त्याग, समर्पण, की भावना अपने उदात्त स्वरूप में प्रस्तुत हो रहे थे। आगे जैनेन्द्र ने हिन्दी कहानी को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसी क्रम में अज्ञेय ने अपनी कहानियों में मानव मन के तार-तार का विश्लेषण किया । इस तरह कहानी का उत्तरोत्तर विकास होता गया। यशपाल,अश्क,इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, आदि प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात हिन्दी कहानी में बदलाव आया। इस विधा ने फिर करवट ली और एक नयें तेवर के साथ प्रस्तुत हुई। इस नये स्वरूप को समझने के लिए इस युग की सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियों पर भी विचार करना आवश्यक है।

स्वाधीनता प्राप्ति के साथ नई आशाएं और आकांक्षाएं पैदा हुई पर इसके साथ जुड़े देश विभाजन, भयानक रक्तपात, लाखों बेघर लोग, महात्मा गांधी की हत्या जैसी अमानवीय एवं त्रासद घटनाओं ने दु:खद कुंठा को जन्म दिया। औद्योगिकीकरण की गति तीव्र होती गयी । जाति बंधन शिथिल होते गए। व्यक्ति की आस्थाएं डगमगाने लगीं, उसके सारे विश्वास, सारी मान्यताएं और मूल्य खंडित होकर रह गए। तब नये कहानीकारों ने एक स्वर में उद्घोष किया कि पुराने साहित्यकार बदले हुए समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए उन्होने पुरानी पीढ़ी से अलगाव की घोषणा कर दी । जीवन के यथार्थ की प्रमाणिक अभिव्यक्ति पर प्रतिष्ठित रचनाकारों की पकड़ ढ़ीली पड़ती गयी। नयें रचनाकारों ने परम्परागत रूढ़ ढॉचे को निर्ममता के साथ तोड़ा और कहानी को अनुभव की प्रामाणिकता के साथ यथार्थ की ठोस भाव भूमि प्रदान की। प्रेमचन्द ने 1950 तक की कहानी को पुरानी कहानी कहा है। कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से नई कहानी को पुरानी से अलगाने का प्रयास किया। कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मोहन राकेश और निर्मल वर्मा इस आन्दोलन के प्रारंभकर्ता एवं आधार स्तम्भ थे। नई कहानी में नई संभावनाओं की खोज ही वह बिन्दु है जहाँ से वह पुरानी कहानी से अपने को अलगाती है। सहजता की खोज नई कहानी की विशेषता है। कहानी के विकास क्रम में कई चरण आए हैं। एक चरण ऐसा भी आया जिसने पुरानी परम्पराओं और रूढियों, मान्यताओं को तोड़ा और अपने आपको पुरानी कहानी से अलग किया। जिस प्रकार 1950 के बाद नई पीढ़ी के कहानीकारों ने अपनी कहानियों को नयी कहानी नाम दिया तथा अपने नयेपन का झण्डा बुलन्द करते हुए अपने आपको हिन्दी कहानी के क्षेत्र में एक नवीन युग के प्रवर्तक के रूप में प्रस्तुत किया, उसी प्रकार 1960 के बाद के कथाकारों ने शिल्प और संवेदना की दृष्टि से अपनी कहानियों को नितान्त नयी और क्रान्तिकारी ठहराया। इस नयी पीढी के रचनाकारों की कहानियों को ही अकहानी की संज्ञा प्रदान की गई। अकहानी के साथ आन्दोलन शब्द जुड़ा हुआ है जो महत्वपूर्ण है। परम्परा से हटकर चिंतन में जो परिवर्तन आया, उसके लिए नई पीढ़ी के कहानीकारों ने अथक प्रयास किया।

अकहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह फ्रांस के 'एंटी स्टोरी' मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आन्दोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव वैसे ही दिखता है जैसे अकविता की कविताओं मे दिखाई देता है। गंगा प्रसाद विमल की 'प्रश्नचिन्ह' दूधनाथसिंह की 'रीछ' रवीन्द्र कालिया की 'नौ साल छोटी पत्नी' आदि कहानियॉ इसी भाव की पुष्टि करते हैं।

हिन्दी कथा साहित्य में नई कहानी अपना नयापन का नारा बुलन्द करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया में एक ओर 'सचेतन' कहानी आगे बढी तो दूसरी अकहानी ने अपना अलग अस्तित्व पाश्चात्य दर्शन की पृष्ठभूमि पर अपनाया। अकहानी शब्द की सार्थकता बताते हुए श्याम परमार का कहना है- 'अ उपसर्ग निषेधात्मक होने के साथ-साथ पूर्व पीढ़ी से या नई कहानी से साठोत्तरी कहानी को अलग करने का काम भी करता है। यही कार्य इस

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय, परसवाडा, जिला-बालाघाट (म.प्र.) भारत

उपसर्ग ने कविता के क्षेत्र में भी किया। साथ ही इस उपसर्ग मे पूर्व पीढ़ियों का वह उपहास भी आकार ले रहा है जो उसने नई पीढ़ी के प्रति प्रक्षेपित किया।'

डॉ. रघुवर दयाल वार्ष्णेय की मान्यता है कि – 'अकहानी सन् 1960 के बाद की एक विशिष्ट कथा सृष्टि है जो पेरिस के एण्टी स्टोरी का भारतीय संस्करण है। वस्तुत: इसके पीछे अस्तित्ववादियों का विश्वबोध, एबसर्डबोध और कामू का दर्शन निहित है। यह एक ऐसी रचनात्मक चेतना थी जो परवर्ती पीढ़ी से भिन्न थी ।'

रजनीश कुमार के शब्दों में 'साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किन्तु शीघ्र ही उन्होने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी और सन 1960 के बाद हिन्दी कहानी के क्षितिज पर अकहानी एक आन्दोलन के रूप में उग गयी।'

अकहानी, कहानी की धारणागत प्रतीती से अलग एक अस्थापित कथाधार है, जो कहानी के सभी वर्गीकरणों, मूल्यांकन आधारों और पूर्व समीक्षाओं को अस्वीकार करती है। इस नयी प्रकार की कथाधारा में जीवन की आभासहीनता, अभिव्यक्ति की निरर्थकता, भाषा भावों की अपूर्णता और व्यक्तित्व की विसंगति को प्रश्रय मिला। अकहानी निरपेक्षता तटस्थता, जड- विषाद और सत्वहीनता द्धारा व्यक्तित्व की खोज करना चाहती है।

ममता कालिया अकहानी के भिन्न-शिल्प को रेखांकित करती हुई कहती है कि,'अकहानी को सजे सजाये कृत्रिम ढॉचे से चिढ़ है, वह जीवन में शिल्पहीनता पाती है, आकृतिहीनता पाती है और उसे ईमानदारी से उसी आकृतिहीनता, शिल्पहीन रूप में आपके सामने रखती है। अकहानी का शिल्प एक शिल्पहीन शिल्प है उसे कहानी के नाम पर वे रूढ़ियॉ स्वीकार नहीं जो कहानी को कहानी कम, किस्सा ज्यादा बनाती है। वे संवेदना पर बल देते हुए कहती है कि अकहानी में केवल एक संवेदना है जिसे अत्यन्त मानवीय स्तर पर उद्धाटित किया जाता है। नया लेखक मृत्यु उन्मुख नहीं है, मगर विज्ञान की प्रगति के बावजूद व्यक्ति को वे स्थितियॉ जो उसे अत्यन्त निरीह और असमर्थ छोड़ जाती हैं तथा लेखक उससे परेशान हो जाता है और उस परेशानी को, पीड़ा को अपनी कहानियों में व्यक्त करता है।

अकहानी जीवन के बिखराव को आज के आदमी की नई जरूरतों एवं बदले परिवेश की दूरी को अहमियत के साथ पकडने का दावा करती है। विभिन्न मतों को देखते हुए अकहानी के संबंध में कहा जा सकता है कि यह आधुनिक जीवन दृष्टि है। यह आत्मपीड़न, संत्रास और पुंसत्वहीन नियति में केन्द्रीभूत होकर वृहत्तर सत्यों का साक्षात्कार करने का दावा करती है। दूधनाथ सिंह, ज्ञानरंज, गिरिराज किशोर, प्रबोध कुमार, प्रयाग शुक्ल, काशीनाथ सिंह, सुधा अरोड़ा, रमेश बक्षी, मधुकर, श्रीकान्त वर्मा,योगेश गुप्त, राजकमल चौधरी की कहानियॉ पुरातन कथा रूढ़ियों को तोड़ने वाली और प्रयोगशील कहानियॉ हैं।

प्रमुख रचनाकार :

गंगा प्रसाद विमल- इन्द्रनाथ गदान के अनुसार विमल अकहानी आंदोलन के नेता है। इनकी कहानियों को आधुनिकता बोध के स्तर से जानना बेहतर होगा। आंतरिक अकेलापन,आंतरिक खालीपन मनुष्य के एकांत अस्तित्व के विराट भय के सवालों को लेकर अकहानी के चेहरे को उजागर करते है। विध्वंस (1965),शहर में (1966), बीच की दरार (1968), अतीत में कुछ (1972), कोई शुरूवात (1973) आदि अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। आधुनिकता का सकारात्मक पक्ष आपकी कहानियों का मजबूत पक्ष है।

जगदीश चतुर्वेदी- चतुर्वेदी जी, अकहानी आंदोलन के उन्नायकों में से एक हैं। आपकी पहली कहानी संग्रह 'जीवन संघर्ष' (1954) में प्रकाशित हुआ। दूसरी कहानी संग्रह 'निहंग' (1973) में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की अधिकतर कहानियों का विषय लड़का-लड़की, नारी-पुरूष की निकटता से उत्पन्न भोग, लालसा और प्रताड़ना पर आधारित हैं। आपकी कहानियों में स्त्री पुरुष संबधो का खुलकर चित्रण है।

दूधनाथ सिंह – आपकी कहानियां सामाजिक धरातल की कहानियां है। युग का उद्घोष है। आपका 'सपाट चेहरे वाला आदमी' कहानी संग्रह (1967) में प्रकाशित हुआ। यह कहानी संग्रह आपकी ख्याति का आधार बना। व्यवस्था के प्रति इनके विद्रोही स्वर को सर्वत्र प्रशंसा मिली । अकहानी आंदोलन के प्रमुख पक्षधरों में आप अग्रणी हैं।

ज्ञानरंजन – अकहानी आंदोलन में ज्ञानरंजन की प्रमुख भूमिका है। आपकी कहानियां भीतर तक भीगे जीवन की कहानियां है। जीवन की अनेकानेक विद्रुपताओं का खुलासा करती है लीक से हटकर लिखी गई कहानियां मनगढ़ंत न होकर जीवन की उन विकट राहों से निकली कहानियां है जो हमारे आस-पास के परिवेश को भीतर तक विचलित करने वाले सत्य का संधान करती हैं। ज्ञानरंजन की प्रकाशित रचनायें फेंस के इधर और उधर (1968), क्षणजीवी (1977), 'सपना नहीं' (1977) हैं। फेंस के इधर और उधर कहानी नये और पुराने की व्याख्या करती है। आपकी 'अनुभव', 'घण्टा', बहिर्गमन कहानियों में मध्यवर्गीय लोगों की विकृत्तियों, अश्लीलताओं और कुरूपताओं के नाटकीय प्रदर्शन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। 'पिता' कहानी में पुराने भावनात्मक संबंध टूटते नजर आते है। यह कहानी अत्यंत निर्ममता से उस मूल्य बोध और मूल्य स्थापन को निरन्तरता से तोड़ती है, जिसके प्रति एक पूरी पीढ़ी की आत्मीयता टिकी है।

रवीन्द्र कालिया – अकहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। आपकी कहानियों में अजनबीपन, उबाऊपन, संत्रास, विसंगति, तनाव आदि का चित्रण है। आपकी कहानियों में यथार्थ और यथास्थिति का प्रमाणिक स्वरूप प्राप्त होता है। आधुनिक भाव बोध आपकी कहानियों में व्याप्त है। आस्था एवं विश्वास का स्वर गहनता के साथ प्रस्तुत हुआ है। आपके प्रमुख कहानी संग्रह 'नौ साल छोटी पत्नी' (1969), काला रजिस्टर (1972), गरीबी हटाओ (1976) प्रकाशित हुए।

रमेश बक्षी – रमेश बक्षी आधुनिक भावबोध के कहानी कार हैं। आपकी रचना प्रक्रिया संकेतों और प्रतीकों से परिपूर्ण है। फालतूपन, घुटन, बोरियत, अकेलापन और अजनवीपन कहानियों में दिखाई देता है। एक अमूर्त तकलीफ (1968), तलघर (1969), सजा (1970) आदि आपकी प्रमुख कहानियां हैं। पिता दर पिता कहानी में मॉ-पिता-पत्नी के प्रति अत्यधिक क्रोध जो कहीं-कहीं अनायास ही घृणा का रूप पा लेता है, बक्षी जी की कहानियों की पहचान है। आपकी कहानी अस्तित्ववादी रूझान से प्रभावित आधुनिकता का बोध कराती हैं।

योगेश गुप्त- योगेश गुप्त की कहानियॉ वर्तमान यांत्रिकता और उससे उत्पन्न संकट पर आधारित हैं। इससे मानव अस्तित्व को खतरा है। टूटा हुआ कोना (1977), अकबर के फूल (1979), उन दो शहरों की तरह (1982) आपके प्रमुख कहानी संग्रह है। मशीनीकरण के युग में व्यक्ति अमानवीय होता जा रहा है। मनुष्य का संघर्ष और उसकी छटपटाहट कहानियों में साफ दिखाई देती है। इन्ही विसंगतियों का उल्लेख कर गुप्त जी अकहानी आन्दोलन में आपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई।

ममता कालिया– ममता कालिया को कहानियों में मुख्य रूप से नारी उत्पीड़न की समस्या को उठाया गया है। पति द्वारा अपमानित होकर भी बेमेल स्वभाव प्रवृत्ति को झेलते हुए नारकीय जीवन व्यतीत करती हुई नारी की व्यथा आपकी कहानियों में है। छूटकारा (1969), एक अदद औरत (1979), उसका यौवन (1985) आदि आपके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को केन्द्र में रखकर नारी के समग्र जीवन के संघर्ष का चित्र देखने में भी आपको सफलता प्राप्त हुई है।

सुधा अरोड़ा– सुधा अरोड़ा ने नारी जीवन की विसंगतियों का चित्रण किया है। आपने आधुनिक भाव बोध को नयी दृष्टि से देखा है। आपका पहला कहानी संग्रह 'बगैर तराशे हुए' (1968) प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की महिला पात्र पुरानी रूढ़ियों और मान्यताओं को तोड़ते हुए एक नया समाज बनाने के लिए आतुर एवं बेचैन हैं। आपने वृद्धों का अकेलापन और युवा पीढ़ी की सोच के साथ मनोवैज्ञानिक विवेचन भी किया है।

श्रीकांत वर्मा– श्रीकांत वर्मा मूलतः कवि है, इसलिए कहानियों में कविताओं का प्रभाव दिखाई देता है। पलायन, पराजय, घुटन, कुंठा के स्वर आपकी कहानियों में सुनाई पड़ते हैं। आपके दो कहानी संग्रह वाणी (1964) और संवाद (1969) प्रकाशित हुए। आधुनिक बोध का कलात्मकता के साथ चित्रण आपकी विशेषता है।

गिरिराज किशोर – गिरिराज किशोर शहीद जीवन की विसंगतियों और व्यवस्था के खोखले पक्ष को उजागर करने वाले कथाकार हैं। मध्यवर्गीय परिवार की नारी जो रूढ़ियों में जकडी हुई है, उनकी पीड़ा, शिक्षा व्यवस्था, अभावजन्य कुंठा, अहंकार की टकराहट आदि को अपनी कहानियों में उठाया है। नीम के फूल (1964), रिश्ता और अन्य कहानियॉ (1969), जगन्तारानी (1981) पेपर पेंट (1967) आदि कहानियां प्रमुख हैं।

अकहानी आंदोलन के कहानीकारों की कहानी की भाषा ही उनका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। रमेश बक्षी की भाषा में चित्रमयता प्रतीक और संकेत जो आधुनिकता का बोध कराती हैं। सुधा अरोड़ा की भाषा वस्तु की अभिव्यंजना में सहायक है। आपकी कहानियों के शिल्प में सहायक है। आपकी कहानियों के शिल्प में ताजगी और नवीनता है। श्रीकन्त वर्मा की भाषा चित्रमयी और व्यंजना सक्षम है। ममता कालिया की भाषा व्यंग्यगर्भित विशेष प्रभाव छोड़ने वाली है। ज्ञानरंजन की भाषा के संबंध में कामेन्दु शिशिर ने कहा है कि 'ज्ञानरंजन का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी भाषा है। कविता की सर्वोत्तम ऊँचाईयों को रचनात्मक क्षमता का दुर्लभ प्रतिमान रखती है। इतनी मंजी, कसी और संगमरमर सी तराशी हुई भाषा इसके पहले या बाद में देखने को नहीं मिलती। ऐसा लगता है, मानो उनके वाक्य में शब्द स्प्रिंग की तरह टंके हों। किसी एक शब्द में स्थान परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं होती। उनकी दूसरी विशेषता विलक्षण निर्मम तटस्थता की है। जिसके कारण उनकी कहानियों में नितान्त निजी रिश्ते और सहज व्यंग्य की स्थितियों को अपनी चरम मार्मिकता के साथ उभारते हैं।'

निष्कर्ष – विवेच्य अकहानी 'आंदोलन एंटी स्टोरी' का ही भारतीय संस्मरण है। निषेधात्मक भाव होने के कारण नई कहानी से साठोत्तर कहानी को अलग करने का काम भी करता है। यह जीवन दृष्टि को भी प्रगट करता है, जिसमें जीवन की अर्थहीनता, अभिव्यक्ति की निर्थकता भाषा और भावों की अपूर्वता एवं व्यक्तित्व की विसंगति को आश्रय मिला है। अकहानी आंदोलन ने कहानी के पारम्परिक कथाकार के शिल्प के सांचे और जीवन बोध से असंगति रखने वाले को भी नकार दिया। अकहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती हुई कुछ नए प्रश्न उपस्थित करती है। इसमें भाव बोध के धरातल पर संत्रास, आत्मपीडन, ऊब, अकेलापन, का चित्रण दिखाई देता है। अकहानी अनुभूत सत्य को यथा रूप में अभिव्यक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रगट करती है। इस काल की अधिकांश रचनाओं में पुरानी मूल्य व्यवस्था के प्रति घृणा और बोध का भाव ही अभिव्यक्त हुआ है। परम्परागत रूढियों का विरोध कर जीवन मूल्यों को व्यापक सन्दर्भ से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यही कहानी आंदोलन और उसके प्रमुख कहानीकारों की सबसे बड़ी विशेषता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. नयी कहानी की पूर्व पीठिका, रामाश्रय सविता, सुलभ प्रकाशन लखनऊ।
2. हिन्दी कहानियॉ और फैशन, उपेन्द्रनाथ अश्क, नीलाभ प्रकाशन इलाहाबाद 1971।
3. हिन्दी कहानी के आंदोलन : उपलब्धियॉ और सीमायें, रजनीश कुमार, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस दिल्ली, 1986।
4. नयी कहानियॉ, ममता कालिया, मार्च 1966।
5. हिन्दी कहानी: समीक्षा और सन्दर्भ, विवेकीराम, राजीव प्रकाशन इलाहाबाद 1985।
6. आधुनिकता और हिन्दी साहित्य, डॉ. इन्द्रनाथ मदान।
7. प्रतिनिधि कहानियॉ, ज्ञानरंजन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

Mulk Raj Anand : A Voice Of Downtrodden And Poor (With special reference of Untouchable and Coolie)

Dr. Pallavi Parte*

Abstract - Of the Indo- Anglian novelists Mulk Raj Anand is one such figure who is internationally recognized as an eminent novelist. Mulk Raj Anand along with R. K. Narayan and Raja Rao has shown anything like stamina and stern consistency of purpose. When Anand started writing fiction, he decided he would prefer the familiar to the fancied , that he would avoid the highways of romance and sophistication but explore the bylanes of the outcastes and the peasants , the sepoys and the working people . Anand is known for his realistic and sympathetic portrayal of downtrodden and poor in India.

Introduction - 'साहित्य समाज का दर्पण है' This is a famous quote by a great writer and critic of Hindi Literature Acharya Mahaveer Prasad Dwivedi . Similarly in English the literary forms chiefly drama and fiction mirror the human life in a society .The study of Indian society cannot be completed without the study of caste system. Caste is the fundamental structural feature of Hindu society. It has been the dominant principle of social organisation since ancient times .This is because of the caste system, prevalent in the country, Indian society is divided into various sects and classes. This reveals a very ugly and splitting face of our society. Dauntlessly this was exposed in pre – independence period by a great Indo- Anglian novelist Mulk Raj Anand.

Mulk Raj Anand is one such figure, who is internationally recognized as an eminent novelist. He along with R. K.Narayan and Raja Rao has long been regarded as the 'Big Three' of Indian English writing.Whereas R.K.Narayan's fiction is remarkable for its detachment, Anand has written his novels and short stories with a personal commitment and mission.The avowed purpose behind his fiction is to teach people 'to recognize the fundamental principles of human living and exercise vigilance in regard to the real enemies of freedom and socialism.'

Anand, known for his realistic and sympathetic portrayal of the downtrodden and poor in India, employs his fiction to help raise the untouchable, the peasants , the serfs , the coolies and other suppressed members of the society. A prolific writer, Anand first gained wide recognition for his novels Untouchable (1935) and Coolie (1936) both of which examined the problems regarding caste system and poverty in Indian society.

As mentioned earlier Untouchable is Mulk Raj Anand's first novel. The hero of the novel is Bakha ,a tall strong lad, who is an untouchable. The caste system in India has become very rigid and oppressive. Bakha lives a deprived life. His home is a one – roomed mud house, dark and dingy. Anand has expressed his protest against the inhuman caste system by depicting a day in the life of the sweeper boy Bakha. Bakha has a deeper awareness of his position in society. He is static and dynamic at the same time. He is static because centuries of servility have made him weak, helpless and morally degenerate. He also had mornings with genitive derogatory words:

'Oh, Bakhya! Oh , Bakhya ! Oh, you scoundrel of a sweeper's son ! Come and clear a latrine for me!' someone shouted from without.

In the novel one more incident is considered as a clear example of the class struggle theme and the violent language motif. When a high caste man in a very aggressive and derogatory language asks why Bakha does not call and announce his approach:

"Keep to the side of the road, you low – caste vermin!' he suddenly heard someone shouting at him. 'Why don't you call, you swine, and announce your approach! Do you know you have touched me and defiled me, you cockeyed son of a bow-legged scorpion! Now I will have to go and take a bath to purify myself. And it was a new dhoti and shirt I put on this morning!"

Bakha of the morning is not the same as Bakha of the evening. His life remains the same, but during the course of the day there is a sea- change psychologically. He has attained some measure of self- realization and self-knowledge. Anand's belief in equality and social justice is well projected in this novel.

In Untouchable the evil is isolated as caste: in Coolie the evil is more widespread and appears as greed, selfishness and inhumanity in their hundred different forms. Yet the root of the matter is poverty: as Munoo, the protagonist of the novel 'Coolie', realizes, "all servants look

*Asst. Prof. (English) Rani Durgawati Govt. College, Paraswada, District Balaghat (M.P.) INDIA

alike. There must be only two kinds of people in the world: the rich and the poor."Like Bakha he also leads a deprived life. In his struggle for survival, he leaves the village and moves to the town and then to the city and eventually to the mountains. Munoo contacts tuberculosis and eventually succumbs to the disease. His suffering is the result of social and economic inequality. Anand criticizes the rich who not only exploit their fellow Indians but are also ill- at- ease with other people who belong to their own class.

In one passage in Coolie that presents this stark contrast between the hopes and expectations of members of different caste with which the individual is raised in Indian society, Anand describes the young boy's thoughts :

"It did not occur to him to ask himself what he was apart from being a servant, and why he was a servant and Babu Nathoo Ram his master. His identity he took for granted , and the relationship between Babu Nathoo Ram , who wore black boots , and himself , Munoo , who went about barefoot , was to him like sunshine and sunset, inevitable and unquestionable."

The titles of his early novels – Untouchable and Coolie – seem to emphasize the universal as against the particular: as if Bakha is all 'untouchables', Munoo is all 'coolies' ; however ,being a true artist , Anand makes the individual-Bakha or Munoo-assert his uniqueness, without quite ceasing to be the universal. His novels are deliberately designed to throw suffering of the peasants and weaker sections of Indian society into the most lurid relief. He sees everything through the eyes of the simple native people which produces an effect that is most moving and touching. He chose to be the mouth- piece of the have-nots and the downtrodden. Thus he concentrates in his works on a section of society neglected by other Indo–Anglian novelists.

As a writer of fiction, Anand's notable marks are vitality and a keen sense of actuality. Through the characters of Bakha and Munoo , Anand has made efforts to raise his voice for those who have been confronting the curse of caste system and class division . Though these novels were written respectively in 1935 and 1936 but the venom of caste system and class division still has its effect in our society. Although there is a sort of improvement in the condition of such people provided by the provisions of law and constitution .But still we can have several incidents regarding caste system and class division in different parts of our country . Thus it can be said that Anand's voice is as relevant as it was at the time of writing these novels and this voice cannot lose its value until the curse of caste and class disappear from our nation and finally humanity triumphs.

References :–

1. Iyengar K R Srinivasa : Indian Writing in English , Sterling Publishers Private Ltd. New Delhi. Eighteenth reprint 2007, 2008, 2009.
2. Tilak Dr. Raghukul : Mulk Raj Anand UNTOUCHABLE {A Critical Study} ,Rama Brothers Educational Publishers New Delhi , Thirteenth Edition 2000
3. Mundhra S. C.: A Hand Book of Literature in English for Competitive Examinations, Prakash Book Depot Bareilly
4. archive.org > stream >2015.526829. ...
5. archive.org >in .ernet.dli.2015 .93633
6. www.freepressjournal.in>mulk...
7. literaryvista.blogspot.com>2013/06
8. www.britannica.com>biography
9. theprint.in>ThePrint Profile
10. www.dw.com>indias–caste–syst.....
11. www.quora.com >What-is-the-effec...

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

A Study of Impact and Challenges of GST on Various Constituents of Indian Economy

Antim Banthiya*

Abstract - In India, the idea of GST was contemplated in 2004 by the Task Force on implementation of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, named Kelkar Committee. The Kelkar Committee was convinced that a dual GST system shall be able to tax almost all the goods and services and the Indian economy shall be able to have wider market of tax base, improve revenue collection through levying and collection of indirect tax and more pragmatic approach of efficient resource allocation. Under the Goods and Service Tax mechanism, every person is be liable to pay tax on output and shall be entitled to enjoy credit on input tax paid and tax shall be only on the amount of value added . The historic GST or goods and services tax has become a reality. The new tax system was launched at a function in Central Hall of Parliament on 1st July ,2017 (Friday midnight). GST, which embodies the principle of "one nation, one tax, one market" is aimed at unifying the country's $2 trillion economy and 1.3 billion people into a common market. Under GST, goods and services fall under five tax categories: 0 per cent, 5 per cent, 12 per cent, 18 per cent and 28 per cent. For corporates, the elimination of multiple taxes will improve the ease of doing business. And for consumers, the biggest advantage would be in terms of a reduction in the overall tax burden on goods. "Inflation will come down, tax avoidance will be difficult, India's GDP will be benefitted and extra resources will be used for welfare of poor and weaker section," Finance Minister Arun Jaitley said at GST launch event in Parliament. The Lok Sabha has finally Passed the Goods and Services Tax Bill and it is expected to have a significant impact on every industry and every consumer. Apart from filling the loopholes of the current system, it is also aimed at boosting the Indian economy. This will be done by simplifying and unifying the indirect taxes for all states throughout India. Keywords: GST, Indian Economy, Positive Impact, Negative Impact, Central Government, State Government.

Keywords - GST, Indian Economy, Positive Impact , Negative Impact, Central Government, State Government.

Introduction - GST stands for Goods and Services Tax levied by the Government in a move to replace all of the indirect taxes. In India, the idea of GST was contemplated in 2004 by the Task Force on implementation of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003, named Kelkar Committee. The Kelkar Committee was convinced that a dual GST system shall be able to tax almost all the goods and services and the Indian economy shall be able to have wider market of tax base, improve revenue collection through levying and collection of indirect tax and more pragmatic approach of efficient resource allocation. Under the Goods and Service Tax 535 | P a g e mechanism, every person is be liable to pay tax on output and shall be entitled to enjoy credit on input tax paid and tax shall be only on the amount of value added . The principal aim of GST is to eliminate cascading effect i.e. tax on tax and it will lead to bringing about cost competitiveness of the products and services both at the national and international market. GST System is built on integration of different taxes and is likely to give full credit for input taxes. GST is a comprehensive model of levying and collection of indirect tax in India and it has replace taxes levied both by the Central and State Governments. GST be levied and collected at each stage of sale or purchase of goods or services based on input tax credit method. Under this system, GST-registered commercial houses shall be entitled to claim credit of the tax they paid on purchase of goods and services as a part of their day to day businesses. The historic GST or goods and services tax has become a reality. The new tax system was launched at a function in Central Hall of Parliament on 1st July,2017 (Friday midnight). GST, which embodies the principle of "one nation, one tax, one market" is aimed at unifying the country's $2 trillion economy and 1.3 billion people into a common market. Under GST, goods and services fall under five tax categories: 0 per cent, 5 per cent, 12 per cent, 18 per cent and 28 per cent. For corporates, the elimination of multiple taxes will improve the ease of doing business. And for consumers, the biggest advantage would be in terms of a reduction in the overall tax burden on goods. "Inflation will come down, tax avoidance will be difficult, India's GDP will be benefitted and extra resources will be used for welfare of poor and weaker section," Finance Minister Arun Jaitley said at GST launch event in Parliament. The Lok Sabha

*Research Scholar, Oriental University, Indore (M.P.) INDIA

has finally Passed the Goods and Services Tax Bill and it is expected to have a significant impact on every industry and every consumer. Apart from filling the loopholes of the current system, it is also aimed at boosting the Indian economy. This will be done by simplifying and unifying the indirect taxes for all states throughout India.

Need For GST In India :

1. Present tax system allows is diversity of taxes, the introduction of GST is likely to unique it.
2. Many areas of Services which are untaxed. After the introduction of GST they will also get covered.
3. GST may help to avoid confusions caused by present complex tax structure and will help in development of a common national market.
4. Excise, VAT, CST have the cascading effects of taxes. Therefore, there will be end up in paying tax on tax. GST will replace existing all present taxes.
5. GST will lead to credit availability on throughway purchases and reduction in obedience requirements.
6. Applying of GST will do more than simply redistribute the tax burden from one sector or Group in the economy to another.
7. Achieves, uniformity of taxes across the territory, regardless of place of manufacture or distribution.
8. Provides greater certainty and transparency of taxes.
9. Ensures tax compliance across the country.
10. GST will avoid double taxation to some extent.
11. The effective implementation of GST makes sure that India provides a tax system that is almost similar to the rest of world where GST implemented.
12. GST will also improve the International level cost competition of various native Goods and Services. GST will provide impartial tax structure that is neutral to business processes and geographical locations within India.

Impact OF GST On Prices Of Goods And Services - Tax experts claimed that the previous practice of tax on tax – for example, VAT was being charged on not just cost of production but also on the excise duty that was added at the factory gate leading to production cost building up but now all had been gone when GST is rolled out. The prices of consumer durables, electronic products and ready-made garments will be available at low price after rolled out GST. In other aspects, for goods which were taxed at low rate, the impact of GST brings price increment. Services bearing essential ones like ambulance, cultural activities, pilgrimages etc. were exempted from levy are same. India has seen the strongest tax reform that aims to do away with various – tax system on goods and services and bring them under one rate. We can draw the following impact of GST on prices: The government rolled out the much talked about Goods and Services Tax (GST) on the midnight of June 30. The GST Council has fixed the tax rates, keeping a view on all goods and services; they are classified under tax slabs 0 % (exempted ones), 5%, 12%, 18% & 28%. Here is a list of some items which are completely exempt from the GST regime:

1. The unprocessed cereals, rice & wheat etc.
2. The unprocessed milk, vegetables (fresh), fish, meat, etc.
3. Unbranded Atta, Besan or Maida.
4. Kid's colouring book/drawing books.
5. Sindoor/Bindis, bangles, etc

Impact Of GST On Various Areas Of Economy - GST has a positive impact on the economy and on various sectors which are as follows:

- **Impact on consumer goods sector:** With the implementation of Goods and Service Tax, FMCG sector would really change. The Food Manufacturing Consumer Goods sector consist 50% Food and Beverage sector and 30% is Household and Personal care. FMCG sector which is also called consumers packed goods is the key taxation contributor both direct and indirect in the economy. The multiplicity of the taxation influences the company decision on manufacturing location and distribution of Goods. Their companies set their manufacturing units and warehouses where they can gain tax benefits. They have to pay taxes to transfer the stock from the warehouses among the states. FMCG sector would surely impacted because of GST as taxes affect the cost to the company.
- **Impact on Brokers and equity investments:** With the service tax being subsumed into GST, the rate of GST on financial services stands modified from 15 per cent to 18 per cent. From a long-term investor's perspective, this may not be too significant since the overall shift is just about 3 basis points. This 3 basis points for short term traders, will change the economics of mixing their funds in the equity markets. It remain to be seen whether it actually affected the volumes and liquidity in the markets.
- **Impact on Cement Industry:** According to Angel Broking, GST implementation is expected to be neutral for the cement industry. Earlier, cement was taxed at 12.5 per cent excise and VAT rates between 12.5-15.5 per cent. Under GST, the cement will be taxed at 28 per cent, which is nearly the same as the current tax structure.
- **Impact on Food Industry:** Since food constitutes a large portion of the consumer expense of lower income households, any tax on food would be regressive in nature. The food processing sector will root difficulty in extending GST in view of the fact that production and distribution of food is largely unorganized in India, in most of the countries tax food keep at a lower rate with view the considerations of fairness and equity on global observe . Countries such as Canada, UK and Australia where food establish a relatively small portion of the consumer basket and food is taxed at zero rates. Even in some countries, food is taxed at a standard rate which is considerably as low as 3% in Singapore and Japan at the commencement of the GST. In level of international jurisdictions, no division is tired on the degree of processing of food. Hence, the gain of lower or zero tax rates should also be prolonged to all food items in India regardless to degree of processing.

- **Impact on Information Technology services:** The proposed GST rate under the IT industry is not yet decided. The discussed joint rate of GST for the product is 27%. According to projected GST if electronic form software is transferred through it would be regarded as service (intellectual property).and if it is transferred through media or any other touchable property then it should be treated as goods. Price will be reduced by implementation of GST in uniform simplified and single point taxation. Impact on Infrastructure sector: The Indian infrastructure sector largely comprises power, road, port, railways and mining. Each of them the indirect tax levy is different and exclusive, and this is composite in nature. While this sector enjoys different exceptions and concerns as it is important on national front. With the implication of GST the multiplicity of taxes will be removed and it would increase the tax base with continuation of exceptions and concerns for national interest and growth.
- **Impact on small Scale Enterprises:** In the small scale enterprises there are three categories, those below threshold need not to register for the GST. Those between the threshold and composition turnovers will have the option to pay a turnover based tax or opt to join the GST regime. Those above edge limit will need to be within context of GST. In respect of the central GST the situation is slightly complex's is expected to encourage compliance and which is also expected to widen tax base adding up to 2% to GDP. Less tax with implication of GST will have to pay by manufacturers, traders.
- **Impact on Telecom:** The sector is facing severe pressure in the form of intense competition from Reliance Jio. Under the GST regime, telecom services will be taxed at 18 per cent as against 15 per cent earlier. Impact on Automobile and auto ancillaries: In consideration of Auto sector the GST rates are mostly expected likely to be neutral except for the hybrid cars which will be taxed at the 28 per cent GST. No significant changes will not see from the current tax structure by other vehicle categories. Tractors companies will face negative situation which will be taxed at 12 per cent against current 6-7 per cent which in the tractor categories.

Challenges Of GST In Indian Context: The GST is a very good type of tax, the successful implementation of the same, there are few challenges which have to face to implement GST In India. The understanding of GST by regarding its provisions and its impact on their business is still at emerging stage, and still many are findings the locations and places they need to be registered in. Various provisions of GST are still ambiguous. Classification of goods and services in various cases is still not clear. Provisions for anti-profiteering, as well as the now deferred e-way bill, which tracks consignments across states, are unclear. Various businesses are not yet map the accounting software and IT systems in concern with the new tax provisions, to create a invoices of GST, and abstract required reports Staff with perfect required skill with efficient GST knowledge and their training subject are not easily available. This has located that an Businesses will requires to file manifold returns, a minimum of 37 in most cases for assesses, and this can increase multifold with business models.

Findings:

1. Different Indirect taxes will reduces by GST Since there will be no hidden taxes it brings about Transparency.
2. Due to one type of Tax i.e. GST It will remove economic distortions and contribute towards the development of a common national market.
3. It is a huge step in support of realizing Make in India and digital India initiative.

Suggestions:

1. It is suggested that government should opt plans and policies in this regard for positive implementation and their result.
2. The GST Council should bring the four tire taxes under the net to prevent states from raising tax rates.
3. For the purpose digitization of GST system a proper and efficient network system has to be established and maintained to manage.
4. Special programs may be implemented to familiarize businesses and consumers with the functioning of GST.

Conclusion - Tax policies play an important role on the economy as it is the revenue source, it has a positive impact on both efficiency and equity. In view issues of income distribution a good tax system should keep pace with it and at the same time it should also endeavor to generate tax revenues to support government outflows on public services and infrastructure development. At the end we can say clearly with no doubt that it is the biggest ever change in tax structure of India. There is a fall in prices of Auto Commercial Vehicle, Two wheelers, Small cars, Midsized cars and SUV, essential items, Footwear, Building Materials etc. and education, healthcare are going to be exempted from GST but on the other hand, price of some other goods and services increased after GST like Hotel room rental, Restaurants & fine dining and Branded Apparels. There was threat of inflation before GST rolled out. It can be concluded that GST has been going to be an historical record for its full fledge implementation and hopefully this biggest historical reform will result in ease of doing business in India.

References :-

1. Jaspreet Kaur, Goods and service tax (GST) and its impact; International Journal of Applied Research 2016; 2(8): 385-387.
2. Shakir Shaik, S.A.Sameera, Sk.C. Firoz. Does Goods and Services Tax (GST) Leads to Indian Economic Development?; IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 17, Issue 12 .Ver. III (Dec. 2015), PP 01-05.
3. Bird, Richard M. (2012). The GST/HST: Creating an integrated Sales Tax in a Federal Country. The School of Public Policy, SPP Research Papers, 5(12), 1-38
4. Empowered Committee of Finance Ministers (2009).

First Discussion Paper on Goods and Services Tax in India, The Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi

5. Garg, Girish (2014). Basic Concepts and Features of Good and Services Tax in India. International Journal of scientific research and Management, 2(2), 542-549

6. Kelkar,Vijay (2009). GST Reduces Manufacturing Cost and Increases Employment, Times of India,

7. Satya and Amaresh Bagchi (2007), Revenue-neutral rate for GST, The Economic Times, November 15.

8. www.wikipedia.com

9. www.google.com

****

Groundwater Occurrences in Malwa Plateau, Madhya Pradesh

R.S. Raghuwanshi* Manisha Singh**

Abstract - The Malwa Plateau, covering the western part of Madhya Pradesh north of the Narmada Valley mostly covered by the basaltic lava flows of Deccan Trap igneous activity.This plateau characterized by flat topped hills and step like terraces. The groundwater which encountered in basaltic rocks generally occurs in the joints and fissures. These structures mostly provide the secondary porosity and permeability.The Deccan Traps formations can be tapped by dug-cum-bore and drilled wells.It is observed that the yield increased by 5-10 times when 10-15m bores extending down to the lower vesicular zone are drilled at the base of dug wells.Yields of 400-600 m^3/d can be obtained in this way.

Introduction - The Deccan volcanic province covers four prominent lava plateaus viz. the Deccan proper including the Western Ghats in Maharashtra, the Malwa Plateau in the north separated from the former by Satpura range and the Narmada and Tapti river areas. The Saurashtra or Kathiawar Peninsula and the smaller Mandla Plateau in the east.

The Malwa Plateau is a rather ill-defined region, covering the western part of Madhya Pradesh (Malwa Plateau covering Nimuch, Mandsaur, Indore, Dhar, Ratlam, Shajapur, Sagar, Rajgarh, Sehore, Badwani, Khargone, Khandwa and Burhanpur Districts and extends in parts of Jhabua,Guna, Ashoknagar,Sehore, Bhopal,Raisen and Vidisha) north of the Narmada Valley mostly covered by the Deccan Traps. The volcanic rocks of the Narmada Valley region are originally known as Malwa Traps.

Geology - Malwa Plateau consists of basaltic lava flows of the Deccan Trap igneous activity. The geology of the Malwa Plateau was first studied by Blanford, who had mapped the area for the first time during '1882-86', this plateau characterized by flat topped hills and step like terraces. The topography is a result of variation in hardness of the different flows. The lava flows may be distinguished on the basis of the following criteria -

1. The colour and lithology of the flows.
2. Presence of prominent thick weathered zone at the top of individual flows.
3. Presence of highly vesicular tops.
4. Presence of distinct platforms.
5. Presence of pipe amygdules in the bottom of each flow.
6. Mode of weathering and
7. Joint pattern

The contrasting water bearing properties of different flow units control groundwater occurrence in Deccan Traps. The Deccan Traps have usually poor to moderate permeabilities due to the presence of primary and secondary fractures. The most common litho unit is thoellitic basalt with an average specific gravity of 2.78.

Megascopically the rock is melanocratic, hard, compact,massive in nature. The rock sometimes shows vesicular nature, the vesicles are generally filled by the secondary minerals like Zeolites, Calcites and Quartz.The amygdaliodal tendency in the flow is more towards their top portions.

The main assemblage of the minerals found are plagioclase feldspar, pyroxene, glass, opaques and few other secondary minerals like zeolite, calcite, quartz, agate etc. Basalts readily weather to give rise to black cotton soil called 'regur', Black cotton soil has the property of swelling greatly and become very sticky when wetted by rain. Another product of weathering is laterite, from which Silica, Alkalies and Alkaline earths have been leached away leaving behind alumina, iron, manganese and titanium. It has Pisolitic structure and contain much water,due to higher permeability.In these basaltic rocksgroundwater occurs only along joint planes, vesicular tops and in the weathered zone/ intertrappean beds in between two individual flows.

Groundwater Occurrences - The occurrence of groundwater in these formations depends upon number of factors which control the movement of groundwater. These factors are -

1. Depth and nature of the material constituting the over-burden.
2. Depth of weathering.
3. Size intensity, and interconnecting nature of the vesicles.

*Deptt. of Geology, Govt. Motilal Vigyan Mahaidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA
** Assistant Prof. (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

4. Thickness of vesicular Zone.
5. Source of Recharge.
6. Density and size of joints, fractures etc.

The main source of all the surface and sub-surface water resources is precipitation. The water that infiltrates down through the pore spaces of the rocks under the earth surfacebecomesgroundwater which represents a part of the hydrological cycle. The depth of water table is a variable factor and depends upon the topography and geology of theunderlying formations and climate. Water table is deep in mountaneous and dissected country and shallow in moderate relief areas. The groundwater which encountered in hard rocks generally occurs in the joints and fissures. These structures mostly provide the secondary porosity and permeability. It is interestingto record that at times these conduits disappear at greater depth and due to hydration weathered zones are formed at shallow levels.In the zone of permanent saturation, which ' extends from 150-300 feet, in case of Deccan Traps. Water is held under pressure mostly in the joints and fissures traversing the rock. The quantity of water held in the zone of hard rock is much less percubic feet thanthat of water held in the weatheredzone. Wells intersecting this permanent saturation zone yield water throughout the year and are not affected by seasonal fluctuation as is the case in shallow wells.

In Deccan Traps weathering is critical phenomenon and the occurrence, movement and storage of groundwater in this geologic material depends upon the zone of weathering present. In Deccan Trap, the zones of weathering are -

1. The upper most layer i constituted by ''black cotton soil" (Regur) intermingled with red or yellowish clay with Kankar and extended from 2 to 6 meter depth.
2. Weathered basalt, locally distinguished as "Copra" which Is yellowish, brown or greenish in colour. The nature of layer is soft, loose and less permeable. The layer penetrates the formation over a depth of 3 to 10 meters.
3. Jointed and fractured basalt which are highly permeable.

The open joints and fractured zone in basalt possesses high transmissibility when these open-ings are not plugged with the weathering product.

Conclusions - Basaltic rocks form the most important aquifers in the region. The weathered, fractured, joined and vesicular units of basalts form moderate to good aquifers. The formations have highly variable yields ranging from 10 to 750 m^3/d. Dugwells range in depth from 4 to 20 m with water level varying between 2 and 14 mbgl. The specific capacity ranges from 50 to 150 lpm/m of drawdown, hydraulic conductivity varies between 5 and 15 m/d and the specific yield is 5-10%. The Deccan Traps formations can be tapped by dug-cum-bore and drilled wells. It is observed that the yield increases by 5-10 times when 10-15 m bores extending down to the lower vesicular zone are drilled at the base of dugwells. Yields of 400-600 m^3/d can be obtained in this way. In some areas the control of doleritic dykes on occurrence of groundwater was observed. Wells located on the upstream side of these dykes gave better yields. Also wells located on tectonic lineaments gave better yields.

Reference :-

1. Personal Research.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

संस्कृत साहित्य में स्त्री-विमर्श की अवधारणा (मनुस्मृति के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. पी. एस. बघेल *

प्रस्तावना - पितृ सत्तात्मक व्यवस्था होने से पुरुषों से स्त्रियों के स्वायत्त एकाधिकारों का बुरी तरह से हनन किया है। धर्म ने ही इस प्रकार की मर्यादाएँ बनाई है कि स्त्री को सभी नियमों और उपनियमों तथा धर्माचरण के नाम पर उसे जकड़ दिया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि-

'बाल्ये पितुर् वंशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्राणं भर्तरि प्रेते न भजेत् स्त्री स्वतंत्रताम्।।'

स्त्री बचपन में पिता के अधीन रहे, जवानी में पाणिग्रहतकर्ता पति के अधीन रहे, पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन रहे। स्त्री स्वतंत्रता का उपभोग न कर सके।

स्त्री पति के बिना यज्ञ नहीं कर सकती और न ही व्रत कर सकती है। स्त्री को पति की सेवा करनी पड़ती है तो ही उसे स्वर्ग में पूजित किया जाता है।

'नाऽस्ति स्त्रीणां पृथम् यज्ञो न व्रतं नाऽप्यगुपोषणम्।
पतिं शुश्रुषते येन तेन स्वर्गे महीयते।।'

धर्माचार्यों ने स्त्रीबद्ध आचरण को स्वर्ग में भी प्रलोभन दिये है। मनु स्मृति में कहा है-

'मृते भर्तरि साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता।
स्वर्गं गच्छत्य पुत्राऽपि यथा ते ब्रह्मचारिण:।।'

अर्थात् जैसे वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपुत्र होने पर भी स्वर्ग गये वैसे ही पति मरने पर ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ होकर रहने वाली सती स्त्री अपुत्र होने पर भी स्वर्ग जाती है।

धर्माचार्यों ने चतुरवर्णों में सारे समाज का विभाजन किया। उसके बाद ब्राह्मणों ने वर्णों में जाति भेद पैदा कर दिये। वस्तुत: भगवत् गीता में भगवान् श्रीकृष्ण नेवर्ग विभाजन के लिए गुण और कर्म को आधार बनाया था। **'चातुर्वर्ण्यं मया श्रुतं गुणकर्मभागश:।'**(भगवत् गीता)। लेकिन परवर्तीकाल मेंवर्णों का विभाजन दृढ़ कर दिया। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा। उसी प्रकार क्षत्रिय का क्षत्रिय, वैश्य का वैश्य और शूद्र का शूद्र ही होगा। जाति रहेगी। गुण और कर्म का आधार ही समाप्त कर दिया। इसलिए तुलसीदासजी ने रामचरित मानस मेंस्पष्ट रूप से कहा है कि- **'पूजिअ विप्र सील गन हीना। शूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीणा।।'**

शील, गुण हीन होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय है और शील गुण युक्त कुशल शूद्र पूजनीय नहीं होगा।

स्त्रियों के लिए भी वर्णव्यवस्था मेंपर्याप्त भेदभाव किये है और पूरी तरह से वर्णव्यवस्था एकांगी और पक्षपात पूर्ण बनायी है। मनुस्मृति कहती है-

'शूद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विशे: स्मृते।
ते च स्वा चैव राज्ञश्च ताश्च स्वा चाऽग्रजन्मन:।।'

अर्थात् शूद्र के लिए शूद्र कन्या ही पत्नी होती है। वैश्य के लिए अपनी ही जाति की कन्या भी पत्नी हो सकती है इसी प्रकार ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कन्या के अतिरिक्त क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या भी पत्नी बन सकती है। और शूद्र कन्या भी भार्या हो सकती है। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय कन्या के अतिरिक्त वैश्य कन्या और शूद्र कन्या के साथ लेकिन इस नियम के लिए भी यह अपवाद बताया गया है कि किसी कारणवश शूद्र कन्या के साथ यदि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य विवाह कर सन्तानोत्पत्ति करता है तो सवर्ण व्यक्ति भी शूद्र बन जाता है।

'हीनजातिस्त्रियं मोहादुद्वहन्तो द्विजातय:।
कुलान्योव नयन्त्याशु ससन्तानानि शूद्रताम्।।'

सर्वणामपि परिणीय हीनहार्ति शूद्रां शास्त्राऽविवेकात् परिणयन्तो ब्रह्मक्षत्रियवैश्या: तत्रोत्पन्नपुत्र पौत्रादि-कमेण कुलान्येव ससन्ततिकानि शूद्रतां गमयन्ति।।

अर्थात् यदि सवर्ण शूद्र से विवाह कर संतान पैदा करता है तो वह सन्तान शूद्र मानी जायेगी।

ब्रह्मा से अपने शरीर के दो भाग किये। आधे में पुरुष और आधे में स्त्री हो गये और ब्रह्मा ने इसी स्त्री से विराट् नाम से पुरुष की उत्पत्ति की। इस प्रकार ब्राह्मण पुरुष और स्त्री जगत् की रचना का विधान किया।

मनु स्मृति मेंस्त्री के लिए और भी कई गर्हित बात की है। स्त्रियाँ ही पुरुषों को दूषित करती है। मनु स्मृति कहती है-

'स्वभाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्।।'

मनु स्मृति मेंस्त्री स्वतंत्रता पाने की अधिकारिणी ही नहीं है।

मनु स्मृति इस सन्दर्भ मेंकहते है कि-

'पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने।
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति।।'

बचपन में स्त्री रक्षा पिता करता है, जवानी में पति स्त्री की रक्षा करता है। वृद्धावस्था में स्त्री की रक्षा पुत्र करता है। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता के योग्य नहीं है।

मनु स्मृति में स्त्री के छ: दोष बताये गये है, जो इस प्रकार है-

'पानं दुर्जनसंसर्ग: पत्या च विराटोऽटनम्।
स्वप्नोऽन्यगेहवासश् च नारी संदूषणानिषट्।।'

अर्थात् मद्यपान, दुर्जनों से सम्पर्क, पति से, वियोग दूसरों के घर में निवास से छ: बात नारी के चरित्र के दूषण है।

* ऐसोसिएट प्राध्यापक (संस्कृत) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

'नास्ति स्त्रीणां क्रिया मन्त्रैरिति धर्मे व्यवस्थिति:।
निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश् च स्त्रियाऽनृतमिति स्थिति:।।'

स्त्रियों की संस्कार क्रिया वेद मन्त्रों मेंनहीं की जा सकती, ऐसे धर्मशास्त्रों की व्यवस्था है। स्त्रियाँ धर्म प्रमाण रहित, मंत्र रहित और असत्य की तरह अशुभ होती है यही शास्त्रोक्त वस्तु स्थिति है। (इसलिए स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए।)

जो पति का मनोवांछित आचरण करती है वह साध्वी सत् पुरुषों से साध्वी कह कर वह मृत्यु के पश्चात् पति के लोक मेंही जाती है।

'पतिं या नाऽभिचरति मनोवाग्देहसंयता।
सा भर्तृलोकमाप्नोति सद्‌भि: साध्वीति चोच्यते।।'

मन, वचन, देह में संयमशील तथा पति का अनुक्रमण नहीं करती वह मर कर पति के लोक मेंजाती है। सत्पुरुषों से साध्वी कहकर प्रशंसित होती है।

इस्लाम में स्त्रियों को पुरुषों का खेत माना जाता है। वैसे ही मनुस्मृति मेंभी स्त्रियों को खेत माना जाता है।

'क्षेत्रभूता स्मृता नारी बीज भूत: स्मृत: पुमान्।
क्षेत्रबीजसमायोगात् सम्भव: सर्वदेहिनाम्।।'

स्त्री क्षेत्र की तरह समझी गई है, पुरुष बीज रूप के समान है सभी प्राणियों का जन्म क्षेत्र के बीज के संयोग से होता है।

स्त्रियों के लिए मनु स्मृति में कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त पत्नी को प्राप्त करना चाहिए। अपनी इच्छा से नहीं।

'देवदत्तां पति भार्या विन्दते नेच्छयाऽऽत्मन:।।'

पति देवताओं से दी गई पत्नी को ही प्राप्त करता है। अपनी इच्छा से नहीं।

इससे सिद्ध होता है कि पति-पत्नी को वैवाहिक संबंध ईश्वरेच्छा से **निर्धारित** किया जाता है। सभी अपनी इच्छा से किसी पुरुष से निर्धारित किया जाता है। सभी अपनी इच्छा से किसी पुरुष को पति रूप मेंअपनाती है।

'पुत्र' के रूप में सन्तान पाने को अच्छा माना है, क्योंकि ब्रह्माजी स्वयं पुरुष संतान को ही पुत्र मानते है। मनु ने कहा है कि- **'पुन्नामो नरकाद् यस्मात् त्रायते पितरं सुत:।'** क्योंकि 'पुत्' नामक नरक के लिए पितर पुत्र का उद्धार करता है इसीलिए पुत्र होना जरूरी माना गया है।

शूद्रा के अधर रस का पान करने वाले, शूद्रा के श्वास से दूषित और शूद्रा में संतति का उत्पादन करने वाले ब्राह्मण की किसी प्रायश्चित से भी शुद्धि मुनियों नहीं बताई है।

मैत्रेयी पुष्पा पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री और पुरुष के बीच संबंध के बारे में कहती है कि- 'जब कोई वर्चस्व इतना शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति की आकांक्षाएँ, सपने, जिन्दगी पिसने लगे तो फिर राजनीति के बन्धन अपना अर्थ खोने लगते है।'

इसलिए स्वतंत्र और स्वाधीन स्त्री के पक्ष में खड़े होने को मनुस्मृति खारिज करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मनु स्मृति 5/148, 5/155, 5/160
2. भगवत् गीता
3. तुलसीदास, अरण्यकाण्ड, 33 के बाद
4. मनु स्मृति- 3/33, 3/115, 2/213, 9/08 9/29, 9/133
5. मैत्रेयी पुष्पा- सुनो मालिक सुनो, पृ.5

****

Effect of Covid-19 Imposed Lockdown on Indians and Their Lifestyles

Dr. Vrushali Sohani*

Abstract - Lockdown as preventive procedures expected to decrease the network transmission as a best weapon to overcome the COVID-2019. The pandemic conceived lockdown is unmistakably affecting the ways of life and their social conduct. A cross-sectional, observational examination with methodical likelihood inspecting with test size 125 was led through online information assortment across Khandwa District. Information shows lockdown consequences for the ways of life like Sleep, dietary patterns and web utilizes have discovered noteworthy contrasts. Lion's share of participants acknowledged to get influenced by lockdown in their ways of life. Present electronic review study could be imperative to feature some significant patterns in a modification of our daily routine because of lockdown conditions. Lockdown circumstance have changed propensities and method of living of given populace consequences of reactions about work from home 41% participants are telecommuting since lockdown condition usage. Since lockdown, 42% of participants consented to utilize more web information on authentic work and 49% of participants use web information more than expected to get to online media since lockdown.
Keywords - Covid-19, coronavirus, lockdown, life style, internet use, work from home.

Introduction - The overall spread of Coronavirus malady is seriously influencing human life according to the on-goingupdates; just about 33% to half of the worldwide populace is currently under some type of lockdown. In the period of December 2019, in Wuhan Hubei Province, China, number of individuals experienced serious respiratory sickness. On 31st December 2019, China educated the World Health Organization (WHO) about the quantity of patients with side effects of respiratory ailment of obscure reason.

On 25th March 2020, Prime Minister of India declared countrywide lockdown with social separating limitation over most of business exercises and mass get-together including instructive and open establishments. In such a remarkable circumstance of the century, we are living in it is significant to see how individuals are adjusting to the requirements forced on by the legislature due to Covid-19 lock-down and its effect on given populace and their schedules and propensities.

Methodology

Objective of the study: This study research study meant to evaluate of Effect of Coronavirus Imposed Lockdown on Indians and their Lifestyles. Online media use, telecommute and more chose factors. It was as ifwise proposed to gauge the alteration made by individuals about the emergency&how they are keeping up their daily routine.

Study Method: observational study, Cross-sectional.

Sampling technique: Probability systemic sampling technique

Sample Size: 125

Study population: People in the 18-50 years of the age group who live in their homes due to COVID-19 lockdown.

Limitations of study: Khandwa District

Inclusion Criteria:

1. Being between the ages of 18-50 years
2. Having a smartphone and internet access

Exclusion Criteria:

1. Not willing to participate in the study
2. Below 18 years of age

Study tool: A self-arranged semi-organized unknown survey was utilised to record the reactions of participants. The poll was set up after the writing survey, centre gathering conversation, and current news data in interview with specialists from various fields to check importance and roll out essential improvements as per our investigation necessities. The inquiries were altered by the proposals got from the master board and yield from pilot study.

Information Processing: This was an observational, cross-sectional examination did in India, and participants from the nation over were welcome to take an interest in the study to guarantee most extreme cooperation in the wake of taking their agree to deliberate enrolment in the investigation. A simple electronic connection was made on Google review to answer overview survey and sent by means of Telegram,WhatsApp that is a mainstream stage to share and examine singular data and life exercises. Security was carefully ensured during the whole investigation system, alluding to the moral standards.

*Vice-Principal, Poonam Chand Gupta Vocational College, Khandwa (M.P.) INDIA

Individuals ready to partake had the option to counsel the analysts who stayed accessible by means of message/calls to answer the inquiries identified with the survey. The review information assortment was started from on 10thJune 2020 to 20thJune 2020.

Results

Table 1: Socio-demographic profile of Participants N=125 Socio-demographic variable N (%)

S.	Age(in years)	Number of participants	Percentage of participants
1	18-30	62	49.6
2	30-40	53	42.4
3	40-50	10	8.00
	Gender		
1	Male	40	32
2	Female	85	68
	Marital Status		
1	Single	58	46.4
2	Married	67	53.6
	Employment		
1	Govt. Employee	29	23.2
2	Private Employee	55	44
3	Owned Business	16	12.8
4	Not employed (Including homemaker)	25	20

Source: primary data

Table-1 delineates the segment subtleties of the study participants. Study participants ran between 18 to 50 years old and most of participants (49.6%) have a place with the age gathering of 18-30 where just 8% of participants were from age bunch 40-50 years. The greater part (68%) of participants was female. About portion of (53.6%), the participants were hitched and 44% participants were filling in as private representatives, 23.2% were working in the administration area, 20% were not utilized and 12.8 % of participants were having their own busines

Table 2 (see in next page)

The table-2 shows that recurrence and rate conveyance of the standard propensities for participants in lockdown. Lockdown influences the example of rest as appeared in information results where before lockdown just 12% of participants were utilised to get up after 8:00 am consequently since lockdown the information arrived at 41.6% of absolute participants. On the opposite side just 6.4% of participants got up at 5:00 am since lockdown as contrast with 19.2% of before lockdown schedule. Just 32.8 % of participants utilizing a cell phone at a few times each prior day lockdown to converse with their companions or family however since lockdown, the level of participants expanded up to reach to 42.4%. The investigation results show that since lockdown individuals are investing more energy in exercises like sitting in front of the TV, music as the table shows 43.2% of participants consented to invest additional time in staring at the TV than before lockdown as 20%.

Table 3 (see in next page)

Table 3 shows another perception on practice propensity where information result shows that 41.6% of participants go to practice at any rate multiple occasions in seven days before lockdown that propensity comes to down as 20.8% post lockdown limitations execution. Here information translation proposes that adjustment in every day schedule because of lockdown influences the physical exercise propensity.

Table 4 (see in next page)

Table-4depict that larger part of individuals (75.2%) has changed their dietary patterns than expected subsequently because of progress in the routine influenced dietary example of individuals as they are planning more food stuff since lockdown.64.8% participants concurred that they are having acceptable admittance to essential necessities (food and wellbeing) during lockdown as the administration has been giving supplies of need things entryway to entryway and crisis administrations are running continuous.

Here more than two-third of participants (79.2%) were concurred that they were stressed over their loved ones because of the dread of Coronavirus illness. Study information shows that 75.2% of participants partook in any gathering activities to urge individuals to follow lockdown and imparted significant data to them and 42.4% took an interest in a gathering activity to help their neighbours in any of potential ways.

Discussion - To address this basic circumstance and to decrease the spread of the contaminations in-nation, Indian Prime Minister Narendra Modi reported a progression of pronouncement that forced limitations on the development of people in the whole public domain of India from March 25th 2020.

As China propelled a monstrous general wellbeing reaction in Wuhan "The National Health Commission" gave conventions for quick anticipation and control measures to viably contain the spread of the pandemic by taking a lot of choice. Subsequently Lockdown is among choices recommended to diminish the spread of Covid-19 infection up until this point.

Despite the fact that these measures and endeavours are fundamental for control the expanding number of new instances of COVID - 19, there are motivations to be concerned because delayed home restriction during an illness flare-up may influence individuals' physical and psychological wellness.

In a nation were more than 1.3 billion individuals are currently inside their homes since 25th Mach 2020 an examination to evaluate impact on lockdown on given populace routine propensities can give within how individuals are living under effect of lockdown and the discoveries can uncovers the effect of these never observed limitation on life of individuals.

With Probability Systemic arbitrary examining strategy, we took each third reaction from complete got 400samples. Complete 125-examplereactions were chosen arbitrarily for

information investigation and translation. Despite the fact that there is no all-around settled upon least reaction rate for online overviews catching information to the degree conceivable on the qualities of the respondents and the non-respondents may permit an appraisal of the effect of reaction rates on the examination results.

To offer social help and a feeling of having a place 75% of our investigation participants were associated with any sort of activities of common help towards their loved ones as inspiring them to remain good at this pandemic time and passing significant data identified with COVID-19.

Notwithstanding significance of social removing we cannot disregard social solidarity is a fundamental apparatus for battling such exceptional circumstance of irresistible infections and other aggregate dangers where 42.4% participants likewise consented to help their neighbours in any of potential ways while following social separating convention.

Conclusion - Considering that the lockdown is probably going to proceed for a considerable length of time, there is a squeezing need to screen the typical propensities and prosperity of the populace and to assemble research information to create proof driven procedures to diminish unfriendly impact of lockdown usage and effects brought about by these exceptional changes in individuals' everyday lives.

Monetary help and sponsorship: No budgetary help was gotten from any firm, individual.

Investigation and Interpretation: Collected information were dissected by utilizing engaging insights which is introduced as tables and figures.

References :-

1. Sangeetha Chengappa April 12, 2020, Covid sway: Lockdown has upset rest designs among Indians recovered from ttps://www.thehindubusinessline.com/news/assortment/Coronavirus sway lockdown-has-disturbed rest designs among-Indians-says-review by-kefitco/article31321598.
2. AZ Research, April 26, 2020, TV, radio lead in media utilization during lockdown: study recovered from https://www.thehindubusinessline.com/news/television radio-lead-in-media-utilization during-lockdown-review/article31403498.
3. Advance Field and Brand Solution, April 26, 2020, Lockdown sway: 38% of perusers go through >1 hour perusing papers recovered from https://www.adgully.com/lockdown-sway 38-of-perusers go through 60 minutes pausing papers study 92391.
4. Peijie Chen et. al. Feb 02, 2020, Coronavirus ailment (COVID-19): The need to keep up standard physical movement while
5. 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). Habitats for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/Covid/2019-ncov/hcp/hcp-work force checklist.html; 2020. World Health Organization 2020. Methods of transmission of infection causing COVID-19: ramifications for IPC safeguard suggestions https://www.who.int/news-room/editorials/detail/methods of-transmission-of-infection causing-Coronavirus suggestions for-ipc-precautionary measure proposals (got to 13 April, 2020).
6. Kathy Leung et al. First-wave COVID-19 contagiousness and seriousness in China outside Hubei after control measures, and second-wave situation arranging: a displaying sway appraisal April 8,2020: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30845-X
7. Fimland MS, Vasseljen O, Gismervik S, Rise MB, Halsteinli V, Jacobsen HB, et al.
8. Word related recovery programs for musculoskeletal torment and regular emotional wellness issues: study convention of a randomized controlled preliminary. BMC Public Health. 2014;14:368.
9. WHO. Report of the WHO-China joint crucial Covid infection 2019 (COVID-19). World Health Organization, 2020. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-crucial Coronavirus finalreport.pdf (got to Feb 24, 2020).
10. Uncommon Expert Group for Control of the Epidemic of Novel Coronavirus Pneumonia of the Chinese Preventive Medicine Association. Thought on the techniques during plague stage changing from crisis reaction to nonstop anticipation and control. Jaw J Epidemiology 2020, 41: 297–300.

Table 2: Routine habits N=125 Item N (%)

	Before Lockdown		Since lockdown	
	Number of participants	**Percentage of participants**	**Number of participants**	**Percentage of participants**
What time do you usually get up				
5:00 am	24	19.2	8	6.4
6:00 am	44	35.2	25	20
7:00 am	42	33.6	40	32
8:00 am and after	15	12	52	41.6
How often did you use a phone to talk with friends and family				
Several times a day	41	32.8	53	42.4
once a day	68	54.4	30	24
Once or twice a week	16	12.8	42	33.6
Which type of leisure activities you were/are doing in your home?				
Watching TV	25	20	54	43.2
Reading	19	15.2	45	36
Music	38	30.4	20	16
Painting/Crafting	43	34.4	6	4.8

Table 3: How many times did you go to exercise per week?N=125Item N (%)

Frequency of go to exercise per week	**Before Lockdown**		**Since lockdown**	
	Number of participants	**Percentage of participants**	**Number of participants**	**Percentage of participants**
0	24	19.2	50	40
1	30	24	29	23.2
2	19	15.6	20	16
3 or more	52	41.6	26	20.8

Source: primary data

Table 4: Effect Of Lockdown

S.	**PERTICULARS**	**YES**		**NO**	
		Number of participants	**Percentage of participants**	**Number of participants**	**Percentage of participants**
1	Lockdown have changed your eating habits than usual	94	75.2	31	24.8
2	During lockdown are you getting good access to basic necessities services (food, Healthcare)	81	64.8	44	35.2
3	Are you worried about your family and friends due to COVID-19 disease?	99	79.2	26	20.8
4	Have you participated in any group actions to encourage people to follow lockdown and shared relevant information with them.	94	75.2	31	24.8
5	Since lockdown, have you participated in any group actions of mutual assistance or solidarity aimed to help your neighbours?	53	42.4	72	57.6

Source: primary data

****

भारत के पड़ोसी देशों से संबंध (दक्षिण- पूर्वी एशियाई देशों के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. सीताराम गोले*

प्रस्तावना - भारत एशिया महाद्वीप में उभरती महाशक्ति वाला राष्ट्र है। भारत वर्तमान समय में विश्व के राष्ट्रों के साथ-साथ अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ भी सौहार्दपूर्ण एवं मधुर संबंध बनाए हुए है। भारत अपनी भौगोलिक संरचना, आकार तथा वसुदैव कुटुम्बकम की छवी के कारण एशिया महाद्वीप के देशो में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत के अपने पड़ोसी देशो से राजनीतिक, व्यापारिक, व्यवसायिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में काफी अच्छे संबंध रहे है। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत का मध्य एशियाई देशो से व यूरोपिय देशो से राजनयिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व रक्षा से संबंधित संबंध कायम करने में ज्यादा परेशानी नही हुई। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि भारत की विश्व देशो के साथ क्या नीति रहेगी, यह एक ऐसा अमूर्त प्रश्न था, जिसको व्यवहारिक व मूर्त रूप भारत ने स्वतंत्रता के बाद विश्व महाशक्तियों से मित्रता के लिये, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद व रंगभेद नीति के प्रति विरोध जताकर तथा अपने पड़ोसी महाशक्तिशाली चीन के साथ पंचशील की भाईचारे की नीति अपनाकर दिया। समय-समय पर भारत के षासनाध्क्षो एव राष्ट्राध्यक्षो ने भारत को एक षक्ति सम्पन्न राष्ट्र बनाने में अपनी अहम् भूमिका अदा की।

भारत ने स्वतंत्रता से आज तक अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध बेहतर बनाने के लिये अपनी नीतियों में कई बार बदलाव व परिवर्तन किये, जिसके कारण भारत की, एशियाई क्षेत्र में आज मजबूत स्थिति मानी में जाती है। भारत विश्व में अपनी विदेश- राजनीति को ओर अधिक मजबूती बनाने के लिये कई अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा क्षेत्रिय संगठनों का सदस्य व परिवेक्षक बना है। एशिया में चीन का प्रतिस्पर्धी भारत ने क्षेत्रीय स्थिति को मजबूत करने के लिये **'पूर्व की ओर देखो नीति'** अपनाई। इसके कारण भारत पूर्वी एशियाई देशो के करीब आया और उन राष्ट्रों में आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संबंधों से आत्मविश्वास बढ़ाया। भारत के द्वारा वर्तमान **'पहले पड़ोसी'** नीति से अपने पड़ोसी देशो से संबंधो में ओर अधिक मजबूत करने का काम किया। वही सार्क का संस्थापक सदस्य होने व अंशदान में अधिक भागीदार होने के कारण, साथ ही क्षेत्र में फैली अशांति व अस्थिर संबंधो को सूझबूझ के साथ हल करने के कारण हर सदस्य राष्ट्र भारत को आदर व सम्मान प्रदान करता है। आज भारत आसियान का पूर्णकालिक परिवेक्षक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र होने के कारण भारत ने आसियान देशों को भी अपने पक्ष में किया है।

भारत ने अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ-साथ पूर्वी एशिया के अधिकांश राष्ट्रों में अपनी पैठ बनाई है। भारत ने म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनशिया, वियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, नेपाल, फिलीपिंस, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिणी, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अन्य पूर्व में स्थिति राष्ट्रों में राजनीतिक, सांस्कृतिक, रक्षा, खेलकूद, प्रौद्योगिकीय, कृषि आर्थिक व अन्य क्षैत्रों में भारत ने आत्मीयता और आत्मविश्वास के साथ द्विपक्षीय संबंध कायम किये है। जिसका स्पष्ट प्रभाव यह देखा जा रहा है, कि पूर्वी एशिया में दिनों-दिन भारत की ताकत का विस्तार हो रहा है। पूर्व में चीन की बढ़ती तानाशाही व हस्तक्षेप के कारण से भी क्षेत्रिय राष्ट्र यह चाहते है, कि चीन का प्रतिद्विन्दी उनका मित्र हो ताकि चीन की बढ़ती अराजकता को नियंत्रित व संतुलित किया जा सके।

भारत एवं दक्षिण कोरिया - भारत- दक्षिण कोरिया संबंध 2000 वर्षो से मजबूत रहे है। दोनों राष्ट्रों के बीच 1973 में राजनीतिक संबंधो की औपचारिक स्थापना के बाद 1974 में Agreement on trade promotion on and Economic and technological Co-operhon on, 1976 में Agreement on Co-operation in science and technology, 1985 में Convetion on double taxation avoidance, 1996 में Bilateral investment promotion/protection agreement आदि समझौते किये ताकि दोनों देश मिलकर अपना बहुमुखी विकास कर सके। साथ ही यह भी स्वीकार किया गया कि भारत की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी व कोरिया गणराज्य की न्यू साउथर्न स्ट्रेट्जी में स्वभाविक एकरूपता है। इसी तरह दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता Comprehensive economic partnership agreement-CEPA को भी नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया । भारत-कोरिया संबंधों को ओर ज्यादा मजबूत बनाने के लिये 'कोरिया-इंडिया फयूचर स्ट्रेट्जी ग्रुप तथा इंडिया कोरिया सेंटर फॉर रिसर्च एंड इन्नोवेशन (IKCRF) कॉर्पोरेशन' की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

दक्षिण-कोरिया के राष्ट्रपति मून-जे इन ने 8 जुलाई 2018 को भारत की यात्रा की। वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद मून-ने इन की यह भारत की पहली यात्रा थी। दक्षिण-कोरिया की ओर से 'भारत-कोरिया' बिजनेस फोरम की बैठक के बाद नोएडा में 5000 करोड़ की लागत का सेमसंग मोबाईल प्लांट का उद्घाटन किया गया। दोनो देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के साथ क्षेत्रिय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किये।

इस यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी को अधिक मजबूत करने के लिये 'A Vision for people, prosperity, peace and future' को जारी किया।

भारत दक्षिण-कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2011 में 20.5

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीराजपुर (म.प्र.) भारत

अरब डॉलर था जो 2017-18 में 20.82 अरब डॉलर रहा, जिसे 2030 तक 50 अरब डॉलर तक पहुचाने का लक्ष्य रखा गया है।[1]

परमाणु शिखर सम्मेलन के लिये प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने नवम्बर 2010 में राष्ट्रपति प्रतिभ पाटील ने 2011 में यात्रा कोरिया की। इस यात्रा के दौरान नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ। मार्च 2012 में डॉ. मनमोहन सिंह ने दक्षिण कोरिया में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। इस यात्रा में दोनो देशों में वीजा सरलीकरण पर समझौता किया। कोरिया में लगभग 8000 से अधिक प्रवासी भारतीय है। जिसमें अधिकतर व्यवसायी, आईटी पेशेवर, वैज्ञानिक, अनुसंधान अध्येता व छात्र है।

दक्षिण कोरिया से भारत के संबंध इसलिए जरूरी है कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान दोनो ही चीन के साथ घनिष्ठ संबंध रखते है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत अपनी मजबूत स्थिति रख सके इसलिए भारत दक्षिण कोरिया से हमेशा मित्रवत व्यवहार रखने की हर संभाव कोशीश व प्रयास करेगा। दक्षिण कोरिया के लिये सहयोग का मौका इसलिए है क्योंकि भारत-पाक और चीन संबंधों में तनाव की स्थिति है। जिससे भारत परेशान है, तो वही उत्तर कोरिया में परमाणु कार्यक्रमों से दक्षिण कोरिया परेशान है, हालांकि उत्तर कोरिया पर दबाव डालने के लिये अमेरीका व जापान अहम भूमिका निभा रहे है ताकि उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करें, अमेरीका जापान भी यही चाहेंगें की भारत- दक्षिण कोरिया के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत हो ताकि पूर्वी ऐशिया व प्रशांत क्षेत्र में उत्तरी कोरिया व चीन को नियंत्रित किया जा सके। भारत दक्षिण कोरिया रक्षा समझौते से भारत की पहुच दक्षिण चीन सागर तक होगी तो दक्षिण कोरिया चीन सागर में चीन की बढ़ती तानाशाही से राहत की सांस लेगो। दोनो देशों के बीच कुछ विषम को लेकर असमंजस जरूर है जिसमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नही हो रहे। हालांकि भारत और दक्षिण कोरिया का संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है इसलिए दोनो राष्ट्र असमंजस को छोड़कर विकास की राह पर आगे बढ़ेंगें।

भारत- इंडोनेशिया - भारत-इंडोनेशिया के सबंध में सदिम पुराने माने जाते है, दोनों देशों पर सांस्कृतिक एकरूपता की छाप भी नजर आती है। ऐसी भी मान्यता है कि भारत-इंडोनेशिया के संबंध रामायण काल से भी प्राचीन बताए जाते है। जावा का उल्लेख रामायण महाकाव्य में भी मिलता है। भारतीयों ने जहां प्राचीन काल में ही इंडोनेशिया की यात्रा की थी तो कई इंडोनेशियन ने भी भारत की यात्रा उस समय की थी। प्राचीन समय में भारत के इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक संबंध रहे।

स्वतंत्रता के बाद भारत और इंडोनेशिया के राजनीतिक संबंध की शुरूआत 1951 से हुई थी। भारत-इंडोनेशिया के संबंध इसलिए भी महत्वपूर्ण माने जाते है कि जिस समय संपूर्ण विश्व द्धि-ध्रुवीयकरण की राजनीति की चपेट में था उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो के साथ मिलकर गुटनिरेपक्ष आंदोलन की शुरूआत की थी। भारत-इंडोनेशिया के मध्य संबंध हमेशा शांतिपूर्ण रहे है। राजनीतिक व रणनीतिक रूप से दोनो देशों के संबंध मधुर ही रहे। केवल 1965 से भारत-पाक युद्ध के दौरान इंडोनेशिया, अंडमान, निकोबार द्धीप पर अपना कब्जा करना चाहता था इसलिए भारत-पाक युद्ध के दौरान पाक को मदद करने के लिये इंडोनेशिया तैयार था।

इंडोनेशिया दक्षिण पूर्वी द्धीप समूह में सबसे बड़ा देश है और आसियान समूह में अच्छी खासी पकड़ रखता है। भारत- इंडोनेशिया से अच्छे रिश्ते इसलिए रखना चाहता है कि वह इंडोनेशिया के माध्यम से आसियान देशो में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। भारत आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते के द्धारा इंडोनेशिया द्धिपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। 2025 तक इसे बढ़ाकर 50 विलियन अमेरीकी डॉलर करना है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच Regional Comprehensive Economic Corporation- RCEP को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है।

1991 के बाद दोनो राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, सांस्कृतिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अधिक प्रगति हुई है। इस प्रगति में और अधिक गतिशीलता उस समय आ गई जब जनवरी 2011 में इंडो राष्ट्रपति सुशीलो बंबाग युधोयोनी ने भारत की यात्रा की। अक्टुम्बर 2013 में भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह ने इंडो की यात्रा की। नवम्बर 2015 में भारतीय उपराष्ट्रपति ने तो, दिसम्बर 2016 में इंडो राष्ट्रपति ने एक दूसरे देशों की यात्राए की । 12 व 13 दिसम्बर 2016 को इंडो राष्ट्रपति जोको विडोडो भारत की यात्रा पर आए इस समय मोदी सरकार से उनके युवा तथा खेल क्षेत्र में सहयोग, मानवीकरण के क्षेत्र में सहयोग व समुद्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने पर रोक आदि समझौता किए थे। इसके अलावा दोनो देशो ने कारोबारी, सांस्कृतिक संबंधो, रक्षा, सुरक्षा राजनीतिक, हथियार, मादक पदार्थो की तस्करी व आतंकवाद पर अंकुष लगाने तथा क्षैत्र में सामाजिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने पर दोनों देशों में आपसी सहमति जताई। इंडो-भारत के साथ अपने मधुर संबंध इसलिए भी बनाए रखना चाहेगा क्योंकि नातूना समुद्र को लेकर चीन-इंडोनेशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वही चीन की स्ट्रिंग ऑफ फल्स नीति व सिल्क दर भारत के लिये परेशानी खड़ी कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत-इंडो के हित सम्मान हो सकते है। पर दिक्कत यह है कि One belt one road चीन की योजना का इंडोनेशिया समर्थन करता है। बावजूद इसके 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण व इंडोनेशिया रक्षा मंत्री के बीच हुई बैठक यह तय करता है कि भारत-इंडो सदीयों पुराने संबंधो को आगे भी मधुरता के साथ निभाते रहेंगें।

भारत-उत्तर कोरिया - भारत की पूर्व के देशों के संबंध में भारत उत्तर कोरिया संबंधों में व्यापारिक व राजनयिक संबंध लगातार बढ़ते रहे। वर्तमान समय जहॉ उत्तर कोरिया के परमाणविक परीक्षण कार्यक्रम से समुच्च एशिया गमगीन व चिंताग्रस्त है। वही भारत की काफी चिंतित है। उत्तर कोरिया का पाकिस्तान को समर्थन देने व परमाणु कार्यक्रम का भारत ने लगातार विरोध किया। उत्तर कोरिया की हठधर्मिता की नीति और तानाशाही रवैये का प्रभाव भारत-कोरियाई संबंधो पर भी देखने को मिलता है। उत्तरी कोरिया लगातार अपने परमाणु परीक्षण कर रहा है। इस तरह के परीक्षण को सफल बनाने के लिये उसके मित्र राष्ट्र अप्रत्यक्ष रूप से योगदान प्रदान कर रह हैं चीन जो कि उत्तरी कोरिया को कई क्षैत्रों में सहयोग करता है। कोरिया के लगातार परमाणु हथियार और बेलेस्टिक मिसाइल के निर्माण के कारण पश्चिमी जगत की नींद उड़ी हुई है। वहीं सिंगापुर में किम जोंग व ट्रम्प के बीच हुई मुलाकात भी एक समय बाद बैकार साबित हुई। जिसने समुचे विश्व को डरा दिया है। ऐसी स्थिति में भारत उत्तर कोरिया व पश्चिमी जगत के मध्य मध्यस्थता कर क्षेत्र में स्थिरता ला सकता है।

भारत-मलेशिया - भारत और मलेशिया के मध्य मैत्री पूर्ण संबंध रहे है। इसकी वजह मलेशिया में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या मानी जाती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री महामिर मोहम्मद के दादा भी भारतीय मूल के थे। 2017 में मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब तुल अब्दुल रजाक ने भारत-

मलेशिया के राजनयिक संबंधो की 60वीं वर्षगांठ पर भारत की यात्रा की दोनो देशों के मध्य आपसी संबंधों को बढ़ावा देने पर अपनी सहमति प्रकट की। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने मलेशिया यात्रा के दौरान लोकतंत्र बहुलवाद व बहुसंस्कृतिवाद के प्रति प्रतिबद्धता जताई। भारत मलेशिया के बीच मलेशियाई पाम ऑयल बोर्ड, एमपीओबी और रासायनिक प्रोद्योगिकी संस्थान, भारत के बीच एमओयू, एमपीओसी और सॉल्वेंट एक्स ट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन एमपीओसी और मुम्बई डाबावाला एसोसिएशन समझौता आदि महत्वपूर्ण समझौते है जो भारत मलेशिया को व्यापारिक और आर्थिक संबंधो को उंचाईयों पर ले जाएगा।

परन्तु पाकिस्तान मलेशिया के बीच 2007 में इकॉनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री मासिर ने पाकिस्तान को ऊर्जा, सुरक्षा को मदद करीने की प्रतिबद्धता जताई थी। वहीं 5 अगस्त 2019 को जम्मू कष्मीर से 370 अनुच्छेद की धारा व विशेष अधिकार समाप्ति पर विश्व के कई देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला माना वही मलेशिया ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत को चौंका दिया। कश्मीर मुद्दे पर भी मलेशिया ने सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने की कोशिश की और पाकिस्तान का समर्थन किया । वह भारत में लागू नागरिकता कानून का भी विरोध करता है। मलेशिया के इस रूख के पिछे कई कारण है। 1957 में पाक-मलेशिया को सम्प्रभु देशों के रूप में मान्यता देने वालो में शामिल रहा। चीन मलेशिया संबंध हमेशा अच्छे रहे है। वही पाक-चीन के बीच संबंध होने से भारत के प्रति संबंध अच्छे होने की तो कल्पना नही की जा सकती है। वही भारत खाने के तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। जिसकी पूर्ति मलेशिया से होती है। वही भारत की मलेशिया को निर्यात करता है। पाम तेल की खरीदी बंद करने से मलेशिया की कई पाम तेल इंडस्ट्री प्रभावीत हो रही है। ऐसे और भी अन्य कारण है जिनकी वजह से मलेशिया भारत के प्रति उपेक्षा की नीति अपना रहा है। पर भारत की नीति पहले अपने पड़ोसी की नीति के आधार पर यही चाहेगा की भारत मलेशिया के संबंधो में उतार चढ़ाव न आए, संबंधो में मुधरता और स्थिरता बनी रहे।

भारत-वियतनाम – भारत-वियतनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध अत्यन्त मधूर रहे है। वियतनाम भारत के बीच सांस्कतिक, आर्थिक संबंध तो दूसरी शताब्दी से भी पूराने रहे है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरीका की भूमि का की भारत ने निंदा की थी। साथ ही भारत उन गैर साम्यवादी देशों में से एक रहा है जिसने कम्बोडिया-वियतनाम युद्ध के समय वियतनाम की मदद की थी। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के कारण ही 1992 में भारत-वियतनाम के बीच विस्तृत आर्थिक संबंध स्थापित हुए थे। आज भी दोनो देशों के बीच सैन्य सामग्री का विक्रय नौसैनिक, अभ्यास सूचनाओं का आदान-प्रदान, आतंक के विरूद्ध प्रशिक्षण आदि क्षैत्रों में दोनों की भूमिका अहम् मानी जाती है।

भारत वियतनाम के आर्थिक, राजनीतिक और रक्षा संबंधी संबंध भी काफी अच्छे है। 2010 में भारत आसियान नि:शुल्क व्यापार समझौते के परिणाम स्वरूप वियतनाम भारत व्यापार 3.9 बिलियन तक पहुंचा। 2015 में यह 7 बिलियन डॉलर रहा । 2020 तक इस 20 बिलियन डॉलर पहुंचाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत वियतनाम दोनो देशों ने सामाजिक भागीदारी के तहत परमाणु ऊर्जा के विकास ,नशीले पदार्थो की तस्करी रोकने व क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आंतकी गुटो के खिलाफ लड़ाई आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत द्वारा लगातार यह कहा गया कि दक्षिण चीन सागर में जो विवाद है उसे शांतिपूर्वक हल करना चाहिए जिसका वियतनाम ने स्वागत किया तो चीन ने अपनी तिखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सितम्बर 2016 में मोदी ने वियतनाम की यात्रा की जिसमें भारत की ओर से वियतनाम को रक्षा उत्पाद खरीद की क्रेडिट लाईन 500 मिलियन डॉलर की, जो पूर्व में 100 मिलियन डॉलर थी। वियतनाम के प्रधानमंत्री गुमेन जुआन फुक ने भारत-आसियान स्मारक सम्मेलन में भाग लेने 2018 जनवरी में भारत आए। वहीं मार्च 2018 में राष्ट्रपति Train Dai Kang भारत यात्रा पर रहे तो नवम्बर 2018 में भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वियतनाम की यात्रा की।[2]

भारत वियतनाम के राष्ट्रध्यक्षों व प्रधानमंत्रीयों की इस तरह की यात्राओं से चीन चिंतित हो रहा हैं चीन भी पड़ोसी देशों में अंदर तक अपनी पहुंच बनाने में लगा हुआ है। जिसमें वियतनाम का चिंतित होने भी लाजमी है। चीन ने भारत के ONGC लिमिटेड पर भी आपनी ली है। जो कि वियतनाम के तटीय इलाको में तेल खोज रहा है। श्रीलंका, नेपाल, मालदीव जैसे देश चीन की परियोजना में शामिल होने से भी भारत वियतनाम दोनों आपस में चिंतित है। वियतनाम भारत के साथ अपने संबंधों को और उंचाईयॉ प्रदान करेगा ताकि वह भारत के साथ मिलकर चीन की आक्रामकता को रोक सके और यही सोच दोनो राष्ट्रों के भविष्य के रिश्तों के लिये लाभदायक होगी।

भारत-फिलिपींस – भारत और फिलिपिंस के संबंधों का इतिहास आजादी के जमाने से है। भारत-फिलिपिंस की औपचारिक संबंध 1947 में हुए। भारत की पूर्व की ओर देखो व फिलिपिंस आसियान के संस्थापक सदस्य होने से दोनो राष्ट्रों में संबंध मधुर रहे है।, परन्तु अपने संबंधो को उंचाईयों पर ले जाने की आवश्यकता है। 2007 में डॉ. मनमोहनसिंह ने आसियान भारत शिखर वार्ता व पूर्वी एशिया शिखर बैठक के लिये फिलिपिंस यात्रा की। 2017 में नरेद्र मोदी ने फिलिपिंस की यात्रा की जहां उन्होनें 15 वे आसियान व 12 वे पूर्वी एशिया सम्मेलन में भाग लियें। व्यापार व सम्पर्क बढ़ाना इनकी पहली प्राथमिकता में से है। भारतीय प्रधानमंत्री की रामनाथ कोविंद ने अक्टूबर 2019 को फिलिपींस के राष्ट्रपति टॉड्रिग्गे दुतेर्ते के साथ मिलकर उन्होनें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मुद्दो पर चर्चा की व दोनो देशों ने माना कि दोनों राष्ट्रो में आर्थिक विकास व सहयोग की प्रबल संभावना है।[3]

आतंकवादी गतिविधि को मिलकर खत्म करने पर व अन्य समझौतो ज्ञापनों पर हस्ताक्षर दोनो राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किये गए। भारत के लिय फिलिपिंस से संबंध आवश्यक व महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलिपींस आसियान समूह में हमेशा भारत का समर्थन करने वाला राष्ट्र रहा है।

भारत-जापान – भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे है। भारत एवं जापान दोनों राष्ट्रों के मध्य हमेशा मधूर संबंध रहे है। जापान और भारत के बीच व्यवसायिक संबंध हमेशा नई उंचाईयों को छूते रहे है। जापान की नई नामी उत्पाद कंपनीयों ने अपनी शाखाएं भारत में खोलकर भारत की आर्थिक विकास में योगदान अदा किया। जापानी भारत के साथ 'आर्क ऑफ फ्रीडम सिद्धांत' के आधार पर अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये भारत के साथ मधुर संबंध रखता है। जिस तरह से भारत चीन के लिये अपने उत्पादित माल के लिये एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है उसी परिप्रेक्ष्य में जापान भी अपने उत्पादित माल की खपत के लिये कार्य कर रहे है। भारत जैसे बाजार को छोड़ना नही चाहेगा।

2006 में भारत जापान के बीच सामूहिक एवं वैश्विक पार्टनरशिप समझौता भारत-जापान संबंधो की मधुरता दर्शाता है। इसी तरह से 2007 में रक्षा के क्षेत्र दोनो देशों में लगातार रिश्ते मजबूत रहे है। वर्ष 2008 में जापान ने एक समझौते के आधार पर भारत को कम स्थान पर 450 अरब अमेरिकन डॉलर दिल्ली-मुम्बई हाई स्पीड रोड़ गलियारो में विकास के लिये

दिये है। भारत-जापान श्रीलंका के पूर्वी भाग में त्रिकोमाली में तापीय विद्युत संयंत्र निर्माण में भागीदारी करने वाले है। भारत-जापान को द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 अरब डॉलर है जिसे 25 अरब डॉलर तक पहुंचने के लक्ष्य रखा गया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27-29 जून 2019 को जापान की यात्रा जी-20 शिखर मे भागीदारी के लिये की थी। 21-22 अक्टूम्बर को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जापान की यात्रा वहां के सम्राट नामहितों के राज्य अभिषेक के लिये की थी।4

नवम्बर 2016 में भारत-जापान के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये जिस पर चीन ने सकारात्मक समर्थन किया। 2014 में जापान यात्रा के दौरान अहमदाबाद-मुम्बई मेट्रो, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि महत्वकांक्षी योजनाओं में जापान अपना योगदान अदा कर रहा है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया - सितम्बर में आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री टोनी एबोट भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा का मुख्य लाभ भारत को मिला, टोनी एबॉट की भारत यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री एवं दोनों शासनाध्यक्षों के बीच असैन्य नाभिकीय ऊर्जा सहयोग समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर भारत, आस्ट्रेलिया से अपनी असैन्य नाभिकीय शक्ति की पूर्ति के लिये आस्ट्रेलिया से यूरेनियम प्राप्त कर सकेगा। इस समझौते का असर स्वभाविक रूप से भारत के पड़ोसी राज्यों पर पड़ सकता है। इससे भारत अपने आद्यौगिक क्षैत्रों में खपत होने वाली ऊर्जा व शक्ति को आसानी से प्रदान करेगा। जिसमें भारत के आद्यौगिक व अन्य क्षैत्रो का स्वभाविक रूप से विकास होगा। आस्ट्रेलिया जहॉ भारत से व्यापारिक संबंधों को बड़ाना चाहेगा वही आस्ट्रेलिया चीन को जो कि प्रशांत में उसका सब में बड़ा व्यापारीक सहयोगी है। 2016 में आस्ट्रेलिया ने चीन से 62 अरब डालर का आयात व 95 अरब डॉलर का निर्यात किया, जो उसकी विदेश नीति का केन्द्र बिन्दु रहेगा। साथ ही आस्ट्रेलिया इंडो-पैसिफीक में अपना व्यापार फैलाए इसके लिये वह भारत, इंडोनेशिया व अन्य आसियान देशों के साथ मिलकर नए समीकरण बनाने की कोशिश करेगा। आस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, जो अमेरीका व चीन दोनो से व्यापारिक डोर से बंधा है। ऐसी स्थिति में भारत आस्ट्रेलिया से अपने संबंध और अधिक मजबूत बनाना चाहेगा।

भारत-बांग्लादेश - बांग्लादेश के निर्माण से आज तक कुछ राजनीतिक नेताओ द्वारा अच्छे संबंध नही निभाये जाने के बावजूद बांग्लादेश अपने अस्तित्व के लिये भारत का ऋणी रहेगा। भारत-बांग्लादेश के बीच चाहे कोई भी विवाद फरक्का बैराज मामला, नदी जल विवाद, चकमा शरणार्थी समस्या या फिर रोहिंग्या समस्याओं के कारण दोनों देशो के बीच संबंध कटु हो जाने के बाद भी अच्छी समझ और कुशल कुटनीति के सहारे कई समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास किये गए जिसमें क्षेत्र में शांति अमन चैन बना रहे।

भारत-बर्मा - बर्मा 1937 तक भारत का का अंग रहा। बौद्ध धर्म की अधिकता से भारत-म्यांमार में सांस्कृति संबंध भी बनता है। भारत-बर्मा के साथ बहुमुखी संबंधो को बढ़ावा देना, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के पीछड़ेपन को दूर करने के लिये आवश्यक है, तो इस क्षैत्र में चीन की बढ़ती तत्परता भी चिंता का कारण है, अलगाववाद व घुसपैठ के कारण भी भारत को म्यांमार से अच्छे संबंध कायम कर उनको बनाए रखने की आवष्यकता है। भारत कभी भी म्यांमार से संबंध बिगाड़ने के पक्ष में नही रहा है। इसका कारण भारत का पूर्वी राज्यों की सीमाएं तथा म्यांमार का पूरा तटीय भाग बंगाल की खाड़ी से लगा होना है।

म्यांमार क्षैत्रीय संगठनों का सदस्य भी है, तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया के लिये अर्थ द्वारा भी है। 1951 की मैत्री संधी के आधार पर 2014 में मोदी सरकार के बनने के बाद फौजी सरकार के सूचना मंत्री ने असम उल्फा, मणिपुर के पीएलए व नागालैंड के एनएमसीएन पर कार्यवाही का भरोसा दिया है। 12-15 अक्टुबर 2011 को राष्ट्रपति यू पिन सेन ने भारत आकर डॉ. मनमोहनसिंह सरकार के साथ मिलकर लगभग एक दर्जन से अधिक करार किये इस समय भारत की ओर से म्यांमार को 500 मिलियन अमेरीकी डॉलर के लिये नई लाईन ऑफ क्रेडिट की। मोदी सरकार की 'पड़ोसी पहले' की नीति के आधार पर विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज ने 11 अगस्त 2014 को अपनी पहली म्यांमार यात्रा की।

आर्थिक संबंधो की भी भारत म्यांमार में काफी संभावना है और दोनों ही देश इसके लिये प्रतिबंद्ध भी दिखाई देते है। 1980 के पूर्व तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मात्र 12 मिलियन अमेरीकी डॉलर था, वह आज 2 बिलियन अमेरीकी डॉलर है।

भारत की कई कंपनी आबीएल, जुविकांट आयल गैस, सेंचुरी प्लाई, आटा मोटर्स, एस्सरसार एनर्जी राईट्स, एस्कार्ट, रेन्बेक्सी, केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड, डॉ. रेड्डी लेब सिपला एवं अपोलो जैसे नाम शामिल है। म्यांमार भी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिये व चीन जैसे विशाल पड़ोसी राष्ट्र से अपनी रक्षा के लिये एक मजबूत दोस्त के लिये भारत से अच्छे संबंध बनाए हुए है। क्योंकि म्यांमार यह जानता है कि चीनी रणनीतिकार, म्यांमार यह भी जानता है कि चीनी रणनीतिकरण म्यांमार को बंगाल की खाड़ी और आगे के समुद्री मार्ग के लिये बर्मा एक पुल के रूप में प्रयोग कर सकता है। म्यांमार यह भी जानता है कि चीन जैसे राष्ट्र पर अगर कोई लगाम रख सकता है। तो वह केवल भारत है। अब देखना यह होगा कि दोनो देश अपने आपसी संबंधो का निर्वहन किस प्रकार करते है। यह आने वाला समय ही बताएगा पर दोनो राष्ट्र यही चाहेगे कि आपसी संबंधो को मधुर बनाए रखे और विकास के पथ पर दोनो राष्ट्र अपना-अपना विकास करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रतियोगिता दर्पण सितम्बर-2018, पेज-24, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
2. प्रतियोगिता दर्पण जुलाई-2019, पेज-28, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
3. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर-2019, पेज-16, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
4. प्रतियोगिता दर्पण दिसम्बर-2019, पेज-17, स्वदेशी बीमा नगर, अगरा।
5. विदेश नीतियॉ सिद्धांत एवं व्यवहार, डॉ. प्रभुदंत शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
6. भारतीय विदेश नीति के नये आयाम, डॉ. रविकांत दुबे, कुणाल प्रकाशन, दिल्ली ।
7. प्रमुख देशों की विदेश नीतियॉ, डॉ. मथुरालाल शर्मा, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर।
8. भारतीय विदेश नीति, बी.एन. खन्ना, एस.बी.पी.डी., पब्लिशिंग हाउस आगरा।
9. भारतीय विदेश नीति, जे.एन. दीक्षित, प्रभात प्रकाशन दिल्ली।
10. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दे, बी.एल.फड़िया, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।

वित्तीय नियोजन : विकास का आधार

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी*

प्रस्तावना – वित्तीय नियोजन पर्याप्त पूँजी का संग्रहण एवं संचालन करने के लिए प्रत्येक व्यावसायिक संस्था के लिए आवश्यक होती है। वित्त गुणवत्ता के आधार पर विभिन्न श्रोतों से जुटाया जाता है जिससे व्यवसाय की व्यवसायिक सुदृढ़ता स्थापित की जा सके तथा अपने देयताओं का भुगतान समय पर सरलता से कर सकें। अधिक पूँजी या कम पूँजी ये दोनों अवस्थाएँ व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होती। अत: व्यावसायिक संस्था के क्रियाकलापों में स्थापित कार्यकुशलता तथा लाभदायकता लाने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय नियोजन सूझ–बूझ एवं समझदारी से किया जाय।

शोध प्रविधि – शोध–पत्र को तैयार करने में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त जानकारी को सम्मिलित किया गया है। समकों एवं जानकारियों का वर्गीकरण परिणियन एवं सारणीयन तैयार कर विश्लेषित किया गया है तत्पश्चात् निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है।

परिकल्पना :

1. व्यावसायिक संस्था या सरकार के लिए वित्तीय नियोजन आवश्यक है।
2. वित्तीय नियोजन प्राय: आवश्यकता एवं विकास के दृष्टिकोण से समुचित ढ़ंग से नहीं बनाये जाते।
3. वित्तीय नियोजन बनाने में तकनीकी कमियां नकारात्मक भूमिका निभाती है।
4. भारत में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं वित्तीय नियोजन बनाने में सतर्कता नहीं बरतती।

उद्देश्य :

1. शोध पत्र का आधार वित्तीय नियोजन की आवश्यकता का प्रतिपादन करना।
2. वित्तीय नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण करना।
3. वित्तीय नियोजन के प्रकारों का अध्ययन करना।
4. वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले कारकों का पता लगाना।
5. एक आदर्श वित्तीय नियोजन के महत्व को दर्शाना।
6. वित्तीय नियोजन के सीमाओं का निर्धारण करना।

विषय विश्लेषण – वित्तीय नियोजन से तात्पर्य किसी व्यावसायिक संस्था के लिए समग्र पूँजी एवं उसके स्वरूप के निर्धारण तथा पूँजी के प्रभावी प्रबन्ध के लिए आवश्यक नीतियों के निरूपण प्रक्रिया से होता है। वित्तीय नियोजन के आवश्यक तत्वों में उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का प्रतिपादन जिसमें पूँजी की मात्रा को निश्चित करने वाली नीतियाँ, वित्तीय संरचना के विभिन्न अवयवों को निर्धारित करने से संबंधित नीतियाँ, कोष जुटाने के स्रोत, चयन संबंधी नीतियाँ तथा तकनीकों का विकास करना है। वित्तीय नियोजन में इन्हीं तीन बिन्दुओं को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया गया है।

वित्तीय नियोजन की आवश्यकता अनेक कारणों से होती हैं जैसे तरलता का उद्देश्य, व्ययों के वित्तीयकरण का उद्देश्य, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता, विकास व विस्तार, वित्त कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु।

वित्तीय नियोजन करते समय अनेक उद्देश्यों को व्यावसायिक या सरकारी संस्था सम्मुख रखकर एक आदर्श वित्तीय योजना तैयार करती है। जिसमें न्यूनतम लागत पर पूँजी की उपलब्धता, पूँजी की आवश्यकता, लोक पूर्णता, विभिन्न स्रोतों में समन्वय एवं अंशधारियों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है।

वित्तीय नियोजन अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन होते हैं। वित्तीय योजना को निर्धारित करने वाले कारकों में उद्देश्यों, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार, प्रबन्धकीय दृष्टिकोण, जोखिम का स्तर, विकास की सम्भावनाएँ एवं सरकारी नीतियाँ।

एक आदर्श वित्तीय योजना के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं जैसे – पूँजी का गहन प्रयोग, तरलता, मितव्ययिता, सरलता इत्यादि।

वित्तीय योजना का व्यावसायिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक संस्था का प्रभावी परिचालन, प्रभावी प्रवर्तन, प्रभावी समन्वय, सम्पत्तियों का रखरखाव एवं प्रतिस्थापन, विस्तार एवं विविधीकरण आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान होता है।

वित्तीय नियोजन की कुछ सीमाएं भी हैं जैसे – समन्वय का अभाव, प्रभावहीन प्रबन्धन, वित्तीय नियोजन का काल्पनिक विचार तथा नियोजन की अनिश्चितताएँ।

समस्याएँ – शोध–पत्र लेखन में विभिन्न समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं जैसे – सूचनाओं का समय पर उपलब्ध न होना, सूचना प्राय: आधी अधूरी होती है जिससे वास्तविक तथ्यों का पता नहीं चल पाता।

1. सूचनाओं के स्रोत पर्याप्त नहीं हैं।
2. सूचना स्रोतों में समन्वय का आभाव पाया जाता है।

समाधान के उपाय :

1. सूचना केन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
2. सूचनाएँ समय पर उपलब्ध होनी चाहिए।
3. सूचनाएँ तथ्यात्मक होनी चाहिए।
4. सूचना सूत्रों में समन्वय होना चाहिए।

निष्कर्ष – वित्तीय नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे किसी व्यावसायिक संस्था को अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। किसी संस्था के लिए एक सुदृढ़ एवं व्यवस्थित वित्तीय योजना बनाई जानी

*सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.) भारत

चाहिए यह संस्था के विकास एवं विस्तार के लिए आवश्यक होती है। इसमें कुछ समस्याएं भी हैं जिनको सुलझाकर आदर्श वित्तीय योजना बनाई जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, 2009, पेज 70, 74
2. दैनिक समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, सतना प्रकाशन।
3. भारत सूचना एवं प्रकाशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

म.प्र. के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की प्रजातियाँ एवं घटकों के निर्दिष्ट स्वास्थ्य कार्य का विश्लेषण

मनीषा चौहान*

प्रस्तावना – सोयाबीन (वैज्ञानिक नाम–ग्लाईसीन मैक्स) सोयाबीन फसल है। यह दलहन के बजाय तिलहन की फसल मानी जाती है। सोयाबीन दलहन की फसल है शाकाहारी मनुष्यों के लिए इसको मांस भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता हे। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाईसीन मैक्स है। स्वास्थ्य के लिए एक बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्त्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइडेंट और वसा होते हैं। सोयाबीन में 38–40 प्रतिशत प्रोटीन, 22 प्रतिशत तेल, 21 प्रतिशत कार्बोहाइडेंट, 12 प्रतिशत नमी तथा 5 प्रतिशत भस्म होती है।

सोयाप्रोटीन के एमीगेमिनी अम्ल की संरचना पशु प्रोटीन के समकक्ष होती हैं। अतः मनुष्य के पोषण के लिए सोयाबीन उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत है। कार्बोहाइडेंट के रूप में आहार रेशा, शर्करा, रैफीनोस एवं स्टाकियोज होता है जो कि पेट में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों के लिए लाभप्रद होता है। सोयाबीन तेल में लिनोलिक अम्ल एवं लिनालेनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये अम्ल शरीर के लिए आवश्यक वसा अम्ल होते हैं। इसके अलावा सोयाबीन में आइसोफ्लावोन, लेसिथिन और फाइटोस्टेरॉल रूप में कुछ अन्य स्वास्थ्यवर्धक उपयोगी घटक होते हैं। सोयाबीन न केवल प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्त्रोत है बल्कि कई शारीरिक क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा सोया प्रोटीन का प्लाज्मा लिपिड एवं कोलेस्टेरॉल की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया हे और यह पाया गया है कि सोया प्रोटीन मानव रक्त में कोलेस्टेरॉल की मात्रा कम करने में सहायक होता है। निर्दिष्ट स्वास्थ्य उपयोग के लिए सोया प्रोटीन संभवतः पहला सोयाबीन घटक है। भारत में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्यप्रदेश करता है। मध्य प्रदेश में इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है।

मध्यप्रदेश में सोयाबीन खरीफ की एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती लगभग 53.00 लाख हैं. क्षेत्रफल में की जाती है। देश में सोयाबीन उत्पादन के क्षेत्र में म.प्र.अग्रणी है, जिसकी हिस्सेदारी 55रू से 60रू के मध्य है लेकिन उत्पादन पर नजर डालेंगे तो पायेंगे कि हमारे देश की उत्पादकता 10 कि.हे. हैं, जो कि एशिया की औसत उत्पादन 15 क्विं हैक्ट. की तुलना में काफी कम है। अकेले मालवा जलवायु क्षेत्र में सोयाबीन का क्षेत्रफल लगभग 22 से 25 लाख है, अच्छादित है। इससे स्पष्ट है, कि प्रदेश में सोयाबीन का भविष्य इसी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित होता है। उज्जैन जिले में सोयाबीन की खेती लगभग 4.00 है, से अधिक क्षेत्र में की जाती है।

म.प्र. के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों हेतु सोयाबीन की प्रजातियाँ

कृषि जलवायु क्षेत्र	जिले	प्रजातियाँ
छत्तीसगढ़ का मैदान	बालाघाट तथा वारासिवनी	जेएस–335, जेएस–93 05, जेएस 95–60, जेएस 97–52, जेएस 20–34, जेएस 20–29, जेएस 20–98
कैमोर का पठार तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ	जबलपुर, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, सिवनी	जेएस–335, जेएस 39–05, जेएस 95–60, जेएस 20–34, जेएस 20–29, 20–69, जेएस 20–98
विंध्य पठार	भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन	जेएस 335, जेएस 93–05, जेएस 95–60, जेएस 20–34, जेएस 20–29, 20–69, जेएस 20–98
मध्य नर्मदा घाटी	नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा	जेएस 335, जेएस 93–05, एनआरसी–37, जेएस 97–52, जेएस 20–29, 20–69, जेएस 20–98
गिर्द क्षेत्र	ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना	जेएस 335, जेएस 93–05, जेएस 95–60, जेएस 20–34, जेएस 20–29, जेएस 20–69, जेएस 20–98, एनआरसी–86 आरवीएस 2001–4, आरवीएस 24
बुंदेलखंड क्षेत्र	छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया	जेएस 335, जेएस 93–05, एनआरसी–3, जेएस 95–60, 20–34 जेएस 20–29, जेएस 20–98
सतपुड़ा का पठार	छिंदवाड़ा, बैतूल	जेएस 335, जेएस 93–05, जेएस 95–60, एनआरसी–37, जेएस–2018, एनआरसी 86, 97–52, जेएस 20–34,

* एम.फिल (भूगोल) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

		जेएस 20-29, जेएस 20-69, जेएस 20-98
मलवा का पठार	मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास तथा धार का कुछ क्षेत्र	जेएस 335, जेएस 93-05, जेएस 95-60, जेएस 97-52, जेएस 20-34, जेएस 20-29, एनआरसी-37, एनआरसी-7, एनआरसी-86, आरवीएस -2001-4, आरवीएस-24, आरवीएस-18
निमाड़ घाटी	खंडवा, खरगोन, बड़वानी	जेएस 335, जेएस 93-05, जेएस 95-60, जेएस 20-34, जेएस 20-29, एनआरसी-37, 86, आरवीएस 2001-4, आरवीएस-24, आरवीएस-18
झाबुआ की पहाड़ियाँ	झाबुआ तथा धार का कुछ क्षेत्र	जेएस 335, जेएस 93-05, एनआरसी-7, एनआरसी-86, जेएस 95-60, आरवीएस-18

सोयाबीन घटकों के निर्दिष्ट स्वास्थ्य कार्य

प्रोटीन	कोलेस्ट्राल को कम करना, मोटापा कम करना, उम्र बढ़ने से रोकना, कैंसर रोधी
प्रोटीन हाइडोंलाइजेट	पोषक, मोटापा कम करना, उच्च रक्त चाप से बचाव
लेक्टिन	प्रतिरक्षा क्रिया
टिप्सिन इन्हीबिटर	कैंसर रोधी
आहार फाइबर	वसा को कम करना, पेट कैंसर रोधी
ऑलिगो-सैकराइड	आंतों में पाए जाने वाले बिफीडो बैक्टीरिया के लिए लाभदायक
लिनोलिक एसिड	आवश्यक फैटी एसिड, कोलेस्ट्राल को कम करना
लिनोलेनिक एसिड कोरोनरी	हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सहायक, एलर्जी रोधक
लेसिथिन	वसा को कम करना, स्मृति में सहायक
स्टेरोल	वसा को कम करना
टोकोफेरोल	कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सहायक, एंटीऑक्सीडेंट गुण
वटामिन के	थक्का रोधी, ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, कैंसर रोधी
विटामिन बी	बेरीबेरी रोग रोधी
फाइटिट	कैंसर रोधी
सैपोनिन	वसा को कम करना, एंटीऑक्सीडेंट गुण
आइसोफ्लावॉन	ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, कैंसर रोधी

हांलाकि सोयाबीन से कुछ एलर्जी और नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे सोयाबीन में कुछ ऐसे कम्पाउंड होते है जो फीमेल हॉर्मोन एस्ट्रोजन की नकल कर लेते हैं। इससे महिलाओं में हॉर्मोन संबंधी गड़बड़ी हो सकती है वहीं पुरूषों में इसके अत्यधिक सेवन से नपुंसकता और स्पर्म काउंट में कमी आ सकती है। इसलिए सोयाबीन का सेवन हर किसी को एक सीमित मात्रा में करना चाहिए।

एक दिन में कितना सोयाबीन खाना चाहिए - सोयाबीन से ज्यादा प्रोटीन किसी वेजेटेरियन फूड में नहीं होता। ये कई फॅार्म में आता है जैसे सोयाबीन्स, सोया चंक्स, सोया ग्रनुअल्स, सोया मिल्क, सोया चांप और सोया पनीर। सबसे ज्यादा प्रोटीन चंक्स, ग्रेनुअल्स और सोया पनीर में होता है। इन दिनों इस तरह की कई स्ट्डी सामने आई हैं, जिनमें लोगों को ज्यादा सोया न खाने की सलाह दी गई है। डाइट में इसे शामिल कर और 20 से 30 ग्राम सोया प्रोटीन ले सकते हैं। बाकी दूसरी चीजों से प्रोटीन हासिल करें। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जी.सी.सिंघई, चिकित्सा भूगोल, वसुंधरा प्रकाशन, गौरखपुर।
2. Agnihorri, R.C. Geomedical Enviroment and Health Care, Rawat Publication.
3. Mangal, S.K. Physical and Health Education.

****

भारत के जनजातीय वर्ग पर वैश्वीकरण के प्रभावों का अध्ययन-एक सैद्धांतिक अध्ययन

डॉ. जयराम बघेल*

शोध सारांश – ऐतिहासिक संदर्भ में आर्थिक वैश्वीकरण का वर्तमान दौर हमें 20वीं शताब्दी के द्वितीय अर्द्धकाल में होने वाले सामाजिक-आर्थिक बदलावों को जानने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण का सीधा प्रभाव जनजातीय क्षेत्र के लोगों की गरीबी, कर्ज एवं उनकी बेरोजगारी के रूप में देखा जा सकता है। भूस्वामित्व की विमुखता के कारण जनजातीय समुदाय अपने जीवन-यापन के साधान खो चुके हैं और गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश हैं।

शब्द कुंजी – वैश्वीकरण, जनजाति, भूमि।

प्रस्तावना – वैश्वीकरण की धारणा कोई नया विचार नहीं है। इसके बीज हमारे प्राचीन वेद पुराणों में मिलते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि है कि **'विश्वं पुस्टं ग्रामें आंस्मिन अनातुरम'** अर्थात मेरे गाँव में ही विश्व की पुष्टि का मुझे दर्शन हो।[1] वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण वर्तमान का सर्वाधिक चर्चित शब्द हैं। आज हम वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया आज संपूर्ण विश्व में सक्रियता से चल रही हैं। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ हैं- स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं एवं घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपान्तरण की प्रक्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते है और एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है।

वैश्वीकरण के प्रारंभिक रूप रोमन साम्राज्य, पार्शियन साम्राज्य और हान राजवंश के समय में उपलब्ध बताए गए थे, जब चीन का रेशम मार्ग पार्थियन साम्राज्य की सीमा तक पहुँच गया और वहाँ से आगे रोम की तरफ़ बढ़ गया। वैश्वीकरण का इस्लामी स्वर्ण युग भी एक उदाहरण है, जब मुस्लिम अन्वेषकों और व्यापारियों ने प्राचीन दुनिया में प्रारंभिक विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की थी, जिसके फलस्वरुप फसलों, व्यापार, ज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण हुआ था और बाद में मंगोल साम्राज्य के समय में जब रेशम मार्ग पर पूर्व की अपेक्षा अधिक एकीकरण था। विस्तृत अर्थ में वैश्वीकरण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत से पहले हुई थी और यह स्पेन और विशेष रूप से पुर्तगाल में हुई थी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल का वैष्विक विस्तार एक बड़े पैमाने पर महाद्वीपों, अर्थव्यवस्था और संस्कृतियों से जुड़ा है। पुर्तगाल का अफ्रीका के अधिकांश तटों और भारतीय क्षेत्रों के साथ विस्तार और व्यापार वैश्वीकरण का पहला प्रमुख व्यापारिक रूप था।

विश्व व्यापार की एक लहर उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक ग्राह्यता दुनिया के सभी स्थानों तक पहुँच गई। 16 वीं और 17 वीं शताब्दियों में वैश्विक विस्तार यूरोपीय व्यापार के प्रसार के माध्यम से चलता रहा, जब पुर्तगाली और स्पैनिश साम्राज्य का विस्तार अमेरिका तक फ़ैल गया और अंततः फ्रांस और ब्रिटेन तक पहुँचा। वैश्वीकरण ने दुनिया भर की संस्कृतियों पर एक जबरदस्त प्रभाव डाला।

17वीं सदी में वैश्वीकरण एक कारोबार बन गया जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, जिसे पहली बहुराष्ट्रीय निगम कहा जाता है। विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उच्च जोखिम के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी विश्व की प्रथम कम्पनी बन गई, जिसने स्टॉक के जारी शेयरों के माध्यम से कंपनियों के जोखिम और संयुक्त स्वामित्व को शेयर किया था, जो वैश्वीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक रही। ब्रिटिश साम्राज्य को इसके पूर्ण आकार और शक्ति के कारण वैश्वीकरण का दर्जा मिला था। इस अवधि में ब्रिटेन के आदर्शों एवं संस्कृति को अन्य देशों पर उनकी मर्जी के खिलाफ थोपा गया था।

वैश्वीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – वैश्वीकरण शब्द का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा वर्ष 1980 से किया जाता रहा है, चूँकि वर्ष 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था, लेकिन वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध और वर्ष 1990 तक वैश्वीकरण की अवधारणा लोकप्रिय नहीं हुई थी। वैश्वीकरण को सदियों की लंबी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जो मानव जनसंख्या और उसकी सभ्यता के विकास पर नजर रखती है, जो विगत अनेक वर्षो में नाटकीय ढंग से प्रभावशील हुई है।

19वीं सदी को **'वैश्वीकरण का प्रथम युग'** के रूप में भी जाना जाता है। यह वह समय था, जिसका वर्गीकरण यूरोपीय शाही शक्तियों, उनके उपनिवेशों और उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के आधार पर किया गया। इसी समय में उप-सहारा अफ्रीका के क्षेत्र और प्रशांत द्वीप विश्व प्रणाली में शामिल हो गए थे। वैश्वीकरण का प्रथम युग के बिखरने की शुरूआत 20वीं शताब्दी में प्रथम विश्व युद्ध के साथ हुई थी और इसके बाद 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक के प्रारंभ में स्वर्ण मानक संकट की अवधि में यह समाप्त हो गया।

वैश्वीकरण एवं भारत – वैश्वीकरण की दिशा में भारत सरकार ने 1980 के दशक के आरम्भ में प्रयास करना शुरू कर दिये थे। लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी वर्ष 1991 में शुरू हुई, जब नवीन आर्थिक नीति के अतंर्गत देश की अर्थव्यवस्था के खुलेपन के लिये निम्नलिखित क्षेत्रों में उदारीकरण का अपनाया गया-

* सहायक प्राध्यापक(वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

1. नई व्यापार नीति के अंतर्गत व्यापर का वैश्वीकरण
2. नई औद्यौगिक नीति के अंतर्गत उद्योग व निवेश का वैश्वीकरण
3. नई निवेश के अंतर्गत वित्त का वैश्वीकरण

उदारवाद को प्रोत्साहन मिलने के कारण निवेश पर से सरकारी नियमन समाप्त हो गया। अत: इसने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। वस्तुत: **'वैश्वीकरण ने उदारीकरण की कोख से जन्म लिया है।'**

वैश्वीकरण के जनजाति वर्ग पर प्रभाव – भारत में सामान्यत: जनजातीय आबादी को आदिवासी वर्ग भी कहा जाता है। जनजातीय वर्ग मुख्यत: पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, जो विकास की मुख्यधारा से अभी भी दूर है। वैश्वीकरण की संरचना के अंतर्गत सभी के लिए 'सभ्य जीवन की जिस पवित्र धारणा पर बल दिया जाता है, उससे इस जनजातीय आबादी को कुछ लेना देना नहीं है। सरकार के विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद जनजाति वर्ग के लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली को छोड़ने को तैयार नहीं है, न ही रीति-रिवाजों को। लेकिन वैश्वीकरण के अंतर्गत जनजातियों के जीवन-शैली में हस्तक्षेप करने की कोशिश की जाती है, जो एक भयानक प्रवृत्ति है।'[3] जनजातियों का जीवन अन्य सामाजिक वर्गो से इस आशय में भिन्न है कि वे आधुनिकता से पूर्ण जीवन की प्रवृत्तियों से अलग जीवन पद्धति को अपनाते हैं। वे अपनी नृजातीय एवं सांस्कृतिक, पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को बनाए रखना चाहते हैं। प्राकृतिक परिवेश विशेषकर जंगलों से उन्हें बहुत प्रेम हैं।

भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के पश्चात् जनजातियों को राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से अन्य भारतीय सामाजिक समूहों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। इसका परिणाम यह हुआ है कि इससे न सिर्फ जनजातियों के शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र जीवन पर प्रभाव पड़ा बल्कि वे भी कर्ज, बेरोजगारी, गरीबी एवं शोषण विपत्तियों से से ग्रसित हुए और उनके मानवाधिकारों के शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने बाद में शोषण एवं प्रताड़ना को और अधिक बढ़ावा दिया।[4] वैश्वीकरण का जनजातियों पर प्रभाव मुख्यत: भूमि से अलगाव के रूप में हुआ है। संचार साधनों के विस्तार एवं विकास की प्रगति के लिए जनजातीय क्षेत्रों को खुला रखने और भूमि अधिग्रहण की सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण जनजाति वर्ग को भूमिहीन होकर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्तमान के भूमि कानून तथा भूस्वामित्व की मौजूदा व्यवस्था के विकास से जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन आये, जिसके कारण जनजातीय क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों का हस्तक्षेप बढ़ गया। वैश्वीकरण की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में विशेष आर्थिक क्षेत्र, तकनीकी उद्यान तथा उद्योग जगत को विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने जिस तरह से भूमि अधिग्रहण की जनविरोधी नीति अपनाई है, उसका जनजातियों के समस्त जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

वैश्वीकरण के दौर में जनजाति समुदाय का जंगलों से प्रतीकात्मक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक दृष्टि से भूमि के साथ-साथ वनों पर भी जनजातीय लोगों का एक तरह से नियंत्रण रहा था और वनों के माध्यम से ही वे अपना जीवनयापन करते थे। जैसे-जैसे सरकार ने जंगलों एवं प्राकृतिक संसाधानों का प्रबंधन अपने नियंत्रण में करना शुरू किया। वैसे ही सरकार और जनजातियों के मध्य तनाव बढ़ गए। सरकार यह बात भूल गई कि वन जनजातीय समुदाय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति-रिवाजों एवं विधि-विधानों में कितना महत्व रखते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत औद्योगिक एवं विकासात्मक परियोजना के लिए आज वन नष्ट किए जा रहे हैं। इससे जनजातियों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही साथ प्राकृतिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हुई है।

उपसंहार – वैश्वीकरण का सीधा प्रभाव जनजातीय क्षेत्र के लोगों की गरीबी, कर्ज एवं उनकी बेरोजगारी के रूप में देखा जा सकता है। भूस्वामित्व की विमुखता के कारण जनजातीय अपने जीवन- यापन के साधान खो चुके हैं और गरीबी का जीवन जीने के लिए विवश हैं। प्राकृतिक विपदा की स्थिति में उन्हें साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़ते हैं। नकदी फसल के पैदावार पर बल देने के कारण अनाजों की खरीदारी के लिए भी उन्हें उधार लेना पड़ता है। आज वे खाद्यान्नों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, औद्योगीकरण की प्रक्रिया से भी इन्हें कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रोजगार के जो अवसर उपलब्ध है, उनके लिए वे उचित नहीं हैं। उनमें इस तरह की योग्यता एवं शिक्षा का अभाव है। ऐसे स्थिति में सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के समक्ष मुख्य चुनौती यह है कि किस प्रकार जनजातियों का आधुनिकीकरण कर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनके पारंपरिक मानवाधिकार को यथावत् रखा जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दानापानी, मासिक पत्रिका (2016), माणिक बाग रोड़, इन्दौर
2. पाण्डे, राजेन्द्र कुमार (2004) वैश्वीकरण एवं इसका श्रमिकों, किसानों, दलितों, आदिवासियों एवं महिलाओं पर पर प्रभाव, हिन्दू कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ. 58
3. चन्द्र, सुभाष(2008), वैश्वीकरण में दलितों का दलितों का भविष्य, इतिहास बोधक प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. गुप्ता, मंजु(2003),जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, अजुर्न पब्लिशिंग हाउस,नई दिल्ली।

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

कोरोना काल और ऑनलाईन कार्य

डॉ. ज्योति सिंह *

प्रस्तावना – भारत में कोरोना वायरस का दस्तक जैसे ही हुआ इसकी भयावहता को देखते हुए सबसे पहले 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्यू लगाया गया था।

24 मार्च को 21 दिन के लिए पुरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन की अवधी को 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिनों का लॉकडाउन हुआ, 4 मई से पुन: 17 मई तक तीसरे चरण का और इसी तरह चौथे और पॉचवे चरण का लॉकडाउन 30 जुन तक रहा। लॉकडाउन की अवधी के दौरान अवश्यक वस्तूओं एवं आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाऐ बंद थी। भारत का हर नागरिक घर तक सीमित हो गया था आवश्यक सेवाओं से संबधित व्यावितियों को ही पास के माध्यम से आने जाने की अनुमति थी। मार्च से जून की अवधी में लोगों के दिलो दिमाग में महामारी का भय था ही साथ ही रोजी रोटी का संकट और आवश्यक वस्तुओं तक पहुँचने का भय था। महामारी के दरमयान जब सब कुछ थमा था तब सबसे तेज रफतार से चल रहा था तो वह है इंटरनेट जिसमें ऑनलाईन कार्यो को बखुबी अंजाम दिया जा रहा था इंटरनेट से बड़े शहरों के नागरिकों को ऑनलाईन कार्य शॉपिंग, एवं शिक्षण कार्य, एवं ट्रेनिंग जैसे कार्यो को गति प्रदान की।

कुछ समय तक महामारी के दौरान सारे शिक्षण संस्थान को पूर्णत: बंद कर दिया था किन्तु शनै: शनै: ऑनलाईन के माध्यम से शिक्षण कार्यो को प्रारंभ किया गया। देश के नागरिकों ने जिसमें ज्यादातर शहरी नागरिक आते है उन्होंने ऑनलाईन शॉपिंग की। ऑनलाईन से बहुत सारे कार्यो जैसे शिक्षण मिटिंग,ट्रेनिंग ,शॉपिंग आदि का कार्य किया गया।

ऑनलाईन शिक्षा – शिक्षा मूल में समाजिककरण की प्रक्रिया है समाज के बदलते स्वरूप के साथ शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन जरूरी था महामारी के प्रक्रोप बचाव के साथ साथ शिक्षण का कार्य जारी रखने के लिए प्रारंभ हुआ ऑनलाईन कक्षाऐं ऑनलाईन शिक्षा के लिए त्रीव गति की इंटरनेट की जरूरत होती है जो शहारों में असानी से प्राप्त की जा सकती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए असान नही था। कोरोना के दौर में जब स्कूल कॉलेज के समक्ष शिक्षा प्रदान करने की बात आई तो ऑनलाईन क्लासेस ने ही विद्यार्थीयों के लिये शिक्षण कार्य को निरंतरता प्रदान की शिक्षा के साथ साथ इस नई तकनीक के बारे में भी विद्यार्थियों के ज्ञान में बढोंतरी हुई ऑनलाईन क्लासेस में विद्यार्थी शिक्षक की ली गई कक्षा को रिकार्ड करके पुन: सुन सकता है और शंका का समाधान भी कर सकता है।

सिविल सेवा परीक्षा इंजीनियरिंग और मेडीकल जैसी सभी ऑनलाईन से कक्षाऐं हो रही है। ऑनलाईन शिक्षा के कई लोकप्रिय ऐप है। जैसे बाईजुस मेरिट नेसन जिसमें सीबीएससी की पाठ्यक्रम की सभी कक्षा की विषय समग्रगी मौजुद है जिसके जरिये पाठ को असानी से समझा जा सकता है।

ऑनलाईन शॉपिंग – कोविड 19 महामारी के दौरान ऑनलाईन शॉपिंग की रफतार बहुत तेज गति से हुई शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक शॉपिंग ऑनलाईन के माध्यम से ही हुई। ऑनलाईन शॉपिंग बड़े बड़े महानगरों में किराना की भी ऑनलाईन शॉपिंग हुई। शहरी क्षेत्र,कस्बानुमा क्षेत्र में भी कुछ जरूरी तथा गैर जरूरी समानों को भी ऑनलाईन से खरीदा गया महामारी की भयावहता ने लोगों को बजार या दुकान तक पहुंचने से डराया यही वजह है कि ऑनलाईन शॉपिंग की रफतार तेज रही। स्थानीय स्तर पर भी लोगों ने कॉन्टेक्ट लेस समानों की डिलीवरी की।

कोरोना वायरस अत्याधिक संक्रामक रोग है इसने पुरी दुनिया में करोडों लोगों को संक्रामित कर दिया है कोरोना वायरस संक्रामित व्यक्ति से फैलता है या फिर जब कोई व्यक्ति उस सतह को छूता है जिस पर वायरस होता है। अब इससे बचने का सबसे अच्छा और सरल उपाय था घर में ही रहना। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर ऑनलाईन खरीददारी का प्रतिशत बढ़ा।

ऑनलाईन ट्रेनिंग – कोरोना काल में जब सारी दुनिया थम थी गई थी तब विकल्प था। ऑनलाईन से लोगों को हर क्षेत्र के बारे में तथा महामारी के बचाव के बारे में जानकारी देकर ट्रेंड करने की। सब से पहले कोरोना महामारी से बचाव हेतू ट्रेनिंग ऑनलाईन से दी गई। शनै: शनै: ऑनलाईन ट्रेनिंग दूसरे क्षेत्रों में बढ़ा शिक्षकों को ऑनलाईन ट्रेनिंग दी गई कि कैसे ऑनलाईन कक्षाऍ संचालित करे और विद्यार्थीयों को लाभान्वित करे। उच्च शिक्षा ने भी समय समय पर ऑनलाईन के माध्यम से प्राध्यापकों , सहायक प्राध्यापकों को आवश्यक ट्रेनिंग दी।

कोरोना काल में जहाँ जिंदगी की रफतार थमी सी थी पर कार्य की रफ्तार नही। सरकार की सोच महामारी को मात देने के साथ साथ कार्यप्रणालीयों को बरकरार रखने की थी जिसने सफलता के उच्च अयाम को छुआ है।

मल्टीनेशनल कंपनियों की कार्य पद्धति – कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करवाया और अभी भी वर्क फ्राम होम को ही प्राथमिकता दी जा रही है। भारत की कंपनियों में कोका कोला ,पेप्सी,नेस्ले ,एल जी और रेकिट बैंकाइजर शामिल है। कोका कोला के प्रवक्ता ने कहा की दफतर से काम करने का फैसला आने वाले समय पर लेंगे और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही स्टाफ को बुलाया जायेगा। मुम्बई में मुख्यालय वाली बढ़ी कंपनियाँ हिन्दुस्तान युनिलिवर ,प्राक्टर एन्ड गैंबल और कोलगेट जैसे कंपनियों ने भी घर से स्टाफ को कार्य कराया। भारत की कंपनीयाँ तथा बाहर की कंपनियों ने

*सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर (म.प्र.) भारत

ऑनलाईन की कार्य पद्धति को अपनाकर कार्य की निरंतरता को बनाये रखा जिससे वायरस के खतरे से बचते हुए विकास के कार्य में भी अपनी महत्वपुर्ण भुमिका का निर्वाहन किया।

निष्कर्ष – कोरोना वायरस की भयावहता ने ऑनलाईन कार्य , कार्य पद्धति को बढ़ाया जिससे हमें बीमारी से बचाव के साथ साथ कार्य की निरंतरता भी बरकरार रही।

शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाईन शिक्षा के माध्यम से छात्रों के नुकसान की भरपाई हुई। यह अलग बात है कि इसका प्रतिशत कम रहा क्योकि इंटरनेट की सुविधा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नही था तथा हर एक छात्र के पास स्मार्ट फोन का न होना था।

ऑनलाईन शॉपिंग ने तो लोगों के सामने सबसे उम्दा विकल्प के रूप में प्रस्तुत हुआ लोगों ने इस दौरान अपनी जरूरी तथा गैर जरूरी चीजों की शॉपिंग की जिसे लोगों को काफी हद तक राहत मिली।

ऑनलाईन ट्रेनिंग ने सरकारी कामकाज तथा गैर सरकारी कामकाज को बखुबी अंजाम दिया जिसका लाभ प्रशिक्षार्थीयों ने उठाया।

भारत गॉवों का देश है और सुदूर अंचल के गॉव में आज भी इंटरनेट की सुविधा नही पहुॅच पाई है जिससे वहाँ के रहवासी आज भी इससे वंचित है, गरीबी की वजह से हर व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन का न होना भी उन्हे ऑनलाईन के लाभ से वंचित रखा किन्तु वर्तमान में कोविड महामारी का दौर इसकी भयावहता को देखते हुए ऑनलाईन की कार्य पद्धति से फायदे हुए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. www.dw.com>blog-pandemic
2. thewirehindi.com>covid-19
3. www.jagran.com>Uttarpradesh
4. Economictimes.indiatimes.com
5. www.newslaundry.com>online
6. Hindi.news18.com>news>imp
7. Hindi.the print.in>opinion
8. www.aajtak.in
9. www.aajtak.in>story>corona
10. Khabar.ndtv.com
11. www.amar ujala.com>india _news
12. www.amar ujala.com>———>world

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

ई-शिक्षा और रोजगार

डॉ. मंजू गुप्ता*

शोध सारांश – पिछले तीन दशकों में जीवन के हर क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं का काफी विस्तार हुआ है। शिक्षा क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है। प्राचीन गुरुकुल तथा आश्रम परंपरा से होते हुए शिक्षा ने अनेक सोपान तय किये हैं। आज की स्कूली शिक्षा नवयुगीन साधनों से सुसज्जित होती जा रही है। साधारण ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्टबोर्ड ने ले ली है तथा विविध प्रकार के मार्कर पेन, स्टिक का स्थान लेजर पॉइंटर ने ले लिया है। आज कक्षा में इस्तेमाल होने वाली स्लाइड प्रोजेक्टर तथा एलसीडी प्रोजेक्टर अब हर कक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बनते जा रहे हैं। शिक्षा में दृश्य-श्रव्य प्रणाली का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सुगम तथा बेहतर प्रस्तुतीकरण के लिये टच स्क्रीन वाले बोर्ड अब स्कूलों में इस्तेमाल किये जा रहे हैं। शिक्षण प्रणाली के तौर-तरीकों में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया प्रभावित हुआ और इसका सबसे ज्यादा असर शिक्षा क्षेत्र पर हुआ है। जहां एक ओर छात्र नए तरीके से शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भी ई-लर्निंग माध्यम से छात्रों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परिणामस्वरूप शिक्षा अब तेजी से ई-शिक्षा की ओर अग्रसर हो रही है।

प्रस्तावना – वर्तमान में किसी भी राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास को मापने के लिए ई-शासन एक प्रमुख मापक बन गया है। भारत में भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से शासकीय क्रियाकलापों में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन करने के लिए ई-शिक्षा की अवधारणा को अपनाया गया है। भारत की शासन एवं शिक्षा व्यवस्था में ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग से त्वरित गति से सेवाओं और सूचनाओं का आदान-प्रदान के उद्देश्य से केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों ने ई- गवर्नेंस संबंधित नियमों, नीति एवं तथा क्रियान्वयन को स्वीकार किया है। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार करते हुए 1970 में एक नवीन विभाग इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की थी। जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, संचार तकनीकी का विकास करना था। वर्तमान में इस विभाग का प्रमुख उद्देश्य भारत को ई-शिक्षा विकास के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज का निर्माण करना है।[1]

भारत में समग्र रूप से ई-शासन की शुरुआत 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना के द्वारा की गई थी। इससे पूर्व देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बहुत कम डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती थी। इस योजना के तहत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई। देशभर में इन मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से शीघ्रता पूर्वक डिजिटल सेवाओं की शुरुआत की गई और इनका देशव्यापी विस्तार किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र और राज्यों के विभागों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। 2015 से इस योजना को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में ई शासन के साथ साथ संपूर्ण देश को डिजिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में केंद्रध्राज्य के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों आदि के साथ साथ नागरिकों के डिजिटलाइजेशन पर भी ध्यान दिया गया है। भारत में पिछले 15 वर्षों में ई-शासन की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया गया है।[2]

ई-शिक्षा एवं रोजगार – ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। सूचना एवं संचार प्रणालियां, चाहे इनमें नेटवर्क की व्यवस्था हो या न हो, शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती हैं।[3]

कोविड-19 महामारी के संकट के दौर में छात्रों की पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीकों में बदलाव आया। स्कूल व कॉलेजों के छात्र-छात्राओं के बीच ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। केंद्र व राज्य की सरकारों द्वारा देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की एक नई मुहिम शुरू की गई। केंद्र सरकार ने लगातार डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा दिया, ताकि कौशल विकास के साथ-साथ रोजगार को बढ़ावा मिल सके। कोरोना काल में इसका सकारात्मक असर भी दिखाई दिया है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देना कोरोना संकट की ही उपलब्धि है। भारत में कोरोना संक्रमण की शुरूआती दौर में ही केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारों ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान बंद कर दिए थे। लॉकडाउन के लंबा खिंचते चले जाने से न सिर्फ सरकारों की चिंता बढ़ी, बल्कि पढ़ाई-लिखाई को लेकर शिक्षकों और अभिभावकों के साथ-साथ छात्रों की भी चिंता बढ़ने लगी। इसी चिंता के समाधान के रूप में ऑनलाइन एजुकेशन के विकल्प को अपनाया गया।[4]

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला है। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज के रजिस्ट्रेशन में करीब 100 गुना का इजाफा हुआ। इस तरह के आंकड़े कई संस्थानों को ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में इनोवेशन को बल दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में दाखिला से लेकर लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। इस तरह के इनोवेशन आने वाले दिनों में एजुकेशन सेक्टर में नए तरह के ट्रेंड लेकर आ सकते हैं।

लीडिंग मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस कंपनी Velocity MR के नए शोध के मुताबिक 72 फीसदी भारतीय पुरानी क्लास रूम ट्रेनिंग की बजाय

* सह आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

ऑनलाइन ई-लर्निंग को पसंद कर रहे हैं। भारतीय डेमोग्राफी भी ऑनलाइन लर्निंग को सपोर्ट करती है। जैसा कि भारत में बड़ी संख्या में छात्र ग्रामीण या अर्द्ध-ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहाँ शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज नहीं है। ऐसे में ई-शिक्षा के लिए तैयारी होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है।

अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी ई-लर्निंग मार्केट बन गया है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2021 तक ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर का कारोबार बढ़कर करीब 1.96 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। इस दौरान कुल 9.5 मिलियन यानी 95 लाख यूजर्स ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने वाले होंगे। भारत में ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर इंडस्ट्री सालाना करीब 15 फीसदी की दर से बढ़ रही है। लेकिन लॉक डाउन के दौरान 50 से 100 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म निम्न हैं-

एडमिशन 24 – यह एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसस करीब 48 हजार स्कूल और कालेज जुड़े हैं। कोविड 19 महामारी के चलते इस प्लेटफॉर्म से 150 नए स्कूल जुड़े हैं। साथ ही 50 अन्य संस्थाओं को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। पिछले तीन माह में करीब 1,06,700 स्टूडेंट्स ने इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराया है। एडमिशन 24 की तरफ से इस माह सभी संस्थाओं को मुफ्त सर्विस मुहैया कराई जा रही है। साथ ही कंपनी छोटे बच्चों और छात्रों के लिए लाइव वर्चुअल क्लास को जोड़ा है। एडमिशन 24 के सीईओ अभिनव सेखरी के मुताबिक प्रतिमाह 10 हजार स्टूडेंट्स एडमिशन 24 प्लेटफार्म से जुड़ रहे हैं।

BYJU ऑनलाइन लर्निंग एप – BYJU एक लोकप्रिय ऐप है। देशभर में कई छात्र इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉकडाउन में पढ़ाई करने के लिए ये ऐप काफी फायदेमंद सिद्ध हुआ है। BYJU LEARNING APPऔर Disney & BYJU's Early Learn दोनों को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। BYJU के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मृणा मोहित ने कहा कि कोविड-19 के चलते कंपनी मार्च-अप्रैल 2020 में अपनी सर्विस को मुफ्त कर दिया था।

Unacademy - इस प्लेटफॉर्म पर करीब एक लाख लाइव क्लासेस मौजूद हैं। इसमें से करीब 25 हजार फ्री लाइव क्लासेस हैं। Unacademy के सीईओ और कोफाउंडर गौरव मुंजाल के अनुसार- इस प्लेटफॉर्म पर फ्री लाइव क्लासेस वॉचिंग में 3 गुना का इजाफा देखा गया है।

IIM Sambalpur - आईआईएम संभलपुर के स्टूडेंट्स रोजाना जूम सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो कॉलिंग के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। आईआईएम संभलपुर देश का पहला आईआईएम बन गया है, जो सारा एडमिशन प्रासेस ऑनलाइन कर रहा है। जबकि लिखित परीक्षाएं थर्ड पार्टी ऑनलाइन सिस्टम से हो रही हैं।

Impartus Innovations - इसे तीन आईआईटीएन ने शुरू किया था, जो कि एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। इसे ऑनलाइन लाइव क्लासेस के हिसाब से डिजाइन किया गया है। Impartus Innovations के सीईओ और फाउंडर अमित माहेनसरिया के अनुसार इसमें 10 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की है। उन्होंने दिसम्बर 2020 में बताया कि करीब 80 से ज्यादा संस्थान, 40 हजार टीचर और 5 लाख स्टूडेंट्स जुड़े हैं।

Oliveboard - Oliveboard के को-फाउंडर और सीईओ ने अभिषेक पाटिल ने कहा कि वो घर पर फ्री में सभी बैंकिंग एक्जाम के लिए कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। Tutorip एक ऑनलाइन क्लासरूम पोर्टल है, जिसे जनवरी 2019 में शुरू किया गया था। जनवरी 2020 तक इससे करीब 657 टीचर जुड़ गए थे।

ऑनलाइन एजूकेशन प्लेटफॉर्म अवंती पर रोजाना गणित और साइंज की पढ़ाई की जाती है। अवंती के को-फाउंडर अक्षय सक्सेना ने कहा कि कोविड-19 की वजह से करीब रोजाना 2000 नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं।

Imarticus Learning - Imarticus Learning के प्रबंध निदेशक निखिल बर्षिकर के अनुसार पिछली तिमाही की तुलना में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन लेने वालों की संख्या में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।[5]

कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन स्कूली शिक्षा के व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलने का जिक्र करते हुए आर्थिक समीक्षा 2021 में सलाह दी गई है कि ई-शिक्षा का उचित उपयोग किया गया तो शहरी और ग्रामीण, स्त्री-पुरूष, उम्र और विभिन्न आय समूहों के बीच डिजिटल भेदभाव तथा शैक्षिक परिणाम में अंतर समाप्त होगा।

संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में पिछले वर्ष अक्टूबर, 2020 में प्रकाशित वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर)-2020 चरण-1 (ग्रामीण) का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियो के पास स्मार्ट फोन की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में 36.5 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन थे, वहीं 2020 में 61.8 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास स्मार्ट फोन मौजूद थे। इसमें कहा गया है, 'अगर उचित उपयोग (ई शिक्षा) किया गया तो शहरी और ग्रामीण, स्त्री-पुरूष, उम्र और आय समूहो के बीच डिजिटल भेदभाव और शैक्षिक परिणाम में अंतर समाप्त होगा।' आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने कई सकारात्मक पहल की हैं। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल पीएम-ई-शिक्षा की शुरुआत है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि, 'इससे विद्यार्थियो और अध्यापकों के लिये डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन एयर शिक्षा के लिये बहु-आयामी और बराबरी का अवसर प्राप्त होता है।'

रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान-एनआईओएस) से सम्बंधित स्वयं मूक (एमओओसीअएस) के तहत लगभग 92 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं और 1.5 करोड़ विद्यार्थियों ने अपना नामांकन कराया है। समीक्षा में कहा गया है कि कोविड-19 का प्रभाव समाप्त करने के लिये राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिये 818.17 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। रिपोर्ट में कहा गया है कि समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षकों को ऑनलाइन अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये 267.86 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद होने की वजह से विद्यार्थियों को घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिये डिजिटल शिक्षा पर दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं।

आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, भारत में अगले दशक तक विश्व में सर्वाधिक युवाओं की जनसंख्या होगी। इसलिये देश का भविष्य तैयार करने के लिये युवाओं के लिये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शामिल है। इसमें कहा गया है कि 9.72 लाख सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक ढांचे में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इनमें से 90.2

प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिये शौचालय और 93.7 प्रतिशत विद्यालयों में बालकों के लिये शौचालय की व्यवस्था है। 95.9 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है। 82.1 प्रतिशत विद्यालयों में पीने, शौचालय और हाथ धोने के लिये पानी उपलब्ध है। 84.2 प्रतिशत स्कूलों में चिकित्सा जांच की सुविधा मौजूद है। इसमें बताया गया है कि 20.7 प्रतिशत स्कूलों में कम्प्यूटर और 67.4 प्रतिशत में बिजली का कनेक्शन और 74.2 प्रतिशत स्कूलों में रैम्प की सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। समीक्षा के अनुसार, भारत ने प्राथमिक स्कूल स्तर पर 96 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर ली है।[6]

ई-शिक्षा की विशेषताएँ :

1. ई-शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। अर्थात इस शैक्षिक व्यवस्था में समय और स्थान की कोई पाबंदी नहीं है।
2. ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र वेब आधारित स्टडी मटीरियल को अनिश्चित काल तक एक्सेस कर सकते है और बार-बार देख कर इसके जटिल पहलूओं को समझ सकते हैं।
3. ई-शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करना काफी हद तक कम लागत वाली होती है। क्योंकि छात्रों को पुस्तकें या किसी दूसरे स्टडी मटीरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है।
4. ई-शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यहाँ जानकारी को किताब के बजाय वेब आधारित एप व पोर्टल पर स्टोर किया जाता है। जिससे कागज के निर्माण हेतु पेड़ों की कटाई पर रोक लगती है और हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है।
5. ई-शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान विकसित करता है जो विद्यार्थियों को अपने जीवन और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा।
6. ई-शिक्षा के माध्यम से छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

ई-शिक्षा की राह में चुनौतियाँ :

1. बिना आत्म अनुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी ई-शिक्षा मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं।
2. छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं। परिणामस्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं।
3. खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं।
4. भारत में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव व इंटरनेट की कम गति ई-शिक्षा की राह में सबसे बड़ी चुनौती है।
5. वर्चुअल क्लासरूम में प्रैक्टिकल या लैब वर्क करना मुश्किल होता है।
6. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो ई-शिक्षा में रुकावट बन सकती है।[7]

आज स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी वगैरह को आपस में साझा करने के विकल्प भी आजमाए जा रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के लंबी अवधि के समाधान के लिए राज्यों और केंद्र की सरकारों को चाहिए कि वो सभी शिक्षण संस्थानों को अच्छी ब्रॉडबैंड सेवा और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और कंप्यूटर उपलब्ध कराएं। शिक्षा को लेकर पारम्परिक सोच से पीछे हटकर अध्ययन, अध्यापन और समीक्षा के नए तरीके अपनाने की जरूरत है, लेकिन क्लासरूम का कोई विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि क्लासरूम टीचिंग में आई कांटेक्ट, ऑब्जरवेशन, नियंत्रण आदि के माध्यम से बच्चों को उचित ज्ञान प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बताने का तर्क देकर यदि इसे शिक्षा प्रणाली पर थोपा गया तो उसका लाभ उन्हीं को मिल सकेगा जो इसे वहन कर सकेंगे। जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वंचित समुदाय के बच्चों के लिए पर्याप्त साधन और इंटरनेट डाटा अत्याधिक मुश्किल होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एनुअल रिपोर्ट 2019-20, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2020, पृ. 24-25
2. श्रीवत्स, के आर, आधार लेजिसलेशन टेबल्ड एज मनी बिल, द हिंदू बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 मार्च 2016
3. टैवंगारियन डी., लेपोल्ड एम., नोल्टिंग के., रोजर एम., क्या ई-शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षा का सामाधान है, जर्नल ऑफ ई-लर्निंग, 2004, पृ. 38
4. लॉकडाउन में मिला ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा, दैनिक जागरण
5. दास, कुमुद आलेख 'लॉकडाउन से ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को मिला बड़ा बूस्ट, ई-लर्निंग क्लासेस के रजिस्ट्रेशन में 100 गुना की हुई बढ़ोतरी'
6. ई- शिक्षा के उचित उपयोग से डिजिटल भेदभाव, शैक्षिक परिणाम में अंतर समाप्त होगा : आर्थिक समीक्षा, नवभारत टाइम्स, 29 जनवरी, 2021
7. वाडिया, लीना चन्द्राणी आलेख 'कोविड-19 के दौर में ऑनलाइन शिक्षा की जरूरत और चुनौतियां', ऑब्जर्वेशन रिसर्च फाउंडेशन, 13 जुलाई, 2020

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति

डॉ. सुनीता गुप्ता*

शोध सारांश – स्वतंत्रता प्राप्ति के 73 वर्षों के अनुभव में हमारा लोकतंत्र भी काफी बदला है। इसके बदलावों में कुछ ऋणात्मक प्रवृत्तियां भी हैं (जिनकी चर्चा अक्सर मीडिया और मध्य वर्ग में होती है) पर ज्यादातर बदलाव सार्थक और धनात्मक हैं। जब दुनियाभर में लोकतंत्र का ज़ोर बढ़ा है तब भी स्थापित लोकतांत्रिक दलों में लोगों की दिलचस्पी घटी है, खासकर कमज़ोर और अशिक्षित लोगों में। पर भारत में उल्टा हुआ है। यहां न सिर्फ़ मतदान का प्रतिशत बढ़ा है बल्कि इसमें कमज़ोर समूहों का प्रतिशत और ज्यादा बढ़ा है। इनमें लोकतंत्र के प्रति उत्साह और भरोसा बढ़ा है। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने से पहले जम्मू-कश्मीर में सारी सुरक्षा के बावजूद किसी नेता को आम सभा करने की हिम्मत नहीं होती थी, वहां धारा 370 एवं 35ए हटने के बाद यहाँ हुए जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनावों में असल जीत लोकतंत्र की हुई है। पहली बार हुए डीडीसी के चुनाव में जम्मू-कश्मीर की आवाम ने कई मिथक तोड़ दिए। आतंकियों एवं अलगाववादियों को दरकिनार कर लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। आजादी के बाद लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लेकिन इसके साथ ही असमानता, अशिक्षा, गरीबी और हिंसा जैसी चुनौतियाँ भी हमारे समक्ष आयी है, जिसपर नियंत्रण करना अति आवश्यक है।

प्रस्तावना – भारत 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद देश का नया संविधान बनाया। संविधान सभा ने नया संविधान 26 जनवरी, 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। नया संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। नया संविधान लागू करने के बाद देश के नेताओं की पहली प्राथमिकता बालिग मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के लिये पहला आम चुनाव कराने की थी। सुकुमार सेन मार्च 1950 में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। सुकुमार सेन की उच्च शिक्षा प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता और लंदन विश्वविद्यालय में हुई थी। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें गणित में विशेष योग्यता हासिल करने के लिये स्वर्ण पदक प्रदान किया था। सुकुमार सेन 1921 में आईसीएस में आए। उन्हें न्यायपालिका और प्रशासन में उच्च पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति के समय वह पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव थे।[1]

निर्वाचन आयोग को 4,500 सीटों के लिये चुनाव कराना था। इसमें 500 सीटें लोकसभा की और शेष विधानसभा की थीं। देशभर में 2 लाख 24 हज़ार मतदान केंद्र बनाए गए, उनमें 20 लाख स्टील के बक्से रखे गए, 16 हज़ार 500 व्यक्तियों ने 6 महीनों तक मतदाता सूचियां टाइप की और फिर जांच के बाद वह प्रकाशित की गई। 56 हज़ार प्रीजाइडिंग (पीठासीन) अधिकारियों, 2 लाख 80 हज़ार सहायकों और 2 लाख 24 हज़ार पुलिसकर्मियों ने चुनाव संपन्न कराया। कुछ क्षेत्रों में 1951 में मतदान हो गया जबकि देश के बाकी हिस्सों में 1952 में मतदान पूरा हुआ। नेहरूजी चाहते थे कि आम चुनाव 1951 में पूरे हो जाएं लेकिन सकुमार सेन उन्हें यह समझाने में सफल हुए कि इस विषय में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। मतदान केंद्रों की विविधाता के अलावा वे विस्तृत और दुर्गम भूभाग में फैले थे। निर्वाचन कर्मियों को उन स्थानों पर पहुंचने के लिये हाथी, जीप, नावों का इस्तेमाल करना पड़ा। पहले आम चुनाव के बाद से अब तक देश में लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की और गठबंधन के साथ मिलकर 353 सीटें जीतीं। भाजपा ने 37.36 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60.37 करोड़ वोटों का 45 प्रतिशत था। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीतीं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें जीतीं। अन्य दलों और उनके गठबंधन ने भारतीय संसद में 97 सीटें जीतीं।[2] अगस्त 1997 में तत्कालीन चुनाव आयुक्त जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिये कानून बनाने और प्रशासनिक उपाय करने का प्रस्ताव किया था। जुलाई 1998 में निर्वाचन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि जिन व्यक्तियों के ख़िलाफ़ अदालत आरोपपत्र दायर कर दे उन्हें विधानमंडल या संसद का चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाए। लेकिन अधिकांश राजनीतिक दलों का कहना था कि पुलिस राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे चला देती है अत: केवल अदालत द्वारा सज़ा दिए जाने पर संबंधित व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाए। पांच जुलाई, 2004 को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने सरकार को लिखा कि 14वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान चुनाव कानून में अनेक कमियां नज़र आईं। कुछ उम्मीदवारों ने सूचना देते समय कुछ कॉलमों को खाली छोड़ दिया और कुछ ने अपनी संपत्ति कम दर्शाई। वर्तमान कानून के अनुसार इन अपराधों के लिये छह महीने की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

चुनावों को पारदर्शी बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी नामज़दगी के पर्चे के साथ शपथपत्र में अपनी पत्नी और आश्रितों की कुल चल एवं अचल संपत्ति और देनदारियों का विवरण, अपनी शिक्षा, योग्यता का विवरण और यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो तो उसकी जानकारी और अपने ख़िलाफ़ दायर आपराधिक मामलों का विवरण देना होगा। राजनीति के अपराधीकरण का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 14वीं लोकसभा के लिये निर्वाचित 100 से अधिक संसद सदस्यों ने यह स्वीकार

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

किया कि वे हत्या, मारपीट, धोखाधडी, आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, जालसाजी, गबन, दंगा और बलात्कारों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। भारत के चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी चाहते थे कि आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस संबंध में स्पष्ट कानून बनाएं। उनकी राय है कि निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए कदमों से आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों की चुनावों में भागीदारी कम हुई है। सरकार ने मतदाता को पहचानपत्र देने के साथ-साथ जाली मतदान रोकने के लिये मतदाता सूचियों में मतदाता की तस्वीर लगाने की व्यवस्था की है। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की जांच के परिणामस्वरूप मतदाता सूचियों से लाखों मृतकों के नाम हटाए गए हैं और लाखों नये नाम शामिल किए गए हैं।

चुनावों में धन शक्ति की भूमिका बढ़ती जा रही है। कर्नाटक विधानसभा के चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने बड़ी मात्रा में नकद राशि, शराब और अन्य सामान पकड़ा। इसका कुल मूल्य 45 करोड़ रुपये से अधिाक था। धन और शराब चुनावों में विजय दिलाने के महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहे हैं। अगर समय रहते इस बुराई को नहीं रोका गया तो धनपति चुनावों को अपने इशारे पर नचाने वाली कठपुतली बना देंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में ग़रीब राज्यों में बाहुबली और अमीर राज्यो ं में धनपति आड़े आते हैं।

लगभग 25 वर्ष पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण1 जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसमें उसकी राजनीतिक पार्टी, मित्र और समर्थक शामिल हैं, ख़र्च किया गया अथवा अधिकृत किया गया धान, उम्मीदवार के चुनाव ख़र्च में शामिल नहीं किया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के अंतर्गत किसी उम्मीदवार के चुनाव में उसकी पार्टी या समर्थकों द्वारा बेहिसाब धन ख़र्च किया जा सकता है। अनेक लोगों और उच्चतम न्यायालय ने इस स्पष्टीकरण की आलोचना की है लेकिन निहित स्वार्थ के कारण इसे हटाया नहीं गया है।

तथापि इस संदर्भ में आशा की किरण यह है कि लोकसभा ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया है कि वह राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध है और राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिये वचनबद्ध है। अत: यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि अंतत: इस संबंधा में लोकसभा कारगर कानून बनाएगी और कालांतर में आपराधिक तत्वों का निर्वाचित होना असंभव हो जाएगा। जब तक इस बारे में कानून नहीं बनाया जाता सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने से बचना चाहिए।[3] लोकसभा एवं राज्यसभा में तीन कानून बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद तीन तलाक बिल कानून बन गया और यह कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया।[4]

5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बहुप्रतीक्षित फैसले पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी। इसके साथ ही राज्य में लागू 35ए (विशेष नागरिकता अधिकार) भी स्वत: समाप्त हो गया।[5]

अयोध्या मामले में 8 नवम्बर 2019 करे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित जमीन को रामलला विराजमान को सौंप दिया। इसके अलावा साथ ही कोर्ट ने सरकार राज्य सरकार से मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाने को भी कहा है। इस ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े को भी शामिल करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही वर्षों पुराने इस मामले का पटाक्षेप हो गया है।[6]

विपक्षी व्यूह को भेदती एनडीए सरकार – केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले जब पूरी दुनिया कोरोना से पीडित हो तो उसमें किसी देश और सरकार की सफलता इसी पैमाने से ही आंकी जाएगी कि उसने अपने देश को कैसे इस वायरस से महफूज रखा। कोरोना आपदा ने जहां दुनिया के कई विकसित देशों के साधन संपन्न स्वास्थ्य ढांचे की कलई खोल दी वहीं उनसे कहीं बड़ी आबादी और कम संसाधनों वाले भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। कोरोना का सामना करने में मोदी सरकार के सराहनीय प्रदर्शन के बावजूद विपक्षी दल उस पर हमलावर ही रहे।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद ही मोदी सरकार अपने वादों पर अमल में जुट गई थी। उसने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के जरिये देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को नई दिशा देना आरंभ ही किया था कि विपक्षी खासकर मोदी विरोधियों ने सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया। सरकार के दूसरे कार्यकाल के कुछ महीनों बाद ही दिल्ली के शाहीन बाग में उसे एक नए स्वरूप में चुनौती मिली।

सीएए के खिलाफ शाहीन बाग प्रदर्शन से उपजी चुनौती बड़ी थी जिसका तंबू कोरोना की दस्तक के बाद ही उखड़ा। भाजपा दिल्ली चुनाव की हार से उबरी भी नहीं थी कि राष्ट्रीय राजधानी में भड़के दंगों ने वर्तमान सरकार पर हमले का एक नया मौका दे दिया।

राजनीतिक अश्वमेध एनडीए के घोड़े को रोकने के लिए विपक्ष ने बिहार में 15 साल पुरानी जे.डी.यू. सरकार को निशाना बनाया। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की परेशानियों के साथ-साथ आर.जे.डी. के जंगलराज के बाद पली-बढ़ी पीढ़ी को रोजगार का सब्जबाग दिखाकर राजग और खासकर नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया गया। मुस्लिम-यादव गठजोड़ के साथ अन्य जातियों के नाराज युवाओं को जोड़कर इस फॉर्मूले को अजेय साबित करने की कोशिश हुई। हालांकि जेपी नव की अध्यक्षता में पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी भाजपा ने चुनावी एक्जिट पोल के आकलनों को धता बताते हुए न केवल सत्ता बचाई, बल्कि कम सीटों पर लड़कर भी राजद के बराबर सीटें लाकर साबित किया कि बिहार की जनता का एन.डी.ए. की विकास नीतियों में पूरा विश्वास है।

2020 में भाजपा को राज्यसभा में अपना संख्याबल बढ़ाने में भी सफलता हासिल हुई। राज्यसभा में अल्पमत के कारण ही सरकार सुधारों के एजेंडे पर अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसके चलते उसे कई विधेयक मनी बिल के रूप में पारित कराने पड़े जिसकी आलोचना भी हुई। कई राज्यों में मिली मजबूती से राज्यसभा में दमदार हुई भाजपा को अब अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्ष 2020 में भाजपा ने विपक्षी दलों को राजनीति का एक नया पाठ भी पढ़ाया। वह यह कि राजनीति के शिखर की सीढ़ी निचले पायदान से शुरू होती है। हैदराबाद का स्थानीय निकाय चुनाव इसकी मिसाल बना जहां पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सक्रिय रहे।

2020 की तमाम चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के बाद अंत में भाजपा को कुछ किसान संगठनों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग इसकी तुलना शाहीन बाग से कर रहे हैं। यह सही नहीं, क्योंकि शाहीन बाग दिशाहीन आंदोलन था जबकि किसान आंदोलन को नेतृत्व

प्राप्त है जो लगातार सरकार के साथ वार्ता में भी लगा है। साथ ही यह मूल रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठनों की ही मुहिम है। शेष भारत के किसान न केवल इस आंदोलन से दूर हैं, बल्कि वे कृषि कानूनों का समर्थन भी कर रहे हैं।

2021 भाजपा के लिए और बेहतर हो सकता है। बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। उसके वरिष्ठ नेता जिस तरह भाजपा का दामन थाम रहे हैं उससे बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है।

हमें यह नहीं भूलना होगा कि ढांचागत सुधारों के अभाव में संस्थागत सुधार अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह फलदायी नहीं हो सकते। संस्थागत सुधारों में जहां गड़बड़ियां और निहित स्वार्थ बेलगाम होते हैं, सभी पक्षों की सहमति के अभाव में उनकी राह खुल पाना असंभव होगा। उधर सत्ता में आने पर प्रत्येक राजनीतिक दल और उसके मंत्री बने नेता यही दावा करते हैं कि उनका हर एक कदम गरीबों के हित में उठाया गया है। इसके साथ ही 'प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद' का पिटारा खुलता ही जाता है। फिर उसके तात्कालिक और दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों की परवाह नहीं की जाती। असल में अधिकांश समय तो संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति में ही लग जाता है। वे एक मामूली नेता (पॉलिटिशियन) और महान राजनेता (स्टेट्समैन) के बीच अंतर को समझने से ही इन्कार करते हैं। जबकि सरकार में होने का तकाजा ही यही होता है कि नेता एक राजनेता के रूप में उभरकर अधिक से अधिक लोगों की भलाई के लिए कदम उठाएं न कि अपने राजनीतिक दल के हितों को पोषित करें। अफसोस की बात यही है कि परिपक्व लोकतंत्रों में भी राजनेताओं की प्रजाति धीरे-धीरे विलुप्त होती जा रही है। हमारे नेताओं की मौजूदा पीढ़ी उन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति निष्ठुर है जिन्होंने हमें राजनीतिक स्वतंत्रता की सौगात दी। ऐसे में यह मतदाताओं के सम्मान और भरोसे को जीतने का समय है। भारत ने लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की है तो अब इस मोर्चे पर परिणाम भी दिखने चाहिए। निष्कर्षत: भारतीय राजनीति राजसत्ता की राजनीति में सिमटती चली गई और इसका मूल स्वर समाज बदलने की राजनीति से जुड़ा रहा है। आजादी की लड़ाई के वक्त से राष्ट्र निर्माण की राजनीति समाज निर्माण की राजनीति से गहराई से जुड़ी रही।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. फडिया, बी.एल., भारत में लोकतंत्र, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2013, पृ. 66
2. रमाणी, श्रीनिवासन आलेख 'भाजपा के लिए सबसे अधिक राष्ट्रीय वोट शेयर' द हिन्दू, 24 मई, 2019
3. आर.पी. जोशी और आर.एस. आढ़ा (सम्पा.), भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुनर्रचना के विविध आयाम, पृ. 181-186
4. राष्ट्रपति ने दी तीन तलाक कानून को मंजूरी, 19 सितंबर 2018 से होगा लागू, आज तक न्यूज, 1 अगस्त, 2019
5. 370 व 35ए हुआ खत्म, 20 बिंदुओं में समझें- इससे क्या बदलाव होगा, जागरण, 6 अगस्त, 2019
6. अयोध्या पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला : बनेगा राम मंदिर, मस्जिद के लिए अलग जगह, आज तक न्यूज, 9 नवम्बर, 2019

****

नि:शक्तजनों के विकास में शिक्षा एवं सामाजिक सरोकार

डॉ. गायत्री मिश्रा * सरदार कुमार चौधरी**

प्रस्तावना – विकलांगता की समस्या लगभग उतनी ही प्राचीन है, जितनी अधिक मानव सभ्यता का विकास है। आदि मानव जब वनों में रहता था और जानवरों के शिकार से अपना भरण पोषण करता था। तब अकसर ऐसा होता था कि कोई हिंसक पशु मनुष्य को इस कदर घायल कर देता कि मनुष्य को आजीवन विकलांग होना पड़ता था। इससे प्रकृति के प्रकोप कमोबेश उतना ही सहन करना पड़ता था, जितना आज है। मनुष्य गुफाओं में रहता था, जहाँ सुरक्षा के इन्तजाम बहुत ही अत्यल्प थें। जंगलों की आग व तुफान के थपेड़ों से मनुष्य को अक्सर सामना करना पड़ता था। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही उसको विकलांग बना देने के कारण भी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गये थे।

शिक्षा से प्रत्येक मनुष्य का सर्वागीण विकास कर पाना संभव हो पाया है। यही कारण रहा है कि प्राचीन काल से ही मानव विकास के लिए शिक्षा को अनिवार्य मान लिया गया था। नि:शक्तजनों के विकास के लिए शिक्षा प्रदान करने हेतु कई तकीरों से उन्हें शिक्षित करने हेतु शिक्षा प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त इनके विकास व अन्य जरुरतों की पूर्ति हेतु समाज व समाज के कई अन्य बुद्धजीवी लोगों के द्वारा वक्त दर वक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस विश्व में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो न तो निर्दोश हो, न निर्गुण। सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में कुछ दोष भी रहता है और कुछ गुण भी। इसी के तहत यह देखा गया है कि गुणवान व्यक्तियों में कोई–न–कोई दोष और गुणहीन व्यक्तियों में कोई–न–कोई गुण अवश्य होता है।

मुख्य शब्द – नि:शक्तजन, विकलांगता, ब्रेल लिपी, शिक्षा, विकास, सामाजिक दायित्व, प्रोत्साहन।

शोध का उद्देश्य:

1. शिक्षा से सभी प्रकार के मानवों का सर्वागीण विकास संभव है।
2. नि:शक्तजनों के विकास में समाज अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी रखता है।
3. नि:शक्तजनों को काबिल बना कर उनसे देश व समाज के विकास में भागीदारी बना सकते है।

विकलांगता की समस्या लगभग उतनी ही प्राचीन है, जितनी अधिक मानव सभ्यता का विकास है। आदि मानव जब वनों में रहता था और जानवरों के शिकार से अपना भरण पोषण करता था। तब अकसर ऐसा होता था कि कोई हिंसक पशु मनुष्य को इस कदर घायल कर देता कि मनुष्य को आजीवन विकलांग होना पड़ता था। इससे प्रकृति के प्रकोप कमोबेश उतना ही सहन करना पड़ता था, जितना आज है। मनुष्य गुफाओं में रहता था, जहाँ सुरक्षा के इन्तजाम बहुत ही अत्यल्प थें। जंगलों की आग व तुफान के थपेड़ों से मनुष्य को अक्सर सामना करना पड़ता था। मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही उसको विकलांग बना देने के कारण भी पृथ्वी पर उत्पन्न हो गये थे। नि:शक्तजन व्यक्तियों का सीधा आशय शारीरिक रूप से नि:शक्तता या शारीरिक विकलांगता से है। नि:शक्तता व विकलांगता के विभिन्न प्रकार पाये गये हैं। जिसका वर्णन इस प्रकार से हैं :–

1. शारीरिक अंगों की कमी (आंशिक या पूर्ण)
2. श्रवणेन्द्रियों की कमी (आंशिक या पूर्ण)
3. ज्ञानेन्द्रियों की कमी (आंशिक या पूर्ण)
4. मंद बुद्धि नि:शक्तता।
5. दृष्ट बाधित नि:शक्तता।
6. अस्थिग बाधित नि:शक्तता
7. शारीरिक अचलता की नि:शक्तता।

इस प्रकार से यह मानव 7 प्रकार की नि:शक्तता से घिरा हुआ है। इन व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पता चलता है। विकलांग व्यक्ति अपने आपकों हीन भावनाओं से ग्रसित पता है। उसकी हीनता मानवीय संवेदना को प्रेरित करती है। जहाँ अन्य व्यक्तियों के साथ असमान्य व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से उन दैनिक या अवसरों के कार्यो को सुगमता से निष्पादित नहीं कर पाता है। इस कारण उनमें चिड़चिड़ापन गुस्सा आदि का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसी कारण इन नि:शक्त व्यक्तियों को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक में सूचित करने की प्रविधि को विकलांगता या नि:शक्तता से परिभाषित किया गया है।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार – शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, रहन–सहन और सामाजिक सुरक्षा का पर्याप्त स्तर और सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, विश्राम एवं खेलकूद में सहभागिता।

शिक्षा व्यवस्था – विकलांग बच्चों की शिक्षा का मूल आधार व्याख्यान नहीं, वार्तालाप था। जिससे विकलांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का मूल शिक्षण संस्थान था। जहाँ विकलांग बच्चों की प्रारम्भिक स्थिति का वर्णन मानवीय जीवन का आधारित था। जहाँ पर मानवीय आधार पर ही जीवन निर्भर होता है। विश्व की महान शिक्षक भी इन विकलांग बच्चों के जीवन और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है। शिक्षा की विचारधारा का निर्मित करने के लिए अनेक विचारकों ने भी जीवन और शिक्षा के दृष्टिकोण को विकलांग बच्चों के सामने आरेख वेन पद्धति और वार्तालाप पूर्ण शिक्षा देने के पक्ष में रहें हैं। जहाँ शिक्षा और समाज की मानवीय अवधारणा का असर इन विकलांग बच्चों पर पड़ता है। दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षक की सहायता अधिक पड़ती है। जहाँ ब्रेल लिपि के अध्ययन हेतु उसके अनुसार मेज और

* प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान, शा. टी. आर. एस. कालेज, रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, शा. टी. आर. एस. कालेज, रीवा (म.प्र.) भारत

कुर्सी होनी चाहिए। ब्रेल यह एक बड़ी पुस्तक होती है। जहाँ पर अधिक जगह की आवश्यकता होती है। ताकि कई बच्चें आसानी से आना-जाना हो सके। जहाँ नेत्रहीन छात्रों को स्वतंत्रतापूर्वक घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए। जिस हेतु मानवीय जीवन का आधार ही उनकी परवरिस है। जिसके वातावरण के अनुकूल होने की दशा में नेत्रहीन बच्चों को सावधानी पूर्वक व्यवस्था की जा सके। यह मस्तिष्क की वह शक्ति है जिसके द्धारा हम न केवल प्रकाश को देखते हैं बल्कि प्रकाश की विभिन्न तीव्रता का भी अनुभव करते हैं।

1. **आकार ज्ञान -** इसके द्धारा हम वस्तुओं का आकार व आकृति पहचानते हैं। ये शंकुओं की संख्या एवं स्वस्थ पर निर्भर करता है।

2. **वर्ण ज्ञान -** इसके द्धारा हम प्रकृति की असंख्य रंगों का दर्शन करते हैं ये शंकु कोशीकाओं के द्धारा प्राप्त होता है। इनकी संख्या कम होने से वर्णाधता उत्पन्न हो जाती है।

3. **समंजन -** सामान्य परिस्थिति में सामान्य नेत्रों के अन्दर जितनी अपवर्तन शक्ति होती है व समानान्तर किरणों को रेटिना पर केन्द्रित करते के लिए पर्याप्त होती है। 20 या उससे अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश की किरणें समानान्तर होती हैं। और निकट की वस्तुओं से आने वाली किरणें समानान्तर न होकर अपसारी होती हैं। इसलिए ये किरणें सामान्य अवस्था में रेटिना पर केन्द्रित नहीं हो सकती और धुंधला दिखाई देता है जैसे कि निकट का कार्य करते समय होता है।

शिक्षा व्यक्ति का चहुर्मुखी विकास करती है। सम्पूर्ण शिक्षा में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और भावनात्मक विकास कराती हें इस प्रकार शारीरिक शिक्षा भी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। इसके द्धारा व्यक्ति का सर्वागीर्ण विकास कर उसमें अनक दक्षताओं और योगताओं का विकास करती है। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा एक प्रकार की शिक्ष है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा शारीरिक प्रक्रियाओं द्धारा शरीर के प्रत्येक अंग का विकास करती है।

आज सभी शिक्षा शास्त्री जानते है कि स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में ही निवास करता है। और वह व्यक्ति जो स्वस्थ है, बुद्धि प्रख है, वह अपने आपको संतुलित व समायोजित कर लेता है। इसके महत्वपूर्ण का उल्लेख निम्न आधार पर किया जाता है।

1. **खेल-कूद व्यक्ति को अनुशासनबद्ध बनाते है -** अनुशासन का जीवन में बहुत महत्व है। राष्ट्रीय एकता एवं समाज बिना अनुशासन के सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। बालक खेल-कूद के दौरान की अनुशासन में रहना एवं अपनी जिम्मेदारी को निभाना सीखता है।

2. **खेल-कूद से सामाजिक भावना का विकास -** यह सामाजिकरण का महत्वपूर्ण साधन है। बालक अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर खेलता है। फलत: उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यहाँ ऊँ-नीच, जाति-पाति का कोई भेदभाव नहीं होता है।

3. **नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास -** एक अच्छा खिलाड़ी अनुशासन प्रिये, ईमानदार सहयोग की भावना एवं मानवीय गुणों से युक्त होता है। वह विवेकशील एवं सही-गलत का निर्णय लेने योग्य होता है, वह नियम के विरूद्ध कार्य नहीं करता है।

शारीरिक शिक्षा का उपेक्षित महत्व है, इसलिए इसे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। छोटा बाल खिलौने से खेलता है। उसे उस वस्तु के आकार एवं सतह का ज्ञान हो जाता है। इससे उसमें कई कौशलों का विकास होता है।

खेल के अन्तर्गत निम्न क्रियायें आती है :

1. **दौड़ -** ये 50 मीटर, 100 मीटर. 200 मीटर आदि की होती है।

2. **कूद -** इसके अन्तर्गत लम्बी कूद, ऊँची कूद, गोला फेंक, चक्का फेंक, भाला फेंक आदि है।

3. **व्यायाम-** व्यायाम से आशय ऐसे नियमित अभ्यास से हैं जिसमें शरीर का आकार सुडौल, चुस्त-दुरूस्त बना रहे। व्यायाम के अंतर्गत कैलिस्थैनिक्स, ड्रिल, लेझिम, डम्बल्स व आसन आदि आते है।

योग - योग व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति साधक है, तथा योग साधना है। साधक, साधना द्धारा अपने व्यक्तित्व के विकास की बाधाओं को दूर करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने सर्वागीण विकास की दिशा में कदम रखता है, व्यक्ति सर्वागीण विकास ही उसके व्यक्तित्व का विकास है।

सामाजिक दायित्व - नि:शक्तजनों और विकलांग व्यक्तियों के विकास के लिए समाज को एक आदर्श रुप में अपने आप को स्थापित करने में अग्रसर भूमिका में होना चाहिए। जो हर पल इस दिशा में प्रत्येक क्षेत्र में नि:शक्तजनों और विकलांग व्यक्तियों को यह एहसास व विश्वास दिलाता रहे कि वे वक्त उनके साथ हैं। इस दिशा में कई महान विभूतियां एवं संस्थाएं कार्यरत हैं। यदि हम विकलांगता की बात करते हैं तो उनके अधिकारों की चर्चा करनी चाहिए। जिससे उनके मनोभावनाओं को आघात न पहुँचें। ऐसी अनेक विसंगतियाँ जिनका हल ढूढ़ना कठिन है। इस हेतु भारतीय संविधान की संवैधानिक परिवेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय नेतागण, विधायिका, न्यापालिका, कार्यपालिका, सामाजिक, संस्थान व संगठन शिक्षाविदों, साहित्यकारों प्रशासनिक अधिकारी, लेखक, टेक्नोक्रेट्स, वैज्ञानिक आदि सभी ने अपने-अपने तरीके से सहयोग की भावनाओं को रचनात्मक रूप से योगदान दिया है। रीवा रेडक्रांस द्धारा समय-समय पर कार्यक्रमों का आयोजन कर नि:शक्तजनों को कृतिम अंगों को प्रदान किया जाता है। महीने के प्रत्येक 17 तारीक को आखों का आपनेशन नि:शुल्क किया जाता है। नि:शक्तजनों और विकलांग व्यक्तियों की समग्र पीड़ा व हीनता को दूर करने के उपायों पर पर एकजुट होकर निर्णायक कदम उठानें में सहयोग की भावनाओं कार्य किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप समयानुकूल आवश्यक कानून व नियमों के प्रावधानों को प्रतिपादित किया गया है। जिनके आधार पर देश के करोड़ों पीड़ित मानवता की रक्षा करने का साधन एकमात्र संविधान है। ऐसे कानूनी प्रावधानों से निरूपित किया गया है।

1. सर्वप्रथम अनुच्छेद-253 की मनसा मुताबिक बिजनेस रूल्स एण्ड पावर-1961 की स्थापना की गई जो आम नागरिकों की विकलांगता तथा उन्हें चिन्हित करनें में सहायक सिद्ध हुआ।
2. विकलांगता या नि:शक्तता को दूर करने के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी कठिनाई भाषा व बोल-चाल की मौजूद रही है। इसलिए भाषा का कानून (Language act. 1963 (10-05-1963) बनाया गया जिससे पीड़ित जन लाभान्वित होने लगे।
3. ज्ञानेन्द्रियों की कमी के बजह से मेन्टल विकलांगता बढ़ने लगता है। तब इसकी रोकथाम व सुधार के लिए मेन्टल हेल्थ एक्ट 1987 के तहत सहयोग किया जाता है।
4. समाज में नि:शक्तजनों को उपेक्षा होने के कारणों से भारत सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन करने के लिए सन् 1982 में नि:शक्तवान पुनर्स्थापन काउन्सिल अधिनियम-1992 (Rehaibilitation Cauncil Act. 1982) की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति समाज के द्धारा कि जा सकती है।

5. समाज में हो रहे नि:शक्तजनों व विकलांगजनों की पीड़ा व उपेक्षाओं के कारणों को जड़ समेत समाप्त कर उन्हें समाज में एक आदर्श रुप प्रदान कर उन्हें भी समाज व देश के विकास में अग्रणी बना सकते हैं।

जागरूकता में विकास एवं आधुनिक प्रचार मीडिया का प्रयोजन – विकलांगों के कानूनी अधिकार के सम्बन्ध में जागरूकता एक अनुमान के अनुसार, विश्व में विभिन्न प्रकार के विकलांगों की संख्या लगभग 50 करोड़ है जो कुल आबादी का 10 प्रतिशत है। गरीब देशों में विकलांगों की तादात काफी ज्यादा है। भारत जैसे विकासशील देशों का औसत भी इससे खराब ही है। दूसरी हो, विकसित देशों में इनकी तादाद न सिर्फ कम है वरन वहां विकलांगों की सुख–सुविधा का ध्यान भी रखा जाता है। और उनके कानूनी और अन्य प्रकार के अधिकरों की रक्षा भी की जाती है। गरीब देशों में आर्थिक तंगी के कारण सुविधाएं या तो विकसित नहीं हो पाती हैं या वे सुविधाएं विकलांगों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसी प्रकार समाज के अनेक प्रकार के मामलों में उलझे रहने के कारण अकसर विकलांगों के सामान्य अधिकारों का हनन होता रहता है।

निष्कर्ष – विकलांग बच्चों की शिक्षा का मूल आधार व्याख्यान नहीं, वार्तालाप था। जिससे विकलांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति का मूल शिक्षण संस्थान था। जहाँ विकलांग बच्चों की प्रारम्भिक स्थिति का वर्णन मानवीय जीवन का आधारित था। विश्व की महान शिक्षक भी इन विकलांग बच्चों के जीवन और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है। जहाँ मानव की अनेक संस्कृतियों ने विकलांग बच्चों को अनेकों विचारधाराओं को जन्म दिया है। शिक्षा की विचारधारा का निर्मित करने के लिए अनेक विचारकों ने भी जीवन और शिक्षा के दृष्टिकोण को विकलांग बच्चों के सामने आरेख वेन पद्धति और वार्तालाप पूर्ण शिक्षा देने के पक्ष में रहें हैं। जहाँ शिक्षा और समाज की मानवीय अवधारणा का असर इन विकलांग बच्चों पर पड़ता है। इसलिए सामाजिक सरोकार का निर्माण इस तरह से करना चाहिए कि इससे सबसे अधिक लाभ नि:शक्तजनों को मिलता रहे। यही सबसे बड़ा योगदान नि:शक्तजनों के विकास के लिए होगा। इस शोध पत्र में उद्देश्यों की पूर्ण पूर्ति हो रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहूजा, राम, सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2008
2. बासु, डी.डी., भारत का संविधान– एक परिचय, प्रेन्टिस हॉल ऑफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, 1995
3. पूरण मल, मानवाधिकार सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, पोइन्टर पब्लिशर्स, 2003
4. पम्पलेट (रेडक्रास प्रकाशित)
5. https://hi.wikipedia.org
6. https://www.india.gov.in/hi
7. https://www.hrc.co.nz/files/2314/2396/6307/What_is_the_CRPD_Hindi_translation.html

****

शाजापुर महाविद्यालय के विद्यार्थी- लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान की शौर्य गाथा

डॉ. पी. एस. परमार*

प्रस्तावना – राजतंत्र में राजा और लोकतंत्र में प्रजा प्रमुख रहती है, लेकिन चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, दोनों में ही अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये एक सैनिक की वैसी ही भूमिका रहती है।

सैनिक ही होते है जो खुद अपनी नींद का त्याग करके हमें चैन से सोने की आजादी देते हैं। सैनिक हमारी सुरक्षा के लिये अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते है। जब-जब अपने देश पर संकट के बादल छाएँ है, वीर सैनिकों ने बड़ी ही कुशलता और जांबाजी से अपनी मातृभूमि की रक्षा की है। हमारे भारत देश में प्राचीन काल से अभी वर्तमान काल तक चाहे हिन्दू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या हिन्दू धर्म के चारों वर्णो के चाहे वह ब्राहम्ण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी की एक सैनिक के रूप में एक समान ही अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का लक्ष्य रहा है। वहीं हमारे भारत देश में कुछ हमारे ही धर्मो के खलनायक भी रहें हैं जैसे राजा जयचंद, राजा मानसिंह और प्रसिद्ध राज गुरू राघव चेतन जिन्होनें अपने स्वार्थ के लिये अपने देश को गर्त में ले जाने की भरसक कौशिश की। लेकिन भारत के वीर सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया।

भारत भूमि हमेशा से ही वीर सपूता रही है; इसकी कोख से एक से बढ़कर एक जाँबाज रणबाकुरों ने जन्म लिया और मातृभूमि की आन-बान और शान पर आँच न आने देकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। **महाराणा प्रताप** ने भीषण कष्ट सहकर भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की **छत्रपति शिवाजी** ने अपने पराक्रम और साहस से हिंदू-पदबादशाही की स्थापना की वहीं **महारानी लक्ष्मीबाई** ने अंग्रेजों से लोहा लिया। भारत वर्ष में शौर्य-पराक्रम की एक उज्ज्वल परंपरा रही है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से समुद्रपर्यंत वीरों ने इस परंपरा का निर्वाह किया। चाहे वे वीर बंदा वैरागी हो या राणा साँगा हों अथवा आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा हो या चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह और अशफाक उल्ला खां, सुभाष चन्द्र बोस आदि अनेकों क्रांतिकारी रहें। यह शृंखला बहुत लंबी होकर आज तक चली आई है। हमारे सैनिक भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, जिनका तन-मन सदैव देश के लिये समर्पित रहा है। वे नि:स्वार्थ भाव से देश की रक्षा व राष्ट्र-भक्ति करते हुए अवसर आने पर अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं।(1)

भारतवर्ष में हर प्रकार का त्याग सराहनीय माना जाता है, पर प्राणों की चिंता न करते हुए राष्ट्र के लिये प्राणों का त्याग सर्वोपरि है; वह अलग सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। संसार भर के सैनिक पहले अपने-अपने देश के लिये लड़ते ही हैं, पर भारतीय सैनिक की बात अलग है। **'स्वयं से पहले देश'** वाली संस्कृति में पले-बढ़े भारतीय सेना के जाँबाज प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसर में बदलते हुए और असंभव को संभव कर दिखाते हुए चुनौतियों का सामना करते हैं। स्वराष्ट्र के प्रति इस जज्बे केा कायम रखने के लिये शौर्य-प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित-पुरस्कृत करने की परंपरा भी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ये सम्मान उन्हें समाज में विशिष्ट स्थान दिलाते हैं।

प्राचीन भारत में देवी पुरस्कार पर ज्यादा जोर दिया जाता था, जो धर्म के पक्ष में युद्ध करते थे, उन्हें शहीद कहा जाता था और यह माना जाता था कि वे सीधे स्वर्ग केा प्रस्थान करते हैं। बाद के समय में योद्धाओं के सम्मान में उनकी समाधि या स्मारक बनाये जाने की परंपरा चली। राजतंत्र में योद्धाओं को शाही सम्मान मिला करता था। राजे-महाराजे उन्हें खिताब, जागीरें, नगद राशि या जेवरात आदि देकर सम्मानित करते थे। **कौटिल्य (चाणक्य)** ने **'अर्थशास्त्र'** में शौर्य-सम्मानों का स्पष्ट उल्लेख किया है-**'शत्रु राजा को मारने पर एक लाख पण, शत्रु सेनापति या युवराज को मारने पर पचास हजार पण, विपक्षी सेनानायक या सिपहसालार को मारने पर दस हजार पण, शत्रु के हाथी को मारने पर या रथ को ध्वस्त करने पर पाँच हजार पण दिये जाते थे।'** (2)

मुगलकाल में योद्धाओं को **'शुजात खान'**, **'शेर खान'**, **'जफर खान'**(3) जैसी उपाधियाँ दी जाती थीं। ब्रिटिश काल में भारतीय सैनिक पूरी दुनिया में युद्ध के लिये भेजे जाते थे; विशेष पराक्रम और कौशल दिखाने वाले योद्धाओं को **'मिलिटरी पदक'**, **'मिलिटरी क्रॉस'**, **'विक्टोरिया क्रॉस'**, **'इंडियन ऑर्डर मेरिट'**(4) जैसे सम्मान और मेडल दिये जाते थे।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारतीय सेना के सभी रैंकों के लिये अनेक वीरता पदकों की शुरूआत की गई। उनमें **'परमवीर चक्र'**(5) का स्थान सबसे ऊपर आता है, जिसे शत्रु का सामना करते हुए युद्धभूमि में अभूतपूर्व साहस का परिचय देने के लिये दिया जाता है। **परमवीर चक्र** तथा अन्य पदकों की शुरूआत भले ही **26 जनवरी, 1950** से की गई, जब भारत गणतंत्र बना; लेकिन उन अधिकारियों और सैनिकों पर भी लागू किया गया, जिन्होंने **15 अगस्त, 1947** को भारत के स्वतंत्रता दिवस के बाद से होने वाली सभी लड़ाईयों में असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।(6)

महत्त्व की दृष्टि से **'महावीर चक्र'** इस क्रम में दूसरे नंबर पर आता है, इसके बाद **'कीर्ति चक्र'**, और **'शौर्य चक्र'** है। **'अशोक चक्र'** वीरता के लिये दिया जाने वाला वह सर्वोच्च सम्मान है, जिसे ऐसी स्थिति में दिया जाता है, जब दुश्मन का आमना- सामना न किया गया हो। इसे वरीयता के क्रम में परमवीर चक्र के ठीक बाद रखा गया है। अब तक कुल भारत सरकार द्वारा 21 सैनिकों को **'परमवीर चक्र'** और 68 सैनिकों को **'अशोक चक्र'**

*सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) बी.के.एस.एन. शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

से विभूषित किया जा चुका है।[7]

युद्ध में प्रदर्शित शौर्य को मान्यता देने के लिये दिये जाने वाले इन सम्मान पुरस्कारों को सेना तथा अन्य बलों को युद्ध के लिये तैयार रखने और शत्रुता रखने वाले पड़ोसियों से देश की रक्षा के लिये प्रेरित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बता देना भी आवश्यक है कि इन शौर्य पदकों के साथ एक निश्चित धनराशि भी दी जाती है, जिसे प्राप्तकर्ता के निवास वाले संबंधित राज्य की सरकारों द्वारा प्रदान किया जाता है। सम्मान स्वरूप दी जाने वाली धनराशि या भूमि का लाभ अलग- अलग राज्यों में अलग-अलग मिलता है।[8]

कहा जाता है कि सैनिकों के सीने को सम्मानों और पुरस्कारों के पदकों से सुसज्जित रखो, जिससे उनका मनोबल हमेशा आसमान को छूता रहें।

लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान सन् 1954-1994 ई.

इस शौर्य की गौरवशाली परम्परा में लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान का योगदान उल्लेखनीय है। श्री शिवदयाल सिंह चौहान का जन्म 5 अक्टूबर सन् 1954 ई. को अपने ननिहाल ग्राम कडूला तहसील मो. बडोदिया जिला शाजापुर म.प्र. में हुआ था। इनका मूल पैतृक गांव रामगढ लखोनी जिला राजगढ म.प्र. है।[9] इनके पिताश्री ठाकुर रंजीत सिंह चौहान उर्फ प्रताप सिंह और इनकी माता जी का नाम श्रीमती राजकुँवर चौहान था। इनका विवाह श्रीमती अन्नपूर्णा चौहान जी से हुआ। इनकी कुल दो सन्तान हैं- ज्येष्ठ पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह जी चौहान एवं कनिष्ट पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह जी चौहान जो शाजापुर में निवासरत् है। इन्होनें हाईस्कुल (10th) की पढ़ाई बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगर-मालवा से सत्र 1970-71 में की और हायर सेकेण्डरी की परीक्षा सन् 1972 ई. में उत्तीर्ण की। इन्होनें बी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा पं.बालकृष्ण शर्मा यनवीन' शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर मध्यप्रदेश से सन् 1982 ई. में उत्तीर्ण की।[10] इनका BSF (सीमा सुरक्षा बल) में सन 1975 ई. में चयन हुआ। इन्होनें स्कूल और कॉलेज में NCC में भाग लिया। 10 MP बटालियन NCC उज्जैन के अंतर्गत इसी महाविद्यालय से NCC का B प्रमाण पत्र सन् 1974 ई. में NCC की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त किया। जिसके आधार पर इनका BSF में तुरंत चयन हो गया। 33 Bn BSF में 19 वर्ष के सेवाकाल के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में जैसे त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम, मिजोरम, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बारामुल्ला, जम्मू कश्मीर आदि अनेक स्थानों पर मुस्तेदी से अपनी सेवाऐं दी। BSF की तरफ से सन् 1988 ई. से सन् 1990 ई. तक काठमाण्डू (नेपाल) एवं सन् 1990 ई. से सन् 1992 ई. तक जकार्ता (इण्डोनेशिया) ने राजदूत दूतावास में देशभक्ति के साथ अपनी सेवाऐं प्रदान की। सन् 1994 ई. में जम्मू कश्मीर में पोस्ट हजान (बांदीपुर) 33 Bn BSF में पदस्थ रहें।[11]

15 जुलाई सन् 1994 ई. को लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान अपने रक्षाबल के साथ पोस्ट हजान (बांदीपुर) जम्मू कश्मीर 33 Bn BSF Under the Command of SI MikhiRAm TSC HQ 33 Bn BSF रास्ते में जाते समय गांव सरदार कोटवाला में रक्षा दल का वाहन IED Planted Main Road जिसके धमाके में वाहन आ गया। धमाके से इनके कुछ साथी फौजी शहीद हो गये और कुछ फौजी साथी वाहन से कूद गये। जिनमें लांस नायक शिवदयाल सिंह चौहान भी थे। फिर चट्टान के पीछे छुपकर इन्होनें 7 आंतवादियों को मौत के घाट उतारा। चूंकि उस चट्टान में भी IED Planted था, जिसमें धमाके होने से चट्टान के टुकडे लांस नायक शिवदायाल सिंह चौहान के सिर में लगने से 15 जुलाई सन् 1994 ई. को ये मौकाए वारदात पर वीरगति को प्राप्त हो गये।[12] यह देश इनकी शहादत को जब तक सुरज चाँद रहेगा तब तक याद रखेगा।

भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देशभक्ति के रंग उजागर करने के लिये माखनलाल चतुर्वेदी जी की यह **पुष्प की अभिलाषा** कविता उल्लेखनीय है-

चाह नहीं, मै सूरबाला के
गहनों में गूँथा जाऊँ,
चाह नहीं, प्रेमी माला में
बिंध्य प्यारी को ललचाऊँ,
चाह नहीं, सम्राटों के शव
पर है हरि डाला जाऊँ,
चाह नहीं, देवों के सिर पर
चढूँ भाग्य पर इठलाऊँ,
मुझे तोड़ लेना वन माली
उस पथ पर देना तुम फेंक !
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने
जिस पथ जावें वीर अनेक।[13]

हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि प्रदीप का यह गीत सैनिकों की कुर्बानी याद दिला रहा है-

ऐ मेरे वतन के लोगों
जरा आँखों में भर लो पानी
जो शहीद हुये है उनकी
जरा याद करो कुर्बानी।[14]

भारतीय सेना में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मावलम्बी सेना में सैनिक रहते है। चाहे वह राजपूत रेजीमेंट, चाहे वह सिख रेजीमेंट, चाहे वह गोरखा रेजीमेंट हो लेकिन अभी कोई भी दलित और मुस्लिम रेजीमेंट नहीं बनी जब सेना में सभी वर्गो के सैनिक रहते हैं।

वीर रस के कवि भूषण ने अपनी रचना में चतुरंगी सेना का उल्लेख किया है। जिसमें पैदल चलने वाले सैनिक, घोड़ों पर सवार सैनिक, रथ पर सवार सैनिक और हाथी पर सवार। उसी प्रकार आज वर्तमान काल में भी हम देखते है कि थल सेना, जल सेना, और वायु सेना को देखे तो उसमें भी चतुरंगी सेना हमें दिखाई देती है। जैसे पैदल चलने वाले सैनिक, वाहन पर चलने वाले सैनिक, जाहज वाले सैनिक और हवाई जहाज वाले सैनिक। इस प्रकार सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ही नहीं, अनेकों रचनाकारों ने विविध भाषाओं में सैनिकों का हौंसला अफजाई किया है। जो हमारे भारतीय इतिहास में वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को दर्शाता है।

जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय हिन्द

पाद चिह्न(फूट नोट) :-

1. शौर्य की गौरवशाली परम्परा (डायरी) - ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, वी.एस.एन. (सेवानिवृत्त)
2. गूगल हिन्दी डॉट कॉम।
3. गूगल हिन्दी डॉट कॉम।
4. गूगल हिन्दी डॉट कॉम।
5. शौर्य की गौरवशाली परम्परा (डायरी) - ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, वी.एस.एन. (सेवानिवृत्त)
6. शौर्य की गौरवशाली परम्परा (डायरी) - ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, वी.एस.एन. (सेवानिवृत्त)
7. शौर्य की गौरवशाली परम्परा (डायरी) - ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, वी.एस.एन. (सेवानिवृत्त)
8. लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र- श्री विजेन्द्र सिंह चौहान द्धारा whatsapp पर दी गई जानकारी।
9. लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र- श्री विजेन्द्र सिंह चौहान द्धारा whatsapp पर दी गई जानकारी।
10. लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र- श्री विजेन्द्र सिंह चौहान द्धारा whatsapp पर दी गई जानकारी।
11. लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र- श्री विजेन्द्र सिंह चौहान द्धारा whatsapp पर दी गई जानकारी।
12. लांस नायक श्री शिवदयाल सिंह चौहान के ज्येष्ठ पुत्र- श्री विजेन्द्र सिंह चौहान द्धारा whatsapp पर दी गई जानकारी।
13. हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य - सं.- डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा पृ.क्रं. 4
14. गूगल हिन्दी डॉट कॉम - ए मेरे वतन के लोगों (गीत)- कवि प्रदीप (वास्तविक नाम-रामचन्द्र द्धिवेद्धी- बड़नगर वाले)

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास, सं. मेजर जनरल इयान कारडोजो
2. श्रेष्ठ सैनिक कहानियाँ, ले. जनरल यशवंत पाण्डे
3. भारतीय सेना का इतिहास, रजनी यादव
4. भारतीय सेना के शूरवीरों की शौर्य गाथाएँ, शिव अरूर, राहुल सिंह
5. पराक्रम और शौर्य की रोमांचकारी कहानियाँ, जनरल विपिन रावत (भारतीय सेनाध्यक्ष)
6. पराक्रम भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की यादगार गाथाएँ, दिनेश काण्डपाल
7. भारतीय इतिहास के एक काले अध्याय में भारतीय सेना के जाँबाज सैनिकों की शौर्य गाथा, इंडिया टुडे
8. कारगिल की अनकही कहानी, हरिंदर बवेजा
9. ताकत वतन की हम से हैं (युवाओं को प्रेरित करती भारतीय सेना की साहसिक कहानीयाँ), रचना बिष्ट रावतभुमिका - एम.एस. धोनी
10. 1965 भारत-पाक युद्ध की वीर गाथाएँ,रचना, बिष्ट रावतप्रस्तावना- मनोहर पार्रिकर (रक्षा मंत्री)
11. गूगल हिंदी डॉट कॉमगूगल
12. शौर्य की गौरवशाली परम्परा (डायरी),बिग्रेडियर चितरंजन सावंत, वी.एस.एन.(सेवानिवृत्त)
13. हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य,सं.- डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा

****

The Role of E - Commerce and Business - A study on benefits and challenges in an emerging economy

Dr. Samta Mehta*

Abstract - E-Commerce has become an increasingly important source of competitive advantages for business the growth of e-commerce and the digitalization of retail provide new opportunities for solitary within the Global labor movement. Due to digitalization E-Commerce and online distribution is an ever expanding fast growing industry. It enables companies Not only to decrease transactional cost and offer a wide range of additional services but also to enhance efficiency in collaboration with their customers and Suppliers Full stop high quality E-Commerce must mirror the offline world. In the international market it is not enough to provide multi language browsers or websites Full stop the next few years the digital natives will grow into their most effluent stage in life the objective of this paper is to explore how business use E-Commerce how it enables their services and what are the main advantages . This article is considered to be of high practical and theoretical importance for business environment the Paper provides Guidance for business and gives an out book on how E-Commerce can be used by business. It support and decision making on e commerce in investment during the definition implement implementation and exclusion of E-Commerce strategy.
Keywords- E-Commerce, digitalization, business.

Introduction - Since the last decade E-Commerce has become an increasingly important source of competitive advantage. E-Commerce begins in 1995. It requires digital goods for carrying out their transactions. The possibilities for E-Commerce and force Businessman to redesign business processes and even to rethink their existence Business models and their relationships with their customers. Many different imperials findings demonstrate that E-Commerce enables companies not only to decrease transactional cost and to offer and additional services, But also to gain efficiency in supply chains and enhance collaboration. The growing use of the internet tablet devices, And Smart phones coupled with charge larger consumer confidence will see that e commerce will continue to involve and expand. Hear transactions include both specifications of goods and services required and commitment to buy e commerce transaction model can be in terms of business to business (B2B) Business to commerce (B2C) or customer to customer (C2C). Objectives of The study— The main objectives of the study are as follows:-

1. To get a full Acquaintance of The E-Commerce in India.
2. To identify the benefits of e-commerce in business.
3. To know the challenges in e-commerce and digitalization and business.

The paper further highlights some suggestions and future strategies of e-commerce in business in years to come. Conceptual theoretical and qualitative analysis the paper is accepted to benefit large group of users And Investigate for the study in the area of e-commerce.

Research Methodology - The paper has been written on the basis of secondary data. The secondary data were collected from published books Generals research papers magazines Daily newspapers internet and official Statistical documents.

What is E-Commerce - Electronic commerce or e commerce is the buying and selling of goods and services on the Internet. Other than buying and selling many people use internet as a source of information to compare prices or look at the latest products on offer before making a purchase online or traditional Store . A business is sometimes used as another term for the same process. More often though it is used to define a broader process of how the internet is changing the way companies do business Of the way they relate to their customers and suppliers and of the way they think about such functions as marketing and logistics for the purpose of this study E-Commerce is taken to mean doing business electronically.

E-Commerce Trends - A new business revolution in India E-Commerce is a boom in the modern business. It is a Paradigm Shaft influencing both marketers and the customers. Rather e commerce is more than just another way to boost the existing business practices. It is leading a complete change in traditional way of doing business. The significant change in business model is witnessing a tremendous growth around the globe and India is not an expedition. Moreover E-Commerce has every potential to the pollution and thus reducing significant influences on the environment.

***Assistant Professor, Shahid Bhagat Singh Govt. P. G. College, Jaora, Distt. Ratlam (M.P.) INDIA**

Buying goods and services Via E commerce allows consumers the freedom to choose when and where to stop and the opportunity to research the product the seller and any other available options for shop shopping has been Revolutionized Through the availability of online information. Just about anything that can be bought in our Merchandise store can be bought Via E commerce Even Perishables Like groceries and Consumers have average these Possibilities around the globe. The effects of e-commerce are already appearing and all areas of business from customer service to new product design. It facilitates new types of information based business processes for Reaching and interacting with customers like online advertising and marketing online order taking and online customer Service. And now his E-Commerce uses the www At least same Point in transaction life cycle. In India E-Commerce is still in nascent Stage But even the most Pessimistic Projections Indicate a boom. Many sites are now selling a diverse range of products and services from flowers greeting cards and movie tickets to groceries electronic gadgets and computers extra (Mitra Abhijeet 2013) E-Commerce has reached to an extent that the cow Dung patties all so selling like hot cakes online in India.

Benefits of e-commerce -

The main benefits of e-commerce for customers are as follows:-

1. Reduced transaction cost for participating exchange in a market.
2. Quick and containers access to information customer will have easier to access information check on different websites at the click of a button.
3. Increased comfort — Transactions can be made 24 hours a day without requiring the physical interaction with the business organization.
4. Convenience — All the Purchase and sales can be performed from the comfort today a home or working place or from the place a customer wants to.
5. Customer can buy a product which is not available in the local or national market which gives customer a wider range of access to Product Then before.

The main benefits of e-commerce from seller's point of view:-

1. Reduces operation and maintenance costs.
2. Increase revenue.
3. Reduces transportation costs.
4. Improves speed of the process of selling.
5. Develops Company image and brand.

Challenges in E-Commerce - There are many keys challenges that E-Commerce firms are encountering in emergency Indian markets.

1. Indian customers return much of the Merchandise Purchase online.
2. There is a lack of system security reliability standards and some Communication protocol Customer lost their money if the website of e-commerce site is hack. Most common problem of E-commerce website is not having a cyber security.
3. In developing countries there is a culture of buying product by Negotiating Price Which is not easily possible in case of e-commerce and developing countries because of lack of Infrastructure facility.
4. The Logistics Challenge In India is not just about the lack of standardization In postal addresses. Given the large size of the country, there are thousands of the towns that are not easily accessible.
5. New methods for conducting transactions new instruments and new service providers will require legal definition and permission existing legal definition and permissions such as legal definition of a bank and the concept of a national border — Will also need to be rethought.

I. Lack of education
II. Cultural tradition
III. Poor concept of online marketing
IV. Political problem
V. Internet coverage areas is limited
VI. Lack of trustable business.

Conclusion - A developing country may well attempt to beam modernized if it introduce E-Commerce efficiently and efficiently it will be improve its output and lead to it competitive advantage information technology (IT) Has uplifted e commerce worldwide. Now it's at ease to enter to a new market and marketers can easily evaluate their product and compare company's performance.

The E-Commerce Revolution has fundamentally changed the business of transaction by giving new opportunities and breaking borders easily in India it has strongly impacted the traditional business system and changing the life of people by making it easier Nowadays E-Commerce give challenges to traditional business for Competitive position . Developing countries face many obstacles that affect the successful implementation of e-commerce with the help of comparing with developed country. Convenience is one of the benefits that customer get from The E-Commerce And does increasing customer satisfaction impact of digitization is increasingly helping Indian GDP to grow . Along with Economic benefit the questionable viability Of Indian internet economy is also transforming the social life of the Indians whose benefits are challenging to quantity. Economic benefit of internet is expected to contribute 5.9 % of GDP of India by 2020. This is due to customer can place a purchase order from anywhere with internet connection. E commerce businesses provides should give importance on every customer by giving smooth service and mini off options for payment and have more functions available online. Other benefits are expanded product offering and expanded Geographic reach. Does E-Commerce play important role in business?

References:-

1. Abhijit Mitra 2013. "E-commerce in India- a review", International Journal of Marketing, Financial Services

and Management Research ISSN 2277- 3622 Vol.2, No. 2, February (2013)

2. Alka Raghunath, 2013. "Problem and Prospects of ECommerce ", International Journal of Research and Development - A Management Review (IJRDMR) ISSN (Print): 2319–5479, Volume-2, Issue – 1, 2013 68
3. Bairagi, A. K. (2018). "Utilization of E-Commerce can Change the Auction Culture of Bangladesh Specially in Public Sector". IJCIT, Vol. 2(1), pp. 55- 61.
4. Bhowmik, R. (2012). "The Present E-Commerce Situation In Bangladesh For B2c E-Commerce". International Journal of Economic Research, Vol. 3(5), pp.77-91.
5. Chavan, J. (2013). "Internet Banking- Benefits and Challenges in an Emerging Economy". International Journal of Research in Business Management, Vol. 1(1), pp. 19-26.
6. Dr. Sachin Gupta, 2014. "Benefits and Drawbacks of MCommerce in India: A Review", International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering Vol. 3, Issue 4, April 2014.
7. Molla, A., and Heeks, R. (2007). "Exploring Ecommerce benefits for businesses in a developing country". The Information Society.
8. Nanehkaran, Y. A. (2013). "An Introduction to Electronic Commerce". International Journal of Scientific & Technology Research, Vol. 2(4), pp.190- 193.
9. Ray, J. S. (2011). "Leveling E-Commerce Opportunities for Developing Countries". SMC University. Swiss Management Centre, Transknowlogy Campus.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

A Study on Comparative Financial Performance Analysis of Prominent IT Services and Consulting Sector Companies in India

Dr. Rahul Kaushal*

Abstract - India has occupied the leadership position in Information Technology (IT) and Information Technology Enables Services (ITES,) sector in all over the world in the past two decades. Strong demand for past few years has placed India amongst the fastest growing IT markets in Asia-Pacific region. When the other countries like China and Taiwan are also planning to boost IT sectors and be a major player in the global IT sector, this type of study is mandatory to carry on at this point of time to reveal the actual financial scenario of this industry and to check whether it will continue its growth position or able to hold the leadership position to next decade.

In order to compare and set benchmark, a financial statement analysis should be made of all companies. The objective of this study is to measure the financial and accounting performances of leading Indian IT companies for the period of 2016 – 2020. Financial performance has been measured using the variables of liquidity, profitability, growth, and market valuation. Based on the multidimensional criteria and various ratios, it has been concluded that TCS has emerged as a leading IT company during the studied period.

Key Words - Compounding annual growth rate, Interest coverage, Leverage, Asset turnover.

Introduction - Financial performance analysis is the process of determining the operating and financial characteristics of a firm from accounting and financial statements. The goal of such analysis is to determine the efficiency and performance of firm's management, as reflected in the financial records and reports. The analyst attempts to measure the firm's liquidity, profitability and other indicators that the business is conducted in a rational and normal way; ensuring enough returns to the shareholders to maintain at least its market value.

A well designed and implemented financial management is expected to contribute positively to the creation of a firm's value (**Padachi, 2006**). Dilemma in financial management is to achieve desired tradeoff between liquidity, solvency and profitability (**Lazaridis et al., 2007**). Ultimate goal of profitability can be achieved by efficient use of resources. It is concerned with maximization of shareholders or owners wealth (**Panwala, 2009**). It can be attained through financial performance analysis. Financial performance means firm's overall financial health over a given period of time.

In the past two decades, India's information technology services industry emerged as an important player in the global IT services market. Now Indian is a reputed name in the world of Information Technology. Over the last couple of years Indian IT sector has gained the leadership position and attracted all the IT majors from all around the world. It is one of the fastest growing IT market in Asia Pacific region Indian.

IT sector facilitates Indian economy to grow further and gradually become one of the major contributors to Indian GDP but China Russia Taiwan and Vietnam are also coming at IIT super powers and are able to give a cut throat competition to Indian IT industry hence the present study has been conducted to examine the actual financial scenario of this industry and to check whether it will contain its growing face or able to hold the leadership position to next decade. To facilitate the financial analysis of the industry ratio analysis has been used in this study.

As no study can efficiently start without literature review, we attempt to do so in the next section.

Review of Related Literature:

Parthasarathy B. (2013) discussed about the growth of Indian Software companies during different periods and showing the growth of software exports for different times with a detailed study on slowdown period. This study also presented the picture of financial liberalization along with the evolution in Indian Software Industry where the evolving strategies of firm lie at the heart of an unfolding dynamic of sector's growth.

Assessment of financial performance can be done using fundamental analysis, namely through the measurement of financial ratios as an indicator. Investors can use fundamental analysis to predict the movement of stock prices. Fundamental analysis can describe the company's condition and future prospects. Financial ratio

***Assistant Professor, Shahid Bhagat Singh Govt. P. G. College, Jaora, Distt. Ratlam (M.P.) INDIA**

measurement is an instrument of company performance analysis that shows changes in financial position in a certain period and describes the trend of change. There are several financial ratios as a tool for assessing financial performance, including liquidity, leverage, activity, profitability, growth, and valuation (**Radjev, A. 2013**).

Sinha Mintibahen Bijendra and Dr Deepika Singhvi (2017) conducted a study which aimed at analyzing profitability position of the Indian pharmaceutical sector of time period for 7 years. They conducted profitability of pharma companies having two main distinguishes facets a) it is a defensive sector and b) it involves very high cost of Research & Development, which does not guarantee any assured returns. It was hence concluded that any firm with focus on Research & Development, Operating Profit and Gross Profit matters more, as their efforts Research & Development will generate returns after longer time period.

K. P. Venugopala Rao (2017) conducted financial performance analysis of IDBI bank. The said analysis was done by ratios and for the period from the year 2011-2012 to 2015-2016. They found out that employment of assets and solvency of bank was in tune with the industry average. It also concluded that bank should improve upon its performance in deposits that provide cheaper funds.

Objectives - This study specifically aims to meet the following objectives:

1. The financial ratio analysis to judge the earning capacity, financial soundness and operating efficiency of a business organization.
2. The use of ratio in accounting and financial management analysis helping the management to know the profitability, financial position and operating efficiency of an enterprise.
3. Its usefulness in business planning, forecasting and locating the weak spots in the business even though the overall performance may be quite good.
4. Its usefulness as a measure of inter-firm and intra-firm comparison.

Research Methodology and Data - This research paper aims to measure the financial performances of Indian IT companies like TCS, Infosys and Tech Mahindra for the period April 2016 - March 2020 using comparative financial ratios. As a research procedure, the researcher obtained the audited financial statements of Indian IT companies for the five-year period (2016-2020) from companies' website. The financial information necessary for financial ratios was derived from these financial statements. The information was then summarized and processed to come up with comparative financial ratios that were used in the analysis. In this study, financial ratios were grouped into six categories, i.e., liquidity, leverage, turnover, growth, return and margin ratios. The study seeks to answer the research question – What are the norms, industry figures, and peculiarities in the IT sector of the Indian market? – using liquidity, leverage, turnover, growth, return and margin ratios.

Selected IT Companies

Tata Consultancy Services (TCS) - TCS is a multinational information company founded in 1968 and is a subsidiary of Tata conglomerate. It is listed in both Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE) of India. It is the leader in global marketplace and is among the top 10 technology firms in the world. TCS is the second largest Indian company by market capitalization. Tata consultancy services is now placed among the most valuable IT services brands worldwide. TCS is the largest Indian company in terms of market capitalization. As of 2018, it is ranked eleventh on the Fortune India 500 list. In April 2018, TCS became the first Indian IT company to reach $100 billion in market capitalization; it operates in 149 locations across 46 countries. It is headquartered in Maharashtra, India. TCS is dealing with various kind of products and services, such as assurance services, BI and performance management, business process services, consulting, digital enterprise, eco-sustainability services, engineering and industrial services, enterprise security and risk management, enterprise solutions, IT infrastructure services, IT services, platform solutions, and supply chain management.

Infosys: Infosys (formerly known as Infosys Technologies Private Limited) is an Indian multinational corporation founded in 1981. It is headquartered in Karnataka, India. Infosys is dealing with various kind of services such as Aikido: Next-Generation Services, Ki: Knowledge-based management and evolution of landscapes, Do: Design thinking and design-led initiatives, Ai: Platforms and platform as a service, business services, business applications, business intelligence, Digital Infosys Consulting, Oracle, SAP, technology services, application management, cloud, infrastructure and security engineering services, enterprise mobility, testing, outsourcing services, application outsourcing, business process outsourcing, customer service, finance and accounting, human resources, and sourcing and procurement. It is also dealing with several product categories such as banking suite, big data, cloud, customer service, digital commerce, digital marketing, distributive trade, micro-commerce, sourcing and procurement, Edge-Verve, Assist-Edge – customer service experience, Brand-Edge – digital marketing, Credit Finance Edge – micro-commerce, Interact Edge – digital commerce, Procure Edge – sourcing and procurement, Trade Edge – distributive trade, Infosys Finacle, core banking, CRM, digital commerce, direct banking, e-Banking consumer, e-Banking corporate inclusion, mobile banking, payments, treasury, and wealth management.

Tech Mahindra: Tech Mahindra is an Indian multinational technology company, providing information technology (IT) and business process outsourcing (BPO) services. A subsidiary of the Mahindra Group, the company is headquartered in Pune and has its registered office in Mumbai. As of April 2020, Tech Mahindra is a US$5.2 billion company with 125,236 employees across 90 countries. The company was ranked 5 in India's IT firms and overall 47 in

Fortune India 500 list for 2019. On 25 June 2013, Tech Mahindra announced the completion of a merger with Mahindra Satyam. Tech Mahindra has 973 active clients as of April 2020. In 2019, Tech Mahindra acquired Dyna Commerce BV. Tech Mahindra, during September 2019, has acquired BORN Group, a New York City based digital content and production agency, for $95 million in an all-cash deal.

Results and Discussion - Descriptive Statistics

Table 1

Table 1 Liquidity Ratios

Ratios	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Liquidity Ratios of TCS					
Current Ratio (X)	3.33	4.17	4.56	5.53	4.06
Quick Ratio (X)	3.33	4.17	4.55	5.53	4.06
Liquidity Ratios of Infosys					
Current Ratio (X)	2.62	2.84	3.55	3.83	3.91
Quick Ratio (X)	2.62	2.84	3.55	3.83	3.91
Liquidity Ratios of Tech Mahindra					
Current Ratio (X)	2.12	2.09	2.29	2.55	2.66
Quick Ratio (X)	2.12	2.08	2.28	2.54	2.65

Both the current ratio and quick ratio measure a company's short-term liquidity, or its ability to generate enough cash to pay off all debts should they become due at once. Although they're both measures of a company's financial health, they're slightly different. The quick ratio is considered more conservative than the current ratio because its calculation factors in fewer items. Table 1.1 clearly shows that in terms of both current ratio and quick ratio TCS has edge over its counterparts because its liquidity ratios are consistently higher from 2016 to 2020 as compared to other companies.

Table 2

Table 2 Leverage Ratios

Ratios	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Leverage Ratios of TCS					
Debt to Equity (x)	0	0	0	0	0
Interest Coverage Ratios(%)	46.72	210.91	656.62	1,079.53	965.85
Leverage Ratios of Infosys					
Debt to Equity(x)	0	0	0	0.00	0
Interest Coverage Ratios (%)	130.45	—	—	—	—
Leverage Ratios of Tech Mahindra					
Debt to Equity(x)	0.11	0.07	0.09	0.07	0.07
Interest Coverage Ratios (%)	27.39	43.11	31.04	30.98	40.73

Debt to equity ratio is a capital structure ratio which evaluates the long-term financial stability of business using balance sheet data. It is expressed in term of long-term debt and equity. Investors, creditors, management, government etc view this ratio from their different angles influenced by their objectives. Therefore, the meaning and interpretation of this financial ratio vary with the objective with which it is looked at. In general from the debt to equity ratio point of view all the IT companies appears to be in sound state because this ratio has negligible or nil value. This means that value of debt is almost negligible or very less compared to equity capital thus minimizing the risk for the companies.

The interest coverage ratio measures the ability of a company to pay the interest on its outstanding debt. This measurement is used by creditors, lenders, and investors to determine the risk of lending funds to a company. A high ratio indicates that a company can pay for its interest expense several times over, while a low ratio is a strong indicator that a company may default on its loan payments. In this study TCS has very high interest coverage ratio followed by Infosys and Tech Mahindra.

Table 3

Table 3 Turnover Ratios

Ratios	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Turnover Ratios of TCS					
Asset Turnover Ratio (%)	129.81	127.42	115.81	114.25	121.94
Inventory Turnover Ratio (X)	31,389.8	14,646.3	4,734.77	5,617.43	6,790.38
Turnover Ratios of Infosys					
Asset Turnover Ratio (%)	97.86	97.56	88.27	82.15	82.86
Inventory Turnover Ratio (X)	0	0	0	0	0
Turnover Ratios of Tech Mahindra					
Asset Turnover Ratio (%)	98.69	103.87	101.10	111.79	117.62
Inventory Turnover Ratio (X)	1,029.82	462	466.96	476.94	657.42

The asset turnover ratio, also known as the total asset turnover ratio, measures the efficiency with which a company uses its assets to produce sales. The asset turnover ratio formula is equal to net sales divided by the total or average assets of a company. A company with a high asset turnover ratio operates more efficiently as compared to competitors with a lower ratio. In terms of asset turnover ratio TCS has again proved itself a leader where ATR is consistently above 100 percent followed by tech Mahindra and Infosys.

Inventory turnover ratio is an efficiency ratio that measures how well a company can manage its inventory. It is important to achieve a high ratio, as higher turnover rates reduce storage and other holding costs. Low turnover implies that a company's sales are poor, it is carrying too much inventory, or experiencing poor inventory management. Unsold inventory can face significant risks from fluctuating market prices and obsolescence. Inventory turnover ratios of all the companies are very high, that shows sectors' sales velocity and attractiveness. Here again TCS has crossed 31000 mark in 2020 that place it into leadership position.

Table 4

Table 4 Growth Ratios

Ratios	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Growth Ratios of TCS					
3 Yr CAGR Sales (%)	15.35	16.11	14.05	20.08	31.33
3 Yr CAGR Net Profit (%)	10.95	13.88	13.58	16.76	31.49
Growth Ratios of Infosys					
3 Yr CAGR Sales (%)	15.14	15.07	15.01	16.88	24.39
3 Yr CAGR Net Profit (%)	7.56	6.87	14.07	16.18	19.62
Growth Ratios of Tech Mahindra					
3 Yr CAGR Sales (%)	12.48	14.51	16.63	24.4	96.34
3 Yr CAGR Net Profit (%)	16.96	20	19.34	-3.48	101.78

CAGR sales ratio refers to the revenue generated by a company in the most recent accounting period relative to the revenue it generated in a similar period in the past. By comparing sales across different periods, company management and investors can determine how well a company is doing. A negative number shows declining sales of the company, while a positive number shows increasing sales of the company. Negative or positive sales might be due to increasing or falling prices or a change in the number of customers. In context of sales ratio Infosys has shown consistent performance throughout the period followed by TCS and Tech Mahindra. For profitability ratios, having a higher value relative to a competitor's ratio or relative to the same ratio from a previous period indicates that the company is doing well. Profitability ratios are most useful when compared to similar companies, the company's own history, or average ratios for the company's industry. Net profit ratio is in declining trend for all IT companies this may be because Indian IT sector has already shown tremendous growth.

Table 5 Return Ratios

Ratios	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Return Ratios of TCS					
Return on Net-worth/Equity(%)	38.44	35.18	30.33	30.49	34.14
ROCE (%)	46	44.97	38.59	38.92	33
Return On Assets (%)	26.74	27.38	24.29	25.46	27.24
Return Ratios of Infosys					
Return on Net-worth/Equity(%)	25.35	23.71	24.68	20.8	21.84
ROCE (%)	30.83	31.83	30.92	28.81	21.71
Return On Assets (%)	17.88	18.17	20.06	17.21	17.9
Return Ratios of Tech Mahindra					
Return on Net-Assets (%)	18.48	21.18	20.16	17.11	20.51
ROCE (%)	19.88	24.83	22.38	20.25	17.72
Return On Assets (%)	10.79	12.84	12.48	10.79	13.28

Return on Net Worth is a ratio developed from the perspective of the investor and not the company. By looking at this, the investor sees if the entire net profit was passed on to him, how much return Investor would be getting. It explains the efficiency of the shareholders' capital to generate profit. TCS has consistently produced higher returns on net worth compared to its counterparts. Its RONW is above 30% throughout the period.

Return on capital employed ratio is computed by dividing the net income before interest and tax by capital employed. It measures the success of a business in generating satisfactory profit on capital invested. The ratio is expressed in percentage. Return on capital employed ratio measures the efficiency with which the investment made by shareholders and creditors is used in the business. Managers use this ratio for various financial decisions. It is a ratio of overall profitability and a higher ratio is, therefore, better. Return of capital employed is very sound of all the companies. However, comparatively TCS has shown upper edge over Infosys and Tech Mahindra.

The Return on Assets (ROA) ratio shows the relationship between earnings and asset base of the company. The higher the ratio, the better it is. This is because a higher ratio would indicate that the company can produce relatively higher earnings in comparison to its asset base i.e. more capital efficiency. ROA for Tech Mahindra has been in the range of 10 to 13, for Infosys 17 to 20 and for TCS 25 to 28.

Table 6

Table 6 Margin Ratios

Ratios	Mar-20	Mar-19	Mar-18	Mar-17	Mar-16
Margin Ratios of TCS					
Gross Profit Margin (%)	29.75	29.91	29.37	30.96	31.07
Operating Margin (%)	27.5	28.51	27.73	29.28	29.33
Net Profit Margin (%)	20.67	21.54	21.02	22.34	22.4
Margin Ratios of Tech Infosys					
Gross Profit Margin (%)	27.61	27.88	31.48	31.66	32.35
Operating Margin (%)	24.42	25.45	28.84	29.17	30.01
Net Profit Margin (%)	18.32	18.63	22.82	21	21.6
Margin Ratios of Tech Mahindra					
Gross Profit Margin (%)	18.17	19.77	19.9	17.02	17.77
Operating Margin (%)	14.25	16.52	16.38	13.67	14.91
Net Profit Margin (%)	10.58	12.53	12.3	9.79	11.41

The gross profit margin ratio analysis is an indicator of a company's financial health. It tells investors how much gross profit every dollar of revenue a company is earning. Compared with industry average, a lower margin could

indicate a company is under-pricing. A higher gross profit margin indicates that a company can make a reasonable profit on sales, as long as it keeps overhead costs in control. Investors tend to pay more for a company with higher gross profit.

The operating profit margin ratio indicates how much profit a company makes after paying for variable costs of production such as wages, raw materials, etc. It is also expressed as a percentage of sales and then shows the efficiency of a company controlling the costs and expenses associated with business operations. Furthermore, it is the return achieved from standard operations and does not include unique or one time transactions.

The net profit margin, also known as net margin, indicates how much net income a company makes with total sales achieved. A higher net profit margin means that a company is more efficient at converting sales into actual profit. Net profit margin analysis is not the same as gross profit margin. Under gross profit, fixed costs are excluded from calculation. With net profit margin ratio all costs are included to find the final benefit of the income of a business.

Gross profit Margin of Tech Mahindra is in the range of 17 – 19, Infosys 27 – 32 and TCS 29 – 30. Operating profit margin for Infosys, TCS and tech Mahindra are in the range of 24 – 30, 27 – 30, 13 -16 respectively. Similarly net profit margin for TCS, Infosys and Tech Mahindra are in the range of 20 – 23, 18 – 22 and 9 – 13 respectively. This shows that TCS has performed better in all the spheres.

Conclusion - Aggregate financial data considering all the studied companies reveal that IT services and information technology enabled services have shown unprecedented growth. The demand for such services has grown substantially. However, within the sector on the basis of all the imperative ratios TCS has emerged as leading performer. Infosys is also giving tough competition to its counterpart. Thus it can be concluded that growth of the Indian IT industry is likely to be very good in future. The future trend of Indian IT industry appears to be very bright, promising and prosperous.

References :-

1. Balaji Parthasarathy, Globalising Information technology: The Domestic Policy Context for India's Software Production and Export, Indian Institute of Information Technology, Bangalore, 2004
2. K. P. Venugopala Rao (2017). Financial Performance Analysis of Banks – A Study of IDBI Bank. International Journal of Research in IT and Management (IJRIM)- Vol.7, Issue 1, 64-72
3. Lazaridis, I., 2007. Relationship between working capital working capital management and profitability of listed companies in the athens stock exchange. J. Finan. Manage. Anal., 19(1): 26-35.
4. Padachi, K., 2006. Trends in working capital management and its impact on firm's performance: An analysis of mauritian small manufacturing firms. Int. Rev. Bus. Res., 2(2): 45-56.
5. Panwala, M., 2009. Dimensions of liquidity managementA case study of the Surat Textile's Traders Cooperative Bank Ltd., J. Account. Res., 2(1): 69-78.
6. Radjev, A. 2013. Working Capital Management of Makson Healthcare PVT LTD: a Trade-off Between Liquidity and Profitability, an Empirical Study. International Refereed Research Journal, 4(3): 87-94.
7. Sinha Mintibahen Bijendra & Dr Deepika Singhvi (2017). Research Paper on Liquidity & Profitability Analysis of the Pharmaceutical Companies of India. International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)- Vol.5, Issue08, 6717-6724

****

E-commerce and Consumer Psychology in Current Economic Scenario

Dr. Nilesh Mahajan*

Abstract - The present Corona scenario hasaffected not only the Indian economy but entire the global economy.All underdeveloped, developing and developednations are struggling. The country's economy depends on commercial activities and commercial activities are entirely focused to the consumer. 'Consumer', the king of the market today, is struggling withCorona's fear and commercial activities are almost dead. In such a situation, E-commerce, the modern form can play a vital role in our economy. Online orders, delivery of essential basic goods and services such as milk, fruits, vegetables, grocery, medicine, etc. have satisfied consumer psychology to some extent in this adverse situation, but now the goal is wider. It is believed that e-commerce will be able to understand the consumer psychology.It will overcome the challenges and move the economy on the path of growth.
Keywords - Online orders, Home delivery, Consumer satisfaction, Social distancing,E-activities, Indigenization, Digital awareness.

Introduction - Dr. C. Vethirajan and Dr. Vinayakamurthy (2018), have studied the behaviour of consumers towards e-commerce and its impact on the Indian economy. The study discusses the opportunities ofe-commerce in the Indian economy by incorporating the characteristics of online shopping. According to him, this form of commerce has good opportunities for both the businessman and the consumer.

Arjun Mittal (2013), in his study of e-commerce and its impact on consumer behaviour, found that purchasing decisions are influenced by consumer safety, trust and privacy while shopping online. These elements are concerned with psychology.

Raghunathan and Ganapathi (2002),stated four essential elements for B to C model: Information, Design, Security and Privacy. The study was based on survey of 214 online consumers.

Lee and Turbon (2001), included parameters in their study which are important to win consumer confidence while internet shopping such as Product Guarantee, Credit Facility, Post-sale Services etc. These components provide satisfaction or dissatisfaction to the consumer.

Dholakia and Rego (1999), described the element that is useful in popularizing a commercial web page on Internet, such as New updates. With their help, a specific webpage can be made famous among consumers. Therefore, such measures can be adopted to increase internet traffic on their websites.

Need and purpose of study - Thus, it is clear that there have been many researches and studies done in the past one-commerce and consumer psychology, but the circumstances today are different.In the present scenario it is necessary to study consumer psychology with E-commerce in new context.E-commerce and consumer psychology has new challenges. Therefore, the main purpose of this research article is to present the challenges and suggestions along with this study. This research article will be useful for the government, general public and researchers.

Current Economic Scenario - The Indian economy is also facing a tough time, like the entire world. A country with a population of about 130 crores is being gradually opened after a long lock-down.At the time of lock-down,the first objective was to protect life, so the Honorable Prime Minister said in his first address - ''Jaanhai to Jahan hai. '' But without 'Artha' life is impossible. It is impossible to avoid economic activities for a long time, so later he said''Jaanbhi Jahan bhi. '' Without revenue it is impossible to run the nation and revenue flows depend upon the commercial activities.The growth rate of the Indian economy was 4.2 percent in the last year 2019-20 and now reputed international institutions and rating agencies have cut the estimates of India's economic growth rate. The estimatesare as follows:

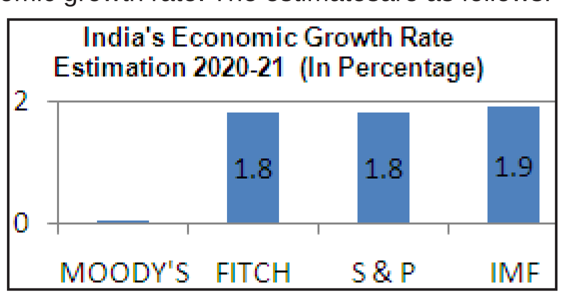

Figure 1

It is clear that according to the international rating

*Assistant Professor (Commerce) B.K.S.N. Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA

agency Moody's, India's economic growth rate is going to be zero for this year, while Fitch and S&P have estimated it at 1.8 percent. According to the IMF, India's economic growth rate may be 1.9 percent in the year 2020-21. The Reserve Bank of India has also predicted the growth rate to be negative.In terms of employment,in India, about 94 percent of the population is engaged in employmentin unorganized sector and this sector contributes 45 percent to the economy. Due to Covid, the employment of crores of people has been lost and they have faced livelihood crisis. Onone hand, while the immigrant labourers have returned to their homes, on the other hand, industrialists are now finding it difficult to raise labour for production.Banking sector has been affected adversely. Moody's has reduced the outlook of the Indian banking system from static to negative. Except pharma sector, all the important sectors are facing serious economic problems. However, to tackle this corona pandemic, Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman has announced a relief package of Rs 20 lakh crores which has been focused on four factors: Land, Labour, Law and Liquidity. It is a challenging goal to convey the benefits to the ground level under this package.

E-commerce - E-commerce is a new form of traditional commercial activity which has become an urgent necessity of the present scenario. However, it would be incorrect to call it new, as it started in the 1960s itself. Commercial activities are performed electronically in E-commerce. Some of its major models are:

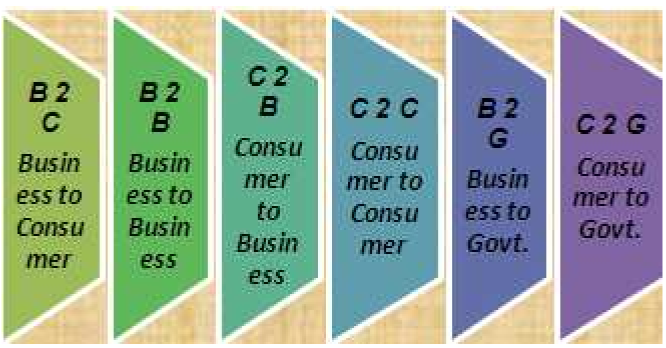

Figure 2

In present scenario,the world is adopting social distancing and work from home culture, it is becoming possible because of e-commerce. Internet, online order, home delivery, fund transfer, debit card, credit card, e-mail, e-governance, e-education, webinars, e-investment,e-banking, e-insurance, e-tax payment, MIS, all these e-activities are covered under e-commerce and without all, it is difficult to overcome the present circumstances. A digital India equipped with all these, is an urgent need in today's era.

According to the IBEF, India's e-commerce will become the world's second largest e-commerce market by the year 2034 and the total number of online shoppers willreach to 220 million by 2025. With the increasing use of Internet and mobile, its number of users will increase to 859 million by 2022 and e-commerce will grow at a rate of 1200 percent by 2026.

Consumer Psychology - The ultimate focus of commercial activities is the consumer. It is considered the king of the market. E-commerce also has no value if the consumer rejects it. It is necessary to understand the psychology of the consumer. This consumer psychology consists of consumer's beliefs, acceptability, habits, customs, experiences, motivations, preferences and awareness.

Figure 3

In fact, both the psychology of consumer and commerce are deeply associated with each other. Consumer has also been a part of commerce since it started. Commerce has undergone radical changes from ancient times to the present scenario. Consumer psychology has also not been untouched by this change. In the beginning, the first was the sales ideology, which was traditional. Consumer psychology was not such important because commercial activities were carried out from the view of producer or seller. At that time'what was made was sold' .There was no competition. We were far from LPG(Liberalization, Privatization and Globalization). But gradually the whole world became a single market. Traditionally the producer was the king of market, but now in the marketing ideology, the consumer is the king of market and all commercial actions revolve around the consumer. The current Covid scenario has given rise to new challenges in the field of commerce and consumer psychology has become even more complex during this period.There was a tremendous change in lifestyle. Cinema halls, malls, clubs, markets, restaurants, Chaupati, swimming pools, water parks, hotels were crowded with people before pandemic. Fashion, tourism, parties were considered synonymous of higher living standard. But now situation has been changed completely. Not only the consumers but also the merchants, producers, service-providers are afraid of the Corona infection.

The consumer's preference has shifted from hype and luxury to the health. Now a days,the consumer is also paying attention towards banking, insurance, savings, investmentsbecause of such uncertain pandemic. Consumer's psychology has changed. All these facts are

making the commercial activities more complicated because now producers have to take full care of health protection by understanding theconsumer psychologyand satisfying it. The challenge is difficult but not impossible.

Challenges and suggestions :

(1) The main challenge is to eliminate health and safety concerns inconsumer mind. There is a fear of infection with online business as well. So, the biggest challenge is to build consumer confidence.During the discussion on 'Zee Business', Mr. Anand Agarwal, CEO of 'VmartRetail' said that right now we are trying to win consumer trust by taking care of the safety of consumer first. This is the priority of this time.

(2) The second major challenge is to eliminate the distance betweenconsumer and the market. If the consumer is not willingto reach the producer, then producers and service providers have to reach the consumer with proper use of e-commerce.

(3) The third important challenge is to become self-reliant. Today, most of the companies working in online sector are foreigncompanies. Therefore, Indian companies will have to come forward in this field. For this they have to focus on enhancing their technology and quality. This challenge is not easy. Today, global trade is reduced. Indigenization is being emphasized. Consumer psychology is also doing the same thing. It should not be seen as a crisis but should be seen as an opportunity.Indian producers and service providers should take advantage of this opportunity.

(4) During this crisis, local goods have only supported to the consumer. Both the Prime Minister and the Home Minister of our country have called for a move towards a self-reliant India by adopting Indian products and services. The consumer's inclination is also increasing in this direction. The needs and challengesare to meet consumer expectations. For this, local shopkeepers and businessmen will also have to change the way of their business.

(5) A major challenge is to create employment opportunities. During the Corona period, the jobs of millions of people have gone. Government as well as unemployed youth, needs to make special efforts in this direction. Unique ideas and ways of earning should be adopted by leaving shame and hesitation. During the Corona period, employment opportunities are open for women and unemployed youth in some new products i.e., masks, sanitizers, PPT kits etc.

(6) India's educated and qualified youth have returned back from abroad due to psychological changes. There is a need to exploit their knowledge and experience properly. Therefore, providing better employment opportunities to such youth in the country itself will be beneficial for both.

(7) At present, there is a serious problem of both labour and capital (liquidity). The government has announced a relief package, but the real challenge is to make use of e-governance, digital India and provide benefits to the sections of the society standing at the end.

(8) Regulatory control is needed to regulate the growing e-commerce business in our country, which can regulate and control e-commerce websites and apps under the rules. This is also an essential requirement of this time.

(9) Bringing awareness among rural consumers regarding online shopping and online marketing is also a big challenge because of manyfake companies are engaged in fraud business.Thus both digital awareness and digital literacy are needed and for this, not only the government but also educated community should come forward and work in this direction.

Conclusion - The time is difficult and the challenge is huge. Government is striving at its level, but consumer, producer, service provider, will have to support government's efforts in this direction with every step.Traditional way of business needs to learn to adjust with current requirements. With changing circumstances, we have to bring flexibility in our behaviour. Working together on Focal for local, self-reliant India, health care, consumer satisfaction and all other fronts is required to convert this challenge into an opportunity so that India canlead the world as a superpower in upcoming years.For this,self-defense, self-discipline and self-reliance are the basic mantra of life. The goal of becoming a trillion-dollar online economy by 2025 under the Digital India program can be met only by the collective efforts of all.Instead of being troubled by problems and challenges, we will have to focus all our efforts in the direction of the public welfare.Then India of our dreams will rise again and will be able to leave an indelible mark on the world map.

References :-

1. KriyatmakPrabandh– G.S. Sudha, Sharma & Sharma,Ramesh Book Depo, Jaipur-New Delhi.
2. Naveen Shodh Sansar, ISSN 2320-8767, July to September 2019, page no. 46, 47
3. DivyaShodhSamiksha, ISSN 2394-3807 July to September 2019, page no. 37
4. Dr. C. Vethirajan, Dr.G.vinayagamoorthi (2018), 'Trends in Consumer Behavior towards E-commerce and its Impact on Indian Economy' Eurasian Journal of Analytical chemistry.
5. Arjun Mittal (2013) 'E-commerce : It's Impact on Consumer Behavior', Global Journal of Management and Business Studies.
6. Lee, Turban (2001), 'A Trust Model for Consumer Internet Shopping', International Journal of Electronic Commerce,
7. Dholakia,Rego(1999), 'What makes commercial web pages popular: an empirical study of online shopping' Proceedings of 32nd Hawaii International Conference on System Sciences.
8. Ranganathan and Ganapathy (2002), 'Key dimensions of business-to-consumer websites, Information and Management, Vol 39.

9. https://newindianexpress.com/
10. https://investopedia.com/
11. https://m.economictimes.com
12. https://m.timesofindia.com/
13. https://www.business-standard.com.
14. https://www.india.com.

****

Impact of E-commerce on Indian Economy (A Study with Reference to Pre-COVID 19)

Dr. Sunil Advani*

Abstract - In today's scenario e-commerce is playing an important role in global market. It helps in selling of goods and services using digital technologies.Electronic data has given the prospect of eliminating paper documents, reducing costs and improving efficiency by exchangingbusiness information in electronic form. Many economists and experts believe that in recent years, an evolution has occurred with which the world has entered the information age. E-commerce draws on technologies such as mobile commerce, Electronic fund transfer, Supply chain management, Internet marketing, Electronic data interchange and automated data collection systems.Consumer take advantage of lower prices offered by wholesalers retailing their products.Customers are willing to buy the goods electronically as there is competition among the players in the this business, which has helped the customers to get the goods at cheaper rates. That is why e-commerce has become a desirable platform for easy and quick trade. This research paper describes the growth and impact of e-commerce in India.
Keywords - E-commerce, Electronic data interchange (EDI).

Introduction - E-commerce stands for electronic commerce.It means dealing goods and services through electronic media and internet. The rapid growth of e-commerce in India is being driven by greater consumer choice.With the help of internet the vendor sells products or services directly to the consumer from the portal using a shopping basket system and allows payment through debit card, credit card or electronic fund transfer payments.In the present scenario e-commerce market and its space is increasing in demand.E-commerce is growing in India because of wide range of products with minimum price, wide range of suppliers and customers internet.

Objectives of the study - The objectives of present study are :

1. To know the impact of e-commerce on Indian economy.
2. To study the Key drivers of e-commerce in India.

Models of E-commerce – E-commerce has defied the traditional structure of businesses trading with consumers bringing to the forevarious business models which has empowered consumers. Some of the common business models which are facilitated by e-commerce are as follows-

1. Business to Business (B2B) - E-commerce has enabled various businesses to build new relationships with other businesses for efficiently managing several of their business functions.B2B e-commerce could comprises of various models,whichmay include distribution services, procurement services,digital/online market place like services etc.IndiaMART.com is one such B2B online market place which provides a platform for businesses to find other competitive suppliers. On the other hand, Ariba provides procurement services by providing access to digital electronic market. Most sellers of products or services in the physical medium have begun providing their goods/ services on the internet as well and it is by virtue of this model that e-tailing has become very popular with internet users where a near virtual shop is created with images of products sold. This not only provides cost benefits to the sellers as brick and mortar type of investments are considerably reduced, but the seller is also able to provide benefits to the consumers in terms of discounts and free additions such as free delivery.

2. Business to Consumer (B2C) - B2C transaction is conducted over the internet between a business and a consumer. For example, an online publisher may sell his book to a customer and receive payment without meeting him/her.Direct dealings between businesses and consumers have always existed; however, with the emergence of e-commerce such transactions have gained further momentum. In a traditional B2C model, the distribution channel typically starts with manufacturer and goes through a distributor / wholesaler to retailer, who interacts with the end customer. However, in an online model one finds the manufacturer or the intermediary directly trading with the consumer.

3. Consumer to Consumer (C2C) - Traditionally consumers have had dealings with other consumers but only few of those activities are a commercial nature. E-commerce has made it possible to bring together strangers and providing a platform for them to trade on. For example,

*Assistant Professor (Commerce) B.K.S.N. Govt. College, Shajapur (M.P.) INDIA

portals such as eBay enables consumers to transact with other consumers.

Transactions in e-commerce system:

1.Product flow: Movement of goods from suppliers to end consumers through e-commerce and logistics players.

2.Information flow: Information transmission of orders from customers and subsequent information flow of order status through the value chain.

3.Monetary flow: It involves payments from consumers to e-commerce players and suppliers and vice-versa through financial intermediaries.

Online retail in India - It is seen that the digital commerce market in India has increased by increasing internet and smartphone penetration across India.Following is the data of growth of E-commerce business in India-

Table 1. Size of E-commerce Business in India (B2C)

Year	Size(in billion rs.)
2013	203
2014	952
2015	1120
2016	1736
2017	2535
2018	2821
2019	5103

Source-IAMAI, Detroit Analysis.

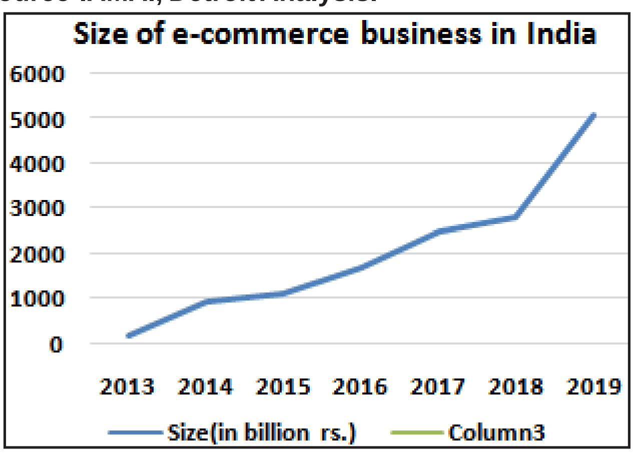

The Indian e-commerce market scale was evaluated around 203 billion rs. in 2013 and it is expected to reach 6480 billion rs. in the year 2020. The growth rate has touched 85 percentage mark. India has secured position in top 10 countries list of e-commerce chosen by online buyers. Indian e-commerce is emerging as the biggest B2C marketplace of Asia and by 2020 it is likely to appear as the central point for startups, investors and entrepreneurial activities.With the exponential growth in internet and online infrastructure, it is no surprise that the e-commerce market in India experienced a similar boost. Increasing rates of internet penetration, along with an increasing share of the organised sector within retail markets created the strong foundation that e-commerce needs.Policy from the government had strengthened the market further. This included 100% foreign direct investment in B2B e-commerce. E-commerce made up about 0.71 percentage of India's GDP in 2016. In 2017, it reached to 0.76 percentage.In 2018, it reached to 0.91 percentage and in the year 2019, it reached to 2.2 percentage.

The number of online shoppers across India is as follows:

Table 2. Number of online Shoppers in India

Year	No. of online Shoppers (in millions)
2013	20
2014	28
2015	39
2016	65
2017	90
2018	140
2019	178

Source-IAMAI, Detroit Analysis.

Key drivers of e-commerce in India:

1. Large percentage of population subscribed to internet and 4G across the country.
2. Availability of much wider product range.
3. Explosive growth of smartphone users.
4. Competitive prices compared attractive to the consumers.
5. Rising standard of living.
6. Increased use of online sites.

Conclusion - E-commerce is changing the way of buying and selling of products and services in India.E-commerce is the future of shopping.Due to e-commerce the gap has been reduced between manufacturer and consumer.The rapid use of smartphones and internet indicates that the future of e-commerce industry is bright in India and it will have a positive impact on Indian market.On the other hand, there is a weak cyber security law in India which results in people facing challenges towards e-commerce.

References:-

1. Chakraborty KD, Chatterjee D.- E-Commerce BB. Kundu Grandsons, Kolkata, 2011.
2. Nisha Chanana and Sangeeta Goel-Future of E-Commerce in India
3. Dr. Gangadhar Ramarao Bhutkar-The Challenges and Future scope of E-commerce in India, 2018.
4. www.emarketer.com
5. www.wikipedia.org.

****

हमारे पर्यावरण में समुद्री प्रदूषण और रोकथाम के उपायों का विवेचनात्मक अध्ययन

श्रीमती सुशीला देवी परमार *

प्रस्तावना – पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर फैले हुए उस वातावरण एवं परिवेश से है, जिससे हम घिरे रहते हैं। प्रकृति में विद्यमान समस्त जैविक तथा अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण की रचना करते है। अर्थात जल, वायु, भूमि, सूर्य प्रकाश, वनस्पति, जन्तु, मानव इत्यादि पर्यावरण के घटक या तत्व हैं। ब्रह्माण्ड में संभवत: पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा खगोलीय पिण्ड है, जहाँ जीवन के अनुकुल प्राकृतिक दशाएँ पायी जाती है। इसी कारण यहाँ जीवों का विकास सम्भव हो सका है। स्थल, जल एवं वायुमण्डल तीनों में ही जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। पृथ्वी पर सजीवों (वनस्पति एवं प्राणी) के निवास क्षेत्र को दो जीव मण्डल (Biosphere) कहते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत पर्यावरण के समस्त भौतिक व जैविक घटक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में परस्पर सम्बद्ध है। जल, वायु, मृदा, सूर्य प्रकाश आदि भौतिक घटक जीवों की उत्पत्ति व विकास के लिये अनुकूल दशाएँ प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर जीवन की निरन्तता के लिये जीवन के इन आधार तत्वों का एक निश्चित अनुपात तथा सन्तुलन बने रहना आवश्यक है। इनमें आंशिक परिवर्तन होने पर एक सीमा तक जीव अनुकूलन (Adaptation) कर लेते हैं, किन्तु वृहद स्तर पर होने वाला परिवर्तन जीवों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। याने कि पर्यावरण के संरक्षण में ही हमारा सुरक्षित भविष्य निहित है।

पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा – पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के 'Environment' का हिन्दी अनुवाद है जो दो शब्दों Environ तथा Ment से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्रमश: घेरना (Encircle) तथा आस-पास से (Surroundings) होता है। अर्थात् पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, आस-पास से घिरा हुआ। अन्य शब्दों में, जो कुछ भी हमारे चारों ओर है या हम जिन चार दिशाओं से घिरे हुए हैं, वही पर्यावरण है। कुछ विद्वानों ने "Environment" शब्द के स्थान पर "Milieu" या "Habitat" शब्द का प्रयोग भी किया है। जिसका अभिप्राय भी चतुर्दिक दशाओं का कुल योग या समस्त पारिस्थितिकी होता है। अनेक विद्वानों ने पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया है :-

1. **ए.जी. टांसले के अनुसार-**'प्रभावी दशाओं का वह सम्पूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं, पर्यावरण कहलाता है।'

2. **आर.एम. मैकाइवर के अनुसार-** 'भू-पृष्ठ तथा उसकी समस्त प्राकृतिक दशाएँ- प्राकृतिक संसाधन (भूमि, जल, पर्वत, मैदान, खनिज, पादप, जन्तु आदि) तथा प्राकृतिक शक्तियाँ जो पृथ्वी पर विद्यमान होकर मानव जीवन को प्रभावित करती है, पर्यावरण के अन्तर्गत आती है।'

3. **एम.जे. हर्सकोविट्ज के अनुसार-** 'पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है, जो भू-पृष्ठ पर जैविक तत्वों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं।'

4. **एच. फिटिंग के शब्दों में -** 'जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है।'

उक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर हम कह सकते है कि पर्यावरण किसी एक तत्व का नाम न होकर उन समस्त दशाओं या तत्वों का योग है, जो कि सजीवों के जीवन और विकास को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जलीय प्रदूषण में समुद्र, नदी, तालाब, कुओं आदि अनेक स्थानों का जल आता है मैंने समुद्र के जल को लिया है।

समुद्री प्रदूषण (MARINE POLLUTION) – पृथ्वी के तीन-चौथाई भाग पर जल का विस्तार है। जलवायु दशाओं को नियन्त्रित करने वाले महासागरों में जलीय वनस्पति एवं जन्तुओं का विशाल साम्राज्य है। बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए महासागर भविष्य में मानव को जलापूर्ति के समुख स्त्रोत बन सकते हैं। प्रकृति प्रदत्त-ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन की स्वच्छता के प्रति सजग रहना आवश्यक हैं। दीर्घ काल तक यह भ्रामक धारणा रही हैं कि अथाह जलराशि के स्त्रोत महासागरों में कुछ भी डाल दिया जाए, आत्मसात कर लेते हैं, किन्तु समुद्री जल का प्रदूषण आज प्रमुख समस्या बन गया है।

जब प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों से समुद्री जल की रासायनिक, भौतिक व जैविक गुणवत्ता में हास आए तो उसे समुद्री प्रदूषण कहते हैं। सामान्य शब्दों में बाह्य तत्वों के मिश्रण से समुद्री जल के प्राकृतिक स्वरूप में ऐसा परिवर्तन आए जो जीव जगत पर हानिकारक प्रभाव डाले, समुद्री प्रदूषण कहते हैं।

समुद्री प्रदूषण के स्त्रोत – समुद्रों मे प्रदूषण अनेक स्त्रोतों से होता है, जिनमें प्रमुख निम्न हैं :-

1. **प्राकृतिक स्त्रोत-**अनेक प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप समुद्री जल में विभिन्न पदार्थों के समावेश से जल की गुणवत्ता मे हास होता है। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली राख, लावा, गैसें व रसायनों युक्त अत्यन्त गरम जल समुद्र को दूषित करते हैं। समुद्रतटीय भागों में लहरों से होने वाले अपरदन तथा नदी जल के साथ आने वाले हानिकारक घुलनशील पदार्थ, समुद्री जल की गुणवत्ता में परिवर्तन लाते है। मृदा, पादप एवं जन्तु भी जल को प्रदूषित करते हैं। समुद्री जल में प्राकृतिक रूप से शुद्ध होने की क्रिया के कारण उक्त अशुद्धियाँ कुछ समय बाद स्वत: दूर हो जाती हैं या घट जाती हैं। अत: इनके हानिकारक प्रभाव सीमित होते हैं।

2. **मानवीय स्त्रोत –**मानवीय क्रियाकलाप समुद्री जल के प्रदूषण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी हैं। इनमें प्रमुख निम्न हैं :-

(i) **औद्योगिक अपशिष्ट-** समुद्री तटों पर स्थित उद्योगों से निकलने

* शोधार्थी (हिंदी) हिंदी अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)भारत

वाले अपशिष्ट पदार्थ निरन्तर समुद्रों में मिलते रहते हैं। समुद्री जल में किसी एक तत्व के सान्द्रण में वृद्धि के कारण पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होती है। नदियों मे छोड़े जाने वाले औद्योगिक व कृषि अपशिष्ट भी अन्ततः समुद्रों में मिलकर उन्हें दूषित करते हैं।

(ii) **वाहित मल व कूड़ा करकट –** तटवर्ती भागों में स्थित नगरों की विशाल जनसंख्या द्वारा विसर्जित मल-जल व कूड़ा-करकट समुद्रों मे मिलता है। इसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा होता है। नगरीय घरेलू अपशिष्ट के समुद्रों में निस्तारण से प्रदूषण फैलता है। जहाजों से निकलने वाला मल-जल व अपशिष्ट पदार्थ भी समुद्री जल में मिलता है।

(iii) **जल परिवहन –** जल परिवहन सस्ता होने के कारण प्रायः भारी पदार्थों का परिवहन जहाजों से ही होता है। परिवहन के दौरान जहाजों के तेल का रिसाव होना सामान्य है। जल की सतह पर फैलने वाला तेल समुद्रों में प्रदूषण का प्रमुख स्त्रोत है। खनिज तेल प्रायः समुद्री मार्गो से ही ढोया जाता है। प्रतिवर्ष लगभग 21 मिलियन बेरल तेल समुद्र में गिर जाता है। तेल टंकियों को समुद्रों मे धोने से भी प्रदूषण फैलता है।

(iv) **खनिज तेल क्षेत्र व शोधनशाला –** समुद्रों से बड़ी मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है। भारत में 'बोम्बे हाई' अरब सागर में स्थिति प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं समुद्रों व तटीय भागों में स्थित तेल के कुओं तथा तेल शोधनशालाओं से निकलने वाला तेल समुद्रों में मिलता रहता है।

(v) **रेडियो सक्रिय पदार्थ –** समुद्री प्रदूषण का एक कारण हानिकारक रेडियो सक्रिया पदार्थो के अवशिष्ट या परमाणु कचरे का समुद्रों में फेंका जाना है। समुद्रों में किए जाने वाले परीक्षणों से बड़ी मात्रा मे रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है।

(vi) **दुर्घटनाएँ –** प्रति वर्ष अनेक जहाज व तेलवाहक जलयान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या तूफान मे फंसकर डूब जाते है। परिवहन एवं ईंधन हेतु उनमें भरा तेल समुद्र के विस्तृत क्षेत्र को प्रदूषित करता है। दुर्घटनाग्रस्त जलयानों व युद्धपोतों में अनेक हानिकारक रसायन, मशीनें व हथियार भी होते हैं, जो जलमग्न होकर दीर्घकाल तक प्रदूषण फैलते है।

समुद्री प्रदूषण का प्रभाव – समुद्री प्रदूषण के कुछ तात्कालिक तो कुछ दूरगामी दुष्परिणाम होते है। इनमें प्रमुख निम्न है :-

1. ऑयल टैंकरों व जलयानों से रिसता हुआ तेल बड़ी तेजी से समुद्री सतह पर फैल जाता है, इसे 'ऑयल स्लिक' कहते है। समुद्री सतह पर जमा तेल की परत के कारण जल में ऑक्सीजन का आदान-प्रदान रूक जाता है तथा समुद्री जीव मरने लगते है। सतह पर फैले तेल में आग लग जाने पर स्थिति और भी भयावह हो जाती है। तैलीय प्रदूषण से समुद्री चिड़ियाओं की सर्वाधिक मुत्यु होती है। तेल के फैलाव से प्रतिवर्ष लगभग 30 हजार से लेकर 2.5 लाख पक्षी मर जाते हैं।
2. समुद्रों में डाले जाने वाले हानिकारक रसायनों के जीवों की खाद्य श्रृंखला में प्रवेश के दूरगामी दुष्परिणाम होते है। समुद्रों मे फेंका जाने वाला प्लास्टिक कचरा प्रतिवर्ष 20 लाख से अधिक पक्षियों, एक लाख समुद्री स्तनधारी जीवों तथा अनगिनत मछलियों को अपना शिकार बनाता है। प्लास्टिक समुद्री जीवों को बारम्बार मारने के लिए समुद्र में लम्बें समय तक विद्यमान रहता हैं। यह समुद्री जैव विविधता को बड़ा खतरा है।
3. विषाक्त रसायनों व हानिकारक औद्योगिक अपशिष्टों जैसे सायनाइड, पारा, सीसा आदि के जलीय जीवों मे प्रवेश कर जाने पर संक्रमित समुद्री भोजन से मानव स्वास्थय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 1950-60 के दशक में जापान तट के निकट मिनामाता खाड़ी में पारायुक्त अपशिष्ट पदार्थों के कारण अनेक लोगों की मुत्यु हो गई थी। हाइड्रोकार्बन व बेन्जपाइरिन के भोजन श्रृंखला में संचयन होने पर, समुद्री जीवों का सेवन करने वाले मुनष्यों में केसर का खतरा बढ़ जाता है।
4. समुद्री सतह पर फैले तेल को साफ करने के लिए जिन डिटरजैण्ट व रसायनों का प्रयोग किया जाता है, वे भी समुद्री जीवों पर हानिकारक प्राभव डालते हैं।
5. प्रदूषण से मात्र समुद्री प्राणियों की ही नहीं अपितु समुद्री वनस्पति की भी हानि होती है। जल में व्याप्त गन्दगी व रसायनों के कारण पादपों मे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। तैलीय रिसाव के कारण एरोमेटिक हाइड्रोकर्बन समुद्री वनस्पतियों के ऊतकों में प्रवेश कर जाते है तथा उनकी वृद्धि को अवरूद्ध कर धींरे-धींरे समाप्त कर देते है। समुद्रों मे प्रदूषण के कारण तटवर्ती मेग्रूव वन नष्ट होते जा रहे हैं, जिससें तटीय अपरदन बढ़ रहा है।
6. प्रदूषित समुद्री जल में स्नान से अनेक चर्मरोग हो जाते हैं।
7. समुद्रों के प्रदूषण से मछुआरों की आजीविका व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
8. समुद्रों मे गन्दगी बढने से समुद्री पर्यटन पर विपरीत प्रभाव पडता है।

समुद्री प्रदूषण को रोकने के उपाय या समाधान – समुद्री प्रदूषण के व्यापक दुष्परिणामों को देखते हुए इस पर प्रभावी रोक आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय कारगर हो सकते है :-

1. जहाजों से तेल के रिसाव को रोका जाये।
2. हानिकारक अपशिष्टों को उपचारित करने के बाद ही समुद्रों मे डाला जाये।
3. दुर्घटनावश समुद्रों में तेल का फैलाव होने पर इसे तुरन्त अवशोषित किया जाए। इस दृष्टि से आर्थोविक्टर का सफल उपयोग किया गया है।
4. समुद्रों मे परमाणु परीक्षण नहीं किए जाये।
5. संचयी विष वाले रसायनों तथा परमाणु कचरे को समुद्रों मे डालने पर रोक लगाई जाये।
6. पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रित प्लास्टिक पर नियन्त्रण रखें तथा कम से कम प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करें। प्लास्टिक कचरा समुद्रों में नहीं फैका जाये।
7. समुद्री तटों को स्वच्छ रखकर मेंग्रूव वनों को बचाएं, ताकि वे चक्रवात से हमारी तट रेखाओं की सुरक्षा कर सकें।
8. सर्वसाधारण को समुद्रों के लाभ व महत्व से अवगत कराया जाये ताकि प्रदूषण नियंत्रण में जनसहभागिता प्राप्त हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पर्यावरण अध्ययन, डॉ. रतन जोशी, 1960, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा
2. पर्यावरण और पारिस्थितिकी, डॉ. बी.पी. राव एवं डॉ. वी.के. श्रीवास्तव, 2006, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर
3. पर्यावरणीय अध्ययन, स. डॉ. त्रिभुवननाथ शुक्ल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल
4. पर्यावरण अध्ययन, साविन्द्र सिंह, 1995, प्रयाग पुस्तक भवन
5. मानव और जैव मण्डल, डॉ. राजमल लोढ़ा एवं श्री दीपक महेश्वरी, 1998, हिमांशु पब्लिकेशन्स, दिल्ली
6. संवृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र, डॉ. जे.पी. मिश्रा, 2009, साहित्य भवनपब्लिकेशन्स, आगरा

****

ऑनलाईन शिक्षा की जरूरत एवं चुनौतियाँ

डॉ. वी. पी. मीणा *

प्रस्तावना - 'यथार्थ शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरो पर खड़ा कर सके।' -स्वामी विवेकानंद

कोरोना वायरस ने अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के अलावा जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है, वह है शिक्षा व्यवस्था। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्चस्तरीय शिक्षा लगभग ठप्प सी हो गई थी। विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों ने तकनीकि माध्यमों जैसे- जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम, स्काइप जैसे प्लेटफॉर्मो के साथ-साथ यूट्यूब, वॉटसएप आदि माध्यमों से ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प अपनाया, जो इस संकट काल में एक मात्र रास्ता था। लेकिन क्या सचमुच ऑनलाइन शिक्षा परंपरागत कक्षीय शिक्षा का समुचित विकल्प है और भारतीय परिवेश के अनुकूल है ?

भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य यथा- व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का उत्तरोत्तर विकास है। परंपरागत तरीके से शिक्षण यानि कक्षा अध्यापन में विद्यार्थियों के सामने सिर्फ ज्ञान ही नहीं उडेला जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया सतत् चलती रहती है। कक्षा का वातावरण, शिक्षक का आचरण, शैक्षणिक परिसर की विविधतापूर्ण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विभिन्न विषयों के छात्रों का आपस में विचारों का आदान प्रदान, विभिन्न शैक्षणेत्तर गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऑनलाईन शिक्षण पद्धति में उपरोक्त चीजें नहीं के बराबर अथवा बहुत कम मात्रा में सम्भव है।

शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज कल्याण है। यह सर्वविदित है कि व्यक्ति ही वे ईटें है, जिनसे मिलकर समाजरूपी भवन का निर्माण होता है अगर व्यक्ति रूपी ईंट में ही गड़बड़ है तो उनसे बने समाजरूपी भवन की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिये जरूरी गुण सह-अस्तित्व, सामूहिकता एवं सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित न हो पाये तो समाज भौतिक स्तर पर भले ही सम्पन्न हो जायें लेकिन उसमें अनेक विसंगतियां होगी और जो भयानक सामाजिक समस्याओं को जन्म देगी।

शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ज्ञान का विकास- की पूर्ति कुछ सीमा तक आनलाईन शिक्षण के माध्यम से संभव है। इसमें सैद्धान्तिक ज्ञान हासिल तो होगा लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा एवं कानून जैसे विषयों की पढ़ाई तो व्यावहारिक ज्ञान के बिना संभव नहीं है। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य रोजगार प्राप्ति भी है। लेकिन विशुद्ध ऑनलाईन शिक्षण इसमें भी ज्यादा कारगार सिद्ध नहीं होगी। कार्यविविधता के इस मौजूदा दौर में सैद्धान्तिक ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान और सामाजिक दक्षता को तवज्जों दी जाती है। जो ऑनलाईन शिक्षण के द्वारा संभव नहीं है।

अमेरिका, यूरोप के देशों में भी जहां एक दशक पूर्व से ही जीवन का एक क्षेत्र ऑनलाईन संचालित है, वहां भी उच्च शिक्षा की बहुत अधिक फीस होने के बावजूद विद्यार्थियों की यही इच्छा होती है कि वे कक्षा अध्यापन के माध्यम से पढ़ाई करें। भारत में भी 99 फीसद अभिभावक चाहते है कि उनके बच्चों की पढ़ाई कक्षा अध्यापन के माध्यम से ही हो।

शिक्षा पर 2017-18 में नेशनल सेम्पल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 24 फीसद भारतीय परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है। ग्रामीण इलाकों में 15 फीसद और शहरी क्षेत्र में 42 फीसद परिवार ही इंटरनेट सेवा का उपयोग करते है। ऑनलाईन शिक्षण के लिये कम्प्यूटर को सबसे अच्छा माना जाता है। एक अध्ययन के अनुसार केवल 24 फीसद भारतीय के पास स्मार्ट फोन है। जबकि केवल 11 फीसद परिवारो के पास डेस्कटाप, लेपटॉप, नोटबुक या टेबलेट जैसी कम्प्यूटर डिवाईस है। क्यूएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में घर पर ब्राडबेंड इस्तेमाल करने वाले 3 फीसद लोगों ने केबल कट का सामना किया है। 53 फीसद लोगों को खराब कनेक्टिविटी से दो चार होना पड़ा है। 32 फीसद को सिंग्नल की समस्या झेलनी पड़ी है। मोबाईल डाटा के मामले में 40.2 फीसद लोगों ने खराब कनेक्टिविटी का दौर झेला है, जबकि 56.6 फीसद लोगों को लो सिंग्नल की समस्या का सामना करना पड़ा है। 20 फीसद सबसे गरीब परिवारों में से सिर्फ 2.7 फीसद परिवार ही कम्प्यूटर तथा 8.9 फीसद परिवार इंटरनेट सेवा का उपयोग करते है। जबकि 20 फीसद सबसे अमीर परिवारों में यह आंकड़ा क्रमश: 24.6 फीसद और 50.5 फीसद है।[2] इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन शिक्षण का विशेष अनुभव न होना एवं विद्यार्थियों को इसके अनुरूप ढालना, पाठ्यक्रम की असमानता, कई विषयों में छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा की आवश्यकता होना भी एक बड़ी चुनौती है।

भारत में इंटरनेट की स्पीड भी एक बड़ी समस्या है। ब्राडबेंड की स्पीड का विश्लेषण करने वाली कम्पनी ऊकला की एक रिपोर्ट के मुताबिक सितम्बर 2019 में भारत मोबाईल इंटरनेट स्पीड के मामले में 128वें स्थान पर था। भारत में डाउनलोड स्पीड 11.18 mbps और अपलोड स्पीड 4.38 mbps रही है। ऐसे में ऑनलाईन शिक्षण के दौरान समस्या आना स्वाभाविक है।4 हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक सर्वे के अनुसार केवल 37 फीसद छात्रों ने कहा किवे ऑनलाईन कक्षाएँ ले सकते है वहीं 90 फीसद विद्यार्थीयों ने कक्षा में लेक्चर लेने को तरजीह देने की बात कही है। यहां तक कि देश के बड़े

* सह प्राध्यापक (वाणिज्य) बीकेएसएन गवर्नमेंट कॉलेज, शाजापुर (म.प्र.) भारत

तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी के 10 फीसद से अधिक छात्र–छात्राओं ने कहा कि खराब कनेक्टिविटी और अपर्याप्त डेटा के कारण ऑनलाईन क्लास नहीं ले सकते और न ही स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते है।

यद्यपि ऑनलाईन शिक्षण में कई चुनोतियाँ विद्यमान है, लेकिन फिर भी उन कामकाजी लोगों के लिये जो नियमित कक्षा अध्यापन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते है, यह बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त गरीब एवं सुदूर इलाकों के छात्र जिन्हें बहुत अच्छे शिक्षक एवं समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, उनके लिये श्रेष्ठ संस्थानों द्वारा तैयार की गई ऑनलाईन अध्ययन सामग्री एवं विडियों लेक्चर वरदान साबित होगें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार किये गये ई–लर्निंग प्लेटफार्म जैसे स्वयं, दीक्षा, शौधगंगा, ई पीजी पाठशाला, नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन आदि बहुत उपयोगी है। कक्षा अध्यापन की एक सपोर्टिंग टूल के रूप में इन्हें अपनाना नि:संदेह लाभकारी होगा। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाईन शिक्षा एक जरूरत है। लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास के लिये परम्परागत कक्षा अध्यापन के सहायक के रूप में ही यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी न कि उसके विकल्प के रूप में। यहां पर मैल्कम फोवर्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि **'शिक्षा का मकसद एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करना है। दरअसल खुला दिमाग ही बदलावों को पूर्ण विश्वास के साथ गले लगा पाता है।'**

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. दैनिक समाचार नई दुनिया इन्दौर संस्करण का पृष्ठ क्रमांक 6 दिनांक 07.05.2020
2. दैनिक समाचार नई दुनिया इन्दौर संस्करण का पृष्ठ क्रमांक 5 दिनांक 13.07.2020
3. www.orfonline.org
4. www.patrika.com

****

Theme of Sex and Lesbianism in the Novels of Shobhaa De

Pratibha Sharma*

Introduction - Shobhaa De is a modern Indian novelist writing in English and a columnist who has the gift of exploring the subdued depths of women psychology. She was born in Maharashtra in India in 1948 and was educated in Delhi and Bombay. She obtained a degree in psychology from St. Xavier's College, Bombay and began a career in Journalism in 1970. Since then, she has founded and edited three popular magazines-Stardust, Society and Celebrity – and has also been Consulting Editor to Sunday and Mega City. She is presently a freelance writer and columnist for several newspapers and magazines including The Times of India, The Statesman and The Sunday Observer.

She is mother of six children and she lives in a posh colony in Mumbai with her second husband Dilip De. Her erotic matter in her novels has invited criticism as there are naked pictures of sex and lesbianism in her novel. Shobhaa De's novels are not only the pictures of city life and manners but, to some extent, these works are influenced by her life also. These are reflections of what she thinks about her society. Her own views and thoughts have been poured down by her in the form of novels. Bhaskar A. Shukla contends on this,

"Shobhaa De voices against the males culture and strongly detects the marginalization of women. She does not believe in describing her women characters as love-slaves or bitches or mere helpmates at home. In her novels she presumably mirrors her own feminist and sexist mindset" (Shukla 115).

She is the first among the feminists who lifted the condition of modern elite females of contemporary India. An alliance with a man grants a woman heterosexual privileges, many of which are redefined by the law; religion and families. But, the woman has to pay its price at her own cost, since she has to destroy herself, her voice, intellect, and personal development, for a man's need, in these alliances. Thus, Shobhaa De rejects compulsory heterosexuality and suggests woman to woman relation or lesbianism is better than man to woman relationship, which she has depicted in her novels.

She also refuses to participate in the game of competition for man. She confronts her own sexuality and challenges the norms placed upon her by culture or society.

The women in her novels are different from the ordinary traditional ruralwomen. They belong to city-life and of high status. They have their own way of living their life.They prefer to live with no restrictions and free from all kinds of clutches of patriarchal rulesprevalent in the rural society. Narender Kumar Neb in her article "Shobhaa De: To Read or Not toRead" says,

"De's treatment of female sexuality gives the impression that she propagates free sexand macho female behavior as a means of women's emancipation. But the reality is different andDe's real concerns are rather otherwise. Her Prime concern is to expose the futility andof such kind of pseudo feminist behavior" (Neb 163).

Her novel Uncertain Liaison is a collaborative product ofKhushwant Singh and Shobhaa De. Khushwant Singh has edited this novel. Sex is a dominanttheme in it. This novel projects, like almost all of her novels, the pictures of high class peopleand their society. Extra-marital affairs, rape and unsuccessful married-life is the main theme ofthe novel. Marriage is not a social issue in these big cities and it is like a property contract which has no association with each other's feeling. In the man dominated-society, men have theirrelations out of their homes and keep wives only for a social status. These wives live their livesin frustration and there is no other option left for them.See in the novel Uncertain Liaisons how sex has become the requirement of rich ladies whenthey say that

"Sex is no longer the most dreaded and despised two three lettered word in India."(De 208)

In the novel Starry Nights the protagonist is Asha Rani who is a dark and chubby girlwho has to strive to become a star. Her mother pushes her into the act of making the blue –filmsand this way her mother sells her when Asha was not even in her teens. Asha Rani falls in lovewith a married actor named Akshay Arora who is already married and she enjoys with him onthe bed though she know that he is a married man. She does not care for the sarcastic commentspassed by Akshay's wife, Malini. Asha Rani becomes the heartthrob of millions and findspleasure in men and sex. Not only this, she derives pleasure in destroying men. She uses bed asher weapon to defeat the men. The men who once share bed with her cannot forget

*Ph.D. Scholar, APSU Rewa (M.P.) INDIA

her. Shesuccessfully copulates with Amar, Kishenbhai, Akshay Arora, Abhijit, Jay, Jojo and seduceseven her father's friend in a plane named Gopalakrishnan. She finds bed as a battle field and triesher best to defeat her sex partner and each time it is she who wins. She has her sexual-relations with any man of whatever age. Age isno bar for her. She is so sex-starved that she does not spare Amar, a young star almost of herson's age. He is also very passionate to have relations with her since they were together in amovie. Asha Rani herself has recommended his name to the directors to cast him opposite her inthat movie. He has the intension to complete the scene which could not be completed in real life.He says in Starry Nights (1991),

"Look, remember, that scene in our movie- where the directorcut to a bolt of lightning just when our lips were to meet? I'm like suffering from continuityproblem. Could I…….that is…" (SN 129)

Asha Rani falls in love with Akshay Arora, a father oftwo children and turns deaf ears to the abuses of Akshay's wife publically. She is hungry forAkshay and his body. She gets him in monsoon when she is going for shooting and comesacross Akshay in the traffic. She cancels her program and persuades Akshay for love-making. Then they both go in Holiday inn to enjoyuninterrupted sex. This love making has been described different from the usual love-making, "Their love making was different. No biting, clawing or unfrenzied passion. Akshay was gentle and frenzied. Asha Rani didn't feel much like a tigress herself. They hardly spoke" (SN 102).

Asha Rani is not like a traditional woman who is shy and timid. She initiatesin the love-making with Akshay. As men devise various methods to please women, she usesvarious tricks to excite him and give him the pleasure of sex for which Akshay hovers aroundher. She finds Seth Amirchand, Linda who is lesbian, Abhijit Mehra who the son of an industrialist, Jojo,the producer of her film and marries a New Zealander named Jamie Phillips (Jay) and has a childwith him. But her relationships don't have a stop here. When she flies back to New Zealand andshe meets a man named Gopalakrishnan. She has sex with him in the bathroom of the plane.

Strange Obsession is the story of the gorgeous young and simple girl, Amrita Aggarwal whohas come to Mumbai to fulfill her dream to be a model. But very soon of her arrival in Mumbai,she finds the things changed for herself when one day, she attracts the attentions of a mysteriouswoman called Meenakshi or Minx who is a lesbian lady. She falls in love with her sopassionately that makes her life hell. There are numerous instances of lesbianism in this novel.Minx has sex with Amrita and exploits her. The images of nakedness have been used profuselyhere in this novel,

"She was not wearing the bra. She never did. Amrita had seen her taut nipplethrough the form-fitting, sweat shirt she frequently wore. Guiding her hand, she traced a lineover a jagged scar which began under her breasts and went all the way under the armpit (SO 92).

T here are absolutely such images of sex and nakedness in this novel which are indigestible.Again,

"Minx removed her clothes one by one and placed them neatly on the chair close to thebed. Amrita was suddenly conscious, very conscious, of Minx's touches…She felt her legs openas almost voluntarily as Minx climbed upon her straddling her slim hips with her own, coveringher breasts with her hands, cupping the nipples and circling them repeatedly till they ached witha sweet pain (SO 97).

The novel Sisters tells about the sexual obsession of one woman for another. In thisnovel Shobhaa De's women have been described pleasure-seeking women in the company ofhusbands. Women think that they have all what men expect from them. Shobhaa de goes to theextent of limitless in portraying the sexism and nude pictures. A newly-wedded wife's joy on thebed has been depicted by Shobhaa De in the novel Sisters. The honeymoon scene of Mikki andBinny Malhotra has very romantic pictures and the description of breasts brings forth an eroticimage in the novel,

"He bathed her in a bottle of Champaign, he messaged her with bath oil, and hepoured a flacon of Joy on her limbs and crushed rose petals between her breasts." (S 175) Thisimage of sex is further intensified by the words she used for the portrayal of honeymoon scene,

"His expertise and imagination were boundless as he excited her in a hundred different ways,touching, licking, nibbling, sucking…… he turned her over, he stood her up, he had her on allfours, and he even had her upside down with blood rushing in a gush into her head. It was unreal,pleasurable, but also a little frightening" (S 175). Mikki loves Binny and she is ready to do what her husband likes and whatgives him pleasure,

"If this was what his man wanted, if this was what made him happy, shewould give it to him. She would give him every bit of herself, her body, her mind, her soul. Shewas in love with her" (S 175).

Shobhaa De describes in this novel that a modern girl gets sexpleasure even before marriage. Mikki gets sexual pleasure from her husband, Binny Malhotrabefore marriage and after getting sexually satisfied she gets married with him. According toShobhaa De a woman get pleasure even when she is not mentally ready for it and surrendersherself to a man against her wishes. Here is the depiction of this kind of sex in the novel Sisters(1992),

"Mikki didn't have time to do anything but savor the myriad physical sensationssweeping over her pliant body as she surrendered to this man who was now her husband. Therewas no resistance left. And she was happy. And they had broken all the rules and every taboothat she had ever known. She felt liberated, uninhibited and aroused to the point of primitiveabandon" (S 175)

Shobhaa De's novels both Sultry Days and Snapshots have a dominant themeof sex. De's women are not limited

to their homes but they are the women of the outside worldwho have tasted the fruit of outer society. Her novel Sultry Days is a story of a call-girl namedNisha who has a different nature and she does only what her mind says. She does not think aboutthe society or the social taboos. She follows her natural instincts though she is in her mid-forties and makes her own rules. She does not live life according to her husband and thus does what shewants. In this novel on a sultry rainy day Nisha, an impressionable teenager, meets God in thecollege canteen and falls in love with him but one day God gets angry with her and tells her that

"One bitch is as good as another" (SD 252)

Shobhaa De's women are not again the ordinary women. In her next novel Snapshots theyhave a different way of thinking. In their opinion, sex is not a thing of shame for a lady rather itis a thing to celebrate. This quote from the novel authenticates this statement from her novel,

"Sex is no longer the most dreaded and despised three-lettered word in India is enough tocelebrate" (SD 3)

The women in this novel are not the followers of the rituals, customs andtraditions of India. They frankly talk about love and sex by snubbing the sexual morality. Theygo for their own pleasure, needs and desires. Sexual pleasure has been described as necessary fora woman as food for them. The very first sentence of the novel describes it clearly, Prem likedto make love in public places" which better describes that women don't bother of the societalbondages. In the novel Snapshots, Reema has physical relationships with her brother-in-law Randhirand she gives him all sexual pleasures when he comes to India from America. But she is not inlove with Randhir, she does all this for the sake of sex and pleasure. Nude pictures of love, sexand lust have been depicted in this novel,

"Reema shut her eyes and put her arms aroundRandhir. The feel of his smooth bare back under her fingers made her tingle all over and she felther body unwinding gradually. She moved her hips, shyly at first, and then with a rhythm thatwas aggressive and insistent. She arched herself to receive him better, her breasts straining tomake contact with the rough hairs on his chest" (De 158). Swati is a sexy doll who thinks her body as a tool of pleasure. She isbeyond the boundaries of Indian morality or womanly characteristics. She derives pleasure inhaving sex. This statement of Swati in Snapshots makes clear the pictures of nudity and shamelessness of Shobhaa De's women,

"We don't dismiss it. We don't find it dirty. Sex doesn'tthreaten us. I'm not afraid to fuck. I feel sorry for all you women hanging on so desperately tooutdated ideas of purity, morality, chastity. It's pathetic" (De 226).

Shobhaa De's women want sex as they want food. In other words, sex is food for them.Sexual desire of males is satisfied inside and outside of house and women live under the fourwalls of the houses in traditional society but Shobhaa De's women enjoy sex less inside and more outside. Bhaskar A. Shukla in his article, "Shobhaa De: The Writer and Feminism" asserts,

"According to Shobhaa De, all people need sex. It is something special, something beautiful,something shared. The woman would get sex on her own terms now" (Shukla 211).

Their suffering makes them to conclude that marriage and all human relationships are just ridiculous.Shivika Verma appreciates De's way of expression and the style she presents her thoughts in her works,

"As a writer she is gifted with extraordinary ability to discuss very sensitive aspects ofhuman life tactfully. That's why she narrates each and every aspect of human life tactfully. Theway she narrates each and every aspect of human relationships is really wonderful" (Verma 191)

To Shobhaa De sex is a natural phenomenon. She elevates the sex to a status of an art or areligion. Shobhaa De' views through her character are very antithetical in nature when she findsregion or piousness in sex,

"Sex is not filthy …our mind makes it so. Look at Khajuraho,Konark…have any of you studied the Kama Sutra? Fascinating. It is a pity, we got brainwashedby some frustrated, repressed idiots. I think sex is a celebration— the highest form of religion (De115).

Conclusively it can be sad that Shobhaa De is a multi-faceted novelist who is much sensitivetowards her society and tries to pen down what she sees in the society in which she lives andworks. She has given the all kind of taste in her novels through her different female characters.But one thing is common to all these female characters and that is their unsatisfactory married orlove life. They are not satisfied what they have and want more and more in search of pleasure.

References :-

1. De, Shobhaa. Socialite Evenings. New Delhi: Penguin India, 1991. Print.
2. —. Starry Nights. New Delhi: Penguin India, 1991. Print.
3. —. Sisters. New Delhi: Penguin India, 1992. Print.
4. De, Shobhaa& Singh Khushwant. Uncertain Liaisons: Sex, Strife & Togetherness in UrbanIndia. New Delhi: Penguin, 1993. Print.
5. De, Shobhaa. Sultry Days. New Delhi: Penguin India, 1994. Print.
6. —. Strange Obsession. New Delhi: Penguin India, 2005. Print.
7. Neb, Narinder Kumar. "Shobhaa De: To Read or Not to Read".Studies in Women Writers inIndia Volume 5.Edited by Ray, Mohit K. and Kundu, Rama. New Delhi: Atlantic Publisher,2006. Print.
8. Verma, Shivika. "The Novels of Shobhaa De: A Feminist Study". Indian Writings in English, Ed. Mishra, Binod and Kumar, Sanjay. New Delhi: Atlantic, 2006. Print. pp 191-204.
9. Shukla, Bhaskar A. Women on Women: A Feminist Study. New Delhi. Sarup& Sons, 2006.Print.
10. Shukla, Bhaskar A. "Shobhaa De: The Writer and Feminism". Ed. Naikar, Basavaraj S. IndianEnglish Literature. Atlantic, 2007. Print.

धर्म और नैतिकता

के. के. सिंह*

मूल शब्द – नैतिकता, धर्म, भारतीय दर्शन एवं मानवीय विवेक।

भूमिका – नैतिकता धर्म पर आधारित है अर्थात् धर्म पहले हो और उससे नैतिकता निकलती हो एवं धर्म नैतिकता पर आधारित हो अर्थात नैतिकता से धर्म निकलता है। नैतिकता धर्म से पृथक है या नैतिकता स्वायत्र है या धर्म नैतिकता का विरोधी है तथा धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक है और धर्म के लिए नैतिकता जैसे मुद्दों पर यह लेख वर्णन करेगा। यह एक प्रगतिशील राज्य की पहचान बन गई है।

धर्म और नैतिकता दोनों का संबंध मानव जीवन से है। धर्म और नैतिकता दोनों मानव जीवन का नियमन परिष्करण एवं मार्ग दर्शन करते है। धर्म और नैतिकता के मध्य परस्पर संबंध की विवेचना प्रधान पुर्नजागरण काल के पश्चात (बाद में) पाश्चात्य दर्शन में होती है। पुर्नजागरण के बाद स्वतंत्र वैज्ञानिक चिन्तन प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस क्रम में धर्म और धार्मिक प्रत्ययों की सार्थकता की भी विवेचना प्रारम्भ हुई। उनकी तार्किक समीक्षा प्रारम्भ हुई चूंकि नैतिकता का संबंध धर्म के संवेगात्मक पहलू, भावानात्मक पहले से विशेष रूप से माना जाता है। अत: इस क्रम में धर्म और नैतिकता के संबंध में कई दृष्टिकोण एवं मतों का प्रतिपाद हुआ यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारतीय विभेद नही है।

भारतीय दर्शन में धर्म और नैतिकता दोनों परस्पर अवियोज्य (जिसे सूचक या अलग-अलग नहीं किया जा सके) है। अत: भारतीय संबंध में धर्म और नैतिकता के मध्य संबंध की समस्या नहीं उत्पन्न होती है। यहाँ 'धर्म' का तात्पर्य सदाचार, नैतिक मूल्य, स्वकर्त्तव्यपालन आदि से है। यहाँ धर्म के अन्तर्गत नैतिकत कर्त्तव्य सम्मिलित है और ये कर्त्तव्य धर्म पर आधारित है।

वस्तुत: जब धर्म और नैतिकता के मध्य संबंध की बात की जाती है तो वहाँ धर्म का आशय प्राय: ईश्वर आधारित नहीं से होता है। धर्म की प्रचलित पाश्चात्य परिभाषा धर्म के इसी अर्थ पर जो देती है। यहाँ धर्म को परिभाषित करते हुए सामान्यत: ऐसा कहा गया है कि धर्म मनुष्य की वह अभिवृद्धि है जो धार्मिक मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को प्रभावित करती है तथा जो किसी दैवी या अति प्राकृतिक सत्ता को विश्वास के कारण उत्पन्न होती है।

दूसरी ओर नैतिकता रीति-रिवाजों, प्रथाओं नियमों, परम्पराओं, आदर्शो से संबंधित वह सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य मनुष्य के सामाजिक हित के साथ-साथ व्यक्तिगत हित का समायोजन करना है।

धर्म और नैतिकता के मध्य पारस्परिक संबंध के निम्नलिखित सम्भावित पक्ष या आयाम है-

1. नैतिकता धर्म पर आधारित है या धर्म नैतिकता का पूर्वगामी (पहले) है।
2. या नैतिकता का स्रोत धर्म है।
3. या धर्म पहले है नैतिकता बाद में।
4. या नैतिकता धर्म का अन्तगामी है।

अधिकांश ईश्वरवादियों का मानना है कि नैतिकता मूल आधार या उद्गम स्थल ईश्वर है समस्त जीव अंतत: ईश्वरीय नियम है, ईश्वर की आज्ञाएं हैं। ईश्वर द्वारा निर्देशित कर्म शुभ है और ईश्वर द्वारा निषिध कर्म अशुभ है। ईसाई धर्म के दस आदेश इसके साक्ष्य है। इस अवधारणा के समर्थकों में देकार्त, जॉन लॉक, जे.ई. स्मिथ, कार्ल बार्थ इत्यादि उल्लेखनीय है। इस्लाम, ईसाई, यहूदी और हिन्दू परम्परा के अधिकाशं व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं।

इस मत के समर्थकों के अनुसार जिस प्रकार बीज को अंकुरित एवं प्रस्फुटित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीवन के लिए धर्म आवश्यक है। इनका यह मानना है कि धर्म विहीन नैतिकता वास्तव में नैतिकता न होकर अनैतिकता है। ये विचार यह मानते हैं कि कोई वस्तु शुभ इसलिए नहीं है कि शुभ होने के कारण उसी इच्छा करता है, बल्कि वस्तु शुभ इसलिए है क्योंकि ईश्वर उसकी इच्छा करता है। वहीं इन नैतिकता गुणों का मूल आधार है स्पष्ट है कि नैतिकता का मूल आधार धर्म हो जाता।

विशेष- पाश्चात्य विचारक धर्म के केन्द्रीय तत्व के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं। ईश्वर को प्राय: विभिन्न धर्मो में व्यक्तिपूर्ण माना गया है। व्यक्तिपूर्ण ईश्वर के नैतिकता गुण हैं कहीं इन नैतिकता का मूल आधार है। स्पष्ट है नैतिकता का मूल आधार धर्म हो जाता है।

1. धार्मिक न होते हुए भी मनुष्य नैतिकता मूल्य आदेश एवं नियमों का पालन कर सकता है। मानववादी अस्तित्वादी (सार्त्र, हेडेगर आदि) तथा बौद्ध एवं जैन इसका समर्थन करते हैं।
2. यहाँ नैतिकता को धर्म पर आधारित माना गया है। परन्तु धर्म के केन्द्रीय प्रत्यय ईश्वर का अस्तित्व ही प्रमाणविहीन है। ऐसी स्थिति में नैतिकता भी संदेहात्मक होने लगती है।
3. जो कर्म दंड के भय एवं पुरस्कार के लोभ से प्रेरित होकर किए जाते हैं। उन्हें सही रूप में नैतिक कर्म नहीं कहा जा सकता है। इससे मनुष्य के स्वतंत्र संकल्प पर प्रहार होता है।
4. यदि यह मान भी लिया जाय कि अमुक कर्म ईश्वरीय आदेश है तो इससे तर्क संगत रूप से यह नहीं निकलता की हमें उसका पालन करना चाहिए। क्योंकि तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक कथनों को निगमित नहीं किया जा सकता।

अस्तित्ववादी दार्शनिक सार्त्र, हेडेकर ईश्वर के अस्तित्व को नही मानते हैं। नैतिकता धर्म से पूर्व है या नैतिकता की व्याख्या करने के क्रम में धर्म उभरकर सामने आता है या कांट नैतिकता को धर्म से स्वतंत्र एवं स्वायत्र

* परियोजना निदेशक, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

मानते हैं।

कांट नैतिकता को धर्म से स्वतंत्र एवं स्वायत्त मानते हैं। कांट के अनुसार नैतिकता इसलिए शुभ नहीं है कि ईश्वर उसका संकल्प करता है। बल्कि नैतिकता की व्याख्या करने के क्रम में ईश्वरीय अस्तित्व में विश्वास उभरकर सामने आता है। इस प्रकार कांट के अनुसार धर्म का अर्विभाव नैतिकता से होता है। कांट के अनुसार नैतिकता मनुष्य को नैतिक व्यवस्था के रूप में विश्वास के लिए प्रेरित करती है। इसके फलस्वरूप धर्म के केन्द्रीय प्रत्यय ईश्वर का आगमन होता है। यह ईश्वर शुभ संकल्प से युक्त व्यक्ति को उसके शुभ आचरण के अनुपात में आनन्द को प्रदान करता है। यह पूर्ण शुभ की स्थिति होती है पूर्ण शुभ के सद्गुण एवं आनन्द का समावेश ईश्वर ही कर सकता है।

कांट के अनुसार नैतिकता मूलत: आत्मरोपित होती है वाह्य प्रेरित नहीं किसी भी प्रकार के भय या लोभ से प्रेरित होकर किया गया कर्म नैतिक नहीं माना जा सकता। कांट के अनुसार विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आज संकल्प ही शुभ संकल्प है। कांट के अनुसार केवल शुभ संकल्प ही अपने आप में शुभ है। इसका शुभत्व किस परिणाम पर निर्भर नही करता। यही एक मात्र ऐसा रत्न है जो स्वयं अपने प्रकाश से चमकता है क्योंकि या ईश्वर पर आधारित नैतिकता वास्तविक नैतिकता न होकर बाध्यता होगी और ऐसी नैतिकता से संकल्प स्वतिक का खंडन होगा संकल्प स्वतंत्रता के अभाव में नैतिकता संभव नही होगी।

कांट यद्यपि नैतिकता को धर्म से ईश्वर से पृथक मानते हैं। फिर भी कर्तव्यों के सरलता पूर्वक पालन के लिए व्यवहारिक बुद्धि की मांग के अनुरूप ईश्वर की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। कांट के अनुसार मानव के लिए कर्तव्यों का पालन करना आसान नही है। अत: यदि मनुष्य नैतिक कर्तव्यों को ईश्वरीय आदेश मान ले तो उसे कर्तव्य पालन में प्रेरणा मिलती है। स्पष्ट है कि कांट कई के पालन के दृष्टिकोण से ईश्वर को मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक के रूप में स्वीकार किया है।

कांट, 'नैतिकता निरपेक्ष है, वह ईश्वर पर आधारित नहीं है। नैतिकता स्वायत्त है, इसे कर्तव्य मान कर करना चाहिए। किसी लोभ या दण्ड के भय से नहीं'। कांट कहते हैं कि लोभ या भय से किया गया कर्म नैतिक कर्म नहीं कहलाता है।

विशुद्ध कर्तव्य की चेतना :

शुभ संकल्प– कांट नैतिकता को स्वायत्त मानते हैं। कांट का कहना है कि विशुद्ध कर्तव्य की चेतना पर आधारित संकल्प ही गुड विल अर्थात शुभ संकल्प है। शुभ संकल्प में कर्म होता है। लगातार अच्छा आचरण (सदाचार) यह नैतिकता की माँग होती है। यह अच्छा कर्म बिना परिणाम की चिन्ता किये हुए होता है।

तीसरा तर्क– नैतिकता धर्म से स्वतंत्र है, पृथक है। साथ ही धर्म नैतिकता में बाधक है। या धर्म नैतिकता का विरोधी है।

समर्थन में तर्क :

1. धर्म मनुष्य को परलोक मुखी बनाता है। इससे जीवन में पलायनवादिता एवं भाग्यवादिता को बढ़ावा मिलता है।
2. धर्म मनुष्य को ईश्वर की क्रोध, नरक के भय और स्वर्ग के प्रलोभन के माध्यम से, नैतिक सतकर्मों के सम्पादन की बात करता है। इससे मनुष्य के संकल्प स्वतंत्र पर प्रहार होता है। ऐसी स्थिति में नैतिकता की समुचित व्याख्या नही हो पाती।
3. मार्क्स का कहना है कि धर्म अफीम के समान है। यह शोषण और अनैतिकता को प्रोत्साहित करता है। मार्क्स कहते है धर्म गरीबों को उनकी गरीबी में है संतुष्टि प्रदान करता है।
4. सिग्मंड फ्रायड के अनुसार नैतिकता को धर्म से स्वत: करना आवश्यक है क्योंकि धर्म एवं व्याख्यानों पर आधारित है जिन्होंने विधि से सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। चूंकि धर्म के केन्द्रिय प्रत्यय ईश्वर की स्थिति ही संदेहास्पद है। ऐसी स्थिति में नैतिकता पर ही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होने लगता है।
5. मानववादी विचारक जॉन डिवी का कहना है कि परम्परागत धर्मों की अलौकिकता विज्ञान विरोधी है। अलौकिकता व्यक्ति के व्यक्तित्व को विभाजित कर देती है। दैनिक जीवन में विज्ञान की तार्किकता और धार्मिक जीवन में अलौकिकता के प्रति आस्था व्यक्ति के व्यक्तित्व में विरोधाभास पैदा कर देती है।
6. परम्परागत धर्मों में अलगाववादी एवं कट्टरता (साम्प्रदायिकता) को बढ़ावा मिलता है।

यही कारण है कि आधुनिक युग में ऑगस्ट काम्टे, हकस्ले, स्पेंसर आदि विचारकों ने नीति शास्त्र को अलौकिकता से मुक्त करने का प्रयास किया है और उसे प्राकृतिक आधार प्रदान प्रदान किया है। इनके अनुसार वस्तुत: धर्म में जो भी उपयोगी है, मूल्यवान है वह नैतिकता में भी विद्यमान है। अत: आधुनिक विचारक धर्म निरपेक्ष नैतिकता की माँग करते हैं। इनके अनुसार मानवीय विवेक के आधार पर नैतिकता को स्थापित एवं व्याख्यापित किया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ उपयोगिकतावादी विचारक नैतिकता को वैज्ञानिक विकास के अनुभव रूप प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

वर्तमान में धर्मो का रूप विकृत हो चुका है वाह्य या ढांचागत पक्ष प्रधान भूमिका में है परिणामस्वरूप ही आधुनिक विचारक नैतिकता को धर्म से पृथक करने की बात कर रहे हैं।

नैतिकता को धर्म से अलग करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कई बार अनैतिक कार्यो का धर्म से जोड़कर उन्हें महत्व एवं मान्यता प्रदान की जाती है इससे अनैतिकता को बढ़ावा मिलता है। दूसरे मत के खंडन में इस तीसरे मत का प्रयोग करेगें।

चौथा मत– धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं। या धर्म और नैतिकता सह अस्तित्ववान है। या धर्म और नैतिकता अवियोज्य है।

धर्म और नैतिकता एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ एक दूसरे से पूरक कहने का आशय यह है कि धर्म के लिए नैतिकता आवश्यक है और नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक है।

1. धर्म नैतिकता को उचित दिशा प्रदान कर उसे पथ भ्रष्ट करने से बचाता है। उदाहरण के लिए कुरूक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति।
2. धर्म के अभाव में व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थो के दलदल में फस सकता है।
3. यह नैतिक नियमों को ईश्वरीय आदेश के रूप में न स्वीकार किया जाए तो फिर उनका अर्थात नैतिक नियमों का सहणता से उल्लंघन किया जा सकता है क्योंकि ऐसी उल्लंघन की स्थिति में दंड का कोई भय भी नहीं होता है।
4. धर्म नैतिक जीवन के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का कार्य करता है और नैतिक प्रयास की सार्थकता एवं उद्देश्य निर्धारित करता है। धर्म हमें यह विश्वास दिलाता है कि विजय अन्तत: सत्य की होगी। परिणामस्वरूप व्यक्ति सदैव सद्कर्मों में लगा रहता है अन्यथा धर्म के अभाव में व्यक्ति बुरे कर्मो में संलग्न हो सकता है।

5. धर्म नैतिकता को स्थायित्व प्रदान करता है। यदि नैतिकता धर्म आधा न हो तो फिर उसके नष्ट होने का भय सदैव बना रहता है।
6. नीतिशास्त्र के समस्याओं का अंतिम समाधान धर्म में ही होता है। धार्मिक चेतना में ही नैतिक सुख को आध्यात्मिक शुभ के रूप में स्वीकार किया जाता है।
7. धर्म में ही नैतिकता अपनी पूर्णता में साकारित होती है। धर्म के अभाव में नैतिकता के अन्तर्गत आदेश एवं वास्तविकता की खाई सदैव बनी रहती है। जब धर्म में चरम स्थिति (मोक्ष कैवल्य, अपवर्ग, निवार्ण स्थित प्रज्ञ (गति में) की प्राप्ति होती है तो समस्त नैतिक सद्गुण अपनी पूर्णता में साकारित हो जाता है।
8. धार्मिक विश्वास नैतिक अंर्तदृष्टि को विस्तारित करते हैं।
9. प्रो फ्लिंट का कहना है कि नैतिकता के लिए धर्म वैसे ही आवश्यक है जैसे बीज के लिए जल।
10. यदि नैतिकता से धर्म को अलग कर दिया जाय तो फिर इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना कठिन हो जायेगा कि मैं सदैव नैतिक क्यों रहूँ।
11. नैतिकता के उद्गम के लिए किसी दिव्य अनुभवातीत स्रोत की आवश्यकता है ताकि नैतिकता बाह्यकारी एवं वस्तुनिष्ठ हो सके।
12. नैतिकता के लिए धर्म आवश्यक है इस विचार का आधार व्यक्तित्वपूर्ण ईश्वर की मान्यता है। जब ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना जाता है तो वहाँ नैतिक गुणों की बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाती है।

नैतिकता धर्म के लिए आवश्यक है इसके पक्ष में निम्न तर्क दे सकते हैं–

1. यह नैतिकता को धर्म से हटा दिया जाए तो धर्म में शुष्कता एवं निर्जिवता आ जायेगी। नैतिकता केवल सिद्धान्तों का संग्रह मात्र होकर रह जायेगा। नैतिकता ही धर्म को प्रगतिशील बनाती है, उसे परिशुद्ध करती है यदि धर्म में ऐसे ईश्वर की बात की गई है जिसमें आचार या नैतिकता की कमी हो तो धर्म विचारक भी उस ईश्वर को छोड़ देने की बात करते हैं।
2. विभिन्न धर्मो में नैतिक गुणों को ईश्वरी गुणों के रूप में चित्रित किया गया है। ईश्वर परम्परागत धर्मो का केन्द्रीय प्रत्यय है अत: इस रूप में नैतिकता धर्म के लिए आवश्यक है इसी संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि बिना नैतिक प्रत्ययों को जाने हम ईश्वरीय प्रत्ययों को नही जान सकते।
3. गांधी का भी कहना है कि हम जितना शुद्धि का प्रयास करते हैं अपने को ईश्वर के उतना ही करीब पाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. विलियम जे0 वेनराइट : रिलिजियन एण्ड मोरलिटी, रूटलेज प्रकाशन, 2017
2. विलियम एल दोब एण्ड विलियम जे0 वेनराइट : फिलासफी ऑफ रिलिजन : सेलेक्टेड रीडिंग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1998 ISBN- 9780195155112
3. विलियम एल0 रोव : फिलासफी ऑफ रिलिजन, सेनेज लर्निंग प्रकाशन, 2006, ISBN-9781133010425
4. पॉल डब्ल्यू डायनर : रिलिजन एण्ड मोरलिटी : एन इन्ट्रोडक्शन, वेस्टमिनिस्टर जॉन नॉक्स प्रेस, यू0एस0ए0, 1997
5. एलन हैरिस: टीचिंग मोरलिटी एण्ड रिलीजन रूटलेज प्रकाशन, 2018

****

जैन परंपरा में नारी की स्थिति एवं जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में उनकी भूमिका

यामिनी जैन*

प्रस्तावना – मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास में स्त्री व पुरुष दोनों का विशेष महत्व है। इन दोनों में से अगर एक घटक को ही अधिक महत्व दिया जाए तो समाज का सर्वांगीण विकास से नहीं हो सकता है। नारी की स्थिति हर युग में परिवर्तित होती रही है। उनकी अवस्था में वैदिक युग से लेकर आज तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्री को पुरुष के भांति ही सम्मान अधिकार प्राप्त है परंतु समय-समय पर इनके अधिकारों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यापक परिवर्तन हुआ है।

जैन धर्म में सिद्धांत और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से नर-नारी की समानता पर बल दिया गया है। जैन धर्म ने नारी के विभिन्न स्वरूपों जैसे- माता, पत्नी, बहन, सहचर, सखी आदि को श्रद्धा व आदर की भावना के साथ स्वीकार किया गया है। 'बौद्ध और जैन साहित्य में नारी को पुरुष की परम सहचर (सखा) कहा गया है।' नारी के मां रूप के संबंध में कमला जैन ने अपनी पुस्तक नारी जीवन में लिखा है कि 'भगवान महावीर जैसे को उत्पन्न करने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त है।'

जैन धर्म में श्वेतांबर व दिगंबर परंपरा में नारी विषयक दृष्टिकोण में समानता नहीं है। जहां दिगंबर जैन परंपरा नारी के प्रति अपेक्षाकृत अनुदार प्रतीत होते हैं, वही श्वेतांबर परंपरा में नारी की संबंध में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण है। जैन धर्म की स्थापना व विकास में सहयोग देने वाले सन्यासियों, तपस्वियों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ है जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। नारी की महत्ता इससे ही स्पष्ट हो जाती है कि इस धर्म में उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लीनाथ है जो कि एक स्त्री है। हालाकि जैन धर्म की दिगंबर परंपरा में मल्लिनाथ को पुरुष मानकर स्त्री मुक्ति को निषेधा मानती है। 'जैन धर्म के तीर्थंकर का पद सर्वोच्च माना जाता है और श्वेतांबर परंपरा ने मल्ली कुमारी को तीर्थंकर माना है।' इस प्रकार आधयात्मिक के विकास के सर्वोच्च पद पर नारी को आसीन कर नारी गरिमा को महिमामंडित किया है।

जैन महिला तपस्वियों और सन्यासियों को 'आर्यिका' कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी व सुंदरी को जैन धर्म की पहली आर्यिका माना जाता है। इन्होंने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार व स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैन धर्म सदा से ही स्त्री मुक्ति और स्त्री शिक्षा के प्रति सचेत रहा है। जैन धर्म में बताया गया है कि जो नारी अपने कर्तव्य का पालन करती है वह समाज में सदैव की आदरणीय है।

महानिशिथ में कहा गया है कि 'जो स्त्री भय, लोकलज्जा, कुलांकुश एवम धर्मश्रद्धा के कारण कामाग्नि के वशीभूत नहीं होती है, वह धन्य है, पुण्यवती है, वंदनीय है, दर्शनीय है, वह लक्षणों से युक्त है, वह सर्वकल्याण कारक है, वह सर्वोत्तम मंगल है, (अधिक क्या?) वह (तो साक्षात) श्रुत देवता है, सरस्वती है, अच्युता है, परम पवित्र सिद्धि, शाश्वत शिव गति है।'

जैन धर्म में ऐसी अनेक स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म को धारण करते हुए अपना जीवन व्यापन किया है। जैन धर्म में अनेक ऐसी स्त्रियां है जिन्होंने संसार का त्याग कर सिद्धि प्राप्त की तथा जनता को हित का उपदेश देते हुए अपने जीवन को समाज पर न्यौछावर कर दिया। ऐसी साध्वियों में ब्राम्ही, सुंदरी, मृगावती, चंदना, विश्व वारा, घोषा, अपाला आदी साध्वियां प्रमुख है जिन्होंने अपने वैभव को त्याग कर समाज सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है। 'बृहत्कल्पभाष्य में कहा गया है कि जल, अग्नि, चोर और दुष्काल की स्थिति में सर्वप्रथम स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार डूबते हुए श्रमण और भिक्षुणी में पहले भिक्षुणी को और क्षुल्लक और क्षुल्लिका में से क्षुल्लिका की रक्षा करनी चाहिए।'

जैन धर्म में पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी कुप्रथाए विद्यमान नहीं है। जैन धर्म में स्त्री के विधवा होने के पश्चात सती बनने से रोककर उन्हें संघ में दीक्षित होने की प्रेरणा दी जाती है जिससे वह अपना आगे का जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत कर सकें। 'महानिशीथ में एक स्त्री को सती होने का मानस बनाने पर भी अपने कुल परंपरा में सती प्रथा का प्रचलन नहीं होने के कारण अपने निर्णय को बदलता हुआ देखते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि जैन आचार्य की दृष्टि सती प्रथा विरोधी थी।'

जैन धर्म में पति की मृत्यु के पश्चात उसकी मृत्यु शय्या पर शरीर त्यागना सती नहीं है। जैन धर्म में सामान्यत: सती शब्द उन महिलाओं के लिए प्रयोग में लिया जाता है जो अपने शरीर की रक्षा हेतु या तो अविवाहित रहती है या पति की मृत्यु के पश्चात अपने चरित्र और शील को सुरक्षित रखने के लिए जैन धर्म में दीक्षित होकर अपना जीवन व्यतीत करती है। 'जैन धर्म में पति की मृत्यु के पश्चात विधवा के लिए भिक्षुणी के रूप में संघ का सम्मानजनक द्वार सदैव खुला हुआ था।'

'साध्वियां महावीर की चतुर्विधा संघ की एक महत्वपूर्ण अंग थी। साधुओं की भांति साध्वियां भी भिक्षा पर निर्भर रहती थी। यद्यपि उनका जीवन अधिक कठोर था और साधुओं की अपेक्षा उन्हें अधिक अनुशासित और नियंत्रित जीवन बिताना पड़ता था। उनके लिए विधान है कि उन्हें साधुओं द्वारा अरक्षित दशा में अकेले नहीं रहना चाहिए और संदिग्ध चरित्र वाले लोगों के साथ निवास नहीं करना चाहिए।'

जैन धर्म निवृत्तिपरम धर्म है। इस कारण इस धर्म में सन्यास एवं वैराग्य को अधिक महत्व दिया जाता है। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्वपूर्ण स्थान है।

* शोधार्थी (इतिहास विभाग) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

ब्रह्मचर्य के द्धारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। ब्रम्हचर्य में मानव अपनी सभी इंद्रियों और सभी विकारों पर अधिकार स्थापित कर मन, वचन, कर्म व शरीर पर संयम रखता है।

जैन धर्म में स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य के पालन से संबंधित मान्यताएं अलग-अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि स्त्रियां पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती और दूसरा मत यह है कि स्त्रियां भी पुरुष की ही भांति पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। 'जैन शास्त्रों में स्त्री और पुरुष दोनों के समान रूप से ब्रह्मचर्य पालन का आदेश है। स्त्रियां ब्रह्मचारिणी न हो, वह ब्रह्मचर्य का पालन ना करें। यह कथन जैन शास्त्रों से सर्वदा विपरीत है।'

ऋषभदेव व उनकी पुत्री ब्राह्मी ने 'यौगलिक' प्रथा जैसी कुप्रथा को समाप्त कर समाज सुधार का प्रयास किया। ऋषभदेव ने तत्कालीन समाज को सुसंस्कृत तथा सभ्य बनाने के लिए पुरुषों के लिए बहत्तर व महिलाओं के लिए चौसठ कलाओं की शिक्षा प्रदान की थी। इन्होंने अपनी पुत्री ब्राह्मी को दीक्षा दी और अठारह लिपियों का अध्ययन भी करवाया था जिसका प्रमाण आवश्यक निर्युक्ति गाथा में मिलता है। 'सुमंगला तथा पिता ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी ने नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बुद्धि तथा गुणों की प्रगति करने वाली चौसठ कलाओं की शिक्षा ग्रहण की।'

ब्राह्मी ने दीक्षा ग्रहण कर लोककल्याण के लिए कार्य किया। इन्होंने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई। जैन धर्म में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करते हुए इन्होंने लोक कल्याण के लिए कार्य किया। उन्होंने अनेक महिलाओं के लिए आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। 'ब्राह्मी के नेतृत्व में तीन लाख साध्वियां तथा पांच लाख चोपन हजार व्रतधारिणी श्राविकाएं थी। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है।'

ऋषभदेव की पुत्री सुंदरी ने भी लोककल्याण का रास्ता अपनाया और उन्होंने राजश्री वैभव को त्यागकर भगवती दीक्षा ग्रहण की। 'राज महलों में रहते हुए भी सुंदरी के संयम, आयंबिल व्रत की साधना तथा दीक्षा ग्रहण करने की भावना को जानकर सम्राट भरत ने दीक्षा ग्रहण करने की अनुमति दे दी साथ ही पूरे राजश्री ठाठ से दीक्षा का आयोजन किया। अंत में ऋषभदेव की प्रथम शिष्य ब्राह्मण के पास जाकर सुंदरी ने भगवती दीक्षा ग्रहण की।'

जैन धर्म में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने पारिवारिक सुखों का त्यागकर लोकमंगल का रास्ता अपनाया। ऐसी कई माताएं जैसे- विजया देवी, सेना देवी, सिद्धार्था, मंगला, सुसीमा, लक्ष्मणा, रामा देवी, नंदा, विष्णु देवी आदि हैं जिन्होंने महान तीर्थंकरो को जन्म देकर समाज के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया।

जैन संघ में नारी का कितना महत्वपूर्ण स्थान था इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि उनमें प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक सदैव ही भिक्षुओं की अपेक्षा में भिक्षुणियों की ओर ग्रहस्थ उपासकों की अपेक्षा उपासिकों की संख्या अधिक रही है। जैन धर्म व संस्कृति का विकास भारतीय संस्कृति के पुरुष प्रधान समाज में होने के कारण स्त्रियों का इतना विकास नहीं हो पाया जितना कि पुरुषों का हुआ है परंतु धीरे-धीरे वर्तमान समय में भी सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे है जो जैन धर्म की महानता सिद्ध करते है।

निष्कर्ष – जैन धर्म के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैन धर्म में नारी को सम्मानित एवं गौरवान्वित स्थान प्राप्त है। जैन धर्म में ब्राह्मणी, सुंदरी, चंदना आदि अनेक साध्वियां है जिन्होंने अपनी संयम साधना से जैन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैन धर्म में सुंदरी, ब्राह्मी, सिद्धार्था, मंगला, विष्णु देवी, राजमती देवी, रुकमणी, चंदनबाला, साधवी सरस्वती, साधवी रुद्रसोमा, साधवी गुणश्री, रतमती माता, दीपा बाई, साधवी श्री ज्ञान कुमार जी, साधवी श्री कस्तूरा जी, साधवी श्री इंद्रकुमार जी, साधवी श्री दौलत कुमार जी, प्रवर्तीनी महासती पार्वती देवी, महासती श्री राजमती, महासती पन्ना देवी जी, ज्ञानमती माताजी, साधवी हेमप्रभाश्री जी, साधवी सरला जी आदि अनेक साध्वियां, आर्यिकाएं है जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार-प्रसार में सहयोग किया साथ ही जैन धर्म में व्याप्त कुप्रथाओं तथा अंधाविश्वासों को दूर करते हुए जैन धर्म को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जगदीश कश्यप : संयुक्त निकाय भाग-2,प्रकाशक महाबोधि सभा, सारनाथ बनारस, 1954, पृ. 37
2. कमला जैन : नारी जीवन, प्रकाशक श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर, बीकानेर, पृ. 16
3. हीराबाई बोरदिया : जैन धर्म की प्रमुख साध्वियां एवम् महिलाएं, प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी, 1991, पृ. 11
4. महानिशीथ, 2/सूत्र-33,पृ. 36
5. श्री प्रकाश पाण्डेय (प्रबन्ध सं.) : जैन विद्या के आयामखण्ड-6 (सगरमल जैन अभिनंदन ग्रंथ), प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी, 1998, पृ. 558
6. बृहत्कल्प भाष्य 41/4/48
7. श्री प्रकाश पाण्डेय (प्रबन्ध सं.) : जैन विद्या के आयामखण्ड-6 (सगरमल जैन अभिनंदन ग्रंथ), प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्यापीठ वाराणसी, 1998 पृ. 559
8. वही, पृ. 15
9. हीराबाई बोरदिया : जैन धर्म की प्रमुख साध्वियां एवम् महिलाएं, प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी, 1991पृ. 13
10. जगदीश चंद्र जैन : जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज, प्रकाशक चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी 1965पृ. 280
11. शांति जैन : नारी जीवन, प्रकाशक श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर, 1969पृ. 17
12. नेमिचंद जैन : कल्पसूत्र, प्रकाशक रत्न जैन पुस्तकालय, अहमदनगर, 991 पृ. 444
13. वही, पृ. 167
14. हीराबाई बोरदिया : जैन धर्म की प्रमुख साध्वियां एवम् महिलाएं, प्रकाशक पार्श्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान वाराणसी पृ. 7

****

Mental Fitness Certificate for Admission in Higher Education is Present Need of the Era

Dr. Anuradha Tiwari*

Introduction - Sound mind means a person proceeding to form a rational judgment on any act or from a sound mind:

1. Rational
2. Mentally sound especially
3. Able to anticipate and appraise the effect of one's actions
4. Healthy in body
5. Having a healthy and sound mind
6. Very sensible a sane policy
7. Free from hurt or disease : healthy

Unsound mind means - person of **unsound** mind means any **person**, not a minor, who, not having been found to be a mentally disordered **person**, is incapable from infirmity of mind of managing his own affairs;

Insane: **having or showing severe mental illness**: unable to think in a clear or sensible way used in the phrase drive/make (**someone**) **insane** to describe annoying or bothering **someone** very much. A person who is unable to understand the nature and consequences of the act or form any rational judgment may deem to be insane.

Idiots- An idiot, in medical terms, is a condition of mental retardation where a person has a mental age of less than a **3-year-old child**. Hence, idiots are incapable of understanding the nature of the act and his act will be void from the very beginning.

Meaning and definition –

General Definition of mental illness- any of a broad range of medical conditions (such as major depression, schizophrenia, obsessive compulsive disorder, or panic disorder) that are marked primarily by sufficient disorganization of personality, mind, or emotions to impair normal psychological functioning and cause marked distress or disability and that are typically associated with a disruption in normal thinking, feeling, mood, behavior, interpersonal interactions, or daily functioning.[1]

Medical Definition of mental illness - any of a broad range of medical conditions (such as major depression, schizophrenia, obsessive compulsive disorder, or panic disorder) that are marked primarily by sufficient disorganization of personality, mind, or emotions to impair normal psychological functioning and cause marked distress or disability and that are typically associated with a disruption in normal thinking, feeling, mood, behavior, interpersonal interactions, or daily functioning Some homeless families are also hindered by substance abuse and mental illness.— **According to Ellen L. Bassuk,** Scientific American, December 1991Catatonia is usually an expression of mental disorders like **bipolar disorder or schizophrenia**, but it could also come from other medical problems, such as a **brain tumor.**— Forrest Wick man, The Pittsburgh Post-Gazette, 31 May 2012. mental diseases such as schizophrenia and manic depression may either involve more than one gene or may result from a complex mix of genetic predisposition and environmental rotten luck.

Legal Provisions -

- **In reference to IPC - Meaning of Mens Rea** – Mental element in Crime –One of the main characteristics of our legal system is that the individual's liability to punishment for crimes depends, among other things, on certain mental conditions. The absence of these conditions, where they are required negatives the liability. The conviction of an offence is depend only on his having done some outwards acts which the law forbids, but on his having done them in a certain frame of mind or with certain will. The well known principle of natural justice is, "Actus facit reum nisi mens sit rea", – Act alone does not make a man guilty unless his intention were so, no person could be punished in a proceeding of criminal nature unless it can be shown that he had a guilty mind.
- **In reference to Contract Act 1872 a person** who is unable to understand the nature and consequences of the act committed is known as unsound mind. Following persons may be called as unsound mind persons –

Lunatic- A person who is of sound mind for certain duration of time and unsound for the remaining duration is known as a lunatic. When a lunatic enters into a contract while he is of sound mind, i.e. capable of understanding the nature of the contract, it is a valid contract. Otherwise, it is void.

Illustration- A enters into a contract with **B** for sale of goods when he is of sound mind. A later becomes of unsound mind. The contract is valid.

People under the influence of the drug- A contract signed under the influence of **alcohol/drug** may or may not be valid. If a person is so drunk at the time of entering into a contract that he is not in a position to understand the nature and consequences, the contract is void. However, if he is

* Principal, Dr. K. N.K. Law College, Ratlam (M.P.) INDIA

capable of understanding the nature of the contract, it will be enforceable.

Illustration- **A** enters into a contract with **B** under the influence of alcohol. The burden of proof is on **A** to show that he was incapable of understanding the consequence at the time of entering the contract and **B** was aware of his condition.

- **Admission Rules - At present there is no rules for disqualification of candidate from admission if he/she is affected with mental illness**. In other words there is no certain provision to disqualify the candidates on the basis of mental illness.
- **Current** essential conditions of admission in Higher Education are:-

1. Certificate s & Marks sheets of qualifying examinations
2. Domicile Certificate,
3. Caste Certificate,
4. Income Certificate,
5. Adhar Card,
6. Gap Certificate,
7. Eligibility Certificate,
8. Migration Certificate,
9. T.C & C.C.
10. NOC from Department if he/she is government servant or is in service etc.

However the mental fitness certificate is not the essential condition for admission in higher education courses or **no sound mind** related certificate is demanded by the Commissioner Higher Education of States, even as I know it has not been demanded at National level educational institutes.

Impact on present scenario – In most of the institutes the mentally **ill students/** those who are suffering from these illness like, schizophrenia or from depression, or many more mental disorder is taking admission and it will be mental burden on the institute to handle him or her with care and caution till the completion of tenure of three years or five years as per stream duration continuously, if in between some attack of illness took place or any harm caused by him or her, then institution is unable to disqualify or discontinue him/her from studies, in absence of rules and regulations of admission.

Conclusion & Suggestion – The word unsoundness of mind has not been defined anywhere. Unsoundness of mind is a state of not being mentally sound and normal. It means a state of mind in which a person is incapable to know the nature and consequences of the act committed.

Idiot - An idiot is one who lost his mental power. A person who does not possess any rational thinking capacity & complete lost his memory from his birth without lucid intervals. An idiot is also one who cannot count **twenty or tell the days of the week** or who does not know his father or mother or the like.[2]

Lunatic - A lunatic is a person affected with mental disorder only at a certain periods & with lucid interval. Between the gaps he possesses rational thinking & normal behavior. Lunacy is temporary but madness is permanent.

Unsound due to illness - A person made non compos mentis by illness is excused in criminal cases from such acts are committed while has the influence of his disorder. Any mental disorder which has manifested itself in violence & is prone to recur is disease of mind.

Drunken or intoxicated person - Drunkenness is not excuse but delirium tremens caused by drinking from drunkenness, if it produces such a degree of madness, even for a time as to render a person incapable of distinguishing right from wrong, afforded a ground of excuse from criminal responsibility.

Insanity - According to Stephen **'unsoundness of mind'** is equivalent to insanity means a state of mind in which one or more of the functions of feeling, knowing, emotion and willing is performed in an abnormal manner or is not performed at all by reason of some disease of the nervous system, Insanity includes lunacy.

1. Dementia naturalism, i.e. individuals who are insane from birth,
2. Dementia adventitia or accidentals i.e. individual that becomes insane after his birth. Every type of insanity would not come under legal insanity unless there is evidence to the effect that the mind was destroyed as a result of unsoundness of mind.

- Delusion or Hallucination: - It is a state of mind where a person may be perfectly sane in respect of everything, but may be under delusion in respect of one particular idea.
- Irresistible impulse – regular quarrel
- Agitation of Mind - the mind does not necessarily lead to an inference that it had affected his mental capacity.
- Over sensitiveness of mind or character
- Extreme anger- under schizophrenia attack

Insanity as result of smoking Ganja -Such person may not have the rational thinking & do not know the nature of the acts they are doing and do not know their effects and legal consequences.

Alcoholism may constitute a disease provided it has damaged the brain to an extent as to grossly impair the ability to make rational judgment and emotional responses.[3]

Suggestions :

1. Mental fitness certificate make compulsory for admission at State/National Level Universities and Institutes.
2. Medical Examination at institute level or university level make compulsory.
3. Every year for assessing mental fitness, medical examination of students is required to remove this problem.
4. Common classrooms seating should be avoided by the institute till further order of Higher Education Commissions/ State Govt. or Central Govt.
5. Establishment of separate educational institute with special /expert tutor for affected students shall also be good option.

References :-

1. Dr. Rega Surya Lecture on Law of Crimes 2nd Edition 2015
2. Srivastav Indian Penal Code 1860.
3. Myne Law of Cimes 2nd Edition

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767,
E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

गोरखनाथ और नाथ सम्प्रदाय : एक अध्ययन

डॉ. जनमेजय मिश्र* डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय**

शोध सारांश – नाथ सम्प्रदाय में गोरखनाथ जी का अद्धितीय स्थान रहा है। गोरखनाथ के विषय में भारत के अनेक विद्धानों मतभेद हैं। वस्तुत: इनके समसामयिक सिद्ध जालन्धरनाथ और कृष्णपाद के सम्बन्धा में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थित है। गोरखनाथ जी की पुरातन प्रतिमा, गोरखनाथ मठ, ओदाद्र, पोरबन्दर, गुजरात, भारत में प्राप्त हुई। नाथ सम्प्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस सम्प्रदाय के बिखराव और इस सम्प्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, अत: इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। भगवान गोरख नाथ जी अविनाशी है ओर भगवान महादेव के अवतार हैं भारत में नाथ सम्प्रदाय को सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, दत्त, कौल, कालबेलिया, उपाध्याय ओर गोस्वामी (पश्चिम उत्तर प्रदेश में), आदि नामों से जाना जाता है।

शब्द कुंजी – सम्प्रदाय, महोत्सव, संपादित इत्यादि।

प्रस्तावना – मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के विषय में भारत के अनेक विद्धानों मतभेद हैं। वस्तुत: इनके और इनके समसामयिक सिद्ध जालन्धरनाथ और कृष्णपाद के सम्बन्ध में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं। गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ-विषयक समस्त कहानियों के अनुशीलन से कई बातें स्पष्ट रूप से जानी जा सकती हैं। प्रथम यह कि मत्स्येंद्रनाथ और जालंधरनाथ समसायिक थे; दूसरी यह कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे और जालंधारनाथ कानुपा या कृष्णपाद के गुरु थे, तीसरी यह की मत्स्येंद्रनाथ कभी योग-मार्ग के प्रवर्तक थे, फिर संयोगवश ऐसे एक आचार में सम्मिलित हो गए थे जिसमें स्त्रियों के साथ अबाध संसर्ग मुख्य बात थी - संभवत: यह वामाचारी साधना थी-चौथी यह कि शुरू से ही जालांधरनाथ और कानिपा की साधना-पद्धति मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ की साधना-पद्धति से भिन्न थी। यह स्पष्ट है कि किसी एक का समय भी मालूम हो तो बाकी सिद्धों के समय का पता असानी से लग जाएगा। समय मालूम करने के लिए कई युक्तियाँ दी जा सकती हैं। एक-एक करके हम उन पर विचार करें।

विषयवस्तु – उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थित है। गोरखनाथ, जी की पुरातन प्रतिमा, गोरखनाथ मठ, ओदाद्र, पोरबन्दर, गुजरात, भारत में प्राप्त हुई। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला भी है।

डॉ. बड़थ्वाल ने अपनी खोज में गोरखनाथ जी की 40 पुस्तकों का पता लगाया था, जिन्हें गोरखनाथ-रचित बताया जाता है। बहुत छानबीन के बाद डॉ. बड़थ्वाल ने इनमें प्रथम 14 ग्रंथों को असंदिग्धा रूप से प्राचीन माना, क्योंकि इनका उल्लेख प्राय: सभी प्रतियों में मिला। तेरहवीं पुस्तक 'ग्यान चौंतीसा' समय पर न मिल सकने के कारण उनके द्वारा संपादित संग्रह में नहीं आ सकी, अतिरिक्त 13 रचनाओं को गोरखनाथ की रचनाएँ मानकर प्रकाशन का कार्य सम्पन्न किया गया। प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं- सबदी, पद, शिष्यादर्शन, प्राण-सांकली, नरवै बोध, गोरखदत्त गोष्ठी (ग्यान दीपबोध), महादेव गोरखगुष्टि, शिष्ट पुराण, दया बोध, जाति भौंरावली (छंद गोरख), नवग्रह, नवरात्र, अष्टपारछ्या, रह रास, काफिर बोध इत्यादि।

सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ द्वारा लिखित 'कौल ज्ञान निर्णय' ग्रंथ में लिपिकाल निश्चित रूप से सिद्ध होता हैं। सुप्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु ही मत्स्येंद्रनाथ ही हैं, यह भी निश्चित है। यह विवादित है।

इसके अतिरिक्त पंडित राहुल सांकृत्यायन ने गंगा के पुरातत्त्वांक में 84 वज्रयानी सिद्धों की सूची प्रकाशित कराई है। जिसमें कहा गया है कि मीनपा नामक सिद्ध पुरुष का वर्णन है, जिन्हें तिब्बती परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ का पिता कहा गया है। कबीर, नानक आदि के साथ गोरखनाथ का संवाद इस विषय में दंतकथाएँ भी हैं और पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इनसे गोरखनाथ का काल-निर्णय में सहायता मिलती है, जैसा कि बहुत-से पंडितों ने भी माना है, कि चौदहवीं शताब्दी ईषत् पूर्व या मधय में गोरखनाथ का काल होगा। ब्रिग्स दूसरी श्रेणी के प्रमाणों पर आधार पर कह सकते हैं कि गोरखनाथ 1100 ई. से पूर्व, संभवत: ग्यारहवीं शाताब्दी के आरंभ में हुए थे। अनुश्रुतियों के आधाार पर ही विचार करने वाले विद्धानों को कई प्रकार की परम्परा-विरोधी मतभेद है।

नाथ सम्प्रदाय – नाथ सम्प्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पन्थ है। मध्ययुग में उत्पन्न इस सम्प्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परम्पराओं का समन्वय दिखायी देता है। यह हठयोग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। शिव इस सम्प्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इसके अलावा इस सम्प्रदाय में अनेक गुरु हुए जिनमें गुरु मच्छिन्द्रनाथ/मत्स्येन्द्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ सम्प्रदाय समस्त देश में बिखरा हुआ था। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। भगवान गोरख नाथ जी अविनाशी है ओर भगवान महादेव के अवतार हैं, सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, आदि

* पीएच. डी. (राजनीतिशास्त्र) सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.) भारत
** सहायक प्रध्यापक (इतिहास) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

नामों से जाना जाता है। इनके कुछ गुरुओं के शिष्य मुसलमान, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के भी थे। इस पंथ के लोगो को शिव का वंशज माना जाता है।राजस्थान में राजपूतों के गुरु नाथ हि थे चाहे मेवाड़ हो या मारवाड़, नाथ गुरुजी से आशीर्वाद लेकर मुसलमानो का काम तमाम करते थे नाथ जाति एक वीर के साथ शांत स्वभाव के है नेपाल में इनकी संख्या अधिक है । राजस्थान में राजपूतों के गुरु नाथ जी ही थे। नाथ हिन्दू धर्म को बचाने के लिए मध्यकाल में अपनी मत्वपूर्ण भुमिका निभाई। नाथ सम्प्रदाय को आप इस तरह समझ सकते हैं कि राजस्थान में एक कहावत है 'कि राजा जल अग्नि ओर नाथ से सदैव ही बचना चाहिए। इनको छडने पर तबाही हि आती है।' नाथ सम्प्रदाय में योगिनियों का भी समावेश था। 17 वीं शताब्दी की इस चित्रकला में एक नाथ योगिनी का चित्रण है। नेपाल स्थित एक मत्स्येन्द्रनाथ मन्दिर जहाँ हिन्दू और बौद्ध दोनों ही पूजा-अराधना करते हैं।

चौरंगीनाथ (बंगाल के राजा देवपाल के पुत्र, उत्तर-पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, उनसे संबंधित एक तीर्थस्थल सियाल कोट जो अब पाकिस्तान में है), चर्पटीनाथ (हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहने वाले, उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया), भर्तृहरिनाथ (उज्जैन के राजा और विद्धान जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया), गोपीचन्दनाथ (बंगाल की रानी के पुत्र जिन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया था), रत्ननाथ (13वीं सदी के सिद्ध, मध्य नेपाल और पंजाब में ख्यातिप्राप्त, उत्तर भारत में नाथ और सूफी दोनों सम्प्रदाय में आदरणीय), धर्मनाथ (15वीं सदी के सिद्ध, गुजरात में ख्यातिप्राप्त, उन्होंने कच्छ क्षेत्र में एक मठ की स्थापना की थी) मस्तनाथ (18वीं सदी के सिद्ध, उन्होंने हरियाणा में एक मठ की स्थापना की थी)।

जीवन शैली – नाथ साधु-सन्त परिव्राजक होते हैं। वे भगवा रंग के बिना सिले वस्त्र धारण करते हैं। ये योगी अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे 'सिले' कहते हैं। गले में एक सींग की नादी रखते हैं। इन दोनों को 'सींगी सेली' कहते हैं। उनके एक हाथ में चिमटा, दूसरे हाथ में कमण्डल, दोनों कानों में कुण्डल, कमर में कमरबन्ध होता है। ये जटाधारी होते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखण्ड धूनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। इसके अलावा नाथ सम्प्रदाय में गृहस्थ जोगी भी होते है। आजकल भारी संख्या में लोगों ने गृहस्थ जीवन अपना लिया है। राजस्थान में 50 लाख नाथ सम्प्रदाय कि जनसंख्या है। नाथ स्वभाव के कारण ही जाने जाते हैं ये कट्टर हिन्दू है । भगवा को अपना सब कुछ मानने वाली समाज है। भगवा से ये अपनी पगड़ी बनाते हैं और मस्तिष्क के ऊपर धारण करते हैं।

गोरखपुर में स्थित भगवान गोरखनाथ मन्दिर को अपना पवित्र मन्दिर मानते है। नाथ राजनीति में अपनी केन्द्रीय भूमिका निभाने वाले है। कई लोग मन्त्री सांसद और विधायक के साथ मुख्य मन्त्री है इनमें आदित्य नाथ का नाम प्रमुख है । कलयुग से पहले राज्य में क्षेत्रीय नाथ ओर ब्राहमण की प्रमुख भूमिका थी । कहा जाता है कि बप्पा रावल ने भगवान गोरख नाथ जी से आशीर्वाद लेकर अरब को जिता ओर भगवा लहराया था। नाथ सम्प्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को 'अलख' (अलक्ष) नाम से सम्बोधित करते हैं। ये अभिवादन के लिए 'आदेश' या आदीश शब्द का प्रयोग करते हैं। अलख और आदेश शब्द का अर्थ प्रणव या 'परम पुरुष' होता है। नाथ साधु-सन्त हठयोग पर विशेष बल देते हैं।

गुरु परम्परा – नाथ सम्प्रदाय के आदिगुरू भगवान शिव को मानते है। इस सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार और सिद्धान्तों के विकास में अनेक गुरुओं का योगदान रहा है। जिनमें प्रमुख रुप से – मच्छेन्द्रनाथ (8वीं या 9वीं सदी के योग सिद्ध, 'तंत्र' के लिए मशहूर), गोरक्षनाथ या गोरखनाथ (10वीं या 11वीं शताब्दी में जन्म, मठवादी नाथ सम्प्रदाय के संस्थापक, हठ योग के ग्रंथों के रचयिता एवं निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध), जालन्धरनाथ (12वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से जालंधर निवासी, राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त), कानीफनाथ (14वीं सदी के सिद्ध, मूल रूप से बंगाल निवासी, नाथ सम्प्रदाय के भीतर एक अलग उप-परंपरा की शुरूआत करने वाले) कानिफनाथ कालबेलिया समाज के संस्थापक हैं।

प्रारम्भिक दस नाथ – आदिनाथ, आनंदिनाथ, करालानाथ, विकरालानाथ, महाकाल नाथ, काल भैरव नाथ, बटुक नाथ, भूतनाथ, वीरनाथ और श्रीकांथनाथ। इनके बारह शिष्य थे जो इस क्रम में है– नागार्जुन, जड़ भारत, हरिशचंद्र, सत्यनाथ, चर्पटनाथ, अवधानाथ, वैराग्यनाथ, कांताधारीनाथ, जालंधरनाथ और मालयार्जुन नाथ।

चौरासी सिद्ध एवं नौ नाथ – 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परम्परा का प्रचलन हुआ। ये सभी भी नाथ ही थे। सिद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाते थे। उनमें से प्रमुख जो हुए उनकी संख्या चौरासी मानी गई है। नौ नाथ गुरु – मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंदरनाथ, नागेशनाथ, भर्तरीनाथ, चर्पटीनाथ, कानीफनाथ, गहनीनाथ तथा रेवननाथ। इसके अतिरिक्त ये भी हैं – आदिनाथ, मीनानाथ, गोरखनाथ, खपरनाथ, सतनाथ, बालकनाथ, गोलक नाथ, बिरुपक्षनाथ, भर्तृहरि नाथ, अईनाथ, खेरची नाथ, रामचंद्रनाथ।

ओंकार नाथ, उदय नाथ, सन्तोष नाथ, अचल नाथ, गजबेली नाथ, ज्ञान नाथ, चौरंगी नाथ, मत्स्येन्द्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ। सम्भव है यह उपयुक्त नाथों के ही दूसरे नाम है। बाबा शिलनाथ, दाढाधूनी वाले, गोगा नाथ, पंढरीनाथ और श्री स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, साईं बाबा को भी नाथ परंपरा का माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भगवान दत्तात्रेय को वैष्णव और शैव दोनों ही संप्रदाय का माना जाता है, क्योंकि उनकी भी नाथों में गणना की जाती है। भगवान भैरवनाथ भी नाथ संप्रदाय के अग्रज माने जाते हैं। और विशेष इन्हे योगी भी कहते और जोगी भी कहा जाता हैं। देवो के देव महादेव जी स्वयं शिव जी ने नवनाथो को खुद का नाम जोगी दिया हैं। इन्हें तो नाथो के नाथ नवनाथ भी कहा जाता हैं।

नाथ सम्प्रदाय में किसी भी प्रकार का भेद-भाव आदि काल से नहीं रहा है। इस संप्रदाय को किसी भी जाति, वर्ण व किसी भी उम्र में अपनाया जा सकता है। सन्यासी का अर्थ काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि बुराईयों का त्याग कर समस्त संसार से मोह छोड़ कर शिव भक्ति में समाधि लगाकर लीन होना बताया जाता है। प्राचीन काल में राजे-महाराजे भी अपना राज-पाठ छोड़ सन्यास इसी लिए लिया करते थे ताकि वे अपना बचा हुआ जीवन सांसारिक परेशानियों को त्याग कर साधुओ की तरह साधारण जीवन बिताते थे। नाथ संप्रदाय को अपनाने के बाद 7 से 12 साल की कठोर तपस्या के बाद ही सन्यासी को दीक्षा दी जाती थी। विशेष परिस्तिथियों में गुरु अनुसार कभी भी दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा देने से पहले वा बाद में दीक्षा पाने वाले को उम्र भर कठोर नियमो का पालन करना होता है। वो कभी किसी राजा के दरबार में पद प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी राज दरबार में या राज घराने में भोजन नहीं कर सकता परन्तु राज दरबार वा राजा से भिक्षा जरुर प्राप्त कर सकता है। उसे बिना सिले भगवा वस्त्र धारण करने होते है। हर साँस के साथ मन में आदेश शब्द का जाप करना होता है था किसी अन्य नाथ का अभिवादन भी आदेश शब्द से ही करना होता है । सन्यासी योग व

जड़ी- बूटी से किसी का रोग ठीक कर सकता है पर एवज में वो रोगी या उसके परिवार से भिक्षा में सिर्फ अनाज या भगवा वस्त्र ही ले सकता है। वह रोग को ठीक करने की एवज में किसी भी प्रकार के आभूषण, मुद्रा आदि ना ले सकता है और न इनका संचय कर सकता। सांसारिक मोह को त्यागना पड़ता है दीक्षा देने के बाद सन्यासी, जोगी, बाबा के दोनों कानों में छेद किये जाते है और उनमे गुरु द्वारा ही कुण्डल डाले जाते है । जिन्हें धारण करने के बाद निकला नहीं जा सकता। बिना कुण्डल के किसी को योगी, जोगी, बाबा, सन्यासी नहीं माना जा सकता ऐसा सन्यासी जोगी जरुर होता है परन्तु उसे गुरु द्वारा दीक्षा नहीं दी गई होती। इसलिए उन्हें अर्धा सन्यासी के रूप मे माना जाता है।

उपसंहार - नाथ सम्प्रदाय के आदिगुरू भगवान शिव को माना जाता है। इस सम्प्रदाय के प्रचार-प्रसार और सिद्धान्तों के विकास में अनेक गुरुओं का योगदान रहा है। जिनमें प्रमुख रुप से- 84 सिद्धों, नौ नाथ गुरु, प्रारम्भिक दस नाथ, इनके बारह शिष्य थे। नाथ सम्प्रदाय में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नही रहा है। मत्स्येन्द्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ के विषय में भारत के अनेक विद्वानों मतभेद हैं। नाथ सम्प्रदाय सम्पूर्ण देश में बिखरा हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने इस सम्प्रदाय के बिखराव और इस सम्प्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, जिससे समाज का कल्याण हो सके। नाथ सम्प्रदाय में गोरखनाथ जी का महनीय स्थान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रहस्यवादी जैन अपभ्रंश काव्य का हिन्दी पर प्रभाव (गूगल पुस्तक ; लेखक - प्रेमचन्द्र जैन) सदाशिव भगवान शिव श्री गुरु गोरखनाथ महिमा एवं गोरख-धंधा शब्द अनुचित, अभिगमन तिथि-21 मार्च 2020. राजनीति की धुरी रहा है योगी का गोरखनाथ मठ, अभिगमन तिथि 19 मार्च 2017.
2. गोरख दर्शन - गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर
3. Gorakhnath and the Kanphata Yogi & George Weston Briggs
4. Philosophy of Gorakhnath With Goraksha & Vacana & Sangraha & Akshaya Kumar Banerjea
5. Omacanda Handa- Buddhist Art & Antiquities of Himachal Pradesh Up to 8th Century A.D. Indus Publishing. p. 71.
6. Briggs (1938), p. 249

****

मानवाधिकार के विकास में नैसर्गिक विधि की भूमिका - समीक्षात्मक विश्लेषण

भोला प्रसाद साहू *

शोध सारांश – भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय संविधान में वर्णित नियमों द्धारा शासित होता है तथा शब्द प्राकृतिक विधि उस सिद्धांत की ओर निर्देशित करती है जो किसी देश विशेष की विधि या उसकी संस्कृति के संबंध में सही या गलत का विचार ना करते हुए संपूर्ण मानव को मानव होने के नाते संरक्षित करने का प्रयास करती है। इसके द्धारा मानव अधिकारों का सृजन होता है जो मौलिक अधिकारों के रूप में संविधान में स्थान पाकर नागरिकों तथा अन्यो की सुरक्षा तथा उनकी स्वतंत्रता की गारंटी बनता है संपूर्ण मानवीय विकास का मूल आधार प्राकृतिक विधि के विकास से ही प्रारंभ हो पाया है जिसमें विभिन्न विधियों द्धारा भी सहयोग प्रदान किया गया प्राकृतिक विधि की विकसित होती संकल्पना के कारण ही सामान्य मानव भी दास की प्रस्तुति से निकलकर मानव अधिकारों को प्राप्त करने में सफल रहा एवं गरिमा पूर्ण जीवन जीने में सक्षम हो पाया।

शब्द कुंजी – प्राकृतिक विधि, मानव अधिकार, संविधान, न्याय निर्णयन, नैतिक विकाश।

शोध कार्य की पृष्ठभूमि – विधि क्षेत्र में यह संकल्पना प्रारंभ से ही चली आ रही है कि मानव द्धारा निर्मित विधि स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकती अत: प्राकृतिक विधि के आधार पर विद्धानों ने कुछ ऐसे नियमों को निर्मित करने का प्रयास किया जिनको मानव के गरिमा पूर्ण जीवन जीने के लिए लागू किया जा सके।

शोध उद्देश्य – इस शोध पत्रिका प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकार के विकास में नैसर्गिक सिद्धांतों के योगदान का अध्ययन करना है साथ ही द्धारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय के माधयम से उनकी जांच की जाएगी जहां पर न्यायालय द्धारा संबंधी निर्णय लेते समय नैसर्गिक विधि का पालन किया जाता है अध्ययन करना।

शोध समस्या – विभिन्न विधियों में शामिल मौलिक अधिकार अथवा मानव अधिकार आमतौर पर राज्य द्धारा अधिकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं परंतु ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाए तो विभिन्न ऐसे कारक एवं तंत्र परिलक्षित होते हैं जहां पर मानव अधिकारों की पृष्ठभूमि प्राकृतिक रूप से उपलब्धा नैसर्गिक न्याय से जुड़ी हुई मिलती है। राजनीतिक एवं सामाजिक नजरिए से मानव अधिकारों के विकास मैं नैसर्गिक न्याय की भूमिका का अध्ययन किया जाना समीचीन है अत: इस शोध समस्या का चयन शोधार्थी द्धारा शोध पत्र हेतु किया गया है।

शोध परिकल्पना – शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए शोधार्थी द्धारा निम्न कल्पना का निर्माण किया जा कर शोध कार्य को संपन्न किया जा रहा है–

प्रथम– यह की मानव अधिकार का उद्‌भव नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

द्धितीय– यह की मानव अधिकार के निर्वचन तथा विकास में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का प्रमुख योगदान है।

नैसर्गिक न्याय तथा मानव अधिकार के मध्य संबंध – प्राकृतिक विधि/अधिकार–प्राकृतिक विधि सभी अधिकारों से सर्वोच्च थी। प्राकृतिक न्याय की उत्पत्तिा रोम से हुई यह सर्वोच्च विधि पर आधारित होते हुए आसंशोधनीय है तथा यह सर्वोच्च सत्ताा की शक्ति से भी ऊपर है तथा इसी प्राकृतिक विधि से मानवाधिकार के सिद्धांतों की उत्पत्तिा हुई इसीलिए हिर्स्टॉरिक्स द्धारा यह कहा गया है कि 'सभी मानव जाति को कानून को जानने एवं पालन करने का उचित कारण है।'

मान्यता के अनुसार राजा का आदेश पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आरोही प्रभाव नहीं रखता था इसी प्रकार भारतीय न्याय व्यवस्था ने भी भारत में कार्यपालिका द्धारा प्रस्तुत चुनौतियों का सामना किया जो लगातार न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप करते हुए सामान्य जन की भी अधिकारों का हनन करती रही भारतीय न्यायपालिका में किए गए संशोधन भी इसी की उपज है मैं इस दृष्टिकोण से असहमत हूं कि अठारहवीं शताब्दी के मानव अधिकारों की अवधारणा, राजाओं के दैवीय अधिकार के विचार या व्यक्तिगत रूप से उन अपरिहार्य अधिकारों का विस्तार थी, जो भगवान ने चर्च को दिए थे। मुझे यह कहने के लिए अधिाक इच्छुक होना चाहिए कि यह अवधारणा अंतत: अपने वंश को प्राकृतिक कानून के विचार के लंबे इतिहास और प्राचीन दुनिया और मध्य युग द्धारा विकसित राष्ट्रों के कानून से अलग करती है, और एक तरफा विरूपण से अधिाक तुरंत प्रभावी है।

मेरे दिमाग में, मानवाधिकारों के विचार के तर्कसंगत औचित्य पर किसी भी प्रयास, जैसा कि सामान्य रूप से अधिकारों का विचार है, हमें इसकी वास्तविक आध्यात्मिकता में, वास्तविक यथार्थवाद में और प्रकृति और अनुभव में इसकी विनम्र निर्भरता में पुन: खोज करने की आवश्यकता है, प्राकृतिक नियम की अवधारणा जो अठारहवीं शताब्दी के तर्कवाद द्धारा समाप्त हो गई थी। हम तब समझते हैं कि एक आदर्श आदेश, जिसकी जड़ें मनुष्य और मानव समाज की प्रकृति में हैं, नैतिक आवश्यकताओं को अनुभव की दुनिया में, इतिहास के और तथ्यों के लिए सर्वमान्य रूप से मान्य कर सकती हैं, और अंतरात्मा के लिए और समान रूप से मान्य हो सकती हैं जिन्हे लिखित कानून, स्थायी सिद्धांत और सही और कर्तव्य के मौलिक और सार्वभौमिक मानदंड के रूप में स्वीकार्य किया जा सकता है।

इसके साथ ही हम समझते हैं कि मानव कानून के आकस्मिक प्रस्तावों

* सहायक प्राध्यापक,शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

द्वारा समय और परिस्थिति की जरूरतों के अनुसार प्राकृतिक कानून को पूरा करने के लिए कैसे प्रस्ताव किया जाता है; कैसे प्राकृतिक कानून में निहित दायित्वों और अधिकारों के बारे में मानव समूह की जागरूकता खुद समूह के विकास के साथ धीरे-धीरे से विकसित होती है, और सभी त्रुटियों और भ्रमों के बावजूद निश्चित रूप से पूरे इतिहास में संवर्धान और रहस्योद्घाटन के रास्ते पर आगे बढ़ती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम आर्थिक और सामाजिक दशाओं के असीम प्रभाव को देखते हैं, और विशेष रूप से, आज के पुरुषों के लिए नए दृष्टिकोण और नई समस्याओं, उदार या व्यक्तिवाद को पार करने और मानव जीवन के सामाजिक मूल्यों को छूने के लिए महत्व के लिए जो लाया जा रहा है।

मानव अधिकारों की कोई घोषणा कभी भी समाप्त और अंतिम नहीं होगी। यह इतिहास में एक निश्चित समय पर नैतिक चेतना और सभ्यता की स्थिति के साथ हाथ से हाथ मिलाएगा। और यह इस कारण से है कि उन अधिकारों के पहले लिखित बयान द्वारा अठारहवीं शताब्दी के अंत में हासिल की गई बड़ी जीत के बाद भी, यह मानवता का एक प्रमुख हित बना हुआ है कि इस तरह की घोषणाओं को समय समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।

भारतीय संविधान में मूल अधिकार – नैसर्गिक विधि ही बाद में मानवाधिकार के रूप में परिणित हुई तथा स्टोकस के द्वारा यह कथन किया गया कि इस विधि का ज्ञान एवं पालन किया जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। भारत में मानवाधिकार को सकारात्मक रूप से भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थान दिया गया है यह एक अलग बात है कि केवल कुछ ही मानव अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में गारंटीकृत किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 ,19 ,21, 32, 226 आदि ऐसे प्रावधान है जो नैसर्गिक न्याय को लागू कराने में पूर्णता सफल साबित हुए हैं तथा अन्य मौलिक अधिकारों में भी की झलक दिखाई देती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के वाद में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को एक नया विस्तार दिया गया तथा उसे अमेरिकी समय प्रक्रिया खंड के बहुत नजदीक ला दिया गया न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक प्रशासनिक कार्रवाई में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए अनुच्छेद 21 में के अधीन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अप संविधान का आवश्यक अंग मान लिया गया है इसीलिए अब यह कहा जा सकता है कि नैसर्गिक न्याय के नियम अब मौलिक अधिकारों के बहुत नजदीक आ गए हैं न्यायाधीश द्वारा नैसर्गिक न्याय लोक नीति की भांति लोक विधि की एक शाखा के रूप में और नागरिकों को न्याय दिलाने का एक प्रबल तंत्र के रूप में घोषित किया है जहां एक और इसका प्रयोग मनुष्य की मौलिक स्वतंत्रताओं सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा सकता है वहीं वास्तव में इसका प्रयोग निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जा सकता है इससे समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती हैं।

वर्तमान लोक कल्याणकारी विधायन के संदर्भ में अब वह समय आ गया है कि मौलिक स्वतंत्रता व सिविल तथा राजनीतिक अधिकारों तथा निजी हित स्वार्थ के मामलों के संबंध में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का प्रयोग में अंतर करना पड़े।

आधारभूत ढांचे का सिद्धांत–केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ए आई आर 1973 के मामले में बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि संविधान संशोधन की शक्ति के प्रयोग द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है इसी क्रम में संविधान की सर ऊपर ही था विधि का शासन ने पुनरावलोकन की शक्ति लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आदि को आधारभूत ढांचे के रूप में घोषित किया गया। मिनर्वा मिल्स विरुद्ध भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, कुछ अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्व में सामंजस्य, कुछ मामलों में मूल अधिकार को मूल ढांचा घोषित किया एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ बाद के संविधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 330 के खंड 2 और उनके तीन सो तेईस खंड ख के खंड 3 का जिसके द्वारा अनुच्छेद 32 के आधीन उच्च न्यायालयों की शक्ति को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया तथा संविधान संशोधन द्वारा नैसर्गिक न्याय के संबंध में निर्णय दिया। एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 सुप्रीम कोर्ट की खातिर एवं आईआरसीएल बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में संविधान के अनुच्छेद 70 में संशोधन को आधारभूत ढांचे के रुप में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया।

तुलनात्मक अध्ययन – रोमन लोगों ने प्राकृतिक विधि को अपनी पुस्तकों में स्थान देने का प्रयास किया जिस के संबंध में दासता की स्थिति में विवाद हुआ प्राकृतिक विधि कहती है कि सभी मनुष्य जिसने भी जन्म लिया है स्वतंत्र हैं तथा उन्हें जन्मता स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त हैं इनकी यह बात दास्तां को समाप्त करती थी जो कि रोम में प्रचलित थी। यदि भारतीय संविधान की तुलना मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 से एवं अमेरिकन संविधान से की जाए तो अमेरिकन संविधान प्राकृतिक विधि के संबंध में ज्यादा विधिक दृष्टिकोण रखता है।

1. भारतीय संविधान और मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा– सार्वभौमिक घोषणा 1948 और भारतीय संविधान के भाग 3 मानव अधिकारों को तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसमें जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार जहां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में मिलता है वही मानव अधिकार घोषणा पत्र में यह अनुच्छेद 3 में समाहित है इसी प्रकार के विचार घोषणापत्र के अनुच्छेद 1 में जबकि संविधान में अनुच्छेद 22 में निहित है संपत्ति के अधिकार घोषणा पत्र में अनुच्छेद 17 में बंधित है जबकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 में स्थान दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 घोषणापत्र के अनुच्छेद 19 के समतुल्य है अन्य मानवाधिकार जैसे काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 23 निर्वाचन का अधिकार अनुच्छेद 25 का भी उल्लेख मानवाधिकार घोषणापत्र में है जबकि संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व बंधित किया गया है इससे मानवाधिकार एवं मौलिक अधिकारों की परस्पर कड़ियां जुड़ती दिखाई देती हैं।

2. भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान– अमेरिकी के लिखित संविधान को बनाने वाले व्यक्तियों ने सकारात्मक तर्क से प्राकृतिक न्याय को सुरक्षित करने एवं सरकार की नीतियों में इसे लागू करने का प्रयास किया तथा भारतीय संविधान में भी इसी प्रकार से इसे लागू किए जाने का प्रयास किया गया। अमेरिकन संविधान का निर्माण एवं अमेरिका का गठन विभिन्न देशों की क्षेत्रों के संयुक्त प्रयास से एकीकृत होकर निर्मित किया गया जबकि भारत के संविधान का निर्माण में समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए संपूर्ण अखंड भारत के निर्माण की संकल्पना का पक्ष रखा गया इसके संबंध में उक्ति प्रसिद्ध है कि 'अमेरिका अविनाशी राज्यों का विनाशी समूह है जबकि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी समूह' इस प्रकार जो भी नियम निर्मित होते हैं उनमें रोगियों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है विधिक प्रणाली से भी शासित होती है विधि प्रणाली में मान्यता का नियम भी अत्यंत अनिवार्य है तथा सामान्य प्रक्रिया से ऐसे नियमों में परिवर्तन

करना संभव नहीं होता जिस प्रकार मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी उल्लिखित नहीं है परंतु यह वर्तमान परिस्थितियों में संविधान का अभिन्न अंग है तथा और असंशोधनीय भी है।

निष्कर्ष – उपरोक्त तत्व एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अध्ययन के पश्चात शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्राकृतिक विधि का उद्धव प्रकृति के उन सिद्धांतों से है जो जन सामान्य हेतु न्याय के प्रतीक माने जाते हैं जिसमें समानता, भेदभाव रहित समाज तथा समस्त प्राणी मात्र को न्याय की भावना का समावेश हो। प्राकृतिक विधि को प्राचीन काल में जहां सत्ता का क्रेन्द्र मानकर शासन व्यवस्था की जाती थी वर्तमान में प्राकृतिक विधि को आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय संविधान में प्राकृतिक विधि के आदर्शों को स्वीकार्य किया गया है जिसकी पुष्टि मूल अधिकारों एवं समय समय पर न्यायालय द्धारा डिये गए निर्णयों से होती है अत: शोधकर्ता की शोध परिकल्पना उपरोक्त वर्णित तटों के आधार पर सिद्ध होती है की मानवाधिकारों का उदभव नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से हुई है एवं मानवाधिकारों के निर्वचन एवं विकास में नैसर्गिक न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका है।

सुझाव – उपरोक्त अध्ययन एवं निष्कर्ष के आधार पर शोधार्थी द्धारा निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं–

1. किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का आधार नैसर्गिक न्याय आधारित मानव अधिकार होना चाहिए
2. मानव अधिकारों का संरक्षण राष्ट्र की विधायिका एवं कार्यपालिका का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए
3. नैसर्गिक न्याय के प्राचीन सिद्धांतों को नवीन अवधारणा के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए
4. मानव अधिकार के संरक्षण के लिए प्रशासनिक तंत्र को विकसित एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिए
5. मानव अधिकार के प्रति जन जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए
6. मानव अधिकारों के उल्लंघन की दशा पर कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए
7. मानव अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रथक से तंत्र विकसित किया जाना चाहिए

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. त्रिपाठी–डां जी.पी.–भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास 11 वा संस्करण 2014
2. शुक्ला वी एन–भारत का संविधान 13 एडिशन ईस्टर्न बुक
3. केसरी –डॉ. यू.पी.डी–प्रशासनिक विधि सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन
4. बावेल– डॉ बसंती लाल–भारत का संविधान 14वां संस्करण 2016
5. अग्रवाल –डॉ.एच.ओ. अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार 15 संस्करण 2017
6. त्रिपाठी –डॉ जी.पी. संवैधानिक विधि नई चुनौतियां सी.एल.पी 2015
7. पांडे–डॉ. जय नारायण– भारत का संविधान 50संस्करण सी.एल.पी. 2017
8. Basu- dr- Durga das- introduction of the Constitution India 29th leÛis neÛis

****

पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका - एक अध्ययन

योगेंद्र कुमार तिवारी*

शोध सारांश – पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विधायिका के सांथ सांथ न्यायपालिका ने भी अपना योगदान दिया है , माननीय न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 126 में प्राप्त अधिकारों की सहायता से विभिन्न निर्णय संरक्षण हेतु प्रतिपादित किया है। संविधान के अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं दंड संहिता 1860 में वर्णित संरक्षण के प्रावधानों का विस्तारित अर्थान्वयन न्यायलय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चरण लाल साहू एवं दामोदर दास के मामले में स्वस्थ पर्यावरण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया है। विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना कर न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। परन्तु प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आज भी जन जागरूकता, प्रभावी पालन एवं संरक्षण की दिशा में प्रयास किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तावना – पर्यावरण संरक्षण एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसके सम्बन्ध में समय समय पर विभिन्न जन आंदोलन हुए है जिसके परिणाम स्वरुप विधायिका ने विभिन्न कानूनों का निर्माण किया है इसके सांथ ही अंतरष्ट्रीय संगठनों ने भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी विशेष भूमिका अदा की है, परन्तु भारत में विकासशील देश की अवधारणा अनुसार पर्यावरण संरक्षण के स्थान पर विभिन्न अवसरों पर विकाश को चुना जाता है। देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति ने पर्यावरण संरक्षण को और भी कठिन कार्य की श्रेणी में रख दिया है। भारत में विभिन्न कानून जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , जल संरक्षण अधिनियम , वायु प्रदूषण अधिनियम आदि के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया है। परन्तु धारातल में यह सभी प्रावधान प्रवर्तन संस्थाओं की उदासीनता एवं कठोर दंड के आभाव में केवल कागज़ो तक सीमित है। पिछले कुछ माननीय उच्च एवं सर्वोच्च न्यायलय ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में व्यापक कार्य किया है जिसमे से सर्वप्रमुख पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया जाना है। माननीय न्यायलय ने स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार घोसित किया है। अन्य अवसरों में न्यायलय ने प्रकरण में दिए गए दिशा निर्देशों में संरक्षण हेतु विभिन्न सिद्धांतो का प्रतिपादन किया है।

प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के सम्बन्ध में न्यायपालिका द्वारा किये गए प्रयासों का समुचित अध्ययन किया जाकर उचित एवं संभव सुझाव निष्कर्ष सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। इस शोध पत्र में अध्ययन के दौरान सैद्धांतिक प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है तथा श्रोत के लिए विभिन्न न्यायालयीन निर्णयों का अध्ययन किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण एक परिचय – पर्यावरण शब्द का संबंध परिवेश से है। इसमें वस्तुत: सब कुछ शामिल है। इसे किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे भौतिक वातावरण को कवर करने के रूप में माना जा सकता है, जो कि हम सभी के लिए सामान्य हैं, जिसमें वायु, अंतरिक्ष, भूमि, पानी, पौधो और वन्यजीव शामिल हैं।

वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, इसे 'किसी जीव के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली सभी बाहरी स्थिति और प्रभावों को अलग करने' के रूप में परिभाषित किया गया है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (ए) के पर्यावरण में 'जल, वायु और भूमि और अंतर-संबंध शामिल हैं जो जल, वायु और भूमि के बीच और मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच मौजूद हैं।'

इस प्रकार, उपरोक्त सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद, जो मूल विचार निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वह यह है कि पर्यावरण का मतलब उस परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज हम परमाणु क्षेत्र में रह रहे हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरणों के बीच हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरी समुदायों पर संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित हवाई जहाजों द्वारा गिराए गए परमाणु बमों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। प्रौद्योगिकी, विकास के अलावा मानव जीवन के लिए जोखिम भी बढ़ाती है। तदनुसार, व्यक्तियों के साथ-साथ समाज की आवश्यकता के साथ तालमेल बिठाने के लिए कानून की तीव्र और तीव्र आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसलिए अब पर्यावरण संरक्षण का सवाल दुनिया भर में चिंता का विषय है, यह किसी भी देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है।

पर्यावरण प्रदूषण के लिए न्यायिक उपचार – पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में उपलब्ध उपायों में कपटपूर्ण और साथ ही वैधानिक कानूनी उपाय शामिल हैं। उपलब्ध अत्याचार उपचार अतिचार, उपद्रव, कठोर दायित्व और लापरवाही हैं। वैधानिक उपचार में शामिल हैं: नागरिक का मुकदमा, संवैधानिक संरक्षण आदि।

1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत कार्यवाही,
2. धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत संरक्षण और
3. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 268 के तहत अपदूषण की कार्यवाही
4. भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की जा सकती है।

पर्यावरण कानून पर संवैधानिक पहलू – भारतीय संविधान दुनिया के

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय विधि महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

उन गिने-चुने संविधान में से है जिनमें पर्यावरण संरक्षण पर विशेष प्रावधान हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अधयाय में पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है । यह पहला अवसर था जब संविधान (42वां संसोधान) अधिनियम, 1976 के माध्यम से राज्यों पर पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी ।

अनुच्छेद 48-ए के प्रावधान निम्नानुसार है: 'राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रयास करेगा।'

भाग 4 क (मौलिक कर्तव्य) को भी संविधान में शामिल किया गया, जिसमे पर्यावरण सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार है:

अनुच्छेद 51-ए (जी) 'भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखे।'

सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब भी पारिस्थितिकी की समस्या अदालत के सामने लाई जाती है, तो अदालत को ध्यान में रखना अनिवार्य है।

भारतीय न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित कुछ उल्लेखनीय सिद्धांत और एवं न्यायिक दृष्टिकोण :-

1. पूर्ण दायित्व का सिद्धांत - भोपाल मामले: यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ - इस मामले में, अदालत ने माना कि, जहां एक उद्यम एक स्वाभाविक रूप से खतरनाक या खतरनाक गतिविधि में व्यस्त है और इस तरह के खतरनाक या स्वाभाविक रूप से असुरक्षित कारखाने के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी को नुकसान पहुंचाता है, उदाहरण के लिए, पलायन में जहरीली गैस के कारण, उद्यम कठोरता से और हर उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए बाधय है जो दुर्घटना से प्रभावित है और ऐसा जोखिम किसी भी छूट के अधीन नहीं है। तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी छूट के पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया ।

2. प्रदूषक भुगतान सिद्धांत - 'अगर कोई जानबूझकर दूसरे का पानी खराब करता है तो उसे न केवल नुकसान का भुगतान करने दें, बल्कि उस जल या धारा को शुद्ध करें जिसमें पानी होगा'- प्लेटो

प्रदूषक भुगतान सिद्धांत हाल ही में एक बहुत लोकप्रिय अवधारणा बन गया है। यदि आप कोई गड़बड़ करते हैं, तो इसे साफ करना आपका कर्तव्य है - यह इस सिद्धांत का मूल आधार है। यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि पर्यावरण कानून में, 'पोल्यूटर' गलती की दशा में केवल सजा भोगता है इसके बजाय, यह एक उपचारात्मक पद्धति का समर्थन करता है जो प्राकृतिक नुकसान की मरम्मत से संबंधित है। यह अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून में एक नियम है जहां प्रदूषण करने वाला पक्ष प्राकृतिक पर्यावरण को हुए नुकसान या क्षति के लिए भुगतान करता है। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत स्थायी विकास की एक अनिवार्य विशेषता है।

3. एहतियाती सिद्धांत - वेल्लोर सिटीजन फोरम केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियाती सिद्धांत के लिए निम्नलिखित तीन अवधारणाएँ विकसित कीं:

1. पर्यावरणीय उपायों को पर्यावरणीय गिरावट के कारणों का अनुमान लगाना, रोकना और उन पर रोकथाम करना चाहिए।
2. उपायों को स्थगित करने के कारण के रूप में वैज्ञानिक निश्चितता की कमी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
3. सबूत का दायित्व अभिनेता पर यह दिखाने के लिए है कि उसकी कार्रवाई सौम्य है।

4. लोक विश्वास सिद्धांत- लोक न्यास सिद्धांत मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर टिका है कि कुछ संसाधानों जैसे हवा, पानी, समुद्र और जंगलों का समग्र रूप से लोगों के लिए इतना अधिाक महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। एम.सी. मेहता बनाम कमलनाथ और अन्य के प्रकरण में माननीय न्यायलय प्रतिपादित किया है। सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत, जैसा कि इस निर्णय में अदालत द्वारा उल्लेखित किया गया है, भूमि के कानून का एक हिस्सा है।

5. सतत विकास का सिद्धांत - पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (WCED) ने अपनी रिपोर्ट में प्रमुख रूप से 'ब्रंडलैंड रिपोर्ट' के रूप में जाना, जिसका नाम आयोग की अध्यक्ष सुश्री जीएच ब्रुंटलैंड के नाम पर रखा गया है, जो सतत विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालती है। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास 'विकास को दर्शाता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है।' ग्रामीण अभियोग और प्रवेश केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में अदालत पहली बार पर्यावरण और विकास से संबंधित मुद्देके सम्बन्ध में सुनवाई की ; और कहा कि, यह हमेशा याद रखना चाहिए कि ये मानव जाति की स्थायी संपत्ति हैं और एक पीढ़ी में समाप्त होने का इरादा नहीं रखती है अत: हमें पर्यावरण को आगामी पीढ़ी में अंतरित किया जाना चाहिए ।

6 . गरीबी उन्मूलन और सहायक पर्यावरण-प्रणाली - वेल्लोर नागरिक कल्याण फोरम इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि स्थायी विकास को गरीबी उन्मूलन और सहायक पर्यावरण-प्रणाली की वहन क्षमता के भीतर रहते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक व्यवहार्य अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण: न्यायिक दृष्टिकोण - निम्नलिखित कई निर्णय हैं जो पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं, ये इस प्रकार हैं:

1. एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार - चरण लाल साहू प्रकरण इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार में एक संपूर्ण वातावरण का अधिकार शामिल है। दामोदर राव बनाम एस. बनाम नगर निगम हैदराबाद के प्रकरण में न्यायालय ने इस तर्क का समर्थन करने के लिए अनुच्छेद 48ए और 51ए(जी) के तहत संवैधानिक जनादेश का सहारा लिया और कहा कि पर्यावरण प्रदूषण संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।

2. लोक अपदूषन : न्यायिक प्रतिक्रिया - रतलाम नगर परिषद बनाम वर्धीचंद इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय वैधानिक प्राधिकरण के सामाजिक न्याय घटक को बनाए रखने में वैधानिक सक्रियता के इतिहास में एक प्रमुख उदाहरण है, जो अपदूषन को समाप्त करने और बनाने में लोगों को उनके कानूनी दायित्व का निर्वहन करने के लिए वैधानिक अधिकारियों पर दायित्व तय करके वित्तीय बाधाओं के बावजूद पर्यावरण प्रदूषण मुक्त करता है, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि, 'सामाजिक न्याय के कारण है और इसलिए लोगों को किसी भी सार्वजनिक कामकाज के लिए अपने लाभ के लिए निहित अधिकार क्षेत्र को ट्रिगर करने में सक्षम होना

चाहिए।' न्यायालयों के संवैधानिक दायित्व के रूप में पीआईएल को मान्यता दी।

3. न्यायिक राहत में पीड़ितों को मुआवजा शामिल है

दिल्ली गैस रिसाव का मामला: एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ ,मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किए:

1) सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रमाणित उल्लंघन के लिए उपचारात्मक राहत देने की शक्ति में (यदि अनुच्छेद 21 में) क्षतिपूर्ति देने की शक्ति शामिल है।
2) फैसले ने भारतीय न्यायशास्त्र में एक नया 'नो फॉल्ट' देयता मानक (पूर्ण दायित्व) पेश किया, जो खतरनाक गतिविधियों में लिप्त उद्योगों के लिए है, जिसने भारत में देयता और मुआवजा कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन लाए हैं। नया मानक खतरनाक उद्योगों को अपनी गतिविधियों से होने वाले नुकसान के लिए पूरी तरह उत्तारदायी बनाता है।

4. पानी के लिए मौलिक अधिकार – भारत में पानी का मौलिक अधिकार विधायी कार्रवाई के माधयम से नहीं बल्कि न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भारत और ओआरएस संघ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'जल मानव की जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरत है और अनुच्छेद 21 में जीवन और मानवाधिकारों के अधिकार का हिस्सा है।' भारत का संविधान ... और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार और सतत विकास जीवन के अधिकार में निहित मौलिक मानवाधिकार हैं।

निष्कर्ष – इस प्रकार, उपरोक्त मामलों के विश्लेषण के बाद, हम पाते हैं कि, सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान समय में, पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधानों को विकसित कर रहा है। इस तरह, न्यायपालिका उन अंतरालों को भरने की कोशिश करती है जहां कानून की कमी है। न्यायिक सक्रियता द्वारा भारत में ये नए नवाचार और विकास देश की मदद के लिए कई दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। भारत में, अदालतें पर्यावरणीय अधिकारों की विशेष प्रकृति के बारे में बेहद सजग और सतर्क हैं, यह देखते हुए कि प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान का नवीकरण नहीं किया जा सकता है।

सुझाव :

1. जन जागरण को बढ़ावा देना – भारत में, मीडिया चौथा स्तंभ है। यह देश के सामान्य सुधार में एक असाधारण आवश्यक और सम्मोहक भूमिका निभाता है। मीडिया के प्रभाव को उनके मीडिया में प्रकाशित करके केवल इसके द्वारा निर्देशित विभिन्न परीक्षणों में देखा जा सकता है। तद्नुसार सामान्य जनमानस में जागरूकता पैदा कर पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे को रोका जा सकता है, जिसमें मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पत्राचार की सम्मोहक एजेंसी न केवल व्यक्तियों के दिमाग को प्रभावित करती है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों के विचारों और वांछनीय दृष्टिकोणों को विकसित करने में भी सक्षम है।

2. नियमित निरीक्षण की व्यवस्था करना – एक मानक समीक्षा तंत्र की आवश्यकता है, जो समय-समय पर उन सभी अभ्यासों का निरीक्षण और जांच कर सकता है जो पर्यावरण के लिए खतरा हैं। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सफल कदम होगा, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है।

3. पर्यावरण शिक्षा का व्यापक प्रसार करना – किसी भी कानून के लिए कोई साधन नहीं है, जब तक कि यह एक प्रभावी और सफल कार्यान्वयन नहीं है, और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सार्वजनिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित जागरूकता होनी चाहिए। इस विवाद को शीर्ष अदालत ने एम.सी. के उदाहरण में रखा है। मेहता बनाम भारत संघ। इस मामले में, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जारी करने के लिए बाधय है.

4. पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करना – सामाजिक दायित्व के रूप में जनता के मध्य पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया जाने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि जान सहयोग के बिना पर्यावरण संरक्षण किया जाना संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संविधान – डॉ डी. डी. बसु
2. 1990 AIR 1480
3. 1987 AIR 1109
4. 1992 AIR 248

****

New Regulatory Initiatives By IRDA In Health Insurance Industry

Dr. Priya Jain* Dr. Rameshwar Gupta**

Key Words - Health Insurance, IRDA, Regulatory Initiatives.

Introduction - In India approx 15% to 18% per cent of 1.27 billion populations have some form of health insurance coverage, and this percentage includes those also who are covered in some government schemes. By 2012-13 as per Insurance Regulatory Development Authority of India (IRDA) Annual Report, only 207 million people have health insurance. Such lower coverage of health insurance results in to higher out- of -pocket expenses at the time of medical emergency. As per the data of World Health Organization (WHO) in 2011 the Out-of Pocket expenses for India stood at 86%, while these expenses in developed economy like US and UK is 20.9% and 53.1% respectively. On the other hand as per WHO statistics 2011 India spent only 3.9 per cent of gross domestic product (GDP) on the health sector which is the lowest amongst the BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) member countries. So the regulatory body is making lots of efforts for improving health insurance penetration in India and for assuring maximum protection to consumers.

Objective: The main objective of the study is to know about the different regulatory initiative undertaken by IRDA for betterment of Indian health insurance industry.

Methodology: The study is completely based upon secondary data and information already available. Information gathered through IRDA website, the thesis titled ¯AComparative Study of Public and Private Sector Health Insurers and different articles and generals. It is literature based study.

The Indian Health Insurance Industry: Brief Introduction The health insurance industry has underwrite the premium of Rs. 20,440 crore in the year 2014 -15 (IRDA Annual Report) and is expected to increase continuously at a higher rate than other line of insurance. This sector has become a second important line of business for general insurance companies after motor insurance.? In 2005-06 where the share of health insurance premium was only 10.91% to the total premium of general insurance industry in India, it has reached to 22.19% by the year 2012-13.

Pre and Post Liberalization seen of Health Insurance

Pre liberalization Seen (Before 2000)	**Post Liberalization Seen (After2000)**
No proper mechanism to regulate healthinsurance industry	IRDA the regulator. Health Insurance Forum,Insurance Ombudsman.
No specific guidelinesto operate Health Insurance Industry	Guidelines for free lookperiod, portability, grievance Redressal
No Standalone healthinsurers	4 Standalone healthinsurers
Only LIC and 4 General InsuranceCompanies	21 more General Insurance Companies
Few critical illness plans	Innovative products Like critical illness,Top up, Market linked etc.
No specific policy for olders	Several attractive plans by covering criticalillness

Regulatory Initiatives by IRDA: After liberalization, in the year 2001 IRDA passed Third Party Administrator regulation to improve service aspect of insurance industry, this step proved fruitful specifically to health insurance industry. The main problem to distribute/sell the insurance product Competitive government allowed the stand alone health insurers in the market from the year 2006. From January 2007 government introduced Free Price Regime or De-tariffication which enables the insurers to design new and innovative suitable products to sustain in the competitive market. Several initiatives taken by IRDA in recent past for betterment of health insurance industry are:

To boost Financial Strength and Technical Expertise: For this the IRDA has been proposed to raise foreign equity participation to 49% from 26%. In this regard an amendment bill has been introduced in the parliament. The bill also proposed to give permission to foreign reinsures to open their branches only for reinsurance in India. Increase FDI will boost a new energy in insurance sector.

For More awareness & relevance: To increase awareness regarding health insurance, GIC and the IRDA launched a comprehensive marketing media campaign. It's main aim to boost awareness across different segments of the population.

To Boost Penetration: Penetration can't be increased without availability and reach of sufficient and trustworthy distribution channel. For this IRDA already issued guidelines to Broker and Corporate Agents to sell Insurance products.

***Assistant Proessor (Commerce) PMB Gujarati Commerce College, Indore (M.P.) INDIA**
**** Assistant Professor (Commerce) Govt. Girls College, Dhar (M.P.) INDIA**

Specifically to health insurance segment IRDA allowed to standalone health insurers to distribute their products to bank customers. By tying up with banks the health insurance companies will be able to tap more and more customers and wide their presence in tire II tires III cities.

Boosting uniformity: People feel hesitant to buy health insurance policy due to several confusions and different meaning of policy wording of different companies. For reducing such confusion and ambiguity IRDA has created "Health Insurance Standardization Guidelines". Under this IRDA standardized the 46 most commonly used definitions/ terms/conditions in health insurance policies. It also defines 11 common critical illnesses covered under various health insurance policies in India. These guidelines has to be strictly followed by health insurers

Health Insurance Forum: The insurance regulator IRDA passed an order on Feb 2012 to set up Health Insurance Forum for effective dialogues between hospitals, insurers, TPAs and end consumers. This forum will be consultative body which helps the Insurance Regulator to evolve regulatory changes which would be beneficial to all stakeholders in the health insurance segment.

The Health Insurance Forum is expected to perform the following functions:

1. To aid, advise and assist IRDA in evolving regulations relating to health insurance in India.
2. To facilitate the creation and adoption of standard processes in the health insurance industry.
3. To help IRDA in collecting, maintaining and disseminating data required for efficient conduct of health insurance business.
4. To act as a consultative forum between insurance companies and other stakeholders.

The new Health Insurance Forum is a representative of all stakeholders in the health insurance segment - insurance companies, end consumer, hospitals, TPAs, IRDA, hospitals and many more. The forum is expected to held meetings at least twice in a year.

Health Insurance portability: Before the implication of Portability, if a customer who is not satisfies with an insurance company and wants to change the insurer by transferring his policy, he was treated as new customer by latest insurer and all the benefits he accrued on his policy at earlier insurance company would stand nullified.

Health Insurance has become portable from 01 October 2011, now insured can move to another insurance provider and carry along all the credits, gained for having been loyal. In simple insured can switch from one insurer to another without losing out on accumulated benefits.

Financial literacy and Consumer Education initiatives: The financial literacy and consumer education initiatives are aimed at ensuring that the customer is well informed and financially educated while purchasing insurance products. During 2011-12, IRDA has carried out awareness campaigns in English, Hindi and vernacular languages through print and electronic media. 'Bima Bemisaal' is the brand name for IRDA's insurance awareness campaign. It is a consumer education initiative and has the tagline "Promoting Insurance, Protecting Insured". The Authority has declared its formation day ¯19 April as Insurance Awareness Day. IRDA's consumer education website also spreads the message about the need to have insurance through comic strips and other consumer-related information.

Customer Protection and Grievance Settlements: For providing protection to Indian consumers against malpractices and gullible brokers who are out to fleece the customers by raking in quick profits, IRDA has been made several arrangements like appointed of Ombudsman in India, Issued Guidelines for set-up of Grievance Redressal Mechanism, Policyholder Protection Committee etc. Details are as follows:

Insurance Ombudsman: The institution of Insurance Ombudsman was established by a Notification of Government of India dated 11th November, 1998. The main purpose of establishment of Insurance Ombudsman was quick disposal of the grievances of the policyholders. IRDA has set up Ombudsman offices in 12 cities in India. This institution is of great importance to protect the interests of policyholders in whole system.

Set-up of Grievance Redressal Mechanism by Insurer: As per Regulation 5 of IRDA Regulations for Protection of Policyholders Interests, 2002 which is regarding speedy and effective grievance redressal systems, IRDA issues guidelines to setup Grievance Redressal mechanism by insurance companies.

Grievance Redressal System/Procedure: Every insurance company in its each office has to establish a systematic policy & procedure for receiving, registering and disposing of grievances as per guidelines. The insurers shall ensure that the predetermined minimum time-frames have been adopted in the company.

Policy Holder Protection Committee: As per guidelines of IRDA each insurer shall set up a Policyholder Protection Committee which will be directly responsible to the Board. The Committee should have responsibility to set up proper procedures and effective system to address grievances of policyholders, and ensure access of policyholder to the mechanisms. It also responsible to make sure that all the material information discloses to policyholder and make arrangements for periodic review of whole mechanism and complaints.

Conclusion: The regulator is playing vital role to educate the consumers about health insurance and to give the health insurance companies free hand to work in the market. Challenges are enormous as frequent changes in the policies disrupt the market of insurers as they need to apply these changes in between but the same are essential for future growth of health insurance industry. So the regulator and insurers both need to join hand in promoting changes for betterment of Indian Health Insurance industry.

References :-

1. Corporation, G. I. (2012-13). Indian Non-Life Insurance Industry YearBook. Mumbai: GIC.
2. IRDA. (2005-2013). Annual Report. New Delhi: IRDA.
3. IRDA. (2010-11). Hand Book on Indian Insurance Statistics. New Delhi: IRDA.
4. Jain, P. (2015, feb). A Comparative Study of Public and Private Sector Health Insurer. 230. Indore, MP, India.
5. Shetty, G. (2014). Healthcare Insurance Evoluation in India - An Opportunity to Expand Access. Chennai: Cognizant.

****

महिला उद्यमिता के विकास में महिला सहकारी बैंकों की भूमिका

तरूणा सुथार *

शोध सारांश – भारत में विगत दो दशकों में महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों में बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न बैंक महिलाओं के आर्थिक विकास में निर्णायक योगदान दे रहे हैं। उदयपुर जिले में दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. व दी उदयपुर महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. की महिला उद्यमिता के विकास में विशेष भूमिका है। यह बैंक महिला ग्राहकों को विभिन्न बैंकिग सुविधाऐं प्रदान कर उनके उद्यमिता विकास हेतु कई योजनाऐं चला रहा है जिससे कि महिलाएँ आत्मनिर्भर बनें तथा उनके आय स्तर में भी वृद्धि हो सके। अतएव यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि महिला समृद्धि बैकों के कारण महिला उद्यमिता के विकास में निश्चय ही सुधार हो रहा है।

प्रस्तावना – हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं के रूप में विद्यमान है, भारतीय संविधान में महिला एवं पुरुष दोनों को एक समान दर्जा दिया गया है। जिसके अन्तर्गत दोनों को नागरिकों के मूल-भूत अधिकार समान रूप से प्रदत्त है। स्वाधीनता के पश्चात् देश में नारी शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय महिलाऐं बुद्धिमती है, मेहनती है, धैर्य एवं निष्ठा के गुण इनमें विद्यमान है। आज महिलाऐं तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा विभिन्न क्षैत्रों में ज्ञानार्जन हेतु भी संलग्न है। वह अब आर्थिक व वित्तीय क्षेत्रों में भी सक्रिय होने लगी है इससे नि:सन्देह महिलाओं का आर्थिक विकास हुआ है।

महिलाओं के आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए ही महिला सहकारी बैंक की स्थापना की गई जिसने महिलाओं की प्रगति एवं आर्थिक विकास को पूरा करने का दायित्व अपने हाथ में लिया और इसी दिशा में अग्रसित हो रहे हैं। आज महिलाऐं आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी हो गई है, इसलिए उन्हें पूरा सम्मान मिलने लगा है। वर्तमान में उदयपुर में महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए महिला सहकारी बैंक कार्यरत है, इन बैकों में पुरूष एवं महिला दोनों को खाते खोलने की सुविधा है, लेकिन ऋण सिर्फ महिलाओं को ही दिये जाते हैं, बैंक में कर्मचारी भी महिलाएँ ही है तथा महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाती है।

पिछले कुछ वर्षों से लगभग सभी देशों में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता में तेजी से वृद्धि हुई है। नए युग की बदलती चुनौतियों एवं अवसरों ने महिलाओं को नौकरी करने के स्थान पर नौकरी प्रदाता बना दिया है तथा आधुनिक महिलाएं रोजगार सृजनकर्त्ता के रूप में उभर रही है। महिला उद्यमिता व्यक्तियों के लिए, समुदायों के लिए और देश के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसी महिलाऐं जो व्यवसाय शुरू करती हैं, वह महिला उद्यमी कही जाती है। भारत में महिला उद्यमियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

'कोई उद्यम जो महिला के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण द्वारा स्थापित हो, उद्यम की कुल पूंजी का 51 प्रतिशत वित्तीय स्वामित्व महिला का हो एवं उद्यम में सृजित कुल रोजगार का 51 प्रतिशत महिलाओं के लिए हो महिला उद्यम कहलाता है।'

शोध समीक्षा – वर्ष 2019 में एस.एम. ग्लोस, जी.एम.सी. इल्वी, ओ. दूर्राह द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किया गया इस पत्र में ओमान में महिला कुटीर उद्यमियों द्वारा अपनी उद्यम शुरू करने में आने वाली समस्याओं की जाँच की गई है, यह अध्ययन ओमानी समाज केखुद को स्थापित करने के लिए एवं विभिन्न कारणों से अपना पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं से परे जाने वाली महिलाओं पर केन्द्रित है। महिला उद्यमियों के वर्तमान व्यावसायिक जरूरतों के लिए सरकार, विशेष आपूर्तिकताओं तक पहुँच और कच्चे माल की उच्च लागत सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

वर्ष 2018 में ईलाही साऊदद्वारा यह पत्र महिला उद्यमियों से सम्बन्धित NSSO के NSS 78वें दौरा के निष्कर्ष के विश्लेषण के सम्बन्ध में महिला उद्यमियों की स्थिति पर केन्द्रित है। यह महिला उद्यमियों की बाधाओं और महिला उद्यमिता के विकास एवं इसके लिए की गई पहल की जाँच करता है। सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्यम क्षेत्र में महिला उद्यमियों के योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। खासकर ग्रामीण क्षैत्रों में जहां वे सूक्ष्म उद्यमों में रोजगार पैदा करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। लेकिन महिला उद्यमिता का विकास सामाजिक नजरिए और व्यावहारिक समस्याओं के कारण धीमा रहा है।

वर्ष 2018 में अग्रवाल, सुचिता व लेंका उषा द्वारा प्रस्तुत शोध में भारत सरकार की विभिन्न नीतियों व विकास कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया जो महिला समूहों व उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा दे रही है। किसी भी देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह अध्ययन महिला उद्यमिता के क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान के लिए आवश्यकता और महत्व को बताता है।

वर्ष 2017 में नेहा तिवारी द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र में बताया है कि भारत में लगभग आधी आबादी महिलाओं की हैं लेकिन उद्यमी गतिविधियों में उनकी भागीदारी सीमित है। इस अध्ययन में भारत में महिला उद्यमिता की अवधारणा और गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया है। इसमें शोध समीक्षा के लिए अधिकांश नवीनतम शोध गूगल स्कोलर, इबस्को और प्राकेस्ट पर उपलब्ध शोध को चुना गया है। साहित्य समीक्षा से भारत में महिला उद्यमियों का उदय व इनकी विविधतापूर्ण रूपरेखा सामने आई है। भारत में उद्यमशीलता की गतिविधि काफी कम है अैर ज्यादातर तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र राज्यों में केन्द्रित है।

वर्ष 2016 में जयश्री, जी.कर्नल, आई.मिर्सी, पी. द्वारा शोध पत्र में

* शोधार्थी, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

बताया गय है कि भारत में पिछले दो दशकों में महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय में उछाल आया है व भारत के आर्थिक विकास में भी वृद्धि हुई है। देश में अधिकांश महिला उद्यमियों ने न केवल आर्थिक विकास में योगदान दिया बल्कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान किये है। हांलाकि महिलाओं के उद्यम में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से वित्त प्राप्त करने में समस्याएं। एक महिला उद्यमी के पास वित्त का अच्छा स्त्रोत होना चाहिए, वित्त फर्म की रीढ़ ही हड्डी का काम करता है। बिना वित्तीय सहायता के इसे आगे ले जाना मुश्किल हो जाता हैं। शोधकर्ता ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में बैंकों की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया है।

शोध प्रविधि – महिला उद्यमिता में दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि, दी उदयपुर महिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक की भूमिका का अध्ययन किया गया है। इसमें उदयपुर जिलें के दोनों महिला सहकारी बैंकों को सम्मिलित किया गया है। 129 महिला उद्यमियों से प्रश्नावली भरवाकर प्राथमिक समंकों का संग्रहण किया गया है व Student T-Test (difference of mean) का प्रयोग कर किया गया है।

शोध के उद्देश्य :

1. उदयपुर जिले में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं का अध्ययन करना।
2. महिला सहकारी बैंकों द्वारा कुटीर एवं लघु महिला उद्यमिता के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करना।

महिलासहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध वित्तीय सेवायें – यह बैंक सहकारी बैंक होते हुए भी राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहा है।यह बैंक सभी आधुनिक सुविधाएँ एवं संसाधन उपलब्ध करा रहे है। समय–समय पर आवश्यतानुसार बैंक के संसाधनों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है। उदयपुर जिले में महिला सहकारी बैंक, महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे है जो निम्न प्रकार है –

1. **ए.टी.एम.कार्ड –**महिला समृद्धि बैंक महिलाओं केा ए.टी.एम सुविधा उपलब्ध करवाकर पूरे भारत में राशि आहरण की सुविधा दे रहे हैं।
2. **ई–कॉमर्स –**महिला सहकारी बैंक महिलाओं को अपने रु पे–डेबिड कार्ड में ऑनलाइन खरीददारी की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।
3. **नेक/इ.सी.एस.–**नेक(National Automatic clearing house)द्वारा सभी सब्सिडी खातों में प्राप्त करने की सुविधा है व इ.सी.एस (Electronic Clearing Services) द्वारा डेबिट व क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करवा रहे है।
4. **आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी/आई.एम.पी.एस –**आर.टी.जी.एस (Real time Cross Settlement) व एन.ई.एफ.टी (National Electronic End Transfer) द्वारा पूरे भात में राशि हस्तान्तरण की सुविधा उपलब्ध है।
5. **कौर बैंकिंग –**कौर (Centralized online Real Time Banking) व नेटवर्क बैंकिंग के तहत ग्राहक का खाता महिला सहकारी बैंक को किसी भी शाखा में होने पर वह किसी अन्य शाखा से अपना लेन–देन का कार्य सम्पन्न कर सकता हैं।
6. **सी.टी.एस.क्लियरिंग –**सी.टी.एस (Cheque Transaction System) द्वारा चेक समाशोधन की सुविधा प्रदान करता हैं।
7. **डी.आई.सी.जी.सी.द्वारा बीमित –** डी.आई.सी.जी.सी. (Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation) के तहत महिला समृद्धि बैंक ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा किये गये पैसों का बीमा करवाकर सुरक्षा मुहैया करवाता है।
8. **मोबाईल बैंकिग व एस.एम.एस बैंकिग –**यह बैंक ग्राहकों को अपनी एप के माध्यम से बैंकिग लेन–देन की सुविधा उपलब्ध करवाते है व एस.एम.एस से खातों के लेन–देन की सूचना उपलब्ध करवाते हैं।

ऋण सुविधाएँ–महिला सहकारी बैंक सिर्फ महिलाओं को ही ऋण की सुविधा प्रदान करते है। इन बैंकों ने अब तक कई महिलाओं का ऋण उपलब्ध करवाकर उन्हें रोजगारोन्मुखी एवं आत्मनिर्भर बनाया है। यह बैंक महिलाओं को व्यावसायिक ऋण, प्लांट एवं मशीनरी ऋण, आवास ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण योजना, बंधक ऋण, ग्राहक ऋण, व्यक्तिगत ऋण, यात्रा ऋण योजना, अक्षय सोर ऊर्जा ऋण योजना व सोने की गिरवी पर ऋण इस प्रकार विभिन्न ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। यह बैंक महिला उद्यमियों को अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन सभी प्रकार के ऋण उपलबध करवा रहा है।

दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा ऋण वितरण–यह बैंक महिलाओं को विभिन्न प्रकार के ऋण दे रहे है जिनका 2011 से 2020 तक का विवरण प्रस्तुत तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1 अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

तालिका सं. 1 से स्पष्ट होता है कि इस बैंक द्वारा दिये गये ऋणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011 में कुल ऋण 2127.28 लाख थे जो 2020 तक बढ़कर 5889.71 लाख हो गये। 2017 का वर्ष ऐसा है जिसमें ऋणों में नाममात्र की कमी आयी है। 2016 में 4463.61 लाख ऋण दिये गये थे जो 2017 में घटकर 4349.50 लाख हो गये

दी उदयपुर महिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा ऋण वितरण– इस बैंक द्वारा 2011 से 2020 तक दिये गये ऋणों का विवरण दिया गया है।

तालिका संख्या 2 अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

प्रस्तुत तालिका 2 में बैंक द्वारा दिये जा रहे दीर्घकालीन सुरक्षित ऋण, मध्यकालीन सुरक्षित ऋण, नकद उधार, अधिविकर्ष, जमा विरूद्ध ऋण को दर्शाया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2011 में कुल 2813.76 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया व 2020 में ऋणों में वृद्धि होकर 9971.47 लाख रूपये हो गये। इन दस वर्षों में 2014 व 2020 को छोड़ कर सभी वर्षों में ऋणों का विवरण में वृद्धि हुई है।

महिला सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सुविधा – प्रत्येक उद्यमी को उद्यम संचालन में वित्ता की आवश्यकता होती है इसी प्रकार महिला उद्यमियों को भी अपने व्यवसाय को प्रारम्भ करने व उसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा महिलाओं को विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे – व्यावसायिक ऋण, वाहन ऋण, प्लान्ट एण्ड़ मशीनरी ऋण, गृह ऋण, ग्राहक ऋण, बन्धक ऋण, व्यक्तिगत ऋण, शिक्षा ऋण, एल. आई. सी. के विरूद्ध ऋण, सावधि जमा के विरूद्ध ऋण, सोने के विरूद्ध दिये जा रहे है।

दी उदयपुर महिला अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. द्वारा भी महिलाओं के लिए विभिन्न ऋण योजनाएँ जैसे – बन्धक ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, कम्पयूटर ऋण योजना, सोलर प्लान्ट ऋण योजना, व्यक्तिगत ऋण, जमा विरूद्ध ऋण, एल.आई.सी. के विरूद्ध ऋण दिये जा रहे है। प्रस्तुत तालिका में विश्लेषण किया गया है।

तालिका 3 (निचे देखे)
दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. व दी उदयपुर महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. की महिला उद्यमियों में इन बैंकों से प्राप्त ऋणों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. से 78.26 प्रतिशत महिला कुटीर उद्यमियों ने ऋण प्राप्त किये हैं व 21.73 प्रतिशत महिला लघु उ़द्यमियों ने ऋण लिये हैं।

दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. से 62.5 प्रतिशत महिला कुटीर उद्यमियों ने ऋण प्राप्त किये है व 37.5 प्रतिशत महिला लघु उद्यमियों ने ऋण लिये है।

महिलासहकारी बैंकों द्धारा कुटीर एवं लघु महिला उद्यमीता का विकास – महिलाओं के हाथ में जब रोजगार आता है, तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो सुधरती ही है, महिलाओं का आत्म विश्वास भी बढ़ता है। महिला कुटीर उद्यम के अन्तर्गत कुशल महिला कारीगरों द्धारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। भारत में कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत कुछ ऐसी वस्तुओं का भी निर्माण होता है, जो आधुनिक तकनीक से उत्पादित वस्तुओं से भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है। महिला लघु उद्यमी वह है जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारम्भ करती है। मुख्यतया लघु उद्योगों को इनमें विनियोजित राशि के मापदण्डों से वर्गीकृत किया जाता हैं। लघु उद्योग वह है जहाँ निर्माण क्षेत्र में प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक व 5 करोड़ से कम होता है व सेवा क्षेत्र के लघु उद्योग में उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो उसे लघु उद्योग की श्रेणी में माना जाएगा।

उदयपुर जिले में दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. व दी उदयपुर महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. द्धारा महिला कुटीर व लघु उद्यमियों के विकास में कितने सफल हुए है, महिला समृद्धि बैंकों द्धारा महिलाओं के आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए गए है।

महिला सहकारी बैंकों के 129 महिला उद्यमी ग्राहकों पर अध्ययन किया गया है। महिला समृद्धि बैंकों द्धार कुटीर व लघु महिला उद्यमियों में विकास समान रूप से हो रहा है या नहीं इनका अध्ययन Student T-Test (difference of mean) का उपयोग कर किया गया है।

तालिका- 4

प्रकार	महिला कुटीर उद्यमी	महिला लघु उद्यमी
उत्तरदाता की संख्या	102	27
माध्य	8.74	8.77
मानक विचलन	1.28	1.33
प्रायिकतामुल्य (p-value)	0.865	

निष्कर्ष Not Significant

प्रस्तुत तालिका महिला सहकारी बैंकों द्धार कुटीर एवं लघु महिला उद्यमियों के विकास में योगदान को बताती है। तालिका में प्रायिकता दर 0.865 बतायी गयी है जो कि 1 के नजदीक है। यदि प्रायिकता दर 1 के नजदीक प्राप्त होती है तो Not Significant difference होगा अर्थात् महिला समृद्धि बैंकों द्धारा महिला लघु वं कुटीर उद्यमियों का समान रूप से विकास किया जा रहा है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से यह बताया गया है कि दी उदयपुर – महिला समृद्धि अरबन को – ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड व दी उदयपुर महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि. अपने ग्राहकों को सभी प्रकार की नवोन्मेषी सुविधाएं दे रहा है। इसके अलावा बैंकों द्धार महिला उद्यमिता विकास के लिए विभिन्न साख सुविधा दी जा रही हैं, जिससे वह अपने स्वयं का उद्यम प्रारम्भ कर सके। महिलाओं को उद्यमिता शिविर में विभिन्न औद्योगिक कार्यो के लिए प्रशिक्षण भी दिये जा रहे हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि दोनों महिला सहकारी बैंक महिला उद्यमियों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. एस.एम. घोष, जी. एमसीएल्वी, ओ. दुर्राह (2019), 'इन्टरप्रिन्युरियल सक्सेस ऑफ कॉटिज़-बेस्ड वूमन इन्टरप्रेन्यूर इस ओमन', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्टरप्रिन्युरियल बिहेवियर एंड रिसर्च
2. डॉ. सौद इलाही (2018), 'एन ओवरव्यू ऑफ फिमेल इन्टरप्रिन्योर्स इन इण्डियन एम.एस.एम.ई. सेक्टर', सऊदी जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैंनेजमेंट स्टडीज, आईएसएसएन 2415-6663
3. सुचिता अग्रवाल, उषा लेंका (2018), 'वाय रिसर्च इस नीडेड इन वुमन इन्टरप्रिन्योंशिप इण्डिया ए व्यू पोईट', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल इकॉनोमिक, आईएसएसएन 0306-8293
4. नेहा तिवारी (2017), 'वुमन इन्टरप्रिन्योंशिप इन इंडिया : ए लिटरेचरी रिव्यु', अमीटी जर्नल ऑफ इन्टरप्रिन्योंशिप, 2(1), (47-60)
5. जी. जर्यश्री, डॉ. आई कर्मल मरसी प्रिया (2016), 'ए स्टडी ऑन रोल ऑफ बैंकिंग सेक्टरर्स इन वुमेन इन्टरप्रिन्योंशिप डेवलेपमेंट', इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल रिलेवेंस एंड कंर्सन, आईएनएसएन - 2347-9698, वॉल 4, इश्यू 11
6. पुजा जैन (2011), 'महिलाओं के आर्थिक उत्थान में बैंको की भूमिका, उदयपुर में स्थित महिला बैंको एवं अन्य बैंको की तुलनात्मक अध्ययन।'
7. दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2020
8. दी उदयपुर महिला अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि., वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2020
9. www.wikipedia
10. www.samridhibank.com

तालिका 3 : बैंकों से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सुविधा

प्रकार	दी उदयपुर महिला समृद्धिअरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि.		दी उदयपुर महिला अरबनको-ऑपरेटिव बैंक लि.	
	ऋणों की संख्या	प्रतिशत	ऋणों की संख्या	प्रतिशत
महिला कुटीर उद्यमी	36	78.26	10	62.5
महिला लघु उद्यमी	10	21.73	6	37.50
योग	46	100	16	100

तालिका संख्या 1 : ऋण वितरण

(राशि लाखों में)

ऋण के प्रकार	31.3.11	31.3.12	31.3.13	31.3.14	31.3.15	31.3.16	31.3.17	31.3.18	31.3.19	31.3.20
मध्यकालीन सुरक्षित ऋण	1205.50	1308.80	2053.78	2476.88	2867.80	3017.56	9330.63	3414.76	3287.66	3814.08
नकद उधार	220.68	230.07	317.11	248.10	269.05	330.76	277.33	333.37	550.13	540.28
अधिविकर्ष	604.51	623.96	819.78	994.64	941.14	987.82	1024.88	1249.37	1199.32	1200.03
डिपो एवं एजीबी वाई के विरूद्ध ऋण	65.77	208.67	207.61	70.80	97.56	81.90	76.37	123.44	350.51	303.86
एनएससी व के वीपी	22.71	24.26	24.89	18.33	31.02	34.84	29.58	29.87	31.48	20.10
गोल्ड लोन	10.52	31.89	62.04	13.88	10.38	10.73	10.71	5.38	2.52	11.42
योग	**2127.28**	**2427.05**	**3485.21**	**3822.63**	**4216.95**	**4463.61**	**4349.50**	**5156.19**	**5421.62**	**5889.71**

स्त्रोत : दी उदयपुर महिला समृद्धि अरबन को–ऑपरेटिव बैंक लि. का वार्षिक प्रतिवेदन

तालिका संख्या 2 : ऋण वितरण

ऋण के प्रकार	31.3.11	31.3.12	31.3.13	31.3.14	31.3.15	31.3.16	31.3.17	31.3.18	31.3.19	31.3.20
दीर्घकालीन सुरक्षित ऋण	**1432.53**	1405.20	1489.43	1865.01	1847.90	2241.94	2954.91	2909.84	2764.89	2797.01
मध्यकालीन सुरक्षित ऋण	**236.83**	380.28	615.32	276.16	199.30	133.36	151.22	166.44	378.40	475.03
नकद उधार	**58.47**	64.50	60.76	59.69	58.26	55.56	56.29	52.19	41.88	44.21
अधिविकर्ष	**980.96**	883.45	2054.80	2022.39	4058.57	5350.03	5739.75	6680.21	7347.82	6500.73
जमा विरूद्ध ऋण	**104.97**	83.95	103.68	100.36	96.75	70.85	70.15	92.63	161.78	154.49
अन्य ऋण	**2813.76**	**2817.38**	**4323.99**	**4323.61**	**6260.78**	**7780.89**	**8972.32**	**9901.31**	**10694.77**	**9971.47**

स्त्रोत : दी उदयपुर महिला अरबन को–ऑपरिटव बैंक लि. वार्षिक प्रतिवेदन

बर्ड फ्लु : कारण एवं बचाव (म.प्र.तथा भारत के सन्दर्भ में)

अंचल रामटेके *

शोध सारांश – बर्ड फ्लू को सामान्यत: एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है।जो की एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है यह न केवल पक्षियों बल्कि मनुष्य तथा दुसरे जन्तुओ में भी देखा गया है। H_5N_1 बर्ड फ्लू के लिए सामान्य रूप से ज्ञात प्रकार है, यह पक्षियों के लिए घातक है तथा उसके संपर्क में आने वाले मनुष्य तथा जन्तुओ को नुकसान पहुचाते है। जो की वाहक के रूप में होते है WHOकी रिपोर्ट के अनुसार H_5N_1 सबसे पहले मनुष्यों में 1997 में पाया गया था।

भारत सहित म प्र के कई जिलो में पिछले कुछ वर्षो से लगातार बर्ड फ्लू का प्रकोप देखा जा रहा है जिसमे कई पक्षियों की मृत्यु भी हो रही है।

शब्द कुंजी – बर्ड फ्लू।

प्रस्तावना – बर्ड फ्लू एक संक्रामक बीमारी है। यह इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की मदद से फैलता है। इस वायरस के बहुत से स्ट्रेन है। कुछ स्ट्रेन बहुत अधिक संक्रामक होते है जिसमे पक्षियों के मरने का खतरा रहता है।

बर्ड फ्लू पक्षियों के जरिये ही इंसानों में फैलता है। बर्डफ्लू अब तक चार बार बड़े पैमाने पर फैल चूका है। अब तक 60 से ज्यादा देशो में बर्ड फ्लू महामारी का रूप ले चूका है।

अध्ययन स्त्रोत – इस हेतु द्बितीय डाटा स्त्रोत के रूप में समाचार पत्र,पत्रिका तथा इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है।

बर्ड फ्लू का कारण – बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते है। बर्ड फ्लू चिकन ,टर्की,मोर,कौवा तथा बत्ताख जैसे पक्षियों में तेजी। फैलता है।H_5N_1 , H_7N_3,H_7N_7,H_7N_9 तथा H_9N_2 ऐसे वायरस है जो इंसानों के लिए घातक सिद्ध हो।कते है। वास्तव में इनके 11 वायरस है इनमे सबसे ज्यादा खतरनाक H_5N_1 है।

H_5N_1 तथा H_7N_9 को बर्ड फ्लू वायरस के ऐसे प्रकार माना जाता है। जो इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है।

बर्ड फ्लू से मनुष्य को खतरा :

1. जब व्यक्ति संक्रमित पक्षी के संपर्क में आता है तो इंसानों में फैलने का खतरा होता है।
2. यह एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति में भी हो सकता है।
3. यह संक्रमित व्यक्ति युक्त वातावरण में साँस लेने से हो सकता है।
4. पोल्ट्री फॉर्म में काम करने वाले व्यक्ति को संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।
5. अपूर्ण अथवा कच्चे पके चिकन के सेवन से।

बर्ड फ्लू से बचाव :

1. संक्रमित तथा मरे पक्षियों से दूर रहे।
2. यदि बर्ड फ्लू का प्रकोप हो तो मांसाहारी भोजन से दूर रहे।
3. साफ सफाई का ध्यान रखे।
4. संक्रमण युक्त क्षेत्र में जाने से बचे।

म प्र में बर्ड फ्लू – म.प्र. के कई जिलो में भी बर्ड फ्लू की पुष्ठी हुई है यह संक्रमण पक्षियों में ही पाया गया है म प्र सरकार ने भी केरल तथा दक्षिण भारत के कई राज्यों से बर्ड फ्लू की पुष्ठी के पश्चात् पोल्ट्री तथा अन्य पक्षियों के आयत पर रोक लगा दी है। राज्य तथा केंद्र सरकार द्बारा जारी एडवाइजरी बोर्ड के द्बारा रोग नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

अप्रभावित जिलो में बचाव उपाय :

1. अप्रभावित जिलो के पोल्ट्री फार्म व्यवसायीयो से अपील की गई है की वह पूर्ण सतर्कता बरते।
2. प्रत्येक जिले में नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। अत: पक्षियों तथा मुर्गियों में अप्राकृतिक मृत्यु होने पर नियंत्रण केंद्र को सूचित करे।
3. अभयारण्यो तथा जलाशयों पर निगरानी रखी जाय।
4. इन्फ्लुएंजा के बचाव और रोकथाम नियंत्रण का प्रचार किया जाए।
5. दवाईयों का स्टॉक, आवश्यक उपकरण सदैव तैयार रखे।

भारत में बर्ड फ्लू 2020 – मध्यप्रदेश ,राजस्थान,पंजाब,हिमाचल प्रदेश , तथा केरल में बर्ड फ्लू बढ़ता पाया गया तथा केरल में इसे राजकीय आपदा घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कई प्रवासी पक्षी मृत पाए गए जिनकी रिपोर्ट में H_5N_1 की पुष्टि हुई है।

निष्कर्ष – स्पस्ट है की बर्ड फ्लू का मुख्य कारण H_5N_1 वायरस है। बर्ड फ्लू पिछले कई वर्षो से पक्षियों में देखा जा रहा है पर्याप्त सतर्कता के द्बारा इससे बचा जा सकता है तथा पक्षियों और मनुष्य में फैलाव को रोका जा सकता है

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. इन्टरनेट : http:navbharattimes-indiatime-com
2. दैनिक समाचार पत्र– नईदुनिया, पत्रिका

*सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) शासकीय राजभोज महाविद्यालय, मंडीदीप, रायसेन (म.प्र.) भारत

केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' के साहित्य में अभिव्यक्त मानवतावाद

डॉ. प्रभा शर्मा *

प्रस्तावना – 'मानवतावाद', प्रकृतिवाद एवं निरपेक्षवाद के विरोध में उत्पन्न हुआ है। यह किसी दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, अपितु अनुभूति दर्शन है। कुछ का मानना है कि **'निश्चय ही मानवतावाद आदर्शवादी चिंतन पद्धति है और उसका स्वरूप तथा प्रकार अनुभव-गम्य और स्वच्छंद दर्शन होने के कारण न रूढ़ है, न जड़। उसमें जीवन का स्पंदन है और व्यष्टि से समष्टि का एकात्म भाव।'**[1] कुछ विचारक इसे पश्चिम की देन मानते हैं। परंतु बात ऐसी नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल में 'सर्वभूत हित-रत' की भावना चिरंतन काल से समाहित है जो इसका प्रमाण है कि यह दर्शन बाहर से आयातित नहीं है। 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' इसका मूलमंत्र रहा है। राम, कृष्ण, गौतम, विवेकानंद, गांधी आदि ने इसका जयनाद किया है। मानवतावाद में मानव-मात्र को महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें समता और बंधुत्व के भावों का सन्निवेश है। प्रोटोगोरस का कथन है कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापक है। (man is the measure of all things) **'जीवन के सत्य और स्वत्व को प्राप्त करने का मानव का अधिकार है। वस्तुत: मानवतावादी विचारधारा मनुष्य को उसके प्रकृत रूप में देखती है और प्रत्येक स्थिति में नैतिक अथवा वैचारिक पक्षपात से विरहित होकर मूल तथ्य के समीप रहती है। मानवतावाद किसी विशेष साहित्य- सिद्धांत की वस्तु ना होकर समस्त कला के प्राण-तत्व के रूप में मान्य है।'**[2] इस प्रकार मानवतावाद में वैष्णव उपासना की सर्वभूतहित भावना, मानवीय रागात्मक वृत्तियों के प्रति आग्रह, बुद्ध की करुणा एवं मैत्री तथा अहिंसा वैदिक आचारनिष्ठा और आध्यात्मिकता समाहित है।

'प्रभात' मानवता में अगाध विश्वास रखने वाले कवि हैं। वे मानवता के कीर्ति गायक ही नहीं उन्नायक भी हैं। जीवन का सर्वप्रमुख लक्ष्य यदि उनके सम्मुख कोई है तो वह है – मानवता की रक्षा और प्रसार एवं विकास। **'व्रतबद्ध'** में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है–

'मेरे सम्मुख सबसे पहले/मानवता फिर देश/धर्म फिर
स्पष्ट देखता हूँ कि दूरियाँ बाँध रहा एकतार
मैं भी बँध जाने को अधीर/ जंजीर न इससे भिन्न
सकेगी मुझे बाँध'[3]

मानवता को किसी एक परिभाषा में नहीं बाँधा जा सकता। संकट के समय उद्‌भूत भ्रातृत्व की भावना मानव मात्र को एक धागे में बाँधती है। अपमान के आँसू पीकर जो बन्धुत्व उमड़ता है, वही सच्चा भाईचारा है। संसार में सभी मनुष्य बराबर हैं। उनमें से न कोई छोटा है न बड़ा। एक ही ज्योति से उत्पन्न हैं। फिर ऊँच-नीच कैसी ?

'हम मानव
मानवता का अविभाजित स्वर हैं
बेडौल नहीं है सृष्टि
रूकी है सम पर / सब
ईश्वर के सिंहासन के
निकट बराबर सब'[4]

'प्रभात' की यही मान्यता है कि मनुष्य वही है, जो मनुष्य के लिए मरे। मानव-हृदय की धड़कन को पढ़ने वाला ही सच्चा मानव है, जो मानवता की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग कर सकता है तथा जो त्यागी और तपस्वी है वास्तव में मनुष्य वही है–

'मानवता की हर धड़कन को जो पढ़ता है
है वही मनुष्य कि मानवता के पथ पर
अपनी हर साँस बिछा देता
है वही मनुष्य कि जो मनुष्य को
दे मनुष्य का हृदय
न दे कोई आडम्बर, चमत्कार'[5]

गुप्त जी ने मानवता को सबसे ऊपर माना है। 'प्रभात' भी मानवीय सद्गुणों को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। **'सर्गान्त'** में वशिष्ठ के द्वारा पाराशर को दिया गया प्रबोध इसी भावना से युक्त है–

'तू मानव है, मानव ही रह
मानव की तोड़ न परम्परा
बल के प्रयोग से प्राप्त विजय
प्रतिशोध –अग्नि सुलगाती है,
आँधियाँ प्रचंड उठाती है,
मन की सुख शान्ति मिटाती है,
भय को मत बसने दे मन में
मत अविश्वास को प्रश्रय दे'[6]

मानवता के प्रति कवि की भक्ति प्रबल एवं सच्ची है। मानवता का ह्रास देखकर उनकी आत्मा वेदना-कातर हो करुण-क्रंदन कर उठती है। उनके लिए संसार की समस्त सदाचार वृत्ति, त्याग और निष्ठा एक ओर तथा मानवता एक ओर। पाराशर को शक्ति प्रयोग से रोकते हुए हिंसावृत्ति के परित्याग करने और मानवता की अवमानना न करने के लिए **'सर्गान्त'** में वशिष्ठ यही तो कहते हैं –

'वैर बढ़ाता सदा वैर को
मत्सर को ईर्ष्या को,
जग का मंगल यदि अभीष्ट तो
प्रेमामृत बरसाओ।'[7]

* सह आचार्य (हिन्दी) राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

यदि संसार से मानवता उठ गई तो सारी धरती ही समाप्त हो जायेगी क्योंकि संसार का अस्तित्व मानवीय सद्मूल्यों के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है। मानवता का विनाश समस्त सृष्टि का विनाश है–

'बची रहे यदि मानवता तो / पृथिवी बची रहेगी,
मानवता का अन्त हुआ तो / पृथिवी भी डूबेगी।'[8]

अनादिकाल से सृष्टि का विकास मानवीय सद्गुणों पर ही अवलम्बित रहा है जिसमें सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक विषमताएँ, अपसृष्ट हो जायें ऐसी अखंड मानवता रक्षणीय हैं। क्योंकि–

'मानवता धर्म है / धरती का, स्वर्ग का
चिर से, सनातन से / धर्मरक्षणीय यह।'[9]

कविवर 'प्रभात' सत्य और शिव के प्रति उत्कट रूप् से आबद्ध हैं। उनकी लोक–कल्याणकारी मर्यादा और आदर्श–प्रवणता बहुलांश में कलात्मक सौन्दर्य की सर्जना करती है। 'प्रभात' जी ने मानवता की रक्षा के लिए त्याग, तपस्या, अहिंसा, लोकोपकार, तितिक्षा, निर्वैरता, सेवा, शमन, ज्ञान, कर्तव्य, ममता, समता, करूणा, सहानुभूति, भ्रातृत्व आदि उदात्ता गुणों की स्थापना कर जीवनौचित्य के प्रति अपनी सहज दृष्टि का परिचय दिया है और फिर उपर्युक्त मूल्यों की काव्य में स्थापना करते समय 'प्रभात' जी उपदेशक बनकर ही नहीं रह जाते वरन् उनके कथन में सरसता एवं काव्यात्मकता के अपेक्षित गुण भी स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। सेवा, कर्तव्य और करूणा मानवता की विभूतियाँ हैं। सेवा वह चिन्गारी है जिससे धर्म भी चमत्कृत होता है। उसी 'सेवा' का उल्लेख 'प्रभात' के शब्दों में देखिये –

'वह सेवा एक विधान स्वयं/मानवता के चिर मंगल का
वह सेवा पुंजीभूत पुण्य/अनुराग अखण्ड अचल चल का'[10]

सेवा का भाव भ्रमित जग को नया आलोक प्रदान करता है। सेवा का सौरभ प्राणों में भरकर राजनीति भी कविता बन जाती है। महाक्रोध और द्रोह गर्जना करके जब पृथिवी के विनाश को उतारू होते हैं तब सेवा से निर्द्धन्द्ध प्यार शुचिसुधा–बूँद बरसाता है। सेवा के ही साथ कर्तव्य–भावना, ज्ञान और चेतना मिलकर नवीन मानवता का निर्माण कर सकने में पूर्ण समर्थ होते हैं–

'कर्तव्य, ज्ञान, चेतना, इन्हीं से/आगत का निर्माण हुआ
इस महा सृजन का एकमात्र/जीवन ही अमिट प्रमाण हआ।'[11]

हिंसा से हिंसा को बढ़ावा मिलता है, उसे तो अहिंसा से ही जीता जा सकता है। **'सर्गान्त'** में वशिष्ठ ने अपने पौत्र पाराशर को शस्त्र–उपासना के स्थान पर अहिंसा और क्षमाशीलता एवं परार्थ भावना अपनाने की प्रेरणा दी है। वे पाराशर से कहते हैं कि मानवधर्म प्रतिशोध की भावना से बहुत ऊँचा है। क्रोध से क्रोधानल और भी अधिक धधकता है। क्योंकि –

'द्वेष–द्वेष की, घृणा–घृणा की,
नहीं चिकित्सा जग में,
स्वच्छ हृदय, मस्तिष्क स्वच्छ,
बन जाता मन्दिर प्रभु का।'[12]

'संवर्त' गीति–नाट्य में 'प्रभात' जी की हिंसा, क्रोध, अहंकार, आदि तामसी वृत्तियों के प्रति विगर्हणा सर्वथा स्पष्ट है। वस्तुत: मानवता का रक्षण और प्रसार अध्यात्म से ही संभव है। भौतिक विभूतियाँ, भौतिक साधन उस अमर चेतना को नहीं जगा सकते जो आत्मा के मन्दिर में मानवता का दीप जलाती है। वैभव के बल से संघर्ष को ही बढ़ावा मिलता है। अत: अहिंसा और क्षमा जीवन के लिए नितान्त आवश्यक हैं। क्योंकि –

'भय से हिंसा की आग नहीं बुझती है।
हिंसा ली जाती जीत सदैव क्षमा से।'[13]

'प्रभात' जी ने मानवता के विकास के प्रति अपनी रूचि एवं कामना को ही वाणी नहीं दी, अपितु मानवता के ह्रास को भी चित्रित किया है। **'कैकयी'**, **'ऋतम्वरा' (विषाद, उद्बोधन सर्ग)**, **'तत्पगृह'**, **'संवर्त'** और **'सर्गान्त'** में उन्होंने बताया है कि आज की खण्डित मानवता का पुन: वर्चस्व–स्थापन आर्य धर्म के द्वारा ही संभव है। आर्य धर्म जो त्याग और साधनामय है जो तप:पूत है, जिसने मानवता को हृदय के आसन पर बैठाकर उसकी पूजा की है, वही आर्य धर्म मानवता की रक्षा में समर्थ हो सकता है। 'अहम्' का निरसन एवं 'स्व' का 'पर' के लिए विसर्जन मानवता की आवश्यक शर्त है। स्वार्थ को छोड़कर परार्थ भाव को अंगीकार करके मानव को वरेण्य होना चाहिए। स्वार्थ तो–

'एक जादू है / काला कलंक–सा
भीषण पिशाच–सा / स्वार्थ एक ज्वाला है
राख के कुंड की / जिस में चुप जलती है
करुणा की भावना / मंगल समष्टि का
भविष्य मानवता का / जनता का जन का'[14]

'प्रभात' ने अपने पात्रों के माध्यम से भी मानवता की जय का उद्घोष किया है। उनकी कैकयी मानवता की रक्षा के लिए नारीत्व एवं मातृत्व को भी समर्पित कर देती है। समस्त संसार को अमृत देकर स्वयं हलाहल पान करने वाली यह कैकयी त्याग की साक्षात मूर्ति है, मानवता की अभीरक्षिका है। उनके राम तो विश्व–मानव के चरण की धूल हैं, विश्व मानव के हृदय का गीत हैं और हैं– विश्व मानव के हृदय की प्यार–धारा एवं पीर। दशरथ भी मानवता की रक्षा के लिये हृदयस्थ मोह को छोड़कर युग के राम को युग को समर्पित कर देते हैं।

'सर्गात' के वशिष्ठ अपने सौ पुत्रों का विश्वामित्र द्वारा वध किए जाने भी हिंसा का उत्तार हिंसा से नहीं देते अपितु क्षमा एवं प्राणीमात्र के कल्याण के लिए जीवन की विभूति देखते हैं। मानव भविष्य की मंगलामुखी आशा **'ऋतम्वरा'** के नायक मानवता के विश्वासी हैं। ब्रह्मा के आदेश से उन्होंने मानवता का नवदीप प्रज्वलित किया जिससे समस्त संसार आभामय हो उठा–

'स्वर्णाभ आणविक युग खुलता दर्पण समान
जिसमें मानव का रूप दिव्य जादू जाज्वल्यमान
जिसमें आत्मा का ही होता ध्वजोत्थान
सब और गूंजता आत्मा का ही मधुर गान'[15]

मानवता का यह स्वर सार्वभौमिक है और 'वसुधैव कुटुंबकम' का परिचायक है। **'अस्थि दान'** में दधीचि ने परहिताय अपनी अस्थियों तक का विसर्जन किया और मानवीय मूल्यों की रक्षा की। **'राष्ट्रपुरुष'** के शिवाजी ने लोक–रक्षण और लोकमंगल के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। **'व्रतबद्ध'** के भरत का प्रयास मानवीय विश्वास, सद्भाव, आस्था एवं त्याग आदि के प्रसार का रहा है। वे मानवता के 'प्रताप' हैं तो राम मानवता के 'प्रहरी' हैं। इस प्रकार 'प्रभात' जी के सभी प्रमुख पात्र हिंसा के दावानल से दग्ध हो रही मानवता को अध्यात्म के जल से अभिसिंचित करके उसे पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्नशील देखे जाते हैं। प्रारंभ से 'प्रभात' कवि की यही कामना रही है कि–

'जय हो मनुष्य की/मानव की जय हो
मानव वरेण्य हो, मानव नमस्य हो
टूटे ना मानव की मानवी परंपरा/उर–उर
में बहती हो / प्रेम की अनंत धार

दग-दग में वर्तिका /जलती हो स्नेह की'[16]

अन्याय और अनाचार की दुर्गम कालिमा को मिटाने के लिए, हिंसा के क्रोधनल के शमन के लिए, प्रतिशोध के आक्रोश को शांत करने के लिए और लोकमंगलकारी मानवता के अभिरक्षण के लिए क्रांति की भी यदि आवश्यकता पड़े तो कवि उसका स्वागत करने के लिए सदा तैयार हैं। 'प्रभात' ने ऐसी 'क्रांति' को कल्याणकारी माना है। मानवता की छाती पर जब अत्याचार द्वारा सौ-सौ चितायें जलाई जा रही हों। मानव के अस्तित्व पर ही जहाँ प्रश्नचिन्ह लगा दिया गया हो। वहां शांति की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ तो क्रान्ति अभिवंदनीय है-

'आज चाहिये क्रान्ति कि जिस से
प्रगटे श्री कल्याणी
क्रान्ति कि जिसका शंखनाद
बन जाये मानव-वाणी'[17]

ऐसी क्रांति कवि के शब्दों में आध्यात्मिक है। 'प्रभात' साहित्य के विहंगावलोकन के उपरांत यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने विश्व मानवता और लोकहित को व्यावहारिक सार्थकता प्रदान करने का भरसक प्रयास किया है। वर्तमान युग में पीड़ित मानवता को सहारा प्रदान करके उसे पुनर्जीवित करने की उनकी सतत साधना हिंदी-साहित्य में अप्रतिम है। उन्हें मानवता काम्य है, भौतिक सुख-भोग नहीं। 'प्रभात' का सारा साहित्य मानवता की प्रतिष्ठा में निरत है। इस मानवतावाद की अभिव्यक्ति उनके काव्य में पाँच प्रकार से हुई है- मानव चरित्र के उन्नयन की प्रेरणा, भौतिकवादी दृष्टिकोण की आलोचना, क्रांति का स्वीकार, मानव की ईश्वर के समक्ष प्रतिष्ठा और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रचार। निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि 'प्रभात' जी मानवतावाद, विश्व मानवतावाद को अपने में समाहित किए हुए हैं। धर्म और जाति, पूर्व और पश्चिम, देश और विदेश, वंश और वर्ण आदि की संकुचित सीमाओं में मानवता को बांधकर रखना उन्हें नहीं सूझता। नैतिकता, आध्यात्मिकता, पारस्परिक विश्वास, ज्ञान-विज्ञान का समन्वय, सत्य और शुभ का अंगीकार सात्विकता का स्वीकार आदि उनकी मानवतावादी दृष्टि के गुण हैं। भौतिकता के बढ़ते हुए चरणों को भी वे मानव विकास में बाधा मानते हैं। स्वस्थ मानवतावाद की स्थापना के लिए 'प्रभात' जी ने भारतीय आध्यात्मिकता को ही ग्राह्य माना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कमलकांत पाठक - मैथिलीशरण गुप्त : व्यक्ति और काव्य, पृष्ठ 117
2. निराला - परिमल, पृष्ठ 239 (डॉ. कु. शांति श्रीवास्तव : छायावादी काव्य और निराला) पृष्ठ 62 से उद्धृत
3. व्रतबद्ध - 'प्रभात', पृष्ठ 104
4. राष्ट्रपुरुष - 'प्रभात', पृष्ठ 75
5. व्रतबद्ध - 'प्रभात', पृष्ठ 98
6. सर्गात - 'प्रभात', पृष्ठ 75
7. सर्गात - 'प्रभात', पृष्ठ 80
8. सर्गात - 'प्रभात', पृष्ठ 65
9. सर्गात - 'प्रभात', पृष्ठ 43
10. कैकयी - 'प्रभात', पृष्ठ 142
11. सर्गात - 'प्रभात', पृष्ठ 147
12. सर्गात - 'प्रभात', पृष्ठ 64
13. कैकयी - 'प्रभात', पृष्ठ 13-15
14. तप्तगृह - 'प्रभात', पृष्ठ 24-25
15. ऋतम्वरा - 'प्रभात', पृष्ठ 186
16. तत्पगृह - 'प्रभात', पृष्ठ 3
17. कैकयी - 'प्रभात', पृष्ठ 38

****

Role and challenges of the Service sector in economic development of India

Dr. C.M.Tembhurnekar*

Abstract - The services sector is not only the leading sector in India's GDP, but has also attracted significant foreign investment, has contributed significantly to export and has provided large-scale employment. India's services sector covers a wide variety of activities such as trade, hotel and restaurants, transport, storage and communication, financing, insurance, real estate, business services, community, social and personal services, and services associated with construction.The services sector is a key driver of India's economic growth. The sector contributed 55.39% to India's Gross Value Added at current price in FY20. GVA at basic prices at current prices in the second quarter of 2020-21 is estimated at Rs. 42.80 lakh crore (US$ 580.80 billion), against Rs. 44.66 lakh crore (US$ 633.57 billion) in the second quarter of 2019-20, showing a contraction of 4.2%. According to RBI, in January 2021, service exports stood at US$ 17.07 billion, while imports stood at US$ 10.09 billion. Nikkei India Services Purchasing Managers' Index (PMI) increased to 55.3 in February 2021 from 52.8 in January 2021. The purposes of this paper are to discuss the Role and challenges of service sector in India. The paper suggests suitable Marketing Strategies to solve the problems of Indian Service sector. Today, the service sector contributes more than 50 percent to India's GDP and rapidly increasing. The scale, complexity and interdependence of today's service systems have been driven to a unique level, due to globalization, demographic changes and technology developments.
Keywords - Service Sector, GDP, Growth, Development.

Introduction - India is a fast growing developing country and from the last decade, India has concentrated on service sector. Service sector includes all other economic activities which are not covered by the agricultural or manufacturing sectors are broadly defined as services and hence belong to the service sector. Services include services provided for the agricultural sector, activities associated with the supply of water, electricity and gas, transport and communications, wholesale and retail trade, finance and insurance, business and personal services, and community and social services. The real reason for the growth of the service sector is due to the increase in urbanization, privatization and more demand for intermediate and final consumer services. The growth in services has also been accompanied by the rising share of services in the world transactions.

We cannot imagine our life in absence of services sectors. Services sectors create convenience to our economic activities and day-to-day life. Banking, health care, insurance, transportation, communication, entertainment, beauty-care, education, repairing, electricity, and a host of product-related services have become an integral part of our routine life. Some services are as old as human civilization; however, marketing focus to services is the recent phenomenon.

In a country like India, having a huge size of population, servicessector has its huge potential. Development of services sector can transform this burden of large size of manpower into an asset by its proper utilizations and thereby can generate a huge size of income for the nation as a whole. The services sector usually covers a wide range activity from the most sophisticated information technology (IT) to simple services provided by the unorganized sector like the services of the plumber, mason, barber etc.

Review of Literature

In developing countries like India, the service sector can lead to inclusive growth through backward and forward links Banga, Rashmi,(2005), by ensuring equitable access to basic services at low prices (Deloitte 2011), by creating employment opportunities, and by developing human capital. India is among the world's rapidly growing economies. According to CIA sector wise Indian GDP composition in 2017 are as follows- Agriculture (15.4%), Industry (23%) and Services (61.5%). With production of agriculture activity of $375.61 billion, India is 2nd larger producer of agriculture product. India accounts for 7.39 percent of total global agricultural output. India is way behind china which has $991 bn GDP in agriculture sector. GDP of Industry sector is $560.97 billion and world rank is 6. In Services sector, India world rank is 8 and GDP is $1500 billion.

The growth of India's service sector has drawn global

*Associate Professor (Commerce) M. B. Patel Arts, Commerce & Science College, Sakoli, Distt. Bhandara (M.S.) INDIA

attention. Unlike other countries where economic growth has led to a shift from agriculture to industries, in India there has been a shift from agriculture to the service sector. In this respect, India has been considered as an outlier among South Asia and other emerging countries (Ansari 1995). Gordan and Gupta (2003) pointed out that with the rise in per capita income, the share of services in GDP increases.

Existing literature shows that liberalization and reforms have contributed to the growth of the sector (Chanda 2002, Gordan and Gupta 2003). With economic growth and the rise in per capita income, demand changed from necessary to discretionary consumption and propelled the growth of services and the elasticity of demand for services at high incomes has contributed to the growth of the sector (Bhattacharya and Mitra 1989, Gordan and Gupta 2003)..Technological progress and the availability of highly skilled manpower have led to the growth of services in information and communication technology (ICT) and ICT-enabled services (Chanda 2002). Developed countries now outsource services to developing countries like India, leading to a rise in demand for services (Bhagwati 1984). Significant government expenditures on community, social, and personal services have also accelerated growth in the sector.

The growing share of the services sector in the gross domestic product (GDP) of India indicates the importance of the sector to the economy (GOI 2012; Eichengreen and Gupta 2010; Singh 2006; Papola 2008). The services sector accounted for about 30 per cent of total GDP of India in 1950s; its share in GDP increased to 38 per cent in the 1980s, then to 43 per cent in the 1990s and finally to about 56.5 per cent in 2012 13 (GOI 2013). Thus, the services sector currently accounts for more than half of India's GDP. This process of teritarisation (dominance of the tertiary or services sector) of the economy has been accompanied by a decline in the share of the primary sector (agriculture) and a more or less constant share of the secondary (industry) sector over the years.

Objective of the research - The main objective of this study is to identify big challenges in service marketing in India. The present study specific objectives as:

1. To understand service sector.
2. To study theClassification of Services
3. To examine the contribution of service sector in Indian economy.
4. To analyses the various challenges faced by service sector.

Research Methodology - The study is completely based on secondary data. This study refers to the secondary data because the secondary data is descriptive in nature and it is the suitable ways to collect the data. This is a macro study; therefore the primary data was not possible to collect from all over India. It is also one of the biggest reasons to choose the secondary data. I have collected data from various sources like economy survey, National survey office (NSSO),Media Reports, Press Releases, DPIIT publication, Press Information Bureau as well as from various articles related to service marketing.

What is service?

Meaning - Service can be defined as the production of intangible benefits and experience, either alone or as part of a tangible product, through some form of exchange, with the intention of satisfying the needs, wants and desires of the consumers. The essence of service can be explained as follows:

- service is an act or performance offered by one party to another. Although the process may be tied to a physical product, the performance is essentially intangible and does not normally result in ownership of any of the factors of production.
- Services are economic activities that create value and provide benefits for customers at specific times and places, as a result of bringing about a desired change in – or on behalf of – the recipient of the service.

Definitions

According to PhilipKotler "A Service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product."

According to Zeithmal and Bitner, "services are deeds, processes and performances" The definition imply that acts are performed after buyers and sellers finalize the deal, acts are performed by sellers or their agents, and acts are physical in nature.

According to Christopher Lovelock, "Services are economic activities that create value and provide benefits for customers at specific times and places, as a result of bringing about a desired change in or on behalf of the recipient of the service."

American Marketing Association defines services as "the activities, benefits or satisfaction which are offered for sale or are provided in connection with the sale of goods".

According to W.J. Stanton "services are those separately identifiable, essentially intangible activities which provide want satisfaction and are not necessarily tied to the sale of a product or another service to produce a service, may or may not require the use of tangible goods. However, when such use is required there is no transfer of title to these tangible goods"

Features of the service sectors

1. Intangibility: Services are intangible and do not have a physical existence. Hence services cannot be touched, held, tasted or smelt. This is most defining feature of a service and that which primarily differentiates it from goods. Also, it poses a unique challenge to those engaged in marketing a service as they need to attach tangible attributes to an otherwise intangible offering.

2. Heterogeneity/Variability: Given the very nature of services, each service offering is unique and cannot be exactly repeated even by the same service provider. While products can be mass produced and be homogenous the

same is not true of services.

3. Perishability: Services cannot be stored, saved, returned or resold once they have been used. Once rendered to a customer the service is completely consumed and cannot be delivered to another customer. eg: A customer dissatisfied with the services of a barber cannot return the service of the haircut that was rendered to him. At the most he may decide not to visit that particular barber in the future.

4. Inseparability: This refers to the fact that services are generated and consumed within the same time frame. Inseparabilityof production and consumption involves the simultaneous production and consumption which characterizes most services. Whereas goods are first produced, then sold and then consumed, services are first sold, then produced and consumed simultaneously. Since the customer must be present during the production of many services (e.g. haircuts), inseparability forces the buyer into intimate contact with the production process.

5.Ownership: When you buy a product, you become its owner – be it a pencil, book, shirt, refrigerator or a car. In case of a service you only pay for its use but you never own it. You book for yourself passage by air from Delhi to Bombay, you have paid only for the use of air seat but you don't own it. By paying wages you can hire the services of a baby sitter for some stipulated time but cannot own it.

6. Simultaneity: Goods are produced first and then consumed; most services are produced and consumed at the same time during the time of selling. This is why the producer of the service has to go to the consumer or the consumer has to come to the service provider. For example, if somebody wants to

7. Nature of service demand: Service is not demanded uniformly at all period of time. Most of the service experience peak demand, low demand and so on. For example, restaurants find increase in demand during weekends whereas rest of the days in a week they go through low demand.

Classification of Services - Classification of services helps in devising guidelines to propose and implement appropriate service strategy. It helps managers understand the service, the offer, the unique delivery process and the common problems and accordingly recognize them and manage them by bringing out solutions. The five most popular ways of classifying services are:

1. On the basis of End-user: We find three types of end-user in service industries

(i) Individual consumer as an end-user: Services are consumed by individuals. It has profound impact on marketing. It is for mass market and there is immense scope for mass communication. The geographical reach of the market can also be enlarged. For example: Doctor-patient; leisure service; restaurant service, etc.

(ii) Business -to-business end-users: This implies that a firm from an industry seeks services from another firm in different industry. It involves industrial marketing, personal selling and decision making process which is different from those of individual customer. For example: Advertising agency; audit firms, etc.

(iii) Industrial end-user: Here the end-users are plants and factories. They might require very unique services that are highly technical. For example: Plant maintenance and repair work; Installation work, project management work.

2. On the basis of degree of tangibility: Services are inherently intangible which implies that customers cannot see, touch, feel the product. But over a period of time marketers have added more and more features to differentiate their service offering from other service provider. Hence, core service could be intangible but the differentiating factors are tangible. Service product range, from highly intangible to highly tangible.

(i) Highly tangible service: They have high degree of tangibility. These services are rendered over certain tangible goods. For example: Any kind of transportation service; telecommunication service, etc.

(ii) Service linked to tangible goods: Here the service is linked to goods either independently or as a part of marketers offer. Home appliance repair is a service which is linked to tangible goods. For example: Car servicing; home appliance repair, etc.

(iii) Highly intangible service: In these services customers are not provided with tangible product. Service is highly intangible, i.e., it cannot be touched, seen or felt. For example: Consulting service; counseling service; lecture, etc.

3. On the basis of people-based service: Here the service is classified by the types of contact that the service providers have with their customers. There are two types of such services:

(i) High contact service: These are people-based service where service providers have high degree of contact with the customers. Here the service provider repeatedly meets the customer over a long period of time. Examples: Teaching; counseling; surgery, etc.

(ii) Low contact service: These are services where the provider interacts very little with customers - it is the machine which do the interaction. Examples: ATM; Internet booking of railway tickets; coin operated vending machine.

4. On the basis of expertise: Here the service is classified by the degree of expertise required to do the service transaction by the service providers. The classification is dependent on how qualified the service provider is and the level of certification of the expertise he possesses. There are two types of service under this classification:

(i) Highly professional service: Under this, service is provided by highly qualified and trained professionals. Examples: Technical consultants like Tata Consulting Services; Accountancy firm like Price Waterhouse Coopers.

(ii) Non-professional services: There are certain services which do not require formal training and are counted as non-professional services. Example: Masons in housing construction; tailors; cobblers.

5. On the basis of orientation towards profit: Here the

service is classified by the degree of orientation towards profit that the service provider might have.

(i) Commercially-oriented:this service firm's main objective is to make profit. They are owned by Government and public organization. Most service organization in the private organization falls in this category. Examples: ICICI Bank; Apollo Hospital.

(ii) Not for profit organization: There are also many service organizations that are not for profit. These organizations carry out their service with social well-being in mind. Example: Charitable trusts, public sector leisure.

6. On the basis of point of delivery: Here the services are classified on the basis of where it will be delivered.

(i) Service where customer is located: Here the service is highly customized and is delivered where the customer is located. Example: Home tuition; security service.

(ii) Service where provider is located: Here the customer has to go to the provider to avail of their service. Example: Vodafone customer care.

(iii) Service provided at both the places: Sometime service can be highly customized and provided where customer is located or at a place identified by the provider. Example: Doctor; Physiotherapist.

Role of the service sectors

(i) This sector helps in the development of the primary and secondary sectors.

(ii) The activities related to this sector do not produce key good but they are an aid or a support for the production process.

(iii) It also provides essential services that may not directly help in the production of goods such as services of teachers, doctors, barbers, lawyers, etc.

(iv) In recent times, certain new services based on information technology etc have become more important.

(v) The services which are included in the tertiary sectors are transport, storage, communication, banking, trade, etc

Contribution of service sector in GDP - In 2019, almost half of India's GDP was generated by the services sector, a slight and steady increase over the last 10 years. Among the leading services industries in the country are telecommunications, IT, and software.

The IT industry is a vital part of India's economy, and in the fiscal year of 2016-2017, it generated about 8 percent of India's GDP alone – a slight decrease from previous years, when it made up about 10 percent of the country's economy. Nevertheless, the IT industry is growing, as is evident by its quickly increasing revenue and employment figures. IT includes software development, consulting, software management, and online services, and business process management (BPM)

The increases in the share of GDP of services sector are due to the following reasons:

1. Professionalism in the services sector.
2. Increase in Urbanization, which gives boost to services.
3. Liberalization of the services sector since 1991.

Table 1 and Graph (see in last page)

The services sector is the largest sector of India. Gross Value Added (GVA) at current prices for the services sector is estimated at 100.46 lakh crore INR in 2019-20. The services sector accounts for 54.77% of total India's GVA of 183.43 lakh crore Indian rupees. With GVA of Rs. 50.40 lakh crore, the Industry sector contributes 27.48%. While Agriculture and allied sector share 17.76%.

At 2011-12 prices, the Agriculture & allied, Industry, and Services sector's composition is 14.65%, 30.19%, and 55.17%, respectively.

Share of primary (comprising agriculture, forestry, fishing, and mining & quarrying), secondary (comprising manufacturing, electricity, gas, water supply & other utility services, and construction), and tertiary (services) sectors have been estimated as 19.90 percent, 25.33 percent, and 54.77 percent.

At previous methodology, the composition of Agriculture & allied, Industry, and Services sector was 51.81%, 14.16%, and 33.25%, respectively at current prices in 1950-51. Share of Agriculture & allied sector has declined at 18.20% in 2013-14. Share of Services sector has improved to 57.03%. Share of Industry sector has also increased to 24.77%.

The Agriculture sector's contribution to the Indian economy is much higher than the world's average (6.4%). The industry and services sector's contribution is lower than the world's average 30% for the Industry sector and 63% for the Services sector.

Challenges of Service Sector - Making, liquating and profiting with both product and services businesses are challenges making physical evidence for their product and services are more difficult to the service people services products can't be stored like as manufacturing products like that challenges having faced by the services sector are:

1. Clients cant's see o touch services before they purchase them - A buyer of a products have an opportunity to see ,touch, hear, smell them before they buy of course we don't find the same thing with the services product it is a challenge to the services people. As for example, the banking organization promote the sale of credit cards by visualizing the convenience and comports the holders of the credit cards are likely to get from the same. Thus it is right to mention that due to intangibility, the selling of services become much more challenge

2. Services are must consumed while produced - It is a special challenge in services marketing, in the case of manufacturing products can be stored till consumed by the buyers but services production should be done with customer presents, it is creating a very different and challenging dynamic

3. Resources cannot fully utilized - Services products produced when the presence of clients, hence, the resources remain ideal If the clients are not coming it makes more challenge in the services marketing to ensure quality

and Competitive price.

4. Lack of well-developed networks and infrastructure - The biggest challenge to the services marketing are supply related issues pertaining to distribution and infrastructure .The lack of well-developed distribution networks makes it especially Challenging to penetrate the fast growing areas .in addition, regular power cuts and poor road Linkages make more challenges.

5. New marketing platforms - Consumers has evolved with times ,while conventional media continues to be important, focus for change is on new media such as the internet and mobile phones .These form an important part of The consumes search process in the buying process and therefore services marketing companies are increasing investments behind online marketing.

Conclusion and Recommendations

Conclusion - India's services sector is increasing. It has become the backbone of the growth process and has emerged as the most dynamic sector of the Indian economy, particularly since last one and half decade. The previous analysis brings out the fact that in comparison to different countries of the world, the share of service sector in India is not a high. And second, in spite of the rising share of services in GDP and trade, there has not been corresponding rise in the share of service in total employment. This jobless growth of India's service sector, with no corresponding growth in the share of manufacturing sector, has raised doubts about its sustainability in the long run. The observed dominance of services ahead of industry with the decline of agriculture has given rise to apprehension as to whether the sequence of the growth process would be reversed in the future particularly when the industry is yet to achieve adequate growth. Such apprehension seems to have gained a ground in the absence of pervasiveness of services in the country's employment. Moreover, most of the services have for a long time been in the public domain and they suffer from both external constraints in terms of high barriers to trade, as well as domestic constraints in terms of being highly regulated services with state monopolies. These services consequently suffer from inefficiencies and low growth.

Recommendations - We have analyzed the problems and strategies of the service providing firms from different point of view like the primary customer group, geographic scope of operation, duration of benefit etc and that's why depending on their specific nature the different service firm requires different set of strategies. It may not be wise to provide a specific policy paper for every kind of service firm. Still we have listed a number of strategies below that in much extent fit with all categories of service firms under consideration.

1. Use a combination of cost and competition based costing system as gradually competition based costing might be popular in the industry due to increment in the number of competitors.
2. It will be better for the service firms to provide more customized services to the customers which in turn will permit them to follow demand based pricing.
3. Use heavy informative advertisement to show how the service can be better utilized. But the firms whose benefit of service is long should practice more of reminder advertisement
4. Encourage the existing customers to promote services to the new customers and use newspaper as the prime media for advertisement to educate the customers in using services
5. As the institutional service provider, empower customers by close contact through sending mail and knowledgeable sales personnel.
6. Whatever the category of service firm you belong to, choose service providing employees very carefully, train them highly to make them knowledgeable regarding the service standards.
7. Use technology to keep in touch with customers even after sales.
8. Service providers (e.g. universities, hospitals) must be concentrating on their physical infrastructure and wide distribution facilities.
9. Use technologies to maximize the service quality and to reduce the fluctuation in service quality Provide service above standard as promised to the customers to reduce the service gaps.
10. Do marketing research through field level marketing executives to prepare customer driven services and make marketing decisions participatory.
11. Revision of service and service delivery mechanism are required according to marketing research result and activities of the competitors.
12. A formal demand management plan should be prepared incorporating the strategy to motivate customers to shift their service demand to non-peak time.
13. Service providers should employ extra part-time employees in peak demand time. Or transfer full-time employees from the branch where the demand is low to the high demand branches.
14. Show target market the benefit of services with sales promotional incentives in low demand time.

References :-

1. Ansari, M. I. (1995). Explaining the Service Sector Growth: An Empirical Study of India, Pakistan, and Sri Lanka. Journal of Asian Economics. 6 (2). pp. 233–246.
2. Banga, Rashmi.(2005. Critical Issues in India's Service-led Growth. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) Working Paper Series. No. 171. New Delhi: ICRIER.
3. Bhagwati, Jagdish N. (1984). Splintering and Disembodiment of Services and Developing Nations. The World Economy. 7 (2). pp. 133–144.
4. Bhagwati, J.N.(1958). Immiserising growth – A Geometrical Note. Review of Economic Studies,

Vol.25,2001-05.
5. Bhattacharya B.B.and Arup Mitra (1989). Agriculture-Industry Growth Rates: Widering Disparity: An Explanation. Economic and Political Weekly, August 26
6. Carmen, James M. and Eric Langeard (1980). Growth Strategies of Service Firms, StrategicManagement Journal, 1 (January-March), pp. 8.
7. Carmen, James M. and Eric Langeard (1980). Growth Strategies of Service Firms, StrategicManagement Journal, 1 (January-March), pp. 8.
8. Chanda, Rupa. (2002). Globalization of Services: India's Opportunities and Constraints. New Delhi: Oxford University Press.
9. Chatterjee, B. and P.RoyChaudhry (2009). Growth and Employment in India's Service Sector: Towards An Explanation of Interstate Comparisons in the post
10. Eichengreen Barry and Poonam Gupta (2010) "The Service Sector as India's Road toEconomic Growth?" Working Paper No. 249, Indian Council For Research OnInternational Economic Relations, New Delhi.
11. Gordon, Jim and Poonam Gupta. (2003). Understanding India's Services Revolution. Paper prepared for the International Monetary Fund-National Council of Applied Economic Research Conference A Tale of Two Giants: India's and [the People's Republic of] China's Experience with Reform. New Delhi. 14–16 November.
12. Gronroos, Christian (1978), "A service-Oriented Approach to Marketing of Services", European Journal of Marketing, 12 (No. 8), 588-601.
13. GOI (2012) Economic Survey 2012 13, Ministry of Finance, Government of India, NewDelhi.
14. GOI (2013) Economic Survey 2013 14, Ministry of Finance, Government of India, NewDelhi
15. GOI (2019) Economic Survey 2019 20, Ministry of Finance, Government of India, NewDelhi
16. Kinsley, Gary (1979), "Listening to Consumer is Key to Consumer or Service Marketing", Advertising Age, 50 (February 19), 54-60.
17. Ministry of Statistics and programme Implementation (2018-19),(February 08).
18. Papola T.S. (2008) "Industry and Employment: Dissecting Recent Indian Experience", inS.R. Hashim, K.S. ChalapatiRao, K.V.K. Ranganathan, M.R. Murthy (Eds) IndianIndustrial Development and Globalisation, Academic Foundation, New Delhi.
19. Singh Nirvikar (2006) "Services Led Industrialization in India: Assessment and Lessons",Working Paper No. 290, Stanford Center for International Development, StanfordUniversity

Online References :-

1. Deloitte. 2011. .Inclusive Growth: A Challenging Opportunity. .http://www.deloitte.com/assets/DcomIndia/Local%20Assets/Documents/Inclusive_Growth accessed on 15 September 2011
2. Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP). 2012. Consolidated FDI Policy– Effective from April 10, 2012. http://dipp.nic.in/English/Policies/FDI_Circular_01_2012.pdf
3. https://statista.com/statistics/271329/distribution-of-gross-domestic-product-gdp-across-economic-sectors-in-india/ accessed on 27/11/2020

Graph

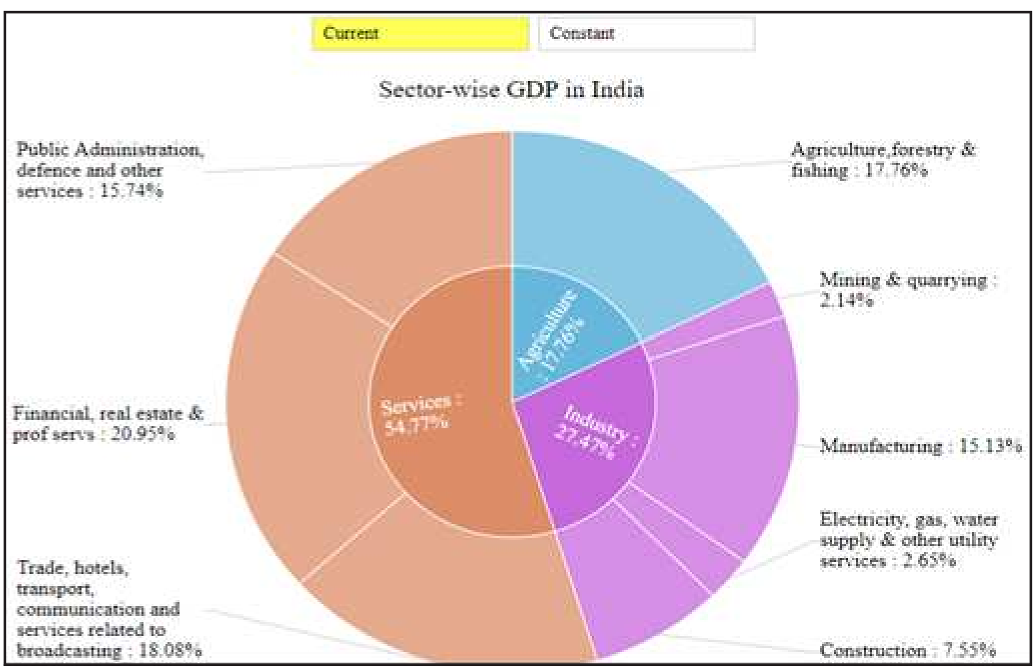

Table 1 : Sector-wise GDP of India

	Sector	GVA in 2019-20 (Rupees in Crore)			
		Constant prices	share (%)	Current	share (%) prices
1	Agriculture Sector	1,948,110	14.68 %	3,257,443	17.64 %
1.1	Agriculture,forestry& fishing	1,948,110	14.68 %	3,257,443	17.64 %
2	Industry Sector	4,015,068	30.25 %	5,040,100	27.30 %
2.1	Mining & quarrying	355,680	2.68 %	393,102	2.13 %
2.2	Manufacturing	2,317,280	17.46 %	2,775,587	15.03 %
2.3	Electricity, gas, water supply & other utility services	308,832	2.33 %	486,516	2.64 %
2.4	Construction	1,033,276	7.79 %	1,384,895	7.50 %
3	Services Sector	7,337,941	55.29 %	10,045,694	54.41 %
3.1	Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting	2,577,945	19.42 %	3,316,653	17.97 %
3.2	Financial, real estate & prof servs	2,915,680	21.97 %	3,842,524	20.81 %
3.3	Public Administration, defence and other services	1,844,316	13.90 %	2,886,517	15.64 %
	GVA at basic prices	13,271,471	100 %	18,461,343	100 %

	Sector	GVA in 2019-20 (Rupees in Crore)			
		Constant prices	share (%)	Current prices	share (%)
1	Primary Sector	2,303,790	17.36 %	3,650,545	19.77 %
1.1	Agriculture,forestry& fishing	1,948,110	14.68 %	3,257,443	17.64 %
1.2	Mining & quarrying	355,680	2.68 %	393,102	2.13 %
2	Secondary Sector	3,659,388	27.57 %	4,646,998	25.17 %
2.1	Manufacturing	2,317,280	17.46 %	2,775,587	15.03 %
2.2	Electricity, gas, water supply & other utility services	308,832	2.33 %	486,516	2.64 %
2.3	Construction	1,033,276	7.79 %	1,384,895	7.50 %
3	Tertiary Sector	7,337,941	55.29 %	10,045,694	54.41 %
3.1	Trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting	2,577,945	19.42 %	3,316,653	17.97 %
3.2	Financial, real estate & prof servs	2,915,680	21.97 %	3,842,524	20.81 %
3.3	Public Administration, defence and other services	1,844,316	13.90 %	2,886,517	15.64 %
	GVA at basic prices	13,271,471	100 %	18,461,343	100 %

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation

****

The Indigenous Uses of forest resourcesfor the development of tribal District - Alirajpur (M.P.)

Dr. Rajendra Singh Waghela*

Abstract - Economically villagers particularly tribal's are very poor but geographically and geologically the tribal villagers are rich. The law of natural justice in terms of fertility has established that the land which has upper crust fertile layer is rich in agriculture such as Punjab, Uttar Pradesh etc but with no forest and minerals, on the other hand the tribal area land is very poor for agriculture but rich in forest and minerals deposits. Mostly the industrialization is based under the direction of the multinational companies centered in developed areas and not in tribal belt. The eye witness of the tribal and tribal land has definate opinion that these multinational companies has no role to play in the uplift of the tribals and hence it is a must to make these tribals efficient in the indigenous use of the natural resources pertaining in their surrounding and also trying them in the market with proper processing and packing. The government and semi-government organization should come forward to formulate necessary plan and the techniques to implement them on accountability basis with the lead role of the tibals in order to uplift their standard of life.

Introduction - Truly it is said that India is a rich country where poor peoples live and it is word-to-word fact so far as the tribal districts of M.P. are concerned. In the western M.P. (Indore division) there are 6 tribal districts and in there include 33 tribal development blocks out of which Alirajpur is one and typical also. The Indian tribals have a symbiotic relationship with the forests. The custom and costumes, religions routens , social fabric and folklore all have been shaped by the forest and its products. They depend on forest for food, hut, building for shelter, fuel for cooking, lightening in the night and warmth during winter, medicine for daily uses, fodder for their cattle and primary earning for livelihood based on forest products. Even during famine they survive on the roots and bulbs found in the forest. In nutshell it can be concluded that forest is "Kalpa-Vrachha" for them.

Object Of The Study: The main object of this study is to establish some newer indigenous uses of the natural resources available in order to eradicate their poverty and improve their standard of living. The tribal of Alirajpur district are known as easy available labour in developed districts of Gujarat, Rajasthan etc. and they lead a nomatic life in search of their livelihood. While the irony is that the district has plenty of natural resources and has greater potential for the eradication of their poverty only if their minds and hands are trained properly in the tribals assimilative ways to explore the local natural resources as per demand of time and keeping this object in view the possible indigenous uses has been worked out.

Alirajpur District : An Introduction - Alirajpur is situated at 022:18 N latitude and 074:22 E altitude and it is a newly formed district by the division of Jhabua district on 17the May 2008. The total population of Alirajpur district is 566857, residing in 3 tehsils and 6 development blocks. Again 0.8% and 93.1% belongs to SC & ST categories. The total literacy was 36.9 and gender wise it was 48.0 and 25.7 percent of male and female respectively. The percentage of gross irrigated areas is 16.0 lower enough in comparison to non-tribal district. The gross forest area is nearly 28 % dominated by teak, sheesham, Kher, Babool, Mahuwa, Jamun, Dhawada, Bamboo etc. Topographically it is hilly undulating area nearly neglible fertile for agriculture purpose with no railway, no large industry and less developed roads. The crime rate of Alirajpur is heighest in India. The main crops of agriculture are maize, Jawar, Bajara, Urad and groundnut totally based on mansoon. Thus all these facts classified the district as tribal and backward one.

Main Feature Of Tribals: The characteristic features of the tribals one:

1. They prefer to live in isolation in mostly unapproachable places away from civilization. There language is a mixture of Hindi, Gujarati, Marathi and Sanskrit known as tribal dilect.
2. They still follow the primitive occupation such as gleening, hunting and collecting of forest products.
3. Their cultured character to eating (veg. and non-veg.) drinking (locally produced wine) and dancing even through out night.
4. They have their own goddess called 'Babudevo' for worship calendar of festival, means and methods of the performance of religious practices, treatment of the diseases based on trantra (Jhad-funk) by 'Badwa'.

Forest Resources & Indigenous uses: The use of the

*Professor (Commerce) SABV Govt. Arts and Commerce College, Indore (M.P.) INDIA

locally available natural resources to meet out the need of food, cloth, hut, building, agricultural equipment, wine and tadi production etc. by the tribals in their own manner is called as indigenous uses of the natural resources. Since the primitive days the tribals have been exercising the demand based indigenous uses of the resources but the result has always kept them under poverty line. The central and state government since independence have launched various plans for the uplift of the tribals but the irony is that the efforts made by the government have inversely proportionate result. The main drawback of the government policies is that the same have been framed in the air-conditioned multistoried building by those experts who have even neither seen the face of the tribal nor the tribal huts. The developmental plans are run on the paper and as said by then Prime Minister Rajeev Gandhi that only 11% of the total amount of the project reaches to the tribals. Secondly all there plans are neither required by them nor practically possible in their execution. The important fact is that in the planning the tribals should be preferred to take active part, while planning the requirement of the tribal. The ecosystem pertaining in the area. The skill and habits of the tribals and the locally available natural resources.

Different Indigenous Uses: The main indigenous uses can be listed in table 1:

Table 1 (see in next page)

Possibilitiesof INDEGENOUS USES of forest resources :

1. **Furniture, toys and decorative item preparation** : Proper training, finance facilities and marketing management to selected small group has vast opportunity in this field. The irony of the fact is that sufficient timber, bamboo and allied wood is available in the area but almost all sort of furniture is being purchased from big cities.
2. **Tadi :** At present its use is as a substitute of alcohol by the tribal inspiring the tendency of crime but it can be used for 'Gur' preparation and if its proper bottling is made like cold drink then its supposed be of great medicinal use. The processing and marketing of tadi will not only increase the per capita income but will very-very useful in the declination of the crime rate among them.
3. **Medicinal plants:** The district is very rich in the medicinal plants but neither the tribal use able to identify them nor to use them. The most urgent fact is to establish a cell either under forest department or ayurvedic hospitals with the objective to help the tribals in identification, preparation and marketing of the medicine and if required to coach them for mass cultivation of the selected medicinal plants. Some of the important plants are as follows:

1. **Safedmusli :** Grows in plenty during rainy season and its powder as such or in capsule have got international reputation as herbal tonic for vigor and other.
2. **Satawar:** This also in plenty in the forest and very much used as tonic as lactose purpose in animals and humans by the ayurvedic companies but till date the tribals neither know its use nor even are able to identify.
3. **Pawadiya seeds:** Collected in mass in BundelKhand and Chhattisgarh but not in this belt at all. It is being exported and can be used for medicine to rheumatism and substitute of tea and coffee. It is in weed in whole of the district.
4. **Babool:** The powder of the seed is used as herbal medicine and the powder of bark is used in pan masala. The tribals can prepare the same very easily.
5. **Neem:** Plenty of the trees are available, the thin branches can be used as tooth brush (Datoon) if properly packed, it is very much in the market. The powder of the dried leaves is of great use as blood purifier and skin disease. The oil extracted from its seed is now marketed in capsule by the ayurvedic companies and ultimately residue as cake is used as manure. With least effort and neglible capital the tribals can earn good amount from neem.

4. **Cash wild crop :** This district is well known for production of Sitafal in all over the villages and about 90% of its production is exported in Gujrat and outside. If a proper board like KajooVikas Nigam is established in the district for its increased production, processing and marketing, the tribals will be directly on good financial gains.
5. **Dye:** Many resource plants of dye are available such as Palas, Mango, Dhawda, Babool etc. and almost each tribal is well drained in distillation process (because of the local wine preparation) only least training regarding the dye production, packing, marketing. The tribals will help to change the saniro of the tribals.

Problems In Implementation Of Planning :

The crucial problem can be short listed as follows.

1. Tribal are low risk tracker Ultimate the entrepreneurship ship is the drawback in their character. They should be taken on tour to the places such as Shilpa gram, centers and markets of wild products, ayurvedic and industrial institution and should have proper financial & marketing infrastructure at block development level. Then only a ray of hope can be expected.
2. Almost the tribal are orthodox and to divert their mind towards the changes taking place with the enhancement of scientific techniques is a task but it is the man only in whom noting is impossible and thank God that they have start changing their thoughts and action.
3. Processing, packing and marketing is the burning problem in this competitive world but the labour based products have least competition and hence the products prepared by the inoligenous uses by the tribals will taken the market very easily if properly processed, packed and marketed.

Suggestion: Proper institute for vocation training, establishment of a suitable tribal autonomous development board, financing as per need and demand by the tribals and ultimately processing methodology availability of packing material and marketing societies are to be instituted in this tribal area to exact the indigenous uses of the natural resources by the tribal.

Conclusion: The quota of the food and cloth to a very low standard of life is being having completed by the poor

agriculture and nomatic life style for wages but after 73 yrs of independence is it sufficient on the part of the poor to suffer life long with the curse of Modern Technology.

References:-

1. Pant D.C. “Rural Development in India” Published by College book Depot, Jaipur pp – 71
2. Singh, Sudama& Singh Rajeev Krushan “Indian Economics, year 2000, published by RadhaPrakashan, New Delhi pp 391.
3. Zunzunwala, Bharat, “Indian Economics” Year 2004, published by Rajpal& sons, Delhi.
4. Senswagata “Del charpDoopahiya” India Today, Sept 2009, PP 98.
5. SenVikram, Alirajpur ZeelaVishesh, Year 2008 published by DainikAgniban.

Table 1

S.	Resources	Present uses	Desired Uses
1.	Timber – Teak	Hut and agricultural equipment making	Furniture and decorative sculpturing framing
2.	Non-Timber	Hut making and fuel	Decorative pieces
3.	Bamboo	Mat, Basket & brushes	Furniture, toys, framing
4.	Tadi	Drinking purpose	Gur preparing, bottling &medicined use
5.	Mulethi roots & leaves	Uses not known to the tribals and they collect and sale in the local market as cheaper rate	i. Roots be digged& dried ii. Leaves-be powdered
6.	Mahuwa		Oil extraction in scientific ways from seeds & use as fodder for cattle
7.	Safedmushli		Powder for medicine purpose
8.	Palash – Seed & flowers		i. Seed – medicinal use ii. Flower – Making dye
9.	Punwadiya seed		Alternative medicine, tea making
10.	Bamboo pods & bark		Pod – Medicinal use Bark – Masala making
11.	Neem leaf & fruits		i. Tooth brush ii. Leaf – Powder making for medicinal use iii. Seed – Oil, cake for manure use
12.	Shitafal	Improper marketing for eating	i. Proper packing and marketing ii. Wine preparation iii. Seeds – Medicinal use
13.	Bor		Powder - Pouch packing & marketing
14.	Gum		Preparation & proper packing
15.	Satawar	Unknown about it	Medicine uses - lactose purpose
16.	White Kaddu	Vegetable	Peda preparation
17.	Kadu’stumbri	No use	Seed – Medicine useFruit body – decorative fashionable items making
18.	Sweet Neem	No use	Leaves for masala use
19.	Mango	Rough use, ripe mango for eating	i. Achar – pickle making ii. Amchur powder iii. Endospevan – starch making for medicinal use
20.	Bark of Jamun, Mango, Bhawda, Babool, Mahuwa	No proper use	Dye preparation

****

Women Rights

Mom Banerjee* Dr. B.K. Yadav**

Introduction - Gender equality is at the very heart of United Nations values. Equality between men and women has been among the most fundamental guarantees of human rights and a fundamental principle of the United Nations Charter adopted by world leaders in 1945.

Equal rights of men and women and protecting and promoting women's human rights is the responsibility of all States.[1] It proclaimed the equal entitlements of women and men to the rights contained in it, "without distinction of any kind, such as sex, caste, creed and colour" This prohibition of discrimination based on sex is repeated in its Articles 13 (mandate of the General Assembly) and 55 (promotion of universal human rights).

The International Covenant on Civil and Political Rights guarantees, among other rights, the right to life, freedom from torture, freedom from slavery, the right to liberty and security of the person, rights relating to due process in criminal and legal proceedings, equality before the law, freedom of movement, freedom of thought, conscience and religion, freedom of association, rights relating to family life and children, rights relating to citizenship and political participation, and minority groups' rights to their culture, religion and language. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights guarantees, for instance, the right to work, the right to form trade unions, rights relating to marriage, maternity and child protection, the right to an adequate standard of living, the right to health, the right to education, and rights relating to culture and science.[2]

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) :It is an international treaty adopted by UN General Assembly in 1979. The Convention defines discrimination in its article 1 as "… *any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field*." [3]

We are all entitled to human rights. These include the right to live free from violence and discrimination; to enjoy the highest attainable standard of physical and mental health; to be educated; to own property; to vote; and to earn an equal wage.

But across the globe many women and girls still face discrimination on the basis of sex and gender. Gender inequality underpins many problems which disproportionately affect women and girls, such as domestic and sexual violence, lower pay, lack of access to education, and inadequate healthcare.

For many years women's rights movements have fought hard to address this inequality, campaigning to change laws or taking to the streets to demand their rights are respected. And new movements have flourished in the digital age, such as the #Me-too campaign which highlights the prevalence of gender-based violence and sexual harassment.

Through research, advocacy and campaigning, Amnesty International pressures the people in power to respect women's rights.

UDHR: The United Nations adopted the Universal Declaration of Human rights on 10 December 1948 which proclaims that all human beings are born free and have equal right to dignity .Similarly Indian Constitution guarantees several rights such as the right to equality in Article 14, right to life and personal liberty under Article 21 of Constitution to all its citizens irrespective of gender.

Gender equality means a society in wherein both women and men enjoy the same opportunities, rights and obligations in different spheres of life. Equality in decision making, economic and social freedom, equal access to education and right to practice an occupation of one's choice. In order to promote gender equality, we need to the empowerment of women, and concentrate on areas which are most crucial to her well being. Women's empowerment, economic, social, political, is vital to growth of any nation and to protect and nurture human rights.

Constitutional Remedies : Indian constitution has provided many remedies for the women but still the rate crimes related to women is increasing day by day. Women empowerment program is very helpful in this regard. Following are the important provision in the constitution for the women.

*Research Scholar, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana) INDIA
** Dean, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana) INDIA

Fundamental right to equality before Law that is, equal protection of laws in India- Article 14

Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. However art 15(3) empowers state to make any special provision for women and children -Article 15

Equality of opportunity in matters of public employment or opportunity to any office under state and prohibits discrimination on ground of sex- Article 16

Freedom of speech and expression and freedom to practice any profession or to carry out any occupation, trade or business – Article 19

Protection of life and personal liberty- Article 21

Right to Privacy- Article 21

Right to property- Art. 300-A

Article 14 embodies the general principles of equality before law and equal protection of laws.

Prohibition from discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

1. Article 15(1) and (2) prohibits the state from discriminating against any citizen only on the basis of any one or more of the aspects such as religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.
2. Article 15(3) makes it possible for the state to create special provisions for protecting the interests of women and children.
3. Article 15(4) capacitates the State to create special arrangements for promoting interests and welfare of socially and educationally backward classes of society.
4. Article 16 provides for equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State.
5. Article 39 requires the State to direct its policy towards securing for men and women equally the right to an adequate means of livelihood [Article 39(a)]:, and equal pay for equal work for both men and women [Article 39(d)].
6. Article 39A directs the State to promote justice, on the basis of equal opportunity and to promote free legal aid by suitable legislation or scheme or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Article 243 D (3) and Article 243 T(3) provide for reservation of not less than one third of total number of seats in Panchayats and Municipalities for women to be allotted by rotation to different Constituencies.

Article 243 D (4) T(4) provides that not less than one third of the total number of officers of chairperson in the Panchayat and Municipalities at each level to be reserved for women.

1. Not less than one-third seats shall be reserved for women. Such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat.
2. The office of the chairperson in the Panchayat at the village or any other level shall be reserved for SCs, STs and women in such manner as the legislature of state may, by law provide.
3. Reservation of seats for women in Municipalities is provided.

Political rights: women reservation in for instance, panchayats. Art 15 of the Constitution allows special provisions for women and children to be made for their welfare.

Under the Legal Services Authorities Act women and children are entitled to free legal aid .

According to Section 13 (1) of the Act, any individual who satisfies any criteria under Section 12 is entitled to receive legal services, provided that the concerned Legal Services Authority is satisfied that such person has a genuine case to prosecute or defend the matter.

An Act to constitute legal services authorities to provide free and competent legal services to the weaker sections of the society to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, and to organize Lok Adalats to secure that the operation of the Law and Justice.

Conclusion: Under the Constitution of India, the Directive Principles of State Policy contain duties of the State to apply these principles while making laws. These principles state that state shall direct its policies to secure that citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood, that there is equal pay for both men and women, provide free and compulsory education for children and duty to improve public health. Whereas in case of violation of fundamental rights, these rights are enforceable, that is , a victim can seek legal redress through a court of law , the directive principles are only a guiding factor and its non observance is not actionable before court of law. Legal education and awareness must be spreader in society.

To uphold the Constitutional mandate, the state has enacted various legislative measures intended to ensure equal rights, to counter social discrimination and various forms of violence and atrocities and to provide support services especially to working women. Although women may be victims of any of the crimes such as 'Murder', 'Robbery', 'Cheating' etc, the crimes, which are directed specifically against women, are characterized as 'Crime against Women'. Women empowerment program should be started in India.

References :-

1. http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex.aspx
2. *Women's Rights are Human Rights*, United Nations, Office of the High Commissioner, New York and Geneva, 2014
3. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#part1

****

नरसिंहपुर जिले में असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रीति जैन *

शोध सारांश – वर्तमान में नरसिंहपुर जिले में महिला श्रम मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है आज समाज के विकसित एवं शिक्षित होने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है अर्थात समाज में उन्हें समानता का दर्जा प्राप्त नहीं है। महिलाओं को बाहरी श्रम के साथ–साथ घरेलू कार्यो को भी करना होता है उन्हें दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। आर्थिक विकास में तीव्रता लाने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे द्धारा किय गये अध्ययन के दौरान पाया कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में महिलायें लघु व कुटीर उद्योगों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई घरेलू कार्य, पशुपालन, ईधन के लिये लकड़ी लाना, आदि कई कार्यो में संलग्न है जिनका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है। उनके कार्यो को रोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और यही कारण है कि कई स्थानों पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति अभी भी कमजोर है। इस शोध पत्र के माध्यम से महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अवलोकन किया गया है।

शब्द कुंजी – महिला श्रमिक, आर्थिक विकास, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, कार्य के विभिन्न क्षेत्र, अधिकार, श्रम विभाजन।

प्रस्तावना – ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जर्मनी के महान कवि गेटे ने कहा कि महिला, स्वर्ग और मुक्ताओं के समान है वास्तव में महिला शक्तिरूपणी है। महिला सभी रूपों में एक शक्तिपुंज है, अर्थात समाज में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या परम्परा, धर्म, विचारधारा के माध्यम से उनकी निशिचित 'भूमिका' और 'आर्थिक विकास' की स्थिति से की जाती है। उनकी स्थिति में उन्नयन का अभिप्राय समाज में सहभागी अधिकारों के दायरें का विस्तार होना है। यदि महिलाओं के अधिकारों, अवसरों को व्यापक किया जाय तो समाज के विकास में वृद्धि होगी क्योंकि सभी समाजों में महिलाओं की निम्न स्थिति समस्याओं को जन्म देती है जो मानवीय विकास में बुनियादी मुद्दा बनकर उभर रहा है।

समाज की आर्थिक गतिविधियों में महिला श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। श्रम के लैंगिक विभाजन की वर्तमान स्थिति में जहां एक ओर महिलायें अपने घरों को सजाती संवारती है, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्यरत है। परंतु इसके बावजूद भी महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में कम सम्मान दिया जाता है, उन्हें परिवार के आर्थिक निर्णय, बच्चों की परवरिश संबंधी निर्णय, भूमि विकास आदि कई तरह के निर्णय लेने का अधिकार होता ही नहीं इसके अलावा उन्हें स्वयं के निर्णय लेने के अधिकार भी नहीं होता है।

किसी देश का आर्थिक विकास इस देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होता है अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था एक धुरी पर घूमती है जिसके दो पहिये होते है महिलायें एवं पुरूष। अर्थात महिलाओं के विकास को ध्यान में न रखा जाय तो देश का विकास होना संभव नहीं है। विकास का उद्देश्य होता है संपूर्ण समाज चाहे वे महिलायें हो या पुरूष सभी की आर्थिक, सामाजिक स्थिति को सुद्दढ़ एवं बेहतर बनाना है। अर्थात पूरी समाज का विकास होता है तो स्वभावत: ही आर्थिक विकास के साथ–साथ महिलाओं की स्थिति में भी सुधार आयेगा। हमारे समाज में विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है श्रम–विभाजन। यहां श्रम विभाजन का अर्थ है लिंग आधारित श्रम का बॅटवारा। श्रम विभाजन के कारण ही परिवार एवं समाज में महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ है। समाज में पुरूषों को उत्पादक माना जाता है जो महिलाओं और बच्चों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते है। महिलाओं को उपभोक्ता माना जाता है जिनका कार्य भोजन पकाना, परिवार के सदस्यों, बच्चों की देखभाल करना है। अर्थात कार्यविभाजन को स्वेच्छा के आधार पर व्यक्त न करके सामाजिक आधार पर व्यक्त किया गया है। वर्तमान में महिलाओं ने एक बड़ी संख्या में घरेलू कार्यो के साथ–साथ श्रम बाजार में प्रवेश किया है। महिलाओं के कुछ कार्यो को ही मान्यता दी जाती है जिसका उन्हें वेतन भी मिलता है परंतु उनके अधिकांश कार्यो को अनदेखा कर दिया जाता है जो घरेलू कार्यो से जुडे ह़ोते है जैसे– खाना पकाना, घर की सफाई, कपड़ों की धुलाई आदि ऐसे कार्य है जिनके कोई बाजार मूल्य नहीं होते है न ही उन कार्यो का उन्हें वेतन प्राप्त होता है।

नरसिंहपुर जिले में वर्तमान में महिलायें आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने में अपना संपूर्ण योगदान दे रही है। जिले में महिलायें , राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में कार्य में संलग्न है। जिले की महिलायें संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में कार्य में संलग्न है परंतु मेरे द्धारा किये गये अध्ययन के आधार पर पाया गया कि जिले में अधिकांश महिलायें असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। अधिकतर महिलाओं का असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने का सबसे मुख्य कारण शिक्षा का अभाव, प्रशिक्षण सुविधाओं तक उनकी पहुॅच न हो पाना है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिकतर महिलायें शारीरिक श्रम आधारित गतिविधियों अर्थात असंगठित क्षेत्रों में कार्य जैसे कृषि, इमारत एवं निर्माण कार्य, झाडू, पोछा, वर्तन, का कार्य घरेलू उद्योग आदि में जुटी हुई है।

असंगठित क्षेत्र में मुख्य रूप से दो तरह के श्रमिक होते है।

1. **स्वरोजगार प्राप्त –** इनमें मुख्य रूप से किसान और शिल्पकार, खोमचे वाले, फेरी लगाने वाले, दुकान लगाने वाले आते है।

* शोद्यार्थी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

2. **देहाड़ी के मजदूर –** इसमें मुख्य रूप से कृषि श्रमिक, बागवानी संबंधी श्रमिक, निर्माण कार्य में जुटे श्रमिक, घरेलू कार्य करने वाले श्रमिक आदि आते है।

असंगठित क्षेत्र में महिलायें मुख्य रूप से अपनी आजीविका सुरक्षा निशिचित करने के लिये कार्य करती है। ये महिलायें अपने स्वास्थ्य और रोजगार के लाभों की न्यूनतम सुरक्षा प्राप्त किये बिना ही श्रम कार्य में संलग्न रहती है।

शोध विषय का चयन – महिलायें आबादी का लगभग आधा हिस्सा होती है अर्थात आर्थिक विकास में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है परंतु महिलाओं के औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होने के बाबजूद कई क्षेत्रों में उनका आर्थिक मूल्यांकन नहीं होता है और उन्हें रोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अत: मैने महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पर अध्ययन करने का प्रयास किया।

समंकों का संग्रहण – मेरे द्वारा किया गया अध्ययन प्राथमिक समंकों पर आधारित है मैने नरसिंहपुर जिले की पांच तहसीलों से 200 महिला श्रमिकों से प्रश्नावली द्वारा उत्तर प्राप्त किये। प्रश्नावली में पूछे गये प्रश्नों का वर्गीकरण कर विश्लेषण किया व निष्कर्ष निकाले।

शोध का उद्देश्य – इस शोध का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना है।

शोध प्रवधि – प्रस्तुत शोध पत्र में प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध परिकल्पना – असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है।

तालिका – 1

क्र.	क्षेत्र	आवृत्ति	प्रतिशत
1	औद्योगिक क्षेत्र	54	27
2	कृषि क्षेत्र	23	11.5
3	व्यापारिक क्षेत्र	25	12.5
4	स्वरोजगार क्षेत्र	29	14.5
5	घरेलू क्षेत्र	25	12.5
6	निर्माण क्षेत्र	29	14.5
7	अन्य क्षेत्र (संगठित क्षेत्र)	14.5	7.5
	योग	**200**	**100**

स्त्रोत :- साक्षात्कार पर आधारित प्राथमिक आंकडे

रोजगार के क्षेत्र – प्रस्तुत आंकडे प्राथमिक समंकों के आधार पर लिये गये है, प्राथमिक समंक मेरे द्वारा नरसिंहपुर जिले की पांचों तहसीलों से 200 महिला श्रमिकों से प्रश्नावली भरवाकर प्राप्त किये गये। जिससे हमें ज्ञात हुआ कि 200 महिलाओं में से 27 प्रतिशत महिला श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र (जिसमें बीडी उद्योग, रेशम उद्योग, दालमिल, शुगर मिल आदि) से है। 11.5 प्रतिशत महिलायें कृषि क्षेत्र, 12.5 प्रतिशत महिलायें व्यापारिक क्षेत्र, 14.5 प्रतिशत महिलायें स्वरोजगार, 12.5 प्रतिशत महिलायें घरेलू क्षेत्र , 14.5 प्रतिशत महिलायें निर्माण क्षेत्र एवं 7.5 प्रतिशत महिलायें अन्य क्षेत्र (जिसमें संगठित क्षेत्र की महिलायें) सम्मिलित है।

निष्कर्ष – उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि कुल महिला श्रमिकों में से 93 प्रतिशत महिलायें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और सिर्फ 7 प्रतिशत महिलायें ही संगठित क्षेत्र में कार्यरत है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बनर्जी, एन. (एडी,) 1991, इंडियन वूमेन इन ए चेंजिग इंडस्ट्रियल सीनेरो, सेज पब्लिकेशंस: नईदिल्ली।
2. गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, 1988, नेशनल पर्सपिक्टिव प्लान फॉर वूमेन्स डेवलपमेंट 1988–2001, नई दिल्ली।
3. असंगठित क्षेत्र की चुनौतियां – कुरू वर्मा उदय कुमार
4. सिन्हा.पी.आर., इन्दुबाला, 'श्रम एवं समाज कल्याण', भारती भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2011, पी.पी.–249.

आवृत्ति एवं प्रतिशत

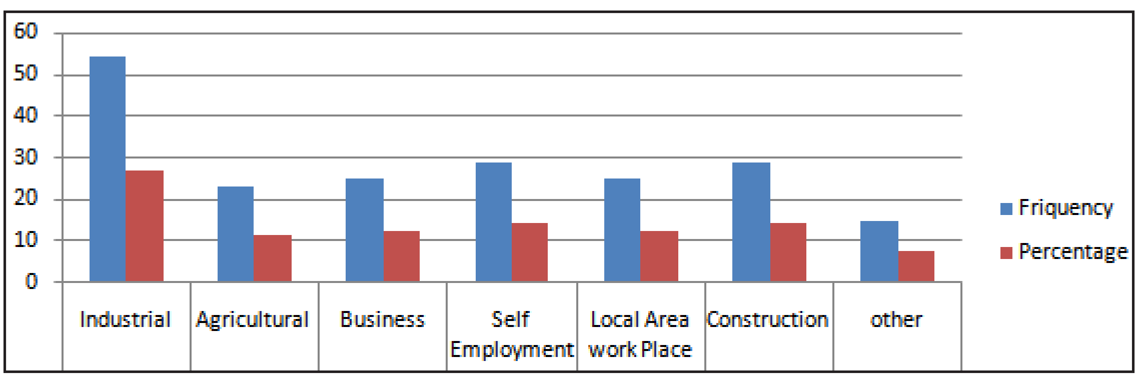

****

सन्त कालूजी का जीवनवृत्त और उनके प्रमुख दोहों का अध्ययन

डॉ. मधुसूदन चौबे *

शोध सारांश – मानव जन्म के बाद उसका रूपांतरण किस प्रकार होगा, यह पारिवारिक–सामाजिक परिवेश, पालन–पोषण, शिक्षा, जन्मजात प्रवृत्तियों आदि पर आधारित होगा। यही कारण है कि धरा पर जहां एक ओर उत्कृष्टतम मानवीय विभूतियां हैं तो वहीं भयावह आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने वाले घृणित लोग भी हैं। सन्त कालूजी एक ऐसे परिवार में जन्मे और बड़े हुए थे, जिसमें सिंगाजी जैसे महामानव का अवतरण हुआ था। कालूजी भी अपने पिता सिंगाजी के पदचिह्नों पर चलते हुए संतत्व के उच्च षिखर पर विराजित हुए। कालूजी ने गृहस्थ जीवन जीते हुए समाज को दिशा दिखाने का कार्य किया। नवीन अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि कालूजी ने 21 दोहों की रचना की थी, जिनमें उन्होंने जीवन के विभिन्न पक्षों को अभिव्यक्त किया। इस शोध पत्र में कालूजी के जीवन वृत्त के साथ ही उनके द्वारा रचित दोहों में से प्रमुख दोहों का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।
टुल– सन्त साहित्य का अध्ययन, पांडुलिपि का अध्ययन, समाधि स्थल पीपल्या खुर्द से जानकारी का संग्रहण।
शब्द कुंजी – दोहा, समाधि, वैराग्य, दीक्षा, निर्वाण, कर्मवाद, मानववाद, पाखंड।

प्रस्तावना – मध्यकाल में निमाड़ में अनेक सन्त हुए। इनमें सिंगाजी तथा उनके पुत्र कालूजी भी सम्मिलित हैं। सन्त कालूजी को इस क्षेत्र में बहुत महत्ता प्राप्त है और अनेक अनुयायी उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। वे कर्मवादी, मानवतावादी, सुधारवादी, समन्वयवादी, सन्त थे। मानव जीवन को मोक्ष प्राप्ति का महानतम अवसर मानने वाले कालूजी साहित्यिक प्रतिभा से भी सम्पन्न थे।

अ–जीवनवृत्त – सन्त कालूजी निमाड़ के महानतम सन्त सिंगाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्म 'कार्तिक सुदी पंचमी, विक्रम सम्वत, 1599 (ईसवी सन् 1542), सोमवार' को हरसूद में हुआ था। इनकी माता का नाम जसोदा बाई था। इनके पितामह भीमाजी बेहद सम्मानित व्यक्ति थे और इनकी पितामही गवरा बाई अपने वात्सल्य भाव के कारण श्रद्धा का पात्र थीं। कालूजी के पिता सिंगाजी सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी और राजकीय सेवक थे। माता जसोदा बाई शीलवती एवं ममतामयी स्त्री थीं।

कालूजी का प्रारम्भिक जीवन प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हुआ। उनके द्वारा रचित दोहों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और उन्हें पढ़ने–लिखने का ज्ञान था। कालूजी बालपन से अपने परिजनों के साथ पारिवारिक पशुओं को चराने के उद्देश्य से जंगल में जाते थे। किशोरावस्था में कालूजी का विवाह पीपल्या खुर्द के निवासी पेमाजी गवली की इकलौती पुत्री गुलाबबाई के साथ हुआ। गुलाबबाई एक सती स्त्री थी, जिसकी आस्था थी कि विवाह एक अटूट बन्धन होता है।

इसी दौरान कालूजी के पिताजी 'सिंगाजी को मनरंगस्वामी के मुख से भजन सुनने के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली तथा क्रमशः लौकिक जीवन से विरत् होने लगे।' सिंगाजी के समाधिस्थ होने के समय कालूजी की उम्र लगभग 15–16 वर्ष की थी। चूंकि वे सिंगाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, अतः पिता के निर्वाण के पश्चात् पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन का भार उनके किशोर कन्धों पर आ गया।

'सिंगाजी के द्वारा समाधि ग्रहण करते समय कालूजी किशोरवय के थे।' पिता द्वारा दीक्षा लिये जाने और सन्त जीवन व्यतीत करने का प्रभाव कालूजी पर पड़ा। यद्यपि इस बात के संकेत नहीं मिलते हैं कि उन्होंने औपचारिक रूप से किसी सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण की तथापि वे बाल्यावस्था से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और नर्मदा उपासना में रत रहते थे। पिता सिंगाजी के प्रति कालूजी के मन में अपार श्रद्धाभाव था और वे उनके उपदेशों में अपने लिये पथ तलाशते थे। उनके लिये सिंगाजी पिता के साथ ही गुरु भी थे।

कालूजी ने जीवित समाधि ली थी। उनकी समाधि ग्राम पीपल्या खुर्द में है। यह गांव महेश्वर तहसील के अन्तर्गत आता है तथा महेश्वर से 23 किलोमीटर पूर्व दिशा में बड़वाह मार्ग पर स्थित है। कालूजी की निर्वाण तिथि स्पष्ट नहीं है। उनके जीवनकाल में उनका परिवार पौत्रों से सम्पन्न हो गया था, जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उन्होंने दीर्घ जीवन जीते हुये जनकल्याण के लिये स्वयं को अर्पित किया।

ब. सन्त कालूजी के प्रमुख दोहों का अध्ययन – नवीन अनुसंधान के अनुसार कालूजी उच्च कोटि के साहित्य सृजक थे। 'विक्रम संवत 1903 की लिखी हुई एक हस्तलिखित पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है।' यह विभिन्न रचनाओं का संग्रह है। इसमें सिंगाजी की परचरी, दृढ़ उपदेश, बाणावली और कबीर, नामदेव, पीपाजी, त्रिलोचन, अंगद की परचरियों, साखियों एवं कालूजी के दोहों का संग्रह है।

निमाड़ी में रचित 'कालूजी के दोहे गागर में सागर भरने वाले, मार्मिक एवं भावपूर्ण हैं।' उन्होंने अपने दोहों में अनेक विषयों का समावेश किया है। ये दोहे उनके चिन्तन–दर्शन को प्रतिबिम्बित करते हैं। उनके कुछ दोहे आगामी पृष्ठों पर उद्धृत किये गये हैं। कालूजी के दोहों को पढ़कर स्वाभाविक रूप से यह कहा जा सकता है कि उनकी रचना सम्पदा व्यापक रही होगी।

1. कर्म की महत्ता पर आधारित दोहा :– कालूजी कर्मवादी थे और उन्होंने अपने अनुयायियों को कर्म का सन्देश दिया है। उनके अनुसार जीवन की उपादेयता सार्थक कर्मों में लीन रहने में ही है। वे कर्म को ईश्वरीय प्रेरणा एवं आदेश मानते थे। कालूजी का अवलोकन था कि समाज के बहुसंख्यक लोग आलस्य एवं प्रमाद में अनमोल जीवन का क्षय कर देते हैं। इस

* सह प्राध्यापक (इतिहास) शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

विषयवस्तु पर आधारित दोहा अग्रांकित है–

कालू उठ उद्यम कर, बैठे बने न वीर।
तन सरवर मन माछली, खेले कालू कीर।।

अर्थात् हमारे तन रूपी सरोवर में मनरूपी मछली बड़े निराले खेल खेल रही है। इसे वश में करना है, तो कालू उठ कुछ प्रयत्न कर, बैठे रहने से काम नहीं चलेगा।

2. **पाखंड के विरोध में दोहा :–** कालूजी की मान्यता थी कि समाज में पाखण्डी व्यक्तियों की कमी नहीं है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये पाखण्डी व्यक्ति निम्नतम स्तर तक जाने में संकोच नहीं करते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं, जो तन से बैरागी और मन से रागी होते हैं। जब उन्हें काम भावना सताती है, तो व तड़पने लगते हैं। इस संबंध कालूजी का दोहा है–

कही सुणी माने नहीं बैरागी की जात।
काट पड़े कालू कहे, फूंके आधी रात।।

उनकी दृढ़ मान्यता थी कि देवोपासना में किसी भी प्रकार का दिखावा कोई महत्व नहीं रखता है। इस दिखावे को उन्होंने पाखण्ड की संज्ञा दी है। पाखण्डों को भ्रमजाल में उलझा हुआ व्यक्ति सच्चे साधना पथ से भटक जाता है और आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति से वंचित हो जाता है। पाखण्डों के कारण भक्ति का मूल स्वरूप विलोपित हो जाता है।

3. **मानवीय गुणों के विकास को प्रेरित करता दोहा :–** कालूजी मानवीय गुणों के विकास को महत्व देते थे। उनकी मान्यता थी कि सद्गुणसम्पन्न व्यक्ति की उपस्थिति से वातावरण सुरभित हो जाता है और पारस्परिक प्रेम एवं सोहार्द्र का संचरण होता है। अपने एक दोहे में कालूजी बताते हैं कि बड़प्पन पाने के लिये कौनसे गुण होना आवश्यक हैं–

नमण खमण बहु दीनता, सब सू आदर भाव।
कहे कालू सोई बड़ा, जामे बोत समाय।।

अर्थात् बड़प्पन पाने के लिये मनुष्य में विनम्रता, क्षमा, दीनता, धैर्य तथा सबके प्रति आदरभाव रखना आवश्यक होता है। दोहे में सन्दर्भित गुणों को आत्मसात करने के लिये नियमित दिनचर्या, ईशोपासना, सत्संग, चरित्रवान मित्रों और शुद्ध हृदय का होना कालूजी अनिवार्य मानते थे। उक्त उल्लिखित गुणों का प्रादुर्भाव नहीं होने पर व्यक्ति हिंसक एवं जंगली पशुवत् हो जाता है। ऐसा व्यक्ति परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिये न केवल अनुपयोगी होता है, अपितु हानिकारक भी होता है।

सन्तों की प्रवृत्ति को दर्शाता दोहा :– कालूजी की मान्यता थी कि मनुष्य को और विशेषकर सन्त प्रवृत्ति के मनुष्य को एक स्थान पर स्थाई रूप से नहीं बसना चाहिये, अपितु सतत भ्रमण करते हुये कुछ–कुछ समय के लिये नये–नये स्थानों पर वास करते रहना चाहिये। इससे मनुष्य परिग्रह और उससे सम्बन्धित विभिन्न दोषों तथा अनेक प्रकार के सांसारिक मोहपाशों में जकड़ने से स्वयं को सफलतापूर्वक बचा सकता है। साथ ही भ्रमण के दौरान नवीन व्यक्तियों, स्थानों एवं परिस्थितियों से साक्षात्कार होने के कारण साधना दृढ़ होती है। उन्होंने बहते पानी और गतिमान सन्तों में साम्य स्थापित करते हुए लिखा है कि–

कालू, बहता पानी निर्मला, बांध्या गंदा होय।
साधुजन रमता भला, दाग न लागे कोय।।

अर्थात् निरन्तर बहते हुए निर्मल जल को यदि बांध के बंधन में बांध दिया जाये तो वह गंदा होने लगता है, ठीक उसी प्रकार सच्चे साधु भी यहाँ–वहाँ भ्रमण करते रहें तो वे निर्दोष रहते हैं।

4. **सांसारिक आकर्षणों के प्रति चेताता दोहा :–** कालूजी के अनुसार संसार में अनगिनत आकर्षण हैं, जिनमें बंधकर व्यकित अपने मुख्य ध्येय से भटक जाता है। ये तात्कालिक सुख प्रदान करते हैं, परन्तु अन्ततोगत्वा मानव के पतन का कारण बनते हैं। सांसारिक माया मोह के आकर्षण के संबंध में चेताते हुए वे लिखते हैं–

आवे भमरा बास लुभा, बास लई उड़ जाय।
साद भमरा कालू कहे, ममता मत लिपटाय।।

अर्थात् जैसे वन–उपवन की मनमोहक सुगंध भ्रमर को आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार सांसारिक माया–ममता भी अच्छे–अच्छे लोगों की अपने मोहपाश में जकड़ लेती है। उनका मत था कि केवल उन भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिये, जो शरीर संधारण के लिये आवश्यक हैं। साधना के लिये स्वस्थ्य शरीर आवश्यक होता है, अत: साधनाकाल में भोजन–पानी आदि का त्याग पूर्णत: नहीं किया जा सकता है। इनका परित्याग समाधि की अवस्था में पहुँचने पर किया जा सकता है।

5. **मानव जीवन का महत्व प्रतिपादित करता दोहा :–** कालूजी मानव के रूप में जन्म को मुक्ति प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर मानते थे। मनुष्य की मति पूर्व जन्म के कर्म, पारिवारिक परिवेश, संगति आदि के प्रभावानुसार मनुष्य से उचित या अनुचित कर्म करवाती है। मनुष्य को सतत् आत्मावलोकन करते हुये अपने कर्मो की प्रकृति एवं उनके औचित्य–अनौचित्य पर विचार करते रहना चाहिये। आकलन के उपरान्त मनुष्य को स्वयं को उन कर्मो से विरत कर लेना चाहिये जो पतन के गर्त में ले जाते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेने की सार्थकता के विषय में कालूजी अपने एक दोहे में इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं–

दरसन परसन देहे लगी, उठकर मिलिये धाय।
तन छटे कालू कहे, कहाँ पड़ेंगे जाय।।

अर्थात् हमने मनुष्य योनी में जन्म लिया है, तो सन्तों के दर्शन और सत्संग के लिये दौड़कर जाना चाहिये, अन्यथा यह देह विसर्जन के पश्चात् भविष्य में हम कहाँ क्या होंगे, कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने मानवीय काया को सौभाग्य का प्रतीक मानते हुये प्रतिपल इसके सदुपयोग की अपेक्षा की।

6. **प्रेम का महत्व स्थापित करता दोहा :–** कालूजी के अनुसार प्रेम मानव की सबसे मूल्यवान निधि है। परस्पर प्रेमपूर्वक व्यवहार करने के लिये किसी मूल्य का भुगतान नहीं करना पड़ता है, किन्तु इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक होता है। प्रेम के स्रोत में निरन्तर होने वाली कमी को ही कालूजी बढ़ते सामाजिक वैमनस्य का कारण मानते थे। दिन–प्रतिदिन के जीवन में आपस के प्रेम का कितना महत्व है, इसका उल्लेख कालूजी इस प्रकार करते हैं–

हेत प्रीत की राबडी मिलकर पीजे वीर।
हेत बिना कालू कहे कड़वी लागे खीर।।

स्नेह के साथ मिल बैठकर खाने से रूखा–सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है अन्यथा बिना स्नेह के कोई खीर परोसे तो वह भी कड़वी लगती है।

निष्कर्ष – कालूजी की जीवन शैली और विशेषकर व्यावहारिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन में उनके द्वारा स्थापित किये गये सन्तुलन का जन सामान्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। जीवनोत्थान के लिये सन्त कालूजी से उपदेश ग्रहण कर उनके अनुरूप चलने वाले ग्रामीणजनों की वृहत् संख्या थी। कालूजी एक सहज गृहस्थ सन्त थे। दैवारधना के लिये नैसर्गिक वृत्ति, पारिवारिक वातावरण और सन्त पिता सिंगाजी के सद्प्रभाव से कालूजी के सन्त स्वरूप का निर्माण और विकास हुआ था। सन्तकवि के रूप में कालूजी ने सामासिक समरसता के प्रसार के लिये प्रयास किया। आसानी से समझ

में आ सकने वाली लोक प्रचलित स्थानीय भाषा में उन्होंने अपने सन्देश लोगों तक सम्प्रेषित किये और उन्हें बेहतर एवं खुशहाल बनने में सहयोग दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. **सिंगाजी की परचरी**, लेखक- सन्त खेमदास, प्रकाशक- व्यंकटेश्वर प्रेस, बम्बई (मुम्बई), संस्करण- विक्रम संवत, 1751, पृष्ठ- 55.
2. **निमाड़ के सन्त कवि सिंगाजी**, लेखक- रमेशचन्द्र गंगराड़े, प्रकाशक- हिन्दी साहित्य भण्डार, लखनऊ, संस्करण- 1967, पृष्ठ-19.
3. **निमाडी साहित्य के कलमकार-कलाकार,** लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 45.
4. **सन्त कालूजी,** लेखक- विट्ठल शर्मा, प्रकाशक- सरदार सोहनसिंह, इन्दौर, संस्करण- 1987, पृष्ठ- 45.
5. **यह पाण्डुलिपि** निमाड़ लोक संस्कृति न्यास, खण्डवा के संग्रहालय में संरक्षित है।
6. **निमाडी और उसका साहित्य**, लेखक- डॉ. कृष्णलाल हंस, प्रकाशक- हिन्दुस्तान एकेडमी, इलाहाबाद, संस्करण- 1956, पृष्ठ- 284.
7. **निमाडी साहित्य के कलमकार-कलाकार में उद्धृत,** लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- माहिष्मती प्रकाशन, महेश्वर, संस्करण- 1995, पृष्ठ- 44.
8. **वही**, पृष्ठ- 44.
9. **नर्मदाचल के सन्त कवि में उद्धृत,** लेखक- बाबूलाल सेन, प्रकाशक- इतिहास संकलन समिति, महेश्वर, संस्करण- प्रथम, 1995ई., पृष्ठ-18.
10. **वही**, पृष्ठ- 18.
11. **वही**, पृष्ठ-18.
12. **वही**, पृष्ठ- 18.

****

उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों के साथ संबन्ध का अध्ययन

डॉ. रितु बाला* एंजिल स्वामी डॉ. सतपाल स्वामी ***

शोध सारांश – प्रस्तुत शोधकार्य शोधार्थी द्वारा **'उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों के साथ संबन्ध का अध्ययन'** करने के लिये किया गया। इस हेतु न्यादर्श के रूप में गंगानगर एवं हनुमानगढ जिले के 400 शिक्षको का चयन किया गया। उपकरण के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता मापनी डॉ0 प्रमोद कुमार एवं डॉ0 डी0एन0 मुथा,नेतृत्व निर्धारण मापनी एल.आई भूषण,स्वनिपुणता मापनी डॉ.जी.पी. माथुर तथा डॅा.राजकुमारी भटनागर का उपयोग किया गया निष्कर्ष रूप में देखा गया कि उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों के साथ धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है

प्रस्तावना – शिक्षा का क्षेत्र निरन्तर नवीन ज्ञान की खोज से ही संबन्धित है। शिक्षा, शिक्षक एवं शिक्षण कार्यक्रमों में भी शिक्षा समंबन्धित विकासात्मकता गतिविधियां निरन्तर उपयोग में लायी जाती है ।वर्तमान समय मे यह एक आवश्यकता आधारित कार्यक्रम बन गया है।शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह मनुष्य को समाज व आसपास के पर्यावरण का ज्ञान, संस्कृति तथा विभिन्न परिस्थितियों में भूमिका का निर्वहन रोजगार योग्य बनाने तथा उत्तारदायित्वों का पालन करने के लिये प्रेरित करती है। शिक्षक के ऊपर ही यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के नागरिक तैयार करता है? इसी ओर संकेत करते हुए डॉ0 राधाकृष्णन (1948) के कथनानुसार 'समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परम्परायें और तकनीकी कौशल पहुँचाने का केन्द्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्जवलित रखने में सहायता देता है।'

शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अध्यापकों को अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को विकसित कर अपनी स्वनिपुणता, अभिक्षमता अभिरुचि, शिक्षण कौशल, शिक्षक प्रभावशीलता व नेतृत्व के माध्यम से नेतृत्व के गुण, शिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत अद्यतन बनाये रखना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षण व्यवसाय से समाज आवश्यकता आकांक्षा के अनुरुप उच्चस्तरीय शिक्षण कार्यक्रमों की अपेक्षा रखता है। शिक्षा की गुणवत्ता व विद्यार्थियों की उपलब्धि उन माध्यमिक विद्यालयी शिक्षकों पर निर्भर है जिनकी शिक्षण में अभिरूचि हो उनका शिक्षण प्रभावी हो तथा छात्रों के साथ उचित अन्त:क्रिया स्थापित करने में सक्षम हों।छात्रों का उचित नेतृत्व करने में सक्षम हों।किसी भी शिक्षक की प्रभावशीलता,उसके नेतृत्व के गुण व स्वनिपुणता का आकलन उसके छात्रों के गुणात्मक विकास द्वारा किया जा सकता है।

समस्या का प्रादुर्भाव : शिक्षक ही शिक्षा प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु होता है। विद्यालय में वह उत्साह एवं ऊर्जा सहित अपने उन सभी कार्यों को गति प्रदान करता है जिसमें विद्यार्थियों की अध्ययन संबन्धित गतिविधियों को सुचारू रूप से संचलित किया जा सके। शिक्षा प्राप्त कर ये विद्यार्थी अच्छे नागरिक बन कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकें। एक शिक्षक में संवेदनशीलता, अध्ययनशीलता, अध्यापन क्षमता, लेखन क्षमता, दिशा निर्देशन की क्षमता, विषय निर्देशन की क्षमता, विषय का सूक्ष्म ज्ञान, चारित्रिक दृढ़ता, शिक्षण में रूचि, शिक्षण कौशलों का ज्ञान तथा सामाजिक दायित्व बोध आदि गुण होने की अपेक्षा की जाती है।कुशल शिक्षकों के अभाव में सुयोग्य विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास की संभावना कम रहती।

वर्तमान समय के शिक्षक को अपने विषय को प्रभावी ढंग से पढ़ाने तथा शैक्षिक योग्यता के विकास के साथ-साथ विद्यार्थियों के सांवेगिक , सामाजिक, व्यक्तित्व के विकास के लिये विद्यालय की अन्य पाठ्यसहगामी गतिविधियों में भी सहभागी होना पड़ता है क्योंकि शिक्षण कार्य का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना।

कुछ शिक्षक छात्रों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं का कोई समाधान नही कर पाते हैं।इसका कारण स्वनिपुणता, शिक्षक प्रभावशीलता व नेतृत्व के गुणों का अभाव भी हो सकता है।इन संभावनाओं को स्पष्ट रूप से ज्ञात करने व उनका तार्किक समाधान हेतु लिये प्रस्तुत शोध करने की आवश्यकता हुई।

शोध कथन – 'उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों के साथ संबन्ध का अध्ययन।'

शोध के उद्देश्य :

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्वनिपुणता व शिक्षक प्रभावशीलता में संबन्ध ज्ञात करना।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के नेतृत्व के गुणों व शिक्षक प्रभावशीलता में संबन्ध ज्ञात करना ।

परिकल्पनाएं :

1. उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता व नेतृत्व के गुणों में सार्थक संबन्ध नहीं पाया जाता।
2. उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की शिक्षक

* प्रोफसर (शिक्षा संकाय) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
** शोधकर्त्री, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
*** प्राचार्य, गीता सहशिक्षा महाविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

प्रभावशीलता व स्वनिपुणता में सार्थक संबन्ध नहीं पाया जाता।

शोध विधि –प्रस्तुत शोध विधि में शोधकर्त्री द्वारा शिक्षण–प्रभावशीलता, नेतृत्व क्षमता व स्वनिपुणता का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है

न्यादर्श–'न्यादर्श एक विस्तृत समूह का निम्नतम प्रतिनिधि है।' प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्त्री ने न्यादर्श के समस्त विधान एवं समष्टि क्षेत्र की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए श्री गंगानगर,हनुमानगढ के शहरी व ग्रामीण उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 400 शिक्षकों का चयन किया

प्रयुक्त सांख्यकीय विधिया :

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी परीक्षण
4. सहसम्बन्ध

शोध में प्रयुक्त उपकरण

1. शिक्षक प्रभावशीलता मापनी–डॉ. प्रमोद कुमार एवं डॉ. डी.एन. मुथा

2. नेतृत्व निर्धारण मापनी –एल.आई भूषण

3. स्वनिपुणता मापनी– डॉ.जी.पी. माथुर तथा डॉ.राजकुमारी भटनागर

परिकल्पना संख्या–1 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता व नेतृत्व गुणों में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया जाता

अध्ययनित चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	r मूल्य	P मूल्य	सह संबन्ध स्तर
नेतृत्व	200	477.4	35.5	r =1	0.435 P<.05	सार्थक सहसंबंन्ध नही
शिक्षक प्रभाव शीलता	200	459.28	33.4		0.00001 P<.01	सार्थक सहसंबंन्ध है

उच्च माध्यमिक विद्यालयों अध्यापकों की शिक्षक प्रभावशीलता व नेतृत्व के गुणों में सहसंबंन्ध का मान r =1है, P मान P<.05 स्तर व P मान P<.01 स्तर पर शिक्षक प्रभावशीलता व नेतृत्व गुणों में धनात्मक सहसंबन्ध प्रदर्शित करता है।

अत: परिकल्पना 'उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं के नेतृत्व गुणों व शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया जाता' अस्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना संख्या–2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता व स्वनिपुणता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया जाता

अध्ययनित चर	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	r मूल्य	P मूल्य	सह संबन्ध स्तर
स्वनिपुणता	200	258.1	28.88	r =0.2 196	0.01782 P<.05	सार्थक सहसंबंन्ध
शिक्षक प्रभाव शीलता	200	459.28	33.4		P<.01	सार्थक सहसंबंन्ध है

स्वनिपुणता व शिक्षक प्रभावशीलता में सहसंबंन्ध का मान r =0.2196 झ मान P<.05 o P<.01 स्तर पर स्वनिपुणता व शिक्षक प्रभावशीलता में धनात्मक सहसंबन्ध प्रदर्शित करता है

अत: परिकल्पना 'उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की स्वनिपुणता व शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक सहसम्बन्ध नहीं पाया जाता ' अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष :

1. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं के नेतृत्व गुणों व शिक्षक प्रभावशीलता में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।
2. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की स्वनिपुणता व शिक्षक प्रभावशीलता में धनात्मक सहसम्बन्ध पाया जाता है।

निष्कर्षत: इस शोध के माध्यम से यह स्पष्ट है कि शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता ,स्वनिपुणता व उनके नेतृत्वगुण उनको कुशल शिक्षक बनाते हैं। यदि उनकी शिक्षकप्रभावशीलता,स्वनिपुणता या उनके नेतृत्वगुण निम्न स्तरीय होते ही उनकी शिक्षण की क्षमता पर प्रश्न उठने लगते हैं। एक कुशल शिक्षक अपनी प्रतिभा तथा शिक्षण प्रभावशीलता से अपने विद्यार्थियों के अर्न्तनिहित गुणों को विकसित करने में सफल होता है।

शोध अध्ययन की उपयोगिता :

1. शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर शिक्षकों को उनके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करने हेतु उपयुक्त सुझाव दिये जा सकते हैं।
2. शोध अध्ययन के द्वारा संस्था प्रधान अथवा प्रशासनिक अधिकारी शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता बढाने के लिये उपयुक्त सुझाव दे सकते हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ताा को भी बढ़ाया जा सकता है।
3. शिक्षकों के दायित्वबोध के प्रति उनको प्रेरित कर शिक्षक छात्र अन्त:क्रिया, प्रभावशीलता एवं नेतृत्व को गुणों को विकसित सुझाव दिये जा सकते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ – शिक्षा शिक्षार्थी केन्द्रित है। शिक्षक का केवल शिक्षाविद् होना ही पर्याप्त नहीं है उसकी योग्यता में उसकी शिक्षक प्रभावशीलता, कार्यकुशलता के साथ–साथ उसकी स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों को भी सम्मिलित किया जाता है। यह अनुभव किया गया है कि शिक्षक जितना अधिक शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है उतनी ही उसके विद्यार्थियों के साथ प्रभावी अन्त:क्रिया होगी तथा उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी साथ ही उसके शिक्षण प्रभावशीलता में वृद्धि होगी। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, जानने की जिज्ञासा जागृत करना, अधिगम क्रिया कौशल तथा सहअस्तित्व सीखना है।

शिक्षक समाज का भी पथ–प्रदर्शक कहलाता है कि क्योंकि शिक्षा के द्वारा वह बालकों के सर्वागिंण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, बालकों के व्यवहार को परिमार्जित करता है,उनकी जिज्ञासाओं को अपने ज्ञान से शान्त करता है।

भावी अनुसंधान हेतु सुझाव :

1. यह अध्ययन राजस्थान राज्य के श्री गंगाानगर व हनुमानगढ जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की शिक्षकप्रभावशीलता,स्वनिपुणता, नेतृत्व के गुणों के तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित है यह अध्ययन राजस्थान राज्य के अन्य जिलों में किया जा सकता हैं।

2. राजस्थान व अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओ की शिक्षकप्रभावशीलता व सामाजिक समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन ।
3. अन्य राज्यों के ग्रामीण क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों व अध्यापिकाओ की शिक्षकप्रभावशीलता व सामाजिक समायोजन में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
4. राजस्थान व अन्य राज्यों के शहरी क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की स्वनिपुणता व नेतृत्व के गुणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. अन्सारी मसूद व साजिद सैल्फ एफिकैसी एव ए प्रेडिक्टर ऑफ लाईफ सेटिरफैक्टास, इंडियन इटरनेशनल जरनल ऑफ साइकोलोजी वोल्यूम 2015
2. अहाना तकीना (2012) गर्ल्स स्टूडैन्टस एफीकसी एंड लाइफ सैटीरफैक्शन इटरनेशनल जरनल ऑफ सोशल बिहेवयर एजुकेशन वो. 6
3. बुच एम. बी. (1991) फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशनल रिसर्च नई दिल्ली एन. सी. इ. आर. टी.
4. राधवन वी – पी. एच. डी. शि..........डिपाटमेंट ऑफ एजुकेशन जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।
5. रंगोल स्गिध व अन्य (2007) इ जे 772210 इ.आर. आइ.सी.
6. रोशन लाल के राजेश – जर्नल ऑफ इडियन एकेडेमी ऑफ एवलाईड साइकोलोजी जुलाई 2007
7. लदेन शकलेन – यूरोपियन एकेडेमिक रिसर्च जुलाई 2013
8. स्वार्स एस. ली – इ. जे. 774152 जर्नल ऑफ इन्सट्रक्शन साइकोलोजी, वोल्यूम
9. सक्सैना एन.आर. एड – असेशियलस ऑफ एजुकेशनल टैक्नोलोजी एण्ड मैनेजमैंट आर.लाल बुक डिपो मेरठ
10. सिंह एच. एम – पी. एच. डी थिसिन कुरूक्षैत्र विश्व विद्यालय कुरूक्षैत्र इडिया।
11. रायजादा डॉ बी एस शैक्षिक अनुसधान व सांख्यिकी प्रतिधियॉ
12. शाहीन फहीन – इटरनेशनल जार्नल ऑफ एजुकेशन एण्ड साइकॉलोजी रिसर्च नवम्बर 2013

web bibliography :

1. www.issen.org .uk
2. wwww.elsevier.com/loeate/compedu
3. Wwwshodhganga @INFLIBNET
4. wwww.angelo esuceducation
5. wwww.emerldinsight com>abs

****

समकालीन शिक्षा के संदर्भ में गुरु ग्रन्थ साहिब के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. ऋतु बाला * डॉ. सतपाल स्वामी परमजीत कौर *****

प्रस्तावना – गुरू ग्रन्थ साहिब सिक्खों का धार्मिक ग्रन्थ है जिसे सिक्ख धर्म के गुरू का दर्जा प्राप्त है। इस धार्मिक ग्रन्थ में सिक्ख गुरूओं गुरू नानक देव, गुरू अंगद देव, गुरू अमरदास, गुरू रामदास, गुरू अरजन देव एवं गुरू तेग बहादुर के अलावा देश भर के तीन दर्जन से अधिक संतों की वाणी अर्थात शिक्षायें संकलित है। इस ग्रन्थ का संकलन सिक्खों के पांचवें गुरू अरजन देव ने प्रारम्भ किया एवं समापन दसवें गुरू गोविन्द सिंह ने किया। गुरू ग्रन्थ साहिब 1430 पृष्ठों का अद्भुत काव्य ग्रन्थ है जिसमें शिक्षा का अथाह भण्डार है। इसकी विविधता व विस्तार मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को समाहित किये हुए है। गुरू ग्रन्थ साहिब में संकलित पदों की रचना सिक्खों को शिक्षा देने हेतु की गई परंतु इस शिक्षा में मानव की चेतना व विकास के पथ को चिरकालीन प्रकाशित करने हेतु आवश्यक तत्व विद्यमान है।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में सांस्कृतिक टकराव, धार्मिक वैर विरोध, अर्न्तराष्ट्रीय आतंकवाद, नक्सलवाद, अविश्वास व अशान्ति कि नींव पर टिके मानवीय संबंध, परमाणु शक्ति प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा प्राकृतिक असंतुलन आदि समस्याओं का सामना मानव नित्य प्रतिदिन कर रहा है। इस प्रकार के तनावपूर्ण वातावरण में गुरू ग्रन्थ साहिब द्वारा प्राप्त शिक्षा का मॉडल आधुनिक विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के साथ साथ आपसी सेवा व सुमेल का रास्ता दिखा सकता है। गुरू ग्रन्थ साहिब की शिक्षाएँ मानव को स्वंय की खोज व ब्रहाण्ड के साथ एकसुर होकर जीने की कला सिखाती है एवं परस्पर प्रेम, भाईचारे, सहृदयता और शान्तमयी सह अस्तित्व का मार्ग दिखाती है। इस सबके लिये आवश्यक है कि गुरू ग्रन्थ साहिब में संकलित वाणी का अध्ययन व विश्लेषण शिक्षा के विभिन्न आयामों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया जाये इस शोधपत्र में गुरू ग्रन्थ साहिब के शैक्षिक विचारों का विश्लेषणात्मक व विवेचनात्मक अध्ययन कर इनकी प्रासंगिकता उक्त परिप्रेक्ष्य में सिद्ध की गई है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. गुरू ग्रन्थ साहिब का अध्ययन करना।
2. गुरू ग्रन्थ साहिब में समाहित शिक्षा दर्शन की खोज करना।
3. समकालीन शिक्षा में गुरू ग्रन्थ साहिब की शिक्षाओं की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – इस शोध कार्य हेतु ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम गुरू ग्रन्थ साहिब की वाणी का अध्ययन किया गया तथा विभिन्न लेखकों एवं चिन्तकों द्वारा किये गये गुरवाणी के अर्थ व विश्लेषण संबंधी साहित्य का अध्ययन किया गया। इन सब में से शिक्षा संबंधी तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण समकालीन शिक्षा के संदर्भ में किया गया और उनकी प्रासंगिकता की व्याख्या की गई।

शिक्षा का अर्थ

मनु निरमलु गिआनु रतनु चानणु अगिआनु अंधेरु गवाइआ ॥7॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 1067)

अर्थात ज्ञान अथवा शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे सभी प्रकार की समझ जैसे शारीरिक, आत्मिक, मानसिक नैतिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक समझ उत्पन्न होती है ज्ञान रूपी प्रकाश से अर्न्तमन प्रकाशित होकर सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। अज्ञान रूपी अंधेरा हट जाने से जीवन का मार्ग स्पष्ट हो जाता है। यह एक सार्वभौतिक सत्य है कि शिक्षा ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करती है।

गिआन खंड महि गिआनु परचंडु ॥
तिथै नाद बिनोद कोड अनंदु ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 7)

शिक्षा अथवा ज्ञान का सागर अथाह है जिसमें प्रचण्ड ज्ञान भरा पड़ा है इसमें डुबकी लगाने से विद्यार्थी अनेकों प्रकार की खुशी, सन्तुष्टि, आनन्दमयी रस से सराबोर हो सकता है अर्थात शिक्षा बोझ नहीं अपितु प्रसन्नता की कुँजी है इसी प्रकार गुरू ग्रन्थ साहिब में ज्ञान अथवा शिक्षा को कहीं श्रेष्ठ माना गया है, कही सदाचार के विकास में सहायक, आत्मज्ञान का मार्ग, समाज के कल्याण के लिये आवश्यक है और कहीं जीवन जीने की कला सीखने हेतु आवश्यक बताया गया है जो समकालीन शिक्षा के संदर्भ में पूर्ण प्रासंगिक है।

शिक्षा का उद्देश्य बालक का चहुँमुखी विकास – वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चहुँमुखी विकास करना है। गुरू ग्रन्थ साहिब में इस बाबत निम्न प्रकार से कथन है –

1. **बौद्धिक विकास –**

गिआन पदारथु पाईऐ त्रिभवण सोझी होइ ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 60)
मंनै सुरति होवै मनि बुधि ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ.3)

ज्ञान प्राप्त करने से मन, आत्मा व शरीर (त्रिभवन) की समझ पैदा होती है और प्राप्त ज्ञान का मनन करने से बुद्धि जागृत होती है।

2. **शारीरिक विकास –**

नचणु कुदणु मन का चाउ॥

* प्रोफ़सर (शिक्षा संकाय) टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
** शोध निंदेशक, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत
*** शोधकर्ती, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर (राज.) भारत

(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 465)

नृत्य, खेलकूद आदि मन को प्रफुल्लित करते है।

एवं

बाबा होरु खाणा खुसी खुआरु ॥
जितु खाधै तनु पीड़ीऐ मन महि चलहि विकार ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब – 16)

अर्थात शरीर का सेहतमंद होना अति आवश्यक है जिसके लिये हमें सोच समझ कर खाना चाहिये और ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिये जैसे नशा आदि जिसके खाने से शरीर तो दुख पाता ही है मन भी सुध बुध खो बैठता है और बुरे विचार उत्पन होते है और जीवन से खुशियाँ काफूर हो जाती है।इस प्रकार जगह जगह पर गुरू ग्रन्थ साहिब में शरीर को निरोग रखने संबंधी शब्द मिलते है।

3. **नैतिक विकास –** गुरू ग्रन्थ साहिब में नैतिक गुणों व शिक्षा के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया गया है

गुण वीचारे गिआनी सोइ ॥
गुण महि गिआनु परापति होइ
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 931)

जो नैतिक गुणों को सीखता है विचारता है वहीं शिक्षित व्यक्ति है इन्ही गुणों के सीखने से ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। इसी तरह से

सचहु ओरै सभु को उपरि सचु आचारु
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 62)

अर्थात सदाचार सबसे जरूरी एवं महत्वपूर्ण है।

4. **सामाजिक विकास –** शिक्षा और सामाजिक विकास के संबंध का सार गुरू ग्रन्थ साहिब में दर्ज निम्न पंक्ति में समाहित है।

विदिआ वीचारी तां परउपकारी ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 356)

अर्थात विद्यालय में ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान शिक्षा प्राप्त कर मानवता की सेवा करें।

5. **अध्यात्मिक विकास –** गुरू ग्रन्थ साहिब की निम्न पंक्तियाँ मानव को सम्पूर्ण मानव बनने हेतु शिक्षा ग्रहण करने की विधि का ज्ञान कराती है और शिक्षा को लोक परलोक संवारने का साधन बताती है।

पोथी पुराण कमाईऐ ॥
भउ वटी इतु तनि पाईऐ ॥
सचु बूझणु आणि जलाईऐ ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 25)

अर्थात पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है उसे कमाना अर्थात जीवन में उतारना आवश्यक है। इस शिक्षा रूपी दीपक में भय अर्थात संयम रूपी बती एवं सत्य रूपी नैतिक गुणों के तेल का उपयोग कर अपने अर्न्तमन में प्रकाश उत्पन्न करें और उस प्रकाश से प्रभु की प्राप्ति संभव है।

6. **आर्थिक विकास –** गुरू ग्रन्थ साहिब केवल अध्यात्म के बारे में प्रकाश नहीं डालता अपितु आत्म सम्मान के साथ जीवन जीने की शिक्षा का पक्षधर भी है और जीवन में कर्म की आवश्यकता निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है

जह करणी तह पूरी मति ॥
करणी बाझहु घटे घटि ॥3॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 25)

जीवन में अगर कुछ काम काज किया जाता है तभी ज्ञान व समझ है, काम काज के बिना सब कुछ व्यर्थ है।

शिक्षा का पाठ्यक्रम – शिक्षा के पाठ्यक्रम के रूप में गुरू ग्रंथ साहिब द्वारा सम्पूर्ण विश्व को इसमें सम्मिलित करने की अपील की गयी। जहां तक विद्यालयी विषयों की बात है विज्ञान विषय, अंकगणित, भाषा, कला, सैन्यशिक्षा, संगीत आदि को मुख्य विषयों के रूप में सम्मिलित करने पर बल दिया गया। साथ ही साथ सामाजिक ज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि विषय भी गुरू ग्रंथ साहिब के शैक्षिक दर्शन से अछूते नहीं थे।

शिक्षण विधियां – गुरू ग्रंथ साहिब द्वारा प्रेरित की गई शिक्षण विधियों का अथाह सागर है जो प्रत्येक शिक्षक के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फिर चाहे वह किसी भी विषय का या किसी भी कक्षा का शिक्षक हो वह इनसे लाभ उठा सकता है। जैसे इतिहास के शिक्षक के लिए गुरू ग्रंथ साहिब द्वारा बतायी गयी यात्रा विधि , कहानी विधि उपयोगी सिद्ध हो सकती है तो कला के शिक्षक के लिए विभिन्न गुरूओं द्वारा सुझायी गयी कीर्तन विधि ,स्स्वर पाठ विधि उपयोगी होगी। गुरू ग्रंथ साहिब द्वारा सुझायी गयी सभी शिक्षण विधियाँ वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत ही प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है जरूरत है तो शिक्षक को अपने विषय के अनुसार एंव शिष्यों के मनोवैज्ञानिक स्तर के अनुसार उनके सही चयन एवं उपयोग की कुशलता की।

शिक्षक के कर्तव्य – आज शिक्षक के कर्तव्य एवं आचार संहिता की लम्बी चौडी पुस्तकें लिखी जाती है लेकिन गुरू ग्रन्थ साहिब का निम्न कथन अपने आप में एक सम्पूर्ण आचार संहिता है जिसका पालन कर शिक्षक अपना शिक्षण धर्म बखूबी निभा सकता है।

वाहु वाहु सतिगुरु पुरखु है जिनि सचु जाता सोइ ॥
जितु मिलिऐ तिख उतरै तनु मनु सीतलु होइ ॥
वाहु वाहु सतिगुरु सति पुरखु है जिस नो समतु सभ कोइ ॥
वाहु वाहु सतिगुरु निरवैरु है जिसु निंदा उसतति तुलि होइ ॥
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 1421)

अर्थात सच्चा गुरू एक ऐसा पुरूष (इंसान) है जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त है और जिससे मिलकर, ज्ञान प्राप्त कर मन की दुविधा/उलझन दूर हो जाती है और विद्यार्थी की जिज्ञासाऐं शान्त हो जाती है अर्थात शिक्षक विषय विशेषज्ञ हो और दूसरा शिक्षक सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार करें उसका न ही किसी से वैर विरोध हो और न ही पक्षपात शिक्षक अपनी प्रशंसा प्राप्ति हेतु कार्य न कर विद्यार्थी हित में कार्य करें फिर चाहे उसे निन्दा मिले या प्रशंसा इस बात का उसे कोई फर्क न पड़ें।

विद्यार्थी व अनुशासन – आधुनिक शिक्षा प्रणाली शिक्षार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिये स्वतंत्र एवं अनुशासन पर बल देती है गुरू ग्रन्थ साहिब में भी इस बात को निम्न प्रकार से कहा गया है

मन तू जोति सरूप है अपना विरद पहचान।
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 441)

शिक्षार्थी स्वंय की शक्तिओं को पहचाने, अर्न्तात्मा को जगाए क्योंकि उसका मन परमात्मा की ज्योति स्वरूप है तथा साथ ही स्वनुशासित रहते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करें। लेकिन गुरू ग्रन्थ साहिब में गुरू के भय और गुरू द्वारा लागू अनुशासन को भी नकारा नहीं है।

गुर बिन हुकम न बूझी औ।
(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 636)

अर्थात गुरू के बिना ज्ञान संभव नहीं है।

तथा

नानक जिन मनि भउ तिना मन भाउ

(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 465)

अर्थात जिनके मन में भय अथवा अनुशासन है उन्ही के मन में भाव अथवा चेतना है।

स्त्री शिक्षा – गुरू ग्रन्थ साहिब में स्त्री शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन किया गया है।

सो क्यों मंदा आखी अैजित जमाहि राजान।

(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 473)

अर्थात एक स्त्री बुरी, पिछडी अथवा कमजोर कैसे हो सकती है जबकि वह दुनिया पर राज करने वाले राजओं को जन्म देने में समर्थ है।

समावेशी शिक्षा – आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के अवसरों की समानता अथवा समावेशी शिक्षा आदि ज्वलंत विषय है जिस हेतु अनेकों प्रकार की सरकारी योजनाएँ लागू की जा रही है। गुरू ग्रन्थ साहिब में लिखे ये शब्द स्वत: शिक्षा में समानता का अवसर प्रदान करते हैं।

नीचा अंदरि नीच जाति, नीची हु अति नीच।

नानक तिन के संग साथि बडिया सिउ क्या रीस।।

(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 15)

गुरू नानक देव जी का कथन है कि वे (एक गुरू) उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा है जो जातीय या अन्य किसी आधार पर पिछड़ा, नीचा अथवा कमजोर है हालांकि उच्च वर्ग से भी उसें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है अर्थात सबके लिये शिक्षा के समान अवसर।

स्वस्थ समाज का निर्माण –

गुरू परसादी बिदिया बीचारै पडि पडि पावै मान।

(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 1329)

अर्थात गुरू से प्राप्त शिक्षा का चिन्तन मनन सामाजिक हित में कर कार्य करने से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है सामाजिक शोषण व भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना भी गुरू ग्रन्थ साहिब की निम्न पंक्तिओं को ग्रहण करने से हो सकती है

हक पराया नानका उसु सूअर उसु गाइ।

अर्थात दूसरों का हक (अधिकार) छीनना एक घृणित अपराध है जितना एक हिन्दु के लिये गाय का मांस खाना और एक मुसलमान के लिये सुअर का मांस।

सभे सांझीवाल सदाइन तूं किसैन दिसै बाहरा जीओ।

(गुरू ग्रन्थ साहिब पृ. 97)

अर्थात एक ऐसा समाज जहाँ सभी समान सहचारी, सांझीवाल हो कोई पराया न हो की स्थापना की शिक्षा गुरू ग्रन्थ साहिब के शिक्षा दर्शन का अभिन्न अंग है।

गुरू ग्रन्थ साहिब की शिक्षाएँ आज के वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रीय एकता, अर्न्तराष्ट्रीय सहअस्तित्व, सदभावना एवं प्रेम भाव युक्त मानवीय संबंधों के निर्माण में सहायक है।

निष्कर्ष – गुरू ग्रन्थ साहिब में शिक्षा के अनेक पक्षों से सम्बंधित विचार सहज ही प्रकट होते है।

गुरू ग्रन्थ साहिब समकालीन शिक्षा शास्त्र के विभिन्न आयामों जैसे बाल केन्द्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बालक का सर्वांगीण विकास, कौशल व क्षमता संवर्धन गुणवता सुधार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास आदि को समझाने में सक्षम है तथा साथ ही सामुदायिक जन सहभागिता, समावेशी शिक्षा समाजोपयोगी शिक्षा, व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा के औचित्य को भी अनुप्रमाणित करता है। गुरू ग्रन्थ साहिब का शिक्षा दर्शन शिक्षा की चुनौतियों जैसें अनुशासनहीनता, शिक्षा में गुणात्मक अवमूल्यन, शैक्षिक अवसरों की असमानता, अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता आदि का समाधान भी प्रस्तुत करता है।

शैक्षिक निहितार्थ –गुरू के शैक्षिक दर्शन की बुनियादि शिक्षाएं देश में मोजूदा शैक्षिक प्रणाली मे आवश्यक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। महान गुरू की शिक्षाएँ भारत और यहाँ तक कि पूरे विश्व के सामने आने वाली कुछ प्रमुख शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए काफी प्रासंगिक है। हम उनकी शिक्षाओं के आधार पर शिक्षा के एक व्यावहारिक दर्शन का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे शिक्षा चाहने वालों को गतिशीलता प्रदान करनें का एक निश्चित तरीका होगी।

भावी शोध हेतु सुझाव – गुरू ग्रंथ साहिब अथाह शिक्षाओं का समुद्र है जिसमें जितना गहरा उतरा जाए उतने ही ज्ञान रूपी मूल्यवान मोती ढूढ़कर निकाले जा सकते है गुरू ग्रंथ साहिब में जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने विचारों से प्रकाशित किया है परंतु समय तथा साधन की कमी के कारण शोधकर्ती द्वारा यह अध्ययन केवल कुछ ही बिन्दुओं तक सीमित रहा है। शोधकर्ती के विचार में गुरू ग्रंथ साहिब के विभिन्न पक्षों जैसे सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक पक्ष आदि के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन भावी अनुसंधानकर्ताओं के लिये शोध के नये क्षितिजों का उद्घाटन करता है । इस दिशा में भावी अनुसंधानों के लिये सुझाव इस प्रकार है –

1. गुरू ग्रंथ साहिब के सांस्कृतिक मूल्यों का पंथक धर्मग्रन्थ के रूप अध्ययन किया जा सकता है।
2. गुरू ग्रंथ साहिब के विभिन्न वाणीकारों की शैक्षिक विचाराधारा का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।
3. गुरू ग्रंथ साहिब के आध्यात्मिक जीवन दर्शन नैतिक मूल्यों के सृजन में सहयोग का अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. **गुरू ग्रन्थ साहिब –** मूल ग्रन्थ (पंजाबी संस्करण)
2. **बाहरा, लखवीर कौर (2017)** 'फिसॉसफी ऑफ गुरू ग्रन्थ साहिब एण्ड इटस एजूकेशन एम्पलीकेशन', पी.एच.डी. लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
3. **कौर, जसवीर (1998)** 'थ्यौरी एण्ड प्रेक्टिस ऑफ एजूकेशन एज डिपीक्टड इन सिक्ख गुरूज वाणी', पी.एच.डी. गुरू नानक देव यूनीवर्सिटी अमृतसर।
4. **सिंह मेहरबान (1996)** 'ए स्टॅडी ऑफ एजुकेशन फिलास्फी ऑफ गुरू नानक देव जी एन्ड इटस इम्पलीकेशन', पी.एच.डी. गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर।
5. **खोसला, डी.एन. (1983)** 'एजुकेशनल फिलासफी ऑफ सिक्ख गुरूज, पी.एच.डी. पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला।
6. **रैना, अमृतकौर (2007)** 'श्री गुरू ग्रन्थ साहिब सामूहिक सिखिआ संचार दा साधन, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला
7. **कौर, परमजीत (1997)** 'आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में गुरू नानक देव के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता का विश्लेषणात्मक व विवेचनात्मक अध्ययन, एम. एड. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

****

Swachh Bharat Abhiyan: A Comparative Study towards Cleanliness with Special Reference to Indore and Ujjain

Dr. Sanjay Prasad* Prof. Kuldeep Agnihotri**

Abstract - A project turns into a mission when mass energy gets appended to it. Mass supports a project, only when it is convinced by the notion and supports it whole-heartedly. Such a mission only can bring changes in a massive and rigid structure, like that of status of cleanliness in India. Moreover, cleanliness is etiquette, and is practiced by everyone at individual and social level. In a country like India somehow it remained confined to individuality. The social sensitivity index has remained very low in India. Somehow the Clean India mission included public awareness and mass involvement in its agenda, making it a social act. How far the mission has remained successful is another question. This paper hence aims at bringing out several allied denominations to Clean India Mission and maps its success, in terms of awareness and involvement of people; and also to know how much they have soaked the same as a habit?
Keywords - Clean India Mission, Awareness, Participation.

Introduction - Swachh Bharat Abhiyan, a mission campaign launched by prime minister of India Narendra Modi on 2nd October 2014 on an occasion of 150th birth anniversary of gandhiji that fulfil the dreams of gandhiji. As the mission covering the entire nation, mission has a dare to come up with the cleanliness of the streets and roads, infrastructure, constructing of public toilets, management of solid waste management, etc.

For the first time the cleanliness campaign was launched at Rajgarh, New Delhi which was the successful and the biggest drive for cleanliness. To make it happen successfully all the citizens and the government of India jointly participated to initiate the cleanliness practices. As it is a national campaign for the cleanliness, the main objective was to eradicate the open defecation by 2019 as by restructuring the program nirmal bharat abhiyan.

In row, Indore is being announced as a cleanest city for the consecutive four years under the swachh survekshan 2020. This is done with the cooperation of both government and the society having voluntarily participation for attainment of the mission swachh bharat.

Accomplishment - Under the cleanliness program to make India free from open defecation, numbers of toilets were constructed and have been targeted between 2014 to 2019. The campaign was combining both urban and rural areas that was practising as well as to get out of open defecation and sustained use of individual, cluster and community toilet.

Blueprint - Swachh bharat mission after launching campaign have an impression that make a positive impact to influence the opinion of the public. The campaign is not only beneficial to the society but help government for the development of the country. However the mission focuses on the health and the hygienity boost the country's health care sector. Simultaneously, foreign direct investment, tourism, economic development had a great impact through the mission clean india.

Availing the advantages of Clean India Mission

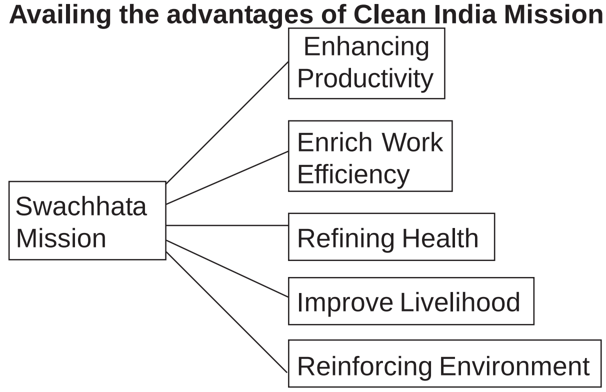

Need for swachh Bharat Abhiyan:

1. To create awareness throughout India to make people upgrade their knowledge towards the cleanliness and hygienity.
2. Facilitating separate toilets for individual and community group groups by constructing various modular toilets targeting both rural as well as urban area.
3. To educate people of the society towards the waste management where garbage is being segregated into

*Assistant Professor (Commerce) Govt. College Pithampur, Dhar (M.P.) INDIA
** HOD &Assistant Professor (Commerce & Management), ISBA Institute of Professional Studies, Indore (M.P.) INDIA

dry and wet with twin bins accordingly.

4. The swachh bharat mission needs to maintain and get out of the problems related to sanitation, sewages, drainage, sweeping streets & road area on the regularity basis. Drains should be inspected and ensure to prevent it by dumping of wastage and garbage into it.
5. To make our surrounding safe and clean an environment, swachhata helps to enhance the program clean India – Green India.
6. The mission helps to boost the quality of life as there is a positive impact towards the behavioural and attitudinal shifts regarding the cleanliness & hygienity after the launching the mission swachh bharat abhiyan.

List of cleanest city according to survekshan 2019

According to "Cleanliness Ranking" a swachh survekshan survey released by Government of India in 2019 Indore and Ujjain stood as-

1. Indore
2. Ambikapur
3. Mysuru
4. Ujjain
5. New Delhi
6. Ahmedabad
7. Navi Mumbai
8. Tirupati
9. Rajkot
10. Dewas

Five parameters rationalizing "Indore a cleanest city among all".

According to Quality Council of India and Urban Development Ministry, Indore has been consecutively adjudged as a cleanest city for last four years. Indore Municipal Corporation Initiate genuinely fulfills the five aspects that make Indore a cleanest city on various accounts. It allows other cities to be inspire from it, as an honour for Indore to be a cleanest city not once, exclusively in a row for last four years. Indore city has topped the survey in term of cleanliness and campaign as compared to Ujjain city. There are multiple aspects of city that was adjudged and emerged victorious.

1. Solid waste management – Indore municipal corporation practices various initiatives to educate the society regarding the garbage segregation as the waste management start with the household waste which is being generated and separated at every door step by the people of the society which is further being collected , processed at the garbage transfer station, where transportation done for sanitary waste and domestic hazardous waste to the common biomedical waste facility(CBWTF) under the ruled covered on regular basis. Even though the waste is being recycled effectively.

2. System of sewage - Indore is being known for practising best drainage and sewage system in our country. Even at the season of monsoon, the sewage facility easily drain the rain water as well as not even get flooded as its actually possible because of structured planning and layout where the result are reflected by the Indore Municipal Corporation efforts.

3. Involvement of urban local bodies and NGO's - not only the government of India and the civic India alone is responsible for the cleanliness of the city, but the contribution of many NGO's emerged in the town and organise various activities and awareness programs to make society educate and let them maintain the cleanliness & hygienity all our surrounding.

4. Facilitating sanitation program – To keep the city free from the problem of hygienity issues people of Indore ensure not to practices the defecation in open and urination as to save and make environment clean. It happens possible due to the construction of toilets all around.

5. IEC program – Information Education communication program was actively pursued throughout the city that focuses on the swachh bharat abhiyan campaign and the make society aware about the mission that helps to refines their health related issues and brings the behavioural changes towards the cleanliness. The mission influence the public to actively participate and take initiate to make city clean and stood at top for consecutively 4 years back to back.

Why comparing to Indore, Ujjain unable to stood in top 10 lists:

1. Public bins are not enough -As India have enough public bins it is being almost ends up by throwing all on roadsides that make untidy all around.
2. Overflow of bins in society - Due to the reason in (1), whichever overflowing the garbage in public area out of bins make the society negative image.
3. Staff issues into the department - After the garbage dumped into bins it should be timely disposed the wastage on regularly basis. But due to underpaid and understaff department are not properly engaged into it.
4. Lack of public awareness- Because of the awareness level comparatively less for Ujjain city as outdoor media not make an effective impact on it.

Conclusion - At most priority needs to understand the concept of the mission swachh bharat abhiyan. As it is a campaign spreading awareness among the people of the society that helps to bring self-awareness to make their quality of life. This is an effective program influencing people's participation and concludes the significance of cleanliness and hygienity which is being related to the health care. The citizen should have a voluntarily participation towards the drive. The initiative helps to attain the goal, must be appreciated by every citizen. The conclusion however needs to spread and understand the efforts of the mission swachh bharat to the society at mass level. In the right direction the solution based on thousands of initiative should be actively implemented in our country is a great footstep in a right direction for the attainment of goal.

References :-

1. “Swachh Bharat: PM Narendra Modi launches ‘Clean India’ mission”. Zee News. Retrieved 2 October 2014.
2. “Time to clean up your act”, Hindustan Times 3. “India, World Bank sign $1.5 billion loan pact for Swachh Bharat Mission”, The Economic Times, 30 March 2016
4. “Budget 2016: Swachh Bharat Abhiyan gets Rs 9,000 crore”, The Economic Times, 29 February 2016
5. “Swachh Bharat Abhiyan: Government builds 7.1 lakh toilets in January”. TimesofIndia- economictimes.
6. https://www.quora.com/Why-is-Swach-Bharat-Abhiyan-not-so-effective-in-India
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Swachh_Bharat_Abhiyan
8. http://journal.georgetown.edu/clean-india-by-2019-laudable-but-ambitious/

****

Religion and Fiction

Dr. Rajkumari Sudhir *

Abstract - The religious tradition is one of the strongest features of Indian society. Religion is rated at the top in the lives of the people. It is manifested in the pujas, the religious festivals, the pilgrimages and the vows that are made by the people.

Introduction - The religious tradition has its vitality and power because of the significant role of women and their contribution. They consider religion as real, an ever present reality. They do not merely take refuge in religion from the woes and worries nor do they use religion to neutralize pain and sorrow. They are conscious of the ever present reality of the miracle: the intervention of god on their behalf.

Indian English Fiction - The following examples could be cited from the selected novels. Ambika, the wife of Lagan (R.K. Narayan, *The Vendor of Sweets*) has to wait for ten years for her off-spring. She makes a solemn vow during her visit to the god on Badri Hill. She would offer to the god, if she is given a child, an offering equivalent in weight of the child of gold, silver and corn. She fulfills her vow, when her son is born, so typical of an Indian woman to-day. She believes in the miracle. Rukmani (Kamala Markandaya, *Nectar in a Sieve)* has a deep sense of religion and god, even when her daughter, Ira, comes back home as a barren woman, rejected by her husband. Rukmani says: "We are all in god's hands and He is merciful." Sarojini (Kamala Markandaya, *A Silence of Desire)* is a woman of faith. She tends the tulasi plant (the ever green plant) at the backyard of her house, respecting it as the presence of the divine. In spite of her husband, Dandekar's dislike, she did not make any difference "between the reverence due to a symbol and to its actuality, between the tulasi tree and its Maker." The life ambition of the aunt of Raman (R.K. Narayan, *The Painter of Signs*) and the Little Mother (Raja Rao, *The Serpent and the Rope*) appears to be going to Benares on a pilgrimage. The Aunt of Raman tells him: "A visit to Kasi is the end. . .. It is the ambition of everyone of my generation to conclude this existence in Kasi, to be finally dissolved in the Ganges. That is the most auspicious end to one's life." The simple possessions of the Aunt of Raman indicate her practice of renunciation: a couple of white saris, a little brass casket containing sacred ash for smearing on her forehead, a coral rosary for prayers, a book of sacred verse and two tiny silver images of Krishna and Ganesha. The Little Mother goes with Ramaswamy, her step-son, to Benares for a pilgrimage.

The predominant stereotype that emerges out of the novel by Indian writers is the housewife and the mother embodying the cultural values of being husband and family focused. This stereotype alone is not enough to explain the idea and the role of womanhood in Indian cultural context. Hence the novelists present the following variations from the above stereotype: the private and public behaviour of women; the protest of women for liberation from the male-dominated society, women capable of great sacrifices for a worthy cause; the influence of the urban values of novelty, glamour of the City, sexual emancipation of the young village woman;· the older women steeped in tradition; widows having no status in society, women who are disturbers of domestic harmony; the devadasis, women who are quarrelsome, gossiping and ambitious. Women are also portrayed as the transmitters of a deep religious tradition in India. These contrasting images make it difficult for us to formulate a general concept of the idea and role of women in India. However, there is enough justification to affirm the typology in all these images which is the concept of the mother that is archetypal. This concept lies behind the fertility cult latent in the collective unconscious mind of the Indian people.

Influence of Myths - Myths enhance the power of tradition. They appeal to the emotions of the people. Traditional societies like the one in India use myths and puranas to support an argument, to explain a contemporary situation because the myths exist as something real. The validation of the present takes place through the traditional as we find it in the lives of the deities, mystics, rishis, avatars, saints and godly persons. Myths form part of the tradition and education of the people in the community. Majority of the myths are narrated and handed down by the older people to the younger ones in the community. The process of education goes on.

Myths represent a form of secret discussion. Only those who form part of the culture are able to enter into discussion. The "Sthala Puurana" -the myth and the story peculiar to a particular place is central to the life of the people, living in that locality. This type of localization and democratization

*Asst. Professor (English) Govt. Sarojini Naidu Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) INDIA

excludes all strangers. The "Sthala Purana" becomes the source of identity. It communicates the ever present sense of reality. History and tradition are fused together in the Sthala Purana. Hence to call myths as -"superstition" is ethnocentric.

The influence of myths on the lives of the people is wide ranging. This is expressed emphatically by R.K. Narayan in Mr. Sampath: "Our epics undoubtedly are a veritable storehouse of wisdom and spirituality. They contain messages of eternal value and applicable to all times, irrespective of age or sex and so on" (Naryan, *Mr. Sampath* 134).

People are the repository of myths. It is referred to in *The Vendor of Sweets* (R.K. Narayan): "do you know that our ancestors never even wrote the epics? They composed the epics and recited them and the great books lived thus from generation to generation, in the breath of the people" (Narayan, *The Vendor* 74).

Role of Myths and Puranas - Meenakshi Mukherjee describes the impact of myths and puranas on the people: Children in India grow up absorbing the legends of the land. The public recitation of tales from the Ramayana pointing out its contemporary relevance is even now a living tradition ... the Indian epics offer a widely accepted basis . . . for the collective unconscious of the whole nation (Mukharjee 131). The role of myths and puranas in the lives of the ordinary people could be summarized as follows: the myths and puranas constitute the collective unconsciousness of the people and a form of communication of shared knowledge and tradition; they are the primary instrument and method of interpretation, application and participation in shared knowledge; they are expressions of intuition of a transcendent reality; people draw sustenance and inspiration from them in their day-to-day life; the myths and puranas serve as intellectual stimulants at the folk and popular level; they have a therapeutic value for the rejuvenation of hope.

The Western anthropologists have stressed the vital role of myths in the lives of people:

The English word myth comes from the Greek muthos (word or speech)… …A myth is an expression of the sacred in words; it reports realities and events from the origin of the world that remain valid for the basis and purpose of all that is. Consequently, a myth functions as a model for human activity, society, wisdom and knowledge.

Miscea Eliade says, "Myths reveal the structure of reality and the multiple modalities of being in the world"(Eliade). Myth is a complex cultural reality, a story or tradition which claims to enshrine a fundamental truth or inner meaning about the world and human life; contrary to popular belief, myths are not childish stories nor mere pre-scientific explanations of the world nor are myths to be equated with falsities or fantasies. Myths are deeply serious insights about reality.

The use of myths and puranas by the Indian English novelists has been studied by many critics. The chief among them are P. Lal, Samares Sanyal and Meenakshi Mukherjee. P. Lal insists on the importance of the knowledge of myths for the Indian writer in English:

No Indian writer, in English or any of the other Indian languages, should commit pen to paper until he has spent ten years of his adult life carefully pondering the Indian classics, learning the Indian tradition and absorbing the Indian myth (Lal 5).

Conclusion - Samares Sanyal comments on the necessity enjoined on the English writers to use myths consciously or unconsciously. "The epics and the puranas are among the few common links which constitute an all India frame of reference. Since Anglo-Indian writing has its roots in India, the writers should have been attracted towards this rich material"(Sanyal 162). He analyses the uses of myths in Raja Rao and R.K. Narayan. The discussion tends to be general. Meenakshi Mukherjee has suggested a frame of analysis in her book *Twice-Born Fiction*. She discusses "myth as a technique":

There seems to be two distinct ways in which myths have been used in Indo-Anglian novels: as part of digressional techniques of which Raja Rao is the most outstanding exponent and as the structural parallels where a mythical situation underlies the whole or part of a novel (Mukherjee 132).

We shall examine the role of myths and puranas as the literary and traditional expressions of the culture of the people of India. The tabulation presented here demonstrates the consistent use of myths and puranas by the Indian novelists in English.

References :-

1. Aurobindo. The Upanisheds, Part I. Pondicherry: Sri Aurobindo Ashram, 1981.Print.
2. Lal, P. "Myth and Indian Writer in English: A Note". Aspects of Indian Writings in English. Ed. M.K. Naik, New Delhi: Macmillan, 1979. 5. Print.
3. Mukherjee, Meenkshi. The Twice-Born Fiction. New Delhi: Arnold Heinemann, 1974. Print.
4. Rao, Raja. Kanthapura. London: Oxford University Press, 1963. Print.
5. Sanyal, Samares. Indianness in Major Indo-English Novels. Bareilly: Prakash Publications, 1984. Print.
6. V. Rangacharya. "Historical Evolution of Srivaishnavism in South India". The Cultural Heritage of India. Vol. 4. n.p.: n.p., n.d. 60. Print.

****

जीएसटी की पृष्ठभूमि एवं क्रियान्वयन

डॉ. पी. डी. ज्ञानानी*

प्रस्तावना – भारत विश्व में जीएसटी कर व्यवस्था अपनाने वाला 161वाँ देश है। अर्थात् इसके पूर्व विश्व के अधिकांश देश इस कर व्यवस्था को अपना चुके हैं एवं इसकी सफलता-असफलता का स्वाद चख चुके हैं। प्राय: अधिकांश देशों को प्रारंभ में जीएसटी के कारण कड़वे घूँट पीने पड़े, लेकिन अंतत: यह व्यवस्था लम्बे समय में लाभकारी सिद्ध हुई। इसकी सफलता के प्रति आशंकित होने के कारण एवं राजस्व पर विपरीत प्रभाव के डर से इसे देश में लागू करने के लिए विभिन्न सरकारें कतराती रहीं, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इसे लागू करके साहसिक कदम उठाया है।

जीएसटी की पृष्ठभूमि एवं क्रियान्वयन – वस्तु एवं सेवाकर पर पहला कदम 17 साल पहले अटलबिहारी वाजपेयी सरकार ने बढ़ाया था। वाजपेयी सरकार ने कार्यबल गठित किया था, जिसने 2003 में रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया कि केन्द्र व राज्य के कर का विलय या इसे वस्तु एवं सेवाकर के रूप में एकीकृत कर दिया जाना चाहिए। भारत परोक्ष कर व्यवस्था के नए युग में प्रवेश कर चुका है। 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' का सपना 14 वर्ष पहले देखा गया था, जो 2017 में निम्न चरणों में पूरा हुआ। यहाँ यह उल्लेख किया जा रहा है कि कैसे जीएसटी ने पिछले 14 वर्षों में आकार लिया और तीन सरकारों और तीन वित्त मंत्रियों ने इसकी सफलता के लिए प्रयास किए।

- **2003 –** अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व वाली एनडीए सरकार में जीएसटी के लिए केलकर समिति का गठन किया।
- **2004 –** राज्य के वित्तमंत्रियों की समिति का गठन किया गया। असीमदास गुप्ता इस समिति के चेयरमैन बने।
- **2006 फरवरी** तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने बजट भाषण में जीएसटी का प्रस्ताव रखा। इसके लिए 1 अप्रैल 2010 की अंतिम समय सीमा तय की।
- **2007 फरवरी –** चिदंबरम ने कहा कि अधिकार प्राप्त समिति समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए जीएसटी क्रियान्वयन के लिए केन्द्र के साथ मिलकर काम करेगी।
- **2009 नवंबर –** समिति ने जीएसटी पर चर्चा पत्र सौंपा एवं दिसम्बर में केलकर के नेतृत्व में 130 वित्त आयोग के कार्यदल ने जीएसटी पर रिपोर्ट सौंपी।
- **2011 में** तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी लगाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, लेकिन यह संसद में आगे नहीं बढ़ सका और मई 2014 में 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही विधेयक की वैधता समाप्त हो गई।
- **2014 दिसम्बर–** लोकसभा में एनडीए सरकार द्वारा संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया गया।
- **2015 मई –** लोकसभा में विधेयक पारित किया। विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और उसे प्रवर समिति में भेजा गया।

जुलाई– प्रवर समिति की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई जिसमें वस्तुओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर लगने वाले अतिरिक्त एक फीसदी कर को खत्म करने की सिफारिश की गई। कांग्रेस, एआईएडीएमके और माकपा ने इस पर असहमति दर्ज कराई। मंत्रिमंडल ने संशोधित विधेयक को पारित किया।

- **दिसम्बर–** मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाले पैनल ने जीएसटी से जुड़ी रिपोर्ट जमा करते हुए 17-18 फीसदी मानक दर की सिफारिश की।
- **2016 –** अगस्त- संसद ने जीएसटी के लिए 12वाँ संविधान संशोधन विधेयक पारित किया।

18 अक्टूबर – जीएसटी परिषद् ने राज्यों के लिए मुआवजा फॉर्मूले का फैसला किया।

3 नवंबर– जीएसटी परिषद् ने 4-स्लैब, 5, 12, 18 और 28% के साथ लक्जरी वस्तुओं पर सेस लगाने पर सहमति दी।

23 दिसम्बर– जीएसटी परिषद् की बैठक में दो कानून पर सहमति बनी, लेकिन दोहरा नियंत्रण मतभेद का मसला बना रहा।

- **2017 जनवरी–** जीएसटी की तारीख टलकर 1 जुलाई हो गई, लेकिन दोहरे नियंत्रण और समुद्र के जरिये जाने वाले कर अधिकार जैसे विवाद पर सहमति बनी।

फरवरी – जीएसटी परिषद् ने मसौदा मुआवजा बिल को अंतिम रूप दिया।

मार्च– लोकसभा ने 4 जीएसटी बिल पारित किए। 5 नियमों को मंजूरी। कुछ विशेष दरों के फैसले के लिए अगली बैठक 18-19 मई को तय हुई।

मई – जीएसटी परिषद् ने चार कर स्लैब में से एक में 1200 वस्तुओं को शामिल किया।

30 जून– जीएसटी मध्य रात्रि से देश भर में लागू करने की घोषणा।

1 जुलाई– देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागू हो गयी।

निश्चित तौर पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को मंजिल तक पहुँचाने के क्रम में सन् 2003 से अब तक कई अन्य कदम उठाए गए। इस दौरान समझौते भी हुए, संसद और राज्य विधानसभाओं में जरूरी कानूनी बदलाव किए गए और सबसे बड़ी बात जीएसटी परिषद् में सहमति तैयार की गई।

अंतत: बहुचर्चित एवं बहुविवादित जीएसटी लागू करने की बहुप्रतिक्षित घड़ी 30 जून 2017 को मध्य रात्रि 12 बजे आ गई, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 बजकर 01 मिनट पर घंटी बजाकर जीएसटी लागू होने

* प्राध्यापक (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.) भारत

की उद्घोषणा की और एक देश, एक कर, एक बाजार के नारे साथ 1 जुलाई 2017 से एकीकृत कर प्रणाली जीएसटी लागू हो गयी। इसे आजादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक कदम की संज्ञा दी जा रही है तो दूसरी ओर सरकार जीएसटी के जरिये बड़े आर्थिक बदलाव का दावा भी कर रही है। देश ऐसे बदलाव की अपेक्षा भी कर रहा है। अब पूरा राष्ट्र एक कर के धागे में गंथ गया है, आशा है यह धागा मजबूत एवं अटूट सिद्ध होगा।

जीएसटी के अंतर्गत प्रस्थापित विभिन्न केन्द्रीय एवं प्रांतीय कर – भारत में जीएसटी लागू होने के पूर्व माल एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, व्यापार एवं पूर्ति पर विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्षकर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते थे। इन सभी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर दिया गया है। लगभग 17 अप्रत्यक्ष कर एवं 23 प्रकार के उपकर इस नई एकीकृत कर व्यवस्था में शामिल किये गये हैं। 30 जून 2017 तक प्रभावशील निम्नलिखित केन्द्रीय एवं प्रांतीय करों का स्थान जीएसटी ने ले लिया है :–

(I) जीएसटी में सम्मिलित विभिन्न केन्द्रीय कर – माल एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं की पूर्ति पर लगाये जाने वाले निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके जीएसटी में शामिल कर लिया गया है :–

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
2. उत्पाद शुल्क दवाइयाँ और प्रसाधन पदार्थ)
3. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएँ)
4. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ों की वस्तुएँ)
5. अतिरिक्त सीमा शुल्क (उत्पाद शुल्क के बदले में आयात पर लगने वाला कर जो सीवीडी के नाम से जाना जाता है)
6. अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क (आयातित माल पर केन्द्रीय विक्रयकर की पूर्ति हेतु लगाया जाने वाला कर)
7. करयोग्य सेवाओं पर सेवाकर
8. विभिन्न प्रकार के केन्द्रीय अधिभार और उपकर जो कि वस्तुओं और सेवाओं से सम्बन्धित हैं।

(II) जीएसटी में सम्मिलित विभिन्न प्रांतीय कर –

माल एवं वस्तुओं के क्रय–विक्रय वितरण एवं प्रवेश पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को था, अब जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रांतीय करों को शामिल कर लिया गया है –

1. राज्य वेट (मूल्य वर्धित कर)
2. केन्द्रीय विक्रय कर
3. विलासिता कर (लक्झरी टैक्स)
4. प्रवेश कर (स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर आक्ट्रॉय के बदले लगने वाला कर)
5. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये मनोरंजन कर को छोड़कर)
6. विज्ञापनों पर कर
7. क्रय कर
8. लॉटरी, शर्त और जुएँ पर कर
9. विभिन्न प्रकार के राज्य अधिभार और उपकर जहाँ तक वे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से सम्बन्धित हैं।

अपवाद – यद्यपि अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी के अंतर्गत ले लिया गया है, लेकिन राज्यों के बीच सहमति न बनने के कारण निम्नलिखित कर अभी भी जीएसटी से बाहर हैं।

1. **मादक पदार्थों पर राज्य आबकारी शुल्क–** संविधान संशोधन (101) अधिनियम 2016 द्वारा वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को जीएसटी के अंतर्गत लिया गया है, लेकिन मानव के उपभोग के लिए शराब आदि मादक पदार्थों (एल्कोहल) की आपूर्ति को जीएसटी के दायरे में नहीं लिया गया है। इसलिए मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण, विक्रय एवं पूर्ति पर राज्य आबकारी शुल्क ही लागू रहेगा इन पदार्थों पर जीएसटी नहीं लगेगा।
2. **पेट्रोलियम पदार्थ पर वेट –** अस्थाई रूप से पाँच पेट्रोलियम उत्पाद अर्थात् पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्प्रिंट (पेट्रोल), हाई स्पीड डीजल, प्राकृतिक गैस और विमानन टर्बाइन ईंधन को जीएसटी से बाहर रखा गया है। वर्तमान में इन पर वेट एवं प्रवेश शुल्क लागू है एवं सभी राज्यों में वेट की दरें भिन्न–भिन्न हैं। इसलिए एकरूपता लाने के लिए जीएसटी परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया जाएगा कि यह किस तिथि से जीएसटी में शामिल किए जाएँगे, लेकिन अभी तो इस की सम्भावना नहीं है, क्योंकि राज्य आय के इस महत्वपूर्ण स्त्रोत को छोड़ना नहीं चाहते।
3. **विद्युत –** विद्युत को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

जीएसटी व्यवस्था की समीक्षा – भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू हुए तीन वर्ष पूरे हो गये है। हालाँकि एक वर्ष की अवधि किसी भी बड़े आर्थिक कदम की सफलता या असफलता के आकलन के लिए बहुत कम है, लेकिन अनुकूल प्रतिकूल परिणामों की कुछ झलक जरूर दिखाई पड़ती है। जीएसटी लागू होने पर आमतौर पर इसका स्वागत किया गया। वर्तमान सरकार ने इसे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला बताया तो विपक्षी दलों ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। उद्योग जगत ने इसका उत्साह से स्वागत किया तो व्यापारियों ने इसे भय और आशंकाओं से देखा। शेअर बाजार में उत्साह का संचार हुआ तो व्यावहारिकता के धरातल में बाजार में सुस्ती छा गई। आम उपभोक्ता तटस्थ भाव से इसे देखता रहा और खरीददारी में संकोच की प्रवृत्ति देखने में आई। बीजक, पंजीयन और रिटर्न प्रस्तुति के लिए असमंजस कायम रहा और पोर्टल के बार–बार अवरोधों के कारण आवश्यक औपचारिकताएँ, समय पर पूरी नहीं हुई। विकास दर में गिरावट देखी गयी तो कर संग्रह भी अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। कुल मिलाकर जीएसटी का मिश्रित प्रभाव देखने में आया। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पन्न हुई निम्नलिखित स्थितियाँ एवं प्रतिक्रियाएँ इसके मूल्यांकन में सहायक होंगी।

1. सरकारी राजस्व पर प्रभाव – जीएसटी लागू होने के बाद सरकारी राजस्व में लगभग 18% वृद्धि हुई। प्रारम्भ में जीएसटी से कर संग्रह अपेक्षा से कम रहा, लेकिन धीरे–धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। प्रथम माह जुलाई में इस कर से जहाँ लगभग 83,000 करोड़ रु. प्राप्त हुए, वहाँ मई 2018 में यह राशि बढ़कर एक लाख करोड़ रु. से ऊपर पहुँच गयी। वर्ष 2018–19 में लगभग 11 लाख करोड़ रु. राजस्व प्राप्त हुआ, जोकि जीएसटी लागू होने के पूर्व इसी अवधि के कर संग्रह 9 लाख करोड़ रुपये की तुलना लगभग 18 ज्यादा में रहा। प्रारम्भ में अर्थव्यवस्था में सुस्ती, करदाताओं में असमंजस, बिना बिल के माल की पूर्ति के कारण कर संग्रह अपेक्षित रूप से नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल 2018 से ई–वे बिल व्यवस्था लागू होने से कर चोरी पर अंकुश लगा है।

कोविड – 19 के कारण लागू लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियाँ ठप्प–सी हो गयीं। वर्ष 2020–21 की प्रथम तिमाही में जीएसटी संग्रह को भारी झटका लगा, जो निम्न आकड़ों से स्पष्ट है :–

चालू वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन

1.	**अप्रैल**	-	32,172 **करोड़ रु.**
2.	**मई**	-	62,151 **करोड़ रु**
3.	**जून**	-	90,917 **करोड़ रु.**
4.	**जुलाई**	-	87,422 **करोड़ रु.**

2. महँगाई में वृद्धि – जीएसटी लागू करते समय यह आशा की गई थी कि एक कर होने एवं कर पर कर लगने के दुष्प्रभाव के दूर होने से लोगों को वस्तुएँ 5 सस्ती मिलेगी, लेकिन व्यवहार में देखा गया है आम उपभोग की वस्तुओं के मूल्य जीएसटी लागू होने के बाद घटने के बजाय बढ़े हैं, क्योंकि कई करमुक्त वस्तुएँ जीएसटी के दायरे में आ गई हैं एवं कई वस्तुएँ ऊँचे कर खण्ड में रखी गयी हैं। सेवाओं पर कर की दर बढ़ने से सेवाएँ भी महँगी हो गयी हैं। व्यापारी भी जीएसटी की आड़ लेकर बढ़े हुए भावों पर माल बेच रहे हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं।

3. विकास दर में गिरावट– यह आशा की गई थी कि जीएसटी बहुत से केन्द्रीय एवं राज्य शुल्कों को एक ब्रिकी कर और पूरे देश को एक सीमा शुल्क क्षेत्र में तब्दील कर देगा। इससे कारोबार करने की लागत कम होगी और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि सुधार होगा। अभी तक ऐसी कोई वृद्धि में दिखाई नहीं दी है, बल्कि विकास दर में गिरावट दिखाई दी है। जीएसटी लागू होने के बाद बाजार मंदी की गिरफ्त में आ गया है एवं विकास दर घटकर 7.5से 5 रह गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में वार्षिक दर 6 आँकी गयी, जबकि वास्तविक दर 5 ही रही। वर्ष 2020-21 में तो कोरोना प्रभाव से विकास दर बढ़ना तो दूर, अपितु ऋणात्मक होने की आशंका है।

4. छोटी इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव – लघु एवं मझले उद्योगों (एसएमई) ने अभी जीएसटी की बारीकियाँ नहीं समझी हैं। परिणामस्वरूप इस बात के निर्धारित समय तक नई कर प्रणाली का पालन नहीं कर सकने की वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ा है, उनका उत्पादन घटा है। इनमें काम करने वाले कई स्थायी एवं अस्थायी कारीगर मजदूर छँटनी का शिकार हुए हैं। विशेषकर टैक्सटाइल एवं गारमेण्ट क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

5. छोटे व्यापारी परेशान– जीएसटी लागू कर दिया गया है। इससे सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना छोटे व्यापारियों को ही करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इनके सपनों को साकार करने में अक्षम दिखाई दे रही है। श्रम शक्ति के अभाव के कारण ये लोग सामान नहीं बेच पा रहे हैं। कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं होने से हिसाब-किताब रखना मुश्किल हो रहा है। सर्वर हमेशा सही से कार्य नहीं करता है, जिससे लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। खुदरा व्यापार या कुटीर उद्योग तो लगता है जैसे खत्म होने की कगार पर ही है। जीएसटी ने खासकर छोटे कारोबारियों के लिए कई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं। जैसे कानून का पालन करना, परिचालन लागत में वृद्धि, सिस्टम का ऑनलाइन होना, नई तकनीक का इस्तेमाल कर बोझ बढ़ना आदि।

6. कर की दरों के ज्यादा खण्ड – जीएसटी की अलग-अलग दरों को लेकर टिप्पणीकार काफी आलोचना कर रहे हैं। जीएसटी में कर की दरों के सात खण्ड रखे गये हैं, जोकि उचित नहीं है। जीएसटी की विभिन्न दरें होने के कारण यह कर नई बोतल में पुरानी शराब जैसा हो गया है, क्योंकि उत्पादन शुल्क और वेट में भी लगभग इतने ही कर खण्ड थे। जीएसटी में विभिन्न वस्तुओं के लिए अनिवार्य, आरामदायक एवं विलासिता की दृष्टि से अलग-अलग कर खण्ड समझ में आते हैं, लेकिन एक ही प्रकृति के सामान पर कर की दरों की विविधता उलझने बढ़ाने वाली ही सिद्ध होगी, जैसे एक हजार रु. मूल्य तक वाले रेडीमेड गारमेण्ट पर 5 जीएसटी लगेगा तो एक हजार रुपये से ज्यादा वाले गारमेण्ट्स पर 12कर लगेगा। ऐसी स्थिति में उत्पादक या व्यापारी अपने 1,000 रु. से 1,200 रु. मूल्य वर्ग के माल की कीमत एक हजार रुपये से नीचे रखने की कोशिश करेंगे, ताकि 5 कर लग सके। समान माल पर दरों की विविधता के कारण बिल बनाने में भी कठिनाइयाँ आ रही हैं।

निष्कर्ष – उपरोक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि जीएसटी व्यवस्था अभी टीथिंग प्रॉब्लम्स से गुजर रही है। इससे व्यापारी, उपभोक्ता और यहाँ तक सरकार स्वयं पीड़ा सहन कर रहे हैं। यह संतोष का विषय है कि सरकार ने जीएसटी के प्रभावों की समीक्षा की है एवं स्थितियों पर विचार करते हुए जीएसटी कौंसिल की विभिन्न मीटिंगों में कई सुधारों और राहतों की घोषणा की है।

1. 1 अप्रैल 2019 से पंजीयन की सीमा व्यापारियों के लिए 20 लाख रु. से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गयी है। इससे कई छोटे एवं मध्यम व्यवसायी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएँगे।
2. यद्यपि कर की दरों के 7 खण्ड कायम हैं, लेकिन कई 28 वाले माल 18 एवं 12 में आ गये हैं। अब केवल वाहन, साफ्ट ड्रिंक्स, सीमेण्ट, पान मसाले जैसे कुछ माल ही 28 की सूची में शेष बचे हैं।
3. कम्पोजिशन की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रु. वार्षिक कर दी गयी है। अब छोटे एवं मध्यम कारोबारी 1 कर चुका कर जीएसटी की जटिल प्रक्रियाओं से राहत पा सकेंगे। 50 लाख रुपये तक के सेवा प्रदाता भी 6 कर चुकाकर अपने दायित्व को पूरा कर सकेंगे।
4. अपंजीकृत व्यक्तियों से क्रय पर रिवर्स चार्ज जैसे अव्यावहारिक एवं जटिल प्रावधान को आगामी तिथि तक स्थगित करने से करदाताओं ने राहत की साँस ली है।
5. कम्पोजिशन डीलर के लिए वार्षिक रिटर्न (केवल एक) भरने की व्यवस्था की गयी है। 5 करोड़ रु. तक वार्षिक टर्नओवर वाले मध्यम कारोबारियों के लिए मासिक रिटर्न की जगह तिमाही रिटर्न की व्यवस्था की गयी है। इससे छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को काफी राहत मिलेगी।
6. कोरोना के कारण लागू किये गये लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पेनल्टी में भी राहत दी गई है। रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथियाँ बढ़ाई गयी हैं।
7. रेस्टारेण्ट, बिल्डरों, टैक्सटाइल जॉब वर्करों, प्रिंटिंग कार्य करने वालों आदि को काफी राहतें दी गयी हैं।

व्यापारी-उद्योगपति भी अब धीरे-धीरे इसके अभ्यस्त होते जा रहे हैं। यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार शीघ्र ही कर की दरों के खण्डों में कमी करेगी साथ ही 18 एवं 28 दर वाले मालों की सूची में और कमी करेगी। नया सरलीकृत जीएसटी रिटर्न फार्म लागू किया गया है, इससे कर प्रक्रिया आसान हो जाएगी। ये कदम स्वागत योग्य हैंय लेकिन अभी इस दशा में कई आवश्यक कदम शीघ्र उठाये जाना जरूरी हैं, ताकि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

संगीत एवं विविध ललित कलाओं का संगीत से अंतर्संबंध एवं महामारी में संगीत का महत्व

शाश्वती श्रीवास्तव*

प्रस्तावना – ललित कला में 64 कलाओं को चारु नामक प्रकारों में रखा गया है। संगीत ना केवल मनोरंजन का साधन रहा है, बल्कि दार्शनिक एवं अध्यात्मिक पक्षों से भी महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन काल से ही जैसे अन्य विषय:- गणित ,विज्ञान, व्याकरण, ,ज्योतिष,मीमांसा जैसे व्यापक चिंतन वाले विषयों की ही तरह संगीत भी चहुमुखी विकास का आधार रही है ।शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल से ही संगीत भी अनिवार्य विषयों में से ही बचपन से ही शिक्षित करने वाला विषय रहा है ।यह बात भी सर्वविदित रही है, कि अन्य ललित कलाओं से भी प्राचीन संगीत कला है ।क्योंकि यह कहा जाता है कि, जब मनुष्य आदिमानव था उस समय जब भाषा नहीं सीखा था तब भी वह संगीत गुनगुना था। पक्षियों की चहचहाहट, शिशुओं का रोना, हंसना भी संगीत में निहित है।जिसे वह सुनता एवं समझता था भले ही उसका :प परिष्कृत ना हो।

अन्य कलाओं का जन्म बा द में हुआ था। इसलिए संगीत को इन कलाओं का, जन्म का कारण कहा जा सकता है। क्योंकी संगीत में भी विचार-चिंतन होता है। और तभी एक कल्पना से नहीं संगीत का निर्माण होता है, जिसमें सोच भावना,अनुभव, विभाग,संयम, आत्मचेतना होती है। ललित कलाओं में भी इन्हीं भावनाओं की आवश्यकता होती है। परंतु संगीत को सर्वश्रेष्ठ सभी ललित कलाओं से माना हैं:- संगीत कला, काव्य कला,चित्रकला, वस्तु कला और मूर्तिकला।

संगीत कला:- संगीत का उपयोग आज के परिवेश में बड़ी-बड़ी कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर की भागदौड़ भरी जिंदगी,जिसमें काम का दबाव के कारण मन और मस्तिष्क दोनों तनाव में रहते हैं। यह तनाव बीमारियों का भी बनी हुई है। जिसे सशांत और प्रसन्न करने के लिए कई बड़ी-बड़ी कंपनियों में धीमी व मधुर आवाज में शास्त्रीय संगीत बजाया जाता है ताकि माहौल और वातावरण शांत और ताजगी भरा हो जाए। मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि संगीत मन की तीनों अवस्थाओं- चेतन, अचेतन एवं अवचेतन पर प्रभाव डालता है। इसलिए संगीत सबसे अधिक प्रभावशाली है।

काव्य कला:- का आधार शब्द है। मनुष्य अपने भावों को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त काव्य रचना से करता है। काव्य में भावों के साथ-साथ भाषा, साहित्य, छंद, कागज और लेखनी की भी आवश्यकता पड़ती है। तभी काव्य कला के वर्ण संयुक्त संयोजित हो पाते हैं।

चित्रकला:- का आधार रंग है।जिसे कागज, पत्थर, लकड़ी,वस्त्र आदि अन्य पदार्थ पर अंकित किया जाता है। चित्रकला में आड़ी- तिरछी रेखाएं एवं रंग का पैमाना होता है-कि उसकी दूरी, समिता, लघुता, गुरुता का क्रम नियोजन वास्तविक जगत में दिखाई पड़ता है कि नहीं।वह कृति उससे कितना सजीवता रखता है, जिसमें रंग ,कैनवास,तूलिका और कागज का प्रयोग होता है।

मूर्तिकला:- का आधार धातु तथा वस्तु से है जैसे लकड़ी, हाथी के सींग, सीप, पत्थर, मों म, मिट्टी और कांच आदि मूर्तिकला इन माध्यमों से भावों को अभिव्यक्त करने में अपने रचनात्मक भावों को हथौड़ी, छेनी, चाकू, डराती आदि के प्रयोग से :प देते हैं ।

वास्तुकला:- का आधार निवास से है। जैसे भवन, इमारतों, सेतु, घर निर्माण, होता है। वस्तु कला में अन्य सभी कलाओं से ज्यादा उपकरणों की आवश्यकता होती है। जैसे ईटा, पत्थर, रेत, मिट्टी, चूना आदि। जिन की उपलब्धता के बिना वस्तु कला का निर्माण संभव नहीं हो सकता है।

इन सभी ललित कलाओं से व्यक्ति अपने मनोभावों को व्यक्त कर एक नई रचनात्मक सोच को संचित कर सकता है। वह अपनी खाली समय में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकता है आज के समय में जब देश और दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है उसी समय दूसरी ओर समाज में नए-नए समस्याओं का नव निर्माण हो रहा है। जैसे लोगों में परेशानी (डिप्रेशन) का कारण- घरेलू लड़ाइयां, नौकरियों का जाना, महंगाई का बढ़ना, बीमारी का फैसला, अकेलापन आदि है।जिसके निवारण के लिए लोगों ने इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस शुरु कर दी है ।इंटरनेट का प्रयोग 'दिन दुगनी चार चौगुनी' से हो रहा है।संगीत कला मनोरंजन का सबसे अधिक साधन बन गया है ,जो लोग थोड़ा भी गां सकते हैं, या उनको वाद्य यंत्रों को बजाने का कभी शौक रहा हो वह इस लॉकडाउन के समय में पूरा कर रहे हैं। या घर पर ही कुछ छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक ,टेलीग्राम आदि पर अपलोड करके लाइक और शेयर करके अपने मन और मस्तिष्क को आनंदित एवं प्रफुल्लित कर रहे हैं। जिससे संगीत की ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कंसर्ट और ऑनलाइन संगीत की किताबों का उपयोग लोगों की दिनचर्या में शामिल हो चुका है। संगीत के साथ-साथ अन्य ललित कलाओं में भी लोगों की रुचि बढ़ी है।

महामारी के चलते लोगों में जितना भय और नकारात्मक सोच का उदय हुआ है, उतना ही उनके निवारण के लिए घर-घर में हमारी प्राचीन सभ्यताओं की और लोगों का झुकाव हुआ है जैसे तुलसी, अदरक, नींबू, मुलेठी, आंवला, गिलोय,अश्वगंधा, काली मिर्च, हल्दी आदि का सेवन बड़ा है और बाहर का जंग फूड की ओर रुझान घटा है। अब तो अमेरिका :स आदि देशों में भी, भारतीय संस्कृति की तरह नमस्कार करना शुरु कर दिया है। घर में खाली समय में शास्त्रीय संगीत या वाद्य यंत्रों को सुनने- बजाने या सीखने का प्रयास दुनिया भर से लोगों ने किया है ।जो एक सकारात्मक एवं उत्ताम विचारों का मन और हृदय में निर्माण करता है। इस महामारी जहां एक और

* शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन (म.प्र.) भारत

बहुत सारी अनचाही समस्याओं ने देश में अपना पैर पसारा वही मानव जीवन में भी चेतन– अचेतन मन में जन्मी समस्याओं का भी विकास हुआ। जिसका निवारण संगीत ने औषधि की तरह मानव जीवन में थोड़ा ही सही परंतु अपना प्रभाव मनुष्य को सुकून और प्रसन्नता दिलाने में किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Google & wikipedia-
2. online research paper

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

कौशल विकास की कृषि क्षेत्र में महत्ता

डॉ. आर.एस. मण्डलोई *

प्रस्तावना – सफलता जादू से नहीं मिलती है। एक इन्सान को सफल होने के लिए उसमें कौशल होना आवश्यक होता है। यह सास्वत सत्य है। जो आज की पीढ़ी पर भी उतना ही लागू होता है। युवा उर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास की ताकत बनती है। कौशल विकास एवं रोजगार इस ताकत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साधन माने जाते है। भारत एक युवा का देश है। जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग जनांकिकीय लाभ पहुंचा सकता है। यदि यह युवा वर्ग वांछित कौशल प्राप्त कर देश के आर्थिक विकास में सहभागी बने।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है। जिसमें 67.2 करोड़ व्यक्ति 15-19 वर्ष की आयु के है, जिन्हें सामान्यतया कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इसमें से 22 प्रतिशत जनसंख्या 15-24 वर्ष की जनसंख्या है। यदि इस युवा शक्ति की ऊर्जा का सदुपयोग होता है तो भारत के आर्थिक विकास में मददगार होगी साथ ही अन्य देशों में कुशल श्रम की कमी, बढ़ती आउटसोर्सिंग की प्रवृत्ति के कारण विदेश में भी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहाँ की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। मानसून यदि मेहरबान है तो कृषि में भी उत्पादन की अच्छी आवक की अपेक्षा की जा सकती है।

भारतीय कृषि की स्थिति चिंताजनक है। आये दिन कृषक आत्महत्या कर रहे है। इसका एक मात्र कारण कृषि में घटा होना। अत: स्पष्ट हो चुका है कि खेती-बाड़ी से ही किसानों का कल्याण होगा ऐसा संभव नहीं है। कृषि के भरोसे ही कृषक का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए कृषि के साथ-साथ पूरक उद्योग धंधे तथा परम्परागत कृषि के स्थान पर नया करना होगा। जिससे उसकी आय में बढ़ोत्तरी होगी। मछली पालन से लेकर तमाम काम धंधों के साथ जुड़कर जैसिक खेती जैसी संभावनाओं से भरे क्षेत्र से भी काफी कुछ हासिल कर सकते हैं।

भारत की विशाल आबादी वाले देश के गांवों में अभी भी कृषि उत्पादन की पुरानी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जिससे उत्पादन कम होता है। वर्तमान में देश में आधुनिक तकनीके एवं कृषि उपकरणों की उपलब्धता के बावजूद खासतौर पर तंजहाल छोटे किसान उनका लाभ नहीं उठा पाते। वे घाटे की खेती करते हुए ऐसे दूष्चक्र में उलझे है कि ज्ञान और तकनीक एवं कौशल से कोसो दूर रह जाते है। दूसरी और हमारा युवा वर्ग कृषि में घाटा होने तथा कम प्रतिष्ठा के कारण तथा तमाम चुनौतियों से कृषि में रूचि कम होती जा रही है। चूंकि युवा वर्ग यदि कृषि से लगाव कम कर देगें तो हमारी कृषि की स्थिति अतिदयनीय हो जायेगी। कृषि वैज्ञानिक एम.एम. स्वामीनाथन का भी मानना है कि युवाओं को खेती में जोड़े रखना बहुत बड़ी चुनौती है।

कृषि क्षेत्र में हमने आजादी के बाद एक लम्बा संघर्ष भरा सफर तय किया है। हरित क्रांति तथा कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान तथा प्रसार ने न भारत को सिर्फ खाद्यान्न में बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी शिखर में खड़ा कर दिया है। आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर भी हो गये है। परन्तु आज समय की मांग है कि खाद्य सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ कृषकों को अधिक आय अर्जित करने के उपाय बतानें होगें।

कृषि कौशल –कृषि कौशल के अन्तर्गत युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए शासन द्वारा **'स्टूडेंट रेडी'** के नाम से एक क्रांतिकारी योजना प्रारम्भ की है। इस विकास योजना के तहत कृषि स्नातकों के लिए रोजगार सुनिश्चित करते हुए ज्ञान आधारित कृषि उद्यमिता का विकास करना है। इससे युवाओं को खेती में आकर्षित करने के साथ गांवों से उनका पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा वाला देश है। जहाँ 62 प्रतिशत आबादी कामकाजी वर्ग है। एक हर विश्व के अन्य देशों में हुनरमंद श्रम की आगामी वर्षो में चार फीसदी कमी होने के संकेत मिल रहा है। वहीं भारत में कार्यबल 32 फीसदी बढ़ोत्तरी होने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में अहम मौका है कि व्यापक श्रमबल को रोजगार पर आधारित हुनर के साथ लैस करके उनको और सशक्त करते हुए विश्व में एक नयी शक्ति बन सकें। वर्तमान समय में हमारी स्थिति बहुत चिंताजनक है हमारे कुल श्रम का मात्र 2.3 प्रतिशत ही श्रम हुनर आधारित कौशल प्रशिक्षित है।

शासन स्तर से इस दिशा में अनेकों प्रयास किये जा रहे है कि हमारा युवा वर्ग खेती-बाड़ी से जुड़ा रहे तथा आधुनिक तकनीकि आधारित कृषि कार्य के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी आय में वृद्धि करें।

इस हेतु शासन स्तर से 24 सप्ताह का अनुभव आधारित प्रशिक्षण, 10 सप्ताह का ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव तथा 10 सप्ताह उत्पादन इकाईयों में औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। इसमें प्रति वर्ष 25000 छात्रों को कृषि प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए हुनर मद बनाया जायेगा।

कृषि शिक्षा – वर्तमान समय में भारत में लगभग 77 कृषि विश्वविद्यालय है। जिनमें प्रतिवर्ष 50000 छात्र पढ़कर निकलते है। इस तरह एक बड़े लक्षित समूह की केन्द्र में रखकर कृषि क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को तरासा जा रहा है। देश में लगभग 642 कृषि विज्ञान केन्द्रों में 435 राज्य कृषि विश्वविद्यालय जुड़े है। भारत में एग्रीक्लीनिक और एग्रीबिजनेस सेन्टरों में संशोधन किया गया ताकि रोजगार के साथ ग्रामीण इलाकों में सक्षम और कुशल लोगों को विस्तार सेवाओं में लगाया जा सके। खासकर खेतिहर महिलाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उत्पादों के मूल्यवर्द्धन और

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) महाराजा भोज शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धार (म.प्र.) भारत

कटाई उपरांत साज-संभाल, गृह वाटिका, नर्सरी, डेयरी, मुर्गी पालन आदि का प्रशिक्षण दिया जाकर उनकी आम में वृद्धि करना है।

दूसरे भाग में मनरेगा में बदलाव कर ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर कौशल विकास की दिशा में एक पहल की गई है। युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित कर नौकरी दिलाना इसका लक्ष्य था। इस योजना में लाखों युवाओं को आजीविका विकास के तहत प्रशिक्षण दिया गया किन्तु इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

आज कृषि क्षेत्रों में हमारे कृषि स्नातकों की मांग बढ़ रहीं है। हमारा कृषि क्षेत्र अलग पहचान बना चुका है। भारत दुध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जबकि फल और सब्जी में दूसरे तथा अनाज में तीसरा स्थान है। विश्व में 60 प्रकार की मिट्टियों में 46 भारत में है। जहाँ पर 52 प्रतिशत जमीन खेती योग्य है तथा 70 प्रतिशत जनसंख्या देहात में निवासरत है। इस दशा में विशेषकर ग्रामीण कृषकों की कायाकल्प जरूरी है। क्योंकि उनकी दशा चिंताजनक है।

प्रमुख चुनौतियाँ – हमारे देश में कृषि क्षेत्रों की चुनौतियां गंभीर रूप धारण कर चुकी है। हमारी शहरी आबादी 1951 से 17.3 प्रतिशत थी। जो आज 32 प्रतिशत हो गयी है। गांवों से पलायन आज भी जारी है। तमाम किसान आत्महत्या कर रहे है। 2012 से 2018 तक लगभग 5.1 करोड़ किसान अपनी जमीन बेचकर या घर-बार छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर गये किन्तु शहरों में उनका हुनर नहीं होने के कारण दिहाड़ी मजदूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बढ़ई और लौहार कृषि यंत्र बनाते थे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, माली फूलों की माला। इनके हाथों में हुनर था किन्तु तमाम कारणों से बिखर गया।

भूमि के जोतो का आकार भी निरंतर घटने के कारण भी युवा वर्ग अपनी खेती छोड़ रहे या उन पर आधुनिक कृषि करना मुश्किल हो गया।

हरितक्रान्ति ने कृषि में नई क्रांति ला दी थी। किन्तु आज वह भी मुरझा रही है क्योंकि कृषि का स्थान पर सेवा और विनिर्माण क्षेत्र को सबसे ज्यादा तबज्जों मिलने लगा है क्योंकि आधुनिक तकनीकों के यंत्र शंकर बीज आदि का फायदा कृषकों के स्थान पर बिचौलियों को मिल रहा है।

वर्तमान समय में कृषि में वह सम्मान नहीं रहा जो पहले था आज किसान सबसे नीचले पायदान पर खड़ा है। आज भी हमारी कृषि मानसून पर आधारित हैं।

आज हम संचार क्रांति के युग में जी रहे है। अधिकतर गांवों तक मोबाईल और इंटरनेट पहुंच गये फिर भी किसान तकनीक में पीछे है। इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बन सकी।

वर्तमान समय में कई बिन्दु ऐसे है जो कृषि श्रमिकों की कमी, लागत का बढ़ना उचित मूल्य न मिलना।

अत: निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है। भारत में कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु उनके कौशल का विकास किया जाना परम आवश्यक है। चूंकि व्यक्ति में यदि हुनर नहीं है तो आज भी दूनिया में केवल मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं है ओर भारत में इस प्रकार की समस्या गंभीर रूप ले रही है। समय रहते इसका निंदान ढुंढना होगा अन्यथा बहुत देर हो जायेगी जो देश के विकास में घातक होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रूपा एवं चांदा (2014), ब्रिजिंग दी स्किल गेप्स इन इण्डियान लेबर मार्केट , तेजस आईआईएम, बैंगलौर।
2. जनगणना (2011) के आंकड़े महापंजीयक सह जनगणना आयुक्त कार्यालय, धार।
3. नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (2017-18) सेक्टर स्किल्स रिपोर्ट एनएसडीसी।
4. एम-एम स्वामीनाथन (1997)।
5. ज्यां ट्रेज एवं सेन (1989) भूख तथा जनपहल, यूके।

****

Consumer Innovativeness: A Study of Openness of Consumer Towards New Products With Special Reference to Toiletries and Household Consumables Segment of FMCG Sector and Gender in Indore City

Sonam Kulkarni Jaiswal* Pooja Chouksey**

Abstract - "Consumer innovativeness: A study of openness of consumer towards new products with special reference to FMCG sector" is a construct that deals with finding how open consumers are in trying new Toiletries and household consumables segments FMCG products based on demographic factor Gender. It has been found that Gender has no significant effect on consumer innovativeness with reference to Packaged Food and Beverages segment of FMCG sector.

Keywords - Consumer Innovativeness, FMCG.

Introduction - "**FMCG** stands for Fast Moving Consumer Goods also known as Consumer Packed Goods (CPG). FMCG products are that products which are sold quickly and at relatively lower costs. Non- durable goods such as packaged food, beverages, body care products, toiletries, over-the-counter drugs and other household consumables come under the category of FMCG." (Fast Moving Consumer Goods, 2019)

For the purpose of this research Toiletries and household consumables segment of FMCG sector has been taken into account.

"**Consumer behavior** is the study of individuals, groups, or organizations and all the activities associated with the purchase, use and disposal of goods and services, including the consumer's emotional, mental and behavioral responses that precede or follow these activities.

Characteristics of individual consumers such as demographics, personality lifestyles and behavioral variables such as usage rates, usage occasion, loyalty, brand advocacy, willingness to provide referrals, in an attempt to understand people's wants and consumption are all investigated in formal studies of consumer behavior. The study of consumer behavior also investigates the influences, on the consumer, from groups such as family, friends, sports, reference groups, and society in general." (Consumer Behavior, 2020)

"**Consumer Innovativeness** is a construct that deals with how receptive consumers are to new products. Consumer innovativeness has been defined as a predisposition or propensity to buy or adopt new products or a preference for new and different experience." (Consumer Innovativeness, 2019)

"Innovativeness is also defined as the degree to which individuals adopt new ideas faster than other members in a society. The term consumer innovativeness is very diverse, depending on the research contexts." (Kusmawati & Irmawati, 2018)

Review Of The Literature:

Kumar has thrown light on the demographic factors which affect consumer behavior such as age, sex, marital status, income, family background, education, occupation, family size, geographic factors and psychological factors. The results of this research present a detailed discussion on how four-wheeler manufacturer's can increase their sales by understanding the buying behavior of consumer depending on the demographic characteristics of the consumer.

Khan et al. have investigated the relationship between cognitive and sensory aspects of consumer behavior as independent variable with gender as dependent variable. Survey was done using five-point Lickert scale close ended questionnaire which were distributed randomly to 650 students studying in various universities of Lahore, out of which 581 were collected. Using SPSS, logistic regression was deployed. Results show that females are more behaviorally inclined towards shopping as compared to males, while males are more cognitively strong. Females shopping decisions are more disregardful. The buying

*Assistant Professor, M.K.H.S Gujarati Girls College, Indore (M.P.) INDIA
** Assistant Professor, M.K.H.S Gujarati Girls College, Indore (M.P.) INDIA

decisions of females are additionally influenced by media as compared to males. Males are more brand loyal as compared to females and the physical appearance of salesperson also affect their buying decisions. Male are more time restricted as compare to female.

Ali et al. have explored crucial issues relating to rural consumer behavior in regard with different geographic regions of the country. The research focuses on estimating reasons that are responsible for the buying of FMCG in rural South India. Empirical study was conducted in 8 districts of South India to identify the key influencing variables. Factor analysis was used to form 24 key variables into five groups (influencing factors). Influence of retailers' recommendations has emerged as the most significant variable in the trust factor.

Objectives of the Study and Hypothesis: The purpose of the research is :

1. To determine the openness of a consumer for trying out new products with special reference to FMCG
2. To determine whether gender has any effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables

With gender as independent variable:

Section C: Toiletries and household consumables

H_0(1C) : Gender has no significant effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables.

H_1(1C) : Gender has an effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables.

Methodology:

The Study: This study is descriptive, quantitative and single cross sectional in nature.

The Tools:

A) For Data Collection: A specifically designed and structured Questionnaire has been used for collecting data related to the research topic. For the purpose of this research FMCG sector has been broadly classified into three categories, which formed the basis of diving the questionnaire into three sections.

B) For Data Analysis: For analyzing the data and to generate results Independent Sample t-test and One way ANOVA have been used.

The Sample: Data has been collected from 410 respondents belonging of Indore city of central India, who were approached on random basis. Primary data has been used for analysis. The data has been collected by respondents of different genders

Analysis Of Data And Interpretations:

Frequency Analysis Using SPSS:

Statistics

Gender		
N	Valid	410
	Missing	0

Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Male	187	45.6	45.6	45.6
	Female	223	54.4	54.4	100.0
	Total	410	100.0	100.0	

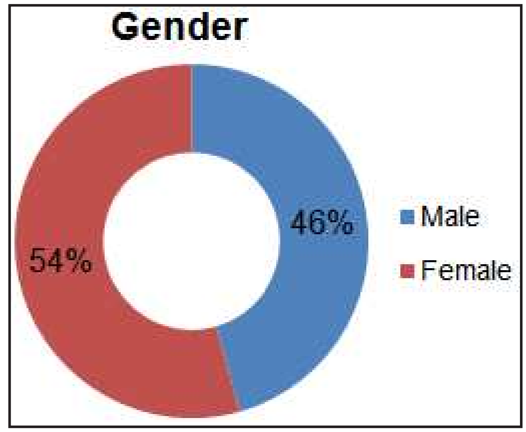

Test Results:

With gender as independent variable:

Section C: Toiletries and household consumables

H0: Gender has no significant effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables.

H1: Gender has an effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables.

Applying T-Test using SPSS:

Group Statistics

	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
CQTotal	Male	187	28.6952	5.89497	.43108
	Female	223	28.2646	6.19408	.41479

Independent Samples Test (see in last page)

According to Levene's Test for Equality of Variances, if significance value of this test is greater than 0.05 then we follow 'Equal variances assumed' row for 'Sig.(2-tailed)' value in 't-test for Equality of Means'.

Here Sig. value of Levene's Test for Equality of Variances is 0.086 which is greater than 0.05, so we follow 'Equal variances assumed' row for 'Sig.(2-tailed)' value in 't-test for Equality of Means'.

Here Sig.(2-tailed) value in 't-test for Equality of Means' is 0.474, which is greater than 0.05, therefore null hypothesis (H_0) is accepted.

So it can be concluded that Gender has no significant effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables.

Conclusion: After conducting a thorough research on "Consumer Innovativeness: A study of openness of consumer towards new products with special reference to

FMCG sector", by collecting primary data with the help of well structured questionnaire and analyzing the data with the help of SPSS, it can be concluded that:

- Gender has no significant effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables. This states that Males and Females are equally innovative in trying new types of toiletries and household consumables.

Implications: The findings of this research can be used in designing promotional activities for promotion of the three classifications of FMCG products on the basis of the categories of gender, age, annual family income and educational qualification. It can also be used to make strategic decisions regarding product design, whether same product can be used to target all categories of gender, age, annual family income and educational qualification or not.

- Gender has no significant effect on consumer innovativeness with reference to toiletries and household consumables. This states that Males and Females are equally innovative in trying new types of toiletries and household consumables. So similar kind of toiletries and household consumables can be used to target males and females. Similar promotional activities can be used to target males and females.

Note: Products should be gender neutral for example tooth brush and tooth paste. Products which are not gender neutral do not come in this category, such as shaving creams. Shaving creams will not be used by females.

References:-

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Fast-moving_consumer_goods.
2. https://www.investopedia.com/terms/f/fastmoving-consumer-goods-fmcg.asp.
3. https://www.ibef.org/industry/fmcg.aspx.
4. V. S. Ramaswamy and S. Namakumari, "Marketing Management," Macmillan, 4 ed., pp. 738-742, 2009.
5. T. N. Chhabra and S. K. Grover, "Marketing Management," Dhanpat Rai & Co., 4 ed., pp. 1.141-1.157, 2007.
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_behaviour.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_innovativeness.
8. https://knepublishing.com/index.php/Kne-Social/article/view/3162/6705.
9. P. Kotler, K. L. Keller, A. Koshy and M. Jha, "Marketing Management," Pearson Education, 2 ed., pp. 47-49, 2009.
10. N. K. Malhotra, "Marketing Research," Pearson Education, 1 ed., pp. 166-167, 2004.
11. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender.
12. http://www.businessdictionary.com/definition/family-income.html.
13. https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=744.
14. D. R. Williams and L. B, "Analyzing Urban & Rural Consumer Behaviour Towards FMCG Brands In Mysuru District.(Karnataka State, India)," International Journal of Exclusive Management Research, vol. 8, no. 7, pp. 85-105, July 2018.
15. D. Chhabra and A. Farooque, "Factors Affecting Consumer Buying Behaviour and Decision Making Process towards FMCG Products," Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, vol. 15, no. 6, pp. 131-139, 2018.
16. A. A. Santoki and M. H. Parekh, "Brand awareness & consumer buying behaviour of Selected FMCG products among rural consumer in dang area of Gujarat," International Journal of Applied Research, vol. 3, no. 6, pp. 433-437, 2017.
17. H. S. Hassan, "The Role of Customer Innovativeness in the New Products Adoption Intentions: An Empirical Study on Mobile Phone Customers of the Egyptian Universities Students," International Business Research, vol. 10, no. 4, pp. 117-130, 2017.
18. D. R. Gopisetti and G. Linganna, "Consumer Buying Behaviour towards Fast Moving Consumer Goods (A Study of Selected Personal Care Products in Nizamabad District of Telangana State)," IOSR Journal of Business and Management, vol. 19, no. 11, pp. 54-59, 2017.
19. M. Bucatariu, A. I. Nicolescu and A. Tasnadi, "Consumer Behaviour Towards New Products," International Journal on Business Excellence, vol. 1, no. 1, pp. 904-915, 2017.
20. R. Senthilkumar, "A study on attitude and behaviour of rural consumers towards branded FMCG products in Pudukkottai district of Tamil Nadu," International Journal of Applied Research, vol. 3, no. 6, pp. 517-521, 2017.
21. K. Asha and A. M. T. Joy, "Attitudinal Analysis of Rural Consumers towards FMCG Products in Sivagangai District," Indian Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 33, pp. 465-470, 2016.
22. S. S. Chauhan and V. B. Singh, "A study of Indian consumer buying behavior of FMCG products (with special reference of bathing soap)," International Journal of Scientific and Innovative Research, vol. 4, no. 1, pp. 176-182, 2016.
23. I. Firmansyah, "Consumer innovativeness and new product adoption: The case of payment card," Journal of Marketing & Consumer Behaviour, vol. 2, no. 1, pp. 40-58, 2016.
24. S. M. Qasim and A. Swati, "Consumer Behaviour towards selected FMCG (Fast Moving Consumer Goods) in Delhi NCR," International Journal of Informative & Futuristic Research, vol. 2, no. 7, pp. 2041-2048, 2015.
25. F. R. A.K, "A Study of Consumer Buying Behaviour of FMCG Products in Calicut City (With Special Reference of Tooth Paste)," International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM), vol. 5, no. 7, pp. 6455-6460, 2017.
26. S. Batool, M. A. Ahmed, M. Umer and Z. Zahid, "Impact

of Consumer innovativeness on shopping styles; A Case of Pakistan," International Journal of Business and Management Invention, vol. 4, no. 2, pp. 19-28, 2015.

27. A. Katiyar and N. Katiyar, "An empirical study of Indian consumer buying behavior of FMCG products (with special reference of bathing soap)," International Journal of Management and Commerce Innovations, vol. 2, no. 1, pp. 211-217, 2014.
28. N. Kumar and J. Joseph, "A Study on Consumer Behavior towards FMCG Products among the Rural-Suburban HHS of Ernakulam," Journal of Global Economics, vol. 2, no. 4, pp. 127-136, 2014.
29. R. Kumar, "Impact of Demographic Factors on Consumer Behaviour - A Consumer Behaviour Survey in Himachal Pradesh," Global Journal of Enterprise Information System, vol. 6, no. 2, pp. 35-47, 2014.
30. M. M. Khan and S. Khan, "An Analysis of Consumer Innovativeness and Cognitive Buying Behavior of Young Adults: An Empirical Study on University Students," The Journal of Commerce, vol. 5, no. 4, pp. 11-26, 2013.
31. A. Ali, V. R. R. Thumiki and N. Khan, "Factors Influencing Purchase of FMCG by Rural Consumers in South India: An Empirical Study," International Journal of Business Research and Development, vol. 1, no. 1, pp. 48-57, 2012.
32. M. D. Barcellos, L. K. Aguiar, G. C. Ferreira and L. M. Vieira, "Willingness to try innovative food products: A comparison between British and Brazilian Consumers," Brazilian Administration Review, vol. 6, no. 1, pp. 64-80, 2009.
33. S. Chakrabarti and R. K. Baisya, "The influences of consumer innovativeness and consumer," International Journal of Consumer Studies, vol. 33, no. 1, pp. 706-714, 2009.
34. G. Wang, W. Dou and N. Zhou, "Consumption attitudes and adoption of new consumer products: a contingency approach," European Journal of Marketing, vol. 42, no. 2, pp. 238-254, 2008.
35. S. Yeniyurt and J. D. Townsend, "Does culture explain acceptance of new products in a country?," International Marketing Review, vol. 20, no. 4, pp. 377-396, 2003.

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence the Interval of Difference	
									Lower	Upper
CQ Total	Equal variances assumed	2.954	.086	.717	408	.474	.43061	.60084	-.75052	1.61174
	Equal variances not assumed			.720	401.499	.472	.43061	.59823	-.74544	1.60667

****

Comparative Study of Algorithm For Resource Allocation in Cloud Computing

Neelema Rai (Choukse)* Anju Dave**

Abstract - This paper compares two algorithms of resource allocation, Edge Graph coloring algorithm and HPGAGCP are discussed and compared on the basis of execution time with their other features.

By the comparison of this parameter it has been found that Edge Cover based Graph Coloring algorithm (ECGCA) is well suited for the implementation of cloud resource allocation. The results show that the proposed algorithm has a high performance in time and quality of the solution returned in solving graph coloring instances obtain from DIMACS website.

Keywords -Cloud computing, IaaS, Resource Allocation, Resource Management.

Introduction - Cloud computing is turning to be one of the most expanding technologies in the computing industry in this era. It is a model which provides computing resources as a service to IT users on the basis of their requirements.

Resource allocation for IaaS in cloud computing offers various advantages such as scalability, optimal utility, reduced overheads, quality of service improved throughput, reduced latency, specialized environment, cost effectiveness and simplified interface.

This research work compared the two well know graph coloring algorithms to identified the best suitable algorithm in terms of time complexity and chromatic number. By the comparison of this parameter it has been found that Edge Cover based Graph Coloring Algorithm (ECGCA) is well suited for the implementation of cloud resource allocation. Proposed algorithm is implemented on the base of Edge Cover Based Graph Coloring Algorithm [1] [2].

Base Algoritm ECGCA - There are many algorithms and techniques were proposed and implemented by researchers for resource allocation in cloud ecosystem like Ant Colony Optimization [3], Bee's Algorithm[4], Priority Algorithm [5], Bin-Packing Algorithm[6], Evolutionary Algorithm [7], Dynamic Resource Allocation Scheme[8], Markov Decision Process (MDP) Based Algorithm [9]. Resource allocation is basically an optimization problem, because any cloud service provider wants to provide maximum serviced with minimum resources.

Graph coloring is a well know approach to solve the optimization problem. There are many graph coloring algorithms developed by researchers. These algorithms are used by many real world applications to solve the optimization problem like exam time table scheduling [10], air traffic management [11], assigning frequency to radio stations [12], CPU register allocation [13], sparse matrix computations [14], Micro code optimization [15] etc.

ECGCA Algorithm is implemented in Java(jdk1.8) programming language and tested on Intel Pentium Dual CPU G640 @2.80 GHz Processor with 2.00 GB RAM computer system. All the results base algorithm is also generated on the same platform. Other algorithms experimental results are refered from published articles. Other algorithms results are generated on same of higher configuration system.

DIMACS (Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science) graph banch mark are used for experiment and result generation. DIMACS graph banch mark is a wellknown graph dataset collection and format used and refer by many researchers in their research work.

This research Paper is focused on cloud resource allocation. So here a new dataset forma is defined by incorporating the client request of resources, their service request time (Arrival Time) and resource occupancy duration. Table 1 shows the format of data set used in proposed cloud resource allocation algorithm.

Table1. Cloud Client Request Arrival time and Occupancy Duration

S.	Request	Arrival Time	Occupancy Duration (in Time Cycle)
1	Req 1	3	3
2	Req 2	0	2
3	Req 3	1	4
4	Req 4	4	3
5	Req 5	5	3

Base Algoritm Vs HPGAGCP

Table 2 shows the comparision of execution time of ECGCA and HPGAGCP [2]. Total 15 graph instances are compared.

*Asst. Professor, MKHS Gujarati Girls College, Indore (M.P.) INDIA
** Asst. Professor, MKHS Gujarati Girls College, Indore (M.P.) INDIA

S.	Instance	Base Algorithm (ECGCA) Time (s)	HPGAGCP Time (s)
1	Anna	0.281	0.058
2	David	0.235	0.019
3	fpsol2.i.1	1.954	22.656
4	games120	0.344	0.027
5	Huck	0.218	0.015
6	Jean	0.196	0.015
7	miles1000	1.406	48.559
8	miles250	0.297	0.076
9	myciel3	0.031	0.003
10	myciel4	0.047	0.006
11	myciel5	0.094	0.014
12	queen5_5	0.094	0.031
13	queen6_6	0.171	6.1
14	queen7_7	0.25	6.27
15	queen8_8	0.329	47.482

Table 2: Excution Time (in Seconds) Comparision of Base Algorithm (ECGCA) and HPGAGCP

Figure 1 shows the graphical comparision of execution time of ECGCA (base algorihtm) and HPGAGCP

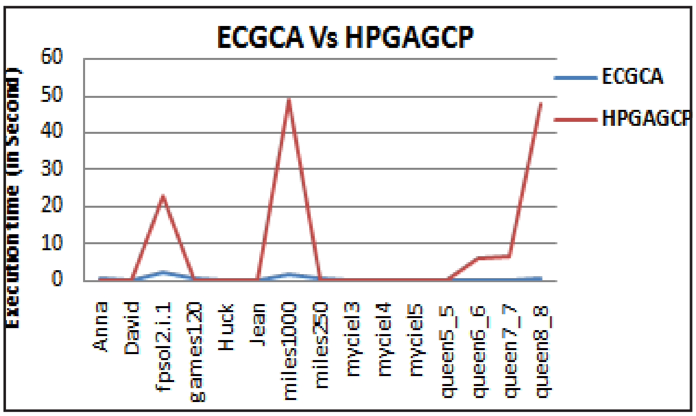

Figure.1: Execution Time Comparison of ECGCA Vs HPGAGCP

Conclusion - This research paper we have tried to find out suitable graph coloring algorithm for implementation and we found ECGCA as a base graph coloring algorithm. Avearge time taken by ECGCA in this experiment is 0.396 second and for the same instances average time taken by HPGAGCP is 8.755 seconds.

It may be possible that for real environment some more algorithms well suited. So one can also search or implement other graph coloring algorithm as a base algorithm for cloud resource allocation.

References :-

1. H. Patidar and P. Chakrabarti, "A novel edge cover based graph coloring algorithm," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 8, no. 5, 2017.
2. H. Patidar, P. Chakrabarti, and A. Ghosh, "Parallel computing aspects in improved edge cover based graph coloring algorithm," Indian Journal of Science and Technology, vol. 10, p. 25, 2017.
3. Mario Ventresca, Beatrice M. Ombuki, "Ant Colony Optimization for Job Scheduling Problem", Technical report at Brock University, 2004.
4. Pradeep. R, Kavinya. R, "Resource Scheduling in Cloud Using Bee Algorithm for Heterogeneous environment", IOSR Journal of Computer Engineering, Volume 2, Issue 4, PP 15-16, 2012.
5. K C Gouda, Radhika T V, Akshatha M, " Priority based resource allocation model for cloud computing", International Journal of Science, Engineering and Technology Research, Volume 2, Issue 1, 2015-2019, January 2013.
6. M.Gokilavani, S.Selvi, C.Udhayakumar, "A Survey on Resource Allocation and Task Scheduling Algorithms in Cloud Environment", International Journal of Engineering and Innovative Technology, Volume 3, Issue 4, 174-179, 2013.
7. Robin Khunger, Pawan Luthra, Bindu Bala,"EA Based Approach for Resource Allocation in Cloud Computing", International Journal of Engineering Development and Research, Volume 5, Issue 2,pp.309-314, 2017.
8. Saraswathi AT, Kalaashri Y.RA, Dr. S. Padmavathi, "Dynamic Resource Allocation Scheme in Cloud Computing", Science Direct-Procedia Computer Science 47, pp. 30 – 36, (2015).
9. Oddi, Guido, Martina Panfili, Antonio Pietrabissa, Letterio Zuccaro, and Vincenzo Suraci. "A resource allocation algorithm of multi-cloud resources based on markov decision process." In *2013 IEEE 5th International Conference on Cloud Computing Technology and Science*, vol. 1, pp. 130-135. IEEE, 2013.
10. Bania, Rubul Kumar, and Pinkey Duarah. "Exam time table scheduling using graph coloring approach." *International Journal of Computer Sciences and Engineering* 6, no. 5 (2018): 84-93.
11. Barnier, Nicolas, and Pascal Brisset. "Graph coloring for air traffic flow management." *Annals of operations research* 130, no. 1-4 (2004): 163-178.
12. Sivarajan, Kumar N., Robert J. McEliece, and John W. Ketchum. "Channel assignment in cellular radio." In *IEEE 39th Vehicular Technology Conference*, pp. 846-850. IEEE, 1989.
13. Chaitin, Gregory J. "Register allocation & spilling via graph coloring." *ACM Sigplan Notices* 17, no. 6 (1982): 98-101.
14. Oliker, Leonid, Xiaoye Li, Parry Husbands, and Rupak Biswas. "Effects of ordering strategies and programming paradigms on sparse matrix computations." Siam Review 44, no. 3 (2002): 373-393.
15. Beaty, Steven J. "Register allocation and assignment in a retargetable microcode compiler using graph coloring." PhD diss., Colorado State University, 1987.

****

निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन (नीमच जिलें के संदर्भ में)

मनीष राठौर* डॉ. रविन्द्र कुमार**

शोध सारांश – प्रस्तुत शोध में नीमच जिले के निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं में शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।शोध के लिये नीमच जिले के निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पॉच विद्यालय से 50-50बालक एवं बालिकाओं (जिसमें 25 बालिकायें एवं 25 बालक) को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रदत्तों के संकलन के लिये शोधार्थी द्वारा शैक्षिक उपलब्धि के लियेबालक एवं बालिकाओं के पूर्व कक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत एवं व्यक्तित्व के लिये माड्स्ले द्वारा प्रमाणित मानक परीक्षण का उपयोग किया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत 90 कथन दिये गये है।जिनमें से प्रतिक्रियाऍं -हॉ या नहीं दी गई है, इनमें से किसी एक पर बालक एवं बालिकाओं को सही का निशान लगाना है। शोध परिणामों से प्राप्त हुआ की नीमच जिले के माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालय के बालकों में शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में सार्थक अंतर पाया गया जबकि इसके विपरीत निजी विद्यालय केबालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व समान पाया गया।

प्रस्तावना – शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का कुल योग है तथा यह मनुष्य की अपनी एक विशेष उपलब्धि है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। हम जन्म लेने के बाद से मृत्यु की अंतिम घडी तक अपनी आत्मिक चेतना तथा अनुभूति क्षमता के फलस्वरुप वातावरण से जो भी सीखते हैं, वही शिक्षा है। शिक्षा हम कही पर भी ग्रहण कर सकते हैं जैसे घर, परिवार, विद्यालय, समाज, इत्यादि। शिक्षा हमें आत्म निर्भर बनाती है। शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए भार नहीं होता है तथा वह अपने कार्यो को सफलतापूर्वक करता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास, क्षमताओं और विभिन्न गुणों का विकास करती है। शिक्षा से ही किसी भी समाज का विकास संभव है।सामान्यत: शिक्षा हम विद्यालय में प्राप्त करने के लिये जाते है।

शैक्षिक उपलब्धि – शैक्षिक उपलब्धि पर शिक्षालय के वातावरण अनुशासन आदि का प्रभाव पड़ता हैं। जिस शिक्षालय में उत्तेजन तथा उत्प्रेरणा का वातावरण होता है, वहाँ के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि अधिक होती है। जिस शिक्षालय में ऐसे वातावरण का अभाव होता हैं, वहाँ के बच्चों में यह उपलब्धि कम होती हैं।

व्यक्तित्व – व्यतिव अंग्रेजी के पर्सनेल्टी शब्द का हिंदी रूपान्तर है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सेना शब्द से हुई, जिसका अर्थ है। पर्सेना शब्द का मतलब नकाब या मुखौटा, और इसका व्यक्ति के व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे व्यक्तित्व केअन्तर्गत व्यक्ति के आन्तरिक स्वरूप को भी शामिल कर लिया गया और अब व्यक्तित्व एक तरह से व्यक्ति के शरीरिक गुणों, मानसिक गुणों और सामाजिक गुणों के योग को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए व्यक्तित्व का अर्थ को हम निश्चित रूप से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि की व्यक्तित्व व्यक्ति के समस्त गुणों, लक्षणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की संगठित इकाई है, और इस की व्याख्या करना सम्भव नहीं है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा अपने-अपने ढंग से दी है, सबका व्यक्तित्व की परिभाषा के प्रति अपना-अपना दृष्टिकोण है।

औचित्य – निजी विद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाली महत्वूर्ण संस्था हैं। विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं के वातावरण एवं शिक्षण में कई असमानताये हैं, जैसे उनका रहन-सहन, पारिवारिक स्थितियॉ एवं विद्यालय परिवेश इत्यादिं संस्था में पढने वाले बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्वमें क्या समानतायें या असमानतायें हैं इस बात को ध्यान में रखते हुये शोधार्थी द्वारा उक्त क्षेत्र में शोध कार्य करने का निर्णय लिया।

समस्या कथन – शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना

उद्देश्य – अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे-

1. निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाऍं – अध्ययन की निम्न परिकल्पनाऍं थी-

1. निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकोंकी शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।
2. निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध प्रविधि

न्यादर्श – प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा न्यादर्श के रूप में

* शोधार्थी, कलिंगा यूनिवर्सिटी, नया रायपुर (छ.ग.) भारत
** एसोसिएट प्रोफेसर, कलिंगा यूनिवर्सिटी, नया रायपुर (छ.ग.) भारत

नीमच जिले के पॉचनिजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कुल 250बालक एवं बालिकाओं का सोद्देश्य न्यादर्श विधि से चयन किया गया।

उपकरण – प्रस्तुत अध्ययन के अंतर्गत शासकीय एवं निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केविद्यार्थियों के व्यक्तित्वसे संबंधित प्रदत्त एकत्रित किये गये। इन प्रदत्तों के संकलन के लिये शोधार्थी द्धारा शैक्षिक उपलब्धि के लिये बालक एवं बालिकाओं के पूर्व कक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत एवं व्यक्तित्व के लिये मॉड्स्ले का व्यक्तित्व परीक्षा प्रामाणिक मापनी का प्रयोग किया गया।

प्रदत्तो का संकलन – शोधार्थी द्धारा प्रदत्तों के संकलन हेतु प्राचार्यो से अनुमति प्राप्त कर निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीमच के 9 वीं कक्षा के बालक एवं बालिकाओं से सोहार्द्रपूर्ण वातावरण में व्यक्तित्व मापनी भरवायी गई।

प्रदत्तो का विश्लेषण – प्रस्तुत अध्ययन में परिकल्पनाओं के परीक्षण हेतु संकलित प्रदत्तो का विश्लेषण **स्वतंत्र t टेस्ट** द्धारा किया गया।

परिणाम एवं विवेचना:

तालिका 1 : निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवंव्यक्तित्व का माध्य फलांकों का सारांश

बालक	N	M	SD	`t' value	df	Level of Sig.
शैक्षिक उपलब्धि	125	54.85	10.89	26.24	248	.05
व्यक्तित्व	125	77.60	8.37			

तालिका 1 से पता चलता है कि नीमच जिले के निजी उच्चतर माध्यमिक विद्याालय के बालकोंके व्यक्तित्व का t का मान 26.24 है, जो df = 248के सार्थकता के स्तर 0.05 पर सार्थक है। अत: शून्य परिकल्पना '**निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।**' निरस्त की जाती है। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्वके माध्य फलांकों में सार्थक अंतर होगा।बालकों की शैक्षिक उपलब्धि का माध्य फलांकों का मान 54.85 है, जो बालकों केव्यक्तित्व के माध्य फलांको के मान 77.60 से सार्थक रूप से कम है। अर्थात् निजी विद्यालय की बालकों का व्यक्तित्व,बालकों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना में अधिक है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि निजी विद्यालय की बालकों केव्यक्तित्व का स्तर उनके शैक्षिक उपलब्धि के स्तर से सार्थक रूप से ज्यादा है।

तालिका 2 : निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का माध्य फलांकों का सारांश

बालिकायें	N	M	SD	`t' value	df	Level of Sig.
शैक्षिक उपलब्धि	125	36.25	6.74	.96	248	NS
व्यक्तित्व	125	3689	6.65			

तालिका 2 से पता चलता है कि नीमच जिले के निजी उच्चतर माध्यमिक विद्याालय के बालिकाओंके व्यक्तित्व का t का मान .96है, जो df = 248 के सार्थकता के किसी भी स्तर पर सार्थक नहीं है। अत: शून्य परिकल्पना '**निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व में कोई सार्थक अंतर नहीं होगा।**'स्वीकृत की जाती है। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व के माध्य फलांकों में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि निजी विद्यालय की बालिकाओं केव्यक्तित्व का स्तर उनके शैक्षिक उपलब्धि के स्तर के बराबर है।

निष्कर्ष – निजीविद्यालय के बालक की शैक्षिक उपलब्धिएवं व्यक्तित्व में सार्थक अंतर पाया गया, जबकि इसके विपरीत बालिकाओंकी शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व का स्तर में कोई भी सार्थक अंतर नहीं पाया गया।निजी विद्यालय निजी व्यक्ति या संस्था द्धारा चलायें जाते है। उनके विद्यालय का वातावरण, अनुशासन एवं अन्य सुविधायें बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक उपलब्धि एवंव्यक्तित्व को ऊॅंचा उठाते है, और बालक एवं बालिकाओं के शैक्षिक स्तर के साथ साथ व्यक्तित्व पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, किन्तु वर्तमान समय में बालकों का ध्यान पढाई की और कम और इन्टरनेट एवं अन्य कार्यो की और अधिक होता है वे माता-पिता के सामने अध्ययन तो जरूर करते हैं पर उनका मन पढाई के अतिरिक्त अन्य कार्यो में ज्यादा हो सकता है, लेकिन पढाई में मन न लगने के कारण उसका प्रभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर दिखाई दे रहा है। जबकि बालिकाओं का ध्यान पढाई के साथ-साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर दिखाई देता है। वे जितनी भी देर तक पढती है पर मन लगाकर पडती है। इसलिये उनकी शैक्षिक उपलब्धि और व्यक्तित्व का स्तर समान रहा। बालकों के माता-पिता को चाहिये किवे समय समय पर अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे सके, इसलिये उनकेव्यक्तित्व के साथ-साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर भी प्रभाव दिखाई दे सकें।

शैक्षिक निहितार्थ

माता-पिता- प्रस्तुत शोध के प्राप्त परिणामों के अध्ययन से बालकों के माता-पिता को चाहिये किवे समय समय पर अपने बच्चों को उचित मार्गदर्शन दे सके, इसलिये उनकेव्यक्तित्व के साथ-साथ उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर भी प्रभाव दिखाई दे सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ओसवाल (2006), जी,:प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान, प्रथम संस्करण, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. अस्थाना, बी0 एस0 एवं अग्रवाल (1994), आर,: मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन, विनोद पुस्तक मंदिर,आगरा।
3. त्यागी (2006) , गुरूसरनदास एवं नंद: उदीयमान भारत में शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
4. शर्मा (2009), उषा: कक्षा 9 वी के बालक एवं बालिकाओं के अध्ययन की आदतोंएवं समायोजन पर ध्यान के प्रभाव का अध्ययन, अप्रकाशित एम0 एड0 लघु शोध प्रबंध, शिक्षा अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर ।
5. कुलश्रेष्ठ(2005),एम.पी.शिक्षा मनोविज्ञान आर.लाल बुक डिपो मेरठ।

****

विद्यार्थी हित में जिला उपभोक्ता फोरम की भूमिका

डॉ. केशव मणि शर्मा *

शोध सारांश –

महाविद्यालय का नाम :–	राजकीय बाबु शोभाराम कला महाविद्यालय,अलवर राजस्थान
छात्र का नाम :–	विनोद कुमार पिता बनवारीलाल जाटव
प्रवेश दिनांक/ कक्षा :–	10 जुलाई 2014 /बी.ए. (प्रथम वर्ष)
फीस भरी :–	10 जुलाई 2014 को रू.1,415/–
फीस में शामिल बीमा राशि :–	रू. 50/–
छात्र की करंट से मृत्यु :–	**13 जुलाई 2014 को**
कॉलेज द्वारा बीमा राशि भिजवाई :–	26 अगस्त, 2014 को
बीमा कम्पनी को राशि प्राप्त :–	05 सितम्बर, 2014 को
क्लेम राशि रू. 1 लाख :–	बीमा कम्पनी एवं प्राचार्य दोनों द्वारा देने से इन्कार
उपभोक्ता न्यायालय का निर्णय :–	प्राचार्य को देना पड़ी बीमा क्लेम राशि रूपये 1 लाख एवं मानसिक वेदना व परिवाद शुल्क रूपये 5,000/–

प्रस्तावना – अलवर (राजस्थान) के जिला उपभोक्ता फोरम में वर्ष 2016 से 2019 तक करीब 6347 मामले मंच के समक्ष आये जिनमें से 6031 मामलों का निपटारा नवम्बर, 2019 तक एवं 6154 का निपटारा दिसम्बर 2019 तक हो चुका है। जिला उपभोक्ता मंच, अलवर द्वारा निम्नानुसार मामलों पर फैसला दिया गया :–

जिला उपभोक्ता फोरम अलवर द्वारा दिए गए फैसलों की संख्या

क्र.	वर्ष	दिए गए फैसलों की संख्या	राज्य में स्थान
1.	2016	1478	द्वितीय
2.	2017	1525	प्रथम
3.	2018	1531	प्रथम
4.	2019 (नवम्बर तक)	1620	प्रथम
	कुल	**6154**	

स्त्रोत :– राजस्थान पत्रिका दैनिक समाचार-पत्र 24.12.2019

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, यदि 5 day week है तो 365 में से 104 दिन शनिवार, रविवार, 10 दिन दशहरा, दीपावली और 41 दिन अन्य अवकाश भी हों तो प्रतिदिन लगभग 7 से 8 फैसले दिए जा रहे हैं जो कि प्रशंसनीय कार्य है। नियमों की बात करें तो 1000 मामलों पर एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मंच होने की बात कही जाती है लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय (अध्यक्ष) की कार्यक्षमता का ही परिणाम है कि वे प्रतिवर्ष औसतन 1500 से अधिक मुकदमों का निपटारा कर रहे हैं।

तालिका से यह भी स्पष्ट है कि अलवर जिले के उपभोक्ता शिक्षित एवं अत्यन्त जागरूक हैं। श्री अशोक पारिक सदस्य जिला उपभोक्ता मंच, अलवर के अनुसार **'अलवर जिले के उपभोक्ता बहुत जागरूक हैं। छोटी सी भी कमी मिलती है तो उपभोक्ता मंच में अपना मामला दायर कर देते हैं। इससे दुकानदारों में डर रहता है।'**

श्री बल्देव राम चौधरी, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, अलवर के अनुसार, **'हमारे मंच ने पिछले 4 वर्षों में लगातार राज्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाया है। उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा किया जाता है।'**

हमारे यहाँ भी महाविद्यालयीन स्तर पर सभी संबंधित वर्ग जागरूक हों इसी के मद्देनज़र यह शोध आलेख प्रस्तुत किया गया है :–

शोध का उद्देश्य – साधारणतया सभी महाविद्यालयों में परिस्थिति अनुसार माह जून, जुलाई एवं अगस्त में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। प्राचार्य महोदय हजारों की संख्या में विद्यार्थियों के होने वाले प्रवेश संबंधी व्यूहरचना में व्यस्त रहते हैं, यहाँ तक कि एक ओर इस काल में उन्हें राजनैतिक दबाव का भी सामना भी करना पड़ता है, अनुशासन व्यवस्था के साथ ही रेगिंग एवं यौन उत्पीड़न संबंधी कोई घटना न हो इस हेतु भी सतर्क रहना पड़ता है। इस हेतु वे योग्य, कुशल एवं विश्वासपात्र प्राध्यापकों की सहायता लेते हैं। दूसरी ओर इन हजारों विद्यार्थियों की समस्त फीस एवं अन्य वित्तीय जवाबदारियों को पूर्ण करने के लिए शुल्क एवं लेखा विभाग अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम करता है फिर भी दुर्घटनावश उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थिति जिसकी उसे कल्पना भी नहीं रहती है, के लिए पूर्णरूप से प्राचार्य को ही जिम्मेदार माना जाता है। यह शोध पत्र ऐसी ही घटना पर आधारित है।

हमारे कॉलेज विद्यार्थियों को भी यह नहीं पता होता है कि, वे अपना अधिकार न्यायालय/फोरम के माध्यम से 90 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास एक साधारण सा मोबाईल नम्बर सी.एम. हेल्पलाईन का 181

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

होता है जिस पर शिकायत दर्ज करवाकर अपने अधिकारों की इतिश्री मान लेते हैं।

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य लोकहित से जुड़ा होकर प्राचार्य एवं उनके अधीनस्थों को अपने दायित्वों का समय पर निर्वाह करने हेतु जागरूक करने के साथ ही विद्यार्थियों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है।

शोध प्रविधि एवं उद्देश्य – प्रस्तुत शोध आलेख गणनात्मक पद्धति पर आधारित नहीं होकर गुणात्मक पद्धति पर आधारित है अर्थात् शोध आलेख में गुणात्मक शोध अभिकल्प का उपयोग किया गया है वर्णानात्मक नहीं। साथ ही शोध वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है शोध में द्वितीयक तथा प्राथमिक समंकों का प्रयोग किया गया है। शोध का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों तथा लोकसेवकों में जागरूकता पैदा करना है।

शोध का क्षेत्र – शोध वैयक्तिक अध्ययन पद्धति पर आधारित होने के कारण इसका क्षेत्र अधिकारी कर्मचारियों को अपने दायित्व तथा विद्यार्थियो को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने से संबंधित है साथ ही अन्य उपभोक्ता भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस शोध का क्षेत्र केवल उपभोक्ता तक ही सीमित है।

शोध पत्र की विस्तृत व्याख्या – मामला राजस्थान के अलवर जिले के राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय का है जहाँ छात्र विनोद कुमार जाटव पिता श्री बनवारीलाल जाटव की मृत्यु करंट लगने से एडमिशन फीस भरने के चौथे दिन ही हो गई। प्राचार्य एवं बीमा कम्पनी द्वारा बीमा प्रीमियम भरने के बावजूद भी बीमा क्लेम नहीं दिया गया फलस्वरूप छात्र के पिता ने वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्राचार्य को रूपया एक लाख पाँच हजार छात्र के पिता का भुगतान करने का आदेश दिया।

बड़ौदामेव निवासी छात्र विनोद कुमार जाटव ने अलवर के राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में 10 जुलाई को B.A. I year में एडमिशन लिया और निर्धारित समस्त फीस रू. 1,415/– दिनांक 10 जुलाई 2014 को ही जमा करा दी। इस फीस रू. 1,415/– में छात्र सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की प्रीमियम राशि रू. 50/– भी सम्मिलित थी जिसके कारण मृत्यु होने पर रूपया एक लाख का बीमा कवर था। इस प्रकार बीमा प्रीमियम राशि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस के साथ 10 जुलाई 2014 को ही प्राप्त कर ली गई थी। परन्तु यह प्रीमियम महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बीमा कम्पनी को 26 अगस्त 2014 को भिजवाई गई जिसकी राशि बीमा कम्पनी के खाते में 5 सितम्बर 2014 को जमा हुई। इसी बीच एडमिशन के चौथे दिन ही छात्र विनोद कुमार की मृत्यु करंट लगने से हो गई।

मृतक छात्र के पिता श्री बनवारीलाल जाटव ने सामाजिक विधि विधान के अनुरूप क्रियाकर्म किया और प्राचार्य महोदय तथा बीमा कम्पनी से उक्त बीमा क्लेम रूपये 1 लाख की माँग की किन्तु दोनों स्थानों से उसे निराशा ही मिली। परेशान होकर श्री बनवारीलाल जाटव को जिला उपभोक्ता फोरम अलवर में वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

बीमा कम्पनी द्वारा तर्क दिया गया कि, यद्यपि बीमा प्रीमियम की राशि का चैक/ड्राफ्ट उसे 26 अगस्त 2014 को प्राप्त हो गया था परन्तु राशि उसके खाते में 5 सितम्बर 2014 को जमा हुई अत: छात्र विनोद कुमार जाटव के बीमे की अवधि 5 सितम्बर 2014 से 4 सितम्बर 2015 तक है। इसलिए वह क्लेम देने में असमर्थ है। राजकीय बाबू शोभाराम महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तर्क दिया गया कि एडमिशन के चलते प्रतिदिन बीमा प्रीमियम बीमा कम्पनी को भेजना संभव नहीं हो सकता। जब एडमिशन पूर्ण हो जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों की सूची सहित बीमा प्रीमियम एकमुश्त बीमा कम्पनी को भिजवा दी जाती है।

जिला उपभोक्ता मंच अलवर द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार मृतक विद्यार्थी उपभोक्ता है और मामले में कॉलेज द्वारा प्रीमियम राशि समय पर बीमा कम्पनी नहीं भेजे जाने के कारण परिवादी मृतक छात्र के पिता को बीमा पॉलिसी में वर्णित क्लेम राशि से वंचित होना पड़ा जो कॉलेज का 'सेवादोष' है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण मंच अलवर ने मामले में सेवादोष पाते हुए राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय अलवर के प्राचार्य को निर्णय दिनांक से 1 माह में परिवादी को क्लेम राशि रूपये 1 लाख तथा परिवादी को हुई मानसिक वेदना एवं परिवाद व्यय के लिए रू. 5,000/– अलग से अदा करने के आदेश दिए।

इस प्रकार कॉलेज में एडमिशन के समय बीमा प्रीमियम राशि प्राप्त कर लेने के बावजूद इस राशि को समय पर बीमा कम्पनी को नहीं भिजवाना कॉलेज प्रशासन को महंगा पड़ गया।

समस्या एवं सुझाव :

समस्या – जिला उपभोक्ता मंच अलवर में इतनी द्रुतगति से फैसलों के बावजूद भी वर्तमान में लगभग 5181* मामले लंबित हैं। यहाँ तक कि उपभोक्ता मंच में वर्षो से 'स्टेनो' का पद रिक्त है। कार्य करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को कॉन्ट्रेक्ट पर लगाया गया है। अधिकतर फैसले हाथ से ही लिखना पड़ रहे हैं।

सुझाव –काम अधिक होने के कारण कम से कम 2 स्टेनो की एवं एक और मंच/फोरम की आवश्यकता जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष द्वारा बताई गई है।

समस्या – हमारे यहाँ भी स्कूलों एवं कॉलेजों में जब विद्यार्थी फीस भरता है तो उसे रसीद तो सम्पूर्ण राशि की दी जाती है परन्तु रसीद में विभिन्न शुल्कों का विवरण यथा विद्यार्थी सुरक्षा बीमा, प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण, पुस्तकालय, वाचनालय इत्यादि विवरण नहीं दर्शाया जाता जिसे विद्यार्थी अपने अधिकारों को पहचान ही नहीं पाता है तो जागरूक कहाँ से होगा?

सुझाव – विद्यार्थी को दी गई प्रत्येक रसीद में मदों का सम्पूर्ण विवरण अंकित होना चाहिए।

समस्या – वाकया वर्ष 2018 का उन्हेल जिला उज्जैन में खुले नये शासकीय महाविद्यालय का है जहाँ एक छात्रा ने एडमिशन लिया, फीस भरी और उसकी एक माह बाद मृत्यु हो गई। अशिक्षित भाई ने दुर्घटना बीमा क्लेम के लिए तत्कालीन प्राचार्य डॉ. बी.एल. पाण्डेय जिन्हें शासन द्वारा 2 माह के लिए डिप्लायमेंट पर भेजा गया था से सम्पर्क किया उन्होंने बताया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय उज्जैन हैं, वे ही बता सकते हैं। क्लेम नहीं मिलने पर पीड़ित पक्षकार द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन नम्बर 181 पर भी शिकायत की गई परन्तु क्लेम नहीं मिल पाया। प्राचार्य डॉ. बी.एल. पाण्डेय द्वारा बताया गया कि मृत्यु बीमारी से हुई है इसलिए छात्रा के परिजन बीमा क्लेम के पात्र नहीं हैं।

सुझाव – विद्यार्थियों को उनसे संबंधित समस्त योजनाओं के लाभ एवं प्रक्रिया समझाई जानी चाहिए।

समस्या – एडमिशन के समय प्राप्त बीमा प्रीमियम राशि को प्रतिदिन बीमा कंपनी को भिजवाना अव्यावहारिक ही नहीं बल्कि असंभव भी है, जबकि दुर्घटना कभी भी घट सकती है अर्थात् विद्यार्थी महाविद्यालय में बीमा प्रीमियम राशि जमा करके वापस घर लौट रहा है तब भी दुर्घटना घटित हो सकती है।

सुझाव – ऐसी अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए प्राचार्यों द्वारा विद्यार्थियों

को बीमा प्रीमियम ऑनलाईन भुगतान करने हेतु बीमाकर्ता कंपनी का खाता नंबर एवं आईएफएससी कोड दिया जाना चाहिए तथा फीस में शामिल बीमा प्रीमियम ऑनलाईन भुगतान की रसीद एडमिशन के समय आवेदन के साथ प्राप्त की जाना चाहिए। इससे एक ओर प्राचार्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए मानसिक तनाव से मुक्त रहेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक विद्यार्थी को भी यह पता चल सकेगा कि उसका दुर्घटना बीमा भी 12 माह के लिए रसीद में दर्शाई गई भुगतान तिथि से हो गया है।

निष्कर्ष – शोध में शोधकर्ता द्वारा उज्जैन संभाग के विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तार महाविद्यालयों के प्राचार्यो से दूरभाष पर सम्पर्क किया तो उनमें से कुछ ने बताया कि, यह लेखा विभाग का काम है, कुछ ने बताया कि, रसीद में मदों का उल्लेख नहीं रहता है और मदों का उल्लेख किया जाना प्रायोगिक रूप से संभव भी नहीं है क्योंकि मदें बहुत रहती हैं, साथ ही वे सभी बीमा प्रीमियम का चैक/ड्राफ्ट सभी विद्यार्थियों का एडमिशन होने के बाद ही बीमा कम्पनी को भिजवाते हैं। आवश्यकता इस बात की प्रतीत हुई कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली रसीद में मदों का उल्लेख नहीं होना, प्राचार्यो द्वारा अपने दायित्वों को लेकर लेखा विभाग पर आश्रित रहना, विद्यार्थी जागरूकता हेतु कोई प्रयास नहीं करना, समय पर बीमा प्रीमियम कम्पनी को नहीं भिजवाना प्राचार्य एवं प्रशासन की उदासीनता ही दर्शाता है। इसमें कठोर नियंत्रण की आवश्यकता है एवं उक्त सभी बिन्दुओं पर सार्थक प्रयास विद्यार्थी हित में किए जाना बहुत जरूरी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. राजस्थान पत्रिका–दैनिक समाचार पत्र अलवर संस्करण दिनांक 24.12.2014
2. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 25.12.2014
3. www.rajasthan.gov.in – GOVERNMENT BABU SHOBHARAM ARTS COLLEGE,ALWAR
4. www.rajshala.com क्या है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना March 22, 2020.
5. बांगिया आर.के. – Law of Torts Part-II Page No. 487 प्रकाशन इलाहाबाद लॉ एजेन्सी फरीदाबाद (हरियाणा)
6 चरटि वि.शं – मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण निर्णय दि लायर्स होम इन्दौर झरसश 328

****

प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण एवं संवर्धन

डॉ. मोहन निमोले* डॉ. प्रमीला बघेल **

प्रस्तावना – मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। आदिम-मानव अपने पर्यावरण से प्राप्त वनस्पतियों एवं पशुओं पर निर्भर था। उस समय जनसंख्या घनत्व कम था, मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित थीं तथा प्रौद्योगिकी का स्तर नीचे था। अत: उस समय संरक्षण की समस्या नहीं थी। कालान्तर में मनुष्य ने संसाधनों के दोहन की प्रौद्योगिकी में विकास किया। वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास द्वारा मनुष्य जीविकोपार्जी संसाधनों के अतिरिक्त, उत्पादन के संसाधनों का भी दोहन करने लगा। आज आधुनिक तकनीकी की सहायता से संसाधनों का दोहन और भी बड़े पैमाने पर होने लगा है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बढ़ रही है साथ ही प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा इन्हें उपभोग करने की मनुष्य की क्षमता भी बढ़ी है अत: इस होड़ ने यह आशंका उत्पन्न कर दी है कि कहीं ये संसाधन शीघ्र समाप्त न हो जाएँ और पूरी मानवता के जीवन पर ही प्रश्नचिन्ह न लग जाए।

संरक्षण से तात्पर्य – प्राकृतिक संपदाओं का योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो उनसे अधिक दिनों तक लाभ उठाया जा सकता है, वे भविष्य के लिये संरक्षित रह सकते हैं। संपदाओं या संसाधनों का योजनाबद्ध समुचित और विवेकपूर्ण उपयोग ही उनका संरक्षण है। संरक्षण का यह अर्थ कदापि नहीं : कि प्राकृतिक साधनों का प्रयोग न कर उनकी रक्षा की जाए या उनके उपयोग में कंजूसी की जाए या उनकी आवश्यक बावजूद उन्हें बचाकर भविष्य के लिये रखा जाए। संरक्षण से हमारा तात्पर्य है कि संसाधनों या संपदाओं का अधिक समय तक अधिक मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक उपयोग कर सकते है।

संरक्षण की आवश्यकता – मानव विभिन्न प्राकृतिक साधनों का उपयोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये करता आ रहा है। खाद्यान्नों और अन्य कच्चे पदार्थों की पूर्ति के लिये उसने भूमि को जोता है, सिंचाई और शक्ति के विकास के लिये उसने वन्य पदार्थों एवं खनिजों का शोषण और उपयोग किया है। पिछली दो शताब्दियों में जनसंख्या तथा औद्योगिक उत्पादनों की वृद्धि तीव्र गति से हुई है। विश्व की जनसंख्या आज से दो सौ वर्ष पूर्व जहाँ पौने दो अरब थी वहाँ सवा पाँच अरब पहुंच चुकी है। हमारे भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन साधन, विभिन्न प्रकार के यंत्र, औद्योगिक कच्चे माल आदि की खपत कई गुना बढ़ गई है और इस कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से गलत व विनाशकारी ढंग से शोषण करते जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, पिछली दो शताब्दियों में करोड़ों हेक्टेयर भूमि से प्राकृतिक वनस्पतियों वन आदि को साफ किया गया, जिससे मिट्टी का कटाव बढ गया है। भूमि के गलत उपयोग से उसकी उत्पादन क्षमता घट गयी। विभिन्न खनिज पदार्थों की संचित राशि लगभग समाप्त हो गयी है। प्रकृति की मुफ्त देन जीव जंतुओं का भी हमने सफाया कर दिया। तात्पर्य यह है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा है। यदि प्राकृति में यह असंतुलन बढ गया तो मानव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अत: मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिये प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यावश्यक हो चला है।

संसाधनों के संरक्षण के उपाय – प्राकृतिक संपदा हमारी पूँजी है, जिसका लाभकारी कार्यों में सुनियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए। इसके लिये पहले हमें किसी देश या प्रदेश के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संसाधन परस्परावलम्बी तथा परस्पर प्रभावोत्पादक होते हैं अत: एक का ह्रास हो या नाश हो तो उसका कुप्रभाव पूरे आर्थिक चक्र पर पड़ता है। हमें इनका उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, जो संसाधन या प्राकृतिक संपदा सीमित है उसे अंधाधुंध समाप्त करना अदूरदर्शिता है। सीमित परिभाग वाली संपदा जैसे कोयला, पेट्रोलियम के विकल्प की खोज करते रहना श्रेयस्कर है। संसाधनों के संरक्षण के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर पूर्ण सहयोग मिलना आवश्यक है।

मृदा संरक्षण – मृदा पेड़-पौधो का उगने का माध्यम है, जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों का जीवन आधार है। फसलें, घास, फल-फूल, सब्जियाँ, वृक्ष आदि सभी मृदा में उगते हैं। मृदा एक नवीकरण योग्य संसाधन है परन्तु अपरदन आदि कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे मृदा संरक्षण आवश्यक हो जाता है। मृदा को बहुत बड़ी हानि अपरदन से होती है। मृदा अपरदन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक कारणों से होता है। सास्कृतिक कारकों में वनों का अत्यधिक दोहन, धरातल पर वनस्पतियों का विनाश, अति पशु चारण एवं अवैज्ञानिक कृषि पद्धति आदि मुख्य हैं। मृदा संरक्षण के उपाय स्थानीय कारकों के आधार पर किये जाते हैं पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करना, वनो का रोपण, अवनालिकाओं को पत्थरों से बंद करना तथा अवनालिकाओं के शीर्ष को और बढ़ने से रोकना आदि मृदा संरक्षण के उपाय के रूप में अपनाए जाते हैं।

शुष्क एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन वायु द्वारा होता है। वृक्षों तथा वनस्पतियों के विनाश से वायु वेग की तीव्रता में अवरोध नहीं होता अत: अपरदन को रोकने के लिये वृक्षों का लगाना एक प्रभावशाली उपाय है। थोड़ी-थोड़ी दूर पर वृक्षों की कतारें लगाकर शैल्टरबेल्ट बनाई जा सकती है। फसल कटने के बाद खेत खाली हो जाते हैं, उन पर भी वायु वेग से मृदा अपरदन होता है अत: इससे बचने के लिये फसल का 30-35 से.मी. तक डंठल छोड़कर काटना चाहिए जिससे धरातल पर वायु वेग का प्रभाव न पड़े।

* सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (भूगोल) शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

मरुस्थलीय क्षेत्रों में अति पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मैदानी भागों में मृदा अपरदन की गम्भीर समस्या चिकनी मिट्टी के क्षेत्रों में अवनालिकाओं के कारण होती है। इन क्षेत्रों में खेतों में मेड़ बनाकर, अति पशुचारण पर रोक लगाकर वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाकर, तथा हरी एवं गोबर की खाद का प्रयोग कर तथा नालों के पानी के प्रवाह पर नियंत्रण द्वारा मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। मृदा का सबसे महत्तवपूर्ण गुण इसकी उर्वरता है। इसका संरक्षण आवश्यक है। उर्वरता में ह्रास से उत्पादकता कम हो जाती है। हरी तथा गोबर की खाद मिलाकर, रासायनिक उर्वरकों तथा जिप्स के प्रयोग, फसल चक्र अपनाकर तथा परती छोड़कर, मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से मृदा का नवीकरण भी होता रहता है।

वनस्पति का संरक्षण – वनस्पति का उपयोग दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद वनों का बड़े पैमाने पर ह्रास हुआ है। भारत के कई भागों में ईंधन और काष्ठ कोयला के लिये अंधाधुंध लकड़ी की कटाई हुई और ऐसे क्षेत्रों में झाड़ियाँ उग आईं। प्राचीन वन भूमियाँ आज कृषि क्षेत्र में बदल गयी हैं। भारत के प्राचीन वन को आग लगाकर नष्ट किया जा चुका है। इसके परिणाम है कि कटाव, अधिक अपवाह और बाढ़ आदि से भी वनों को क्षति पहुँचती है। इन क्षतियों से बचने के लिये वन संरक्षण अनिवार्य है। वनों से प्राप्त होने वाले गौण पदार्थों की मांग भी निरंतर बढ़ती जा रही है अत: वनों के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है।

वन संरक्षण के लिये इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

1. जिन क्षेत्रों में वृक्ष काट डाले गए हैं, वहाँ वृक्षारोपण किया जाए। वृक्षारोपण से न केवल वन संपदा की वृद्धि होगी बल्कि मिट्टी का कटाव कम होगा, अपवाह घटेगा और भूमि जल की आपूर्ति में वृद्धि होगी।
2. वनों से केवल परिपक्व वृक्ष ही काटे जाएँ। इससे विकासशील वृक्षों को बढ़ने का अवसर मिलेगा।
3. वन प्रदेश में कटाई के लिये फसल चक्र पद्धति अपनायी जाए तो क्रम से वन विकसित होगा और नियमित लाभ होता रहेगा।
4. वन क्षेत्र का विस्तार किया जाए अर्थात नये वन लगाए जाएँ।
5. वनों की देखभाल ठीक से की जाए। आग प्रसार रोकने के समुचित प्रबंध किए जाएँ। उन पर दीमक तथा अन्य कीटाणुओं और बीमारियों से बचाव के लिये वायुयान द्वारा दवा छिड़काव कराया जाए।
6. वन संरक्षण के लिये सरकार द्वारा एक कठोर नियंत्रण नीति लागू की जाए।

जीव-जन्तुओं का संरक्षण – जीवन की विविधता बनाए रखने में वन्य प्राणियों का बहुत योगदान है। रंग-बिरंगी चिड़ियाँ, जानवर एवं अन्य जीव जंतु वनों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिये आवश्यक हैं। वन के ह्रास के साथ-साथ वन्य प्राणियों की संख्या में भी कमी आयी है। इनकी जातियाँ समाप्त न हो जाएँ इसलिये संरक्षण आवश्यक है। भविष्य के लिये जीव जंतुओं को सुरक्षित रखने में ये उपाय कारगर सिद्ध हुए हैं :-

1. विश्व के विभिन्न भागों में जीवों को शरण देने के लिये स्थान स्थापित करना। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गयी है। इन उद्यानों और अभ्यारण्यों में वन्य जीव-जंतुओं को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है तथा यहाँ इनके शिकार पर प्रतिबंध है।
2. पालतू पशुओं की उचित देखभाल ताकि उनकी नस्ल न बिगड़े तथा उनसे अधिक मात्रा में उत्पादन मिल सके।
3. चारे की फसलें उगाना, चरागाहों में उर्वरकों का प्रयोग करना, पशुओं का चयन और नस्ल सुधार करना ताकि पशुओं के संरक्षण के साथ-साथ अधिक उत्पादन मिल सके।

खनिज संपदा का संरक्षण – खनिजों का निरंतर खनन करते रहने पर कुछ वर्षों बाद उनकी समाप्ति हो जाती है। खनिजों का संरक्षण अति आवश्यक है। विश्व में खनिजों का असमान वितरण मिलता है और उसकी मात्रा सीमित है। अत: उनके संचित भंडार के संरक्षण की और भी अधिक आवश्यकता है। खनिजों का संरक्षण इन विधियों से किया जा सकता है।

1. धात्विक खनिजों को खोदकर निकालने और माल तैयार करने में होने वाली बर्बादी को रोकना या कम करना।
2. विरल या कम प्राप्त खनिजों के लिये विकल्पों की खोज तथा प्रति स्थापन, जैसे धातुओं के स्थान पर प्लास्टिक, टीन की जगह अल्यूमिनियम का उपयोग आदि।
3. सभी खनिजों का बार-बार उपयोग संभव नहीं है फिर भी कुछ खनिजों के स्क्रैप-जैसे रद्दी माल को प्रयोग में लाना भी संरक्षण की एक महत्तवपूर्ण विधि है।
4. नए खनिज क्षेत्रों और नए खनिजों की खोज करते रहना।

जल संरक्षण – जल का उपयोग कृषि, उद्योगों, यातायात, ऊर्जा तथा घरेलू उपयोग के संसाधन के रूप में किया जाता है। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल एक चक्रीय संसाधन है, जिसको वैज्ञानिक ढंग से साफ कर पुन: प्रयोग में लाया जा सकता है। पृथ्वी पर जल वर्षा और बर्फ से उपलब्ध होता है। यदि जल का युक्तिसंगत उपयोग किया जाए तो वह हमारे लिये कभी कम नहीं पड़ेगा। परन्तु संसार के कुछ भागों में जल की बहुत कमी है। जल का प्राकृतिक स्रोत वर्षा, बर्फ तथा भूमि जल है। वर्षा का जल प्रवाहित होकर नदियों एवं नालों में पहुँचता है। इसके उपयोग के लिये जल को बाँध बनाकर रोका जा सकता है। जल का अधिकतम उपयोग कृषि में सिंचाई के लिये किया जाता है यदि सिंचाई में प्रयोग होने वाले जल की बचत सम्भव हो सके तो यह बड़ी मात्रा में अन्य कार्यों के लिये भी उपलब्ध हो सकता है। नहरों को पक्का करके अवस्रवण से होने वाली हानियों को रोका जा सकता है। स्प्रिंकलर प्रभावी सिंचाई का माध्यम है इससे पानी की बचत होती है तथा ऊँची नीची भूमि पर भी सिंचाई की जा सकती है। यद्यपि इसमें पूँजी अधिक लगती है परन्तु वाष्पीकरण तथा निस्रवण द्वारा होने वाली पानी की हानियों को रोका जा सकता है। टिंकिल सिंचाई की विधि से जल भूमि के भीतर छेददार नलिकाओं द्वारा पौधों की जड़ों में डाला जाता है इससे वाष्पीकरण से होने वाली हानियों को रोका जा सकता है। उद्योगों में पानी की भारी मांग होती है। इसे कम करने से दो लाभ होंगे। प्रथम इससे उद्योग के अन्य खण्डों की पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। द्वितीय, इन उद्योगों द्वारा नदियों एवं नालों में छोड़े गए दूषित जल की मात्रा कम हो जाएगी। अधिकांश उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन के लिये होता है इस कार्य के लिये यह आवश्यक नहीं कि स्वच्छ और शुद्ध जल का प्रयोग किया जाए। इस कार्य के लिये पुनर्शोधिक जल का उपयोग किया जा सकता है। इसी पानी को बार-बार प्रयोग करके स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित किया जा सकता। जल की घरेलू मांग को भी संरक्षण की विधियों द्वारा कम किया जा सकता है।

वायु संरक्षण – वायु प्राण का आधार है अत: वायु की शुद्धता पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर होता है। वायु में कुछ तो नैसर्गिक अशुद्धताएँ होती हैं परन्तु अधिकांश मनुष्य द्धारा उत्पन्न की गयी हैं। पवन वेग से उठी हुई आंधियाँ धूलकण वायु में मिलाती हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गारों से निकली राख भी वायु को प्रदूषित करती है। परन्तु मनुष्य द्धारा उत्पन्न किया गया प्रदूषण बड़े पैमाने पर हो रहा है और वह अधिक घातक है। खनिज तेल, मशीनों और मोटरगाड़ियों में जलकर सल्फर तथा नाइट्रोजन आक्साइड उत्पन्न करता है। धात्विक अयस्क के प्रगलन के लिये कोयला जलाया जाता है, जिसका धुआँ आकाश पर छाया रहता है फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ, रेडियोधर्मी पदार्थो (परमाणु कचरे) से निकलने वाला विकिरण आदि सभी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं अत: वायु का संरक्षण आवश्यक है। वायु की शुद्धता को दो प्रकार से बनाए रखा जा सकता है। प्रथम तकनीकी निरीक्षण द्धारा तथा द्धितीय भारी कर लगाकर। इसके लिये मोटरगाड़ियों, चिमनियों में ऐसी जाली लगाना आवश्यक है ताकि वायु में हानिकारक तत्व न पहुँचें। चिमनियों की ऊँचाई अधिक रखी जाए। अधिक वृक्षारोपण तथा मानव अधिवासों के पास हरित क्षेत्र बनाकर वायु के प्रदूषण को कम किया जा सकता है क्योकि वायु प्राण का आधार है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मिट्टी और वनों के ह्रास, जीव जंतुओं के संहार, खनिजों के अत्यधिक खनन, धुआँ से और जहरीले औद्योगिक प्रदूषणों से भरे महानगरीय वातावरण तथा जल एवं वायु के प्रदूषण से मानव वंश की नौका डगमगा रही है, उसकी शांति और समृद्धि खतरे में है। यदि विज्ञान और तकनीकी विकास में ही मानव विकास है तो उनका उपयोग नियोजनात्मक विधि से हो। हमें विश्व स्तर पर और प्रत्येक समाज के स्तर पर इस ह्रास और प्रदूषण की ओर ध्यान देकर संहारक स्थिति को रोकना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पर्यावरण अध्ययन – डॉ. राजकुमार गुर्जर, डॉ. बी.सी. जाट
2. प्राकृतिक संसाधानों का संपोषित प्रबंधान
3. प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संभाग, कृषि अनुसंधान भवन–II, नई दिल्ली

****

विपश्यना द्वारा सम्पूर्ण स्वास्थ्य एवं मनोचिकित्सा

डॉ. कपिलबाला पांचाल*

प्रस्तावना - महान बौद्ध संत दलाई लाम के अनुसार - ध्यान चेतना की प्राकृतिक स्थिति है, जिसका लक्ष्य मन को शांत करना है और मानसिक शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से खुशहाल जीवन जीने के लिए विपश्यना ध्यान अपने आप में एक परिपूर्ण पद्धति है। ध्यान स्वयं में एक विज्ञान है यह कोई धर्म नहीं है हालांकि यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यदूदी धर्म इस्लाम आदि सभी धर्मो में प्रचलित रहा है।

विपश्यना ध्यान का इतिहास - यह कई शताब्दियों पुराना है कोई अधिक लिखित प्रमाण मौजूद नही हाने से लगभग इसका उद्गम 5000 वर्ष पूर्व माना गया है 500 से 600 ईसा पूर्व के बीच इसे ताओवाद चीन और बौद्ध भारत में विकसित किया गया था। कुछ सौ सालों बाद ध्यान और आध्यात्म के बारे में भगवद् गीता में भी लिखा गया।

20 ईसा पूर्व में मेडिटेशन पश्चिम में आया जब अलेक्जेड्रिया के फिलो ने आध्यात्मिक अभ्यासों के बारे में लिखा जिसमें मन की एकाग्रता की जाती थी जैसे-जैसे पूर्व में बौद्ध धर्म बढ़ता गया वैसे-वैसे जापान में मेडिटेशन का प्रभाव भी बढ़ता गया। 8वीं सदी में जापानी बौद्ध भिक्षु डोशो ने देश का पहला मेडिटेशन हॉल खोला था। 1227 में जापानी पुजारी क्षेगेन ने इसके लिए निर्देश लिये वे Zazen जो कि जैन बौद्ध धर्म में प्रचलित बैठे ध्यान का एक रूप है।

बीसवीं शताब्दी के मध्य तक ध्यान पूरे पश्चिम में व्याप्त था और प्रोफेसरों तथा शोधकर्ताओं ने इसके प्रभावों और लाभों का अध्ययन करने की शुरूआत कर दी थी। विपश्यना एक बौद्ध ध्यान तकनीक है, इस परम्परा के पाठ्यक्रम लगभग 94 देशों में पढ़ाए जा रहे है। जिनमें भारत के 78 केन्द्रों के साथ-साथ कनाड़ा, मलेशिया, पोलेंड, नेपाल, सिंगापुर, थाइलैंड, ब्रिटेन आदि कई देश भाग लेते है।[1]

विपश्यना का महत्व - इसमें शारीरिक संवेदनाओं और मन से उनके संबंधों को केन्द्रित किया जाता है, इसके द्वारा मानसिक अशुद्धियों को दूर करके एक संतुलित और करूणामय जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध शिक्षाओं में इसका उपयोग वर्तमान मनोविज्ञान के संज्ञान से संबंधित किया गया है; एक ऐसा आत्मज्ञान जो हर प्रकार की पीड़ा से मुति दिलाने में मददगार है। ध्यान के संदर्भ में इसमें आपके ध्यान को उस क्षण में क्या हो रहा है, भविष्य के, या अतीत की चिंताओं को दूर करने का यह एक आवश्यक कौशल है जिसे हर व्यक्ति को विकसित करना परमोद्देश्य होना चाहिए।

मेटा मेडिटेशन पालि शब्द है जो मनोवैज्ञानिक विकारों - अवसाद (Dipression), चिंता (Anxiety), पुराना दर्द, दुर्घटना पश्चात् प्रतिबल विकार (Post traumatic stress disorders) को ठीक करने में मदद करता है इसमें व्यक्ति की सकारात्मक भावनाओं में सुधार होता है और यह अच्छी अनुभूतियों को बढ़ावा देता है पहले स्वयं के लिए और उत्तरोत्तर बाहर की दुनिया व प्राणियों के लिए। विपश्यना ध्यान के कई चरण हैं और यह एक बहुत विस्तृत ज्ञान है इसे कहीं भी बैठकर, लेटकर या चलते समय भी किया जा सकता है।

विपश्यना ध्यान सन्यास का रूप नहीं है - सभी धर्मो में मानव कल्याण के लिए शिक्षाएँ दी गई है यह पृथक है कि कोई व्यक्ति उसे किस दृष्टिकोण से संज्ञान करके धारण करता है।

बुद्ध ने कहा है कि 'आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुँचा सकता जितना कि आपके अपने विचार (यदि वे नकारात्मक हों) पहुँचाते है।'[2]

विपश्यना क्या नहीं है :

1. विपश्यना अंध श्रद्धा पर आधारित कर्मकांड नहीं है।
2. यह साधना बौद्धिक मनोरंजन अथवा दार्शनिक वाद विवाद के लिए नहीं है।
3. यह छुट्टी मनाने के लिए अथवा सामाजिक आदान-प्रदान के लिए नहीं है।
4. यह रोजमर्रा के जीवन के तनाव से पलायन की साधना नहीं है।

विपश्यना क्या है:

1. यह दु:खमुक्ति की साधना है।
2. यह मन को निर्मल करने की ऐसी विधि है जिससे साधक जीवन के चढ़ाव उतारो का सामना शांतिपूर्वक एवं संतुलित रहकर कर सकता है।
3. यह जीवन जीने की कला है जिससे की साधक एक स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक हो सकता है।

संबंधित साहित्य की समीक्षा - ध्यान मस्तिष्क के लिए एक पोषक तत्व की तरह कार्य करता है और उसे बेहतर से और अधिक बेहतर बनाता है। यह स्मृति और संवेदनाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है इस बारे में अनेक अध्ययन हो चुके है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है-

- 2002 में खुराना एवं धर के द्वारा की गई शोध के आधार पर कहा गया कि मध्यम से कुछ अधिक गंभीर न्यूरोटिक केसों जैसे-तनाव (Anxiety), अवसाद (Dipression) व समायोजन संबंधी समस्याओं (Adjustment problems) में पूरी तरह सुधार (Recovery) पाया गया।
- 2003 में काले एवं श्रीवास्तव ने कर्मचारियों की आध्यात्मिकता (Spiritality) पर कई शोध किए व उनमें मेडिटेशन के परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम देखे गए तथा कार्यस्थल पर शोध-समूह के अच्छे

* सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान) विजयराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोरार, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

गुणवत्तापूर्ण सुधार पाए गए।

- 2010 में अठिया एवं नागेन्द्र द्वारा किए गए शोधों से पता चला कि योगमय जीवन लोगों की भावनात्मक बुद्धि को बढ़ाता है जिससे उनकी कार्यशीलता बढ़ती है। सफलता सभी कर्मचारियों को सही ढंग से योग की शिक्षा देने पर निर्भर करती है।[5]
- 2012 में अमीशी झा ने जो कि एक संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंटिस्ट (Cognitive Neuroscientist) थे उन्होंने अपने आठ सप्ताह के अध्ययन के दौरान 48 में से 31 प्रतिभागियों को सप्ताह में दो घण्टे ध्यान का प्रशिक्षण दिया उन सभी को हर दिन 30 मिनट ध्यान करना या इससे उनकी याददाश्न में सुधार हुआ साथ ही उन प्रतिभागियों का तनाव भी कम हो गया और वे सकारात्मक मनोदशा की अनुभूति कर रहे थे।[3]
- 2013 में रोशनी सच्चर ने हाल ही में अपने शोध में पाया कि ध्यान के तहत अभ्यास करने वाले देश भारत, अमेरिका और दूसरे देशों में बेहतर कुशल हैं। इस बौद्धिक प्रक्रिया का अध्ययन सकारात्मक मनोविज्ञान को एक सराहनीय योगदान है।[6]

निष्कर्ष – आज का आधुनिक मनोविज्ञान इस बात को स्वीकार कर रहा है कि बौद्ध दर्शन में जो तत्व है वे आधुनिक चिकित्सा के बहुत करीब हैं। देश विदेश में किए गए कई शोधों के तथ्यों से स्पष्ट है कि चित्त, मन और मनोविज्ञान समानार्थक हैं तथा मनोचिकित्सा में इनसे पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जा रहा है, बाल्टीमोर के जौन्स हॉपकिंग विश्वविद्यालय मेरीलैंड के शोधकर्ताओं ने लगभग 19000 ध्यान अध्ययनों की जांच की ओर पाया कि ध्यानपूर्ण ध्यान चिंता (Anxiety) और अवसाद (Depression) के लक्षणों को 8 सप्ताह में कम कर सकता है। ध्यान के माध्यम से इन विचारों को एक अलग तरीके से अनुभव करने के लिए खुद को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह एक बहुत विस्तृत विज्ञान है।

References :-

1. https ://www.siddhiyoga.com/hi/meditation/amp
2. webiography : https://www.dhamma.org/hi/about/code
3. khurana A. & dhar P.L. 2002, "Effect of vipassana meditation on quality of life, subjective well being and crimine propensity among immates of Tihar Jail. Indian Inst. of Technology, Delhi, Vipassrana Research Institute.
4. Kale S.H. & Shrivastava S. 2003. The Enneagram system for Enhancing workplace spirituality, journal at managements development 22 (4) 308-328.
5. Adhia H. Nagendra H.N. Mahadevan B. "Impact of adoption of yoga way of life on the emotional intelligence of managers" IIM management review (2010) 22, 32-41.
6. Sachhar R. 2013, "Impact at a Buddhist practice an Psychological well being and related factors of positive Psychology: A Transnational comparison, unpublished thesis.

****

A Study on Cyber Crimes and Cyber Laws of India : A Critical View

Dr. Sarita Dehariya Mehra*

Abstract - Today, Cybercrime has caused lot of damages to individuals, organizations and even the Government. Cybercrime detection methods and classification methods have came up with varying levels of success for preventing and protecting data from such attacks. Several laws and methods have been introduced in order to prevent cybercrime and the penalties are laid down to the criminals. However, the study shows that there are many countries facing this problem even today and United States of America is leading with maximum damage due to the cybercrimes over the years. According to the recent survey carried out it was noticed that year 2013 saw the monetary damage of nearly 781.84 million U.S. dollars. This paper describes about the common areas where cybercrime usually occurs and the different types of cybercrimes that are committed today. The paper also shows the studies made on e - mail related crimes as email is the most common medium through which the cybercrimes n occur. In addition, some of the case studies related to cybercrimes are also laid down.
Keywords - financial crimes, cyber stalking, telecommunication frauds, e-mail related crimes, cyber criminals, email spoofing, email bombing.

Introduction - We read about it in newspapers very often. Let's look at the dictionary defination of cyber crime "It is a criminal activity committed on the internet. This is a broad term that describes everything from electronic cracking to denial of service attacks that cause electronic commerce sites to loss money." The rapid growth of the Internet and computer technology over the past few years has led to the growth in new forms of crime dubbed cyber crime throughout the world.

Crime activities talking place in computers and computer networks, knowingly or intentionally accesses an without permission alters, damages, deletes, destroys or otherwise uses any data, computer data base, computer system and computer network in order to devise or execute any unlawful scheme or wrongful control or obtain money, property or data are commonly known as Cyber offence. Cyber crime is illegal or illicit computer mediated activities which can be conducted through global electronic networks. The global connectivity of internet makes it much easier for criminal to act beyond national boundaries to conduct their illegal arms trafficking and like. Theft of memory and processors chips from computer has become wide spread other cyber crimes are infringement of privacy, identity, theft etc.

OBJECTIVES OF STUDY

1. To spread knowledge on the crimes/criminal activities like unauthorized access to others networks, scams, etc., that are taking place through cyberspace especially, the Internet;
2. Generate awareness among the masses on "Cyber laws" that are imposed in order to stop the cybercrime and/or punish the cyber criminals; and
3. To suggest other preventive measures apart from the Cyber Law so that there can be safety of the users in the cyberspace.

HISTORY OF CYBER CRIME - The first Cyber Crime was recorded within the year 1820. The primeval type of computer has been in Japan, China and India since 3500 B.C, but Charles Babbage's analytical engine is considered as the time of present day computers. In the year 1820, in France a textile manufacturer named Joseph-Marie Jacquard created the loom. This device allowed a series of steps that was continual within the weaving of special fabrics or materials. This resulted in an exceeding concern among the Jacquard's workers that their livelihoods as well as their traditional employment were being threatened, and prefer to sabotage so as to discourage Jacquard so that the new technology cannot be utilized in the future.

CYBER CRIMES - Cybercrime encompasses a wide range of crimes including stealing people's identity, fraud and financial crimes, pornography, selling contraband items, downloading illegal files etc. According to the authors in and any crime involving a computer and Internet is called cyber crime. Some of the popular and alarming crimes in the cyber world are discussed below:

- **Financial crimes :-** With the increasing demand of the on-line banking, the financial crimes have become very alarming. Financial crimes include credit card frauds, steal-

*Assistant Professor, Motilal Nehru Law College, Khandwa (M.P.) INDIA

ing money from on-line banks etc. The criminals of credit card fraud get information from their victims often by impersonating a Government oficial or people from financial organizations asking for their credit information. The victims fall prey to this without proper inquiries and give away their credit card information to these criminals. In this ways, criminals may steal their identity and the consequences are mostly financially damaging.

- **Cyber pornography :-** Pornographic websites which allow downloading of pornographic movies,videos and pictures, on-line pornography magazines (photos, writings etc.), all come under this category. The study made by the UK Home Affairs Committee Report on Computer Pornography (House of Commons, 1994) says that "Computer pornography is a new horror" (House of Commons, 1994:5). The US Carnegie Mellon University is also one such institute that has made a wide range of study and collected evidences on child and computer pornography.
- **Drug Trafficking :-** Drug traffickers contribute a major part of cyber crime to sell narcotics using the latest technologies for encrypting mails. They arrange where and how to make the exchange, mostly using couriers. Since there is no personal communication between the buyer and dealer, these exchanges are more comfortable for intimidated people to buy illegal drugs and even other items.
- **Cyber terrorism :-** Terrorism acts which are committed in cyberspace are called cyber terrorism. Cyber terrorism may include a simple broadcast of information on the Internet about bomb attacks which may happen at a particular time in the future. Cyber terrorists are people who threaten and coerce an individual, an organization or even a government by attacking them through computers and networks for their personal, political or social benefits.
- **Online gambling :-** On-line gambling offered by thousands of websites that have their servers hosted abroad. These websites are the one of the most important sites for money launderers.
- **Cyber stalking :-** 'Stalking' as has beendefined in Oxford dictionary, means "pursuing stealthily". Cyber stalking is following an individual's or organization's whereabouts on the Internet. These may include sending threatening or non- threatening messages on the victim's bulletin boards, which may be by social networking sites or even through e-mails. According to David Wall one of the prevalent forms of Cybercrime is Cyber stalking. This is basically a crime where the individual is constantly harassed by another individual example, sending constant mails to any individual with unsuitable contents and threat messages.
- **E-Mail spoofing and phishing scams :-** Cyber criminals often spoof e-mails of known and unknown individuals. E-mail spoofing basically means sending an e-mail from a source while it appears to have been sent from another e-mail. E-mail spoofing is a very common cause of monetary damages. The act that attempts to obtain vital information like passwords, details of credit cards by pretending to be a trustworthy entity in an electronic company is called phishing. Phishing e-mails are likely to contain hyperlinks to the sites containing malwares.

CYBER LAWS IN INDIA

Information Technology Act, 2000 :- The Indian cyber laws are governed by the Information Technology Act, penned down back in 2000. The principal impetus of this Act is to offer reliable legal inclusiveness to e - Commerce, facilitating registration of real-time records with the Government. But with the cyber attackers getting sneakier, topped by the human tendency to misuse technology, a series of amendments followed. The ITA, enacted by the Parliament of India, highlights the grievous punishments and penalties safeguarding the e-governance, e-banking, and e-commerce sectors. Now, the scope of ITA has been enhanced to encompass all the latest communication devices. The IT Act is the salient one, guiding the entire Indian legislation to govern cyber crimes rigorously:

Section 43 : - Applicable to people who damage the computer systems without permission from the owner. The owner can fully claim compensation for the entire damage in such cases.

Section 66 : - Applicable in case a person is found to dishonestly or fraudulently committing any act referred to in section 43. The imprisonment term in such instances can mount up to three years or a fine of up to Rs. 5 lakh.

Section 66B : - Incorporates the punishments for fraudulently receiving stolen communication devices or computers, which confirms a probable three years imprisonment. This term can also be topped by Rs. 1 lakh fine, depending upon the severity.

Section 66C : - This section scrutinizes the identity thefts related to imposter digital signatures, hacking passwords, or other distinctive identification features. If proven guilty, imprisonment of three years might also be backed by Rs.1 lakh fine.

Section 66D : - This section was inserted on-demand, focusing on punishing cheaters doing impersonation using computer resources.

Amended Act, 2008 : - Being the first legislation in the nation on technology, computers and e-commerce and e-communication, the Act was the subject of extensive debates, elaborate reviews and detailed criticisms, with one arm of the industry criticizing some sections of the Act to be draconian and other stating it is too diluted and lenient. There were some conspicuous omissions too resulting in the investigators relying more and more on the time-tested (one and half century-old) Indian Penal Code even in technology based cases with the I.T. Act also being referred in the process and the reliance more on IPC rather on the ITA.

Indian Penal Code 1860 : - Identity thefts and associated cyber frauds are embodied in the Indian Penal Code (IPC), 1860 - invoked along with the Information Technology Act of 2000. The primary relevant section of the IPC covers cyber frauds: -

1. Forgery (Section 464)

2. Forgery pre-planned for cheating (Section 468)
3. False documentation (Section 465)
4. Presenting a forged document as genuine (Section 471)
5. Reputation damage (Section 469)

COMPANIES ACT, OF 2013 : - The corporate stakeholders refer to the Companies Act of 2013 as the legal obligation necessary for the refinement of daily operations. The directives of this act cements all the required techno-legal compliances, putting the less compliant companies in a legal fix.

The Companies Act 2013 vested powers in the hands of the SFIO (Serious Frauds Investigation Ofice) to prosecute Indian companies and their directors. Also, post the notification of the Companies Inspection, Investment, and Inquiry Rules, 2014, SFIOs has become even more proactive and stern in this regard.

The legislature ensured that all the regulatory compliances are well-covered, including cyber forensics, e-discovery, and cybersecurity diligence. The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 prescribes strict guidelines confirming the cyber security obligations and responsibilities upon the company directors and leaders.

THE EVIDENCE ACT, 1872 : - This is another legislation amended by the ITA. Prior to the passing of ITA, all evidences in a court were in the physical form only. With the ITA giving recognition to all electronic records and documents, it was but natural that the evidentiary legislation in the nation be amended in tune with it. In the dentitions part of the act itself, the "all documents including electronic records" were substituted. Words like 'digital signature', 'electronic form', 'secure electronic record' 'information' as used in the ITA, were all inserted to make them part of the evidentiary mechanism in legislations.

Admissibility of electronic records as evidence as enshrined in Section 65B of the act assumes significance. This is an elaborate section and a landmark piece of legislation in the area of evidences produced from a computer or electronic device. Any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be treated like a document, without further proof or production of the original, if the conditions like these are satisfied: (a) the computer output containing the information was produced by the computer during the period over which the computer was used regularly .... by lawful persons.. (b) the information ...derived was regularly fed into the computer in the ordinary course of the said activities; (c) throughout the material part of the said period, the computer was operating properly ......and a certificate signed by a person .....responsible etc.

THE BANKER'S BOOKS EVIDENCE (BBE) ACT, 1891 :- Amendment to this Act has been included as the third schedule in ITA. Prior to the passing of ITA, any evidence from a bank to be produced in a court, necessitated production of the original ledger or other register for verification at some stage with the copy retained in the court records as exhibits. With the passing of the ITA the definitions part of the BBE Act stood amended as:bankers.

Related Case

- **Case -** An event occurred in April 2014, at Allahabad , India, where two under-graduate students, Vivek Kumar alias Kishan Dubey and Anand Mishra, were arrested for online fraud. These two students got hold of the ATM password of a man named Mahmood and hadindulged themselves in credit card fraud amounting to Rs. 1.20 lakhs INR. The students were arrested and confessed to several of their frauds. According to the Police, the two students would provide Delhi-based addresses for delivery of goods they had ordered online.Once the goods were delivered they would sell them to gullible buyers. This case had been registered under IPC Act, section 419 and 420, and under IT Act, section 66.
- **Case -** This case is on E-mail Spoofing, of late, one of the branch ofices of the Global Trust Bank experienced a tough time. Many customers suddenly decided to withdraw their money and further close their own bank accounts. On investigating, it was discovered that someone had sent spoofed emails to these customers and others too mentioning the bank was soon getting closed as it is having tough time financially.
- **Case -** This case is about the E mail bombing (DoS); this case speaks about a foreigner; he was staying in Simla, India for many years almost thirty years. He wanted to benefit from a scheme introduced by the Simla Housing Board to buy land at a lower price. However, his application was not accepted as they mentioned that the scheme is meant only for citizens of India. On this, this man decided to retaliate. Subsequently, he sent out thousands of mails to the Simla Housing Board and repeatedly kept sending e-mails till their servers crashed.

Critical View - The contribution of this research paper is an overview on cyber crime and the ethical issues related to this field. Centre of focus are the issues connected to the massive increase in cyber crime ratio. Since last few years several billions of dollars per year are exhausted for combating cyber crime issues anciently. The factors affecting the cybercrime have different laws of treatment in different countries that often overlook aspects of the problem and investigation in the depth of the issues with different methods, are playing key role. Not only the method of fighting against the cyber crime but also the juridical issues and technical challenges involved in fighting cybercrime may not be understood. Ethical aspects are often set aside as shown by the various battles governments have taken recently to address the cybercrime issues. This paper, reviewed on different backgrounds, will through light on those aspects, and attempts to answer the several raised questions subsequently.

Sugeestions :

1. To fight cybercrimes the first issue is legislation envi-

ronment, next one is training specialists and the supplying tools and devices.

2. It's the time to solve this problem passing the complex laws on information security. That's why appointed working team within Intelligence General Department has been working on projects of supplying Information security law and Cyber security law and amendments to other laws.
3. USA and North Korea lead fighting this crimes in the world. So we need to learn the fighting experiment of North Korea, work on projects researching of fighting occurs, cyber-detectives, even though establish laboratory where can expert the crimes of this type.
4. Cybercrime is unlimited by borders .For the revealing the crimes of this type is needed to international cooperation. So Mongolia is necessary to connect to Budapest Convention passed in 2001 for fighting cybercrimes.

Conclusion - As the Cyber Crime is growing in wide scale and becoming a global issue. Regardless of regional and national boundaries researchers are working together to find out all possible solutions. Various legislative acts are enforced and implement. Organizations are instructed to abide and follow the safety measures. To fight with Cyber Crime, Cross-Domain Solutions are becoming popular to resolve issues.

Cross Domain Solutions suggest both the parties to follow protocols and standards. The parties using such solutions are communicating across the system's hardware and software for authentication and data transfer. Cross domain solutions provide seamless sharing and access of information. Other Safety measures like checking the person in ethical behavior on moral basis before employment or assigning such confidential work must be done.

The Educational Institutes can play vital role to make a strong ethical base by including such subjects as compulsory ones. Government may do frequent checking on Cyber Community for illegal services and face them to strictly follow the standards. The professionals also be motivated to be honest with their job roles and their services shall be recognized time to time, so that to encourage them to abide by morals and not to move away from ethical culture.

References :-

1. Paul T Augustine – Cyber crime and legal issues (2007).
2. Dr. Dinesh Kumar Goyal - computerization of Law (1997).
3. Atul jain - Cyber Crime - Issues Threats and Management (2005).
4. Newspaper and Magzine - Dainik Bhaskar,Time of India, Patrika. Current affairs magzine - Employment News, Cyber law journals, The Economics Time of India, Hindustan Times.
5. en.wikipedia.org/wiki/Crime.
6. searchsoa.techtarget.com/definition/cyber.
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology act ,_2000.
8. https://cybercrimelawyer.wordpress.com/category/information-technology-act-section-65/http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_crime.

****

शिवमूर्ति के त्रिशूल उपन्यास में सामाजिक एवं आर्थिक असमानता

निवेदिता लखेरा* डॉ. सरोज गोस्वामी **

शोध सारांश – भारत में पनप रहे असमानता का मूल कारण है जाति प्रथा, जो भारत वर्ष में पुरातन से चली आ रही है। भारत में चार वर्ण माने गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एवं शूद्र। इन चारों वर्ण के लोगों का कार्य क्षेत्र निर्धारित है। ब्राह्मण का कार्य है शिक्षा देना, क्षत्रिय का कार्य क्षेत्र है युद्ध लड़ना, राज्य, देश में शासन करना, वैश्य का काम है खेती किसानी करना। शूद्रों का काम है ऊपर के तीन वर्गों की सेवा करना। भगवान श्री वासुदेव जी ने गीता में अपने मुखरबिंद से स्वयं कहा है मैने गुण और कर्म के आधार पर चार वर्णो का निर्माण किया है। इस वर्ण व्यवस्था का सृजन कार्य मेरे द्वारा ही सम्पन्न हुआ है। कृष्ण की बनाई वर्ण व्यवस्था आगे चलकर विभिन्न जाति, उपजाति में बंट गई है। इस वर्णव्यवस्था और जाति व्यवस्था ने ही देश में, समाज में असमानता को जन्म दिया है। इसे वर्ण व्यवस्था का जाति, उपजाति में बंट जाना समाज में हो रहे असमानता का सबसे बड़ा कारण है।

शब्द कुंजी – शिवमूर्ति, त्रिशूल उपन्यास, सामाजिक, आर्थिक, असमानता।

प्रस्तावना – त्रिशूल उपन्यास में शिवमूर्ति जी ने जो असमानता चित्रित किया है, वह धार्मिक और आर्थिक असमानता है। महमूद जाति मुसलमान होना और अयोध्या में हिन्दू के घर में काम करना, हिन्दू मुहल्ले में रहना, उसके जीवन की सबसे बड़ी फांस है, जहां इस उपन्यास के पात्र शास्त्री जी अपने आपको पक्का ब्राह्मणवादी, सबके सामने सिद्ध करने के लिए मुसलमान विरोधी हैं, उनके अन्दर की मानवता मर चुकी है। यदि इस पूरे उपन्यास में हम शुरू से अंत तक देखे तो सिर्फ धर्म अन्तर होने के कारण महमूद के जीवन में इतनी त्रासदी आती है। महमूद का जीवन में जीतने दु:खों का सामना करना पड़ता है, वह शास्त्री की वजह से खुद तो शास्त्री कुंठित मानसिकता का व्यक्ति था ही, साथ में दूसरो के सामने भी अपने कुंठित विचार अभिव्यक्त करता है।

विश्लेषण – त्रिशूल उपन्यास में शिवमूर्ति जी ने आर्थिक असमानता को भी जगह-जगह पर दिखाया है। आर्थिक अभाव के कारण ही दलित वर्ग उच्च वर्ग द्वारा किए हुए शोषण को सदियों से सहता आ रहा है, जो घटना रजपतिया के साथ घटी, वह घटना पहले भी गांव में कई बार घट चुकी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण गांव वाले ठाकुर, ब्राह्मणों का विरोध नहीं झेलना चाहते। विक्रम अपने बुआ के साथ घटी घटना का विरोध चाह कर भी ब्राह्मण, ठाकुरों से नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास आर्थिकता का अभाव था। विक्रम नत्थू सिंह का विरोध करने थाने इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसका मानना था कि पुलिस थाना कोतवाली गरीब कमजोरों के लिए नहीं है।

निम्न वर्ग आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं है उच्च वर्ग की तुलना में। इसलिए कुंभन बाबा कोर्ट, कचहरी, थाने, पुलिस के लफड़े में पड़ने के लिए पियारे को रोकते हैं, और कहते हैं – 'वकील, मुंशी, पेशकार ये सब बहेलिए हैं और हम लोग लचार, कमजोर। आज की दुनिया में बहेलिए कमजोर चिड़िया का ही शिकार करते हैं। चिड़िया बहेलियों का शिकार बन जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे और चिड़िया के अंडे अपने माँ का घोंसले में आने का इंतजार करते हैं और घोसले में ही चीखते चीखते मर जाते हैं। इधर चिड़िया भी बहेलिये के पेट में चली जाती है। हम लोग भी यदि कोर्ट कचेहरी जाने की सोचते हैं तो समझो बहेलिए के पेट में जाने की सोच रहे हैं।'

प्राचीन काल से ऋग्वेद के पुरूष सूक्त के अनुसार जो वर्ग विभाजन की व्यवस्था चली आ रही है। वह व्यवस्था आज भी जारी है। सामाजिक, आर्थिक रूप से विषमता फैलाने का काम प्रमुख रूप से समाजसेवी ही कर रहे हैं, जो समाजसेवी का तो चोला ओढ़े हैं, वास्तव में पक्के राजनीतिज्ञ हैं। आधुनिक बढ़ने के बाद भी हम भेदभाव को हम नहीं मिटा सके। एक मुसलमान चार शादी करता है और परिवार नियोजन भी नहीं करवाता। एक आदमी के चार शादी करने से चौदह बच्चे पैदा होते हैं। यदि यही क्रम जारी रहा तो पचास साल बाद इस समूचे भारत देश में कुल जनसंख्या में दो तिहाई जनसंख्या मुसलमानों की होगी, अब इसी दो तिहाई आबादी से हिन्दुस्तान का संविधान बदल जाएगा और हिन्दुस्तान, मुसलमानों का देश घोषित हो जाएगा। जहां मंदिर है वहां पर मस्जिदें बनवाई जाएगी। एक नहीं हजारों मस्जिदें और हमारी भारत जननी फूट-फूट कर रोदन करेगी। आने वाले समय में भारत देश फिर बाबर की संतानों की गुलामी में कैद हो जाएगा। यदि शास्त्री जी के अन्दर के मनोभाव में धर्म के नाम पर असमानता का बीज न पनप रहा होता तो शास्त्री जी की ऐसी सोच न होती, हर आदमी एक जीव होता है, हर आदमी एक इंसान होता है। धर्म, जाति, चाहे जो हो, यह धरती इंसानों की है, सबको यहां रहने का अधिकार है तो शास्त्री जी के अन्दर ऐसे विचार पनप न पाते, शास्त्री जी का कथन है कि यदि उनकी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी तो सारे मुसलमानों को इस हिन्दुस्तान से निकाल देगे और हिन्दुस्तान में जितनी मस्जिद है सबको तोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं शास्त्री जी एक कटुवाक्य बोलते हैं जो बहुत ही घृणाप्रद है, निंदनीय है, जो किसी वर्ग विशेष के प्रति ऐसे मनोभाव रखना। अपनी इस मस्जिद को कटुए साले जहां चाहे वहां ले जाए। अपनी मां की डाल ले, उसमें ले जाकर।[1]

इसी प्रकार ये जाति धर्म के नाम पर जो असमानता प्राचीन काल से चली आ रही है, वह मानवता को ढक लेती है। शास्त्री जी की पार्टी सत्ता में आती तो वह देश से मुसलमानों को निकलवा देंगे, इस विचार को छोटे रूप में साकार करते हैं। शास्त्री जी मुहल्ले से महमूद को निकालकर जो परिस्थिति का भी मारा है, रोजी रोटी की तलाश में अपने परिवार जनों से दूर लेखक के घर में काम करता है। पूरे शहर में हिन्दू मुस्लिम विवाद तो चल ही रहा है, साथ

* शोधार्थी (हिन्दी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (हिन्दी) शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

ही बच्चों के स्कूलों में भी इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। बच्चों का मन कोरा होता है, वह जाति, धर्म, सम्प्रदाय को नहीं जानते, उनके मन में भी इस तरह के विचारों को घर कराया जाता है।

अभी लेखक का बेटा यह भी नहीं जानता की उसके घर में, उसके साथ रहने वाला महमूद है, जिससे वह बहुत प्रेम करता है, स्कूल से आता जाता भी उसी के साथ है, लेकिन लोगों की फैलाई विचारधारा मुसलमान शब्द को लेकर उस अबोध बच्चे पर भी घर करती है और अपने पापा से कहता है। पापा आज मुसलमान आए थे, मुसलमान शब्द के उच्चारण में ही बच्चे की आंखे डर के मारे फटी जा रही, वह मुसलमान शब्द ऐसे बोलता है जैसे मुसलमान कोई चोर डाकू उचक्का खूनी हो। लेखक अपने बच्चे से पूछ रहे थे, ये बात तुमको कैसे मालूम हुई?

स्कूल के चपरासी ने बताया मुसलमान स्कूल के अन्दर ही आने वाले थे। लेकिन चपरासी ने मुसलमानों को पहचान लिया। दरवाजे को बंद करके स्कूल के गेट में ताला डाल दिया, सारे के सारे बच्चे डर रहे थे। कथावाचक अपने बच्चे से पूछता है, ये तुम जानते हो मुसलमान कौन होते हैं? बच्चा कहता है हाँ जानता हूं पापा मुसलमन आग लगाने वाले होते हैं। बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं और पेट में छूरा डाल देते हैं। कथावाचक पूछता है तुमको ये बात किसने बताई? बच्चा प्रतिउत्तर में कहता है, ये बात तो सभी बच्चे जानते हैं? लेखक फिर अपने बेटे से पूछते हैं, उन्हें किसने बताया? पता नहीं? लेखक अपने बच्चे से कहते हैं तुमने ये बात और किसी से तो नहीं कहा। बच्चा जबाब देते हुए कहा है महमूद भाईजान से महमूद ने तुमको क्या उत्तर दिया, वह तो हंस रहा था। आज यह मानव जाति में जातिगत, धर्मगत विषमता न होती तो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष के प्रति ऐसी धारणा भी न होती।

महमूद के जीवन में जो भी संघर्ष आया, वह शास्त्री जी की वजह से आया, दर्जी और उसके बेटे को भी जितनी यातनाएं मिली सब मुसलमान होने के कारण और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मिली। ये तीनों आर्थिक रूप से भी थोड़ा मजबूत होते तो इनका कोई कुछ नहीं कर सकता था। महमूद और दर्जी का बेटा अशिक्षित भी थे। यदि महमूद और उसका दर्जी दोस्त यदि हिन्दुओं की भीड़ में अकेले मुसलमान न होते और पैसे सम्पन्न होते। शिक्षित होते तब इस त्रिशूल उपन्यास में महमूद की कहानी कुछ और ही होती। अपने साथ हुए अत्याचार का बदला महमूद शास्त्री ही की तरह कानूनी दावपेंच से ले सकता था। इस तरह न वो लोगों की गाली खाता जैसे पूरे उपन्यास में खाता है ना हि मानसिक रूप से प्रताड़ित होता, पुलिस भी इतनी बेरहमी के साथ पेश न होती। त्रिशूल के ही एक अंश में मिसराजी ब्राह्मण है, क्लबों में जाकर मदिरा पान करते हैं, मिसराइल महमूद से ही होटल से मछली मंगाकर खाती है तब उनका ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट नहीं होता। महमूद से अपना स्वार्थ सिद्ध करने, अपना काम निकलवाने में किसी के धर्म में कोई आंच नहीं आता, काम निकलवाते समय महमूद नाम किस जाति में रखा जाता है, यह भी गौर नहीं किया जाता, लेकिन जब राममंदिर, मस्जिद मुद्दा जोर पकड़ा तब ही महमूद सबको मुसलमान समझ में आने लगा। महमूद के प्रति घृणा भाव पैदा होने लगा।

मिसराइन – ये महमूद मुसलमान है लाल बहु कहती है – लड़का सफाई से रहता है स्वभाव से भी बहुत अच्छा है। प्रतिउत्तर में मिसराइन का कथन है – स्वभाव से अच्छा होने पर महमूद पूरी रसोई में जाएगा। वहां रखी सामग्री को छुएगा, पूरी रसोई अपवित्र कर दिया? लेखक की पत्नी से भी मिसराइन कहती है, अपने ये बात छुपाकर बहुत गलत किया कि महमूद मुसलमान है।[2]

शास्त्री जी यहां तक कहने लगते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने मुख मण्डल से चार पांच बार मुसलमान शब्द का उच्चारण कर ले तो मुंह से बदबू आने लगती है। किसी जाति के प्रति ऐसी धारणा रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोग रहते हैं, ये लोग भूल जाते हैं, न हिन्दू, न मुस्लिम पहले हम है हिन्दुस्तानी। ये लोग यह वाक्य भी भूल जाते हैं। धरती गगन एक है, सबका चमन एक है, अपना वतन एक है, हम हिन्दुस्तानी एक हैं कि ये वाक्य सिर्फ कहने के लिए है। विचारों में लाने के लिए नहीं है। यदि इतिहास के पन्नों में हम जाए तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घुड़सवार सेना का प्रमुख सेनापति धर्म का मुसलमान था।

अकबर की सेना का प्रधान सेनापति हिंदु था। इसी अयोध्या में राममंदिर का प्रबंधक मुसलमान था और आज भी है। त्रिशूल उपन्यास के ही एक अंश में जाति गत भेदभाव शास्त्री जी को भी झेलना पड़ता है। शास्त्री जी अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव बी.डी. सिंह की लड़की से करने के लिए रखते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी सुन्दर सी बेटी को अपने घर की बहु बनाना चाहता हूँ। इतनी सी बात सुनकर बी.डी. सिंह भड़क उठते हैं। शास्त्री जी पर गालियों की बौछार करते हुए गले में बंद्रूक तानकर, धमका कर कहते हैं, दुबारा इस गली में दिखाई दिए तो तुम्हारे चिथड़े उड़ा दूंगा।[3]

उच्च वर्ग का जनार्दन दलित वर्ग के पागल बाबा को प्रणाम नहीं करता। जनार्दन पागल बाबा को प्रणाम करना अपनी जाति के शान के खिलाफ समझता है। पागल बाबा का दिया हुआ प्रसाद कहीं ग्रहण न करना पड़े, इसलिए जनार्दन के साथ पागल बाबा की कुटिया में आया, लड़का कुटिया से दूर हट जाता है। जाति पात के कारण ही जनार्दन चाय पीने के लिए कुल्हड़ का प्रयोग करते हैं और मेहमानों को भी कुल्हड़ में चाय देते हैं क्योंकि उनके यहां निम्न वर्ग के मेहमानों का भी आना जाना लगा रहता है। इसलिए उनका जूठा कप धोन की झंझट न हो। आज के आधुनिकता में भी ऐसी सोच?[4]

शिवमूर्ति जी इसी त्रिशूल के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के प्रति हिन्दुओं की क्या धारणा है? शास्त्री जी लेखक से कह रहे इस देश में मुसलमानों की संख्या दस पंद्रह करोड़ है। इन दस पन्द्रह करोड़ लोगों में कोई भी मुसलमान विश्वास करने के लायक नहीं है, पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या मुसलमानों की है अर्थात् आधी दुनिया विश्वास करने लायक नहीं है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हमारे भारत देश में यदि सामाजिक, आर्थिक असमानता न होती तो शिवमूर्ति जी को त्रिशूल जैसे उपन्यास लिखने की आवश्यकता न होती, यही भारतीय समाज का यथार्थ है। असमानता की जड़ मानवता से ज्यादा गहरी है। इतनी आधुनिकता आने के बाद भी धर्म के आधार पर जातिगत भेदभाव को हम भूल न सके। बस उँच और नीच इन्हीं दो वर्ग में हम बंटे हैं, कभी धन के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर। हम मानव जाति से साढ़े चार हजार जाति में विभाजित हो गये। कुछ जातियों को तो इतने निचले स्तर का मान लिया गया कि उन जाति के लोगों का न तो कोई छुआ खाता और नाहि उनको कोई स्पर्श करता, उन्हें मानव समाज से कट कर रखा गया है, उनके स्पर्श की हुई वस्तुओं को भी अपवित्र मान लिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शिवमूर्ति – त्रिशूल, पृष्ठ 19
2. शिवमूर्ति – त्रिशूल, पृष्ठ 27
3. शिवमूर्ति – त्रिशूल, पृष्ठ 59
4. शिवमूर्ति – त्रिशूल, पृष्ठ 52

'माटी की मूरतें' रेखाचित्र विधा की सिरमौर रचना

डॉ. डी.पी. चन्द्रवंशी *

शोध सारांश – सुप्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने साहित्य जगत में रेखाचित्र विधा पर पदार्पण सन 1937 से किया। जब शब्द चित्रों पर आधारित उनका पहला संग्रह 'लालतारा' प्रकाशित हुई। उसमें कुल अठारह शब्द-चित्र थे। रेखाचित्र गद्य की एक नवीन विधा है। रेखाचित्र और चित्रकला दोनों में साम्यता है। चित्रकार विभिन्न रेखाओं के माध्यम से चित्रांकन करता है तो रेखाचित्र में लेखक शब्दों के द्वारा चित्रों को अंकित करता है। चित्रकार चित्र में तूलिका का प्रयोग करता हे तो रेखाचित्र कलम के माध्यम से शब्दों द्वारा चित्रांकन करता है। बेनीपुरी जी की रेखाचित्र 'माटी की मूरतें' सन् 1946 ई. में प्रकाशित हुई। उपन्यास जागत् में हिन्दी साहित्य में जो स्थान 'गोदान' और मैला आँचल को प्राप्त है। कहानी जगत में गुलेरी जी की 'उसने कहा था' की लोकप्रियता है वही स्थान रेखाचित्र विधा में 'माटी की मूरतें' को प्राप्त है। बारह स्कैच में रचित यह रेखाचित्र व्यक्ति, वस्तु, घटना तथा अनुभूति का सूक्ष्म संवेदनशील चित्रण है।

प्रस्तावना – माटी की मूरतें और बारह स्कैच

'बलदेव सिंह'– संस्मरण आधारित रेखाचित्र में कतिपय चित्र अंकित हैं। प्रथम चित्र-'एक गभरू जवान-अभी मूँछ की मसें भींग रहीं। रंग गोरा, जिस पर बाल-किरणों ने सोना-सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बाँस की लंबी लाल लाठी-बड़ी सजीली, घने पोरवाली, गव दुम-सी उतारवाली। बायें हाथ में लोटा लिए वह शौचादि से लौट रहा था, बादामी रंग का, मोटिये का जो लम्बा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उससे उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट पड़ता था।'[1] इसके प्रतिकूल अंतिम चित्र में बेनीपुरी जी कहते हैं- सिर चूर-चूर जैसे, भर्ता बना दिया गया हो,! खून और धूल से शराबोर। जिस ललाट में तेज बरसता, उसी पर मक्खियाँ भिन्ना रहीं। एक आँख धँस गयी, दूसरी बाहर निकल आयी। होंठ को छेदकर दाँत बाहर निकल रहे हैं। .... बाँह लटक सी गयी है। दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब। छाती वैसी ही तनी है-पहले से कुछ ज्यादा ही फूली हुई। किन्तु पेट की जगह सारी आँत निकल आयी हैं।'[2]

बलदेव सिंह में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति की कुरूपता, विचित्रता को उकेरा है। ज्ञानाभाव, मूढ़तापन के कारण ग्रामीण अल्प से अल्प विषय पर लठमार खेलने लगते हैं। बलदेव सिंह जैसे युद्धवीर भी उसके कारण काल कवलित हो जाते हैं। बलदेव सिंह जैसे योद्धा आततायियों का प्रतिकार करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनकी दुर्गति होती है। 'बलदेव सिंह' रेखाचित्र मे माध्यम से लेखक भारतीय ग्राम्य जीवन की विद्रूपता, विकृतियों को उभारने में सफल हुए हैं।

'सरजू भैया' के माध्यम से रेखाचित्रकार ने एक जनसामान्य नहीं अपितु विशिष्ट पात्र को प्रस्तुत किया है। सरजू भैया जनसेवक है। इसलिए जनका की सेवा करना पहली प्राथमिकता है, फलत: अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। गाँव के रोगियों की खोज खबर करते रहते हैं। गाँव के लोगों की सेवा करके, उनका बोझ ढोकर कम उम्र में ही अपनी कमर झुका बैठे हैं। उनका चित्रण करते हुए रेखा चित्रकार लिखते हैं, 'रंग साँवला, बगुले सी बड़ी-बड़ी टाँगे, चिपैंजी की तरह बड़ी-बड़ी बाँहें। कमर में धोती पहने, कन्धे पर अँगोछा डाले, जब वह खड़े होते हैं, आप उनकी पसलियों की हड्डियाँ गिन लीजिए। नाक खड़ी, लम्बी। भवें चिपके। अंग-अंग शिराएँ उभड़ी-कभी-कभी मालूम होता हे मानों ये नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है।'[3]

'सरजू भैया' के माध्यम से रेखाचित्रकार परोपकारी व्यक्ति के शोषण को आम लोगों के द्वारा स्वार्थ का शिकार करते दिखाया गया है फिर भी परोपकारी सरजू में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या इस शोषक समाज के समक्ष एक शोषित ईमानदान व्यक्ति सुख पूर्वक रह सकता है। लेखक ने सरजू के माध्यम से कहना चाहता है।

'मंगर' कर्तव्यनिष्ठ, स्वाभिमानी, ईमानदार गुणों से संपन्न खेतिहर मजदूर है मंगर। मंगर के गुणों के कारण मालिक उन्हें बहुत चाहते हैं क्योंकि उन्हें उनसे काम जो लेना होता है। मालिक की मजबूरी है मंगर को चाहना क्योंकि मंगर से उन्हें काम प्यारा है चाम नहीं। मंगर के दो चित्र प्रस्तुत कर रेखा चित्रकार बताना चाहते हैं कि जवानी में मंगर को मालिक का खूब स्नेह मिलता है वहीं बुढ़ापे में कितना भार हो जाते हैं एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार खेतिहर मजदूर।

'रूपा की आजी' मार्मिक करूण गाथा है रूपा की आजी। ग्रामीण संस्कृति की कलुषता विकृत, सामाजिक लोकापवाद की शिकार होती रूपा की आजी यडायन' से संबांधित की जाती है। जिससे उन्हें आजीवन मुक्ति नहीं मिल पाती है। फलत: कारूणिक और त्रासदी पूर्ण मौत की मिथम बन जाती है यरूपा की आजी'। डायन शब्द का दंश झेल रही यरूपा की आजी' में रेखाचित्रकार ने मनाविश्लेषणात्म घटना के साथ रेखांकित किया है।

'देव' के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन के अदम्य साहस व्यक्त्वि की झाँकी प्रस्तुत किया हैं ग्रामीण प्रतिभाएँ सही मार्गदर्शन नहीं पा सकने के कारण दिग्भ्रमित होकर टूटे हुए माला की मोतियों की तरह बिखर जाती हैं सही दिग्दर्शन में देश विकास में गति यह सब देव के चरित्र में दर्शनीय है। साँप को मारकर देव अदम्य साहस का परिचय देता है। थाने के समक्ष जुलूस का नेतृत्व करना, दरोगा द्वारा पिटाई होना उनके योद्धा होने का परिचय देता है। ग्रामीण परिवेश और स्वतंत्रता आंदोलन की झाँकी संस्मरणात्मक शैली में रेखाचित्रकार ने उपस्थित किया है।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय जे. एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.) भारत

'बालगोबिन भगत' विषम परिस्थिति में मर्यादा का भी निर्वहन करने वाला भगत सद्गुण सम्पन्न जीवन दर्शन समावेशी, सौम्य स्वभाव का था। कबीर के भक्त थे। गृहस्थी और सन्यासी जीवन था। झूठ से उनका कोई संबंध नहीं था। वे तत्वज्ञानी थे। पुत्रशोक में भी उन्होंने कहा-'आत्मा परमात्मा के पास चली गयी, बिरहिनी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की क्या बात?'[4]

यही नहीं बेटे के क्रिया-कर्म के बात पतोहू के भाई को बुलाकर यह आदेशित किया कि इसकी दूसरी शादी कर दो।

'भौजी' भैया-भौजी के कई चित्रांकन हैं। इस रेखाचित्र में लेखक ने भौजी का किशोरी अवस्था का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि उनके अधरों पर पूरा-पूरा रस नहीं आया है, अंग अभी पूरे भरे नहीं हैं। ऐसे लगती है मानों लम्बी पतली छड़ी हो। पर छड़ी सोने की कहते थे। उनका गठन, वर्ण द्रविण-आर्य का सुंदर सम्मिश्रण था। रेखाचित्रकार आगे लिखते हैं, 'काले बालो में घुँघरालापन जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते वे गिदाबों से भरी यमुना की धारा। नाक ललाट के नजदीक जाकर चिपक-सी गयी किन्तु उसका अग्रभाग काफी सुन्दर, मोहक। होंठ कुछ मोटे, किंतु चिबुल सा रसीलापन उनके इस किंचित ऐब को ढंक देता। और उन होंठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दाँत थे। जब भौजी हँसती, सचमुच मोती झड़ने लगते।'[5]

भौजी में ग्रामीण जीवन की गृहस्थी का उल्लेख है। 'पूरी समाज व्यवस्था (जिसमें पारिवारिक व्यवस्था भी है) इतनी सड़ गयी है कि उसमें फँसकर मनुष्य अपनी मनुष्यता खोता ही है, अनिवार्यत: सामाजिक परिवेश का ऐसा प्रभाव है। अच्छे-भले स्वभाव की भौजी कलहप्रिया हो जाती है।'[6]

भौजी की चारित्रिक भावोन्मेष को उजागर किया है, दिन-रात चुलहाबाजी, धमाचौकड़ी मचाने वाली भौजी दस वर्षो बाद विष उगलने लगती है, दोष भौजी का नहीं सामाजिक परिवेश का है, जो भौजी को उस दिशा में अग्रसर करता है।

'परमेश्वर' गाँधीवादी सिद्धांत मितव्ययता के विरोधी थे और फिजुलखर्ची के समर्थक थे। वह अपनी पुश्तैनी जमीन ही नहीं पत्नी के गहने बेच कर गाँजा में फूँक दिया। फलत: गाँव के बूढ़े-बुजुर्ग उनसे घृणा करते पर बच्चों -नौजवानों का झुण्ड हमेशा घेरे रहते थे। होली, दशहरा, दीवाली आदि त्योहारों में वह दिल खोलकर खर्च करता। संसार के दुखों और कष्टों का सामना वह अपनी हँसमुख, मस्तमौला आवारागर्दी की ढाल से करता है। रेखाचित्रकार की शब्दों में, 'वह उन लोगों में था, जो दुनिया में हँसते-हँसते ही चल देते हैं।'[7]

इस प्रकार परमेश्वर कुछ अवगुण के बावजूद लोगों के आकर्षण का केन्द्र बिन्दु है लेखक ने बताया है।

'बैजू मामा' स्वभाव से चोर, बैल की चोरी करते प्रत्यक्षत: पकड़े जाते हैं। बैजू मामा में जिजीविषा है, एक भले मानस की तरह जीना चाहते हैं परन्तु महाजनी सभ्यता उन्हें जीने नहीं देना चाहते हैं, जिसके कारण उन्हें आजीवन जेल में रहना पड़ता है। 'बैजू मामा की जिन्दगी के इतने साल जेल में बीते हैं और उन्हें वहाँ रहने में इतनी सहूलियत मालूम होती है कि अब उन्हें बाहर रहना अच्छा ही नहीं लगता, जेल की प्राचीरों से उन्हें मोह हो गया है। शायद इसलिए कि वहाँ पर पहुँचकर व्यक्ति हर प्रकार के दायित्व से मुक्त हो जाता है।'[8] लेखक ने बैजूमामा के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है कि 'बैजूमामा' जेल में क्यों रहना चाहते हैं। गाँव के बच्चे-बूढ़े सभी उन्हें कहते-फिरते हैं, 'पूड़ी-कचौड़ी तेल में, बैजू मामा जेल में। लेखक ने समाज़ और कानून व्यवस्था को हास्य और व्यंग्य किया है।

'सुभानदादा' बदन से लम्बा चौड़ा तगड़ा है। भौहें बड़ी, सुघन और उभरी। आँखो के कोने में कुछ लाली और पुतलियों में कुछ नीलेपन की झलक। नाक नुकीले। दाढ़ी सघन, इतनी लम्बी कि छाती स्पर्श करें। सिर पर सदा दुपालिया टोपी। कमर में कच्छे वाली धोती, पैर में चमरौधा जूता। चेहरे से नूर टपकता, मुँह से शहद झरना। इन्हीं विशेषताओं से सुभान दादा की अपनी अलग पहचान है। कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ और ईमानदार स्वभाव वाला राजमिस्त्री है। उन्हें 'काम और अल्ला' दोनों ही प्यारे हैं। इसके अलावा सुभान दादा महामानव रूप थे। धार्मिक होते हुए रूढ़ि, साम्प्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। इनका अंत करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। सुभान दादा लेखक के मामा के गाँव के थे। बचपन में उनके कन्धे पर चढ़ना व दाढ़ी नोचना लेखक को याद है। इस घटना का उल्लेख संस्मरणात्मक शैली में किया गया है। सुभान दादा रेखाचित्र संस्मरणात्मक, आत्मकथात्मक तथा निबन्धात्मक तीन शैलियों में लिखा गया है।

'बुधिया' नन्हीं सी छोकरी बुधिया- 'कमर में एक रंग की खंडुकी लपेटे, जिसमें कितने पेबन्द लगे थे और जो मुश्किल से उसके घुटने के नीचे पहुँचती थी। समूचा शरीर नंगा-धड़ंगा, गर्द-गुबार से भरा। साँवले चेहरे पर काले बालों की लटें बिखरी, जिसमें धूल तो साफ थी और जुएँ भी जरूर रही होंगी। एक नाक से पीला नेर निकल रहा, जिसे वह बार-बार सुड़कने की कोशिशि करती।'[9]

बुधिया एक 'टाईप' पात्र है। कड़ी मेहनत और आर्थिक समस्या के कारण उसकी जवानी असमय ढल गई है। इस देश में ऐसी एक नहीं हजारों-लाखों बुधिया है। इसी तरह पंत जी ने 'ग्राम्या' में 'ग्राम युवती' के संदर्भ में लिखते हैं,

'रे दो दिन का उसका यौवन।
x x x x
जर्जर हो जाता उसका तन।
ढह जाता असमय यौवन धन।'[10]

लेखक की बुधिया आज हमें खेत-खलिहानों, कारखानों और मिलों, सड़कों में मजदूरी करती दुष्टिगोचर हो ही जाएँगी।

'रजिया' यह स्केच माटी की मूरतें में बाद में जोड़े गये हैं। रजिया उनके मधुर संबंध की साथी थी। सामाजिक जटिलता के कारण यह संबंध प्रगाढ़ नहीं हो सका केवन जीवन की घटना मात्र तक सीमित हो गया। रजिया रेखाचित्र में रजिया के दो चित्र हैं - एक सूर्योदय का, दूसरा सूर्यास्त का- दोनों चित्रों के मध्य 'रजिया' का अल्हड़पन, उसकी चंचला सी स्फूर्ति काफी आकर्षक व प्रभावोत्पादक है, जो रजिया के व्यक्तित्व को चमत्कृत करने में सहायक है। अस्पृश्य रजिया को चाहने वाले अनेक हैं। ढोंगी समाज रजिया के स्पर्श किये भोजन पानी को अशुद्ध मानते हैं किन्तु रजिया को स्पर्श करने की ललक, उसकी छाया बनने की कसमसाहट इसका सबूत है।

निष्कर्ष- रामवृक्ष बेनी पुरी जी के जीवन से जुड़ी हुई सभी बारह मूरतें हैं। ये मूरतें उनकी जन्म भूमि मिट्टी से जुड़ी हुई है जिन्हें उन्होंने 'माटी की मूरतें' कहा है। ये संस्मरणात्मक होते हुए भी लेखक की कला-कौशल के कारण तटस्थ हैं। इन्हें जस-का-तस, बिना मेकअप किये, बिना परिकल्पना के पाठकों के समक्ष रखा है। पं. पद्मसिंह शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री श्रीराम शर्मा के समकालीन हिन्दी रेखाचित्र के क्षितिज पर एक ध्रुवतारा का आगमन रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रूप में हुआ। सदियों से उपेक्षित व अस्पृश्य समझी जाने वाली 'माटी की मूरतों' को उन्होंने स्वर दिया। उन्हें समाज के समक्ष

खड़ा करने योग्य बनाया। माटी की मूरतें से स्पष्ट होता है कि बेनीपुरी जी सामाजिमक यथार्थ का उद्घोषक, ग्रामीण संस्कृति के महापंडित थे। बनारसीदास चतुर्वेदी और श्री श्रीराम शर्मा की यथार्थवादी धारा को समृद्ध किया है। बेनीपुरी जी फौलादी व्यक्तित्व के धनी थे। राष्ट्र मुक्ति के लिए संघर्ष, शोषित पीड़ित जनता के लिए संघर्ष, जनता की भाषा के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने दिनकर जी से संविधान के हिन्दी अनुवाद को देखकर खिन्न होते हुए कहा, ' दिनकर' हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं हुई। राष्ट्रभाषा तो संस्कृत बनायी जा रही है।'[11]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बेनीपुरी रामवृक्ष माटी की मूरते पृष्ठ 28 बेनीपुरी ग्रंथावली भाग -1 बेनीपुरी प्रकाशन मुजफ्फरपुर 1953।
2. बेनपुरी रामवृक्ष माटी की मूरतें पृष्ठ 35 बेनीपुरी ग्रंथावली भाग -1 बेनीपुरी प्रकाशन मुजफ्फरपुर 1953।
3. बेनपुरी रामवृक्ष माटी की मूरतें पृष्ठ 40 बेनीपुरी ग्रंथावली भाग -1 बेनीपुरी प्रकाशन मुजफ्फरपुर 1953।
4. बेनपुरी रामवृक्ष माटी की मूरतें पृष्ठ 77 बेनीपुरी ग्रंथावली भाग -1 बेनीपुरी प्रकाशन मुजफ्फरपुर 1953।
5. बेनपुरी रामवृक्ष माटी की मूरतें पृष्ठ 82 बेनीपुरी ग्रंथावली भाग -1 बेनीपुरी प्रकाशन मुजफ्फरपुर 1953।
6. अमृतराय नयी समीक्षा (हंस मई 1947) पृष्ठ 267।
7. बेनीपुरी रामवृक्ष माटी की मूरतें पृष्ठ 94।
8. अमृतराय नयी समीक्षा (हंस मई 1947) पृष्ठ 268।
9. बेनीपुरी रामवृक्ष माटी की मूरतें पृष्ठ 120।
10. पंत सुमित्रानंदन 'ग्राम्या' पृष्ठ 19 लोकभारती प्रकाशन प्रयागराज (उ.प्र.) 1940।
11. दिनकर रामधारी सिंह संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ लोकभारती प्रकाशन प्रयागराज (उ.प्र.) पृष्ठ 115

****

उन्नीसवी सदी में आदिवासी अँचल का बिरसा मुण्डा विद्रोह : एक अध्ययन

डॉ. अलीमा शहनाज सिद्दीकी *

प्रस्तावना – भारतवर्ष में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु किसानों, कारीगरों, खेतिहर मजदूरों व औद्योगिक मजदूरों के साथ–ही–साथ आदिवासी इलाके के रहवासियों ने भी विद्रोह किया। भले ही अपने साधनों की सीमितता की वजह से वे सफल नही हो सके।

आमतौर पर इन्हें वन्यजाति, वनवासी, पहाड़ी, आदिमजाति, आदिवासी, जनजाति, अनुसूचित जनजाति आदि नाम से जाना जाता है। इन सभी नामों में आदिवासी नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।[1] ये आदिवासी देशभर के हर राज्यों में निवासरत है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। म0प्र0 व छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से भील, गोंड, ओरॉंव, कोरकू व माँझी जनजातियाँ विशेष रूप से मिलते हैं। लेकिन गोंड, भील, सँथाल व मुण्डा ये कुछ ऐसी जनजातियॉ है। जो एक से अधिक राज्यो में फैली हुई है।

ये आदिवासी दिल्ली, पाण्डिचेरी, पंजाब, हरियाणा व चण्डीगढ़ राज्यों में नही है। लेकिन आदिवासियों का सबसे ज्यादा अनुपात लक्षद्वीप (93.82 प्रतिशत) में है। उसके बाद क्रमश: मिजोरम (93.55 प्रतिशत), नागालेण्ड (83.55 प्रतिशत), मेघालय (80.58 प्रतिशत), दादर नगर हवेली (78.82 प्रतिशत), अरूणाचल प्रदेश (69.82 प्रतिशत) और त्रिपुरा (28.44 प्रतिशत) में है। सबसे कम अनुपात उत्तरप्रदेश (0.21 प्रतिशत), केरल (1.3 प्रतिशत) और तमिलनाडु (1.07 प्रतिशत) में है। सबसे ज्यादा संख्या गोंडो की है। उसके बाद भील जनजाति और फिर संथालों का क्रम आता है।[2]

ऐतिहासिक कालक्रम में प्राचीन भारत के सम्राट अशोक महान् के शहबाजगढ़ी शिलालेख में जनजातियों का ज़िक्र मिलता है। वर्धन वंशीय शासक हर्षवर्धन (606–647 ई0) जब अपनी बहन राज्यश्री को खोजने विध्यांचल के पहाडियों में गया, तो उसे जनजातियाँ मिली। इसका उल्लेख हर्षचरित–बाणभट्ट में मिलता है।

उन्नीसवीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आदिवासियों ने अपना विद्रोह आरंभ किया, जिसमें छोटा नागपुर के सिंहभूम इलाके के हो आदिवासी (1820–21) थे। जब स्थानीय राजाओं के द्वारा इन आदिवासियों के विद्रोहों को नियंत्रित नही किया जा सका तो उनके साथ पूरी ताकत से निपटने के लिए ब्रिटिश सैनिको की मदद ली गई।

छोटा नागपुर का मुण्डा विद्रोह (1899–1900) सबसे विस्तृत एवं संगठित जनजातीय महाविद्रोह था। यह विद्रोह अपने अधिकारों यानि कृषि व्यवस्था में बढ़े हुए लगान को अदा न कर पाने व औपनिवेशिक बढ़ती हुई शोषणकारी नीतियों के कारण उपजी बेकारी की समस्या के कारण हुआ। मुण्डा खेतों से गहराई से जुडे हुए थे, क्योंकि उन खेतो को उन्होने बड़े परिश्रम से जगल काटकर बनाया था। उन्हें यह बात खराब लग रही थी कि जमीन के स्वतंत्र मालिक की सम्माननीय स्थिति से गिराकर उन्हें सिर्फ किराएदार बना दिया गया है।[3]

मुण्डा एक प्राचीन आदिवासी समुदाय जो कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मध्यप्रदेश और त्रिपुरा में रहते है। मुण्डा आदिवासी के प्रमुख देवता सिंग बोंगा है। सामूहिक भूस्वामित्व पर आधारित जनजातीय समाज में **खुटकुट्टी व्यवस्था** के अन्तर्गत जमीन को नीलाम कर जब नई व्यस्वथा को लागू किया व लगान की दर में बढ़ोत्तरी की गई तो विद्रोह होना स्वाभाविक था, क्योकि मुण्डा जनजाति की अधिकांश भूमि अनुपजाऊ थी। उनमें जो कृषक थे वे बढ़े हुए लगान को महाजनों, साहूकारों व सूदखोरों को देने में असमर्थ हुए। अपने ही ज़मीनों से बेदखल होने लगे तो उनका आक्रोषित होना लाज़िमी था और धीरे–धीरे उनके हक की ज़मीन भी ज़ब्त की जाने लगी। भूमि और उपज संबंधी अन्य अधिकारों को भी स्पष्ट नहीं किया गया जिससे मुण्डा और ओरॉंव लोगों में असंतोष फैला।[4]

इस व्यवस्था के खिलाफ एक आदिवासी नेता बिरसा मुण्डा ने नेतृत्व संभाला। बिरसा 15 नवम्बर 1875 ई0 को बिहार–झारखण्ड में राँची के समीप उलीहातू में जन्मा। उसने रीति–रिवाजों को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। उसने सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर समाज सुधारने का प्रयास किया। 1895 ई0 में बिरसा के रूप में एक ऐसे मत का उदय हुआ जो सभी मुण्डाओं को एक सूत्र में पिरों सकता था।

उसने खुद को **'धरती आबा'** यानि **धरती का पिता** व **'देवदूत'** कहा। उसने कहा कि जो उसके अनुयायी नही होगें, वे मर जाएँगे। उसने चोरी, झूठ बोलने, भीख माँगने और हत्या करने का कठोर निषेध किया और कुछ समय बाद उसने खुद को ईश्वर घोषित कर दिया......। एक बार उसने कहा कि अमुक दिन प्रलय आएगा लेकिन जब ऐसा नही हुआ तो उसका कुछ और कारण बता दिया गया।[5]

उसने रूढ़िवादिता, निरर्थक कर्मकाण्ड को छोड़कर एक देवता 'सिंहबोंगा' की आराधना पर बल दिया। स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। उसने विदेशी समाज को उखाड़ फेंकने की अपील की व आदर्श समाज की स्थापना हेतु प्रयास किया। बिरसा सम्पूर्ण स्वतंत्रता का पक्षधर था ऐसी स्वतंत्रता जो राजनीतिक भी हो ओर धार्मिक भी।[6]

कितने ही मुण्डा आदिवासी अपने धर्म परिवर्तन कर ईसाई हो गए थे, किन्तु यह उनका स्वनुभव था कि अपनी जाति बदल लेने के बावजूद भी उनकी जिंदगी बदहाल ही थी।

बिरसा मुण्डा के धर्म और आचार–विचार संबंधी निर्देशों के संदर्भ में सबाल्टर्न विचारधारा के प्रसिद्ध चिन्तक ग्रामशी का यह कथन उद्धरित किया

* अतिथि विद्वान (इतिहास) रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला मण्डला (म.प्र.) भारत

जा सकता है कि आम अनपढ़ जनता की इच्छाओं को व्यक्त करने और दुनिया व जिन्दगी को समझने के उनके खास तरीके के तौर पर धर्म एक आवश्यकता रहा है और अब भी है और यह उन्हें वास्तविक व्यवहारिक जिन्दगी के लिए एक आम नज़रिया प्रदान करता है।[7]

के. सुरेष सिंह का मत है कि 'सच पूछा जाए तो मुण्डाओं का आंदोलन भूमि के प्रश्न पर तो हुआ ही, साथ ही उसके पीछे आत्मरक्षा की प्रबल इच्छा भी काम कर रही थी। आत्मरक्षा की इस भावना से प्रेरित होकर पहले तो मुण्डा ईसाई धर्म की ओर अपने बचाव के लिए मुड़े। जब वहाँ उन्हे निराशा हाथ लगी तो वे कलकत्ता के वकीलों की ओर मुडे और जब अदालतों में अपने विरूध चल रहे भूमि संबंधी मुकदमों में न्याय पाने में मुण्डाओं को विफलता मिली तो वे अन्त में और कोई उपाय न देखकर बिरसा के नेतृत्व में अधिकारियों से भिड़ गए।[8]

एक नेता के रूप में बिरसा का उदय और आंदोलन एसे जनजातीय आंदोलनों और उनके नेतृत्व के विकास के एक चरण का प्रतीक है।[9]

बिरसा ने जनजातीय मुण्डा समाज से लगान न देने की अपील की। अपने उपदेशों व विभिन्न सभाओं के माध्यम से राजनीतिक आधिकारों को जागृत करने का प्रयास किया। विभिन्न शोषणकारी तत्वों, ईसाई मिशनरियों व औपनिवेशिक ताकतों को लगान मत दो। बिरसा ने मुण्डा समाज में आत्मसुधार, आत्मबल व नैतिकता की भावना को जागृत करने का प्रयास किया। राँची, खूटी, तमार इत्यादि स्थानों में हिसंक धटनाएँ हुई। बिरसा की दिनोदिन बढ़ती लोकप्रियता सरकार के चिंता का कारण बनी। फलस्वरूप बिरसा को गिरफ्तार कर बन्दी बना लिया गया। नवम्बर 1895 ई. मे उसे और उसके नौ खास अनुयायियों को दो साल की सजा दी गयी।[10]

जेल से रिहाई के बाद बिरसा ने अपने आंदोलन को और अधिक संगठित किया। उसने मुण्डाओं में आत्मरक्षा के साथ-ही-साथ विद्रोह एवं बदले की भावना का संचार कर लड़ाई को तैयारी हेतु प्रोत्साहित किया। बड़ी संख्या में तीर-कमान-तलवार बनाए गए। विद्रोह की जोरदार तैयारी की गई। उसने अपने अनुयायियों से आग और तीर से दुश्मनों पर प्रहार का आह्वान किया। यह विद्रोह सिंहभूम के पोराहाट, खुमटी, टोपर जैसे स्थानों में फैलता हुआ लगभन 400 वर्गमील के पहाड़ी इलाके में फैल गया।

सरकारी दमन की कार्यवाही कर बिरसा व उसके अनुयायियों को बंदी बनाकर विद्रोहियों के लिए सरकार ने पुरस्कार घोषित किए। बंदी बिरसा पर खूँटी के रास्ते राँची जेल में मुकदमा चला। जेल मे ही बिरसा 20 मई 1900 ई0 को हैजा के कारण बीमार हो गया। जेल में इलाज के बावजूद 9 जून 1900 ई0 को जेल में ही बिरसा की मृत्यु हो गई।[11]

वास्तव में यह आंदोलन दमनकारियों के खिलाफ आहान था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाले इस आंदोलन की वजह से कुछ विद्वान उसे प्रारंभिक 'स्वाधीनता सेनानी' व 'देशभक्त' मानते है। हालाँकि स्टीफेन फुक्स का मत है कि बिरसा का यह आंदोलन मुण्डा आदिवासियों तक सीमित था, यहाँ तक कि छोटा नागपुर के अन्य आदिवासियों ने पर्याप्त तादाद में उसका साथ नही दिया।[12]

इसमें कोई संदेह नही कि बिरसा का आंदोलन बुनियादी रूप से सिर्फ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। वास्तव में इस आंदोलन का मुख्य केन्द्र उन सामाजिक व आर्थिक ताकतो पर आक्रमण करना था, जिन्होने मुण्डा जनजाति के जीवन को गहराई से तहस-नहस किया था। अतः यह आंदोलन आत्मरक्षा के विचारों से प्रेरित आंदोलन कहा जा सकता है।

बिरसा के विद्रोह ने मुण्डा जनजाति की दशा व दिशा बदल दी। वे अब अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो गए।

यह आंदोलन महज आदिवासी विद्रोह नही था वरन आदिवासी स्वायत्तता हेतु अपने अधिकारों के लिए एक संधर्ष था। इसी गौरव के कारण बिरसा आज देश भर में देवता का साद्दष्य पूजे जाते है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एल.पी. विद्यार्थी व बी.के.राय: द ट्राइबल कल्चर ऑफ इण्डिया, 1985, पृ0 25
2. के.एस. सिंह: पीपुल ऑफ इण्डिया, जिल्द तीन, द शेडयूल्ड ट्राइब्स, 1994, पृ0 5-6
3. स्टीफेन फुक्स: रिबेलियस प्रॉफेट्स, ए स्टडी ऑफ मैसिएनिक मूवमेन्टस इन इण्डियन रिलीजन्स, 1965, पृ0 26-27
4. एस.सी. राय: द मुण्डाज एंड देअर कन्ट्री, पृ0 106
5. के. सुरेश सिंह: बिरसा मुण्डा और उनका आन्दोलन, 2005, पृ0 64-75
6. वहीं, पृ0 299-230
7. कपिल कुमार: किसान विद्रोह, कॉग्रेस और अंग्रेजी राज, 1991, पृ0 144
8. के0 सुरेश सिंह: पूर्वो0 कृति, पृ0 228
9. वहीं, पृ0 244
10. वहीं, पृ0 76-96
11. वहीं, पृ0 128-145
12. स्टीफेन फुक्स: पूर्वो0 कृति, पृ0 34

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

'गोदान' की सामाजिक कुरूपता

डॉ. तृष्णा शुक्ला *

शोध सारांश – गोदान में ग्रामीण समाज की मनोवृति एवं वास्तविक स्थिति का चित्रण है। गोदान का होरी एक व्यक्ति ना होकर संपूर्ण कृषक समाज का प्रतिनिधि है। उसकी कठिनाइयां और समस्याएं संपूर्ण कृषक समाज की समस्याएं हैं। होरी के रूप में भारतीय कृषक समाज अपने संपूर्ण गुण–दोषों के साथ साकार हो उठा है। कृषक जीवन का अकाल और भुखमरी सदियों पुराना नाता है। होरी की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से नहीं हुई। कागजों में मौत का कारण अक्सर बुखार या लू लगना बताया जाता है लेकिन भारत में जितने किसान मरते हैं चार में से तीन गरीबी की बीमारियों के कारण अप्राकृतिक ढंग से मरते हैं। इन तक इलाज नहीं पहुंच पाता है इस दरिद्रता का ज्वलंत शिकारी होरी है। गोदान में ग्रामीण जीवन की सामाजिक कुरीतियों, देशी पूंजीपतियों, जमींदारों, महाजनों, पंडे–पुजारियों आदि द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष लूट और उनसे उत्पन्न निर्धनता का सच्चा चित्रण कर गांव में बसने वाले इन कर्मठ ईमानदार आदि का चित्र खींचा है। इस सम्मिलित एवं संगठित शोषण द्वारा यह भोले प्राणी कितने उत्पीड़ित एवं दुखी हैं। वे सारे देश का पेट पाल कर स्वयं भूखे रहते हैं। जब वे फरियाद करते हैं या अपना असंतोष व्यक्त करते हैं तब उन्हें किस निर्दयता के साथ कुचल दिया जाता है और ऐसा ग्रामीण समाज विशेष रूप से कृषक समाज अपनी संपूर्ण अच्छाई बुराई के साथ प्रेमचंद की पूर्ण सहानुभूति का अधिकारी भी बना है।

प्रस्तावना – गोदान में ग्रामीण समाज की मनोवृति एवं वास्तविक स्थिति का चित्रण है। गोदान का होरी एक व्यक्ति ना होकर संपूर्ण कृषक समाज का प्रतिनिधि है। उसकी कठिनाइयां और समस्याएं संपूर्ण कृषक समाज की समस्याएं हैं। होरी के रूप में भारतीय कृषक समाज अपने संपूर्ण गुण–दोषों के साथ साकार हो उठा है। वह समाज–बिरादरी, धर्म, कानून, परिवार, रीति–रिवाज सबको मानकर चलता है लेकिन संकट के समय कोई भी सहायक नहीं होता। सभी उसे खाते हैं, सभी उसे नोंचते हैं। एक सच्चे किसान की तरह परिस्थितियों से संघर्ष करता रहता है, उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए भाई का छल सहता है, बिरादरी का डांड देता है, थानेदार उससे रिश्वत मांगता है, महाजन, जमींदार और ब्राह्मण उसे चूसते हैं, उसका अपना बेटा भी उसे बुरा कहता है और उसे छोड़ कर शहर चला जाता है। अंत में उसकी वह भूमि भी उसके हाथ से निकल जाती है जिसके लिए वह सब करता आया था, वह किसान से मजदूर बन जाता है और इसी हालत में अत्यधिक परिश्रम करने के कारण जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो धनिया के पास गोदान के लिए बीस ही आने पैसे बचते हैं और यही पैसों से उसका गोदान होता है। ऐसे भोले, कर्मठ, ईमानदार होरी जैसे व्यक्तियों का समाज व्यवस्था में इसी तरह अंत होता है।'गोदानभ में प्रेमचंद ने जिस समाज को चित्रित करने का बीड़ा उठाया है, वह दीन है। मिल मालिकों के सुसज्जित राजप्रसाद, नगरों की अट्टालिका, धनी महाजनों और रईसों के प्रमोद उद्यान तक दौड़ लगा आती है। यदि एक ओर उन्होंने जमींदारों, महाजनों, रईसों सरकारी अफसरों, और धर्म ध्वजियों के निष्ठुर लोग, उद्धत अन्याय, दुर्विनित अहंकार, मिथ्या दंभ, दर्द एवं दैन्य एवं दारिद्र्य के बीच उनके ऐश्वर्य एवं विलासिता के हृदय हीन आडंबर को यथार्थ चित्रण किया है तो दूसरी ओर अज्ञात और साधारण नर नारियों के जीवन में जो सरल धर्मभीरूता, जो आदर्श निष्ठा, जो सुषमा और जो माधुर्य है उसकी ओर भी दृष्टि निक्षेप किया है। इस तरह प्रेमचंद ने भारतीय समाज के वास्तविक स्वरूप को मानस चक्षुओं से देखा था और उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में गोदान में चित्रित किया। गोदान में वर्तमान संपूर्ण व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा खोल कर हमारे सामने रख दिया और हमारी आंखों में उंगली डालकर कहा कि, 'देखो, यह है तुम्हारी असली हालत। तुम्हारी समाज व्यवस्था, जिसमें होरी जैसे व्यक्ति को भूखा मर जाना पड़ा।' इसी कारण गोदान तत्कालीन समाजवाद का उद्घोष कहा जा सकता है। गोदन में चित्रित सामाजिक कुरुपता की विवेचना इस प्रकार है ।

प्रेमचंद ने सिलिया के संघर्ष को मानवीय सम्मान के लिए दलित औरत समुदाय के संघर्ष को चित्रित किया है। यह संघर्ष जातिवादी संघर्ष का रूप ना ले सका बल्कि गांव में मरजाद और मानव अधिकार का संघर्ष बना। सामाजिक विषमता के कई चेहरों में एक है जातिवाद गोदान में जाति भेद का नग्न रूप मातादीन और सीरिया के संबंध में है दलित और तुमको द्विज बहुत सताते हैं खेल बना ली जाती हैं तथा दलितों पर द्विज प्रभुत्व प्रधान समाज में अन्य भी कई तरह से अत्याचार होते हैं। मातादीन ने जनेऊ हाथ में लेकर सिलिया चमारिन से कहा था। 'जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा।' [1] पर समय बीतते ही दोनों के संबंध मालिक और मजदूर के हो गए। भारतीय समाज में औरतों पर जुल्म नई बात नहीं है लेकिन दलित औरतों पर अधिक जुल्म होते हैं। प्रेमचंद के युग में समाज विखंडित नहीं हुआ था जाति–संघर्ष का रूप दिखाई देता था। होता धर्म–संघर्ष था, लेकिन इसमें जाति–संघर्ष दिखाई देता था। सिलिया का बाप हरखू पंडित दातादीन को चुनौती देता है, 'तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, पर हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो हमारे सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो। हमारे साथ खाओ–पियो, हमारे साथ उठो–बैठो। हमारी इज्जत लेते हो, तो अपना धर्म हमें दो।' [2] हरखू अपनी जाति के लिए मानवाधिकार चाहता हैं। उसे अपमान की जिंदगी से निकलने तथा बराबरी की जिंदगी की बहुत तेज भूख है। धर्म ने उसे नीची जाति का बना कर रखा है। आर्थिक स्तर पर वह दबा हुआ है ही, सामाजिक स्तर से भी

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प.म.ब.गुजराती विज्ञान महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

दबा हुआ है। उसकी लड़ाई दोहरे शोषण के खिलाफ है। उसकी मांग है कि मातादीन ने उसकी बेटी सीलिया को रखा तो उसे ब्याहता का दर्ज दे। अपनी मां से पीटने पर भी सिलिया उसके साथ बिरादरी में नहीं लौटी। वह जाति–विषमता का युद्ध नए तरीके से लड़ना चाहती है। वह पूरी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देकर मातादीन का ह्रदय अंतत: जीत लेती है।

गोदान में रूपा और रामसेवक का विवाह अनमेल विवाह है। यह अनमेल विवाह दहेज की कुप्रथा के कारण हुआ है और किसी तरह दहेज के अभाव में रूपा अधेड़ रामसेवक दुहाजू के गले मढ़ दी जाती है। रूपा अपने ससुराल में खुश थी। जिस दशा में उसका बालपन बीता था उसमें पैसा सबसे कीमती चीज थी। मन में कितनी साधे थी, जो मन में ही घुट–घुट कर रह गई थी। वह अब उन्हें पूरा कर रही थी और रामसेवक अधेड़ होकर भी जवान हो गया था। रूपा के लिए वह पति था, उसके जवान अधेड़ या बूढ़े होने से उसकी नारी भावना में कोई अंतर न आ सका था। यह अनमेल विवाह होरी की आर्थिक विवशता का परिणाम है, यही आर्थिक विवशता उसे अंत में मृत्यु की ओर ले जाती है।

गोदान में दहेज की कुप्रथा पर विचार किया गया है। पंडित दातादीन को ही ले लीजिए, उन्होंने अपनी दो लड़कियों के विवाह में 500– 500 रुपए दहेज में दिए थे इसीलिए वह अपने लड़के मातादीन के विवाह में लड़की वालों से कम से कम हजार, पांच सौ रुपए लेकर हिसाब बराबर करने की फिक्र में थे। गोदान में प्रेमचंद ने मथुरा के रूप में एक ऐसे नवयुवक का उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसने अपनी दृढ़ता से पिता को दहेज न लेने का आग्रह किया होरी की लड़की सोना सत्रह वर्ष की हो चली थी। होरी ने दो सौ रुपए दुलारी साहूआइन से उधार लेकर सोना का ब्याह सोनारी के किसान गोरी महतो के पुत्र मथुरा से करने का निश्चय किया। सोना जानती थी कि उसके पिता पैसे–पैसे को तंग हैं यदि उसके ब्याह में दो सौ रुपए उधार लिए तो दो–चार वर्ष में दुगूने ने हो जाएंगे इससे घर की जमीन बेचनी पड़ेगी। इसीलिए उसने सिलिया के हाथ मथुरा को संदेश भिजवा दिया कि, 'अगर तुमने एक पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह ना करूंगी।ॅ मथुरा में दया धर्म थी उसने अपने पिता से दहेज ना लेने की बात कही। इस पर बाप बेटे में कहासुनी हो गई जिस पर मथुरा ने कहा, 'तुमको लेना देना है तो, मेरा ब्याह मत करो। मैं अपना ब्याह जैसा चाहूंगा कर लूंगा।' [3] अंत में बिना दहेज के सोना व मथुरा का विवाह होता है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता है नव युवकों की दृढ़ता की।

गांव की विधवा नारियाँ भी परंपराओं के बंधन तोड़ नवीन मानसिक चेतना से आक्रांत है। गांव में पति की मृत्यु के साथ सती होने की प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है गोदान में विधवा ग्वालिन झुनिया को इधार–उधार भटकना नहीं पड़ता। वह गोबर से विवाह निश्चित कर लेती है। इस बात की आलोचना समाज में होती है किंतु होरी को जो जुर्माना देना पड़ता है वह इस कारण कि उसके बेटे ने समाज से छिपकर विवाह किया है। समस्या एक है सामाजिक व्यवस्था भी एक है लेकिन मध्यम वर्ग और जमींदार वर्ग या उच्च वर्ग में यह समस्या एक विकृत मानसिक रूप धारण कर नैतिकता का पतन करती है।

गोदान में अशिक्षित होरी की दुखभरी जिंदगी का चित्रण देखने को मिलता है। महाजन के हथकंडे इतने तक ही सीमित न थे, वह भोले–भाले किसानों की और शिक्षा का फायदा उठाकर उनका शोषण करते थे। लगान चुकाने की रसीद ना देना आदि ऐसे कार्यों से किसान को हर समय हाथ में रखते थे। अकेला अनपढ़ किसान किस–किस से मुकाबला करता भगवान ही उसके अंतिम आश्रय होते थे। पर अब नई पीढ़ी में नई चेतना विकसित हो रही थी। गोबर शहर में जाकर अब इतना दब्बू ना रहा। गांव के महाजनों या किसी अन्य द्वारा उसका आर्थिक शोषण अब संभव नहीं था। अशिक्षित होरी के सीधेपन से गोबर चिढ़ता है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शाह आर खंबाटा ने तत्कालीन भारतीय दरिद्रयता के संबंध में लिखा है, 'हिंदुस्तानियों की औसत आमदनी इतनी होती थी कि तीन आदमियों की आमदनी से दो का ही पेट भर सकता है। उनको तीन बार खाना खाने की जरूरत होती है। तीन बार न खाकर दो ही बार खाएं तो इतना हो सकता है कि इन तीन आदमियों का पेट भर जाए लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि वह कपड़े ना पहने और ना ही घर में रहे। तभी अपनी आमदनी से वे भरपेट खाना खा सकते हैं लेकिन यह खाना ऐसा होना चाहिए कि सबसे मोटा–झोटा और शारीरिक शक्ति के लिए बिल्कुल मामूली हो।

आर्थिक विवशता और दरिद्रता का मार्मिक चित्र गोदान में हमें होरी के रूप में देखने को मिलता है। होरी बोला, 'इस जन्म में तो कोई आशा नहीं, भाई। हम राज नहीं चाहते, भोग–विलास नहीं चाहते, खाली मोटा–झोटा खाना और मरजाद के साथ रहना चाहते हैं वह भी नहीं सधाता।' [4] होरी जीवन में आर्थिक गिरावट और वह निरंतर कर्जभार से लदता गया। दिन भर खटने के बावजूद उसके पास खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र नहीं था। यह हालत तब है जब पूरा परिवार मिट्टी और पसीना एक कर रहा है। किसानों की आवश्यकता ही कितनी है वह भी उन्हें मयस्सर नहीं है। ना जाने भगवान कहां सोए हैं कि इतना अन्याय देखते हैं और नहीं बोलते हैं। साल में छ: महीने एक जून खाकर बेचारे दिन काटते हैं, चिथड़े पहनते हैं लेकिन सरकार को देखो तो उन्हीं की गर्दन पर सवार। हाकिमों को तो अपने लिए बंगले चाहिए, मोटर चाहिए पर गरीबों का इतना सुख भी नहीं देखा जाता। जिसे देखो गरीबों का रक्त चूसने को तैयार है। हम जमा करने की नहीं मांगते हैं, ना हमें भोग विलास की इच्छा है लेकिन पेट की रोटी और ढंकने को कपड़ा तो चाहिए। साल भर खाने पहनने को छोड़ दो गृहस्थी का जो खर्च पड़े वह दे दो बाकी जितना है उठा ले जाओ गरीबों की कौन सुनता है। कृषक परिवार खुद पूरा पेट नहीं भर पाता था और जानवर भी भूखे रहते थे। होरी को कई बार चबैना भी नहीं मिलता। भूखी रूपा हीरा के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। केवल जैसे गर्म कपड़े फटी हालत में भी कई पीढ़ियों तक चलते वह चाहता था शीत को भूल जाए और सो जाए लेकिन तार कंबल और फटी हुई मिजइ से कैसे सोए। बेवाय फटे पैरों को पेट में डालकर और अपने हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छुपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। गोदान में गोबर अपने पिता की असहाय दरिद्रता के लिए कहता है। घर–घर का एक हिस्सा गिरने–गिरने को हो रहा था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा हुआ था वह भी नीमजान और यह दशा केवल होरी ही की ना थी सारे गांव पर वह विपत्ति थी। ऐसा कोई आदमी भी नहीं जिसकी रोनी सूरत ना हो मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते–फिरते थे, काम करते थे पिसते थे, घुटते थे, इसलिए कि पिसना और घुटना उनकी तकदीर में लिखा था। जीवन में ना कोई आशा है ना कोई उमंग जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हो और सारी हरियाली मुरझा गई हो। अभी तक खलिहान में अनाज मौजूद है मगर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है बहुत कुछ तो खलियान में ही तुल कर महाजनों को बिक चुका है और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने हैं उसमें उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतना शिथिल हो गई है, द्वार पर कूड़ा जमा

है, दुर्गंधा उड़ रही है मगर उनकी नाक में न गंध है, न आंख में ज्योति। शाम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं मगर किसी को भय नहीं सामने जो कुछ मोटा-झोटा आ जाता है खा लेते हैं उसी तरह जिस तरह इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चुनी-चोकर के बिना नांद में मुंह नहीं डालते मगर उन्हें केवल पेट में डालने को कुछ चाहिए, स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उनकी रसना मर चुकी है, उनके जीवन में स्वाद का लोच हो गया था। उनसे धेले-धेले के लिए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चल वालो। पतन की वह इंतेहा जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। दरिद्रता व्यक्ति को कितना विवश और असहाय बना देती है।होरी की अभिलाषा को प्रेमचंद ने कितने मार्मिक शब्दों में लिखा है होरी कदम बढ़ाए चले जाता है उसने मन में कहा, 'भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे, उसकी खूब सेवा करूंगा कुछ नहीं तो चार-पांच सेर दूधा होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। गौ से ही तो द्वार की शोभा है, सवेरे-सवेरे गौ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना, ना जाने कब यह साधा पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा।' लेकिन होरी कि यह अभिलाषा पूरी नहीं होती है, एक दिन होरी का जीवन समाप्त हो जाता है हीरा भाभी से कहता है, 'भाभी दिल कड़ा करो गोदान करा दो। धनिया अपने पति के प्रति उसका जो कर्म है वह पूरा करती है वह यंत्र की भांति उठती है और आज जो सुतली बेची थी उसके बीस आने पैसा लाई और पति के ठंडे हाथों पर रखकर मातादीन से बोलती है, 'महाराज घर में न गाय हैं, न बछिया, न पैसे। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है।'[5]

'कृषक जीवन का अकाल और भुखमरी सदियों पुराना नाता है। होरी की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से नहीं हुई। कागजों में मौत का कारण अक्सर बुखार या लू लगना बताया जाता है लेकिन भारत में जितने किसान मरते हैं चार में से तीन गरीबी की बीमारियों के कारण अप्राकृतिक ढंग से मरते हैं। इन तक इलाज नहीं पहुंच पाता है इस दरिद्रता का ज्वलंत शिकारी होरी है।'[6]

'गोदान में ग्रामीण जीवन की सामाजिक कुरीतियों, देशी पूंजीपतियों, जमींदारों, महाजनों, पंडे-पुजारियों आदि द्वारा की जाने वाली प्रत्यक्ष लूट और उनसे उत्पन्न निर्धनता का सच्चा चित्रण कर गांव में बसने वाले इन कर्मठ ईमानदार आदि का चित्र खींचा है। इस सम्मिलित एवं संगठित शोषण द्वारा यह भोले प्राणी कितने उत्पीड़ित एवं दुखी हैं। वे सारे देश का पेट पाल कर स्वयं भूखे रहते हैं। जब वे फरियाद करते हैं या अपना असंतोष व्यक्त करते हैं तब उन्हें किस निर्दयता के साथ कुचल दिया जाता है और ऐसा ग्रामीण समाज विशेष रूप से कृषक समाज अपनी संपूर्ण अच्छाई बुराई के साथ प्रेमचंद की पूर्ण सहानुभूति का अधिकारी भी बना है।' [7]

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोदान - प्रेमचन्द, सरस्वती विहार, 1987 पृ. 245
2. गोदान - प्रेमचन्द, सरस्वती विहार, 1987 पृ. 245
3. गोदान - प्रेमचन्द, सरस्वती विहार, 1987 पृ. 256
4. हिन्दी उपन्यास युगचेतना और पाठकीय - डॉ. मुकुन्द द्विवेदी, लोक भारतीय प्रकाशन, पृ. 52
5. समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचन्द - डॉ. महेन्द्र भटनागर, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, द्वितीय संस्करण 1100 पृ. 130
6. प्रेमचन्द का पुर्वमूल्यांकन -शंभुनाथ, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 1988, पृ. 108
7. प्रेमचन्द आलोचना एक अध्ययन, विनोद पुस्तक मंदिर, 1962 पृ. 140

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

On the Cylic Group Related to the F-Stricture Equation $\sum_{k=1}^{p} F^k = 0$

Lakhan Singh*

Abstract : In this paper the cyclic group related to the F – Structure equation

$$\sum_{k=1}^{p} F^k = 0$$

(p being odd prime) has been studied. The Metric F – Structure and the properties of kernel, collection of tangent and normal vectors have also been discussed.

Keywords : Differentiable manifold, projection operators, linear congruence, group, kernel, tangent and normal vectors.

1. Introduction :

Let M^n be a differentiable manifold of class C^∞ and F be a (1, 1) tensor of class C^∞ defined on M^n satisfying.

(1.1) $\sum_{k=1}^{p} F^k = 0$ or $F^p + F^{p-1} + F^{p-2} + \ldots\ldots\ldots + F^2 + F = 0$.

we define the operators l and m on M^n, satisfying

(1.2) $l = F^p$, $m = I - F^p$

where I denotes the identify operator.

Theorem (1.1) Let F, l and m satisfy (1.1) and (1.2)

Then

(1.3) (i) $F^s = F^r$ where $s \equiv r \pmod p$, $s, r \geq 1$.

(ii) $l + m = I$, $l^2 = l$, $m^2 = m$, $lm = ml = 0$

$Fl = lF = F$, $Fm = mF = O$.

Proof (i) From (1.1) we have

(1.4) $F^p = -F^{p-1} - F^{p-2} - \ldots - F^2 - F$

$\Rightarrow \quad F^{p+1} = -F^p - F^{p-1} - \ldots - F^3 - F^2$

$= F^{p-1} + F^{p-2} + F^{p-3} + \ldots + F^2 + F - F^{p-1} - F^{p-2} - F^3 - F^2 = F$

$\Rightarrow \quad F^{p+2} = F^2, F^{p+3} = F^3, F^{p+4} = F^4, \ldots F^{2p} = F^p, F^{2p+1} = F$, etc

$\Rightarrow \quad F^s = F^r$ where $s = r \pmod p$, $s, r \geq 1$.

(ii) From (1.2) and (1.3) (i) we get the required results.

Theorem (1.2) Let F and m satisfy (1.1) and (1.2) the set

(1.5) $M_p = \{m + F, m + F^2, M + F^3, \ldots M + F^{p-1}, m + F^p\}$ is a cyclic group under the multiplication of operators.

Proof : using (1.3) we have the cayley table for M_p

(1.6) Table

	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	…	$m + F^{b-1}$	$m + F^p$
$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	…	$m + F^p$	$m + F$
$m + F^2$	$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	…	$m + F$	$m + F^2$
$m + F^3$	$m + F^4$	$m + F^5$	$m + F^6$	…	$m + F^2$	$m + F^3$
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-		-	-
$m + F^{p-1}$	$m + F^p$	$m + F$	$m + F^2$	…	$m + F^{p-2}$	$m + F^{p-1}$
$m + F^p$	$m + F$	$m + F^2$	$m + F^3$	…	$m + F^{p-1}$	$m + F^p$

From (1.6) Table, it is clear that

a) Closure property : The product of any two elements of M_p is again in M_p : M_p is closed under multiplication.

b) Associative property: Since the multiplication of operators is always associative : it holds for elements of M_p also.

c) Existence of identity : From (1.6) Table, it is clear that $m + F^p$ works as an identity element of M_p. also From (1.2) it is clear that $m + F^p = I$

d) Existence of inverse : From (1.6) table it is clear that

(1.7) $(m + F^r)^{-1} = m + F^{p-r}; 1 \leq r \leq p - 1$

and

$(m + F^p)^{-1} = m + F^p = I$

Thus each element of M_p has its multiplicative inverse in M_p

In all M_p is a group.

(1.8) $0(M_p) = p$ (a prime number), therefore M_p is a cyclic group.

Moreover

$M_p = \langle m + F \rangle = \langle (m + F^2 \rangle = \ldots = \langle m + F^{p-1} \rangle$

*Department of Mathematics, D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

or

$M_p = < m + F^r >$ where $1 \le r \le p - 1$.

Theorem (1.2) Let (1, 1) tensors , $\beta \in M_p$, where .

(1.9) $\alpha = m + F, \quad \beta = m + F^{p-2}$ then

(1.10) $\alpha^p = I = \beta^p = \alpha^2\beta$

Proof : from (1.2), (1.3) , (1.6) table and (1.9) we get (1.10)

Theorem (1.3) Let (1, 1) tensors $\gamma, \delta \in$, M_p where

(1.11) $\gamma = m + F^2, \delta = m + F^{p-1}$ then

(1.12) $\gamma^{(p-1)/2} = \delta, \gamma\delta^2 = I$

Proof : from (1.2), (1.3) , (1.6) table and (1.11) we get (1.12)

2. Metric F – Structure :

Let g be the Riemannian metric satisfying

(2.1) 'F (X, Y) = g (FX, Y) is symmetric then

(2.2) g (FX, Y) = g (X, FY) and

{F, g} is called metric F – structure.

Theorem

(2.1)Let F satisfies (1.1) then

(2.3) $g(F^p X, F^p Y) = g(X, Y) - {}^1m(X, Y)$ where

(2.4) ${}^1m(X, Y) = g(mX, Y) = g(X, mY)$.

Proof : using (1.2), (1.3), (2.2) and (2.4) we have

(2.5) $g(F^pX, F^pY) = g(X, F^{2p}Y)$

$= g(X, l^2Y)$

$= g(X, lY)$

$= g(X, (I - m)Y)$

$= g(X, Y) - g(X, mY)$

$= g(X, Y) - {}^1m(X, Y)$

3. Kernel, Tangent and Normal vectors.

We define

(3.1) Ker F = { X : FX = 0 }

(3.2) Tan F ={ X : F X||X } = { X : FX = λX }

(3.3) Nor F = { X : g (X, FX) = 0, ∀ Y)

Theorem (3.1) : Let F satisfies (1.1) then

(3.4) $\text{Ker } F = \text{Ker}F^2 = \ldots = \text{Ker}F^p$

(3.5) $\text{Tan } F = \text{Tan } F^2 = \ldots = \text{Tan } F^p$

(3.6) $\text{Nor } F = \text{Nor}F^2 = \ldots = \text{Nor}F^p$

Proof : we Prove only (3.5)

Let $X \in \text{Tan}F \Rightarrow FX = \lambda X$

$\Rightarrow F^2X = F(\lambda X) = \lambda FX = \lambda^2 X$

$\Rightarrow X \in \text{Tan } F^2$

Thus

(3.7) $\text{Tan } F \le \text{Tan } F^2$

Now Let $X \in \text{Tan } F^2 \Rightarrow F^2X = \lambda^2 X$ (say)

$\Rightarrow F^3X = \lambda^3 X$

$\Rightarrow \ldots\ldots\ldots$

$\ldots\ldots\ldots$

$\Rightarrow F^{p+1}X = \lambda^{p+1}X$

$\Rightarrow FX = \lambda^{b+1} X$

$\Rightarrow FX \| X$

$\Rightarrow X \in \text{Tan } F$

Thus

(3.8) $\text{Tan } F^2 \le \text{Tan } F$

From (3.7) and (3.8) we have Tan F = Tan F^2 etc

References:-

1. A Bejancu : on semi invariant submanifolds of an almost contact metric manifold . An Stiint University, "A.I.I. Cuza" Lasi Sec. Ia Mat (Supplement) 1981, 17-21.
2. B. Prasad: Semi - invariant submanifolds of a Lorentzian Para-sasakian manifold, Bull Malaysian Math. Soc (second series) 21 (1988) 21-26
3. F. Careres : Linear invariant of Riemannian product manifold, Math Proc. Cambridge Phil. Soc 91(1982),99-106
4. Endo Hiroshi: On invariant submanifolds of connect metric manifolds, Indian J. Pure Appl. Math 22(6)(June 1991), 449-453.
5. H.B.Pandey & A. Kumar : Anti - invariant some manifold of almost para contact manifold. Prog of Maths Volume 21(1): 1987.
6. K. Yano : On a structure defined by a tensor field f of the type (1,1) satisfying f3+f = 0. Tensor N.S., 14(1963),99-109
7. R. Nivas & S.Yadav : On CR- structure and $F_\lambda(2\nu + 3,2)$ - HSU - structure satisfying $F^{2\nu+3} + \lambda^r F^2 = 0$, Acta Ciencias Indica, Volume XXXVII M, No. 4,645(2012).
8. Abhishek Singh, Ramesh Kumar Pandey & Sachin Khare: On horizontal and complete lifts of (1,1) tensor fields F satisfying the structure question F (2k+S,S) = 0. International Journal of Mathematics and soft computing. Vol. 6, No. 1(2016) 143-152,ISSN 2249-3328.

****

रहीम दास के काव्य में सामाजिक सौहार्द

डॉ. श्याम पाल मौर्य *

प्रस्तावना – श्रूयतां धर्म–सर्वस्वं श्रुत्वा चौवावधार्यताम्।
आत्मन: प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।।

मानव के श्रेष्ठ व्यवहार के मूलाधार में यही अनुभूति होती है इसका मूलकारण है जगत में सब कुछ परमात्मा ही है, लीला के लिए उसने स्वयं को ही इन समस्त रूपों में व्यक्त कर दिया है। तात्पर्य यह कि हमारा व्यवहार भगवान के साथ ही हो रहा है या यह कह सकते हैं कि प्राणिमात्र एक परमात्मा की सन्तान है। हमारा व्यवहार सबके साथ बन्धु जैसा होना चाहिए। कोई चौदह भुवन का एक मात्र सम्राट हो, यदि वह भी किसी क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी से भी वैर कर करता है तो भगवान का कोप भाजन बनता है –

पन्नागरि अस रीति, श्रुति सम्मत सज्जन कहहिं।
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित।
चौदह भुवन एक पति होई।
भूत द्रोह तिष्टइ नहिं सोई।।1

गोस्वामी जी अन्यत्र भी कहते हैं:–

तुलसी या संसार में सब सों मिलिए धाय।
न जाने किस वेश में नारायण मिल जाये।।

ईशोपनिषद में श्रुति भी कहती है:–

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।।2

रामचरित मानस में भगवान राम कहते हैं :–

एहि बिधि जीव चराचर जेते।
त्रिजग देव नर असुर समेते।।
अखिल बिस्व यह मोर उपाया।
सब पर मोहि बराबरि दाया।।3

अन्यत्र भी श्रीराम कहते हैं

सब मम प्रिम सब सम उपजाए।
सबतें अधिक मनुज मोहि भाए।।4

यह निर्विवाद सत्य है कि जिनका ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाता है उन्हें निर्मल ज्ञान हो जाता है

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।।5

यथेष्ट ज्ञानी भगवद्‌भक्त सम्पूर्ण जगत में अपने प्रभु को देखता है। इसीलिए उसका प्राणिमात्र के प्रति श्रेष्ठ व्यवहार होता है। वह त्यागपूर्वक जगत का सेवन करता है। ईशोपनिषद में कहा गया है।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा: कस्यस्विद्धनम्।। 6

उपनिषद् की दृढ़ देशना है –

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा:।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।7

हमारे शास्त्रों ने पण्डित (ज्ञानी) उसी को माना है जिसका व्यवहार इस प्रकार है –

मातृवत् परदारेषु परद्रव्याणि लोष्ठवत्।
आत्मवत् सर्वभूतानि य: पश्यति स: पण्डित:।।

रामचरित मानस में भगवान शिव कहते हैं –

उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध।
निज प्रभुमय देखहिं जगत् केहि सन करहिं बिरोध।।8

इस जगत में सर्वत्र भगवदर्शन करने वाले भक्त मानव के सुन्दरतम व्यवहार की कसौटी हैं, आदर्श हैं। यह परमोच्च भाव भूमिका पर जगत का प्रत्येक व्यक्ति भगवद्‌भक्ति द्वारा ही आरूढ़ हो सकता है।

भगवान से जितना जीव दूर होता है, माया की छाया के प्रति उसकी प्रगाढ़ प्रवृत्ति इस श्रेष्ठ व्यवहार से उसे उतना ही दूर कर देती है। इस स्थिति में वह स्वयं तो श्रम पूर्ण व्यवहार कर घोर दुख भोगता है, समाज के लिए भी दु:खदायी होता है। भारत के संतों और भक्तों ने अपनी पावन वाणियों द्वारा युग युग में सन्मार्ग दिखाया है। हिंदी के सुधी संतो और भक्तों का तो कहना ही क्या ? कविवर तुलसीदास जी ने दोहावली में यह रहस्य समझाया है –

राम दूरि माया बढ़ति घटति जानि मन माँह।
भूरि होति रबि दूरि लखि सिर पर पगतर छाँह।9

भ्रम के कारण जब जीव विषयों के मिथ्या आकर्षण में पड़ जाता है तब यह संसार की दारुण दुखदायी दुर्घटना होती है। ईश भक्ति जैसी हजारों अमृत के समान दुर्लभ मधुरतम वस्तु भी सीठी लगने लगती है। फिर तो मनुष्य का सम्पूर्ण व्यवहार भयावह हो जाता है –

तुलसी जौ लौ विषय की मुधा माधुरी मीठि।
तौ लौ सुधा सहस्र सम राम भगति सुठि सीठि।।10

मानव व्यवहार के सुन्दर सूत्र प्रदान करने वाले हिंदी काव्य में अपनी अनुपम पहचान रखने वाले कविवर 'रहीम' के दोहे धरती पर मानव–समाज को सौहार्द की सदा अनुभव सिद्ध सीख देते रहेंगे।

अहंकार मानव का सबसे बड़ा रिपु है। अहं विहीन ईश भक्ति को रहीम दास मानव व्यवहार की सुन्दरता का आधार मानकर कहते हैं–

देन हार कोई और है भेजत जो दिन रैन।
लोग भरम हम पर करहिं तासो नीचे नैन।।

मिथ्या अहम न हो तो मानव का कोई भी कर्म उसे लिप्त नहीं करता। भक्त तो स्वभाव से ही ऐसा होता है। कविवर रहीम प्रभु के प्रति अपनी विनम्रता निवेदित

* प्रभारी एवं एसोसिएट प्रोफ़ेसर (हिंदी) बरेली कॉलेज, बरेली (उ.प्र.) भारत

करते हैं–

अच्युत–चरन–तरंगिनी, सिव–सिर मालति माल।
हरि न बनायो सुरसरी, कीजौ इंदव–भाल।।

मनुष्य समाज के सामाजिक संगठन और सौमनस्य के लिए जगत के प्राणिमात्र को चाहे वह छोटा हो बड़ा, श्रेष्ठ जन प्रभु की सन्तान समझ कर व्यवहार करते हैं। रहीम दास जी की वाणी में सचेत किया गया है –

रहिमन देख बड़ेने को लघु न दीजे डारि।
जहाँ काम आवै सुई कहा करे तरिवार।।11

वास्तविक बात यही कि प्रेम के बिना सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता, पर दुखकातरता, परोपकार, अहिंसा, बन्धुत्व, मैत्री और करुणा जैसे सामाजिक सौहार्द के आधारभूत गुण नहीं आ सकते। इस एक गुण को साध लेने पर सभी गुण आ जाते हैं। रहीम कहते हैं–

एकै साथै सब सधै, सब साधो सब जायँ ।
रहिमन सीचे मूल को फूलहिं फरहिं अघाय।।

और सुन्दर उदाहरण से रहीम समझाते हैं–

रहिमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून।
ज्यों हरदी जरदी तजै, तजै सफेदी चून।।

सच्चा प्रेम यदि साथ में हो तो किसी दूसरे की आवश्कता नहीं होती–

काह करौं बैकुण्ठ लै, कल्प वृक्ष की छाँह।
रहिमन ढाक सुहावनो, जो गल प्रीतम बाँह।।12

समाज के छोटे बड़े दोनो में परस्पर प्रीति के लिए रहीम कहते हैं–

छिमा बडेन को चाहिए, छोटेन को उतपात।
का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात।।
छोटेन सौं सोहै बड़े, कहि रहीम यह लेख।
सहसन को हय बाँधियात, लै दमरी की मेख ।।13

निर्धन और धनवानों के बीच में सदा से सामाजिक विषमता का गरल दंश देता रहा है। रहीम दास कहते हैं–

जे गरीब सौं हित करै, धनि रहीम वे लोग।
कहा सुदामा वापुरो, कृष्ण मिताई जोग।।14

निर्धन व्यक्ति तो सबकी ओर देखता है लेकिन जो दीन की ओर देखता है वही दीनबन्धु है –

दीन सवन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय।
जो रहीम दीनहि लखत, दीनबंधु सम होय।।

सज्जन व्यक्ति सौ बार रुँठ जाय तब भी उसे मनाने की प्रेरणा रहीमदास देते हैं–

टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार।
रहिमन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार।

मनुष्य को प्रारब्ध से जो भी स्थिति और परिस्थिति मिले उसे प्रसन्नता और ज्ञानपूर्वक सहना चाहिए। यही जगत जीवन की रीति हैं–

धरती की सी रीति है, सीत घाम और मेह।
जैसी परै सो सहि रहे, त्यों रहीम यह देह ।।15

अन्य कवियों ने भी यही बात कही है–

खोद, खाद धरती सहे, काट कूट बनराय।
कटू बचन साधू सहे, और पै सहया न जाय।।

समाज में जो बड़े हैं उन्हें अपना बड़प्पन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्षुद्र जन चाहें जो व्यवहार करें, उनके विपरीत व्यवहार से बड़े विचलित नहीं होते –

बड़े बड़ाई नहि तजैं, लघु रहीम इतराइ।
राई करौंदा होते है, कटहर होत न राइ।।
बड़े बड़ाई ना करे बड़ो न बोलें बोल ।
रहिमन हीरा कब कहै, लाख टका है मोल।।16

विवेकवान मनुष्य अपने प्रेम सम्बन्ध को कुशलता के साथ निभाते हैं। प्रेम का सुकुमार धागा क्षण भर की असावधानी से टूट सकता है। एक बार सम्बन्ध में दरार पढ़ने पर पूर्ववत कभी नहीं होता–

रहिमन धागा प्रेम का मत तोरउ चटकाय।
टूटे तो फिर ना जुरै, जुरै गाँठ परि जाय।
बिगरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय।
रहिमन बिगरे दूध को मथे न माखन होय।।17

जीवन में दुख और प्रतिकूलता पूर्व कर्मो के परिणाम स्वरूप आते हैं। असमय में किसी दूसरे को दोष न देकर धैर्य और मौन पूर्वक कर्म विपाक को सह लेना चाहिए ।

रहिमन चुप हवै बैठिए, देख दिनन को फेर।
जब नीके दिन आइहैं, बनत न लागिहै वेर।।18

परोपकार की भावना जीवन का चरम सौभाग्य है –

परहित सरिस धर्म नहि भाई। पर पीड़ा सम नहि अधमाई ।।

दुर्लभ मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ रीति यही है–

रहिमन रीति सराहिए, जो घट गुन सम होय।
भीति आप पै डारि के, सबै पियावै तोय।।19

'सर्वभूतहितेरत:' के पावन आदर्श के उपासक भारतीय सम्पूर्ण विश्व में इसी शक्ति से शान्ति का साम्राज्य बनाने में अहर्निशि लगे हैं। सत्य ही –

परहित बस जिन्हके मन माहीं।
तिन्ह कुहुँ जग कछु दुर्लभ नाही।।20

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. रामचरितमानस – उत्तरकाण्ड – 4
2. ईशोपनिषद् – 6
3. रामचरितमानस – उत्तरकाण्ड – 4
4. रामचरितमानस – उत्तरकाण्ड – 86
5. श्रीमद्भगवद्गीता रू– 10.1.
6. ईशोपनिषद् – 1
7. ईशोपनिषद् – 2
8. रामचरितमानस – उत्तरकाण्ड – 112 ख।।
9. तुलसी दोहावली –69
10. तुलसी– दोहावली
11. रहीम रचनावली
12. सं.– सत्यप्रकाश मिश्र रहीम रचनावली पृ.–59
13. सं.– सत्यप्रकाश मिश्र रहीम रचनावली पृ.–.6
14. सं.– सत्यप्रकाश मिश्र रहीम रचनावली पृ.–65
15. सं.– सत्यप्रकाश मिश्र – रहीम रचनावली पृ.–64
16. रहीम रचनावली– पृष्ठ 68
17. रहीम रचनावली– 269
18. सं.– सत्यप्रकाश मिश्र – रहीम रचनावली पृ. 74
19. सं.– सत्यप्रकाश मिश्र – रहीम रचनावली पृ. 79
20. रामचरितमानस – उत्तरकाण्ड – 31

****

मानव दुर्व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय संविधान के संदर्भ में- एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रमोद कुमार*

प्रस्तावना - मानव दुर्व्यापार राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गंभीर समस्या है। यह एक ऐसा अपराध है जोकि संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। नये युग में मानव अधिकार के संर्दभ में भी बाल दुर्व्यापार चिंता का विषय साबित हो रहा है। गैर कानूनी हथियारों के व्यापार तथा अवैध ड्रग्स व्यापार के बाद यह व्यापार तीसरे नम्बर पर लाभ प्रदान करने वाला साबित हो रहा है। सम्पूर्ण विश्व में यह अपराध न्यून्तम जोखिम में अधिक लाभ देने वाला व्यापार बन कर के उभरा है। बाल दुर्व्यापार एक बहुआयामी समस्या के रुप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अपराध विभिन्न कार्यो की पूर्ति हेतु किया जाता है जैसे कि मासूम बच्चों का पैसों के लिये यौन शोषण, मजदूरी कराने के लिये शोषण, मानव अंगों के क्रय विक्रय, भीख मांगने आदि के लिये इस्तेमाल होता है। बाल दुर्व्यापार सम्पूर्ण मानव जाति के प्रति घिनौना अपराध है। यह मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के मानव अधिकारों का सीधा उलंघन है।

महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि, यह बहुत शर्म व दु:ख की बात है कि 'कई महिलाओं को पुरुषों की कामुकता के लिये अपनी इज्जत बेचनी पडती है। पुरुष, विधि निर्माता, को तथाकथित सैक्स वर्कर्स पर अधिरोपित इस अपमान के लिये घोर दण्ड चुकाना होगा। जब महिलायें पुरुषों के पाश से मुक्त होकर शिखर को छुएंगी तथा पुरुषों द्धारा बनाए गऐ विधायनों तथा संस्थानों के खिलाफ विद्रोह करेंगी तो उनका वह विद्रोह, जो नि:संदेह अहिंसक होगा, बहुत ही अधिक प्रभावी होगा। सच कहें तो बाल दुर्व्यापार एक भयावह सच्चाई है जो सभ्य वैश्विक समाज की तरफ आँखें गडाए देख रही है, भारत भी इस बुराइ से मुक्त नहीं हैं क्योंकि भारत इस दुर्व्यापार के लिये एक बाजार बनता जा रहा है।'

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास- बाल दुर्व्यापार की समस्या से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कानूनों, अभिसमयों, समझौतों, सम्मेलनों तथा संधियों के माध्यम से निम्नलिखित सार्थक प्रयास किये गये हैं।

1. सन् 1927 में दासता तथा गुलामी से सम्बंधित, संयुक्त राष्ट्र संघ 1927 के समझौते को मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिये पहली आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय संधि के रूप में मान्यता मिली थी जिसे कई राज्यों द्धारा स्वीकार किया गया।
2. सन् 1930 में अन्तर्रार्ष्ट्रीय मजदूर संगठन द्धारा दासता तथा गुलामी जैसी अमानवीय परिस्थितियों को विकसित होने से रोकने के लिए जबरन मजदूरी समझौता, 1930 पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के कई राज्यों ने हस्ताक्षर किया।
3. वयस्क महिला दुर्व्यापार के उन्मूलन के लिये सन् 1933 के अन्तर्राष्ट्रीय समझौते में मानव दुर्व्यापार के लिये कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया।
4. सन् 1949 में महिलाओं और बच्चों के मानव दुर्व्यापार तथा वेश्यावृत्ति के शोषण के उन्मूलन समझौता, 1949 पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता किया गया।
5. 18 दिसम्बर, 1979 को पारित तथा 3 सितम्बर, सन् 1981 को लागू CEDAW[1] को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्धारा लगभग 189 देशों के अनुसर्मथन द्धारा स्वीकार किया गया।
6. अन्तर्राष्ट्रीय जगत के लगभग 122 देशों ने सन् 1996 में बच्चों के अधिकार के विषय में समझौते के लिये यूनिसेफ[2] तथा एन.जी.ओ. समूह के साथ मिलकर पहली विश्व कांग्रेस का आयोजित किया गया।
7. सन् 1998 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र में दासता को प्रतिबंधित किया गया तथा बंधुआ बनाने, विवाह की दासता जैसी बालक का शोषण करने वाली प्रथाओं पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
8. 12 दिसम्बर 2000 को हस्ताक्षरित तथा 29 सितम्बर, सन् 2003 से लागू पालेर्मो समझौते (Palermo Convention)[3] को महिलाओं और बच्चों की तस्करी के निवारण, उन्मूलन एवं दण्डित करने के लिये 147 देशों द्धारा हस्ताक्षर किया गया।
9. The Platform for Action of the fourth World Conference on the Women conjoin and the Beijing Platform for Action, 1996;
10. The Reduction and Agenda for Action Adopted by First World Congress Against Commercial Exploitation of Children 1996 (Stockholm)
11. The Declaration and Agenda for Action Adopted by Second World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Women and Child, 2001 (Japan)
12. Convention for the Suppresion of Trafficking in Person and of the Expoitation of the Prostituion of others;
13. Convention on Suppression of Trafficking in Persons and Prostitution of others;
14. United Nation Convention Against Trasnational organised Crime (UNTOC) to Prevent, Supreme and Punish Trafficking in Person;

* सहायक प्राध्यापक, कॅरियर कालेज ऑफ लॉ, भोपाल (म.प्र.) भारत

15. राज्यों का यह कर्तव्य है कि वे अपने देशों में मानव दुर्व्यापार को संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वभौमिक घोषणा के अनुसार विधि बनाकर पूर्णरूप से प्रतिबंधित करें तथा इससे महिलाओं और बालकों को संरक्षण प्रदान करें।

मानव दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति के जरिए शोषण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौता, 1951[4] की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि वेश्यावृत्ति एंव उसकी सहयोगी बुराई वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से मानव दुर्व्यापार, मानव शरीर की गरिमा तथा नैतिक मूल्यों से असंगत हैं और व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के कल्याण के लिए हानिकारक है, चूंकि महिलाओं एवं बच्चों की दुर्व्यापार के निवारण तथा रोकथाम हेतु, निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज लागू हैं-

1. 3 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित मूल-पत्र द्वारा संशोधित श्वेत दासी दुर्व्यापार के उन्मूलन के लिए 18 मई, 1904 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता,
2. उपरोक्त मूल पत्र द्वारा संशोधित मूल पत्र श्वेत दासी दुर्व्यापार के उन्मूलन के लिए 4 मई 1910 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता,
3. 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुमोदित मूल पत्र द्वारा संशोधित महिलाओं एवं बच्चों की दुर्व्यापार के निवारण के लिये 30 सितम्बर 1921 का अर्न्राष्ट्रीय समझौता,
4. पूर्वोक्त मूल पत्र द्वारा संशोधित समझौता पूर्ण वयस्क महिलाओं की दुर्व्यापार के निवारण के लिए 11 अक्टूबर, 1933 का अन्तर्राष्ट्रीय समझौता।

षोषण मे वैश्यावृत्ति कराना अथवा अन्य प्रकार का यौन षोषण करना, बलपूर्वक श्रम सेवायें लेना, गुलामी अथवा गुलामी की भाँति अन्य कोई कार्य कराना तथा भीख मगवाने हेतु शरीर के अंग काटना भी शामिल है। उपर्युक्त षोषण में पीडित की सम्मति असंगत मानी जायेगी साथ ही साथ यह भी प्रावधानित है कि षोषण के प्रयोजन से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण, आश्रय देना या प्राप्त करना को भी यव्यक्तियों के दुर्व्यापार माना जायेगा फिर चाहे उसमें धमकी, बल प्रयोग, जबरदस्ती, छल कपट आदि जैसे माध्यमों का प्रयोग न भी किया गया हो।[5]

मानव दुर्व्यापार निवारण के संदर्भ में भारतीय संविधान के प्रावधान- भारतीय संविधान में मानव दुर्व्यापार को स्पष्ट रूप से स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है तो वहीं अनुच्छेद 15(3) महिलाओं तथा बच्चों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद23(1) मानव दुर्व्यापार तथा बाल श्रम को प्रतिषेध करती है। भारतीय संविधान मानव दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति तथा इसके जैसे अन्य रूपों को भी प्रतिशिद्ध करता हैं।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23, जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों से संबंधित है तथा जो शोषण के विरूद्ध अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है, जो मानव दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति तथा बलात् श्रम के ऐसे ही अन्य रूपों को निवारित करता है तथा यह विहित करता है कि अनुच्छेद 23(1) का कोई भी उल्लंघन विधि के अनुसार दण्डनीय एक अपराध होगा। अभिव्यक्ति मानव दुर्व्यापार प्रत्यक्ष रूप से अनैतिक या अन्य प्रयोजनों के लिए महिला के दुर्व्यापार के प्रतिषेध सहित एक बहुत विस्तृत अभिव्यक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 35(क) (2) यह उपबन्धित करता है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुये संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमण्डल को शक्ति नहीं होगी कि वह कऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किये गये हैं, दण्ड विहित करने के लिये विधि बनाये। इस अनुच्छेद के अंन्तर्गत अपराध घोषित किये गये हैं, दण्ड विहित करने के लिये विधि बनाये।[6] इस अनुच्छेद के अन्तर्गत विधायन की शक्ति अनन्य रूप से संसद को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20(1) में अन्तर्निहित सिद्धान्त के कार्यान्वयन (लागू करने के लिए) में महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम, 1956 (जो वर्तमान में अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 है) अनुच्छेद 35 के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार को रोकने या उन्मूलन करने के प्रयोजन से अधिनियमित किया गया है।[7]

इस संबंध में भरत के संविधान के भाग 4 के अन्तर्गत राज्य की नीति के निदेशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 39 को संदर्भित करना महत्वपूर्ण होगा क्योकि अनुच्छेद 39 कतिपय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समर्थ करता है। अनुच्छेद 39 का उपखण्ड (च), 1976 के 42 वे संविधान के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अनुच्छेद 39 के खण्डों (क) तथा (च) के अन्तर्गत उल्लखित उद्देश्यों में से हम अपने आप को उन दो खण्डों के अन्तर्गत मात्र कतिपय सुसंगत उल्लिखित उद्देश्यों में से हम अपने आपको, कतिपय सुसंगत उद्देश्यों तक सीमित रखेंगे जो इस मामले के प्रयोजन के लिए पर्याप्त है। अनुच्छेद 39 के खण्ड (ड) के अन्तर्गत उद्देश्यों में से एक यह है कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो। खण्ड (च) के उद्देश्यों में से एक यह भी है कि राज्य को अपनी नीति का विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करना चाहिए कि सुनिश्चित रूप से बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक तथा आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ये उद्देश्य हमारे देश के बच्चों के हित एवं कल्याण की सुरक्षा एवं बचाव करने की संविधान निर्माताओं की महान दूरदर्शिता को प्रतिबिम्बित करते हैं। भारत सरकार ने भी अनुच्छेद 39 के खण्ड(क) तथा (च) के इन संवैधानिक उपबन्धों के अनुसरण में, बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय नीति को उद्धिकसित किया है।[8]

संविधान में अनुच्छेद 23 में शामिल संवैधानिक निषेध को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी जो मानव दुर्व्यापार को प्रतिबंधित करता है तथा अनुच्छेद 21 को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी जो मानव के गरिमापूर्ण अस्तित्व का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 51क के खण्ड (ड़) में नागरिकों के बुनियादी कर्तव्यों को शामिल किया गया है जो नागरिकों पर यह जिम्मेदारी डालते हैं कि वे महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली किसी भी प्रथा का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विपरीत हो। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में न्यायालय की राय में संविदा अधिनियम की धारा 65 कुछ ही मामलों पर लागू होती हैं, ऐसे मामले जो किसी दृष्कृत्य को प्रतिबंधित करने के दायरे में नहीं आते हैं, जिन्हें पहले संवैधानिक अनिवार्यता माना जाता था।[9] सम्पूर्ण जन समुदाय का कल्याण, अभिवृद्धि और विकास बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर निर्भर करता है। न्यायमूर्ति भगवती ने में बच्चों के महत्व पर जोर देते समय अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था कि- 'यह प्रत्यक्ष है कि एक सभ्य समाज में बच्चों के कल्याण के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सम्पूर्ण समुदाय का कल्याण, इसकी अभिवृद्धि एवं विकास इसके बच्चों के स्वाथ्य और बेहतरी पर निर्भर करता है। बच्चे सर्वोच्च रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्पदा हैं तथा देश की भावी बेहतरी इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे इसके बच्चे अभिवृद्धि एवं विकास करते हैं।'[10]

मानव दुर्व्यापार एक संगठित अपराध है जिसमें राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमाओं का लगातार उलंघन किया जाता है। इस

बात से भी इंकार नही किया जा सकता कि मानव दुर्व्यापार मानव गरिमा तथा अधिकारों के प्रति सबसे घिनौना अपराध है। इस दुर्व्यापार को राकने के लिये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास ही काफी नहीं होगें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानूनों, संधियों तथा सहयोग की आवश्यकता होगी। दुर्व्यापार एक वैश्विक तथ्य है इससे सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी तरीके से नही जूझ सकते है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता भी होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. The convention on the elimination of all forms of discrimination against women
2. The united nations children's fund
3. The united nations convention against transnational organized crime, effective from 29th September 2003
4. 2 दिसम्बर, 1949 के संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव संख्या 317 (खत) द्वारा अनुमोदित जो कि 25 जुलाई 1951 से लागू
5. पारदेषीय संगठित अपराध अभिसमय, 2000 प्रोटोकोल की धारा 3
6. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35(क)
7. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
8. विशाल जीत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, ए.आईआर 1990 एस.सी. 1412
9. निहाल सिंह बनाम राम बाई, ए.आई.आर. 1987
10. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1984) 2 एस.सी.सी. 244

****

टूटती, बिखरती लोकसंस्कृति को बचाने की गहरी छटपटाहट

डॉ. गोरखनाथ *

प्रस्तावना – समकालीन हिन्दी कथालेखन आज पर्याप्त प्रौढ़, समर्थ एवं विकसित हो चुका है। इसका विस्तार जीवन के विभिन्न आयामों को पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी तथा रचनात्मकता के साथ समेटता है। इस समकालीन कथालेखन की सबसे प्रमुख धारा प्रगतिशील एवं जनसरोकारों से अत्यधिक गहराई से जुड़े कथाकारों की है, जिनमें मिथिलेश्वर का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। वे आज हिन्दी के सुपरिचित एवं लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथालेखन की शुरूआत विशेष रूप से 70 के बाद से होती है और लगातार क्रियाशील रहते हुए आज अत्यधिक परिपक्व एवं अनुभव सम्पन्न दौर में पहुंच चुकी है। मिथिलेश्वर जी ने अपनी रचनात्मक क्षमता, प्रगतिशील विचारधारा एवं लोकसंवेदना की छाप अपने कथालेखन में बखूबी छोड़ा है। उनके अब तक लिखे गए उपन्यास एवं कहानियाँ इसके प्रमाण हैं। अपने इस कथालेखन के माध्यम से निश्चिय ही उन्होंने हिन्दी कथालेखन को एक नई परिभाषा दिया है और हिन्दी की प्रगतिशील एवं जनवादी परंपरा को बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ाया है। इस रूप में मिथिलेश्वर जी निरंतर सृजनशील रचनाकार की छवि बनाते हैं। 2008 में प्रकाशित उनकी कथात्मक उपलब्धि 'भोजपुरी लोककथा' हिन्दी कथालेखन में एक नया आयाम खोलती है। इसमें मिथिलेश्वर जी ने 51 भोजपुरी लोककथाओं की पुनर्रचना किया है, जो उनके खतरे उठाने के साहस, गहरी लोकसंवेदना और कथारचना की विशिष्ट क्षमता का साक्ष्य है। भोजपुरी लोककथाओं की यह पुनर्रचना वास्तव में एक प्रकार की मौलिक रचना ही है। इसीलिए कथाकार को रचनात्मक प्रीतिकर अनुभूति प्रदान करती है– 'जब पुनर्रचना के रूप में इक्यावन लोककथाओं का यह संग्रह तैयार हुआ तो मैंने वैसी ही सृजनात्मक खुशी महसूस की, जैसी खुशी अपने बड़े उपन्यासों की रचना के बाद की थी।'

भोजपुरी लोककथाओं के इस संकलन को देखने से पता चलता है कि इन लोककथाओं में भोजपुरी लोकजीवन और लोकसंस्कृति की धड़कने अत्यन्त गहराई और स्पष्टता से सुनी जा सकती हैं। इन लोककथाओं में भोजपुरी जनता की हजार वर्षों में बनने एवं विकसित होने वाली अनुभव, चिंतन एवं संघर्ष की परम्परा आकार ग्रहण करती हुई दिखाई देती है। प्राय: इन लोककथाओं का स्वरूप उपदेशात्मक मिलता है। हर एक लोककथा जीवन के लिए किसी न किसी जरूरी संदेश से युक्त है। लोकजीवन की एक लम्बी विकासमान परम्परा में निर्मित ये लोककथाएँ उसके लिए एक कर्मठ, ईमानदार और साहसी जीवन जीने का संदेश लेकर आती है। इस रूप में ये लोककथाएँ अनुभवसिद्ध एवं व्यावहारिक ज्ञान का अक्षय भंडार कही जा सकती हैं। आज के बाजारवादी, उपभोक्तावादी, अपसंस्कृति के व्यापक फैलाव के दौर में लोककथाओं के इस अनुभवसिद्ध एवं व्यावहारिक ज्ञान राशि का भोजपुरी सहित समस्त भारतीय जनता के बीच प्रचार–प्रसार लेखक की आकांक्षा एवं प्रमुख प्रेरणा रही है। अपने समय के इस विसंगतिपूर्ण वातावरण में लोककथाओं की अनिवार्यता का अनुभव वास्तव में लेखक की प्रतिरोधी सांस्कृतिक चेतना का गहरा साक्ष्य है। इस सन्दर्भ में मिथिलेश्वर जी ने लिखा है– 'इन (संचार) माध्यमों के संचालकों एवं संयोजकों ने मनोरंजन के नाम पर लोगों की मानसिकता को किस कदर विकृत, संवेदनहीन और भोगवादी बनाना शुरू कर दिया है, उसकी भयावह परिणतियाँ आए दिन देखने को मिलने लगी हैं, जबकि लोककथाओं का मनोरंजन मानवता के बुनियादी पाठ के साथ व्यावहारिक ज्ञान का सशक्त माध्यम भी है।'

इस तरह मिथिलेश्वर जी द्वारा भोजपुरी लोककथाओं की यह पुनर्रचना उनके व्यापक जनसरोकार और गहरी सांस्कृतिक चिन्ता से जुड़ी हुई है। इन लोककथाओं का एक आकर्षक पक्ष यह भी है कि इनमें ज्ञान, उपदेश एवं संदेश कोरे और ऊपर से लादे हुए न होकर लोक जीवन के स्पन्दनों, रागों एवं अनुभवों से पूरी तरह संसिक्त हैं। इसीलिए अत्यन्त सहजता एवं रचनात्मकता के साथ ये लोककथाएँ अपने मन्तव्य को पाठक तक पहुंचाने में सफल होती हैं।

सामान्यत: इन लोककथाओं की अन्तर्वस्तु निषेधवाची एवं विधेयवाची दोनों ही कोटि की है। अर्थात् कुछ लोककथाएँ मानवीय दुर्बलताओं, विकृतियों एवं असामाजिक प्रवृत्तियों को विषयवस्तु बनाती हैं और इनसे बचने का संदेश देती हैं। इसी तरह अनेक लोककथाएँ जीवन की अच्छाइयों एवं स्वीकारात्मक पहलुओं को आधार बनाती हैं और जनजीवन में इनकी स्वीकृति एवं व्यापक प्रचार–प्रसार की अनिवार्यता बताती हैं। इस सन्दर्भ में हम देखते हैं कि सामाजिक जीवन में प्राप्त होने वाली स्वार्थपरता, चालाकी, बेईमानी, विश्वासघात जैसी दुष्प्रवृन्ति:यों को 'ऊँट, फूट और सियार', 'कौआ हंकनी' तथा 'चिट्ठी' आदि लोककथाएँ आधार बनाती हैं और इस बात पर बल देती हैं कि इन प्रवृत्तियों का परिणाम सदैव विनाशक होता है। 'गड़ेरिया, सियार और बाघ' लोककथा का आशय है कि धूर्तता का दण्ड भुगतना ही पड़ता है। इसी तरह 'दोस्ती का दंभ' में अहंकार का परिणाम विनाशक होता है। 'सियार और सारस' में स्वभावगत दुष्टता नहीं छूटती, 'चापलूस दरबारी' में चापलूसी अच्छी आदत नहीं होती तथा 'अन्धेरपुर नगरी' में मूर्ख व्यक्ति अपना विनाश स्वयं करता है, जैसे सामान्यत: मनुष्य के लिए जरूरी एवं उपयोगी संदेश दिए गए हैं।

हमारे समाज में लालच को बुरी बला कहा गया है। 'मणिवाला सांप', 'बंदर और मगरमच्छ', 'सुकन गदहा' जैसी लोककथाएँ इसी भावना का संचार करती हैं कि अधिक लालच का नतीजा सदैव बुरा ही होता है। 'कौआ और बटेर' लोककथा इस भावना का भी संदेश देती है कि लालची एवं दूसरों

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी) उदय प्रताप कॉलेज, वाराणसी (उ.प्र.) भारत

को पीड़ा पहुंचाने की इच्छा रखने वाला खुद ही संकट में फँसकर अपनी जान गवां बैठता है। 'यह मैं जानती ही थी' लोककथा विनोदात्मक ढंग से स्थापित करती है कि बड़बोलापन स्वयं अपना नुकसान कर बैठता है। इसी तरह 'दूध की नदी' में आप भला तो जग भला की नीति अच्छी नहीं होती, 'बुढ़िया और पागल' में 'बुरे काम का बुरा नतीजा' आदि संदेश दिए गए हैं। 'सियार की चालाकी' लोककथा का आशय है कि बिना सोचे विचारे दूसरों के कहने पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए।

इस संकलन की जो लोककथाएँ जीवन के गौरवशाली एवं स्वीकारात्मक पक्षों से सम्बन्धित हैं उनकी संख्या पर्याप्त है। इस तरह की लोककथाओं का चयन कहीं न कहीं मिथिलेश्वर जी के चिन्तन एवं संवेदना में जीवन के इन पक्षों के प्रति गहरे लगाव का भी संकेतक हैं। यहां हम देखते हैं कि संकलन की पहली ही लोककथा 'चिड़ियाँ का संघर्ष' सामान्य मनुष्य को इस बात का गहरा संदेश देती है कि लगातार अटूट संघर्ष से सफलता जरूर मिलती है। 'निहोरा का नेवला', 'माहुरफल' एवं 'बंधकी' जैसी लोककथाएँ इस सत्य का प्रतिपादन करती हैं कि विश्वस्त एवं आज्ञाकारी की एक बार परख कर लेने पर फिर उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। कुछ लोककथाओं में जीवन में बुद्धिमानी एवं सूझबूझ के महत्व को रेखांकित किया गया है। 'बुद्धि की कमाई', 'ककड़ी की चोरी' जैसी लोककथाओं का मूल आशय है कि बुद्धिमानी एवं सूझबूझ से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कुछ लोककथाओं में जीवन में ईमानदारी, धैर्य, साहस, चातुर्य, कर्मठता आदि मूल्यों एवं सद्गुणों के महत्व पर भी मजबूती से बल दिया गया है। इस दृष्टि से 'राजा और लकड़हारा', 'राजा और चोर', 'जंबूक बोला यह गति, तू का बोला काग' ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन लोककथाओं का मूल आशय यह है कि गुणी, ईमानदार एवं श्रेष्ठ को सभी महत्व एवं आदर देते हैं। 'पुरस्कार का हकदार' लोककथा इस सत्य का साक्षात्कार कराती है कि अंत में जीत श्रेष्ठता की ही होती है, आरंभ में भले ही कठिनाइयाँ क्यों न आएँ। यह संदेश निश्चय ही आज के समय में उम्मीद की एक चमकती रेखा की तरह प्रतीत होता है। इसी तरह 'चतुर लड़की' एवं 'बुढ़िया की लड़की' लोककथाओं में भारतीय नारी की गरिमा एवं वैशिष्ट्य का उद्घाटन करते हुए उसके धैर्य, साहस, चतुराई एवं वीरता का आख्यान है। 'राजा का बेटा और बुनकर की बेटी' भी नारी जाति की कर्मठता एवं अपने गुणों के प्रति अखण्ड आत्म विश्वास का दस्तावेज है।

जीवन के स्वीकारात्मक पक्षों से सम्बन्धित कई लोककथाएँ स्थापित जीवन सत्यों का आख्यान करती है। इस दृष्टि से 'चिड़ियाँ का उपकार' एवं 'लकड़हारा और सांप' में कर भला तो हो भला, 'संग साथ' में आपसी एकता से ही विकास संभव है तथा 'जंगल के तीन यार' में सच्ची मित्रता सब संकटों से बचा ले जाती है, जैसे सन्देश दिए गए हैं। कुछ लोककथाएँ शठे शाठ्यम समाचरेत् का कठोर सन्देश भी देती हैं जो लोक मन की दृढ़ता एवं संकल्पशक्ति का परिचायक है। इस दृष्टि से 'जोड़ का तोड़', 'लेनी की देनी', 'बँटवारा', 'मौके की दोस्ती' जैसी लोककथाएँ देखी जा सकती हैं। 'बाप और बेटा' लोककथा पीढ़ीगत सम्बन्धों को आधार बनाती है। इसका मन्तव्य है कि हम पिछली पीढ़ी के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, अगली पीढ़ी हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है। अत: हमें पिछली पीढ़ी के साथ अधिक संवेदनशील एवं दायित्वपूर्ण होना चाहिए।

कुछ लोककथाएँ भोजपुरी जनता की हास्य-विनोदप्रियता एवं उल्लासमयता जैसी स्वभावगत विशेषताओं की छाप भी छोड़ती हैं। 'अभी कुछ बाकी है', 'जैसे को तैसा' एवं 'गुरू जी का चक्कर' इसी तरह की लोककथाएँ हैं। 'टिपटिपवा' में हास्य-विनोद के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जीवंतता एवं कर्मठता का आख्यान भी है।

मिथिलेश्वर जी के 'भोजपुरी लोककथा' संकलन की लोककथाओं की संरचनात्मक स्तर पर भी कई विशेषताएँ हमारा ध्यान खींचती है। सामान्यत: लोककथाओं का आकार मध्यम कोटि का है, यद्यपि कुछ लोककथाएँ लघुकथा भी कही जा सकती हैं। इन लोककथाओं में जनजीवन का जो स्वरूप उभरता है वह सामान्य भारतीय ग्रामीण जीवन का ही है जिसमें भोजपुरी लोकरंगत के साथ किसान और मजदूर वर्ग प्रमुख हैं। भोजपुरी जनमानस ने अपने जीवन के रागात्मक अनुभवों, संघर्षों एवं वैशिष्ट्य की अभिव्यक्ति के लिए चरित्र विधान का रूप भी लोकजीवन के बीच से ही उठाया है। यहां पर मानवीय चरित्रों के साथ ही मानवेतर पशु-पक्षियों को भी पर्याप्त संख्या में रखा गया है। यह परंपरा इन भोजपुरी लोककथाओं को 'पंचतन्त्र', 'हितोपदेश' आदि प्राचीन भारतीय कथापरंपरा से अत्यन्त गहरे स्तर पर जोड़ती है। इस सन्दर्भ में यह कहना अधिक संगत लगता है कि भोजपुरी की ये लोककथाएँ भारतीय कथारचना की पुरानी लोकपंरपरा की ही अटूट कड़ी हैं।

इन भोजपुरी लोककथाओं की पुनर्रचना मिथिलेश्वर जी ने खड़ीबोली में किया है। इससे जहां एक ओर इन लोककथाओं को व्यापक स्वीकृति मिलने में सुविधा होती है वहीं दूसरी ओर एक कमजोरी भी खटकती है। सामान्यत: किसी भाषा या बोली का प्राण-तत्व उसका टोन होता है। भोजपुरी जनमानस की संवेदना, अनुभवों आदि की सही अभिव्यक्ति तो भोजपुरी की टोन में ही अधिक संभव लगती है। खड़ी बोली में भोजपुरी की यह टोन टूट जाती है। खुशी की बात है कि मिथिलेश्वर जी ने इन लोककथाओं की भोजपुरी में अलग से पुनर्रचना करके इस अभाव को पूरा किया है। इसी तरह संकलन में आने वाली 51 लोककथाओं के लिए शीर्षक में एकवचन के 'कथा' शब्द के स्थान पर 'कथाएँ' शब्द मुझे अधिक संगत लगता है।

संरचनात्मक स्तर पर इस संकलन की कुछ और विशेषताएँ भी इसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। इसमें आने वाली लोककथाओं की भाषिक संरचना में सहजता, सरलता, बोधगम्यता एवं प्रवाह मौजूद है। किस्सागोई का तत्व इनसे मिलकर भाषा में सहज ही एक नया आकर्षण पैदा करता है। संवादों की गतिशीलता एवं सहजता लोकजीवन की विभिन्न छवियों को उभारने में सहायक होती है। इसी तरह लोकजीवन में रचे-बसे शब्दों का प्रयोग करके मिथिलेश्वर जी ने भाषा में एक नयी चमक और आकर्षण पैदा किया है। कुल मिलाकर संरचनागत ये सभी विशेषताएँ इस बात का पुष्ट साक्ष्य देती हैं कि इन लोक कथाओं में बड़ी और परिपक्व रचना के गुण मौजूद हैं।

मिथिलेश्वर जी द्वारा पुनर्रचित भोजपुरी की इन लोककथाओं का महत्व एवं उपयोगिता और भी कई रूपों में दिखाई देती है। सबसे पहले ये लोककथाएँ भोजपुरी जनता की एक लम्बी अवधि में विकसित जातीय सांस्कृतिक चेतना के विभिन्न पहलुओं की अत्यन्त प्रामाणिक और गहरी जानकारी प्रदान करती हैं। केवल मौखिक परम्परा में प्रचलित ये लोककथाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी सम्पन्न और विकसित होती हुई भोजपुरी हिन्दी जनता को जीने और संघर्ष करने की प्रेरणा देती रही हैं। वैसे भी भोजपूरी न केवल भारत की सबसे बड़ी लोकभाषा है, बल्कि इसका दुनिया की लोकभाषाओं में अपनी व्यापकता, लोकप्रियता एवं माधुर्य की दृष्टि से विशेष महत्व रहा है। यही नहीं भोजपुरी संस्कृति शिष्ट संस्कृति न होकर मूलत: लोकसंस्कृति है और उसके विभिन्न आयामों एवं विशिष्टताओं की जानकारी का प्रमुख आधार है।

भोजपुरी की इन लोकताथाओं का कैनवस पर्याप्त बड़ा है। इनमें धर्म,

ईश्वर, परीकथाओं, राजा-रानियों और सामान्य जानता के दैनिक भौतिक जीवन से सम्बन्धित लोककथाएँ आती हैं। मिथिलेश्वर जी ने इनमें से उन्हीं लोककथाओं का चयन किया है जो सामान्य जनता के जीवन मूल्यों, संघर्षों, उल्लास और जीवंतता से सम्बन्धित हैं। इसीलिए ये लोककथाएँ आज भी भोजपुरी जनता और संस्कृति के न केवल सर्वोत्ताम परिचायक हैं, अपितु प्रेरणा का विशिष्ट सोत भी हैं।

भोजपुरी की इन लोककथाओं का महत्व इसलिए भी है कि इनसे अन्य बोलियों एवं भाषाओं की लोककथाओं की पुनर्रचना एवं प्रचार प्रसार की प्रेरणा मिलती है। इस रूप में भोजपुरी की ये लोककथाएँ अपनी लोक और आंचलिक रंगत के साथ व्यापक भारतीय लोकचेतना के गजबूत धागे से बंधी हैं। इन लोककथाओं से मिलती-जुलती लोककथाएँ हिन्दी की अन्य बोलियों तथा भारतीय लोकभाषाओं में भी मिलती हैं। निश्चय ही भोजपुरी की ये लोककथाएँ भोजपुरी संस्कृति के माध्यम से जनसंस्कृति से गहरा सरोकार रखती हैं। इनसे राष्ट्रीय एवं जनसंस्कृति के निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यधिक सहायता मिल सकती है। इस रूप में सम्पूर्ण देश में विभिन्न लोकबोलियों एवं लोकभाषाओं में प्रचलित लोककथाओं का संग्रह, पुनर्रचना एवं प्रचार-प्रसार आज सांस्कृतिक जागरण के लिए अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। इसके अभाव में आज हमें भारतीय मनुष्य के सामने उपस्थित भेदभाव, जातिवाद, क्षेत्रवाद, साम्प्रदायिकता, संकीर्णता, सांस्कृतिक अपघटन, अंधराष्ट्रीयता आदि जिन चुनौतियों से संघर्ष एवं प्रतिरोध करना है, वह अधूरा ही रहेगा।

लोकसंस्कृति का यह प्रचार-प्रसार हिन्दी प्रदेश के लिए तो और भी उपयोगी हो सकता है। यहां के जनमानस से यह आम शिकायत रही है कि वह जातीय सांस्कृतिक चेतना के स्तर पर देश के अन्य जन समाजों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। बाहर भी इस हिन्दी प्रदेश को 'काऊ बेल्ट' (गोवर पट्टी) कहकर प्रचारित किया जाता रहा है। देश की जातीय सांस्कृतिक चेतना के निर्माण एवं विकास में सहायक होकर हिन्दी प्रदेश की यह लोकसंस्कृति इन आरोपों से मुक्त हो सकती है।

अन्तत: यही कहा जा सकता है कि भोजपुरी की इन लोककथाओं और देश की अन्य और बोलियों एवं भाषाओं में विद्यमान लोककथाओं के माध्यम से अपनी मिट्टी, अपनी जनता और संस्कृति से वास्तविक लगाव पैदा किया जा सकता है। निश्चय ही मिथिलेश्वर जी द्वारा संकलित एवं पुनर्रचित इन लोककथाओं में टूटती, बिखरती लोकसंस्कृति को बचाने की गहरी चिन्ता, बेचैनी एवं छटपटाहट साफ दिखाई देती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

****

Studies on Nutritional Status of Elderly Living in Rural Area of Hathras District

Pushpa Devi* Sanjay Kumar S. K. Rawat*** Kamalkant******

Abstract - Old age is associated with physiological, social, economic and psychological changes. The health status, functionality and mobility in elderly were affected by nutritional status, physical activity and prevalence of any disease. This study was carried out to understand relationship between dietary pattern and its impact on nutritional status of elderly. 300 elderly in which 150 male and 150 females aged 60 years and above were randomly included in the study purpose during 2018-2019. A predesigned questionnaire was used to collect the data. Results were statistically analyzed. The results showed a positive correlation between decrease in appetite and increased age. The study indicated that pulses and milk consumption decreased with an increase in age ($p<0.05$). Only a few percentage of population met their energy, protein, calcium, iron and fiber requirement, but the results were not statistically significant. There was a significant positive correlation of age groups with walking and brisk walking ($p<0.05$). Thus, dietary intake and physical activity status of elderly residing in rural area of Hathras is very low.

Keywords- Nutritional Status, Dietary Intake, Elderly, Physical Activity and Food Frequency.

Introduction- Old age is a significant phase in a person's life. It is a biological process which will affect every one proper care can lead to healthy aging persons of 60 years and above are considered as elderly **(WHO, 1994)**. It is associated with changes in lifestyle and health, affecting the types of foods consumed and the nutritional status. A high prevalence of under-nutrition is found in elderly and a significant high prevalence of over nutrition is also now seen in this population. An individual can attain highest quality of life by adopting healthy practices like moderate physical activity, healthy eating, abstinence from any form of addiction and rational use of medication **(Anku, 2013)**. Various factors related to older age, such as fading memory, declined cognitive function, and impaired hearing and/or vision may possibly affect the ability to give reliable information on dietary intake **(Phillips et *al*, 2010)**. Ageing is frequently associated with decreases in taste acuity and smell, deteriorating dental health, and decreases in physical activity, which may all affect nutrient intake. Nutrition and physical activity impact functional changes through changes in body composition **(Shrilakshmi, 2014)**.

Method: The study was conducted during 2018-2019 in the area of Hathras district during 2018-19 from four blocks namely Hathras, Mursan, Hasayan and Sasni selected randomly. House to house visits were made and persons aged above 60 years were selected who wanted to participate voluntarily. A total of 300 respondents in which 150 male and 150 female were then randomly selected using a predesigned questionnaire. Food frequency questionnaire was used to collect information regarding frequency of various foods. Elderly were classified in 3 groups 60-70 years, 70-80 years and >80 years for analysis purposes.

Statistical Methods: Data are presented as frequency (percentage). The frequency distributions were tabulated for dietary intake according to age groups and were compared using cross tabulations and chi-square test. Kendall Tau B test was used to find correlation of age groups with frequency of food intake and physical activity. P-value < 0.05 was considered to be statistically significant.

Results: Data on 300 elderly aged 60-70 years, 70-80 years and >80 years is presented. Of the 300 elderly, 60% were 60-70 years, 34% were 70-80 years and 6% were > 80 years of age. The Table 1 revealed that most of the respondents belonged to 60-70 years age from both categories i.e. 53.33 and 66.66 percent in male and female respectively.

Table 1: (see in last page)

Change in appetite: Thirty Seven percent elderly had decreased appetite while 67% elderly had normal appetite. **Figure 1** represents change in appetite according to age group. There was a significant association of decrease in appetite and age group with higher percentage of elderly above 70 years having decreased appetite as compared to

* Home Scientist -Krishi Vigyan Kendra, Hathras (U.P.) INDIA
** Scientist - Horticulture, Krishi Vigyan Kendra, Farrukhabad (U.P.) INDIA
*** Animal Husbandry -Krishi Vigyan Kendra, Hathras (U.P.) INDIA
**** Agric. Engineering, Krishi Vigyan Kendra, Hathras, Chandra Shekhar Azad University of Agriculture & Technology, Kanpur (U.P.) INDIA

60-70 year and <60 year old elderly (χ^2=7.218, p=0.027).

Fig. 1:(see in last page)

Fig. 3 : (see in last page)

Fig. 3 showed that the morbidity status of the elderly had a particular pattern with more than one disease or health problems individually. The multiple health problems were observed in an elderly. Among total 300 elders 74 percent suffered from GIT diseases, 71.33 percent from hypertension, and 56.6 percent from diabetes, 54 percent had frequent infection, 49 percent from arthritis or gout, 13.33 percent elders suffered from gender specific cancer in their life and follow-up the medications and other prescriptions.

Clinical Signs and Symptoms of Nutrient Deficiencies: Fig. 4 showed, the per cent prevalence of signs and symptoms of nutritional deficiencies. The results showed that 24 per cent of males and 32 per cent of females had protein deficiency as they had dull and dry hairs, 26.67 per cent of males and 28.67 per cent of females had pale eye membrane suggestive of iron deficiency i.e. anaemia. Thyroid enlargement was observed in 10 per cent of males and 18.67 per cent of females, a deficiency sign of iodine. Deficiency sign of vitamin A was observed in 16.67 per cent of males and 28 per cent of females, as they had dry/rough skin and poor vision in night or evening time.

Fig. 4 :(see in last page)

Fig. 5 :(see in last page)

The overall consumption pattern of the elderly diet suggest that cereals, fats and oils, pulses were consumed daily by all the respondents i.e. both by males and females (Fig. 5). The daily consumption of root and tubers was observed in 85.33 percent males and 74.67 per cent females. The consumption of green leafy vegetables was observed in 80 percent males and 82.67 per cent females. About 84 percent males and 80 percent females consumed other vegetables, 22 per cent of males and 15 percent of females were observed to consume daily. The consumption of Meat, fish and poultry was observed in 33.33 percent in males and 21.33 percent in females.

Nutrient intake by Respondents: The females consumed percent adequacy for energy almost equal to RDA (only -1.36 % deficient from their RDA), but male's energy intake was deficient than their RDA i.e. -16.75 due to poor oral health and loss of appetite. Most of the males had affected from diabetes and follow-up the low calories diet. The value of correlation coefficient is 0.0286 which is non-significant. The percent adequacy for protein was significantly higher in males compared to females. Males and females were having per cent adequacy very deficient to the recommended values i.e. -6.51 % and -14.96% (decreased amount) respectively. Males and females both categories of respondents had consumed carbohydrate in not much deficient percent from their RDAs i.e. -10.57% and + 0.66% (increased amount) respectively. The value of correlation coefficient is 0.0451 which is non-significant. Males had consumed fat in deficient percent from their RDAs i.e. -3.54% and females consumed more fat from their RDAs i.e. +3.95% respectively.

Table 2 (a) (see in last page)

Table 2 (b) (see in last page)

Table 3 (see in last page)

Time allocation data for males and females and total is presented in Table 3 for majority of males and females, the general routine started from 5.30 a.m. in the morning to 10.00 p.m. in the night. The average total sleeping hours for males and females were found to be almost similar i.e. 8 hr 03 min±0.77 and 9 hr 42 min ±7.84 respectively. The average time spent on personal care included dietary intake was 2 hr 48 min ±0.76 and 3 hr 12 min ±0.65 for females. On leisure was 3 hr 48 min ±0.73 and 3 hr 30 min ±0.72 for males and females respectively. The time spent by males on physical exercise was 54 min ±0.39 and by females it was 24 min ±0.44. The mean time spent on miscellaneous work was 3 hr 30 min. and 2 h 12 min. for males and females respectively.

Discussion: In the current study the frequency of consuming 12 food groups by elderly, was being assessed using Food Frequency Questionnaire (FFQ). About 80% of elderly consumed vegetables (green leaf and other) daily, thus suggesting that the consumption of vegetables was not the problem in this population. A high intake of fresh fruit, root vegetables, and fruiting vegetables is associated with reduced mortality, probably as a result of their high content of vitamin C, pro-vitamin A carotenoids, and lycopene **(Antonio *et al*, 2007)**. The nutritional status of the elderly is highly influenced by physiological, psychological and social factors. Thus, they are at a high risk of nutritional deficiency. In the study, the females consumed percent adequacy for energy almost equal to RDA (only -1.36 % deficient from their RDA), but male's energy intake was deficient than their RDA i.e. -16.75 due to poor oral health and loss of appetite. Most of the males had affected from diabetes and follow-up the low calories diet. This concludes that the overall intake of food in elderly is low thus the energy requirement is also not met. The vast majority of population studies examined older adults and found the data generally support a positive association between protein intake and bone health. In the current study the elderly ranged between 60-70 years had almost adequate protein intake. This could be due to more milk, pulse and other soft protein food intake, such as egg, as they have difficulty in chewing due to physiological changes. Thus, adequate protein intake helps to promote good health, reduces muscle wasting, supports early recovery from illness and also improves the functional status of elderly.

The RDA for calcium requirement is 600 mg per day for both adults male and female **(ICMR, 2010)**. Calcium is the most abundant nutrient in the body is very important for maintaining normal physiological functions. In this study, there was a positive relationship between physical activity and age i.e. because of all elderly from rural areas, so they were engaged in routine work. This could be due to

increased awareness about physical fitness and more consciousness towards health and fitness as the age increased in the elderly population.

Limitations: Although this study allowed examining the relation of individual characteristics and health-related factors in association to nutrient intakes, casual inferences were unable to make. Since this study was aimed principally on nutritional status, a larger sample size along with identification of other factors with greater detail would have been more beneficial. Also the amount of nutrient intake was directly related to the dietary recall of the subject.

Conclusion: Dietary intake and physical activity status is very low in the elderly population in rural area of Hathras district. Public health programs and community out-reach programs need to be planned to improve appetite, dietary intake and physical activity status of elderly.

References:-

1. Anku, S. and Neelakshi, M. 2013.A Study of Nutritional Status of Elderly in Terms of Body MassIndex in Urban Slums of Guwahati City. *Journal of the Indian Academy of Geriatrics*. 9(1): 11-14.
2. Antonio, A., Laia, C., Pilar, A., *et al*. 2007.Fruit and vegetable intakes, dietary antioxidant nutrients, and total mortality in Spanish adults: findings from the Spanish
3. Bonjour, JP. 2005. Dietary protein: an essential nutrient for bone health. *The Journal of the American College of Nutrition*. 24(6): 526S–536S.
4. Jane, EK, Anne, MK., and Karl, LI. 2011. Dietary protein and skeletal health: a review of recent human research. Current Opinion on Lipidology.22 (1): 16–20.
5. Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians. A Report of the Indian Council of Medical Research, ICMR, 2010.
6. Phillips, B., Foley L., Barnard, R., Isenring, A. and Miller, D. 2010. Nutritional screening in communitydwelling older adults: A systematic literature review. Asia Pacific *Journal of Clinical Nutrition*.19 (3): 440- 449.
7. Shrilakshmi. 2014. Nutrition and food requirements during old age. In: B Shrilakshmi, Dietetics, seventh ed. New Age International Publishers, pp. 145-16. 8. Chapman, IM. 2006. Nutritional disorders in the elderly. Med Clinical North America.90:887–907.
8. WHO (2015). Global database on body mass index. http//www.int/bmi/index.jsp (viewed on 25.05.2015)

Table 1: Distribution of respondent according to their Age

Age(years) Distribution	Male		Female		Total	
	N=150	Percentage	N=150	Percentage	N=300	Percentage
60-70	80	53.33	100	66.66	180	60
70-80	52	34.66	50	33.33	102	34
>80	18	12	0	0	18	6

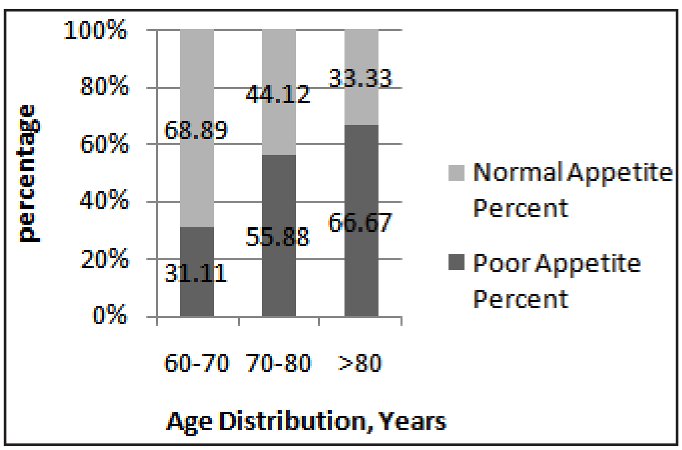

Fig. 1. Change in Appetite according to age group Morbidity status of Respondents

Fig. 3 Morbidity status of Respondents

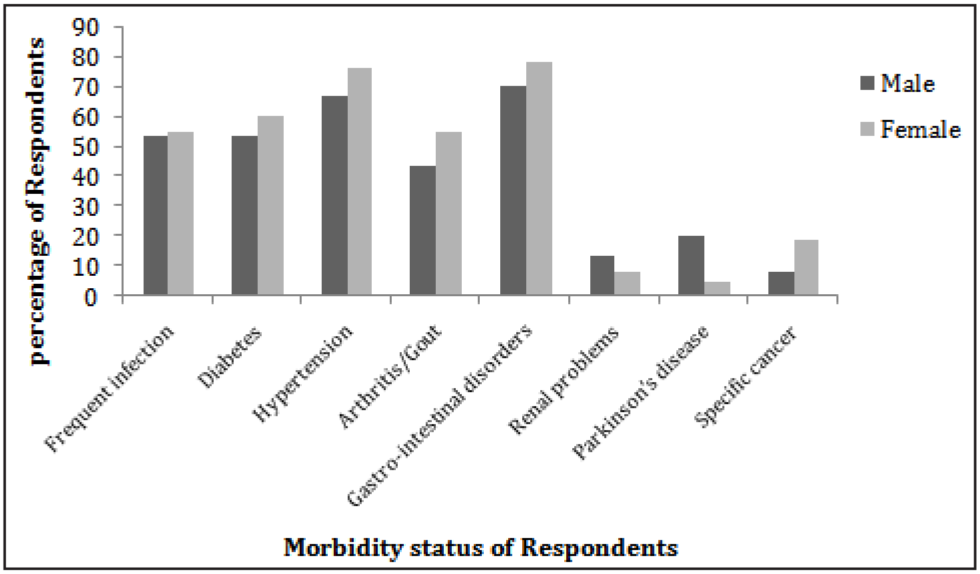

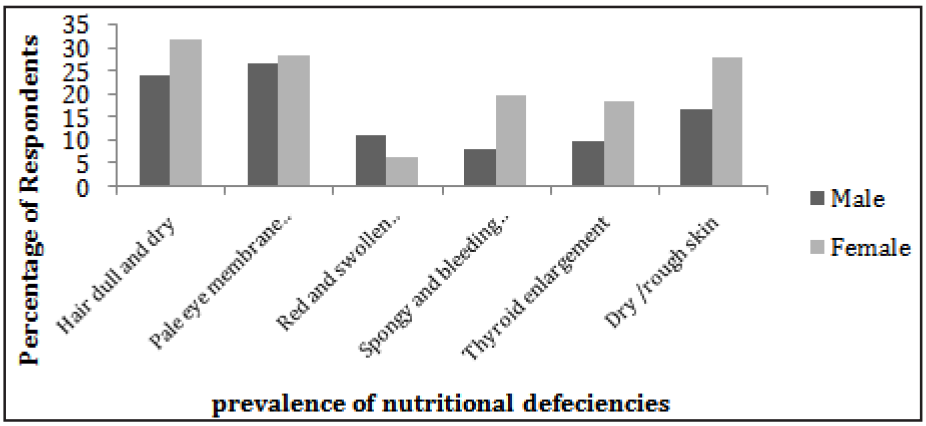

Fig. 4 Prevalence of clinical signs and symptoms of nutrient deficiency
Consumption pattern of different food

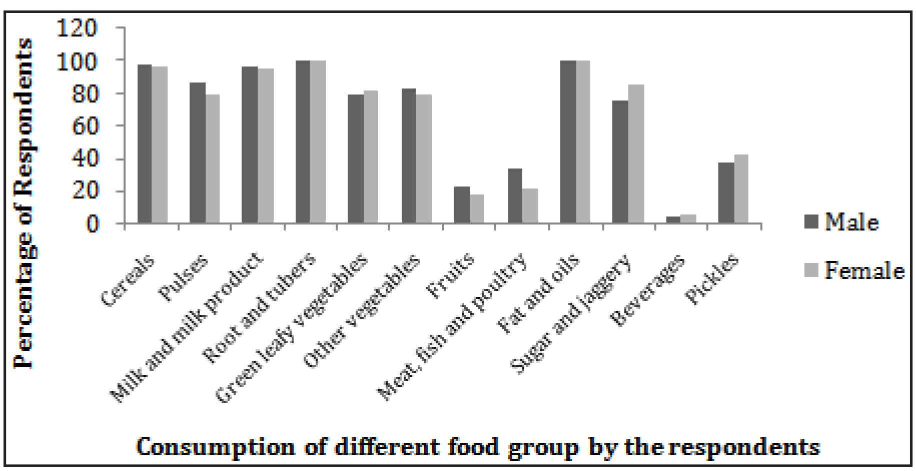

Fig. 5 Consumption pattern of different food by the respondent

Table 2 (a) Mean Nutrient Intake of Respondents with their RDA Comparison

Nutrients	Males, n=150			Females, n=150			Correlation Coefficient (r)
	Mean Nutrient Intake	RDA	Deficient or Incre-ment %	Mean Nutrient intake	RDA	Deficient or Incre-ment %	
Energy (Kcal)	1831.35	2200	-16.75	1775.46	1800	-1.36	0.0286
Protein (g)	60.77	65	-6.51	39.98	50	-10.02	-0.0256
CHO (g)	313	350	-10.57	302	300	+0.66	0.0451
Fat (g)	48.23	50	-3.54	41.58	40	+3.95	-0.0167
Iron (mg)	26	30	-13.33	18	30	-40	-0.0275
Calcium (mg)	669.01	1000	-33.1	678.05	900	-24.66	-0.1254
Vitamin A (µg)	688.01	1030	-33.2	763.78	930	-17.87	-0.0013
Dietary fiber (g)	12.94	30	-56.86	14.00	30	-53.33	0.2045*

(*significant at 5%)

Table 2 (b) Correlation Coefficient value of Nutrient Intake in both group of subject

Nutrients	Males		Females		
	MeanIntake	SD	Meanintake	SD	Correlation Coefficient (r)
Energy (Kcal)		1831.35	506.30	1775.46	475.19 0.0286
Protein (g)	60.77	15.65	39.98	14.28	-0.0256
Carbohydrate (g)	313	101.67	302	99.98	0.0451
Fat (g)	48.23	57.68	49.58	57.44	-0.0167
Iron (mg)	26	128.66	18	121.12	-0.0275
Calcium (mg)	669.01	-33.09	678.05	-24.66	-0.1254
Vitamin A (µg)	688.01	389.96	763.78	407.01	-0.0013
Dietary fiber (g)	12.94	11.04	14.10	14.00	0.2045*

(*significant at 5%)

Activity and mobility of elderly

Table 3 Time allocation of the individual elderly

Activity	Males, n=150	Females, n=150	Total, n=300
Sleep (total time spent during day and night)	8 hr 03 min±0.77	9 hr 42 min ±7.84	8 hr 50 min ±5.6
Personal care (routine chores, bathing, grooming, eating time)	2 hr 48 min ±0.76	3 hr 12 min ±0.65	3 hr ±0.72
Leisure (rest, gossiping and watching television)	3 hr 48 min ±0.73	3 hr 30 min ±0.72	3 hr 38 min ±0.74
Physical exercise (walking, cycling and jogging)	54 min ±0.39	24 min ±0.44	38 min ± 0.0.48
Miscellaneous work (teaching children, gardening, puja, marketing and working outside home)	3 hr 30 min ±0.66	55 min ±0.35	2 hr 12 min ±1.39
Household activities (cooking and serving food, washing utensils and clothes, cleaning etc)	10 min ±4.2	3 hr 18 min ±0.66	1 hr 43 min ±1.62

****

Threats and Challenges in Biodiversity Conservation in the Perspective of 21st Century

Dr. Jolly Garg * Anant Kumar Garg **

Keywords- Emerging Issues for the 21st Century, Biodiversity conservation, United Nations Environment Programme (UNEP), sustainable development, global-environmental ecosystem approach, holistic aproach.

Introduction - 'Biological diversity' means the variability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of which they are a part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems. Biodiversity is a compound word derived from 'biological diversity' and therefore is considered to have the same meaning. Biological diversity is now known to be crucial to the maintenance of ecosystems and organisms generally as well as providing essential services for human survival and flourishing. Biodiversity fundamentally multidimensional concept and cannot be reduced sensibly to a single indicator, such as species richness: to suppose that conserving overall biodiversity simply means conserving a population of every species. Living processesand biogeo chemical cycles are multidimentinal, interrelated and interdependent in so many and complex ways that we are hardly beginning to understand. An average day sees the formal description of around 300 new species across the whole range of life, and suggest that the roughly 1.75 million described species of organism may be only around 10% of the total. In fact, scientists are discovering not only new species, but even hitherto unknown life forms such as microbial communities in rocks deep beneath the earth's surface and self-reproducing entities that have genomes for their habitat (Purvis and Hector 2000). This will usually bring us to recognize that particular human interests are operative; and where there are competing views of the appropriate policy, one will therefore normally find human race development interests.

Moreover, goals such as the protection of grand scenery and wilderness often focus on areas that are remote, rugged and residual from intensive uses, giving them a political advantage over goals such as representativeness, which focus also on disturbed, economically productive landscapes. Current strategies are thus heavily influenced by economic and political pressures. If strategies for preserving biodiversity cannot be completely divorced from a consideration of human interests, we can still ask whether, from an ethical point of view, some interests are not more legitimate than others. Certainly, some peoples' ways of life do less harm to nature or humans than those of others. While Western science is hardly equal to the task of fully comprehending the impacts of profit-driven technological interventions in global ecology, some peoples still live within their ecological means and understanding. In cultures of indigenous peoples whose lives are still orientated to the careful observation of their natural environment, the requisite detailed knowledge may be available without any formal training in science as we understand it.

The 21 Emerging Issues for the 21st Century; (Source: Result of the UNEP, 2011 Foresight Process on Emerging Environmental Issues) are given in Table with ranking. Sustainability, in a broad sense, is the capacity to endure. For humans it is the potential for long term improvements in wellbeing, which in turn depend on the wellbeing of the natural world and the responsible use of natural resources. The bio geo-chemical cycles circulate water, oxygen, nitrogen and carbon ad other essential micro and macro nutrients through the world's living and non-living systems i.e., global ecosysrem and have sustained life for millions of years. Natural ecosystems have declined and changes in the balance of natural bio-geochemical cycles have had a negative impact on both humans and other living systems. Returing human use of natural resources to level of sustainable limit will require a major collective eforts. United Nations Environment Programme (UNEP), is one of the most important institutions shaping the global environmental policy and its implementation. It was created by the United Nations General Assembly in December 1972, following a decision at the United Nations Conference on the Human Environment at Stockholm (1972) which had recommended the creation of a new U. N. Environment Body. UNEP has been designed to be the environmental conscience of the UN System which plays a catalytic role coordinating the activities of other UN Agencies and prompting them to integrate environmental consideration into their activities. UNEP's environmental activities involve

*Associate Professor & Head (Botany) D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.) INDIA
** Environmentalist, Samajik Vaikariki Sansthaan, Moradabad (U.P.) INDIA

treaties and guidelines concerning environmental protection. It has been active in the area of International environmental law making and their implementation. More than forty out of nearly a hundred multilayered environmental treaties adopted outside the European Community since 1973 were concluded under the auspices of UNEP. Environmental Assessment has been a keystone of UNEP's activities. UNEP's important area of activities today has been the building up of a wide spread social and political consensus for sustainable development while it continues to carry out its earlier commitments to the cause of protection of nature, natural resources and the environment (Kates et. al., 2005; Adams, & Jeanrenand, 2008). Humanity faces exceptional challenge of eroding natural resources and declining ecosystems services due to a multitude of threats created by un-precedented growth and consumerism. Also imperiled is the biodiversity and sustainability of the essential ecological processes and life support systems (Chapin *et al.*, 2000) in human dominated ecosystems across scales (Vitousek *et al.*, 1997). Indeed, human-domination of earth is evident in global change (Ayensu *et al.*, 1999; Lawton *et al.*, 2001; Schimel *et al.*, 2001), biodiversity extinctions (Bawa and Dayanandan 1997; Sala *et al.*, 2000; Singh, 2002) and disruption of ecosystem functions (Loreau *et al.*, 2001). Ecological problems coupled with unequal access to resources results in human ill-being and threats to the livelihood security of the world's poorest (Pandey, 1996; Hooper et. al, 2000. Balvanera *et al.*, 2001). Humans' impacts have entered into the evolutionary history of ecology. Scientific experts themselves admit that they cannot entirely avoid being biased, geographically and taxonomically, in what they take as a focus of importance (Margules and Pressey 2000; Evans, et al. 2012: Rudd, et al. 2011).

Our comprehensive role in changing the earth system calls for a new, more comprehensive and cross-cutting perspective. We must reinvent policis and goverence syatems to foster stewardship of our future, as humans in collaboration with the biosphere (UNEP Report,2011). Sustainable development is a approach, which seeks to reconcile human needs and the capacity of the envoronment to cope with the consequences of economic system. This approach was called (Soussan, 1992). The changes that industrialization has made to the environment in the past 200 years have resulted in a major increase in the extinction rate of species. Between 1600-1950 this rate went up to one in ten years and then ten to one every year. Estimates made in the 1980's for tropical forests suggests that about 2011 m square is lost every minutes (Soussan and Millington, 1992). With the large-scale destuction of tropical forests about 140 species of invertibrates are facing extinction everyday. Counting only the large and spectacular spcies, we are responsible for the loss of 63 spewcies of mammals and 88 species of birds in the last 400 years Perhaps around 11 percent of the world's plants are threatened with extinction. Decreasing frog population in India and Pakistan has been associated with increased rate of pest damage to crops and recurrence of malaria (Ryan,1992). The world commission on environment defined the sustainable development as "the development which provides for the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs" (United Nations General Assembly,1987). Although this definition of Sustainable development is frequently quoted it is not universally accepted and has undergone various interpretations (Kates et. al., 2005; Redclift, 2005). It has often been criticized as a vogue, ambiguous and feel good buzzword with little meaning or substance5,6.the idea of sustainable Development is sometimes also viewed as a synthesis of mutually contrasting concepts because development inevitably depletes and degrades the environment (Clark, W.C. 2001; Redclift, 2005; Deb and Malhotra, 2001). Consequently some definitions either avoid the word development and use the term sustainability exclusively, or emphasize the environmental component, as in "environmentally sustainable development".The concept of living within the limits of nature defined by environmental capabilities forms the basis of the IUCN, UNEP and the WWF definition of sustainability which is "improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting eco-systems." (IUCN/IUNEP/ WWF,1991). The Earth Charter seeks to establish the values and direction needed to achieve sustainability. "we must join together to bring forth a sustainable global society founded on respect for nature, universal human rights economic justice and a culture of peace. Towards this end, it is imperative that we , the peoples of Earth, declare our responsibility to one another, to the greater community of life and to the future generations" (The Earth Charter Initiative, 2000). The conservation of genetic diversity is essential as a buffer against harmful environmental changes, and as the new materials for scientific and industrial innovation (Champion and Seth, 1968; Agrawal,1997; Cavalcanti, 2002; Kate, 2002; Pal, B.P.1940). Natural Resource Management has been in the traditions of the Indian society, expressing itself variously in the management and utilization practices. This evolved through the continued historical interaction of communities and their environment, giving rise to practices and cultural landscapes such as sacred forests and groves, sacred corridors and a variety of Ethno-forestry practices. (Edwards, et. al., 2012: Miller et.al., 2012; Howe & Milner-Gulland, 2012). This has also resulted in conservation practices that combined water, soil and trees. Nature-society interaction also brought about the Socio-cultural beliefs as an institutional framework to manage the resultant practices arising out of application of traditional knowledge. The attitude of respect towards earth as mother is widespread among the Indian society. local technologies (Gandhi, 1982) and people's knowledge systems such as Ethnoforestry have an important role to play for biodiversity conservation

and sustainability. There is a need of holistic understanding of the relationship between the environment and the development processes taking place in the world. (Garg, J. 2015; Garg, J. 2016; Ila Garg and J. Garg, 2015; S. Gupta and J. Garg, 2016). It has become the need of the hour to expand and evolve approaches to twenty- first century to biodiversity and forest conservation and to strictly follow the 'Global-environmental ecosystem approach' implementation' (Garg, 2017, 2018 a, 2018 b, 2020 a, 2020 b). The 20th century was marked by both the recognition and creation of array of environmental problems 21st century is bound to bear the burden of resolving these problems and preventing the emergence of more. Therefore, there is a definite need to further develop systematic insight into the nature and scope of traditional knowledge. The following activities may be useful in this regard: Collective wisdom of humanity for conservation of biodiversity, embodied both in formal science as well as local systems of knowledge, therefore, is the key to pursue our progress towards safe future.

References :-

1. Adams, WM, SJ. Jeanrenand, (2008, Transition to Sustainanability: Towards Humane and Diverse World. IUCN Gland. Switzerland.
2. Agrawal, D.P. (1997). Traditional knowledge systems and western Science. *Current Science* 73: 731-733.
3. Ayensu, E. *et al.*, (1999). International ecosystem assessment. *Science* 286: 685-686.
4. Balvanera, P. et al., (2001). Conserving biodiversity and ecosystem services. *Science* 291: 2047.
5. Bawa, K. S., and Dayanandan, S. (1997). Socioeconomic factors and tropical deforestation. *Nature*386: 562-563.
6. Convention on Biological Diversity (1992) Convention on Biological Diversity. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal,Canada.
7. Cavalcanti, C. (2002). Economic thinking, traditional ecological knowledge and ethnoeconomics.*Current Sociology* 50: 39-55
8. Clark, W.C. (2001). A transition toward sustainability. *Ecology Law Quarterly* 27: 1021-1075. Champion, H.G. and S.K. Seth, 1968. A Revised Survey of Forest Types in India. GOI. .
9. Chapin F.S. III, Zavaleta, E.S., Eviner, V.T., Naylor, R.L., Vitousek, P.M., Reynolds, H.L., Hooper, D.U., Lavorel, S., Sala, O.E., Hobbie, S.E., Mack, M.C. and Diaz, S. (2000). Consequences of changing biodiversity. *Nature* 405: 234-42.
10. Deb, D., Malhotra, K. C. (2001). Conservation ethos in local traditions: the West Bengal heritage.*Society and Natural Resources* 14: 711-724.
11. "The Earth Charter."Retrieved on: 2009. International Institute for Sustainable Development (2009). "What is Sustainable Development?". htpp://www.iisd.org/sd/.Retrieved on: Feb,2009.
12. Edwards, D. P., Fisher, B. & Wilcove, D. S. 2012 High conservation value or high confusion value? Sustainable agriculture and biodiversity conservation in the tropics. Conserv. Lett. 5, 20–27. (doi:10.1111/j.1755-263X. 2011.00209.
13. Evans, D. M. et al. 2012 Funding nature conservation: who pays? Anim. Conserv. 15, 215 –216. (doi:10.1111/j. 1469-1795.2012.00550.x).
14. Howe, C. & Milner-Gulland, E. J. 2012 Evaluating indices of conservation success: a comparative analysis of outcome- and output-based indices. Anim. Conserv. 15, 217 –226. (doi:10.1111/j.1469-1795.2011.00516.x).
15. IUCN/IUNEP/ WWF(1991). "caring for the earth: A S trategy for Sustainable Living ". Gland Switzerland. Retrieved on: March 2009.
16. Kate, K.t. (2002). Science and the Convention on Biological Diversity. *Science* 295: 2371-2372.
17. Kates, R., Parris, T. and Leiserowitz, A. (2005). "What is Sustainable Development?"Environment 47(3): 8-21. Retrieved on: April 2009.
18. Garg, J. 2017. Environmental Ethics : in perspective of Biodiversity Conservation and human welfare. The J. Meerut Univ. History Alumni.Vol.29.15 .2017. pp. 126- 131.
19. Garg, J. 2018 a. Some Traditional and innovative approaches for Biodiversity Conservation. International Journal of Agriculuture Sciences.Vol. 10 (12) 2018 pp. 6501 - 6503.
20. Garg J. 2018 a. Some traditional and innovative approaches for biodiversity conservstion. Int J Agriculuture Sci. 10(12): 6501-3. Available from: https://www.researchgate.net/publication/331368680_Traditional_and_ Innovative_Approaches_In_ Perspective_of_Biodiversity_Conservation
21. Garg, J. 2018 b. Traditional and innovative approaches : in perspective of Biodiversity Conservation. Journal of National Development Volume 31, No.1 (Summer), 2018 pp. 1-10.
22. Lawton, R. O., U.S. Nair, R.A. Loreau, M. et al., (2001). Biodiversity and ecosystem functioning: Current knowledge and future challenges. *Science* 294: 804-808.
23. Loreau, M. et al., (2001). Biodiversity and ecosystem functioning: Current knowledge and future challenges. *Science* 294: 804-808.
24. Margules, C.R. and Pressey, R.L. (2000) *Systematic Conservation Planning*. Nature 405.
25. Pandey, D.N. (1996). *Beyond Vanishing Woods: Participatory Survival Options for Wildlife, Forests and People*. CSD and Himanshu, Mussoorie/New Delhi/ Udaipur, p. 222.
26. Miller, J. R., Morton, L. W., Engle, D. M., Debinski, D. M. & Harr, R. N. 2012 Nature reserves as catalysts for landscape change. Front. Ecol. Environ. 10, 144–152. (doi:10.1890/100227).
27. Pal, B.P. (1940): "The Search for New Genes" Indian Council for Agricultural Research. New Delhi.

Purvis, A. and Hector, A. (2000) *Getting Measure of Biodiversity*. Nature 405.

28. Purvis, A. and Hector, A. (2000) *Getting Measure of Biodiversity*. Nature405.Development, 13(4): 212-227.
29. Rudd, M. A. et al. 2011 Generation of priority research questions to inform conservation policy and management at a national level. Conserv. Biol. 25, 1 –9. (doi:10.1111/j. 1523-1739.2010.01625.x).
30. UNEP Report,2011. Source: Result of the UNEP, 2011 Foresight Process on Emerging Environmental Issues).
31. Redclift, M. (2005). “Sustainable Development (1987-2005) An oxymoron comes of Age”. Sustainable Development, 13(4): 212-227.
32. Ryan,J.C.1992: Conserving biological divesity .I(n state of the world-1992 edn. Ryther, J.H. 1969: Photosynthesis and fish production in the sea. Science, 166: 72-76.
33. Soussan, J.G.1992: Sustainable development. In: Environmental issues of the 1990’s(Mannion, A.M. and Bowlby, S.R.eds)John Wiley and Sons, Chichester.
34. Soussan, J.G. and Millington, A.C.1992: Forests, woodlands and forests,woodlands and deforestations. In: Environmental issues of the 1990’s(Mannion, A.M. and Bowlby, S.R.eds)John Wiley and Sons, Chichester.
35. Schimel, D. S. et al., (2001). Recent patterns and mechanisms of carbon exchange by terrestrial ecosystems. *Nature* 414: 169-172.
36. Sala, O. E. et al., (2000). Global biodiversity scenarios for the year 2100 . *Science* 287: 1770-1774.
37. Singh, J.S. (2002). The biodiversity crisis: a multifaceted review. *Current Science* 82: 638-647.
38. United Nations General Assembly (1987) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Transmitted to the General Assembly as an Annex to document A/42/427.
39. Vitousek, P.M, Mooney, H.A., Lubchenco, J., and Melillo, J.M. (1997). Human domination of earth’s ecosystems. *Science* 277: 494-499.

Table : The 21 Emerging Issues for the 21st Century
[Source: Result of the UNEP, 2011 Foresight Process on Emerging Environmental Issues]

Issue ID	Issue Title	Ranking
Cross Cutting Issues		
001	Aligning Governance to the challenges of Global Sustainability	1
002	Transforming Human capabilities for the 21st Century: Meeting Global Environmental Challenges and Moving towards a Green Economy	2
003	Broken Bridges: Reconnecting Science and Policy	4
004	Social Tipping Points? Catalyzing Rapid and Transformative Changes in Human Behaviour Towards the Environment	5
005	New Concepts for coping with Creeping Changes and Imminent Thresholds	18
006	Coping with Migration Caused by New Aspects of Environmental Change	20
Food, biodiversity and land issues		
007	New Challenges for Ensuring Food Safety and Food Security for 9 Billion People	3
008	Beyond Conservation: Integrating Biodiversity Across the Environmental and Economic Agendas	7
009	Boosting Urban Sustainability and Resilience	11
010	The New Rush for Land: Responding to New National and International Pressures	12
Fresh water and Marine issues		
011	New Insights on Water-Land Interactions: Shift in the Management Paradigm?	6
012	Shortcutting the Degradation of hiland water in Developing Countries	12
013	Potential Collapse on Oceanic Systems requires Integrated Ocean Governance	13
014	Coastal Ecosystems: Addressing Increasing Pressures with Adaptive Governance	19

Climate Changes Issues

015	New Challenges for Climate Change Mitigation and Adaptation: Managing the Unintended Consequences	7
016	Acting on the Signal of Climate Change in the Changing Frequency Of Extreme Events	16
017	Managing the Impacts of Glacier Retreat	21

Energy, Technology and Waste-Issues

018	Accelerating the Implementation of Environmentally-Friendly Renewable Energy Systems	7
019	Greater Risk than Necessary? The Need for a New Approach for Minimizing Risks of Novel? Technologies and Chemicals	10
020	Changing the Face of Waste: Solving the Impending Scarcity Of Strategic Minerals and Avoiding Electronic Waste	14
021	The Environmental Consequences of Decommissioning Nuclear Rectors	17

****

Building High Immunity Society Through Scientific Blend of Traditions and Environment

Dr. Shubha Goel *

Abstract - The immune system remains on the top priority todefence against any disease or infection caused by microorganisms. Immune system is system of cells and proteins that protect the body against any infections. There are many factors that influence an individual for being healthy or becoming sick, based on their immune system. This entirely depends on an individual; his/ her consumption of foods on regular basis in terms of quality and quantity and the lifestyle he/she is leading. For a strong immune system, the body requires essential energy, nutrients with all vitamins, minerals, antioxidants and herbs. Moreover, it is important to understand that a strong immune systemcannot be built overnight but is possible only by regular consumption of healthy foods with high nutritional values and leading self-regulated and disciplined lifestyle.Indian conventional foods which contain the main constituents, such as antioxidants, vitamins, minerals, and herbs for boosting the immunity along with the lifestyle twigs have been focused in this paper.The aim of this paper is to focus on the importance of immunity and how to build up immune system strong to fight against infections.This paper highlights the importance of immunity and discusses about how to build our immune system strong to fight against any infections.

Keywords- Immunity, minerals, vitamins, Antioxidants, spices, herbs. Lifestyle.

Introduction - Environmental degradation and urbanisation have caused drastic changes in our lifestyles and living environments. Today, more than half of the world's population is living in urban areas. Development of high immunity society to minimise the risk of infection through scientific blend of tradition and environment is important in the present scenario. The immune system is our in-built army of cells that protects the body against any foreign bodies and infections. It is responsible for keeping us healthy and free from any kind of illness. The strength of our immune system determines our capacity to tackle various physical, emotional, and environmental challenges. The immune system is a complex mesh of several kinds of cells, playing their role in defending the body against harmful microbes.

We all know that prevention is always better than the cure. It is best to take preventive measures against any disease. Research reports suggest that persons with good immunity levels are able to fight the infection better.Building a strong immune system is considered one of the best way to maintain our overall good health.

There are certain steps that can help in making our immune system strong and healthy are as follows:

Factors that can prevent infections and help in improving our immune system are as follows:

1. **Maintaining good hygiene:** It is crucial to maintain hygiene standards like: Washing our hands frequently, especially if we have travelled by a public transport. Use of alcohol-based sanitizer is advisable while travelling in public transport to disinfect our hands. Handshakes and embracing each other can increase chances of infection, so avoid these.
2. **Wearing a mask:** Covering our nose and mouth and avoid touching our eyes nose or mouth with our dirty hands can save us. Changing clothes after coming from market or outside can reduce chances of infection
3. **Maintain distance**: This is also called physical distancing. We should keep space between ourselves and other people outside our home,we should not gather in groups, we should stay out of the crowded places and also should avoid mass gatherings. This is the most effective method to stop the spread of the virus and other infections.
4. **Regular practice of exercise and yoga:** Evidences show that regular exercises have an anti-inflammatory effect on our body and enhances our immune function.Breathing exercises like kapalbhati, anulom - vilom also help us to keep our respiratory system strong.Yoga is a proactive way to take control of our health so we can feel cheerful. In this fast-moving world where we hardly get time to take care of ourselves, we can follow yoga routine that can help to maintain our immune system. Yoga helps in lowering stress hormone level that compromise the immune system, it works for conditioning the lungs and respiratory tract, stimulating the lymphatic system to remove toxins from our body, and bringing oxygenated blood to the various organs to ensure their optimal function. This helps us to remain

***Associate Professor (Home Science) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA**

healthy.

5. Get some sunshine: Get some sunshine (at least 15to20 minutes daily, if possible). The best source of vitamin D is UV radiation from the Sun. UV radiation levels vary depending on location, season, time of day, and environment. Based on these factors, synthesizing vitamin D on exposed skin between 10 AM and 3PM would be beneficial. Vitamin D enhances the pathogen fighting effects of white blood cells that are important in our immune functioning and decreases inflammation, which helps to promote immune response. We are fortunate to have plenty of sunshine based on the seasons in India but today's modern life style makes this generation deficient in vitamin D, which in turn effects immune function.

6. Try to reduce stress: Stress is known to have an adverse effect on immunity. Reducing stress seems very difficultall these days in this fast-moving world. There are few steps that we can follow regularly to help us to relieve our stress.**Practice meditation:** The best way to relieve stress is through meditation, it is a tried and tested activity to calm the nerves.

7. Good Sleep: One should never compromise on sleep. When we don't get enough sleep, we become more prone for disease. Good sleeping time for 7-8 hours is the best way to help our body to build immunity; lesser sleep will leave us tired and impair our brain activity. The lack of sleep will prevent the body from resting and this will impair other bodily functions that will have a direct impact on our immunity.

8. Positive thinking: There is a strong link between Positivity and health.Positive thoughts help in boosting our immune functions.

9. Stay hydrated: We should drink 8 to10 glasses of water every day to stay hydrated. Hydration help us to flush out the toxins from our body and lower the chances of infection. It also helps to reduce dryness of throat. Other alternatives include juices made of citrus fruits as a source of vitamin C and other vitamins to boost immunity.Coconut water is good to beat the heat.

10. Avoid Smoking, alcohol and other addictive substances: Certain habits like smoking and alcohol consumption have a direct correlation between weakened body defences and respiratory illnesses. Engaging in smoking is proven to weaken our lung capacity and destroy the cells lining of our respiratory tract.

11. Avoid non-essential travelling: We must avoid all kinds of non-essential travels. Avoid being exposed to the public transport system and public places to avoid any likelihood of exposure to infections. We should remember to sanitize hands each time we touch a surface. We should use our non-dominant hand, while accessing the doorknobs and handles, as these are frequently touched by many people travelling.

12. Balanced diet: The food we eat plays a key aspect in determining our overall health and immunity. We should eat balanced diet with low carbohydrates, as this will help to control high blood sugar levels and blood pressure also. We should focus on a protein-rich diet to keep us in good shape. We should regularly consume vegetables and fruits rich in Beta carotene, Ascorbic acid & other essential vitamins and minerals to boost our immunity. Certain foods like mushrooms, tomato, bell pepper and green vegetables like broccoli, spinach are also good options to build resistance in the body against infections. We can also eat supplements rich in omega 3 & 6 fatty acids for our daily dose.

13. We should include in our diet some natural immunity supplements like ginger, gooseberries (amla) and turmeric. Some of these super foods are common ingredients in Indian dishes and snacks.

14. There are several herbs that help in boosting immunity like garlic, Basel leaves and Black cumin.

15. Certain seeds and nuts like sunflower seeds, Flax seed, pumpkin seeds and melon seeds are excellent sources of protein and vitamin E.

16. Probiotics like Yoghurt, Yakult and fermented food are also excellent sources to rejuvenate the composition of gut bacteria.

17. Consumption of spices like turmeric, ginger, cloves, black cumin garlic, etc coriander are good to our immune system, as most of the spices are high in their oxygen radical absorbance capacity, and reduce cell damage and maintain integrity. These are good options for the older generation too.

18. Consumption of herbs like ashwagandha and Tulsi etc known to boost our immune system.

19. Regular detoxification of the body through the fast can also help etc.

20. Vitamin C: This particular vitamin is a crucial participant in the army of immunity. It helps prevent the common cold. It acts as a powerful antioxidant for severe infections, including sepsis and acute respiratory distress syndrome. Sources of vitamin C are Amla (goose berries), lime, oranges, kiwi, strawberries, grapes and tomatoes etc.

21. Vitamin D: Vitamin D supplements have a mild protective effect against respiratory tract infections. Most people are deficient in Vitamin-D, so it is best to consult with a doctor about taking a Vitamin D supplement to boost immune response.

22. Zinc: Zinc is a vital component to WBC (white blood corpuscles) which fights infections. Zinc deficiency often makes one more susceptible to flu, cold and other viral infections. It is advisable to take a zinc supplement, especially for older people.

23. Elderberry: Blue Berries are full of nutrients including minerals like phosphorus, potassium, iron, copper and vitamins, such as vitamin A, B, and C, proteins and dietary fibre. Elderberries have antibacterial and antiviral qualities which help fight cold and influenza.

24. Turmeric and Garlic: The bright yellow spice, Turmeric, contains a compound called curcumin, which boosts the immune function. Garlic has powerful anti-

inflammatory and antiviral properties which enhances body immunity.

25. Doing Havan with samagri for worshipping God: Bactericidal potential of the medicinal smoke has been established through research. Havan with samagri kills 94% of bacteria within one hour and repeated sampling showed that the effect lingered for a month.

26. Elderly individuals specially with certain pre-existing illnesses like diabetes, hypertension, cardio vascular disease and respiratory issues are at a higher risk of disease complications, it also aggravates with age as the general immunity reduces as we get older. Thus, special care is required for their protection.

Self-care guidelinesfrom Ministry of Aayush: Apart from maintaining a healthy lifestyle, eating balanced diet and taking supplements, the Indian health ministry is also suggesting few organic and natural ways to practise as preventive measures to fight against infections. The Ministry of AYUSH has recommended the following self-care guidelines as preventive measures and to boost immunity with special reference to respiratory health.

1. Drink warm water throughout the day.
2. Practice Meditation, Yogasana, and Pranayama.
3. Increase the intake of Turmeric, Cumin, Coriander and garlic.
4. Drink herbal tea or decoction of Holy basil, Cinnamon, Black pepper, Dry Ginger and Raisin.
5. Avoid sugar and replace it with jaggery if needed.
6. Apply Ghee (clarified butter), Sesame oil, or Coconut oil in both the nostrils to keep the nostrils clean.
7. Inhale steam with Mint leaves and Caraway seeds.

Factors that act negatively on our Immunity

1. Imbalanced diet: A diet that does not consists of all the nutrients as per the recommended daily dietary allowances and is not nutritionally adequate is said to have bad impact on our immune system. Excessive intake of processed and packed foods, Foods with preservatives, sugars, fats and oils and additives for artificial flavours are known to weak our immune system.

2. Excessive alcohol intake: Physicians are already aware of the impact of alcohol on resistance and recovery from illness. Researches also show that regular alcohol intake can weaken immune systems effectiveness against common pathogens.

3. Irregular sleep: Constantly varying sleep patterns, lack of sleep or interrupted sleep also act negatively on our immune system.

4. High stress: Root cause of diabetes, hypertension and heart disease is mainly stress in day today life.

5. Obesity: Excess weight gain can itself be an indicator of malnutrition and malfunctioning of hormonal functions.

6. Lack of exercise: Lack of exercise and its negative effect on immunity is also well researched.

7. Chronic medications: Long-term use of antibiotics and certain other medications are also proven to be detrimental for immunity

8. Dehydration: Various studies have shown that not having enough liquid intake can reduce our effectiveness of the body's resistance mechanism.

Ayurvedic remedies for improving immunity:

1. Start the day with Tulsi, Pippali (fruit of long pepper) and ginger tea to strengthen and cleanse the upper respiratory tract.
2. Use turmeric and black pepper in the meals daily, to boost immunity and reduce toxins. Turmeric can be taken as a drink with almond milk or added to morning oats to prepare a nourishing golden porridge.
3. We can take 15 ml of Amla juice daily. Optionally, take Chvanprash to supply extra antioxidants and strengthen the immunity.
4. Drink plenty of warm water. Staying well hydrated will keep the throat and mucous membrane moist, supporting its action as a good barrier to all microbes.
5. Always maintain good personal hygiene, eat seasonal fruits and vegetables and be stress free.

Thus, to conclude we can say that we can fight better and win over the infections to greater extent if we are able to boost our environmental, physiological and psychological immunity by following the guidelines discussed in this paper. We have to change our way of life and learn to live with prevalent conditions taking care of our health. Conventional Indian foods containing functional components like antioxidants, dietary fibres, and body healing chemicals are the primary sources for the immune system. The processing techniques, such as soaking, sprouting, and fermentationenhance functional properties of the Indian foods. Vitamins, minerals, and herbs are important for enhancing the immunity. Considering the past studies and importance of the diet to maintain good immunity, the present study has focused on the traditional foods to raise awareness of every individual, which could make our immune system strong and resist any kind of contagious diseases.We do not require any certification to prove, as we are following these guidelines since ages as a measure to boost our immunity. Our mother and grandmothers are also using these noncodified curative approaches of Ayurvedas, while codified curative approaches are followed by Vaidyas (Doctors) in our country.

References:-

1. Arnarson A. Phytic acid 101: Everything you need to know. *Healthline. Nutrition.* 2018
2. Dalton A., Mermier C., Zuhl M. Exercise influence on the microbiome–gut–brain axis. *Gut Microb.*2019; 10(5):555–568.
3. Dasgupta A., Klein K. 1st Edition. Elsevier; 2014. Antioxidants in Food, Vitamins and Supplements. Prevention and Treatment of Disease. eBook ISBN: 9780124059177.
4. Hansdottir S., Monick M.M. Vitamin D effects on lung immunity and respiratory diseases. *Vitam. Horm.* 2011: 217–237. doi: 10.1016/b978-0-12-386960-9.00009-5.
5. Househam P.C., Mills P.J., Chopra D. The effects of

stress and meditation on the immune system, human microbiota, and epigenetics. *Adv. Mind Body Med.* 2017;31(4):10–25.

6. Huang Z., Liu Y., Qi G., Brand D., Zheng S. Role of vitamin A in the immune system. *J. Clin. Med.* 2018;7(9):258. 1–16 doi: 10.3390/jcm7090258.
7. Joe Leech M.S. 11 Proven Health Benefits of Garlic. *Healthline.Nutrition.* 2018
8. Lee G., Han S. The role of vitamin E in immunity. *Nutrients.* 2018;10(11):1614.1–18. doi: 10.3390/nu10111614.
9. Sengupta P. Health impacts of yoga and pranayama: a state-of-the-art review. *Int. J. Prev. Med.* 2012; 3(7): 444–458.

****

Environmental Problems and Their Remedies

Dr. Shobha Gupta* Dr. Jolly Garg**

Abstract - The environment includes all the biotic and abiotic element that form our surrounding that is air, water, soil, pant animals, and all other living and non-living element of the planet of earth. Indian environment has been deteriorated remarkably due to rapid decline in natural resources and severe increase in pollution level. Depletion of forests, population growth, vehiculer emissions, use of hazardous chemicals and various other undesirable human activities are mainly responsible for this degraded scenario of environmental health in India. The automobile and industries increase the number of poisonous gases like SOx, NOx, CO, and smoke in the atmosphere. It is, in fact, rendering considerable economic loss to the country and warrants serious attention of policymakers, administraters, scientists and people altogether to save the environment and humanity and to provide generational equity. The present paper deals with the threat of environmental degradation and suggests some possible remedial measures for eco-conservation in India. Now it is essentially advisable to become protector, producer and caretaker of natural resources and not the predator, polluter and consumer of earth.

Keywords- Environmental problems, Manmade impacts, Mitigation, Pollution.

Introduction - India has completed seventy five years of its independence full of covetable success scored through unflagging commitments and relentless efforts of the people and the government in social, economic, scientific and technological areas. A nation which failed to manufacture even a needle in 1947 is furiously engaged in churning out space-crafts and rockets and exploiting nuclear devices for peaceful purpose. India's achievement in science and technology seem to be very impressive which would reveal expertise built up in space research, nuclear engineering, production of steel, fertilizer, petroleum, chemical, machine tools, construction of big dams etc. Miraculous achievement has been made in the agricultural production through Green Revolution which converted India as an importer of food grain to that of an exporter. The technological advancement in agriculture is brought about through the increased production of new high yielding varieties of crops by means of the application of chemical fertilizers and pesticides. Bringing more land under food crops for the ever increasing population has no doubt saved mankind from hunger and pestilance. On the other hand various developmental activities such as construction of huge dams, establishment of power plants and industrial units have changed the man-nature relationship. They have changed not only the economic and socio-cultural life of the people but also their values, systems, ideas, beliefs and indeed their entire life style. Destruction of more forests for extension of land for agricultural purpose, for making buildings, roads and other constructions has led to the extinction of a number of plant and animal species and is also responsible of ecological imbalance. Apart from these, the indiscriminate disturbance of the forest ecosystem leads to the disturbance in corresponding recycling system. The storm of modernisation and industrialization has not only uprooted man but in fact has destroyed his habitat and environment. The increase in the discharge of toxic gases from the industrial units and carbon dioxide liberated from animals and human beings and from burning of fossil fuels is as sharp as decrease in release of oxygen by the trees and plants as a result of which the biospeheric equilibrium has been affected.

Environmental degradation is a very serious problem worldwide which covers a variety of issues including pollution, biodiversity loss, and animal extinction, deforestation and desertification, global warming, and a lot more (1,2). Today, the environmental pollution is a growing problem to our country and has become a common phenomenon being observed both in towns and villages all over India. The heavy rush of population from villages to urban areas has resulted in over-crowding of cities. Rapid industrialization and urbanization have led to an increase in pollution particularly in metropolitan cities. About 72 per cent of the air pollution is due to vehicular emissions which is responsible for 12 times high risk for respiratory problems. More than 2000 crore litres of sewage water and about 5000 metric tonnes of garbage are produced per day in the urban areas which are polluting the surface and groundwater resources. Ganga, the most sacred river and a symbol of India's age old culture and civilization, has become the most polluted cultural river in the world. Industrial effluents containing various pollutants (particularly

*Associate Professor and Head (Chemistry) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA
** Associate Professor and Head (Botany) D. A. K. P. G. College, Moradabad (U.P.) INDIA

toxic metals and pesticidal residues) are drained to nearby lands and decrease the soil fertility (Singh, 1989). Plant bodies steadily accumulate these toxic substances in different parts (Ray, 1990) and thus affect human health. Increasing levels of air, water, and land pollution pose a serious threat to human health and longevity (3,4,5).

Major Environmental Problems: The major environmental problems are human (modern urbanization, industrialization, overpopulation growth, deforestation, etc.) and natural (flood, typhoons, droughts, rising temperatures, fires, etc.) causes. Environmental pollution refers to the degradation of the quality and quantity of natural resources. Different kinds of human activities are the main reasons for environmental degradation. The automobile and industries increase the number of poisonous gases like SOx, NOx, CO, and smoke in the atmosphere. Unplanned urbanization and industrialization have caused water, air, soil, and sound pollution. Industrialization, urbanization, and sewage waste help to increase pollution of the sources of water. Similarly, the smoke emitted by vehicles and industries like Chlorofluorocarbon, nitrogen oxide, carbon monoxide, and other dust particles pollutes the air.

Land Degradation: Land degradation is a worldwide problem: land degradation may occur naturally as well as manmade activities. The climate change majorly combined with human activities for continuous soil degradation. The surface soil disturbances can modify surface topographical features and the vegetation patch structure (6). The deforestation, desalination, water logging desertification, wasteland and soil erosion are major problems. The eroded soil has led to siltation of rivers which naturally have overflown their banks with roaring speed. It has been estimated that about 23 billion tonnes of soil are lost every year. The Thar desert is expanding at the rate of one km per year. Drought-prone areas have been ever expanding, as a result, some of the districts in U.P. ,West Bengal and large areas of Rajasthan fell to acute scarcity of water. Lakes, rivers and streams are drying day by day. Soil erosion is a natural process and is as old as the earth. But today it has increased to the point where it far exceeds the natural formation of new soil. In the face of continuously expanding the demand for agricultural products and increase in pressure on land, soil erosion is accelerating. Indeed the agricultural land is losing its productive top soil 20 to 40 times faster than soil naturally can reform in thousands of years.

Green House Effect : The green house effect is one of the most hotly debated environmental issues of the current world. With the increase in green house gases (carbondioxide, water vapour, Methane, chlorofluorocarbons etc.) in the atmosphere, the average temperature of earth has been rising slowly but steadily. The adverse physiological effect of double atmospheric CO_2 on climate have been described by Sellers et al. (7). If the present trend is allowed to continue as usual, the global temperature in 2050 may rise as high as 3.5 degree celsius above the pre-industrial level which is well above the ceiling of tolerability and snow covered mountains melt into water thereby rising the sea level by several kilometers. Deforestation indirectly increases the amount of carbondioxide thereby increasing the atmospheric temperature. India is the world's six biggest producer of CO_2. The average climate of the Indian plain would become hotter and drier which would affect the agricultural yield due to increased weed infestations and insect. Industrial and vehicular emissions have contributed their own share of harmful effects to the environment. Acidification is a common problem in the industrialised countries. In India, vehicles contribute more than 30 per cent of the photochemical smog in the atmosphere. The major cities of the country have an average of more than 15,00,000 vehicles each. More than 2.5 million different types of vehicles are running in our capital Delhi. The use of chlorofluorocarbon in refrigeration units and organochlorine pesticides in agriculture are causing severe damages to the environment. These chemicals liberate chlorine which enters into stratosphere region of the atmosphere and diminishes the volume of ozone allowing more ultraviolet rays of the sun to penetrate into the atmosphere which is very harmful to the human health. The total emission and pollution of sulphur dioxide in India is estimated to be more than 4 million tonnes because of tremendous increase of vehicles of all kinds. As a result, some of the oldest and rarest architectural, cultural and historical monuments and structures have been affected, corroded and mutilated.

Hazards of Chemical Abuse: Pesticides are the most important factor in improving agricultural production particularly in developing countries to sustain the greater supply of food, necessary to feed their growing population. Amount of hazardous chemicals used in India is very high. The average per hectare pesticide consumption has increased remarkably during the last three decades (8). Less than 0.1 per cent pesticides reach the target pest and remainder negatively affect humans, livestock and natural biota. This tendency to look at only higher production neglecting the hazardous consequences of ecological disturbance has led to severe environmental degradation arising from their use. Indiscriminate and heavy use of pesticides has contaminated the food grains, dairy products, fruits, vegetables, fodders, horticulture land, drinking water and the living environment as a whole. Aquatic living species die as the pesticides washed down from the fields to rivers, tanks and other water reservoirs. Cosmetic pesticides are sprayed indiscriminately on fruits and vegetables in major cities of India to improve the look e.g., methyl parathion on cauliflower gives an extra white look, lady fingers dipped in copper sulphate to look greener. Majority of synthetic pesticides are not easily degradable and tend to enter food chains. They spread their toxic effect through ecological cycling and biological magnification and cause serious health problems in human and animal subjects. Organochlorine and organophosphorous compounds are presently predominating in use. The former is stable under

various environmental conditions. Chrolorinated pesticides are the most prevalent toxicants in the Indian environment. The environmental half life of such chemicals reported to be ten years or more. Use of these pesticides has either been banned or discouraged in developed countries as they create several environmental and health hazards. Liver and kidney damages are observed in long exposure to organochlorine pesticides whereas organophosphorous toxicity results decline of memory (9), loss of appetite, tremors and psychic disorders and paralysis in exceptional cases. They may even result in mutation of genes and these changes become prominent only after a few generations. In the most natural situation, the plants, animals and micro-organisms of the soil are absolutely essential for its fertility. The soil contains micro-organisms that are responsible for the conversion of nitrogen, phosphorous and sulphur to the forms available for plants. Recognizing the fact that most of the complex physical and chemical processes responsible for soil fertility are dependent on soil microorganisms, the environmental biologists are opposed to the continuing treatment of soil with heavy doses of deadly and persistent toxicants. Sometimes our agricultural products are rejected in international market due to high pesticidal content. Import of banned and carcinogenic pesticides and toxic wastes including lead, zinc and aluminium ash, plastic scrap and slag, at the rate of more than 60,000 metric tonnes per year still continues from developed countries at a cheaper rate. Under this alarming situation, Hon'ble Supreme Court of India have issued some directives on the import of hazardous wastes and to restrict the use of pesticides in Indian environment.

Air and Water Pollution: Air pollution refers to the release of harmful contaminants (chemicals, toxic gases, particulates, biological molecules, etc.) into the earth's atmosphere. These contaminants are quite detrimental, and in some cases, pose serious health issues. Water pollution is said to occur when toxic pollutants and particulate matter are introduced into water bodies such as lakes, rivers, and seas. These contaminants are generally introduced by human activities like improper sewage treatment and oil spills. Pollution is a very serious worldwide problem, pollution resulted in the deterioration of the quality of natural biotic and abiotic factors (10). Water pollution is a very big problem especially in developing countries in the world. The groundwater scarcity is especially in the developing countries of the worldwide (11). Pollution poses a serious risk to life, especially when the water is a source of drinking and for domestic purposes for humans, polluted waters are potent agents of diseases such as cholera, typhoid, and tuberculosis. The growth of the human population, industrial and agricultural practices is the major cause of pollution (12). The growing problem of pollution of the river ecosystem has necessitated the monitoring of water quality. Freshwater is a finite resource, essential for agriculture, industry and even human existence, without freshwater of adequate quantity and quality, sustainable development will not be possible. Industry and automobiles are the primary and secondary contributors to air pollution worldwide ,the automobiles are used every gallon of gasoline manufactured, distributed and then burned in a vehicle, produced along with carbon dioxide, carbon monoxides, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and particulate matter; these emissions contribute to increased global warming. The environmental protection agency (EPA) estimates that industrial workers suffer up to 300,000 pesticide-related acute illnesses and injuries per year, mostly cholinergic symptoms from anticholinesterases and lung disease from airborne exposure. These are toxic, remain in the environment long-term, resist degradation, and can travel long distances.

Overpopulation : It is very likely that population growth as a missing scientific agenda accounts in part for the reduced public knowledge and interest in this issue. The extent of environmental degradation varies across countries and regions of the world. Rapid population growth puts a strain on natural resources which results in degradation of our environment. The mortality rate has gone down due to better medical facilities which have resulted in increased lifespan. More population simply means more demand for food, clothes, and shelter. You need more space to grow food and provide homes to millions of people. This results in deforestation loss of biodiversity, destruction of the ecosystem which is another factor of environmental degradation shown in

Education And Environmental Preferences : Education is an essential tool for environmental protection. Education enhances one's ability to receive, decode and understand information, and that information processing and interpretation have an impact on learning and change behaviors. In recent years, education has been considered a vehicle for sustainable development and thus for the fight against pollution. Education is "a permanent learning process that contributes to the training of citizens whose goal is the acquisition of knowledge, soft skills, and know-how and good manners. The positive effect of education on environmental quality can be channeled in three ways. Firstly, educated people tend to be more conscious of environmental problems and therefore would have behaviors and lifestyles in favor of environmental improvement and demand for environmentally friendly products and decreases the population growth.

Conclusion And Recommendations: Environmental protection vis-a-vis development is a great challenge we face today. Conditions like population growth, poverty, unemployment and under development supplemented by the negative effects of badly planned development over the last seven decades have landed us today in a vicious circle. Implication of some regulatory measures may control vehicular and industrial emissions. It should be checked strictly whether factories and industrial units did not violate the standards set by various relevant acts and laws. There is also a need to introduce eco-friendly refineries and eco-

friendly thermal power plants to reduce pollution in the localities.

Environmental degradation is one of the most urgent environmental issues. Depending upon the damage, some environments may never recover. The plants and animals that inhabited these places will be lost forever. The primary causes of environmental degradation in India are attributed to the rapid growth of the population in combination with economic development and the overuse of natural resources. In order to reduce any future impacts, city planners, industry, and resource managers must consider the long-term effects of development on the environment. Major environmental problems in India include land degradation, deforestation, soil erosion, habitat destruction and loss of biodiversity. Economic growth and changing consumption patterns have led to rising demand for energy and increasing transport activities. Air, water and noise pollution together with water scarcity dominate the environmental issues in India. According to the World Bank estimate, India has made one of the fastest progress in the world, in addressing its environmental issues and improving its environmental quality. Still, India has a long way to go to reach environmental quality similar to those enjoyed in developed economies. There are ways which can help to decrease the degradation of our environment. The most effective method to control pollution and depletion is through completing the legal framework. There are some drawbacks existing in contemporary law, which encourages malfeasances implicitly. Therefore, the government must enhance filling the gap in the legal system to avoid illegal activities. Amendment to provisions relating to the exploitation of natural resources is urgent since over-exploitation is the main reason for the loss of biodiversity. The government has long shaped its perception of economic, as well as social methods to solve the problem of pollution, but the implementation remains limited. Eliminating environmental pollution and recovering our ecology requires more than a single effort to be successful. Authority of all levels must involve not only in policy-making but also in the implementation and supervision of progress, so that the national long-term environmental target can be attained, resulting in sustainable development.

1. The government can utilize economic reward and punishment system to encourage forestation.
2. Purchase recycled products
3. Conserve water
4. Do not litter or toss waste into inappropriate places
5. Conserve energy
6. Join an awareness group
7. Talk with others about the impacts of environmental degradation
8. Be an advocate to save our planet!
9. improve the quality of drinking water
10. Prevent casual use of other unapproved sources
11. Increase the quality of water used
12. Improve accessibility and of domestic supply

References:-

1. Brown, B.J., Hanson, M.E., Liverman, D.M. and Merideth, R.W. (1987). Global sustainability: toward definition. Environmental Management, 11(6): 713-719.
2. Tian, Q., Zhou, Z. Q., Jiang, S. R., Ren, L.P. and Qiu, J. (2004). Research progress in butachlor degradation in the environment. Pesticides-Shenyang, 43(5): 205-208.
3. Malik, D.S. and Maurya, P.K. (2014). Heavy metal concentration in water, sediment, and tissues of fish species (Heteropneustis fossilis and Puntius ticto) from Kali River, India. Toxicological & Environmental Chemistry, 96(8): 1195-1206.
4. Malik, D.S., Maurya, P.K. and Kumar, H. (2015). Alteration in haematological indices of Heteropneustis fossilis under stress heavy metals pollution in the Kali river, Uttar Pradesh, India. International Journal of Current Research, 7: 15567-15573.
5. Yadav, K.K., Kumar, S., Pham, Q.B., Gupta, N., Rezania, S., Kamyab, H. and Talaiekhozani, A. (2019). Fluoride contamination, health problems and remediation methods in Asian groundwater: A comprehensive review. Ecotoxicology and Environmental Safety, 182: 109362.
6. Maurya, P.K. and Malik, D.S. (2016a). Accumulation and distribution of organochlorine and organophosphorus pesticide residues in water, sediments and fishes, Heteropneustis fossilis and Puntius ticto from Kali River, India. Journal of Toxicology & Environmental Health Sciences, 8(5): 30-40.
7. Seller, P.J., Bounoua, L., Collatz, G.J., Randall, D.A., Zazlich, D.A., Los, S.O., Berry, J.A., Fung, I., Tucker, C.J., Field, C.B. et al. (1996). Comparison of radiative and physiological effects of double atmospheric CO_2 on climate. Science, 271: 1402-1405.
8. Gupta, P.K. (1988). Pesticides in the Indian Environment. Interprint Publishers, New Delhi.
9. Korsak, R.J. & Sato, M.M. (1977). Effects of chronic organophosphate pesticide exposure on central nervous system, Clinical Toxicology, 11: 83.
10. Rahman, M.S., Reichelt-Brushet, A.J., Clark, M.W., Farzana, T. and Yee, L.H. (2017). Arsenic bio-accessibility and bioaccumulation in aged pesticide contaminated soils: a multiline investigation to understand environmental risk. Science of the Total Environment, 581: 782-793.
11. Karikari, A.Y. and Ansa-Asare, O.D. (2006). Physico-chemical and microbial water quality assessment of Densu River of Ghana. West African Journal of Applied Ecology, 10(1): 1-10.
12. Maurya, P.K. and Malik, D.S. (2016a). Accumulation and distribution of organochlorine and organophosphorus pesticide residues in water, sediments and fishes, Heteropneustis fossilis and Puntius ticto from Kali River, India. Journal of Toxicology and Environment -al Health Sciences, 8(5): 30-40. Maurya

राजस्थान के आर्थिक विकास में लघु उद्योगों की भूमिका

भूमिका मेघवाल* डॉ. वन्दना वर्मा **

शोध सारांश – भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में जहाँ पूंजी का अभाव, गरीबी और बेरोजगारी का साम्राज्य है, वहाँ लघु उद्योग आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभी पहलुओं से औद्योगिक विकास की आधारशिला है। यह देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा क्षेत्र हैं जहाँ पर रोजगार क्षमता न्यूनतम पूंजी लागत पर है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसे कोई व्यक्ति छोटे पैमाने में शुरू करके आर्थिक रूप से सशक्त हो सकता है। छोटी-छोटी मशीनों, कम लागत, कम श्रमशक्ति की मदद से सेवाओं और उत्पादन का निर्माण करना और उसे प्रस्तुत करना, इस उद्योग में सम्मिलित है।

प्रस्तावना– लघु उद्योग बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में लघु उद्योगों का योगदान कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 10 प्रतिशत कुल औद्योगिक उत्पादन में 39 प्रतिशत, रोजगार में 32 प्रतिशत, देश के निर्यात में 35 प्रतिशत है। लघु उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में रोजगार क्षेत्र के अवसर उपलब्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में देश के ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड़ (विनिर्माण क्षेत्र में 360.41 लाख, व्यापार में 387.18 लाख तथा अन्य सेवाओं में 362.82 लाख तथा नॉन केप्टिव इलेक्ट्रीसिटी जनरेशन एवं ट्रांसमिशन में 0.07 लाख) रोजगार सृजित किए हैं। एनएसएस के 73वें दौर के आंकड़ों के आधार पर 633.88 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र में लघु उद्योगों की अनुमानित संख्या का 99 फिसदी से अधिक है। 3.31 लाख के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र का कुल अनुमानित एमएसएमई से क्रमश: 0.52 तथा 0.01 फिसदी हिस्सा रहे।

राजस्थान में लघु उद्योग का विकास –लघु उद्योगों में ऐसे उद्योग सम्मिलित होते है जो श्रमिक के द्धारा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से अपने घर या अन्य स्थान पर चलाए जाते हैं। इन पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता। राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीज एक्ट, 1961 के अनुसार ग्रामीण उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जो राज्य के ग्रामीण व्यक्तियों के किसी वर्ग या अंशकालिक उद्योग के रूप में किया जाता है। लघु उद्योग को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है –

(1) निर्माण क्षेत्र (2) सेवा क्षेत्र

(1) निर्माण क्षेत्र

- **सूक्ष्म उद्योग** : जमीन और बिल्डिंग के खर्चे को छोड़कर निर्माण के क्षेत्र में लगने वाले उद्योग जो 25 लाख या 25 लाख से कम का निवेश लगाकर स्थापित किए गए हो, सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आते हैं।
- **लघु उद्योग** : वे उद्योग जो 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम का निवेश कर स्थापित किए गए हो, लघु उद्योग की श्रेणी में आते है।
- **मध्यम उद्योग** : वे उद्योग जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम का निवेश कर उद्योग स्थापित किया हो, मध्यम उद्योग की श्रेणी में आते है।

(2) सेवा क्षेत्र – वे उद्योग जिन्होंने 10 लाख से कम का निवेश करके कम्पनी स्थापित की हो, अति लघु उद्योगों या सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे उद्योग जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम का निवेश करके कम्पनी स्थापित की है। लघु उद्योगों की श्रेणी में आते है। ऐसे उद्योग जिन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम का निवेश किया हो, मध्यमवर्गीय उद्योग में सम्मिलित है।

2020 में लघु उद्योग की समग्र परिभाषा – 13 मई 2020 से भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदल दी गई है। इस नई परिभाषा में इन उद्योगों को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है बल्कि दोनों क्षेत्रों के लिए निवेश एवं सालाना टर्नओवर तय किए गए है।

निवेश और टर्नओवर को मिलाकर समग्र परिभाषा

सूक्ष्म उद्योग	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग
निवेश : 1 करोड़	निवेश : 10 करोड़	निवेश : 20 करोड़
टर्नओवर : 5 करोड़	टर्नओवर : 50 करोड़	टर्नओवर : 100 करोड़

उद्देश्य एवं विधि तंत्र – प्रस्तुत शोध के मुख्य उद्देश्य (1) लघु उद्योग आर्थिक विकास में भूमिका का अध्ययन करना। (2) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के सामने आने वाली समस्याओं का विश्लेषण करना।इन शोध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध अध्ययन में राजस्थान में लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का प्रयोग किया गया है।

लघु उद्योगों का महत्व:

1. लघु उद्योग श्रम प्रधान होते है, अत: इन उद्योगों द्धारा कम पूंजी के विनियोग से भी रोजगार में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।
2. कृषि व्यवसाय से सम्बद्ध व्यक्ति खाली समय में इस तरह के धंधों में स्वयं को लगाकर अपनी आय में वृद्धि करसकते है तथा देश की राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है।
3. लघु उद्योग सेदेश में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण में सहायता प्राप्त होती

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत
** सह-आचार्य (अर्थशास्त्र) मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत

है।

4. लघु उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं।
5. लघु उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ रहा है जो देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायता देता है।
6. देश के निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी लघु उद्योगों की होती हैं एवं कुल उत्पादन का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा लघु उद्योगों से आता है।
7. लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए सहायक या पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्द्धनिर्मित माल लघु उद्योग बना सकते है जिनका उपयोग बडे उद्योग निर्मित माल उत्पादन हेतु कर सकते है।

तालिका 1 : राज्य में लघु उद्योगों का योगदान

जीडीपी वृद्धि दरे	स्थिर मूल्य (प्रतिशत में) 2011-12	वर्तमान मूल्य (प्रतिशत में)
वार्षिक 2017-18	6.7	10.0
पहली तिमाही (अप्रैल-जून)	5.6	8.3
दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर)	6.3	9.5
तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर)	7.0	11.0
चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)	7.7	10.9

स्त्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

वर्ष 2017-18 में स्थिर मूल्यों (2011-12) पर वास्तविक जीडीपी बढ़कर 130.11 लाख करोड़ रूपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, यह 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर को दर्शाता हैं।

वर्ष 2017-18 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी के बढ़कर 167.73 लाख करोड़ रूपये के स्तर पर पहुंच जाने का अनुमान है जो वर्ष 2016-17 में 152.54 लाख करोड़ रूपये आंकी गई। यह 10.0 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाती है।

लघु उद्योगों के विकास और संवर्द्धन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका, उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने के बदले में आर्थिक परिदृश्य में उद्योगें की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करना है।

तालिका2 :लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या

क्र.	राज्य	रोजगार (संख्या लाखों में)		
		महिला	पुरूष	कुल
1.	राजस्थान	8.01	38.31	46.33
2.	पंजाब	4.24	20.55	24.80
3.	केरल	13.77	30.86	44.64
4.	महाराष्ट्र	17.97	72.77	90.77
5.	गुजरात	13.71	47.44	61.16
6.	दिल्ली	2.41	20.59	23.00
7.	बिहार	4.79	48.26	53.07
8.	छतीसगढ़	4.07	12.79	16.89
9.	कर्नाटक	19.73	51.11	70.84
10.	उत्तरप्रदेश	27.27	137.92	165.26

स्त्रोत : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

राज्यवार औद्योगिक इकाईया

क्र.	राज्य	एमएसएमई की अनुमानित संख्या	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	उत्तर प्रदेश	89.99	14
2.	पश्चिमी बंगाल	88.67	14
3.	तमिलनाडू	49.48	8
4.	महाराष्ट्र	47.78	8
5.	कर्नाटक	38.34	6
6.	बिहार	34.46	5
7.	आंध प्रदेश	33.87	5
8.	गुजरात	33.16	5
9.	राजस्थान	26.87	4
10.	मध्यप्रदेश	26.74	4
	कुल	469.36	74

स्त्रोत : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

राजस्थान में लघु उद्योग

राजस्थान में विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग पाए जाते है -

(अ) कृषि आधारित लघु उद्योग

(i) तेल-धानी उद्योग (ii) गुड खाण्डसारी उद्योग (ii) आटा उद्योग (iv) दाल उद्योग (v) चावल उद्योग (vi)हाथ-करघा खादी ग्रामोद्योग

(ब) पशुओं के उत्पाद पर आधारित लघु उद्योग

(i) चर्म उद्योग (ii) हाथी दांत का कार्य

(स) वनों पर आधारित लघु उद्योग

(i) लकड़ी के विभिन्न सामान के उद्योग (ii) कागज उद्योग (iii) बीड़ी उद्योग (iv) दियासलाई उद्योग (v) कत्था, गोंद एवं लाख उद्योग

(द) खनिज आधारित उद्योग

(i) संगमरमर उद्योग (ii) इमारती पत्थर उद्योग (iii) ग्रेनाइट उद्योग

(य) राजस्थान में अन्य लघु उद्योग

(i) ऊन उद्योग (ii) इमारती पत्थर उद्योग (iii) ग्रेनाइट उद्योग

राज्य में गठन के समय 11 वृहद उद्योग, 7 सूती वस्त्र उद्योग, 2 सीमेंट व चीनी उद्योग और 207 पंजीकृत फैक्ट्रीयां थी। वर्ष 1978 में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग केन्द्र व 8 उपकेन्द्र हैं। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाईयाँ जयपुर जिले में है।

लघु उद्योगों की समस्याएँ

1. वित्त की समस्या : आंशिक रूप से, छोटे उद्योगों की वित्तीय समस्या अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से पूंजी की कमी की व्यापक समस्या का एक हिस्सा है।

2. कच्चे माल की समस्या : कच्चे माल की कमी का अर्थ अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक क्षमता की बर्बादी और इकाई के लिए नुकसान हैं। कमी के कारण प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है और बड़े पैमाने पर उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली छोटी इकाईयों को गंभीर रूप से नुकसान उठाना पड़ता है।

3. बिजली की समस्या : बिजली की समस्या इतनी व्यापक हो गई है कि इसका प्रभाव छोटे उत्पादकों पर निश्चित रूप से घातक हैं, बड़े उद्योग

किसी तरह बच निकलने का प्रबंधन करते हैं।

4. विपणन की समस्याएँ : दूर के बाजारों से ग्राहकों की खरीद करने में असमर्थता उन्हें अपने पैमाने के संचालन को सीमित करने और पैमाने की अर्थव्यवस्था को त्यागने के लिए मजबूर करती है।

5. सरकारी एजेन्सियों से निपटने की समस्याएँ : राशन की प्रक्रिया में भेदभाव की पर्याप्त गुंजाइश है, जिसे सरकारी नियमों, विनियमों और लालफिताशाही द्वारा संभव बनाया गया है। उनके आदेश पर संसाधनों के साथ बड़े उद्योग हेरफेर करते है।

6. निर्यात कठिनाईयाँ : छोटे पैमाने के क्षेत्र में अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि संगठित और प्रशंसनीय तरीके से निर्यात करना मुश्किल बना देता हैं। अब तक इस क्षेत्र द्वारा विशिष्ट निर्यात उन्मुख उद्योगों के आयोजन की दिशा में बहुत कम संगठित प्रयास किए गए है।

उपर्युक्त प्रमुख समस्याओं के अलावा कुछ अन्य समस्याएँ भी है जो नीति निर्माताओं का तत्काल ध्यान आकर्षित करती है। लघु उद्योगों के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि जब वे छोटे पैमाने के आकार से विकसित होते है और संयंत्र और मशीनरी की मूल्य सीमा को पार करते हैं, तो उनके पास उपलब्ध पूर्व संरक्षण वापस से ले लिया जाता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लघु उद्योग का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में बेरोजगार युवक लघु उद्योग में नौकरी करके रोजगार प्राप्त कर रहे है। राज्य में ऐसे कई युवा है जो काफी कम उम्र में ही लघु उद्योग शुरू कर चुके है और आज वह सफलता के शिखर को छू रहे है। सरकार केन्द्रिय विपणन संस्था की स्थापना करे, जो ऐसे उद्यमियों से प्रत्यक्ष रूप से माल खरीदे और निर्यात की व्यवस्था करें। यदि संभव हो तो ऐसे उद्योगों को सस्ते परिवहन की सुविधा भी समीचीन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. www.msme.gov.in
2. केन्द्रिय सांख्यिकी संगठन का प्रकाशन
3. विभिन्न वर्षो के आर्थिक सर्वेक्षण
4. msme की विभिन्न वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट
5. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
6. डॉ. वरूण प्रसाद अमन (2020), भारत में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थिति एक विवेचनात्मक अध्ययन (IJAR) वॉल 6(10), 74-77

****

अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम

डॉ. नीलम कांत*

मूल शब्द– समन्वित जनजातीय विकास, सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड),जनजातीय उप-योजना, अन्य पिछड़े वर्गों।

प्रस्तावना – अनुसूचित जनजातियों के विकास पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 1999 में एक अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से पृथक किया गया यह मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के बारे में नीति निर्धारित करने योजनाएँ बनाने और उनके विकास के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करने वाला शीर्ष मंत्रालय है। यह मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों विभागों तथा राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा इन समुदायों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का समर्थन तथा संवर्द्धन भी करता है।देश में अब 194 समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है, जहाँ पर प्रखण्डों अथवा प्रखण्ड समूहों की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है। छठीं योजना में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम से बाहर के क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है, जिनमें 10,000 की कुल जनसंख्या में से कम से कम 5,000 जनजातीय लोग हैं और उन्हें एम.ए.डी.ए. के अन्तर्गत जनजातीय उप-योजना में शामिल कर लिया गया है। अब तक देश में 252 एम. ए.डी.ए. क्षेत्रों की पहचान कर ली गई। है। इसके अलावा 79 ऐसी बस्तियों की भी पहचान की गई है, जिनकी 5,000 की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 50 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं इस प्रकार हैं-

(1) विशेष केन्द्रीय सहायता– राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के जनजातीय विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। यह सहायता मूलत: परिवार आधारित आमदनी योजनाओं के लिए कृषि, बागवानी, लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, सहकारी संगठन, मत्स्य पालन, ग्रामीण तथा लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों में और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए दी जाती है। इसका कुछ हिस्सा जनजातीय छात्रों को उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आवासीय स्कूलों की स्थापना करने में खर्च किया जाता है। वर्ष 2005-06 में 688.82 करोड़ रुपये की राशि राज्योंध्केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान के रूप में दी गई।

(2) आदिम जनजाति समूहों के लिए योजना– टेक्नोलाजी के कृषि-पूर्व स्तर साक्षरता में कमी और घटती या स्थिर जनसंख्या के आधार पर 15 राज्योंध्केन्द्र शासित प्रदेशों में 75 जनजातीय समूहों की पहचान कर उन्हें आदिम जनजाति समूह का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1998-99 से इन समूहों के सर्वागीण विकास के लिए एक नई केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत, अन्य किसी योजना द्वारा जो परियोजनाएँ गतिविधियाँ नहीं चलाई जा रही हैं, उन्हें शुरू करने के लिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं, जनजातीय शोध संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 2005-06 में 22.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(3) जनजातीय शोध संस्थान– आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में 14 जनजातीय शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं। यह शोध संस्थान राज्य सरकारों को योजना बनाने की जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने, शोध तथा आकलन सम्बन्धी अध्ययन कराने, आँकड़े जमा करने, पारम्परिक कानूनों की सूची बनाने और प्रशिक्षण, गोष्ठियाँ तथा कार्यशालाएँ आयोजित करने में लगे हुए हैं। इनमें से कुछ संस्थानों में संग्रहालय भी हैं जहाँ जनजातीय वस्तुएँ प्रदर्शित की गई हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य सरकारों को इन संस्थानों की मदद के लिए 2.18 लाख रुपये जारी किए गए।

(4) अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के छात्रावास– बालिकाओं के लिए छात्रावास कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर रही जनजातीय बालिकाओं को आवास सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके अन्तर्गत राज्यों को छात्रावासों की निर्माण लागत का 50 प्रतिशत और केन्द्र शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना की तरह ही लड़कों के लिए भी वर्ष 1989-90 में योजना शुरू की गई। वर्ष 2003-04 के दौरान लड़कों के 298 और लड़कियों के 171 छात्रावासों के निर्माण के लिए 18.15 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(5) जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय– केन्द्र द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम वर्ष 1990-91 में शुरू किया गया था। इसके अन्तर्गत आश्रम पद्धति के विद्यालयों को खोलने के लिए राज्यों को 50 प्रतिशत और केन्द्र शासित प्रदेशों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है। वर्ष 2003-04 के दौरान 315 आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए 6.47 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(6) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण– केन्द्रीय क्षेत्र की यह योजना वर्ष 1992-93 में शुरू की गई इसका उद्देश्य बेरोजगार जनजातीय युवाओं की कुशलता बढ़ाकर उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। इसके तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाते हैं। वर्ष 2005-06 में ऐसे 48 केन्द्रों के लिए 4.50 रुपये जारी किए गए।

* एसोसिएट प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष (राजनीति विज्ञान) जगत तरण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, प्रयागराज (उ.प्र.) भारत

(7) कम साक्षरता वाले इलाकों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा– दो प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले आठ राज्यों के 48 चुने हुए जनजातीय जिलों में जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए वर्ष 1993–94 में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया और जुलाई 1998 में इसमें संशोधन किए गए। अब 14 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के 10 प्रतिशत से कम साक्षरता वाले 194 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत पांचवीं कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाती है। यह कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों और राज्यों के केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। वर्ष 2005–06 में 79 परिसरों के लिए 6.00 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(8) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड)– जनजातीय लोगों को व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा उन्हें छिटपुट वन–उत्पादों और अपनी जरूरत से अधिक कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) का गठन किया था। यह परिसंघ एक राष्ट्र–स्तरीय सहकारी संस्था है जो बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम (1984) के तहत कार्य करता है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक अरब रुपये है और इसकी चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये है। इसमें भारत सरकार का निवेश 99.75 करोड़ रुपये है और बाकी के 0.23 करोड़ रुपये अन्य अंशधारकों ने निवेश किए हैं।

(9) छिटपुट वन उत्पादों के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम– यह केन्द्रीय क्षेत्र योजना है। इसके अन्तर्गत राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और छिटपुट वन उत्पाद (व्यापार और विकास) परिसंघों को छिटपुट वन उत्पाद कार्यक्रम शुरू करने के लिए शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य अनुदान राशि का उपयोग इन कार्यक्रमों में कर सकते हैं– (i) जनजातीय विकास सहकारी निगमों, वन विकास निगमों और छिटपुट वन उत्पाद परिसंघों का शेयर पूँजी आधार मजबूत करने, (ii) वैज्ञानिक तरीके के भण्डारण गृहों का निर्माण करने, (iii) छिटपुट वन उत्पादों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए प्रसंस्करण उद्योग लगाने। अनुसंधान और विकास गतिविधियों में वर्ष 2005–06 में विभिन्न राज्य निगमों को इसके लिए 12.84 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(10) ग्रामीण अनाज बैंक योजना– वर्ष 1996–97 में केन्द्रीय क्षेत्र की जनजातीय ग्रामीण अनाज बैंक योजना शुरू की गई। कुछ चुनिंदा इलाकों में इसे प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया। दूर–दराज और पिछड़े जनजातीय इलाकों में शिशुओं की मृत्यु को रोकने के उपायों के वास्ते इन क्षेत्रों की पहचान कर ली गई थी। इन दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों में पोषण स्तर को गिरने से बचाने के लिए अनाज बैंकों का प्रावधान किय गया। मंत्रालय इसके लिए धनराशि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (ट्राइफेड) के जरिए जारी करता है। वर्ष 2003–04 में इस कार्यक्रम के तहत 1.07 करोड़ रुपये जारी किए गए। अब तक देश में 1,483 अनाज बैंक स्थापित किए जा चुके हैं।

(11) अनुसूचित जनजातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता– मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत उन स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जो आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, चिकित्सा इकाइयों, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इकाइयों, और टंकण प्रशिक्षण इकाइयों, बालवाड़ी शिशु सदन (आई.सी.डी.एस. कार्यक्रमों के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र), पुस्तकालयों और श्रव्य–दृश्य इकाइयों जैसी परियोजनाओं के लिए काम करते हैं। यह अनुदान सामान्यतया परियोजना की कुल अनुमोदित लागत का 90 प्रतिशत तक होता है और शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन आर्थिक सहायता लेने वाले संगठनों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005–06 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 25.86 करोड़ रुपये जारी किए गए।

(12) मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति– अनुसूचित जातियों जनजातियों के मैट्रिक के याद अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की योजना 1944 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों सहित व्यावसायिक, तकनीकी, गैर–व्यावसायिक और गैर–तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। उन्हें इसके लिए उनके वचनबद्ध दायित्व के अतिरिक्त शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2003–04 में इस कार्यक्रम के लिए 64.39 करोड़ रुपये दिए गए।

(13) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम– अप्रैल, 2001 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम का गठन किया। इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्तीय विकास निगम से अलग करके एक सरकारी कम्पनी की तरह बनाया गया है। एन.एस.टी.एफ.डी.सी. पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनी है, जिसकी प्राधिकृत शेयर पूँजी 500 करोड़ रुपये है। अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने वाला यह प्रमुख संस्थान है। निगम प्रति इकाई 10 लाख रूपये तक की लागत वाली आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, उनके कौशल का विकास करने वाले कार्यक्रमों के लिए अनुदान देता है और सक्ष्य समूहों द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के लिए संयोजन प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति के वे सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी–रेखा आय सीमा की दुगनी से अधिक नहीं है, वे कृषि तथा इससे जुड़े कार्यों, उत्पादन और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 2002–03 से 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना' शुरू की गई है।

(14) अनुसूचित जनजातियों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व– इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में कुछ छूट और रियायतें दी गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं– (i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम आयु की सीमा में पांच साल की छूट, (ii) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती के मामलों में, जहाँ जरूरी हो, वहाँ अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट, और (iii) अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट। इसी तरह की कुछ रियायतें शारीरिक रूप से विकलांगों और भूतपूर्व सैनिकों को भी दी गई हैं। आरक्षण आदेशों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अलग से सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। भर्ती अधिकारियों को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने होते हैं, जिससे कि सरकार उनकी छानबीन कर सके। केन्द्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है–

तालिका-1 : केन्द्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व (1 जनवरी, 2005 की स्थिति)

वर्ग	कुल	अ. जनजाति	प्रतिशत
(क)	80,589	3,448	4.3
(ख)	1,39,958	6,230	4.5
(ग)	20,36,130	1,31,678	6.5
(घ)	7,67,224	53,032	6.9
कुल	**30,23,901**	**1,94,388**	**6.9**

आरक्षण की यह प्रणाली राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी अपनाई जा रही है। राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों आदि को पदों में आरक्षण प्रदान किया है और राज्य सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के उपाय किए हैं। किन्तु राज्य सरकार की सेवाएँ पूर्णतया अपनी-अपनी राज्य सरकारों के अधीन आती हैं।

तालिका-2 : पंचवर्षीय योजनाएँ तथा अनुसूचित जाति/जनजातीय कल्याण

क्र. सं.	योजनाएँ	अवधि	व्यय (करोड़ रूपयों में)
1.	पहली पंचवर्षीय योजना	1951-56	30
2.	दूसरी पंचवर्षीय योजना	1956-61	79
3.	तीसरी पंचवर्षीय योजना	1961-66	100
4.	वार्षिक योजनाएँ	1966-69	68
5.	चौथी पंचवर्षीय योजना	1969-74	172
6.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना	1974-79	216
7.	छठीं पंचवर्षीय योजना	1980-85	5,535
8.	सातवीं पंचवर्षीय योजना	1986-90	10,500
9.	आठवीं पंचवर्षीय योजना	1992-97	15,000
10.	नौंवी पंचवर्षीय योजना	1997-2002	19,608

(सूचना का आधार : भारत वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ, 2005)

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Giddens, Anthony, Sociology, Polity Press in association with Black well Publisher, 65, Bridge Street, Combrige CB2, JUR, U.K.,1992.
2. Myron Weiner, Sons of the Soil, Oxford University Press, Delhi, 1978.
3. डॉ. अमित अग्रवाल, समकालीन भारतीय समाज, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2009।
4. राम आहूजा, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय, डॉ. वी.पी. सिंह, समकालीन भारतीय समाज, विजय प्रकाशन मन्दिर, वाराणसी।
6. मोतीलाल गुप्ता, भारत में समाज, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

****

Examining the Role of Social and Family Customs in Shaping Food Preferences: A Comparative Study among College Girls in Udaipur City

Rashmi Manoj* Vinita Sharma**

Abstract - Social and family customs have a significant influence on our food preferences. The customs surrounding meal preparation, consumption rituals, and cultural traditions shape our tastes, preferences, and dietary habits. Recognizing and understanding the role of these customs can help us develop effective strategies to promote healthy eating habits and foster cultural appreciation in our diverse societies. In the context of understanding the influence of role of social and family customs on food preferences among college girls in Udaipur City, a study was conducted. The study employed a random sampling method to select the participants. A five-point rating scale was utilized to gather data, and all statistical calculations were performed using SPSS. This study reveals that all the college girls have no significant difference in opinion regarding 'Social and family customs influence food preference' and 56.7 % of respondents agree that their food preference is affected by social and family customs.

Keywords: Social and family customs, food preferences, College girls.

Introduction - Food preferences are deeply influenced by various factors, including social and family customs. The role of social and family customs in shaping food preferences is a fascinating area of study that explores how cultural practices and traditions impact our choices and perceptions of food. Customary practices related to food, such as meal preparation, consumption rituals, and food-related celebrations, play a significant role in shaping our tastes, dietary habits, and overall food culture.

Numerous studies have highlighted the influence of social and family customs on food preferences across different cultures and societies. For instance, a study conducted by Kremer-Sadlik and colleagues (2016) examined the food preferences of American and Japanese preschool children. The researchers found that the food preferences of these children were strongly influenced by cultural customs, such as the types of foods served during meals, the order in which foods were consumed, and the presence of shared family meals. These customs played a crucial role in shaping the children's food choices and their acceptance of diverse flavors and ingredients.

Furthermore, the impact of social and family customs on food preferences extends beyond early childhood. In a study conducted by Sobal and Bisogni (2009), it was observed that adults' food choices and preferences were heavily influenced by family customs and traditions. The researchers found that individuals often retained the food preferences they had acquired during their upbringing, reflecting the lasting influence of family customs. Moreover, cultural customs related to food, such as religious dietary restrictions, festive feasting, and regional culinary traditions, has also been found to significantly shape food preferences among adults (Lahne et al., 2019).

The influence of social and family customs on food preferences can be observed in various cultural contexts. For instance, the Mediterranean diet, which is characterized by high consumption of fruits, vegetables, whole grains, and olive oil, is strongly influenced by social and family customs prevalent in Mediterranean countries (Martinez-Gonzalez et al., 2019).

Understanding the role of social and family customs in shaping food preferences is crucial for promoting healthy eating habits and addressing cultural barriers in nutrition education and public health initiatives. By recognizing the impact of these customs, policymakers, healthcare professionals, and educators can develop culturally sensitive interventions that aim to improve dietary choices and overall health outcomes.

Methodology: The participant selection for this study used a random sampling method. The goal was to include a total of 360 samples, divided equally between urban and rural college girls, with 180 participants in each category. Within the urban college girls group, 90 participants were selected from a Government College, while the remaining 90 participants were chosen from a Private College. Both the urban and rural categories consisted of 45 undergraduate

*Guru Nanak Girls' P G College, Udaipur (Raj.) INDIA
** Govt. Meera Girls' College, Udaipur (Raj.) INDIA

and 45 postgraduate students. A similar sampling criterion was followed for the group of 180 rural college girls.

To assess the responses, a five-point rating scale known as the Likert method of scaling was employed in this study. This particular tool was chosen due to its effectiveness in improving response rates and the quality of responses, while minimizing confusion among respondents regarding statements. The collected data was analyzed using appropriate statistical techniques, and the significance level was set at 0.05. All calculations were performed using SPSS (Statistical Package for Social Science, Ver 21.0), a widely used software for statistical analysis.

Results and Discussion : Association between opinions about Social and family customs influence food preference and study groups (Urban Vs Rural, Government Vs Private and UG Vs PG) is shown in Table 1.

Table 1 (see in next page)

Out of total girls 12.5% were strongly disagree, 16.1 % were disagree, 15.0 % were indecisive, 20.3 % were agree and 36.1 % were strongly agree regarding 'Social and family customs influence food preference'.

Out of total urban girls, 11.1 % were strongly disagree, 18.3 % were disagree, 13.3 % were indecisive, 20.6 % were agree and 36.7 % were strongly agree regarding 'Social and family customs influence food preference' while out of total rural girls, 13.9 % were strongly disagree, 13.9 % were disagree, 16.7 % were indecisive, 20.0 % were agree and 35.6 % were strongly agree with regard to 'Social and family customs influence food preference'. The Chi Square value was found to be 2.370 which is insignificant (p>0.05). It infers that the urban and rural girls do not have significant difference in opinion regarding 'Social and family customs influence food preference'.

Out of total girls studying in Government colleges, 11.7 % were strongly disagree, 15.6 % were disagree, 14.4 % were indecisive, 21.7 % were agree and 36.7 % were strongly agree regarding 'Social and family customs influence food preference' while out of total girls studying in private colleges, 13.3 % were strongly disagree, 16.7 % were disagree, 15.6 % were indecisive, 18.9 % were agree and 35.6 % were strongly agree on the aspect 'Social and family customs influence food preference'. The Chi Square value was found to be 0.716 which is insignificant (p>0.05). It infers that the college girls studying in government and private colleges do not have significant difference in opinion regarding 'Social and family customs influence food preference'.

Out of total girls studying in undergraduate classes, 10.6 % were strongly disagree, 16.7 % were disagree, 16.1 % were indecisive, 21.7 % were agree and 35.0 % were strongly agree regarding 'Social and family customs influence food preference' in determining food preference while out of total girls studying in postgraduate classes, 14.4 % were strongly disagree, 15.6 % were disagree, 13.9 % were indecisive, 18.9 % were agree and 37.2 % were strongly agree regarding 'Social and family customs influence food preference'. The Chi Square value was found to be 1.920 which is insignificant (p>0.05). It infers that the girls studying in undergraduate and postgraduate classes do not have significant difference in opinion regarding 'Social and family customs influence food preference'

References:-

1. Kremer-Sadlik, T., Mendoza, F. S., McFall, E. R., & Sobo, E. J. (2016). Acculturation and changing food preferences: A study of cereal intake at child care in three generations of Japanese and Japanese-American preschoolers. Ecology of Food and Nutrition, 55(1), 1-21.
2. Lahne, J., Hayes, J. E., Zlatev, J. J., & Bell, R. (2019). Individual differences in food neophobia and cultural capital relate to food preferences of older adults. Food Quality and Preference, 71, 429-437.
3. Martinez-Gonzalez, M. A., Hershey, M. S., Zazpe, I., Trichopoulou, A., & Damsgaard, C. T. (2019). Mediterranean diet patterns: Plant foods and plant-based diets. In Advancing Dietary Patterns and Diet Quality (pp. 261-275). Academic Press.
4. Sobal, J., & Bisogni, C. A. (2009). Constructing food choice decisions. Annals of Behavioral Medicine, 38(Suppl 1), S37-S46.

Table 1: Association between opinions about Social and family customs influence food preference and study groups (Urban Vs Rural, Government Vs Private and UG Vs PG)

		Social and Family Customs Influence Food Preference					Total	Chi-Square (p value)
		Strongly Disagree	Disagree	Indecisive	Agree	Strongly Agree		
Total Urban	F	20	33	24	37	66	180	2.370(0.668)
	%	11.1%	18.3%	13.3%	20.6%	36.7%	100.0%	
Total Rural	F	25	25	30	36	64	180	
	%	13.9%	13.9%	16.7%	20.0%	35.6%	100.0%	
Total Government	F	21	28	26	39	66	180	0.716(0.949)
	%	11.7%	15.6%	14.4%	21.7%	36.7%	100.0%	
Total Private	F	24	30	28	34	64	180	
	%	13.3%	16.7%	15.6%	18.9%	35.6%	100.0%	
Total UG	F	19	30	29	39	63	180	1.920(0.751)
	%	10.6%	16.7%	16.1%	21.7%	35.0%	100.0%	
Total PG	F	26	28	25	34	67	180	
	%	14.4%	15.6%	13.9%	18.9%	37.2%	100.0%	
TOTAL	F	45	58	54	73	130	360	
	%	12.5%	16.1%	15.0%	20.3%	36.1%	100.0%	

****

दलित अवधारणाओं का नया दौर

अर्निका यादव*

प्रस्तावना – हिन्दू समाज में वर्गभेद कहो या जातिभेद जैसी समस्या बनी ही रहेग, जिसे समाप्त करने हेतु दलित साहित्य में अछूत या समाज बहिष्कृत समझी जाने वाली मानव जातियाँ नायक, बनकर आ रही है। इससे पहले महात्मा गांधी, महाराज साहू, महाराजा गायकवाड़, महात्मा फुले, डॉ. अम्बेडकर, आदि महापुरुषों ने अथक प्रयास किए हैं, किन्तु स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के पश्चात् भी यह कुप्रथा मिट न सकी, जिससे पीड़ित लोगों ने अपनी कुण्ठाएँ, दुनिया के सामने उजागर करने हेतु साहित्य का सहारा लिया। वर्तमान सर्वसाधारण जनता हो या देश-प्रदेश की सरकारें, दोनों जाति-भेद भावना से अछूत नहीं रह पाते। हिन्दी साहित्य, भेद भावना से अछूत नहीं रह पाते। हिन्दी साहित्य जैसे-जैसे अपनी अनिवार्यता को प्रतिस्थापित करने लगा, वैसे-वैसे दलित चेतना के स्वर मुखर होने लगे और दलित अवधारणाओं का नया दौर प्रारम्भ हुआ।

अंग्रेजी शब्दकोष में दलित शब्द के लिए डिप्रेस्ड शब्द किया गया है, जिसके अर्थ होता है, झुकाना, नीचा करना, लाना, स्वर नीचे या धीमा करना इत्यादि। दलित शब्द का अर्थ प्राय: अछूत वर्ग का अर्थ अस्पृश्य वर्ग ही नहीं अपितु सामाजिक रूप से अविकसित, शोषित, प्रताड़ित वर्गों की गणना भी दलित में ही होती है, किन्तु दलित शब्द अर्थ निम्न वर्ग से जुड़कर रहा गया है। सैद्धान्तिक रूप से इस शब्द का अर्थ दलितों के साथ-साथ भूमिहीन, आदिवासियों, खेत, मजदूरों, मजदूर वर्ग तथा पिछड़ी जाति से भी है, किन्तु व्यावहारिक रूप में दलित शब्द धार्मिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार निम्नवर्गीय एस.सी./एस.टी. के लिए प्रयुक्त होता है। श्रीमती एनी बेसेन्ट ने डिप्रेस्ड कास्ट का शब्द का प्रयोग दलितों के लिए किया था। मध्यप्रदेश शासन के त्यौहार किए गए, भोपाल दस्तोवज के प्रथम अध्याय में दलित शब्द को इस प्रकार परिभाषित करते हुए कहा गया ह- 'दलित और आदिवासी है, जिन्हें क्रमश: शासकीय रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया है।'[1]

डॉ. सोनपाल समुनाक्षर अपने लेख 'हिन्दी में दलित साहित्य' में लिखते हैं – 'मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया है, जिसे निजी स्वार्थों के लिए मानव निर्मित झूठी, बर्बर मान्यताओं को मनुस्मृति और धर्म के नाम पर स्वीकारने के लिए बाध्य किया गया हो, वह दलित वर्ग है उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित, बाधित और पीड़ित व्यक्ति भी दलित की श्रेणी में आते हैं। भूमिहीन, अछूत, बन्धुआ, दास, गुलाम, दीन और पराश्रित-निराश्रित भी 'दलित' ही हैं।[2]

धीरेन्द्र वर्मा द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य कोश' में इसको इस प्रकार परिभाषित गया है कि- यह समाज का निम्नतम वर्ग है, जिसको विशिष्ट संज्ञा, आर्थिक, आर्थिक व्यवसायों के अनुरूप ही प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ- दास प्रथा के दास, सामन्तवादी व्यवस्था में किसान, पूँजीवादी व्यवस्था में मजदूर, समाज का दलित वर्ग कहलाता है।'[3]

दलित वर्ग की पहचान को स्पष्ट करते हुए डॉ. महीप सिंह ने अपने एक लेख- 'चर्चा के केन्द्र है दलित साहित्य' में कहते हैं- 'शताब्दियों से इस देश की समाज-व्यवस्था इसी व्यवस्था के एक बड़े वर्ग को शूद्र श्रेणी में रखती रही है। शूद्रों में एक वर्ग को अछूत घोषित कर दिया गया, जिनकी छाया से भी भ्रष्ट हो जाने की आशंका से ग्रस्त होकर अपने आपको सवर्ण मानने वाले लोग, कतराने लगे। इनके साथ से पानी पीना तो धर्म भ्रष्ट हो जाना नियति बन गया। पिछले कुछ वर्षो में इस वर्ग के लोगों ने अपने लिए अछूत, अस्पृश्य, हरिजन आदि शब्दों का त्याग करके अपने आपको दलित कहलाना पसन्द किया।'[4]

अस्सी के दशक के बाद दलितों की स्थिति में सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति में विशेष रूप से परिवर्तन आया है। इसी समय को नए दौर की संज्ञा से भी विभूषित करना उचित रहेगा, क्योंकि इस समय पुराने मानदण्डों तथा ब्राह्मणवादी परम्पराओं को नकार कर दलित अवधारणों को नए सिरे पुन: परिभाषित किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दलितों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन इस नए दौर में दलितों के लिए दलित शब्द ही प्रयोग अधिक चर्चित हुआ। शुरुआती दौर में दलितों के लिए दलित शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानन्द, रानाडे तथा महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रारम्भ किया था। डॉ. अम्बेडकर ने भी दलित शब्द अधिक उपयुक्त माना था, क्योंकि दलित वह सटीक शब्द है जो संघर्ष की प्रेरणा देता है।

मराठी लेखक नामदेव ढसाल इस शब्द को परिभाषित करते हुए लिखते हैं- 'अनुसूचित जातियाँ, बौद्ध, श्रमिक, भूमिहीन, कृषक व भटकने वाली सभी जातियाँ दलित हैं।'[5]

दलित शब्द की व्याख्या में दलित चिन्तक माता प्रसाद लिखते हैं- 'सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से जो जातियाँ पिछड़ गई हैं या जिन्हें पिछड़े रहने को विवश कर दिया गया है, वे ही दलित जातियाँ हैं। दलित शब्द आधुनिक है, किन्तु दलितपन प्राचीन है।'[6]

दलित शब्द के विभिन्न अर्थ हैं, दलित मतलब दला गया, मर्दित, पीसा गया, विनष्ट किया गया इत्यादि। भोलानाथ तिवारी के अनुसार- 'कुचला हुआ, मर्दित, मसाला हुआ, रौंदा हुआ।'

'परस्तहिम्म्त हतोत्साहित।
अछूत, जनजाति, डिप्रेस्ड क्लास।'[7]

नए दौर में दलित शब्द को विद्धानों ने अपने-अपने ढंग से परिभाषित किया है। बृहत् हिन्दी कोश में भी दलित का अर्थ है- 'रौंदा, कुचला, दबाया हुआ, पदाक्रान्त वर्ग, हिन्दुओं में वे शूद्र जिन्हें अन्य जातियों के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं।'[8]

* शोधार्थी (हिन्दी) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

प्राय: दलित समुदाय की पहचान वर्ग या वर्ग के रूप में की जाती है।

एक विचार धारा के अनुसार दलित वर्ग की व्यापक व्याख्या करते हुए सभी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों को दलित वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। दूसरी ओर सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को दलित वर्ग की पहचान दी जाती है, किन्तु व्यापक अर्थ में देखा जाए तो 'रजत रानी मीनू' का यह मत सार्थक है– 'दलित शब्द एक वर्गीय शब्द है, जो न केवल अछूतों को ही अपने भीतर लेता है, बल्कि अभावग्रस्त ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय आदि सभी वर्गों व जातियों को जिनकी आर्थिक दशा खराब हो और जो विभिन्न प्रकार के अभावों में जीवन जीते हैं, जैसे– खेत, मजदूर, बंधुआ मजदूर, भूमिहीन, गरीब, बेरोजगार, महिलाएँ और अनाथ बच्चे ये सब चाहें किसी भी जाति, धर्म से सम्बद्ध हों वर्गीय दृष्टि से दलित ही होते हैं।[9] जैसे–जैसे जातियाँ टूटती हैं और वर्ग का उदय होता है। वैसे–वैसे दलित शब्द व्यापक होता जाता है, किन्तु भारतीय समाज का यथार्थ संकुचित शब्द सच है, जबकि व्यापक अर्थ काल्पनिक आदर्श अधिक है। वास्तविक यथार्थ मत।'[10]

दलित शब्द के संकुचित अर्थ में रहत रानी मीनू कहती है कि– 'चतुर्थ वर्ण शूद्र में आने वाली जातियाँ, उपजातियाँ जैसे– भंगी, चमार, माँग, महार, डोम, अन्त्यज, चाण्डाल आदि बहिष्कृत अछूत जातियाँ संकुचित अर्थ आया है। इन जातियों, तथाकथित उच्च जातियाँ नीच मानती हैं तथा वे दलित जातियाँ स्वयं भी दूसरे से अपने आपको नीचा व कम दर्जे का ही समझती हैं।'[11]

न्यायिक अधिकारियों से लेकर जेल के कैदियों तक प्रत्येक जगह वर्ण व्यवस्था जड़ों को जमाए हुए है। लेखक 'मोहनदास नैमिशराय छुआछूत का उदाहरण पेश करते हुए कहते हैं– 'भोजपुर के जिलाधिकारी संजय कुमार के अनुसार आरा, डिवीजनल जेल में कैद 96 कैदियों ने अपने लिए अलग रसोई घर की माँग की। रणवीर सेना से जुड़े इन 96 कैदियों ने दलित व पिछड़े कैदियों के साथ बने रसोई घर में भोजन करने से इन्कार कर दिया।'[12]

कितनी दुर्भाग्य की बात है कि सजा काट रहे अपराधियों के मन में जातीय भेदभाव सम्बन्धित कीड़े ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। आज दलित शब्द को सामाजिक सन्दर्भ में समझने की आवयश्यकता है। इसी सन्दर्भ में राजकिशोर का मत है– 'वस्तुत: कोई दलित होती नहीं, दलित पैदा होती है। यह बन्धन जन्म से मृत्यु तक का है। अगर किसी का जन्म दलित परिवार में हो गया है, तो वह आजीवन दलित ही रहेगा। दलित शब्द उन जातियों के लिए रूढ़ होता जा रहा है, जिन्हें पहले अछूत या हरिजन कहा जाता था। इसके लिए कानूनी शब्द 'अनुसूचित जाति' है। जब मैं यह कहता हूँ 'अगर मैं दलित होता' तो मेरा अभिप्राय 'अनुसूचित जाति' का होने से है। इन जातियों के लोग भारतीय समाज में तिरस्कार के पात्र माने जाते हैं। इन्हें बहुत नीच माना जाता है। यह पात्रता उन्होंने स्वयं अर्जित नहीं की है। यह उन्हें जन्म से मिली है।'[13]

सन् 1990 के आस–पास देश की राजनीति में सामाजिक न्याय नारा बहुत प्रचलन में रहा था। मण्डल आयोग ने कुछ सिफारिशें की थीं, जिन्हें लागू करने के लिए इसी सिद्धान्त की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। मण्डल आयोग ने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर इसके मूल में सामाजिक अवधारणा को ही रखा था। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को उस समय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिह द्वारा लागू करने के पश्चात् पिछड़े वर्ग के साथ अछूत शूद्रों को भी लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन आरक्षण विरोधियों द्वारा इस आरक्षण का विरोध देशव्यापी स्तर पर किया गया था, किन्तु निम्न वगार्जी द्वारा आरक्षण समर्थन में दलित वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग की एकता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था। चूँकि पिछड़े वर्ग जातियाँ, सामाजिक, राजनैतिक एवं शारीरिक रूप से मजबूत होने के कारण सवर्णों के आक्रोश का लक्ष्य, दलितों को ही बनना पड़ा था। इसी समय दलित उत्पीड़न की घटनाएँ भी अधिक हुईं। यह घटनाएँ जन संहार तक पहुँच गई थीं। मगर दलित समुदाय सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। पाश्चात्य सभ्यता आगमन, शिक्षा एवं अंग्रेजी के प्रभाव में आने से भारतीय समाज का परिचय लोकतंत्र से होने लगा। लोकतंत्र आधारित व्यवस्था ने ही दलितों को राजनैतिक अधिकार दिलाए, क्योंकि सामन्तवादी व्यवस्था में शूद्र, अछूत, दलित केवल उच्च वर्णों की सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें समाज व्यवस्था में सामाजिक या राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। लोकतंत्र व्यवस्था के आधार पर ही महात्मा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, गोविन्द रानाडे, नारायण गुरु, स्वामी अछूतानन्द आदि विचारक अपने दलित आन्दोलनों के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश कर दलितों के लिए राजनीति में प्रवेश की नींव डाल चुके थे।

मार्क्सवाद का शोषक–शोषित सिद्धान्त सम्पूर्ण विश्व जगत में अखण्ड सत्य को प्रदर्शित करता है। मार्क्सवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद व गाँधीवाद, विचारधाराओं ने समय–समय पर अछूत वर्ग को अपने आन्दोलनों से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। वर्ग संघर्ष के माध्यम से मार्क्सवाद ने अछूत वर्ग को सर्वहारा सम्मिलित कर क्रान्ति की रूपरेखा को तैयार किया था, किन्तु मार्क्सवादी दर्शन वर्ण सिरे से गायब था, निम्नवर्गीय अछूत समाज की समस्या आर्थिक अवश्य रही है, लेकिन उसका मूल कारण सामाजिक, व्यवस्था है। चूँकि मार्क्सवादियों को समस्त समस्याओं को आर्थिक दृष्टि से हल करने की क्रान्ति थी, इसलिए वामपंथी भारत में कोई बड़ी क्रान्ति नहीं नहीं ला सके। डॉ. अम्बेडकर भी कहते हैं– 'वामपंथियों में दो दोष थे। प्रथम यह कि उनका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था। इसीलिए कथनी व करनी में अन्तर था। वे कभी वर्णच्युत नहीं हो सके। उन्होंने जाति प्रथा के बजाय गरीबी का सवाल उठाना इसलिए पसन्द किया, क्योंकि यह हिन्दू समाज की मूल संरचना के लिए घातक नहीं था। दूसरा यह कि मजदूर नेताओं ने उद्योगपतियों की आलोचना भर सीखा। उन्होंने भारतीय समाज का गहरा अध्ययन नहीं किया था।'[14] डॉ. अम्बेडकर के सिद्धान्तों का अनुकरण करते हुए दलितों में बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की परम्परा आज भी प्रचलन में है। आज के नए दौर में एस.सी. जाति का धर्म परिवर्तन बौर्द्ध धर्म में एवं एस.टी. धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म में अधिक हो रहा है, जिसका मूल कारण है– सामाजिक व्यवस्था में सवर्णों द्वारा अछूत व्यवस्था का प्रचलन। भारतीय समाज व्यवस्था पूर्णत: जातीय धर्म पर आधारित है। जहाँ सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन धर्म–जाति के आधार पर होता है। डॉ. अम्बेडकर ने अन्य धर्मो के मुकाबले बौद्ध धर्म को प्राथमिकता इसीलिए दी क्योंकि वह एक स्वदेशी धर्म होते हुए समता का उपदेश देता था। 'मनुष्यों के लिए धर्म बना है न कि धर्म के लिए मनुष्य।'

स्वातंत्र्योत्तर युग में समाज सुधार आन्दोलन– राजनीति से दलितों का नए दौर में मोहभंग हुआ, क्योंकि देशभर में दलित आन्दोलनों में एकता न कभी थी न आज है न होने की सम्भावना दिखती है। अलग–अलग दलित आन्दोलन अलग–अलग दलित सम्बन्धित मुद्दों को उठाते हैं। हालांकि इन प्रयासों, एक बात है जो समान है। अलग–अलग दलित सम्बन्धित मुद्दों को उठाते हैं। हालांकि इन प्रयासों एक बात है जो समान है। अलग–अलग विचारधाराएँ व अलग–अलग मुद्दे होने के पश्चात् भी समस्त दलित आन्दोलन दलित मुक्ति संघर्ष के लिए समर्पित हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग में समाज सुधार सम्बन्धित आन्दोलन लगभग शिथिल पड़ चुके थे। दलित हेतु

लोकसभा एवं विधानसभा आरक्षित क्षेत्रों से चुने गए जनप्रतिनिधियों की वास्तविक को वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रामलाल कुरील के इन वक्तव्यों द्वारा समझने का प्रयास किया जा सकता है। 'एक से एक बढ़कर गधे ढूँढकर लाए जाते हैं। वह जब पार्लियामेन्ट में आता है तो वातानुकूलित कमरों में बैठता है। पहले सिपाही या चौकीदार से डरता था, अब एस.पी. को बुलाकर डाँटता है। इस स्थिति में जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसे भूलने लगता है।'[15]

इस तथ्य की पुष्टि बी.पी. मौर्य के वक्तव्य से भी होती है– 'राजनीतिक दलों में सच्चे दलित नेताओं की कोई कदर नहीं है। चाहे लोकदल, काँग्रेस हो या कम्यूनिष्ट पार्टी। जब भी ये आरक्षित क्षेत्र से टिकट देती हैं, तो यह जरूर देखती हैं कि आदमी उनके इशारे पर नाचने वाला है या नहीं।'[16]

बिहार और बंगाल ऐस प्रान्त है, जहाँ दलित आन्दोलन आज भी वामपंथ में समाहित हैं। भूमि के समान वितरण विरोध में वामपंथी दल का संघर्ष, सीमित रूप में है, किन्तु अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। बिहार में रहने वाला प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति दलित नहीं है, किनतु प्रत्येक दलित भूमिहीन जरूर है। आदिवासी जोतदारों के विरुद्ध हुए आन्दोलन से ही नक्सलवादी आन्दोलन 1967 में उत्तर बंगाल की तराई में प्रारम्भ हुआ था। नक्सलवादियों का तर्ज पर ही बिहार में कई क्षेत्रों से किसानों के विद्रोह दर्ज हुए। नक्सलवादी आन्दोलन में 1977 के बाद और तेजी आने लगी। बिहार में 1996 में 17 नक्सलवादील संगठन सक्रिय रहे थे। नक्सलवादी आन्दोलन मुख्य रूप से ग्रामांचल आधारित होने के कारण 'दलित तथा आदिवासी' से दो ही इसके सामाजिक आधार हैं, लेकिन हिंसा का समर्थन करना इस आन्दोलन की बहुत बड़ी कमजोरी है।दलित महिला/ आन्दोलन पर डॉ. अम्बेडकर तथा साविेत्री बाई फुले का विशेष प्रभाव रहा है। रमाबाई अम्बेडकर ने डॉ. अम्बेडकर के साथ दलित महिला आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। मुम्बई में महिला मण्डल की स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर थी।

सीमित क्षेत्रों में अपने–अपने मोर्चों पर अनेक दलित महिला आन्दोलन सक्रिय हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दलित महिला आन्दोलन राष्ट्रीय स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सका है। दलित महिलाओं की आवाज को बुलन्द करने का श्रेय, 1994 में गठित 'अखिल भारतीय दलित वीमेन फोरम' हो जाता है। दलित महिला मुक्ति के क्षेत्र में आज सुशीला टाकभोरे, कौशल्या मैत्री, रजत रानी मीनू, रजनी तिलक इत्यादि विदुषी साहित्य में लेखन के माध्यम दलित महिला मुक्ति का आन्दोलन चलाने में सक्रिय हैं। सुश्री कुमुद पावड़े द्वारा नागपुर में दलित लेखिकाओं का प्रथम सम्मेलन 'ऑल इण्डिया प्रोग्रेसिव वीमेन ऑर्गनाईजेशन' के तत्वाधान में सन् 1995 को हुआ था।

हिन्दी दलित पत्रकारों में चन्द्रभान प्रसाद, सोहनपाल समुनाक्षर, एच.एल. दुसाध तथा श्यौराज सिंह 'बेचैन' का स्थान प्रमुख है। एल. दुसाध ही केवल पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय है। देश के कुछ चैनलों ने भी दलित विमर्श सम्बन्धित कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्रों में दलितों की उपस्थिति आज भी शून्य है। दलितों पत्रकारिता समाज के उत्थान हेतु समाजोन्मुखी पत्रकारिता कही जा सकती है। व्यवसायिकता से इसका कोई लेन–देन नहीं होना चाहिए। दलित पत्रकारिता साम्प्रदायिकता और जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक लख्य को निर्धारित करते हुए संघर्ष कर रही है। दलित साहित्य को और भी मजबूत बनाने के लिए 'भारतीय दलित साहित्य अकादमी' की स्थापना हुई। साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है, जिससे दलित बौद्धिक आन्दोलन को गति प्रदान हुई, जिसमें बाबू जगजीवन राम का योगदान अद्वितीय है। वर्तमान में इस अकादमी का संचालन डॉ. सोहनलाल समूनाक्षर तथा आचार्य गुरु प्रसाद के हाथों में है, जो प्रत्येक वर्ष दलित साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन करती है तथा दलित साहित्य को सम्मलित करती है।

भारतीय दलित, साहित्य मंच का गठन– दिल्ली में राजपाल सिंह तथा लक्ष्मी नारायण सुधाकर द्वारा 'दलित साहित्य मंच' का गठन सन् 1981 में किया गया। सन् 1990 में दिल्ली में ही 'सेन्टर फॉर अल्टरनेटिव दलित मीडिया' अपने अस्तित्व में आया। फुले अम्बेडकरवादी लेखक संघ का गठन डॉ. विमल कीर्ति ने नागपुर में किया। बुद्ध शरण हंस ने बिहार 'अम्बेडकर मिशन' का गठन करते हुए दलित साहित्यकारों को जुटाने का प्रयास किया। इसके अलावा मध्य प्रदेश दलित साहित्य अकादमी, दलित साहित्य संघ तथा डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय अस्मितादर्शी साहित्य अकादमी वो प्रमुख संस्थाएँ हैं, जो वर्तमान में भी दलित साहित्य का प्रचार–प्रसार कर रही हैं, जिससे विकसित होने वाली जागरूकता ने शोषण का विरोध करना आरम्भ कर दिया है। इस विरोध की अभिव्यक्ति केवल दलित साहित्य ही नहीं है, बल्कि दलित साहित्य का मूलाधार परम्परागत जीवन मूल्यों और व्यवहार के समानान्तर व्यापक जीवन मूल्यों को स्थापित करना है।

सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में दलित साहित्य का सामान्य स्वरूप– स्वानुभूति के आधार पर दलित साहित्यकारों ने साहित्यिक विधा, आत्मकथा को एक नया स्वरूप प्रदान किया, जिसके हस्ताक्षरों में– 'ओम प्रकाश बाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम, धर्मवीर भारती, सोहन लाल समुनाक्षर, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिशराय, श्यौराज सिंह 'बेचैन' इत्यादि। हिन्दी साहित्य में दलित साहित्य की अपनी अलग पचहान है, जिसमें प्रमुखतः दलित शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज को मुखर किया है। साहित्यकार एवं दलित राजनेता 'माता प्रसाद' अपने एक लेख यदलित साहित्य की प्रमुख रचनाएँ में दलित साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा है– 'दलित के साथ जब साहित्य जुड़ जाता है तो वह साहित्य ऐसे लोगों का साहित्य हो जाता है जो मुख्यः हिन्दू समाज व्यवस्था में शस्त्र और शास्त्र से पीड़ित, अपमानित और शोषित समुदाय में आते हैं, उसमें जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ और घूमन्तू जातियाँ आती हैं, वहीं वर्ण व्यवस्था से पीड़ित जातियाँ, वेश्याएँ, देवदासियाँ, बंधुआ मजदूर, झोपड़ पट्टियों में रहकर नारकीय जीवन यतीत करने वाले भी आते हैं।'[17]

आधुनिक काल के हिन्दी साहित्य में सन् 1917 में 'हीर डोम' द्वारा लिखित 'अछूत की शिकायत' नामक कविता सरस्वती पत्रिका में छपी थी, जिसको दलित शोषण के विरुद्ध दलित सोच की वर्तमान धारा की प्रथम कविता माना जा सकता है, क्योंकि इस कविता में लेखक हीरा डोम ने दलितों की शिकायत के साथ शोषण व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश को भी दर्ज किया है। इसी युग में 'हरिहर' उपनाम से लिखने वाले महत्वपूर्ण लेखक स्वामी अछूतानन्द हैं, जिन्हें हीरा डोम के बाद दलित शोषण के विरुद्ध उन्मुख होने वाले दूसरे लेखक के रूप में माना जा सकता है। लेखक व दलित चिन्तक डॉ. धर्मवीर भारती ने दलित साहित्य को शक्ति तथा सामाधान के रूप में परिभाषित करते हुए अपने एक लेख यदलित साहित्य की परिभाषा समग्रता और पूर्णता की ओर' में लिखा है– 'दलित साहित्य की परिभाषा में पीड़ा से लेकर मुस्कान तक है। इसमें रोने के बजाय मुस्कान की खोज के द्वारा समग्रता और पूर्णता की ओर मनुष्य का प्रमाण है। यह कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है, यह गुलामी नहीं बल्कि समाधान है।'[18]

इसी प्रकार केवल भारती लिखते हैं– 'दलित साहित्य के अभिप्राय उस साहित्य से है, जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य

उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नहीं, बल्कि जीवन और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। इसीलिए कहना न होगा कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है।'[19]

दलित साहित्य मशाल भील है, बांसुरी भी है, हथौड़ा भी है और हँसिया भी है। दलित साहित्य जनसाहित्य है, जो सामंती व्यवस्था के विरुद्ध मानव मूल्यों की स्थापना करता है। दलित साहित्य की प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए डॉ. भगवानदास लिखते हैं–

1. इस साहित्य की प्रकृति संघर्षात्मक समाज रचना का विरोध मुख्य है और साध्य है, समताधिष्ठित मनुष्य की साधना।
2. इसकी प्रकृति निषेधात्मक है, जिसमें वर्णाधिष्ठित समाज रचना का विरोध मुख्य है और साध्य है, समताधिष्ठित मनुष्य की साधना।
3. अपनी रचनात्मक प्रक्रिया में यह साहित्य मार्क्स और बुद्ध के विचारों से अछूता नहीं है, लेकिन उसकी प्रेरणा अम्बेडकर प्रणीत क्रान्ति दर्शन में रही है। इसलिए वर्ण संघर्ष की तरह इसकी यात्रा हैं।
4. स्वाभिमान और अस्मिता को निरनतर पुष्ट करने के लिए विविध साहित्यिक मंचों के प्रणयन तथा आलोचलन आस्वादन केप्रथक निष्कर्षों की माँग जरूर समझी गई है।[20]

दलित साहित्य में समता, करुणा, संवेदना, अहिंसा तथा विश्व बन्धुत्व की भावना का समर्थन है। इस साहित्य की संस्कृति मुख्यत: सामाजिक है। इसका मुख्य उद्देश्य एक समाज का निर्माण करना है, जिसमें पाखण्ड, रुढ़िवादी परम्पराओं और अन्धविश्वास से परे एक नइ स्वतंत्र विचारधारा के साथ समस्त समाज के कल्याण, उद्देश्य निहित हों। सामाजिक रूप से दलित समुदाय ने अस्पृश्यता तथा जातिभेद के भयानक अलगाववाद को झेला है। सदियों, दासप्रथा का संताप भोगा है। सामाजिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में दलित साहित्य एक ऐसा साहित्य है, जो जाति व वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध सम्पूर्ण समाज में परिवर्तन लाने की मनुष्य हित में मनोकामना रखता है।

डॉ. हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव दलित साहित्य के सैद्धान्तिक पक्ष तथा प्रवृत्तियों को अपने लेख 'दलित साहित्य के कुछ सैद्धान्तिक पक्ष' में कुछ इस प्रकार स्पष्ट करते हैं–

1. दलित साहित्य सांस्कृतिक प्रतिरोध और सामाजिक परिवर्तन की मानव एजेन्सी है।
2. दलित साहित्य ब्राह्मणवादी वर्ण एवं जाति व्यवस्था की आलोचना करता है।
3. दलित साहित्य स्वानुभूतिपरक रचनाकारों का साहित्य है।
4. दलित जीवन के बारे में ज्ञान–सृजन और सम्प्रेषण हैं।
5. इसके सौन्दर्यशास्त्र की अधारणाएँ सामाजिक न्याय और मानव मुक्ति है
6. दलित साहित्य दूसरीकरण के अलगाव को मिटाने का रेडिकल प्रयास है।'[21]

निम्नवर्गीय अछूत समाज की आर्थिक स्थिति पर अध्ययन किया जाए तो ज्ञात होता है कि अधिकांश दलितों के भूमिहीन होने के कारण रोजगार के प्राथमिक क्षेत्र में उनकी स्थिति दयनीय होने के कारण मजदूर बनकर रह गए हैं। अब मजदूर के पास न समय है शोषण के विरुद्ध सोचने का ओर न ही रोजगार खोने की ताकत, क्योंकि वह जिसके विरुद्ध खड़ा होगा वही उसे बेरोजगार बना देगा। ऐसे दलित वर्ग के भारी चुनौती है कि वह अपने शोषण के विरुद्ध संघर्ष को अंजाम तक पहुँचाए तो पहुँचाए कैसे ? मध्यप्रदेश के शासन व्यवस्था द्वारा तैयार किए जाने 'भोपाल दस्तावेज' के अनुसार ज्ञात हातो है– 'प्राथमिक क्षेत्र में प्रत्येक 200 अनुसूचित जाति के मुख्य कामगारों में से 63.54 प्रतिशत भूमिहीन कृषि कामगार हैं और प्राथमिक क्षेत्र में प्रत्येक 100 अनुसूचित जनजाति के मुख्य कमागारों में 36.32 भूमिहीन कृषि कामगार हैं, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में गैर अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रत्येक 100 मुख्य कामगारों में केवल 32.62 भूमिहीन कृषि मजदूर हैं।'[22]

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भोपाल दस्तावेज, मध्य प्रदेश शासन, बल्लभ भवन, भोपाल, प्रथम संस्करण, 2002, पृ. 15
2. सं. डॉ. सोहनपाल समूनाक्षर, दलित साहित्य, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2002, पृ. 1
3. डॉ. धीरेन्द्र वर्मा – हिन्दी साहित्य कोश, भाग–1, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, संस्करण 2000, पृ. 284
4. सं. डॉ. सोहनपाल समूनाक्षर, दलित साहित्य, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2002, पृ.17
5. सं. डॉ. सोहनपाल समूनाक्षर, दलित साहित्य, भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2002, पृ.39
6. माता प्रसाद, उत्तर प्रदेश की दलित जातियों का दस्तावेज, देहली किताब घर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1995, पृ. 12
7. विवेक निराला, निराला साहित्य में दलित चेतना, शिल्पी प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्करण 2002, पृ. 13
8. वृहत् हिन्दी कोश, सं. कालिका प्रसाद, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी, संस्करण 1997, पृ. 510
9. रजत रानी 'मीनू' नवें दशक की हिन्दी दलित कविता, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1996 पृ 1–2
10. रजत रानी 'मीनू' नवें दशक की हिन्दी दलित कविता, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1996 पृ 1–2
11. रजत रानी 'मीनू' नवें दशक की हिन्दी दलित कविता, दलित साहित्य प्रकाशन संस्था, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1996 पृ 1–2
12. मोहनदास नैमिशराय – भारतीय दलित आन्दोलन, बुक्स चेंज, नई दिल्ली, पहला संस्करण, 2004, पृ. 44
13. राजकिशोर – जाति कौन तोड़ेगा ? प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 2002, पृ. 97
14. कंवल भारतीय, दलित विमर्श की भूमिका पृ. 74
15. डॉ. एन. सिंह, मेरा दलित चिन्तन, कंचन प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1998, पृ. 107
16. डॉ. एन. सिंह, मेरा दलित चिन्तन, कंचन प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1998, पृ. 107
17. उत्तर प्रदेश (मासिक), सितम्बर–अक्टूबर, 2002, पृ. 64
18. सं. संजय कर्दम, दलित साहित्य (वार्षिकी) 1990, पृ. 49
19. पूर्वोद्धत– ओमप्रकाश वान, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र राधाकृष्णन प्रकाशन, दिल्ली, पहला संस्करण 2001, पृ.14
20. पूर्वोद्धत – डॉ. पुरुषोत्तम दास सत्यप्रेमी, दलित साहित्य और साजिक न्याय, समता प्रकाशन, शाहदरा, दिल्ली, पृ.24
21. सं. मुद्राराक्षस, कथाक्रम (त्रैमासिक), नवम्बर 20000, लखनऊ , पृ. 86
22. भोपाल दस्तोवज प्रारूप 2002, मध्य प्रदेश शासन, बल्लभ भवन, भोपाल, प्रथम संस्करण, 2002, पृ. 47

विवाह व परिवार के बदलते प्रतिमान : आधुनिक परिप्रेक्ष्य में

अनिता टॉक*

शोध सारांश – परिवार व विवाह विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में पाई जाती है। विवाह ही परिवार एवं नातेदारी का आधार है। यही कारण है कि समाजशास्त्र में इस संस्था का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह स्त्री-पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्था है। जिसके भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न उद्देश्य व स्वरूप होते हैं। स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहगामी बनाना संतानों, सन्तोनोत्पत्ति करना तथा उनका पालन-पोषण व सामाजीकरण करना विवाह व परिवार के सामान्य कार्य हैं। विवाह के परिणामस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों और दायित्वों का जन्म होता है। हिंदुओं में विवाह धार्मिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक आवश्यक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदू-विवाह का सर्वोपरि उद्देश्य धार्मिक है। हिंदू विवाह की प्रकृति, विशेषताओं, उद्देश्यों आदि के अध्ययन के आधार पर ही प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री के.एम.कापड़िया लिखते हैं – 'हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है।'

शब्द कुंजी – लिव-इन-रिलेशनशिप, डिंक फैमिली, जीवनसाथी चयन, विवाह, परिवार।

प्रस्तावना – सदियों से भारतीयों का सबसे बड़ा पुरुषार्थ या दायित्व अपने बच्चों की शादियाँ कराना रहा है। लोग अपने कैरियर को लेकर कभी इतना परेशान नहीं होते, जितना अपने बच्चों की शादियों को लेकर चिंतित रहते हैं। शायद इसलिए हिंदुस्तानियों के बारे में कहा जाता है कि वह अपने बच्चों की शादियों के लिए ही कमाते हैं और उसी के लिए जीते हैं। किंतु आजकल आधुनिक समाजों में विवाह के इस पारम्परिक दृष्टिकोण को आधुनिक युवाओं द्वारा स्वीकार करने में झिझक होने लगी है। यही कारण है कि भारत में विवाह जिसे धार्मिक संस्कार का दर्जा प्राप्त है में कई नए परिवर्तन परिलक्षित होने लगे हैं। महानगरों व बड़े शहरों में प्रेम विवाह व अंतर्जातीय विवाहों में तो वृद्धि दर्ज की जा रही थी, अब इनसे भी इतर विवाह के नए प्रतिमान दृष्टिगोचर होने लगे हैं। जिन पर दृष्टिपात न केवल समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण है अपितु भविष्य में मानव-समाज के अस्तित्व को सुव्यवस्थित, सुसंगठित व नियंत्रण बनाए रखने हेतु भी अपरिहार्य है।

जब हम विवाह में नए उभरते प्रतिमानों की बात करते हैं तो कई नए रूप उभर कर सामने आने लगते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रमुख हैं – इंटरनेट-शादियाँ, लिव-इन-रिलेशनशिप, डिंक फैमिली आदि। दिखने में ये छोटे-छोटे शब्द अपने आप में एक पूरी संस्कृति समेटे हैं जो प्रचलित संस्कृति से भिन्न होने के साथ-साथ उसके विरोधी भी प्रतीत होते हैं। समाज चिंतकों का इस ओर ध्यान जाना आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान में फैशन के रूप में प्रचलित यह नई अवधारणाऐं आने वाले समय में समाज के समक्ष एक विकट समस्या के रूप में सिर उठाए खड़ी होंगी। और तब तक शायद समाज के निर्धारित मूल्य, प्रतिमान, आदर्श जो समाज को निरंतरता व स्थायित्व प्रदान करते हैं, विस्मृत कर दिए जाएंगे और असभ्य मानव समाज का परिदृश्य हर ओर चित्रित होगा। विवाह को प्रभावित करने वाले इन प्रतिमानों को समझ लेना आवश्यक है तभी उसके पक्ष विपक्ष के पलड़ों को तोला जा सकेगा। विवाह संस्था में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों में एक मुख्य परिवर्तन हम जीवनसाथी के चयन की प्रक्रिया में देख सकते हैं। जहाँ प्राचीन समय में भारतीय समाज में वर-वधू का चयन सगोत्र, सपिंड जैसे निषेधों व अन्य कई नियमों के तहत् घर के वृद्धजनों द्वारा किया जाता था। अब इन नियमों को तिलांजलि देकर लड़के-लड़कियाँ स्वयं जीवनसाथी का चयन करते हैं। जिसमें आधुनिक विश्व की आधुनिकतम तकनीक इंटरनेट का खासा योगदान है। अमरीका की इलिनोइस यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक व्यापक सर्वे के बाद सर्वे से जुड़ी बिगेट कोलाको कहती हैं – 'इंटरनेट भारत में क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव का जरिया बन गया है।' इस सर्वे के आँकड़े बताते हैं कि 60 प्रतिशत से ज्यादा पुरुषों के लिए अपने जीवनसाथी का सजातिय होना जरूरी नहीं रह गया है। जो यह दर्शाता है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवाओं का रुझान जाति की संकीर्णता व रूढ़ियों को तोड़ अंतर्जातीय विवाह के पक्ष में है। साथ ही इंटरनेट में किसी के लिए भी कम से कम एक दर्जन से ज्यादा मैच उपलब्ध मिलते हैं। जो कि सामान्य स्थितियों के अवसरों के मुकाबले 500 फ़ीसदी से भी अधिक है। इंटरनेट के माध्यम से जीवनसाथी का चयन करने वालों को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को साझा करने का एक महत्वपूर्ण जरिया माना जाने लगा है।

सर्वे के अनुसार इंटरनेट से विवाह-बंधन में बंधने वाले 70 प्रतिशत से ज्यादा पुरुषों को शादी के बाद भी अपनी पत्नियों के कामकाजी होने से कोई परेशानी नहीं है। यह आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर महिलाओं और अपनी पहचान बनाने की महत्वाकांक्षी युवतियों के लिए खासा आकर्षक माध्यम है जीवन साथी के चयन का। सर्वे द्वारा प्राप्त ये आंकड़े पुरुषों द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को स्वीकार करने की पुष्टि करते हैं। इंटरनेट द्वारा होने वाली शादियाँ कई क्रांतिकारी पहल भी कर रही हैं जैसे जीवनसाथी का चयन करने वाले युवक-युवतियों में से 20 फीसदी अपंग साथी भी स्वीकार करने को तैयार हैं। हाल में कई ऐसे विवाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह महज आदर्श की बात नहीं है। पहले जहाँ माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता अपनी संतान के विवाह की थी, उसे इंटरनेट ने हल्का करने में मुख्य भूमिका निभाई है। इंटरनेट साथियों के समर्थकों का मानना है कि विवाह के लिए यह

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

व्यापक संपर्क का महज सुविधा-सूत्र भर नहीं है। अपितु यह सही मायने में लड़के और लड़की को अपनी इच्छा और चाहत के मुताबिक जीवनसाथी चुनने का जो रचना रचनात्मक आधार मुहैया कराता है, वह बेहद क्रांतिकारी है। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह बताया जाता है कि इंटरनेट ने सिर्फ भौगोलिक दूरियाँ ही खत्म नहीं की, बल्कि समय की बचत के साथ-साथ संपर्क के लिए व्यापक आधार भी मुहैया कराया है।

इंटरनेट शादियों के पक्ष में एकत्रित किए जाने वाले कई बिंदुओं के बावजूद भी इसे परंपरागत विवाह का स्थान लेने में अभी कई और पड़ाव पार करने बाकी हैं। क्योंकि इंटरनेट पर दी गई सभी जानकारी पूर्णत: सही हो यह आवश्यक नहीं है। साथ ही साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं इंटरनेट पर जीवन-साथी चयन को संदेह व असुरक्षा के घेरे में खड़ा करती है। लड़के-लड़कियों द्वारा स्वयं जीवन साथी के चयन में दूरदर्शिता व परिपक्वता का अभाव उनके जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। कई फर्जी साइटों से स्वयं को बचा पाना भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही माता-पिता या बड़ों के अनुभव के दिव्य चक्षुओं का लाभ लड़के-लड़कियाँ जीवन-साथी के चयन में नहीं उठा पाते। जो कि उनकी आने वाली कई समस्याओं को ताड़ पाने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के चयन में कई सावधानियाँ बरतनी चाहिए जैसे संपर्क के प्रारंभिक समय में ही किसी पर पूर्ण विश्वास ना किया जाए। क्योंकि नेट साथी झूठा या धोखेबाज भी हो सकता है। नेट से संपर्क में अपने निजी पहचान, फोन नंबर, पता आदि देने से भी कई मुसीबतें उत्पन्न हो सकती हैं। संवाद कौशल में अज्ञानी युवक-युवतियाँ चालाक नेट साथियों की गिरफ्त में फंसकर आफत में पड़ सकते हैं। कई वेबसाइट ब्लैकमेलिंग भी कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट जहाँ मेल-मिलाप और संपर्क के लिए शानदार अवसर उपलब्ध कराता है वहीं यह दुष्चक्र में फंसने का चक्रव्यूह भी साबित हो सकता है। इसलिए नेट पर अपने अवसरों की तलाश के समय सावधान रहने की भी जरूरत है।

समाज के अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण उपयोगी संस्था विवाह व परिवार के समक्ष एक नई चुनौती उभरी है जिसे संक्षेप में DINK Family (डिंक फैमिली) नाम दिया गया है। जिसका पूरा नाम है - Double Income No Kids Family इसमें पति-पत्नी दोनों कमाते हैं और वे संतान नहीं चाहते। यह नई परिवार व्यवस्था है जिसमें धार्मिक, नैतिक व सामाजिक मूल्यों के स्थान पर आर्थिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया गया है। आधुनिक भौतिकवादी संस्कृति के प्रसार व पश्चिम की तर्ज पर भारत के महानगरों का बड़े शहरों में इस संस्कृति ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं। ऐसे दंपत्ति जो दोनों व्यवसायरत होते हैं तथा जो केवल ऐशो-आराम के लिए संतान नहीं चाहते हैं डिंक फैमिली में आते हैं। इनके अनुसार संतान की जिम्मेदारियों के अभाव में वे जिंदगी का आनंद पूरी तरह उठा पाएंगे। अत: वे इससे बचना चाहते हैं। एसोचैम ने दिल्ली जैसे शहरों में लोगों की कमाई के स्तर में बढ़ोतरी के साथ-साथ उपभोग की प्रवृत्तियों में बदलाव के पड़ताल के लिए एक सर्वे किया, जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। सर्वे से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि 6 से 8 लाख रूपये सालाना आय वाले युवा जोड़ों में तकरीबन 75 फीसदी जोड़े ऐसे हैं जो डिंक में यकीन रखते हैं। यानी बच्चा नहीं चाहते। 65 प्रतिशत ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि बच्चा नहीं होने से वे ऐशो आराम की चीजों पर दिलखोल कर खर्च करते हैं। वे जोड़े जिनके बच्चे हैं उनमें से 65 फ़ीसदी मानते हैं कि बच्चे होने के कारण उन्हें अपना ज्यादातर महत्वपूर्ण समय बच्चों के नाम करना पड़ता है और तकरीबन आठ हजार रूपए महीना बच्चों की किताबों और कपड़ों पर खर्च हो जाता है।

उपर्युक्त आँकड़े दर्शाते हैं कि किस प्रकार युवा पीढ़ी उपभोगी संस्कृति से चकाचौंध होकर समाज की निरंतरता को बनाए रखने में अपने दायित्वों की अनदेखी कर रही है। इसके कारणों में पश्चिम की उपभोग आधारित सभ्यता का भारत में प्रसार तो है ही, साथ ही स्त्री पुरुष की समानता की अंधी दौड़ भी है, क्योंकि इन्हीं के कारण युवा पीढ़ी भौतिक सुख-सुविधा को सर्वोपरि मान कर अपने दायित्वों के निर्वहन से पीछे हट रही है। दूसरे युवाओं में अपने कर्तव्य बोध के अभाव ने भी इस प्रकार के परिवार को बढ़ावा दिया है। वे बच्चों की जिम्मेदारी से मात्र इस कारण बचना चाहते हैं ताकि वे जीवन को संपूर्ण रूप में भोग सके। अपने ऐश्वर्य और विलासिता में कमी नहीं लाना चाहते। साथ ही आधुनिक विश्व में जिस तरह से स्वतंत्रता के नारे लगाए जाते हैं उसमें स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छन्दता से लगाया जा रहा है और युवा पीढ़ी इस के मद में समाज के प्रति अपने दायित्वों से मुँह फेरने लगी है। यही कारण है कि अपने परिवार में माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को सम्मलित करना चाहते ही नहीं है, साथ ही वे अपने बच्चों को भी इसका सदस्य न बनाकर केवल पति-पत्नी ही तक अपने परिवार को सीमित रखना चाहते हैं।

इन के अतिरिक्त पति-पत्नी के व्यवसाय की प्रकृति भी डिंक को बढ़ाने में सहायक हो रही है। क्योंकि निजीकरण के इस दौर में जहाँ विश्व एक 'ग्लोबल-विलेज' में तब्दील होता जा रहा है, युवक-युवतियों को व्यवसाय के चलते एक स्थान से दूसरे स्थान पर बार-बार जाना पड़ता है। इस कारण बच्चों का लालन-पालन उचित ढंग से कर पाने में असक्षम होते हैं। साथी ही आर्थिक प्रतिस्पर्धा के इस चरम युग में व्यवसायिक तनाव भी अधिक है। अत: नौकरी-पेशा युवक-युवतियाँ स्वयं को संतान की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। किंतु इस प्रकार के परिवारों के जन्मदाता सिर्फ स्वयं के ही सुख-सुविधा, वैभव, विलास व उपभोग को तवज्जो देते हैं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्णतया अनदेखी करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यदि उन्हें माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का स्नेह, सम्बल व समाजीकरण प्राप्त नहीं होता तो क्या वे जीवन का यूं आनंद उठाने में सक्षम हो सकते थे? अत: उन्हें इसके परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और अधिकारों के उन्मुक्त उपभोग के स्थान पर कर्तव्यों का पालन करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए।

विवाह परिवार के क्षेत्र में उभरते नए प्रतिमानों में एक नया व क्रान्तिकारी परिवर्तन 'लिव-इन-रिलेशनशिप' है। 'लिव-इन-रिलेशनशिप' जिसका अभिप्राय है स्त्री-पुरुष का बिना विवाह के साथ-साथ रहना। इस व्यवस्था में स्त्री-पुरुष पारिवारिक दायित्वों से पूर्ण मुक्त रहते हैं। पाश्चात्यीकरण की अंधी हौड़ व आधुनिकतम उपभोगी संस्कृति का अंधानुकरण इस व्यवस्था के जन्मदाता हैं। इस नई जीवनशैली को महानगरों की युवा पीढ़ी तेजी से अपना रही है। बात यहीं तक सीमित होती तो हम इसे नई पीढ़ी का भटकाव मान सकते थे, किंतु अब इसे कानूनी जामा पहनाए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। यही कारण है कि एक नए कानून के आने की संभावना है। लिव-इन-रिलेशनशिप से संबंधित यह कानून भारतीय समाज के लिए नासूर साबित होगा। इसकी मार अंतत: नारी को झेलनी पड़ेगी। इस कानून के द्वारा कोई भी स्त्री-पुरुष एक निश्चित काल तक साथ-साथ पति-पत्नी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह शादीशुदा क्यों ना हो। ऐसे पति-पत्नियों को कानूनी वैधता व विवाहित दायित्वों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

एक और इस कानून के कारण विवाहित दंपतियों के सामने चुनौतियों

का पहाड़ खड़ा होगा। दूसरी और मर्यादाहीनता के लिए प्रभावशाली लोगों को वैधानिक मार्ग मिल जाएगा। भौतिक सुखों के लिए लालायित महिलाओं के लिए इस कानूनी मार्ग खुल जाएगा, किसी के जीवन में प्रवेश करने का, भले ही कुछ वर्षो बाद उसे सड़क पर आना पड़ जाए। आज के अवैध संबंधों की आपराधिक छवि को कल कानूनी स्वच्छन्दता प्रदान कर दी जाएगी। 'हिंदू विवाह अधिनियम 1955' में दूसरा विवाह अपराध है, वहीं इस कानून से विवाहित व्यक्ति भी दूसरे के साथ संबंध रख सकेंगे।यह कानून इस तथ्य की पुष्टि है कि आज कानून बुराइयों को दूर करने के लिए नहीं बल्कि बुराइयों को प्रतिष्ठित करने के लिए गलियां निकालने हेतु बनते हैं।

विवाह व परिवार को प्रभावित करते इस परिवर्तनों की अच्छाइयों और बुराइयों पर दृष्टिपात करने के बाद निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विवाह व संतानोत्पत्ति पारस्परिक संबंधों को मजबूत करता है। परिवार के सदस्यों के बीच अधिकारों व कर्तव्यों का समावेश होता है जो कि इन्हें परस्पर प्रेम व बंधन में बांधे रखता है। संतानोत्पति व उनकी परवरिश पति-पत्नी की सामाजिक जिम्मेदारी है जो कि समाज का भविष्य तय करती है व उसके लिए योग्य व क्रियाशील सदस्यों का निर्माण करती है। इसके अभाव में समाज में व्याप्त कई सुंदर रिश्तों का आधार व अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अत: उन्मुक्त व स्वच्छन्द रूप से वैभव-विलासिता में न डूबकर अपने अधिकारों के सीमित व नियंत्रित उपयोगों के साथ-साथ समाज की आवश्यक अपेक्षाओं व कर्तव्यों का भी पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। तभी भारतीय समाज अपने गौरवशाली सभ्यता व सांस्कृतिक छवि को बनाए रख पाएगा और विवाह व परिवार जैसी पवित्र संस्थाओं के समक्ष खड़ी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कार्यशील महिलाऐ एवं सामाजिक परिवर्तन - मन्जू जैन
2. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्याऐें - रामनाथ शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा
3. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन - के.एल. शर्मा
4. सामाजिक समस्याऐें - डॉ. राम आहूजा

****

लोकतंत्र का सुदृढ़ आधार-संसदीय प्रणाली

डॉ. मंजु मीणा*

प्रस्तावना – संसद के माध्यम से संविधान के जो प्रावधान लागू हुए है, उनसे परिवर्तन की लहर के कारण अपेक्षाकृत रूप में चहूँमुखी विकास संभव हो सका है। यही विकास परिवर्तन के रूप में अंकित किया गया है। इस परिवर्तन में कुछ बातें जरूरी होती हैं, 'सामाजिक बदलाव लोगों के जीवन की भौतिक तथा आर्थिक स्थिति को उन्नत बना देता है। आधुनिक नवीन तकनीकी के संबंध में मानवीय दृष्टिकोण में तार्किकता, परानुभूति, गत्यात्मकता, नवीनता की चाह, अधिकाधिक भागीदारी तथा व्यापक संदृष्टि सरीखे गुणों के फलीभूत होने के लिए मनुष्य की केवल सोच ओर इसके नजरिये में ही बदलाव होना नितान्त अपरिहार्य होता है। इस तरह पता चलता है कि बदलाव के लिये जरूरी है – मानवीय दृष्टिकोण के प्रतिमान के साथ मूल्य व्यवस्था का आधुनिक होना। मानव क्षमता व गुण के अधिकतम उपयोग तथा विकास कार्यक्रमों में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी के लिए सामाजिक संरचना में परिवर्तन, जो स्वतंत्रता समानता और भाई-चारे पर आधारित सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक हो, से बदलाव प्रक्रिया सकारात्मक रहती है।'

वस्तुत: मौलिक अधिकारों की घोषणा तभी सार्थक हुई है, जब इनके परिवर्तन के लिये सक्रिय साधन उपलब्ध हुए है। अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है और उपचार ही किसी अधिकार को यथार्थता प्रदान करता है। संसद उपचार करने की ही एक संस्था है। प्रदीप त्रिपाठी के अनुसार – 'इंग्लिश कॉमन लॉ का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहाँ विधिक अधिकार है, वहीं राज्य द्वारा विधिक उपचारों की व्यवस्था की जाती है। इंग्लैण्ड में इन अधिकारों को 'परमादेश' आदेशों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। अमेरिकी संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिये कामन लॉ में प्रचलित रिटो को वहां की संवैधानिक व्यवस्था में स्वीकारोक्त प्रदान की गयी है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के अतिक्रमण पर उन्हें प्रवर्तित कराने के लिये संवैधानिक उपचार उपलब्ध कराये गये है। अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, संविधान के भाग तीन में होने के कारण स्वयं एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा मूल अधिकारों के परिवर्तन की व्यवस्था की गयी है।'

डॉ. वसु ने कहा है कि 'संविधान में मूल अधिकारों की अमूर्त घोषणाऐं निरर्थक है, जब तक कि उन्हें प्रभावी करने के साधन न हो । सभी देशों के सांविधानिक अनुभव से यह प्रकट होता है कि इन अधिकारों की सिद्धांत का परीक्षण न्यायालयों में ही होता है। अधिकारों के अनुपालन को प्रवृत्त करने की न्यायालयों की शक्ति न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर ही नहीं, इस बात पर भी निर्भर करती है कि कार्यपालिका या अन्य प्राधिकारियों से अनुपालन कराने के लिये उनके पास कितने प्रभावी उपकरण है।'

संविधान के इन प्रावधानों के द्वारा परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आजादी की प्राप्ति के बाद संसद के माध्यम से सांविधानिक प्रावधानों के द्वारा जो अधिकार नागरिकों को प्राप्त हुए है, वे विकास की सीढ़ियाँ बने है। राष्ट्रीय आन्दोलन के काल में ही विकास और लोगों को पुनर्वास से संबंधित चर्चाए होने लगी थी। विकास की गति में तीव्रता लाने के लिये सभी एकजुट थे। ध्यान यह भी रखा जा रहा था कि संसदीय प्रावधानों के द्वारा मिलने वाला लाभ मात्र कुछ लोगों तक ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि उसे आम आदमी और प्रत्येक आदमी तक पहुँचना चाहिए, उसके लिए जो रणनीति तैयार की गयी थी, उसको चार दिशाओं की तरफ लक्षित किया गया था। प्रथम अर्थव्यवस्था का आयातों और विदेशी सहायता पर आश्रित न होकर स्वतंत्र विकास अर्थात 'आत्मनिर्भर वृद्धि'। द्वितीय बचत और निवेश की दर बढ़ाने के लिये संसाधनों को गतिशील बनाना और पूंजी संचयन अर्थात 'उच्च वृद्धि दर'। तृतीय क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता में कमी करना, यानि 'गुणवत्ता का लक्ष्य'। चतुर्थ, जीवन निर्वाह और जीने के लिये न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसका अर्थ है 'समानता और न्याय'।

इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत हथियार और गोला-बारूद, परमाणु उर्जा और रेलवे के निर्माण इत्यादि के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के एकाधिकार की स्थापना पर जोर दिया गया है। कोयला, लोहा और इस्पात, धातुओं, पोत-निर्माण, हवाई जहाजो, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के उपकरणों के निर्माण के लिये उद्यमों को प्रारम्भ करने हेतु सरकार के पास विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। इस प्रकार के प्रयास आर्थिक क्षेत्र में बदलाव के लिए बुनियादी ईटों के रूप में सिद्ध हुए। यह परिवर्तन इसलिए और भी ज्यादा कारगर सिद्ध हुए, क्योंकि आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय हित साधना में निजी क्षेत्र से सहयोग प्राप्ति की छुट भी रखी गयी और 'इसी के साथ-साथ व्यापारिक समुदाय को यह आश्वासन भी दिया गया कि नए स्थापित किए जाने वाले उद्योगों का कम से कम दस वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाएगा। सरकारों की तरफ से विदेशी कम्पनियों को भी आश्वासन दिया गया कि वे भारतीय उद्योगों पर लागू शर्तो के अंतर्गत ही भारत में अपना व्यापार जारी रख सकती है। बड़े व्यापारिक घरानों की शक्ति को कम करने का कोई प्रावधान भी नहीं किया गया। इसके सापेक्ष अतिरिक्त पूंजी निवेश

* सह आचार्य (राजनीति विज्ञान) महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर (राज.) भारत

आकर्षित करने के लिये ब्रिटेन की व्यापारिक कंपनियों और फर्मो से व्यापारिक चर्चाओं को जारी किया गया।'

इस प्रकार भारतीय संविधान के प्रकाश में हमारी संसद ने जिस मिश्रित अर्थ व्यवस्था को खड़ा किया, उससे आर्थिक परिवर्तन की एक नयी लहर उत्पन्न हुई तथा व्यापार एवं उद्योग कुछ ही हाथों से निकलकर अनेक हाथों के द्वारा और भी कुशलता तथा नये प्रबंधन के साथ फलने-फूलने लगे, जिनसे आर्थिक विकास की सनातन धारा का प्रवाह हो जाना स्वाभाविक ही था।

आर्थिक लाभों को सभी के लिए मुहैया कराने के निमित्त 'योजना आयोग' रूपी एक अन्य संस्था का गठन भी हुआ जो वर्तमान में नीति आयोग के न ाम से जाना जाता है, जिसने तीन बिन्दुओं को सामने रखकर अपना कार्य प्रारम्भ किया - प्रथम, भारत में सभी नागरिकों, पुरूषो और महिलाओं को जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन समान रूप से प्राप्त करने के अधिकार की सुनिश्चितता; द्वितीय, देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा इस प्रकार किया जाए, जिससे कि अधिकाधिक नागरिकों को इससे लाभ प्राप्त हो सके, तृतीय आर्थिक व्यवस्था की प्रक्रिया से सामान्य नागरिकों के हित की कीमत पर संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए।

यद्यपि नियोजन द्वारा प्राप्त की जाने वाली आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुकरण किया गया फिर भी नियोजकों की चेतावनी थी कि 'आर्थिक समानता लाने के लिये किये गये उपायो को शीघ्रता से लागू करने के अल्पकाल में बचत और उत्पादकता का स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है। मसौदे में सामाजिक और संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, लेकिन निर्धारित योजना में अन्तिम रूप से प्रमुख महत्व तथा बल, उत्पादन वृद्धि की आर्थिक आवश्यकता पर दिया गया था। इसके फलस्वरूप एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित हुआ, जिसने नियोजन के अंतर्गत राज्य की भूमिका को निजी क्षेत्र के विस्तार के लिए आवश्यक सामाजिक पूँजी उत्पन्न करने और आर्थिक प्रोत्साहन देने तक ही सीमित रखा।' भले ही व्यवहार में संस्थागत सुधारों को नाममात्र का ही महत्व प्रदान किया गया, लेकिन इन तमाम प्रयासों से एवं नीतियों से आर्थिक क्षेत्र में खूब बदलाव हुआ। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। समय के साथ-साथ इन नियोजनों व नीतियों में जो मन्थरता और स्थिरता आ गयी थी, उसे बाद में समाप्त करने के प्रयास किये गये। कांग्रेस की संसदीय एकाधिकार स्थिति का जब खण्डन हुआ और सन् 1977 में जब गैरकांग्रेसी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसने नयी विकास नीति को खड़ा करके बदलाव की फसले उगायी यह दूसरी बात है कि जनता पार्टी की आर्थिक नीतियां भी प्रतिस्पर्धात्मक एवं राजनीति प्रेरित रही, जिनका सामजिक और आर्थिक परिवर्तन में विशेष योगदान नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजनीतिक बदलाव में जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस काल की राजनीति भूमिकाओं के कारण ही 1980 के मध्यावधि चुनावो में प्राय: तमाम राजनीतिक दलों ने अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्रों में पृथक-पृथक आर्थिक नीतियों की प्रस्तुति करके भारतीय जनता को रिझाने की कोशिश की। जनता अब तक राजनीतिक तौर पर पर्याप्त चेतन हो चुकी थी और उसने अपनी राजनीति जागृति का परिचय भी दिया। लेकिन तमाम राजनीतिक दल वायदा-खिलाफी करके सामाजिक लक्ष्यों से पीछे रहते हुए नजर आते है - 'सन् 1980 के मध्यावधि चुनावों के समय लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्रों में ऐसी आर्थिक नीति की घोषणाऐं की थी, जो एक-दूसरे से एकदम भिन्न थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कि लगभग सभी स्थापित राजनीतिक संगठनों का प्रयत्न लोकप्रिय नारेबाजी की सहायता से जनसाधारण की भावनाओं को संतुष्ट करना था । कांग्रेस(ई) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सामाजिक परिवर्तन लाने का वादा किया था, परन्तु पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन के मसले को गौण लक्ष्य के रूप में लिया, जिस पर क्रमबद्ध तरीके से अमल किया जाना था। इस हेतु जिन उपायो का उल्लेख किया गया था, उसमें सभी क्षेत्रों में अनुमानित प्राप्त क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, स्थानीय उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निर्यात संभावना में वृद्धि एवं उसके लिए महत्वपूर्ण मदों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा का उपयोग करना सम्मिलित था। इन सभी उपायो की घोषणा व्यापारी वर्गो के हितों को ध्यान में रखकर की गयी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस में भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी आधार पर विकसित करने की प्रवृत्ति थी और उसके लिये प्रयास किया जा रहा था। कांग्रेस की यह नीति असफल सिद्ध हुई। जनाक्रोश इसके कारण पनपता सा दिखने लगा था। इसलिए इसके समाधान के लिए अर्थ व्यवस्था में उदारवादी नीति को विकसित किया गया, जिसने आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव पैदा किया।'

उदारीकरण की नयी आर्थिक नीति का उद्देश्य प्रतियोगिता को पुन:स्थापित करना था, जिससे बाजार के यंत्र, संसाधनों का आबंटन करने में व्यापक भूमिका अदा कर सके। नीति निर्धारकों को आशा थी कि औद्योगिक क्षेत्र को प्रशासनिक प्रतिबन्धों से मुक्त करने से देश- विदेशों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन मिलेगा और इससे आर्थिक परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाएगा। लेकिन इसके परिणाम दूसरे रूप में सामने आये तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि इतनी पूंजीवादी और आयात संघन हो गयी, कि मध्यम स्तर पर घरेलू उद्यम और लघु उद्योग क्षेत्र धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। पेंचकस तकनीकीं पर आधारित उद्योगों में अत्याधिक आयात सघन वृद्धि और धनीवर्ग की उपभोग की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाली अर्थ व्यवस्था से भारत पर विदेशी ऋण का भार बहुत अधिक हो गया। इसलिए सन् 1989 में भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक ऋणी राष्ट्र बन गया। कुल मिलाकर उदारीकरण विदेशों में बने माल के आयात तक सीमित रहा।

नई आर्थिक नीति के नाम पर जो परिवर्तन हुए और उनेक द्वारा अर्थ व्यवस्था में जो खुलापन लाया गया, वह न तो क्रमबद्ध था और न ही उससे सुधारात्मक स्पष्टता सामने आती है और, न ही वह आर्थिक बदलाव के उद्देश्य को प्राप्त कर सकी, जिसे संसदीय प्रयासों में सोचा गया था। यह दूसरी बात है कि विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों की स्थिति व्यापकता लिए हुए थी। यथा, 'पांच क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन किये गये - उद्योग, व्यापार, वित्त, वित्तीय संबंधी और मुद्रा संबंधी। बाद में सरकार द्वारा विश्व बैंक को दी गयी विकास नीति में कहा गया कि आर्थिक सुधार के उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना है, एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली विकसित करना है, जो शासन और स्वतंत्रता दोनों प्रदान करने में सक्षम हो। संसद के माध्यम से सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करने और जीवन स्तर को सुधारने के लिये विकास की उच्च गति प्राप्त करना बताया गया।

इन उद्योगों को प्राप्त करने के लिए सरकार की सुधारवादी रणनीति का उद्देश्य – उदारवादी व्यापार, विनियम दर प्रणाली, जो व्यापार के लिए आबंटन संबंधी प्रणाली से मुक्त हो, प्रतिस्पर्धात्मक बाजार परिस्थितियों में कार्य करने वाली वित्तीय, प्रणाली सक्षम और प्रभावशाली औद्योगिक क्षेत्र, स्वायत्त, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यवस्थित सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र, जिसका उद्देश्य मूलभूत ढांचा और वस्तु सेवा की व्यवस्था करना हो।'

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संसद के माध्यम से जो आर्थिक नीतियां लागू हुई, और उनसे जो परिवर्तन हुआ, वह प्रशंसनीय ही कहा जाएगा। भारत ने अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन को प्राप्त किया। हमारे औद्योगिक उत्पादन में कई गुना वृद्धि संभव हो सकी। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में धातु और भारी इंजीनियरिंग सहित खनन और प्रोसेसिंग उद्योगों को सम्मिलित किया गया। पिछड़ी और आश्रित अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया तथा उसमें और भी ज्यादा आत्मनिर्भरता बन सकी। बैकिंग,बीमा, वाणिज्य और परिवहन के क्षेत्र में भी पर्याप्त विकास के कारण परिवर्तन हुआ। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकन को देखकर भी प्रतीत होता है कि शैक्षिक क्षेत्र में भी परिवर्तन की लहर आयी है। प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के नामांकनों में वृद्धि हुई और शैक्षिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। तकनीकी रूप से भारत तृतीय विश्व के देशों में सबसे उन्नत देश के रूप में उभरकर आया। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे गये, आणुविक विस्फोट भी भारत में हुए और समुद्र के भीतर खदान के कार्यक्रम आरम्भ हो गये। भारतीय रक्षा सेनाओं ने भी महत्वपूर्ण प्रगति अंकित करायी। जाति और अन्य परंपरागत मान्यताओं मे भी परिवर्तन हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर भी वृद्धि संभव हो सकी।

ऐसी तमाम उपलब्धियों के उपरांत भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, समान न्याय और आत्मनिर्भरता सरीखी मूलभूत समस्याऐं अभी भी मौजूद है। एक के बाद एक लागू की गयी पंचवर्षीय योजनाऐं देश की अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे में परिवर्तन लाने में असफल रही है। इसके बाद भी इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बदलाव आया हैं। सामाजिक विद्रूपताऐं सरलता–सहजता की तरफ बढ़ी है, जिससे समाज में नये संबन्धों का उदय संभव हुआ है। राजनीति जागरण में भी चार चांद लगे है। भारतीय लोकतंत्र में भारत के ग्रामीण अंचलों में गरीबी एवं दरिद्रता से पीड़ित, परन्तु मताधिकार से लैस मानव जाति का एक विशाल समुद्र रह रहा है। आर्थिक प्रयासों से आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है और चुनावों में मत देने के अधिकार के प्रति जागृति हुई है।

ऐसा भी नहीं है कि गरीबी के बाद निष्क्रियता नहीं टूटी है। बल्कि इसके दबाव को समझते हुए संसद भी उनके प्रति जागरूक हुई है और इन्हें राजनीतिक अधिकार भी प्रदान हुए है। भारतीय संसद में महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण इसी बात का प्रमाण है। परिवर्तन इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जनता के बीच से वोटों की ठेकेदारी की प्रथा कम हुई है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग की सक्रियता से चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता सामने आयी है। बुद्धिजीवी वर्ग, जो राजनीति के प्रति उदासीन हो चला था, सजग हो गया है, और उसके साथ साथ अन्य नागरिक भी मतदान करने के प्रति आगे आये है।

निष्कर्ष – कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संविधान के प्रकाश में संसद के माध्यम से चहुंमुखी परिवर्तन संभव हुआ है और यह परिवर्तन सकारात्मकता का प्रतीक है। भ्रष्टाचार की जो धारा बह रही है, वह इस परिवर्तन के कारण ही एक दिन समाप्त हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:–

1. नन्दूराम – एस्सेज ऑन दलित इन इण्डिया, सोशल एक्शन, अंक – 43, पृ. 412–25
2. प्रदीप त्रिपाठी – मानवाधिकार और भारतीय संविधान संरक्षण एवं विश्लेषण, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. – 175–176
3. डॉ. ए.एस. नारंग – भारतीय शासन और राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, पृ. 328
4. R. Brass Paul - The Politics of India since Indipendence, Cambridge University Press. p-487
5. एस.के. सिंह : इकॉनोमिक रिफार्म्स इन इण्डिया एम्लायमेंट न्यूज, 22 (23) 1–2,

****

जायसी कृत पद्मावत : एक सूक्ष्म अवलोकन

डॉ. सुनीता कुमारी*

प्रस्तावना – मलिक मोहम्मद जायसी की ख्याति प्राप्त रचना पद्मावत उनके द्धारा सोलहवीं शताब्दी में लिखी गई।पद्मावत तत्कालीन समय की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्त्रोत है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान, राणा रतनसिंह द्धारा किये जाने वाले प्रतिशोध, दर्पण में पद्मिनी को देखने का अलाउद्दीन का अनुरोध, रतनसिंह की गिरफ्तारी, पद्मिनी द्धारा उसकी रिहाई, पद्मिनी का सती होना आदि घटनाओं का रोचक वर्णन है। इनका जन्म सन 6 जुलाई 1475 को जायस नगर में हुआ।अगर इनके गृहस्थ जीवन की बात करें तो यह बेहद कठिनाइयों और दुर्भाग्य से भरा, छोटी सी आयु में ही इनके पिताजी की मौत हो गई। थोड़े वर्षों बाद जायसी की माँ चल बसी। इनका विवाह हुआ सात पुत्र हुए मगर किसी दुर्घटना में ये सभी मारे गये। सांसारिक दुखों से परेशान होकर इन्होने गृह त्याग दिया और सूफी संत बन गये।

अधिकाँश इतिहासकारों ने इस महाकाव्य में वर्णित ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में शंका प्रकट की हैं। डॉ. दशरथ शर्मा ने इसे तथ्यों से भरपूर ऐतिहासिक महाकाव्य माना हैं।जिस तरह मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म के बारे में अलग-अलग मान्यताएं हैं उसी तरह उनकी मृत्यु के विषय में भी मत मतान्तर देखने को मिलते हैं। सैयद हुसैन की किताब में जायसी की मृत्यु 1542 में बताई जाती है वही जायसी की मौत को लेकर कपोल कल्पित कहानी भी हैं जिसके अनुसार ये अमेठी के जंगलों में अपने जीवन का अंतिम समय बिता रहे थे, यहीं वे एक बाघ में बदल जाते हैं तथा एक दिन एक राजा द्धारा उस बाघ को तीर से मार दिया जाता हैं। अमेठी के राजा द्धारा जायसी की बनायी समाधि आज भी वहां स्थित है।

पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी का पूरा जीवन दुर्भाग्य से भरा रहा। बचपन में उन्हें बड़ी चेचक हो गई थी जिसे तब शीतला माता का प्रकोप कहा जाता था। चेचक के प्रकोप से जायसी कुरूप हो गए थे। उनकी बॉई ओर की ऑख अंधी हो गई थी और जायसी बाएॅ कान से बहरे हो गए थे। जब शेरशाह सूरी ने जायसी की ख्याति सुन कर अपने दरबार में बुलाया तो अस्ट्राबक्र जायसी को देख कर सभी दरबारी हंस पड़े। तब जायसी हंसे – मट्टिया हंससि कि कुम्हरा अर्थात आप मुझ पर हंस रहे हो या मेरा शरीर बनाने वाले परमात्मा रूपी कुम्हार पर। यह सुनकर शेरशाह सूरी लज्जित हुआ और इससे जायसी से माफी मांगी। जायसी के उस्ताद गुरु, हकीम की सलाह पर अफीम के फूल पोस्ता बोडी का पानी पीते थे और जायसी ने एक रचना पोस्ती लिखी थी जिसे सुनकर गुरु ने कहा था अरे निपूते तू नहीं जानता कि तेरा गुरु उस्ताद पोस्ती है। कहते हैं कि जायसी के सात पुत्र थे जो गुरू के शाप के कारण छत गिरने से दब कर मर गए और तब गुरु ने कहा था अब तू अपनी रचना पद्मावत के कारण अमर हो जाएगा!

जायसी कहा करते थे कि उनकी मौत एक बहेलिए के कारण होगी और हुआ भी ऐसा ही। जब जायसी अमेठी नरेश राम सिंह के यहां रहते थे तो जायसी की मौत अमेठी नरेश की सुरक्षा में रहने वाले बहेलिए (शिकारी)के हाथों 14 अक्टूबर 1542 को हुई थी। अमेठी नरेश ने रामनगर में अपने किले के पास उनकी समाधि बनवाई थी। गुरु की आज्ञा से जायसी अमेठी में और जायसी के गुरु भाईहजरत निजामुद्दीन बंदगी लखनऊ की अमेठी में आ कर बस गए थे और अपने सैकड़ों शागिर्द बनाए थे। आज भी लखनऊ की अमेठी को बंदगी की अमेठी कहा जाता है।

मलिक मुहम्मद जायसी को हिंदी साहित्य के निर्गुण धारा के प्रेम कवि के रूप में गिना जाता हैं। इनके जन्म के बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि 1500 ई0 के आसपास उत्तरप्रदेश के जायस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये जीवन में एक महात्मा की तरह उदार प्रवृति के इंसान व कवि थे।इनका सम्बन्ध मलिक वंश से था। मलिक के सम्बन्ध में माना जाता है कि इरान में जमीदारों को मलिक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत काल में भी इस शब्द का प्रयोग सेना के मुखिया या प्रधानमन्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये इसी वंश के अशरफी खानदान के शिष्य थे। जायसी ने अपनी रचनाओं में शेख बुरहान और सैयद अशरफ को अपना आराध्य माना है। बचपन से ही इनमें वैराग्य का भाव पैदा हो गया, तथा उस समय के जायस जिसे आजकल रायबरेली कहा जाता है। वहां रहने लगे। कहा जाता है कि जब जायसी तीस वर्ष के थे तब इन्होंने पद्मावत महाकाव्य को लिखना आरम्भ किया तथा वृद्धावस्था में इसे पूर्ण कर पाए थे।जायसी एक कृषक परिवार से थे, इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ जो जमीदार भी थे और खेती का कार्य भी करते थे।पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा समेत जायसी की 21 रचनाएं मानी जाती हैं, मगर इनमें सबसे प्रसिद्ध पद्मावत महाकाव्य ही था। जो एक प्रेम कथा पर आधारित अवधि में लिखी गई रचना थी, जिसमे दोहा चौपाई की पद्धति से नागमती की कथा का वर्णन किया गया है।

जायसी मुबारक शाह बोडले के शिष्य थे। इन्होंने करीब 24 पुस्तकों की रचना की, मगर वर्तमान में इनकी महज पांच रचनाएं पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि उपलब्ध हैं। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय रचना पद्मावत है जिसने जायसी को अमर कर दिया। जायसी ने इसे बाबर के काल में 1540-41 में लिखा था। पद्मावत से जुड़े कई किस्से कहानियां भी है- एक कहानी के अनुसार अमेठी के राजा रामसिंह ने पद्मावत के कुछ अंश सुनाने के लिए जायसी को बुलाया। कहते हैं जायसी के आशीर्वाद के बाद ही राजा को दो पुत्रों की प्राप्ति हुई। पद्मावत की कहानी चार दोस्तों युसुफ मलिक, सालार एवं मियाँ, सलोने और बड़े शेख के इर्द गिर्द घूमती है

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत, बागपत (उ.प्र.) भारत

जायसी की कहानी के पात्र किसी ऐतिहासिक सन्दर्भ में नहीं मिलते हैं। इस तरह से यहएक काल्पनिक ग्रन्थ माना जाता है। रामचन्द्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी साहित्य के भक्ति काल का प्रमुख कवि माना है।

मलिक मोहम्मद जायसी की कुल 24 रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं– 'पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा,चित्ररेखा, कन्हावत, सखरावत, चंपावत, इतरावत, मटकावत, सुर्वानामा, मोराईनामा, मुकहरानामा, मुखरानामा, पोस्तीनामा, होलीनामा, धनावत, सोरठ,मैनावत, मेखरावटनामा, स्फुट कवितायें, लहतावत, सकरानामा, मसलानामा।'

म़लिक मुहम्मद जायसी ने वैसे तो कई प्रबन्ध काव्य लिखे पर उन्हें जो शोहरत 'पद्मावत' लिखकर मिली, वैसी अन्य किसी ग्रन्थ से नहीं मिली। उनसे पहले मुल्ला दाऊद ने 'चन्दायन' प्रेम काव्य लिखकर पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी पर जायसी के पद्मावत ने उस काल में धूम मचा दी। कहते हैं तुलसीदास ने चौपाई छंद जायसी से लिया है। पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की प्रेमकथा अवधी भाषा और वह भी चौपाई, दोहा छन्द में लिखकर जायसी आमजन के कवि बन गए। उनकी व उनके पद्मावत की ख्याति दिल्ली दरबार तक पहुंची और तब दिल्ली के तत्कालीन बादशाह शेरशाह सूरी ने जायसी कोदिल्ली बुलाया पर यह मुलाकात मधुर नहीं रही। बादशाह ने 'पद्मावत' की कई हस्तलिखित प्रतियां बनवाई और वह रानी पद्मावती और चित्तौड़ नरेश रत्नसेन की इस प्रेम गाथा से बहुत प्रभावित हुआ। हस्तलिपि प्रति और गांव। गांव गा। गाकर भीख मांगने वालों ने जायसी के पद्मावत को जन –जन तक पहुंचा दिया।

जायसी से पहले सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के महाराज चित्रसेन के पुत्र रत्नसेन की प्रेम कहानी और दुष्ट अलाउद्दीन खिलजी के बीच में खलनायक के रूप में आने और सखियों समेत नागमती और पदमिनी का जौहर कर लेना गाथा के रूप में उत्तर–भारत के गांव–गांव में कहा–सुना और गाया जाता था। मलिक मुहम्मद जायसी ने इसी गाथा को प्रबन्ध काव्य के रूप में तत्कालीन अवधी भाषा में रचा और अंत में वह लौकिक प्रेम को पारलौकिक प्रेम तक ले गए चूंकि जायसी सूफ़ी मत से प्रभावित थे इसलिए उसे खुदा के प्रेम से जोड़ दिया।

रानी पद्मिनी की प्रेमगाथा लिखकर जायसी अमर हो गए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मलिक मुहम्मद जायसी का जन्म आज के उत्तर प्रदेश के अमेठी और तब के रायबरेली जिले (अमेठी) के पास जायस कस्बे में सन् 1464 ई. में हुआ था। अब अमेठी खुद एक जिला है। कहते हैं उनके पुरखे अरब से आए थे और उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जायस कस्बे में बस गए थे और कृषि कार्य करने लगे थे। आज भी उनके परिवार के लोग अपने को जायसी का वंशज बताते हैं। जायस व तिलोई कस्बे के मध्य उनके खेत होने बताए जाते हैं। जायस कस्बे में उनका घर बताया जाता है। जायस के कंचना मोहल्ले में उनके खण्डहरनुमा घर को उन्हीं का बताया जाता है। पर खेद है कि अमेठी, रायबरेली या जायस कस्बे में उनका कोई भी ठीक से स्मारक नहीं मिलता।जायसी के गुरु कालपी और महोबा में रहते थे जहां अक्सर जायसी जाते रहते थे। पद्मावत की कथा तो सभी जानते हैं।रानी पद्मिनी की सुंदरता पर अनेक उपन्यास लिखे गए हैं तथा अनेक फिल्में बनाई जा चुकी हैं।सुप्रसिद्ध सूफीब फकीर व कवि मलिक मुहम्मद जायसी और उनके द्वारा रचित प्रेमाख्यान 'पद्मावत' की कथा 57 खण्डों में विभक्त है। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन (मोहिदी) के शिष्य मलिक मुहम्मद जायसी अपने समय के पहुँचे हुये फकीरों में गिने जाते थे। 'आखिरी कलाम' में दिये अंत:साक्ष्य के आधार पर उनका जन्म 900 हिजरी (15.6 ई.) में हुआ माना जाता है। अमेठी राजपरिवार सहित कई राजघरानों तथा सामान्य जनता में इनका बहुत सम्मान था। अपने अंतिम समय में वे अमेठी के समीपवर्ती जंगल में अपनी कुटी बनाकर रहने लगे थे और वहीं 949 हिजरी (1542 ई.) में इनकी मृत्यु हुई।

इनके जीवन–काल में ही इनके शिष्य इनकी बनाई भावपूर्ण चौपाइयाँ, दोहे आदि गा–गाकर लोगों को सुनाया करते थे। इनकी तीन पुस्तकें अब तक ज्ञात हुई हैं 'पद्मावत', 'अखरावट' और 'आखिरी कलाम'। परंतु इनकी प्रसिद्धि का मूल आधार 'पद्मावत' ही है जिसमें राजा रतनसेन और उनकी रानी पद्मावती की कथा है।'अखरावट' में वर्णमाला के एक–एक अक्षर से आरंभ कर सिद्धांत और आध्यात्म से संबंधित चौपाइयाँ कही गई हैं जबकि यआखिरी कलाम' में कयामत का वर्णन है।पद्मावत में जायसी ने लिखा है।

'जायस नगर धरम अस्थानू।तहवा यह कबि कीन्ह बखानू।
औ बिनती पंडितन्ह सो भजा।टूट संवारेहु, मेरएहु सजा।'[1]

जायसी द्वारा दी गई पद्मावत की कथा इस प्रकार है। पद्मावती सिंहल नरेशराजा गंधर्व सेन की पुत्री थी। उसकी माता का नाम चंपावती था। वह दिव्य सौंदर्य संपन्न थी।जब पद्मावती 12 वर्ष की हुई राजा ने सात मंजिलों वाले सुंदर भवन में उसके रहने का प्रबंध कर दिया। पद्मावती अपनी सखियों के साथ उस भव्य भवन में रहने लगी।उसका एक अत्यंत प्रिय पालित तोता भी था उसका नाम हीरामन था और वह पद्मावती के पास ही रहता था। पद्मावती उसे विशेष स्नेह करती थी।एक दिन जब राजा को यह विदित हुआ कि हीरामन ने पद्मावती के योग्य वर की प्रतिज्ञा की है तो वह हीरामन से चिढ़ गया।उसने आदेश दिया कि हीरामन का वध कर दिया जाए किंतु पद्मावती की अनुनय विनय पर हीरामन की प्राण रक्षा हुई। इस घटना के बाद हीरामन अपनी जीवन रक्षा के लिए चिंतित रहने लगा।एक दिन वह पद्मावती से आज्ञा लेकर महल से विदा हो गया। पद्मावती तोते के वियोग में व्याकुल रहने लगी। वन में भटकते हुए तोते को एक बहेलिए ने पकड़कर किसी ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। ब्राह्मण से पंडित हीरामन राजा रतन सेन ने मोल ले लिया। इस तोते के प्रयासों से राजा रतन सेन तथा पद्मावती परिणय सूत्र में बंध गए।राजा रतन सेन पद्मावती से विवाह करने के उपरांत चित्तौड़ पहुंचा और अपनी पूर्व विवाहिता रानी नगमती तथा नवोढ़ा पद्मावती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।

पद्मावत के उत्तरार्ध की कथा का विस्तार राघव चेतन के चित्तौड़ निष्कासन से पद्मावती नागमती सती खंड तक है। वेद विरुद्ध आचरण के परिणामस्वरूप राघव चेतन नामक ब्राह्मण को राजा रतन सेन ने चित्तौड़गढ़ से निष्कासित कर दिया।प्रतिशोध की अग्नि में प्रज्वलित ब्राह्मण ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का बखान किया और वह युद्ध तथा संधि के उपरांत रतन सेन को छल पूर्वक बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। पद्मावती के जीवन में निराशा छा गई। उसने इस संकट के समय गोरा बादल से सहायता की याचना की। दोनों वीर पद्मावती की करुणा से पसीज गए और उन्होंने रतन सेन को मुक्त करवाने की योजना बनाई।वे दोनों वीर सेना सहित छलपूर्वक दिल्ली के दरबार में आए और गौरा ने रतन सेन को मुक्त कराकर बादल के साथ चित्तौड़ भेज दिया और स्वयं बादशाह की सेना के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। बादल सुरक्षा पूर्वक रतन सेन को लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गया।जब पद्मावती की रतन सेन से भेंट हुई उसने राजा को बताया कि कुम्भलनेर के राजा देवपाल ने दूरी भेजकर उसपर डोरे डालने का प्रयत्न किया था। इसे सुनकर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने देव पाल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में देवपाल मारा गया किंतु राजा रतन

सेन भी घायल हो गया और घातक घावों की ताब न लग सकने के कारण रतन सेन की मृत्यु हो गई। पद्मावती और नागमती राजा के साथ सती हो गई।अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया किंतु पद्मावती को प्राप्त करने की उसकी सारी आशाएं धूल में मिल गई और उसे यह एहसास हुआ कि संसार नश्वर है और शारीरिक सौंदर्य भी क्षण भंगुर है।

सूफी प्रेमगाथा काव्य की परंपरा में 'पद्मावत' का स्थान सर्वोपरि है। कथानक की प्रौढ़ता और वर्णन की सहजता इसे अन्य प्रेमगाथाओं से बहुत उच्च कोटि की रचना बना देती है। चित्तौड़ के राजा रतनसेन और सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मिनी के इतिहास-प्रसिद्ध कथानक और जनमानस में इसके नायकों के भावनात्मक प्रभाव ने बहुत शीघ्र ही इसे अत्यंत लोकप्रिय रचना बना दिया। अन्य सूफी काव्यों की तरह इसकी रचना भी मसनवी शैली में की गई है परंतु भारतीय कथानक होने के साथ-साथ भारतीय काव्यपरंपरा का भी स्पष्ट प्रभाव इस पर परिलक्षित होता है।

कथा के पूर्वार्द्ध में राजा रतनसेन के द्वारा रानी पद्मिनी या पद्मावत के रूप का वर्णन हीरामन तोते से सुन कर उसकी प्राप्ति के लिये जान की बाजी लगा देने और भगवान शंकर की कृपा से उसे प्राप्त करने तक की कथा जहाँ पूरी तरह कवि-कल्पित है, वहीं उत्तरार्ध काफी हद तक प्रमाणित इतिहास है। रानी पद्मिनी के रूप को सुनकर उसे प्राप्त करने के लिये बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और धोखा देकर राजा को कैद कर दिल्ली ले गया। राजा को छुड़ाने के लिये रानी पद्मिनी अलाउद्दीन के पास जाने को तैयार हो जाने का संदेश भिजवाती है और एक योजना के अनुसार गोरा और बादल नामक बहादुर क्षत्रिय 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुँच जाते हैं। बादशाह को संदेश भिजवाया जाता है कि रानी पहले अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब बादशाह के हरम में जायेंगी। इसकी आड़ में रतनसेन को कैद से निकाल लिया जाता है और वो वापस चित्तौड़ पहुँच जाते हैं। वहाँ कुंभलनेर के राजा देवपाल के साथ युद्ध में रतनसेन और देवपाल दोनों मारे जाते हैं और उनकी दोनों रानियाँ नागमती और पद्मिनी सती हो जाती हैं। इसी बीच अलाउद्दीन चित्तौड़ पर पुनः हमला कर देता है परंतु उसे वहाँ केवल राख का ढेर मिलता है।

जायसी ने इस काव्य में अलंकारों की बड़ी सुंदर योजना की है। पद्मिनी के रूप वर्णन का एक अंश देखें:।

'कोंवल कुटिल केस नग कारे। लहरहि भरे भुअंग विसारे।
भंवर केस वह मालति रानी। बिसहर लुरहि लेहि अरघानी।
अधर सुरंग पान अस खीने।रातें रंग अमिय रस भीने।
कोकिल बैन सुनत मन राता।बोल सेवाति बुंद जेउ परहीं।'[2]

सूफियों की तरह जायसी ने भी बिरह की पीड़ा और कष्टों का बड़ा भावपूर्ण वर्णन किया है। इस विरह वर्णन में भौतिक और आध्यात्मिक विरह का जो सहज चित्रण 'पद्मावत' में है वैसा बहुत कम देखने में आता है।

'सरवर हिया घटत निति जाई।टूक - टूक होई कै बिहराई।
बिहरत हिया करहु पिउ टेका। दिषि दवंगरा मेरे बहु एका।'[3]

विरह के व्यक्ति-पक्ष के साथ उसके लोकपक्ष का विधान भी जायसी ने किया है। नागमती-वियोग खंड में यह पक्ष बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है। इसके चित्रण में जायसी यह भी भूल गये प्रतीत होते हैं कि नागमती कोई साधारण स्त्री न होकर चित्तौड़ की महारानी है और उसे वो पारिवारिक कष्ट नहीं हो सकते जो किसी साधारण ग्रामीण स्त्री को हो सकते हैं।

'तपै लागि अब जेठ-असाढ़ी। मोहि पिउबिनु छाजनि भइ गाढ़ी।
तन तिनउर भा, झूरौं खरी। भइ बरखा, दुख आगरि जरी।
बंध नाहिं औ कंध न कोई। बात न आव कहौं का रोई।
साँठि नाहिं, जग बात को पूछा? बिनु जिउ फिरै मूँज-तनु छूँछा।
भई दुहेली टेक बिहूनी। थाँभ नाहि उठि सकै न थूनी।
बरसै मेह, चुवहिं नैनाहा। छपर छपर होइ रहि बिनु नाहा।
कोरौं कहाँ ठाट नव साजा? तुम बिनु कंत न छाजन छाजा।'[4]

नाथ और सिद्ध पंथियों की भांति शरीर में स्थित नवद्वार और विभिन्न चक्रों की बात भी जायसी करते हैं

'काया उदधि चितवौं पिय पाहां।देखौं रतन सो हिरदै माहां।
जानु आहि दरपन मोर हिया।तेहि महं दरस देखावै पिया।'[5]

कथा में जगह-जगह उस अनंत परमात्मा की ओर संकेत करने के साथ-साथ अंत में स्पष्टतः जायसी ईश्वरीय स्मरण के विविध रूपों को उसी की दृष्टि से व्याख्या करते हुए कहते हैं -

'चारि मीत जो मुहमद ठाउँ । चहुंक हुंहू जग निरमर नाउं।
अबाबकर सिद्दीक सयाने। पहेलइँ सिदिक दीन ओइ आने।'[6]

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेमगाथा काव्य का जैसा उत्कृष्ट रूप **पद्मावत** प्रस्तुत करता है, वैसा इसके बाद पुनः देखने में नहीं आता। सूफी काव्य-परंपरा में इससे बेहतर दूसरा ग्रंथ नहीं है। राजा रतनसेन और रानी पद्मिनी के साथ-साथ इसने जायसी को भी हिन्दी साहित्य में अमर कर दिया है।जायसी का पद्मावत हिंदी साहित्य का अमर कीर्ति स्तंभ है। जायसी का काव्य लौकिक और अलौकिक, शारीरिक और सूक्ष्म तथा सूफी मत प्रेम भावना की सजीव और सरस अभिव्यक्ति है और इसीलिए वह सहृदयों का विशेष रुप से प्रेम भजन है।भारतीय संस्कृति में यह प्राण तत्व है और महाकवि जायसी भारतीय सत्य को अन्वेषी रूप में हमारे सामने रखते हैं। पद्मावत पुस्तक में भारत के संत, भारत के बारहमासा का वर्णन बड़ी शालीनता से किया गया है जिसमें भारतीय संस्कृति के मूल तत्व समाहित हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. पद्मावत जायसी ग्रंथावली, संपादक - आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नमन प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण -2018, पृष्ठ संख्या - 17
2. हमारे संत जायसी, डॉ. दर्शन सेठी, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, जुलाई 1992, पृष्ठ संख्या - 31
3. वही, पृष्ठ संख्या- 32
4. पद्मावत जायसी ग्रंथावली,संपादक - आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नमन प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण - 2018, पृष्ठ संख्या - 263
5. वही, पृष्ठ संख्या-295
6. रीतिकालीन कवि जायसी और पद्मावत काव्य,डॉ. सत्यवती सक्सेना, तरुण प्रकाशन, गाजियाबाद संस्करण 2001, पृष्ठ संख्या -141

****

Gender Roles and Expectations: Analyzing the Impact of Traditional Gender Norms on Indian Society

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - India, with its rich tapestry of cultures, traditions, and religions, presents a complex landscape where gender roles are deeply entrenched. Traditional gender norms, which dictate the behavior, responsibilities, and opportunities deemed appropriate for men and women, have historically shaped Indian society. These norms are perpetuated through various social institutions, including the family, education system, and media, reinforcing a rigid binary view of gender. Traditional gender norms have deeply influenced various aspects of Indian society, from the socialization of children to the division of labor within households and workplaces. These norms, rooted in historical, cultural, and religious contexts, have led to persistent gender inequalities and shaped the experiences and opportunities available to individuals based on their gender. This research paper delves into the impact of traditional gender norms on Indian society, focusing on several key areas: socialization processes, educational and employment opportunities, family structures, and health outcomes. By understanding how these norms influence individual lives and societal structures, we can better appreciate the challenges and barriers to achieving gender equality in India. By critically analyzing the consequences of these gender expectations, this paper seeks to contribute to a broader understanding of gender issues in India and to highlight the need for transformative change towards gender equality.
Keywords: Gender roles, traditional gender norms, Indian society, gender inequality, socialization, education, employment, family dynamics, health, gender equality.

Literature Review

Theoretical Frameworks on Gender Norms: The examination of gender roles and expectations in Indian society can be contextualized through several theoretical frameworks. Feminist theory, for instance, critically analyzes the ways in which patriarchal structures perpetuate gender inequalities. Simone de Beauvoir's notion of women being constructed as the 'Other' is particularly relevant in understanding how societal norms marginalize women. Additionally, Judith Butler's concept of gender performativity underscores the idea that gender is not an inherent identity but rather a set of repeated actions and performances shaped by societal expectations (Butler, 1990).

Intersectionality, a concept introduced by Kimberlé Crenshaw, is also crucial in examining gender norms in India. It highlights how various social identities, such as caste, class, religion, and gender, intersect to create unique experiences of oppression and privilege. This framework is essential for understanding the diverse ways in which gender norms affect different groups within Indian society (Crenshaw, 1989).

Historical Perspectives on Gender Roles: Historical analyses reveal that gender roles in India have been influenced by a confluence of cultural, religious, and colonial forces. Ancient Hindu texts like the Manusmriti prescribed strict codes of conduct for women, emphasizing their subordination to male authority figures throughout their lives. Women's roles were largely confined to domestic spheres, and their primary duties were seen as caretaking and homemaking (Chakravarti, 1993).

The colonial period further entrenched patriarchal norms through legal and educational reforms that often privileged male authority and reinforced traditional gender roles. British colonial policies, for instance, reinforced the patriarchal family structure and restricted women's rights in various domains, including property ownership and legal standing (Sinha, 1995).

Contemporary Gender Norms and Media Representation: In contemporary India, media plays a significant role in perpetuating traditional gender norms. Television shows, films, and advertisements often depict stereotypical gender roles, with women shown as homemakers and men as breadwinners. These representations reinforce societal expectations and shape public perceptions of gender-appropriate behaviors (Munshi, 2010).

However, there has been a growing presence of media that challenges these norms by portraying strong, independent female characters and addressing issues such as gender-based violence and gender discrimination. Such representations can have a positive impact by providing alternative narratives and role models that break away from

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

traditional gender expectations (Roy, 2012).

Gender Norms in Education: Educational institutions in India are both sites of perpetuation and potential transformation of gender norms. Studies have shown that textbooks often reinforce gender stereotypes by depicting male characters in active, adventurous roles and female characters in passive, supportive roles. This not only limits the aspirations of girls but also perpetuates the idea that certain careers and behaviors are gender-specific (Sadker & Zittleman, 2009).

Teachers' attitudes and behaviors also play a crucial role in reinforcing or challenging gender norms. Research indicates that teachers may unconsciously encourage boys to participate more in classroom discussions and leadership activities, while girls are often encouraged to be quiet and obedient (Gupta, 2014). Addressing these biases through gender-sensitive training for educators is essential for creating more equitable learning environments.

Impact of Gender Norms on Employment: Traditional gender norms significantly impact women's participation in the workforce. Cultural expectations that prioritize women's roles as caregivers and homemakers often lead to lower labor force participation rates among women. According to the International Labour Organization (ILO), women's labor force participation in India is one of the lowest in the world, with many women leaving the workforce after marriage or childbirth due to societal pressures (ILO, 2018).

Additionally, women in the workforce face significant barriers, including wage gaps, lack of childcare support, and limited opportunities for career advancement. A study by Catalyst found that women in India earn 19% less than their male counterparts and are underrepresented in leadership positions. These disparities highlight the need for policies and practices that support gender equality in the workplace, such as equal pay initiatives, parental leave policies, and flexible work arrangements.

Gender Norms and Family Structures: The traditional Indian family structure is deeply patriarchal, with gender roles that assign men as providers and women as caregivers. This division of labor often limits women's autonomy and economic independence. Studies have shown that women who engage in paid employment still carry the majority of the burden of unpaid domestic work, leading to a "double burden" that affects their health and well-being (Desai & Jain, 2014).

Arranged marriages, a common practice in India, also reflect and reinforce traditional gender norms. The practice often involves negotiations centered on dowry and family status, with women's consent and preferences being secondary considerations. Such practices underscore the commodification of women and perpetuate their subordination within the family structure (Uberoi, 2006).

Health Implications of Gender Norms: Gender norms have significant implications for health and well-being. Women often face barriers to accessing healthcare services due to financial constraints, lack of mobility, and cultural practices that prioritize men's health. Maternal health is a critical area of concern, with high rates of maternal mortality and morbidity highlighting the need for improved healthcare infrastructure and services.

Gender-based violence, including domestic violence, is another major health issue. Studies indicate that a significant proportion of women in India experience physical, sexual, or emotional violence from their partners. Such violence has profound physical and psychological impacts, contributing to poor health outcomes for women (NFHS-4, 2015-16).

Men, too, are affected by gender norms that emphasize stoicism and emotional restraint. These norms can lead to underreporting of mental health issues and reluctance to seek help. High rates of suicide among men, as well as issues such as substance abuse, highlight the negative impact of rigid masculinity norms on men's health (Patel et al., 2018).

Policy Interventions and Gender Equality: Efforts to address gender inequalities in India have included various policy interventions and programs aimed at empowering women and challenging traditional gender norms. The introduction of laws such as the Domestic Violence Act (2005), the Prohibition of Child Marriage Act (2006), and the Sexual Harassment of Women at Workplace Act (2013) represent significant steps towards protecting women's rights and promoting gender equality.

Government initiatives such as Beti Bachao Beti Padhao (Save the Daughter, Educate the Daughter) aim to improve girls' access to education and reduce gender disparities. These programs, along with efforts by non-governmental organizations (NGOs) and civil society, play a crucial role in challenging traditional gender norms and promoting more equitable social structures.

Analysis and Discussion

Socialization and Gender Norms: Socialization processes in India are deeply rooted in cultural and religious traditions that reinforce gender-specific expectations. From early childhood, boys and girls are exposed to different sets of rules and norms. For instance, toys, clothing, and activities are often gender-segregated, with boys encouraged to engage in outdoor play and girls in domestic chores. This early differentiation sets the stage for lifelong adherence to traditional gender roles.

Educational Disparities: While there have been significant improvements in girls' access to education, disparities persist. According to the Annual Status of Education Report, the dropout rate for girls increases significantly at the secondary level. Factors such as early marriage, safety concerns, and cultural expectations that prioritize boys' education contribute to this issue. Additionally, the curriculum often reinforces gender stereotypes, with textbooks depicting men in professional roles and women in domestic setting.

Employment and Economic Participation: Women's participation in the workforce is hindered by traditional

gender norms that prioritize their role as homemakers. The gender pay gap remains substantial, and women are underrepresented in leadership positions. A report by the World Economic Forum indicates that India ranks 140th out of 156 countries in terms of economic participation and opportunity for women. Social norms that dictate appropriate jobs for women and men further exacerbate these disparities, with women often concentrated in lower-paying, informal sectors.

Family Dynamics and Domestic Responsibilities: The traditional Indian family structure is patriarchal, with men as the primary breadwinners and women responsible for domestic tasks. This division of labor often limits women's opportunities for personal and professional growth. The burden of unpaid domestic work disproportionately falls on women, impacting their ability to engage in paid employment or pursue education. The National Sample Survey Office (NSSO) data reveals that women spend an average of 5.9 hours per day on unpaid care work, compared to 1.5 hours for men.

Health and Well-being: Traditional gender norms have profound implications for health and well-being. Women's health is often compromised by limited access to healthcare services, poor nutrition, and reproductive health issues. Maternal mortality remains a significant concern, with India accounting for 15% of global maternal deaths. Gender-based violence, including domestic violence, further exacerbates health risks for women.

Men, too, are affected by rigid gender norms. The pressure to conform to ideals of masculinity can lead to mental health issues, substance abuse, and higher rates of suicide. According to the National Crime Records Bureau (NCRB), the suicide rate among men in India is almost twice that of women, highlighting the need for addressing men's mental health issues.

Conclusion: Traditional gender norms continue to exert a profound influence on various aspects of Indian society, perpetuating gender inequalities and limiting opportunities for both men and women. While there have been strides towards gender equality, significant challenges remain in areas such as education, employment, family dynamics, and health. The literature review highlights the pervasive influence of traditional gender norms on various aspects of Indian society, from historical and cultural contexts to contemporary issues in education, employment, family dynamics, and health. It underscores the need for a multifaceted approach to addressing gender inequalities, incorporating theoretical insights, empirical evidence, and policy interventions. Understanding the complexities of gender norms and their impact is essential for fostering a more inclusive and equitable society in India. Addressing these issues requires a comprehensive approach that includes policy interventions, educational reforms, and societal shifts towards more equitable gender norms.

References:-

1. Bhattacharya, R. (2017). Patriarchy and Gender Inequality in India: The Need for Gender Justice. Asian Journal of Social Science Studies, 2(3), 25-33.
2. Kumari, R., & Joshi, M. (2015). Gender Socialization: An Analysis of Gender Socialization in India. International Journal of Humanities and Social Science Research, 1(5), 50-54.
3. Patel, V., Ramasundarahettige, C., Vijayakumar, L., Thakur, J. S., Gajalakshmi, V.(2018). Suicide mortality in India: a nationally representative survey. The Lancet, 379(9834), 2343-2351.
4. Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
5. Chakravarti, U. (1993). Gendering Caste: Through a Feminist Lens. Popular Prakashan.
6. Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139-167.
7. Desai, S., & Jain, D. (2014). Unpaid Work, Poverty and Women's Empowerment in India: An Exploration of Links and Contradictions. Indian Journal of Labour Economics, 57(1), 75-89.
8. Gupta, A. (2014). Gender Bias in Education: Perception and Practices. International Journal of Multidisciplinary Research, 4(3), 106-118.
9. Roy, S. (2012). The Role of Media in Promoting Gender Equality. Journal of Communication Studies, 10(1), 45-56.
10. Sadker, D., & Zittleman, K. (2009). Still Failing at Fairness: How Gender Bias Cheats Girls and Boys in School and What We Can Do About It. Scribner.
11. Sinha, M. (1995). Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century. Manchester University Press.
12. Uberoi, P. (2006). Freedom and Destiny: Gender, Family, and Popular Culture in India. Oxford University Press.

****

Media Representations and Stereotypes: Critically Assessing Media Portrayals of Various Social Groups in India

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Media is a powerful tool that shapes societal norms, values, and perceptions. In India, a diverse and complex society, media representations play a critical role in influencing public opinion and maintaining social hierarchies. This paper critically examines the portrayal of various social groups in Indian media, focusing on the persistence of stereotypes and their socio-cultural implications. By analyzing representations of gender, caste, religion, class, and ethnicity, this study aims to uncover the biases and prejudices that permeate Indian media. The research highlights how these portrayals shape public perception, reinforce societal hierarchies, and influence social attitudes. The findings underscore the need for more nuanced and equitable media practices that reflect the diversity and complexity of Indian society.

Keywords: Media representations, Stereotypes, Social groups, India, Gender, Caste, Religion, Class, Ethnicity.

Gender Representations in Indian Media: Indian media has a long history of portraying gender roles in a stereotypical manner. Women are often depicted as submissive, nurturing, and confined to domestic roles, while men are shown as dominant, assertive, and breadwinners. These representations reinforce traditional gender roles and contribute to the perpetuation of gender inequality in society. For instance, television serials and Bollywood films frequently depict women in roles that emphasize their beauty and domestic skills, overshadowing their professional achievements and intellectual capabilities. This not only limits the portrayal of women to a narrow set of characteristics but also influences societal expectations of women.

Conversely, men are often depicted as the saviors or heroes, emphasizing traits like bravery, strength, and leadership. Such portrayals create unrealistic expectations for men to conform to hyper-masculine ideals, thereby marginalizing those who do not fit these norms. Additionally, the media rarely portrays non-binary and transgender individuals accurately, often resorting to caricatured and sensationalized depictions. This lack of representation further marginalizes these groups and perpetuates their exclusion from mainstream society.

Efforts to challenge these stereotypes are growing, with some media productions portraying strong, independent women and sensitive, nurturing men. However, these portrayals remain the exception rather than the norm. A more balanced representation of gender in Indian media is crucial for promoting gender equality and breaking down harmful stereotypes. Media producers, writers, and directors need to be more mindful of the diversity and complexity of gender identities and roles, ensuring that their portrayals reflect the realities of contemporary Indian society.

Caste Representations in Indian Media: Caste, a deeply entrenched social hierarchy in India, significantly influences media portrayals. Historically, Indian media has often depicted members of lower castes (Dalits) in subservient roles, reinforcing caste-based prejudices and discrimination. Upper-caste characters dominate media narratives, often portrayed as virtuous, educated, and powerful, while Dalits are frequently shown as poor, uneducated, and involved in menial jobs. These portrayals not only perpetuate negative stereotypes but also obscure the real-life struggles and achievements of Dalit communities.

Bollywood films and television shows rarely address caste issues explicitly, often presenting a sanitized version of Indian society where caste divisions are either ignored or subtly reinforced. When caste is addressed, it is often through a lens of upper-caste perspectives, further marginalizing lower-caste voices. This selective representation perpetuates the invisibility of Dalit experiences and sustains the status quo.

There have been some positive shifts in recent years, with films and web series addressing caste issues more directly and sympathetically. Works like "Article 15" and "Fandry" have brought caste discrimination to the forefront, highlighting the injustices faced by lower-caste individuals. However, these are still relatively rare in the broader media landscape. For a more equitable representation, Indian media must diversify its narratives and include more voices

*Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Beawar (Raj.) INDIA

from marginalized castes, allowing for a more accurate and inclusive portrayal of Indian society.

Religious Representations in Indian Media: Religion is a critical aspect of Indian identity, and its portrayal in media significantly influences public perception. Indian media often depicts religious groups in ways that reinforce communal stereotypes and prejudices. Hindus, the majority religion, are generally portrayed positively, emphasizing cultural and traditional aspects. In contrast, Muslims and other minority religions are frequently depicted through a lens of suspicion and negativity, often associated with violence and terrorism. The portrayal of Muslims in Indian media is particularly problematic. They are often shown as the “other,” with their culture and practices depicted as fundamentally different and sometimes incompatible with mainstream Indian values. This has been exacerbated by geopolitical tensions and internal communal conflicts, leading to a media narrative that often associates Muslims with extremism. Such portrayals not only reinforce communal divides but also contribute to the social and political marginalization of Muslim communities in India.

However, there have been efforts to challenge these stereotypes and present more balanced portrayals. Films like “My Name is Khan” and “Lipstick Under My Burkha” have attempted to humanize Muslim characters and highlight their struggles against prejudice. Despite these efforts, the overall media landscape remains biased, necessitating a more conscious effort to represent all religious communities fairly and accurately. Media practitioners must strive to depict the diversity and richness of India’s religious landscape, promoting understanding and harmony among different communities.

Class Representations in Indian Media: Class divisions are a prominent feature of Indian society, and media representations often reflect and reinforce these divides. The affluent, urban middle and upper classes dominate Indian media, depicted as aspirational and successful. In contrast, the working class and rural poor are often shown in stereotypical and one-dimensional roles, emphasizing their struggles and hardships while ignoring their resilience and agency.

Television serials and films frequently portray the rich as glamorous and morally upright, living in opulent settings and engaging in high-society activities. Meanwhile, the poor are often depicted in settings of squalor and deprivation, their lives characterized by suffering and criminality. These representations reinforce class stereotypes and perpetuate the myth of meritocracy, suggesting that wealth and success are purely the results of individual effort and moral virtue.

The reality of class mobility and the structural barriers faced by the poor are rarely addressed in mainstream media. This selective portrayal contributes to the marginalization of lower-class voices and ignores the complex socio-economic dynamics that shape Indian society. Recent efforts to depict the working class and rural life more authentically, such as in the films “Peepli Live” and “Masaan,” are steps in the right direction. However, a more sustained and widespread effort is needed to ensure that media representations reflect the full spectrum of class experiences in India.

Ethnic Representations in Indian Media: India’s ethnic diversity is vast, encompassing numerous languages, cultures, and traditions. However, media representations often fail to capture this diversity, resorting to homogenized and stereotypical portrayals of different ethnic groups. North Indian, particularly Hindi-speaking characters, dominate the media landscape, while the rich cultural tapestry of South India, the Northeast, and tribal communities is frequently marginalized or misrepresented.

North-East Indians, for example, are often depicted in ways that exoticize and otherize them, focusing on their physical appearance and cultural differences rather than their contributions and experiences. This has led to a lack of understanding and empathy towards these communities, reinforcing their marginalization. Similarly, tribal communities are often portrayed through a romanticized or primitive lens, ignoring their contemporary struggles and achievements.

Efforts to diversify media portrayals are growing, with some films and television shows attempting to present more authentic and varied depictions of India’s ethnic diversity. Films highlighted the unique experiences and challenges of marginalized ethnic groups. For a truly inclusive media landscape, there must be a concerted effort to represent all ethnic communities fairly and accurately, celebrating the richness and diversity of Indian culture.

Representation of LGBTQ+ Communities in Indian Media: The representation of LGBTQ+ communities in Indian media has evolved significantly over the years but remains fraught with challenges and stereotypes. Historically, LGBTQ+ characters were either invisible or depicted in a highly caricatured and derogatory manner, reinforcing harmful stereotypes and contributing to societal stigma. For instance, homosexual characters were often portrayed as comic relief or as villains, perpetuating negative perceptions and marginalizing the LGBTQ+ community.

In recent years, there has been a gradual shift towards more nuanced and sympathetic portrayals. Films like “Aligarh” and “Kapoor & Sons” have highlighted the struggles and discrimination faced by LGBTQ+ individuals, challenging societal prejudices and promoting empathy. Television shows and web series such as “Made in Heaven” and “Four More Shots Please!” have also featured LGBTQ+ characters in more authentic and complex roles, reflecting their diverse experiences and identities.

Despite these positive changes, the representation of LGBTQ+ communities in Indian media is still limited and often lacks depth. Transgender characters, for example, are rarely portrayed accurately and sensitively. They are often depicted through a lens of sensationalism, focusing on their gender identity rather than their humanity and lived experiences. This contributes to their continued

marginalization and reinforces societal misconceptions.

Moreover, mainstream media often fails to capture the intersectionality within the LGBTQ+ community, such as the unique experiences of LGBTQ+ individuals from different castes, religions, and ethnic backgrounds. This lack of representation limits the understanding of the full spectrum of LGBTQ+ experiences and perpetuates a narrow and homogenized view of the community.

To foster greater acceptance and inclusion, Indian media must strive to represent LGBTQ+ individuals in a more balanced and authentic manner. This involves not only increasing the visibility of LGBTQ+ characters but also ensuring that their stories are told with sensitivity and respect. Media practitioners should collaborate with LGBTQ+ individuals and organizations to create more accurate and diverse portrayals, challenging stereotypes and promoting a more inclusive society.

Conclusion: The media's portrayal of various social groups in India is a reflection of the country's complex and hierarchical social structure. While there have been some positive changes in recent years, media representations still largely reinforce stereotypes and prejudices. To foster a more inclusive and equitable society, it is imperative that Indian media adopts more nuanced and diverse portrayals of gender, caste, religion, class, and ethnicity. By doing so, media can play a crucial role in challenging societal norms, promoting understanding, and bridging divides. Media has the power to challenge societal norms and promote understanding, and it must be used responsibly to bridge divides and foster a more inclusive society.

References:-

1. Hussain, M. (2018). Media and Religion in India: The Representation of Muslims. Journal of Media and Religion, 17(3), 135-148.
2. Kumar, S. (2017). Class and Media in India: The Representation of Poverty. Media, Culture & Society, 39(6), 833-849.
3. Gupta, P. (2018). Religious Minorities and Media: The Case of Indian Muslims. Journal of Media Ethics, 33(4), 235-249.
4. Nayar, P. (2017). Media, Caste, and the Dalit Experience: A Critical Examination. New Media & Society, 19(8), 1218-1234.
5. Sharma, N. (2018). Tribal Communities and Their Representation in Indian Films. Journal of Indigenous Studies, 7(1), 94-109.
6. Menon, A. (2018). Rural India and Media Representations: A Critical Study. Journal of Rural Studies, 61, 55-65.

****

A Study of Self-Help Groups in Raipur District of Chhattisgarh

Dr. (Smt.) Shobha Agrawal*

Abstract - Self Help Groups are informal associations of people who choose to come together to find ways to improve their living standards. Self Help Groups are defined as self-governed, peer controlled information group with similar economic background and having a desire to collectively perform common purpose. The rural people face numerous problems related to poverty, education, skill, lack of financial knowledge etc. It's impossible for a single individual to sort out these problems. Here comes the role of Self Help Groups. Self Help Groups are playing an elite role in rural development across the country. Basically Self Help Groups are designed to encourage savings, household production and social cohesion among the rural people to meet their goals. Once Self Help Groups succeeds in rural development, thereby influence the employment environment and socio-economic status of their members. The Self Help Groups are in active mode from every district of Chhattisgarh. Apart from the formation of Self Help Group network in the state these Self Help Groups are face lot of challenges to deliver their services. It necessary to address the problems faced by the Self Help Groups and requires needful solutions. The present research work is done in Raipur district from four block viz, Dharsiwa, Arang, Tilda and Abhanpur. The primary data is collected from 60 male and 60 female through structured interview schedule and secondary data also used. The present work is designed in such a way that that the major problems which are faced by the Self Help Groups in Chhattisgarh are documented. Also the aim of this study is to recommend some useful Suggestions to overcome the problems.
Keywords: Self Help Group, Income, Rural, Social.

Introduction - Self Help Groups are playing an elite role in rural development across the country. The Self Help Groups work at the ground level to sort out the livelihood and social issues of the rural people. These Self Help Groups also work to eradicate poverty and employment through mobilization of financial resources, and encouraging self-employment. Self Help Groups have assumed greater importance, which is considered as the most necessary tool to adopt participatory approach for the social, economic, marketing and financial improvement of rural people. Besides the comparison on urban people and rural people have limited access to all kinds of resources such as education, transportation, financial support, training, information technology, availability of current information etc., but have more hidden talents, which have to be brought into light, and providing marketing knowledge and financial dealing activities shall provide by the Government.

Chhattisgarh sate is an agricultural state whose economy majorly depends upon the agriculture. The maximum population of Chhattisgarh falls in rural areas. This newly formed state was facing lot of problems of livelihood in the rural areas. Self Help Groups have played a key role in solving these issues. There is a good network of Self Help Groups from one corner to another in the state.

Literature Review

1. **Thangamani and Muthuselvi (2013)** revealed in their study that empowerment of rural people through Self Help Groups would lead to benefits not only to the individual level, but also for the family and community as a whole through collective action for development. Self Help Groups have linkages with NGOs and banks to get finance for development. Socio- economic factor has been changed after joining the Self Help Groups.
2. **Mamta et.al.,(2014)** described that in India more number of people live in rural areas and that they are to be developed in such a way that they achieve economic empowerment. In her study she revealed that the Indian SELF HELP GROUP empowerment should continue to grow at the same pace of next five years. SELF HELP GROUP's in India are integrating the low income segments with the rest of the rural community by ensuring them a better participation in a more equitable share in the advantage of development. It is significantly important that together Government and NGOs work to bear all the costs in mind of interventions to make them sustainable otherwise the Self Help Groups will be overburden and destined to crash.
3. **Savitha and Rajsekar (2014)** reported that Self Help Groups are playing important role in the process of financial inclusion of rural empowerment, and addressed the poverty and social issues among the members. The core activity is mobilized of small savings from group members and lending

*Assistant Professor (Commerce) Agrasen Mahavidyalaya, Raipur (C.G.) INDIA

the loans from banks. The study based on the personal, marketing, financial, and production oriented problems faced among the members and upliftment of members among the Self Help Groups.

4. **Soni (2015)** explained that Self Help Groups has an important role in the Women Entrepreneurship Development. The major contribution in the entrepreneurship development of the women is considered as skill training programmes. The other factors like the financial literacy programmes, separate identity in family, micro-credit facility, time to repay the loan, ability to fulfill family needs, chance to repay old debt, increment in the decision making in family and society level do not have major impact upon the entrepreneurial development of the women.

5. **Kaur (2015)** revealed that Self Help Groups are proved successful for the empowerment of rural people by the way of their entrepreneurial development which had put a major impact upon their social and economic life. For the achievement of the sustainable Entrepreneurial development among the members of the Self Help Groups more need is to be given for the development and encouragement of Self Help Groups.

6. **Vinodhini and Vaijayanthi (2016)** describes that socio economic empowerment of rural India through Self Help Groups. Self Help Groups are the small association of the members in background status and enables to success of the Self Help Groups and innovative practices to enables the development and building at the stakeholders. Self Help Groups also help the financial status of households.

7. **Ajith et.al. (2017)** reported that Self Help Groups are the effective strategy for poverty alleviation, human development and social empowerment of poor, women are the vital infrastructure especially women in rural areas of our country, and their empowerment would hasten the pace of social development to contribute to economic growth and overall growth of peoples.

8. **Sarfaraz, Faghih and Majd** have shown a statistical relationship between women entrepreneurship and gender equivalency. They have used a correlation analysis to probe how gender- related profitable development and women entrepreneurial conditioning are related.

Objectives of the Study: The main objectives of the study are given as below:

1. To investigate the role of Self Help Groups in Raipur district.
2. To identify the major problems faced by the Self Help Groups of Raipur District of CG.
3. To provide the suitable suggestions for better management of Self-Help Groups.

Research Methodology: The study was carried out in Raipur district of Chhattisgarh. The study consists of both primary and secondary data. The primary data have been collected by using a well-structured and pre-tested interview schedule. District, Community Block and Gram Panchayat were chosen randomly for the study. Response from one leader and one member of each SELF HELP GROUP was collected through the structured schedule. A total of 120 respondents were interviewed. Equal number of male and female respondents were interviewed, so that the common problems and personal problems can be well understood. The schedule consists of major section which involves maximum questions related to the problems which Self Help Groups are facing. The response of the respondent was collected and the major problems were highlighted in this research paper. The secondary data was obtained from various published reports of state and central Governments, books, magzins and internet.

Working of SHGs: SHGs are working in self-governing manner. The total intake capacity of the group is maximum 20. Among them executive members are elected as President, Secretary and Treasurer. The volunteer facilitates meetings every week. They discuss about group savings, rotation of group saving funds, bank loan, repayment of loan, social and community action, group activities regarding IGS, etc.

Functions of SHGs: Finance will be generated by the members through their periodical savings. Working system will be flexible and pool the resources in a collective way. Periodical meetings are held as per the decision of the groups. The decisions are taken in group meetings. The prior studies which are related to SHGs have evidently understood that the SHGs are the means to enhance rural savings and lucrative employment. Therefore, women members are financially independent and their contribution to household income is also continuously increased.

Results

Table 1. Demographic profile of the sampled respondents of SELF HELP GROUP members in Raipur, CG, India. (n=120)

	Demographic	Frequency	%
Gender	Male	60	50.0
	Female	60	50.0
Age	16-20yr	25	20.8
	21-25yr	55	45.8
	26-30yr	13	10.8
	31-35yr	14	11.6
	above 35yr	13	10.8
Marital status	Married	48	40.0
	Unmarried	72	60.0
Family Size	3-5	72	60.0
	6-10	27	22.5
	11-15	19	15.8
	16 and above	02	01.6

(Source: Primary Data)

Table-1 indicates the demographic profile of the respondents Raipur Chhattisgarh. The data from the table clearly confirms the diversity in age and gender of SELF HELP GROUP members of Raipur, Chhattisgarh. Out of total 120 respondents, 60 were females and 60 were males. 45.8 % of the respondents were from age group 21-25 out of which 26 were female and 29 are male and thus they

formulate the maximum number of respondents from selected age groups. The family size was divided in four sets of 2 to 5, 6 to 9, 10 to 13 and 14 and above. Out of which 60 % respondents belongs to 2 to 5 family size.

Utilization of SHG Funds: From the analysis of the data regarding the financial transaction of the fund and their utilization shows in the various ways. The data shows most of the members have taken loan from SHG for agriculture followed by social and cultural ceremony, like marriage, festival and other function in the community like health cases, fishery etc. They spend money for different activities in the group.

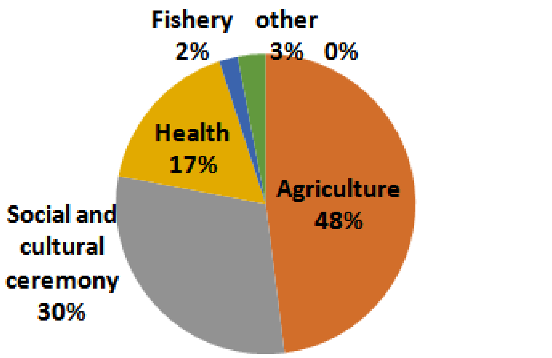

Loan sanction for different purpose of the SHG

Table 2 (see in last page)

There are approx. 194088 Self Help Groups in the newly formed state of Chhattisgarh (Table-2). Most of the members of these self-help groups are women that too advises, delist and people below poverty line. These women majority of who are uneducated, are determined to work for sustaining their livelihood and giving their children a better education which they could not avail. Competing with man at par, the rural women are engaged in works such as cattle rearing, running mines and fisheries, cultivating land, selling dairy products, engaged in construction of roads and buildings and so on. These Self Help Groups play a pivotal role in the upliftment of rural people of Chhattisgarh. There are number of success stories from many parts of the state, however still there some districts with less than 50 percent coverage of Self Help Groups like Raipur, Korba and Korea. As per National Rural Livelihoods Mission (NRLM) data on Self Help Groups in Chhattisgarh state, there are almost 10 districts in the state which are identified as backward districts. Considering as a whole the data in Table-2.shows that there has been an increase in the number of newly created Self Help Groups.

Across all the districts Raipur have approximately 9407 active Self Help Groups (Table-2). They are actively working in almost all the four blocks of Raipur district. The rural people of Raipur district are provided proper training and skill development programmes are also organized, so that they can be self-employed. Since from last one decade the Self Help Groups got success in generating self-employment in the rural areas of Raipur. However, with the success stories the self-help groups face lot of problems and challenges in launching their programmes and objectives. In the present study the SELF HELP GROUP members were interviewed and their response was recorded in a structured schedule. Since the self-help groups face number of problems, but here we include only the major problems. The recorded problems are described in the next section.

Problems Faced by Self Help Groups in Raipur District of Chhattisgarh

1. Problems of Marketing

i. Stiff competition from other major suppliers.
ii. Lack of permanent market for the products of Self Help Groups.
iii. Lack of adequate sales promotion measures.
iv. Lack of Linkage with the marketing agencies.
v. Lack of sufficient orders.
vi. Poor/Unattractive packing system.
vii. Absence of proper brand name.
viii. Marketing is an important area of functioning of the Self Help Groups. However they face different problems in the marketing of products produced by them. Following are the major problems reported by the Self Help Groups in the study area.
ix. Lack of a well-defined and well-knit channel of distribution for marketing.
x. Poor quality of products due to the application of traditional technology resulting in poor market.

2. Infrastructure problems: This is a common problem found in rural area. Due to lack of infrastructures like roads and railways, cold storage, vending zones, SEZ, regulated markets and Bazar etc., whatever output is produced is not brought to the market. The activities like, agriculture, commercial farming, aquaculture, pisciculture, horticulture and livestock are facing severe infrastructure problem for which they have to go for distress sale. Due to lack of communication, transport and internet facilities, the activities like trade and commerce, food processing, and household industry are facing severe problems. These problems are found in most of the blocks.

3. Lack of training and capacity building: The members of Self Help Groups lack training in basic skills and other capacity building activities needed to start any entrepreneurial work. They often lack motivation and leadership qualities to face the prevailing challenges and gain victory over them. They also face difficulty in maintaining proper records such as accounts book, loan register, attendance record, pass book etc. Even the office bearers and other members of the group who have received training does not consider it sufficient and feel the need for attending more training programmes. Emphasis is to be given to provide training in the field of accounting, marketing, entrepreneurship, team building, personality development, role and responsibility of and such other topics.

4. Illiterate and ill-trained staff to meet the challenges of Self Help Groups: The lack of proper education and

training provided by different departments were also a major recorded problem faced by many Self Help Groups in Raipur District. Moreover, the attitude of the staff of the rural development department, block office is not encouraging. They are not well trained to accept the challenges and equip the Self Help Groups self-reliant.

5. Problem of Facilitators or Trainer Support : This is very much important for the rural backward and illiterate people as they don't know how to get bank loan, cash book, maintain records, and ledger. For obtaining assistance and support the group members have to approach the line officers or department officers. However, the officers are not very cooperative with the Self Help Groups. Sometimes the officers are not able to understand the local language which creates a communication gap between the SELF HELP GROUP members and high level officials resulting in intervention of middleman/touts. As a result, Self Help Groups are not able to grow suitably.

6. Personal problems of Self Help Groups member: From the response of some members of Self Help Groups revealed some personal problems which they are facing in many blocks of Raipur District. These problems are as;

i. Lack of formal education.
ii. Lack of encouragement.
iii. Lack of Training.
iv. Lack of freedom to take decisions.
v. Family responsibilities.

7. The Ignorance of Members/ Participants: Even though the authorities take measures for creating awareness among the group members about the schemes beneficial to them, still many of the groups are unaware of the schemes of assistance offered to them. Now the Government of India and the State Governments are providing subsidies and other schemes of assistance up to a maximum of Rs. 5 lakhs. However, maximum of them are ignorant and are not able to avail the opportunity.

8. Lack of awareness: The members of the self-help groups are not fully aware about the different Governmental schemes and programmes implemented for them and how they can derive its benefits. Ignorance on their part results in failure of the ultimate objective of such programmes.

9. Lack of conveyance facilities: Many a times the banks are located at far places from the village. This distance and lack of proper transport facility creates a big problem for the self-help group women. They have to cover the distance by walking which wastes time and affects their daily work and wages. The problem increases many folds in case of pregnant women and old ladies.

10. Social Taboo: The constitution of our country speaks of equality of gender. But a large section of the society is still dominated by male member of the family. He takes all the decisions for women. This section of society does not give respect to women who go out to take up economic activities, to attend training programmes or participate in group meetings.

11. Family Constraints: Rural women lacks support of their family members especially their husbands and in laws to join various Self Help Groups. Looking after the children, cooking food and taking care of other household affairs is considered to be the primary responsibility of women. Therefore women do not get enough support from family to enter into business activities. The main reason behind this is lack of education and resistance to change among the rural population.

12. Political Interference : It is found that in rural areas, there are political interventions in group finance. If the group is not in favor of the local MLA or M.P, then that group is deprived of getting the loan in time. Some of the group members are therefore busy in running after the local leaders instead of doing their work. This obstructs the independent functioning of the Self Help Groups.

Conclusion: Self Help Group plays a significant role in changing the life of rural India. It is indeed the most feasible option to help improve the socioeconomic status of rural people. In a developing country like India it becomes imperative to develop this poor and downtrodden section of the nation in order to cope with the pace of development. However across different states of India, these Self Help Groups are facing different problems, which hinder their working. The present study aims to record the problems faced by the Self Help Groups of Raipur, Chhattisgarh. From the recorded response the major problems faced by Self Help Groups of Raipur District are as; ignorance, lack of training, marketing problems, lack of stability, lack of raw material, exploitation, lack of financial management, low return, non-cooperative attitude, inadequate and ill trained staff, lack of support from line department. However certain suggestions like adequate financial assistance, sufficient infrastructure, capacity building, skill up gradation, creation of adequate marketing facilities and effective supervision of Self Help Groups will flourish which will lead to rural development in Raipur district of Chhattisgarh. The Government should play the role of a facilitator and promoter, create a supportive environment for the growth and development of the SELF HELP GROUP movement. Furthermore, Commercial Banks and NABARD in collaboration with the State Government need to continuously innovate and design new financial products for these groups.

Suggestions and Recommendations: The following suggestions are made for successful working of the Self Help Groups in Raipur District of Chhattisgarh;

i. Capacity building and skill up-gradation.
ii. Non-Government Organizations (NGOs) can play a significant role in empowering women entrepreneurs by providing basic education, motivation training, and financial help and so on.
iii. Creation of adequate marketing facilities.
iv. A careful selection of key activities in a particular area based on local physical and human resources and market demand is vital for the successful operation of micro enterprises.

v. Frequent awareness camps can be organized by the Rural Development department authorities to create awareness about the different schemes of assistance available to the participants in the Self Help Groups.
vi. Foster collaboration between government agencies, NGOs, and community leaders to address the unique challenges faced by women in tribal regions.
vii. Effective supervision and monitoring of investment activities.
viii. Provision of adequate and timely finance.
ix. In order to solve the various problems relating to marketing of Self Help Groups, the state level organizations should extend the activities throughout the state instead of limiting its operations in a particular area.
x. Sufficient infrastructure.
xi. Information about locally available materials and their varied uses should be disseminated to Self Help Groups. Proper encouragement and training should be given to them to make innovative products by using these materials. In order to have a knowledge base about the availability of materials, in panchayat levels, surveys can be conducted under the auspices of local authorities.

Scope for Future Research: The study can be extended to other districts of Chhattisgarh State of India. Self Help Groups working in the urban areas, their detailed information about the business carried by Self Help Groups, various subsidies and benefits given to Self Help Groups from Government and various training programmes given to Self Help Groups, can be also included in the study which could result in overall performance of a District. More over regular studies on the role of Self Help Groups in rural and urban development should be carried out time to time, which may record the nature of these Self Help Groups. Further studies on training, skill and development of SELF HELP GROUP members are at urgent need.

References:-

1. Ajith, B., Satyanarayan, K., Jagadeeswary, V., Rajeshwari, YB.,Veeranna, KC., Harisha, M. (2017) Problems faced by Self Help Group members among Self Help Group in Karnataka. International Journal of Science, Environment and Technology. 6(2):1080-1085.
2. Baron. R, & Henry. R (2011). Entrepreneurship: The genesis of organization, APA, APA Handbook of Industrial and organizational psychology, Vol. 1, Zedac S, Washington DC. PP.241-273.
3. Fazalbhoy, S. (2014). Women entrepreneurship as the way for economic development. Annual Research Journal of Symbiosis Centre for Management Studies, 2(1), 117-127.
4. Ganthuni, AW.(2015) the Impacts of Women Self Help Groups On Their Social Empowerment: A Case Study of Murere Sub-Location in Kiambu County. International Journal of Social Science and Humanities Research. 3(4):257-261. Website: www.researchpublich.com
5. Kaur, S.(2015) Women Empowerment through Micro Finance: An Empirical Study of women Self Help Groups in Patiala District, International Journal in Commerce, IT & Social Sciences. 2(2). ISSN: 3394-5702
6. Kumar, AS., Kavithasri, S. (2017) Problems faced by the members of self- help groups with special reference to Thimmampalayam area in Coimbatore district. International Journal of Applied Research 2017; 3(9): 593-598
7. Mamta, S., Saravanakumar, M., Srividhya, S. (2014) A Study On Women Self-Help Groups In Coimbatore District, IJABER.12(4):1017-1044.
8. Parthiban, R., Baba, G P. (2013) Marketing Problems Faced By Self-Help Groups. International Journal of Science and Research.5(7): 2156-2159.
9. SakuntalaNarasimhan, 2000, Empowering Women-Yojana.
10. Savitha, V., Rajashekar, H. (2014) Problems Faced By Self-Help Groups, (Impacts: International Journal of Research in Applied Natural and Social Science) Mysore Karnataka.2 (6):59-64
11. Soni, A. (2015) Role of Self Help Groups in Women Entrepreneurship Development: A Case Study of Jalandhar District, Punjab, Advances in Economics and Business Management(AEBM).4(1):doi.10.17010/amcije/2021/v4i1/159225
12. Thangamani, MS.(2013) A Study on Women Empowerment through Self-Help Groups, (ISOR Journal of Business and Management) Coimbatore Tamil Nadu.7(3):4218-4229.
13. Thileepan, T., Soundararajan, K.(2013) Problems and opportunities of women self-help groups entrepreneurship in India. (International Research Journal of Business and Management.VI: 75-82.
14. UNICEF, 1993, The Women's Empowerment Framework. Women and Girls Advance.
15. Venkatesh, J. and Kala, K., "SHG: Tools to Boost up Women Empowerment", Management and labour studies.
16. Vinodhini, RL.,Vaijayanthi P.(2016) Self-Help Groups and Socio-Economic Empowerment of Women in Rural India (Indian Journal of Science and Technology. 9(27):1-5.

Table 2: Self Help Groups Under NRLM (District Level)

S.	District Name	SHGs Type				Total Members
		New	Revived	Pre-NRLM	Sub Total	
1	Balod	4411	1317	383	6111	58697
2	Baloda Bazar	6283	1088	126	7497	71676
3	Balrampur	8115	1025	19	9159	88839
4	Bastar	8600	1001	431	10032	93916
5	Bemetara	3179	417	10	3606	36512
6	Bijapur	1042	200	57	1299	12232
7	Bilaspur	2840	1561	565	4966	46770
8	Dantewada	2266	85	12	2363	23104
9	Dhamtari	6874	1362	349	8585	84368
10	Durg	3468	903	3	4374	46823
11	Gariyaband	7898	441	109	8448	78590
12	GaurellaPendraMarwahi	1960	324	1	2285	22117
13	Janjgir-Champa	5374	3319	4	8697	82620
14	Jashpur	5651	1598	375	7624	76221
15	Kanker	7459	1996	105	9560	93383
16	Kawardha	4948	601	669	6218	54556
17	Kondagaon	5550	2148	201	7899	77591
18	Korba	7697	1560	485	9742	90322
19	Korea	5164	953	94	6211	59983
20	Mahasamund	4569	1282	124	5975	53827
21	Mungeli	3193	723	39	3955	36732
22	Narayanpur	1003	33	8	1044	10947
23	Raigarh	6696	4306	276	11278	99406
24	Raipur	8281	1020	106	9407	93496
25	Rajnandagon	12045	5699	67	17811	169287
26	Sukma	1278	180	126	1584	16122
27	Surajpur	6247	1420	12	7679	75501
28	Surguja	4872	5596	211	10679	101272
	Total	146963	42158	4967	194088	1854910

(***Source:*** *National Rural Health Mission, Ministry of Rural Development, GOI)*

✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻✻

Social Protection for Food in South Asian Countries

Mr. Dharmendra Kumar*

Introduction - Indian and Bangladesh both are developing countries in South Asian. These countries have high growth rate in population and low production rate in agriculture. There is present a large gape between demand and supply of the food in Asian countries due to over population and low production in agriculture. The dependency is found very high on the agriculture of the population. There is only one sources of employment in rural areas. Many weaknesses are present against the agriculture development in India and Bangladesh. Poverty and unemployment rate is find out on high level. Illiteracy also very high in this region specially India and Bangladesh. The literacy of the female is in good position in South Asian countries. The level of socio-economic development is very low and the economic growth is very poor. So a lot of problems are present here. Government policies are not providing suitable result about reducing the problem of food security in India and Banglades. Although many programmes are run by the government to eradicate the problem of proverty and unemployment yet these countries have no solved the problem of food security. Social protection can reduce the proverty level in Asian countries. So we need to change in our agriculture systems. We need to develop the sub-sector of agriculture (Primary) like that-poultry, animal husbandry, beekeeping, fishing and dairy industries etc. These sub-sector will be helpful to reduce the problem of food security and also will provide the high calories in food.

Food security problem is a big problem at present in Asian countries. There are present a lot of reason about the problem of food security in Asian countries. On the ground level we see that the inequality is present the behavior of food for women. Food inequality is more present in families between male and female members. A lot of causes are found about the food inequality in families as-poor income, unemployment, poverty, gender inequality etc. Sen (2001) discussed about the types of inequality in food which are women facing now a days. They told us seven types of food insecurity. In South Asian countries, there are unusually high motality rates among women and a consequent preponderance of men in the total population, as opposed to the preponderance of women found in societies with little or no gender bias in healthcare and nutrition. Females have less access to education and learning or fewer opportunities to develop their talents and skills. This On the basis of the field survey we find out that gender based insecurity is present in wages. The wages of women is less than of the same work of a man. This gape is wages creates many problems for the women to maintain the food security of the household. All this has an adverse impact on the food security of poor households. Women's wages rate are consistently lower than those of men for the same work. This problem is present in South Asian on high level. Some steps will be helpful in social protection against the food inequality which are as-

1. Control on gender inequality
2. Increase the women education
3. Generate the sources of employment for women
4. Reduced inequality in food between boys and girls
5. Awareness about the food insecurity.

Rererences:-

1. Adams, C.S. (2013): "Bread and riots: Assessing the effect to food security on political stability", Georgetown University.
2. Anderson, K. (2008): ' Distorted Agricultural Incentives and Economic Development; Asia Experience'', Policy Research, London, July 2008.
3. Beshir, M.K., Schilizzi, S. & Pandit, R. (2013); ' Impact of Socio- Economic Characteristics of Rural Household On Food Security:
4. The Case of the Punjab, Pakistan'', The Journal of Animal & Plant Sciences, 2392), 611-618.
5. Besley and R. Kanbur (1988): ' Food Subsidies and Poverty Alleviation'', Economic Journal,98.
6. Bhalla, G.S., P. Hazell, and J. Kerr(2001), ' Prospects for India's Cereal Supply and Demand to 2020, Food,

*Assistant Professor (Economics) D.J. College, Baraut, Baghpat (U.P.) INDIA

Agriculture and the Environment'', Discussion paper 29, International Food Policy Research institute (IFPRI), Washington, D.C. Bhramanad, P.S. (2013): ' Challenges to food Security in India'', Current Science, 104(7), 10 April 2013.

7. Dev, S. Mahendra (2003), ''Right to Food in India'' Working Paper no. 50, Centre for Economic and Social Studies, Hyderabad.

****

Naveen Shodh Sansar (An International Refereed/ Peer Review Research Journal) ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Impact Factor - 5.610 (2018) Oct. to December 2020, E-Journal, Vol. I, Issue XXXII

Healing the Body: Physiological Effects of Meditation

Dr. Mamta*

Introduction - In a world increasingly plagued by anxiety, depression, aggression, and social disconnection, the search for inner peace and societal harmony is more vital than ever. One of the ancient yet profoundly relevant practices gaining global attention is Vipassana meditation, rooted in the teachings of the Buddha over 2,500 years ago. Vipassana, meaning "to see things as they really are," is a technique of mental purification through self-observation. It emphasizes the development of mindfulness and equanimity, ultimately leading to insight and liberation from suffering.

This essay analytically examines the impact of Vipassana meditation on both personal and social well-being, assessing its psychological, physiological, behavioral, and communal implications. Through scientific evidence, real-world applications, and philosophical inquiry, we aim to understand how Vipassana functions as both a personal healing modality and a social catalyst.

Keywords: Meditation, Vipassana, Well-being, Psychology.

Understanding Vipassana: Principles And Practice: Vipassana meditation, revived and taught widely by S.N. Goenka, follows the core Buddhist path of Dhamma without aligning with any religious doctrine. It is practiced by observing sensations on the body with equanimity, developing samâdhi (concentration), sîla (morality), and paññâ (wisdom).

A typical 10-day Vipassana course involves:

1. Noble Silence (no communication) to cultivate introspection
2. Anapana meditation (observing the breath) to sharpen focus
3. Vipassana proper (observing body sensations) to understand impermanence (anicca)
4. Metta Bhavana (loving-kindness) to radiate compassion.

Unlike other forms of meditation that aim for relaxation or visualization, Vipassana requires active engagement with one's internal processes to break patterns of craving and aversion, which are seen as root causes of suffering.

I. Personal Well-being through Vipassana

1. Psychological Benefits:

i. Vipassana's most profound impact is on the mind. It trains the practitioner to become mindfully aware without reacting impulsively. This reduces rumination, stress, and emotional volatility.

ii. Reduction in anxiety and depression: Studies (e.g., Kumar et al., 2008) show that Vipassana leads to measurable declines in anxiety, depression, and PTSD symptoms. Participants report greater emotional regulation and inner calm.

iii. Increased self-awareness and emotional intelligence: Through constant observation, individuals develop an acute sense of their emotional triggers and habitual reactions, making room for conscious choice rather than compulsive reaction.

iv. Detachment from ego and identity: Vipassana dissolves identification with thoughts and emotions. As one learns to watch mental phenomena come and go, a deeper understanding of the non-self (anattâ) emerges, reducing egocentric behavior and narcissistic tendencies.

2. Physiological Impact:

i. Vipassana also brings physiological changes through sustained awareness and stillness.

ii. Improved autonomic function: Practitioners often exhibit reduced heart rates and blood pressure, better sleep quality, and improved breathing patterns.

iii. Neuroplastic changes: Functional MRI studies suggest structural changes in the brain regions responsible for attention, empathy, and emotional regulation (Lazar et al., 2005). Long-term meditators show thicker prefrontal cortices and stronger connections in the insular cortex, linked to body-awareness.

iv. Hormonal balance: Meditation reduces cortisol (stress hormone) levels and promotes the release of serotonin and dopamine, contributing to mood elevation.

3. Behavioral Transformation:

i. The moral foundation of Vipassana—refraining from killing, stealing, sexual misconduct, lying, and intoxicants—encourages ethical behavior.

ii. Self-discipline and impulse control: Continuous observation cultivates patience, restraint, and inner strength to resist harmful impulses or addictions.

iii. Consistency in action and speech: Meditators often

*Assistant Professor (Physical Education) Ismail National Mahila P.G. College, Meerut (U.P.) INDIA

become more truthful, compassionate, and mindful in communication, promoting harmony in relationships.

iv. Reduction in aggression and reactivity: As emotional triggers are weakened, one learns to respond rather than react—a critical skill in personal and professional contexts.

II. Social and Communal Benefits: While Vipassana is primarily an individual journey, its effects ripple outward into society.

1. Conflict Reduction and Peace-building:

i. Vipassana encourages compassion and non-violence, addressing the root causes of conflict.

ii. Restorative justice models: Vipassana courses in prisons (e.g., Tihar Jail, India) have led to reduced recidivism, improved inmate behavior, and greater social reintegration. This approach humanizes offenders and fosters rehabilitation over punishment.

iii. De-escalation in social settings: A Vipassana practitioner is less likely to engage in confrontational or aggressive behavior, promoting a culture of tolerance and understanding.

2. Strengthening Community Ties:

i. Communities of Vipassana meditators often form around shared values of service (seva) and non-attachment, leading to stronger, more ethical social networks.

ii. Volunteerism and altruism: Meditation centers operate entirely on donations, and former students serve others selflessly. This encourages a gift economy and mutual support.

iii. Inclusive and egalitarian space: Vipassana centers do not discriminate based on caste, creed, or gender, fostering social cohesion and interfaith understanding.

iv. Empowered citizenship: As individuals become self-aware, they engage with society more responsibly—whether as leaders, educators, or everyday citizens.

3. Workplace and Institutional Impact:

i. Vipassana has entered the corporate and educational world as a tool for ethical leadership and employee well-being.

ii. Corporate retreats and leadership training: Organizations like Google and Adobe have supported mindfulness programs based on Vipassana principles. Leaders report better decision-making, emotional intelligence, and ethical clarity.

iii. Schools and universities: Some educational institutions have introduced mindfulness programs to help students handle exam stress, build attention spans, and foster prosocial behavior.

III. Analytical Examination: Philosophical and Scientific Dimensions

1. Vipassana and Modern Psychology:

i. While Vipassana predates psychology by millennia, its principles align with cognitive-behavioral therapy (CBT) and third-wave psychotherapies like ACT (Acceptance and Commitment Therapy) and MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy).

ii. Observing thoughts as passing phenomena is a core tenet of both Vipassana and ACT.

iii. However, unlike CBT, Vipassana does not aim to change thoughts but to observe them without judgment, allowing for deeper detachment and transformation.

2. Limitations and Challenges: Vipassana is not a panacea. Some challenges include:

i. Rigorous commitment: The 10-day silent course and post-course discipline (daily practice) are demanding and not suited for everyone.

ii. Not ideal for severe mental illness: People with acute psychosis or dissociation may struggle with prolonged self-observation.

iii. Cultural adaptation: Western adaptations of Vipassana often strip it of its ethical and philosophical roots, reducing it to a stress-relief tool and missing its transformative potential.

3. Scientific Validity and Skepticism: While there is growing evidence of meditation's benefits, critics warn of:

i. Placebo effect and selection bias: Many studies rely on self-reported data from already motivated individuals.

ii. Commercialization of mindfulness: The rise of "McMindfulness" commodifies what was meant to be a path of liberation, diluting its essence.

iii. Despite this, the depth and consistency of anecdotal and empirical support for Vipassana continue to expand, especially when the practice is engaged with sincerity and discipline.

Conclusion: Vipassana meditation offers a time-tested, deeply transformative path for enhancing personal and social well-being. On an individual level, it cultivates mindfulness, self-awareness, emotional balance, and inner peace. On a societal scale, it promotes compassion, ethical behavior, and non-violence, contributing to healthier communities and more peaceful institutions.

In an age marked by mental health crises, social fragmentation, and ethical dilemmas, Vipassana stands as a bridge between ancient wisdom and modern necessity. Its silent yet powerful practice is a reminder that change begins from within, and that the purification of the individual mind is the seed from which societal harmony grows.

To truly harness the potential of Vipassana, however, we must go beyond treating it as a wellness fad and embrace it as a way of life—anchored in morality, sustained effort, and compassion for all beings.

References:-

1. Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. Clinical Psychology: Science and Practice.
2. Goenka, S. N. (2000). The Art of Living: Vipassana Meditation as Taught by S.N. Goenka. Pariyatti Press.
3. Lazar, S. W., et al. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness.

NeuroReport.
4. Kumar, K., & Sharma, V. (2008). The effect of Vipassana meditation on quality of life, anxiety, and depression. Journal of Indian Psychology.
5. Goleman, D., & Davidson, R. J. (2017). Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body. Avery.
6. Saran, R. (2013). Vipassana in Prisons: An Indian Case Study. Indian Journal of Criminology and Police Studies.
7. Shapiro, S. L., & Carlson, L. E. (2009). The Art and Science of Mindfulness. American Psychological Association.

****